

श्री गणेशप्रसाद वर्गी जैन ग्रन्थमाला काशी
ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक
फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रथम संस्करण वीर नि० सं० २४८६
मूल्य १०)

मुद्रक—

जिवनागयण उपाध्याय
नया संसार प्रेस, भदौनी, चाराणसी ।

यह परम सन्तोषकी बात है कि लगभग दश वर्षके अनवरत प्रयत्न के बाद 'जैन साहित्य का इतिहास की पूर्व पीठिका' मुद्रित हो कर तैयार है। आशा है कि वह शीघ्र ही पाठकों के अध्ययन के लिए सुलभ हो जायगी।

पूर्वपीठिका श्री पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री प्रधानाचार्य श्री स्या० म० वि० काशी ने परिश्रम पूर्वक लिखी है। उन्हें इसके लिए जो भी श्रम करना पड़ा है उसका निर्देश उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वयं ही किया है।

स्थापना काल से लेकर अद्यावधि श्री ग० वर्णी जैन ग्रन्थ-माला का संचालन श्री प० फूलचन्द्रजी शास्त्री की देख रेख में होता आ रहा है। आर्थिक और दूसरे प्रकार की सब अनुकूलताओं की ओर भी उन्हीं को ध्यान देना पड़ता है।

नवम्बर सन् १९५३ की १३ तारीख को ग्रन्थमाला की बैठक आमन्त्रित की गई थी। उस बैठक में ग्रन्थमाला समिति ने मेरे प्रस्ताव और प० फूलचन्द्र जी के समर्थन करने पर 'जैन साहित्यका इतिहास' के निर्माण करने की स्वीकृति दी थी।

पूर्व पीठिका का लेखन कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व श्री पं० कैलाश-चन्द्रजी शास्त्री, स्व० श्री प० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य और श्री प० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने मिल कर 'जैन साहित्यका इतिहास' की 'प्रस्तावित रूपरेखा' तैयार की थी, जो सन् १९५४ में ही एक

पुस्तिका के रूप में मुद्रित कर दी गई थी। प्रमुक्त 'पूर्व पीठिका' उगी ने अनुसार लिखी गई है। उस समय सभकी सम्मति से 'पूर्वपीठिका' के लेखन का भार श्रीमान् प० मैलाशचन्द्र जी शार्षी का संपा गया था। एमे यहाँ यह लिखने हुए परम हर्ष हाता है कि परिष्कृत जी ने प्रस्तावित रूपरेखा में निर्दिष्ट बाता को ध्यान में रखा कर यह कार्य बड़ी योग्यता पूर्वक सम्पन्न किया है। परिष्कृत जी की लेखनी सजी हुई है। तथ्यों का सकलन भी वे बड़ी योग्यता पूर्वक तटस्थ भाव से करने हैं जो किसी भी इतिहासानुसंधी का सभसे बड़ा गुण माना गया है। उनकी इस सेवा के लिए श्री ग० व० वरुणा जैन ग्रन्थमाला समिति उनकी शूरुणा है। जात हुआ है कि परिष्कृत जी ने करणानुयोग और द्रव्यानुयोग (दर्शन भाग को छोड़ कर) का इतिहास भी लिख लिया है। मैं चाहता हूँ कि वे ही अपने केन्द्रल स ग्रन्थमाला के साधनों को देखते हुए शेष कार्य का भी शीघ्रनिर्णय पुन करा दें ताकि वह प्रकाशन के लिए दिया जा सके।

इसका प्राप्कथन उ० वामुदेवशरणा जी अगवाल ने लिखा है। इसके लिए ग्रन्थमाला समिति की ओर से उनक प्रति आभार प्रदर्शित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी इस महान् कार्य में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

अब तक इस कार्य में आर्थिक या दूसरे प्रकार से अन्य जिन महानुभावों ने योगदान किया है, उस अवसर पर मैं उन सबका भी आभार मान लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यह कार्य बहुत बड़ा है। इसमें आर्थिक और बौद्धिक सभी प्रकार का सहयोग अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी श्री ग० व० ग्रन्थमाला को उनका सहयोग मिलता रहेगा।

जिस पुण्यात्मा के सस्मरण स्वरूप ग्रन्थमाला की स्थापना हुई

थी वह विभूति अब हमारे बीच में नहीं है। यह एक बहुत बड़ा क्षात है, जिसका मैं ही क्या समग्र जैन समाज अनुभव करता है। फिर भी यह हमारा भाग्य है कि उनका पुण्य आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे भरोसा है कि उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ग्रन्थमाला समिति ने जो यह कार्य अपने हाथ में लिया है वह अवश्य ही पूरा होगा।

श्री जैन शिक्षा संस्था
कटनी (जबलपुर) }
२५-३-६३

निवेदक
जगन्मोहनलाल शास्त्री
(उपाध्यक्ष श्री ग० वर्णी जैन ग्र०)

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रंथ माला को श्री जैन
साहित्य के इतिहास निमित्त जो आय हुई
और इस मदमें अभी तक जो व्यय
हुआ उसका विवरण—

आय

- १५००) श्रीमान् सिंघई श्रीनन्दनलाल राजकुमार जी बीना इटावा
- १००१) स्व० श्रीमान् सेठ लालचन्द जी दमोह
- ६५१) दि० जैन समाज विदिशा
- ५०१) श्रीमान् श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द जी राजेन्द्रकुमारजी विदिशा
- ५०१) श्रीमान् अवीरचन्द रूपचन्द जी कुमार स्टोर विदिशा

५००) श्रीमान् वाबू छोटेलाल जी कलकत्ता

५०१) श्री दि० जैन समाज जसवन्तनगर

४००) श्री दि० जैन समाज जबलपुर

१५०) श्री अहिंसा प्रतिष्ठान, श्रीमान् लाला सीताराम
फीरोजीलाल जी दिल्ली

१५१) द्रष्टयान, स० सि० टोडरमल कन्हैया लाल जी दि० जैन
पा० द्रष्ट कटनी

१००) श्रीमान् कन्हैयालाल नेमिचन्द जी पलवल

५१) श्रीमान् नेमिचन्द सुभाषचन्द जी साईफिल मार्ट
पुरानी चरहाई जबलपुर

५०) श्रीमान् मूलचन्द भागचन्द जी इटोरया दमोह

६०५७) कुल योग

व्यय

१०५२७-६८ पारिश्रमिक

८३-२६ स्टेशनरी, पोष्टेज, रिक्सा व फुटकर

३०८-६७ सफर खर्च

२२८१-१६ छपाई-कागज

१०००-० लगभग (जो पारिश्रमिक, छपाई और पुस्तक
वाइडिंग आदि के बिल के भुगतान में
अभी करना शेष है।)

१४२०१-४३ कुल योग

नोट-इस ग्रन्थपर जो पारिश्रमिक-व्यय है वह पूरे ग्रन्थका है, जिसका प्रथम
भाग यह (पीठिका) है और दूसरा भाग प्रकाशनार्थ तैयार रखा है।
लेखन-व्ययमे वह सब व्यय भी सम्मिलित है, जो अन्य सहायको पर हुआ है।

प्राक्कथन

काशीपुरी जैनधर्म का प्राचीन तीर्थ स्थान है। वहीं श्री स्याद्वाद महाविद्यालय नामकी अतिविशिष्ट विद्या सस्था गंगा तट पर स्थित है। पूज्यपाद श्री वर्णा जी ने अपने तपःपूत आदर्श के अनुसार सन् १९०५ में इसकी स्थापना की थी। उसके वर्तमान विद्याध्यक्ष श्री कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने 'जैन साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका' नामक अन्वेषण युक्त ग्रन्थ लिखा है जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

लगभग ५ वर्ष पूर्व मेरे मन में जैन साहित्य के बृहत् इतिहास निर्माण का एक विचार उत्पन्न हुआ था। काशी के जैन विद्वानों में उसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ। मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों मान्यताओंके अनुयायी विद्वानों ने उसका स्वागत किया। तदनुसार पार्श्वनाथ आश्रम की ओर से श्री दल-सुख भाई मालवणिया की देख-रेख में जैन साहित्य का इतिहास पांच भागों में लिखा जाने लगा। उसका पहला भाग तैयार है पर अभी तक वह प्रकाशित होकर सामने नहीं आया। दूसरी ओर स्व० श्री महेन्द्र कुमार जी जैन ने श्री वर्णा जैन ग्रन्थमाला की ओर से अपने सहयोगियों के साथ इस साहित्य का इतिहास दिगम्बर सामग्री के आधार पर विरचित करने का सकल्प किया। श्री महेन्द्र कुमार अत्यन्त प्रतिभाशाली विद्वान थे। वे काशी विश्व विद्यालय में बौद्ध दर्शन के प्राध्यापक थे। उनकी प्रेरणा से यह कार्य समय पाकर ससिद्ध होने को था, किन्तु ईश्वर की इच्छा कि वे अकाल में ही स्वर्गवासी हो गये। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि उनके घनिष्ठ सहयोगी और मित्र श्री प० कैलाशचन्द्र जी ने उस पवित्र सकल्प को न केवल अविस्मृत ही रखा

वरन् अपनी श्रमशीलता और प्रजा से उसे मूर्तरूप भी दे डाला । फल-स्वरूप जैन साहित्य के इतिहास की यह पूर्व पीठिका विद्वानो के सामने आ रही है ।

इस ग्रन्थ मे जैनधर्म की मूल स्थापना से लेकर सब भेद तक के सुदीर्घ काल का इतिहास लिखा गया है । इसमे श्रमण परम्परा इस देश में जिस प्रकार विकसित हुई उसका विवेचन किया गया है । इतिहास लेखन विशेष कला है । उसमे प्रमाण सामग्री और लेखक की निजी दृष्टि के अनुसार उसकी व्याख्या, इन दो चक्रो पर ऐतिहासिक लेखन का रथ गतिशील होता है ।

यह सुविदित है कि जैनधर्म की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । भगवान महावीर तो अन्तिम तीर्थङ्कर थे (मिथिला प्रदेश के लिच्छवी गणतंत्र से, जिसकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है, महावीर का कौटुम्बिक सम्बन्ध था । उन्होने श्रमण परम्परा को अपनी तपश्चर्या के द्वारा एक नई शक्ति प्रदान की जिसकी पूर्णातम परम्परा का सन्मान दिगम्बर परम्परा में पाया जाता है) भगवान महावीर से पूर्व २३ तीर्थङ्कर और हो चुके थे । उनके नाम और जन्म वृत्तान्त जैन साहित्य में सुरक्षित हैं । उन्हीं मे भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थङ्कर थे जिसके कारण उन्हें आदिनाथ कहा जाता है । जैन कला में उनका अकन घोर तपश्चर्या की मुद्रा में मिलता है । ऋषभनाथ के चरित का उल्लेख श्रीमद्भागवत में भी विस्तार से आता है और यह सोचने पर बाध्य होना पडता है कि इसका कारण क्या रहा होगा (भागवत मे ही इस बात का भी उल्लेख है कि महायोगी भरत ऋषभ के शत पुत्रो में ज्येष्ठ थे और उन्हीं से यह देश भारत वर्ष कहलाया—

येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण आसीत् ।

येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥

—भागवत ५।४।६।

भागवत में एक और भी आश्चर्य जनक तथ्य लिखा है—

तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण ।

विख्यातवर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमद्भुतम् ॥

—भागवत ११।२।१७।

इसके अनुसार भरत भी परम भागवत थे और नारायण भगवान् विष्णु के भक्त थे । अत एव एक और जहा जैनधर्म में उनका अत्यन्त सम्मानित पद था, वहीं दूसरी ओर भागवत जनता भी उन्हें अपना आराध्य मानती थी । इतना ही नहीं, ऋषभ और भरत इन दोनों का वशसम्बन्ध उन्हीं स्वायम्भुव मनु से कहा गया है जिनसे और भी ऋषियों का वश और राजर्षियों की परम्परा प्रख्यात हुई । (स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र नाभि, नाभि के ऋषभ, और ऋषभदेव के सौ पुत्र हुए जिनमें भरत ज्येष्ठ थे । यही नाभि अजनाभ भी कहलाते थे जो अत्यन्त प्रतापी थे और जिनके नाम पर यह देश अजनाभ वर्ष कहलाता था । प्रियव्रत ने अपने अग्नीध्र आदि सात पुत्रों को सप्त द्वीपों का राज्य दिया था । उनमें अग्नीध्र को जम्बूद्वीप का राज्य मिला । अग्नीध्र की भार्या पूर्वचिति अप्सरा से नौ खण्डों में राज्य करने वाले नौ पुत्रों का जन्म हुआ । उनमें ज्येष्ठ पुत्र नाभि थे, जिन्हें अजनाभ खण्ड का राज्य प्राप्त हुआ । यही अजनाभ खण्ड पीछे भरतखण्ड कहलाया ।) नाभि के पौत्र भरत उनसे भी अधिक प्रतापवान् चक्रवर्ती थे । यह अत्यन्त मूल्यवान् ऐतिहासिक परम्परा किसी प्रकार पुराणों में सुरक्षित रह गई है । वायु पुराण ३३।५१-५२, मार्कण्डेय पु० ५३।३६-४०, में भी इसी प्रकार की अनुश्रुति पाई जाती है । ये उद्धरण जैन अनुश्रुति की ऐतिहासिकता सूचित करते हैं । २२ वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ कृष्ण और बलराम के चचेरे भाई थे ऐसा जैन साहित्य में उल्लेख है । जैन-कला में भी नेमिनाथ की मथुरा से प्राप्त मूर्तियों में कृष्ण और बलराम का अङ्गन दोनों ओर पाया जाता है ।

सिन्धु घाटी में भी दो नग्न मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें से एक कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित पुरुषमूर्ति है। दूसरी को भी अब तक पुरुष मूर्ति कहा जाता है। किन्तु ध्यान से देखने पर जात होता है कि वह नृत्य मुद्रा में स्त्री मूर्ति है। अभी पहली मूर्ति की पहचान किम प्रकार की जाये यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न बना ही रहता है। अर्थात्कि एक मूर्ति में महानग्न पुरुष और महानग्नी स्त्री के मिलान का उल्लेख आता है—

महानग्नी महानग्न धावन्तमनुधावति ।

इमा स्तदस्य गारज यभमामध्यादनम् ॥

—अथर्व० २०।१२६।११

किन्तु जैन और कुछ जैनैतर विद्वान भी पुरुष मूर्ति की नग्नता और कायोत्सर्ग मुद्रा के आधार पर इसे ऐसी प्रतिमा समझते हैं जिसका सम्बन्ध किसी तीर्थंकर से रहा है। सिन्धु लिपि के पढ़े बिना इस विषय में निश्चय से कुछ कहना कठिन है। किन्तु एक दूसरा प्रमाण जो सन्देह रहित है, सामने आ जाता है। वह पटना के लोहार्नीपुर मुहल्ले से प्राप्त एक नग्न कायोत्सर्ग मूर्ति है। उस पर मार्च फाल्सीन श्लोक या चमक है और श्री काशीप्रसाद जायसवाल से लेकर आज तक के सभी विद्वानों ने उसे तीर्थंकर प्रतिमा ही माना है। उस दिशा में वह मूर्ति अब तक की उपलब्ध सभी बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी मूर्तियों से प्राचीन ठहरती है। कलिगाधिपति खारवेल के हाथीगुम्फ शिला लेख से भी जात होता है कि कुमारी पर्वत पर जिन प्रतिमा का पूजन होता था। इन सकेतो से इंगित होता है कि जैन धर्म की यह ऐतिहासिक परम्परा और अनुश्रुति अत्यन्त प्राचीन थी।

वस्तुतः इस देश में प्रवृत्ति और निवृत्ति की दो परम्पराएँ ऋग्वेद

के समय में भी प्रचलित थीं। प्रवृत्ति परम्परा को देव परम्परा कहते थे। यज्ञविधि और चार आश्रम उसी के अंग थे। निवृत्ति परम्परा को मुनि परम्परा कहा जाता था। वानप्रस्थ धर्म और श्रमण विधि उसकी विशेषताएँ थीं। ऋग्वेदके दशममण्डलके १३५वें सूक्तके कर्ता सात वातरशना मुनि थे। यथा—‘१ जूति, २ वातजूति, ३ विप्रजूति, ४ वृषाणक ५ कारिक्रत, ६ एतशः ७ ऋष्यशृङ्ग एते वातरशना मुनयः ।’ वातरशना का वही अर्थ है जो दिगम्बर का है। वायु जिनकी मेखला है अथवा दिशाएँ जिनका वस्त्र है। दोनों शब्द एक ही भाव के सूचक हैं। इस सूक्त में वातरशना मुनियों को मलधारी सूचित किया गया है। जात होता है कि भस्म आदि मलने से उनकी जटाएँ पिशङ्ग या कपिल वर्ण की दिखाई पड़ती थी। जैसे आज कल के धूनि रमाने वाले साधुओं की होती हैं—

‘मुनयो वातरशना पिशङ्गा वसते मलाः ।’

—ऋग्वेद १०।१३५।२।

इसी सूक्त के पाँचवे मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि एक-एक देव के साथ एक-एक मुनि उसका सखा है—

मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हित —१०।१३५।५।

इन उल्लेखों का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत कुछ है। देव परम्परा के मुख्य ही मुनि परम्परा की लोकप्रियता भी इससे सूचित होती है। महाभारत में तो स्पष्ट उल्लेख है कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए सनक^१ आदि सात पुत्रों को उत्पन्न किया। किन्तु वे निवृत्तिमार्गी

१—‘सनः सनत्कुजातश्च सनकः ससनन्दन ।

सनत्कुमारः कपिल सप्तमश्च सनातन ॥७२॥

सप्तैते मानसा प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मण सुता ।

स्वयमागतविज्ञाना निवृत्ति धर्ममास्थिता ॥७३॥

—महाभारत, शान्तिपर्व ।

होकर वन में चले गये । तब ब्रह्मा ने दूसरे मात पुत्र उत्पन्न किये । और उन्होंने प्रवृत्ति का आश्रय लेकर प्रजाओं को उत्पन्न किया ।

निवृत्तिमार्गीय श्रमणों के अनेक सम्प्रदाय महावीर श्रीर बुद्ध के समय में थे और उनके पूर्व भी विद्यमान थे पर उनमें ब्राह्मण भी चलते रहे । अशोक ने इसी आशय पर अनेक ब्राह्मणों का उल्लेख किया है । उसका अभिप्राय ब्राह्मण और श्रमणोंकी दो पृथक् परम्पराओंके अस्तित्व से ही था । पतञ्जलि ने पाणिनि के 'गन्नाञ्च विरोध आश्रवतिकः' सूत्रपर 'श्रमण-ब्राह्मणम्' उदाहरण देते हुए सूचित किया है कि 'श्रमणों और ब्राह्मणों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व लगभग शाश्वत काल में था । जैसा हम देख चुके हैं ऋग्वेद में भी यह ज्ञापित होता है ।

श्रमण भिन्न सस्था का जैन, ब्राह्मण और बौद्ध सामग्रीके आधारपर पूरा और तुलनात्मक अध्ययन अभी नहीं हुआ है । उसमें विदित होगा कि गोत्रतिक, श्वात्रतिक, दिशात्रतिक आदि मैकड़ों प्रकार के श्रमण-मार्गी आचार्य थे । उन्हीं में से एक निर्गन्थ महावीर हुए और दूसरे बुद्ध । श्रीरों की परम्परा लगभग नामशेष हो गई या ऐतिहासिक काल में विशेष रूप से परिवर्तित हो गई । (कपिल और जैगीपन्न श्रमण या निवृत्तिमार्गी आदर्शों के मानने वाले थे । किन्तु उनका केवल दर्शन ब्रह्मा है सम्प्रदाय नहीं । ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों के शैव मादेश्वर सम्प्रदाय में उनका अन्तर्भाव हो गया और उनके दार्शनिक सिद्धान्त को भी, जो मूल में अनीश्वरवादी था, शैश्वर बनाकर एक और पाशुपत शैवों ने दूसरी ओर भागवतों ने अपना लिया । इस विषय में पुराणों में पर्याप्त सामग्री है ।)

इन पुराणों से हमारा तात्पर्य यह बतलाना है कि भारतीय सस्कृति में निवृत्तिधर्मी श्रमण परम्परा और प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थ परम्परा दोनों दो बटी हुई रस्तियों की तरह एक साथ विद्यमान रही हैं और दोनों

में बहुत कुछ आदान-प्रदान भी चलता रहा है। श्रमण परम्परा के कारण ब्राह्मण धर्म में वानप्रस्थ और सन्यास को प्रश्रय मिला, एवं शंकराचार्य ने तो दशनामी सन्यासियों के रूप में मानों श्रमणों जैसा ही नया सगठन खड़ा कर दिया, जो आज तक जीवित है। उधर ब्राह्मणों और भागवतों के गृहस्थ सम्बन्धी सम्मानित आदर्शों से श्रमण सम्प्रदायमें भी गृहस्थ आश्रम को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो आज भी जैनधर्म में सुरक्षित है। प्राचीन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि अनेक गृहपति बौद्ध धर्म के आधार स्तम्भ थे।

इन मिले जुले तारों या उलझे हुए धागोंको सुलझाना ऐतिहासिक का कर्तव्य है। इसके लिए मन में सहानुभूति और सहिष्णुता की परम आवश्यकता है। सच्चे ऐतिहासिक को उस प्रकार का मानस अपने भीतर बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय सस्कृति के समग्र तत्त्वों को सम्प्रीति के चक्षु से देख सके। इस उद्देश्य से सामग्री को दृष्टिपथ में लाने वाले जितने भी प्रयत्न हो, स्वागत के योग्य हैं। सत्य यह है कि हमारी निजी व्यक्तिगत मान्यताओं से इतिहास के देवताओं का आसन कहीं ऊँचा है।

हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे अन्वेषण के दो पुष्प वहा तक पहुँच सकें। इस दृष्टि से हम श्री कैलाश चन्द्र जी के इस प्रयत्न का अभिनन्दन करते हैं।

मालवीय जयन्ती }
कागो विश्व-विद्यालय }

(डा०) वासुदेव शरण अग्रवाल
अध्यक्ष इन्डोलॉजी कालेज

लेखक के दो शब्द

भारतीय साहित्य में जैन साहित्य का भी अपना एक विनिष्ट स्थान है किन्तु उसके इतिहास लेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। डा० विन्टरनीट्स ने जर्मनभाषा में जो भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है उसमें उन्होंने जैनसाहित्य के सम्बन्ध में भी एक छटा का प्रकाश दिया है। किन्तु वह भी बहुत संक्षिप्त और अपूर्ण है। श्री मोहनचन्द्र दलीचन्द्र देसाई ने गुजराती भाषा में 'जैनसाहित्य का इतिहास' लिखा था और वह जैन-श्वेताम्बर कान्फेस बम्बई की ओर से प्रकाशित हुआ था। किन्तु उसमें श्वेताम्बर साहित्य को ही अपनाया गया था। अतः द्विगम्रीय जैनसाहित्य का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा गया। द्विगम्य जैन विद्वानों में अपने साहित्य के प्रति अभिरुचि होते हुए भी उसके इतिहास के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है और उसका कारण यह है कि इस देश के विद्वानों में प्रारम्भ से ही इतिहास के प्रति अभिरुचि नहीं रही। आज भी संस्कृत भाषा के उच्चकोटि के विद्वान भी इतिहास का अनुपयोगी ही समझते हैं। किन्तु देश के इतिहास की तरह साहित्य का इतिहास भी उपयोगी होता है। उससे ग्रन्थगत और विषयगत बातों के सम्बन्ध में अभिनव प्रकाश पड़ता है और अनेक ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः किसी ग्रन्थ का विषयगत हार्द समझने के लिए उस ग्रन्थ और ग्रन्थकार की सामयिक परिस्थिति तथा उसके पूर्वज ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का उसपर प्रभाव भी जानना आवश्यक होता है। और ये सब साहित्य के इतिहास को जाने बिना सम्भव नहीं है।

दिगम्बर जैन समाज में सर्व प्रथम इस विषय की ओर श्री नाथूराम जी प्रेमी तथा प० जुगल किशोर जी मुख्तार का ध्यान गया। इन दोनों आदरणीय व्यक्तियों ने अपने पुरुषार्थ और लगन के बल पर अनेक जैनाचार्यों और जैनग्रन्थों के इतिवृत्तों को खोजकर जनता के सामने रखा। आज के जैन विद्वानों में से यदि किन्हीं को इतिहास के प्रति अभिरुचि है तो उसका श्रेय इन्हीं दोनों विद्वानों को है। कम से कम मेरी अभिरुचि तो इन्हीं के लेखों से प्रभावित होकर इस विषय की ओर आकृष्ट हुई।

सन् १९५४ के करीब कुछ सामयिक परिस्थिति वश, जिसका संकेत डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने प्राक्कथन के प्रारम्भ में किया है, जैनसाहित्य के इतिहास निर्माण की चर्चा बड़े जोरों से उठी और उसको उठाने का बहुत कुछ श्रेय न्यायाचार्य प० महेन्द्र कुमार जी को था। उसी के फल स्वरूप श्री गणेश प्रसाद वर्मा ग्रन्थमाला काशी ने उस कार्य का भार उठाया और कुछ विद्वानों को उसका भार सौंपा, जिनमें एक मेरा भी नाम था। प० महेन्द्र कुमार जी तो स्वर्गवासी हो गये और मुझे अकेले ही इस भार को वहन करना पड़ा। मैं न तो कोई इतिहास का विशिष्ट अन्यासी विद्वान हूँ और न ऐसे महान् कार्य के लिए जिस कोटि के ज्ञान की आवश्यकता है वैसा मुझे ज्ञान ही है। किन्तु 'न कुछ से तो कुछ बेहतर होता है' इस लोकोक्ति को ध्यान में रखकर मैंने यह अनधिकार चेष्टा की है। और इस आशा से की है कि मेरी गलतियों से प्रभावित होकर ही शायद कोई अधिकारी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाये। यदि मेरी यह आशा पूर्ण हुई तो मैं अपने प्रयत्न को सफल समझूंगा।

यह केवल जैनसाहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका है। जैनसाहित्य का निर्माण जिस पृष्ठभूमि पर हुआ उसका चित्रण करने के लिये इस पीठिका में जैनधर्म के प्राग् इतिहास को खोजने का भी प्रयत्न किया गया है। साहित्य का इतिहास तो आगे प्रकाशित होगा।

मुझे इस कार्य में जिन महानुभावों से सहयोग मिला उनके प्रति भी आभार प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। वर्माग्रन्थ माला के मंत्री प० वशीधर जी व्याकरणाचार्य और संयुक्त मंत्री प० फूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री का मुझे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ और वे बराबर मेरा

उत्साह बढ़ाते रहे । यदि उनकी ओर से मुझे प्रोत्साहन न मिलता तो मैं भी शायद ही आगे बढ़ सकता ।

इस अवसर पर पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्गी महाराज का स्मरण भी बरबस हो आता है । जब भी उनके दर्शनों के लिए ईसरी जाना होता, वे बराबर कार्य की प्रगति के बारे में पूछते थे । खेद है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो गये ।

हिन्दू विश्व विद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर मैंने महीनो तक पुरानी फाइलो और रिपोर्टों का अनुगम किया है और इसके लिए पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्री विश्वनाथन् तथा इन्डोलाजी कालिज के तत्कालीन अध्यक्ष डा० राजबलि पारडेय का कृतज्ञ हूँ । श्री काशी विद्यापीठ के भगवानदास स्वाध्यायपीठ से भी मुझे अनेक पुस्तकें प्राप्त हो सकीं । उसके अध्यक्ष मेरे अनुज प्रो० खुशालचन्द्र गोरावाला हैं । उनके प्रति अपना सौहार्दभाव प्रकट करता हूँ । पार्श्वनाथ विद्याश्रम वाराणसी के अधिष्ठाता मुनिवर श्री कृष्णचन्द्राचार्य के सौजन्य से मुझे आश्रम के पुस्तकालय से भी पुस्तकें प्राप्त हुईं, एतदर्थ मैं मुनिजी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ । देहला के लाला पन्नालाल जी अग्रवाल तथा जयपुर के डा० कस्तूर चन्द जी काशली वाल के द्वारा भी हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त हो सके हैं । जैन सिद्धान्त भवन आरा के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष प० नेमिचन्द्र जी ज्योतिषाचार्य से भी यथावश्यक ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं । अतः मैं उन्हें भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता ।

अन्त में मैं डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रति विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी इस पीठिका के लिए प्राक्कथन लिखा देने का कष्ट उठाया ।

क्या मैं आशा करूँ कि इस पीठिका को पढ़कर पाठक जैनसाहित्य के इतिहास के प्रति उत्सुक हो सकेंगे ।

श्री स्याद्वाद महाविद्यालय }
वाराणसी }
ऋषभ जयन्ती }
वी० नि० सं० २४८६

कैलाशचन्द्र शास्त्री

विषय-सूची

१	जैन धर्म के इतिहास की खोज	१—६
	पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद	३
	याफोवी और बुलहर की खोजें	४
	जैन धर्म की प्राचीनता	५
२	प्राचीन स्थिति का अन्वेषण	७—१८४
	वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में	८
	आर्यजन	१०
	वेद	११
	वेद के सम्बन्ध में तीन पक्ष	१२
	ऋग्वेद	”
	भौगोलिक स्थिति	१३
	जातियाँ	१४
	परिण	१६
	दास और दस्यु	१७
	असुर	२०
	वैदिक देवता	२१
	दार्शनिक मन्तव्य	२३
	अन्य वेद और ब्राह्मण	२५
	जातियाँ या कबीले	२७

भौगोलिक नाम	२६
धर्म और दर्शन	३२
वैदिक कालीन यज्ञ	३५
ब्राह्मण और क्षत्रिय	४४
वैदिक काल त्रिभाग	५०
आरण्यक	५२
उपनिषद्	५३
उपनिषद्, यज्ञ और वैदिक देवता	५५
आत्मा और ब्रह्म	५६
आत्मज्ञानासा	६०
आत्मविद्याके स्वामी क्षत्रिय	६६
दार्शनिक विचारोंके विकास में सहायक दो अवैदिकतत्त्व	७२
पुनर्जन्म	७८
संन्यास	८१
श्रमणपरम्परा	८८
प्राग् ऐतिहासिक कालीन अवशेष	९५
सिन्धु घाटी सभ्यता	९७
शिशुदेवाः	१०३
ऋषभ और शिव	१०७
ब्राह्मण	११०
हिरण्यगर्भ और ऋषभदेव	११८
योग के जनक हिरण्यगर्भ	११६
हिन्दू पुराणों में ऋषभदेव	१२०
विष्णु के अवतार	१२४
भागवत में ऋषभ चरित	१२६

विष्णु और श्रवतारवाद	१३१
महाभारत और गीता	१३६
श्रवतारवाद	१६०
जैन पुराणों में श्रीकृष्ण	१६३
२२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ	१६५
नेमिनाथ की ऐतिहासिकता	१७०
द्रविडसभ्यता और जैनधर्म	१७५
उपसहार	१८३
३ ऐतिहासिक युग में	१८५—४-५
कासी कोसल और विदेह	१८५
काशीराज ब्रह्मदत्त	१८७
ब्रह्मदत्त विदेह के	१८८
जनक के उत्तराधिकारी लिच्छवि	१८९
लिच्छवि गणतंत्र की स्थापना का समय	१९०
पार्श्वनाथ का वंश और माता पिता	१९४
प्रब्रज्या और उपसर्ग	१९६
समकालीन धार्मिक स्थिति	१९७
पार्श्वनाथ का चातुर्याम	२००
भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का स्थान	२०६
भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता	२११
कतिपय जैन उल्लेख	२१६
भगवान महावीर	२२२
निगठ नाटपुत्र और भगवान महावीर का ऐक्य	”
जन्म स्थान	२२५

मातृ कुल तथा पितृ कुल	२३१
गर्भ परिवर्तन	२३६
विवाह	२४२
प्रव्रज्या	२४५
तपस्या और ज्ञान लाभ	२४६
सर्वज्ञता और सर्वदर्शित्व	२५२
प्रथम धर्म देशना	२५७
समवसरण	२६४
दिव्यध्वनि और उसकी भाषा	२६५
महावीर भगवान के गणधर	२७१
क्या पार्श्व और महावीर के धर्म में भेद था	२७६
महावीर निर्वाण	२८१
महावीर निर्वाण का समय	२८३
समकालीन व्यक्ति	२६६
महावीर के पश्चात् की राज्यकाल गणना	३१२
बौद्ध काल गणना	३१३
पौराणिक काल गणना	३१७
मगध और अवन्ति के राजवश	३२०
अवन्ति राज प्रद्योत	३२१
नन्दों के १५५ वर्ष	३२६
आचार्य काल गणना	३३७
भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त	३४२
द्वितीय भद्रबाहु की स्थिति	३४६
खारवेल के शिला लेख से समर्थन	३५४
आर्य सुहस्ती और सम्प्रति	३५८

नन्दमंत्री शकटाल	३६२
अर्थ फालक सम्प्रदाय	३८२
सद्य भेद के मूल कारण वस्त्र पर विचार	३९४
भ० महावीर तथा उनके पूर्व वस्त्र की स्थिति	३९५
पार्श्वस्थ-शिथिलाचारी साधु	३९६
भ० महावीर के पश्चात् वस्त्रकी स्थिति	४०६
अचेलक और नागन्य के अर्थ में परिवर्तन	४१६
मखलिपुत्र गोशालक का जीवन वृत्त	४२५
गोशालक और परित्राजक	४३०
मस्करी और गोशालक	४३४
क्या गोशालक पार्श्वपत्नीय था	४३६
महावीर और गोशालक के सम्मिलन का उद्देश्य	
तथा पारस्परिक श्रादान प्रदान	४४२
आचार सम्बन्धी नियम	४४४
मिलन का उद्देश्य	४५४
पार्श्वपत्नीय और गोशालक	४५६
आजीविक और दिगम्बर	४६३
नग्नता प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध है	४८०
सद्य भेद का काल	४८४
सद्य भेद का प्रभाव और विकास	४९२

४ श्रुतावतार

४ ६ से ७१२

आगम सफलना	४९६
देवर्द्धि के कार्य के सम्बन्ध में नया मत	४९६
देवर्द्धि गणिके पश्चात् की स्थिति	५२०

वर्तमान जैन आगम और दिगम्बर परम्परा	५२७
द्वादशांग के ग्रन्थों में मत भेद	५२६
गुर्वावली की पद्धति में भिन्नता	५३४
बौद्ध सगीति और जैन वाचना	५३५
श्रुत परिचय	५४४
चारह अंगों के नाम	५५१
दृष्टिवाद का महत्त्व	"
पूर्वों का महत्त्व	५५२
पूर्व नाम क्यों ?	५५६
दृष्टिवाद का लोप	५५७
क्या दृष्टिवाद का लोप जान बूझ कर किया गया	५५८
श्वेताम्बर परम्परा में श्रुत के भेद	५७१
कालिक श्रुत	५७४
कालिक श्रुत और दृष्टिवाद में अन्तर	५७६
दृष्टिवाद का विवरण	५८३
तीन सौ त्रैसठ मत	५८८
बौद्ध निकाय में बासठ मत	५९२
श्रुत ज्ञान के बीस भेद	६११
पदों का प्रमाण	६१८
चौदह पूर्वों के पदों का प्रमाण	६२०
अंगों के पदों के प्रमाण की उपपत्ति	६२०
श्रुत के अक्षर	६२१
दृष्टिवाद में वर्णित विषय का परिचय	६२४
परिकर्म	"
सूत्र	६२५
प्रथमानुयोग	६२६

चूलिका	६२६
पूर्वों का परिचय	६२७
एकादशांग परिचय	६३४
पूर्वों से अंगों की उत्पत्ति	”
दिगम्बर ग्रन्थों में प्राप्त विषय सूची	६७१
अंग ब्राह्म श्रुत	६७३
अंग ब्राह्म के भेद	६७७
अंग ब्राह्म के भेदों का समीकरण	६७८
दि० अंग ब्राह्म का विषय परिचय	६८०
अंगभिन्न श्वेताम्बरीय आगम	६८२
नन्दि और अनुयोगद्वार	६८३
चारह उपाग	६८८
छै छेदसूत्र	६९३
चार मूलसूत्र	७०१
दस पङ्क्त	७१०

जैन साहित्यका इतिहास

पूर्व-पीठिका

१. जैनधर्मके इतिहासकी खोज और उसका परिणाम

‘इतिहास’ शब्द हमारे लिए नया नहीं है। किन्तु हमारे देशके इतिहास लेखकोंको भी यह मानना पड़ा है कि इतिहासकी जिज्ञासा हमारे देशके जन-साधारणमें और शिक्षित कहलाने-वाले वर्गमें भी अत्यन्त मन्द रही है। और आज यदि हमारे इतिहास नेत्र खुले हैं तो पाश्चात्य विद्वानोंके संसर्ग और प्रभावसे।

जब पाश्चात्य विद्वान भारतवर्षके निकट सम्पर्कमें आये तो उनका ध्यान इस देशके इतिहासकी ओर गया। पहले तो यही कहा जाता रहा कि मुसलमानोंके आक्रमणसे पूर्व (ईसाकी ११ वीं शती) भारतका कोई इतिहास नहीं मिलता। किन्तु १७६३ ई० में सर विलियम जोन्सने भारतपर आक्रमण करने-वाले सिकन्दरका इतिहास लिखनेवालोंके ‘सैन्द्रोकोट्टस’ को जब संस्कृत साहित्यका चन्द्रगुप्त बतलाया तो भारतीय इतिहासकी पूर्वावधि सिकन्दरके आक्रमणकालसे निर्धारित की गई।

इसी समयके लगभग ग्रीक और रोमके प्राचीन साहित्यके पण्डित पाश्चात्य विद्वानोंने भारतकी प्राचीन भाषाओंका अध्ययन प्रारम्भ किया। वे यह देखकर आश्चर्य चकित हुए कि संस्कृत

भाषाके शब्द और प्रत्यय ग्रीक और लैटिन भाषासे बहुत मिलते जुलते हैं। इस परसे यह प्रश्न पैदा हुआ कि उन समानताका क्या कारण है? उसी प्रश्नके समाधानके लिये की गई ग्रांजोंके फलस्वरूप आर्योंके भारतमें आकर बसनेकी कथा प्रवर्तित हुई और तुलनात्मक भाषाविज्ञानने जन्म लेकर ऐतिहासिक अनुसन्धान का नई दिशा प्रदान की। उसीके फलस्वरूप ब्रह्मवैदिको विश्वकी प्राचीनतम पुस्तक और आर्योंके ज्ञान-विज्ञानका अक्षय भण्डार बतलाया गया।

वैदिक साहित्यमें परिचित होनेके पश्चात् पाश्चान्त्य विद्वान् क्रमसे बौद्ध और जैन साहित्यके सम्पर्कमें प्राये। और उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पद्धतिके द्वारा उपलब्ध साधनोंके आधानपर इन धर्मोंकी खोजचीन आरम्भ की। किन्तु उन समय तक यूरोपमें जैन ग्रन्थोंका मिलना दुर्लभ था, अतः बहुत समय तक वे जैन धर्मके सम्बन्धमें कोई स्पष्ट मत नहीं बना सके, और जैन धर्मके आरम्भको लेकर यूरोपीय सस्कृतज्ञ विद्वानोंकी पूर्व पीढी मुख्यरूपसे दो मतोंमें विभाजित हो गई। उस समयकी उस स्थितिका पूरा विवरण डॉ० ब्रुहलरने अपनी पुस्तिका (३० सं० जै० पृ० २३) में इस प्रकार दिया है—'कोलत्रुक, स्टिवेन्सन और थामसका विश्वास था कि बुद्ध जैनधर्मके सस्थापकका विद्रोही शिष्य था। किन्तु उससे भिन्न मत एच० एन० विल्सन, ऐ-वेवर और लॉर्सनका था, और साधारणतया यही मत माना जाता था। उनके मतानुसार जैनधर्म बौद्धधर्मकी एक प्राचीन शाखा थी। इस मतका आधार था जैनों और बौद्धोंके सिद्धान्तों, लेखों और परम्पराओंमें समानताका पाया जाना और बौद्धोंके साहित्यकी भाषासे जैन आगसोंकी भाषाका अधिक आधुनिक होना तथा जैन आगसोंके प्राचीन होनेमें विश्वसनीय प्रमाणोंका अभाव। प्रथम में भी

इस मतकी सत्यतामें विश्वास करता था और मैंने जैनोको सम्मतीय (?) बौद्ध शाखाका समझा । किन्तु अंग्रेजी सरकार के लिये ग्रन्थ संग्रह करनेके कारण मुझे जैन साहित्यका विशेष रूपसे परीक्षण करना पड़ा तो मैंने पाया कि जैनोने अपना नाम बदल दिया है । अति प्राचीन कालमें वे निग्रन्थ कहे जाते थे । मैंने देखा कि बौद्ध लोग निग्रन्थोसे परिचित थे, उन्होने उनके प्रभाव तथा सम्थापकका वर्णन बुद्धके प्रतिद्वन्दीके रूपमें किया है और लिखा है कि पावामें उसकी मृत्यु हुई । जैनोमें अन्तिम तीर्थङ्करका निर्वाणस्थान भी पावा माना जाता है । इससे मुझे स्वीकार करना पडा कि जैन और बौद्ध एक ही धार्मिक आन्दोलन से उपजे हैं । मेरी इस धारणाका समर्थन जेकोवीने किया । जेकोवी मेरेसे स्वतन्त्र दूसरे मार्गसे लगभग इसी परिणाम पर पहुँचे थे । उन्होने बतलाया कि बौद्ध त्रिपिटकोमें अन्तिम तीर्थङ्कर का जो नाम आता है वही नाम जैन आगमोमें भी आया है । इन्डि० एण्टि०, जि० ७ पृ० १४३ में तथा जेकोवीके द्वारा सम्पादित कल्पसूत्रकी प्रस्तावनामें हमारे इस मतका प्रकाशन होनेके बाद उक्त प्रश्न पर मतभेद हो गया । ओल्डन वर्ग, कर्न, हार्नले तथा अन्य विद्वानोने हमारे नये मतको बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया । किन्तु ए० वेवर और वार्थ (रि० इ०) अपने पुराने मत पर ही रहे । वार्थ जैन परम्परा पर विश्वास नहीं करता और यह सभव मानता है कि जैन परम्पराके कथन असत्य हैं । निश्चय ही इस स्थितिका स्वीकार करनेमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बल्कि यह बात अनहोनी-सी है कि बौद्ध लोग अपने घृणित विरोधियोंके धर्म परित्यागकी घटनाको भूल गये (?) । किन्तु यह बात एकदम असभव नहीं है क्योंकि प्राचीनतम सुरक्षित जैन आगमोंका प्रथम प्रामाणिक सस्करण ईस्वी सनकी पाँचवी

अथवा छठी शतीमें तैयार किया गया है। और अभी भी इस बातके समर्थक प्रमाणोंकी आवश्यकता है कि प्राचीन कालमें जैन लोग एक सुनिश्चित परम्पराके अधिकारी थे। मैं तर्कोंकी शृङ्खला में उस खोई हुई कडीको जोड़नेमें योग्य हूँ, इस विश्वास और अपने दो आदरणीय मित्रोंके सन्देशोंको दूर करनेकी आशाने मुझे समस्त प्रश्न पर सम्बद्ध कथन करनेके लिये प्रेरित किया है। यद्यपि इसमें पुनरुक्ति भी हांगी तथा इसके प्रथम भागमें पूर्णतया जेकोवोकी खोजोका ही सागश रहेगा'।

(इस प्रकार डा० याकोवी और बुहलर आदि जर्मन विद्वानोंकी खोजोके फलस्वरूप जैनधर्म न केवल बौद्धधर्मसे एक स्वतंत्र धर्म प्रमाणित हुआ किन्तु उससे प्राचीन भी प्रमाणित हुआ। बौद्धधर्म के मान्य विद्वान और लेखक श्री रे डेविडसने भी स्वीकार किया है कि भारतके सम्पूर्ण इतिहासमें बौद्धधर्मके उत्थानमें लगाकर आजतक जैन लोग एक व्यवस्थित समाजके रूपमें रहते आये हैं।

श्री याकोवी जैनधर्मको बौद्धधर्मसे प्राचीन प्रमाणित करके ही चुप नहीं बैठे, उन्होंने बुद्धसे २५० वर्ष पूर्व होनेवाले भगवान् पार्श्वनाथको भी ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित किया, और उनकी इस खोजको भी इतिहासज्ञोंने आदर पूर्वक स्वीकार किया। आज उनकी खोजोके फलस्वरूप जैनधर्मके २३ वे तीर्थङ्कर भगवान् पार्श्वनाथको जैनधर्मका सस्थापक मान लिया गया है। किन्तु जेकोवी अपनी इस शोधको ही अन्तिम सत्य नहीं मानते थे। इसीसे उन्होंने लिखा था—'इसमें कोई सबूत नहीं है कि पार्श्वनाथ जैनधर्मके सस्थापक थे। जैन परम्परा प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेवको जैनधर्मका सस्थापक माननेमें एकमत है। इस

मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी सभावना है।' (इं० ए०, जि० ६, पृ० १६३)। उक्त सभावनाकी एष्टि डा० राधाकृष्णनने भी अपने भारतीय दर्शनके इतिहास (जि १ पृ० २८७) में की है। (उन्होंने लिखा है—'जैन पर परा ऋषभदेवसे अपने धर्मकी उत्पत्तिका कथन करती है, जो बहुत-सी शताब्दियों पूर्व हुए हैं। इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दीमें प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेवकी पूजा होती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैनधर्म वर्धमान और पार्श्वनाथसे भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेदमें ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि, इन तीन तीर्थङ्करोंके नाम आते हैं। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्मके सस्थापक थे।')

प्रसिद्ध भारतीय इतिहासज्ञ श्री जयचन्द विद्यालकारने लिखा है—

(जैनोका मत है कि जैनधर्म बहुत प्राचीन है और महावीर से पहले २३ तीर्थङ्कर हो चुके हैं जो उस धर्मके प्रवर्तक और प्रचारक थे। सबसे पहला तीर्थङ्कर राजा ऋषभदेव था, जिसके एक पुत्र भरतके नामसे इस देशका नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्धसे पहले अनेक बोधिसत्त्वोंको हुआ बतलाते हैं। इस विश्वासको एकदम मिथ्या और निमूल तथा सब पुराने तीर्थङ्करों और बोधिसत्त्वोंको कल्पित अनैतिहासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है।) इस विश्वासमें कुछ भी असंगत नहीं है। जब धर्म शब्दको सकीर्ण पन्थ या सम्प्रदायके अर्थमें ले लिया जाता है और यह बाजारु विचार मनमें रखा जाता है कि पहले हिन्दूधर्म, ब्राह्मणधर्म या सनातनधर्म था फिर बौद्ध और जैनधर्म पैदा हुए, तभी यह विश्वास असंगत दीखता है। यदि आधुनिक हिन्दुओंके आचार व्यवहार और विश्वासको हिन्दू

धर्म कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध और महावीरसे पहले भारतवासियोंका धर्म हिन्दू धर्म न था—यह हिन्दू, बौद्ध जैन सभी मार्गोंका पूर्वज था। यदि उस कालके धर्मको वैदिक कहा जाये तो भी यह विचार ठीक नहीं कि उगमें जैन और बौद्ध मार्गोंके बीज नहीं थे। भारतवर्षका पहला इतिहास बौद्धों और जैनोंका भी वंसा ही है जैसा वेदका नाम लेनेवालोंका। उस इतिहासमें आरम्भिक बौद्धों और जैनोंको जिन महापुरुषोंके जीवन और विचार अपने चरित्रसम्बन्धी आदर्शोंके अनुकूल दीखे, उन सबको उन्होंने महत्त्व दिया और महावीर और बुद्धके पूर्ववर्ती बोधिसत्त्व और तीर्थङ्कर कहा। वास्तवमें वे उन धर्मों अर्थात् आचरण सिद्धान्तोंके प्रचारक या जीवनमें निर्वाहक थे जिनपर बादमें जैन और बौद्ध मार्गोंपर बल दिया गया, और जो बादमें बौद्ध जैन सिद्धान्त कहलाये। वे सब बोधिसत्त्व और तीर्थङ्कर भारतीय इतिहासके पहले महापुरुष रहे हों या उनमेंसे कुछ अशतः कल्पित रहे हों। इतने पूर्वज महापुरुषोंकी सत्तापर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्षका इतिहास उस समय भी काफी पुराना हो चुका था और उसमें विशेष आचार मार्ग स्थापित हो चुके थे। फिलहाल तीर्थङ्कर पार्श्वकी ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आलोचकोंने स्वीकार की है। बाकी तीर्थङ्करों और बोधिसत्त्वोंके वृत्तान्त कल्पित कहानियोंमें इतने उलझ गये हैं कि उनका पुनरुद्धार नहीं हो पाया। किन्तु इस बातके निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिकसे भिन्न मार्ग बुद्ध और महावीरसे पहले भी भारत में थे। (अर्हत् लोग बुद्धसे पहले भी थे और उनके चैत्य भी बुद्धसे पहले थे। उन अर्हतों और चैत्योंके अनुयायी ब्राह्मण कहलाते थे जिनका उल्लेख अथर्व वेदमें है) (भा० इ० ६० पृ० ३४८)।

इस तरह देश और विदेशके माने हुए विद्वानोंने संभावना तथा विश्वासके रूपमें इस सत्यको प्रकट किया है कि भगवान् पार्श्वनाथसे पहले भी जैनधर्म प्रचलित था और उसके संस्थापक ऋषभदेव थे ।

जहाँ तक जैन मान्यताका प्रश्न है वह इस विषयमें एकमत है कि जैनधर्मके प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव थे । उसकी इस मान्यताका समर्थन हिन्दू पुराण भी करते हैं तथा उड़ीसाकी हाथी गुफासे प्राप्त खारवेलका शिलालेख भी उसका समर्थक है ।

२ प्राचीन स्थितिका अन्वेषण

किन्तु ऋषभदेवका समय इतना प्राचीन है कि यहाँ तक पहुँच सकना अशक्य ही है, क्योंकि हमारे पास साधन सामग्री का अभाव है । फिर भी जो संभावना व्यक्तकी गई है और उसमें निहित जिस सत्यकी ओर संकेत किया गया है उसको दृष्टिमें रखकर उपलब्ध साधनोंके द्वारा भगवान् पार्श्वनाथके समयकी तथा

✓१—इस शिलालेखका परिचय श्रीयुत जायसवालने नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ८, अंक ३, पृ० ३०१ में प्रकाशित कराया था । उन्होंने लिखा था कि 'अब तकके शिलालेखोंमें यह जैनधर्मका सबसे प्राचीन शिलालेख है । इससे ज्ञात होता है कि पटनाके नन्दके समयमें उड़ीसा या कलिंग देशमें जैनधर्मका प्रचार था । और जिनकी मूर्ति पूजी जाती थी । नन्द ऋषभदेवकी जैन मूर्तिको जो कलिंगजिन कहलाती थी, उड़ीसासे पटना ले आया था । जब खारवेलने मगधपर चढ़ाई की तो वह उस मूर्तिको वहाँ से ले आया ।

ईस्वी सन्से ४५८ वर्ष पहले और विक्रम सम्बत से ४०० वर्ष पहले उड़ीसामें जैनधर्मका इतना प्रचार था कि भगवान् महावीरके निर्वाणके कोई ७५ वर्ष बाद ही मूर्तियाँ प्रचलित हो गई ।' आदि ।

उससे पूर्वकी धार्मिक स्थिति आदिका परिचय प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाता है।

वैदिक साहित्यके आधारसे डा० विन्टरनीट्सने ^१लिखा है कि 'अपनी प्राचीनताके कारण वेद भारतीय साहित्यमें सर्वोपरि स्थित है। जो वैदिक साहित्यसे परिचित नहीं है वह भारतीयोंके आध्यात्मिक जीवन और संस्कृतिको नहीं समझ सकता।' इस युगके प्रायः सभी देशी और विदेशी विद्वानोंका लगभग यही मत है। और एक दृष्टिसे यह ठीक भी है क्योंकि भारतके जिस वर्गसे वैदिक साहित्य सम्बद्ध रहा है, उस ब्राह्मण वर्गका भारतके सांस्कृतिक और धार्मिक निर्माणमें प्रधान हाथ रहा है, यद्यपि यह वर्ग मूलतः वेदानुयायी था किन्तु उसकी ज्ञान पिपासा और सत्यकी जिज्ञासाका अन्त नहीं था। अतः ब्राह्मण होते हुए भी उसकी अतृप्त ज्ञान पिपासा और बलवती जिज्ञासामें, उसे ब्राह्मणत्व की श्रेष्ठताका अभिमान भुलाकर आत्मतत्त्वके वेत्ता क्षत्रियोंका शिष्यत्व स्वीकार करनेके लिये विवश कर दिया। इतना ही नहीं, किन्तु उस वर्गके कतिपय व्यक्तियोंने ही महावीर और बुद्ध जैसे वेदविरोधी धर्म प्रवर्तकोंका शिष्यत्व स्वीकार करके जैनधर्म और बौद्ध धर्मोंको भी उसी निष्ठापूर्ण भक्तिसे अपनाया, जिस श्रद्धा भक्तिके साथ वे वैदिक धर्मको अपनाये हुए थे।

किन्तु वैदिक साहित्यके सम्बन्धमें भी दो बातें प्रथम ही कह देना उचित होगा। प्रो० रे डेविड्सने लिखा है—'यह विश्वास किया जाता है कि ब्राह्मण साहित्यसे हमें ईस्वी पूर्व छठी सातवीं शताब्दी भारतीय जनताके धार्मिक विश्वासोंके सम्बन्धकी प्रामाणिक जानकारी मिलती है। यह विश्वास मुझे सन्दिग्धसे भी कुछ अधिक प्रतीत होता है। ब्राह्मणोंने हमारे लिये उस समयके मनुष्योंके जो

वास्तविक विचार थे वे उतने सुरक्षित नहीं रखे, जितने वे विचार सुरक्षित रखे जो वे जन साधारणमें फैलाना चाहते थे। ब्राह्मण साहित्यके सुरक्षित रखनेमें और उसे हम तक पहुँचानेमें उन्होंने जो अपार श्रम किया है जब हम उसका विचार करते हैं तो हमारा मन उनके प्रति प्रशंसासे भर जाता है जिन्होंने मानव विचारोंके इतिहासके लिये इतना अमूल्य साहित्य सुरक्षित रखा किन्तु उन्होंने हमारे लिये जो कुछ सुरक्षित रखा वह एकदेशीय है।

(निश्चय ही जब ऋग्वेद अन्तिम रूपसे सकलित हो चुका भारतके आर्योंमें अन्य बहुतसे विचार आमतौरसे प्रचलित थे, जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते।)

विद्वान् लेखकका उक्त कथन ऐसा नहीं है जिसे दृष्टिसे ओझल किया जा सके। जो साहित्य किसी विशेष श्रेणी या वर्ग से सम्बद्ध होता है वह उस श्रेणी या वर्गका पूर्ण प्रतिनिधि हो सकता है, किन्तु अन्य सभी विरोधी विचारधाराओंका उसमें संकलन होना संभव प्रतीत नहीं होता।

दूसरी बात है कालके आकलन की। वैदिक साहित्यके काल को लेकर आज भी चोटीके विद्वानोंमें मतभेद है और वह मतभेद न केवल कुछ वर्षोंका या कुछ दशकोंका ही है, किन्तु हजारों वर्षोंको लिये हुए है।

कालक्रमका निर्णय करनेके लिये भाषा और शैलीको विशेषता दी जाती है। किन्तु डा० विन्टरनीट्सने लिखा है कि 'भारतमें यह प्रायः पाया गया है कि अर्वाचीन कृतिको प्राचीनताका रूप देनेके लिये उसमें प्राचीन साहित्यकी शैलीका अनुकरण किया गया है। तथा ग्रन्थोंका आदर तथा प्रचार करनेकी दृष्टिसे अथवा उसमें लिखी गई बातोंको प्राचीन सिद्ध करनेके लिये उनके रचयिताके स्थान

पर किसी प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्तिका नाम दे देनेकी या ग्रन्थको प्राचीन नाम दे देनेकी भी परिपाटी रही है। उसीके फलस्वरूप बहुत-सी आधुनिक कृतियाँ भी आज उपनिषदोंका नाम धारण किये हुए हैं।

इन दो बातोंको दृष्टिमें रखते हुए हम प्रथम वैदिक साहित्यकी ओर आते हैं।

आर्य जन

अन्वेषकोंका कहना है कि आर्य जातिकी एक शाखाने भारतवर्षमें प्रवेश करके एक नये समाज की स्थापना की थी। इससे पहले आर्य लोग मध्य एशियामें रहते थे। किन्तु जनसंख्या वृद्धि आदि कारणोंसे उनका वहाँ रहना कठिन हो गया और वे दल बनाकर डधर उधर चले गये। जो दल सुदूर पश्चिमकी ओर गया उनके वंशज आजके यूरोपियन राष्ट्र हैं। जो लोग ईरान और भारतकी ओर आये, उनके वंशज ईरानी और भारतीय आर्य हुए। इसके विपरीत स्व० लोकमान्य तिलकका मत था कि आर्य लोगोंका आदिदेश उत्तरीय ध्रुवके पासका स्थान था। एक समय पृथिवीका वह भाग मनुष्योंके वसनेके योग्य था। जब वहाँ हिम और सर्दिका प्रकोप बढ़ा तो आर्योंको वहाँसे हट जाना पड़ा। कुछ लोग यूरुपमें बसे, कुछ ईरानमें और कुछ भारतमें। (ओरन)। अन्य कुछ भारतीय विद्वानोंका एक तीसरा मत है कि ऋग्वेदमें सप्तसिन्धु देशकी ही महिमा गाई गई है। यह देश सिन्धु नदीसे लेकर सरस्वती नदी तक था। इन दोनों नदियोंके बीचमें पूरा पंजाब और काश्मीर आ जाता है। तथा कुम्भा नदी जिसे आज काबुल कहते हैं, उसकी भी वेदमें चर्चा है। अतः अफगानिस्तानका वह भाग

जिसमें काबुल नदी बहती है, आर्योंके देशमें गर्भित था। यह सप्तसिन्धु देश ही आर्योंका आदि देश था (आ. आ ३३)। किन्तु प्राच्य भाषाविद् डा० सु० चटर्जीका कहना है कि प्राचीन रुढिवादी हिन्दूमत कि आर्य भारतमें ही स्वयम्भूत हुए थे, विचारणीय ही नहीं है (भा० आ० हि० पृ० २०)। इन्हीं आर्योंकी देन वेद है।

वेद

देवी देवताओं और राजा आदिके सम्बन्धमें जो भी कविताएँ तथा मंत्र बनाये गये थे, उनके संग्रहका नाम ही वेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेद कहाँसे आए, किसने इनको बनाया और कैसे इनका विकास हुआ, इसका ज्ञान प्रारम्भसे ही किसीको न था। यही कारण है कि वेदोको अपौरुषेय माना जाता है। किन्तु पाश्चात्य विद्वानोंके मतसे इनके निर्माणका काल ईसासे दो हजार वर्ष पूर्वके लगभग है।

वेदकी दो व्याख्याएँ मुख्यरूपसे मानी जाती हैं, एक महीधरकी और दूसरी सायणकी। सायणकी व्याख्या ही पाश्चात्य भाषाओंमें किये गये वेदोंके भाषान्तरोकी आधारभूत है। एक तीसरी व्याख्या स्वामी दयानन्दने की है, जो आर्य समाजियोंको मान्य है। सायण और दयानन्दके व्याख्यानोंमें उतना ही अन्तर है जितना दक्षिण और उत्तरमें।

विद्वानोंका कहना है कि उक्त वैदिक भाष्यकर्ताओंके भाष्योंमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उन्होंने वेदोंके उद्गम स्थानका रहस्य जाने बिना ही उन पर भाष्य रचना कर डाली। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वेदोंके ऋषि कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वेदोंमें किस

देश तथा लोककी घटनाओंका उल्लेख है ? जब तक पुराने इतिहास तथा पुराणका ज्ञान न हो, तब तक वेदोंका समझना कठिन है ।

जैसे वैदिकी हिंसाके प्रबल विरोधके कारण उपेक्षित हुए वेदोंकी पुनः प्रतिष्ठाके हेतु स्वामी दयानन्दने वैदिक भाष्य रचा, वैसे ही वेदविरोधी पन्थोंको दवानेके लिये यारकने ईसासे कई सौ वर्ष पूर्व निरुक्त रचा था । (ग्रीक मुनिके समयमें आचार्य-क्रोट्सका मत था कि वेदोंके मंत्र निरर्थक हैं (निरुक्त अ १, पाद ५))।

ऋग्वेदके मण्डल १०, सूक्त १०६ के आरम्भिक ग्यारह मंत्र इसके उदाहरण हैं, इनमें एक मंत्र है, 'जर्मरी तुर्फरी' । सायण ने भी अपने ऋग्वेद भाष्यमें स्वीकार किया है कि इस मंत्रका अर्थ समझ नहीं पड़ता । अन्य भी कुछ मंत्र हैं जिनके सम्बन्धमें सायणने लिखा है कि इन मंत्रोंसे अर्थका कुछ भी बोध नहीं होता (ऋग्वेद, भूमिका पृ० ७) । और ठीक भी है, ईसासे कमसे कम दो हजार वर्ष पूर्व निवृद्ध हुए वेदोंका यथार्थ अभिप्राय ईसासे १५०० वर्ष बाद रचे गये भाष्योंसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ।

वेदोंके सम्बन्धमें तीन पक्ष हैं—धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक । तीनोंको दृष्टिमें रखकर ही वेदका परिचय कराना उचित होगा ।

ऋग्वेद

वर्तमानमें उपलब्ध इस संहिता अर्थात् सग्रहमें दस मण्डल हैं । जिनमें कुल १०१७ सूक्त हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह

१. 'इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपवृ ह्येत् ।'

इतिहास और पुराणके द्वारा वेदार्थका विस्तार करना चाहिये ।

सग्रह विभिन्न कालोंमें किया गया है और उसके मूलमें पुरोहित वर्गमें प्रचलित धार्मिक परम्पराको सुरक्षित रखनेकी भावना है। वेदका अन्तिम संकलन वेदव्यासने किया था। ऋचाओंका अधिकांश भाग वैदिक देवताओंकी स्तुतियों और प्रार्थनाओंसे सम्यद्ध है। ऐसी ऋचाओंकी संख्या, जो वैदिक देवताओंसे सम्यद्ध नहीं हैं, कठिनतासे चार दशकसे अधिक होगी। इन ऋचाओंमें मुख्यतया प्रथम और दूसरे मण्डलमें जो दान-स्तुतियाँ हैं, उनमें कुछ जातियों, स्थानों और राजाओं तथा ऋषियों के नाम आते हैं, जिनमें रचयिताने उनकी उदारताकी प्रशंसा की है। किन्तु ये दानस्तुतियाँ उतनी प्राचीन नहीं मानी जाती।

भौगोलिक स्थिति

वेदोंमें सप्तसिन्धुव देशकी ही महिमा गाई गई है। यह देश सिन्धु नदीसे लेकर सरस्वती नदी तक था। इन दोनों नदियोंके बीचमें पूरा पंजाब और पूरा काश्मीर आजाता है। कुम्भानदीका नाम भी आता है, जिसे आजकल काबुल कहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि अफगानिस्तानका काबुल नदीवाला भाग भी आर्योंके देशमें था।

सप्तसिन्धुव देशकी सातों नदियोंके नाम थे—सिन्धु, विपाशा (व्यास), शतद्रु (सतलज), वितस्ता (भेलम), असिकी (चनाब) पुरुष्णी (रावी) और सरस्वती। इन्हीं सात नदियोंके कारण इस देशको सप्तसिन्धुव कहते थे। सरस्वतीके पास ही दृषद्वती थी। मनुस्मृतिमें (२, ७) में कहा है कि 'सरस्वती और दृषद्वती देवनदियाँ हैं, इनके बीच देवनिर्मित ब्रह्मावर्त देश है।'

ऋक् १०-७५-५ में गंगा यमुनाका भी नाम आया है, परन्तु यह केवल नामोल्लेख है। इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि

मंत्रकारको इनका पता था। ये दोनो नदियाँ सप्तसिन्धुवसे बाहर थीं। आजकल हिन्दुओंमें गंगा और यमुनाका बहुत महत्त्व है। किन्तु वैदिक कालमें यह बात नहीं थी। उन दिनों सिन्धु और सरस्वतीका ही यशोगान होता था। उन्हींके तटपर आर्योंकी वस्तियाँ थी (आ० आ०, पृ० ३८)। ऋग्वेदकी ऋचाओंका बहुभाग भी सरस्वतीके तटपर रचा गया प्रतीत होता है। यह नदी अम्बालासे दक्षिणमें बहती थी।

ऋग्वेदमें विन्ध्य पर्वतका और नर्मदाका उल्लेख नहीं है, इससे सहज ही यह अनुमान होता है कि आर्योंने तब तक दक्षिण का परिचय प्राप्त नहीं किया था। ऋग्वेदमें सिन्धुका भी निर्देश नहीं है, जो बंगालके जंगलोंमें पाया जाता है। चावलका निर्देश भी नहीं है, जब कि बादके साहित्यग्रन्थोंमें उसका निर्देश पाया जाता है।

जातियाँ (कबीले)

वैदिक आर्य भारतके जिस भागसे परिचित थे, वह भाग विभिन्न जातियोंमें विभाजित था, और प्रत्येक जातिका शासक एक राजा था। ऋग्वेदमें दस राजाओंके एक प्रसिद्ध युद्धका वर्णन है। यह युद्ध भरतों और उत्तर पश्चिमकी जातियोंके बीचमें हुआ था। भरतोंका राजा सुदास था। पहले उसका पुरोहित विश्वामित्र था जिसकी संरक्षकतामें भरत लोग अपने शत्रुओंसे सफलता पूर्वक लड़े थे। किन्तु बादको सुदासने विश्वामित्रके स्थान पर वशिष्ठको अपना पुरोहित बनाया। सम्भवतः इसका कारण यह था कि वशिष्ठ उच्च ब्राह्मण था। तबसे दोनो पुरोहितोंमें विरोधका लम्बा प्रकरण चलता रहा। विश्वामित्रने बदला लेनेके लिये भरतोंके विरुद्ध दस राजाओंमें मेल करा दिया।

इन दसमेसे पाँचका नाम उल्लेखनीय है, वे हैं—अणु, द्रुह्यु, तुर्वक, यदु तथा पुरु। पुरु सरस्वतीके तट पर रहते थे, अतः वे भरतोके पड़ोसी थे। सुदासका पिता अथवा पितामह दिवोदास था। तुर्वशो, यदुओ और पुरुओके साथ उसका युद्ध हुआ था। किन्तु उसका सबसे बड़ा शत्रु दास शम्बर था, उसके साथ दिवोदासका लगातार युद्ध होता रहा। पणियो, पारावतो और त्रिसयोके साथ भी उसका युद्ध हुआ। दिवोदास भारद्वाज पुरोहितोके वशका संरक्षक था। ऐसा प्रतीत होता है कि दास और पणि सम्भवतया मूलनिवासी थे, जिनसे प्रत्येक आर्य राजाकी लडाई हुई। ऋग्वेदमे पुरुओका उल्लेख अनु, द्रुह्यु, तुर्वश और यदुओके साथ पाया जाता है।

पुरु लोग यद्यपि युद्धमें सुदाससे हार गये तथापि ऋग्वेदके कालमें पुरु एक बड़ी शक्तिशाली जाति थी। पुरु राजाओकी असाधारण लम्बी सूची पुरु जातिके महत्त्वको सूचित करती है। पुरुओके मुख्य शत्रु भरत लोग थे। सम्भवतः उन्होने ही उन्हें सिन्धु क्षेत्रसे हटाया था। ऋक् (७-८-४) में पुरुओको जीतनेके उपलक्ष्यमें भरतोके अग्निहोत्र करनेका निर्देश है। पुरुओका एक राजा पुरुकुत्स था और उसके पुत्रका नाम त्रसदस्यु था। दस राजाओके युद्धमें पुरुकुत्स मारा गया। ऋग्वेदकी ऋचाओमे आदिवासियोके ऊपर पुरुओकी विजयका उल्लेख मिलता है।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि वादका पुरु लोग अपने पूर्व विरोधी भरतोंमें मिल गये और फिर दोनों जन कुरुओमें मिल गये, क्योंकि उत्तरकालमे वैदिक परम्परासे पुरुओका नाम लोप हो जाता है। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जो पुरुओको इच्चाकु सिद्ध करते हैं। शतपथ ब्राह्मण (८, ५-४-३) के अनुसार

पुरुकुत्स इच्वाकु था । अतः इच्वाकु परम्परा मूलतः पुरुराजाओंकी एक परम्परा थी । उत्तर इच्वाकुओंका सम्बन्ध अयोध्यासे था । (वै० इं० जि० १, पृ० ५५) ।

पुरुओंके सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि शतपथ ब्राह्मणमें (६, ८-१-१४) उन्हें असुर-राक्षस बतलाया है ।

पणि

ऋग्वेदमें दासो और दस्युओंके साथ पणियोंका भी उल्लेख आर्योंके शत्रुरूपमें प्रायः मिलता है । यद्यपि वे धनिक और ऐश्वर्य सम्पन्न थे, किन्तु न तो वैदिक देवताओंकी पूजा करते थे और न पुरोहितोंको दक्षिणा देते थे । सम्भवतः इसीलिए वे तीव्र घृणाके पात्र समझे जाते थे । ऋग्वेदमें ' उन्हें स्वार्थी, यज्ञ न करनेवाला, विरोधी भाषाभाषी, भेडियेकी तरह लालची, कजूस दास और दस्यु बतलाया है । कुछ ऋचाओंमें' पणियोंका चित्रण दैत्योंके रूपमें मिलता है । वे देवोंकी गायें चुरा लेते थे, वर्षा नहीं होने देते थे ।

पणि लोग वैदिक देवता इन्द्रको नहीं मानते थे । ऋग्वेद १०-१०८ में इन पणियोंके साथ इन्द्रकी दूती सरमाका सम्वाद है । जब पणि लोग वृहस्पतिकी गायें पकडकर ले गये तो इन्द्रने सरमा नामक दूतीको उनका पता लगानेके लिए भेजा । सरमाने पता लगाकर पणियोंसे कहा—इन्द्रने गायें माँगी हैं, उन्हें लौटा दो । तब पणियोंने पूछा—सरमे ! जिस इन्द्रकी तू दूती है वह कैसा है, और उसकी सेना कैसी है ? इससे यह स्पष्ट होता है कि पणि लोग इन्द्रसे अपरिचित थे । सम्भवतया इसीसे उन्हें 'अनीन्द्र' कहा है ।

१. १, ३३-३, ८३-२, १५१-९, १८०-७, ४-२८-७, ५-३४-५, ७, ६-१३-३, ८-६४-२, १०-६-६ आदि । २ १-३२-११, २-२४ ६, ४-५८-४, ६-४४-२२, ७-९-२, १०-६७-६ ।

असुराः पण्यो नाम रसापारनिवासिनः ।

गास्तेऽपजहुरिन्द्रस्य न्यगूँश्च प्रयत्नतः ॥

रसाके पार रहनेवाले असुर पणि लोग इन्द्रकी गाये लेकर भाग गये और उन्हे बडे यत्नसे अपने किलांमे छिपा दिया । इन्द्रने अपनी दूती भेजी ।

शतयोजनविस्तारामतरत्ता रसा पुन ।

यस्या पारे परे तेपा पुरमासीत् सुदुर्जयम् ॥

‘दूती सौ योजन विस्तारवाली रसा नदीको तैरकर उस पार पहुची, जहाँ उन पणियोंका दुर्जय किला था ।’

अभीतक यह निश्चित नहीं हो सका कि ये पणि कौन थे । सस्कृतके शब्द पणिक या वणिक, पण्य और विपणिसे ऐसा प्रतीत होता है कि पणि लोग ऋग्वैदिककालीन व्यापारी थे ।

एक विदेशी विद्वान् (Ludwig) का मत है कि पणियोंसे लड़नेके उल्लेख स्पष्ट रूपसे बतलाते हैं, वे आदिवासी व्यापारी थे जां समूह बनाकर व्यापारके लिए विदेश जाते थे और आर्योंके आक्रमणसे बचनेके लिये लड़नेको उद्यत रहते थे । अपने इस मतके समर्थनमें वह पणियोंको दास और दस्यु बतलानेवाले उल्लेखोंको उपस्थित करता है । अस्तु जो कुछ हो, इतना स्पष्ट है कि पणि वैदिक आर्योंके देवोंको नहीं पूजते थे । (वै इ० जि० १, १७१-७२ । वै० ए०, पृ० २६८- ९ । कै० हि०, जि १, पृ० ८६-८७) ।

ऋग्वेदकी अनेक ऋचाओंमे दस्यु शब्द आया है कुछमे दैवी शत्रुओंके लिये प्रयुक्त हुआ है और कुछमे मानवीय शत्रुओंको, जो सम्भवतया इस देशके आदिवासी थे, दस्यु कहा है । (आर्यों और दस्युओंके बीचमें जो बड़ा भेद था वह था उनका धर्म । दस्यु यज्ञ

नहीं करते थे । ऋग्वेदमे (१०-२२-८) मे उन्हें अ-कर्मा-क्रिया काण्ड न करने वाला, 'अदेवयु' देवताओंका अपक्षपाती, अब्राह्मण,^१ अयज्वान^२-यज्ञ न करनेवाला, अ-व्रत—व्रत रहित, अन्यव्रत^३-वैदिक-अतिरिक्त व्रतोको धारण करनेवाला, देवपीयु^४-देवताओं की निन्दा करनेवाला आदि कहा है । इन विशेषणोंसे स्पष्ट है, यहाँ दस्युसे आशय ऐसे मनुष्योंका है जो आर्योंके धर्मको नहीं मानते थे । दासोके साथ तुलना करनेसे उनमें और दासोमे थोडा ही अन्तर प्रतीत होता है । दस्युओंके कवीले नहीं होते थे । तथा इन्द्रकी दस्यु हत्याका तो प्रायः उल्लेख है किन्तु दास हत्याका नहीं है । ऋग्वेद (५-२६-१०) मे उन्हें 'अनास' कहा है । इस शब्दका आशय अनिश्चित-सा है । पदानुक्रमणी तथा सायण भाष्यमे इसका अर्थ अन-आस—विना मुखका किया है । किन्तु 'अ-नास' 'नाक रहित' अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि आदिवासी द्रविडोंकी नाट चपटी होती थी ।

दस्युओंका दूसरा विशेषण 'मृधुवाचः' है जो अनासके साथ आता है । इसका अनुवाद अस्पष्ट वाणी या 'न समझने योग्य वाणी' किया गया है । अर्थात् उनकी बोली आर्य लोग नहीं समझते थे । एतरेय ब्राह्मणमें दस्युका अर्थ भ्रत्यः-असभ्य मनुष्य पाया जाता है ।

दस्युकी तरह दास शब्दका भी प्रयोग ऋग्वेदकी कुछ ऋचाओंमें दैवी शत्रुके रूपमे किया है, किन्तु बहुत-सी ऋचाओंमे दास शब्द आर्योंके मानव शत्रुओंका सूचक है । दासोके कवीले थे और पुर थे, जो लोहेके बने थे । उनका वर्ण कृष्ण था । दस्युओंकी

१. ऋ० ८-७०-११ । २. ऋ० ४-१६-६ । ३. ऋ० ८-५०-२१ ।

४. ऋ० ८-७०-११ । ५. अथर्व० १२-१-३७ ।

तरह वे भी 'अनास' और 'मृधुचाच' थे। तथा वडे सम्पत्ति-शाली थे। इल्लिविश, धुनि, चुमुरि, शम्बर, वरचिन पिप्रु आदि दासोंके राजा थे। वादको इनमेसे कुछको दैत्यराज और इन्द्र तथा अन्य देवताओंका शत्रु मान लिया गया।

किरात, कीकर, चाण्डाल, पर्णाक और सिम्यु वगैरह दास जातियाँ थीं, जो अधिकतर गङ्गाकी घाटीमे रहती थीं और जब भरत लोग पूरव और दक्षिण पूरवकी ओर वढे तो उनके साथ लडी थीं।

ऋग्वैदिक ऋषियोंकी दृष्टिमे दास और दस्युमे कोई भेद नहीं था, यह बात इससे स्पष्ट है कि कुछ विशेषण समान रूपसे दोनोंके लिये प्रयुक्त किये गये हैं तथा कुछ व्यक्तियोंको दास और दस्यु दोनों कहा है।

ऋग्वेदमे ऐसे अनेक दुष्ट आत्माओंकी चर्चा है जो देवोंके शत्रु थे और देवताओंके विरुद्ध लडे थे। (ये देवताओंके शत्रु उत्तरकालीन वैदिक साहित्यमें जिस नामसे सम्बोधित किये गये, वह 'असुर' शब्द ऋग्वेदमे अभी तक भी अपने पुराने अर्थ— 'आश्चर्यजनक शक्तिका धारी' में मौजूद है। ईरानी उच्चारणकी विशेषताके कारण 'स' का उच्चारण 'ह' होनेसे पारसियोंकी अवेस्तामे यह शब्द 'अहुर' के रूपमें वर्तमान है।

दास और दस्यु शब्द भी, जो भारतके आदिवासी अनाथोंके लिये भी व्यवहृत हुए हैं, ऋग्वेदमे दुष्टोंके लिये पाये जाते हैं। इनके सिवाय राक्षस और रक्षस शब्द भी हैं। ये सब शब्द वैदिक देवताओंके विरोधियोंके लिए प्रयुक्त हुये हैं।

ऋग्वेदमें जितनी स्तुति इन्द्रकी है, इतनी अन्य सब देवताओंकी मिलकर भी नहीं है। अतः इन्द्रको वैदिक आर्योंका जातीय देवता कहा जा सकता है। ऋग्वेदकालीन आयी एक लड़ाकू

जातिके रूपमें थे, सो इन्द्र भी एक योद्धा देवताके रूपमें वर्णित हैं। अनेक ऋचाओंमें वृत्रके साथ इन्द्रके युद्धका वर्णन है। इन्द्र केवल वृत्रसे ही नहीं लडा, किन्तु अन्य भी अनेक दुष्टोंसे लडा। इतिहासज्ञोंका मत है कि इन्द्रकी यह लडाइयाँ उन लडाइयोकी सूचक हैं जो आर्योंको भारतमें बसने पर यहाँके वासियोंसे लडना पडी थीं (विन्ट० हि० लि०, पृ० ८४)।

बादके साहित्यमें एक सुसंस्कृत जातिके अनेक उल्लेख पाये जाते हैं, जो असुर कहलाती थी। ये असुर सभ्य पुरुषोंके रूपमें माने गये हैं। किन्तु भारतीय आर्योंके देवताओंका नहीं मानते थे, इसलिए इन्हे हीन बतलाया गया है। (महाभारतमें असुरोंका वर्णन एक सुसंस्कृत दानव जातिके रूपमें पाया जाता है, जो मकान बनानेमें चतुर थे, किन्तु जो देवताओंके भी भयानक शत्रु थे) इतिहासज्ञोंका मत है कि पजावकी भूमिको हस्तगत कर लेनेपर भारतीय आर्योंका सघर्ष एक अधिक सुसभ्य जनताके साथ हुआ था (प्री० हि० इ०, पृ० १९)।

इन्द्रके विषयमें कहा गया है कि उसने सम्वरके सौ प्रासादोंको नष्ट किया था। तथा एक अन्य अनार्य राजा पिप्रुके नगरोंको उजाड़ा था और शुश्नको लूटा था। (सतलज और यमुनाके बीचके उपजाऊ प्रदेशमें आर्योंकी मुठभेट जिन सुसभ्य लोगोंसे हुई उनके महल थे, नगर थे और वे बड़े धनी थे। ये सब द्रविड़ थे और आर्योंसे निश्चित ही अधिक सुसंस्कृत थे। धीरे-धीरे वे सब जीत लिये गये और आर्योंमें मिल गये।) इनमेंसे कुछ मनुष्योंका ठीक पता नहीं चलता, उन्हें आर्योंमें नाग कहते हैं। (शतपथ ब्राह्मणमें असुरोंके प्रमुख वृत्रको नाग कहा है। किन्तु महाभारतमें उसे दैत्यराज बतलाया है।)

जब आर्य पजावसे गंगाकी ओर बढ़े तो उन्हें चारों ओरसे

असुरोंने घेर लिया था। पाण्डव-कौरव युद्धके समय इन असुरोंके हाथसे मगध और आजका राजपूताना था। ये असुर स्थापत्य-कलामे अत्यन्त चतुर थे। और आर्य लोग उनकी इस कलाका आदर करते थे। वैदिक साहित्यमे असुरोंके नगरोंको पाताल, हिरण्यपुर, तक्षशिला आदि नामोंसे कहा गया है। पूर्वीय देशोंमे असुरराज जरासन्धकी राजधानी गिरिवज्रकी प्रशस्ता भीमने की थी। महाभारतमे लिखा है कि युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके लिए सण्डप मयदानवने बनाया था (प्री० हि० इ० पृ० २०)।

ग्नरेय ब्राह्मणमे ऋषि विश्वामित्रके सम्बन्धमें एक कथा आती है। उसने अपने पुत्रोंको आर्य देशकी सीमाओंपर बसनेका शाप दिया था। उनकी सन्तानने दस्युओंके बड़े-बड़े गिरोह बनाये और वे आन्ध्र, पुण्ड्र, पुलिन्द शवर और मूतिव कहलाये। महाभारत, रामायण और पुराणोंमें आन्ध्र, पुलिन्दों और शवरोको दक्षिण भारतकी जातियाँ बतलाया है। इनमेंसे प्रथम कर्लिंगमें और शेष दो विन्ध्य श्रेणीके दक्षिणमें बसते थे। पुण्ड्र लोग बगालके उत्तर भागमें रहते थे। उन्होंने अपनी राजधानीका नाम पुड्वर्धनपुर रखा था।

ऋग्वेदमे द्यावा-पृथ्वी, वरुण, विश्वकर्मा, अदिति, त्वष्टा, उपस्, अश्वी, इन्द्र, ब्रह्मणस्पति, मरुत्, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, सोम, यम, और पितर देवोंका स्तवन किय गया है। भौतिक जीवनकी भौतिक आवश्यकतायें पूर्ण करनेवाले साधन प्राप्त करनेके लिए ही मुख्यरूपसे इन देवताओंकी आराधना की जाती थी। वैदिक मंत्रोंकी प्रार्थनाओंमे ऐहिक भौतिक आकांक्षाओंका ही घोष सुन पड़ता है। उनमें अन्न, पशु, धन, शरीरेन्द्रिय सामर्थ्य, भार्या, दास, वीर पुत्र, शत्रुनाश, रोगनिवारण आदिकी माँग मुख्य है। किन्तु उत्तरकालीन भारतीय साहित्यमें बहुतायतसे

पाये जानेवाले सन्यास धर्मका चिन्ह भी ऋग्वेदकी ऋचाओंमें नहीं मिलता) (हि० इ० लि० (चिन्टर०), जि० १, पृ० ६८)

वैदिक उपासनामें मित्र और वरुणका बड़ा महत्त्व था। मित्र सूर्यका नाम है, सूर्य दिनके स्वामी है। चन्द्र तारा आदिसे सुशोभित आकाशका नाम वरुण है। वरुण रात्रिके स्वामी हैं। आजकल मित्रके नामसे कोई पूजा नहीं होती। हाँ, सूर्यके नामके पाठमें मित्र शब्द भी आजाता है। वरुणका भी वह पद नहीं रहा। तीसरे देव, जिनका वैदिक उपासनामें महत्त्व है, अग्नि है। ऋग्वेदका पहला मंत्र है— अग्निमीडे पुरोहितम्। यज्ञस्य देव-मृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। अग्नि देवोंके पुरोहित है। पुरोहितका अर्थ है आगे रखा हुआ। अग्निमें आहुति देकर ही देवोंको तुष्ट किया जा सकता है। अतः अन्य सब देवोंकी उपासना भी अग्निके द्वारा ही हो सकती है। हिन्दुओंमें यज्ञ यागादिके बन्द हो जानेसे अग्निका भी पुराना महत्त्व जाता रहा। किन्तु पारसियोंमें अग्निका वही पुराना पद है। अग्निके द्वारा ही पारसी लोग उपासना करते हैं।

चौथे देवता हैं इन्द्र। ऋग्वेदमें जितनी स्तुति इन्द्रकी है उतनी किसी अन्य देवकी नहीं है। बल्कि सब देवोंकी मिलकर भी नहीं है। इन्द्रमें सब देवोंके गुण वर्तमान हैं। वह सब देवोंसे बड़े हैं। उनके बराबर कोई उपास्य नहीं, उनके समान मनुष्योंका कल्याण करनेवाला दूसरा नहीं। (उन्हें इन्द्र, वृत्रघ्न, घृत्रहा, माघवा, शतक्रतु आदि नामोंसे पुकारा गया है (आ० आ० पृ० ५६-५७))।

अग्नि और सोमकी महिमा केवल इन्द्रसे ही कम है। सोम मूलतः वनस्पति था। वैदिक आर्योंमें सोमपानकी प्रथा व्यापक थी। पीछे सोमसे चन्द्रमाका अर्थ भी आगया।

वैदिक देवताओंका मुख्य लक्षण बल सामर्थ्य और शक्ति था, वे मुख्यतः शक्ति और मजबूतीको देनेवाले थे। पुण्य और भलाईका विचार उनमें नहीं था। धर्मभीरुता और भक्तिकी प्रेरणा उनसे नहीं मिलती थी। आर्य उपासक अपने देवताओंसे सभी इसी लोककी वस्तुएँ माँगतो था। देवपूजा और पितृपूजा वैदिकधर्मके मुख्य अंश थे और वह पूजा यज्ञमें आहुति देनेसे होती थी। यज्ञमें आहुति या बलि देनेसे देवताओंकी तृप्ति होती थी। वैदिककालमें आर्योंके धर्मका मुख्य चिन्ह यज्ञ ही थे। वे यज्ञ पुरोहितोंके द्वारा होते थे। यज्ञोंके विकासके साथ साथ पुरोहितोंकी एक श्रेणी बनती गई। और यज्ञोंका आडम्बर बढ़ जानेपर उनका करना धनाढ्योंके लिए ही शक्य होगया।

दार्शनिक मन्तव्य

ऋग्वेदके दसवें मण्डलमें जो अपेक्षाकृत अर्वाचीन है हिन्दू दर्शनके प्रारम्भिक रूपका आभास मिलता है। उसमें बहुदेवतावादके विषयमें शङ्का की गई है और विश्वकी एकता स्वीकार की गई है। सृष्टि विषयक विचार करते हुए सृष्टिको विश्वकर्मा अथवा हिरण्यगर्भकी उपज बताया है।

(पुरुष सूक्तमें एक प्राथमिक दैत्यके बलिदानसे, जिसका नाम पुरुष था सृष्टिका निर्माण हुआ। साख्यदर्शनमें यह पुरुष नाम आत्माके लिए व्यवहृत हुआ। विद्वानोंके मतानुसार ये विचार ही हिन्दू दर्शनके जनक हुए (कै० हि०, जि. १, पृ० १०७))

ऋग्वेदमें मरणोत्तर जीवन सम्बन्धी विचार नगण्यसा ही है। मुर्दोंको या तो जलाया जाता था या दफनाया जाता था। यदि जलाया जाता था तो अस्थियोंको पृथ्वीमें गाड़ दिया जाता था। इससे सूचित होता है कि दफनानेकी पद्धति प्राचीन थी

और यह प्राचीन पद्धति पुनर्जन्मके सिद्धान्तके प्रभावसे परिवर्तित होगई जिसका श्रेय भारतीय जलवायुको है। (के० हि०, जि० १, पृ० १०७)।

(वैदिक आर्योंका यह विश्वास तो था कि शरीरके वाद भी आत्मा जीवित रहता है। इसीसे वे डरकर अपने पुरखोंके भूतोको पूजते थे। किन्तु भविष्य जीवन कभी समाप्त नहीं होता और आत्मा अमर है, ऐसा स्पष्ट विचार आर्योंका होना सन्दिग्ध ही है।)

अत वे मरणोत्तर जीवनके सम्बन्धमे विशेष उत्सुकता नहीं रखते थे। फिर भी ऋग्वेदमें यत्र तत्र उसकी झलक मिलती है। जैसे दसवे मण्डलमे देवयान और पितृयानका निर्देश है। इसपर से यह अनुमान किया जा सकता है कि इसके द्वारा परलोकमे जानेका मार्ग सूचित किया है। एक स्थानपर कहा है कि मृत्युके वाद मनुष्य यमके राज्यमें चला जाता है, जहाँ यम और पितृगण अमरत्वके आनन्दके बीच निवास करते हैं। यज्ञ तथा देवोंकी पूजाके द्वारा ही उस स्वर्गमे जाया जा सकता है (ऋ० १०-१४-२)।

ऋग्वेद (१०-१६-३) मे जहाँ मृतात्मासे अन्य स्थानोंमें जानेके लिए कहा गया है, पुनर्जन्मके बीज कोई विद्वान मानते हैं। इस विषयक समर्थक प्रमाणोंकी इतनी न्यूनता है कि डा० रूथने यही मान लिया कि वैदिक ऋषि मरणोत्तर विनाशवादी थे। पुनर्जन्मके विश्वासका स्पष्ट निर्देश तो ब्राह्मण ग्रन्थोंमे ही मिलता है।

(ऋग्वेद कालीन आर्य तो इसी लोकके आनन्दके लिये उत्सुक रहते थे। तभी तो ऋग्वेद दीर्घजीवन, रोगमुक्ति, वीरसन्तान धन, शक्ति, खान-पानकी बहुतायत, शत्रुओंकी पराजय आदि इह-लौकिक सम्बन्धी प्रार्थनाओंसे भरा हुआ है) (वै० इ०, जि० २,

पृ० १७५ । हि० फि० इ० वे०, जि० १, पृ० ४६-५० । कै० हि०, जि० १, पृ० १०७-१०८ । वै० ए० पृ० ३८१)

अन्य वेद और ब्राह्मण

शेष तीनों वेद और ब्राह्मण ग्रन्थ ऋग्वेदके बादमें रचे गये हैं, क्योंकि इनमें जिस भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थितिके दर्शन होते हैं वह ऋग्वेदके पीछेकी है। इस कालमें वैदिक आर्य दक्षिण-पूर्वकी ओर बढ़ गये थे और गंगाके प्रदेशमें बस गये थे। किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थोंसे यजु साम और अथर्व विशेष प्राचीन हैं। यह संभव है कि इन संहिताओंका सबसे उत्तरकालीन भाग और ब्राह्मणोंका सबसे प्राचीन भाग एक ही समयमें रचा गया हो, क्योंकि ऋग्वेदकी तुलनामें, अथर्व और यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों परसे जिस भौगोलिक तथा सांस्कृतिक स्थितिका दर्शन होता है उस परसे उक्त मतका समर्थन होता है। अथर्ववेदके समयमें वैदिक आर्य ऋग्वेदीय सिन्धुदेशसे पूरवमें गंगाकी ओर बढ़ गये थे। और यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थोंसे जिस प्रदेशकी सूचना मिलती है वह है कुरुवो और पाञ्चालोंका देश। सरस्वती और दृषद्वती नदीके बीचका क्षेत्र कुरुक्षेत्र था और इससे लगा हुआ, उत्तर पश्चिमसे लेकर दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ गंगा और जमुनाके बीचका प्रदेश पाञ्चाल था। इसीको ब्रह्मावर्त अर्थात् ब्राह्मणोंका देश कहते थे। यह प्रदेश केवल यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थोंकी जन्म भूमि नहीं था, किन्तु समस्त ब्राह्मण सभ्यताका घर था। (विन्ट०, हि० इ० लि० भा० १ पृ० १६६)।

एतरेय ब्राह्मणमें लिखा है कि कौरववशी राजा भरत दौष्यन्तीने एक सौ तेतीस अश्वमेध यज्ञ किये थे। उनमेंसे ७८

यज्ञ तो जमुनाके तट पर किये थे और ५५ यज्ञ गंगाके तट पर किये थे । यह उल्लेख उक्त कथनका समर्थक है ।

सिन्धु देशसे आर्य सभ्यताका प्रसार किधरको हुआ इसका निर्देश शतपथ ब्राह्मणमें मिलता है । लिखा है—सरस्वतीके तटसे अग्निहोत्रने गंगाके उत्तर तट पर गमन किया, और फिर सरयु, गण्डक तथा कोसी नदीको पार करके सदानीरा (राप्ती) नदीके पश्चिमी तट पर पहुँचा । उसमें अग्निहोत्रके भगध अथवा दक्षिण विहार तथा बगालमें प्रवेश करनेका उल्लेख नहीं है । ये उल्लेख बतलाते हैं कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेशके भागोंके सिवाय भारतके अन्य भागोंमें वैदिक आर्य अपनी वस्तियाँ नहीं बसा सके थे, (प्री० हि० इ० पृ३ २१) ।

एतरेय आरण्यक, (२, १-१-५) में वग, वृद्धगध और चेरपादोको वैदिक धर्मका विरोधी बतलाया है । इनमेंसे वग तो निस्सन्देह बगालके अधिवासी हैं, वगध अशुद्ध प्रतीत होता है, सम्भवतया 'भगध' होना चाहिये । 'चेरपाद' विहार और मध्य-प्रदेशके चेर लोग जान पड़ते हैं ।

(डा० भण्डारकरने (भा०, इ०, पत्रिका, जि० १२, पृष्ठ १०५) लिखा है कि 'ब्राह्मण काल तक अर्थात् ईस्वी पूर्व ६०० के लगभग तक पूर्वीय भारतके चार समूह भगध, पुडू, वग और चेरपाद आर्य सीमाके अन्तर्गत नहीं आये थे ।'

'इस प्रकार असुर लोग उस समय विहारसे आसाम तक वसे हुए थे । उनकी अपनी सभ्यता और सस्कृति थी । उन्होंने सुदीर्घ काल तक ब्राह्मण धर्मके आक्रमणोंका सामना अवश्य ही बड़ी दृढतासे किया । अन्तमें ब्राह्मण धर्मने असुरोंकी सभ्यताके ऊपर ही अपनी सभ्यताका बीजारोपण किया ।

जातियां या कबीले

इस कालमें ऋग्वेदमें निर्दिष्ट विभिन्न जातियोंमें बहुत परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। बहुत सी प्राचीन जातिया या तो लुप्त होगई हैं, या अन्य जातियोंमें मिल गई हैं अथवा अपना प्राधान्य खो बैठी हैं और अनेक नवीन जातिया प्रकाशमें आती हैं। पजाबकी पाच प्रधान जातिया—पुरु, अनु, द्रुह्यु, यदु और तुर्वश पीछे चली गई है। जैसा कि पहले लिखा है—पुरु भरतोके साथ कुरुओंमें मिल गये हैं और अपने इन मित्रोंके साथ-साथ पञ्चाल लोग इस कालके सर्व प्रधान व्यक्ति हैं। भरत एक जातिके रूपमें तो लुप्त हो जाते हैं किन्तु उनके राजाओंकी ख्याति जीवित है। भरत दौष्यन्ती और सातराजीतका निर्देश अश्वमेधके कर्ता प्रसिद्ध राजाओंके रूपमें आता है। तथा उन्हें काशी और सात्वन्तोंका विजेता और गंगा तथा यमुनाके तटपर अश्वमेध यज्ञ करनेवाला बतलाया है।

पञ्चालों, वशों और उशीनरोंके साथ-साथ कुरु लोगोंने मध्य देशपर अधिकार कर लिया था। ऋग्वेदमें कुरु श्रवण नामके एक राजाका तो निर्देश है, किन्तु कुरु जातिका निर्देश नहीं है। अथर्व-वेद (२०-१२७-७) में कुरुराज परीक्षितका वर्णन है। मोटे तौर पर आधुनिक थानेश्वर, दिल्ली और गंगा-दोआबाके ऊपरले भाग कुरु राज्यमें थे।

पञ्चालोका निर्देश कुरुओंके साथ कुरु पञ्चाल रूपसे आता है। ऋग्वेदमें पञ्चाल नाम नहीं आता। किन्तु शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि पञ्चालोंका पुराना नाम क्रिवि था जो ऋग्वेदमें आता है। कुरुओंसे पृथक् अकेले पञ्चालोके विषयमें बहुत ही कम वर्णन मिलता है। उपनिषदोंमें प्रवाहण जैवलि नामक एक पञ्चाल राजा का निर्देश है जो दार्शनिक था।

महाभारतमें उत्तर पञ्चालो और दक्षिण पञ्चालोका उल्लेख मिलता है जो वैदिक साहित्यमें नहीं है। इस परसे यह अनुमान किया जाता है कि वैदिक कालके पश्चात् पञ्चालोंने अपना राज्य बढ़ाया। मोटे तौरपर वरेली, वदायुं, फर्हखावाद् तथा उत्तर प्रदेश के इनसे सम्बद्ध जिलोमें पञ्चालोंका राज्य था।

प्राचीन वैदिक साहित्यमें कोसल और विदेहका निर्देश नहीं है। इनका प्रथम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (१, ४-१-१०) में मिलता है। उल्लेखोंसे प्रकट होता है कि कोसल और विदेह परस्परमें मित्र थे तथा उनमें और कुरु पञ्चालोंमें कुछ भेद होनेके साथ ही साथ शत्रुता भी थी। ब्राह्मण धर्मका जैसा जोर कुरु-पञ्चालोंमें था वैसा जोर कोसलोंमें नहीं था। ऐसा माना जाता है कि विदेहराज जनक उपनिषद् दर्शनका प्रमुख सरञ्जक था और उसके कालमें विदेहको प्राधान्य मिला। कोसल और विदेहके साथ-साथ काशीका भी प्राधान्य उत्तर वैदिक कालमें मिला। काशी और विदेह भी परस्परमें सम्बद्ध थे। काशी और कोसल भी एक साथ पाये जाते हैं। भरतराज शतानीक सात्राजितके द्वारा काशी-राज धृतराष्ट्रके पराजयकी एक कथा (वै० ए० पृ० २५५) पाई जाती है। उस पराजयके फलस्वरूप काशीराज धृतराष्ट्रको शतपथ ब्राह्मणके (१३-५, ४, १९) कालतक यज्ञाग्निको प्रज्वलित करना छोड़ना पडा।

इन पूर्वीय जातियोंके साथ कुरु पञ्चालोंका सम्बन्ध और जो कुछ भी हो, किन्तु मित्रता पूर्ण नहीं था। कहा जाता है कि इसका कारण दोनोंमें राजनैतिक और सांस्कृतिक विरोध था (वै० ए० पृ० २५५)।

वैदिक सभ्यताके प्राचीन केन्द्रसे दूरवर्ती मगधोका उल्लेख केवल उत्तरकालीन वैदिक साहित्यमें मिलता है, और वह भी

कोई विशेष महत्त्वका नहीं है। सर्व प्रथम 'मगध' नाम अथर्ववेद (५-२२-१४) में आता है। वहा यह प्रार्थना की गई है कि गन्धारियों, मुजवन्तो और अगो तथा मगधोके देशमे ज्वर फल जाये। इनमेसे पूर्वकी दो जातिया उत्तरीय है और शेष दो पूर्वीय हैं।

अथर्ववेद (१५-२-१ आदि) में मागधोको ब्राह्मणसे सम्बद्ध वनलाया है। यजुर्वेदमे पुरुषमेधकी बलि सूचीमे मागधोका नाम भी सम्मिलित है। विदेशी जिन् जीम्मर (Zimmer) अथर्ववेद और यजुर्वेदमे उल्लिखित मागधोको वैश्य और क्षत्रियके मेलसे उत्पन्न एक मिश्रित जातिका वतलाते हैं। किन्तु सूत्रोंमे और एतरेय आरण्यक मे मगधका निर्देश एक देशके रूपमे किया गया है। अतः स्पष्ट है कि यजुर्वेद और अथर्ववेदके समयमें मगध देशके वासीको मागध कहा जाता था। अतः मागध प्रतिलोमजात जाति बहिष्कृत नहीं थे। वैदिक इन्डेक्स (जि० २, पृ० ११६) में इस कल्पनाके आधारपर कि मगध गन्धर्वोका देश था, मागधोको गन्धर्व वतलाया है, क्योंकि उत्तर कालमे मागध वन्दी भाट कहलाते थे। उत्तरकालीन स्मृतियोमे इस श्रेणीको एक पृथक् जाति वतलाया है और उसकी उत्पत्तिके लिए दो विभिन्न जातियोके विवाहकी एक कथाका आविष्कार भी कर डाला है। मागधोके प्रति इस प्रकारके भावका सम्भावित कारण यह है कि मागधोका ब्राह्मणीकरण नहीं हो सका था। शतपथ ब्राह्मण (१, ४-१-१०) की साक्षीके अनुसार प्राचीन कालमे न तो कोसलका और न मगधका पूर्णरूपसे ब्राह्मणीकरण हुआ था, उसमे भी मगधका तो बहुत ही कम ब्राह्मणीकरण हुआ था।

भौगोलिक नाम

शेष तीन वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थोके विषयमे सबसे उल्लेखनीय घटना है सरस्वतीका लोप। जिस स्थान पर उसका लोप हुआ

उसे विनशन कहते थे । अतः इस कालमें पूरव की नदियोंका उल्लेख होना स्वाभाविक है । शतपथ ब्राह्मणमें (१, १-१-१४) सदानीराका उल्लेख आता है जो कोसलो और विदेहोके मध्यमे सीमाका कार्य करती थी ।

उक्त वैदिक साहित्यमें विभिन्न स्थानोके नाम आते हैं । जनमेजय परीक्षितकी राजधानीका नाम आसन्दीवत् था जहाँ उसके अश्वमेध यज्ञके घोडेको बाँधा गया था (श० ब्रा० १३, ५-४-२) । यह कुरुक्षेत्रमे थी । इसे ही विद्वान् हस्तिनापुर कहते हैं (वै० ए० पृ० २५१) । गगाके प्रवाहमे इसके वह जानेपर कौशाम्बीको राजधानी बनाया गया था ।

{ शतपथ ब्राह्मणमे कपिलानाम आता है जो वदायुँ और फर्रुखाबाद जिलोके मध्यमे है । नैमिपारण्य नाम भी आता है । यह अवध रुहेलखण्ड रेल्वेके निमसर स्टेशनसे कुछ दूरी पर था ऐसा माना जाता है । }

जैसा कि हम लिख आये हैं उक्त वैदिक साहित्यमे तीन विस्तृत भूभागो का निर्देश है—ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त, मध्यदेश और दक्षिणापथ । एतरेय ब्राह्मणमे (८-१४) सर्व प्रथम समस्त देशको पाच भागोमे विभाजित किया गया है—ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा, दिश या मध्यदेश, प्राचीदिश, दक्षिणादिश, प्रतीचीदिश और उदीचीदिश । किन्तु इन विभागोंका विस्तार और सीमा नहीं बतलाई है ।

ऊपर जिन जातियो या कवीलोका निर्देश किया है वे भारतके उक्त पाच विभागोमेसे प्रथम दो भागो (मध्य और पूर्वीय प्रदेश) में रहते थे जैसा कि एतरेय ब्राह्मणमे लिखा है । एतरेय ब्राह्मणमे ही दक्षिणादिशके केवल एक सात्वन्तोका ही निर्देश है । किन्तु इनके सिवाय विदर्भ, निपाध और कुन्ती जातियो भी थीं ।

निषध देशके निवासी निषध लोग निषादोंसे बिल्कुल भिन्न थे। निषाद अनार्यजातिके लिये कहा जाता था, किन्तु निषध लोग आर्य थे।

शतपथ ब्राह्मण (१०, ६-१-२) और छान्दोग्य उपनिषदमे (५-२-४) कैकयोके राजा अश्वपतिका नाम आया है, जो कुछ ब्राह्मणोंको शिक्षण देता था और बड़ा विद्वान था। उत्तर कालमे कैकय लोग सिन्धु और वितरताके मध्य भागमे बस गये थे। पौराणिक परम्पराके अनुसार कैकय अणुओंके वंशज थे।

वैदिक ग्रन्थोमे अन्य भी अनेक छोटी बड़ी जातियोका निर्देश है जिन्हे यहाँ छोड़ दिया गया है।

एतरेय ब्राह्मणमे आन्ध्रों पुन्ड्रों, शवरो, पुलिन्दो और मूतिवोंका उल्लेख दस्युके रूपमें आया है। कहा जाता है कि विश्वामित्रके पचास पुत्रोंने शुनःशेषका उत्तराधिकारी होना स्वीकार नहीं किया। अतः विश्वामित्रने उन्हे शाप दे दिया। ये उन्हीके वंशज है और इसलिये वे आर्योंकी परिधिसे बाहर थे। महाभारतमे आन्ध्रों, पुलिन्दों और शवरोंको दक्षिणकी जातियाँ बतलाया है।

शतपथ ब्राह्मणमे म्लेच्छ शब्दका प्रयोग अत्याचारीके अर्थमे पाया जाता है। वे म्लेच्छ लोग 'हेऽरयः' के स्थानमे 'हे लवो' बोलते थे। यह बतलाता है कि वे आर्य भाषाभाषी थे और प्राकृत रूपोंका प्रयोग करते थे।

उत्तरकालीन संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थोमे निषादोंका निर्देश है, जिससे प्रकट होता है कि निषाद किसी खास जातिका नाम नहीं था। किन्तु जो अनार्य जातियाँ आर्योंके कब्जेमे नहीं थीं उन सबके लिये 'निषाद' कहा जाता था। ये निषाद चार वर्णोंसे पृथक् थे। वेवर उन्हे यहाँका मूलनिवासी मानते थे।

स्मृतियाँ निषादोको ब्राह्मण पिताके संसर्गसे शूद्रा माताओंमें उत्पन्न हुई सन्तान बतलाती हैं। पुराण उन्हें विन्ध्य और सतपुड़ा पहाडोका निवासी बतलाते हैं।

(उक्त उल्लेखोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर सहिताओं, ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्रोंके कालमें वैदिक आर्य पंजावमें पूरवकी ओर बढ़े थे और गंगाके दोआबमें बस गये थे। उस कालमें उनका प्रधान कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र था। यह उल्लेखनीय है कि वैदिक सभ्यताका स्थान पंजावसे त्रमशः पूरवकी ओर बदलता गया। इस कालमें पंजाव और पश्चिमकी प्रधानता ही नहीं गई किन्तु शतपथ और एतरेय ब्राह्मणमें पश्चिमकी जातियोंको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा गया है।^{१)} इस कालमें ऋग्वैदिक कालीन जातियोंमें बहुत परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है तथा अनेक नई जातियाँ प्रकाशमें आती हैं। भरतोंकी वह स्थिति नहीं रहती, किन्तु वे कुरुओंमें समा जाते हैं और कुरुपञ्चालोंकी एक शक्तिशाली जाति खड़ी हो जाती है जिसने मध्यदेशको हथिया लिया। पूरवमें कोसल, विदेह, मगध और अग चमकते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। आन्ध्र पुंड्र, मूतिव, पुलिन्द, शबर और निषाद ये जातियाँ बहिष्कृत मानी जाती थीं जिनका ब्राह्मणीकरण नहीं हो सका था।

इस तरह उपनिषद् काल तक नर्मदाके उत्तर तक ही आर्योंका प्रभाव विस्तार हो सका था। (वै० ए०, पृ० २५२-२६२, कै० हि०, जि० १, अ० ५, प्रीहि० इ०,)।

धर्म और दर्शन

ऋग्वेद पश्चात् कालीन धार्मिक और दार्शनिक विचारोंको जाननेके लिये सबसे प्रथम अथर्ववेदको लेना ठीक होगा, क्योंकि

विद्वानोके मतानुसार अथर्ववेदमे प्राथमिक धार्मिक विचारोंका रूप रचित है, जो अन्य वैदिक ग्रन्थोमें नहीं है।

ऐसी संभावना की जाती है कि पुरोहितके लिये प्राचीन भारतीय नाम अथर्वन था। अतः अथर्ववेदका मतलब होता है पुरोहितोंका वेद या पुरोहितोंके लिये वेद। अथर्वका मतलब जादूगरीसे भी है। आरम्भमे पुरोहित और जादूगर एक ही होते थे। किन्तु पीछे इनमें विभेद हो गया। ब्राह्मण स्मृतियोंमे शत्रुओंके विरुद्ध अथर्ववेदकी भूत-प्रेतविद्याका प्रयोग करनेकी स्पष्ट आज्ञा दी गई है (मनु० ११-३३)। और वैदिक विधिके जिन ग्रन्थोमें यज्ञोंका वर्णन है उनमें भूत-प्रेतविद्या तथा जादू-टोनोंका भी वर्णन है, जिनके द्वारा पुरोहित बाधाओंको जड़मूलसे उखाड़ सकते थे।

अथर्ववेदमें इन सबकी बहुतायत है और इस दृष्टिसे उसका महत्त्व विशेष है। अथर्ववेदमें जादू-टोनेसम्बन्धी ऋचाएँ बहुत बड़ी संख्यामें वर्तमान हैं। इनमेंसे कुछ शत्रुओंके विरुद्ध प्रयोग किये जानेवाली भूत-प्रेतविद्यासे सम्बद्ध हैं और कुछ आशीर्वादात्मक हैं। ये सब राजाओंके कामकी वस्तुएँ थीं। प्रत्येक राजाको एक पुरोहित रखनेकी आज्ञा थी और वह पुरोहित जादूगरीका जानकार होता था। उससे वह राजाकी रक्षा करता था। इसलिये अथर्ववेद राजन्यवर्गसे सम्बद्ध था (हि० इं० लि०, विन्ट० पृ० १४६)।

ब्राह्मणवर्ग आरम्भसे ही एक प्रयोगशील वर्ग रहा है। वह हमेशा राजाओं तथा अन्य मनुष्योंके हितमें जादू-टोनेका प्रयोग करता आया है। मनुस्मृति (११-३३) में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मणको विना किसी हिचकिचाहटके अथर्ववेदका

स्वभावतः मूलनिवासी जातियोंके धर्मको प्रोत्साहन मिला और वैदिक धर्मका पतन हुआ, क्योंकि उसमें जादू-टोना घुस बैठा।

जब हम सामवेद और यजुर्वेदकी ओर आते हैं तो एक नवीन ही संसारमे प्रवेश करते हैं। समस्त वातावरण यज्ञके धूम और क्रियाकाण्डकी प्रशंसासे व्याप्त है। यज्ञसे सब कुछ मिल सकता है। ये दोनो वेद यज्ञके लिये ही रचे गये प्रतीत होते हैं। जब तक हम उस स्थितिको न जान ले जिसमें रहकर याज्ञिक सस्थाका विकास हुआ तब तक उस कालके धर्मका विवरण समझमें नहीं आ सकता। अतः उस पर प्रकाश डाला जाता है—

वैदिक कालीन यज्ञ

यद्यपि ऋग्वेदसे धर्मके किसी विकसित रूपकी सुनिश्चित रेखा सामने नहीं आती। तथापि इतना स्पष्ट है कि वैदिक आर्यों की उपासनाके मुख्य स्तम्भ यज्ञ थे। (स्व. लोकमान्य तिलकका मत था (ओरेन पृ० १२-१३) कि जैसे आजकल भी पारसियों के यहाँ सदा अग्नि प्रज्वलित रहती है वैसे ही वैदिक ऋषियोंके घरोंमे सदा अग्नि जलती रहती थी और वे उसमे यज्ञ किया करते थे।) ब्राह्मण ग्रन्थोंमें जिन अनेक यज्ञोंकी विधियोंका विस्तारसे वर्णन है, वे उत्तरकाल मे प्रचलित हुए हो, यह संभव है, किन्तु वार्षिक यज्ञ करनेकी परम्परा प्राचीन प्रतीत होती है। यज्ञ करनेवाले पुरोहितके ऋत्विज नामसे भी इसपर प्रकाश पड़ता है। ऋतु + यज्ञ = अर्थात् ऋतु मे यज्ञ करनेवाला।

ऋग्वेदके देखनेसे प्रतीत होता है कि उस समय यज्ञोंका वैसा जोर नहीं था, जैसा ब्राह्मणकालमे हुआ। ऋग्वेदकी अधिकतर ऋचाएँ सामयाग सम्बन्धी विधि-विधानोंसे पूर्ण हैं। और अश्वमेधके सिवाय अन्य किसी पशुयागका भी उल्लेख

नहीं है। किन्तु ऋग्वेदके पुरुष सूक्तको लेकर कुछ विद्वानोंका यह मत है कि इससे प्राचीन नरमेध प्रथाका वर्णन है, क्योंकि शुक्लयजुर्वेदमें यही सूक्त पुरुषमेधके अर्थमें लिया गया है।)

(यज्ञानुष्ठानके लिए चार ऋत्विजोंकी आवश्यकता होती थी—होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा। होता मंत्रोंका उच्चारण करके देवताओंका आह्वान करता था। इस मंत्रसमुदायका संकलन ऋग्वेदमें है। उद्गाता ऋचाओंको मधुर स्वरसे गाता था, इसके लिये सामवेद है। यज्ञके विविध अनुष्ठानोंका सम्पादन करना अध्वर्युका कर्तव्य था, इसके लिये यजुर्वेद है। ब्रह्मा सम्पूर्ण यागका निरीक्षक था, जिससे अनुष्ठानमें कोई विघ्नबाधा न आवे, इसके लिये अथर्ववेद है।)

सोमयागके लिए होता, उद्गाता और अध्वर्युके साथ सात ऋत्विजोंका उल्लेख ऋग्वेदमें किया है। किन्तु जब हम अर्वाचीन संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थोंको देखते हैं तो यज्ञोंका ही प्राधान्य प्रतीत होता है। ऋत्विजोंकी संख्या भी १६-१७ तक पहुँच गई है। सोमयाग और पशुयाग बहुत पेचीदा हो गये हैं। ऋग्वेदके देवताओंके स्थानपर यज्ञोंने आधिपत्य जमा लिया है, और देवताओंका प्रभाव लुप्त हो गया है। केवल यज्ञ देवताको सब मानते हैं। यह यज्ञकर्ताके सामन देवताओंको भी भुका सकनेकी सामर्थ्य रखते हैं।

(शतपथ ब्राह्मण(१।३।३।३-७) में कहा है—‘यज्ञ विष्णु था, और वह वामन था। बादमें वह धीरे-धीरे बढ़ता गया और उसका सर्वत्र प्रचार हुआ। फिर आगे कहा है—‘देवोंके पुरुषमेध कर चुकनेके बाद पुरुषके अवयवोंसे एक ज्योति निकली, और उसने एक ढोड़ेके शरीरमें प्रवेश किया, फिर गायमें, फिर भेड़में, फिर बकरोंमें, फिर पृथ्वीमें, पृथ्वीसे वह जौ और चावलमें आई।’

शतपथ ब्राह्मणका उक्त कथन यज्ञके क्रमिक विकासपर प्रकाश डालता है ।)

यहा एक पशुयागका विवरण देना अनुचित न होगा । यह पशुयाग अन्य पशुयागोका मूलरूप है । यह छै ऋत्विजोंकी सहायतासे होता था । इसमें एक पाशुक वेदी होती थी, जिसपर पशुयागके लिये आवश्यक सामान और आहुतिका द्रव्य रखा जाता था ।

पशुको बाँधने के लिये एक यूप—लकड़ीका खूंटो रहता था । इसपर घी चुपड़ा जाता, फिर एक डोरी बाधी जाती । उसमें एक लकड़ी पिरोई जाती । प्रत्येक काम अध्वर्युको करना पढता था और होता प्रत्येक क्रियाके अनुकूल मंत्र पढ़ता था । इस तरह यूप पशु बन्धनके योग्य होता । पशुके दोनों सीगोंके बीचमें डोरी बाधकर इस डोरीको यूपमें बाधी गई डोरीके साथ बाध दिया जाता । इसके बाद यज्ञकी तैयारी होती ।

मुख्य यागके पहले प्रयाज यागकी विधि प्रारम्भ होती । पशु-यागमें ग्यारह प्रयाजयाग होते थे । इन ग्यारह प्रयाजयागोमे से प्रथम दसमें घीकी आहुति दी जाती । किन्तु अन्तिममें पशुकी नाभिके पास जो मेद रहता है, जिसे वया कहते हैं, उसकी आहुति दी जाती । अतः ग्यारहवें प्रयाजयागसे पहले पशुवधकी तैयारी करनी पड़ती ।

जो व्यक्ति पशुवध करता उसको शमिता कहते थे । पाशुक वेदीके उत्तरमें पशुवधका स्थान होता था । वहाँ पशुके शरीरको पकानेके लिये अग्नि प्रकट की जाती थी । एक ऋत्विज अग्निकी रशाल जलाकर पशुके चारो ओर घुमाता । इसका उद्देश्य था कि राक्षस पशुपर आक्रमण न करे, क्योंकि वे अग्निसे डरते हैं । इसी

समय होता पशुवधके लिये शमिताको बुलाता । और एक मंत्र पढ़ता, जिसका भाव इसप्रकार है—

“इस काममे पशुकी माता अनुमति दे, पिता अनुमति दे, सहोदर भाई अनुमति दें, इसके मित्र तथा साथी अनुमति दे । इसके पैर उत्तर दिशामे रहे, चक्षु सूर्यकी ओर रहें, प्राण वायुका, जीवन आकाशका, कान दिशाओंका और शरीर पृथ्वीका आश्रय ले । इसका घमडा इस तरहसे अलग करो कि वह फटे नहीं । नाभिको काटनेसे पहले उसकी चर्ची निकाल लो । इसकी श्वास बाहर न निकले । इसकी छाती इस तरहसे काटो कि वह एक पर फैलाये पत्तीकी तरह मालूम दे । आगेके पैर काटो । इसके कन्धे कछुवेकी शक्तमे काटो । पिछला भाग ऐसा काटो, उसे कोई हानि न पहुँचे । जंघाओंको करवीरकी पत्तीकी शक्तमें काटो । २६ पसुलियोंको अलग-अलग करलो । और सब सभ्योंको इस तरह बाँटो कि कुछ वाकी न रहे । विष्टे वगैरहके लिए एक नाली खोदो, खून राक्तसोंके लिए फेंक दो ।

अन्तमे कहता—‘हे वधक ! इस पशुका घात करो, घात करो, अपाप, अपाप, अपाप, इस कर्ममे जो सुकृत हो वह हमें अर्पण करो । जो दुष्कृत हो वह दूसरोको अर्पण करो’ (तैत्ति० ब्रा०) ।

पशुका वध हो चुकनेके बाद यजमान, उसकी पत्नी और अध्वर्यु पानीसे उसे धो डालते । अध्वर्यु उसका पेट चीरकर वया निकाल लेता । उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता दो लकड़ियोंकी सहायतासे उस वयाको उठा कर अग्नि पर तपाता । फिर उत्तर वेदीके बीचकी आहवनीय अग्निके ऊपर उसे पकड़े रहता । अग्निके तापसे पिघलकर वया अग्निमें टपकती । अध्वर्यु उस पर घी डालता । विधिपूर्वक मंत्र पाठके बाद इस वयाका थोडा भाग अग्निमें डालनेके पश्चात् प्रयाजयाग

पूर्ण हो जाता और शेष भाग मुख्य यागके लिये रख लिया जाता ।

पशुयागका मुख्य देवता इन्द्र और अग्नि है । प्रयाजयागके बाद अर्धयु उनके उद्देश्यसे पहले वयाकी आहुति देता । वयाकी आहुतिके बाद पुरोडाशकी आहुति और अन्तमे पशुके अर्गोंकी आहुति दी जाती । पूर्णमास यागमे तो मुख्य आहुति पुरोडाशकी दी जाती थी, किन्तु पशुयागकी आहुतिका द्रव्य पशुकी वया और मास होता था । किन्तु यदि पशुमासके साथ पुरोडाशकी आहुति न दी जाये तो पशुयाग सम्पूर्ण नहीं होता था । वयाकी आहुतिके बाद एक ओर अग्निमे पशुके अंग प्रत्यंग पकाये जाते, दूसरी ओर अर्धयु पुरोडाश याग करता ।

पशुके सभी अङ्ग आहुतिके योग्य नहीं माने जाते । हृदय, जीभ वगैरह ग्यारह अंग मुख्य देवताकी आहुतिके योग्य माने जाते थे । पशुका रक्त रक्तसोको मिलता । रक्तको यज्ञशालासे बाहर फेंक दिया जाता था । जो शमिता पशुका वध करता वही छुरीसे पशुके अङ्गोको काटकर हाडीमे उन्हें पकाता था ।

पुरोडाशकी आहुति हो चुकनेके बाद शमिता खबर देता कि पशुका शरीर पक गया है । तब अर्धयु मुख्य देवता इन्द्र और अग्निके उद्देश्यसे पशुके अङ्गोंकी आहुति देता । मुख्य यागके पीछे स्वष्टकृत याग होता । यह याग रुद्र देवताके उद्देश्यसे किया जाता था । इसके लिए पशुके कुछ अंग निश्चित थे । इसके पश्चात् हविशेषका भक्षण होता । ऋत्विज लोग अपना-अपना भाग खाजाते । जिस वस्तुकी आहुति दी जाती है उसके बाकी बचे भागको 'हविशेष' कहते हैं । जबतक हविशेष नहीं खाया जाता तबतक यज्ञ पूर्ण और सार्थक नहीं होता । पशुयागमें मासकी आहुति दी जाती है अतः हविशेष मासको खाना आवश्यक

है। अथर्ववेदके गोपथ ब्राह्मणमें विस्तारसे उन व्यक्तियोंकी तालिका दी है जो यज्ञमें भाग लेनेके उपलक्ष्यमें हविशेष मासका भाग पाते हैं। उसके ३६ भाग किये जाते थे और उनका बटवारा इस प्रकार होता था—

प्रस्तोताको जीभके साथ दोनों जत्रड़े, प्रतिहर्ताको गर्दन और ककुद (वैलके कन्धेका उठा हुआ भाग) उद्गाताको छातीका भाग, अध्वर्युको कन्धेके साथ दाहिना पार्श्व, उपगाताको बाया पार्श्व, प्रति प्रस्थाताको बाँया कन्धा, ब्रह्मा और रथ्याकी स्त्रीको दाहिना नितम्ब, पोताको ऊरु, होताको बाँया नितम्ब, इत्यादि। जो इस बँटवारेमें सम्मिलित नहीं होते थे उनको अनेक अपशब्द कहे गये हैं। आश्वलायनने अपने गृह्यसूत्रके प्रथम भागके ग्यारहवें अध्यायमें 'पशुकल्प' शीर्षकमें उन नियमोंको दिया है जो पशुको काटनेमें पालन किये जाते थे। यद्यपि ऋग्वेदमें 'गौको अघ्न्या'—न मारने योग्य कहा है तथापि उसके बधका ऐकान्तिक निषेध नहीं था। आश्वलायनके गृह्यसूत्रमें वर्णित यज्ञोंमें एक 'सूलगौ' यज्ञका वर्णन है। यह शरद या वसन्तमें किया जाता था। इसके लिए ऐसी गाय आवश्यक होती थी, जो पीले रंगकी न हो, जिसपर सफेद या काले धब्बे हों और जो सर्वोत्तम हो। उसको पानीसे नहलाया जाता था और वैदिक मंत्र पढ़कर रुद्रको भेंट कर दिया जाता था। उसके बलिदानके लिए ऐसा स्थान पसन्द किया जाता था जो गावसे बाहर पूरव या उत्तर दिशामें हो, जहासे गाव दिखाई देता न हो, और न गावसे वह जगह दिखाई देती हो। बलिदानका समय मध्य रात्रि था।

पूँछ, खाल, स्नायु और खुर अग्निमें डाल दिए जाते थे और रक्त कुशोंपर फेंक दिया जाता था। सूत्रकारका कहना है कि उसके

मांसको न तो गाँवमें ही ले जाना चाहिये और न वच्चोंको ही उसके पास आने देना चाहिये । स्वस्त्ययनके बाद इसको प्रसाद रूपमें खा लेना चाहिये । कुछका मत' है नहीं खाना चाहिये ।

एतरेय ब्राह्मणमें लिखा है कि जो यजमान सोमयागकी दीक्षा लेता था वह सभी देवताओंके सामने अपने आलम्बनके लिए तैयार होता था और अपने वदलेमें पशुको क्रय करता था । इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञमें जो पशु भेंट दिया जाता था वह यजमानका प्रतिनिधि था । प्राचीनकालमें यह विवाद हुआ था कि सोमयागके पहले अग्नि और सोमको जो पशु भेंट किया जाता है, उसका मांस खाना चाहिये या नहीं ? क्योंकि वह पशु यजमानका प्रतिनिधि होता था, अतः उसका मांस नरमास हुआ और नरमांसका खाना कहाँ तक उचित है ?

एतरेय ब्राह्मणमें इस विवादका निरसन करते हुए लिखा है कि 'अग्नि और सोमकी मददसे इन्द्रने वृत्रका वध किया था । अतः इन्द्रने सन्तुष्ट होकर अग्नि और सोमको यह वरदान दिया था कि सोमयागके पहले जो पशु भेंट किया जायगा वह तुम्हें मिलेगा । अतः वह पशु देवताका भक्ष्यमात्र है, यजमानका प्रतिनिधि नहीं है ।'

मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद प्रतिपादित उक्त यज्ञ धर्मकी क्रमसे किस प्रकार वृद्धि होती गई, और उसका विस्तार कहाँ तक हुआ इसका एक चित्र कवि हर्षके नैषध काव्यसे यहाँ देकर इस चर्चाको समाप्त करेंगे । (नैषधके १७ वे सर्गमें कविने कलियुगके निषध देशमें जानेका वर्णन करते हुए लिखा है—जब कलि राजा

१ अस्य पशोः हुतशेषं न प्राशीयात् । अन्यत्र इच्छातः प्राशीयात् वा ।

नलकी राजधानीके निकट पहुँचा, तो उसे नगरीमें प्रवेश करना कठिन होगया, क्योंकि वेदधानि करते हुए श्रोत्रियोंके शब्द उसके कानोंमें पडने लगे। होमके घीकी गन्धसे उसकी घ्राणशक्ति नष्ट होगई, यज्ञका धूस उसकी आँसुओंमें भर गया। अतिथियोंके पैर धोनेके जलसे पिन्धलित हुए आँगनोंमें उसे पैर रखना कठिन होगया, यज्ञकी अग्निकी गर्मासे उसकी गेमी दशा होगई मानो कुम्हारके आवेमें जा पडा है। नगरमें जगह-जगह यज्ञके पशुओंको बाधनेके लिए गढे हुए शूप उसे ऐसे लगे मानो पृथ्वीमें जगह-जगह कीले गढे हुए हैं। कलिने अपनी प्रिया हिमाको बहुत खोजा, किन्तु उसे वह दृष्टिगोचर न हुई। गोमैध यज्ञमें बलिदान करनेके लिए खडी गौको देखकर वह उमर्क और दौडा, किन्तु यह हिंसा तो वैदिकी होनेसे हिंसा ही नहीं थी अतः वहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। आगे ब्राह्मणोंको मदिरापान करते देखकर कलि बहुत प्रसन्न हुआ। किन्तु जब उसने देखा कि वे ब्राह्मण शौत्रामणि यज्ञ कर रहे हैं (इस यज्ञमें मदिरापान विधेय है) तो वह सिर धुनने लगा। एक स्थानपर एक मनुष्यको ब्राह्मणका वध करते देखकर कलि बहुत प्रसन्न हुआ, किन्तु जब उसने देखा कि वह मनुष्य सर्वमेध नामका यज्ञ कर रहा है तो उसे ज्वर ही आ गया (सर्वमेध^१ में प्रत्येक जातिके एक-एक प्राणिके वध का विधान है) ।

('तव कलिने अपने मित्र जैन और बौद्ध साधुओंकी खोज की, क्योंकि वे वैदिक हिंसाके विरोधी है, किन्तु उसे जिन (बौद्ध) के स्थानपर तो अजिन-कृष्णमृगका चर्म दिखाई दिया और क्षुपणक (जैन साधु) के स्थान में अक्षुपण-जुआ खेलनेके पास

१. सर्वमेधे हि तत्तज्जातीयैकैक प्राणिहिंसाधिकारात् ब्राह्मणो ब्राह्मण-मालभेत' इति ब्रह्मवधस्य वैधत्वात् ॥ नै. टी. १७ स, १८६ श्लो ।

दिखाई दिये । (राजसूय' यज्ञमें यजमान जुआ खेलाता है) । एक स्थानपर कलिने एक कामुकको सजातीया, विजातीया, गम्या, अगम्या सभी स्त्रियोको भोगते हुए देखकर संतोष किया कि यहाँ मेरी गति है, किन्तु उस कामुकको 'वामदेव्य मुनिके द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मविद्याका उपासक जानकर खेद हुआ ।')

('अग्निष्टोम यागको देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ, पौर्णमास यागको देखकर उसे मूर्छा आगई और सोमयागको देखकर उसने अपनी मृत्यु ही समझ ली । एक जगह ब्राह्मणोंको परस्परका छुआ हुआ उच्छिष्ट खाते हुए देखकर उसे परम सन्तोष हुआ । किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि ये लोग हविशेष सोमका भक्षण कर रहे हैं तो सिर धुनने लगा क्योंकि सोममे उच्छिष्ट नहीं माना जाता । एक स्थान पर गौवध होता देखकर कलि उस ओर दौडा । किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो अतिथियोंके लिये मारी जा रही है तो बेचारा अपना सा मुँह लेकर लौट आया ।')

(आगे एक मनुष्यको आत्मघात करते हुए देखकर कलिको बडा आनन्द हुआ । किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि यह सर्वस्वार यज्ञकर्ता है तो उसे बडी व्यथा हुई । जिसकी मृत्यु निकट होती है और जो असाध्य रोगसे पीड़ित होता है वही इस यज्ञका अधिकारी है । वह पशुमंत्रोंके द्वारा अपना ही सस्कार करके तथा आत्मघात करके सर्वस्वार नामक यज्ञमे अपनेको होम देता है । आगे 'महाव्रत नामक यज्ञमे एक ब्रह्मचारीको दुराचारिणी स्त्रीके साथ मैथुन करते हुए देखकर कलिने यज्ञको विटोंका

१. 'राजसूये यजमानोऽक्षैः दीव्यति ।' २ 'वामदेव्योपासने सर्वाः स्त्रिय उपसीदन्ति' इति श्रुतिः । ३. 'महाव्रते ब्रह्मचारि-पुश्चल्यो' सप्रवाद' ।

कर्म समझा । तथा अश्वमेध यज्ञमें यज्ञमानकी भार्याको अश्वके साथ सम्भोग करते देखकर उस मूर्ख कलिते माना कि वेद किन्हीं धूर्तकी कृति है ।

यज्ञोके सम्बन्धमें एक बात और बतला देना आवश्यक है । पुरोहितोके मन्दिर नहीं थे और सम्भवत न मूर्तियाँ ही थीं । प्रत्येक यज्ञानुष्ठानके लिये यज्ञ करानेवाले यज्ञमानके स्थानमें ही वेदी बना ली जाती थी । यज्ञसे जो पुण्य लाभ होता था वह केवल यज्ञ करानेवालेको ही होता था । अतः वह यज्ञका पूरा व्यय उठाता था—बध किये जानेवाले पशुओके लिये, विभिन्न कामों पर नियुक्त व्यक्तियोंके लिये और पुरोहितोकी दक्षिणाके लिये उसे पूरा खर्च करना होता था । दक्षिणामें मृत्युवान वस्त्राभूषण, घोड़े, गायें और रवर्ण दिया जाता था । किस समय दक्षिणामें कौन वस्तु देनी होती थी यह सब लिखा हुआ है । स्वर्णदानको बहुतायत है । लिखा है—धर्मात्मा पुरोहितको स्वर्णको विशेष रूपसे रवीकार करना चाहिये, क्योंकि उसमें अग्निके बीज निहित हैं ।

(अतः यज्ञोमें बहुत व्यय होता था और धनी व्यक्ति तथा राजा लोग ही उन्हे करा सकते थे । इसीमें यज्ञोका मुख्य सम्बन्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियोंसे है ।) अतः ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके सम्बन्धमें भी तत्कालीन रिथतिको जान लेना आवश्यक है ।

ब्राह्मण और क्षत्रिय

जब वैदिक आर्य पंजावमें आये तब उनकी सस्कृति क्या थी, इस विषयमें विभिन्न मत हैं । फिर भी साधारणतया ऐसा माना जाता है कि वे पशुपालक और कृषक थे । पंजावमें बस जानेपर उनकी इस वृत्तिमें तेजीसे वृद्धि हुई । किन्तु उस समय आर्योंको

इस देशके प्राचीन निवासियोंसे—जो आर्योंसे अधिक सुसंस्कृत और सभ्य थे, प्रायः युद्ध करना पड़ते थे, जिससे कृषि कार्योंमें विघ्न होता था और सुदृढ़ प्रतिद्वन्दी योद्धाओंसे युद्ध करनेमें भी कठिनाई प्रतीत होती थी। अतः कार्यका विभाजन कर दिया गया।

('आरम्भमें वैदिक आर्योंमें जातिभेद नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि पौरोहित्य और शासनका काम संयुक्त था। किन्तु वैदिक आर्यों और पजाव—अफगानिस्तानके प्राचीन निवासियोंके साथ होनेवाले सतत युद्धोंने वैदिक आर्योंका विचश किया कि अपने-अपने व्यवसायके अनुसार वे अपनेको विभिन्न समुदायोंमें विभाजित करले। धीरे-धीरे योद्धा लोगोंका स्थान उन्नत होता गया और वे क्षत्रिय कहलाये ।)

ऋग्वेदमें वर्ण' शब्द मनुष्योंकी कक्षाएँ बतलानेके लिये आया है, क्योंकि दासों और आर्योंके वर्णमें अन्तर था। किन्तु, इस दृष्टिसे अन्य संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थोंसे ऋग्वेदका मौलिक मतभेद है, क्योंकि उनमें चार वर्णोंका स्पष्टरूपसे निर्देश है। यद्यपि ऋग्वेदके अन्तिम पुरुष सूक्तमें भी राजन्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र चार वर्णोंका निर्देश है, किन्तु चूंकि विद्वान लोग इस सूक्तको अर्वाचीन मानते हैं, अतः ऋग्वेद कालमें चारों वर्णोंके स्थापित हो जानेकी बात सदिग्ध मानी जाती है। जिम्मेर^१ (Zimmer) का कहना है कि ऋग्वेद की जातिविहीन परम्पराका जो यजुर्वेदकी जातिगत परम्पराके रूपमें परिवर्तन हुआ इसका सम्बन्ध वैदिक आर्योंके पूर्वकी ओर बढ़नेसे है।

प्रारम्भमें राजन्य अपने तथा जनताके लिये यज्ञ कर सकता था। किन्तु ऋग्वेद (३-३३-८, ७-१८-८३) में ऐसे भी उल्लेख है, जिनमें पुरोहिताई जबरदस्ती ली गई है, जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठके सम्बन्धमें। जब ऋग्वेद पूर्ण हुआ तब पुरोहित जाति स्पष्टरूपसे पृथक् स्थापित हो चुकी थी। तथापि दो क्षत्रिय वर्गोंने बलपूर्वक पुरोहितोंमें स्थान प्राप्त कर लिया। अगिरस, वशिष्ठ, अगस्त्य और भार्गवोंको मूलतः दैवीय बतलाया है। किन्तु विश्वामित्र और काण्वको क्षत्रिय वर्गका बतलाया है।

विश्वामित्र भारत क्षत्रियोंमें से थे और कण्व नृषदका पुत्र था, जिसे पुराणोंमें क्षत्रिय कहा है। (आश्वलायन श्रौतसूत्रके अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, काश्यप और अगस्त्य ये सब ब्राह्मणोंके पूर्व पुरुष हैं। इन आठोंमें से चारको ब्राह्मण गोत्रोंका मूल माना जाता है। महाभारतमें कहा है कि अगिरस, काश्यप, वशिष्ठ और भृगुसे वैदिक आर्योंके प्राचीनतम पुरोहितोंकी सन्तान चली है।) वैदिक साहित्य बतलाता है कि उन पूर्व पुरोहितोंने अन्य वर्गोंके मनुष्योंके द्वारा पुरोहितोंका कार्य किये जानेपर रोष प्रकट करना आरम्भ किया। विश्वामित्र और वशिष्ठकी कलह स्पष्टरूपसे इस बातकी सूचक हैं कि प्राधान्य और शक्तिके लिये पुरोहितों और राजन्योंके बीचमें झगड़े हुए थे।

यहाँ पुरोहित और ब्राह्मणके सम्बन्धमें थोड़ा प्रकाश डाल देना उचित होगा। राजाके समस्त धार्मिक कृत्योंमें पुरोहित-अगुआ होता था। एतरेय ब्राह्मण (८-२५) में कहा है कि राजाको एक पुरोहित अवश्य रखना चाहिये, अन्यथा देवता उसकी भेंट

स्वीकार नहीं करेंगे। पुरोहित अपनी प्रार्थनाओंके द्वारा युद्धमें राजाकी विजय और सुरक्षा की गारन्टी लेता था। वह धान्यके लिये पानी बरसाता था। वह एक 'जाज्वल्यमान अग्नि थी जो राजाकी रक्षा करती थी

किन्हीं विद्वानोंके मतानुसार आरम्भसे ही पुरोहित यज्ञोंमें ब्राह्मण पुरोहितके रूपमें काम करते थे। अपने इस कथनके प्रमाणमें वे कहते हैं कि वशिष्ठका निर्देश पुरोहितके रूपमें भी है और ब्राह्मणके रूपमें भी है। शुनःशेषके यज्ञमें उसने ब्राह्मणके रूपमें कार्य किया, किन्तु वह सुदासका पुरोहित था। वृहस्पतिको देवताओंका पुरोहित और ब्राह्मण कहा है। इस तरह स्पष्ट है कि ब्राह्मण प्रायः पुरोहित होता था। यही वजह है जिसके कारण उत्तरकालमें यज्ञोंमें ब्राह्मणका स्थान सबसे प्रमुख हुआ। किन्तु यह कहना कठिन है कि आरम्भमें भी ब्राह्मणको वैसा ही प्रमुख स्थान प्राप्त था।

क्षत्रियका ब्राह्मणके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता था। तैत्तिरीय संहिता (५, १-१०-३) आदिमें दोनोंके अभेद्य सम्बन्ध पर ही दोनोंकी अभ्युन्नतिको स्वीकृत किया है। कभी-कभी दोनोंमें कलह होनेके उदाहरण भी ब्राह्मण ग्रन्थोंमें मिलते हैं। किन्तु ब्राह्मण यज्ञका सर्वेसर्वा था, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियको मिटा डालनेकी शक्ति रखता था।

ब्राह्मणोंने देखा कि युद्धोंमें तो अनेक प्रकारके खतरे और कठिनाईयां हैं जब कि पुरोहित्यमें लाभ ही लाभ है और वह शक्ति प्राप्त करनेका भी अच्छा साधन है, अतः उन्होंने उसे ही हथिया लिया। किन्तु इसके लिये उन्हें अनेक भगड़े उठाने पड़े।

इन भगदोंके अवशेष अथर्ववेद (५, १७-१६) में सुरक्षित हैं, जहाँ ब्राह्मणोंको सत्तानेके कारण यजुषोंके विनाशका वर्णन है। अथर्ववेदके मंत्राय यजुर्वेदकी शतरुद्रीय प्रार्थनाओंमें भी उस तूफानी कालकी छाया है जब भारतकी आदिवासी जनता अमन्तापको लिये हुए उत्तजित श्री और रुद्र समस्त प्रकारके घुरे कार्य करनेवालोंके रचक देवताके रूपमें पूजा जाता था। अस्तु,

मंत्रायणी संहिता (५-३-८) आदि वैदिक ग्रन्थोंमें क्षत्रियमें ब्राह्मणकी श्रेष्ठताका दावा बराबर पाया जाता है और ब्राह्मण अपने मंत्र तत्र तथा क्रियाकाण्डके द्वारा क्षत्रियो तथा जनताको कभी भी भगडेमें डाल सकता था। यद्यपि राजसूय यज्ञमें ब्राह्मण को राजाकी उपासना करना पड़ती थी किन्तु ब्राह्मणकी प्रधानता अनुक्षण थी। वहाँ स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है कि पूर्ण उत्तनिके लिये क्षत्रिय और ब्राह्मणका मेल आवश्यक है। वहाँ यह भी बतलाया है कि (मै० सं० १-८-७) बड़था राजाने ब्राह्मणको सत्ताया तो निश्चय ही उसका विनाश हो गया।

जैसे, स्वर्गके देवताओंकी तरह ब्राह्मण पृथ्वीका देवता (भूदेव) है वह दावा ऋग्वेदमें शाश्वत ही क्वचिन् मिले (शतपथ ब्राह्मणमें (११, ५-७-१) ब्राह्मणके चार अधिकार बतलाये हैं—प्रर्चा (आदर पाना), दान लेना, अज्येयता (किसी के द्वारा पीडित न होना) और अवध्यता (किसीके द्वारा मारा न जाना)। और उसके कर्तव्य हैं—ब्राह्मण्य, प्रतिरूपचर्या (अपनी जातिके अनुरूप आचरण), और लोकपंक्ति)

अथर्ववेदके कुछ पद्योंमें ब्राह्मणजातिके सर्वोच्च विशेषाधिकारों का भी दावा है और ब्राह्मणको प्रायः भूदेव (पृथ्वीका देवता) कहा है। ब्राह्मणकालमें इसका और भी परिपाक हुआ है। शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है—‘देवता दो प्रकारके होते हैं एक

देवता और एक ब्राह्मण देवता । इन दोनोंके बीचमें यज्ञका विभाग होता है । यज्ञमें दीजानेवाली आहुतिया देवताओंके लिए हैं और दक्षिणा ब्राह्मण देवताके लिये है । यज्ञमें आहुति देकर यजमान देवोंको प्रसन्न करता है, और दक्षिणा देकर ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न करता है । जब ये दोनों प्रकारके देवता सन्तुष्ट हो जाते हैं तो यजमानको स्वर्ग प्रदान करते हैं ।

(यजमान के चार कर्तव्य हैं—उसे ब्राह्मणोंका आदर करना चाहिये, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिये, उन्हें सताना नहीं चाहिये, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिये । किसी भी परिस्थितिमें राजाको ब्राह्मणकी संपत्तिको नहीं छूना चाहिये । यदि राजा यज्ञकी दक्षिणाके रूपमें ब्राह्मणोंको अपना राज्य प्रदान करता है तो उस राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मणोंकी संपत्ति उसमें नहीं ली जायेगी । यदि राजा किसी ब्राह्मणको सताता है तो वह पापका भागी है । राजाके राज्यारोहणके अवसरपर पुरोहित कहता है—ऐ मनुष्यो ! यह तुम्हारा राजा है हम ब्राह्मणोंका राजा तो सोम है । शतपथ ब्राह्मण कहता है कि इस कथनके आधारपर वह ब्राह्मणोंके सिवाय समस्त जनताको राजाका भक्ष्य घोषित करता है, अतः राजा ब्राह्मणोंका उपभोग भक्ष्यके तौरपर नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणका राजा तो सोम है ।)

(शतपथ ब्राह्मणमें और भी लिखा है—ब्राह्मणका घातक ही वास्तवमें घातक है । ब्राह्मण और अब्राह्मणका झगडा होने पर जजको ब्राह्मणके पक्षमें ही फैसला देना चाहिये । जो वस्तु दूसरोंके लिए निषिद्ध हो उसे ब्राह्मणको दे देना चाहिये, क्योंकि जो दूसरोंके लिये अपच है वह ब्राह्मणोंके लिये सुपच है ।)

किन्तु ब्राह्मण देवता अधिक दिनों तक स्वर्गीय देवताओंके समकक्ष नहीं रहे, उन्होंने अपनेको देवताओंसे भी ऊपर ला

बैठाया । शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है—ब्राह्मण ऋषियोंकी मन्तान है अतः उसमें सब देवताओंका आवास है । इस तरह ब्राह्मणोंने यज्ञके द्वारा अपनेको देवताओंसे भी बड़ा बना दिया ।

वैदिक काल विभाग

(ऊपर जिस धार्मिक स्थितिका चित्रण किया गया है वह ईसा पूर्व आठ सौके लगभग की है । अन्वेषक विद्वानों ने ब्राह्मण सभ्यता का उचित काल ईसा पूर्व ८०० से ई० पूर्व ६०० तक ठहराया है (कै० हि भा० १, पृ० १४९) । डा० जेकावीका कहना था कि वैदिक पश्चात् काल ईसा पूर्व आठवीं शताब्दीसे आरम्भ होता है क्योंकि साख्य-योग और जैनदर्शनके समकालीन प्रादुर्भाव के साथ ही वैदिक कालका अन्त हो जाता है । उनमेंसे जैन धर्मको ईसा पूर्व ७४० तक पीछे ले जाया जा सकता है, क्योंकि जैन धर्मके सम्भवतया संस्थापक पार्श्वनाथ थे, जिनका निर्वाण महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुआ ।' (रि० फि० वे० पृ० २०))

(किन्तु प्रो० ब्रह्मा ऋग्वेदकी अन्तिम ऋचाकी पूर्ति होनेके साथ ही वैदिक पश्चात् कालका आरम्भ मानते हैं । उनका कहना है कि वैदिक कालसे वैदिक पश्चात् कालका विश्लेषण इस आधार पर किया जा सकता है कि ब्रह्मर्षि देश ऋग्वेदके पश्चात् अधिक दिनों तक बौद्धिक केन्द्र नहीं रहा, किन्तु उसका स्थान मध्य देश ने ले लिया । यह मध्यदेश हिमालय और विन्ध्यके बीचमें अवस्थित था और पूरबमें प्रयागसे लेकर पश्चिममें बिनशान तक फैला हुआ था । कुरु, पञ्चाल, मत्स्य, शूरसेन ये चार उस समयके प्रसिद्ध जनतत्र थे और काशी, विदेह और कोशल शक्तिशाली राज्य थे (प्री० बु० इ० फि०, पृ० २९) ।

डा० होपकिन्सका कहना है कि ब्राह्मण ग्रन्थोंके साथ ही न केवल ऋग्वैदिक कालीन टोन ही बदल गई, किन्तु समस्त धार्मिक वातावरण एक प्रफुल्ल वास्तविक धर्मके बदलेमें, जो ऋक्संहिताका आत्मा है, मंत्र तत्र, आध्यात्मिकता और धार्मिकताके भारसे आक्रान्त हो उठा। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें न वह नवीनता है, और न वह कविता है। है केवल स्वमताग्रह, मूढ़ता और विद्वेषकी भावना। यह सत्य है कि इन सबके चिन्ह ऋग्वेदके कुछ भागोमें भी पाये जा सकते हैं, किन्तु यह भी सत्य है कि वे चिन्ह ब्राह्मण ग्रन्थोंमें जिस प्रकार ब्राह्मण कालका प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने समयका वैसा प्रतिनिधित्व ऋग्वेदमें नहीं करते। (रि० इ०, पृ० १७६-१७७)।

ऋग्वेदके साथ इतर संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थोंका तुलनात्मक अध्ययन करने से यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेदकालीन धर्म ने करवट बदल ली है। अतः वैदिक धर्मका एक अध्याय ऋग्वेदके साथ समाप्त हो जाता है। और इसलिये उसके प्रकाश में उत्तर कालीन संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थोंके कठोर क्रियाकाण्डी धर्मको लक्ष्यमें रखकर ऋग्वेदके साथ ही वैदिक कालका अन्त मानना अनुचित नहीं है। वैदिक धर्मका दूसरा अध्याय ब्राह्मण ग्रन्थोंके साथ समाप्त हो जाता है और आरण्यक तथा उपनिषदों से तीसरा अध्याय आरम्भ होता है।

(स्व० रमेशचन्द्रदत्त ने लिखा है—“इसी समय जब आर्य लोग गंगाकी घाटीमें फैले, ऋग्वेद और तीनों अन्य वेद भी संग्रहीत और सम्पादित हुए। तभी एक दूसरे-प्रकारके ग्रन्थोंकी रचना हुई, जो ब्राह्मण नामसे पुकारे जाते हैं। इन ग्रन्थोंमें यज्ञोंकी विधि लिखी है। यह निस्सार और विस्तीर्ण रचना

सर्व साधारणके क्षीण शक्ति होने और ब्राह्मणोंके स्वमताभिमानका परिचय देती है) संसार छोड़कर, वनमे जानेकी प्रथा, जो पहले नामकी भी नहीं थी, चल पडी, और ब्राह्मणोंके अन्तिम भाग आरण्यकोमे वनकी विविध क्रियाओंका वर्णन है। अन्तमें क्षत्रियोंके निर्भय विचार जो उपनिषदोंके नामसे प्रख्यात हैं, आरम्भ हुए। इन्हींके साथ भारतके उस साहित्यका अन्त होता है जिसे ईश्वरकृत कहा जाता है।” (प्रा० भा० म० ड०, भा० १, पृ० ८-९) ।

आरण्यक

एतरेय आरण्यकके भाष्यमें सायणने लिखा है—आरण्य (वन) में पढ़ाये जानेके योग्य होनेसे इसका नाम आरण्यक है। तथा एतरेय ब्राह्मणके भाष्यमें सायणने लिखा है—‘वनमे रहनेवाले वानप्रस्थ लोग जिन यज्ञादिको करते थे, उनको बतलानेवाले ग्रन्थोंको आरण्यक कहते हैं।’ कहा जाता है कि गृहस्थोंके यज्ञोंका विवरण ब्राह्मण ग्रन्थोंमें है और वानप्रस्थ आश्रममें जीवन बितानेवालोंके यज्ञ आदिका विवरण आरण्यकोंमें है।

आरण्यक न तो यज्ञोंके विधि-विधानको उठाकर ताकमें रखते हैं और न ब्राह्मण ग्रन्थोंमें प्रतिपादित शैलीका ही अनुसरण करते हैं। वे मुख्य रूपसे पुरोहितदर्शन और यज्ञोंके लाक्षणिक तथा रहस्यमय रूपका विवेचन करते हैं। उनमें यज्ञोंके आध्यात्मिक रूपका विवेचन है। देवताविशेषके उद्देशसे द्रव्यका त्याग ही यज्ञ है, यह आरण्यक नहीं मानते। वे क्रियाकाण्डकी अपेक्षा चिन्तन पर विशेष जोर देते हैं और ब्राह्मणोंकी गहन विधिके

स्थानमें एक सीधी-सादी विधि बतलाते हैं। चावल, जौ या दूध-की आहुतिसे किये जानेवाले बाह्य यज्ञकी अपेक्षा आन्तर यज्ञ पर विशेष जोर दिया गया है। उनमें सकाम कर्मके प्रति और कर्मफलके प्रति श्रद्धाका भाव दिखाई नहीं देता; क्योंकि कर्म-मार्गसे मिलनेवाला स्वर्ग स्थायी नहीं होता अतः कर्मकाण्डको आत्यन्तिक सुखका मार्ग नहीं माना जा सकता (वै० सा० पृ० १५१)। ब्राह्मण ग्रन्थोका सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग था, और उसकी प्राप्ति का मार्ग था यज्ञ। किन्तु आरण्यकोंमें ब्रह्मको पहचाननेके लिये आत्मसयम के आधार पर अनेक उपासनाएँ बतलाई हैं। (वै० ए०, पृ० ४४७)।

तैत्तिरीय आरण्यकमें काशी, पञ्चाल, मत्स्य, कुरुक्षेत्र और खाण्डवका उल्लेख है। उसीमें (२-७-१) 'श्रमण' शब्द, जो आगे वेदविरोधी सम्प्रदायोंके साधुओंके अर्थमें व्यवहृत हुआ और ब्राह्मणका प्रतिद्वन्द्वी कहलाया—तपस्वीके अर्थमें प्रथम बार आता है। तै० आ० (२-१-५) में ही यज्ञोपवीतका भी उल्लेख मिलता है। लिखा है—'यज्ञोपवीत धारण करनेवाले का यज्ञ भलीभाँति स्वीकार किया जाता है। यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण जो कुछ अध्ययन करता है वह यज्ञ ही करता है।'

आरण्यकोंमें वर्णाश्रम धर्मका पूर्ण विकास देखनेमें आता है। सम्भवतया यज्ञ और ब्राह्मणोंके विरुद्ध सिर उठानेवाले सिद्धान्तोंसे सुलह करनेके लिये ही ब्राह्मण धर्मने आश्रमोंके सिद्धान्तको अपनाया।

उपनिषद्

उपनिषद्का अर्थ है—'निकट बैठना'। इस परसे यह व्याख्या की जाती है कि शिष्य लोग गुरुके निकट बैठकर इनका शिक्षण

लेते थे । उपनिषद् पूर्णतया दार्शनिक ग्रन्थ हैं और ब्राह्मण ग्रन्थों तथा आरण्यकोंके पश्चात् उनकी रचना हुई है । यो तो उनकी संख्या दो सौ से भी अधिक है किन्तु सभी उतने प्राचीन नहीं हैं । एतरेय, कौपीतकी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य और केन, ये उपनिषद् निश्चितरूपसे प्राचीन माने जाते हैं । इनमें भी छान्दोग्य और बृहदारण्यक विशेष प्राचीन हैं ।

दूसरे नम्बरमें आते हैं—कठ, श्वेताश्वतर, महानारायण, ईश, मुण्डक और प्रश्न । शंकराचार्यने ब्रह्मसूत्रकी टीकामें इन्हीं बारह उपनिषदोंको प्रमाण रूपसे उपस्थित किया है । इनमें सांख्ययोगके सिद्धान्त तथा अद्वैतवादी दृष्टिकोणका ताना-बाना है । मैत्रायणीय उपनिषद् और माण्डूक्य उपनिषद् बुद्ध-कालके पश्चात् के हैं । शंकराचार्यने इनको प्रमाण रूपसे उद्धृत नहीं किया । फिर भी इन दोनों को गणना उक्त बारह उपनिषदों के साथ की जाती है और इन सब उपनिषदोंको वैदिक उपनिषद् कहा जाता है ।

उपनिषदोंको वेदान्त कहा जाता है । पहले वेदान्तका मतलब केवल उपनिषद् था । पीछेमें उपनिषदोंके दर्शनको वेदान्त कहा जाने लगा । उपनिषदोंमें जो तत्त्व ज्ञान भरा हुआ है वह सरल नहीं है । अतः उसका शिक्षण अन्तमें दिये जानेसे उपनिषद्को वेदान्त कहना उचित है । दूसरे, उत्तरकालीन दार्शनिकोंने उनमें वेदका अन्तिम लक्ष्य पाया इसलिये भी इन्हें वेदान्त कहना उचित है । तीसरे वैदिक कालके अन्तमें उनकी उत्पत्ति हुई इसलिये भी उन्हें वेदान्त कहना उचित है और चौथे धार्मिक कर्तव्य और पवित्र कार्यके रूपमें वैदिक क्रियाकाण्डकी मान्यता का अन्त कर दिया, इसलिये भी उन्हें वेदान्त कहना उचित है (हि० इ० लि० विन्ट०, जि० १, पृ० २३४) ।

उक्त तथ्य पर प्रकाश डालनेके लिये याज्ञिक क्रियाकाण्ड तथा वैदिक देवताओंकी ओर उपनिषदोंका रुख कैसा है यह स्पष्ट करना उचित होगा ।

उपनिषद और यज्ञ तथा वैदिक देवता

उपनिषद् वैदिक क्रियाकाण्डके विरुद्ध हैं । वृह० उप० (१-४-१०) में कहा है कि—‘उस ब्रह्मका जो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ’ वह सर्व हो जाता है । उसके पराभवमें देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है । जो अन्य देवताकी उपासना करता है वह देवताओंका पशु है । देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मात्मतत्त्वको जाने ।’ आगे (३-६-२१) लिखा है ‘यम किसमें प्रतिष्ठित है ? यज्ञमें । यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? दक्षिणामें ।’

छा० उ० (१-१२) में यज्ञमें जलूस बनाकर जानेवाले ऋषियोंको कुत्तोंका जलूस बतलाया है । कथा इस प्रकार है—
कुछ ऋषि स्वाध्याय करनेके लिये गाँवसे बाहर एक निर्जन स्थानमें गये । उन पर अनुग्रह करनेके लिये एक कुत्ता प्रकट हुआ । इसके बाद और भी कई कुत्ते उस पहले कुत्तेके पास आकर बोले—‘श्रीमान् ! उद्गीथका गान करके हमारे लिये अन्न प्रस्तुत करें, हम भूखे हैं ।’ पहला कुत्ता बोला—‘कल प्रातः इसी स्थानमें तुम लोग मेरे पास आना ।’ निर्दिष्ट समय पर वे कुत्ते वहाँ एकत्र हुए । और जिस प्रकार यज्ञ कर्ममें उद्गाता एक दूसरेसे मिलकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार वे एक दूसरेसे जुटकर चलने लगे । फिर उन्होंने एक जगह बैठकर ‘हाउ हाउ’ करके सामगान आरम्भ किया—हे सबकी रक्षा करनेवाले परमात्मन् !

हम भूखे और प्यासे हैं। अतः हमारे लिये अन्न लाइये
अन्न लाइये ... अन्न लाइये।”

यज्ञोके विरुद्ध सबसे प्रबल आक्रमण तो मुण्डकोपनिषद्
(१-२-७) में है।

स्रवा ह्येते अट्टा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येपु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति ॥७॥

“निश्चय ही ये यज्ञरूप अट्टारह नौकाएँ अस्थिर हैं, जिनमें
नीची श्रेणिका कर्म बताया गया है। जो मूर्ख यही श्रेयस्कर है
ऐसा मानकर उनकी प्रशंसा करते हैं वे बारंबार जरा-मरणको
प्राप्त होते हैं”।

इससे आगेके पद्यमें ऐसे लोगोको ‘अन्धेन नीयमाना
यथान्धा’ अन्धेके द्वारा ले जानेवाले अन्धोके तुल्य बतलाया है।

मुण्ड० उ० (१-१-४१५) में विद्या अथवा ज्ञानके दो भेद
बतलाये हैं एक परा और एक अपरा। तथा वेदोंसे प्राप्त ज्ञानको
अपरा अर्थात् नीच विद्या कहा है। नारद कहता है—‘मै ऋग्वेद
सामवेद और यजुर्वेदको जानता हूँ किन्तु इससे मै केवल मंत्रो
और शास्त्रों को जानता हूँ, अपनेको नहीं जानता।

कठ उप० (२-४) में यमराज नचिकेतासे कहते हैं—‘जो
ये अविद्या और विद्या नामसे विख्यात हैं, ये दोनों परस्पर
अत्यन्त विपरीत और विभिन्न फल देनेवाली हैं। अविद्याके
भीतर स्थित होकर अपने आपको विद्वान् और बुद्धिमान् मानने-
वाले मूर्ख लोग नाना योनियोंमें भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरे
खाते हैं जैसे अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले अन्धे।’

कतिपय उपनिषदोंमें यज्ञोका विरोध यद्यपि इतना खुलकर
नहीं किया गया है तथापि यज्ञोके प्रचलित रूपकी ओर उपेक्षा

दिखलाई गई है और उन्हें लाक्षणिक तथा दार्शनिक रूप दिया गया है। जैसाकि पहले लिखा है आरण्यकोंका कार्य—यज्ञोंको लाक्षणिक और दार्शनिक रूप दान—उपनिषदों तक चालू रहा है। उदाहरणके लिये बृहदा० उप०को उपस्थित किया जा सकता है। बृह०उप०का प्रारम्भ करते हुए विश्वमें यज्ञसम्बन्धी अश्वकी कल्पना की गई है। —‘उषा यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है, सूर्य नेत्र हैं, वायु प्राण है, अग्नि मुख है, संवत्सर आत्मा है, द्युलोक पीठ है, आकाश उदर है, पृथ्वी पैर रखनेका स्थान है, दिशाएँ पार्श्वभाग है, अवान्तर दिशाएँ पसलियां हैं, ऋतुएँ अङ्ग हैं, मास और अर्द्धमास पर्व हैं, दिन और रात्रि पाद हैं, नक्षत्र अस्थियां हैं, आकाशस्थित मेघ मास है, नदियां गुदा हैं, पर्वत यकृत और हृदयगत मास खण्ड हैं, औषधि और वनस्पतियां रोम हैं, उदय होता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपरका भाग और अस्त होता हुआ सूर्य कटिसे नीचेका भाग है। विजलियोंकी चमक जमुहाई है, मेघका गर्जन शरीरका हिलना है, वर्षा मूत्रत्याग है, हिनहिनाना उसकी वाणी है। अश्वमेध यज्ञके द्वारा पृथ्वीका स्वामित्व प्राप्त हो सकता है किन्तु आत्मिक स्वराज्य तो समस्त विश्वको, जिसकी कल्पना उपनिषदोंमें घोड़ेके रूपमेंकी गई है—त्याग देनेसे ही प्राप्त होता है। इस तरह प्रकाराकारसे अश्वमेध यज्ञको त्यागनेका ही उपदेश दिया गया है।

छा० उ० (३, १४-१७) में मनुष्यके समस्त जीवनको सोमयज्ञके रूपमें स्पष्ट किया गया है और (५, १६-२४) में प्राणोंके विभिन्न प्रकाशनोंकी भेटोंको अग्निहोत्रका स्थान दिया है। उपनिषदोंमें जो यज्ञोंको नीचा कर्म बतलाया गया है उसका कारण यही प्रतीत होता है कि यज्ञसे पितृलोककी प्राप्ति हो सकती

है जो अस्थायी है, और वहांसे उसे अवश्य ही इस पृथ्वी पर लौटकर पुनः जन्म-मरणके चक्रमे घूमना होगा ।

उत्तरकालीन कुछ उपनिषदोंके अवलोकनसे ऐसा भी प्रतीत होता है कि उपनिषदोंमें भी यज्ञका स्थान स्थिर करनेकी एक भावना काम करती रही है । उदाहरणके लिये श्वेताश्वतर उपनिषदको उपस्थित किया जा सकता है, उसमें (२, ६-७) अग्नि सोम आदि देवताओंकी प्राचीन प्रार्थनाके रूपकी तरफदारी की गई है और लिखा है कि जहाँ यज्ञ किया जाता है वहाँ एक देवी प्रकाश पैदा होता है । किन्तु यहाँ भी उसका लक्ष स्वर्ग नहीं है, किन्तु ब्रह्म है ।

उपनिषदोंमें सर्वत्र एक देवता व्याप्त है और वह है ब्रह्म । अन्य सब देवता उसीकी शक्तियाँ हैं । मैत्रायणीय उपनिषद (४, ५-३) में ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु आदि देवताओंको अविनाशी ब्रह्मका प्रत्यक्ष रूप बतलाया है । केन उप० में उमा हैमवती इन्द्रसे कहती है कि देवताओंकी शक्ति और प्रभावका मूल स्रोत परम ब्रह्म है । इसमें बतलाया है कि ब्रह्मके सामने अग्नि आदि देवता कैसे हतप्रभ और अकर्मण्य बन जाते हैं ।

कठ उपनिषदमें कहा है कि परम ब्रह्मके भयसे देवता लोग अपने अपने उत्तरदायित्वोंको वहन करते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थोंका सर्वोच्च देवता प्रजापति भी ब्रह्मका सेवक है । कौषीतकी उपनिषदमें प्रजापति और इन्द्रको ब्रह्मका द्वारा रक्षक बतलाया है । इस तरह उपनिषदोंमें ब्रह्मके समकक्ष कोई नहीं है—वैदिक देवता तो उसके आज्ञाकारी मात्र हैं । वैदिक देवताओं और यज्ञोंके प्रति उपनिषदोंके दृष्टिकोणका यह संक्षिप्त चित्रण वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने के लिये पर्याप्त है ।

छा० उ० (६-१-४) में लिखा है कि जब श्वेतकेतु सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बड़ा बुद्धिमान् और व्याख्याता मानता हुआ अनम्रभावसे घर लौटा तो पिता ने उससे कहा— पुत्र ! तू जो ऐसा पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है तो क्या तूने वह आदेश जाना है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ? यह सुनकर श्वेतकेतु ने पूछा—वह आदेश क्या है ? पिताके मुखसे उस आदेशको सुनकर श्वेतकेतु ने कहा—निश्चय ही मेरे गुरु इसे नहीं जानते थे । अब आप ही मुझे बतलाइये । कहना न होगा कि वह आदेश ब्रह्मके स्वरूपको लेकर था ।

आत्मा और ब्रह्म

आत्मा और ब्रह्मको समझे बिना उपनिषदोंको नहीं समझा जा सकता । इन दो स्तम्भों पर ही उपनिषदोंके तत्त्वज्ञानवा प्रासाद खड़ा हुआ है ।

यदि एक वाक्यसे उपनिषदोंका मूल सिद्धान्त कहा जाये तो यह है—‘विश्व ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है ।’ उपनिषदोंमें अनेक स्थानोंमें ब्रह्म और आत्मा शब्दका प्रयोग एक अर्थमें किया गया है । बृह० उप० (१-४-५) में लिखा है—‘स वायमात्मा ब्रह्म’ वह यह आत्मा ब्रह्म है । छा० उ० (५-११-१) में लिखा है—कुछ महागृहस्थ और परमश्रोत्रिय परस्परमें विचार करने लगे—‘को तु आत्मा, किं ब्रह्म ।’ आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ?

वेदोंमें ‘ब्रह्म’ शब्द अनेक बार आया है । किन्तु उसका अर्थ या तो प्रार्थना है या मंत्रविधि है । किसी देवताके प्रति श्रद्धा या भक्तिका भाव वहाँ नहीं है । उत्तर काल में त्रयीविद्या (ऋक् यजु, साम) को भी ब्रह्म कहा है और इस तरह ब्रह्म और वेद

शब्दका प्रयोग एक ही अर्थमें किया गया है। अब चूँकि वेद या ब्रह्मको देवी माना गया था और वेदोंसे उत्पन्न अथवा वेदोंमें वर्णित यज्ञको भी देवी माना गया था, क्योंकि शत० ब्रा० (५, ५-५-१०) में कहा है—‘समस्त यज्ञ उतने ही महान् हैं जितने महान् तीनों वेद हैं।’ अतः वह ब्रह्म या वेद ‘प्रथमज’ कहा जाने लगा और अन्तमें उसे सबका मूल कारण माना जाने लगा। इस प्रकार ब्रह्म देवी मूल तत्त्वके रूपमें ब्राह्मण दर्शनका बीज है। और प्रार्थना तथा यज्ञके सम्बन्धमें जो ब्राह्मण दृष्टिकोण हैं उसके प्रकाशमें उसका विश्लेषण अच्छी तरह किया जा सकता है। (हि० इ० लि० विन्ट०, जि० १, पृ० २४८-९)।

अब ‘आत्मा’ शब्दको लीजिये। संस्कृतमें यह शब्द बहुतायतसे आता है और इसका अर्थ भी स्पष्ट है। यह ‘स्वयं’ को कहता है। यद्यपि बाह्य संसारसे भेद दिखलाते हुए आत्मा शब्दका प्रयोग कभी कभी शरीरके लिये भी हो जाता है किन्तु इसका यथार्थ मतलब शरीरस्थ आत्मासे है, जो शरीरसे भिन्न है।

उपनिषदोंके दर्शनमें ये दोनों ब्रह्म-आत्मा सयुक्त हो गये हैं। छा० उ० (३-१४) में शाण्डिल्यका सिद्धान्त ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ ‘निश्चय ही यह सब ब्रह्म है, से आरम्भ होता है और आत्माका वर्णन करनेके पश्चात् ‘एष म आत्मान्तर्हृदय एतद् ब्रह्म’— ‘वह मेरा आत्मा हृदय कमलमें स्थित है वही ब्रह्म है’ इत्यादि वाक्यके साथ समाप्त होता है।

आत्म जिज्ञासा

उपनिषदोंके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषियोंके अन्दर दो जिज्ञासाएँ विशेषरूपसे क्रियात्मक थीं— एक, विश्वका

मूल कारण क्या है ? दूसरी, आत्माका सत्य स्वरूप क्या है ?
 आत्म स्वरूपकी उत्कृष्ट जिज्ञासा तथा उसको शान्त करनेके लिये आत्म स्वरूपका वर्णन अनेक उपाख्यानोके द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं। यहाँ उनमेंसे दो एक उपाख्यान दिये जाते हैं, उन उपाख्यानोसे उक्त तथ्य पर प्रकाश पड़नेके साथ ही साथ तत्कालीन स्थितिका भी दिग्दर्शन होता है।

कठोपनिषदमें एक उपाख्यान इस प्रकार है—उद्दालक ऋषि ने फलकी कामनासे विश्वजित् नामका एक यज्ञ किया। इस यज्ञमें सर्वस्वदान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजोको दक्षिणामे दे दिया। उद्दालकके नचिकेता नामका एक पुत्र था। जब दक्षिणामे देनेके लिये गौँ लाई गई तो बालक नचिकेता ने उन्हें देखा। गौँओकी दयनीय दशा देखकर उसने मनमें सोचा, पिता जी, ये कैसी गौँ दक्षिणामें दे रहे हैं। अब न तो इनमें भुक्कर जल पीनेकी ही शक्ति रह गई है, न इनके मुखमें घास चबानेके लिये दाँत हैं, न इनके स्तनोंमें तनिक सा भी दूध है, और न इनमें गर्भधारण करनेकी शक्ति है। भूला, इन गौँओसे ब्राह्मणोको क्या लाभ होगा। और पिता जी इस दानसे क्या सुख पायेंगे ? इनके सर्वस्वमें तो मैं भी हूँ। मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूँ अतएव मुझे इनको अनिष्टसे बचाना चाहिये। यह सोचकर वह अपने पितासे बोला—तात ! आप मुझे किसको देते हैं ? उत्तर न मिलने पर उसने वही बात दुबारा और तिवारा कही। तब पिता ने क्रोधमें आकर कहा तुझे मैं मृत्युको देता हूँ।

यह सुनकर नचिकेता यमराजके पास चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसे ज्ञात हुआ कि यमराज कहीं बाहर गये हैं अतः

वह तीन दिन तक बिना खाये पिये उनके द्वार पर बैठा रहा। लौटने पर यमराजको यह समाचार ज्ञात हुआ और उन्होंने नचिकेता पर प्रसन्न होकर उसे तीन वरदान दिये। तीसरे वरदानको माँगते हुए नचिकेता कहने लगा—मरे हुए मनुष्यके विषयमे संशय है। कोई तो कहते हैं कि मरनेके बाद वह रहता है कोई कहते हैं नहीं रहता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह रहता है या नहीं रहता ?

नचिकेताका प्रश्न सुनकर यमराज बोले—हे नचिकेता ! इस विषयमें पहले देवताओं ने भी सन्देह किया था परन्तु उनकी भी समझमे नहीं आया, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। अतः मुझ पर दबाव मत डालो। इस प्रकार यमराज ने त्वर्गके देवी प्रलोभन देकर भी नचिकेताको अपने प्रश्नसे विमुख करना चाहा और कहा—हे नचिकेता, मरनेके बाद आत्माका क्या होता है, इस बातको मत पूछो। किन्तु नचिकेता अपने प्रश्न पर ही दृढ़ रहा और बोला—यह मनुष्य मरणधर्मा है इस बातको जाननेवाला मनुष्य लोकका निवासी कौन मनुष्य है जो बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप जैसे महात्माओंका संग पाकर भी आमोद-प्रमोदका चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहना पसन्द करेगा। अतः परलोक सम्बन्धी आत्म ज्ञानके विषयमे मेरा सन्देह दूर कीजिये। तब यमराजने उसकी दृढ़तासे प्रसन्न होकर उसे आत्मतत्त्वका उपदेश किया—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय तथारस नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्त महत् पर ध्रुव निचाम्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥१५॥

जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य और अगन्ध है, जो अनादि अनन्त महत्त्वसे भी विलक्षण और ध्रुव है, उस आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है।

प्रश्नोपनिषद्में महात्मा पिप्पलादसे भारद्वाज सुकेशा कहते हैं—भगवन् ! एक वार कोसल देशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा—क्या तुम सोलह कलाओं वाले पुरुषके विषयमें जानते हो ? मैंने स्पष्ट कह दिया—मैं नहीं जानता । तब वह रथपर बैठकर चला गया । अब मैं उसी पुरुष तत्त्वको जानना चाहता हूँ ।

छा० उप०, अ० ७ में नारद जीने सनत्कुमारके पास जाकर कहा—‘भगवन् ! मुझे उपदेश दीजिये ।’ सनत्कुमारने कहा—तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाओ, तब मैं तुम्हें आगे बतलाऊँगा ।

नारदने कहा—भगवन् ! मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद जानता हूँ । इनके सिवा इतिहास पुराणरूप पांचवा वेद, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, सत्रविद्या आदि सब मैं जानता हूँ । सो मैं भगवन् मन्त्रविद् तो हूँ किन्तु आत्मवित् नहीं हूँ । मैंने सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पारकर लेता है, परन्तु भगवन् मैं शोक करता हूँ मुझे शोकसे पार कर दीजिये ।

तब सनत्कुमारने उनसे कहा—तुम जो कुछ जानते हो वह नाम है तुम नामकी उपासना करो । तब नारदने पूछा क्या नामसे भी अधिक कुछ है ? हा नामसे भी अधिक है ? तो भगवन् मुझे वही बतलाइये । इस प्रकार सनत्कुमार जो कुछ बतलाते गये नारद उससे भी अधिक, उससे अधिक की जिज्ञासा करता गया । अन्तमें सनत्कुमारने कहा—आत्मदर्शनसे इन सबकी प्राप्ति हो जाती है । आत्मा ही सत्य है ।

छा० उप० अ० ८ में इन्द्र, और विरोचनका वृत्तान्त भी इस विषयमें अच्छा प्रकाश डालता है अतः उसे भी यहां दिया जाता है ।

एक द्वार प्रजापतिने कहा—‘जो आत्मा पापशून्य, जग रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, लुब्धा रहित, प्यास रहित, सत्य काम और सत्य सकल्प है उसे ग्रांजना चाहिये । और उसे विगोपकृपसे जानना चाहिये । जो इस आत्मा को जान लेता है, वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्तकर लेता है ।’

प्रजापतिके इस वाक्यको सुर असुर दोनोंने ही जान लिया । वे कहने लगे—हम उस आत्माको जानना चाहते हैं जिसके जानने पर सम्पूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हो जाते हैं ।’ ऐसा विचारकर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा विरोचन दोनों प्रजापतिके पास आये । उन्होंने बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा— तुम यहा क्यों रह रहे हो ? उन्होंने कहा—आत्माको जाननेकी इच्छामे हम यहा रह रहे है ।

उनसे प्रजापतिने कहा— यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखाई देता है, वह आत्मा है, वह अमृत है अभय है, ब्रह्म है । यह उत्तर सुनकर दोनों चले गये । उनसे विरोचन असुरोंके पास पहुँचा और उन्हे आत्मविद्या बतलाई—इस लोकमे यह शरीर ही आत्मा है यही पूजनीय और सेवनीय है । शरीरकी पूजा करनेवाला इस लोक परलोक दोनोंको प्राप्त करता है ।

किन्तु इन्द्रने सोचा यदि शरीर ही आत्मा है तो अमरत्व कहाँ रहा ? अतः वह पुनः आकर बत्तीस वर्ष तक प्रजापतिके पास रहा । तब प्रजापतिने कहा—‘यह जो स्वप्नमे पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है, यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है ।’ इस उत्तरसे सन्तुष्ट होकर इन्द्र लौटा । किन्तु मार्गमें उसने पुनः विचार किया कि यद्यपि स्वप्न शरीर इस

शरीरके दोषसे दूषित नहीं होता फिर भी वह सुख दुःखसे सर्वथा अछूता तो नहीं है। यह सोचकर इन्द्र पुनः लौटा और बत्तीस वर्ष तक प्रजापतिके पास रहा। तब प्रजापतिने कहा—‘जिस अवस्थामे यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक् रूपसे आनन्दित हो स्वप्नका अनुभव नहीं करता, वह आत्मा है, वह अमृत है, अभय है, ब्रह्म है।’

इस उत्तरको सुनकर इन्द्र चल दिया। किन्तु मार्गमें उसने विचार किया—‘सुप्तावस्थामें तो इसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि यह मैं हूँ। उस समय तो मानों यह विनष्ट हो जाता है। अतः वह पुनः लौटकर प्रजापतिके पास आया और पाच वर्ष तक रहा। तब प्रजापतिने कहा—यह शरीर मृत्युसे ग्रस्त है, वह उस अमृत अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय अप्रियसे ग्रस्त है। जो यह अनुभव करता है कि मैं संघू, वह आत्मा है। उसके गन्ध ग्रहणके लिये नासिका है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं बोलूँ, वह आत्मा है, इत्यादि।’

उपनिषदोंसे दिये गये उक्त संवादोंसे यह स्पष्ट है कि उपनिषत्कालमे वैदिक ऋषियोंमें आत्मतत्त्वको जाननेकी प्रबल जिज्ञासा थी। उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि वैदिक ज्ञान आत्मज्ञानके सामने हीन है। वैदिक क्रियाकाण्डसे जो स्वर्ग मिलता है वह स्थायी नहीं है उसमे अमृतत्व और अभयत्व नहीं है, आत्मतत्त्वको जान लेनेसे ही अमृतत्व और अभयत्व प्राप्त हो सकता है अतः इन्द्र और नारद तक उसके ज्ञानके लिये लालायित थे। और ऋषि लोग परस्परमें मिलते थे तो उसीकी चर्चा करते थे। जैसे ब्राह्मणकालमे यज्ञोंकी तूती बोलती थी वैसे ही उपनिषद्कालमें उसका स्थान आत्मविद्याने ले लिया था।

और ऋषिलोग उसको जाननेके लिये क्षत्रियोंका शिष्यत्व तक स्वीकार करते थे ।

आत्मविद्याके स्वामी क्षत्रिय

प्राचीनकालसे ही क्षत्रिय जाति बौद्धिक जीवन और साहित्यिक कार्योंसे सम्बद्ध रहती आई है । इस तथ्यका समर्थन न केवल उपनिषदोंसे ही होता है किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ भी इसे प्रमाणित करते हैं ।

कौपीतकी ब्राह्मणमें (२६-५) प्रतर्दन नामक एक राजा यज्ञके विषयमें पुरोहितोंसे वार्तालाप करता हुआ देखा जाता है ।

शतपथ ब्रा० में विदेहके राजा जनकका वारम्बार उल्लेख आता है, जिसने अपने ज्ञानसे सब ऋषियोंको हतप्रभ कर दिया था । राजा जनकने श्वेतकेतु, सोमशुष्म और याज्ञवल्क्यसे पूछा कि आप अग्निहोत्र कैसे करते हैं ? किन्तु उनमेंसे किसीने भी सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया । यद्यपि याज्ञवल्क्यको सौ गौ पारितोषिकके रूपमें मिली, क्योंकि उसने अग्निहोत्रके विषयमें बड़ी गहराईसे विचार किया था किन्तु अग्निहोत्रका यथार्थ आशय वह नहीं बता सके ।

राजाके चले जानेपर ऋषि लोग आपसमें कहने लगे कि यह क्षत्रिय तो अपने सम्भाषणके द्वारा वास्तवमें हमें हरा गया । अब हमें शास्त्रार्थके लिये उसे ललकारना चाहिये । किन्तु याज्ञवल्क्यने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और कहा—हम ब्राह्मण हैं, और वह केवल एक क्षत्रिय है । यदि हम जीत गये तो हम कैसे कहेंगे कि हम एक क्षत्रियसे जीत गये । किन्तु यदि उसने हमें हरा दिया तो लोग कहेंगे कि एक क्षत्रियने ब्राह्मणोंको हरा दिया ।

दोनो ऋषि उसकी वात मान गये । किन्तु याज्ञवल्क्य जनकके पास गया और उससे ज्ञान दानकी प्रार्थना की । (हि० इं० लि० (विन्ट०) जि० १, पृ० २२७-८) ।

[उपनिषदोमे चारम्बार यह कहा गया है कि राजा अथवा क्षत्रियोंके पास सर्वोच्च विद्या थी छौर ब्राह्मण उसे प्राप्त करनेके लिये उनके पास जाते थे]

छा० उप० (५-३) में एक संवाद इस प्रकार है--आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पाञ्चाल देशके लोगोंकी सभामें आया । उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने पूछा—कुमार ! क्या पिताने तुम्हे शिक्षा दी है ? उसने कहा—हाँ भगवन् ।

क्या तुम्हे मालूम है कि इस लोकसे जानेपर प्रजा कहाँ जाती है ?

नहीं, भगवन् ।

क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है ?

नहीं, भगवन् ।

देवयान और पितृयान—इन दोनों मार्गोंका पारस्परिक वियोग स्थान तुम्हे मालूम है ?

नहीं, भगवन् ।

तुम्हे मालूम है कि यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है ?

नहीं भगवन् ।

इत्यादि सभी प्रश्नोंका उत्तर नकारमें सुनकर प्रवाहणने श्वेतकेतुसे कहा—‘तो फिर तू अपनेको ‘मुझे शिक्षा दी गई है’ ऐसा क्यों कहता था ? जो इन बातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कहता है ?

तव श्वेतकेतु त्रस्त होकर अपने पिताके पास आया और उससे बोला—आपने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रियने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे। किन्तु मैं उनमेंसे एकका भी उत्तर नहीं दे सका।

पिताने कहा—तुमने जो प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे मैं एक का भी उत्तर नहीं जानता।

तब वह गौतम गोत्रीय ऋषि राजा प्रवाहणके स्थान पर आया। राजाने उससे कहा—भगवन् गौतम! आप मनुष्य सम्बन्धी धनका वर मांग लीजिये। उसने कहा—राजन्! यह मनुष्य सम्बन्धी धन आपके ही पास रहे। आपने मेरे पुत्रके प्रति जो बात प्रश्न रूपसे पूछी थी, वही मुझे बतलाइये। तब राजा संकटमें पड़ गया। 'चिर काल तक यहाँ रहो, ऐसी आज्ञा देकर राजाने ऋषिसे कहा—'पूर्व कालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी। इसीसे सम्पूर्ण लोकोमें इस विद्याके द्वारा क्षत्रियोका ही अनुशासन होता रहा है।'

अन्तमें राजाने उसे विद्याका दान दिया। वह विद्या थी पुनर्जन्मका सिद्धान्त। छा० उ० का उक्त संवाद स्पष्ट रूपसे इस तथ्यको प्रमाणित करता है कि पुनर्जन्मका सिद्धान्त क्षत्रियों से उद्भूत हुआ है और ब्राह्मण धर्मने उन्हींसे उसे लिया है। (हि० इ० लि० (विन्ट०) जि० १, पृ० २३१)।

इसी प्रकार उपनिषदोंके अन्य संवादोंसे यह प्रमाणित होता है कि उपनिषदोंका मुख्य सिद्धान्त आत्मविद्या भी अब्राह्मण क्षेत्र

१. यथेय न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्माद् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७ ॥ — छा० उ० ५-३ ।

में ही प्रकट हुई थी। छा० उप० (५-११) में लिखा है—
उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लविके
पुत्रका पुत्र इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्वका
पुत्र बुडिल—ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्र होकर
परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म
क्या है ?

उन्होंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उदालक इस
समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है अतः हम उसके पास
चलें। ऐसा निश्चय करके वे उसके पास गये। उसने सोचा कि
ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे, किन्तु मैं इन्हें
पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा। अतः मैं इन्हें दूसरा उपदेश
बतला दूँ।'

यह सोचकर उसने इनसे कहा—इस समय केकयकुमार
अश्वपति इस वैश्वानर आत्माको अच्छी तरह जानता है। आओ,
हम उसके पास चलें।

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने सत्कार किया
और दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उनसे कहा—मैं यज्ञ करने-
वाला हूँ, मैं एक एक ऋत्विक्को जितना धन दूँगा उतना ही
आपको भी दूँगा। अतः आप लोग यहीं ठहरें।

वे बोले—जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे
चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनको कहे। इस समय आप
वैश्वानर आत्माको जानते हैं। उसीका आप हमारे प्रति
वर्णन कीजिये।

वह उनसे बोला—मैं प्रातःकाल आप लोगोंको इसका उत्तर
दूँगा। तब दूसरे दिन पूर्वाह्नमें वे हाथोंमें समिधा लेकर राजाके

पास गये । राजाने उनका उपनयन न करके ही उन्हें आत्मविद्याका उपदेश दिया ।

इस संवादका वर्णन शत० त्रा० (१०-६-१) में भी पाया जाता है । इस तरहके सवादोंसे यह स्पष्ट है कि (जब ब्राह्मणवर्ग अपने यज्ञोंके कर्मकाण्डमें उलझा हुआ था, दूसरे क्षेत्र उस गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानमें सलग्न थे, जिसका वर्णन उपनिषदोंमें है ।)

इस दूसरे क्षेत्रसे ही, जो कि मूलतः पुरोहित वर्गसे सम्बद्ध नहीं था, विचरणशील परित्राजक, श्रमण आदि सन्यास मार्ग अग्रसर हुए । ये लोग सांसारिक सुखोंके प्रति ही उदासीन नहीं थे किन्तु यज्ञों और वैदिक क्रियाकाण्डसे भी दूर थे ।

किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ब्राह्मणोंने दार्शनिक विचारोंमें कोई भाग नहीं लिया । क्योंकि क्षत्रिय आदि उच्च वर्णके लोग ब्राह्मणोंके पास पढ़ते थे अतः उनमें परस्पर विचारोंका आदान-प्रदान अवश्य होता था । साथ ही (ब्राह्मणोंमें एक अपनी कट्टरता तथा ब्राह्मणत्वको सुरक्षित रखते हुए विरोधी विचारोंको भी अपने अनकूल बना लेनेकी एक अपूर्व चतुराई है और उसी चतुराईके कारण वेदविरोधी आध्यात्मविद्याको उन्होंने इस खूबीसे अपनाया है कि मानों उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान उन्हींकी देन है ।)

(डा० दास गुप्ताने अपने भारतीय दर्शनके इतिहास (जि० १, पृ० ३३) में लिखा है कि आम तौरसे क्षत्रियोंमें दार्शनिक अन्वेषणकी उत्सुकता वर्तमान थी और उपनिषदोंके सिद्धान्तोंके निर्माणमें अवश्य ही उनका मुख्य प्रभाव रहा है ।)

तथ्य यह है कि प्राचीन उपनिषदोंकी साहित्यिक रचना ब्राह्मण

क्षेत्रमें हुई है और केवल इसीलिये उन्हें ब्राह्मणोंका कह सकते हैं। किन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं लेना चाहिये कि उपनिषदोंके सब विचार अथवा सबसे अधिक सारभूत विचार प्रथमवार ब्राह्मण क्षेत्रमें उद्भूत हुए थे। आपस्तम्बीय धर्मसूत्र (२, २-४-२५) तकमें ब्राह्मणके लिये अनुज्ञा है कि आपत्तिकालमें वह क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरुसे भी पढ़ सकता है। (हि० इ० लि० (विन्ट०) जि० १, पृ २३२ की टिप्पणीमें)।

(इस प्रकार क्षत्रिय वर्ग दार्शनिक चर्चाओंमें खूब रस लेते थे। वे ज्ञानके मात्र रक्षणकर्ता ही नहीं थे किन्तु स्वयं ज्ञानी थे और ब्राह्मण तक उनके शिष्य थे) (वे० ए० पृ० ४३०)

(डा० दास गुप्ता ने और भी (हि० इ० फि०, जि० १, पृ० ३१) लिखा है—'यहाँ यह निर्देश करना अनुचित न होगा कि उपनिषदोंमें बारंबार आनेवाले संवादोंसे, जिनमें कहा गया है कि उच्च ज्ञानकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मण क्षत्रियोंके पास जाते थे, तथा ब्राह्मण ग्रन्थोंके साधारण सिद्धान्तोंके साथ उपनिषदोंकी शिक्षाका मेल न होनेसे और पाली ग्रन्थोंमें वर्णित जनसाधारणमें दार्शनिक सिद्धान्तोंके अस्तित्वकी सूचनासे यह अनुमान करना शक्य है कि साधारणतया क्षत्रियोंमें गम्भीर दार्शनिक अन्वेषण की प्रवृत्ति थी, जिसने उपनिषदोंके सिद्धान्तोंके निर्माणमें प्रमुख प्रभाव डाला। अतः यह संभव है कि यद्यपि उपनिषद ब्राह्मणोंके साथ सम्बद्ध हैं किन्तु उनकी उपज अकेले ब्राह्मण सिद्धान्तोंकी उन्नतिका परिणाम नहीं है, अ-ब्राह्मण विचारोंने अवश्य ही या तो उपनिषद सिद्धान्तोंका प्रारम्भ किया है अथवा उनकी उपज और निर्माणमें फलित सहायता प्रदान की है, यद्यपि ब्राह्मणोंके हाथोंसे ही वे शिखर पर पहुँचे हैं।')

(स्व० रामेन्द्र चन्द्र दत्तने भी यही विचार प्रकट करते हुए लिखा है—“जब कि ब्राह्मण लोग क्रिया सम्कारोंको बढ़ाये जाते थे . तो विचारवान सन्ने लोग याद सोचते थे कि क्या धर्म केवल उन्हीं क्रिया सम्कारों और विधियोंको मिस्रलाता है, . उन्हींने आत्माके उद्देश और ईश्वरके विषयमें ग्राह्य की, ये नये तथा कृतोत्पन्न विचार ऐसे वीरोचित पुष्ट और नूतन थे कि ब्राह्मण लोगोंने, जो कि अपनेको ही बुद्धिमान समझते थे, अपनेको हार मानी और वे क्षत्रियोंके पास उनको समझनेके लिये आये । उपनिषदोंमें वे ही नूतन और पुष्ट विचार हैं ।” (प्रा०भा० स० ३०, भा० १, पृ० ११०-१११) ।

दार्शनिक विचारों के विकास में सहायक

दो अवैदिक तत्त्व

ऋग्वेदसे उपनिषदों तककी स्थिति का अनुशीलन करने से प्रकट होता है कि ऋग्वैदिक कालमें वैदिक आर्य सिन्धु घाटीमें बसते थे । किन्तु वहाँ वे अकेले ही नहीं थे, उनके बीचमें और चारों ओर तथा उत्तर भारतके मैदानोंमें अनेक जातिया बसती थीं जिनके साथ उनका युद्ध होता रहता था और जिन्हें वे दास और दस्यु कहते थे । उनके साथ आर्योंका विरोध केवल स्वाभाविक नहीं था, किन्तु आवश्यक भी था । क्योंकि उनके और आर्योंके बीच में धार्मिक भेद था । ऋग्वेदके उल्लेखोंके अनुसार वे यज्ञ नहीं करते थे, क्रिमाकर्मसे शून्य थे, वैदिक देवताओंसे घृणा करते थे, और ऐसा व्रत पालते थे जिनसे आर्य अपरिचित थे । आर्योंने युद्ध

मे उन्हें जीतकर उनके बहुतसे आदिमियोंको दास बना लिया था । ये दो जातियाँ—एक आर्य और एक तथोक्त दास दस्यु जिन्हे द्रविड माना जाता है—भारतकी नृवंश विद्याके दो मूल तत्त्व हैं । उन दोनोंने परस्परमें एक दूसरे पर अपना जो प्रभाव डाला, उस पारस्परिक प्रभावके फलस्वरूप भारतकी सभ्यता और धर्मका विकास हुआ ।)

भारतकी धार्मिक क्रान्तिके अध्ययनमें जो विद्वान लोग अपना सारा ध्यान आर्य जातिकी ओर ही लगा देते हैं और भारतके समस्त इतिहासमें द्रविडोंने जो बड़ा भाग लिया है उसकी उपेक्षा कर देते हैं वे महत्त्वके तथ्यों तक पहुचनेसे रह जाते हैं । (रि० लि० इ० पृ० ४-५) ।

वैदिक आर्योंका विश्वास था कि यज्ञ देवताओंको प्रभावित करते और उनसे इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करानेमें समर्थ हैं । अतः प्रत्येक प्रमुख आर्य पुरोहितोंसे सहायता प्राप्त करनेके लिये उत्सुक रहता था और पुरोहित उनके लिये देवताओंसे जो समृद्धि और विजय प्राप्त करता था उसके लिये वे उसे प्रचुर दक्षिणा देते थे । इसलिये पुरोहितोंका बड़ा प्रभाव और आदर-सन्मान था और उनके अनेक वंश थे । ऋग्वेदकी ऋचाएँ सात समूहोंमें विभाजित हैं । ये सात समूह सात पुरोहित वंशोंकी, जिन्हें मत्र द्रष्टा होनेसे ऋषि कहा जाता है, देन है ।

परन्तु ऋग्वेदके धर्ममें न संन्यास है, न आत्मसंयम है, न वैराग्य है न दर्शन है और न मन्दिर है, क्योंकि यज्ञ तो यज्ञकर्ताके घर के पास ही किसी मैदानमें वेदी बनाकर किये जाते थे ।

सारांश यह है कि वैदिक सभ्यता क्रियाकाण्डी सभ्यता थी । वैदिक आर्योंके धार्मिक जीवनका सबसे प्रमुख अंग यज्ञोंमें सोम-

पान था। और वैदिक ग्रन्थ इस विधिसे घनिष्ठरूपसे सम्बद्ध हैं। यद्यपि सैद्धान्तिक और दार्शनिक विचारोंके तत्त्वका वैदिक ग्रन्थोंमें सर्वथा अभाव नहीं है, किन्तु विद्वानोंके मतानुसार दार्शनिक विचारोंके विकासके लिये क्रियाकाण्डवाद उत्तम पड़ोस तो नहीं है। आदर्शवादी विचारोंके विकासके लिये एकाग्रता और चिन्तन आवश्यक है और इनके लिये यज्ञ उचित स्थान नहीं है। (हि० फि० ई० वे०, पृ० ३२)।

इसी तरह साकाररूपमें देवताकी उपासना परमात्मविषयक उच्च विचारोंकी ओर ले जाती है। ऐसी उपासना वहाँ हो सकती है जहाँ कोई देवताका दृश्य प्रतीक होता है या साक्षान् मूर्ति होती है। यज्ञकी पद्धति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थायी स्थानका रूप ले सके, क्योंकि यज्ञ तो यथावसर तत्काल निर्मित मण्डपमें किये जाते थे और यज्ञ समाप्त होनेके साथ ही मण्डप समाप्त हो जाता था। किन्तु एक मन्दिर निर्माण करके और उसमें देवता को स्थापित करके पूजन करना एक स्थायी वस्तु है। यज्ञमें तो यज्ञके कर्ता पुरोहित लोग ही उस अदृश्य शक्तिका अनुभवन कर सकते थे—दूसरे लोग तो केवल अग्नि और उसमें दी जानेवाली आहुतियोंको देख सकते थे, उसमें क्रियात्मक भाग नहीं ले सकते थे। अतः मन्दिरपूजाके साथ साकारता, सामाजिकता और सततता सम्बद्ध है इसलिये सैद्धान्तिक विचारोंके विकासके लिये मन्दिर ही उचित स्थान हो सकता है। यह मन्दिर प्रारम्भमें शहरी सभ्यतासे सम्बद्ध नहीं थे, किन्तु इनका सम्बन्ध जगलोंसे था (हि० फि० ई० वे० पृ० ३३)।

अतः विद्वानोंका मत है कि वैदिक सभ्यतामें उत्तरकालमें जो शहरोंके स्थानमें वनोंका और यज्ञोंके स्थानमें मन्दिर पूजाका प्रचलन हुआ, यह अ-वैदिक संस्कृतिका प्रभाव है, क्योंकि ये

दोनों तथ्य मूलतः अवैदिक हैं। और इन दोनोंका दर्शनशास्त्रकी अभ्युन्नति पर बड़ा प्रभाव है (हि० रि० ई० वे०, पृ० ३३)।

दा० भण्डारकरने लिखा है—

‘भारत सदासे विदेशियोंके आक्रमणके लिये मुक्त रहा है और उनके भारतमें बस जानेसे यहां जातियोंका सम्मिश्रण होता आया है। इन जातियोंके अपने देवता होते थे। आर्योंके हाथमे भारतका अधिकार आनेसे पूर्व उनमेसे कुछ जातिया लिंग द्वारा अपने देवताओंकी उपासना करती थीं। और लिंग पूजाका इतना अवश्य ही चलन रहा होगा कि उसे आर्योंने स्वीकार कर लिया और अपने वैदिक देवता इद्रके साथ उसका एकीकरण कर दिया। अन्य जातिया अन्य देवोंको पूजती थीं उन्हें भी आर्योंने अपने देवताओंमे सम्मिलित कर लिया। उनकी प्रशंसामें पुराण रचे गये।— जैन और बौद्ध धर्मकी स्थापना उन मनुष्योंने की थी जो परमात्मा माने जाते थे। अत उनके स्मारकोंकी पूजा तथा उनकी मूर्तियोंका आदर करनेकी इच्छा होना स्वाभाविक है। यह पूजा प्रचलित हो गई और समस्त भारतमें फैल गई। अत राम, कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी और शिव पार्वतीकी मूर्तियां तैयारकी गईं और पूजाके लिये सार्वजनिक स्थानोंमें स्थापित की गईं। (क० व० भा०, जि० १, पृ० ४११)।

इसी तरह वनोंका भारतीय विचारोंके विकासमे महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(अरण्यवासी ऋषियोंके आश्रम दार्शनिक विचारोंके केन्द्र थे। किन्तु उनकी चर्चा उपनिषद्कालमें ही श्रवण गोचर होती है। उपनिषद्से पूर्व रचे गये वेदोंमे उन अरण्यवासियोंका कोई

हाथ नहीं हैं। ऋग्वेदके संकल्पिता ऋषि इन अरण्यवासी ऋषियोंसे सर्वथा भिन्न थे। वे अरण्य (वन) में नहीं रहते थे। किन्तु नगरों और गावोंमें रहते थे। और इस लिये अरण्यवासी ऋषियोंकी तरह वे संसारसे उदासीन नहीं थे। वेद-मन्त्रोंके दृष्टा होनेसे उन्हें ऋषि कहा जाता था। ब्राह्मण सभ्यताके निर्माणमें उन्हींका हाथ था—अरण्यवासी ऋषियोंका हाथ नहीं था।

इसी तरह वैदिक देवता भी अरण्यवासी नहीं थे। वे सवारियों पर बैठत थे जिन्हें वाड़े सोंचत थे। हा, अर्वाङ्गिक देवता अवश्य अरण्यवासी थे, जो मूलतः द्रविड़ थे, किन्तु पीछेसे हिन्दू देवताओंमें भी सम्मिलित कर लिये गये।

हम पूर्वमें लिख आये हैं कि वैदिक सभ्यता क्रियाकाण्डी सभ्यता थी। यज्ञ उमका प्रधानकर्म था, और यज्ञ यज्ञकर्ताके द्वारा निर्मित गृह मण्डपोंमें हुआ करते थे। ये यज्ञ दार्शनिक विचारोंके स्थान नहीं थे। यज्ञोंमें मंत्र पाठ, आहुति और दक्षिणा का ही साम्राज्य था। इसी कारणसे वे और उनके व्याख्या ग्रन्थ ब्राह्मणोंमें अरण्योंकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जब यज्ञोंकी वेदध्वनिमें मन्दता आती है तो अरण्यकोसे अरण्योंकी ध्वनि सुनाई देने लगती है। या यह भी कह सकते हैं कि अरण्यकी ध्वनि सुनाई पड़नेके बादसे वेद ध्वनि मन्द और मन्दतर होती जाती है।

ऋग्वेद सिन्धुघाटीकी रचना है जब कि अरण्यक और प्राचीन उपनिषद् गंगाघाटीमें रचे गये। अतः गंगाकी घाटीमें अवश्य ही ऐसे अरण्य थे जहां संसारसे विरक्त ऋषि लोग आत्मविद्याकी आराधना किया करते थे।

किन्तु वैदिक साहित्यमे 'अरण्य' शब्दके जो अर्थ पाये जाते हैं उनसे पता चलता है कि अरण्योके प्रति वैदिक ऋषियोकी प्रारम्भमे कैसी मनोवृत्ति थी। ऋग्वेदमें गावके बाहरकी बिना जुती हुई जमीनके अर्थमें अरण्य शब्दका प्रयोग हुआ है। किन्तु 'अरण्यानी' शब्दका प्रयोग जगलके अर्थमे किया गया है। शतपथ ब्राह्मण (५-३-३५) मे लिखा है कि अरण्यमे चोर बसते हैं। बृहदा० उप० (५-१) में लिखा है कि मुर्देको अरण्यमे ले जाते हैं। छा० उ० (८-५-३) में लिखा है कि अरण्यमें तपस्वीजन निवास करते हैं (वै०इ० में अरण्य शब्द) ।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि ब्राह्मण साहित्यमें तपका वर्णन है। इसमें विद्वानोंका ऐसा मत है कि जब वैदिक आर्य पूरवकी ओर बढ़े अर्थात् सिन्धु घाटीसे गंगा घाटीकी ओर गये तो यज्ञ पीछे रह गये और यज्ञका स्थान तप ने ले लिया (कै. हि०) ।

वैसे ऋग्वेद (मं० १०, सूक्त १६०) मे तपसे विश्वकी उत्पत्ति बतलाई है। और यह सूक्त अधमर्षण ऋषिका बतलाया जाता है। समस्त ब्राह्मण स्मृतियोमे इस सूक्तको शोधक सूक्तोंमें बतलाया है। अधमर्षणके उक्त सूक्तसे पहले दसवें मण्डलमें ही १०६ नम्बरका सूक्त है जिसे प्रजापति परमेष्ठीका सूक्त कहा जाता है, इस सूक्तमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिकी ही चर्चा है। इन दोनों सूक्तोंका साधारणतया एक ही पक्ष है कि दोनोंके रचायता ऋषि इस दृश्य संसारकी उत्पत्ति तपसे बतलाते हैं। (हि० प्री० ई० पि० पृ० ८)

इस तरह यद्यपि ऋग्वेदमें तपका निर्देश आता है किन्तु तपका वर्णन ब्राह्मण साहित्यसे पहलेके वैदिक साहित्यमें नहीं

मिलता । शत० प्रा० (६, -१-१-१३) लिखा है—'प्राकाश वायु पर, वायु पृथ्वीपर, पृथ्वी जलपर, जल सत्यपर, सत्य यज्ञपर और यज्ञ तपपर स्थित है । यहा तपको यज्ञ और सत्यमें भी उच्च दत्तलाया है । किन्तु इस कालके वैदिक साहित्यमें तपकी विविध विधियोंका वर्णन नहीं मिलता । ब्राह्मण ग्रन्थोंमें ही मुनि, परिव्राजक, तापस और श्रमणोंका निर्देश पाया जाता है ।

अतः तप और अरण्योके प्रति ब्राह्मणकाल तक वैदिक आर्योंकी आस्था नहीं थी और न उनके प्रति विशेष आकर्षण ही था, क्योंकि इन दोनोंका सम्बन्ध उनकी संस्कृतिमें नहीं था ।

पुनर्जन्म

शंकरके अद्वैतवाद तथा बौद्धदर्शनको छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शन इस विषयमें साधारणतया एकमत हैं कि आत्मा एक नित्य तथा अमूर्तिक पदार्थ है । फलतः वे आत्माओंको अमर मानते हैं । [किन्तु वैदिक आर्योंका विश्वास इससे सर्वथा भिन्न था । उनका विश्वास था कि मृत्युके पश्चात् भी प्राणीका जीवन लगभग उसी रूपमें चालू रहता है जिस रूपमें वह पृथिवी पर जीवित अवस्थामें था । अन्तर इतना है कि मृत्युके बाद उसकी स्थिति केवल छाया रूप है और शरीररूप हाते हुए भी वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है । मृत्युके पश्चात् का वह सूक्ष्म शरीर ही वैदिक आर्योंका आत्मा था । इससे भिन्न कोई आत्मा नामकी वस्तु नहीं थी]

वैदिक आर्योंका आत्मविषयक उक्त विश्वास हिन्दुओंमें आज भी पितरोंके रूपमें प्रचलित है, जिनके उद्देश्यसे वे श्राद्धकर्म करते हैं ।

ब्राह्मणग्रन्थो तथा प्राचीनतम उपनिषदोमे आत्मविषयक जो विचार मिलते हैं वे उक्त वैदिक विश्वाससे बहुत अधिक उन्नत हैं। उनमें आत्माको प्राणोसे निर्मित बतलाया है। वे पाँच हैं—प्राण, वचन, चक्षु, श्रोत्र और मन। ये पाचो मिलकर यथोक्त आत्मारूप हो जाते हैं।

उपनिषदोमें आया हुआ वार्तालाप उक्त स्थिति पर पूरा प्रकाश डालता है। बृहदारण्यकके तीसरे अध्यायमें विदेहराज जनककी सभामे हुए एक विवादका वर्णन है जिसमे याज्ञवल्क्यने कुरु और पाञ्चालके ब्राह्मणोंके प्रश्नोंका उत्तर दिया था। याज्ञवल्क्यका एक विपक्षी जारत्कारव आर्तभाग था। जारत्कारवने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! जब यह पुरुष मरता है तो उससे उसके प्राण निकलते हैं या नहीं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—‘नहीं, वे उसीमें एकत्र हो जाते हैं।

उसने फिर पूछा—‘याज्ञवल्क्य जब यह मनुष्य मरता है, कौन उसे नहीं छोड़ता ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—नाम, नाम अनन्त हैं, विश्वमें देव अनन्त हैं, उसीके द्वारा वह अनन्त लोकको जीतता है।

उसने फिर पूछा—याज्ञवल्क्य ! जब इस मृत व्यक्तिकी वाणी अग्निमें, श्वास वायुमें, चक्षु सूर्यमें, मन चन्द्रमें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, आत्मा आकाशमे, रोम औषधियोंमें, केश वनस्पति में, रुधिर और वीर्य जलमें लीन हो जाता है तब पुरुष कहाँ रहा ?

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—हे सौम्य ! हाथ मिलाओ, हमें इस प्रश्नकी चर्चा सबके सामने नहीं करनी चाहिये। हम दोनो ही इसे जानें। तब वे दोनोअलग जाकर विचार करने लगे। उन्होंने

जो कुछ कहा और जिसको प्रशंसा की, वह है 'कर्म' पुण्यकर्मसे पुण्य होता है और पापकर्मसे पाप होता है।

इस वार्तालापसे स्पष्ट है कि दोनो व्यक्ति पाँच प्राणोंके मेलसे जीवन मानते थे और उनके सामने नित्य अमर व्यक्तित्वका विचार नहीं आया था। किन्तु इससे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि उस समय आत्माके अमरत्ववाला सिद्धान्त स्थापित नहीं हुआ था, या आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वमें विश्वास करनेवाले लोग थे ही नहीं। किन्तु तब तक यह विचार वैदिक ऋषियोंके मस्तिष्कमें प्रविष्ट नहीं हुआ था।

यह हम पहले लिख आये हैं कि उपनिषदोंमें पुनर्जन्म तथा कर्मसिद्धान्तका दर्शन मिलता है। छा० उ० (५-१०) में लिखा है—प्रथम आत्मा चन्द्रमामें जाता है, जिसे पुनः शरीर धारण करना होता है वह वहाँसे आ जाता है। फिर वह वर्षाके रूपमें पृथ्वीमें जाता है और अन्नरूप हो जाता है जो उस अन्नको खाता है वह उसको नवीन जन्म देकर उसका पिता हो जाता है।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि पुनर्जन्मके प्रचलित सिद्धान्तसे उक्त सिद्धान्त कितना भिन्न है। अस्तु,

[इन दो नवीन सिद्धान्तोंके प्रवेशके पश्चात् वैदिक धर्मकी रूप रेखामें बहुत परिवर्तन हुआ। वैदिक यज्ञ और देवताओंका प्रभुत्व जाता रहा। और भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति तथा भौतिक जीवनके चिरकाल तक बने रहनेकी कामना रखने वालोंमें भी अमरत्व प्राप्तिकी जिज्ञासा जाग उठी, क्योंकि पुनर्जन्मके इस चक्रसे देव, दानव, पशु, मनुष्य और बनस्पति कोई भी बचा हुआ नहीं था—सबका मृत्युके बाद जन्म लेना आवश्यक

था। और कोई भी देवी^१ शक्ति ऐसी नहीं थी जो इससे उन्हें बचा सके। फिर बुरे कर्मोंका फल बुरा और अच्छे कर्मोंका फल अच्छा मिलता था। इससे नैतिकताके प्रसारको बल मिला। पहले तो वैदिक आर्योंका यह विश्वास था कि देवता और पितर अमर हैं। हम भी क्रियाकारणके द्वारा अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु इन दोनों सिद्धान्तोंके प्रकाशमें आनेके पश्चात् अमरत्व प्राप्त करना सुलभ नहीं रहा। उसके लिये व्यक्तिगत नैतिक जीवन को सुधारना आवश्यक था ।]

संन्यास

किन्तु प्रारम्भ मे हम यह बात नहीं देखते, क्योंकि वैदिक ऋषि लोग गम्भीर नैतिक नहीं थे। उनकी ऋचाओं में पापको मानने वाले मनुष्यकी टोनमें भाविजीवनके लिये कोई चेतावनी नहीं है, और हो भी क्यों, जब वे पुनर्जन्मवादी नहीं थे। इसीसे प्रारम्भमें वैदिक आर्य मासभोजी थे। वह जो खाते थे वह देवता को भेट करते थे। अतः वैदिक आर्योंके प्रचलित भोजनकी सूची यज्ञकी बलिसूचीके आधारसे सकलितकी जा सकती है। पुनर्जन्मके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेनेके बाद ही उनमें अहिंसा का सिद्धान्त रूपसे प्रवेश हुआ जान पड़ता है। (वै० इं० जि० २, पृ० १४५)

इसी तरह चार आश्रमोंकी व्यवस्था भी पीछेसे आई है। ब्राह्मणको ब्रह्मचारी और गृहस्थके रूपमें जीवन बितानेके

१—सब देवोंसे ऊचे और समस्त सृष्टिके संचालक ईश्वर की कल्पना उन लोगोंके मस्तिष्क की उपज नहीं है, जिन्होंने पुनर्जन्मके सिद्धान्तको जन्म दिया। (रि० लि० ई० पृ० ३५)

बाद सन्यासी हो जाना चाहिए, यह नियम वैदिक साहित्यमें नहीं मिलता। [पौराणिक परम्पराके अनुसार राज्य त्यागकर वनमें चले जानेकी प्रथा क्षत्रियों में प्रचलित थी। ग्रीक लेखकोंके लेखों से भी इसका समर्थन होता है (वै० इ० 'ब्राह्मण' शब्द)]

गौतम धर्म सूत्र (८-८) में एक प्राचीन अचार्यका मत दिया है कि वेदोंको तो एक गृहस्थाश्रम ही मान्य है। वेदमें उसीका प्रत्यक्ष विधान है इतर आश्रमोंका नहीं। अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रन्थोंमें ब्रह्मचर्याश्रमका, विशेषतः उपनयनका विधान आया है। किन्तु चार आश्रमोंका उल्लेख छा० उप० में है। अतः विद्वानों का मत है कि वानप्रस्थ और सन्यास को वैदिक आर्योंने अवैदिक लोगोंकी संस्कृतिसे लिया है। (हि० ध० स०, पृ० १२७)

आप वाल्मीकि रामायणको देखें—इसमें किसी भी संन्यासी के दर्शन नहीं होते। हाँ, वानप्रस्थ सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं।

लोकमान्य तिलकने अपने गीता रहस्यमें 'सन्यास और कर्मयोग' नामक प्रकरणमें इस बातका जोरदार समर्थन किया है कि वैदिक धर्ममें संन्यास मार्ग विहित नहीं था। वह लिखते हैं—'वेदसंहिता और ब्राह्मणोंमें संन्यास आश्रम आवश्यक कहीं नहीं कहा गया है। उल्टा जैमिनिने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है कि गृहस्थाश्रममें रहनेसे ही मोक्ष मिलता है। (देखो वेदान्तसूत्र ३ ४. १७-२०) और उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है, क्योंकि कर्मकाण्डके इस प्राचीन मार्गको गौण माननेका आरम्भ उपनिषदोंमें ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिषद् वैदिक हैं, तथापि उनके विषय प्रतिपादनसे प्रकट होता है कि वे संहिता और ब्राह्मणोंके पीछेके हैं, इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वरका ज्ञान हुआ ही नहीं

था। हां, उपनिषत्कालमें ही यह मत पहले पहल अमलमें अवश्य आने लगा कि मोक्ष पानेके लिये ज्ञानके पश्चात् वैराग्यसे कर्मसंन्यास करना चाहिये। और इसके पश्चात् संहिता एव ब्राह्मणोंमें वर्णित कर्मकाण्डका गौणत्व आ गया। इसके पहले कर्म ही प्रधान माना जाता था। उपनिषत्कालमें वैराग्ययुक्त ज्ञान अर्थात् संन्यासकी इस प्रकार बढ़ती होने लगने पर, यज्ञ याग प्रभृति कर्मोंकी ओर या चातुर्वर्ण्य धर्मकी ओर भी ज्ञानी पुरुष योंही दुर्लक्ष करने लगे और तभीसे यह समझ मन्द होने लगी कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है। स्मृतिप्रणेताओंने, अपने अपने ग्रन्थोंमें यह कहकर कि गृहस्थाश्रममें यज्ञ याग आदि-श्रौत या चातुर्वर्ण्यके स्मार्त कर्म करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रमकी वड़ाई गई है सही, परन्तु स्मृतिकारोंके मतमें भी अन्तमें वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है, इस लिये उपनिषदोंके ज्ञान प्रभावसे कर्मकाण्डको जो गौणता प्राप्त हो गई थी, उसको हटानेका सामर्थ्य स्मृतिकारोंकी आश्रम व्यवस्थामें नहीं रह सकता था। ऐसी अवस्थामें ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्डमेंसे किसी को गौण न कहकर भक्तिके साथ इन दोनोंका मेल कर देनेके लिये गीताकी प्रवृत्ति हुई है। (गी० २० पृ० ३४४)

१—तै० उ० (२-१-१) में लिखा है—ब्रह्मजानते मोक्ष प्राप्त होता है। श्वे० उ० (३-८) में लिखा है—मोक्ष प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं। बृह० उ० (४-२२ और ३-५-१) में लिखा है—प्राचीन ज्ञानी पुरुषोंको पुत्र आदिकी इच्छा न थी और यह समझ कर कि जब सब लोक ही हमारा है तब हमें सन्तान किस लिये चाहिये? वे सन्तान सपति और स्वर्ग की चाहसे निवृत्त होकर भिक्षाटन करते घूमते थे। (गी० २०, पृ० ३१२-१३)

उक्त कथनमे भी स्पष्ट है कि वैदिक धर्ममे संन्यासमार्गका प्रवेश उपनिषत्कालसे हुआ ।

यद्यपि बहुत प्राचीन कालसे वैदिक ग्रन्थोंमें ब्राह्मणों और गृहस्थोंके अस्तित्वके चित मिलते हैं और वेदोंमें यज्ञ और मुनियोंका भी निर्देश है किन्तु प० हरदत्त शर्माके मन्तव्यानुसार श्रेयाश्चर उपनिषदसे पहले, जिसमें 'प्रत्याश्रमिन' शब्द आया है—'आश्रम परिपार्तीका स्थापना नहीं हुई थी । प्राचीन उपनिषदोंमें केवल ब्राह्मणों, गृहस्थ और यज्ञ या मुनि इन तीन आश्रमोंके प्रमाण मिलते हैं । छान्दोग्य उप० (८-१५-१) के अनुसार गृहस्थ दशमे भी ब्राह्मणोंका प्राप्त किया जा सकता है ।

प्राचीन उपनिषदोंमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमोंमें कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । ब्राह्मण ग्रन्थोंमें यद्यपि संन्यासके प्रति कोई विरोधी भाव तो नहीं दर्शाया गया है किन्तु गृहस्थ जीवनको ही आदर्श-जीवन माना है । शतपथ ब्रा० (१३, ४-१-१) में लिखा है—'एतद् वै जरामर्यं सत्र यद् अग्निहोत्रम्' अर्थात् 'जत्र तक जिअओ अग्निहोत्र करो ।

तैत्ति० उप० (१-११-१) में लिखा है—'प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी' । अर्थात् सन्तानकी परम्पराको मत तोड़ो ।

ईशावा० उ० में लिखा है—'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा' । अर्थात् एक मनुष्यको अपने जीवन भर कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । यास्क ने अपने

१. पूना ओरियन्टल सिरीज न० ६४ में प० हरदत्त शर्माका एक विद्वत्ता पूर्ण निबन्ध 'ब्राह्मण संन्यासके इतिहास' पर प्रकाशित हुआ है । उन्हींकी खोजोंके फलस्वरूप उक्त उद्धरण प्राप्त हो सके हैं ।—ले-

निरुक्त (१४-६) में लिखा है कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों और ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मयोगियोंको एक ही देवयान गति प्राप्त होती है ।

अब धर्मसूत्रोंको लीजिये । बौधायन और आपस्तम्बमें स्पष्ट कहा है कि गृहस्थाश्रम ही मुख्य है और उसीसे अमृतत्व मिलता है । बौधायन धर्मसूत्रमें (२-६-११-३३, ३४) कहा है कि जन्मसे ही ब्राह्मण अपनी पीठ पर तीन ऋण लाता है । इन ऋणोंको चुकानेके लिये यज्ञ याग आदि पूर्वक गृहस्थाश्रमका पालन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकको पहुँचता है और ब्रह्मचर्य या सन्यासकी प्रशंसा करनेवाले धूलमें मिल जाते हैं । आपस्तम्ब सूत्र (६-२४-८) में भी ऐसा ही कथन है । आपस्तम्ब सूत्र इस बातका समर्थक नहीं है कि कोई एक बार गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके उसे छोड़कर अन्य आश्रममें प्रवेश करे । इसका यह मत नव नहीं है कि इन दोनों धर्मसूत्रोंमें सन्यास आश्रमका वर्णन नहीं है, किन्तु उसका वर्णन करके भी गृहस्थाश्रमको ही विशेष महत्त्व दिया गया है ।

यही बात हम स्मृतियोंमें देखते हैं । मनुस्मृतिके छठे अध्यायमें कहा है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रमोंसे चढ़ता चढ़ता कर्मत्यागरूप चौथा आश्रम स्वीकार करे । परन्तु सन्यास आश्रमका निरूपण समाप्त होने पर मनु ने प्रथम यह प्रस्तावना की कि 'यह यतियोंका अर्थात् सन्यासियोंका धर्म बतलाया अब वेदसन्यासियोंका कर्मयोग कहते हैं । और फिर यह कहा है कि अन्य आश्रमोंकी अपेक्षा गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है । आगे वारहवें अध्यायमें निष्काम गार्हस्थ्यवृत्तिको ही वैदिक कर्मयोग नाम देकर कहा है कि यह मार्ग भी चतुर्थ

आश्रमके समान ही मोक्षप्रद है। इसी तरह याज्ञवल्क्यस्मृतिके तीसरे अध्यायमें यतिधर्मका निरूपण करनेके पश्चात् 'अथवा' पदका प्रयोग करके लिखा है कि ज्ञाननिष्ठ और सत्यवादी गृहस्थ भी (बिना सन्यास ग्रहण किये) मुक्ति पाता है।

महाभारतमें जब युधिष्ठिर महायुद्धके पश्चात् संन्यास लेना चाहते हैं तो भीमने उस समय संन्यासके विरुद्ध जो युक्तियाँ दी हैं वे दृष्टव्य हैं। भीम कहता है—शास्त्रमें लिखा है कि जब मनुष्य संकटमें हो या बूढ़ा हो गया हो, या शत्रुओंसे त्रस्त हो तो उसे सन्यास ले लेना चाहिये। अतः बुद्धिमान् मनुष्य संसारका त्याग नहीं करते और दृष्टिसम्पन्न मनुष्य इसे नियमका उल्लंघन मानते हैं। भाग्यहीन और नास्तिक लोगो ने ही संन्यास चलाया है। आदि।

इन सब उद्धरणोंसे प्रकट है कि वैदिक धर्मने सन्यासको हृदयसे नहीं अपनाया। और इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि वह मूलतः वैदिक धर्मका अंग नहीं था, किन्तु उन लोगोका था जो वैदिक आर्योंके क्रियाकाण्डी जीवनमें भिन्न मार्गावलम्बी थे और जिन्हें वैदिक मार्गानुयायी नास्तिक कहते थे।

आत्मा, पुनर्जन्म, अरण्य, संन्यास, तप, और मुक्ति, ये सारे तत्त्व परस्परमें सम्बद्ध हैं। आत्मविद्याका एक छोर पुनर्जन्म है तो दूसरा छोर मुक्ति है, और सन्यास लेकर अरण्य में तप करना पुनर्जन्मसे मुक्तिका उपाय है। ये सब तत्त्व वैदिकेतर संस्कृतिसे वैदिक संस्कृतिमें प्रविष्ट हुए हैं। तभी तो विद्वानोका कहना है कि 'अवैदिक तत्त्वोंका प्रभाव केवल देशमें विचारोंके विकासके लिये एक नये प्रकारके दृश्यसे परिचयमें ही

लक्षित नहीं होता, किन्तु सत्य तक पहुँचनेके उपायोंके परिवर्तनमें भी लक्षित होता है। (हि० रि० ई० वे० पृ० ३२)

उक्त सभी तत्त्व सिन्धुघाटीसे गंगाघाटीमें प्रविष्ट होनेके बादसे ही परिलक्षित होते हैं। इसीसे प्रो० वरुश्चाने अपने बुद्धपूर्व भारतीय दर्शनके इतिहासमें वैदिक कालको, वैदिक काल, वैदिक पश्चात् काल और न्यू वैदिक काल—इन तीन कालोंमें विभाजित करके ऋग्वेद कालको वैदिक काल कहा है और उसके पश्चात्से वैदिक पश्चात् कालका आरम्भ माना है।

यद्यपि ऋग्वेदके दसवें मण्डलमे कुछ दार्शनिक विचारोंका आभास है, किन्तु उसमे चार वर्णोंका निर्देश आदि कुछ ऐसी बातें भी पाई जाती है, जिनके कारण उस मण्डलको बादकी रचना माना जाता है। तथा (यद्यपि ऋग्वेदकी रचना सिन्धुघाटी मे हुई तथापि उसका दसवाँ मण्डल यमुनाकी घाटीमें रचा गया, ऐसा विद्वानोंका मत है) (रि० लि० इ०, पृ० १५, कै० हि० जि० १, पृ० ६३)।

इसी दसवें मण्डलमे प्रजापति परमेष्ठी, हिरण्यगर्भ और वातरशन (नग्न) मुनियोंका उल्लेख है, जिनकी चर्चा हम आगेके प्रकरणमें करेंगे। प्रो० वरुश्चाने वैदिक पश्चात् काल और न्यू वैदिक कालके बीचमें याज्ञवल्क्यको सीमाचिन्ह माना है। अर्थात् याज्ञवल्क्यके साथ वैदिक पश्चात्कालका अन्त और न्यू वैदिक कालका आरम्भ होता है। शतप० ब्रा० में श्वेत केतुको याज्ञवल्क्यका समकालीन बतलाया है। प्रो० वरुश्चानेके मतानुसार (हि० प्रो० इ० फि० पृ० १६१) भारतीय धर्मोंके इतिहासमे इस कालको श्रमण ब्राह्मणकाल संज्ञा दी जा सकती है। वैदिक-पश्चात्कालके विचारकोंमें याज्ञवल्क्य ही प्रथम विचारक है जिन्होंने

श्रमणोंकी ओर लक्ष्य दिया। श्रमणोंके मित्राय तापसोंका भी उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। उस कालमें विभिन्न विचारक संस्थाएँ थीं, जिन्हें रथूल रूपसे श्रमणों और ब्राह्मणों तथा तापसों और परिव्राजकोंमें विभाजित किया जा सकता है।

श्रमण परम्परा

भारतवर्षके धार्मिक इतिहासमें हमें दो विभिन्न परम्पराओंके दर्शन होते हैं। उनमें एक परम्परा ब्राह्मणोंकी है और दूसरी परम्परा श्रमणोंकी है। भारतवर्षका क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध और महावीरके कालसे प्रारम्भ होता है। उस कालमें लेकर इन दोनों परम्पराओंका पृथक्त्व बराबर लक्षित होता है।

'सिकन्दरके समकालीन ग्रूनानी लेखकों ने साधुओंकी दो श्रेणियोंका निर्देश किया है—एक श्रमण और एक ब्राह्मण। अशोकके शिलालेखोंमें श्रमणों और ब्राह्मणोंका पृथक् पृथक् निर्देश है। पतञ्जलिने अपने महाभाष्य (सू० २-४-१२) में श्रमण और ब्राह्मणमें शास्त्रतिक विरोध बतलाया है।

(श्रे० जैन आगमोंमें श्रमण पाँच प्रकारके बतलाये हैं— निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरुक और आजीवरु। जैन साधु निर्ग्रन्थ श्रमण, बौद्ध साधु शाक्य श्रमण, जटाधारी वनवासी तापस, लाल बख्तधारी साधु गैरुक और गोशालकके अनुयायी साधु आजीवरु कहे जाते हैं) (अभि० रा०, 'श्रमण' शब्द)।

(वाल्मीकि रामायणमें (सर्ग १८ पृ० २८) ब्राह्मण, श्रमण और तापसोंका पृथक् पृथक् उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि तापस लोग ब्राह्मणोंसे भिन्न थे। श्रमणोंकी तरह ही तापस और परिव्राजक भी प्राचीन है।)

श्वे० जै० आगमोमे आठ प्रकारके ब्राह्मण परिक्राजक और आठ प्रकारके क्षत्रिय परिव्राजक बतलाये हैं। (अभि० रा०, 'परिव्राजक' शब्द)। (अगुत्तर (४-३५) में भी परिव्राजकोंके दो भेद किये हैं ब्राह्मण और एक अन्नतिथिय (अब्राह्मण)। साधुओंमें ब्राह्मण और क्षत्रियका यह भेद उल्लेखनीय है। और यह ब्राह्मण और क्षत्रियके उस पारस्परिक भेदको बतलाता है जो न केवल वर्णगत था किन्तु विचारगत और उच्चत्वगत भी था।)

महावीर और बुद्ध दोनोंके अनुयायी साधु श्रमण कहे जाते थे और महावीर तथा बुद्ध दोनों प्रब्रज्या ग्रहण करनेके पश्चात् महाश्रमण कहलाये थे। ये दोनों क्षत्रिय थे। दोनों वेद और ब्राह्मण परम्पराके विरोधी थे। किन्तु वैदिक संस्कृतिमें जो तत्त्व पीछेसे प्रविष्ट हुए—आत्मविद्या, पुनर्जन्म, तप, मुक्ति आदि, उन सबको दोनों मानते थे। यद्यपि बुद्ध आत्म तत्त्वके पक्षपाती नहीं थे किन्तु महावीर तो क्षत्रियोकी आत्मविद्याके समझ ही नहीं किन्तु सुयोग्य उत्तराधिकारी थे। उन्हें वह ज्ञान अपने पूर्वज क्षत्रिय पार्ष्वनाथकी परम्परासे प्राप्त हुआ था।

यहाँ श्रमणोंकी प्राचीनताके सम्बन्धमें थोड़ा सा प्रकाश डालना उचित होगा।

(बृह० उप० (४-३-२२) में तापसके साथ श्रमण शब्द भी आता है। आचार्य शंकर ने श्रमणका अर्थ परिव्राजक और तापसका अर्थ वानप्रस्थ किया है। तैत्ति० आर० में भी यह शब्द जिस वाक्यमें आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य इस प्रकार है—वात रशना ह वा ऋषय श्रमणा, ऊर्ध्वमन्थिनो वसुवुः। (२-७)। वातरशन (नग्न) ऋषि श्रमण थे। सायणने 'ऊर्ध्व-

मान्थेन ' का अर्थ ऊर्ध्व रेता किया है । अतः श्रमण नग्न और पवित्र होते थे यह इस वाक्यका अर्थ है।

ऋग्वेद (१०-१३६-२) में भी मुनियोंके विशेषण रूपसे 'वातरशना' शब्द आया है । यहा मुनियोंको नग्न या पीले और मैले वस्त्रधारी बतलाया है । यद्यपि तैत्ति० आर० के अनुसार 'वातरशन' शब्दका अर्थ नग्न होता है किन्तु सायण ने इसका अर्थ 'वातरशनस्य पुत्रा' किया है । यथा—

‘वातरशना वातरशनस्य पुत्रा मुनयोऽतीन्द्रियार्थदर्शिनो जृतिवात जृतिप्रभृतयः पिशगाः पिशगानि कपिलवर्णानि मला मलिनानि वल्कल रूपाणि वासासि वसते आच्छादयन्ति ।’

किन्तु सायणके इस अर्थको किसी भी प्राच्यविद्याविशारदने मान्य नहीं किया है सवने इसका अर्थ नग्न ही लिया है । विक्रम की नौवीं शतीके जैनाचार्य जिनसेनने अपने महापुराणमें प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेवको वातरशन बतलाकर उसका अर्थ नग्न ही किया है । यथा—

‘दिग्वासा वातरशनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बरः’ ।

ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि बृहदा० उप० और तैत्ति० आर० के समयमें श्रमण वर्तमान थे , और वे नग्न तथा उर्ध्वरेता होते थे । यद्यपि तै० आ० में वातरशना शब्दका प्रयोग इस रूपमें किया गया है कि वह व्यक्ति वाचक संज्ञा सा प्रतीत होता है किन्तु 'वात है रशन-वेष्टन जिनका' यह व्युत्पत्ति ही इस शब्दका आधार जान पड़ती है । अतः ये नग्न मुनि ऋग्वेदकालमें भी मौजूद थे ।

१—वै० इ० में वातरशन शब्द,

अथर्ववेद (२-५-३) में एक कथा इन्द्रके द्वारा यतियोंका बध किये जानेकी आई है। यह कथा एतरे० ब्रा० (७-२८) और पञ्चविंश ब्राह्मण (१३-४-७, ८-१-४) में भी आई है। सायण ने उसके भाष्यमें उन यतियोंके बारेमें लिखा है—

यतिर्न—यतयो नाम नियमशीला आसुर्या प्रजाः . यद्वात्र यतिशब्देन वेदान्तार्थविचारशून्याः परिव्राजका विवक्षिताः । (अथर्व०)

‘यति माने व्रत नियमका पालन करनेवाले असुर लोग। अथवा यहा यति शब्दसे वेदान्तके विचारसे शून्य परिव्राजक लेना चाहिये’ ।

पञ्च० ब्रा० की व्याख्यामें सायणने एक स्थान पर यतिका अर्थ ‘यजन विरोधीजना’ किया है और दूसरी जगह ‘वेद विरुद्ध नियमोपेता’ किया है। अर्थात् जिन यतियोंको इन्द्रने मारा, वे सब यज्ञ यागादिके विरोधी और वेदविरुद्ध व्रत-नियमादिका पालन करने वाले थे।

ऋग्वेदके वातरशन^१ मुनि, जिन्हें तै० ब्रा० में श्रमण बतलाया है, और इन्द्रके द्वारा मारे गये यति एक^२ ही प्रतीत होते हैं। और इसलिये वेदविरुद्ध नियमादिका पालने करने वाले तथा यज्ञ-विरोधी नग्न श्रमणोंकी परम्परा का अस्तित्व ऋग्वेद काल तक जाता है।

इसके सिवा ‘आश्रम’ शब्दकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रो०

१—श्री मद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें ऋषभदेवका वर्णन करते हुए भी श्रमणोंको ‘वातरशन’ कहा है। यथा—‘वातरशनानां श्रमणानामृषीणाम् ।’ २—हि० ब्रा० एसे०, पृ० १६ ।

विण्टरनीट्स ने जो प्रकाश उला है वह भी उस पर विशेष प्रकाश डालता है। वह कहते हैं—

“जिस ‘श्रम’ धातु से ‘श्रमण’ शब्द बना है उसीमें ‘आश्रम’ शब्द भी निष्पन्न हुआ है। अतः प्रारम्भमें ‘आश्रम’ शब्द प्रायः श्रमणोंके धार्मिक कृत्य का सूचक था। उसके कारण यह शब्द धार्मिक कृत्यके स्थानका भी सूचक हुआ।”

अतः ‘आश्रम’ शब्दका सम्बन्ध भी मूलतः श्रमणोंसे ही जान पड़ता है। और उससे श्रमण परम्परा का प्रभावशाली प्राचीन परम्परा प्रमाणित होती है। भ० महावीरका सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय कहा जाता था क्योंकि उनके अनुयायी साधु बाण और अन्तरंग ग्रन्थ (परिग्रह) से रहित होते थे। उससे यह स्पष्ट है कि निर्ग्रन्थ परम्परा साधु परम्परा थी और निर्ग्रन्थ धर्म साधुओंका धर्म था। अतः महावीरके अनुयायी साधु जो परित्राजक, सन्यासी, तपस्वी आदि न कहलाकर श्रमण ही कहलाये, इससे अवश्य ही कुछ विशिष्ट कारण होना चाहिये— और वह विशिष्ट कारण यही हो सकता है कि श्रमण परम्परा अपना कुछ वैशिष्ट्य रखती थी—जो वैशिष्ट्य केवल तत्कालीन नहीं था, किन्तु परम्परागत था, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थोंमें जो श्रमणों और तापसोंका प्रथम बार उल्लेख मिलता है उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण कालमें तापसों और श्रमणोंकी सस्था प्रकाशमें आई, या ब्राह्मणलोग इनके परिचयमें आये, न कि तापस और श्रमण सम्प्रदायका जन्म हुआ।

प्रायः सभी विदेशी लेखकोंने वैदिक साहित्यमें पीछेसे प्रविष्ट

हुए सन्यासमार्गको निराशावाद कहा है। किन्हींका कहना है कि पुनर्जन्मके सिद्धान्तने निराशावादको जन्म दिया (कै० हि० पृ० १४४)। और किन्हींका कहना है कि जब आर्यलोग गंगाकी घाटीमें आकर बसे तो पूरवकी गर्मी उनसे न सही गई फलतः इस निराशावादी संन्यासाश्रमका जन्म हुआ।

[जो पुनर्जन्मके सिद्धान्तको तथोक्त निराशावादका जनक मानते हैं वही यह भी लिखते हैं कि—'इस सिद्धान्तकी असाधारण सफलता बतलाती है कि यह सिद्धान्त भारतीय जनताकी आत्मा के साथ एकलय था और उसका जो संभाव्य परिणाम हो सकता था वही हुआ, ब्राह्मण कालके अन्त तक आर्य प्रभाव मुरझा गया और बुद्धिवादी वर्गोंका यथार्थ भारतीय चरित्र निश्चित रूपसे माकार हो गया) (कै० हि०, जि० १, पृ० १४४)।

उक्त शब्दोंसे ही स्पष्ट है कि पुनर्जन्मका सिद्धान्त भारतीयोंके लिए कोई नया नहीं था—वह तो उनकी आत्माके साथ सम्बद्ध था, उसके प्रकाशमें आते ही आर्यप्रभाव जाता रहा और भारतीय आत्माका यथार्थ रूप चमक उठा। अतः जिसे विदेशी विद्वान भारतीय आत्माके यथार्थ रूपको न पहचान सकने के कारण निराशावाद कहते हैं, वास्तवमें वह निराशावाद ही भारतकी सच्ची आत्मा रहा है।

जिनका कहना है कि गंगाघाटीकी असह्य गर्मीने इस तथोक्त निराशावादको जन्म दिया, वे उनमेंसे हैं जो समस्त भारतीय आचार-विचारोंका मूल वैदिक साहित्यको ही मानते हैं। किन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। यह हम लिख आये हैं।

दूसरे, वैदिक कालमें ही हम मुनियोसे मिलते हैं, जो ब्राह्मणों से भिन्न थे। तथा नग्न रहते थे। वै० इ० (मुनिशब्द) में ठीक

ही लिखा है कि वैदिक ग्रन्थोंमें मुनियोंका विशेष निर्देश न होनेसे यह परिणाम निकालना कि वैदिक कालमें मुनि विरल थे, ठीक नहीं है, किन्तु सम्भवतया ब्राह्मण उन्हें नहीं मानते थे क्योंकि दोनोंके आदर्श भिन्न थे। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि प्राचीन और अर्वाचीन मुनिमें मौलिक भेद था। किन्तु इतना अवश्य है प्राचीन मुनि उतना सन्त नहीं था।

इन्हीं मुनियोंमें ऐसे भा मुनि थे जिन्हें वैदिक क्रियाकाण्डमें आस्था नहीं थी। ये मुनि क्या करते थे, यह तो स्पष्ट नहीं होता, किन्तु अवश्य ही वे सासारिक जीवनके प्रति उदासीन थे—उनका नग्न रहना ही इस बातका सूचक है। ये मुनि ही श्रमण परम्पराके पूर्वज हो सकते हैं।

अत तथोक्त निराशावादी धर्म गंगाघाटीकी गर्मीकी उपज नहीं है, किन्तु भारतकी आत्मामें अनुस्यूत पुनर्जन्मके सिद्धान्तकी तरह ही परम्परागत है। अतः ब्राह्मणोंकी तरह श्रमणोंकी परम्परा भी प्राचीन प्रतीत होती है। इसी श्रमण परम्पराके आद्यप्रवर्तकके रूपमें ऋषभदेवकी मान्यता है। डा० आर० जी० भण्डारकरने लिखा है—‘प्राचीन कालसे ही भारतीय समाजमें ऐसे व्यक्ति मौजूद थे, जो श्रमण कहे जाते थे। ये ध्यानमें मग्न रहते थे और कभी-कभी मुक्तिका उपदेश देते थे, जो प्रचलित धर्मके अनुरूप नहीं होता था।’ (क० व० भा. जि० १ पृ० १०)।

वैदिक साहित्यके अनुशीलनके पश्चात् अब हम दूसरे साधन प्राचीन अवशेषोंकी ओर आते हैं।

प्राग् ऐतिहासिक कालीन अवशेष

भारतवर्षका इतिहास भारतमें आर्योंके आगमनसे प्रारम्भ होता आया है। और भारतकी सभ्यता, धर्म और ज्ञान-विज्ञानकी उन्नतिका श्रेय भी आर्योंको ही दिया जाता रहा है। आर्योंके आगमनसे पूर्व भारतमें जो जातियाँ बसती थीं वे जगली थीं, यही हम बचपनसे पढ़ते आये हैं। किन्तु इस चित्रका दूसरा पहलु भी है, जिसकी ओर कुछ विद्वान अन्वेषकोंका ध्यान आकृष्ट हुआ था और जिसका उल्लेख डा० कीथने अपनी पुस्तक 'दी रिलीजन एण्ड फिलासोफी आफ वेद एण्ड उपनिषदाज्' में किया है। वह लिखते हैं (पृ० ९-१०) एक दूसरी कल्पना अभी ही की गई है कि ऋग्वेद में जिस धर्मका उल्लेख है वह आर्योंका नहीं है, किन्तु भारतके आदिवासियोंका, अनुमानतः द्रविडोंका है, जो स्पष्ट रूपसे भारतके प्राचीन निवासियोंमें सबसे प्रमुख हैं। इतना लिखकर डा०कीथ पुनः लिखते हैं—“इस मान्यताके साथ मि० हल्लके इस दृष्टिकोणको भी सम्बद्ध किया जा सकता है कि 'सुमेरियन लोग मूलतः द्रविड थे। उन्होंने सिन्धुकी घाटीमें अपनी सभ्यताको विकसित किया और तब अर्ध भ्रमणशील सेमिट लोगोंको उससे परिचित कराया—उन्हे लिखनेकी कला, नगर-निवास और पाषाणके मकान बनाना सिखलाया। जिन आर्योंने भारत पर आक्रमण किया उन्हे भी द्रविडोंने सुसभ्य बनाया।” किन्तु मि० हल्लके इस दृष्टिकोणके सम्बन्धमें प्राणलेवा कठिनाई यह है कि एक भी प्रमाण ऐसा उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा इसे कभी भी सत्य बनाया जा सके। यदि सुमेरियन मूलतः द्रविड थे और सिन्धुघाटीमें उच्च सभ्यताके स्वामी थे तो यह बात उल्लेखनीय है कि भारतमें इस उच्चसभ्यताका कोई चिन्ह

नहीं मिलता । क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं भारतने सेमिट लोगोसे ईस्वी पूर्व आठसौस पहले लेखनकला नहीं सीखी थी । और ऋग्वेदकालके बहुत बादमे उसने पापाणके मकान बनाना और नगरोंमे रहना प्रारम्भ किया था । सुमेरियन लोगोके द्वारा सिन्धु घाटीमे जिन पत्थरके मकानोके बनानेका अनुमान किया जाता है, उनका चिन्ह भी नहीं मिलता । और ऋग्वेदका जो सबसे अर्वाचीनकाल माना जाता है उससे भी बहुत सी शताब्दियां बीतने पर हमे द्रविड सभ्यताके ऐतिहासिक तथ्यके रूपमे दर्शन होते हैं । अतः ऋग्वेदकी सभ्यताको द्रविडोकी मानना केवल कल्पना मात्र है ।”

ऋग्वैदिक सभ्यतामे द्रविडोके प्रभावको कोरी कल्पना कहकर उडा देनेवालोमें डा० कीथ जैसे अनेक विद्वान थे, क्योंकि उस समय तक, जैसा डा० कीथने लिखा है, भारतमे आर्योंके आगमनसे पूर्वकी किसी उच्च द्रविड सभ्यताके विस्तारका कोई चिन्ह लक्षित नहीं हुआ था और सर्वत्र आर्योंका जादू छाया हुआ था । किन्तु यह जादू बीसवीं शतीकी नई खोजोके फल स्वरूप ‘छू मन्तर’ हो गया ।

अब यह बात मान ली गई है कि आर्योंके भारत प्रवेशके समयसे बहुत सी शताब्दियां पूर्व सिन्धु घाटीमे एक आश्चर्यजनक आर्यपूर्व सभ्यता बतमान थी और वह प्रसिद्ध वैदिककालीन सभ्यतासे उच्चतर थी । (पंजाबके माण्डुगुमरी जिलेमें रावीके तटपर स्थित ‘हरप्पा’ नामक स्थानसे समय-समयपर पृथ्वीसे निकलने वाली सीलोंने, जिनपर अपरिचित लिपि अंकित थी, विद्वानोके सम्मुख एक समस्या खड़ी कर दी थी, जिसके कारण इन सीलोको लेकर एक ओर अनेक कल्पनाएँ उठती थी

तो दूसरी ओर अनेक सन्देह उत्पन्न होते थे। किन्तु अन्तमें प्राचीनकालके भूले हुए आश्चर्यके द्वार खोल डाले गये।

सिन्धु घाटी सभ्यता

५६२१ मे स्व० डा० बनर्जी सिन्धुप्रान्तके लरकाना जिलेमे सिन्धुके तट पर स्थित मोहेञ्जोदडोमे बौद्ध अवशेषोंकी खोजमें व्यस्त थे। वहाँसे कुछ उसी तरहकी सीलें प्राप्त हुईं जैसी हरप्पासे प्राप्त हुई थीं। इस खोजके महत्त्वको जानकर बौद्ध विहारसे पूरवकी ओर खुदाई की गई और वहाँसे ऐसे महत्त्वके अवशेष प्राप्त हुए जो बौद्ध अवशेषों से दो या तीन हजार वर्ष पूर्वके थे। इन खोजोंके फलस्वरूप यह स्थिर हुआ कि मोहेञ्जोदडो और हरप्पामें आर्यपूर्व कालीन नगर विद्यमान थे और वहाँ से प्राप्त अवशेष एक ही आर्यपूर्वकालीन सभ्यतासे सम्बद्ध है। जिसका काल ईसासे चार हजार वर्ष पूर्व है। तथा भारतमें आर्योंका प्रवेश ईस्वी पूर्व दो हजार वर्ष तक नहीं हुआ। और उनकी सभ्यताका सिन्धुघाटीमें फैली हुई सभ्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं था, जो स्पष्ट रूपसे द्रविडोंकी अथवा आदिद्रविडोंकी सभ्यता थी, जिनके उत्तराधिकारी दक्षिण भारतमें निवास करते हैं। (प्रीहि० इ, भू० पृ० ८)।

सिन्धुघाटीके ये प्राचीन निवासी कृषक और व्यापारी थे। और उनकी उच्च सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा सुनियोजित और अच्छी रीतिसे निर्मित नगरोंसे लक्षित होती है। मोहेञ्जोदडोमें पास-पास चारों ओर मार्ग बने हुए थे—इमारतें पक्की ईंटोंसे बनाई जाती थीं। मकानोंमें द्वार, खिड़कियां, पक्के फर्श और नालियाँ होती थीं। तथा स्नानागार, आदि अन्य सुविधाएँ भी रहती थीं। अनेक प्रकारके बर्तन बनाये जाते थे। ताम्बा, टीन

और सीसेका उपयोग होता था। सोने-चांदी और हाथी दात आदिके जेवर बनते थे। पत्थरका उपयोग इतनी स्वतंत्रतासे किया जाता था कि प्राचीन वास्तुशास्त्रवेत्ता सिन्धुघाटीके प्राचीन निवासियोंको पत्थर और धातुकालके बीचके परिवर्तनकालका मानते हैं। घरेलु जानवरोंमें हाथी, ऊट, भेड़, सुअर, कुत्ता, भैंसा, और ककुद् (पीठ पर उठा हुआ भागवाले मवेशी) थे। जौं, गेहूं और कपासकी खेती होती थी। कातना और बुनना उन्नत दशामें था।

इस प्रकार द्रविड़ लोगोकी अपनी एक पृथक् सभ्यता थी। वे शवोको पाषाणकी बनी कब्रोंमें रख देते थे। शवों अथवा उनकी अस्थियोंसे युक्त मिट्टीके पात्र मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, परसिया, बलुचिस्तान, सिन्ध और दक्षिण भारतमें मिले हैं। जब उन द्रविड़ोका सम्पर्क वैदिक आर्योंसे हुआ, जो अपने मुर्दोंको जलाते थे, तो द्रविड़ोंने भी अपने मुर्दोंको जलाना शुरु कर दिया, किन्तु मिट्टीके पात्रमे कुछ अस्थियोंको रखकर भूमिमें गाढ़नेकी अपनी प्राचीन प्रथाको जारी रखा।

क्या द्रविड़ लोग मुर्दोंको इस लिये पृथ्वीमें गाढ़ देते थे कि लौटने पर आत्माको पुनः वही शरीर मिल सके ? क्या यही पुनर्जन्मका सिद्धान्त है ?

किन्तु मोहेज्जदों या हरप्पासे एक भी ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई, जिसे स्पष्ट रूपसे धार्मिक महत्त्व दिया जा सके। वहाँ ऐसी कोई इमारत नहीं मिली जिसे स्पष्ट रूपसे मन्दिर कहा जा सके। आज तक इस सम्बन्धमें जो कुछ विश्लेषण किया गया है वह केवल अनुमान और कल्पनाके आधारपर ही किया गया है।

मिट्टीकी बनी आकृतियों और मूर्तियोंसे यह पता चलता है कि दुर्गा और शिवलिंगको पूजनेकी प्रथा द्रविड़ोमें प्रचलित थी। और इस तरह शिवपूजा बहुत प्राचीन मानी जाती है।

योग सम्प्रदाय वेदोसे भी प्राचीन है। मोहेंजोदड़ो निवासी योगकी प्रणालियोंसे भी परिचित थे। योगशास्त्रोंके अनुसार योगके लिए तीन वस्तुएँ आवश्यक है—आसन, मस्तक ग्रीवा और धडका सीधा रहना तथा अर्ध निष्मीलित नेत्र जो नासिका के। अग्रभाग पर स्थिर हों। श्री रामप्रसाद चन्दाके अनुसार मोहेंजोदड़ोसे प्राप्त पत्थरकी मूर्ति जिसे मि० मैके पुजारीकी मूर्ति बतलाते हैं, वह योगी की मूर्ति है।

सिन्धु घाटीके वासी मनुष्योका धर्म क्या था ? इस विषयमें विचार करते हुए श्री रामप्रसाद चन्दाने लिखा था—“सिन्धवासी मनुष्योंके धर्मके विषयमें सूचना प्राप्त करनेका प्रमुख उपाय मोहेंजोदड़ों और हरप्पासे प्राप्त मोहरों (seals) का बृहत् सग्रह है। उन मोहरों पर अंकित गूढ़ाक्षरोंको अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है और इसीसे उनका भाषान्तर भी नहीं हो सका है। इससे हमे केवल उनके अकार-प्रकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उन मोहरोंपर पशुओंके चित्र अंकित हैं। किन्तु इस परसे यह अनुमान करना कि सिन्धु घाटीके मनुष्योका धर्म पशुपूजा था, या उनके देवता पशुरूप थे, बड़ा गलत होगा। जैसा कि भरहुत और सॉचीके स्तूपोंका निर्माण करानेवाले बौद्ध साधुओंका धर्म वृत्तों और सर्पोंकी पूजा अनुमान कर लेना गलत है। भरहुत और सॉचीके स्तूपोका निर्माण करानेवालोंके धर्मकी रीढ़ उन बुद्धों अथवा मानवोंकी पूजा थी, जिन्होंने ध्यान, समाधि अथवा योगके द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। इसमें तो कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि सिन्धु घाटीका धर्म भी इतना ही

अभ्युन्नत था। किन्तु यह बतलानेके लिये पर्याप्त प्रमाण है कि उसने भी ठीक उसी मार्ग पर चलना आरम्भ किया था।

(इतना स्पष्ट करके श्री चन्दा आगे लिखते हैं—'वैदिक विधि विधानको छोड़कर योग शेष समस्त ऐतिहासिक भारतीय धर्माका मूल है। समस्त भारतीय सम्प्रदाय मानते हैं कि योगकी साधना के लिए आसन सर्वथा आवश्यक है। श्वेताश्वर उपनिषद् (२-८) के अनुसार छाती, सिर और गर्दनको एक सीधमें रखना योगका मूल है। भगवद्गीतामें (६-१३) इसमें इतना और जोड़ा गया है कि दृष्टिको डधर उधर न घुमाकर नाकके अग्रभाग पर रखना चाहिये। पाली और संस्कृतके बौद्ध ग्रन्थोंमें लिखा है कि बुद्ध स्वयं ध्यान करते थे और दूसरोंको भी पर्यङ्कासनसे ध्यान करनेका उपदेश देते थे। कालिदासने कुमारसम्भवमें (२, ४५-४७) शिवके पर्यङ्कासनसे बैठने आदिका वर्णन किया है। पतञ्जलिने योगदर्शन (२-४६) में लिखा है कि शरीरकी स्थिति सीधी और सरल होनी चाहिये। 'दिगम्बर जैन ग्रन्थ आदि पुराण (पर्व २१) में ध्यानका वर्णन करते हुए दृष्टिके विषयमें लिखा है कि आंखें न तो एक दम खुली हुई हों और न एक दम बन्द हों। — तथा लिखा है कि कायोत्सर्ग और पर्यङ्क ये दो सुखासन हैं, इनके सिवाय शेष सब विषम आसन हैं। पर्यङ्कासनकी जैन परिभाषा तो बौद्धों और ब्राह्मणोंसे मिलती हुई है किन्तु कायोत्सर्ग आसन जैन है। आ० पु० के १८वें पर्वमें प्रथम तीर्थ-ङ्कर ऋषभदेवके ध्यानका वर्णन इस दृष्टिसे उल्लेखनीय है।)

भारतीय धर्मोंमें योगकी स्थितिका निर्देशकरके आगे पुनः श्रीचन्दा पुनः लिखते हैं—'सोहे-जो-दड़ोसे प्राप्त लाल पाषाणकी मूर्ति, जिसे पुजारीकी मूर्ति समझ लिया गया है, मुझे एक योगीकी मूर्ति प्रतीत होती है। और वह मुझे इस

निष्कर्ष पर पहुँचनेके लिये प्रेरित करती है कि सिन्धुघाटीमें उस समय योगाभ्यास होता था और योगीकी मुद्रामें मूर्तियां पुजी जाती थी। मोहें जा दड़ो और हरप्पासे प्राप्त मोहरों जिनपर मनुष्यरूपमें देवोंकी आकृति अंकित है, मेरे इस निष्कर्षको प्रमाणित करती हैं। १)

‘सिन्धुघाटीसे प्राप्त मोहरों पर बैठी अवस्थामें अंकित देवताओंकी मूर्तियां ही योगकी मुद्रामें नहीं हैं किन्तु खड़ी अवस्थामें अंकित मूर्तियां भी योगकी कायोत्सर्ग मुद्राको बतलाती हैं, जिसका निर्देश ऊपर किया गया है। मथुरा न्युजियममें दूसरी शतीकी, कायोत्सर्गमें स्थित एक वृषभदेव जिनकी मूर्ति है। इस मूर्तिकी शैलीसे सिन्धुसे प्राप्त मोहरों पर अंकित खड़ी हुई देवमूर्तियोंकी शैली बिल्कुल मिलती है। ... मिश्र देशमें प्राचीन वंशोंके समयकी मूर्ति निर्माणकलामें भी दोनों ओर हाथ लटकाकर खड़ी हुई छोटी मूर्तियां मिलती हैं। यद्यपि ये मूर्तियां भी उसी शैलीकी हैं किन्तु सिन्धु-मोहरों पर अंकित खड़ी आकृतियोंमें और कायोत्सर्गमें स्थित जिनकी मूर्तियोंमें जो विशेषताएं हैं, उनका उन मूर्तियोंमें अभाव है।’ १)

‘ऋषभ या वृषभका अर्थ होता है बैल, और ऋषभ देव तीर्थङ्करका चिन्ह बैल है। मोहर नं० ३ से ५ तकके ऊपर अंकित देव मूर्तियोंके साथ बैल भी अंकित है जो ऋषभका पूर्वरूप हो सकता है। शैवधर्म और जैनधर्म जैसे दार्शनिक धर्मोंके प्रारम्भको पीछे ठेल कर ताम्रयुगीन कालमें ले जाना किन्हींको अवश्य ही एक साहस पूर्ण कल्पना प्रतीत होगा। किन्तु जब एक व्यक्ति ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक सिन्धुघाटी सभ्यताके बीचमें एक अगम्य भाड़ी भंखाड़ होनेकी उससे भी साहसपूर्ण कल्पना करनेके लिये तैयार है तो यह अनुमान कि सिन्धु मोहरों पर

अकित वैठी हुई और खड़ी हुई देव मूर्तियोंकी शैलीमें घनिष्ठ सादृश्य उस सुदूर कालमें योगके प्रसारको सूचित करता है, एक कामचलाऊ कल्पनाके रूपमें मानलेनेके योग्य है। और आध्यात्मिक विचार सरणी पर पहुँचें बिना योगाभ्यास करना संभव नहीं है।" (मार्टन रिव्यु जून १९३२ में श्री चन्दा के लेख से)

डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी 'हिन्दू सभ्यता' नामक पुस्तकमें श्री चन्दाके उक्त मतको मान्यता देते हुए लिखा है— 'उन्होंने (श्री चन्दाने) ६ अन्य मुहरों पर खड़ी हुई मूर्तियोंकी ओर भी ध्यान दिलाया है। फलक १२ और ११८ आकृति ७ (मार्शलकृति मोहेजोदड़ो) काथोत्सर्ग नामक योगासनमें खड़े हुए देवताओंको सूचित करती हैं। यह मुद्रा जैन योगियोंकी तपश्चर्यामें विशेष रूपसे मिलती है, जैसे मथुरा संग्रहालयमें स्थापित तीर्थङ्कर श्री ऋषभ देवताकी मूर्तिमें। ऋषभका अर्थ है वैल, जो आदिनाथका लक्षण है। मुहर संख्या F. G H. फलक दो पर अंकित देवमूर्तिमें एक वैल ही बना है, संभव है यह ऋषभका ही पूर्वरूप हो। यदि ऐसा हो तो जैव धर्मकी तरह जैनधर्मका मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धुसभ्यता तक चला जाता है। इससे सिन्धु सभ्यता एव ऐतिहासिक भारतीय सभ्यताके बीचकी खोई हुई कड़ीका भी एक उभय-साधारण सांस्कृतिक परम्पराके रूपमें कुछ उद्धार हो जाता है।" (हि० स० २३-२४)

यह पहले लिख आये हैं कि सिन्धु घाटीकी सभ्यता वैदिक सभ्यतासे भिन्न थी। वैसे ही जैसे श्रमण परम्परा ब्राह्मण परम्परासे भिन्न है। ब्राह्मण परम्परा मूलतः ब्राह्मणोंकी परम्परा है और श्रमण परम्परा श्रमणोंकी योगियोंकी परम्परा है, क्योंकि जैन और बौद्ध साधु श्रमण कहे जाते थे और वे एक

तरहके योगी होते थे। ब्राह्मण परम्परामें तो योगका प्रवेश बहुत वादमें हुआ है।

दोनों सभ्यताओंमें भेद होते हुए भी ऋग्वैदिककालीन आर्य सिन्धु सभ्यतासे परिचित थे ऐसा मत डा० रा० मुकर्जीका है। उनका कहना है कि 'ऋग्वेदकी सामग्रीके सम्यक् पर्यालोचनसे यह ज्ञात होगा कि उसमें जो अनार्य लोगोके और उनकी सभ्यताके उद्धरण हैं, वे सिन्धुके निवासी जनोपर लागू हो सकते हैं। अनार्यो अथवा भारतीय आदिम निवासियोंके बारेमें ऋग्वेदमें भी बहुत सी सामग्री है। आर्येतरोको उसमें दास, दस्यु या असुर कहा गया है। इसमें अनार्यसभ्यताओंकी कुछ सार्थक विशेषताओंका उल्लेख है जो सिन्धु सभ्यताकी सूचक और उसके सदृश हैं। उदाहरणके लिए आर्येतरो लोगोको अपरिचित भाषामें बोलनेवाला (मृद्धवाक्), वैदिक कर्मोंसे रहित (अकर्मन्) वैदिक देवोंके न माननेवाला (अदेवयु), श्रद्धा और धार्मिक विश्वाससे रहित (अब्रह्मन्), यज्ञोंसे शून्य (अयज्वन्), एवं व्रतोंसे रहित (अव्रत) कहा गया है वे केवल अपने नियमोंका पालन करनेवाले (अपव्रत) थे। इन नकारात्मक संकेतोंके अतिरिक्त एक निश्चयात्मक सूचना अनार्योंके विषयमें यह भी दी गई है कि वे लिंगपूजक थे (शिशनदेवाः, ऋ० ७।२१५, १।१६।३।)।' (हि० स० पृ० ३२-३)। ऋग्वेदके उक्त निषेधात्मक विशेषण जो अनार्योंके लिए प्रयुक्त हुए हैं—वे सब यही बतलाते हैं कि अनार्यलोग वैदिक सभ्यताके अनुयायी नहीं थे।

शिशन देवाः

ऋग्वेदके दो सूक्तोंमें 'शिशनदेवाः' शब्द आया है। इसमें से प्रथममें (७-२१-५) इन्द्रदेवसे प्रार्थनाकी गई है कि शिशनदेव

हमारे यज्ञमें विघ्न न डालें। दूसरेमें (१०-६६-३) इन्द्रके सम्बन्धमें कहा गया है कि उसने शिश्रुदेवको चालाकीसे मारकर शतद्वारों वाले दुर्गकी निधि पर कब्जा कर लिया। इससे स्पष्ट है कि शिश्रुदेव वैदिक नहीं थे।

प्रायः सभी विद्वानोंने 'शिश्रुदेवा' का अर्थ शिश्रुको देवता माननेवाले अर्थात् लिंगपूजक किया है। किन्तु इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है—शिश्रुयुत देवताको माननेवाले, अर्थात् जो नगे देवताओंको पूजते हैं। सिन्धुघाटीसे प्राप्त मूर्तियोंके प्रकाशमें यही अर्थ ठीक प्रमाणित होता है। मोहेजोदड़ोंसे प्राप्त योगीकी मूर्ति तो नग्न हैं ही, किन्तु जिसे शिवकी मूर्ति माना जाता है उसमें भी लिंग अंकित है। इस मूर्तिमें तीन देवताओंको एकत्रित करनेका प्रयत्न किया गया है। इससे यह अनुमान किया गया है कि मोहेजोदड़ोंके निवासियोंमें लिंग सहित शिवजीको पूजनेकी प्रथा थी।

(उक्त शिवमूर्तिके सम्बन्धमें श्रीसतीशचन्द्र कालाने लिखा है— 'सरजान मार्शलको इस मुद्रामें शिवमें लिंग नहीं दीख पड़ा। किन्तु ध्यानसे देखनेसे पता चलता है कि आकृतिके साथ ऊर्ध्वलिंग भी है। संस्कृत साहित्यकी अनेक पुस्तकोंमें लिखा है कि शिवमूर्तियोंमें ऊर्ध्वलिंगका होना आवश्यक है। ऊर्ध्वलिंग सहित शिवजीकी अनेक मूर्तियां भारतके पूर्वीभाग बिहार, उड़ीसा, तथा बंगालमें मिलती हैं। लिंग सहित शिव जीको पूजने की प्रथा शायद मोहेजोदड़ो निवासियोंको ज्ञात थी' (मो० तथा सि०, पृ० १११)।

(मोहेजोदड़ोसे प्राप्त सील नं० ३ से ५ तकमें कायोत्सर्गमें अंकित आकृतियां भी, जिन्हे श्री चन्दा ऋषभका पूर्वरूप

कहते हैं और जिनका 'पोज' मथुरा म्यूजियममें स्थित ऋषभ-
देव की मूर्तिसे, जो दूसरी शती की है, मिलता है, नग्न हैं।
पुरुष आकृतिकी मूर्तियां प्रायः नग्न हैं और आजानुवाहु हैं,
जो कायोत्सर्ग मुद्रा का एक रूप है।)

भारत सरकार के पुरातत्व विभागके संयुक्त निर्देशक श्री
टी० एन० रामचन्द्रने हड़प्पासे प्राप्त दो मूर्तियोंके सम्बन्ध
में लिखा है—'हड़प्पाकी उपरोक्त दो मूर्तिकाओने तो प्राचीन
भारतीय कला सम्बन्धी आधुनिक मान्यताओंमें बड़ी क्रान्ति
ला दी है। ये दोनों मूर्तिकाएं जो ऊंचाई में ४ इंचसे भी कम हैं,
शिर हाथ पाद विहीन पुरुषाकार कवन्ध हैं। ये दोनों
मूर्तिकाएं २४०० से २००० ईसा पूर्व की आंकी गई हैं। इनमेंसे
एक मूर्ति चपल नर्तकका प्रतीक है। नर्तनकारी प्रतिमाके शिर,
बाहु और जननेन्द्रिय पृथक् बनाकर कवन्ध में बनाये हुए रन्ध्रों
में जोड़े हुए थे। .. दूसरी प्रतिमा अकृत्रिम यथाजात नग्न
मुद्रावाले एक सुदृढ काय युवा की मूर्ति है। जिसके स्नायु पुट्टे
बड़ी देख-रेख विवेक और दक्षता के साथ, जो मोहेञ्जोदडो की
उत्कीर्ण मोहरोकी एक स्मरणीय विशेषता है, निर्माण हुए हैं।
नर्तनकारी प्रतिमा इतनी सजीव और नवीन है कि यह मोहे-
ञ्जोदडो कालीन मूर्तिकाओके निर्जीव विधि विधानोसे नितान्त
अच्छूती है। यह भी नग्न मुद्राधारी मालूम होती है। इससे इस
सुभाव को समर्थन मिलता है कि यह उत्तर कालीन नटराज
अर्थात् नाचते शिवका प्राचीन प्रतिरूप है। .. (प्रथम
नग्नमूर्ति) हड़प्पाकी मूर्तिकाके उपरोक्त गुणविशिष्ट मुद्रामे होने
के कारण यदि हम उसे जैन तीर्थङ्कर अथवा ख्यातिप्राप्त तपो

सहिमा युक्त जैन सन्तकी प्रतिमा कहे तो इसमें कुछ भी असत्य न होगा। यद्यपि इसके निर्माणकाल २४००-२००० ईसा पूर्वके प्रायः कुछ पुरातत्त्वज्ञों द्वारा सन्देह प्रकट किया गया है परन्तु इसका स्थापत्य शलीमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस मोहेजोदड़ोकी मृगमय मूर्तिकाओं एवं वहाँकी उत्कीर्ण मोहरों पर अंकित विन्धोसे पृथक् कर सके।

इस प्रकार मोहेजोदड़ोकी तरह हड़प्पामें प्राप्त मूर्तियाँ भी नग्न है जिनमेंसे एक शिवकी मूर्ति मानी गई है और दूसरीको श्री रामचन्द्रन् जैसे पुरातत्त्वविद् रूपम तीर्थङ्करकी मूर्ति मानते हैं। उन्होंने भी अपने इस लेखमें 'शिशनदेवाः' का अर्थ नग्रे देवता किया है। उन्होंने लिखा है—'जब हम ऋग्वेदके काल की ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ऋग्वेद दो सूक्तोंमें 'शिशन' शब्द द्वारा नग्न देवताओंकी ओर संकेत करता है। इन सूक्तों में शिशन देवों से अर्थात् नग्नदेवोंसे यज्ञोंकी सुरक्षाके लिये इन्द्रका आवाहन किया गया है।'

इस तरह सिन्धु सभ्यतासे प्राप्त नग्न मूर्तियोंके प्रकाशमें ऋग्वेदके शिशनदेवा का अर्थ शिशनयुत देव अर्थात् नग्रे देव करना ही उचित जान पड़ता है। जो उनके उपासक थे वे भी उससे लिए जा सकते हैं। यह अर्थ लिंग पूजकोंमें और लिंगयुत नग्न देवोंके पूजकोंमें समानरूपसे घटित हो जाता है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अपने चिन्ह लिंग पूजाको लिए हुए शिव निश्चय ही अन-आर्य देवता है। वादमें आर्योंके द्वारा उसे अपने देवताओंमें सम्मिलित कर लिया गया। किन्तु लिंग पूजाका प्रचलन आर्योंमें बहुत कालके बाद हुआ है क्योंकि पतञ्जलिने अपने भाष्यमें पूजाके लिये शिवकी

प्रतिकृतिका निर्देश किया है, शिवलिंगका नहीं। तथा ह्युन्त्सांग के यात्राविवरणमें महादेवकी मूर्तिका तो वर्णन मिलता है, किन्तु लिंग पूजाका वर्णन नहीं मिलता। डा० भण्डारकरने लिखा है कि Wema-kadppise के समयमें भी लिंग पूजा अज्ञात थी ऐसा लगता है, क्योंकि उसके सिक्केके दूसरी ओर शिवकी मानव-मूर्ति अंकित है जिसके हाथमें त्रिशूल है तथा बैलका चिन्ह घना है। (शैवै०, पृ० १६४)।

ऋषभ और शिव

[मोहेञ्जोदडोसे प्राप्त नग्न योगीकी मूर्तिको श्रीरामप्रसाद चन्दाने सभावना रूपमें ऋषभदेवकी मूर्ति वतलाया था और इधर हडप्पासे प्राप्त नग्न कवन्धको श्रीरामचन्द्रने ऋषभदेवकी मूर्ति वतलाया है। दोनों स्थानोंसे शिवकी भी प्रतिकृतियाँ मिली हैं। और उसपर डा० राधाकुमुद मुकर्जी जैसे विद्वान्ने अपना यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि यदि उक्त मूर्तियाँ ऋषभका ही पूर्वरूप है तो शैवधर्मकी तरह जैन धर्मका मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु सभ्यता तक चला जाता है। इससे सिन्धु सभ्यता एवं ऐतिहासिक भारतीय सभ्यताके बीचकी खोई हुई कड़ीका भी एक उभय साधारण सांस्कृतिक परम्पराके रूपमें कुछ उद्धार हो जाता है।]

डा० मुकर्जीके 'उभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा' शब्द बड़े महत्त्वके हैं। 'उभय' शब्दसे यदि हम जैन धर्मके प्रवर्तक ऋषभ और शैव धर्मके आधार शिवको लें तो हमें उन दोनोंके बीचमें एक साधारण सांस्कृतिक परम्पराका रूप दृष्टिगोचर होता है और उसपरसे हमें यह कल्पना होती है कि दोनोंका मूल एक तो नहीं है? अथवा एक ही मूल पुरुष दो परम्पराओंमें दो

रूप लेकर तो अवतरित नहीं हुआ है, क्योंकि दोनोंके कुछ रूपोंमें हम आंशिक समता पाते हैं। उधर ऋषभ देवका चिन्ह वैल है, जो मोहेज्जोदडोसे प्राप्त मील न० ८से ५ तक पर अङ्कित तथा कार्योत्सर्ग गुद्रामें स्थित आकृतियोंके साथ भी बना हुआ है। उधर शिवका चिन्ह भी वैल है। उधर ऋषभ देवका निर्वाण कैलाससे माना जाता है उधर शिवको कैलासवासी माना जाता है।

डा० भण्डारकर शिवके साथ उमाके योगको उत्तरकालीन बतलाते हैं। उमाका नाम केन उपनिषद्में आया है और उसे हैमवती - हिमवत्की पुत्री बतलाया है, किन्तु शिव या रुद्रकी पत्नी नहीं बतलाया है।

इस सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डालनेके लिये हमें वेदोंकी ओर जाना होगा। क्योंकि डा० राधाकृष्णन्^१ जैसे मनीषीने भी यह स्वीकार किया है कि वेदोंमें ऋषभ देव आदि जैन तीर्थद्वारोंके नाम आये हैं।

ऋग्वेद (२-३३-१५) में रुद्रसूक्तमें एक ऋचा है—

‘एव वभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हृणीषे न हंसी ।’

हे वृषभ ! ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हो।

और भी एक मंत्र है—

अनवीणं वृषभं मंद्र जिह्व वृहस्पतिं वर्धया नव्यसर्कैः ।

आगे चलकर वैदिक रुद्र देवताने शिवका रूप ले लिया और वे पशुपति^२ कहलाये यह बात सर्वविश्रुत है। किन्तु ताण्ड्य और शतपथ ब्राह्मणमें ऋषभको पशुपति कहा है। यथा —

१. हि० इ० फि, जि० १,

२. चीनी यात्री हुएन्त्सागने (ई० ७वीं शतीके मध्यमें) अपने

ऋषभो वा पशुनामधिपति (तां० ब्रा० १४-२-५)

ऋषभो वा पशूनां प्रजापतिः (शत० ब्रा० ५, २-५-१७)

‘पशु’ शब्द का अर्थ शत० ब्रा० (६-२-१-२) में इस प्रकार किया है—(अग्नि) एतान् पञ्च पशून्पश्यत् । पुरुषमश्वं गामविमजम् । यदपश्यत्तस्मादेते पशवः ।

अर्थात् अग्निने (प्रजापतिने) पुरुष, अश्व, गौ, भेड, बकरी इन पाँच पशुओंको देखा । (संस्कृतमें ‘देखना’ अर्थवाली दृश् धातुके स्थानमें ‘पश्य’ आदेश होता है) अतः क्योंकि इनको देखा, इसलिये ये पशु कहलाये ।

ब्राह्मणग्रन्थोंमें पशु शब्दके अर्थ इस प्रकार पाये जाते हैं—

श्रीवै पशवः । (ता० ब्रा०, १३-२-२)

पशवो यशः । (शत० ब्रा० १, ८-१-३८)

शान्तिः पशवः । (ता० ४-५-१८)

पशवो वै रायः । (शत० ब्रा० ३, ३-१-८)

आत्मा वै पशुः (कौत्स्य ब्रा० १२-७)

अर्थात् श्री, यश, शान्ति, धन, आत्मा आदि अनेक अर्थोंमें पशु शब्दका व्यवहार वैदिक साहित्यमें हुआ है । अतः पशुपति शब्दका अर्थ हुआ—प्रजा, श्री, यश, धन आत्मा आदिका स्वामी । और ऋषभ पशुपति है ।

यात्रा विवरणमें पाशुपतोंका निर्देश किया है । वह लिखता है कि कुछ स्थानोंमें महेश्वर के मन्दिर हैं जहाँ पाशुपत लोग पूजा करते हैं । बनारसमें उसने दस हजारके लगभग अनुयायी पाये जो महेश्वरको पूजते थे, अपने शरीरपर भभूत रमाते थे, नगे रहते थे, अपने वालोंको बाँधे रहते थे । (वै० शै०, पृ० १६७) ।

इसी तरह महा भारत अनुशासन पर्वमें महादेवके नामोंमें शिवके साथ ऋषभ नाम भी गिनाया है। यथा—
 ऋषभत्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः। अ० १४, श्लो० १८।

त्रात्य

वैदिक वाङ्मयामकी एक कठिन पहेली 'त्रात्य' भी रहा है। ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोंमें (१-१६३-८, ६-१५-२ आदि) त्रात्य शब्द आया है। अतः स्पष्ट है कि 'त्रात्य' बहुत प्राचीन है। यजुर्वेद तथा तैत्ति० ब्रा० (३, ४-१-१) में त्रात्यका नाम नरमेध की बलि सूचीमें आया है। अर्थात् नरमेधमें जिन मनुष्योंका बलिदान किया जाता था उनमें त्रात्य भी थे। महाभारतमें (५-३५-४३) त्रात्योंको महापातकियोंमें गिनाया है। किन्तु अथर्ववेदमें त्रात्यका वर्णन बहुत ही प्रभावक है। अथर्वके १५वें काण्डका पहला सूक्त है—

त्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समैश्यत् ।

अर्थात्—'त्रात्य ने अपने पर्यटनमें प्रजापतिको शिजा और प्रेरणा दी। एक त्रात्यका प्रजापतिको शिजा देना अवश्य ही एक आश्चर्यजनक बात है। अतः सायणने इसकी व्याख्यामें लिखा है—

'कंचिद् विद्वत्तमं महाधिकारं पुण्यशीलं विश्वसम्मन्यं कर्मपरैर्ब्राह्मणैर्विद्विष्टं त्रात्यमनुलक्ष्य वचनमिति मन्तव्यम् ।'

अर्थात्—यहाँ किसी विद्वानोंमें उत्तम महाधिकारी, पुण्यशील विश्वपूज्य त्रात्यको लक्ष्य करके उक्त कथन किया है, जिससे कर्मकाण्डी ब्राह्मण विद्वेष करते थे।

अथर्ववेदका वह विद्वानोंमें उत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विश्वपूज्य ब्राह्मण कौन है, यह आज भी अन्वेषणमें है। जो ब्राह्मण प्रजापतिको शिक्षा दे सकता है वह अवश्य ही उक्त विषयोका अधिकारी होनेके योग्य है। किन्तु जिस ब्राह्मणको वैदिक साहित्यमें संस्कारहीन, और पतित तक बतलाया गया है उसके सम्बन्धमें अथर्ववेदका उक्त कथन अवश्य ही अपनी कुछ विशेषता रखता है। इसीलिये भाष्यकार सायणको 'कचित्' शब्द का प्रयोग करना पडा है क्योंकि सब ब्राह्मण तो इस योग्य हो नहीं सकते थे। उक्त विशेषणोंमें केवल एक विशेषण ही ऐसा जो ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें वैदिक दृष्टिकोणका सूचक है। वह है— 'कर्मपरै ब्रह्मिणैर्विद्विष्ट'—कर्मकाण्डी ब्राह्मण जिससे विद्वेष करते हैं।

अथर्ववेदके १५वें काण्डके सम्बन्धमें जर्मनीके डा० हावरने लिखा है।—“ध्यानपूर्वक विवेचनके बाद मुझे स्पष्टतया विदित हो गया कि यह प्रबन्ध प्राचीन भारतके ब्राह्मणोत्तर आर्यधर्मको माननेवाले ब्राह्मणोंके उस वृहत् वाङ्मयका कीमती अवशेष है जो प्रायः लुप्त हो चुका है।”

डा० हावरने ब्राह्मणोंके सम्बन्ध में लिखा है—“अपनी पुस्तक 'द्वैत ब्राह्मण' में मैंने बताया है कि 'ब्राह्मण' शब्द ब्राह्मणसे व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ब्रत पुण्यकार्यमें दीक्षित मनुष्य या मनुष्योंका समुदाय। यह ब्राह्मणोंके दीक्षितका ठीक प्रतिवाचक है, ब्राह्मणोंके यहाँ ब्राह्मणको सर्वोत्तम दीक्षित कहा गया है। इसी कारण मत परिवर्तनके बाद जब ब्राह्मणोंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार किया तो वे लोग ब्राह्मण वर्गमें लिये गये। ब्राह्मण लोग असलमें

उस विधर्मी सम्प्रदायके पूज्य व्यक्ति थे जिसका प्रधान देवता रुद्र था। शुरूमें ये लोग अद्भुत वेशवाली टॉलियोंमें घूमनेवाले धर्म-गुरु और जादूगर थे, जिनकी कई श्रेणिया थीं और अपना एक अलग ही पवित्र ज्ञान था, और बाद में एकाकी योगी, सिद्ध, जो अपने गुप्त ज्ञान और पवित्र अनुष्ठानोंका खजाना लिये देशमें घूमते फिरते।”

डा० हावरने ब्राह्मणोंको रुद्रका अनुयायी बतलाया है। विचना ओरियन्टल जर्नल (जि० २५, पृ० ३५५-३६८) में पॉल चार पेन्टर (Paul Carpentier) ने भी ब्राह्मणोंको आधुनिक शैवोंका पूर्वज तथा अथर्ववेदके उक्त ब्राह्मणोंको रुद्र शिव बतलाया था, किन्तु ए० वी० कीथने (ज० ए० ए० सो० १९२१) बड़ी ही योग्यतासे उनकी मान्यताका निराकरण कर दिया। मि० चारपेन्टर के मतका निराकरण करते हुए (मि० कीथने लिखा है—अथर्व-काण्ड १५से१५भी इस बातका समर्थन नहीं होता कि ब्राह्मण रुद्र शिव

१. अथर्ववेद काण्ड १५के पहले सूक्तमें ब्राह्मणोंका वर्णन इस प्रकार आरम्भ होता है—

१—ब्राह्मण घूम रहा था, उसने प्रजापतिको प्रेरित किया।

२—उसने प्रजापति रूपमें सुवर्णको अपनेमें देखा। उसे जना।

३—वह एक हो गया, वह माथेका ललाम हो गया। वह महत् हुआ, वह ज्येष्ठ हुआ, ब्रह्म हुआ, सृजनेवाली गर्मी (तप) हुआ और इस प्रकार प्रकट हुआ।

४—वह उद्दीप्त हो उठा, वह महान हो गया, महादेव बन गया।

५—वह देवताओंके ईश्वरत्वको लाघ गया, ईशान हो गया।

(भा० अनु० पृ० १४)

था। इसमें सन्देह नहीं कि अथर्ववेद काण्ड १५ का वर्णन ब्राह्मणसे सम्बद्ध है। किन्तु उसमें मुझे यह कहीं नहीं मिला कि ब्राह्मण रुद्र शिव है। अथर्वका उक्त अणु ब्राह्मण शैलीमें है और वह बादका रचा हुआ प्रतीत होता है। उसमें ब्राह्मणकी प्रशंसा है, किन्तु अथर्वमें इस प्रकारके धार्मिक सिद्धान्तोंका पाया जाना साधारण बात है, और वे बतलाते हैं कि 'ब्राह्मण' के पीछे एक महान देवका रूप अन्तर्निहित है। अथर्व इतना ही बतलाता है कि ब्राह्मण महादेव और ईशान हो गया, किन्तु १५-५-१ में भाव, शर्व, पशुपति, उग्रदेव, ईशान और रुद्रको उसका सेवक बतलाया है। यह सब उसकी लौकिक सामर्थ्यको बतलाते हैं किन्तु उसके मूल स्वरूपको प्रमाणित नहीं करते।')

(अथर्व० का० १५, के दूसरे सूक्तमें एक वाक्यांश इस प्रकार है—'सुवर्णमात्मन्नपश्यत् तत् प्राजनयत्' इस वाक्यमें सुवर्णके स्थानमें 'हिरण्य गर्भ' बदलकर शेष सम्पूर्ण वाक्य लगभग इसी रूप में ब्राह्मण अनुश्रुतिसे सम्बद्ध श्वेता० उप० (३-४-२) में इस प्रकार दुहराया है—'यो देवाना प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्।')

(यहाँ 'हिरण्य गर्भ' शब्द उल्लेखनीय है। इसके सम्बन्धमें हम आगे लिखेंगे। यहाँ यह शङ्का होती है कि क्या हिरण्यगर्भका ब्राह्मणके साथ सम्बन्ध है। यदि है जैसा कि लगता है तो फिर यह ब्राह्मण हिरण्यगर्भ कौन व्यक्ति था—जैसा शास्त्रोंमें तो ऋषभ देवको हिरण्यगर्भ कहा है और उनके शरीरका वर्ण सुवर्णके समान बतलाया है। अथर्व (१६-४२-४) में भी ऋषभ देवके सम्बन्धमें एक मंत्र आया है।)

ब्राह्मण ग्रन्थोंमें ऐसे निर्देश नहीं मिलते जिनके आधारपर

ब्राह्मणोंकी जन्मभूमिका निश्चय किया जा सके। (तथापि अथर्ववेदमें मागधोंका ब्राह्मणोंके साथ निकट सम्बन्ध बतलाया है। अतः ब्राह्मणोंको मगधका वासी माना जाता है। तथा वैदिक साहित्यके उल्लेखोंके अनुसार ब्राह्मण लोग न तो ब्राह्मणोंके क्रिया कारणको मानते थे, न खेती और व्यापार करते थे। अतः न वे ब्राह्मण थे और न वैश्य। किन्तु योद्धा थे—धनुषबाण रखते थे।)

मनुस्मृति (अ० १०) में लिच्छवियोंको ब्राह्मण बतलाया है। सातवीं-छठी शताब्दी ईस्वीपूर्वमें विदेहके पड़ोसमें वैशाली गणतंत्र था—जो लिच्छवियोंका था। इनके गणका नाम वृजि या वज्जिगण था। ये लिच्छवि लोग क्षत्रिय थे और मगध देशके निकट बसते थे। अन्तिम जैन तीर्थङ्कर भगवान् महावीरकी माता लिच्छवि गणतंत्रके प्रमुख जैन राजा चेटककी पुत्री थी। बुद्धने लिच्छवियों और उनके वज्जिगणकी बड़ी प्रशंसा की है। महापरिनिव्वान सुत्तसे पता चलता है कि उन वज्जियोंके अपने चैत्य थे और अपने अर्हत् थे। उन अर्हत्तों और चैत्योंके अनुयायी ब्राह्मण कहलाते थे। (भा० इ० सू०, पृ० ३४६ का पाद टिप्पण)।

इस तरह ब्राह्मणोंको मगधका वासी और लिच्छवियोंका ब्राह्मण बतलानेसे तो ब्राह्मण लोग क्षत्रिय और जैनोंके पूर्वज प्रतीत होते हैं।

(श्री का० प्र० जायसवालने (मार्टन रिच्यु १९२६, पृ० ४६६) लिखा है—'लिच्छवि पाटलीपुत्रके 'अपोजिट' मुजफ्फरपुर जिलेमें राज्य करते थे। वे ब्राह्मण अर्थात् अत्राह्मण क्षत्रिय कहलाते थे। वे गणतंत्र राज्यके स्वामी थे। उनके अपने पूजा स्थान थे, उनकी अवैदिक पूजाविधि थी, उनके अपने धार्मिक गुरु थे। वे जैनधर्म और बौद्धधर्मके आश्रदाता थे। उनमें महावीर का जन्म हुआ। मनुने उन्हें पतित बतलाया है।')

(ब्राह्मणोंकी ओर सबसे प्रथम जिस विदेशी विद्वानका ध्यान आकृष्ट हुआ वह थे श्री वेवर । वेवरका मत था कि ब्राह्मण धर्म जैसे किसी अत्राह्मण धर्मके अनुयायी थे । किन्तु वैदिक साहित्य और बौद्ध धर्मके उद्गम कालके बीचमे सुदीर्घ कालका अन्तराल होनेसे ब्राह्मणोंका सम्बन्ध बौद्धधर्मके साथ नहीं माना जा सकता था । तथा उस समय तक जैनधर्मके स्वतंत्र अस्तित्वमें ही कतिपय विद्वानोंको सन्देह था जिनमे स्वयं वेवर भी थे । अतः वेवरकी उक्त मान्यताको प्रश्रय नहीं मिला । किन्तु आज जैनधर्मका न केवल स्वतंत्र अस्तित्व ही प्रमाणित हो चुका है किन्तु बौद्धधर्मसे प्राचीन भी मान लिया गया है और इस तरह भारतके ऐतिहासिक कालके आरम्भ तक उसका अस्तित्व जाता है । तथा मोहेंजोदड़ोसे प्राप्त सीलोपर अंकित कायोत्सर्गमे स्थित नग्न आकृति यदि ऋषभ देवकी प्रमाणित होती हैं तब तो जैनधर्मकी प्राचीनता सिन्धु सभ्यता तक चली जाती है । उक्त स्थितिमें वेवरका मत ही सत्यके अधिक निकट प्रतीत होता है क्योंकि बौद्धधर्म जैसा अत्राह्मण धर्म जैनधर्म ही हो सकता है । और अथर्व का० १५ के प्रथम सूक्तके भाष्यमे सायणके द्वारा ब्राह्मणके लिये प्रयुक्त 'कर्मपरै ब्राह्मणैर्विद्विष्ट'—कर्मकाण्डी ब्राह्मण जिससे द्वेष करते हैं, विशेषण भी जैनधर्मके पुरस्कर्ता और अनुयायी के लिये सुसंगत बैठता है । अस्तु,)

'ब्राह्मण' शब्द ब्रत या ब्रातसे बना है । जैन धर्ममें ब्रतोंका जो महत्व है वह आज भी किसी ब्राह्मणोत्तर धर्ममें नहीं है । तथा ब्राह्मणका अर्थ घुमकड होता है । अर्थात् जो एक जगह स्थिर होकर न रहता हो । 'वज्जि' शब्द भी ब्रज या 'वर्ज' धातुसे बना प्रतीत होता है । ब्रजका अर्थ चलना है और 'वर्ज' का अर्थ है

त्यागना । अतः व्रात और व्रज का अर्थ समान है तथा व्रत और व्रजका अर्थ समान है । व्रतका मतलब ही त्याग है जो व्रजका भी मतलब है । तथा व्रातका मतलब है घुमकड और व्रजका चलना । व्रजसे ही 'परिव्राजक' शब्द बना, जो साधुके अर्थमें व्यवहृत हुआ ।

(डा० हावरने' लिखा है—'अथर्व० का० १५, सूक्त १०-१३ में लौकिक व्रात्यको अतिथिके रूपमें देशमें घूमते हुए तथा राजन्यो और जन साधारणके घरोंमें जाते हुए दिखलाया गया है । तुलनासे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अतिथि घूमने फिरनेवाला साधु ही है जो पूर्वकालमें पुरोहित या जादूगर होता और बादमें सिद्ध, जो अपने साथ अलौकिक बातोंका गुप्त ज्ञान लाता और अपना स्वागत करनेवालोंको आसीस देता) ऋग्वेद और अन्य धर्मोंसे तुलना करनेपर मालूम पडता है कि यह श्रार्यावर्त और यूरोप (?) की उभयनिष्ठ संस्था थी, और प्राचीन भारतमें व्रात्य लोग उसके ब्राह्मणोत्तर प्रतिनिधि थे । वह जहाँ जाता उसकी आवभगत बड़ी श्रद्धा भक्तिसे होती । और व्रात्य देवताकी तरह, जिसका कि वह प्रतिनिधि है (१३-८-६) उसका स्वागत किया जाता । इस आतिथ्यका बड़ा माहात्म्य है । यदि वह किसी घरमें एक रात ठहरे तो गृही पृथ्वीके सब पुण्य लोकोंको पा जाता है । दूसरे दिन ठहरे तो अन्तरीक्षके, तीसरे दिन द्युके, चौथे दिन पुण्यके पुण्य लोकोंको तथा पाँचवें दिन अपरिमित पुण्य लोकोंको । (१२ वें सूक्तके आरम्भमें पता चलता है कि अतिथि अब घूमते धर्मगुरु और जादूगरके रूपमें पहले व्रात्यों

वाली सजधज और मण्डलीके साथ नहीं आता। अब तो यह 'एवं विद्वान् ब्रात्यः' है जिसके ज्ञानने अब पुराने कर्मकाण्डकी जगह ले ली है। प्राचीन भारतमें एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसपर यह बात घट सकती है। वह है पारिव्राजक योगी या संन्यासी। योगियों-संन्यासियोंका सबसे पुराना नमूना ब्रात्य है।')

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि ब्रात्य भ्रमणशील साधु थे। अतः प्राचीन ब्रात्य लोग यदि उत्तर कालमें 'वज्जि' कहे जाने लगे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है।

ऊपर लिखा है कि ब्रात्य शब्द व्रत या व्रातसे बना है। (अथर्व का० १५ के सूक्त २-७ में विश्वपुरुष ब्रात्यके भ्रमण और कर्मकाण्डका वर्णन है। उनमें प्रधान महाव्रत है जैनोंमें आज भी साधुओंके व्रतोंमें महाव्रत ही प्रधान हैं।)

उक्त काण्डके पहले सूक्तमें आदि देवको ब्रात्य कहा है। तथा तीसरे सूक्तमें विश्व ब्रात्य पूरे एक वर्ष सीधा खड़ा रहता है। जैनोंमें ऋषभ देवको आदिदेव कहा जाता है क्योंकि वह प्रथम तीर्थङ्कर थे। तथा प्रव्रज्या ग्रहण करनेके पश्चात् छै मास तक वे कायोत्सर्ग रूपमें सीधे खड़े रहे थे और छै मास तक आहारके लिये भटकते फिरे थे। इस तरह एक वर्ष उन्हें एक तरहसे खड़ा ही रहना पडा था। हम नहीं कह सकते कि इस सबमें कितना तथ्य है, किन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं, कि अथर्ववेदका १५वां काण्ड आज भी वैदिकवाङ्मयकी सबसे कठिन पहेली बना हुआ है। और ब्रात्योंकी स्थितिका नये सिरेसे अध्ययन होनेकी आवश्यकता है।

हिरण्यगर्भ और ऋषभदेव

ऋग्वेद मं० १०, सू० १२१ की पहली ऋचा इस प्रकार है—

हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं ग्रामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥

इसमे बतलाया है कि पहले हिरण्यगर्भ हुए । वह प्राणीमात्रके एक स्वामी थे । उन्होंने आकाश सहित पृथ्वीका धारण किया । हम हविके द्वारा किस देवकी आराधना करें ।

सायणने इसका भाष्य इस प्रकार किया है—

‘हिरण्यगर्भः हिरण्यमयस्याण्डस्य गर्भभूतः प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः ।
तथा च तैत्तिरीयकं—प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपाय (तै०
स० ५-५-१-२) । यद्वा हिरण्यमयोऽअण्डो गर्भवद्यस्योदरे वर्तते सोऽसौ
सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उच्यते । अग्रे प्रपञ्चोत्पत्तेः प्राक् समवर्तत् मायाध्य-
क्षात् सिसृक्षोः परमात्मनः साकाशात् समजायत ।’...’सर्वस्य जगतः
परीश्वर आसीत् ।’.....’

तैत्तिरीय संहिता में हिरण्यगर्भका अर्थ प्रजापति किया है ।
अतः आचार्य सायण उसीके अनुसार हिरण्यगर्भकी व्युत्पत्ति
करते हैं—‘हिरण्यमय अण्डेका गर्भभूतः’ अथवा जिसके उदरमें
हिरण्यमय अण्डा गर्भकी तरह रहता है । वह हिरण्यगर्भ प्रपञ्चकी
उत्पत्तिसे पहले सृष्टिरचनाके इच्छुक परमात्मासे उत्पन्न हुआ ।’

यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सायण पन्द्रहवीं
विक्रमशतीके विद्वान् हैं, उस समय तक प्रजापति ब्रह्मा बन चुके
थे और सृष्टि रचनाकी पौराणिक प्रक्रिया प्रचलित हो चुकी थी ।

अतः ऋग्वेदका यह हिरण्यगर्भ वास्तवमें कौन है यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मि० वालिस (wallis) का कहना है कि हिरण्यगर्भ शब्द लाक्षणिक है, यह विश्वकी महान् शक्तिको सूचित करता है जिससे सब उत्पन्न हुए। यह एक विचार है जो उत्तरकालीन ब्रह्माकी कल्पनाके अतिनिकट है (हि० प्री० इ०, पृ० ३५)।

(विक्रमकी नौवीं शतीके जैनाचार्य जिनसेनने—जिन्होंने ऋषभ देवका विस्तृत चरित 'महापुराण' लिखा है, ऋषभ देवको हिरण्यगर्भ^१ कहा है। जैन मान्यताके अनुसार जब ऋषभदेव गर्भमें आये तो आकाशसे स्वर्णकी वर्षा हुई। इसीसे वे 'हिरण्यगर्भ' कहलाये।

योग के जनक हिरण्यगर्भ

जैन महापुराण तथा श्रीमद्भागवत के अनुसार ऋषभ देव बड़े भारी योगी थे। जैन पुराण तो उन्हे ही योग मार्गका आद्य प्रवर्तक बतलाते हैं। उन्होंने ही सर्व प्रथम राज्यको त्यागकर वनका मार्ग लिया था। मोहेजोदडोसे प्राप्तमूर्ति भी, जिसके ऋषभ देवका पूर्वरूप होने की संभावना की जाती है—योगकी मुद्रा में है।

सैषा हिरण्यमयी वृष्टिः धनेशेन निपातिता ।

विभोर्हिरण्यगर्भत्वमिव बोधयितु जगत् ॥पर्व १२, ६५॥

“गन्मद्विअस्स जस्स उ हिरण्यवुद्धी सकचणा पडिया ।

तेण हिरण्यगन्भो जयम्मि उवगिज्जए उसभो ।”

(पउम० ३, ६८)

उधर महाभारत शान्ति०, अ० ३४६ में हिरण्यगर्भ को योग का वक्ता बतलाया है। यथा—

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ।

अर्थात् हिरण्यगर्भ योगमार्गके प्रवर्तक हैं अन्य कोई उनसे पुरातन नहीं है। तो क्या ऋषभदेव और हिरण्यगर्भ कहीं एक ही व्यक्ति तो नहीं है, इधर जैन शास्त्र ऋषभदेवका काल बहुत प्राचीन बतलाते हैं तो उधर ऋग्वेद 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रै' लिखकर हिरण्यगर्भकी प्राचीनताको सूचित करता है। 'हिरण्यगर्भः' शब्द लाक्षणिक होते हुए भी किसी व्यक्ति का सूचक है यह बात ऋग्वेदके 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रै' पदसे व्यक्त होती है।

हिन्दू पुराणों में ऋषभदेव

(नाभि पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत की चर्चा प्रायः सभी हिन्दू पुराणों में आती है। मार्कण्डेय पु० अ० ५०, कूर्म पु० अ० ४१, अग्नि पु० अ० १०, वायु पुराण अ० ३३, गरुड पु० अ० १, ब्रह्माण्ड पु० अ० १४, वाराह पु० अ० ७४, लिंग पुराण अ० ४७, विष्णु पु० २, अ० १, और स्कन्द पु० कुमारखण्ड अ० ३७, में ऋषभदेवका वर्णन आया है। इन सभीमें ऋषभको नाभि और मरु देवीका पुत्र बतलाया है। ऋषभसे सौ पुत्र उत्पन्न हुये। उनसेसे बड़े पुत्र भरतको राज्य देकर ऋषभने प्रब्रज्या ग्रहण करली। इस भरतसे ही इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा।) यथा—

{ नाभिस्त्वजनयत पुत्रं मेरुदेव्या महाद्युतिः ।
 ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठ सर्वज्ञस्य पूर्वजम् ॥

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरं पुत्रशताग्रजः ।
 सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थितः ॥
 हिमाह दक्षिण वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।

उक्त श्लोक थोड़ेसे शब्द भेदके साथ प्रायः उक्त सभी पुराणोंमें पाये जाते हैं। प्रायः सभी हिन्दू पुराण इस विषयमें एकमत हैं कि ऋषभ पुत्र भरतके नामसे इस देशका नाम भारतवर्ष पडा, न कि दुष्यन्त पुत्र भरतके नामसे। हिन्दू पुराणोंका यह ऐकमत्य निस्सन्देह उल्लेखनीय है।

श्रीमद्भागवतमें तो ऋषभभावतारका पूरा वर्णन है और उन्हींके उपदेशसे जैनधर्मकी उत्पत्ति भी बतलाई है। डा० आर जी० भण्डारकर के मतानुसार '२५० ई० के लगभग पुराणोंका पुनर्निर्माण होना आरम्भ हुआ और गुप्तकाल तक यह क्रम जारी रहा। इस कालमें समय-समयपर नये पुराण भी रचे गये।'

इस तरह उपलब्ध पुराण प्रायः गुप्तकालकी कृतियाँ हैं और उनमें वर्णित प्राग् ऐतिहासिक कालीन घटनाओंको तथ्यके रूपमें स्वीकार कर सकना यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी भारतके अनेक प्राचीन वंशों और अनुश्रुतियोंका संरक्षण उन्हींके कारण हो सका है और भारतीय इतिहासकी त्रुटित शृङ्खलाओंको जोड़नेमें भी पुराणोंका साहाय्य कम नहीं रहा है। इसलिये पुराणोंसे चर्चित विषयोंको कोरी गप्प कहकर नहीं उड़ाया जा सकता। उनमें भी आंशिक तथ्योंकी संभावना है। अतः अधिक नहीं तो कम से-कम इतना तो स्पष्ट ही है कि ऋषभदेव, उनके माता पिता तथा

✓ A peep into early Indian history, (भण्डारकर लेख संग्रह जिल्ड १, पृ० ५६)

पुत्रोंके सम्बन्धमें एक ऐसी अनुश्रुति चली आती थी जिसे लेकर हिन्दू और जैन पुराणकारों तकमें प्रायः मतभेद नहीं था ।

यह कहा जा सकता है कि हिन्दू पुराणोंमें वर्णित ऋषभदेवके वर्णनको ही पुराणकारोंने अपना लिया । किन्तु विचार करनेपर यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता । यह पहले लिख आये हैं कि ऋषभदेवके प्रथम जैन तीर्थङ्कर होनेकी मान्यता ईस्वी सन् से भी पूर्वमें प्रवर्तित थी, इतना ही नहीं, ऋषभदेवकी मूर्तिकी पूजा जैन लोग करते थे यह बात खारवेलके शिलालेख तथा मथुरासे प्राप्त पुरातत्त्वसे प्रमाणित हो चुकी है । तथा हिन्दू पुराणोंसे भी पूर्वके जैन ग्रन्थोंमें ऋषभदेवका चरित वर्णित है ।

इसके सिवाय श्रीभागवतमें ऋषभदेवका वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि वातरशन (नग्न) श्रमणोंके धर्मका उपदेश करनेके लिये उनका जन्म हुआ । यथा—

वर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नामैः ।
प्रयचिकीर्षया तदवरोधायने मरुदेव्या घर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनाना
श्रमणानामृषीणामूर्ध्वमन्थिना शुक्लया तनुवावततार ॥ २० ॥ स्क० ५,
अ० ३ ।

उक्त नग्न श्रमणोंके धर्मसे स्पष्ट ही जैन धर्मका अभिप्राय है क्योंकि आगे भागवत्कारने ऋषभदेवके उपदेशसे ही आर्हत धर्म (जैन धर्मका पुराना नाम) की उत्पत्ति बतलाई है । उसमें लिखा है—

‘भगवान् ऋषभके आचरणोंका वृत्तान्त सुनकर कोंक, बेक, कुटक देशोंका अर्हत नाम राजा भी वैसे ही आचरण करने लगेगा और वह मति मन्द भवितव्यतासे मोहित होकर कलि-

युगमें जब अधर्मकी उन्नति होगी, उस समय निर्भय सनातन धर्मके मार्गको त्यागकर अपनी बुद्धिसे पाखण्डमय कुमार्ग चलावेगा। इस अधर्म प्रवर्तक राजाके पीछे कलियुगके मन्दबुद्धि मनुष्यगण ईश्वरकी मायामें मोहित होकर अपने अपने शौच आचारको त्यागकर देवतोका तिरस्कार करेंगे एवं स्नान न करना, आचमन न करना, अशौच रहना, केशलोच करना आदि विपरीत व्रतोंको अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार ग्रहण करेंगे। जिसमें अधर्म बहुत होता है ऐसे कलियुगमें इस प्रकारके लोग नष्टबुद्धि होकर प्रायः सर्वदा वेद, ब्राह्मण यज्ञ और हरिभक्तोंको दूषित कर हँसेंगे। वे लोग अन्यपरम्परा सदृश वेदविधिविहिष्कृत उक्त प्रकारकी मनमानी प्रवृत्ति करके अपने कर्मोंसे घोर नरकमें गिरेंगे। हे राजन् ! भगवान्का यह ऋषभवातार एक प्रकारसे उक्त अन्तर्थाकारण होनेपर भी रजोगुणमें आसक्त व्यक्तियोंको मोक्षमार्ग सिखलानेके लिये परम आवश्यक था। (भागवत भाषा, स्क० ५, अ० ६)

उक्त सब वर्णन जैनोंको लक्ष्य करके ही लिखा गया है। हाँ, अर्हत नामके राजाकी कल्पना मन गढन्त हैं, अर्हत जीवनमुक्त दशाका नाम है। उस अवस्थामें पहुचनेपर ही तीर्थङ्कर धर्मोपदेश करते हैं। शायद भ्रमसे उसीको राजा मान लिया है।

उक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि जैन धर्म और उसके अनुयायियोंके प्रति भागवत्कारका अभिप्राय यद्यपि रोषपूर्ण है तथापि ऋषभदेवके प्रति ऐसी बात नहीं है। उनके लिये तो उन्होने अत्यन्त आदर ही व्यक्त किया है और लिखा है—‘जन्महीन ऋषभदेव जीका अनुकरण करना तो दूर रहा, अनुकरण करनेका मनोरथ भी कोई अन्य यागी नहीं कर सकता, क्योंकि

जिस योगवल (सिद्धियों) को ऋषभजीने असार समझकर नहीं गृहण किया और-और योगी लोग उसीके पानेकी अनेक चेष्टाएँ करते हैं ॥ हे राजन् ! ऋषभदेव जी लोक, वेद, देवता, ब्राह्मण, गौ आदि सब पूजनीयोके पूजनीय परम गुरु हैं ॥ (स्क० ५, अ० ६)

ऋषभदेव जीमे इतनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करनेका एक ही कारण हो सकता है कि उन्हे विष्णुके अवतारोमे माना गया है । किन्तु विष्णुके दस अवतारोमें ऋषभदेवकी गणना नहीं है जब कि बुद्ध की गणना है । हाँ, चौबीस अवतारोंमे ऋषभदेवको अवश्य स्थान दिया है ।

विष्णुके अवतार

पुराणोंके अवलोकनसे विष्णुके अवतारोमें भी एकरूपता दृष्टिगोचर नहीं होती । विभिन्न ग्रन्थकारोंने विभिन्न प्रकारसे उनका उल्लेख किया है । महाभारत शान्तिपर्वके नारायणीय भागमे छै अवतार गिनाये हैं—वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और वासुदेव कृष्ण । कुछ अन्तर देकर इसीके बाद अवतारोकी संख्या दस बतलाई है, उसमे हंस, कूर्म और मत्स्यको उक्त छै अवतारोंके आदिमें रखा है और अन्तमें कल्किको रखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि जब अवतारोकी संख्या दस निश्चित हाँ गई तो अन्तिम अंश उसमे जोड़ दिया गया, ऐसा आर० भण्डारकरका अभिप्राय है (वै० शै०, पृ० ५६)

हरिवशमें उक्त छै अवतारोका ही निर्देश है । वायु पुराणमें दो स्थलोंमें अवतारोका निर्देश किया है । अ० ६७ मे उनकी संख्या

बारह वतलाई है और अ० ६८ मे दस अवतार ही वतलाये हैं । जिनमे छै तो पूर्वोक्त है उनमे चार नाम और जोडे गये हैं— दत्तात्रेय, एकका नाम न देकर केवल पाचवाँ लिखा है, वेदव्यास और कल्कि । वराह पुराणमे दस अवतार वतलाये हैं उक्त छै तथा मत्स्य, कूर्म बुद्ध और कल्कि । बादमे ये ही दस अवतार माने गये । अग्नि पुराणमे भी ये ही दस अवतार वतलाये हैं ।

भागवत पुरमे तीन स्थलोंमे अवतारोंका निर्देश किया है—प्रथम स्कन्धके तीसरे अध्यायमे उनकी संख्या बाईस है, दूसरे स्कन्धके सातवें अध्यायमे उनकी संख्या २३ है और स्कन्ध ११ के चौथे अध्यायमें १६ अवतार वतलाये हैं ।

बाईस अवतारोंका क्रम इस प्रकार गिनाया है—प्रथम सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार अवतार लेकर अश्वत्थ ब्रह्मचर्य पालन किया । दूसरी बार पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वाराह अवतार लिया । तीसरी बार नारद अवतार लिया । चौथी बार नरनारायण अवतार लिया । पाँचवीं बार कपिल अवतार लेकर आसुरिको साख्य शास्त्रका उपदेश दिया । छठी बार दत्तात्रेय होकर आत्मविद्याका उपदेश दिया । सातवीं बार यज्ञ नामसे अवतार लिया । आठवीं बार नाभि राजाकी मरुदेवी नामक स्त्रीमे ऋषभ अवतार लिया और सब आश्रम जिसको नमस्कार करते हैं ऐसे परमहंस धर्मका उपदेश किया । नौवीं बार राजा पृथुके रूपसे अवतार लिया । दसवीं बार मत्स्यावतार लेकर पृथ्वीकी रक्षाकी । ११ वीं बार कच्छप अवतार लिया । १२ वा धन्व तरि अवतार लिया । तेरहवाँ मोहिनी रूप धारण करके देवतोको अमृत पिलाया । १४ वा नृसिंह अवतार, १५ वा वामन अवतार, १६ वा परशुराम, १७ वा व्यास, १८ राम, १९ और बीसवाँ

कृष्ण बलदेव । फिर कलियुगके आरम्भमें जिनसुत बुद्ध होंगे, फिर कलियुगके अन्तमें कल्कि होंगे ।

इस प्रकार अवतारोंकी सबसे अधिक संख्या भागवत पुराणमें है । इसमें उक्त प्रसिद्ध दस अवतारोंमेंसे वराह अवतारका दूसरा, मत्स्यावतारका दसवाँ, कच्छपका ग्यारहवाँ, नृसिंहका चौदहवाँ, वामनका १५ वाँ, परशुरामका १६ वाँ, रामका १८ वाँ और कृष्णका १९ वाँ तथा बुद्ध और कल्किका २१ वाँ और वाईसवाँ नम्बर हैं । (इन वाईस अवतारोंमें दो-तीन अवतार ऐसे भी हैं, जो वेद विरोधी धर्मके प्रवर्तक माने जाते हैं । उनमें सबसे पहला और क्रमानुसार पाँचवाँ अवतार कपिलका है जिसने साख्य-शास्त्रका उपदेश दिया । और आठवाँ ऋषभदेवका है, जिन्हें जैन धर्ममें आद्यतीर्थङ्कर माना गया है तथा २१ वाँ अवतार बुद्धका है, जिन्होंने बौद्धधर्मकी स्थापना की ।) किन्तु कृष्णको छोड़कर— क्योंकि वह तो स्वयं विष्णु थे, प्रायः अन्य सब अवतारोंमें ऋषभभावतारके प्रति विशिष्ट आदर प्रदर्शित किया गया है और उन्हें योगी बतलाया है । किन्तु विष्णुका अवतार बतलाते हुए उन्हें यज्ञ और ब्राह्मणोंकी कृपाका ही फल बतलाया है । ऋषभ-वतारका वर्णन करते हुए लिखा है—

भागवतमें ऋषभ चरित

शुकदेवजी कहते हैं—हे राजन् ! अग्नीध्रके पुत्र नाभिने सन्तानकी कामनासे मेरुदेवी नाम अपनी पुत्रहीन रानी सहित एकाग्र चित्तसे यज्ञके अनुष्ठान द्वारा भगवान् यज्ञ पुरुषकी आराधना की । यद्यपि भगवान् विष्णुको कोई सहजमें नहीं पा सकता । किन्तु भगवान् तो भक्तवत्सल हैं । अत एव जब नाभिके यज्ञमें

‘प्रवर्ग्य’ कर्मोंका अनुष्ठान होने लगा तब अपने भक्त नाभिकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये भक्त परवश एवं स्वतंत्र भगवान् विष्णुजी प्रकट हुए। ऋत्विज, सदस्य और यजमान सभी उस मूर्तिको देखकर आनन्दसे उठ खड़े हुए और सम्मान पूर्वक सिर झुकाकर पूजन करके कहने लगे (इसके आगे विष्णुकी प्रशंसा है)—भगवन् यह राजर्षि नाभि पुत्रको ही परमार्थ मानकर आपसे आपके ही समान गुण शीलवाला पुत्र माँगते है ॥ भरत खण्डके स्वामी राजा नाभि जिनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं उन ऋत्विज ऋषियों ने इस प्रकार स्तुति करके भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया। तब भगवान् बोले—‘हे ऋषिगण ! तुम्हारे वाक्य कभी निष्फल नहीं हो सकते। किन्तु तुमने हमसे जो वर माँगा है वह बड़ा ही दुर्लभ है। राजा नाभिके मेरे ही समान स्वभाव और गुणवाला पुत्र उत्पन्न हो, यही तो तुम्हारी प्रार्थना है ? यह तो बहुत ही दुर्लभ है। मेरे समान तो कोई नहीं है, मैं अद्वितीय हूँ, मैं ही अपने सदृश हूँ। अस्तु, कुछ भी हो, ब्राह्मणोंका वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि द्विजोंमें देवतुल्य पूजनीय विद्वान् ब्राह्मण मेरा ही मुख है ॥ अच्छा है, मैं ही अपनी अशकलासे नाभिके यहाँ जन्म लूँगा, क्योंकि मुझको मेरे समान कोई दूसरा नहीं देख पड़ता।’ यह कह कर भगवान् अन्तर्धान हो गये। तब परमहंस, तपस्वी, ज्ञानी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोगोंको धर्म दिखानेके लिये नाभि राजाके अन्तःपुरमें उनकी रानी मेरुदेवीके गर्भसे भगवान्ने सत्त्वमूर्ति ऋषभदेव जीके रूपसे जन्म लिया (भा० पु०, स्क० ५, अ० ३)।

उक्त विवरणसे स्पष्ट है कि ऋषभदेव जीकी उत्पत्तिको भी यज्ञ और ब्राह्मणोंकी कृपाका फल तथा विष्णुका प्रसाद बतलानेके साथ-साथ विष्णुको सर्वोपरि देवता ठहराना ही उक्त कथनका

लक्ष्य है। भागवतमें कपिलको भी विष्णुका अवतार माना है। किन्तु चूंकि कपिलके पिता ऋषि थे, अतः उन्हें नाभिकी तरह यज्ञ करके ब्राह्मणोंके द्वारा विष्णुसे सिफारिश नहीं कराती पडी। उन्होंने अपनी पत्नीसे कह दिया कि तेरे गर्भसे भगवान अवतार लेगे। वस, भगवानको अवतार लेना पडा। ब्राह्मणका वचन झूठा कैसे हो सकता है ?

कपिल ऋषि और ऋषभदेवके मुखसे जो उपदेश कराया गया है उसमें भेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि कपिल सांख्य शास्त्रके उपदेष्टा थे और ऋषभदेव परमहंस (जैन) धर्मके फिर भी जहाँ तक भगवद्भक्तिकी बात है, दोनोंके द्वारा उसका समर्थन ही नहीं, प्ररूपण भी कराया गया है। किन्तु ऋषभदेवकी अपेक्षा कपिलके द्वारा भक्तिका प्ररूपण विशेष जोरदार है और ऐसा होना उचित ही है क्योंकि कपिलके सांख्य दर्शनको गीतामें स्थान प्राप्त है।

परन्तु ब्राह्मणोंकी प्रशंसा ऋषभदेवके मुखसे भी खूब कराई गई है। लिखा है— इस प्रकार ब्राह्मणोंको सर्वपूज्य जानकर उनका योग्य सम्मान तो करना ही, किन्तु स्थावर और जगम—दोनों प्रकारके प्राणियोंको मेरे रहनेका स्थान जानकर किसीसे वैर न करना, किसीका जी न दुखाना, हर एक समय उनका आदर करना और शुभ चिन्तक रहना, यही मेरी सबसे बड़कर पूजा है।'

इस वाक्यमें ब्राह्मण पूजाके साथ वासुदेव भक्ति और अहिंसा धर्मकी खिचडी पकाई गई है। जैनधर्ममें त्रस और स्थावर जीवोंकी मन, वचन कामसे रक्षा करनेका विधान है।

अन्तमें ऋषभदेव जी कर्मोंसे निवृत्त महामुनियोंको भक्ति-

ज्ञान-वैराग्यमय परमहंस धर्मकी शिक्षा देनेके लिए शरीरके सिवा सब त्यागकर नगे, बाल खुले हुए, ब्रह्मावर्तसे चल देते हैं। राहमें कोई टोकता है तो मौन रहते हैं। लोग उन्हें सताते हैं पर वह उससे विचलित नहीं होते। मैं और मेरेके अभिमानसे दूर हैं। परमरूपवान् होते हुए भी अवधूतकी तरह एकाकी विचरण करते हैं। देहभरमे धूल भरी है असंस्कारके कारण बाल उलझ गये है।

“इस प्रकार भगवान् ऋषभजीने योगियोंके करने योग्य आचरण दिखलानेके लिये ही अनेक योगचर्याओंका आचरण किया, क्योंकि वह स्वयं भगवान् मोक्षके स्वामी एवं परममहत् थे। उनको विना चाहे आकाशमें उड़ना, मनके समान सर्वत्र गति, अन्तर्धान, परकायप्रवेश और दूरदर्शन आदि सिद्धियाँ प्राप्त थीं किन्तु उनको उनकी कुछ भी चाह नहीं थी ॥ इस तरह भगवान् ऋषभदेव लोकपाल शिरोमणि होकर भी सब ऐश्वर्योंको तृणतुल्य त्यागकर अकेले अवधूतोंकी भाँति आचरण धारणकर विचारने लगे। देखनेसे वह एक सिडी जान पड़ते थे, सिवा ज्ञानियोंके मूढ़जन उनके प्रभाव और ऐश्वर्यका अनुभव नहीं कर सकते थे। यद्यपि वे जीवन्मुक्त थे तो भी योगियोंको किस प्रकार शरीरका त्याग करना चाहिये, इसकी शिक्षा देनेके लिये उन्होंने अपना स्थूल शरीर त्यागनेकी इच्छा की। जैसे कुम्भकारका चाक घुमाकर छोड़ देनेपर भी थोड़ीदेर तक आप ही आप घूमा करता है वैसे ही लिङ्ग शरीर त्याग देनेपर भी योग मायाकी वासना द्वारा भगवान् ऋषभका स्थूल शरीर संस्कारवश भ्रमण करता हुआ कोक, वेंक, कुटक, और दक्षिण कर्नाटक देशोंमें यद्दृष्टा पूर्वक प्राप्त हुआ। वहाँ कुटकाचलके उपवनमें, सीड़ियोंकी तरह बड़ी-

बड़ी जटा छिटकाये नगे धडगे ऋपभदेव जी विचरने लगे । सत्र वनमे अकम्मात वायुके वेगसे वाँस हिलने लगे । परस्पर वाँसों के रगडनेसे दावानल प्रकट हुआ, देखते-देखते क्षणभरमें वह दावानल सब वनमें फैल गया । उम्मी अग्निमे ऋपभदेव जीका स्थूल शरीर भस्म हो गया । (भा० पु० स्क० ५, अ० ५६) ।

इस तरह भागवतकारने भी भगवान ऋपभदेवको योगी बतलाया है । यो तो कृष्णको भी योगी माना जाता है किन्तु कृष्णका योग 'योगः कर्मसु कौशलम्' के अनुसार कर्मयोग था और भगवान ऋपभदेवका योग कर्म संन्यासरूप था । जैन धर्ममें कर्मसंन्यासरूप योगकी ही साधनाकी जाती है । ऋपभदेवसे लेकर महावीर पर्यन्त सभी तीर्थङ्कर योगी थे । मौर्यकालसे लेकर आजतककी सभी जैन मूर्तियाँ योगीके रूपमे ही प्राप्त हुई हैं ।

योगकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन परम्परा है । वैदिक आर्य उससे अपरिचित थे । किन्तु सिन्धु घाटी सभ्यता योगसे अछूती नहीं थी, यह वहाँसे प्राप्त योगीकी मूर्तिसे, जिसे रामप्रसाद चन्दाने ऋपभदेवकी मूर्ति होनेकी सभावना व्यक्तकी थी—स्पष्ट है ।

अतः श्रीमद्भागवत आदि हिन्दू पुराणोंसे भी ऋपभदेवका पूर्व पुरुष होना तथा योगी हाना प्रमाणित होता है और उन्हें ही जैन धर्मका प्रस्थापक भी बतलाया गया है । एक बात और भी उल्लेखनीय है ।

श्रीमद्भागवत (स्क० ५, अ० ४) मे ऋपभदेव जीके सौ पुत्र बतलाये हैं । उनमें भरत सबसे बड़े थे । उन्हींके नामसे इस खण्डका नाम भारतवर्ष पड़ा । भारतके सिवा कुशवर्त, इलावर्त

विदर्भ कीकर, द्रविड़ आदि नामक पुत्र भी ऋषभदेवके थे ।
ये सब भारत वर्षके विविध प्रदेशोंके भी नाम रहे हैं । इनमें द्रविण
नाम उल्लेखनीय है । जो बतलाता है कि ऋषभदेवजी द्रविड़ोंके
भी पूर्वज थे । सिन्धु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी और वह
योगकी प्रक्रियासे परिचित थी जिसकी साधना ऋषभदेवने
की थी ।

श्री चि०वि० वैद्यने भागवतके रचयिताको द्रविड़ देशका अधि-
 वासी बतलाया है । (।ह०इ०लि० (विन्टर०) भा० १, पृ०५५६ का
 टिप्पण न०३) । और द्रविड़ देशमें रामानुजाचार्यके समय तक जैन
 धर्मका बडा प्राबल्य था । सभव है इसीसे भागवत्कारने ऋषभ
 देवको द्रविड़ देशमे ले जाकर वहींपर जैन धर्मकी उत्पत्ति होनेका
 निर्देश किया हो । किन्तु उनके इस निर्देशसे भी इतना स्पष्ट है कि
 ऋषभ देवके जैन धर्मका आद्य प्रवर्तक होनेकी मान्यतामे सर्वत्र
 एक रूपता थी और ऋषभदेव एक योगीके रूपमे ही माने जाते
 थे । तथा जनसाधारणकी उनके प्रति गहरी आस्था थी । यदि
 ऐसा न होता तो ऋषभदेवको विष्णुके अवतारोमे इतना
 आदरणीय स्थान प्राप्त न हुआ होता ।

विष्णु और अवतारवाद

यहाँ विष्णु और उसके अवतारवादके संबन्धमें प्रकाश
 डालना उचित होगा ।

यह स्पष्ट है कि प्राचीन वैदिक कालमे भी विष्णु एक महान्
 देवता था । किन्तु कोई भी उसे एक मात्र देवता अथवा
 सर्वोच्च देवता नहीं मानता था । ऋग्वेदसे प्रगट है कि इन्द्रके

सामने विष्णु एक हीन देवता है। इन्द्र उसे आत्रा देता है। ऋग् (१-२२-१६) में विष्णुको इन्द्रका योग्य सखा अवश्य लिखा है।

किन्तु उत्तर कालीन वैदिक साहित्यमें विष्णुकी स्थिति पहलेसे अधिक प्रमुख हो जाती है। शतपथ ब्राह्मणमें विष्णुके तीन पैरसे ब्रह्मांडको आक्रान्त करनेकी कथा विस्तारसे दी गयी है। उसमें विष्णुको यज्ञ पुरुष बतलाया है। उसके चौदहवें काण्डमें देवोंमें विवाद होनेकी एक कथा दी है, जिसमें विष्णुकी विजय हुई। तबसे विष्णु सब देवोंमें उत्तम कहे जाने लगे।

इस तरह ब्राह्मणकालमें विष्णुने प्रमुख स्थान प्राप्त किया। किन्तु फिर भी उसकी यह स्थिति सर्वदा निर्वाध नहीं थी। क्योंकि एतरेय ब्राह्मण (१-३०) में उसे 'देवाना द्वारपः' देवताओंका द्वारपाल लिखा है। फिर भी ब्राह्मणकालमें विष्णुको जो प्राधान्य मिला वह आगे बढ़ता ही गया और बढ़ते-बढ़ते महाभारतकालमें वह सर्वशक्ति सम्पन्न देवताके रूपमें पूजा जान लगा। विष्णुके नामपर प्रचलित साम्प्रदायिक नाम 'वैष्णव' भी प्रथमवार महाभारत में ही मिलता है किन्तु 'परम वैष्णव' उपाधिका प्रचलन ईसाकी पांचवीं शतीके लगभग हुआ। (अर्ली हि० वैष्ण०, पृ० १८)।

महाभारतके भीष्म पर्व और शान्ति पर्वमें भागवत, सात्वत, एकान्तिक या पञ्चरात्र धर्मका उल्लेख मिलता है। महाभारतके अनुसार नारद ने इस धर्मको स्वयं नारायणसे प्राप्त किया था।

१--ग्रष्टादश पुराणाना श्रवणात् यत्फल भवेत् ।

तत्फल समवाप्नोति वैष्णवो नात्र सशय ॥

नारायण नाम प्रथम बार शतपथ ब्राह्मणमें पाया जाता है। किन्तु उसका विष्णुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यकमें विष्णुके साथ नारायणको सम्बद्ध कर दिया गया है। (शिलालेखोंसे पता चलता है कि ईस्वी सन्के प्रारम्भसे बहुत पूर्व भागवतधर्म या भक्ति सम्प्रदाय मौजूद था तथा भागवत लोग वासुदेवके भक्त थे।) (अर्ली हि० वैष्ण०, पृ० २२-२३)।

(किन्तु किसी संहिता, ब्राह्मण और प्राचीन उपासनापद में विष्णुका वासुदेव नाम नहीं मिलता।) (अर्ली हि० वैष्ण०, पृ० ३०)

(हां, भगवद्गीतामें 'वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि' लिखकर वासुदेवको वृष्णिकुलसे सम्बन्धित बतलाया है। महाभारतमें मथुराके यादव, अथवा वृष्णि अथवा सात्वत वंशके कृष्णको वासुदेव कहा है। अनेक विद्वानोंका मत है कि कृष्ण वासुदेव मानव प्राणी नहीं था, किन्तु एक लौकिक देवता था, उसकी सस्कृतिको विष्णुके सिर लादकर वैष्णव धर्मको जन्म दिया गया।) (उदाहरणके लिये बर्थने 'भारतीय धर्म' नामक अपनी पुस्तकमें लिखा है कि 'महाभारतमें विष्णुका स्थान सर्वोच्च है जो कि वैदिक साहित्यमें नहीं है। किन्तु महाभारतसे विष्णुके साथ ही एक और नायक प्रकट होता है जिसे अवतार माना गया है, वह है मानवीय ईश्वर कृष्ण। वह व्यक्ति वेदोंके लिए एकदम अपरिचित है। यह निस्सन्देह एक लौकिक देवता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विष्णुकी प्रधानता प्राप्ति और कृष्णके साथ उसकी एकरूपताके मध्यमें अवश्य ही बनिष्ठ सम्बन्ध है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या कृष्णको विष्णुके साथ इसलिये मिलाया गया कि विष्णुको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो चुका था अथवा ब्राह्मणीय देवता विष्णुकी

प्रधानता विष्णुको लोकप्रसिद्ध कृष्णके साथ मिलनेका नतीजा है। इन दोनों विकल्पोंमेंसे मुझे दूसरा विकल्प ही अत्यधिक संभव प्रतीत होता है। हम देख चुके हैं कि वेदोंमें विष्णुकी प्रधानता प्रकट नहीं होती। और महाभारतमें वह हमें विशेष प्राचीन प्रतीत नहीं होती।' (रि० इ० पृ० १६६-६७)

(छा० उपनिषद् (३-१७-६) में घोर आङ्गिरसके शिष्य देवकीपुत्र कृष्णका उल्लेख आता है। मैक्समूलर महाभारत और पुराणोंके देवकीपुत्र कृष्ण और उपनिषद्के देवकीपुत्र कृष्णको एक नहीं मानते। तथा मैकडानल और कीथको उनकी एकतामें सन्देह है। उपनिषद्के कृष्णके विषयमें उन्होंने वैदिक इन्डेक्समें लिखा है—'परम्परा तथा प्रियर्सन गार्व जैसे कतिपय आधुनिक विद्वान् उसे महाभारतका नायक कृष्ण मानते हैं जो वादमें देवताके रूपमें पूजा जाने लगा। उनके मतानुसार कृष्ण क्षत्रिय था और नैतिक धर्मोंका उपदेष्टा तथा ब्राह्मण धर्मका विरोधी था। यह बात एकदम सन्देहास्पद है। उचित तो यह प्रतीत होता है या तो नामोंकी समानता आकस्मिक है, या उपनिषद्का उल्लेख। वर्धने दोनों कृष्णोंको तो एक माना है किन्तु उपनिषद्में कृष्णके उल्लेखको एकदम पौराणिक माना है। (रि० इ० पृ० १६८)।

डा० कीथका कहना है कि 'महाभारतका कृष्ण केवल एक सामूली धर्मोपदेष्टा नहीं है। वहां जब वह उपदेश देता है तो वह अपनेको परमेश्वरके रूपमें प्रकट करता है और हम इस तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वह दैवीरूप समस्त महाभारतमें स्पष्ट रूपमें अंकित है। वहाँ उसे एक जगह 'गोपीजन बल्लभ' लिखा है। यह विशेषण एक अनुमानित क्षत्रिय उपदेष्टाके लिए कुछ विचित्र सा लगता है। किन्तु ग्वाल जीवन बिताने वाले कृष्ण

जैसे परमेश्वरके लिये उचित है। इसके सिवाय एक और तथ्यकी उपेक्षा करना असंभव है। [उपनिषद्के जिस वाक्यमें कृष्णका निर्देश है उसमें अन्य गुणोंके साथ सत्य बोलना भी सम्मिलित है। किन्तु उससे महाभारतके कृष्णके कार्यों और क्रियात्मक उपदेशोंमें बहुत अन्तर प्रतीत होता है।] (ज० रा० ए० सो० १९१५, पृ० ५४८-५०)।

अन्तमें डा० कीथने लिखा है—‘हमें यह मान लेना चाहिए कि इस विषयके निर्णयके लिये हमें जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। उनपर हम उस कृष्णका महल खड़ा नहीं कर सकते जिसने केवल मनुष्यके रूपमें भागवत धर्मकी स्थापना की। महाभारत का कृष्ण परमेश्वर है और उपनिषद् का कृष्ण मनुष्य है। और दोनोंकी एक रूपताके आधार स्पष्ट नहीं हैं।’

[छा० उ० में घोर आङ्गिरस ऋषिके शिष्यके रूपमें देवकी पुत्र कृष्णका उल्लेख आया है। वहाँ यह नहीं बतलाया कि कृष्णने मंत्र्य किसी धर्मका उपदेश दिया। उससे तो केवल इतना ही प्रकट होता है कि कृष्ण एक गुरुके सम्पर्कमें आये और उनसे उन्होंने कुछ सिद्धान्तोंकी शिक्षा ली। किन्तु गीतामें जो उपदेश दिया गया है उसे कृष्णका कहा जाता है और चूँकि गीता उपनिषदोंके बादमें रची गयी है अतः गीताके मूल सिद्धान्त कृष्णके द्वारा उपदिष्ट हुए ऐसा माना जाता है।]

सारांश यह है कि महाभारतके कृष्ण मानव हैं या देव, यह निश्चित नहीं है। कुछका मत है कि कृष्ण मनुष्य था पीछे उसे देवताका रूप दिया गया, कुछका कहना है कि वह प्रारम्भसे ही देवता रहा है। किन्तु इतना निश्चित है कि ईस्वी पूर्व चतुर्थ शती में कृष्णकी मान्यता देवताके रूपमें होती थी, क्योंकि पाणिनिने

‘वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् (४-३-९८) सूत्रमे वासुदेवकी भक्ति करने वालेके अर्थमें वुन् प्रत्ययका विधान किया है । मेगास्थनीजने लिखा है कि मथुरामें कृष्णकी पूजा होती है । महानारायण उपनिषद् (ई० पूर्व ३री शती अनुमानित) में विष्णुको वासुदेव कहा है, जो बतलाता है कि कृष्ण विष्णु बन चुके थे । अन्तमें उक्त पाणिनिसूत्रके महाभाष्यमें वासुदेवको परमेश्वर कहा है ।

इस विषयमें डा० भण्डारकर का अपना एक जुदा मत है । वह वासुदेव और कृष्णमें भेद मानते हैं । उनका मत है कि वासुदेव सात्वत् जातिके मनुष्य थे जो ई० पूर्व छठी शतीमें हुए । उन्होंने अपनी जातिवालोको एकेश्वर वादका उपदेश दिया । वाद को उनके अनुयायी लोगोंने उन्हें देवताका रूप देकर पूजना शुरू कर दिया । वादको उन्हें नारायण, फिर विष्णु और फिर मथुराका कृष्ण गोपाल बना दिया । इसी सम्प्रदायसे गीताका जन्म हुआ । ग्रियर्सन, विन्टर नीट्स और गार्वने इस मतको माना किन्तु हापकिन्स और कीथने नहीं माना ।

डा. राय चौधरीने अपने वैष्णव सम्प्रदायके प्राचीन इतिहास में इसपर विस्तारसे विचार किया है । वह घोर आङ्गिरसके शिष्य देवकी पुत्र कृष्णको भागवत धर्मका संस्थापक मानते हैं । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषयमें वे निस्सन्देह नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—‘यदि कृष्ण केवल एक क्षत्रिय राजा थे और यदि भागवत धर्मके आधारभूत सिद्धान्त उनके द्वारा उपदिष्ट नहीं है किन्तु किसी अज्ञात व्यक्तिके द्वारा उपदिष्ट हैं तो हमें यह मानना पडता है कि प्राचीन भागवत अपने धर्म गुरुका नाम भूल गये । (अर्ली हि० वैष्ण, पृ० ६१) । अस्तु, भागवत धर्मके संस्थापक कृष्ण है या नहीं, इस विवादको छोड़

कर हम पुनः इस प्रश्नकी ओर आते हैं कि कृष्ण वासुदेवका विष्णुके साथ एकीकरण कब हुआ और क्यों हुआ ? इस संबन्धमें हम राय चौधरीकी खोजका उद्धृत करना उचित समझते हैं। उन्होंने लिखा है—“कृष्ण वासुदेवका नारायण विष्णुके साथ प्रथम वार एकीकरण कब हुआ, इसका निर्णय कर सकना शक्य नहीं है।... यह बतलानेके लिये भी कि प्राचीन भागवत धर्ममें विष्णुका प्रमुख स्थान था कोई साक्षात् प्रमाण नहीं है। पाञ्चालके एक मित्र सिक्केपर चार हाथ वाले विष्णुकी मूर्ति अंकित है। किन्तु यह बतलानेका कोई साधन नहीं है कि जिस राजाने वह सिक्का चलाया वह भागवत-वासुदेव सकर्षण सभ्यताका अनुयायी था। विष्णु पूजा ब्राह्मण सभ्यताके प्रतिद्वन्दीके रूपमें चली आयी हो सकती है। वासुदेवका नारायण विष्णुके साथ एकीकरणका स्पष्ट निर्देश तैत्तिरीय आरण्यकमें मिलता है किन्तु तैत्ति० आ० का समय निश्चय नहीं है। उसके जिस अन्तिम भागमें वासुदेवका नाम आया है वह भाग निश्चय ही उत्तर कालीन है। डा० मित्रके अनुसार यह ईस्वी सन् के आरम्भकी उपज है। किन्तु यतः आपस्तव सूत्रके द्वारा उसका अस्तित्व पूर्वानुमानित है। अतः हमारा भुकाव डा० कीथके इस मतकी ओर है कि तैत्ति० आ० सम्भवतया ईस्वी पूर्व तीसरी शतीका है। ईस्वी पूर्व तीसरी शतीके ब्राह्मण ग्रन्थमें नारायण विष्णुके नामसे वासुदेवका पाया जाना अर्थ पूर्ण है। क्या यह सम्राट् अशोकका क्रियाशील आन्दोलन था जिसने भागवतोंको अपना मित्र बनानेके उद्देश्यसे वासुदेवकी नारायण विष्णुके साथ सम्बद्ध करनेके लिये वैदिक पुरोहितोंको प्रेरित किया ? महाभारतमें ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं जो बतलाते

हैं कि वडी कठिनाईके साथ कट्टर ब्राह्मणोंको कृष्ण वासुदेवको स्वयं परमेश्वर नारायण माननेके लिए तैयार किया जा सका। गीता में (७-१६, ६-११) कृष्ण खेदके साथ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य मिलना बड़ा कठिन है जो कहे-वासुदेव सब कुछ है। जब मैं मानवरूपमें था मूर्ख मेरा तिरस्कार करते थे।' (सभापर्व (म० भा०) में हमें उस कालकी स्मृतिया दृष्टि 'गोचर होती हैं जब कृष्णके परमेश्वर होनेके दावेका खुले रूपसे खण्डन किया जाता था क्योंकि कृष्ण ब्राह्मण नहीं थे। म० भा० (१-१६७-३३) में वासुदेव केवल नारायणके उत्तराधिकारी हैं। दूसरी जगह (१-२२८-२०) उन्हें नारायण बतलाया है। किन्तु यह नारायण एक ऋषि है, परमात्मा नहीं है। किन्तु महाभारतके पूर्ण होनेपर कृष्णको नारायण विष्णु सवने मानलिया।' (अर्ली हि०, वैष्णव, १०७-१०८)

(डा० राय चौधरी ने एक प्रश्न उठाया है कि ईसा पूर्व शताब्दियोंमें ब्राह्मणोंके द्वारा जो नारायण विष्णुके साथ वासुदेवका एकीकरण किया गया उसे क्या भागवतोंने स्वीकार किया था जैसे बौद्धोंने बुद्धको विष्णुका अवतार माने जाने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया वैसे ही भागवतोंने भी उसे स्वीकार नहीं किया)। (इस प्रश्नके समाधानके रूपमें उन्होंने लिखा है कि ईसा-पूर्व दूसरी शतीके भागवत शिलालेखमें नारायण विष्णुका नाम न पाया जाना उल्लेखनीय है। जिन्होंने अपने भक्तोंके द्वारा आतिथ्य पाया वह वासुदेव और सकर्षण थे, विष्णु नारायण नहीं। अतः ईसा पूर्व दूसरी शतीके उस शिलालेखसे नारायण-पूजा और वासुदेव-संकर्षणकी संस्कृतिके बीचमें कोई सम्बन्ध प्रमाणित नहीं होता। गीतामें, जिसे वैष्णव धर्मकी प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है, वासुदेव कहते हैं 'मैं आदित्योंमें विष्णु

हूँ ।' किन्तु उसी तरह वह यह भी कहते हैं कि मैं रुद्रोंमें शंकर हूँ । उपलब्ध गीतामें वासुदेवको कहीं भी नारायण नहीं कहा) । (अर्ली हि० वैष्ण० पृ० १०६-११०) ।

डा० भण्डारकरने लिखा है कि विष्णु नारायणकी पूजा पहलेसे प्रचलित थी । पीछे भगवद्गीताके वासुदेवका विष्णु और नारायणके साथ एकीकरण किया गया और इस तरह आधुनिक वैष्णव धर्मका उदय हुआ । (क० व० भ०, जि० १, पृ० ४११)

अन्वेषकोके उक्त विचारोके फल स्वरूप जो तथ्य प्रकाशमें आते हैं वे इस प्रकार हैं—

१—भागवतधर्म, जो वादको विष्णुके नामपर वैष्णव धर्म कहलाया, वासुदेव कृष्णके द्वारा उपदिष्ट हुआ, किन्तु इसमें भी अभी ऐकमत्य नहीं है ।

२—कृष्ण वासुदेवका नारायण विष्णुके साथ एकीकरण ईस्वीपूर्व तीसरी शतीमें ब्राह्मणोंके द्वारा किया गया जो सम्भवतया सम्राट् अशोककी प्रतिक्रियाका परिणाम था ।

३—किन्तु इस एकीकरणको ईस्वी पूर्व तक भागवतोंने नहीं माना ।

४—भागवत धर्म प्रारम्भमें ब्राह्मण धर्मका प्रतिद्वन्दी था ।

महाभारत और गीता

यहाँ भागवतधर्मके सम्बन्धसे भगवद्गीता और महाभारत के सम्बन्धमें भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि

भगवद्गीताको भागवत धर्मका आद्य ग्रन्थ माना जाता है और वह महाभारतके अन्तर्गत है।

महाभारतको पाचवां वेद माना जाता है और चारों वेदोंका संकलन करनेवाले वेद व्यासको उसका रचयिता माना जाता है। महाभारतके अनुसार वेदव्यास महाभारतके नायकोके न केवल समकालीन थे किन्तु उनके निकट सम्बन्धी भी थे।

(किन्तु समस्त वैदिक साहित्यमें महाभारतका कोई निर्देश नहीं है, महाभारतके युद्धके सम्बन्धमें भी वेद एक दम मूक है। हां, ब्राह्मण ग्रन्थोंमें कुरुक्षेत्रका नाम प्रायः आता है और यजुर्वेद से सम्बन्धित साहित्यमें कुरुपञ्चाल और कुरुपञ्चालोका निर्देश बहुतायतसे आता है। किन्तु समस्त वेदोंमें पाण्डु और पाण्डवोंका कोई निर्देश नहीं है। हा आश्वलायन गृह्य सूत्रमें भारत और महाभारत नाम आया है। पाणिनिने युधिष्ठिर, भीम, विदुर महाभारत नामोंकी व्युत्पत्ति आदि दी है और महाभाष्यकार पतञ्जलिने सर्वप्रथम कौरवों और पाण्डवोंके युद्धका निर्देश किया है।)

(इन तथा अन्य प्रमाणोंके आधारपर यह माना जाता है कि ईसा पूर्व चतुर्थ शतीमें भारत या महाभारत जैसी कोई कृति अवश्य मौजूद थी। और ईस्वी पूर्व चतुर्थ शतीसे लेकर ईस्वी सन्की चतुर्थ शती तक महाभारतका क्रमशः परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा और गुप्तोंके राज्य कालमें उसे वर्तमान रूप मिला, कारण उसमें अनेक स्थानोंपर हूणोंका निर्देश है। वही संकलन आज हमारे सामने वर्तमान है। यद्यपि बादकी शताब्दियोंमें भी उसमें छोटे मोटे परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं। अतः महाभारतका कोई एक नियत रचना काल नहीं है।

किन्तु उसके प्रत्येक भाग का अपना अपना रचना काल उसकी स्थिति देखकर निर्णित करना होगा (हि० इ० लि०, विन्टर० भा० १, पृ० ४७४-४७५) ।

आदि पर्वके प्रथम अध्यायमें व्यास कहते हैं—

अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च ।

अह वेद्वि शुको वेत्ति सञ्जयो वेति वा न वा ॥८०॥

अर्थात् महाभारतके मूल श्लोक आठ हजार आठ सौ थे । (उन थोड़ेसे श्लोकोंसे ही महाभारत एक लाख श्लोकोंका बन गया । इसमें मूल श्लोक कौनसे हैं और प्रक्षिप्त कौनसे हैं यह खोज निकालना अशक्य है)

(पुरातत्वविदोंका मत है कि प्राचीन भारतका साहित्यिक कृतित्व बहुत कुछ ब्राह्मण वर्गके हाथोंमें रहा है । उन्होंने अथर्व वेदके प्राचीन लोक प्रचलित गीतोंका ब्राह्मणीकरण किया और उपनिषदोंके दर्शनको, जो निश्चय ही उनके लिये एक दम अपरिचित और विरोधी जैसा था अपने बुद्धि चातुर्यसे किस प्रकार मिश्रित किया, यह तात्त्विकोंसे छिपा नहीं है । यही बात महाभारतके सम्बन्धमें भी जाननी चाहिये । जो वीर गाथा मूलमें विशुद्ध सार्वलौकिक थी, उसे उन्होंने धीरे-धीरे अपने रूपमें परिवर्तित कर लिया । इसीसे महाभारतमें देवी देवताओंकी ऐसी कहानियाँ पाई जाती हैं जो मूलतः ब्राह्मण हैं । तथा प्रबोधक भागोंमें ब्राह्मण दर्शन, ब्राह्मण आचार और ब्राह्मण धर्मका विशेष दर्शन मिलता है । उन्होंने लोक सम्मत आख्यानको अपने सिद्धान्तोंके प्रचारका माध्यम बनाया और उसके द्वारा

अपना बल और प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने उस प्राचीन आख्यानमें अगणित कथाएँ सम्मिलित करदीं जिनमें ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषियोंके आश्चर्य जनक वृत्तान्त वर्णित है। उनमें बतलाया है

१—उदाहरणके लिये एक कथा यहा दी जाती है—

श्वेतकि नामके राजाको यज्ञ करनेकी बड़ी धुन सवार हुई। ऋत्विज धुएँसे ऊत्रकर यज्ञ छोड़ भाग गये। उनकी अनुमतिसे दूसरे ऋत्विज लाकर यज्ञ समाप्त किया गया। अनन्तर श्वेतकिने सौ वर्षोंमें समाप्त होनेवाला यज्ञ करनेका विचार किया। वह ब्राह्मणोंके पैर पड़ा, उन्हें दान दिया, पर श्वेतकिके यज्ञोंके लिये कोई ब्राह्मण तैयार न हुआ। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा—हम थक गये हैं तुम रुद्रको ही बुलाकर उससे अपना यज्ञ करवाओ। तब उस राजाने कैलासपर जाकर उग्र तप किया। उससे शिवजीने प्रसन्न होकर वर मांगनेके लिये कहा—श्वेतकिने वर मागा—तुम ही मेरे यज्ञोंके ऋत्विज बनो। पर महादेव तैयार नहीं हुए। उन्होंने श्वेतकिसे बारह वर्ष पर्यन्त निरन्तर घृतधारासे अग्निपूजा करनेके लिये कहा। श्वेतकिके ऐसा करनेपर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा—मेरा ही अवतार दुर्वासा ऋषि अब तुम्हारे यज्ञोंका ऋत्विज बनेगा। तदनुसार श्वेतकिने यज्ञकी तैयारी की। महादेवने दुर्वासाको भेजा। बहुत बढ़ा यज्ञ हुआ। उससे अग्निको विकार हो गया। उसने ब्रह्माके पास जाकर उसका इलाज पूछा। ब्रह्माने कहा—बारह वर्ष घृताहुति खानेके कारण तुम्हें यह रोग हुआ है और खाण्डव वनके सारे प्राणियोंकी चर्बी खानेसे तुम्हारा यह रोग अच्छा हो जायगा। अग्नि खाण्डव वन जलाना आरम्भ करताथा और इन्द्र उसे बुझा देता था। ऐसा सात बार हुआ। तब अग्नि क्रुद्ध होकर ब्रह्माके पास गया। ब्रह्माने उसे कृष्णार्जुनके पास भेजा। अग्नि ब्राह्मण वेशमें कृष्णार्जुनसे मिला और अपनी तृप्तिके लिये उनसे कुछ मागा। उन्होंने पूछा—कौन-सा

कि यज्ञों और सन्यासके प्रभावसे उन ऋषियोंने देवताओं तक पर प्रभुत्व प्राप्त किया और जब वे अप्रसन्न हुए तो उनके शाप से राजाओंका तो कहना ही क्या, देवताओंका स्वामी इन्द्र भी कम्पित हो उठा। (हि इ० लि० (विन्टर०) भा० १, पृ० ३१८-३१९)

महाभारतमें विष्णुका इतना प्राधान्य है कि उसे देखकरके ऐसा लगता है कि यह विष्णु पूजाके उद्देशसे लिखी गयी कोई धार्मिक पुस्तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु और शिवकी पूजाको लक्ष्यमें रखकर प्राचीन ब्राह्मण कथाओंका परिवर्तन भी किया गया है। ये परिवर्तन ध्यान देने पर स्पष्ट रूपसे लक्ष्यमें आ जाते हैं। यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि महाभारतमें शिव सम्बन्धी कथाएँ भी हैं। अस्तु,

गीताके सम्बन्धमें भी विद्वानोंका प्रायः यही मत है कि महाभारतकी तरह गीता भी हमें अपने मूल रूपमें नहीं मिली, इसमें भी कालक्रमसे परिवर्तन और परिवर्द्धन हुए हैं। कुछ विद्वानोंका विचार है कि गीता मूलमें बहु देवतावादी (Pantheistic) थी पीछेसे विष्णुके अनुयायियोंने उसे एकेश्वरवादमें परिवर्तित कर

अन्न चाहिये ? उसने कहा—मुझे अन्न न चाहिये, पर यह खाण्डव वन खानेको चाहिये। इन्द्र उसकी रक्षा करता है इससे मैं उसे खा नहीं सकता। मेरे सुलगते ही पानी बरसा देता है। कृष्णार्जुनने बड़ी तैयारी करके खाण्डव वनको जलाना आरम्भ किया। उस समय खाण्डव वनके प्राणियोंकी कैसी स्थिति हुई, इसका भयानक वर्णन २२८ वें अध्यायसे आया है। ऐसे संकटके समयमें वनकेप्राणी इन्द्रकी शरणमें गये। इन्द्रने एकदम पानी बरसाया। अर्जुनने वर्षाको रोकनेके लिये बाणोंसे आकाशको आच्छादित कर दिया।

दिया। किन्तु यह संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनेक विरोधोंके रहते हुए भी गीताका अन्तः वातावरण शुद्ध एकेश्वरवादी है (Thiestic)। गीताका ईश्वर एक व्यक्ति है जो मानव रूपसे अपने भक्तोंकी भक्ति चाहता है।

मूल भारत ग्रन्थमें भगवद्गीताके अस्तित्वको लेकर अधिकांश खोजी विद्वानोंको सन्देह है। डा० विन्टर नीट्सका कहना है कि यह कल्पना करना कठिन है कि कोई पौराणिक आख्यानका रचयिता कवि युद्ध भूमिमें अपने वीरनायकोंके बीचमें ६५० श्लोकोंके द्वारा दार्शनिक विचार विनिमय करायेगा। यह संभव है कि कविने मूलमें अर्जुन और सारथि कृष्णके बीचमें थोड़ीसी बातचीत कराई हो और आगे चलकर उसीको आजका रूप मिल गया हो। (विन्टर० हि० इ० लि० भा० १, पृ० ४३७) भगवद्गीताको भागवतोंका मूल ग्रन्थ माना जाता है। इसमें सांख्य मतकी भूमिकापर निष्काम कर्मके साथ भक्ति मार्गकी शिक्षा दी गई है।

डा० रा० गो० भण्डारकर गीताको ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी के वादकी नहीं मानते (वै० शै० पृ० १३)। अन्य भी कुछ विद्वानों का ऐसा ही मत है। (हि० इ० लि० (विन्टर०) भा० १, पृ० ४३८ पा० टि०)

ईसाकी सातवीं शतीके विद्वान् वाण कविको महाभारतके अंश रूपमें गीता ज्ञात थी। तथा उपनिषद्, वेदान्त सूत्र और गीता यह त्रयी शंकराचार्यके दर्शनकी आधार है। अतः इस बातकी बहुत कुछ संभावना है कि ईस्वी सन्की आरम्भिक शताब्दियोंमें गीताको वर्तमान रूप प्राप्त हुआ हो।

गीताके अवलोकनसे मालूम होता है कि कुरु क्षेत्रके मैदानमें जब कौरव और पाण्डवोंकी सेनाएँ आमने सामने डट गई तब

अर्जुनके मनमें यह प्रश्न उठा कि अपने ही सम्बन्धियोंको कैसे मारा जाये और वह गाण्डीव डालकर बैठ गया। तब कृष्णने उसे उपदेश देकर युद्धके लिये प्रवृत्त किया। अतः युद्धसे विरत अर्जुनको युद्धमे प्रवृत्त करना ही गीताका उद्देश्य है।

युद्धके मैदानमें बन्धु बान्धवोंके विनाश तथा युद्धके दुष्परिणामोंसे भीत क्षत्रिय पुत्र अर्जुनके युद्धसे विरत होनेकी घटनाको यदि एक रूपक मान लिया जाये तो कहना होगा कि हत्याके भयसे भीत क्षत्रिय पुत्रोंको स्वकर्ममे निरत करनेके लिये ही गीताकी सृष्टि हुई है। जरा आरम्भमें अर्जुनका कथन पढ़ जाइये। वह कहता है—‘हे कृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छासे एकत्र हुए इन स्वजनोंको देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कापता है, गाण्डीव हाथसे गिरा जाता है, मुझसे खडा नहीं रहा जाता’ (गी० अ० १, श्लो० २८-३०)। ये सब कायरताके चिन्ह हैं।

आगे अर्जुन कहता है—हे जनार्दन ! इन कौरवोंको मारकर हमारा कौन सा प्रिय होगा। यद्यपि ये आततायी हैं तौ भी इनको मारनेसे हमको पाप ही लगेगा। (मनुने ऐसे आतताइयोंको तत्काल जानसे मार डालनेका विधान करते हुए कहा है कि इसमें कोई पाप नहीं है मनु० ८-३५०)। इसके बाद अर्जुनने युद्धसे होनेवाले कुलक्षयके अनेक दुष्परिणाम बतलाते हुए कहा—यदि मैं निःशस्त्र होकर प्रतिकार करना छोड़ दूँ और शस्त्रधारी कौरव मेरा वध करदें तो मेरा अधिक कल्याण होगा (गी० अ० १ श्लो० ४६)।

यह न भूलना चाहिये कि महाभारतका युद्ध न केवल एक ही राष्ट्र और एक ही धर्मके लोगोंके बीचमे हुआ था। किन्तु एक

ही कुटुम्बके बीच ही हुआ था और गुरुवध, मित्रवध और कुल क्षयके भयसे अर्जुन भीत हो उठा था। तब दयाविष्ट आँखोंमें आंसू भरे अर्जुनसे श्रीकृष्ण बोले—हे अर्जुन! यह अनार्य लोगोंके द्वारा आचरणीय, अस्वर्ग्य (स्वर्गसे विमुख करने वाला) और आकीर्तिकर (अपयश फैलाने वाला) यह कश्मल तेरे कहाँसे आ गया। ऐसी कायरता ठीक नहीं। इत्यादि। यह निश्चित है कि जैन धर्मके अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर और बौद्ध धर्मके संस्थापक बुद्धके पश्चात् ही महाभारत और गीता रचे गये हैं। ये दोनों क्षत्रिय थे और दोनोंने सासारिक सुखोंसे विरक्त होकर संन्यास मार्गको ग्रहण किया था। वैदिक धर्ममें संन्यासका कोई स्थान नहीं था, वह तो केवल क्रियाकाण्डी था।

उपनिषदोंके तत्त्व ज्ञानको अपनानेके साथ ही वैदिक धर्ममें भी संन्यासका प्रवेश हुआ। किन्तु यद्यपि अद्वैत ब्रह्मज्ञानके साथ साथ संन्यास धर्मका प्रतिपादन उपनिषदोंमें किया गया तो भी इन दोनोंका नित्य सम्बन्ध वहाँ नहीं बतलाया। अतः यह आवश्यक नहीं था कि अद्वैत वेदान्तको स्वीकार करनेपर संन्यास मार्गको भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिए। उपनिषदोंसे यही व्यक्त होता है। राज्य त्यागकर संन्यास मार्गको अपनानेकी परम्परा प्राचीन कालसे ही क्षत्रियोंमें प्रचलित रही है। अतः क्षत्रिय अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर संन्यास मार्गको न अपनार्येँ उन्हें इसीसे मुक्ति प्राप्त हो जायगी, गीताके द्वारा गीताकारको यही बतलाना अभीष्ट जान पड़ता है।

लोकमान्य तिलकने अपने गीता रहस्यमें लिखा है—‘जब महाभारतके युद्धमें होनेवाले कुलक्षय और ज्ञातिक्षयका प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहल आँखोंके सामने उपस्थित हुआ तब अर्जुन

अपने ज्ञात्र धर्मको त्यागकर संन्यासको स्वीकार करनेके लिये तैयार हो गया था। और उस समय उसको ठीक मार्गपर लानेके लिये श्री कृष्णने वेदान्त शास्त्रके आधारपर यह प्रतिपादन किया कि कर्म योग ही अधिक श्रेयस्कर है। कर्म योगमे बुद्धि ही की प्रधानता रहती है। इसलिये ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानसे अथवा परमेश्वर की भक्तिसे अपनी बुद्धिको साम्यावस्थामे रखकर उस बुद्धिके द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहनेसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, मोक्ष पानेके लिये इसके सिवा अन्य किसी वातकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उपदेश करके भगवानने अर्जुनका युद्ध करनेमे प्रवृत्त कर दिया। गीताका यही यथार्थ तात्पर्य है (गी० २० पृ० ५०६)।

अन्यस्थलपर उन्होंने लिखा है—“साम्प्रदायिक टीकाकारोंने कर्मयोगको गौण ठहराकर गीताके जो अनेक प्रकारके तात्पर्य बतलाये हैं वे यथार्थ नहीं हैं। किन्तु उपनिषदोमे वर्णित अद्वैत वेदान्तका भक्तिके साथ मेलकर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरोके चरित्रोंका रहस्य या उनके जीवनक्रमकी उपपत्ति बतलाना ही गीताका सच्चा तात्पर्य है। मीमांसकोंके अनुसार केवल श्रौत स्मार्त कर्मोंको सदैव करते रहना भलेही शास्त्रोक्त हो, तौ भी ज्ञानरहित केवल तांत्रिक क्रियासे बुद्धिमान मनुष्यका समाधान नहीं होता, और यदि उपनिषदोंमें वर्णित धर्मको देखें तो वह केवल ज्ञानमय होनेके कारण अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंके लिये अत्यन्त कष्ट साध्य है। इसके सिवा एक बात और भी है कि उपनिषदोंका संन्यासमार्ग लोकसग्रहका बाधक भी है (गी० २० पृ० ४७०)।

गीताकी उपलब्ध टीकाओंमें सबसे प्राचीन टीका शंकराचार्य की है, उन्होंने तथा अन्य भी टीकाकारोंमे संन्यास मार्गका प्रति

पादन किया है। उनका मत है कि कभी न कभी संन्यास आश्रम का स्वीकार कर समस्त सांसारिक कर्मोंको छोड़े बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। और भगवाण श्री कृष्णके मनमें भी संन्यास मार्ग ही श्रेष्ठ है। किन्तु श्री तिलकका मत इसके विरुद्ध है। वे लिखते हैं—यह मत वैदिक धर्ममें पहले पहल उपनिषत्कारों तथा सांख्य-वादियों द्वारा प्रचलित किया गया कि दुःखसमय तथा निरसार् ससारसे निवृत्त हुए बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व का धर्म प्रवृत्ति प्रधान अर्थात् कर्मकाण्डात्मक ही था। परन्तु यदि वैदिक धर्मको छोड़ अन्य धर्मोंका विचार किया जाये तो यह मालूम होगा कि उनमेंसे बहुतोंने आरम्भसे ही संन्यास मार्गको स्वीकार कर लिया था। उदाहरणार्थ जैन और बौद्धधर्म पहले ही से निवृत्ति प्रधान हैं (गी० २० पृ० ४६२)। जैन और बौद्ध धर्मके प्रवर्तकोंने कापिल सांख्यके मतको स्वीकार कर इस मतका विशेष प्रचार किया कि संसारको त्याग कर संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता। .. यद्यपि श्री शंकराचार्यने जैन और बौद्धों का खण्डन किया है तथापि जैन और बौद्धोंने जिस संन्यास धर्म का विशेष प्रचार किया था उसे ही श्रौत स्मार्त संन्यास कहकर आचार्यने कायम रखा और उन्होंने गीताका इत्यर्थ भी ऐसा निकाला कि वही संन्यास धर्म गीताका प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु वास्तवमें गीता स्मार्त मार्गका ग्रन्थ नहीं, यद्यपि सांख्य या संन्यास मार्गसे ही गीताका आरम्भ हुआ है तो भी आगे सिद्धांत पक्षसे प्रवृत्तिप्रधान भागवत धर्म ही उसमें प्रतिपादित है। (गी० २० पृ० ३४२)।

सारांश यह है कि लोकमान्य तिलक गीताको कर्म योग अर्थात् प्रवृत्ति मार्गका ग्रन्थ मानते हैं, तथा शंकराचार्य आदि

टीकाकारोंने जो अपनी टीकाओंमें गीतामें संन्यास मार्गका प्रतिपादन किया उसे निवृत्तिमार्गी जैन धर्म और बौद्ध धर्मका प्रभाव मानते हैं। (जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं गीताके निर्माणका मूल उद्देश्य क्षत्रियको अपने क्षत्रिय कर्म युद्धसे विरत न करके युद्धमें प्रवृत्त करना है। ऐसा ग्रन्थ मूलमें निवृत्तिमार्गी नहीं हो सकता। हाँ उसमें जो निवृत्ति मार्गकी चर्चा आई है वह सामयिक प्रभाव हो सकता है। क्षत्रियोंमें अर्थात् गीता रचना जिस कालमें हुई उस समय निवृत्तिमार्गका प्रभाव होना चाहिये। जिसे कम करनेके उद्देश्यसे ही गीताकी रचनाकी गई जान पड़ती है।)

गीताके अनुयायिओंकी ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता है कि उपनिषदोंका दोहन करके स्वयं गोपाल नन्दन श्री कृष्णने गीताकी रचना की है। किन्तु प्राचीन उपनिषदोंमें मान्य छा० उ० में देवकी पुत्र कृष्णका निर्देश आता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उपनिषदोंकी रचना श्री कृष्णके बाद की है। अतः उपनिषदोंका दोहन करके गीताको रचनेका श्रेय श्री कृष्णको तो नहीं दिया जा सकता। किन्तु गीताके अवलोकनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी रचना उपनिषदोंके आधारपर ही किसी ने की है। यह पहले लिख आये हैं कि उपनिषदोंकी रचना वेदोंके प्रति

✓ १ मुण्डकोपनिषदमें (१-२-१७) कहा है—

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ न्यायच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेम लोक हीनतर वा विशन्ति ॥

‘इष्टापूर्तं ही श्रेष्ठ है, यह माननेवाले मूढ़ लोग स्वर्गमें पुण्यका उपयोग करके फिर नीचेके मनुष्य लोकमें आते हैं।’ ईशावास्य (६-१२) और ऋग्वेद उपनिषदों (२-५) में भी इसी ढंगकी निन्दा की गई है।

आस्था पूर्ण नहीं है। गीतामें भी यही बात लक्षित होती है। (गीता (अ० २, श्लो० ४२-४६) में लिखा है—हे पार्थ! वेदोंके वाक्योंमें भूले हुए यह कहने वाले मूढ़ लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, वढ़ाकर कहा करते हैं कि अनेक प्रकारके यागादिकसे पुनर्जन्म रूप फल मिलता है और भोग तथा ऐश्वर्य मिलता है स्वर्गके पीछे पड़े हुए ये काम्य बुद्धि वाले लोग—उल्लिखित कथन की ओर ही उनके मन आकर्षित हो जानेसे भोग और ऐश्वर्यमें गर्क रहते हैं। इस कारण उनकी व्यवसायात्मक बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं रहती। हे अर्जुन! वेद त्रैगुण्यकी बातोंसे भरे पड़े हैं। इस लिए तू त्रिगुणोंसे अतीत, नित्य सत्त्वस्थ और सुख दुःख आदि द्वन्दोंसे अलिप्त हो, योग क्षेम आदि स्वार्थोंमें न पड़कर आत्मनिष्ठ हो। चारों ओर पानीकी बाढ़ आजानेपर कुँका जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण को कर्म काण्ड रूप वेदका रहता है।”)

इस तरह वेदकी निन्दा करके भी आगे तीसरे अध्यायमें अन्न यज्ञ करनेका विधान किया गया है। लिखा है—परन्तु जो (यज्ञ न करके) केवल अपने लिये ही अन्न पकाते हैं वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं। प्राणी मात्रकी उत्पत्ति अन्नसे होती है, अन्न पर्जन्य-मेघसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न होता है और यज्ञकी उत्पत्ति कर्मसे होती है। (अ० ३, श्लो० १३-१४)।

किन्तु आगे (गी०, अ० ४, श्लो० ३३) पुनः लिखा है—द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। इस तरह वैदिक यज्ञोंके प्रति गीताका भाव उपनिषदोंके अनुरूप होते हुए भी गीतामें ज्ञान यज्ञके साथ यज्ञको भी विधेय बतलाया है। अध्यात्मक ज्ञानका तो गीतामें सग्रह है ही। फिर भी उपनिषदोंसे गीता

मे अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। गीतामें कपिलके साख्य शास्त्रको महत्व दिया गया है, जब कि बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषदोंमें सांख्य प्रक्रियाका नाम भी नहीं देख पड़ता। हा, कठ आदि उपनिषदोंमें अव्यक्त महान् इत्यादि साख्य शब्द अवश्य देखनेमें आते हैं। किन्तु गीतामें सांख्यक सिद्धान्त ज्योंके त्यों नहीं लिये गये हैं। त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृतिसं व्यक्त सृष्टिकी उत्पत्ति होनेके विषयमें साख्यके जो सिद्धान्त है वे गीताका भी मान्य हैं, किन्तु प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं है वे दोनों एक ही परब्रह्मके रूप हैं। इस तरह गीतामें उपनिषदोंके अद्वैत मतके साथ द्वैती साख्योंके सृष्टिउत्पत्तिक्रमका मेल पाया जाता है।

किन्तु उपनिषदोंकी अपेक्षा गीताकी महत्त्वपूर्ण विशेषता तो व्यक्तोपासना या भक्ति मार्ग है, क्योंकि व्यक्त मानव देहधारी ईश्वरकी उपासना प्राचीन उपनिषदोंमें नहीं देख पड़ती। लोकमान्य तिलकने लिखा है—“उपनिषत्कार इस तत्त्वसे सहमत हैं कि अव्यक्त और निर्गुण परब्रह्मका आकलन होना कठिन है, इसलिये मन, आकाश, सूर्य, अग्नि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकोंकी उपासना करनी चाहिये। परन्तु उपासनाके लिये प्राचीन उपनिषदोंमें जिन प्रतीकोंका वर्णन किया गया है उनमें मनुष्य देहधारी परमेश्वरके स्वरूपका प्रतीक नहीं बतलाया गया है”। (गी० २०, पृ० ५२८)

किन्तु उपनिषदोंमें वर्णित वेदान्तकी दृष्टिसे वासुदेव भक्तिका मण्डन करना ही गीताके प्रतिपादनका एक विशेष भाग है। इसके लिये गीताका नौवाँ अध्याय दृष्टव्य है। इसमें भगवान् कहते हैं - हे अर्जुन ! अब मैं तुझे गुह्यसे भी गुह्य ज्ञान बतलाता हूँ, जिसके जान लेनेसे तू पापसे मुक्त होगा।... इस पर

श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुझे नहीं पाते, वे मृत्यु युक्त संनारके मार्गमें भटकते रहते हैं ॥ ...मे सब भूतोंका महान् उश्वर हू किन्तु मृद लोग मेरे स्वरूपको नहीं जानते । वे मुझे मानव तनुधारी समझकर मेरी अवहेलना करते हैं ॥ ११ ॥ . ऋतु मैं ही हू, यद्य मैं ही हूँ स्वधा अर्थात् श्राद्धमें पितरोंको अर्पण किया हुआ अन्न मैं हूँ औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत अग्नि और आहुति मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ इस जगतका पिता माता वाता पितामह मैं हूँ, जो कुक्ष पवित्र या जो कुक्ष श्रेय है वह और ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ ॥ १७ ॥ सबकी गति, सबका पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान, और अव्यय बीज मैं हूँ ॥ १८ ॥ हे अर्जुन ! मैं उष्णता देता हूँ, मैं पानीको रोकता और बरसाता हूँ, अमृत और मृत्यु, सत् और असत् भी मैं हूँ ॥ १९ ॥ जो त्रैविद्य अर्थात् ऋक्, यजु और सामवेदोंके कर्म करने वाले, सोमपान करनेवाले, निष्पाप पुरुष यज्ञसे मेरी पूजा करके स्वर्गलोककी इच्छा करते हैं, वे पुण्यसे इन्द्रलोकमें पहुंचकर स्वर्गमें देवताओंके दिव्य भोग भोगते हैं ॥ २० ॥ और उस विशाल स्वर्गलोकका उपभोग करके पुण्यका क्षय हो जानेपर मनुष्य लोकमें आते हैं । इस प्रकार त्रयीधर्मके पालनेवाले और काम्य उपभोगकी इच्छा करनेवालोंको आवागमन प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ जो अनन्य निष्ठ लोग मेरा चिन्तनकर मुझे भजते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषोंका योग चेम मैं करता हूँ ॥ २२ ॥ हे कौन्तेय ! जो भी अन्य देवताओंके भक्त लोग श्रद्धायुक्त होकर भजन करते हैं वे भी विधिपूर्वक न होनेपर भी मेरा ही भजन करते हैं ॥ २३ ॥ क्योंकि सब यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी मैं हूँ । किन्तु वे तत्त्वतः मुझे नहीं जानते । इसलिये वे गिर जाया करते हैं ॥ २४ ॥ जो मुझे भक्तिसे पत्र, पुष्प,

फल अथवा जल अर्पण करता है, मैं उस प्रयतात्माकी भक्ति भेंटको ग्रहण करता हू ॥ २६ ॥ हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, होम हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर ॥ २७ ॥ इस प्रकार करनेसे कर्मोंके शुभ-अशुभ फलरूप बन्धनोसे तू मुक्त रहेगा और संन्यास करनेके इस योगसे मुक्तात्मा होकर मुक्त हो जायेगा तथा मुक्तमें मिल जायगा ॥ २८ ॥ मैं सबको एक-सा हू । न मुझे कोई द्वेष्य अर्थात् अप्रिय है और न कोई प्रिय । जो भक्तिसे मेरा भजन करते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हू ॥ २९ ॥ बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुझे अनन्य भावसे भजता है तो उसे साधु ही समझना चाहिये क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक रहती है ॥ ३० ॥ वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और सदा शान्ति पाता है । हे कौन्तेय ! तू खूब समझ ले, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ क्योंकि हे पार्थ ! मेरा आश्रय पाकर स्त्रियाँ, वैश्य, और शूद्र जो पापयोनि हों वे भी परम गति पाते हैं ॥ ३२ ॥ फिर मेरे भक्त ब्राह्मणों और राजर्षियो-ऋत्रियोंकी तो बात ही क्या है ॥ ३३ ॥

इस अध्यायसे जो बातें प्रकाशमें आती हैं वे इस प्रकार हैं—

१ प्रथम तो भगवानने (जो साम्प्रदायिक मान्यतानुसार श्री कृष्ण स्वयं हैं) इस अध्यायमें वर्णित अपने स्वरूपको अत्यन्त गोप्य बतलाया है । यदि थोड़ी देरके लिये यह मान लिया जाये कि इस अध्यायमें वर्णित बातें स्वयं श्रीकृष्णने कहीं हैं तो कहना होगा कि अपनी भगवत्ताके रहस्यका प्रथम उद्घाटन स्वयं उन्होंने ही किया, अन्य लोग तो उन्हें मनुष्य मानकर उनकी अवहेलना ही करते थे । ऐसी स्थितिमें जबकि अन्य लोग उन्हें

मानवमात्र मानते थे—अपनी भगवत्ताके रहस्यको अत्यन्त गुह्य वताना उचित भी था, नहीं तो अर्जुन सोचता कि श्रीकृष्ण महाराज तो आज 'दूनकी हाक' रहे हैं। और यदि श्रीकृष्णने अपनेको सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान न बतलाया होता तो अर्जुनका तथोक्त व्यामोह शायद ही दूर होता, क्योंकि गीताके अध्ययनसे प्रकट होता है कि अर्जुनको श्रीकृष्णकी सर्वशक्ति-मत्ताने ही विशेष प्रभावित किया।

मानवतनधारी क्षत्रिय व्यक्तिकी ऐसी सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन गीताके पूर्वके वैदिक साहित्यमें तो है ही नहीं, जैन बौद्ध आदि जिन धर्मोंको भौतिक और स्वर्गीय देवताओंके स्थानमें मानवकी प्रतिष्ठा करनेका श्रेय प्राप्त है, उनमें भी महावीर बुद्ध आदि मानवीय परमेश्वरोंकी शक्तिमत्ताका ऐसा रूप नहीं पाया जाता।

गीताका मानवतनधारी क्षत्रिय श्रीकृष्ण क्या नहीं है, वह स्वयं वेद है, जगतका कर्ता हर्ता है, पुण्य पापसे मोचन करनेवाला है, सर्व यज्ञोंका भोक्ता है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह पत्र पुष्पसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, उसके लिये यज्ञ जैसा बहुव्यय साध्य प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है। दुराचारी पातकी भी उसकी भक्तिसे पार हो जाते हैं, वैदिक युगमें जिन वैश्य, स्त्री और शूद्रोंको वेद श्रवण करनेका भी अधिकार नहीं था, वे भी कृष्ण भक्तिसे उत्तम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन वैदिक धर्मसे गीताके इस धर्ममें कितना अन्तर है? क्योंकि वैदिक धर्मका प्राचीन स्वरूप न तो भक्ति प्रधान, न तो ज्ञान प्रधान और न योग प्रधान ही था किन्तु वह यज्ञमय था।

वैदिक आख्यानके अनुसार प्राचीनकालमें विश्वामित्र नामके

एक क्षत्रिय राजाने राज्यासनका परित्याग करके ब्रह्मर्षित्व प्राप्त करनेके लिये बनवास स्वाकार किया था। इसके पूर्व परशुराम और सहस्राजुर्नके समयसे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें एक लम्बा और मर्मभेदी झगडा होता चला आता था और दोनोंमें से प्रत्येक समूह दूसरेके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये प्रयत्न-शील था। किन्तु उसके बाद जब नियममें सुधार हुआ तो ब्राह्मणोंने विश्वामित्रको ब्रह्मर्षियोंमें तथा सर्वोच्च वैदिक ऋषियोंमें सम्मिलित कर लिया तथा उन्हें सप्तर्षियोंमें स्थान दिया और विश्वामित्रने अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये जिस गायत्री मंत्रका निर्माण तथा प्रयोग किया था उसे समस्त वैदिक मंत्रोंसे शक्तिशाली और वैदिक शिक्षणका सारभूत मान लिया गया।

उक्त आख्यानसे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके बीचमें प्रभुत्वको लेकर कितने ही सुदीर्घ काल तक झगडा चला और ब्राह्मणोंने एक क्षत्रिय राजाको ब्रह्मर्षि पद देना स्वीकार नहीं किया। किन्तु अन्तमें उन्हें अपनी हठको छोड़ना पडा। सम्भवतया उक्त घटनाके बादसे ही ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंको प्रभुत्व देना स्वीकार किया। (उपनिषदों और प्राचीन जैन तथा बौद्ध साहित्यसे पता चलता है कि क्षत्रियोंमें कितना बौद्धिक स्वातन्त्र्य था और उन्होने ज्ञानके क्षेत्रमें भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। उपनिषदोंकी आत्मविद्या तो उन्हींकी देन है।) किन्तु उत्तर कालमें क्षत्रिय अपनी उस स्थितिको कायम नहीं रख सके और ब्राह्मणोंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यद्यपि यह प्रभुत्वस्थापन क्षत्रिय श्रीकृष्णकी ओटमें ही किया गया। किन्तु उन्होंने उसे विष्णुका पूर्ण अवतार मानकर और उसे ही वेद तथा यज्ञ कहकर विस्मृत तथा उपेक्षित वैदिक यज्ञोंको भी विष्णुके रूपमें पुनरुज्जीवित

करनेका प्रयत्न किया, और इस तरह जो लोग जैन और बौद्ध धर्मके प्रचारसे प्रभावित होकर उधर आकृष्ट होते थे उन्हें अपनेमें ही रोक रखनेका प्रयत्न किया गया ।

गीताके मुख्य प्रतिपाद्य वासुदेव भक्तिके मूलमें उपनिषदोंसे मेल न खानेवाली जो बातें पाई जाती हैं, यदि जैन और बौद्ध धर्मोंके मूल आधारोंके साथ उनकी तुलना करके देखा जाये तो भागवत धर्मकी स्थापनामें उक्त धर्मोंका प्रभाव परिलक्षित होना स्वाभाविक है ।

(जैन धर्मके सभी तीर्थङ्कर क्षत्रिय थे और नरतनधारी थे । बौद्ध धर्मके संस्थापक बुद्ध भी क्षत्रिय और मानव थे । वैदिक धर्ममें भौतिक और स्वर्गीय देवताओंको जो स्थान प्राप्त था वही स्थान जैन धर्ममें मानव तीर्थङ्करको और बौद्ध धर्ममें बुद्धको प्राप्त था । जैनतीर्थङ्कर और बुद्ध दोनोंने राज्यासनका मोह त्यागकर संन्यास धारण किया और पूर्ण ज्ञान लाभ करके अपने-अपने धर्मका उपदेश दिया । उनका उपदेश सबके लिये था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, सभी उसे न केवल सुननेके अधिकारी थे, किन्तु आचरण करनेके भी अधिकारी थे । तीर्थङ्कर और बुद्धको अपने जीवनकालमें ही राजघरानों, ब्राह्मणों तथा जनसाधारणके द्वारा वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जैसी देवताओंको प्राप्त थी । दोनोंने यह उद्घोषित किया कि मानव, मानव रहकर भी देवत्व प्राप्त कर सकता है और उसका मार्ग है, अहिंसा । इस त्याग तपस्या और सुलभ उपदेशने सभीको आकृष्ट किया । वैदिक धर्ममें ये सब बातें नहीं थीं, वहाँ तो एक वर्ग विशेषका प्रभुत्व था । अतः इन धर्मोंके बढ़ते हुए प्रभुत्वको रोकनेके लिये एक ऐसे धर्मकी आवश्यकता थी जिसमें उक्त सब बातोंके साथ अपनी कुछ

विशेषता भी सुरक्षित हो। उसी आवश्यकताका आविष्कार गीतोक्त भागवत धर्म है।

उसमें क्षत्रिय श्रीकृष्णको भगवानका अवतार मानकर मानवतनधारी ईश्वरकी सृष्टिकी गई। और उन्हे ऐसा प्रभुत्व दिया गया जो किसी तीर्थङ्कर या बुद्धको तीनो कालोमें भी प्राप्य नहीं। गीताके श्रीकृष्ण स्वयं भगवान हैं। महावीर और बुद्धकी तरह राज्य सुख छोडकर प्रव्रज्या धारण करके भगवान बननेके लिये कुछ प्रयत्न करनेकी उन्हे आवश्यकता नहीं। (तीर्थङ्कर और बुद्धने पूर्ण ज्ञान लाभ करके उपदेश दिया। किन्तु भगवान तो सदासे ही पूर्णज्ञानी हैं अनः उन्होंने विना ही उसके उपदेश दिया। मगर वह उपदेश जनसाधारणको न देकर अपने भक्त अर्जुनको दिया और वह भी युद्धस्थलमें दिया। यह इस धर्मकी अपनी विशेषता है, क्योंकि एक तो वैदिक धर्ममें सन्यास मार्गका आदर नहीं था, दूसरे जो क्षत्रिय अपने क्षत्रियबन्धु महावीर और बुद्धके त्याग मार्गसे आकृष्ट होकर उसे अपनाते थे उन्हें रोकना भी था। तीसरे, भक्तपर भगवानकी कृपाका प्रदर्शन भी करना था, चौथे सबके लिये धर्मको सुलभ रखनेके साथ ही साथ वैदिक संस्कारोमें पत्नी गोप्यताका भी संरक्षण करना था।)

(हमारा उक्त कथन कोरी कल्पना नहीं है किन्तु भारतके इतिहासज्ञों और दार्शनिकोंका भी यही मत है। दीवान बहादुर कृष्ण स्वामी आयगरने लिखा है—“उस समय एक ऐसे धर्मकी आवश्यकता थी जो ब्राह्मण धर्मके पुनर्निर्माण कालमें बौद्ध धर्मके विरुद्ध जनताको प्रभावित कर सकता। उसके लिये एक मानव देवता और उसकी पूजाविधिकी आवश्यकता थी।”—ऐशियट इं०, पृ० ५२८)। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ओम्हाजीने लिखा है—“बौद्ध और जैन धर्मके प्रचारसे वैदिक धर्मको बहुत हानि पहुँची।

इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा और वह नये साँचे में ढलकर पौराणिक धर्म बन गया। उसमें बौद्ध और जैनोसे मिलती धर्म सम्बन्धी बहुत-सी नई बातों ने प्रवेश किया। (राज० इति०, प्र० भा पृ० १०-११)

(डाक्टर राधाकृष्णन् ने लिखा है—‘जब जनता की आध्यात्मिक चेतना उपनिषदोंके कमजोर विचारसे, या वेदोंके दिखावटी देवताओंसँ तथा जैनो और बौद्धोंके नैतिक सिद्धान्तोंके संदिग्ध आदर्शवादसे सन्तुष्ट नहीं हो सकी, तो पुनर्निमाणने एक वसंको जन्म दिया, जो उतना नियमबद्ध नहीं था तथा उपनिषदोंके धर्मसे अधिक सन्तोषप्रद था। उसने एक संदिग्ध और शुष्क ईश्वरके बदलेमें एक जीवित मानवीय परमात्मा दिया। भगवद्-गीता, जिसमें कृष्ण विष्णुके अवतार तथा उपनिषदोंके परब्रह्म माने गये हैं, पद्मरात्र सम्प्रदाय और श्वेताश्वर तथा अर्वाचीन उपनिषदोंका शैवधर्म इसी क्रान्तिके फल हैं। (इ० फि०, जि० १, पृ० २७५-२७६)।

(सर राधाकृष्णन् ने गीता धर्मकी उत्पत्तिका कारण धार्मिक असन्तोष बतलाया है, जो उचित ही है। किन्तु उपनिषदोंके विचार और वेदोंके दिखावटी देवताओंके साथ जो जैन धर्म और बौद्ध धर्मको भी सम्मिलित कर लिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि इन दोनों धर्मोंसे तो वैदिक धर्मानुयायियोंका सन्तोष ही नहीं सकता था। इन्हींकी प्रतिक्रियाके फल स्वरूप तो उन्हें एक संदिग्ध और शुष्क ईश्वरके बदलेमें जीवित मानवीय परमात्मा मिल सका है। अतः जैन और बौद्ध धर्मके बढ़ते हुए प्रभावको नष्ट करनेके लिए उत्तर कालमें शंकराचार्यने जो मार्ग अपनाया, वही मार्ग पूर्वकालमें गीताके रचयिताने भी अपनाया।)

(संन्यास मार्गकी प्रवृत्तताका कारण बतलाते हुए लोक-

मान्य तिलकने लिखा है—‘संन्यास मार्गकी प्रबलताका कारण यदि शंकराचार्यका स्मार्त सम्प्रदाय ही होता तो आधुनिक भागवत सम्प्रदायके रामानुजाचार्य अपने गीता भाष्यमें शंकराचार्यकी ही नाई कर्म योगको गौण नहीं मानते। परन्तु जो कर्मयोग एकवार तेजीसे जारी था वह, जबकि भागवत सम्प्रदायमे भी निवृत्ति प्रधान भक्तिसे पीछे हटा ज़िया गया है तब तो यही कहना पडता है कि उसके बिछड़ जानेके लिए कुछ ऐसे कारण अवश्य उपस्थित हुए होंगे जो सभी सम्प्रदायोंको अथवा सारे देशको एक ही समान लागू हो सके। हमारे मतानुसार इनमेसे पहला और प्रधान कारण जैन एव बौद्ध धर्मोंका उदय तथा प्रचार है, क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मोंने चारो वर्णोंके लिए संन्यास मार्गका दरवाजा खोल दिया था और इसलिए क्षत्रिय वर्गमें भी संन्यास धर्मका विशेष उत्कर्ष होने लगा था।.....शालिवाहन शकके लगभग छ. सात सौ वर्ष पहले जैन और बौद्ध धर्मके प्रवर्तकोंका जन्म हुआ था और शंकराचार्यका जन्म शालिवाहन शकके ६०० वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीचमें बौद्ध यतियोंके संघोंका अपूर्व वैभव सब लोग अपनी आंखोंके सामने देख रहे थे। इसलिए यति धर्मके विषयमें उनलोगोंमें एक प्रकारकी चाह तथा आदरबुद्धि शंकराचार्यके जन्मके पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शंकराचार्यने यद्यपि जैन और बौद्ध धर्मोंका खण्डन किया है तथापि यति धर्मके बारेमें लोगोंमें जो आदर बुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होंने नाश नहीं किया, किन्तु उसीको वैदिकरूप दे दिया और बौद्ध धर्मके बदले वैदिक धर्मकी संस्थापना करनेके लिए उन्होंने बहुत से प्रयत्नशील संन्यासी तैयार किये।... इन वैदिक संन्यासियों के संघको देख उस समय अनेक लोगोंके मनमें शंका होने लगी थी कि शाकर मतमें और बौद्ध मतमें क्या अंतर है? प्रतीत होता

है कि प्रायः इसी शकाको दूर करनेके लिए छान्दोग्योपनिषद्के भाष्यमें आचार्यने लिखा है कि 'बौद्ध यतिधर्म और साख्य यति धर्म दोनों वेदवाह्य तथा खोटे हैं। एवं हमारा सन्यास धर्म वेदके आधारसे प्रवृत्त किया गया है इसलिए यही सच्चा है'।
(गी० र०, पृ० ५००-५०१)

(अतः जैसे शंकराचार्यने जैन और बौद्ध यतियोंके प्रति जनता का आदर भाव देखकर उन धर्मोंको पदच्युत करनेके लिये वेदात्त धर्ममें भी संन्यास मार्गको अपनाया और उसे वेदके आधारसे प्रवृत्त हुआ बतलाया, जब कि वेद संहिता और ब्राह्मणोंमें यज्ञ यागादि कर्मप्रधान धर्मका प्रतिपादन है, वैसे ही गीताके रचयिता ने भी जैन और बौद्ध धर्मोंमें मानव रूप देवत्वकी प्रतिष्ठा और जनताके प्रति उनका आदर भाव तथा वैदिक देवताओंकी अप्रतिष्ठा देखकर एक मानव रूपधारी परमेश्वरकी सृष्टि करना उचित समझा। गीताकी रचनासे पूर्व यमुनाके तटपर वासुदेवकी भक्ति प्रचलित थी यह पाणिनीके उल्लेखसे स्पष्ट ही है। अतः उसे ही उत्तरकालमें विष्णुका रूप देकर उक्त आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई। और चूंकि हिंसाप्रधान वैदिक यज्ञोंके प्रति जनताकी अत्यन्त विरुद्धता हो चुकी थी और उनको पुनरुज्जीवित करना शक्य नहीं था, अतः श्री कृष्णको ही वेद और यज्ञ रूप बतलाकर द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानमय यज्ञको श्रेष्ठ बतलाया।)

अवतारवाद

अवतारवादके सिद्धान्तको स्पष्ट रूपसे अवतरित करनेका श्रेय भी गीताको ही है। गीतामें कहा है—'जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है, तब मैं जन्म लेता हूँ ॥ तथा साधुओंकी रक्षाके लिये और दुष्टोंके निग्रहके लिए एव धर्मकी स्थापनाके लिए

मैं प्रत्येक युगमें अवतार लेता हूँ, यही अवतारवाद है। इसके सम्बन्धमें श्री ए० बार्थ (रि० इ०, पृ० १६६-१७०) ने लिखा है—‘यथार्थमें अवतारोंकी मालामें गूँथे गये देवताको, जो वैदिक धर्मके देवताओंकी तरह केवल भावात्मक नहीं हैं किन्तु ठोस द्रव्य हैं, उच्च व्यक्तित्वसम्पन्न हैं, अधिक क्या मानव है, पूजनेकी प्रवृत्ति चलाकर ब्राह्मणोंने पुरानी समस्याको नई शैलीमें हल कर लिया।’ मि० बार्थ के अनुसार अवतारवादका जन्म जनतामें फैले हुए असन्तोषका परिणाम था। वैदिक देवता जहाँ प्राकृतिक व्यक्तियोंके रूप थे वहाँ भावात्मक भी थे उपनिषदोंका ब्रह्मवाद तो शुद्ध भावात्मक था। भावात्मक वस्तुसे जन साधारणका परितोष नहीं होता। उसे कुछ ठोस वस्तु भी चाहिये जो मूर्त रूप भी हो। जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा वगैरह की जा सके। इतनी विशेषताओंके साथ यदि वह मानवरूप भी हो तो कहना ही क्या है ?

(असलमें श्री कृष्णको परमेश्वर मानना और अवतारवादका सिद्धान्त ये दो अलग अलग तत्त्व नहीं हैं। क्योंकि अवतारवाद का सिद्धान्त स्वीकार करनेपर ही क्षत्रिय श्री कृष्णको परमेश्वरका अवतार माना जा सकता है। फिर जब यह कहा गया कि मैं प्रत्येक युगमें अवतार लेता हूँ, तब तो श्री कृष्णके सिवाय अन्य अवतारोंको मानना भी आवश्यक था।)

अधिकांश विद्वानोंका मत है कि ईसासे तीन सौ वर्ष पूर्व वासुदेव कृष्ण विष्णुके अवतार माने जाने लगे थे। और उनके अवतारकी बात चलनेके बाद बाकी अवतार भी विष्णुके ही अवतार माने जाने लगे। यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थोंमें अवतारवादकी भावना पाई जाती है। शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि प्रजापतिने मत्स्य कूर्म और वराहका अवतार लिया था, किन्तु विष्णुके अव-

तारकी गन्ध भी नहीं है। सम्भवतया उक्त भावनाको ही लेकर अवतारवादके सिद्धान्तको अवतरित किया गया।

चूंकि अवतारवादके सिद्धान्तका अवतार एक समस्याको हल करनेके लिये हुआ था और उन समस्याको हल करनेके दो उपाय थे—एक उच्चव्यक्तियुक्त सम्पन्न मानवकी परमेश्वरके रूपमें प्रतिष्ठा, दूसरे, अन्य धर्मोंमें प्रजित होनेवाले महापुरुषों अथवा विशिष्ट व्यक्तियोंको भी उसी एक अपने परमात्माका अग्र मानकर अपने अवतारोंकी मालामें गृह्यना, जिससे उच्च आरूढ़ होनेवाले स्त्री पुरुष उन व्यक्तियोंको भी उसी एक विष्णुका अंशावतार मानकर विष्णुके पूर्णावतारकी ओर ही आरूढ़ हो तथा उनकी दृष्टिमें पूर्णावतारी श्रीकृष्णकी तुलनामें उन विशिष्ट व्यक्तियोंकी प्रतिष्ठा कम हो जाये। आजके समन्वयवादी व्यक्तियोंकी दृष्टिसे यह भी कहा जा सकता है कि सब धर्मोंके महापुरुषोंका समन्वय करनेके लिये ऐसा किया गया, क्योंकि गीताके नौवें अध्यायमें कहा गया है कि जो भी अन्य देवताओंके भक्त लोग श्रद्धायुक्त होकर भजन करते हैं वे भी मेरा ही भजन करते हैं। किन्तु उस समन्वयमें भी बड़ी दृष्टि कार्य करती है। उसीके फलस्वरूप जैनोंके ऋषभ देव, सांख्योंके कपिल और बौद्धोंके बुद्धको विष्णुके अवतारोंमें स्थान दिया गया।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जैन धर्ममें २४ तीर्थंकर और बौद्ध धर्ममें २५ बुद्ध माने गये हैं। बुद्धके निर्वाणके पश्चात्से ही बौद्ध २५ बुद्धोंको मानते आये हैं। इसी तरह जैनोमें चौबीस तीर्थंकरोंकी मान्यता भी अति प्राचीन है और ढिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें इस विषयमें ऐकमत्य है। किन्तु हिन्दू अवतारोंकी संख्यामें क्रमिक विकास हुआ है।

सबसे अधिक अवतार संख्या २२-२३ श्रीमद्भागवतमे मिलती है। उसका रचनाकाल ईस्वी सातवीं शती है। अतः हिन्दू अवतारोंकी संख्या पर भी जैन-बौद्ध प्रभाव परिलक्षित होता है।

जैन पुराणोंमें श्री कृष्ण

जिस तरह हिन्दू पुराणोंमें ऋषभ देवका उल्लेख है उसी तरह जैन पुराणोंमें श्री कृष्णका न केवल उल्लेख है किन्तु विस्तृत चरित भी वर्णित है और उसके वर्णनका मुख्य कारण यह है कि जैन अनुश्रुतिके अनुसार श्री कृष्ण २२ वें जैन तीर्थङ्कर श्री नेमिनाथके चचेरे भाई थे। तथा जैन धर्मके ६३ शलाका पुरुषोंमें से थे। इसीसे जैन पुराणोंमें श्री कृष्णके प्रति प्रायः वैसा ही आदर भाव व्यक्त किया गया है जैसा श्रीमद्भागवतमे किया गया है। किन्तु उन्हें मानव रूपमें परमात्मा नहीं माना।

नेमिनाथ और श्रीकृष्ण, दोनोंका जन्म यदुकुलमें हुआ था। उनके प्रपितामहका नाम शूर था और पितामहका नाम था अन्धकवृष्णी। शूरने मथुराके निकट सौरिपुर नामक नगरकी स्थापना की थी। सौरिपुर नरेश अन्धकवृष्णिके दस पुत्र थे। उनमेंसे बड़े पुत्रका नाम समुद्र विजय था। अन्धकवृष्णिने अपने बड़े पुत्र समुद्र विजयको राज्य देकर जिनदीक्षा धारण कर ली। उनके सबसे छोटे पुत्रका नाम वसुदेव था। वह अपने बड़े भाई समुद्र विजयके अनुशासनमें रहता था और अनेक कलाओंमें पारङ्गत था। गायन और वादनकलामें वह इतना निपुण था कि जब वह गाता था तो उसके मनोहर स्वर और रूपसे आकृष्ट होकर नगरकी नारियाँ अपना-अपना काम छोड़कर उसके चारों ओर एकत्र हो जाती थीं।

एक बार प्रमुख नागरिकोंने राजा समुद्र विजयसे इस बातकी शिकायत की और समुद्र विजयने वसुदेवको महलसे निकलनेकी मनाई कर दी। एक दिन अवसर पाकर वसुदेव महलसे निकल गया, और देश-देशान्तरोंमें घूमता हुआ एक बार एक युद्धमें सम्मिलित हुआ वहाँसे समुद्र विजय उसे लौटा लाये। लौटनेपर वसुदेवका परिचय कंससे हुआ। कंस उग्रसेनका पुत्र था। दैवज्ञोके द्वारा कंसको अमंगल सूचक बतलाने पर उग्रसेनने उसका जन्म होते ही परित्याग कर दिया था और एक वणिक्ने उसका पालन किया था।

(एकबार जरासंधने समुद्रविजयको अपने एक शत्रुपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी। समुद्र विजयने कंसके साथ वसुदेवकी अधीनतामें एक सेना भेजी। कंसने शत्रुको पकड़कर वसुदेवके सामने उपस्थित किया। वसुदेव उसे जरासन्धके पास ले गया। जरासन्धने प्रसन्न होकर मथुराका राज्य तथा अपनी पुत्री वसुदेवको देना चाही। किन्तु वसुदेवने अस्वीकार करते हुए कंसको उस पारितोषिकका अधिकारी बतलाया। और जरासंधने कंसके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करके उसे मथुराका राज्य दे दिया।)

भागवत सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें उक्त घटनाओंका संकेत नहीं है। किन्तु इन घटनाओंके वर्णनमें सत्यकी कुछ ऐसी छाप है जो विद्वानोंको यह विश्वास दिलानेके लिये प्रेरित करती है कि जैन लोग उक्त घटनाओंकी जानकारीके सम्बन्धमें कोई स्वतंत्र जरिया रखते थे, और यह बात जिनसेनकृत हरिवंश पुराणकी उत्थानिकासे प्रमाणित होती है। जिनसेनने अपने हरिवंश

पुराणकी उत्थानिकामें लिखा है कि मैंने अपना यह हरिवश चरित पूर्वाचार्योंके द्वारा प्रणीत ग्रन्थोंके आधारसे लिखा है। अत यह आक्षेप, कि जैनोंने अपने पुराण हिन्दू पुराणोंके आधारपर घड़े हैं, अवश्य ही भ्रम पूर्ण, और निराधार हैं। वल्कि कतिपय ऐतिहासिक तथ्योंके सम्बन्धमें हिन्दू पुराणोंकी अपेक्षा जैन पुराण अधिक विश्वसनीय और विशेष सूचक हैं।' (भा०, इ० पत्रिका, जि० २३, पृ० १२०)।

२२वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ

जैन पुराणोंके अनुसार सौरिपुरमें समुद्रविजयके अरिष्टनेमि नामका एक पुत्र हुआ। उससे प्रथम समुद्रविजयके लघुभ्राता वसुदेवके वासुदेव श्रीकृष्णका जन्म हो चुका था। जरासन्धके आक्रमणके भयसे यादवगण शौरिपुर छोड़कर द्वारकामें जा बसे। उसके पश्चात् युवा होनेपर श्रीकृष्णने जरासन्धका वध किया और दिग्विजय करके अर्धचक्रित्व पद प्राप्त किया। इधर नेमिनाथ भी युवा हो चले।

एक दिन राजसभामें सब यादव उपस्थित थे। एक सिंहासन पर श्रीकृष्ण और नेमिनाथ भी विराजमान थे। सभामें वीरताकी चर्चा चल पडी और तब सब अपने अपने बलका प्रदर्शन करने लगे। नेमिनाथने भी अपने बलका प्रदर्शन किया, जिससे श्रीकृष्ण के चित्तमें नेमिनाथकी ओरसे शंका उत्पन्न हो गई। तबतक नेमिनाथ अविवाहित थे और कोई भी कन्या उनका मन आकृष्ट नहीं कर सकी थी।

एकवार वसंत ऋतुमें सब यादवगण बन विहारके लिये गये। अपनी पत्नियोंके साथ श्रीकृष्ण भी इस आनन्दोत्सवमें

सम्मिलित हुए और वे नेमिनाथको भी साथ ले गये । श्रीकृष्णकी रानियोंने अपने पतिका संकेत पाकर अपने देवर नेमिनाथको घेर लिया । वनक्रीडाके पश्चात् जलक्रीड़ा आरम्भ हुई । जल-क्रीडाके अन्तमें नेमिनाथने अपने गीले वस्त्र उतारकर श्रीकृष्णकी रानी जाम्बवन्तीसे धोनेके लिये कहा । इस पर जाम्बवन्ती विगड़कर बोली, मेरे पति श्रीकृष्ण इतने पराक्रम शाली और वीर हैं, वे भी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देते ।

अपनी भावजके इस तानेसे लुब्ध होकर कुमार नेमिनाथने श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य शंखको फूँका । उसकी ध्वनि सुनकर श्रीकृष्ण भी विस्मयसे अभिभूत हो गये, और नेमिनाथसे इसका कारण पूछा । तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जाम्बवन्तीके तानेसे लुब्ध होकर कुमारने ऐसा किया है । इस घटनाके पश्चात् ही श्रीकृष्णने कुमार नेमिनाथके पाणिग्रहण करानेका विचार किया । और भोजवंशकी कन्या राजीमतीके साथ विवाह होना तय किया । विवाहकी तैयारियां हो रहीं थी । तभी एकदिन नेमि सजधजकर अनेक राजकुमारोंके साथ वनक्रीडाके लिये गये । वहाँ एक स्थान पर बहुतसे पशुओंको बधा हुआ देख कर उन्होंने सारथिसे पूछा कि ये पशु किस लिये बन्द हैं । सारथिने कहा—आपके विवाहमें सम्मिलित हुए मासभोजी नरेशोके लिये ।

इस दु खद संवादने नेमिनाथके मनको द्रवित कर दिया और वे मोक्ष लक्ष्मीके वरणके लिए लालायित हो उठे । समीप स्थित उर्जयन्त (गिरिनगर) पर्वतपर जाकर उन्होंने प्रव्रज्या धारण करली । और कैवल्य पद प्राप्त करके मुक्तिका मार्ग बतलाने लगे । बहुतसे मनुष्य उनके अनुयायी और शिष्य बन गये ।

! एक दिन वसुदेव बलभद्र और कृष्णके साथ भगवान

नेमिनाथकी वन्दनाके लिए गये और उनको नमस्कार करके
समवसरणमें बैठ गये। उपदेश श्रवण करनेके पश्चात् बलदेवने
भगवानसे प्रश्न किया—नाथ ! यह हमारी नगरी द्वारिकापुरी क्या
इसी प्रकार सुरक्षित रहेगी या समुद्रमें डूब जायेगी ? कृष्णके
जीवनका अन्त कैसे होगा ? मेरी इससे गहरी ममता है।

भगवान् बोले—आजसे बारहवे वर्षमें मद्यपानके निमित्तसे
द्वीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिकापुरीका विनाश होगा। और
वनमें सोते हुए श्री कृष्णका अन्त जरत् राजकुमारके
निमित्तसे होगा।

भगवानकी इस वाणीको सुनकर जरत्कुमार बहुत दुःखी
हुआ और कुटुम्बका परित्याग करके ऐसे देशका चल दिया जहा
श्री कृष्णसे उसका समागम ही न हो सकता हो। और श्री कृष्ण
ने समस्त द्वारिका पुरीमें मद्यपानपर प्रतिबन्ध लगानेकी घोषणा
कर दी तथा समस्त मद्य और मद्यपात्र एक पर्वतकी गुफाके पास
स्थित कुण्डमें फिकवा दिये।

बारहवें वर्षको बीता जानकर द्वीपायन मुनि द्वारिका नगरी
के बाहर स्थित पर्वतपर आकर ठहरे और तपमें निमग्न होगये।
उधर कुल्लु यादव कुमार वनमें क्रीड़ा करनेके लिये आये। उन्होंने
प्याससे पीडित होकर कुण्डमें फेंकी हुई पुरानी मदिराका पान
कर लिया। मदिराने अपना प्रभाव दिखलाया। वे यादव कुमार
मदोन्मत्त होकर नाचने गाने लगे। अचानक उनकी दृष्टि द्वीपा-
यन मुनिपर जा पडी। 'यही द्वीपायन हमारी द्वारिकाको नष्ट
करंगा। इसे हमें मार डालना चाहिये।' यह सोचकर वे उन्मत्त
यादव कुमार उसे पत्थरोंसे मारने लगे। पत्थरोंकी चोटसे आहत
होनेपर द्वीपायनका क्रोध झडक उठा, भ्रुकुटियाँ तन गईं, वह
दातोसे ओष्ठ काटने लगा।

यह देखते ही यादव कुमारोका नशा उतर गया और वे भाग कर द्वारिकामे आये। किसीने जाकर वलदेव और श्री कृष्णसे यह समाचार कहा। दोनो भाई द्वारिकाका विनाशकाल आया जान दौड़े दौड़े द्वीपायनकी शरणमे आये और क्षमा माँगने लगे। रोपसे जुद्ध द्वीपायनने केवल दो अगुलियोंके द्वारा यह सूचित किया कि तुम दोनो शेष बचोगे। उसके पश्चात् द्वारिका भस्म हो गई। वलदेव और श्रीकृष्णने लोगोंके आर्तनादसे पीड़ित होकर समुद्रके पानीसे आगको बुझानेकी चेष्टा की। किन्तु जलने तेलका ही काम किया।

द्वारिका भस्मसे शेष बचे दोनो भाई अत्यन्त व्यथित चित्तसे दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। मार्गमे थककर श्री कृष्ण एक वृक्षके नीचे लेट गये और वलदेव पानी लेनेके लिए चले गये।

श्री कृष्णका समस्त शरीर पीताम्बरसे आच्छादित था और बाँये घुटनेपर दक्षिण पैर रखा हुआ था। उस वनमे शिकारके लिये आये हुए जरत्कुमारकी दृष्टि उसपर पड़ी। सोते हुए श्री कृष्णको उसने हरिण समझकर अपना बाण चला दिया। बाण श्री कृष्णके पैरमे लगा। बाणसे पीड़ित श्री कृष्णने जिस दिशासे बाण आया था, उस दिशाको लक्ष्यकर ऊँचे स्वरमें कहा—जिस अकारण वैरीने मेरा पैर छेदा है वह अपना नाम और कुल बतलाये, क्योंकि अज्ञात नाम—कुलवाले मनुष्यको रणमें न मारनेकी मेरी प्रतिज्ञा है।

यह सुनकर जरत्कुमारने कहा—मैं वसुदेवका पुत्र और श्रीकृष्णका भ्राता हूँ। अपने निमित्तसे श्री कृष्णकी मृत्यु जानकर बारह वर्ष से इसी वनमें भ्रमण करता रहा हूँ। आजसे पूर्व मैंने किसी मनुष्यको इस वनमें नहीं देखा, आप कौन हैं ?

यह सुनते ही श्री कृष्णने बड़े प्रेमसे पुकारा और जरत्कुमार भी धनुषबाण फेककर श्री कृष्णके चरणोमें विलाप करने लगा । श्री कृष्णने उसे समझाते हुए कहा—बलदेव पानी लेनेके लिए गये हैं । उनके लौटनेके पूर्व ही तुम यहाँ से चले जाओ । अन्यथा वह तुम्हे जीवित न छोड़ेगे ।

जरत्कुमारके जाते ही श्री कृष्णने तीव्र वेदनासे पीड़ित होकर प्राण त्याग किया ।)

श्रीकृष्ण और नेमिनाथका यह संक्षिप्त वृत्तान्त दोनोंके जीवन-क्रम तथा मार्गपर प्रकाश डालनेके लिए पर्याप्त है । नेमिनाथ निवृत्तिमार्गी थे और श्री कृष्ण प्रवृत्तिमार्गी । नेमिनाथ अपने विवाहके निमित्तसे होनेवाली पशु हिंसाके कारण न केवल विवाह से ही विरक्त हुए, किन्तु संसारसे ही विरक्त हो गये । किन्तु श्री कृष्ण अन्त तक प्रवृत्तिशील रहे—समस्त यादवोंका विनाश होनेपर भी उन्होंने निवृत्ति मार्गको नहीं अपनाया । अतः यदि उन्हें भागवत धर्मका सस्थापक माना जाता है तो स्पष्ट ही भागवत धर्म प्रवृत्तिमार्गी है ।

(डा० कीथ (ज० रा० ए० सो० १९१५, पृ० ८४२-८४३) तथा मैकनिकल (इ० थोज्म, पृ० ६३) ने श्री कृष्ण पूजाका प्रभाव जैन धर्मपर बतलाया है । डा० कीथका कहना है कि महावीरके जन्मकी कथा श्री कृष्णके जन्मकी कथासे ली गई है ।) इस सवन्धमें हम भगवान महावीरके सम्बन्धमें लिखते समय प्रकाश डालेंगे । जहाँ तक भक्तिवादका सवन्ध है, हमें यह स्वीकार करनेमें संकोच नहीं है कि श्री कृष्णकी भक्तिका प्रभाव जैन धर्मपर भी पड़ा है और उससे जैन धर्मका भक्तिप्रवाह विकृत और विरूप हुआ है ।

नेमिनाथकी ऐतिहासिकता

हम पहले लिख आये हैं कि छा० उप० मे देवकीपुत्र श्रीकृष्णका निर्देश है, जो घोर आंगिरसके शिष्य थे। आङ्गिरस ऋषिने देवकी पुत्र श्रीकृष्णको कुछ नैतिक तत्त्वोंका उपदेश दिया जिनमे अहिंसा भी है। उपनिषदोंको ही सब धर्मोंका मूलाधार मानने वालोंका कहना है कि यहीसे जैनोंने अहिंसा तत्त्वको ग्रहण किया। (अर्ली हि० वैष्ण०, पृ० १२३)।

श्री धर्मानन्द कौशाम्बीने (भा० स० अ०, पृ० ३८)—‘घोर आंगिरसके नेमिनाथ होनेकी संभावना व्यक्त की है क्योंकि जैन ग्रन्थकारोंके अनुसार श्रीकृष्णके गुरु नेमिनाथ तीर्थङ्कर थे। श्रीकौशाम्बी जीकी उक्त संभावनामें कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता क्योंकि घोर आंगिरस और नेमिनाथके एक व्यक्ति होनेका सूक्ष्मसा भी आभास नहीं मिलता। किन्तु छा० उ० के उल्लेखसे इतना व्यक्त होता है कि श्रीकृष्णको किसीने अहिंसाका उपदेश दिया था। जैनोंके अनुसार वह व्यक्ति नेमिनाथ था जिसने पशुहिंसाके पीछे न केवल विवाह ही नहीं किया, अपि तु ससार को ही छोड़ दिया।

[प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० राय चौधरीने अपने ‘वैष्णव धर्मके प्राचीन इतिहासमें नेमिनाथको श्रीकृष्णका चचेरा भाई लिखा है किन्तु उन्होने इससे अधिक जैन ग्रन्थोंमें वर्णित नेमिनाथके जीवन वृत्तान्तका कोई उपयोग नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि अपने उक्त ग्रन्थमें डा० राय चौधरीने श्रीकृष्णके ऐतिहासिक व्यक्ति होनेके सम्बन्धमें उपलब्ध प्रमाणोंका संकलन किया है। अतः उनकी दृष्टि विशेषरूपसे उसी ओर रही है।

कतिपय विदेशी विद्वानोंने डा० राय चौधरीके मतसे प्रभावित होकर श्रीकृष्ण वासुदेवको ऐतिहासिक व्यक्ति माना है, किन्तु नेमिनाथको ऐतिहासिक व्यक्ति माननेकी ओर उनका कोई झुकाव नहीं है।

पी० सी० दीवान ने अपने लेखमें (भा० इं० पत्रिका, जि० २३, पृ० १२५) इसके दो कारण बतलाये हैं—प्रथम, जैन ग्रन्थोंके अनुसार नेमिनाथ और पार्श्वनाथके बीचमें ८४००० वर्षका अन्तर है। दूसरे, हिन्दू पुराणोंमें इस बातका निर्देश नहीं है कि वसुदेवके समुद्रविजय नामक बड़े भाई थे और उनके अरिष्टनेमि नामका कोई पुत्र था। (प्रथम कारणके सम्बन्धमें श्री दीवानका कहना है कि 'हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वर्तमान ज्ञानके लिये यह सम्भव नहीं है कि जैन ग्रन्थकारोंके द्वारा एक तीर्थङ्करसे दूसरे तीर्थङ्करके बीचमें सुदीर्घकालका अन्तराल कहनेमें उनका क्या अभिप्राय है इसका विश्लेषण कर सकें। किन्तु केवल इसी कारणसे जैन ग्रन्थोंमें वर्णित अरिष्टनेमिके जीवन वृत्तान्त को, जो अति प्राचीन प्राकृत ग्रन्थोंके आधार पर लिखा गया है, दृष्टसे ओझल कर देना युक्तियुक्त नहीं है।)

(दूसरे कारणका स्पष्टीकरण सरल है। भागवत सम्प्रदायके ग्रन्थकारोंने अपने परम्परागत ज्ञानका उतना ही उपयोग किया जितना श्रीकृष्णको परमात्मा सिद्ध करनेके लिये आवश्यक था। जैन ग्रन्थोंमें ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य वर्णित हैं जैसा कि ऊपर दिखाया है, जो भागवत साहित्यके वर्णनमें नहीं मिलते)।

(इसके सिवा अथर्ववेदके माण्डूक्य, प्रश्न और मुण्डक उपनिषदोंमें अरिष्टनेमिका नाम आया है।)

महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय १४९ में विष्णुसहस्र नाममें दो स्थानोंपर 'शूरः शौरिर्जनेश्वरः' पद आया है। यथा—

'अशोक स्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः ॥५०॥'

'कालनेमि नरा वीरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः ॥५२॥'

इन दोनोंमें जो अन्तिम चरण है वह ध्यान देने योग्य है। विक्रम सम्वत्की १९ वां शतीके प्रारम्भमें जयपुरमें पं टोडरमल नामके एक जैन विद्वान हो गये हैं। उन्होंने अपने मोक्षमार्ग प्रकाश नामक ग्रन्थमें नीचेके श्लोकार्द्धको उद्धृत किया है। उसमें 'जिनेश्वर' पाठ पाया जाता है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें श्रीकृष्णको 'शौरि' लिखा है। आगरा जिलेमें बटेश्वरके पास शौरिपुर नामक स्थान है। जैन ग्रन्थोंके अनुसार प्रारम्भमें यहीं यादवोंकी राजधानी थी। जरासन्धके भयसे यादव लोग यहाँसे भागकर द्वारिकापुरीमें जा बसे थे। यहाँ पर नेमिनाथका जन्म हुआ था। इसलिये उन्हें 'शौरि' भी कहा है और वे जिनेश्वर ता थे ही। हिन्दु पुराणोंमें शौरिपुरके साथ यादवोंका कोई सम्बन्ध मेरे देखनेमें नहीं आया। अतः महाभारतमें श्रीकृष्णको 'शौरि' लिखना विचारणीय है।)

(महाभारतके किसी संस्करणसे मैंने एक श्लोकका संग्रह किया था, वह श्लोक निम्न प्रकार है—

रेवतादौ जिने नेमियुगादिर्विमलाचले
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥

प्रभास पुराणमें यह श्लोक मिलता है। इसमें गिरिनार पर्वतपर नेमि जिनका उल्लेख किया है और उन्हें मोक्षमार्गका कारण बतलाया है।

स्कन्द पुराणके प्रभास खण्डमें कुछ श्लोक इस प्रकार हैं—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तप' कृतम् ।
 तेनैव तपसाकृष्ट शिवः प्रत्यक्षता गतः ॥
 पद्मासनः समासीन श्याममूर्तिदिगम्बरः ।
 नेमिनाथः शिवोऽथैव नाम चक्रेऽस्य वामन ॥
 कलिकाले महाघोरे, सर्वपापप्रणाशकः ।
 दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥

(अर्थात्—अपने जन्मके पिछले भागमें वामनने तप किया । उस तपके प्रभावसे शिवने वामनको दर्शन दिये । वे शिव श्यामवर्ण, नग्न दिगम्बर और पद्मासनसे स्थित थे । वामनने उनका नाम नेमिनाथ रक्खा । यह नेमिनाथ इस घोर कलिकालमें सब पापोंका नाश करनेवाला है । उनके दर्शन और स्पर्शनसे करोड़ों यज्ञोका फल होता है ।)

(जैन नेमिनाथको कृष्णवर्ण मानते हैं और उनकी मूर्ति भी अन्य जैन मूर्तियोंके अनुसार दिगम्बर और पद्मासन रूपमें स्थित होती है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि नेमिनाथकी श्यामवर्ण पद्मासनरूप जैन मूर्तिको शिवकी संज्ञा दे दी गई है । क्योंकि शिवका यह रूप नहीं है । इसीसे कलिकाल में उसे सर्व पापोंका नाशक माना है ।)

विद्वानोसे यह बात अज्ञात नहीं है कि कलिकालके वहानेसे ब्राह्मणोंको अनेक पुरानी वैदिक रीतियोंको त्यागना पड़ा है और अनेक नये तत्त्वोंको स्वीकार करना पड़ा है । जान पड़ता है नेमिनाथकी मूर्तिको शिवके रूपमें उपासना भी उसीका फल है । आज भी वद्रीनाथमें जैन मूर्ति वद्री विशालके रूपमें पूजी जाती है । ब्राह्मण धर्मकी यही तो विशेषता है । वह अन्य धर्मके

तत्त्वोंको अपनेमें उस दुर्गम पचाता आया है कि कालान्तरमें वे तत्त्व उनके ऐसे अभिन्न अंग बन गये कि मानो वे उन्हींके मूल तत्त्व हैं और जिन धर्मोंके वे मूल तत्त्व थे उस धर्ममें उन तत्त्वोंको ब्राह्मण धर्ममें लिया है। वैदिक कालमें लेकर पौराणिक काल तकके साहित्यका चारीशीमें अन्वेषण करनेमें यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणके लिये उपनिषदोंके तत्त्वज्ञानको ही ले लें। वह वैदिक आर्योंकी देन नहीं है। किन्तु उसे उद्योने इस तरहसे अपनाया मानो वह वैदिक ही एक अंग है। इसी तरह उपनिषदोंके प्रधान महाभारत और पुराणोंका स्वर्द्धन करके उन्हें इस रूपमें प्रथित किया कि जिस समय जिनको प्रभावशाली पाया उसको अपना ही अंग बना लिया और इस तरह उस और आरुष्ट होनेवाली जनताको उधर जानेमें गेक लिया। इतना ही नहीं, यदि अपने साहित्यमें दूसरे धर्मोंके अनुकूल कोई बात दिग्गर्हित हो तो उसका सम्मार्जन कर दिया। यथा—जिनेश्वरको जनेश्वर और जिनको जन कर दिया। या उस अशको प्राक्षिप्त करार देकर नये संस्करणमेंसे निकाल दिया, इत्यादि।

ऐसी परिस्थितिमें वास्तविक प्राचीन स्थितिका दिग्दर्शन करा सकना शक्य नहीं है। फिर भी उपलब्ध वैदिक साहित्यके सिवाय जब कोई अन्य अवलम्बन न हो तो उसीको आधार बनाकर चलना ही पडता है। क्योंकि उपलब्ध जैन साहित्य वैदिक साहित्य जितना प्राचीन नहीं है यह स्पष्ट है। और बौद्ध साहित्य जैन साहित्यका समकालीन ही है। अतः गत्यन्तरका अभाव होनेसे वैदिक साहित्यको ही लेकर खोज बिन करना पडता है और उस खोज बिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन धर्म जिन मूल तत्त्वोंको अपनाये हुए है, वे मूल तत्त्व ऋग्वेदसे

भी प्राचीन हैं और सिन्धुघाटी सभ्यता तक उनकी परम्परा जाती है ।)

द्रविड़ सभ्यता और जैन धर्म

हम पिछले पृष्ठोंमें लिख आये हैं कि ऋग्वैदिक कालसे ही भारतमें दो विभिन्न विचार धाराएँ प्रवाहित होती हुई दृष्टिगोचर होती हैं । एक धारा है वैदिक संस्कृतिकी और दूसरी धारा है वेद विरोधी, जिसे विद्वानों ने द्रविड़ विचारधारा या द्रविड़ संस्कृति माना है । प्राचीन द्रविड़ बड़े सुसंस्कृत और सभ्य थे । और उनकी अपनी सभ्यता थी । सिन्धुघाटीसे पूरबकी ओर बढ़नेके पश्चात् धीरे-धीरे वैदिक धर्मने जो हिन्दू धर्मका रूप ले लिया, उसका एक प्रमुख कारण वैदिक आर्यों पर द्रविड़ विचार धाराका प्रभाव भी था ।

(द्रविड़ लोग आर्योंके देवताओं और पुरोहितोंको पसन्द नहीं करते थे । इसीसे ऋग्वेदमें उन्हें दास, दस्यु और असुर बतलाया है । जब ब्राह्मणोंने देखा कि वे लोग लड़भिड़कर भी वशमें नहीं आते तो अन्तमें उन्होंने द्रविड़ोंके कुछ देवताओंको मान लिया । इससे उन्हें द्रविड़ोंकी सहानुभूति मिली और वे धीरे-धीरे वैदिक आर्योंके परिवर्तित धर्मकी सीमामें आने लगे ।)

अपनी सभ्यताके सर्वोच्च उन्नत कालमें उन द्रविड़ोंका क्या धर्म था, यह तथ्य आज भी अन्धकारमें है । किन्तु सिन्धुघाटीसे प्राप्त अवशेषोंके प्रकाशमें वैदिक आर्योंके देवताओंके साथ आधुनिक हिन्दू देवताओंकी तुलना करके यह मान लिया गया है कि शिव और दुर्गा द्रविड़ देवता हैं । तथा प्राचीन द्रविड़ लोग योगकी प्रक्रियासे भी परिचित थे ।

(प्राचीन द्रविड़ो और वैदिक आर्योंके धर्मका मिश्रण होनेपर द्रविड़ देवताओंकी पूजा आर्य और द्रविड़ दोनो करने लगे। किन्तु दोनोकी पूजाविधिमें भेद था। इस मिश्रणके फलस्वरूप अनार्य जादूगर और द्रविड़ पुजेरा ब्राह्मणोंमें सम्मिलित हो गये और धीरे-धीरे अनार्य जातियाँ भी अपने आर्य होनेका दावा करने लगी। तथा द्रविड़ लोग एक तरहसे यह भूल ही गये कि वे भारतमें आये हुए वैदिक आर्योंसे बहुत अधिक प्राचीन सभ्यताके उत्तराधिकारी होनेका दावा कर सकते हैं और उनके पूर्वज आर्य देवताओंको नहीं पूजते थे। (प्रीहि० इ० पृ० ३२-३८))

(ये द्रविड़ लोग वैदिक आर्योंसे भिन्न थे इस लिये उन्हें अन-आर्य कहा गया है। किन्तु ज्यों-ज्यों भारतमें वैदिक आर्योंका प्रभाव बढ़ता गया त्यों-त्यों 'आर्य' शब्द श्रेष्ठताका वाचक बनता गया और 'अनार्य' शब्द स्तेच्छ का। फलतः प्रत्येक श्रेष्ठवा-भिमानि अपनेको आर्य और अपने विरोधीको अनार्य या स्तेच्छ कहने लगा।) जैन साहित्यमें ब्राह्मणोंको साक्षर स्तेच्छ कहा है और हिन्दू पुराणोंमें जैन धर्मको दैत्यदानवाका धर्म कहा है।

(पद्मपुराणके प्रथम सृष्टि खण्डमें जैनधर्मकी उत्पत्ति कथा इस प्रकार दी है—एक स्थान पर दैत्य तप करते थे। वहाँ दिग्गम्बर योगीका शेष धारण करके माया मोह पहुँचा और बोला—दैत्यो! तुम यह तप किस लिये करते हो? दानवाँने कहा—परलोकमें सुख प्राप्तिके लिये। तब माया मोह बोला—यदि मुक्ति चाहते हो तो आर्हत धर्मको धारण करो। यह मुक्तिका द्वार है। मायामोहके समझानेपर दैत्योंने वैदिक धर्म छोड़कर आर्हत धर्म धारण किया।)

विष्णु पुराण अध्याय १७-१८ में भी लगभग ऐसी ही कथा है, जो इस प्रकार है—एक वार देवों और असुरोंमें युद्ध हुआ। देव हार गये और असुर जीत गये। हारे हुए देव विष्णु भगवानकी शरणमें पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि महाराज! कोई ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे हम असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। देवोंकी प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवानने अपने शरीरसे एक मायामोह नामका पुरुष उत्पन्न किया और देवताओंसे कहा—यह मायामोह अपनी मायासे उन दैत्योंको मोहितकर वेद मार्गसे भ्रष्ट कर देगा। तब वे दैत्यगण आपके द्वारा मारे जा सकेंगे।

तब वे देवगण उस मायामोहको लेकर उस स्थानपर गये जहाँ असुर लोग तप करते थे। उस मायामोहने नर्मदाके किनारे तपस्या करते हुए उन महा असुरोंको देखकर दिगम्बर साधुका भेष धारण किया। वह शरीरसे नग्न था उसका सिर मुड़ा हुआ था, और हाथमें मयूरके पंखोंकी पीछी थी। वह उन दैत्योंसे भीठी वाणीमें बोला—तुम लोग यह तप ऐहिक फलकी इच्छासे करते हो या परलोक सम्बन्धी फलकी इच्छा से? तब असुर बोले—हम परलोकके सुखकी इच्छासे तप करते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं? मायामोह बोला—मुक्ति चाहते हो तो मेरा कहना मानो। तुम आर्हत धर्म धारण करो, यही मुक्तिका खुला द्वार है। इस धर्मसे बढ़कर मुक्ति देनेवाला कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार उस मायामोहके समझानेपर वे दैत्य वेदमार्गसे भ्रष्ट हो गये और आर्हत धर्मको धारण करनेसे आर्हत (जैन) कहलाये।

इसी प्रकारकी कथा शिवपुराण द्वितीय स्कन्ध हिमसा, खण्ड ५, अध्याय ४-५ में भी है।

यद्यपि ये कथाएँ जैन धर्मको असुरों-देवों दानोंका धर्म कहकर बदनाम करनेके लिये ही रची गई हैं। तथापि यदि उनमें कुछ तथ्याश मान लिया जाये तो कहना होगा कि ऋग्वेदमें जिन अपने विरोधियोंको दाम दस्यु असुर आदि शब्दोंसे पुकारा गया है, उनमें उस वेदविरोधी धर्मके अनुयायी भी हो सकते हैं जो आज जैनधर्म कहलाता है।

अतः प्राधुनिक जैन धर्मका पूर्वरूप उन जातियोंमेंसे किसी एकका धर्म हो सकता है, जो सिन्धुघाटी सभ्यताके कालमें वर्तमान थी। और उसीके पूर्वपुरुष योगी ऋषभदेव थे। किन्तु उस समय जैन धर्म किस नामसे उल्लिखित होता था यह अन्वकारमें है, क्योंकि महावीरके समयमें जैन साधुओंका सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय कहलाता था। उसके बाद उनका धर्म आर्हत धर्म कहा जाने लगा और फिर जैन धर्म कहा जाने लगा। इससे नाम भेद होना ही संभव है।

एक बात और भी दृष्टव्य है। जैन शास्त्रोंमें ऋषभदेवको इक्ष्वाकु वंशीके साथ ही पुरुवश नायक लिखा है। ऋग्वेदके अनुसार भी इक्ष्वाकु पुरुराजाओंकी ही एक श्रेणी थी। ऋग् (१-१०८-८) में अनु, द्रष्टु, तुर्वश और यदुके साथ पुरुका भी निर्देश है। तथा ऋक् (७-८-१) में पुरुओंको जीतनेके उपलक्ष्यमें भरतोके अग्निहोत्र करनेका निर्देश है।

ऋग्वेद तथा उसके पश्चात्के साहित्यमें भरतोका विशेष महत्त्व बतलाया है। एक ऋचामें भरतोको पुरुओंका शत्रु

१—पुरु और इक्ष्वाकुके सम्बन्धमें पहले पृ० १५ पर लिख आये हैं।

बतलाया है। शतपथ ब्रा० (६-८-४) में पुरुओंको असुर राक्षस बतलाया है। इससे पुरुओंके प्रति वैदिक दृष्टिकोणका संकेत मिलता है। किन्तु पुरुलोग आर्य प्रतीत होते हैं क्योंकि ऋग्वेदकी अनेक ऋचाओंमें मूलनिवासियों पर पुरुओंकी विजयका निर्देश है।

असलमें आर्योंमें भी अनेक भेद थे। सभी आर्य वैदिक नहीं थे। इससे आर्योंमें भी परस्परमें युद्ध होते थे। उदाहरणके लिये, सर जार्ज ग्रियर्सनका मत है कि ब्राह्मणधर्मके पक्षपाती कुरुओंसे ब्राह्मण धर्म-विरोधी पञ्चाल आर्योंने पहले प्रवेश किया। ब्राह्मण विरोधी पार्टी योद्धा लोगोंकी थी, उन्होंने पुरोहित पार्टीको हराया। (कै० हि० पृ० २७५)। अतः यह संभव है कि पुरुलोग अवैदिक ऋषभदेवके उपासक रहे हों। इसीसे वैदिक आर्योंका उनके प्रति शत्रुभाव रहा हो।

ऋग्वेदमें पुरुओंको सरस्वतीके तटपर बतलाया है। पुरुराजाओंकी असाधारण लम्बी सूचीसे पुरुजातिका महत्त्व स्पष्ट है। इक्ष्वाकु परम्परा मूलतः पुरुराजाओंकी एक परम्परा थी। उत्तर इक्ष्वाकुओंका सम्बन्ध अयोध्यासे था। जैन शास्त्रोंमें अयोध्याको ही ऋषभदेवकी जन्मपुरी बतलाया है। (उधर सांख्यायन श्रौत सूत्रमें हिरण्यगर्भकी उपाधि 'कौसल्य' बतलाई है। अयोध्याको कौसलदेस कहते थे। अतः कौसल्यका मतलब होता है कौसलका जन्मा हुआ या कौसलका राजा। यह हम पहले लिख आये हैं कि जैन शास्त्रोंमें ऋषभदेवको हिरण्यगर्भ भी कहा है और उनका जन्म अयोध्या नगरीमें बतलाया है। अतः यदि हिरण्यगर्भ ऋषभदेव थे तो उनका अयोध्या नगरीके होनेका भी समर्थन होता ही है। किन्तु यह सब अभी अन्वेषणीय है। अतः अभी यह निश्चयपूर्वक कह सकना शक्य नहीं

है कि जैनधर्म मूलमे आर्योंका धर्म था या द्रविडों का, और ऋषभदेव केवल आर्योंके पूर्वज थे या द्रविडों के भी ? किन्तु इतना निश्चित है कि द्रविड सस्कृति या द्रविड धर्मके निदान्तोसं जैन धर्मके निदान्त बहुत गिलत जुलत हुए हैं । (प्रीति० इ०, पृ० १२०) ।

सुप्रसिद्ध भाषाविद् डा० सुनीति कुमार चटर्जा ने लिखा है—

‘यह कहना सत्य नहीं है कि हिन्दू सभ्यताके सभी उपात्त एव उच्च उपादान आर्योंकी देन थे । तथा जो निकृष्ट और हीन उपादान थे वे अनार्य मानसकी उच्छ्रद्धालताके द्योतक थे । आर्य चित्तके कुछ दृष्टिकोणोंके मूर्तरूप ब्राह्मण और क्षत्रियकी विचार तथा संगठन करनेकी योग्यताको स्वीकार कर लेने पर भी, कितनी ही नई सामग्री तथा नूतन विचार धारा यह सूचित करती है कि भारतीय सभ्यताका निर्माण केवल आर्यों ही नहीं किया, बल्कि अनार्योंका भी इसमे बड़ा भारी हिस्सा था । उन्होंने इसकी मूल प्रतिष्ठाभूमि तैयार की थी । देशके कई भागोंमे उनकी ऐहिक सभ्यता आर्योंकी अपेक्षा कितनी ही आगे बढ़ी हुई थी । नगरवासी अनार्यकी तुलनामे आर्य तो अटनशील बर्बर मात्र प्रतीत होता था । धीरे-धीरे अब यह बात स्पष्टतर होती जा रही है कि भारतीय सभ्यताके निर्माणमे अनार्योंका भाग विशेष रूपसे गुरुतर रहा । (भारतीय प्राचीन इतिहास एवं दन्त-कथाओंमे निहित धार्मिक तथा सास्कृतिक रीति-परिपाटी केवल अनार्योंसे आई हुई वस्तुका आर्य भाषामे रूपान्तर मात्र है, क्योंकि आर्योंकी ओरसे उनकी भाषा ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन बन गई थी, यद्यपि वह भी अनार्य उपादानोंसे बहुत कुछ मिश्रित होकर पूर्ण विशुद्ध न रह सकी । सत्त्वमे कर्म तथा

परलोकके सिद्धान्त, योगसाधना, शिव देवी तथा विष्णुके रूपमें परमात्माका मानना, वैदिक हवन पद्धतिके समस्त नई पूजा रातिका हिन्दुओमें आना आदि, तथा अन्य भी बहुतसी वस्तुओका हिन्दूधर्म और विचारमें आना, वास्तवमें आचार्योंकी देन है। बहुत सी पौराणिक तथा महाकाव्योंमें आई हुई कथाएँ, उपाख्यान, और अर्द्ध ऐतिहासिक विवरण भी आचार्योंसे पहलेके हैं। (आ० हि०, पृ० ३५-३६) ।

जैन धर्ममें प्रारम्भ से ही कर्म, परलोक सिद्धान्त तथा योग साधनाका प्राधान्य रहा है और ये ही उसकी विचारधाराके स्तूपधार हैं।

वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थमें प्रो० श्री नीलकण्ठ शास्त्रीका एक लेख 'जैन धर्मका आदि देश' शीर्षकसे प्रकाशित हुआ है। यहाँ हमउसका आरम्भिक अंश उद्धृत करनेका लोभ सवरण नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है—

'जैन धर्म भी बौद्ध धर्मकी तरह वैदिक कालके आचार्योंकी यज्ञ यागादिमय सस्कृतिकी प्रतिक्रिया मात्र था' कतिपय इतिहासकारों

✓ १—सिन्धुघाटी सभ्यताके प्रकाशमें आनेसे पूर्व यह विवेचन करनेकी प्रथा सी थी कि इन्द्र, अग्नि, वरुण और मित्रके स्थानमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवको अपनाकर वैदिक धर्म ब्रह्मा धर्मके रूपमें क्रमसे विकसित होकर प्रकाशमें आया। किन्तु प्रभावशाली खोजोंके फलस्वरूप स्वीकृत वर्तमान मत यह है कि यह प्रवृत्ति एक मिश्रित सस्कृतिकी उपज है, तथा भारतमें हुए धार्मिक परिवर्तन मुख्य रूपसे आचार्यों और द्रविड़ों तथा उनकी विभिन्न सस्कृतियोंके संयोगकी देन है, क्योंकि प्राचीन द्रविड़ बहुत ही सुसभ्य और सुसंस्कृत थे। (प्रो० हि० इ०, भू० पृ० ६) ।

के इस मतिको यो ही सत्य मान लेना चलता व्यवहार सा हो गया है। विशेषकर कितने ही जैन धर्मको तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के पहले प्रचलित माननेमें भी आनाकानी करते हैं, अर्थात् वे लगभग नौवीं शती ईसा पूर्वतक ही जैन धर्मका अस्तित्व मानना चाहते हैं। प्राचीनतम युगमें मगध यज्ञ यागादिमय वैदिक मतके क्षेत्रसे बाहर था। तथा इसी मगधका इस कालमें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की जन्म भूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फलतः कितने ही विद्वान् कल्पना करते हैं कि इन धर्मों के प्रवर्तक आर्य नहीं थे। दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आर्य के बहुत पहले आर्योंकी एक धारा भारतमें आई थी और आर्यों पूरे भारतमें व्याप्त हो गये थे। उसके बाद उसी वंशके यज्ञ यागादि संस्कृति वाले लोग भारतमें आये, तथा प्राचीन वैदिक आर्योंको मगधकी ओर खदेड़कर स्वयं उसके स्थानपर बस गये। आर्योंके इस द्वितीय आगमनके बाद ही सम्भवतः मगधसे जैन धर्म का पुनः रप्रचार आरम्भ हुआ तथा वहींपर बुद्ध धर्मका प्रादुर्भाव हुआ।)

‘३००२-५०० ईसा पूर्वमें ली फली ‘सिन्धु कछार सभ्यता के भग्नावशेषोंमें दिगम्बर मत, योग, वृषभपूजा तथा अन्य प्रतीक मिले हैं, जिनके प्रचलनका श्रेय आर्यों अर्थात् वैदिक आर्योंके पूर्ववर्ती समाजको दिया जाता है। आर्यपूर्व संस्कृतिके शुभाकाक्षियोंकी कमी नहीं है, यही कारण है कि ऐसे लोगोंमें से अनेक लोग वैदिक आर्योंके पहलेकी इस महान् संस्कृतिको दृढ़ता पूर्वक द्रविड़ संस्कृति कहते हैं। मैंने अपने ‘मूल भारतीय धर्म’ शीर्षक निबन्धमें सिद्ध कर दिया है कि तथोक्त अवैदिक लक्षण (यज्ञ यागादि) का प्रादुर्भाव अथर्ववेदकी संस्कृतिसे हुआ है। तथा मातृदेवियो वृषभ, नाग, योग, आदिकी पूजाके बहु संख्यक

निदर्शनोसे तीनों वेद भरे पड़े हैं। फलत 'सिंधु कछार संस्कृति
पूर्व वैदिक युगके बादकी ऐसी संस्कृति है जिसमें तांत्रिक प्रक्रियायें
पर्याप्त मात्रामें घुल मिल गई थीं। प्राचीन साहित्य जैन तीर्थङ्करों
तथा बुद्धोंको असंदिग्ध रूपसे क्षत्रिय तथा आर्य कहता है।
फलतः जैन धर्म तथा बौद्ध धर्मकी प्रसूतिको अनार्योंमें बताना
सर्वथा असम्भव है।'

‘अतएव जैन धर्मके मूल स्रोतको आर्य संस्कृतिको किसी प्राचीनतर अवस्थामें खोजना चाहिये, जैसा कि बौद्ध धर्मके लिये किया जाता है। अपने पूर्वोल्लिखित निबन्धमें मैं सिद्ध कर चुका हू कि समस्त भारतीय साधन सामग्री यह सिद्ध करती है कि जम्बू द्वीपका भारत खण्ड ही आर्योंका आदि देश था। हमारी पौराणिक मान्यताका भारतवर्ष आधुनिक भौगोलिक सीमाओंसे बद्ध न था, अपितु उसके आयाम विस्तारमें पामीर पर्वत माला तथा हिन्दूकुश भी सम्मिलित था अर्थात् ४० अक्षांश तक विस्तृत था। प्राचीनतम जैन तथा वैदिक मतोंके ज्योतिष ग्रन्थों और पुराणोंमें भारतके उक्त विस्तारका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन किया है।’

(यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि हमने जो आर्योंके भारतमें आगमनकी चर्चाकी है वह भारतकी वर्तमान सीमाको लेकर की है। जैन शास्त्रोंमें जो भागत वर्षका विस्तार बतलाया है उसमें तो आजका पूरा भूखण्ड समा जाता है। अस्तु)

उपसंहार

इस तरह प्राग ऐतिहासिक कालीन उपलब्ध साधनोंके द्वारा तत्कालीन स्थितिका पर्यन्तवेण करनेसे जो प्रकाश पड़ता है यद्यपि

वह किसी निष्कर्षपर पहुचनेके लिये अपर्याप्त है, तथापि उससे जैन धर्मके प्राग ऐतिहासिक अस्तित्वके संबन्धमें कुछ भल्लक अवश्य प्राप्त होती है और उसपरसे कम से कम इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जैन धर्म किसी ब्राह्मण विरोधी भावनाका परिणाम नहीं है। किन्तु उसका उद्गम एक ऐसी विचार धाराका परिणाम है जो ब्राह्मण क्षेत्रसे बाहर स्वतंत्र रूपसे प्रवाहित होती आती थी। डा० जेकोवीने भी लिखा है—'इस सबसे यह सभाव्य होता है कि ब्राह्मणभिन्न तपस्वीवर्ग प्राचीन कालमें भी ब्राह्मण तपस्वियोंसे एक भिन्न और विशिष्ट वर्गके रूप में माना जाता था। ... अतः अवश्य ही बौद्ध धर्म और जैन धर्मको ऐसे धर्म मानना चाहिये जो ब्राह्मण धर्मसे बाहर वृद्धिगत हुए थे। तथा उनका निर्माण किसी तात्कालिक सुधारका परिणाम नहीं था। किन्तु सुदीर्घकालसे प्रचलित धार्मिक आन्दोलनके द्वारा उसका निर्माण हुआ था।' (से० बु० ई०, २२, प्रस्ता०, पृ० ३२)।

(श्री रमेश चन्द्रदत्त उक्त विचार धाराका उद्गम ईसा पूर्व ग्यारहवीं शतीमें बतलाते हैं। उन्होंने लिखा है—'उत्सुक और विचारक हिन्दू ब्राह्मण साहित्यके थकाने वाले क्रिया कारणसे आगे बढ़कर आत्मा और परमात्माके रहस्यकी खोज करते थे।')

(इस विषयमें पहले लिखा जा चुका है। आत्मा और परमात्माके रहस्यके अन्वेषकोंकी देन ही उपनिषदोंका तत्त्व ज्ञान है। इस ज्ञानके धनी क्षत्रिय थे। क्षत्रियोंसे ही ब्राह्मणोंने आत्मविद्याका ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान् ऋषभ देव भी क्षत्रिय थे और वे योगी तथा परमहंस थे। अतः यदि आत्मविद्याके वे ही पुरस्कृती रहे हों तो जैन धर्मका उद्गम भी उनसे ही होना संभव है।

किन्तु ऋषभदेवका ऐतिहासिक अस्तित्व भारतके प्राग ऐतिहासिक कालकी गम्भीर कन्दरामे छिपा है। अतः स्वर्गीय याकोबीका अनुसरण करते हुए हमे भी यही कहना पडता है कि जैन धर्मके प्राग ऐतिहासिक विकासके सम्बन्धमे कुछ मूलक प्राप्त करके ही हमे सतोष करना पडता है क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथसे पहलेका सब इतिवृत्त गम्भीर कोहरेसे आच्छन्न है।'

३—ऐतिहासिक युगमें

काशी, कोसल और विदेह

अब हम ऐतिहासिक युगमें प्रवेश करेगे। हमारा यह युग ईसा पूर्व नौवीं शताब्दीके मध्यसे आरम्भ होता है। उसी समय काशी के राजा अश्वसेनके घर जैन धर्मके तेईसवे तीर्थङ्कर पार्श्वनाथने जन्म लिया था।

अंग, मगध, काशी, कोसल और विदेहमें ब्राह्मण सभ्यता का प्रवेश बहुत काल पश्चात् हुआ था। शत० ब्रा० (१-४-१) में लिखा है कि—'सरम्बती नदीसे अग्निने पूरबकी ओर प्रयाण किया। उसके पीछे विदेघ माधव और गौतम राहु गण थे। सबको जलाते और मार्गकी नदियोंको सुखाते हुए वह अग्नि सदानीराके तटपर पहुंची। उसे वह नहीं जला सकी। तब माधव विदेघनं अग्निसे पूछा—मैं कहा रहूँ। उसने उत्तर दिया—तेरा निवास इस नदीके पूरब हो। अब तक भी यह नदी कोसलों और विदेहोंकी सीमा है।'

उक्त कथनमें वैदिक आर्योंके मरुत्वती नदीके तटमें मदानांरके तटतक धीरे धीरे बढ़नेका वृत्तान्त निर्दिष्ट है। मदानांग, जो आज कल गण्डक नदी कही जाती है, दोनों राज्योंकी सीमा थी। उसके पश्चिममें कोसल था और पूरवमें विदेह था। मदानांग कोसलको विदेहसे पृथक करती थी। बहुत समय तक यह नदी आर्योंके सत्कारकी सीमा मानी जाती थी। इसके आगे ब्राह्मण लोग यथेच्छ नहीं आते जाते थे।

वैदिक साहित्यमें कोसलके किसी नगरका नाम नहीं आता। शतपथ ब्रा० के अनुसार कोसलमें ब्राह्मण सभ्यताका प्रसार कुरु पञ्चालके पश्चात् तथा विदेहसे पहले हुआ [रामायण तथा हिन्दू पुराणोंके अनुसार कोसलका राजवंश इक्ष्वाकु नामके राजास चला था। इसी वंशकी शाखाओंमें विशाला या वशाला, मिथिला और कुशीनारामे राज्य किया।

कोसलकी तरह विदेहका निर्देश भी प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं है। दोनोंका प्रथम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (१, ४-१-१०) में मिलता है। उल्लेखोंसे प्रकट होता है कि कोसल और विदेह परस्पर मित्र थे तथा उनमें और कुरु पञ्चालोंमें मत भेद होनेके साथ ही साथ शत्रुता भी थी। विद्वानोंका मत है कि विदेह राज जनक उपनिषदोंके दर्शनका प्रमुख संरक्षक था। उसके समयमें ही विदेहको प्राधान्य मिला।

शतपथ ब्रा० (१, १-६-२१) में लिखा है कि राजा जनक की भेंट प्रथम बार कुछ ब्राह्मणोंसे हुई। उसने उनसे पूछा—आप अग्नि होत्र कैसे करते हैं? अन्य ब्राह्मणोंमें से तो किसीका उत्तर ठीक नहीं था। याज्ञवल्क्यका उत्तर यद्यपि पूर्ण ठीक नहीं था

तथापि यथार्थताके विशेष निकट था। जनक यह बात उन ब्राह्मणोंसे कहकर तथा रथमें बैठकर चला गया। ब्राह्मणोंने इसे अपना अपमान समझा। तब याज्ञवल्क्यने जाकर शका निवारण की। तबसे जनक ब्राह्मण होगया।

इससे प्रकट होता है कि शत० ब्रा० के काल तक वैदिक आर्य विदेह तक ही बढ़ सके थे। दक्षिण विहार तथा बंगालमें ब्राह्मण धर्मका प्रसार ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दीके मध्य तक हो सका था। इस तरह पूर्वीय भारतमें अपनी सस्कृतिको फैलानेमें वैदिक आर्यों को एक हजार वर्ष लगे। यद्यपि वह प्रवेश निश्चय ही उतना विस्तृत नहीं था (भा० इं० पत्रिका जि० १२, पृ० ११३)।

कोसल और विदेहके साथ काशीको प्राधान्य भी उत्तर वैदिक कालमें मिला। अथर्ववेदमें प्रथम बार काशीका निर्देश मिलता है। काशीका कोशल और विदेहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। काशीके एक राजा धृतराष्ट्रको शतानीक सहस्राजित ने हराया था। वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था किन्तु शतानीकने उसे हरा दिया। फलस्वरूप काशीवासियोंने यज्ञ करना ही छोड़ दिया। (पो० हि० एं० इं०, पृ० ६२)।

काशीराज ब्रह्मदत्त

बौद्ध महागोविन्द सुत्तन्तमें भी काशीके राजा धतरट्टका निर्देश है, जो शतपथ० का धृतराष्ट्र ही प्रतीत होना है। उसे महा गोविन्द में भरतराज कहा है। (डा० राय चौधुरीने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि काशीके भरतवशका स्थान राजाओंके एक नये वंशने ले लिया, जिनका वश नाम ब्रह्मदत्त था। श्री

हारीत कृष्ण देवने यह सुभाव दिया था कि ब्रह्मदत्त वंशनाम है, किसी राजा विशेषका नाम नहीं है। और डा० डी० आर० भण्डारकर ने भी इस सुभावको मान लिया था। क्योंकि मत्स्य' पुराण तथा वायु पुराणमें एक वंशका निर्देश है। जिसमें ब्रह्मदत्त नामके सौ व्यक्ति थे। महाभारत (२-८-२३) में भी सौ ब्रह्मदत्तोंका निर्देश है। बौद्ध जातक 'दुम्भेध' में राजा तथा उसके पुत्रका नाम ब्रह्मदत्त बतलाया है गंगमाला जातकमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मदत्त एक वंश परम्परागत उपाधि थी। एक प्रत्येक बुद्धने बनारसके राजा उदयको ब्रह्मदत्त कहकर पुकारा था। (पो० हि० ऐ० इ०, पृ० ६३)।

ब्रह्मदत्त विदेह के थे

डा० राय चौधरीने लिखा है कि अनेक बौद्ध जातकोसे यह प्रकट होता है कि ब्रह्मदत्त मूलतः विदेहके थे। उदाहरणके लिये, मातिपोसक जातकमें काशीके राजा ब्रह्मदत्तके विषयमें लिखा है—

‘मुत्तोग्धि कासीराजेन विदेहेन यस्सिस्तिना’ ति।

यहाँ काशीराजको 'विदेह' बतलाया है। इसी तरह सम्बुल जातकमें काशीराज ब्रह्मदत्तके पुत्र युवराज सोट्टीसेनको 'विदेह पुत्त' कहा है। (पो० हि० ऐ० इ० पृ० ६४)।

उपनिषदोंके कतिपय उल्लेखोंके आधार पर डा० राय चौधुरीका विश्वास है कि विदेह राज्यको उलटनेमें काशीके लोगोका हाथ था, क्योंकि जनकके समयमें काशीराज अजात

शत्रु विदेहराज जनककी ख्यातिसे चिढ़ता था। वृहदा० उप० (३-८-२) में गार्गी याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न करनेकी अनुज्ञा लेते हुए कहती है—

‘यथा काश्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्य धनुरधिज्य कृत्वा द्वौ वाण-
वन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाह त्वा द्वाभ्या प्रश्ना-
भ्यामुपोदस्थाम् ।’

‘याज्ञवल्क्य । जिस प्रकार काशी या विदेहका रहनेवाला कोई उग्रपुत्र प्रत्यङ्गाहीन धनुषपर प्रत्यङ्गा चढ़ाकर शत्रुको अत्यन्त पीडा देनेवाले दां फलवाले वाण हाथमें लेकर खड़ा होता है उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ ।’

जनकके उत्तराधिकारी लिच्छवि

पाली टीका परमत्थ जोतिका (जि० १, पृ० १५८-६५) में लिखा है कि विदेहके जनक वंशका स्थान उन लिच्छवियोंने लिया, जिनका राज्य विदेहका सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था, तथा जो वज्जिगणके सबसे प्रमुख भागीदार थे । ये लिच्छवि काशीकी एक रानीके वंशज थे ।

(इस उल्लेखसे यह प्रकट होता है कि सम्भवतया काशीके राजवंशकी एक शाखाने विदेहमें अपना राज्य स्थापित किया ।)
(पो० हि० ए० इ०, पृ० ७२)

इतिहासके जानकार इस बातसे सुपरिचित हैं, जैसा कि हम आगे लिखेंगे, कि विदेहके लिच्छवि वंशको जैन धर्मके अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीरको जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था और काशीकी वाराणसी नगरीमें तेईसवें तीर्थङ्कर

पार्श्वनाथका जन्म दुआ था। अतः इन दोनों राज्योंमें राजनैतिक न्याय वार्गिक सम्बन्ध भी हाना सम्भव प्रतीत होता है।)

लिच्छवि गणतंत्रकी स्थापनाका समय

वैदिक कालका निर्वागण करने हुए स्व० डा० रा० डा० वनर्जीने अपनी 'प्रीहिस्टोरिक इण्डिया' नामक पुस्तक (पृ० ४४) में लिखा है—

(पुराणोंके अनुसार कुन्वंशी राजा परीक्षित मगधके राजा महापद्मसे १०५० वर्ष पूर्व जन्मा था। वायु पुराणके अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्यके राज्यारोहणसे ४० वर्ष पूर्व महापद्मने राज्य करना प्रारम्भ किया था। अतः यदि चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक ३२२ ई० में माना जाये तो परीक्षितका राज्याभिषेक ई० पूर्व १४०० में मानना होगा। पुरुषोत्तम साचीके अनुसार ईसाकी ५ वीं शतीके मध्यमें भारतमें यह माना जाता था कि परीक्षित ईस्वी पूर्व १५ वीं शतीके अन्तमें मौजूद था। ...वैदिक साहित्यमें कृष्ण, पाण्डव और कौरवोंका निर्देश नहीं है किन्तु परीक्षितका है। अतः परीक्षित कल्पित व्यक्ति नहीं है, वास्तविक हैं। इस परीक्षितको सर्पने डसा था। इसीसे उसके पुत्र जनमेजयने नाग यज्ञ किया था।)

(डा० राय चौधुरीने (पो० हि० ए० ई०, पृ० ४३) लिखा है—कि विदेहराज जनक और जनमेजयमें पाँच या छै पीढ़ियोंका अन्तर था। अतः जनमेजयके १५० या १८० वर्ष पश्चात् और परीक्षितसे दो शती पश्चात् जनकका होना संभव है। अतः यदि पौराणिक परम्पराके अनुसार हम परीक्षितको ईस्वी पूर्व चौदहवीं

शतीमें रखते हैं तो हमे जनकको अवश्यही ईस्वी पूर्व १२ वीं शतीमें रखना होगा। और यदि आश्वलायन और गौतम बुद्धके साथ गुणाख्य साख्यायनकी एककालिकताको स्वीकार किया जाये तो हमे परीक्षितको ईस्वी पूर्व नौवीं शतीमें तथा जनकको ईस्वी पूर्व सातवीं शतीमें रखना होगा।)

यह पहले लिखा है कि विदेहके राज्यासनको बदलनेमें काशीका प्रमुख हाथ था और 'परमत्थ जोतिका' के अनुसार जनक राजवशके पश्चात् विदेहमें लिच्छवियोंका राज्य हुआ, जो काशीकी एक रानीकी सन्तान थे।

लिच्छवि राज्यकी स्थापनाका समय अज्ञात है। किन्तु इतना सुनिश्चित है कि ईस्वी पूर्व छठी शतीमें भगवान महावीर और गौतम बुद्धके समयमें विदेहमें लिच्छवि गणतंत्र सुदृढ़ रूपसे स्थापित हो चुका था। (बुद्धने स्वयं लिच्छवियोंके सम्बन्धमें कहा था— 'जिन्होंने तावत्तिस देवता न देखे हों वे लिच्छवियोंको देख लें। लिच्छवियोंका सघ तावत्तिश देवताओंका संघ है) "।

(अतः ईस्वीपूर्व छठी शतीमें विदेहका लिच्छवि गणतंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और काशी और कोशल उसके प्रभुत्वको मानते थे। उस गणतंत्रका प्रमुख चेटक था जिसकी सबसे बड़ी पुत्री त्रिशला भगवान महावीरकी जननी थी। तथा सबसे छोटी पुत्री चेलना मगधराज बिम्बसार श्रेणिककी पटरानी तथा अजात शत्रु (कुणिक) की जननी थी।

अजात शत्रुने ही वैशालीके प्रमुख अपने नाना चेटक पर आक्रमण करके उसे अपने राज्यमें मिला लिया था। (पो०हि०ए० इ०, पृ०१७१) और इस तरह सम्भवतया लिच्छवियोंका गणतंत्र समाप्त हो गया।)

उक्त घटनाओंको देखते हुए यह मानना पड़ता है कि चेटक सुदीर्घकाल तक लिच्छवि गणतंत्रका प्रमुख रहा, किन्तु उससे पूर्व उसका प्रभुत्व कौन था यह अज्ञात है। श्वे० आगमोंमें महावीरकी जननी त्रिशलाको चेटककी भगिनी वतलाया है, किन्तु उसके पिताका नाम नहीं दिया। इससे भी स्पष्ट है कि चेटकके पिताका नाम ज्ञात नहीं था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि लिच्छवि गणतंत्रका प्रभुत्व होनेसे चेटक अपना विशिष्ट स्थान रखता था, किन्तु उसके पिताको यह सौभाग्य प्राप्त न रहा हो, क्योंकि गणतंत्रमें राजतंत्रकी तरह राज्यासन वंशपरम्परागत नहीं होता।

किन्तु चेटकके पूर्व लिच्छवि गणतंत्रका प्रधान कौन था, यह भी अज्ञात है और चेटकसे पूर्व उक्त गणतंत्र स्थापित हो चुका था या नहीं, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

(प्रचलित मान्यताके अनुसार भगवान महावीरका निर्वाण ५२७ ई० पूर्वमें हुआ और उनकी आयु उस समय लगभग ७२ वर्षकी थी। अतः उनका ई० पूर्व ५९९ में जन्म हुआ। अतः ई० पूर्व ६०० में लिच्छवि गणतंत्र अवश्य ही वर्तमान था, क्योंकि श्वे० आगमोंमें महावीरको वैशालिय—वैशालीका तथा उनकी माताको 'विदेहदत्ता' वतलाया है और महावीरके पिता सिद्धार्थ वैशालीके निकटथ कुण्डग्रामके अधिपति (सामन्त) थे। उनके साथ चेटकने अपनी भगिनी त्रिशलाका विवाह किया था।)

संभव है ईस्वी पूर्व सातवीं शतीके लगभग या उससे कुछ पूर्व लिच्छवियोंने जो काशीकी किसी रानीकी सन्तान थे, विदेह

में जनकोंके राजवंशको हटाकर लिच्छवि गणतंत्रकी स्थापना की हो ।

जैन शास्त्रोंके अनुसार भगवान महावीरके जन्मसे २७८ वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथका जन्म काशी नगरीमें हुआ था । यतः महावीर भगवानका जन्म ईस्वी पूर्व ५६६ में हुआ था अतः भगवान पार्श्वनाथका जन्म ईस्वी पूर्व ८७७ में हुआ था । उनकी आयु सौ वर्षकी थी । तीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने प्रव्रज्या धारण की और ईस्वी पूर्व ७७७ में विहार प्रदेशमें स्थित सम्मेद शिखर (पारसनाथ हिल) से निर्वाण लाभ किया ।

(डा० राय चौधुरीने (पो० हि० एं० इ०, पृ० १२४) लिखा है कि कुम्भकार जातकके उल्लेखानुसार उत्तर पाञ्चालका राजा दुम्मुख, कलिंगका राजा करण्डु, गन्धारका राजा नगजि (नग्नजित) और विदेहका राजा नमि ये सब समकालीन थे । जैन उत्तराध्ययन सूत्रमें इन सबको जैन धर्मका अनुयायी कहा है । चूंकि पार्श्वनाथको इतिहासज्ञ जैन धर्मका सस्थापक मानते हैं इसलिये डा० राय चौधुरीने इन राजाओंको ७७७ ई० पूर्वसे ५४३ ई० पूर्व तकके समयमें रखा है । यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराध्ययनके कथनपर निःशंक विश्वास नहीं किया जा सकता, तथापि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि ये सभी राजा भगवान महावीरके पूर्ववर्ती थे, क्योंकि इनमेंसे कुछ का निर्देश एतरेय ब्रा० (७-३४) तथा शतपथ० (८, १-४-१०) में भी पाया जाता है ।)

राजा नमिका पुत्र कलार जनक विदेहके जनकवंशका अन्तिम राजा था, मज्जिम निकायके मखादेव जातकसे यह प्रकट होता है । (डा० राय चौधुरी (पो० हि० एं० इ०, पृ० ७१)

का कथन है कि 'महाभारत (१२-३०२-७) का कलार जनक और मखा देव जातकका कलार जनक एक ही व्यक्ति हैं ।' कलार जनकके पश्चात् ही विदेहमे वज्जी गणतंत्र स्थापित हुआ होगा । अतः कलार जनकका पिता नमि अवश्य ही भगवान् महावीरका पूर्ववर्ती हुआ । चूंकि उत्तराध्ययनके अनुसार वह जैन था और भगवान् महावीरसे पहले जैन धर्मका उपदेश भगवान् पार्श्वनाथने किया था, अतः राजा नमि अवश्य ही ईस्वी पूर्व ७५७ के लग भग या उसके पश्चात् होना चाहिये । उसके पश्चात् उसका पुत्र कलार जनक विदेहके राज्यासनपर बैठा । अतः ईस्वी पूर्व सातवीं शतीके लग भग ही विदेहमे लिच्छिवियोने उसे हटा कर लिच्छवि गणतंत्रकी स्थापना की होगी ।)

पार्श्वनाथका वंश और माता पिता

दि० जैन^१ साहित्यके अनुसार पार्श्वनाथ उग्रवंशी थे । किन्तु श्वेताम्बर^२ साहित्यके अनुसार इक्ष्वाकु वंशी थे । जैन मान्यताके अनुसार ऋषभ देवने वशोकी स्थापना की थी । वह स्वयं इक्ष्वाकु वंशी थे तथा उनके द्वारा स्थापित वंशोंमे एक उग्र वंश भी था । इससे उग्रवंश भी इक्ष्वाकु वंशकी ही एक शाखा होना संभव है ।

सूत्रकृताङ्गमें उग्रो, भोगो, ऐक्ष्वाकों और कौरवोको ज्ञातृवंशी और लिच्छवियोंसे सम्बद्ध बतलाया है । इससे भी काशीके उग्र

१—श्वेताम्बर उल्लेखोंके अनुसार भगिनी ।

२—ति० प०, अ० ४, गा० ५५० । २—आभि० रा० में तित्थयर शब्द, पृ० २२६५ ।

वंश तथा विदेहके लिच्छवि और ज्ञातृवंशियोंके पारस्परिक सम्बंध का समर्थन होता है (पो० हि० एं० इ० पृ० ६६) ।

पीछे वृहदा० उप० से गार्गी और याज्ञवल्क्यके संवादका एक अंश उद्धृत कर आये हैं । उसमें गार्गीने काशी और विदेहवासीको उग्रपुत्र कहा है—‘काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्रः’ । यहाँ ‘उग्रपुत्र’ अवश्य ही अपना विशेष अर्थ रखता है । उक्त उल्लेखके प्रकाशमें उग्र पुत्रका अर्थ उग्रवंशी होना संभव प्रतीत होता है । और चूंकि काशी और विदेहके अधिवासी दोनोंको उग्रपुत्र कहा है । अतः काशीके उग्रों और विदेहके लिच्छवियोंकी एकताका भी इससे समर्थन होता है ।

कलकत्ता विश्व विद्यालयमें डा० दे० रा० भण्डारकरने ईस्वी पूर्व ६५०-३२५ तकके भारतीय इतिहासपर कुछ भाषण दिये थे । उनमें उन्होंने बतलाया था कि बौद्ध जातकोंमें ब्रह्मदत्तके सिष्य वाराणसीके छै राजा और बतलाये हैं—उग्र सेन, धनजय, महासीलव, सयम, विस्ससेन और उदय भद्र । संभव है उग्रसेन या उग्रसेनसे ही काशीमें उग्रवंशी राज्यकी स्थापना हुई हो । विष्णु पुराण और वायु पुराणमें ब्रह्मदत्तके उत्तराधिकारी योगसेन, विश्वकसेन, और भल्लाट बतलाये हैं । डा० भण्डारकरने पुराणोंके विश्वकसेन और जातकोंके विस्ससेनको तथा पुराणोंके उदकसेन और जातकोंके उदयभद्रको एक ठहराया था ।

जैन साहित्यमें पार्श्वनाथके पिताका नाम अश्वसेन या अस्ससेण बतलाया है । यह नाम न तो हिन्दू पुराणोंमें मिलता है और न जातकोंमें मिलता है । किन्तु गत शताब्दीमें रची गई पार्श्वनाथ पूजनमें पार्श्वनाथके पिताका नाम विस्ससेन दिया है । यथा—‘तहां विस्ससेन नरेन्द्र उदार’ । हम नहीं कह सकते कि कविके इस

उल्लेख का क्या आधार है। फिर भी जातकोके विस्ससेण और पुराणोके विश्वकसेनके साथ उसकी एकरूपता संभव है।

प्रव्रज्या और उपसर्ग

काशीराजके पुत्र क्षत्रिय पार्श्वनाथने तीस वर्षकी अवस्थामें जिन दीक्षा धारण की और तपस्यामे लीन होगये। उनके इस विरागका कारण एक घटना थी। एक दिन वह गंगाके तटपर विचरते थे। वहां कुछ साधु पंचाग्नि तप तपते थे। अग्निमें जलती हुई एक लकड़ीमे पार्श्वनाथने एक नाग युगलको पीडित देखा। उनका दयालु चित्त जहा उसके कष्टको अनुभव कर द्रवित हुआ वहा इस अज्ञान मूलक तपको देखकर खेद खिन्न भी हुआ। उन्होंने तुरन्त उस मृतप्राय नाग युगलको बचानेकी चेष्टा की और जीवन रक्षा अशक्य जानकर उसे धर्मोपदेश दिया। उसके प्रभाव से वह नाग युगल धरणेन्द्र और पद्मावतीके नामसे नाग जाति के देवताओ का अधिपति हुआ। और पार्श्वनाथने जिन दीक्षा धारण करली।

एक बार निर्ग्रन्थ पार्श्वनाथ विचरते विचरते अहिच्छत्र (बरेली जिलेमें रामनगरके पास) पहुँचे और तपस्यामें लीन हो गये। उनके पूर्वजन्मका बैरी एक व्यन्तर देव उधरसे जाता था। उसने अपने बैरीको ध्यानस्थ देखकर घोर उपसर्ग किया। उस समय देवरूपधारी उस नागदम्पतीने आकर पार्श्वनाथकी रक्षा की। उसने सर्पका रूप धारण करके अपना विशाल फण पार्श्वनाथके ऊपर फैला दिया। उसीकी स्मृतिमे पार्श्वनाथकी मूर्तियों पर सर्पका फण बना होता है, और वही पार्श्वनाथका विशिष्ट चिन्ह माना जाता है।

आजके विज्ञान युगके पुरातत्त्वज्ञ और इतिहासज्ञ पार्श्वनाथके जीवनकी उक्त घटनाको एक पौराणिक रूपकके रूपमें ही ग्रहण करते हैं। अतः उक्त घटनासे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पार्श्वनाथके वशका नागजातिके साथ सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध था। पार्श्वनाथने नागोंको विपत्तिसे बचाया इसलिये नागोंने भी समय पर उनकी रक्षा की।

महाभारतके आदि पर्वमें जो नागयज्ञकी कथा है उससे सूचित होता है कि वैदिक आर्य नागोंके बैरी थे। नाग जाति असुरोंकी ही एक शाखा थी। और वह असुर जातिकी रीढ़की हड्डीके तुल्य थी। उसके पतनके साथ ही असुरोंका भी पतन हो गया। नागपुर आदि नगर आज भी उसकी स्मृति दिलाते हैं। महाभारतके आदि पर्वमें ही यह भी उल्लेख मिलता है कि नागोंका राजा तक्षक नग्न श्रमण हो गया था।

जब नाग लोग गंगाकी घाटीमें बसते थे तो एक नाग राजा के साथ वाराणसीकी राजकुमारीका विवाह हुआ था (ग्लि० पो० हि, पृ० ६५)। अतः वाराणसीके राजघरानेके साथ नागोंका कौटुम्बिक सम्बन्ध भी था। और गंगा की घाटीमें ही (अहिच्छेत्र) तप करते हुए पार्श्वनाथकी उपसर्गसे रक्षा नागोंके अधिपतिने की थी।

समकालीन धार्मिक स्थिति

पहले लिख आये हैं कि शतपथ ब्राह्मणके कालतक काशी, कोशल और विदेह ब्राह्मण सस्कृतिके प्रभावमें आ चुके थे।

✓ १—नागोंने जैन तीर्थङ्करकी सकटसे रक्षाकी और नाग तीर्थङ्करके मित्र थे, ऐसा जैन कथाओंसे मालूम होता हो—हि० घ० स०, पृ० १३५।

किन्तु उनका पूर्ण ब्राह्मणीकरण नहीं हुआ था (शत० ब्रा० १, ४-१-१०) । और यह भी लिये जाये हैं कि डा० भण्डारकरके मतानुसार दक्षिणी विहार और बंगालमें ब्राह्मणधर्मका प्रसार ईस्वी सन् की तीसरी शतीके मध्य तक हो सका था और इस तरह पूर्विय भारतमें अपनी सस्कृतिको फैलानेमें वैदिक आर्योंको एक हजार वर्षे लगे थे । इसका यह मतलब हुआ कि ईस्वी पूर्व ७५० से ईस्वी २५० तकके कालमें ब्राह्मण धर्मका प्रसार पूर्विय भारतमें हो सका । और इसीके प्रारम्भके लगभग शतपथ ब्राह्मणकी रचना हुई थी । बृहदारण्यक उपनिषद् शतपथ ब्राह्मणका अन्तिम भाग मना जाता है । इसीसे आधुनिक विद्वान् उसका रचनाकाल आठवीं-शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं । इसी उपनिषद्से गार्गी याज्ञवल्क्यके संवादका एक उद्धरण भी पहले दिया है जिसमें काशी और विदेहका निर्देश है । अतः शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदा० उ० अवश्य ही पार्श्वनाथके समयसे पूर्वके नहीं हैं । इन्हींमें हम प्रथम बार तापसो और श्रमणासे मिलते हैं । (बृ० उ०, ४-३-१२) । किन्तु उनका नाममात्र ही मिलता है । (याज्ञवल्क्य जनकसे आत्माका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि इस सुपुत्रावस्थामें श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं ।)

तपका महत्व भी हम ब्राह्मणकालमें ही पाते हैं । शतपथ ब्राह्मणमें तपसे विश्वकी उत्पत्ति बतलाई है । प्रतिदिन अग्नि होत्र करना एक प्रधान कर्म था । इसकी उत्पत्तिकी कथा इस प्रकार बतलाई है—प्रारम्भमें प्रजापति एकाकी था । उसकी अनेक होनेकी इच्छा हुई । उसने तपस्या की । उसके मुखसे अग्नि उत्पन्न हुई । चूंकि सब देवताओंमें अग्नि प्रथम उत्पन्न हुई इसीसे उसे अग्नि कहते हैं उसका यथार्थनाम 'अग्नि' है । मुखसे उत्पन्न

होनेके कारण अग्निका भक्षक होना स्वाभाविक था किन्तु उस समय पृथ्वीपर कुछ भी नहीं था। अतः प्रजापतिको चिन्ता हुई। तब उसने अपनी वाणीकी आहुति देकर अपनी रक्षा की। जब वह मरा तो अग्निपर रक्खा गया अग्निने केवल उसके शरीरको ही जलाया अतः प्रत्येक व्यक्तिको अग्नि-होत्र अवश्य करना चाहिये।' इसी तरह तपसे विश्वकी उत्पत्ति बतलाई है।

उक्त कथामें अग्निहोत्रके असम्बद्ध विवरणके साथ आध्यात्मिक विचारोंकी खिचड़ी पकाई गई है। कतिपय ब्राह्मण ग्रन्थोंमें कुछ स्थलोंमें पुनर्जन्मका निर्देश मिलता है, जो इस बातका सूचक है कि ब्राह्मणकालमें वैदिक आर्य पुनर्जन्मके सिद्धान्तसे परिचित हो चले थे। किन्तु वे अपने वश परम्परागत अग्निहोत्रको कैसे छोड़ सकते थे अतः उसका उपयोग भी उन्होंने अग्नि होत्रके प्रचारके लिए ही किया। यदि नया जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो अग्नि होत्र करो।

पहले लिख आये हैं कि वैदिक आर्य यज्ञोंके बड़े प्रेमी थे। उनका सारा जीवन ही यज्ञमय था। और उनके यज्ञका उद्देश्य सासारिक सुखोंकी प्राप्ति एव वृद्धि था। वेदोंमें यज्ञका प्रतिपादन था। उनकी यही शिक्षा थी कि अगर हर तरह से सुखी और सम्पन्न रहना चाहते हो तो देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये यज्ञ करो। वेदोंके मन्त्रयुगके बाद ब्राह्मणोंका युग आया। यज्ञोंकी विधियोंका निर्धारण करना ब्राह्मण ग्रन्थोंका काम था। यद्यपि ब्राह्मणकालमें पुरोहितोंकी शक्ति खूब बढ़ी किन्तु वैदिकधर्मकी अवनति भी ब्राह्मण कालसे ही आरम्भ हुई। यद्यपि ब्राह्मणोंमें मरणोत्तर जीवनका निर्देश मिलता है किन्तु पुनर्जन्म और कर्म-

फलवादका प्रत्यक्ष विवरण नहीं मिलता । यह विवरण हमें उपनिषदोंमें मिलता है ।

बृहद्य०उप०से याज्ञवल्क्य और जरत्कारय आर्तभागके सम्वादका विवरण पीछे दिया जा चुका है । आर्तभाग याज्ञवल्क्यसे कहता है—‘याज्ञवल्क्य ! जब इन मृत पुरुषकी वाणी अग्निमें लीन हो जाती है, प्राण वायुमें, चक्षु आदित्यमें, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथ्वीमें, हृदयाकाश, भृताकाशमें गंध औषधियोंमें, और केश वनस्पतियोंमें, तथा रक्त और वीर्य जलमें स्थापित हो जाते हैं तब यह पुरुष कहाँ रहता है ?’ याज्ञवल्क्य तुरत ही आर्तभागका हाथ पकडकर यह कहते हुए एकान्तमें चले जाते हैं कि यह प्रश्न जन समुदायमें करनेके योग्य नहीं है । एकान्तमें वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कर्म ही सब कुछ है । पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कर्मसे पापी होता है ।’

उस युगमें आत्मा और ब्रह्मकी जिज्ञासा पुरोहित वर्गमें कितनी बलवती थी यह पीछे उपनिषदोंके कुछ उपाख्यानोके द्वारा बतलाया गया है । इसी युगके आरम्भमें काशीमें पार्श्वनाथने जन्म लेकर भोगका मार्ग छोड़ योगका मार्ग अपनाया था । उस समय वैदिक आर्य भी तपके महत्त्वको मानने लगे थे । किन्तु अपने प्रधान कर्म अग्निहोत्रको छोड़नेमें वे असमर्थ थे । अतः उन्होंने तप और अग्निको संयुक्त करके पञ्चाग्नि तपको अंगीकार कर लिया था । ऐसे तापसियोंसे ही पार्श्वनाथकी भेंट गंगाके तटपर हुई थी ।

पार्श्वनाथका चातुर्याम

पार्श्वनाथ श्रमण परम्पराके अनुयायी थे । वैदिक साहित्यमें सर्वप्रथम हम बृहदारण्यक उप० में इन श्रमणोंका निर्देश पाते हैं ।

वाल्मीकि रामायणमें भी श्रमणोंका निर्देश है। जैन साहित्यमें पाँच प्रकारके श्रमण बतलाये हैं—निग्रन्थ, शाक्य, तापस, गौरुक और आजीवक। जैन साधुओंको निग्रन्थ श्रमण कहते हैं। महावीरका निर्देश बौद्ध त्रिपिटिकोंमें निगठ नाटपुत्त (निग्रन्थ ज्ञात्रपुत्र) रूपसे मिलता है। त्रिपिटिकोंमें निग्रन्थका उल्लेख बहुधा आया है। उस परसे डा० याकोवीने यह प्रमाणित किया था कि बुद्धसे पहले निग्रन्थ सम्प्रदाय वर्तमान था। अंगुत्तर निकायमें वप्प नामक शाक्यको निग्रन्थका श्रावक बतलाया है। इस निकायकी अट्ठकथामें लिखा है कि वह वप्प बुद्धका चाचा होता था। इसका मतलब यह हुआ कि गौतम बुद्धके जन्मसे पहले अथवा उनकी बाल्यावस्थामें निग्रन्थका धर्म शाक्य देशमें फैला हुआ था। महावीर स्वामी तो बुद्धके समकालीन थे। अतः उन्होंने तो उस समय तक निग्रन्थ धर्मका प्रचार नहीं किया था। अतः उनसे पूर्व भी निग्रन्थ सम्प्रदाय वर्तमान था ऐसा मानना ही उचित है। आगे इस सम्बन्धमें विस्तारसे प्रकाश डाला जायेगा।

महावीरके पूर्ववर्ती इस निग्रन्थ सम्प्रदायके नेता भगवान् पार्श्वनाथ थे। आधुनिक इतिहासज्ञोंके अनुसार वही निग्रन्थ सम्प्रदायके प्रवर्तक थे। पार्श्वनाथके निग्रन्थ सम्प्रदायका क्या रूप था और उन्होंने किस धर्मका उपदेश दिया था, इन बातोंकी पूरी जानकारी कर सकना शक्य नहीं है क्योंकि उनके समयका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी जैन और बौद्ध उल्लेखोंसे इतना अवश्य प्रकट होता है कि पार्श्वनाथने 'चतुर्याम' धर्मका उपदेश दिया था। चतुर्याम इस प्रकार थे—सर्व प्रकारके प्राणघातका त्याग, सब प्रकारके असत्य वचनका त्याग, सर्व प्रकारके अदत्तादान (बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण) का त्याग

और सब प्रकारकी परिग्रहका त्याग । इनको 'याम' कहा है । 'यम्' का अर्थ है दमन करना । चार प्रकारसे आत्म दमनका नाम चातुर्याम था ।

इन चार यामोंका उद्गम वेदो या उपनिषदोंसे नहीं हुआ । किन्तु वेदोंके पूर्वसे ही इस देशमें रहनेवाले तपस्वी ऋषि मुनियोंके तपोधर्मसे इनका उद्गम हुआ है । (पा० चा०, पृ० १५) ।

छा० उप० लिखा है कि देवकीपुत्र श्रीकृष्णको आंगिरस-ऋषिने आत्मयज्ञका व्याख्यान किया था और तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्यवचनको उसकी दक्षिणा वतलाया था । यह आंगिरस ऋषि कौन थे, कब हुए, यह अज्ञात है । जैन ग्रन्थोंके अनुसार श्रीकृष्णके गुरु तीर्थङ्कर श्री नेमिनाथ थे । श्री कौशाम्बी जीन उसी आधारसे नेमिनाथके आंगिरस ऋषि होनेकी संभावना व्यक्त की थी, किन्तु इस संभावनाके लिये प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि छान्दोग्य उपनिषद् के समय अहिंसा सत्य, तप, आदि की ध्वनि वैदिक क्षेत्रमें भी

✓ १—'सव्वातो पाणातिवायाओं वेरमणं, एव मुसावायाओं वेरमण, सव्वातो आदिन्नादाणाओं वेरमण, सव्वाओं वहिद्धादाणाओं वेरमण ।' (स्था०, सू० २६६) ।

२—बृहदा रण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय और कौषीतकी ये चार उपनिषद सब उपनिषदोंमें प्राचीन माने जाते हैं । सब प्राचीन उपनिषद भी एक समय के नहीं हैं, विभिन्न कालोंमें उनकी रचना हुई है । उनमें जो परस्पर विरोधी अनेक बातें मिलती हैं । उनका एक कारण यह भी है । साधारणतया प्राचीन उपनिषदोंको बुद्ध पूर्वका माना जाता

गूँजने लगी थी। किन्तु आंगिरसको उसका मूल प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता। घोर आंगिरसके सम्बन्धसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसे भी ऋषि थे जो जीवनमें अहिंसा सत्य आदिके व्यवहारको प्रश्रय देते थे। किन्तु चातुर्यामरूप धर्मके सस्थापक पार्श्वनाथ थे यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने अपने इस धर्मका प्रचार सर्व साधारणमें किया और मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाके भेदसे चतुर्विध संघकी स्थापना की। हम आगे बतलायेंगे कि भगवान महावीरके समयमें पार्श्वनाथके अनुयायी मुनि और गृहस्थ वर्तमान थे।

(पार्श्वनाथके चातुर्याम धर्म तथा उनके प्रचारके सम्बन्धमें श्री कौशास्वीजीने लिखा है—“पार्श्वनाथने इन यामोंको सार्वजनिक करनेका प्रयत्न किया। उन तथा उनके शिष्योंने लोगोंसे मिलनेवाली भिक्षापर निर्वाह करके सामान्य लोगोंमें इन यामोंकी शिक्षा देनेकी शुरुआत की। और उसका यह परिणाम हुआ कि ब्राह्मणोंके यज्ञयाग लोगोंको अप्रिय होने लगे। महावीर स्वामी, बुद्ध तथा अन्य श्रमणोंने इस दया धर्मके प्रचारको चालू रखा। और इस कारण ब्राह्मणोंकी श्रमणोंपर विशेषतया जैनों और बौद्धोंपर वक्र दृष्टि हो गई। वास्तवमें

है। प्रो० मोक्षमूलरने लिखा है कि समस्त वैदिक साहित्य बौद्ध धर्मके (ई० पूर्व ५००) के लगभग) पूर्वका है। बहुतसे विद्वानों का कहना है कि प्राचीनतम उपनिषदोंको ईस्वी पूर्व ६०० से पूर्व नहीं रखा जा सकता। डा० विन्टर नीट्स ने उन्हें ईस्वी पूर्व ७५०-५०० के मध्यमें रखा है। अतः यह प्रायः निश्चित है कि उपनिषद भगवान पार्श्वनाथसे पूर्वके नहीं है। उनके कालसे ही उनका प्रणयन प्रारम्भ हुआ था।

केवल ब्राह्मणोंका विरोध करनेके लिये पार्श्वनाथने इस चतुर्याम धर्मकी स्थापना नहीं की थी। मनुष्य-मनुष्यके बीचमें वैमनस्य नष्ट होकर समाजमें सुख शान्ति लाना इस धर्मका ध्येय था। किन्तु पार्श्वनाथने ऋषि-मुनियोंके पाससे अहिंसा ली। उसका क्षेत्र मनुष्य जातिके लिये ही संकुचित करना उनके लिये शक्य न था। जानबूझकर प्राणीकी हत्या करना अनुचित है ऐसा पार्श्वनाथने प्रतिपादन किया। और उस समयकी परिस्थितिमें सामान्य जनताको यह अहिंसा प्यारी लगी; क्योंकि राजा तथा सम्पन्न ब्राह्मण जनतासे खेतीके जानवरोको जबरदस्ती छीनकर यज्ञभागोंमें उसका वध कर देते थे।' (पा० चा०, पृ० १५-१६)।

आगे भगवान पार्श्वनाथके द्वारा संस्थापित चतुर्याम धर्मके आधार पर ही भगवान महावीरने पञ्च महाव्रतरूप निर्ग्रन्थ मार्गकी तथा बुद्धदेवने अष्टांग मार्ग की स्थापना की।

किन्हीं विद्वानोंका ऐसा मत है कि पार्श्वनाथने केवल आचार रूप धर्मकी ही स्थापनाकी थी, दार्शनिक क्षेत्रमें उनकी कोई देन नहीं है। संभवतया उनके इस मतका आधार तत्सम्बन्धी प्रमाणोंका अभाव ही है, क्योंकि पार्श्वनाथका आत्मा, निर्वाण आदिको लेकर क्या मत था इसके जाननेका कोई साधन हमारे पास नहीं है। किन्तु पार्श्वनाथके समयकी स्थिति तथा भगवान महावीरके द्वारा प्रवर्तित जैन दर्शनके तत्त्वोंका पर्यवेक्षण करनेसे उक्त मत समीचीन प्रतीत नहीं होता।

पार्श्वनाथका समय बड़ी उथल-पुथलका समय था। वह ब्राह्मण युगके अन्त और औपनिषद् अथवा वेदान्त युगके आरम्भ का समय था। जहाँ उस समय शतपथ ब्राह्मण जैसे

ब्राह्मण ग्रन्थका प्रणयन हुआ वहाँ बृहदारण्यकोपनिषद्के द्वारा उपनिषदोंकी रचनाका सूत्रपात्र हुआ । ऐसे उथल-पुथलके समयमें बिना किसी दार्शनिक भित्तिके केवल चतुर्यामरूपी स्तम्भोके आधारपर धर्मका प्रसाद नहीं खड़ा किया जा सकता । अहिंसा और सर्वस्व त्यागको अपनाकर निर्ग्रन्थ बननेका कोई लक्ष्य तो होना ही चाहिये । आग जलाकर तपस्या करनेको बुरा समझकर भी तपस्याका मार्ग अगीकार करनेवालेके सामने आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्षकी कोई न कोई रूप रेखा अवश्य रही होगी । यह हम पहले लिख आये हैं कि पुनर्जन्मका विचार उस आर्येतर सस्कृतिकी देन है जो ऋग्वेदसे भी प्राचीन है । अतः श्रमण परम्पराके एक प्रमुख स्तम्भका उक्त तत्त्वोंके सम्बन्धमें कोई विचार प्रदर्शित न करना सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

(दूसरे, विद्वानोंसे यह बात अज्ञात नहीं है कि बुद्ध आत्मा निर्वाण आदि प्रश्नोंको अव्याकृत कहकर टाल देते थे । दीर्घनिकायके पासादिक सुत्तमे बुद्धने इस बातका उत्तर दिया है कि आत्मा आदिके ऋगड़ेमें वह क्यों नहीं पड़े । उन्होंने चुन्दसे कहा—‘चुन्द’ अन्य सम्प्रदायोंके परिव्राजक यदि पूछें कि इस विषयमें श्रमण गौतमने क्यों कुछ नहीं कहा ? तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये—आवुसो ! न तो यह अर्थोपयोगी है, न धर्मोपयोगी इत्यादि । किन्तु भगवान् महावीरने इस प्रकारके किसी भी प्रश्नको अव्याकृत कहकर नहीं टाला । इससे यद्यपि महावीरकी बहुदर्शिता और बहुज्ञतापर प्रकाश पड़ता है तथापि ऐसा भी आभास होता है कि आचार विषयक मन्तव्योंकी तरह कतिपय दार्शनिक मन्तव्य भी भगवान् महावीरको उत्तराधिकारके रूपमें परम्परासे प्राप्त हुए थे ।)

प्राचीन जैन सिद्धान्त ग्रन्थोंकी चर्चा आगे की जायेगी। उनमें अंग और पूर्व नामक सिद्धान्त ग्रन्थ भी थे, जो नष्ट हो गये। पूर्वोंके विषयमें ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वे भगवान् महावीरसे पहलेके थे इसीसे उन्हें पूर्व कहते थे। उन पूर्वोंसे ही अगोके विकासके भी उल्लेख मिलते हैं। इस परसे डा० याकोवी का मत है कि महावीरके पूर्ववर्ती निग्रन्थोंके वही धार्मिक ग्रन्थ थे।

(त्रिपिटकसे यह प्रकट है कि भगवान् बुद्ध आचारविषयक नियमोंमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते रहते थे। किन्तु जैनसाहित्यमें भगवान् महावीरके सम्बन्धमें इस प्रकारका सकेत तक नहीं मिलता। इससे यह प्रकट होता है कि बुद्धने अपना पन्थ स्थापित किया था जब कि महावीर उस निग्रन्थ मार्गके एक प्रवर्तक थे जो पार्श्वनाथके समयसे चला आता था। अतः निग्रन्थ मार्गकी निश्चित आचार परम्परा तथा विचार परम्परा का कुछ अंश उन्हें अवश्य ही पूर्वागत प्राप्त होना चाहिये। अतः भगवान् महावीर द्वारा प्रवर्तित जैन दर्शनके सिद्धान्त केवल महावीरकी ही देन नहीं है उनमें भगवान् पार्श्वनाथकी भी देन है, किन्तु उस देनका विभागीकरण करना शक्य नहीं है। तथापि जैन दर्शनकी प्राचीनताको स्पष्ट करनेके लिये डा० याकोवीके एक लेखके आधार पर यहाँ सक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है।

भारतीय दर्शनोंमें जैन दर्शनका स्थान

हम पहले लिख आये हैं कि प्रोफेसर ड्यूसन (Deussen) ने उपनिषदोंको चार समूहोंमें विभाजित किया है। प्रथम

समूहमें पाँच उपनिषद् आये हैं—बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकी। दूसरे समूहमें कठक, ईश, श्वेताश्वर, मुण्डक और महानारायण आते हैं। और तीसरे समूहमें प्रश्न, मैत्रायणी, और माण्डूक्य आते हैं। यह हम पहले भी लिख आये हैं।

श्वेताश्वर ३० मे गुण (१-३), प्रधान (१-१०) शब्द तथा साख्यके अन्य प्रमुख विचार मिलते हैं। उक्त द्वितीय तथा तृतीय समूहके उपनिषदोंमें भी साख्यके कतिपय मौलिक विचार प्राये जाते हैं। अतः डा० याकोवीका मत है कि उपनिषदोंके प्रथम और द्वितीय समूहके मध्यमें साख्य दर्शनका उदय हुआ है। चूँकि योगदर्शनका निकट सम्बन्ध भी साख्यके साथ है इसलिये योगदर्शनका उदय भी उसी समय होना चाहिये। उत्तर कालीन कतिपय उपनिषदोंमें, जिनमें साख्य सिद्धान्त प्राये जाते हैं योगका नाम भी आता है। किन्तु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वहाँ योग से मतलब योग दर्शन लिया है या योगाभ्यास ?

(उस युगमें जो मौलिक परिवर्तन हुआ, साख्य-योगका उदय केवल उसका एक चिन्ह मात्र है, वास्तविक कारण नहीं है। इसका वास्तविक कारण तो आत्माओंके अमरत्वमें विश्वास था जो उस समय सर्वत्र फैला हुआ था। क्योंकि यह ऐसा सिद्धान्त था, जिसे मृत्युके पश्चात् होनेवाले विनाशसे भीत जनताके बहुभागका समर्थन मिलना निश्चित था।)

आत्माओंके अमरत्वके सिद्धान्तने ही तर्क भूमिमें आकर जड़ तत्त्वकी भिन्नताको प्रदर्शित किया, जिसका प्राचीन उपनिषदोंमें अभाव है। ये दोनों सिद्धान्त प्रारम्भसे ही जैन और साख्य

योग जैसे प्राचीनतम दर्शनोंके मुख्य भाग है। वैशेषिक और न्यायदर्शनका उदय तो बहुत बादमे हुआ है और इन दोनोंने भी उक्त दोनों सिद्धान्तोंको अपनेमें स्थान दिया है।

बादरायणने ब्रह्मसूत्रमें वेदान्त दर्शनको निबद्ध किया है। यद्यपि यह कहा जाता है कि उन्होंने उपनिषदोंकी शिक्षाको ही व्यवस्थित रूप दिया है, किन्तु ब्रह्मसूत्रमें भी जीवको अनादि और अविनाशी माना है। शंकराचार्यने अपने भाष्यमे भले ही इसके विरुद्ध प्रतिपादन किया है। इसके लिये कलकत्ताके श्री अभयकुमार गुहका 'ब्रह्मसूत्रमें जीवात्मा' शीर्षक निबन्ध पठनीय है।

कठ और श्वेताश्वर उपनिषदोंमें ब्रह्मसे आत्माओंका पृथक् अस्तित्व माना है, यद्यपि दूसरी ओर उनमें दोनोंके ऐक्यका भी समर्थन मिलता है। किन्तु ब्रह्मसूत्र तो उन उपनिषदोंसे भी एक कदम आगे बढ़ गया है। अस्तु,

इस तरह स्वतंत्र आत्माओंकी अमरतामें विश्वास ही विचारोंको नया रूप प्रदान करनेमें मुख्य कारण हुआ है। उसीने वैदिक युगका अन्त किया है। उसीके साथ पुनर्जन्म और कर्मका सिद्धान्त सम्बद्ध है जिनके विषयमें पहले लिख है। अस्तु,

पहले लिख आये हैं कि जैन और सांख्य योग प्राचीनतम दर्शन हैं जो वैदिक युगके अन्तके साथ ही सम्मुख आते हैं। ये ऊपर बतलाये गये सिद्धान्तोंके, खासकर अमर आत्माओंका बहुत्व और जड़के पृथक्त्वके समर्थक हैं। यद्यपि इन्होंने इन विचारोंको अपने-अपने स्वतंत्र ढंगसे विकसित किया है, फिर भी दोनोंमे कहीं-कहीं सादृश्यसा प्रतीत होता है।

यहाँ हम विस्तारमें न जाकर सक्षेपमें दो एक मुद्दोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा करेंगे ।

(जैन और सांख्य-योग इस विषयमें एक मत है कि जड़ (Matter) स्थायी है । किन्तु उसकी अवस्थाएं अनिश्चित हैं । सांख्य मतके अनुसार एक प्रधान ही नानारूप होता है, किन्तु जैन धर्मके अनुसार केवल पुद्गल द्रव्य नाना अवस्थाओंमें परिवर्तित होता है—आकाश आदि द्रव्य परिवर्तनशील होते हुए भी अखण्ड और अविनाशी रहते हैं ।)

(ऐसा प्रतीत होता है कि जबसे जड़ और चेतनका भेद विचारकोंके अनुभवमें आया तभीसे जड़के विषयमें उक्त मान्यता प्रचलित है । किन्तु उत्तरकालमें उक्त मूल सिद्धान्तमें परिवर्तन होना दृष्टि गोचर होता है । यह परिवर्तन है चार अथवा पाच भूतोंका एक दृग्दृशसे एकदम भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व माना जाना । यह मत चार्वाकोंका था । चार्वाक सांख्य योगसे अर्वाचीन है । न्याय-वैशेषिकने भी इसी मतको अपनाकर अपने ढंगसे विकसित किया । जैन और सांख्ययोगने इस मतका एक मतसे विरोध किया है, जो इस बातका सूचक है कि भूतवादी मत अर्वाचीन होना चाहिये ।)

जैन पुद्गलको परमाणु रूपमें मानते हैं, किन्तु सांख्य प्रधान या प्रकृतिको व्यापक मानता है । जैनोके अनुसार परमाणुओंके मेलसे जीव, धर्म द्रव्य, अधर्मद्रव्य, काल और आकाश द्रव्यके सिवाय शेष सब वस्तुएँ उत्पन्न हो सकती हैं । किन्तु सांख्य मतके अनुसार प्रधानमें सत्त्व रज और तम नामके तीन गुण हैं और इन्हींके मेलसे एक प्रधानसे महान् अहंकार आदि पाच तन्मात्रा पर्यन्त तत्त्वोंकी उद्भूति

होती है। और उन पाँच तन्मात्राओंसे पांचभूत बनते हैं। अतः मूल सांख्यमत परमाणुवादको नहीं मानता था। किन्तु सांख्य-योग दर्शनके कुछ ग्रन्थकार परमाणु वादको मानते थे ऐसा लगता है।

सांख्य कारिकाकी टीकामे गौड़पादने बिना विरोध किये परमाणुवादका कई जगह निर्देश किया है। योगसूत्र (१-४०) में भी उसे स्वीकार किया है। उसके भाष्य (१-४०, ४३, ४४, ३-५२, ४-१४ वगैरहमें) तथा वाचस्पति मिश्रकी टीका (१-४४) में भी परमाणुओंका अस्तित्व स्वीकार किया है।

इन उल्लेखोंसे प्रमाणित होता है कि परमाणुवाद सिद्धान्त इतना अधिक लोकसम्मत था कि उत्तरकालमें सांख्ययोगने भी उसे स्वीकार कर लिया। अब आत्मतत्त्वको लीजिये—

(आत्मतत्त्वके विषयमें जैन और सांख्ययोग कतिपय मूल बातोंमें सहमत है। आत्माएँ सनातन और अविनाशी हैं, चेतन हैं, किन्तु जड़कर्मोंके कारण, जो अनादि हैं, उनका चैतन्य तिरोहित है। मुक्ति होनेपर कर्मोंका अन्त हो जाता है)।

किन्तु आत्माके आकारके विषयमें जैनोंका अपना एक पृथक मत है जो किसी भी दर्शनमें स्वीकार नहीं किया गया। जैन मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने शरीरके बराबर आकारवाला होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूलके सांख्य इस विषयमें कोई स्पष्ट मत नहीं रखते थे। क्योंकि योग भाष्य (१-३६) में पञ्चशिवका मत उद्धृत किया है जिसमें आत्माको अणुमात्र बतलाया है। जबकि ईश्वरकृष्ण तथा पश्चात्के सभी ग्रन्थकारोंने आत्माको व्यापक लिखा है।

आत्माके कर्मबन्धन और कर्मोंसे छुटकारेको लेकर भी सांख्ययोग और जैनमें बहुत भेद है।

(इसके सिवाय जैन दर्शन मानता है कि पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पतिमें भी जीव है और उसके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है। सारांश यह है कि जड़ और आत्माको लेकर जैनदर्शन और सांख्य योगमें इतना सुनिश्चित अन्तर है कि उसे देखते हुए यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जैनोंने सांख्ययोगसे या सांख्ययोगने जैनोसे कुछ लिया है।)

फिर भी सांख्य और जैन दर्शनकी आत्मविषयक कतिपय बातोंमें समानता देखकर जेकोवीका ऐसा अनुमान है कि ये दोनों दर्शन लगभग एक ही कालमें उदित हुए हैं।

(कौटिल्यके अनुसार उसके समयमें (३०० ई० पूर्व) सांख्य-योग और लोकायत ये ही ब्राह्मण दर्शन वर्तमान थे। अतः अवश्य ही ये कौटिल्यकालसे प्राचीन हुए कहलाये।)

अब हम भगवान पार्श्वनाथके ऐतिहासिक व्यक्ति होनेके सम्बन्धमें कुछ प्रमाण उपस्थित करेंगे।

भगवान पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकता

न केवल जैन साहित्यसे किन्तु बौद्ध साहित्यसे भी पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। उसके सम्बन्धमें सर्वप्रथम एक बात उल्लेखनीय है। और उसे हम अपनी ओरसे न लिखकर डा० याकोवीके ही शब्दोंको लेकर लिखना उचित समझते हैं।

बौद्ध साहित्यके उल्लेखोंके आधारपर बुद्धसे पहले निर्ग्रन्थ सम्प्रदायका अस्तित्व प्रमाणित करने हुए स्व० डा० थाकोर्वीने लिखा है—

‘यदि जैन और बौद्ध सम्प्रदाय एकसा प्राचीन होते, जैना कि बुद्ध और महावीरकी समकालीनता तथा दोनोंको दोनों सम्प्रदायोंका संस्थापक माननेसे अनुमान किया जाता है तो हमें यह आशा करनी चाहिये थी कि दोनोंने अपने-अपने साहित्यमें अपने प्रतिद्वन्द्वीका अवश्य ही निर्देश किया होगा। किन्तु बात ऐसी नहीं है। बौद्धोंने अपने साहित्यमें यहाँ तक कि पिटकोंमें भी निर्ग्रन्थोंका बहुतायतसे निर्देश किया है किन्तु प्राचीन जैन सूत्रोंमें मुझे बौद्धोंका किञ्चिन् भी निर्देश नहीं मिला। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध निर्ग्रन्थ सम्प्रदायको एक प्रमुख सम्प्रदाय मानते थे किन्तु निर्ग्रन्थ अपने प्रतिद्वन्द्वियोंकी उपेक्षा तक कर सकते थे। अतः उत्तरकालमें दोनों सम्प्रदायोंके जैसे पारस्परिक सम्बन्ध रहे उसके यह विल्कुल विपरीत है। और यतः यह दोनों सम्प्रदायोंके समकालमें स्थापित होनेके हमारे अनुमानके भी विरुद्ध है अतः हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि बुद्धके समय निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय कोई नवीन स्थापित सम्प्रदाय नहीं था। यही मत पिटकोंका भी जान पड़ता है क्योंकि हम उनमें इसके विपरीत कोई उल्लेख नहीं पाते। (इं० एंटि०, जि० ९, पृ० १६०)।

मज्झिम निकायके महासिहनाद सुत्त (पृ० ४८-५०) में बुद्धने अपने प्रारम्भिक कठोर तपस्वी जीवनका वर्णन करते हुए तपके वे चार प्रकार बतलाये हैं जिनका उन्होंने स्वयं पालन किया था। वे चार तप हैं—तपस्विता, रुचता, जुगुप्सा और प्रविक्तता। तपस्विताका अर्थ है नगो रहना, हाथमें ही

भिक्षा भोजन करना, केश दाढ़ीके वालोंको उखाडना, कटका-कीर्ण स्थल पर शयन करना। रूक्षताका अर्थ है—शरीर पर मैल धारण करना या स्नान न करना। अपने मैलको न अपने हाथसे परिमार्जित करना और न दूसरेसे परिमार्जित कराना। जुगुप्साका अर्थ है—जलकी वृद्ध तक पर दया करना। और प्रविविक्तताका अर्थ है—वनोमें अकेले रहना।

ये चारों तप निर्ग्रन्थ सम्प्रदायमें आचरित होते थे। भगवान् महावीरने स्वयं इनका पालन किया था तथा अपने निर्ग्रन्थोंके लिये भी इनका विधान किया था। किन्तु बुद्धके दीक्षा लेनेके समय महावीरके निर्ग्रन्थ सम्प्रदायका प्रवर्तन नहीं हुआ था। अतः अवश्य ही वह निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय महावीरके पूर्वज भगवान् पार्श्वनाथका था, जिसके उक्त चार तपोंको बुद्धने धारण किया था, किन्तु पीछे उनका परित्याग कर दिया था। म० नि० के उक्त सुत्तके कथनसे यह स्पष्ट है।)

दि० जैनाचार्य श्री देवसेनने वि० सं० १९० में पूर्वाचार्य प्रतिपादित गाथाओंका सकलन करते हुए दर्शनसार नामके एक ग्रन्थ रचा था जिसमें अनेक मतोंकी उत्पत्ति बतलाई गई है। उसमें बौद्धमतकी उत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है कि—'पार्श्वनाथ' भगवानके तीर्थमें सरयू नदीके तटवर्ती पलाश नामक नगरमें पिहितास्रव मुनिका शिष्य बुद्ध कीर्ति मुनि हुआ जो महाश्रुत—बड़ा भारी शास्त्रज्ञ था। मछलियोंका आहार करनेसे वह धारण की

१—'सिरिपासणाहत्तिये सरयूतीरे पलासणायरत्थो ।
 गिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुद्धकित्ती मुणी ॥ ६ ॥
 तिमिपूरणासणेहि अहिगयपव्वजाओ परिव्वहो ।
 रत्तवर धरित्ता पव्वड्डिय तेण एयत ॥ ७ ॥

बुद्धके द्वारा खोजे गये आर्य अष्टांगिक मार्गका समावेश चतुर्याममें हो जाता है ।' (पा० चा०, पृ० २४) ।

सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि ये बुद्धका आर्य अष्टांगिक मार्ग है ।

श्री कौशाम्बीने आगे लिखा है कि इनके अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि बुद्धने पार्श्वनाथके चार यामोंको पूर्ण रूपसे स्वीकार कर लिया था । उन यामोंमें उन्होंने अलार कालामकी समाधि और स्वयं खोजकर निकाली गई चार आर्य सत्य रूप प्रज्ञाको जांड दिया । तथा उन यामोंको तपश्चर्या और आत्मवादसे मुक्त कर दिया, क्योंकि लगातार वर्षों तक तपस्या करने पर उन्हें लगा कि देह दण्डन व्यर्थ ही नहीं उल्टा हानिकारक भी है ।]

बुद्धने तपश्चर्याका परित्याग कर दिया था इससे लोग उन्हे तथा उनके अनुयायि शिष्योंको आराम पसन्द कहते थे । दीर्घ निकायके पासादिक सुत्तमें (पृ० २५६) बुद्ध चुन्दसे कहते हैं— 'चुन्द ! ऐसा हो सकता है कि दूसरे मतवाले परित्राजक ऐसा कहे—शाक्यपुत्रीय श्रमण आरामपसन्द हो विहार करते हैं । ... चुन्द ! ये चार प्रकारकी आरामपसन्दगी अनर्थ युक्त है—कोई मूर्ख जीवोंका बध करके आनन्दित होता है, प्रसन्न होता है । यह पहली आराम पसन्दगी है १ । कोई चोरी करके आनन्दित होता है यह दूसरी आराम पसन्दगी है २ । कोई भूठ बोलकर प्रसन्न होता है यह तीसरी आराम पसन्दगी है ३ । कोई पाचो भोगोंका सेवन करके आनन्दित होता है ये चौथी आराम पसन्दगी है ४ । ये चारों सुखोपभोग निकृष्ट हैं ।

हो सकता है चुन्द । दूसरे मतवाले साधु ऐसा कहे—इन चार सुखापभाग आगम पमन्दगीमे युक्त हो जान्यपुत्रीय श्रमण विहार करते हैं । उन्हे कहना चाहिये—ऐसी बात नहीं है । उनके विषयमे ऐसा मत कहां, उन पर भूटा दोषांगपण न करो ।

इससे स्पष्ट है कि बुद्धके मतमे चार यामोंका पालन करना ही तपश्चर्या मानी जाती थी । अतः बुद्धने पार्वनाथके चातुर्थीमे धर्मको स्वीकार किया था ।

(डा० याकोबोने महावीर और उनके पूर्वज' शीर्षक अपने एक लेखमे लिखा है कि छै तीर्थियोंके सम्बन्धमे 'जेम्स डी अलविस (James D 'Alvis') ने अपने एक निबन्धमे लिखा था कि ऐसा प्रकट होता है कि 'दिगम्बर' साधुओंका एक प्राचीन सम्प्रदाय माना जाता था । तथा ये सभी विपक्षी तीर्थिक अपने सिद्धान्तोंमे अथवा धार्मिक क्रियाओंमें जैन धर्मके प्रभावको अपनाये हुए थे — गोशाल मक्खलिपुत्र नगा रहता था, पूरण काश्यपने यह सोचकर कि दिगम्बर रहनेसे मेरी विशेष प्रतिष्ठा रहेगी, वस्त्र धारण करना स्वीकार नहीं किया । अजितकेश कम्बली वृक्षोंमे जीव मानता था और जो वृक्ष काटता था उसे दोषी करार देता था । प्रकृद्ध कात्यायन पानीमे जीव मानता था । इस तरह उस समयके चार तीर्थिक जैन धर्मके सिद्धान्तोंसे प्रभावित थे । इससे प्रकट होता है कि महावीरके समय जैनचार और विचार अवश्य ही प्रवर्तित थे । अतः निर्ग्रन्थ महावीर से बहुत पहलेसे चले आते थे । (इन्डि० एण्टि० जि० ६) ।

बौद्ध त्रिपिटिकसे यह प्रकट है कि बुद्धके समय भारतवर्षमे श्रमणोंके कोई ६३ सम्प्रदाय विद्यमान थे । जिनमेसे छै बहुत

ही प्रमुख थे। [इन प्रमुख छै सम्प्रदायोंके आचार्य थे—पूरण काश्यप मन्त्रखलि गोसाल, अजित केसकम्बल, प्रकुध कात्यायन, निगठ नाथपुत्त (महावीर), और सजय बेलट्टिपुत्त। दीर्घ निकायके सामञ्जफलसुत्त (पृ० २१) में इन छहोका मत प्रतिपादित है। उसमें निगंठ नाथपुत्तको चतुर्याम सवरवादी कहा है। वे चार संबर इस प्रकार बतलाये हैं—१—निगठ (निग्रन्थ) जलके व्यवहारका वारण करता है (जिसमें जलके जीव न मरें)। २—सभी पापोंका वारण करता है। ३—सभी पापोंका वारण करनेसे धुतपाप होता है। ४—सभी पापोंके वारणमें लगा रहता है।

इसी तरह म० नि० (पृ० २२५) में उपालि गृहपतिसे वार्तीलाप करते हुए गौतम बुद्धने कहा है—गृहपति । यहाँ एक चातुर्याम सवरसे सवृत (गोपित-रक्षित) सब वारिसे निवारित, सब वारि (वारितों) को निवारण करनेमें तत्पर सब (पाप—) वारिसे धुला हुआ, सब (पाप) वारिसे छूटा हुआ निग्रन्थ है।

यद्यपि निग्रन्थ साधु जो आज जैन कहलाते हैं शीत जलका व्यवहार नहीं करते और सब पापोंका वारण करनेमें भी तत्पर रहते हैं किन्तु इन बातोंको चतुर्यामोंमें कहीं भी नहीं गिनाया। अतः उक्त बौद्ध उल्लेख अवश्य ही भ्रान्त है। किन्तु इस भ्रान्तिमें ही पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकताके बीज श्री याको-वीने देखें।

{ उन्होंने लिखा है—'निश्चय ही यह जैन मान्यताका यथार्थ वर्णन नहीं है यद्यपि उसमें और जैन मान्यतामें कुछ विरोध भी नहीं है। जैसा कि मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है मेरे विचारसे 'चातुर्याम

सवर संवृतो' को समझने में बौद्ध टीकाकारने ही भूल नहीं की किन्तु मूल ग्रन्थकारने भी भूल की है क्योंकि पालीशब्द चातुर्याम और प्राकृतशब्द चातुज्जाम तुल्य हैं। चातुज्जाम एक प्रसिद्ध जैन पारिभाषिक शब्द है जो महावीरके पांच महाव्रतोंके स्थानमें पार्श्वके चार व्रतोंको बतलाता है। अतः मेरा अनुमान है कि उस सिद्धान्तको, जो वास्तवमें महावीरके पूर्वज पार्श्वनाथका था, महावीरका बतलानेमें भूल की है। यह भूल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यदि बौद्धोंने पार्श्वके अनुयायियोंसे उक्त चातुर्याम को न सुना होता तो निर्गन्थ सम्प्रदायके निर्देशकके रूपमें वे उसका प्रयोग न करते। तथा यदि बुद्धके समयमें महावीरके किये गये सुधारोंको सब निग्रन्थोंने स्वीकार कर लिया होता तो भी बौद्धोंने 'चातुर्याम संवर संवृतो' का प्रयोग न किया होता। अतः बौद्धोंकी बड़ी भूलको मैं इस जैन कथनकी कि महावीरके समयमें पार्श्वके अनुयायी वर्तमान थे-सत्यताके प्रमाण रूपमें पाता हूँ (से० बु० ई०, जि० ४५, प्रस्ता० पृ० २?)

इस तरह बौद्ध त्रिपिटकोंके उल्लेखोंसे यह प्रमाणित होता है कि बुद्धके बाल्यकालमें भी निग्रन्थ श्रावक वर्तमान थे तथा बुद्ध पार्श्वनाथके चतुर्यामसे न केवल परिचित थे किन्तु उन्होंने उसे ही विकसित करके अपने अष्टांगिक मार्गका निर्धारण किया था। और उनके समयमें पार्श्वनाथके अनुयायी निग्रन्थ वर्तमान थे।

अब हम जैन साहित्यसे इस सम्बन्धमें कुछ प्रमाण उपस्थित करेंगे।

कतिपय जैनउल्लेख

उत्तराध्ययन सूत्रके २३ वें अध्ययनका केशी गौनम संवाद भी इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है। उसमें लिखा है—

१—जिणे पासेत्ति णामेण, अरहा, लोगपइए ।
 सबुद्धप्पा य सब्वण्णु घम्मतित्थयरे जिणे ॥ १ ॥
 तस्य लोगप्पदीवस्स आसि सीसे महायसे ।
 केसीकुमारसमणे, विज्जाचरणपारगे ॥ २ ॥
 ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससघसमाउले ।
 गामाणुगाम रीयते, सावत्थि पुरिमागए ॥ ३ ॥
 तेंदुय नाम उज्जाण, तम्मी नगरमंडले ।
 फासुए सेज्जसथारे, तत्थवासमुवागए ॥ ४ ॥
 अह तेणेव कालेण घम्मतित्थयरे जिणे ।
 भगव वद्धमाणुत्ति, सब्वलोगम्भि विस्सुए ॥ ५ ॥
 तस्स लोगपईवस्स आसि सीसे महायसे ।
 भयव गोयमे नाम, विज्जाचरणपारगे ॥ ६ ॥
 वारस गविऊबुद्धे सीससघसमाउले ।
 गामाणुगाम रीयते से वि सावत्थी मागए ॥ ७ ॥
 कोट्टग णाम उज्जाण तम्मि नयरमडले ।
 फासुए सिज्जसथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ८ ॥

×

×

×

अह ते तत्थ सोसाण विजाय प्रवितक्कयं ।
 ... जेड्ड कुलमवेक्खतो, तेंदुय वणमागओ ॥ १५ ॥
 पुच्छामि ते महाभाग ! केसी गोयममव्ववी ।
 तओ केसी अणुत्ताए, गोयम इणमव्ववी ॥ २२ ॥

“पार्श्वनाथके एक महायशस्वी शिष्य श्रमण केशीकुमार थे, जो ज्ञान और चरित्रके पारगामी थे। वे अपने शिष्योंके साथ ग्राम ग्राम भ्रमण करते हुए श्रावस्ती नगरीमें आये और वहाँ तिण्डुक नामक उद्यानमें ठहरे ॥ उसी समय सर्वलोकमें विश्रुत धर्म तीर्थंकर भगवान महावीरके शिष्य, द्वादशांगवेत्ता महायशस्वी भगवान गौतम भी ग्राम ग्राममें विचरण करते हुए अपने शिष्यसंघके साथ श्रावस्ती नगरीमें पधारे और कोष्ठक नामक उद्यानमें ठहरे ॥ दोनोंके गुणवान् संयमी और तपस्वी शिष्योंको यह चिन्ता (विचार) उत्पन्न हुई कि यह धर्म कैसा है और वह धर्म कैसा है ? महा मुनि पार्श्वने चातुर्याम और सान्तरोत्तर धर्मका कथन किया और महावीरने पञ्चशिक्षा रूप तथा अचेलक धर्मका कथन किया। एक ही मोक्ष-रूपी कार्यके लिये प्रवृत्त इन दोनों धर्मोंमें भेदका क्या कारण है ? अपने-अपने शिष्योंके इस वितर्कको जानकर केशी गौतमने परस्परमें मिलनेका विचार किया।’

‘विनयके मर्मज्ञ गौतम केशीको ज्येष्ठकुल (पार्श्वनाथके शिष्य होनेसे) का मानकर अपने शिष्य सघके साथ तैन्दुक

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो हमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेषा पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥

एककज्जपवणणाण, विसेसे किं नु कारणा ?

धम्मे दुविहे मेहावी ! कह विप्पच्चओ न ते ॥ २४ ॥

तओ केसिं बुवत तु, गोयमो इणमवव्वी ।

पन्ना समिक्खए धम्मतत्त तत्तविणिच्छिय ॥ २५ ॥

पुरिमा उज्जुजडा उ, वक्क जड्डा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपन्ना उ तेण धम्मो दुहा कए ॥ २६ ॥

उद्यानमें गये । गौतमको आता देख श्रमण वेशीकुमारने उनका यथोचित समादर किया और बैठनेके लिये प्रासुक तृणोका आसन प्रदान किया ॥ तब केशीने गौतमसे पूछा—हे महाभाग ! महामुनि पार्श्वने चातुर्याम धर्मका और वर्धमानने पञ्च शिक्षारूप धर्मका उपदेश किया । एक ही कार्यके लिये प्रवृत्त धर्ममें भेदका कारण क्या है ? केशीका प्रश्न सुन कर गौतम बोले—धर्म तत्त्वकी समीक्षा बुद्धि पर निर्भर है । ऋषभ देव के शिष्य ऋजु जड थे और महावीरके शिष्य वक्र जड़ हैं । किन्तु बीचके बाईस तीर्थङ्करोंके तीर्थमें होने वाले शिष्य ऋजु और सम-
भदार थे । इसीलिये धर्ममें भेद पड़ा ।”

(केशी गौतम सवादसे यह विल्कुल रपष्ट हो जाता है कि भगवान् महावीरके समयमें भी पार्श्वनाथके अनुयायी श्रमण संघ मौजूद थे । अत बौद्धोंने जो निर्ग्रन्थके लिये चतुर्याम सवरसे संवृत बतलाया है वह भी अवश्य ही इस बातका सूचक है कि बुद्धकालमें पार्श्वनाथके अनुयायी निर्ग्रन्थ मौजूद थे ।)

श्वेताम्बरीय जैनागमोमें ऐसे अनेक व्यक्तियोंका निर्देश है जिन्हें ‘पासावच्चिज्ज’ कहा गया है । इसका संस्कृतरूप पार्श्व-तत्तीय होता है । टीकाकारों ने इसका अर्थ ‘पार्श्व स्वामीके

१—प्रो० दलसुख मालवाणियाने उनकी सख्या ५१० बतलाई है उनमेंसे ५०३ साधु थे । देखो—जैनप्र० का उत्थान महावीराङ्क पृ० ४७ ।

२—‘पार्श्वपत्यस्य—पार्श्वस्वामिशिष्यस्य अपत्य—शिष्यः पार्श्व-पत्तीय’ (सू० २-७) । ‘पार्श्वपत्याना-पार्श्वजिनशिष्याणामयं पार्श्वपत्तीयः (भग० १-६) । पार्श्वनाथशिष्यशिष्ये (स्या० ६) । चातुर्यामिक साधौ (भग० १५) ।

शिष्यके शिष्य' किया है। भगवती (१५) की टीकामें पार्श्वीय-त्वीयका अर्थ करते हुए चानुर्यामिक साधु भी किया है।

आचा० सू० (२-१५-१५) में भगवान महावीरके पिता सिद्धार्थको पार्श्वीपत्वीय श्रमणोपासक और माता त्रिशलाको पार्श्वीपत्वीय श्रमणोपासिका लिखा है।

इन पार्श्वीपत्वीयोंके सम्बन्धमें आगे और भी विशेष प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ तां केवल यही बतलानेके लिये उनका उल्लेख मात्र किया गया है कि पार्श्वनाथ वास्तवमें एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे।

भगवान महावीर

भगवान पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकताके आधारेपर प्रकाश डालनेके पश्चात् हम भगवान महावीरकी ओर आते हैं।

निगंठ नाटपुत्त और वर्धमान महावीरका ऐक्य

सबसे प्रथम इस शकाका निवारण करना आवश्यक है कि बौद्ध पिटकोंमें निर्दिष्ट निगंठ नाटपुत्त हो जैनोके अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर हैं इसमें क्या प्रमाण है ?

निगंठ नाटपुत्त निर्ग्रन्थोंके बड़े भारी सघके अविपत्ति थे यह बौद्ध पिटकोंके उल्लेखोंसे स्पष्ट है। अतः निर्ग्रन्थ साधु होनेके कारण उन्हें निगंठ (निर्ग्रन्थ) कहा गया है और निर्ग्रन्थोंके आचार विचारके विषयमें जो कुछ बौद्ध साहित्यमें कहा गया है वह भी बहुत कुछ अशोमें जैन साधु के आचारसे भिन्न नहीं है। अतः आज जो जैन सम्प्रदायके

नामसे ख्यात है बुद्धके समयमें उसे निर्ग्रन्थ कहते थे । इसमें सन्देहका कोई कारण नहीं प्रतीत होता ।

(दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनो इस बातसे सहमत हैं कि महावीर कुण्डपुर या कुण्ड ग्रामके राजा सिद्धार्थके पुत्र थे । और सिद्धार्थ दिगम्बरीय उल्लेखोके अनुसार ग्राह वश या नाथ वंशके क्षत्रिय थे और श्वेताम्बरीय उल्लेखोके अनुसार गाय कुलके थे । इसीसे महावीरको गायकुलचन्द्र और गायपुत्र कहा है ।

ग्राह, गाय, ग्रात ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । इसीसे बुद्धचर्यामें श्री राहुलजीने नाटपुत्रका अर्थ—ज्ञातपुत्र और नाथ पुत्र दोनों किया है । अतः दिगम्बरोके अनुसार महावीर नाथपुत्र थे तो श्वेताम्बरोके अनुसार ज्ञातपुत्र थे । अतः बौद्ध ग्रन्थोंमें निर्दिष्ट ग्राहपुत्र अवश्य ही जैन तीर्थङ्कर महावीर हैं । उस समय जाति और देशके आधारपर इस तरहके नामोंके व्यवहार करनेका चलन था । जैसे बुद्धको शाक्यपुत्र कहा है क्योंकि वह शाक्य वंशके थे और उनका जन्म शाक्य देश (कपिलवस्तु) में हुआ था । इसीसे उनके अनुयायी श्रमण शाक्यपुत्रीय श्रमण (बु० च०, पृ० ५५१) कहे जाते थे । इसी तरह महावीर भी अपनी जाति तथा वंशके आधार पर

१—कुण्डपुरपुरवरिस्सरसिद्धत्थक्खत्तियस्स ग्राहकुले ।

तिसिलाए देवीए देवीसदसेवमाणाए ॥ २३ ॥

—ज० घ०, भा० १, पृ० ७८

‘ग्राहोगवसेसु वि वीर पासा’ ॥ ५५० ॥ ति० प०, अ० ४ ।

‘उग्रनाथौ पार्श्ववीरौ’—दशम०, पृ० २४८ । २—‘ग्रातपुत्रे महावीरे एवमाह जिगुत्तमें’—सूत्र० १ श्रु १, अ०, १ उ० ।

णाटपुत्त कहे जाते थे । और उनके अनुयायी निर्ग्रन्थ 'नाथ' पुत्रीय निगंठ' (बु० च०, पृ० ४२१) कहे जाते थे ।

१—श्री वेबरने अपनी पुस्तिका 'इन्डियन सेक्ट आफ दी जैनास' में इस विषयपर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

“बौद्ध त्रिपिटकोंका सिंहली संस्करण सबसे प्राचीन माना जाता है । ईस्वी पूर्व तीसरी शतीमें उसको अन्तिम रूप दिया गया ऐसा विद्वानोंका मत है । उसमें निगंठोंका एक विरोधी साधु सम्प्रदायके रूपमें बहुतायत से उल्लेख मिलता है । तथा संस्कृतमें लिखे गये उत्तरीय बौद्ध साहित्यमें निर्ग्रन्थोंको बुद्धका प्रतिद्वन्दी बतलाया है ।

उन निगंठों या निर्ग्रन्थोंके प्रमुखका नाम पालीमें नाटपुत्त और संस्कृतमें ज्ञातिपुत्र दिया है । जिसका अर्थ होता है 'नाट अथवा ज्ञाति का पुत्र ।' वर्धमानने जिस वंशमें जन्म लिया था, उसका नाम ज्ञाति, ज्ञात या नाथ था । अतः बौद्ध ग्रन्थोंमें पाये जानेवाले नाट या ज्ञाति शब्दके साथ महावीरके वंशके नामकी समानता प्रत्यक्ष है । और चू कि प्राचीन बौद्ध साहित्यमें किसी व्यक्तिके नामके स्थानमें जिस वंशमें उसका जन्म हुआ है उसके पुत्रके रूपमें उसका उल्लेख करनेकी परम्परा प्रचलित थी, जैसे बुद्धके लिए शाक्य पुत्र और उसके अनुयायी साधुओंके लिये 'शाक्य पुत्रीय श्रमण' शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है । अतः यह अनुमान करनेमें कोई कठिनाई नहीं है कि निगंठों या निर्ग्रन्थोंके प्रमुख नाटपुत्त या ज्ञातिपुत्र और ज्ञात वंशके उत्तराधिकारी तथा निर्ग्रन्थ अथवा जैन सम्प्रदायके अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान एक ही व्यक्ति हैं । यदि हम इस विचारका अनुसरण करते हुए बौद्धोंके बुद्धके विरोधियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली विभिन्न चर्चाओंको एकत्र करें तो यह स्पष्ट है कि वर्धमानके साथ निगंठ नाटपुत्तकी एकता सुनिश्चित है । (इ० से० जै०, पृ० २६) ----- ...

नाटपुत्तके जीवन और व्यक्तित्वके सम्बन्धमें बौद्धोंकी चर्चा और भी

(इसके सिवाय म० नि० (सागगामसुत्त) में निर्ग्रन्थ ज्ञात-पुत्रका मरण भी पावामें बतलाया है जैसा कि जैन परम्परामें महावीरका निर्वाण बतलाया है। यद्यपि बौद्ध साहित्यकी पावा जैन पावा से भिन्न है, तथापि नाम साम्यसे व्यक्तिके ऐक्यका ही समर्थन होता है।)

जन्म स्थान

भगवान् महावीरका जन्म कुण्डपुर या कुण्डग्राममें हुआ था। यह दोनों सम्प्रदायोंको मान्य हैं। किन्तु कुण्डपुर या कुण्डग्राम कहाँ था, इसमें विप्रतिपत्ति है।

साधारणतया ऐसा माना जाता है कि कुण्डपुर एक बड़ा नगर था और सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा थे। किन्तु आचा० सू० (२ श्रु०, ३ चू०, सू० ३६६) में कुण्डग्रामको एक सन्निवेश कहा है। उसके अनुसार कुण्डपुर नामके दो सन्निवेश थे एक माहण कुण्डपुर और दूसरा खत्तियकुण्डपुर। अर्थात् एक कुण्डपुर ब्राह्मणोंका था और एक क्षत्रियों का था। माहण

उल्लेखनीय है। वे बारम्बार कहते हैं कि निगठ नाट पुत्र अग्नेको अर्हत् कहते हैं और सर्वज्ञ होनेका दावा करते हैं। जैन वर्धमानको अर्हत् और सर्वज्ञ मानते ही हैं। धर्म परिवर्तनका इतिहास हमें बतलाता है कि नाटपुत्र और उनके शिष्य निर्ग्रन्थ अपने शरीर को ढाकनेसे षृणा करते थे। वर्धमानके विषयमें भी हमसे ऐसा ही कहा जाता है। "अतः जैनोका वर्धमान नाटपुत्र बुद्धके प्रति-द्वन्दीके सिवाय दूसरा नहीं है। बौद्ध त्रिपिटकों तथा अन्य बौद्ध साहित्यके विवरणोंसे प्रकट होता है कि बुद्धका यह प्रतिद्वन्दी बड़ा प्रभावशाली अतएव बड़ा खतरनाक था। तथा बुद्धके समयमें ही उसका धर्म काफी फैल चुका था। (इ० से० जै०, पृ० ३६)।

कुण्डपुर दक्षिणकी ओर था और क्षत्रिय कुण्डपुर उत्तर की ओर ।

सन्निवेशका अर्थ—नगरके बाहरका प्रदेश, पडाव, और ग्राम नगर आदि स्थान भी है । (पा० स० म० में 'सन्निवेश' शब्द) । इससे कुण्डपुर कोई महत्त्वका स्वतंत्र नगर प्रतीत नहीं होता ।

(संस्कृत^१ निर्वाण भक्तिमें, जिसे पूज्यपादकृत माना जाता है, 'विदेह कुण्डपुरे' लिखकर कुण्डपुरको विदेहमें बतलाया है । उस समय विदेह देशकी राजधानी वैशाली थी, और भगवान महावीरकी जननी विदेहके लिच्छवि गणतंत्रके प्रमुख राजा चेटककी पुत्री थी । आचा० सू० (२-३-४००) में भगवानकी जननीके तीन नाम दिये हैं—तिसला, विदेह दिन्ना और प्रियकारिणी । इनमेंसे दिगम्बर परम्परामें दो नाम प्रचलित हैं तिसला और प्रियकारिणी । तीसरा नाम 'विदेहदिन्ना' विदेह देशकी होनेके कारण दिया गया है । अतः स्पष्ट है कि क्षत्रियाणी त्रिशला विदेह देश की थी ।)

१—कुण्डपुरपुर वरिस्तर सिद्धत्थकलक्षियस्व णाहकुले ।

तिसिलाए देवीए देवीसदसेवमाणाए ॥ २३ ॥

अच्छित्ता णवमासे अट्टयदिवसे चइत्त-सियपक्खे ।

तेरसिए रत्तीए जादुत्तरफगुणीए दु ॥ २४ ॥

—जय० ध०, १ भा०, पृ० ७८ ।

२—“सिद्धार्थनृपतितनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे ।

देव्या प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान् सप्रदर्श्यं विभुः ॥ ४ ॥”

‘भरतेस्मिन् विदेहाख्ये विपये भवनाङ्गणे ॥ २५१ ॥

राज्ञः कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्प्रभुः..... ॥२५२॥

उत्तरपु०, पर्व ७४ ।

इसी तरह भगवान् महावीरको 'नाए नायपुत्ते नायकुलनिव्वत्ते विदेहे विदेहनच्चे विदेह सुमाले तीस वासाइ विदेहं सिदि कट्टु अगार-मज्जे वसित्ता' (आचा० सू० २-३-४०२ सू०) इत्यादि लिखा है। जिसका आशय है कि भगवान् महावीर नाथ या ज्ञातृ-कुलके और विदेह देश के थे।

किन्तु सूत्रकृताङ्ग^१ में भगवान् महावीरको वैशालिय (वैशालिक) कहा है। परन्तु श्वे० अंग ग्रन्थोंके प्रसिद्ध टीकाकार शीलाङ्कको भी 'वैशालिक' शब्दका ठीक-ठीक अर्थ ज्ञात नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने एक श्लोक उद्धृत करके भगवान्को वैशालिक कहनेमें तीन हेतु दिये हैं—'उनकी माता विशाला^२ थी, वे विशाल कुलमें उत्पन्न हुए थे, तथा उनके वचन भी विशाल थे। इसलिये उन्हें वैशालिक कहते थे।' इसके सम्बन्धमें डा० याकोवीने (से० बु० ई०, जि० २२ की प्रस्ता०, पृ० ११) में लिखा है—'यह मतिभेद प्रमाणित करता है कि वैशालिक शब्दके वास्तविक अर्थके विषयमें कोई प्रामाणिक परम्परा नहीं थी। अत उत्तरकालीन जैनोंने 'वैशालिक' का जो बनावटी अर्थ किया, उसकी पूर्ण उपेक्षा करना न्याय्य ही

१—अरहा नायपुत्ते भगव वेसालिए वियाहिए ॥ २२ ॥

—सू० १ श्रु०, २ अ०, ३ उ० ।

२—'अहंन् सुरेन्द्रादिपूजाहो ज्ञातपुत्रो बद्धमान स्वामी ऋषभ स्वामी वा भगवान् ऐश्वर्यादिगुणयुक्तो विशाल्या नगर्या वर्धमानोऽ-स्माकमाख्यातवान् । ऋषभस्वामी वा विशालकुलोद्भवत्वाद् वैशालिकः । तथा चोक्तम्—विशाला जननी यस्य विशाल कुलमेव वा । विशालं वचन चास्य तेन वैशालिको जिनः ।'—सूत्र० १ श्रु०, २ अ०, ३ उ०, २२ सूत्र ।

कोटिग्राम आये। कोटिग्रामसे नादिका और नादिकासे वैशाली आये। इस तरह पाटलीपुत्रसे वैशालीके रास्ते पर गंगा और वैशालीके बीचमें कोटिग्राम अवस्थित था।

कोटिग्राम और वैशालीके मध्यमें नादिका थी। डा० याकोवीने नातिका' शब्द पर टिप्पणीमें लिखा है—'जिस वाक्यमें 'नातिका आया है उसे टीकाकारने तथा आधुनिक अनुवादको ने गलत समझा है ऐसा प्रतीत होता है। महापरिनिव्वाणसुत्तके अनुवादमें (से० बु० ई० जि० ११) एक नोट (पृ० २४) में, रे डेविड कहते हैं कि—'प्रथम तो दो बार नादिकाका प्रयोग बहुवचनमें किया है और तीसरी बार एक वचन में। बुद्धघोष उसकी व्याख्यामें कहते हैं कि एक ही जलाशयके तटपर एक ही नामके दो ग्राम थे। मेरी रायमें बहुवचन 'नातिका' शब्द क्षत्रियोंका वाचक है और एक वचन नातिका शब्द गिजकावसथ' का विशेषण है.. . ।' मेरा विचार है कि 'नादिका' शब्द अशुद्ध है और नातिका शुद्ध है। श्री रे डेविडने अपने अनुवादकी शब्दसूचीमें यह लिखकर भी कि 'नादिका पटनाके पास है' गलती की है। महावग्गके वर्णनसे यह स्पष्ट है कि नातिका और कोटिग्राम वैशालीके पास हैं। (से० बु० ई०, जि० २२, प्रस्ता० पृ० १० का टिप्पण न० २)।

राहुलजीने यद्यपि नादिका शब्द ही रखा है। किन्तु उनका अभिप्राय वही है, जो 'नातिका' शब्दको शुद्ध मानकर डा० याकोवी का था, क्योंकि राहुलजीने भी नादिका शब्दके टिप्पणमें लिखा है—'एक ज्ञातृयो (= व्याति, = ज्ञातृ = ज्ञातर = जातर = जतरिया = जथरिया = जैथरिया) के गाँव में। नादिका = ज्ञातृका = नत्तिका = त्वत्तिका = रत्तिका = रत्ती, जिसके नामसे वर्त-

मान रत्ती परगना (जि० मुजफ्फरपुर) है । (बु० च०, पृ० ५२६, का टि० २) ।

नाटपुत्त (महावीर) पर टिप्पणीमें राहुलजीने लिखा है— 'नाटपुत्त' ज्ञातृपुत्र । ज्ञातृ लिच्छवियोंकी एक शाखा थी, जो वैशालीके आसपास रहती थी । ज्ञातृसे ही वर्तमान जथरिया शब्द बना है । महावीर और जथरिया दोनोंका गोत्र काश्यप है । आज भी जथरिया भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेशमें बहुत संख्या में है । उनका निवास रत्ती परगना भी ज्ञातृ = नत्ती = लत्ती = रत्तीसे बना है ।' (बु० च०, पृ० ११०, का टि० ३) ।

ऊपर उद्धृत जैन और बौद्ध उल्लेखोंके अनुसार कुण्डपुर या कुण्डग्राम विदेह देशमें वैशालीके निकट होना चाहिये । और चूंकि जिन ज्ञातृवंशी लिच्छवियोंके कुलमें महावीरने जन्म लिया था, उनके वंशज आज भी जथरिया जातिके रूपमें विहारके मुजफ्फरपुर जिलेके रत्ती परगनामें निवास करते हैं, तथा मुजफ्फरपुर जिलेका बसाढ़ ग्राम ही वैशाली था, अतः कुण्डग्राम भी उसीके निकट होना चाहिये । बौद्ध ग्रन्थोंका कोटिग्राम नातिका और वैशालीके बीचमें अवस्थित था । सम्भव है वही जैन साहित्यका कुंडग्राम हो जैसा कि डा० याकोबीका अनुमान है । आधुनिक^१ अन्वेषकोंका प्रायः यही मत है कि मुजफ्फरपुर जिलेमें स्थित 'बसाढ़ ही प्राचीन वैशाली है । अब कुंडग्रामको वासुकुंड कहते हैं और वह प्राचीन वैशालीका ही एक भाग था । वैशाली^२के तीन भाग थे—एक खास वैशाली (बसाढ़), एक कुंडपुर (वासुकुंड) और एक वानियगाम (वनिया) । उनमें

१—जै० ना० इ० पृ० ८४ का टि० ४ । २—प्रो० रा० ऐ० सो० व० १८६८ में डा० हार्नले का भाषण पृ० ३० ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वनिये रहते थे। अब वे तीनों स्थान वसाद, वासुकुंड और और वनिया नामक गाँव से पहचाने जाते हैं।

मातृकुल तथा पितृकुल

यदि, जैसा कि प्राप्त उल्लेखोंके आधार पर अनुमान किया जाता है, कुण्डपुर वैशालीका एक उपनगर था, तो उसके स्वामी सिद्धार्थ, जो भगवान महावीरके पिता थे, अवश्य ही कोई बहुत बड़े राजा नहीं होने चाहिए। असलमे उस समय विदेहमें राजतंत्र नहीं था। किन्तु लिच्छवियों का गणतंत्र था। (सबगण मिलकर अपना एक मुखिया चुन लेते थे और वही गणतंत्रका प्रधान होता था। उस समय उस लिच्छवियोंके गणतंत्रका प्रधान राजा चेटक था और दिगम्बर उल्लेखोंके अनुसार राजा चेटक की पुत्री और श्वेताम्बरीय उल्लेखोंके अनुसार राजा चेटककी बहिन त्रिशला या प्रियकारिणीका विवाह सिद्धार्थसे हुआ था। इस लिये सिद्धार्थ भले ही बड़े राजा न रहे हों, किन्तु उस गणतंत्रमे उनका एक प्रभावशाली व्यक्ति होना स्पष्ट है।)

बौद्ध ग्रन्थोंमें यद्यपि वैशाली नरेश चेटकका निर्देश नहीं है। किन्तु वैशालीका निर्देश बहुतायतसे पाया जाता

१—‘हम लोग लिच्छवि गण राजाओंके राज्यमें बसते हैं।’ बु० च०, पृ० ३१५। २—‘चेटकाख्योऽतिविख्यातो विनीतः परमार्हतः ॥३॥’ “सप्तर्षयो वा पुत्र्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी।’—उ० पु०, पर्व० ७५। ३—‘समणे भगवं महावीरे भगवश्चो माया चेडकस्य भगिणी भोई’—आ० चू०, १ अ०।

है अंगुत्तर निकाय-अठुकथामें वैशालीकी समृद्धिका वर्णन करते हुए लिखा है—“उस समय वैशाली ऋद्ध=स्फीत (=समृद्धिशाली) बहुजना=मनुष्योसे आकीर्ण, सुभिन्ना (=अन्नपान संपन्न) थी। उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्करिणियां थीं।” राजगृहका नैगम वैशालीमें अपना काम समाप्त कर फिर राजगृह लौट गया। लौटकर जहाँ राजा मगध श्रेणिक बिम्बसार था, वहाँ गया। जाकर राजा बिम्बसारसे उसने वैशालीकी समृद्धिका वर्णन किया।

उक्त वर्णनसे प्रकट होता है कि राजगृहीसे भी वैशालीका वैभव महान् था। और राजगृहीके स्वामी बिम्बसार श्रेणिकने वैशालीके वैभव, लिच्छवियोंके प्रभुत्व तथा वैशाली नरेश चेटककी पुत्रीके रूप-गुणसे आकृष्ट होकर अभय कुमारके द्वारा चेलनाका हरण कराया और उसके साथ विवाह किया। यह घटना भी वैशाली और उसके स्वामीके ही महत्त्वको प्रकट करती है। यदि चेटक श्रेणिकके साथ अपनी पुत्रीके विवाहके लिये राजी होता तो चेलनाका हरण करानेकी आवश्यकता न होती। श्रेणिकके पश्चात् जब उसी लिच्छवि कुमारी चेलनाका पुत्र कुणिक (अजात शत्रु) गद्दीपर बैठा तो उसने वज्जियोंके इस गणतंत्रको नष्टभ्रष्ट कर डाला।

१—बु० च०, पृ० २९७।

२—डा० रायचौधरीने लिखा है—‘प्रो० रे डेविडस् तथा कनिंघमके अनुसार वज्जियोंमें आठ जातियां सम्मिलित थीं—जिनमें विदेह, लिच्छवि, शात्रिक और वज्जी सबसे प्रमुख थे। (पो० हि० ए० इ, पृ० ७३-७४। डा० प्रधानका कहना है कि इस सगठनमें नौ

(बौद्ध महापरिनिष्वाण सुत्तमें (दी० नि०, पृ० ११७) लिखा है—‘एक समय भगवान् बुद्ध राजगृहमें विहार करते थे। उस समय राजा मगध अजात शत्रु वैदेहीपुत्र वज्जीपर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था— मैं इन ऐसे महर्द्धिक (=वैभवशाली) ऐसे महानुभाव वज्जियोंको उच्छिन्न करूँगा, वज्जियोंका विनाश करूँगा, उन पर आफत ढाऊँगा।’

अजातशत्रुने बुद्धकी सलाह लेनेके लिये अपने मंत्रीको बुद्धके पास भेजा। बुद्ध ने कहा—१-जब तक वज्जी सम्मतिके लिये बैठक करते रहेंगे, २—जब तक वज्जी एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं, एक हो कर्तव्य करते हैं, ३—जब तक वज्जी अप्रज्ञप्त (=गैर कानूनी) को प्रज्ञप्त (=विहित) नहीं करते, प्रज्ञप्त (=विहित) का उच्छेद नहीं करते, ४—जब तक वज्जी वृद्धोंका आदर सत्कार करते हैं, उनकी बात मानते हैं, ५—जब तक वज्जी कुल स्त्रियों, कुल कुमारियोंके साथ जबरदस्ती नहीं करते, ६—जब तक वज्जी अपने चैत्योंका सम्मान करते हैं और ७—जब तक वज्जी अर्हत्तोंको पूजते हैं, जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म वज्जियोंमें रहेंगे तब तक वज्जियोंकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं होगी।’)

जातियाँ सम्मिलित थीं। जिनमें लिच्छवि, वज्जी शात्रिक और विदेह भी थे। इस सगठनको वज्जियों अथवा लिच्छवियोंका गणतंत्र कहा जाता था। क्योंकि नौ जातियोंमें से वज्जि और लिच्छवि सबसे प्रमुख थे। इन नौ लिच्छवि जातियोंमें नौ मल्लकी जातियाँ और काशी कौशलके १८ गण राजा सम्मिलित थे। (जै० ना० इ० पृ० ८५-८६)।

उक्त विवरणसे लिच्छवियोंके सुदृढ़ संगठन पर प्रकाश पड़ता है ।

प्रसङ्गवश भगवान महावीरके वंशका अन्य राजवंशों[✓] से सम्बन्ध बतलाना अनुचित न होगा क्योंकि अन्वेषकोंका विश्वास है कि महावीर और बुद्धने अपने शासनका प्रचार करनेके लिये वंशानुगत सम्बन्धोंका पूरा-पूरा लाभ उठाया था । और भारतके मुख्य राजवंशोंके साथ उनका सम्बन्ध होना भी उनकी सफलताका एक कारण अवश्य था ।

{जहाँ तक खोजोंसे पता चलता है महावीरके पितृकुलकी अपेक्षा मातृकुलका राजवंशानुगत सम्बन्ध अधिक व्यापक और अधिक प्रभावक था ।

उनका नाना चेटक लिच्छवि गणतंत्रका प्रधान था । इस[✓] गणतंत्रमें आठ या नौ जातियाँ सम्मिलित थीं जिनमें लिच्छवि, वज्जी, ज्ञात्रिक और विदंह भी थे । यतः इन नौ जातियोंमें लिच्छवि और वज्जी सबसे प्रमुख थे । अतः यह संगठन लिच्छवियों अथवा वज्जियोंका गणतंत्र कहा जाता था । ये नौ लिच्छवि जातियाँ नौ मल्लकियों और काशी कोसलके अट्टारह गणराजाओं[✓] से सम्बद्ध थी ।

जैन निरयावली सूत्रमें लिखा है कि जब चम्पाके राजा कुणिक (अजात शत्रु) ने एक शक्तिशाली सेनाके साथ चेटक-पर आक्रमण करनेकी तैयारी की तो चेटकने काशी कोशलके १८ गणराजाओं, मल्लकियों और लिच्छवियोंको बुलाकर

१—से० बु० ई०, जि० २२, प्रस्ता० पृ० १३ । २—जै० ना० इ० पृ० ८५ । ३—'नव मल्लइ नव लेच्छइ, कासी-कोसलगा अट्टारसवि गण-रायाणो'—भ० सू० ।

उनसे पूछा कि आपलोग कुणिककी माँग पूरी करेंगे या युद्ध करेंगे ?

इसी तरह पावामे महावीर स्वामीका निर्वाण होने पर उक्त १८ गणराजाओंके एकत्र होने तथा निर्वाण महोत्सव मनानेका उल्लेख कल्पसूत्रमें है। इससे इस सगठन तथा चेटककी शक्तिमत्ता, ऐक्य तथा प्रभावशालिताका पता चलता है।

फिर भी बौद्ध ग्रन्थोंमें चेटकका नाम भी न पाया जाना आश्चर्यजनक है। इसका कारण चेटकका भगवान महावीरका अनुयायी तथा सम्बन्धी होना संभव है, क्योंकि महावीरको बुद्ध अपना प्रबल प्रतिद्वन्दी मानते थे—जिसका समर्थन बौद्ध उल्लेखोंसे होता है। चेटकके सम्बन्धमे डा० याकोवीने ठीक ही लिखा है—‘जैनोंने अपने तीर्थङ्कर महावीरके परम भक्त तथा सम्बन्धी चेटककी स्मृतिको सुरक्षित रखा है। उन्हींके प्रभावके कारण वैशाली जैन धर्मका गढ़ बनी हुई थी, जबकि बौद्ध उसे पाखण्डियों और विद्रोहियोंका शिक्षालय मानते थे। (से० बु० ई०, जि० २२, प्रस्ता० पृ० १३)। अस्तु,

चेटकके सात पुत्रियाँ थीं। जिनमेंसे सबसे बड़ी त्रिसला झारु क्षत्रिय सिद्धार्थसे विवाही थी और भगवान महावीरकी जननी थी। तथा छठी चेलना मगधके राजा श्रेणिक विम्बसारसे विवाही थी और इस तरह मातृ पक्षके द्वारा मगधके राजवंशके साथ महावीरका निकट सम्बन्ध था। चेलनाके साथ सम्बन्ध होनेसे पूर्व श्रेणिक बौद्ध धर्मका अनुयायी था। चेलनाके प्रभावसे ही वह महावीरका परम भक्त और उनकी उपदेश सभाका प्रधान श्रोता बना।

१—देखो—बृ० क० को०, में श्रेणिक राजा की कथा।

चेटककी दोष पांच पुत्रियोंके नाम इस प्रकार थे—मृगावती, सुप्रभा प्रभावती, ज्येष्ठा और चन्दना । इसमेंसे मृगावती वत्स-देशकी कौशाम्बी नगरीके राजा शतानीकसे विवाही थी । सुप्रभा वृशार्ण देशके हंसकच्छपुर नगरके राजा वृशरथसे विवाही थी । प्रभावतीका विवाह कच्छदेशके रोहक नगरके राजा उदयसे हुआ था । गान्धार देशके महीपुर नगरके राजा सत्यकने ज्येष्ठाकी मांग की । किन्तु चेटकने उसे अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया । तब उसने क्रुद्ध होकर चेटकपर चढ़ाई कर दी । युद्धमें हारनेपर वह साधु हो गया । बादमें ज्येष्ठा और चन्दना भी साध्वी हो गईं ।

श्वेताम्बर परम्परा^१ के अनुसार भगवान महावीरकी जननी त्रिनला चेकटकी बहन थी । किन्तु फिर भी चेटकके मात ही पुत्रिणा थी । उनके नाम—प्रभावती, पद्मावती, मृगावती शिवा, ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा और चेलना थे । सबसे बड़ी प्रभावती^२ का विवाह सिन्धु सौवीर देशके वीताभय नगरके राजा उदयन से हुआ था । पद्मावती चम्पाके राजा दधिवाहनसे विवाही थी । मृगावती कौशाम्बीके राजा शतानीकसे विवाही थी । शिवाका विवाह उज्जैनीके राजा चण्डप्रद्योतसे हुआ था । ज्येष्ठाका विवाह भगवान महावीरके भाई नन्दिवर्धनसे हुआ था । चेलना राजगृहीके राजा श्रेणिक से विवाही थी और सुज्येष्ठा साध्वी हो गई थी ।)

१—उत्तर पु०, पर्व ७५, श्लोक १-१४ ।

२—वेसालिओ चेट्टो' सत्त धूताओ " त्राव० सू० ।

३—सिंधुसौवीरेसु 'वीतीभएनगरे' उदायणे नाम राया " तस्म"

प्रभावती नाम देवी ।—भ० सू० ४६१ । यहाँ राजा चेटककी कन्याओं

ये सब सरवन्ध इस बातके सूचक हैं कि अपने मातृकुलके द्वारा महावीर सौवीर, अंग, वत्स, अवन्ती, विदेह और मगधके

और उनके सम्बन्धोंके विषयमें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर मान्यताओंमें जो अन्तर है उसपर प्रकाश डालना उचित होगा। दिगम्बरोंके अनुसार भगवान् महावीरकी जननी त्रिशला अथवा प्रियकारिणी चेटककी सबसे बड़ी पुत्री थी। किन्तु श्वेताम्बरोंके अनुसार वह चेटककी बहिन थी। चेटकके पिता वगैरहके सम्बन्धमें जानकारीका कोई साधन उपलब्ध नहीं है। दिगम्बरोंके अनुसार महावीरके कोई भाई नहीं था और न चेटकके कोई सुज्येष्ठा नामकी कन्या थी। श्वेताम्बरोंके अनुसार महावीरके नन्दिवर्धन नामका बड़ा भाई था और उससे चेटककी पाचवीं कन्या ज्येष्ठा विवाही थी। दिगम्बरोंके अनुसार ज्येष्ठा साध्वी हो गई और श्वेताम्बरोंके अनुसार सुज्येष्ठा साध्वी हो गई। दिगम्बरोंके अनुसार चन्दना चेटककी सबसे छोटी पुत्री थी। और श्वेताम्बरोंके अनुसार चन्दना चेटककी दौहित्री तथा चम्पा नरेश दधिवाहनकी पुत्री थी। दिगम्बरोंके अनुसार चेटकके पद्मावती नामकी कोई कन्या नहीं थी और न चम्पा नरेशसे चेटककी किसी कन्याका विवाह हुआ था। श्वेताम्बरोंके अनुसार चम्पापुरके राजा दधिवाहन और रानी पद्मावतीका पुत्र करकण्डु था। अर्थात् अज्ञात शत्रुकी तरह करकण्डु भी चेटकका दौहित्र था। किन्तु इतिहाससे इसका समर्थन नहीं होता। यह हम पहले लिख आये हैं कि करकण्डु विदेहराज नमिका समकालीन था। और वह पार्श्वनाथके तीर्थमें हुआ था। दिगम्बरोंके अनुसार उसके पिताका नाम दन्तिवाहन था और वह चम्पापुरका राजा था, तथा उसकी माताका नाम भी पद्मावती था। किन्तु वह पद्मावती कौशाम्बीके राजा

राज घरानोसे सम्बद्ध थे। और ये सब उस समयके सबसे अधिक शक्तिशाली राजा थे।

(उस समय लिच्छवि कुमारियोंका पाणि पीडन करके लिच्छवियोंका जामाता बनना क्षत्रियोंके लिये बड़े सम्मानकी बात

वसुमित्रकी पुत्री थी। अस्तु,—चेटककी केवल दो कन्याओंके सम्बन्धमें दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परामें ऐकमत्य है—दोनोंके अनुसार मृगावतीका विवाह कौशाम्बीके राजा शतानीकसे और प्रभावतीका विवाह राजा उदयनसे हुआ था। किन्तु दिगम्बर उदयनको कच्छ देशके रोरुक नगरका राजा बतलाते हैं और श्वेताम्बर सिन्धु सौवीर देशके वीताभय नामक नगरका राजा बतलाते हैं। यह सिन्धु सौवीर देश कहा था, इस विषयमें मतभेद हैं। डा० रे डेविड्स ने अपने मानचित्र^१ में सौवीरको काठियावाड़के उत्तरमें और कच्छकी खाड़ीके एक ओरसे दूसरी ओर तक दिखलाया है। बौद्ध परम्पराके अनुसार सौवीर देशकी राजधानी रोरुक थी। (कै० हि०, जि० १, पृ० १७३)। अतः दिगम्बर उल्लेखका कच्छ ही सौवीर जान पड़ता है और वहीके रोरुक नगरके स्वामी उदयनसे चेटककी पुत्री प्रभावती विवाही थी। श्वेताम्बरीय उल्लेखके अनुसार इस उदयनने अवंती नरेश चण्डप्रद्योत पर—जिसे चेटककी पुत्री शिवा विवाही थी, चढाई की थी। इस युद्धका कारण यह था कि प्रद्योत उदयनकी एक जिनप्रतिभा तथा दासीको लेकर भाग गया था। उदयनने प्रद्योतके पास अपना दूत भेजकर कहलाया कि मुझे दासीकी परवाह नहीं है, किन्तु जिन मूर्ति लौटा दो। प्रद्योतने नहीं लौटाई। तब उदयनने उस पर चढाई की और प्रद्योतको बन्दी बना लिया। (जै० ना० इ०, पृ० ६१ का टि० २)।

समझी जाती थी। और गुप्तकाल तक भी समझी जाती रही, क्योंकि ई० ३०८ में पाटलीपुत्र नगरके पास एक गावके छोटेसे राजा चन्द्रगुप्तको लिच्छवि वंशकी कन्या कुमारदेवी विवाही थी। चन्द्रगुप्तने ऐसे महान् वंशकी कन्यासे विवाह होनेको अपना बड़ा गौरव माना। उसने अपने सिक्कोपर लिच्छवियोंकी वेटीके नामसे अपनी स्त्रीकी भी मूर्ति अंकित करवाई। उसकी सन्तान बड़े गर्वसे अपनेको लिच्छवियोंका दौहित्र कहा करती थी।

सारांश यह है कि लिच्छवियों तथा वैशालीके राजवंशके द्वारा महावीरके द्वारा प्रचारित धर्मको सब ओर ठोस समर्थन मिला और सौवीर आदि देशोंमें जैन धर्म खूब फैला।

गर्भ परिवर्तन

श्वेताम्बर परम्परा में भगवान् महावीरके गर्भ परिवर्तनकी एक कथा प्रवर्तित है, जिसका निर्देश आचारांग, कल्पसूत्र तथा अन्य अनेक ग्रन्थोंमें पाया जाता है और इसलिये उसकी प्राचीनतामें सन्देहको स्थान नहीं है, क्योंकि मथुरा^१ से प्राप्त अवशेषोंमें, जो अवश्य ही ईस्वी सन् की प्रथम शतीके माने गये हैं गर्भ परिवर्तनकी घटना अंकित की गई है।

घटना इस प्रकार है—वैशालीके ब्राह्मण कुण्ड ग्राममें ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मणकी पत्नी देवानन्दा रहती थी। उसने

^१—डा० बहुलरने लिखा है—‘एक जैन पाषाणखननमें नैगमेश, एक बाल तीर्थङ्कर और एक शिशुके साथ स्त्री अंकित है, यह एक अति प्रसिद्ध कथाका अकन है, जिसमें एक देवता देवानन्दा और त्रिशलाके गर्भ परिवर्तन करता है, (जै० ना० इ०, पृ० २१)।

चौदह स्वप्न देखे जो तीर्थङ्करके जन्मके सूचक थे, इन्द्रने इस बातको अपने अवधि ज्ञानसे जाना तो उसे ज्ञात हुआ कि गर्भस्थ शिशु महान् तीर्थङ्कर महावीर होनेवाला है। अतः उसने तत्काल एक देवको एक हिरनके रूपमें भेजा और उसे देवानन्दाके गर्भसे त्रिशलाके गर्भमें परिवर्तित करनेकी आज्ञा दी, जिससे महावीरका जन्म भिक्षुक ब्राह्मण वंशमें न हो, क्योंकि जिन क्षत्रिय कुलमें ही जन्म लेते हैं। इस तरह भगवान् महावीर^१ ८२ दिन तक देवानन्दाके गर्भमें रहे। भ० सू० में यह बात भगवान् महावीरके मुखसे भी कहलाई गई कि देवानन्दा मेरी माता है।

इस घटनाके सम्बन्धमें डा० याकोवीने जो टिप्पणी दी है उसका आशय यहा दिया जाता है।

‘दिगम्बर लोग इसे हास्यास्पद समझते हैं और नहीं मानते। किन्तु श्वेताम्बरोंका इसकी सत्यतामें दृढ़ विश्वास है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह कथा प्राचीन है क्योंकि आचारांग, कल्पसूत्र तथा अन्य ग्रन्थोंमें पाई जाती है। तथापि यह स्पष्ट नहीं होता कि क्यों इस प्रकारकी हास्यास्पद घटनाका आविष्कार तथा प्रचार किया गया। इस अन्धकारावृत विषय पर मैं अपनी सम्मति प्रकट करनेकी आज्ञा चाहता हूँ। मेरा अनुमान है कि सिद्धार्थके दो पत्नियाँ थीं एक ब्राह्मणी देवानन्दा, जो महावीरकी वास्तविक माता थी, और एक क्षत्रियाणी त्रिशला। क्योंकि देवानन्दाके पतिका नाम ‘ऋषभदत्त’ अधिक प्राचीन प्रतीत नहीं होता। प्राकृत रूपके अनुसार उस अवस्थामें उसभदत्तके स्थान

१—‘समणे भगव महावीरे “वासीइ” गवभत्ताए साहरिए’—
क० सू०, सम्बो० टी०, पृ० ३५-३६।

में 'ससभदित्र' होना चाहिये था। इसके सिवाय यह नाम ऐसा है जो केवल जैन को ही दिया जा सकता है, ब्राह्मण को नहीं। अतः मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि देवानन्दाका दूसरा पति करार देनेके लिये जैनोंने ऋषभदत्त नामका आविष्कार किया है। अब सिद्धार्थ को लीजिये। त्रिशलाके साथ विवाह होनेसे उच्चवंशी तथा महान् प्रभुत्वशाली व्यक्तियोंके साथ उनका सम्बन्ध हो गया इसलिये सम्भवतया यह प्रकट करना कि महावीर त्रिशलाका दत्तक पुत्र नहीं किन्तु औरस पुत्र है अधिक लाभदायक समझा गया। क्योंकि इससे महावीर त्रिशलाके सम्बन्धोंका उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता था। और चूंकि जब महावीर तीर्थङ्कर हुये उनके माता पिताका स्वर्गवास हुए बहुत वर्ष हो चुके थे, इसलिये यह कथा सरलतासे प्रसारित हो सकी। किन्तु यतः मनुष्योंकी स्मृतिसे वास्तविक स्थितिका मिटा सकना शक्य नहीं था, इस लिये गर्भपरिवर्तनकी कथाका आविष्कार किया गया। गर्भपरिवर्तनका विचार जैनोंकी मौलिक रचना नहीं है किन्तु स्पष्ट ही, यह विचार उस पौराणिक कथाकी अनुप्रतिकृति है जिसके अनुसार श्रीकृष्णको देवकीके गर्भसे रोहिणीके गर्भमें परिवर्तित किया गया था। (से० वु० ई०, जि० २२, प्रस्ता० पृ० ३१ की टि० नं० २)

महावीरके गर्भपरिवर्तनकी समस्याको सुलझानेके लिये डा० याकोबीको भी क्लिष्ट कल्पनाका ही आश्रय लेना पड़ा है। किन्तु इसके मूलमें हमें तो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्वके बीचमें बढ़प्पनको लेकर उठे प्रचीन विरोधका ही आभास प्रतीत होता है। जैन और बौद्ध दोनों ब्राह्मणसे क्षत्रियको अधिक आदर प्रदान करते थे। इतना ही नहीं किन्तु ब्राह्मण वंशको नीच वंश तक मानते

थे। कल्पसूत्रकी सुबोधनी टीकामे लिखा है कि महावीरने मरीचिके भवमे नीचगोत्र कर्मका बन्ध किया था उसके कारण महावीरको ऋषभदत्त ब्राह्मणकी देवानन्दा ब्राह्मणीके गर्भमे रहना पड़ा। अतः गर्भपरिवर्तनकी घटनामे विशेष तथ्य प्रतीत नहीं होता। सम्भवतया इसीसे दिगम्बरे परम्परामे इसका संकेत तक नहीं मिलता।

विवाह

दिगम्बर परम्पराके अनुसार महावीर अविवाहित ही रहे। न उन्होंने स्त्रीसुख भोगा और न राजसुख। किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार यद्यपि उन्होने राजपद ग्रहण नहीं किया किन्तु विवाह करके स्त्रीसुख अवश्य भोगा। उनकी पत्नीका नाम यशोदा था और उससे एक कन्या भी हुई थी जो जमालिसे विवाही थी।

किन्तु आवश्यकनिर्युक्तिकी गाथासे ऐसा प्रतीत होता है कि महावीर अविवाहित ही रहे थे। लिखा है—“महावीर, अरि-

१—‘ततश्च्युत्वा तेन मरीचिभवबद्धेन नीचै गोत्रकर्मणा’
ऋषभदत्तस्य ब्राह्मणस्य देवानन्दायाः ब्राह्मण्याः कुक्षौ उत्पन्नः’।

२—कै० हि०, जि० १, पृ० १५६ में दिगम्बरोंको लक्ष्य करके लिखा है कि गर्भ परिवर्तनके सम्बन्धमें उनका मत अधिक युक्त है।

३—‘वीर अरिद्धनेमि, पास, मल्लि च वासुपुञ्जच ।

ए ए मोक्षूण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥२४३॥

रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खत्तियकुलेसु ।

न च इच्छियाभिसेया कुमारवासमि पव्वइया’ ॥२४४॥

—आ० नि० ।

ष्टनेमि, पार्श्व, मल्लि और वासुपूज्यको छोड़कर शेष तीर्थङ्कर राजा थे ॥ और ये पाचों तीर्थङ्कर यद्यपि राजकुलमें और विशुद्ध क्षत्रिय-वंशमें उत्पन्न हुए थे फिर भी उन्हें राज्याभिषेक इष्ट नहीं हुआ और उन्होंने कुमार अवस्थाम ही प्रव्रज्या ग्रहण करली ।”

आगे लिखा है—‘जिहोने कुमार अवस्थामे प्रव्रज्या धारण की उन महावीर, अरिष्टनेमि, पार्श्व, मल्लि और वासुपूज्यको छोड़कर शेष तीर्थङ्करोने ही विषयोंक सेवन किया ।’ इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार मलयगिरिने लिखा है—‘इस कथनका आशय यह है कि वासुपूज्य, मल्लि, महावीर, पार्श्वनाथ और अरिष्टनेमिके सिवाय शेष सब तीर्थङ्करोने विषयोंका सेवन किया, किन्तु वासुपूज्य आदि पांच तीर्थङ्करोने नहीं किया क्योंकि उन्होंने कुमार अवस्थामें ही व्रतग्रहण कर लिया था ।’

(आगमोदय समितिसे प्रकाशित आवश्यकनिर्युक्तिकी मलयगिरि टीकामें विषयोंका सेवन न करने वाले पाच तीर्थङ्करोमें महावीर स्वामिका नाम नहीं छपा है । यह छापेकी ही भूल मालूम होती है क्योंकि उक्त कथन कुमार अवस्थामें ही प्रव्रजित होनेवाले सभी तीर्थङ्करोके सम्बन्धमें है ।)

✓ १—‘गामायारा विसया निसोवया ते कुमारवज्जेहिं ।
गामागराहएसु य केसि (सु) विहारो भवे कस्स’ ॥२५५॥

टीका—ग्रामाचारा नाम विषया उच्यन्ते, ते विषया निसेविता—
आसेविताः कुमारवज्जे—कुमारभाव एव ये प्रव्रज्या गृहीतवन्तः तान्
मुक्त्वा शेषैः सर्वैस्तीर्थङ्कृद्भिः । किमुक्त भवति ? वासुपूज्य-मल्लिस्वामि-
पार्श्वनाथ-भगवदरिष्टनेमिव्यतिरिक्तैः सर्वैस्तीर्थङ्कृद्भिरासेविता विषया न
तु वासुपूज्यप्रभृतिभिः, तेपा कुमारभाव एव व्रतग्रहणाभ्युपगमात् ।

कुमार अवस्थामें मतलब ही अविवाहित अवस्थामें है, क्योंकि कुमारमें ही हिन्दीमें बहुप्रचलित कुंभारा शब्द निष्पन्न हुआ है। और नियुक्तिगाथा २५५ से उसी अर्थकी पुष्टि होती है।

कुमार अवस्थामें प्रव्रजित होने वाले उक्त पांचों तीर्थङ्कर दिग्म्बर मान्यताके अनुसार अविवाहित थे। किन्तु श्वेताम्बर मल्लिको छोड़ कर शेष सबको विवाहित ही मानते हैं।

अतः भगवान महावीरके अविवाहित होनेकी मान्यता एकांगी प्रतीत नहीं होती, श्वेताम्बरपरम्परामें भी उसका अस्तित्व पाया जाता है। कमसे कम आवश्यकनिर्मुक्तिकार तो महावीरको अविवाहित ही मानते थे—क्योंकि उक्त उल्लेखोंके साथ ही उन्होंने अपने महावीरचरितमें उनके विवाह आदिका कोई संकेत नहीं किया है। अस्तु,

(महावीरके गर्भपरिवर्तनकी कथामें जिस प्रकार डा० याकोबी को कृष्णके गर्भपरिवर्तनकी अनुकृति प्रतीत होती है, हमें भी महावीरकी पत्नी यशोदाके नामके साथ बुद्धकी पत्नी यशोधरा का स्मरण हो आता है और लगता है कि महावीरके जीवनमें यशोदाका लाया जाना, कहीं बुद्धकी पत्नी यशोधराकी अनुकृतिका तो परिणाम नहीं है ?)

प्रव्रज्या

तीस वर्षकी वयमें मगसिर बदी दसमीके दिन महावीरने समस्त परिग्रहको त्यागकर जिनदीक्षा ली। उन्होने अपने शरीरके सब बल आभरण उतारकर फेंक दिये, काले घुंघराले केशोंको जड़से उखाड डाला और इस तरह अन्तरंग तथा बहिरंग परिग्रहको त्यागकर वह सच्चे निर्ग्रन्थ बन गये।

किन्तु श्वेताम्बरीय मान्यतामें इससे कुछ अन्तर है। आचारांग-चूषणमें महावीर भगवानकी प्रव्रज्या वर्णन करते हुए लिखा है— 'इस विषयमें कुछ विशेष कथन करते हैं—

१--'मणुवत्तणसुहमत्तुल देवकय सेविकणवासाइ'।

अट्टावीसं सत्त य मासे दिवसे य वारसय ॥ २५ ॥

आभिणिवोहियबुद्धो छट्ठेण य मग्गसीस बहुलाए ।

दसमीए णिक्खतो सुरमहिदो णिक्खमणपुज्जो ॥ २६ ॥

—ज० घ०, भा० १, पृ० ७८ ।

ति० प०, अध्याय ४, गा० ६६७ । हरि० पु० २-५१ ।

उत्त०पु०, पर्व ७४, श्लो० ३०३-३०४ ।

'मगसिरबहुलस्स दसमी पक्खेण पाईणगामिणीए छायाए पोरसीए अभिनिविट्ठाए। कल्प सू० ११३ ।

२--'इह तु किंचि विसेस भण्णति--सो भगवं णिगिणो भविता एगदूस वा से खधे काउ पव्वइतो, तस्स पुण भगवतो एत आलवणं' ।
सो भगव बद्धमाणो पारं गच्छतीति पारंगो सीतपरिसहाण वत्थमतरेणा वि । जं पुण तं वत्थ खधे ठितं घटित वा त अणुधम्मिय तस्स ...
अहवा तित्थगराणं अय अणुकालघम्मो ।'—आव० चू० ।

भगवान महावीर नग्न होकर और अपने कन्ध पर देवदृष्य रखकर प्रव्रजित हुए। उन भगवानका वह वह आलम्बनमात्र था। मैं इस दिव्य वस्त्रमें अपने शरीरको शीतसे बचाऊंगा या इसमें अपनी लज्जा निवारण करूँगा, ऐसी भावना उनकी नहीं थी क्योंकि भगवान तो वस्त्रके बिना भी शीत परीपहको सहन करनेमें समर्थ थे, फिर भी वह वस्त्र उनके कन्धपर रखा रहा, उसका कारण यह था कि वह उनका धार्मिक कर्तव्य था क्योंकि प्रतीत कालमें जो तीर्थङ्कर प्रव्रजित हुए, वर्तमानमें जो प्रव्रजित होते हैं तथा भविष्यमें जो प्रव्रजित होंगे, उन सबने इसका पालन किया है,। कहा भी है--"मचेल धर्म महान् है, अन्य तीर्थङ्करोंने भी उसका पालन किया है, इसलिये महावीर भगवानने भी कन्धपर वस्त्र रहने दिया, लज्जाके लिये नहीं।"

इस तरह श्वेताम्बर मान्यता^१के अनुसार महावीर स्वामी १३ मास तक चीवरधारी रहे। उसके पश्चात् नग्न दिगम्बर होकर ही विचरे।

जब महावीरका जैन संघ दिगम्बर और श्वेताम्बरके रूपमें विभाजित हुआ तो उसके पश्चात् कतिपय मध्यम मार्गी जैनोंने एक तीसरे यापनीय^१संघकी स्थापना की थी। यह यापनीय संघ शायद श्वेताम्बरीय आगमोंको मानता था किन्तु नग्नताका

१--'समये भगवं महावीरे संवच्छर साहियं मास चीवरधारी हुत्था, तेण पर अचेलए पाणि पडिग्गहिण ॥ ११७ ॥

—कल्पसू०-१६।

-२--देखो--'यापनीय साहित्य की खोज' जै० सा० इ०, पृ० ४१ से।

पोषक था। इस संघके एक आचार्य अप्रराजित सूरिने श्वेताम्बरोंकी उक्त मान्यताके सम्बन्धमें लिखा है—

‘भावनामे जो यह कहा है कि महावीर भगवान एक वर्ष तक वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक-नग्न हो गये, सो इसमें अनेक मत है। किन्हींका कहना है कि महावीरके कन्धेपर जिसने वस्त्र लटकाया था, उसने उसी दिन उस वस्त्रको ले लिया था। अन्य कहते है कि छै महीनोंमें वह वस्त्र कांटो वगैरहसे छिन्न भिन्न हो गया। कुछ कहते हैं कि कुछ अधिक एक वर्षके पश्चात् उस वस्त्रको खण्डलक ब्राह्मणने ले लिया। कुछ कहते हैं हवासे उड़ गया और महावीरने उसकी उपेक्षा कर दी। किन्हींका कहना है कि लटकाने वालेने उसे महावीर भगवानके कन्धेपर रख दिया। इस प्रकार अनेक मत होनेसे इसमें कुछ सार प्रतीत नहीं होता। यदि भगवान महावीरने सचेल लिंगको प्रकट करनेके लिये वस्त्रको ग्रहण किया था उन्हें उसका विनाश क्यों इष्ट हुआ? सदा उसे धारण करना चाहिये था. .. तथा यदि महावीर भगवानको चेल-प्रज्ञापना (वस्त्रवाद) इष्ट थी तो ‘प्रथम^३ और अन्तिम जिनका धर्म अचेलक था’ यह वचन मिथ्या ठहरता है। तथा ‘नवस्थान’ में कहा है - ‘जैसे मैं अचेल (नग्न) हूँ वैसे ही अन्तिम जिन भी होंगे’

१—भ० आ०, गा० ४२१ की टीका में।

२—श्वेताम्बर साहित्य में लिखा है कि प्रथम जिन ऋषभदेव और अन्तिम जिन महावीरका धर्म आचेलक्य—वस्त्ररहित था। किन्तु मध्यके बाईस तीर्थङ्करोंका धर्म सचेल भी था और अचेल भी था। यथा—आचेलकको धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स। मज्झिमगाय जिणाणां होई सचेलो अचेलो व ॥ १२ ॥ पञ्चा०, विव० १७।

इससे भी विरोध आता है। तथा यदि अन्य तीर्थङ्कर वस्त्र थे तो महावीर भगवानकी तरह उनके वस्त्र त्यागका काल क्यों नहीं बतलाया ? (हां, यह कहना उचित होगा कि जब महावीर सर्वस्वको त्याग कर ध्यानमें स्थित थे तो किसीने उनके कन्धेपर वस्त्र रख दिया, जो एक उपसर्ग था)।”

महावीर भगवानके देवदूष्य धारण करनेके सम्बन्धमें अपराजित सूरिने जो अभिमत प्रकट किया है हमें भी वही उचित जान पड़ता है।

‘आवश्यक’ निर्युक्तिमें लिखा है कि चौबीसो तीर्थङ्कर एक वस्त्रके साथ प्रव्रजित हुए। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार जिन भद्रगणि क्षमाश्रमणने लिखा है—

“सभी जिन भगवान वज्रवृषभनाराच संहननके धारी होते हैं, चार ज्ञानवाले और सत्त्वसम्पन्न होते हैं, उनके हस्तपुट छिद्ररहित होते हैं और वे परीषहों को जीतने वाले होते हैं। अतः वस्त्र पात्र आदि उपकरणोंसे रहित होने पर भी वस्त्रके अभावमें लगने वाले संयमकी विराधना आदि दोष उन्हें नहीं लगते। उनके लिये वस्त्र-पात्र संयमका साधन नहीं है अतः वे उनका

१—‘सव्वे वि एगदूसेण णिग्गया जिणवरा चउवीस’ ॥२२७॥

२—निरुवमधिइ सहणणा चउनाणातिसयसत्तसंपणणा ।

अच्छिद्धपाणिपत्ता जिणा जियपरीसहा सव्वे ॥ २५८१ ॥

तम्हा जहुत्तदोसे पावति न वत्थपत्तरहिया वि ।

तदसाहण ति तेसिं तो तग्गहण न कुव्वंति ॥ २५८२ ॥

तहवि गहिण्णवत्था सवत्थत्तिथोवण्णत्थ ति ।

अभिनिक्खमंति सव्वे तम्मि चुण्णत्थेत्थया हु ति ॥२५८३॥

—विशे० भा० ।

ग्रहण नहीं करते । तथापि सवस्त्र तीर्थका उपदेश करनेके लिये इन्द्रके द्वारा अर्पित एक देवदूष्य धारण करके दीक्षा लेते हैं । जब वह वस्त्र गिरजाता है तो सभी अचेल-वस्त्ररहित नग्न हो जाते हैं ।”

भाष्यकारके उक्त कथनका अभिप्राय यह है कि चौबीसो तीर्थङ्कर सुदृढ़ शरीर वाले तथा परीषहोको सहनेमे समर्थ होते हैं इस लिये उन्हें वस्त्रकी आवश्यकता नहीं होती । तथा उनके हस्तपुट छिद्ररहित होते हैं, उससे ही वे आहार ग्रहण कर सकते हैं इसलिये उन्हें पात्रकी आवश्यकता नहीं होती । फिर भी सवस्त्र तीर्थका उपदेश देनेके लिये वे एक वस्त्र धारण करते हैं और उस वस्त्रके गिरजाने पर नग्न विचरण करते हैं । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि तीर्थङ्करोंको अपने शिष्योंका नग्न रहना इष्ट नहीं था, यद्यपि वे स्वयं नग्नता ही पसन्द करते थे, अतः उन्होंने कुछ समय तक एक वस्त्र धारण किया । दूसरे शब्दोंमें यदि यह कहा जाये कि सवस्त्र परम्पराका पोषण करने के लिये ही देवदूष्यकी कल्पना की गई तो कुछ अयुक्त न होगा । अस्तु । आगे इस सम्बन्धमें विशेष विचार किया जायेगा ।

तपस्या और ज्ञानलाभ

जैन साहित्यके अवलोकनसे प्रकट होता है कि महावीरने दुद्धर्ष तपस्या की थी । उनका तपस्वी जीवन रोमाञ्चकारी था । जिन दीक्षा धारण करनेके पश्चात् ही वे ध्यान मग्न हो गये थे और छै मास तक ध्यानस्थ रहे थे । छै मासके पश्चात् उन्होंने

कूलपुर या कोल्लाग सन्निवेशमें प्रथम वार भिक्षा भोजन ग्रहण किया था ।

पीछे बुद्धके द्वारा निर्दिष्ट जिन चार प्रकारकी तपस्याश्रोका निर्देश कर आये हैं उन चारोका ही आचरण महावीरने किया था । दीक्षा लेते समय ही वे नग्न हो गये थे और उन्होंने अपने सिर और दाढ़ीके केशोंको स्वयं अपने हाथसे उखाड़कर फेंक दिया था । वे सदा अस्नान व्रत पालते थे और भूमि पर शयन करते थे । एकान्तवास उहे प्रिय था । और वर्षाकालको छोड़कर सदा मौन विचरण करते थे । इस तरह उन्होंने बारह वर्ष विताये थे ।

इन बारह वर्षोंमें उन्हें जिन कष्टोंका सामना करना पड़ा-उपसर्गोंको सहना पड़ा उनको पढ़कर भी चित्त चंचल हो उठता था । इसीसे बुद्धने कठोर तपस्याका मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया था । किन्तु महावीर तो महावीर थे, उनकी दृढ़ता स्पृहणीय थी ।

श्वेताम्बरीय आगमिक उल्लेखोंके अनुसार इन बारह वर्षोंमें एकाकी विहारी महावीरको अनेकों उपसर्गों और कष्टोंका सामना करना पड़ा । उनके कानोंमें कीले ठोके गये, सर्वाङ्गको धूलसे आच्छादित कर दिया गया, किन्तु महावीर अपने सन्मार्गसे विचलित नहीं हुए और न उन्होंने अपनी क्षमाशीलता और निर्वैर वृत्तिका ही परित्याग किया ।

दिगम्बर उल्लेखके अनुसार जब वे उज्जैनमें ध्यानस्थ थे तब रात्रिमें उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया गया । किन्तु वे अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुए ।

उनकी क्षमाशीलता और निर्वैर वृत्ति आदर्श थी । (इसी

आन्तरिक और बाह्य वृत्तिने उन्हे एक दिन 'जिन' बना दिया । वह दिन था वैसाख शुक्ला दसमी । उस दिन वह जृम्भिका ग्रामके निकट बहनेवाली ऋजुकूला नदीके तट पर शालवृक्षके नीचे ध्यानस्थ थे । उसी दिन उन्हे केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गये तथा 'जिन', 'अहंत्', तीर्थङ्कर आदि नामोंसे अभिहित हुए ।)

१--उजुकूलणदीतीरे जभियगामे वहिं सिलावट्टे ।
छट्टेणादावेतो अवरणहे पादछायाए ॥ २८ ॥
वइसाह जोरहपक्खे दसमीए खवगमेट्टिमारुद्धो ।
इत्तू ण घाहकम्म केवलणायं समावरणो ॥ २९ ॥

—ज० घ०, भा० १, पृ० ८० में उद्धृत ।

वइसाह सुद्धदसमी माघारिक्खम्हि वीरणहस्स ।
रिजुकूलणदीतीरे अवरणहे केवल णाय ॥ ७११ ॥

—त्रि० प्र०, अ० ४ ।

जभियवहिं उजुवालियतीर वियावत्त सामसालअहे ।
छट्टेणुकुड्डयस्स उ उप्पण केवल णाय ॥ ५२५ ॥

—आ० नि०, पृ० २६१ ।

ग्राम-पुर-खेट कर्वट-मटम्ब-घोषाकरान् प्रविजहार ।
उग्रैस्तपोविधानैर्द्वादश वर्षायमरपूज्य ॥ १० ॥
ऋजुकूलायास्तीरे शालद्रुमसंश्रिते शिलापट्टे ।
अपराणहे षष्ठे नास्त्यितस्य खलु जृम्भिकाग्रामे ॥ ११ ॥
वैसाखसितदशम्या हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे ।
क्षपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्न केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥

—निर्वाण भक्ति ।

सर्वज्ञता और सर्वदर्शित्व

जैन सहित्यमे भगवान महावीरको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बतलाया है। सर्वज्ञता और सर्वदर्शित्वकी प्राप्ति उन्हें तपस्याके पश्चात् ही हुई थी। जन्मसे तो महावीर भी असर्वज्ञ और असर्वदर्शी थे। बारह वर्षकी कठोर साधनाके द्वारा आत्माकी पूर्ण-ज्ञान शक्ति और पूर्णदर्शन शक्तिके आवारक चार घातिकर्मोंको नष्ट करके उन्होने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य रूप चतुष्टयको प्रकट किया। इसीसे वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये। यहां संचेपमे प्रकृत विषय पर प्रकाश डालना अनुचित न होगा।

जैन सिद्धान्तमे ज्ञान और दर्शनको आत्माका गुण माना है। यद्यपि अल्पज्ञ अवस्थामे इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है किन्तु ज्ञान जीवका ही गुण है, इन्द्रियोंका नहीं, क्योंकि इन्द्रियोंके बिना भी ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है। अतः जैन दर्शनमें जीव ज्ञानदर्शनलक्षण वाला माना गया है। किन्तु सब संसारी जीवोंमें ज्ञान और दर्शन एकसा नहीं पाया जाता। उनमें तर-तमभाव देखा जाता है। किसी संसारी जीवमें ज्ञानका विशेष विकास पाया जाता है तो किसीमें स्वल्प। इस तर-तमभावको निष्कारण नहीं माना जा सकता। इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिये। जैन दर्शनमें इस तर-तमता का कारण आवरण कर्म माना गया है। आवारक कर्मके ही कारण आत्माका पूर्णज्ञान अविकसित रहता है और उसके कतिपय अंश ही तर-तमताको लिये हुए विभिन्न संसारी जीवों में प्रकट देखे जाते हैं।

आत्माके ज्ञान दर्शन आदिके आवारक कर्म भी सहेतुक

हैं, अहेतुक नहीं हैं, क्योंकि कर्मको अहेतुक माननेसे उनका विनाश नहीं बन सकता। अतः कर्म सहेतुक हैं तथा मूर्त हैं। और वे जीवसे सम्बद्ध हैं। क्योंकि यदि कर्मको जीवसे सम्बद्ध न माना जायगा तो कर्मका कार्य जो मूर्त शरीर है, उस मूर्त शरीर से जीवका सम्बन्ध नहीं बन सकता। अर्थात् यदि कर्मों से जीव को भिन्न माना जायगा तो कर्मोंसे भिन्न अमूर्त जीवका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता। और शरीरके साथ जीवका सम्बन्ध सिद्ध है, क्योंकि शरीरके छेद जाने पर जीवको दुःख होता है, जीवके गमन करने पर शरीर भी गमन करता है। जीवके रुष्ट होनेपर शरीरमें कम्प, दाह, आखोका लाल होना, भौंका चढ़ना आदि देखे जाते हैं। तथा जीवकी इच्छासे शरीरका गमन, आगमन, हाथ पैर सिर अंगुली आदिका संचालन देखा जाता है। अतः जीव शरीरसे सम्बद्ध है। यदि जीवको शरीर और कर्मोंसे असम्बद्ध माना जायगा तो सम्पूर्ण जीवोंके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनन्तवीर्य आदि गुण प्रकट दीखने चाहिये जैसा कि मुक्तात्माओंमें देखा जाता है। अतः जीवका कर्मके साथ भी एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध मानना चाहिये।

यह शका हो सकती है कि अमूर्त जीवका मूर्त शरीरके साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है। किन्तु जैन सिद्धान्तमें जीव और कर्मोंका अनादि सम्बन्ध स्वीकार किया गया है अत उक्त शकाको स्थान नहीं है। इस तरह जीव और कर्मोंका सम्बन्ध अनादि है। यदि उसे अनादि न माना जायगा तो वर्तमानमें भी जो जीव और कर्मका सम्बन्ध उपलब्ध होता है वह नहीं बन सकेगा।

कर्म जीवके गुणोका निर्मूल विनाश नहीं करते, क्योंकि ऐसा माननेपर जीव द्रव्यमें पाये जानेवाले गुणोका अभाव हो जायेगा और उनका अभाव हो जानेपर जीव द्रव्यके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। कर्मोंकी अनादि सन्तान भी बीज और अंकुरकी सन्तानकी तरह नष्ट हो जाती है। कर्मोंके आनेको आस्रव कहते हैं और रुकनेको संवर कहते हैं। आस्रवके कारण हैं—मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग। और संवरके कारण हैं—सम्यक्त्व, संयम और विरागता आदि। अतः आस्रवके विरोधी संवरके कारणोंके प्रकट होनेपर कर्मोंकी आस्रवपरम्परा विच्छिन्न हो जाती है। और इस तरह नवीन कर्मोंका बन्ध रुक जाता है।

अब प्रश्न रहता है पूर्व संचित कर्मोंके क्षयका। जैन सिद्धान्तमें योगके निमित्तसे कर्मोंका बन्ध होता है और कपायके निमित्तसे कर्मोंमें स्थिति पडती है। इसलिये योग और कपायका अभाव हो जाने पर बन्ध और स्थितिका अभाव हो जाता है और उससे पूर्वसञ्चित कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है। तथा तपसे भी पूर्वसञ्चित कर्मोंका क्षय होता है। कर्मोंका क्षय हो जाने पर पूर्णज्ञान—जिसे जैन सिद्धान्तमें केवल ज्ञान कहते हैं—उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे मेघ पटलके हटने पर सूर्य।

अतः जैसे निरावरण सूर्य समस्त जगत्को प्रकाशित करता है वैसे ही निरावरण केवलज्ञान और केवलदर्शन समस्त जगत्को जानते देखते हैं। इसीसे केवलज्ञानीको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहा जाता है। वह केवलज्ञानी असत्यार्थक प्रतिपादन नहीं कर सकता क्योंकि असत्य कथन करनेके कारण है—

अज्ञान और राग द्वेष । इन दोनोंसे वह मुक्त है, अतः वह सत्यार्थका ही प्रतिपादन करता है ।

इसीसे भगवान् महावीर अपने बारह वर्षके साधना कालमें मौन ही रहे, उन्होंने किसीको कोई उपदेश नहीं दिया । बारह वर्षकी साधनाके पश्चात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाने पर ही उन्होंने अपनी प्रथम धर्मोपदेशना की । उसी समयसे वे तीर्थङ्कर कहलाये ।

भगवान् महावीरकी सर्वज्ञता और सर्वदर्शित्वकी चर्चा उनके समयमें सर्वविश्रुत थी, यह बात बौद्ध त्रिपिटकोंसे भी प्रकट होती है ।

मज्झिम निकायके 'चूल-दुक्खकखन्ध सुत्तन्त' (पृ० ५९) में बुद्ध महानाम शाक्यसे कहते हैं—“एक समय महानाम । में राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करता था । उस समय बहुत से निगंठ (=जैन साधु) ऋषिगिरिकी काल शिलापर खड़े रहने (का व्रत) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख कटु तीव्र वेदना भेल रहे थे । तब मैं महानाम । सायंकाल ध्यानसे उठकर जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँ पर कि वह निगंठ थे, वहाँ गया । जाकर उन निगंठोंसे बोला—‘आवुसो ! निगठो ! तुम खड़े क्यों हो, आसन छोड़े दुःख कटुक तीव्र वेदना भेल रहे हो ।’ ऐसा कहने पर उन निगंठोंने कहा—आवुस ! निगंठ नाथपुत्त (=जैन तीर्थङ्कर महावीर) सर्वज्ञ सर्वदर्शी आप अखिल (=अपरिशेष) ज्ञान दर्शनको जानते हैं—चलते खड़े, सोते जागते, सदा निरन्तर (उनको) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है । वह ऐसा कहते हैं—निगंठो ! जो तुम्हारा पहलेका किया हुआ कर्म है उसे इस कडवी दुष्कर क्रिया (=तपस्या) से नाश करो और जो इस वक्त यहां काय वचन मनसे, संवृत्त (=पाप न करनेके

कारण रक्षित, गुप्त) हों, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ। उस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होने से, और नये कर्मोंके न करने से, भविष्यमें चित्त अन्-आन्त्रव (=निर्मल) होगा। भविष्यमें आन्त्रव न होनेसे कर्मोंका क्षय (होगा), कर्मनगसे दुःखका क्षय, दुःखक्षयमें वेदना (=भेदनना) का क्षय, वेदनाक्षयसे सभी दुःख नष्ट होंगे। हमें यह विचार रुचता है = स्वमता है इससे हम सन्तुष्ट हैं।

इसी तरह म० नि० के चूल सकुण्डायी युक्तन्त (पृ० ३१८) में लिखा है—

‘एक समय भगवान् बुद्ध राजगृहमें वेणुवन कलन्दक निकायमें विहार करते थे। उस समय सकुल उदायि परिव्राजक महर्षी परिपट्के साथ परिव्राजकाराममें रहता था। भगवान् पूर्वाहण समय जहाँ सकुल उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये। तत्र सकुल उदायी परिव्राजक ने कहा—

पिछले दिनों भन्ते ! (जो वह) सर्वज्ञ सर्वदर्शी निखिल ज्ञान दर्शन होनेका दावा करते हैं—चलते, खड़े, सोते जागते भी (मुझे) निरन्तर ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है।

कौन है यह उदायी सर्वज्ञ सर्वदर्शी० बुद्ध भगवानने पूछा—

‘भन्ते ! निगंथ नाटपुत्त !’)

ऊपरके दोनों उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि भगवान महावीरके सर्वज्ञ सर्वदर्शी होनेकी बात श्रमण सम्प्रदायमें विश्रुत थी और सर्वज्ञ सर्वदर्शीका वही अर्थ लिया जाता था जो जैन शास्त्रोंमें वर्णित है।

प्रथम धर्मदेशना

केवलज्ञान उत्पन्न होते ही देवतागण आकर केवलज्ञानी तीर्थङ्करका ज्ञानकल्याणक महोत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इन्द्रकी आज्ञासे उनके उपदेशके लिये समवसरणकी रचना करते हैं, ऐसी सामान्य जैन मान्यता है। तदनुसार जूम्बिकाके पास ऋजूकूलनदीके तट पर भगवान् महावीरको केवलज्ञान उत्पन्न होने पर देवतागणने आकर उनकी पूजा की और ज्ञानकल्याणकका महोत्सव मनाया। समवसरणकी रचना भी हुई। परन्तु इस प्रथम समवसरणमें महावीर भगवानकी वाणी नहीं खिरी और इसलिये उस दिन धर्मतीर्थका प्रवर्तन नहीं हो सका।

श्रे० आवश्यक निर्युक्तिमें लिखा है कि शेष सभी जैन तीर्थङ्करोंका तीर्थ प्रथम समवसरणमें उत्पन्न हुआ, किन्तु जिनेन्द्र महावीरका तीर्थ द्वितीय समवसरणमें उत्पन्न हुआ। श्रेताम्बर साहित्यमें (स्था० १० ठ०) दस अच्छेरे 'आश्चर्य' बतलाये हैं, जिनमेंसे एक महावीर भगवान पर उपसर्ग होता, दूसरा गर्भ-परिवर्तन और तीसरा है अभन्यसभा। अर्थात् जूम्बिका ग्राममें महावीरके केवलज्ञान उत्पन्न होने पर समवसरणकी रचना हुई और उसमें देव मनुष्य तिर्यञ्च एकत्र भी हुए और कल्पका पालन करनेके ही लिये धर्मकथा भी हुई किन्तु किसीने भी व्रत-धारण नहीं किये। महावीरसे पूर्व अन्य किसी भी तीर्थङ्करके समयमें ऐसा नहीं हुआ। अतः यह घटना आश्चर्य जनक होनेसे अच्छेरा (आश्चर्य) कहलाई।

१ 'तित्थ चाउव्वणो सघो सो पढमए समोसरणो ।
उप्पणणो उ जिणाण वीरजिण्णिदस्स वीयम्मि ॥''

‘आव० नि० (गा० ५३८) में ‘वत्तलाया है कि केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर भगवान महावीर रात्रिमे ही महासेनवन नामक उद्यानको चले गये । इसकी टीकामें मलयगिरिने लिखा है—

‘भगवान महावीरको केवल ज्ञान उत्पन्न होनेके अनन्तर ही चारो प्रकारके देव आगये थे और उन्होने हर्षित होकर ज्ञान कल्याणकका अद्भुत महात्मव मनाया था । किन्तु भगवानने जाना कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रव्रज्या धारण कर सके । यह जानकर वे विशिष्ट धर्मक्यामं प्रवृत्त नहीं हुए । किन्तु ऐसा कल्प है कि जहाँ केवल ज्ञान हो वहाँ केवलीको कमसे कम भी एक अन्तर्मुहूर्त तक ठहरना चाहिए और देवकृत पूजाको स्वीकार करना चाहिए, तथा धर्मोपदेश भी करना चाहिए । इस नियोगके अनुसार सन्नेपसे धर्मोपदेश करके भगवान महावीर वहासे विहार कर गये; क्योंकि उन्होने अपने ज्ञानसे जाना कि यहाँ से चारह योजनपर मध्यमा नामकी नगरीमें सोमिल नामक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है । वहाँ ग्यारह उपाध्याय आये हुए हैं । वे सब चरमशरीरी हैं और पूर्व जन्ममें उन्होने गणधर लब्धिका उपार्जन किया है । यह जानकर देवताओंसे वेष्टित भगवान महावीर देवकृत प्रकाश के द्वारा ‘रात्रिमे भी दिनका सा प्रकाश करते हुए मध्यमा नगरीके महासेन वन नामक उद्यानमे पधारे ।’ वहाँ दूसरे समवसरणकी रचना हुई और देवताओंने महावीर भगवानकी पूजा की । इसी दूसरे समवसरणमें भगवान महावीरको धर्म चक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ।’

✓ १ ‘उत्तन्नंमि अणते नद्धमि अ छाउमत्थिए नाणे ।

राइए सपत्तो महसेणवणमि उजाणे ॥ ५३८ ॥’

✓ २ ‘अमरनररायमहिओ पत्तो वरधम्मचक्कवट्ठित्तं ।

वीयमि समवसरणे पावाए मज्झिमाए उ ॥’ ५३६ ॥

—आव० नि०, पृ० २६६ ।

देवताओंका जय जयकार सुनकर यज्ञमे उपस्थित समूह बडा प्रसन्न हुआ और उसने समझा कि देवगण यज्ञमे पधार रहे हैं। किन्तु जब देवगण यज्ञमे न पधारकर समीपमें ही स्थित भगवान् महावीरके समवसरणमे चले गये तो जन समूह भी उधर ही चला आया, और यह बात सर्वत्र फैल गई कि यहा एक सर्वज्ञ आये हुए हैं और देव उनकी पूजा करते हैं। इन्द्रभूति नामक ब्राह्मण विद्वान् इस बात को सुनकर क्रुद्ध होता हुआ यज्ञ मण्डपसे समवसरणकी ओर चला। उसे देवोंके द्वारा महावीरकी पूजा तथा उनकी सर्वज्ञताका प्रवाद सह्य नहीं हुआ। इन्द्रभूतिको देखते ही सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवानने उसका नाम और गोत्र उच्चारण करते हुए उसे अपने पास बुलाया। महावीरके मुखसे अपना नाम और गोत्र सुनकर प्रथम तो उसे कुछ अचरज हुआ, पीछे उसके अहकारने उसे सुझाया कि मैं तो सर्वलोक प्रसिद्ध हूं, मुझे कौन नहीं जानता। यदि यह मेरे मनोगत सशयको बतलाये तो मैं समझूं कि यह सर्वज्ञ है।

इतनेमें ही महावीरने कहा—‘इन्द्रभूति गौतम ! तुझे जीवके अस्तित्वमें सन्देह है’। अपने मनोगत सन्देहका निवारण होते ही इन्द्रभूतिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार करके उनके चरणोंमें प्रव्रज्या लेली और महावीरका प्रधान गणधर पद अलकृत किया। इस तरह श्वेताम्बरीय साहित्यके अनुसार महावीरके तीर्थका प्रवर्तन मध्यमा नगरीके महासेनवनमें हुआ। वहासे महावीरने राजगृहीकी ओर प्रस्थान किया और वहां उनका तीसरा समवसरण रचा गया।)

(किन्तु दिगम्बर साहित्यके उल्लेख उक्त कथनके अनुकूल नहीं हैं। उनके अनुसार जृम्भिका ग्राममें केवल ज्ञान होनेके

फिर प्रश्न किया गया कि किस कालमें भगवान् महावीरने धर्मतीर्थका प्रवर्तन किया। इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि—
‘इस भरहक्षेत्र सम्बन्धी अवसर्पिणी कालके चौथे दुषम सुषमा नामक कालमें तेतीस वर्ष, छै मास और नौ दिन अवशिष्ट रहने पर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई।’

इस कालका विवरण देते हुए लिखा है कि—‘चौथे कालमें ७५ वर्ष आठ मास, १५ दिन शेष रहने पर आपाठ शुक्ला षष्ठीके दिन बहत्तर वर्षकी आयु लेकर भगवान् महावीर गर्भमें आये। बहत्तर वर्षोंमें तीस वर्ष कुमार काल है, चारह वर्ष छद्मस्थकाल (तपस्याकाल) है तथा तीस वर्ष केवलिकाल है। इस बहत्तर वर्ष प्रमाण कालको ७५ वर्ष ८ मास १५ दिन काल में घटा देने पर महावीरके मोक्ष जाने पर शेष बचे चतुर्थ कालका प्रमाण आता है। इस कालमें छियासठ दिन कम केवलिकालको मिला देनेपर अर्थात् तीन वर्ष, आठ मास, पन्द्रह दिनमें २६ वर्ष, नौ मास, २४ दिन मिला देनेपर तेतीस वर्ष छह महीना, नौ दिन होते हैं। चौथे कालमें इतना शेष रहने पर भगवान् महावीरने धर्मतीर्थका प्रवर्तन किया अर्थात् प्रथम धर्मदेशना की।

अतः दिगम्बर परम्पराके अनुसार केवलज्ञान होनेके छियासठ दिन पश्चात् श्रावणकृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय

- ✓ १ इमिस्सेऽवसप्पणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए ।
चोत्तीसवाससेसे किञ्चि विसेसूणए सते ॥५५॥
वासस्स पढममासे पढमे पक्खमिह सावणे बहुले ।
पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥५६॥
सावणबहुलपडिवदे रुद्धमुहुत्ते सुहोदए रविणो ।
अभिजिस्स पढमजोए जत्थ जुगादी मुण्येयव्वो ॥५७॥
—धवला, पु० १, पृ० ६२-६३ में उद्धृत ।

आकाशमें अभिजित् नक्षत्रका उदय रहते हुए राजगृही नगरीके बाहर स्थित विपुलाचलपर महावीरकी प्रथम धर्मदेशना हुई ।)

केवल ज्ञान होने पर भी छियासठ दिन तक धर्मदेशना न होनेका कारण बतलाते हुए जयधवला (भा० १, पृ० ७५-७६) में प्रश्नोत्तर रूपमें जो विवरण दिया गया है यहाँ हम उसे उद्धृत किये देते हैं ।

प्रश्न—केवलकालमेंसे छियासठ दिन किसलिये कम किये गये हैं ?

उत्तर—भगवान महावीरको केवल ज्ञान हो जाने पर भी छियासठ दिन तक धर्मतीर्थकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिये केवलकालमें छियासठ दिन कम किये गये हैं ।

प्रश्न—केवलज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी छियासठ दिन तक दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिरी ?

एत्थावसप्पिणीए चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि ।

तेत्तीसवास अडमास परणरस दिवससेसम्मि ॥६८॥

वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुल पडिवाए ।

अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती घम्मतित्थस्स ॥६९॥

—ति० प० १ ।

श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभु ।

प्रतिपद्यहि पूर्वाणहे शोसनार्थमुदाहरत् ॥६१॥

—हरि० पु०, २ सर्ग ।

१ पञ्चसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे ।

शाणादुमसमाहरणे देवदाणववदिदे ॥५२॥

महावीरेणत्थो कहिञ्चो भवियलोयस्स ।

—धवला, पु० १, पृ० ६१ पर उद्धृत ।

उत्तर—गणधर न होने से ।

प्रश्न—सौधर्म इन्द्रने केवल ज्ञान होनेके समय ही गणधरको उपस्थित क्यों नहीं किया ?

उत्तर—काललब्धिके बिना सौधर्म इन्द्र गणधरको उपस्थित करनेमे असमर्थ था ।

प्रश्न—जिसने अपने पादमूलमें महाव्रत स्वीकार किया है ऐसे पुरुषको छोड़कर अन्यके निमित्तसे दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिरती ।

समाधान—ऐसा ही स्वभाव है और स्वभावके विषयमे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता ।

उक्त प्रश्नोंसे ज्ञात होता है कि केवल ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् जो व्यक्ति तीर्थङ्करके पादमूलमें दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व स्वीकार करता है वही उनका गणधर बननेका अधिकारी होता है । छियासठ दिन तक किसी ऐसे व्यक्तिने महावीर भगवानके पादमूलमें दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया, जो इनका गणधर बननेकी योग्यता रखता हो ।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, श्वेताम्बरीय मान्यताके अनुसार जम्भिका ग्राममें केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी महावीर भगवानकी धर्मदेशना इसलिये नहीं हुई कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं था जो उनके पादमूलमें चारित्र धारण करके उनका शिष्यत्व स्वीकार कर सकता हो । दूसरे दिन महासेन नामक उद्यानमे इन्द्रभूति आदिके उनका शिष्यत्व स्वीकार करने पर ही उनकी धर्मदेशना हुई । अतः केवल ज्ञान प्रकट होनेके पश्चात् ही भगवान् महावीरकी धर्मदेशना न होनेके सम्बन्धमें दोनो सम्प्रदायों की मान्यतामें प्रायः एकरूपता है । अन्तर है प्रथम देशनाके स्थान और काल में ।

समवसरण

महावीर भगवान्की उपदेश सभाको समवसरण कहा जाता था। जैन साहित्यमे तीर्थङ्करोके 'समवसरणोका जो वर्णन मिलता है वह अनुपम है। वृहत्सभास्थानकी रचना कैसी की जाती थी यह उससे प्रकट होता है। सत्तेपमे समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है—सबसे प्रथम धूलि साल नामक कोटके बाद चारों दिशाओंमे चार मानस्तम्भ होते हैं। इन मानस्तम्भों पर दृष्टि पड़ते ही अहङ्कारी व्यक्तियोंका अहङ्कार चूर-चूर हो जाता है। मानस्तम्भोके चारो ओर सरोवर होते हैं। फिर निर्मल जलसे भरी हुई परिखा होती है, फिर पुष्प वाटिका होती है। उसके आगे पहला कोट होता है। उसके आगे दोनों ओर दो दो नाटक शालाएँ होती हैं, उनके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे वेदिका और फिर ध्वजाओकी पंक्तियाँ होती हैं। फिर दूसरा कोट होता है। उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोका वन होता है। उसके बाद स्तूप और स्तूपोंके बाद मकानोकी पंक्तियाँ होती हैं। फिर तीसरा कोट होता है। उसके भीतर सोलह दीवालोंने बीचमें बारह कोटे होते हैं। इन कोटोंके भीतर पूर्वादि प्रदक्षिणा क्रमसे पृथक्-पृथक् मनुष्य, देव और मुनिगण बैठते हैं। तदनन्तर पीठिका होती है और पीठिकाके ऊपर तीर्थकर विराजमान होते हैं। तीर्थकर पूरव अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। उनके चारों ओर प्रदक्षिणारूप क्रमसे मुनिजन १, कल्पवासिनी देवियाँ २, आर्यिका तथा अन्य स्त्रियाँ ३, ज्योतिषोंको देवियाँ ४, व्यन्तरोको देवियाँ ५, भवन-

१ विस्तृत वर्णनके लिये तिलोय पण्णति भा० १, गा० ७१२-

६३३ तथा महापुराण प्र० भाग पृ० ५१४-५३६ देखना चाहिये।

वासिनी देवियाँ ६, भवनवासी देव ७, व्यन्तरदेव ८, ज्योतिष्क-
देव ९, कल्पवासी देव १०, मनुष्य ११ और पशु १२ बैठते हैं।
शान्तमूर्ति क्षमाशील तीर्थंकरके प्रभावसे समवसरणमें स्थित
विरोधी प्राणी भी परस्परके विरोधको भूल जाते हैं और शान्ति-
पूर्वक उपदेश श्रवण करते हैं।

दिव्यध्वनि और उसकी भाषा

तीर्थङ्करों की वाणीको दिव्यध्वनि कहते हैं। दिव्य-ध्वनि
अर्थात् अलौकिक आवाज। भगवानके मुखकमलसे निकलनेवाली
इस ध्वनिकी दिव्यता यह होती है कि यद्यपि वह ध्वनि एक ही
प्रकार की होती है तथापि उसका परिणामन सर्वभाषारूप होता
है। समवसरणमें उपस्थित सभी प्राणी उसका अभिप्राय अपनी
अपनी भाषामें समझ जाते हैं। इसीसे उसे सर्व भाषारूप कहा
गया है।

किन्हीं आचार्योंका मत है कि वाणीकी यह विशेषता देवकृत
है। जिनसेनाचार्य ने उसे देवकृत नहीं माना बल्कि भगवान्की
ही विशेषता माना है। इसी तरह कुछ आचार्योंने तीर्थङ्करकी
वाणीको अनक्षरी माना है किन्तु जिनसेनाचार्य ने उसका निषेध
करते हुए अक्षररूप ही माना है। उनका कहना है कि अक्षर
समूहके बिना लोकमें अर्थका परिज्ञान नहीं देखा जाता।

- ✓ १. 'एकतयोऽपि च सर्वनृभाषाः सोऽन्तरनेष्ट बहूश्च कुभाषाः।
अप्रतिपत्तिमपास्य च तत्त्व बोधयतिस्म जिनस्य महिम्ना ॥७०॥
—म० पु०, २३ प०।
- ✓ २. 'देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतद् देवगुणस्य तथा विहतिः स्यात्।
साक्षर एव च वर्णसमूहान्नैव विनार्थगतिर्जगति स्यात् ॥७३॥
—म० पु० २३ पर्व।

भगवान् महावीरने अपना उपदेश अर्धमागधी भाषामें दिया था। उनके कालमें धर्मकी भाषा संस्कृत थी। किन्तु महावीर और बुद्ध ने तत्कालीन लोक भाषाको ही अपने अपने उपदेशोंको माध्यम बनाया। जहां तक हम जान सके हैं ये दोनों ही प्रचारक किसी भाषाविशेष पर जोर नहीं देते थे। उनकी केवल यही भावना थी कि लोग धर्मको जाने और उसका अनुसरण करें। भाषा विशेषके प्रयोगका महत्त्व उनकी दृष्टिमें नहीं था। चुल्लवग्ग (५-३३-१) में लिखा है कि एक बार दो भिक्षुओं ने बुद्धसे शिकायत की कि भिक्षु बुद्धवचनको अपनी अपनी भाषामें परिवर्तित कर रहे हैं। बुद्धने उत्तर दिया कि मैं भिक्षुओं को अपनी अपनी भाषाके प्रयोगकी अनुज्ञा देता हू। यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि बुद्धने किस भाषामें धर्मका प्रचार किया। किन्तु सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ पालि भाषामें हैं और पालि निकायको त्रिपिटक कहते हैं।

पालि भाषाका मूल कौन भाषा है और वह कहाँ उत्पन्न हुई इस विषयमें बड़ा विवाद है। किन्तु बौद्ध बुद्धकी भाषाको मागधी मानते हैं। डा० सुनीति कुमार चटर्जीका कहना है कि बुद्धके समस्त उपदेश वादके समयमें मागधी भाषासे मध्यदेशकी शौरसेनी प्राकृतमें अनुवादित हुए थे। और वे ही ईस्वी पूर्व प्रायः दो सौ वर्षसे पालि भाषाके नामसे प्रसिद्ध हुए। किन्तु पालि भाषाका शौरसेनी और मागधीकी अपेक्षा पैशाचीके साथ ही अधिक सादृश्य है इसीसे डा० कौनो और सर ग्रियर्सनने पैशाची भाषा

१. 'भगव च ण अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ' -सम० सू०। 'देवा ण अद्ध मागहाए भासाए भासति' -भग० सू०। 'भासारिया जे ण अद्ध मागहाए भासाए भासति -प्रज्ञा०'

जिस देशमें प्रचलित थी उसीको पालिका उत्पत्तिस्थान बतलाया था। इससे यह स्पष्ट है कि बुद्धके उपदेशोंका माध्यम लोक भाषा ही थी। और भगवान् महावीरके उपदेशोंका माध्यम अर्धमागधी भाषा थी। इस भाषाकी यह विशेषता थी कि सब श्रोता इसका अभिप्राय अपनी अपनी भाषामें समझ लेते थे। भाषाकी इस विशेषताको देवताओंका अतिशय भी कहा गया है कि मागध जातिके देवोंके द्वारा उसका परिणामन इस रूपमें कर दिया जाता था जिसको सब श्रोता समझ सकते थे। यह तथोक्त देवकृत अतिशय आधुनिक युगके उन यंत्रोंका स्मरण दिलाते हैं जिनके द्वारा एक भाषामे कही गई वातको तत्काल विभिन्न भाषाओंमें अनूदित कर दिया जाता है और इस तरह श्रोता अपनी अपनी भाषा में ही उसका अभिप्राय समझ लेते हैं। उक्त विशेषताको वक्ता भगवान् तीर्थङ्करका भी अतिशय बतलाया गया है। आजके वैज्ञानिक युगमें इसका आशय हम यह ले सकते हैं कि भगवान् महावीर अपना उपदेश एक ऐसी भाषामें देते थे जो भाषा किसी देश विशेषसे सम्बद्ध नहीं थी, यद्यपि उसमें उस देशकी भाषाके शब्दोंकी बहुतायत थी जिस देशमें भगवान्की प्रथम वर्म देशना हुई थी। वह देश मगध था, इसीसे भगवान्की वाणी अर्धमागधी कही जाती थी। १६वीं शताब्दीके ग्रन्थकार श्रुतसागर श्रुतिके अनुसार भगवान्की भाषाका अर्धभाग मगध देशकी भाषा अर्थात् मागधी भाषारूप था और आधा भाग अन्य सर्वभाषारूप था।

१ 'सर्वाधर्मागधीया भाषा भवति । कोऽर्थ ? अर्धं भगवन्भाषाया मगधदेशभाषात्मक अर्धं च सर्वभाषात्मकम्' —षट्प्रा० टी०, पृ० ६६ ।

‘अर्धमागधी’ शब्द ‘अर्ध’ और ‘मागधी’ इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न होता है। अर्धशब्दका अर्थ लगभग आधा और ठीक आधा दोनों होते हैं। व्याकरणके अनुसार जिस समासमें अर्ध शब्द अवयवीसे पूर्वमें आता है वहाँ उसका अर्थठीक आधा होता है। अतः ‘मागध्या अर्धम्—अर्ध-मागधी’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार—जिस भाषामें ठीक आधी मागधी भाषा और आधी अन्य अन्य भाषाएँ रिलीमिली हों उसे अर्धमागधी भाषा कहते हैं। उदाहरणके लिए जिस भाषामें सौ शब्दोंमेंसे पचास शब्द मागधी भाषाके और पचास शब्द अन्य अन्य भाषाओंके मिलेजुले हों उसे अर्धमागधी कहा जा सकता है। श्रुतसागर सूरिने इसी व्युत्पत्तिको लक्ष्यमें रखकर ही उक्त अर्थ किया है।

ईसाकी सातवीं शताब्दीके चूर्णिकार श्री जिनदास महत्तरने अर्धमागधी भाषाका अर्थ दो प्रकारसे किया है। यथा—

‘मगहद्विसयभासानिबद्ध अर्द्धमागध, अहवा अट्टारसदेशीभासा-णियत अर्द्धमागध ।’

इनमेंसे दूसरे प्रकारका अर्थ तो स्पष्ट है—अट्टारह प्रकारकी देशी भाषाओंमें नियत सूत्रको अर्द्धमागध कहते हैं। अर्थात् अर्धमागधी भाषा अट्टारह प्रकारकी देशी भाषाओंके मेलसे निष्पन्न भाषा होती है। किन्तु प्रथम प्रकारमें मतभेद है—

पं० बेचरदासजीने उसका अर्थ इस प्रकार किया है—‘मगध-देशकी आधी भाषामें जो निबद्ध हो उसे अर्धमागध कहते हैं।’ (जै० सा० सं०, भा० १, पृ० ३३)। किन्तु अपने ‘पाइअसद्ध-महणवके उयोद्धातमें प० हरगोविन्ददासने उसका अर्थ किया है—‘मगधदेशके अर्धप्रदेशकी भाषामें जो निबद्ध हो वह अर्धमागध’ (पृ० २७)।

(पं० हरगोविन्ददास अर्धमागधी शब्दकी 'अर्धमागध्याः' व्युत्पत्तिसे सहमत नहीं हैं। वह 'अर्धमगधस्येयं अर्धमागधी' व्युत्पत्तिको ही वास्तविक बतलाते हैं। इसके अनुसार अर्ध-मागधीका अर्थ होता है—मगध देशके अर्धांशकी जो भाषा वह अर्धमागधी है। निशीथ चूर्णिकारके अर्थका प्रथम प्रकार इसी व्युत्पत्तिके अनुकूल प्रतीत होता है। मगधार्धविषय भाषानिबद्धा' का अर्थ मगधदेशके अर्धप्रदेशकी भाषामें निबद्ध ही उपयुक्त है—मगधदेशकी आधी भाषामे निबद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि अर्द्ध' शब्द ऐसी स्थितिमें नहीं है जिससे उसे भाषाके साथ संयुक्त किया जा सके।

किन्तु प० हरगोविन्ददासने चूर्णिकारके दूसरे अर्थको विल्कुल ही छोड़ दिया है क्योंकि वह उनकी 'अर्धमगधस्येयं' व्युत्पत्तिके प्रतिकूल और 'अर्धमागध्याः' के अनुकूल है। उससे तो यही स्पष्ट होता है कि अर्धमागधी भाषा अनेक भाषाओंके मेलसे निष्पन्न भाषा थी। यही अर्थ तत्कालीन स्थिति तथा जैन-परम्परा के भी अनुकूल है। महावीर भगवानकी जन्मभूमि मगधदेश होनेसे उनकी भाषाका मुख्य सम्बन्ध मगधदेशके साथ होना उचित ही है। उसके साथ ही मगधके निकटवर्ती दूसरे प्रान्तोंकी भाषाओंके साथ मागधीका सम्पर्क होना स्वाभाविक है। अतः अन्य प्रान्तोंकी भाषाओंसे मिश्रित मागधी भाषा ही अर्धमागधी होनी चाहिये।

(मार्कण्डेयने अपने प्राकृत व्याकरणमें मागधी भाषाका लक्षण बनाकर उसी प्रकरणके अन्तमें अर्ध मागधी भाषाका लक्षण इस प्रकार कहा है—'शौरसेन्या अदूरत्वादियमेवार्धमागधी।' अर्थात् शौरसेनी भाषाके निकटवर्ती होनेसे मागधी ही अर्ध-मागधी है।' अर्ध मागधीका उत्पत्ति स्थान मगध और शूरसेन

का मध्यवर्ती प्रदेश माना जाता है। मगध देश और शूरमेन देश पास-पास होनेसे मगधकी भाषा मागधीका सूरमेन देशकी भाषा शौरसेनीके साथ सम्पर्क होनेसे अर्धमागधी भाषाकी उत्पत्ति हुई है। अतः उक्त लक्षणसे भी 'अर्ध' मागध्या' व्युत्पत्ति का ही पोषण होता है। सर त्रियर्सनने अपने प्राकृत भाषाओंके भौगोलिक विवरणमें यह रिखर किया है कि जैन अर्ध मागधी मध्यदेश (शूरमेन) और मगधके मध्यवर्ती देशकी भाषा थी। किन्तु कम्मजीधरने अपने प्राकृत व्याकरणमें अर्ध-मागधीका लक्षण भिन्न किया है—'महाराष्ट्री मित्रा अर्ध मागधी, अथान् महाराष्ट्रीसे मिश्रित मागधी भाषा ही अर्धमागधी है।' सम्भवतया यह लक्षण अर्ध मागधी पर महाराष्ट्रीका प्रभाव पडने के पश्चात् रचा गया है; क्योंकि श्वे० जैन सूत्रोंकी अर्धमागधी में इतर भाषाओंकी अपेक्षा महाराष्ट्रीके लक्षण अधिक देखनेमें आते हैं। परन्तु इस लक्षण से भी यही प्रकट होता है कि अन्य भाषाओंसे मिश्रित मागधीको ही अधामागधी कहते थे। अतः 'अर्धमागधी' में अर्ध शब्द मागधीके साथ समस्त है न कि मगध के साथ। मगध देशकी भाषा मागधी थी यह इतिहास सिद्ध है। आधे मगध देशकी भाषा उससे भिन्न कोई अन्य भाषा नहीं हो सकती जो अर्धमागधी कही जाती हो। फिर भी पं० हर-गोविन्द दास जीने जो अर्ध मगधकी भाषाको अर्ध मागधी कहा है, उसका कारण शायद यह हो कि विद्वानोंका कहना है कि श्वे० जैन सूत्रोंकी भाषामें मागधीके लक्षण अधिक न मिलनेसे वह अर्धमागधी कहलानेके योग्य नहीं है। यह आपत्ति इसी बातको दृष्टिमें रखकर उठाई जाती है कि मागधीसे अर्धमागधी उत्पन्न हुई है। इसीके वचावके लिये शायद पण्डितजीने अर्धमागधीका अर्थ आधे मगधकी भाषा

किया है। मगर इस परिभाषासे भी उक्त आपत्तिका परिहार नहीं होता—क्योंकि जब मगधकी भाषा मागधी थी तो आधे मगधकी भाषा उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकती। दूसरे, श्वेताम्बरीय आगम सूत्रों पर महाराष्ट्रीका गहरा प्रभाव परिलक्षित होनेका कारण यह है कि महावीर निर्वाणसे ९८० वर्ष पश्चात् बलभीमें उनका संकलन, सम्पादन और लेखन हुआ तथा तबसे उनके संशोधन, सवर्द्धन, संरक्षा, पठन पाठन लेखन आदि का कार्य गुजरात और काठियावाड़में ही होता रहा। फिर भी अरोग, उदही, लोगालोगे, आदि शब्द उक्त आगमोंके किसी भी पृष्ठमें देखे जा सकते हैं, जो अर्ध मागधीके महाराष्ट्री चित्र मूल आधारके सूचक हैं।

(अतः अर्धमागधी एक ऐसी भाषा थी जो मागधी तथा अन्य प्रान्तोंकी भाषाओंके मेलसे निष्पन्न हुई थी। उसीको भगवान् महावीरने अपने उपदेशका माध्यम बनाया था। उसे सभी श्रोता सरलतासे समझ सकते थे।

महावीर भगवान् के गणधर

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर साहित्यमें महावीर भगवान्के ग्यारह गणधर बतलाये हैं। उनमें प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम थे। शेष गणधरोंमेंसे कुल्लके नामोंमें अन्तर पाया जाता है। (आचार्य गुणभद्रने अपने उत्तर पुराणमें ग्यारह गणधरोंके नाम इस प्रकार बतलाये हैं—इन्द्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्मा, मौर्य, मीन्द्र, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्धवेल या अन्वचेल, और प्रभास (पर्व २४, श्लो० ३७३-३७४)) (श्वेताम्बर साहित्य में उनके नाम इस प्रकार पाये जाते हैं—इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडिक (त), मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचल आता, मेतार्य और प्रभास) इन ग्यारह गणधरोंमेंसे दिगम्बर

साहित्यसे केवल एक इन्द्रभूतिके सम्बन्धमे ही थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है। शेष गणधरोंके विषयमे कुछ भी ज्ञात नहीं होता।

(श्वेताम्बरीय आगमोंसे भी गणधरोंके विषयमे स्वल्प ही जानकारी प्राप्त होती है। यथा समवायाग सूत्र ११ मे ग्यारह गणधरोंके नाम बताये हैं, सम० सू० ७४ मे अग्निभूतिकी आयु ७४ वष वतलाई है, सम० सू० ७८ में अकम्पित गणधरका आयु ७८ वर्ष वतलाई है। सम० सू० ९२ मे इन्द्रभूतिकी आयु ९२ वष वतलाई है। कल्पसूत्र की स्थविरावलीमें कहा है कि भगवान महावीरके नौ गण और ग्यारह गणधर थे। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कल्पसूत्रमे ग्यारह गणधरोंके नाम गोत्र और प्रत्येक के शिष्योंकी संख्या वतलाई है। गणधरोंकी योग्यताके विषयमे लिखा है कि सभी गणधर द्वादशांग और चतुदश पूर्वके धारी थे। तथा सभी राजगृहसे मुक्त हुए। उनमें भी इन्द्र भूति और सुधर्माके सिवाय शेष नौ गणधर भगवान महावीरके रहते हुए ही मुक्त हुए। उक्त स्थविरावलीमे यह भी लिखा है कि आज जो श्रमणसंघ पाया जाता है वह सुधर्माकी परम्परामें है। शेष गणधर निस्सन्तान ही मुक्त हुए—उनकी शिष्य परम्पराका अभाव है।)

इन्द्रभूतिके विषयमें धवलामें लिखा है—(उनका गोत्र गौतम था, वर्ण ब्राह्मण था, चारो वेद और छहो वेदांगोंमें वह पारंगत थे तथा शीलवान और ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ थे। जीव-अजीव विषयक सन्देहको दूर करनेके लिये महावीर स्वामीके पादमूलमें उपस्थित

१. 'गोत्तेण गोदमो विप्पो चाउव्वेय सडंगवि । णामेण इदभूदिच्चि सीलव बह्मणुत्तमो ॥६१॥' — षट्ख, पु० १, पृ० ६५।

हुए थे। महावीरका शिष्यत्व स्वीकार करने पर उनके प्रधान गणधर पद पर अधिष्ठित होनेके बादकी दशाका वर्णन करते हुए लिखा है— वह मति श्रुत अविधि और मनःपर्यय नामक चार निर्मल ज्ञानोसे सम्पन्न थे। उन्होंने दीप्त, उग्र और तप्त तपको तपा था। वे अणिमा आदि आठ प्रकारकी विक्रिया ऋद्धिसे भूषित थे। सर्वार्थसिद्धिके निवासी देवोंसे अनन्तगुण बलशाली थे। एक मुहूर्तमें द्वादशागके अर्थचिन्तनमें और पाठ करनेमें समर्थ थे। वे अपने पाणिपात्रमे दी गई खीरको अमृत रूपसे परिवर्तित करनेमे तथा अक्षय बनाने में समर्थ थे। उन्हें आहार और स्थान सम्बन्धी अक्षीण ऋद्धि प्राप्त थी। वे सर्वाविधि ज्ञानी और उत्कृष्ट विपुल मति मन पर्यय-ज्ञानी थे। सात प्रकारके भयसे रहित थे। उन्होंने चारो कषायोको नष्ट कर दिया था। पाँचों इन्द्रियोंको जीत लिया था। मन वचन और कायरूप तीन दण्डोंको भग्न कर दिया था। आठ मदोंको नष्ट कर दिया था। सदा दस धर्मोंका पालन करनेमें वह तत्पर रहते थे। पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप अष्ट प्रवचन माताओं का पालन करते थे। बाईस परीपहोके विजेता थे। सत्य ही उनका अलंकार था।

(श्वे० भगवती सूत्र (१-१७) में इन्द्रभूतिके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—उस समय श्रमण भगवान् महावीरका प्रधान शिष्य इन्द्रभूति नामक अनगार था। उसका गोत्रगौतम था, सात हाथ ऊँचा था, सम-चतुरस्र सस्थान तथा वज्रवृषभनाराच संहननका धारी था, कसौटी पर अकित सुवर्णकी रेखाके तथा कमलकी केसरके समान गौर वर्ण था। उग्र दीप्त, नप्त और महातपका आचरण करनेवाला था। घोर तपस्वी और घोर ब्रह्मचर्यका पालक था, शरीरके संस्कारोंसे दूर रहता था, तेजोलेश्याका धारक था, चौदह पूर्वोंका ज्ञाता और चार ज्ञान

से सम्पन्न था तथा सर्वाक्षर सन्निपाती-श्रुतके समस्त अक्षराका वेत्ता था ।^{१)}

भग० सू० (१४-७-५५१) से यह भी प्रकट होता है कि गौतम का भगवान महावीरके प्रति दृढ़ अनुराग था तथा उन दोनोंका पूर्व जन्मका सम्बन्ध था—आदि ।

इस तरह दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आगमोंसे इन्द्रभूति गौतम गणधरके सम्बन्धमे ही विशेष जानकारी मिलती है । उसके पश्चात् यदि किसी गणधरके सम्बन्धमें कुछ मिलता है तो वह हैं सुधर्मा । दिगम्बर परम्परामें भगवान महावीरकी शिष्य परम्परा को लिये हुए जितनी पट्टावलियाँ मिलती हैं उनमें इन्द्रभूतिके पश्चात् सुधर्माका नाम मिलता है । सुधर्मा का ही दूसरा नाम लोहार्य अथवा लोहार्यका दूसरा नाम सुधर्मा था । सुधर्माके पश्चात् जम्बूका नाम आता है । दिगम्बर परम्पराके अनुसार इन्द्रभूतिसे ही सुधर्माको अंग और पूर्वका ज्ञान प्राप्त हुआ था । इस तरह दिगम्बर परम्परामें सुधर्माका नाम तो इन्द्रभूतिके पश्चात् आता है किन्तु उनके सम्बन्धमें अन्य कोई निर्देश नहीं मिलता । श्वेता० आगमोंसे भी सुधर्माके सम्बन्धमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती । केवल इतना ही निर्देश मिलता है कि जम्बूके प्रश्न के उत्तरमें सुधर्माने अमुक आगमका व्याख्यान किया ।

१—'तेण्ण ऽव लोहज्जस्स य लोहज्जेण सुधम्मणामेण ।

गणधर सुधम्मणा खलु जम्बूणामस्स णिदिट्ठं ॥ १० ॥

—ज० प० ।

२—क० पा०, भा० १, पृ० ८४ ।

इस तरह भगवानके गणधरोके विषयमें प्राचीन दिगम्बर साहित्य तथा श्वेताम्बर आगमोंसे इतनी जानकारी मिलती है। किन्तु आवश्यक निर्युक्तिमें एक गाथाके^३ द्वारा ग्यारह गणधरोके संशयोंका निर्देश किया गया है। इन संशयोंको दूर करनेके लिये ही वे ग्यारह व्यक्ति भगवान महावीरके समवसरणमें गये थे और संशय दूर होते ही उनके पादमूलमें जिन दीक्षा धारण करके महावीर भगवानके शिष्य तथा गणधर बन गये थे। वे ग्यारह संशय इस प्रकार थे—

- १ जीव है कि नहीं ?
- २ कर्म है कि नहीं ?
- ३ शरीर ही जीव है या इससे भिन्न है ?
- ४ भूत-पृथिवी जल आदि है या नहीं ?
- ५ इस भवमें जीव जैसा होता है परभवमे वैसा होता है कि नहीं ?
- ६ बंध-मोक्ष है कि नहीं ?
- ७ देव हैं कि नहीं ?
- ८ नारकी हैं कि नहीं ?
- ९ पुण्य पाप है कि नहीं ?
- १० परलोक है कि नहीं ?
- ११ निर्वाण है कि नहीं ?

३—जीवे कम्मे तज्जीव भूय तारिसय बधमोक्खे य ।

देवा शेरइय या पुण्यो परलोय णिब्बायो ॥ ५६६ ॥

—आव० नि० ।

क्या पार्श्व और महावीरके धर्ममें भेद था ?

पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालने हुए चौद्ध तथा श्वेताम्बरकी साहित्यिक आभासमें यह चलताया है कि पार्श्वनाथका धर्म चतुर्थीय रूप था। उसमें संशोधन करके भगवान महावीरने उसे पद्म महाजनक रूप दिया। उत्तराध्ययन सूत्रके प्रसिद्ध देशीनाथम संशोधन भी उसकी चर्चा है। पार्श्वनाथकी परंपराके आचार्य देशी और वर्तमान महावीरके प्रधान शिष्य गौतम दोनो धावन्तीके एक उपासक मिलने हे। देशी गौतमसे पण्डित^१ है कि पार्श्वनाथका धर्म चतुर्थीय और 'चान्तरात्तर' है और महावीरका धर्म पद्म महाजनक रूप तथा अर्चनक है। इस अन्तरका क्या कारण है।

प्रायः उल्लेखमयाने इस सवाइको एक ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार किया है और अभीपर से यह निष्कर्ष निकाला है कि महावीर ने पार्श्वनाथके धर्ममें सुधार किया था। प्रकृत विषय पर प्रकाश डालनेके लिये हमें जैन साहित्यका आलोचन करना होगा।

जहाँ तक हम जानते हैं कि पार्श्व और महावीरके धर्ममें उक्त भेदकी चर्चाका दिगम्बर जैन साहित्यमें कोई संकेत तक नहीं

१—'चाडजामो य जो धम्मो, जो इमो पच सिक्किण्णो ।

देमिण्णो वट्टमारोण्य पाहेण य महामुणी ॥ १२ ॥

अचेलगो य जो धम्मो जो इमो संतवत्तरो ।

एगकजपवन्नाण विसेसे किं नु कारणम् ॥ १३ ॥'

है। किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर तथा शेष वाईस तीर्थङ्करोंके धर्ममें अन्तर होनेका निर्देश दिगम्बर साहित्यमें भी मिलता है। (मूलाचार्य^१ में जो दिगम्बर परम्पराका मान्य प्राचीन आचार ग्रन्थ है, लिखा है कि दूसरे अजितनाथ तीर्थङ्कर से लेकर तेईसवें पार्श्वनाथ पर्यंत वाईस तीर्थङ्करोंने सामायिक संयमका उपदेश दिया था। किन्तु प्रथम ऋषभ और अन्तिम महावीर तीर्थङ्करने छेदोपस्थापना संयमका भी उपदेश दिया था। इसी ग्रन्थमें आगे और लिखा है—प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर का धर्म प्रतिक्रमण सहित था अर्थात् दोष लगे या न लगे, किन्तु उसकी विशुद्धिके लिये प्रतिक्रमण करना आवश्यक था। किन्तु मध्यके वाईस तीर्थङ्करोंके धर्ममें अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करनेका विधान था।)

इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि पार्श्व और महावीरके धर्ममें थोडा अन्तर अवश्य था। पार्श्वनाथने सामायिक, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यात रूप चार ही चारित्र्योंका विधान किया था तथा उनके धर्ममें साधुके लिये प्रतिक्रमण करना जरूरी नहीं था—दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण किया जाता था। किन्तु महावीरने छेदोपस्थापनाका विधान करके चारकी जगह पाँच चारित्र्योंका विधान किया और अपराध हो या न हो, साधु के लिये प्रतिक्रमण करना अनिवार्य कर दिया।

१—'त्रावीस यतित्थयरा सामायियसजम उवदिसंति ।

छेदुवड्ढावणिय पुण भयव उसहा य वीरो य ॥ ३६ ॥

२— सपडिकम्मो घम्मो पुरिमस्स य पच्चिम्मस्य य जिणस्स ।

अवराहे पडिकमण मज्झिमयाण जिणवराण ॥ १२६ ॥

इस तरह पार्श्वनाथके धर्ममें चार चारित्रोंका विधान तो ढिगम्बर साहित्यमें भी मिलता है और यह भी मिलता है कि उसमें एककी वृद्धि करके महावीर स्वामीने उनकी संख्या पाँच कर दी थी। किन्तु चतुर्यमका निर्देश नहीं मिलता। हाँ, अकलंकदेव के तत्त्वाश्रैवातिक में (अ० १, सू० ७) निर्देशादि का विधान करते हुए चारित्रके चार भेद भी बतलाये हैं—'चतुर्धा चतुर्यमभेदात् । चार यमोके भेदसे चारित्रके चार भेद हैं। तथा सामायिक आदिकी अपेक्षा पाँच भेद हैं। यहाँ चतुर्यम तथोक्त चतुर्याम के लिये आया हो, ऐसा प्रतीत होता है।)

जैनाचारके अनुसार निर्ग्रन्थ जैन साधु मुनिदीक्षा लेते समय सामायिक संयमको ही धारण करता है—'समस्त पाप कार्योंका मैं त्याग करता हूँ इस प्रकार एक यमरूपसे व्रत धारण करने का नाम सामायिक' है और उसी एक यमरूप व्रतके भेद करके पाँच यमरूपसे धारण करनेका नाम छेदोपस्थापना है। सामायिक समय में दूषण लगा लेने पर छेदोपस्थापना चारित्र धारण कराया जाता है।

मध्यके बाईस तीर्थङ्करोंके द्वारा छेदोपस्थापना तथा अनिवार्य प्रतिक्रमणका विधान न करने और प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर

१—'सगहिय सयलसजममेयज मणुत्तरं दुरवगम्म ।

जीवो समुव्वहतो सामाइयसजमा होई ॥ १८७ ॥

—पट् ख०, पु० १, पृ० ३७२ ।

२—छेदूणय परियाय पोराणे जो ठवेइ अप्पाण ।

पचजमे धम्मे सो छेदोव्वट्ठावओ जीवो ॥ १८८ ॥

—पट् ख० पु० १, पृ० ३७२ ।

के द्वारा उनका विधान करने का कारण बतलाते हुए मूलाचार^१ में लिखा है कि—प्रथम तीर्थङ्करके शिष्य सरल स्वभावी किन्तु जड़-बुद्धि थे। बारम्बार समझाने पर भी शास्त्रका मर्म नहीं समझ पाते थे और अन्तिम तीर्थङ्कर के शिष्य कुटिल और जडमति थे। अतः वे योग्य अयोग्यको नहीं समझते थे। किन्तु मध्यके बाईस तीर्थङ्करोंके शिष्य दृढ़ बुद्धि, एकाग्रमन और प्रोक्षापूर्वकारी होते थे। इसीलिये उनके नियमोंमें अन्तर था।

उत्तराध्ययने^२ में भी गौतमने पार्श्व और महावीरके धर्ममें उक्त अन्तर होनेका कारण उनकी शिष्य परम्पराकी प्रवृत्ति और मानसको ही बतलाया है। (साराश यह है कि पार्श्वनाथकी परम्पराके निर्ग्रन्थ सरलमति और समझदार होते थे, इसलिये अधिक विस्तार न करने पर भी वे यथार्थ आशयको समझ कर ठीक रीतिसे व्रतका पालन करते थे। किन्तु महावीरकी परम्पराके निर्ग्रन्थ कुटिल और नासमझ थे। इसलिये महावीर-

१—‘अदीए दुव्विसोधण णिहणे तह सुट्ठं दुरगुपाले य ।
पुरिमा पच्छिमा वि ह्नु कप्पाकप्पं ण जाणाति ॥ ३८ ॥
मज्झिमाया दिट्ठबुद्धी एयमगमणा अमोहं जक्खा य ।
तुम्हा ह्नु जमाचरति त गरहतावि सुज्झति ॥ ३९ ॥

—मूला०, ७ अ० ।

२—‘पुरिमा उज्जुज्झा उ वक्कज्झा य पच्छिमा ।
मज्झिमा उज्जुप्पन्ना उ तेण धम्मो दुहा कए ॥ २६ ॥
पुरिमाणं दुव्विसोज्झो उ चरिमाणं दुरगुपालओ ।
कप्पो मज्झिमगाणं तु सुविसुज्झो सुपालओ ॥ २७ ॥

—उत्तरा०, २३ अ० ।

ने परिग्रह त्याग व्रत मे सम्मिलित स्त्री त्याग व्रत को पृथक् करके व्रतोकी संख्या पाँच कर दी ।)

स्था० सू० (२६६) में कथित चतुर्याम का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने लिखा है—“मध्यके वाईस तीर्थङ्कर तथा विदेहस्थ तीर्थङ्कर चातुर्याम धर्म का तथा प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर पञ्चयाम धर्मका कथन शिष्योंकी अपेक्षासे करते हैं । वास्तवमें तो दोनों ही पञ्च पञ्च याम धर्मका ही प्रतिपादन करते हैं । किन्तु प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्करके तीर्थके साधु क्रमसे ऋजु जड और वक्रजड होते है अतः परिग्रह छोडने का उपदेश देने पर ‘परिग्रह त्याग मे मैथुन त्याग भी गर्भित है यह समझनेसे और समझकर उसका त्याग करनेमें असमर्थ होते है । किन्तु शेष तीर्थङ्करके तीर्थके साधु ऋजु और प्राज्ञ होनेके कारण तुरन्त समझ लेते हैं कि परिग्रहमे मैथुन भी सम्मिलित है क्योंकि विना ग्रहण किये स्त्रीको नहीं भोगा जा सकता ।

(अतः पार्श्वनाथ और महावीर के धर्म में जो अन्तर प्रतीत होता है वह सैद्धान्तिक नहीं है किन्तु अपने अपने समय के शिष्यों

१—टीका—‘इयं चेह भावना । मध्यम तीर्थङ्कराणां विदेहकानाञ्च चतुर्यामधर्मस्य पूर्वपश्चिमतीर्थकरयोश्च पञ्चयामधर्मस्य प्ररूपणा शिष्यापेक्षया । परमार्थतस्तु पञ्चयामस्यैवोभयेषामप्यसौ, यतः प्रथम पश्चिमतीर्थङ्करसाधवः ऋजुजडा वक्रजडाश्चेति तत्त्वादेव परिग्रहो वर्जनीय इत्युपदिष्टे मैथुनवर्जनमवबोद्धुं पालयितुं च न क्षमा । मध्यम विदेहजतीर्थसाधवस्तु ऋजुप्रागास्तद्वोद्धुं वर्जयितुं च क्षमा इति ।’

की स्थिति को देखकर थोड़ा सा फेरफार किया गया है ॥ अचेलक और सान्तरोत्तर धर्ममें भी वही दृष्टि परिलक्षित होती है । इसका विस्तृत विचार आगे संघभेदके प्रकरणमें किया जायगा, क्योंकि संघभेदमें वस्त्र ही प्रधान कारण बना ।

निर्वाण

७२ वर्षकी अवस्थामें बिहार प्रदेशके पटना जिलेके अन्तर्गत पावा नामक स्थानसे भगवान् महावीरने मुक्तिलाभ किया । उनके मुक्त होनेकी अवस्थाके सम्बन्धमें दिगम्बर और श्वेताम्बर कर्णानोंमें अन्तर पाया जाता है ।

श्वेताम्बरीय वर्णन के अनुसार भगवान् महावीरका उपदेश सुनने के लिए विभिन्न देशोंके राजा पावामे पधारे । भ० महावीर ने एकत्र जन समूहको छै दिन तक उपदेश दिया । सातवें दिन रात्रि के समय रात भर उपदेश दिया । जब रात्रि के पिछले पहर में सब श्रोता नींदमें थे, भ० महावीर पर्यङ्कासनसे शुक्ल ध्यानमें स्थित हो गये । जैसे ही दिन निकलने का समय हुआ, महावीर प्रभुने निर्वाण लाभ किया । जब मनुष्य जागे तो उन्होने देखा कि वीर प्रभु निर्वाण लाभ कर चुके हैं । उस समय गौतम गणधर के सिवाय उनके सभी शिष्य उपस्थित थे ।

१ — वासाण्णत्तीस पच्च य मासे य वीस दिवसे य ।

चउविह अण्णगारेहि य वारह दिण्णेहि (गण्णेहि) विहरित्ता ॥

पच्छा पावा ण्यरे कत्तिय मासस्स क्खिहच्चौद्दसिए ।

सादीए रत्तीए सेसरय छेतु णिन्वाओ ॥

—ज० ध०, भा० १, पृ० ८१ में उद्धृत ।

(दिगम्बरीय) उल्लेखके अनुसार, उनतीस वर्ष, पाँचमास और बीस दिन तक चार प्रकारके अनगारों और वारह गणों अर्थात् सभाश्रोके साथ विहार करके भगवान् महावीर पावामे पधारे और योग निरोधके द्वारा शेष चार अघाति कर्मोको भी नष्ट करके कार्तिक मासकी कृष्ण चतुर्दशीके दिन स्वाति नक्षत्रके रहते हुए रात्रिके समय निर्वाणको प्राप्त हुए।)

(श्वेताम्बरीय उल्लेखके अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को स्वाति नक्षत्रके रहते हुए रात्रिके पिछले पहरमें महावीर का निर्वाण हुआ। इस तरह दोनों मान्यताओंमें २४ घंटोका अथवा एक दिन रात का अन्तर है।)

वीरप्रभुका निर्वाण होनेके पश्चात् देवताओंने आकर मोक्ष कल्याणकका उत्सव मनाया और दीपोकी मालिका संजोई। उस समय उस दीपमालिकासे पावा नगरीका समस्त आकाश आलोकित हो उठा। काशी और कोशलके अट्टारह राजाओं, नौ लिच्छवियों और नौ मल्लोंने भी पावामें पधार कर दीप मालिकाका महोत्सव मनाया और कहा, क्योंकि केवल ज्ञान-रूपी प्रकाश आज अस्त हो गया अतः हमें भौतिक प्रकाश करना चाहिये। जैन साहित्यके उल्लेखानुसार भारत में कार्तिक कृष्ण अमावस्याके दिन प्रति वर्ष जो दीपावली महोत्सव मनाया जाता

१—'कत्तियमावसि सियमा समाइ भणिया जिणिदाण ॥ ३१० ॥

—अभि० रा०, पृ० २२६६।

२—ततस्तु लोकः प्रतिवर्षमादरात् प्रसिद्ध दीपालिकयाऽत्र भारते।
समुद्यतः पूजयितुं जिनेश्वर जिनेन्द्रनिर्वाणविभूतभक्तिभाक्।

—हरि० पु० ६६ सर्ग श्लो० २१

है, वह महावीर भगवान्के निर्वाणके उपलक्षमें ही प्रचलित हुआ था ।

महावीर निर्वाणका समय

महावीर भगवान्के निर्वाण समयको लेकर पुरातत्त्वज्ञोमे बहुत समयसे मतभेद चला आता है । यह मतभेद आधुनिक नहीं है । प्राचीन जैन साहित्यमें भी इस विषयको लेकर मतभेद पाया जाता है । उदाहरणके लिये प्राचीन दिग्म्बर जैन ग्रन्थ तिलोयपण्णति^१ में इस विषयके चार मतोंका निर्देश किया है । इन चारों मतोंमें वीर निर्वाणसे अमुक वर्षोंके पश्चात् शक राजाके होनेका निर्देश किया है । इसी तरह धवलाकार^२ वीरसेन

✓१— 'वीर जिणे सिद्धिगदे चउसद इगिसट्टिवास परिमाणे ।

कालम्मि अदिक्कते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥१४९६॥

अहवा वीरे सिद्धे सहस्सणवकम्मि सगसयम्भहिण ।

पण्णसीदम्मि अतीदे पण्णमासे सगण्णिओ जादो ॥१४९७॥

चोद्दससहस्स सगसय तेण उदीवासकालविच्छेदे ।

वीरेसरसिद्धीदो उप्पण्णो सगण्णिओ अहवा ॥१४९८॥

णिव्वाणे वीरजिणे छ्वाससदेसु पचवरिसेसु ।

पण्णमासेसु गदेसु सनादो सगण्णिओ अहवा' ॥१४९९॥

—ति० प०, अ० ४ ।

✓२— 'पचयमासा पच य वासा छ्चेव होंति वाससया ।

सगकालेण य सहिया थावेयव्वो तदो रासी' ॥ ४१ ॥

गुत्तिपयत्थ-भयाइ चोद्दस रयणाइ समइकताई ।

परिणिव्वुदे जिण्णिदे तो रज्ज सगणरिदस्स ॥ ४२ ॥

सत्त सहस्सा णवसद पचाणउदी सपचमासा य ।

अइकता वासाण जहया तहया सगुप्पत्ती ॥ ४३ ॥

—षट् ख०, पु० ९, पृ० १३२-१३३ ।

स्वामीने धवलामे भी तीन मतोंका निर्देश किया है जिनमेंसे दो मत त्रिलोकप्रज्ञप्तिके ही अनुरूप हैं। त्रि० प० में दत्त चतुर्थ मत के अनुसार तथा धवला के प्रथम मतानुसार वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात् शक राजा हुआ। श्री जिनसेनने अपने हरिवंश^१ पुराणमें (शक सम्वत् ७०५) तथा श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने (शक स० ९०५ के लगभग) अपने त्रिलोक-सार^२ में इसी मत को स्थान दिया है जिससे स्पष्ट है कि उन्हें यही मत मान्य था।

शकका यह समय ही शक् सम्वत्की प्रवृत्तिका काल है। इसका समर्थन श्वेताम्बराचार्य मेरुतुग की विचार श्रेणी में उद्धृत एक प्रार्थना^३ श्लोकसे होता है। उसमें बतलाया है कि महावीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष बाद इस भारतवर्षमें शक सम्वत्की प्रवृत्ति हुई।

शक सम्वत् और विक्रम सम्वत्में १३५ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध है। ६०५ वर्षमें से १३५ वर्ष घटानेसे ४७० वर्ष अव-

१—वर्षाणा षट्शतीं त्यक्त्वा पञ्चाग्रा मासपञ्चकम् ।

मुक्तिं गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत् ॥५५१॥

—ह० पु०, सर्गे ६० ।

२—पण्डुस्तयवस्स पणमासजुदं गमिय वीरणिब्बुद्धो ।

सगराजो तो कक्की चदुणव तियमहियसगमास ॥ ८५० ॥

—त्रि० सा० ।

३—‘श्री वीरनिवृत्तेर्वर्षे षड्भिः पञ्चोत्तरैः शतैः ।

शाकसम्बत्सरस्यैषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत्’ ॥

शिष्ट रहते हैं। यही वीर निर्वाणके बाद विक्रम सम्वत्की प्रवृत्ति का काल है। इस प्रकार जैन ग्रन्थोंके आधार पर भारतमें वर्तमानमें प्रचलित विक्रम सम्वत्के प्रारम्भसे ४७० वर्ष पहले तथा ईस्वी सन् से ५२७ वर्ष पहले वीर भगवान् का निर्माण हुआ था। दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके अनेक ग्रन्थोंके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है।

परन्तु प्रसिद्ध जैन इतिहासज्ञ स्व० डा० हर्मन जेकोबीने श्री हेमचन्द्राचार्यके एक उल्लेखसे प्रेरित होकर प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्में शका उपस्थित की थी। तत्पश्चात् जाल् चारपेन्टियर नामक एक विद्वानने इखिडियन एरिटक्वेरीके ४३ वे भागमें इस विषय पर एक विस्तृत निबन्ध लिखा था। उसमें उन्होंने डा० जेकोबीके मतका समर्थन और सम्पोषण करते हुए यह सिद्ध करनेका प्रथम प्रयास किया था कि महावीरका निर्वाण विक्रम सम्वत्से ४७० वर्ष पूर्व नहीं किन्तु ४१० वर्ष पूर्व हुआ था। अतः उन्होंने यह सुझाव दिया था कि परम्पराके अनुसार जो काल गणना की जाती है उसमें से ६० वर्ष कम कर देने चाहिये।

जाल् चारपेन्टियर के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे—

१—मेरुतुगाचार्य आदि ने विचारश्रेणि आदि ग्रन्थों में जो प्राचीन गाथाएँ दी हैं उनमें निर्दिष्ट राजाओं में कोई पारस्परिक

१—अपने लेखके नोटमें लेखकने महावीर निर्वाण पर लिखे गये लेखोंकी सूची इस प्रकार दी है—राईस, इ० ए० जि० ३, पृ० १५७। इ० थामस, जि० ८, पृ० ३०। पाठक, जि० १२, पृ० २१। और लिखा है कि जेकोबीके लेखके पश्चात् ये सब लेख स्वतः रद्द हो गये।

सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह महावीर के निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चात् जिस विक्रम राजाके होनेका उल्लेख है, उसका इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिये उन पुरानी गाथाओंमें जिस प्रकार काल गणना की गई है तथा जो राजाओंका राज्यकाल दिया है वह सब निमूल है।

२—बौद्ध साहित्यसे प्रकट है कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे तथा बौद्ध ग्रन्थोंके अनुसार बुद्धका निर्वाण ईस्वी सन् से ४७७ वर्ष पूर्व हुआ था। जनरल कनिंघम और मोक्षमूलरने भी इस समयको माना है। बुद्धकी अवस्था मृत्यु समय ८० वर्षकी थी। (यदि जैन गाथाओंके अनुसार महावीर का निर्वाण ई० स० पूर्व ५२७ वर्षमें हुआ होता तो उस समय बुद्धकी आयु केवल ३० वर्ष होनी चाहिये। परन्तु सब कोई मानते हैं कि ३६ वर्षकी उम्रसे पहले बुद्धको बोधिलाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थितिमें उनके अनुयायी उस समय कहाँसे हो सकते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि यदि महावीरका निर्वाण जैनोंकी मान्यताके अनुसार हुआ तो बुद्धके साथ उनकी समकालीनता कैसे बन सकती है।)

३—यह भी कहा जाता है कि महावीर और बुद्ध दोनों श्रेणिकके पुत्र अजातशत्रुके राज्यकालमें वर्तमान थे। ऐतिहासिक उल्लेखोंके अनुसार अजातशत्रु बुद्धके निर्वाणसे आठ वर्ष पूर्व राजगद्दी पर बैठा था और उसने ३२ वर्ष तक राज्य किया था। अब यदि उक्त जैन गाथाओंके अनुसार महावीरका निर्वाणकाल माना जाता है तो उक्त बात घटित नहीं होती। अतः या तो महावीरके निर्वाण कालको और इधर लाना चाहिये या बुद्धके निर्वाणसमयको पीछे ले जाना चाहिए। परन्तु बुद्धका

निर्वाणकाल तो ठीक गणनाके अनुसार है जब कि महावीर का निर्वाण काल अनुमानके आधार पर कल्पित है। अतः उसमें ६० वर्ष कम करना चाहिये।

इसके पश्चात् स्व० काशीप्रसाद जी जायसवालने विहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी के जर्नल मे (१९१५ सितम्बर) 'शैशुनाक और मौर्यकाल गणना' शीर्षकसे एक विद्वत्तापूर्ण निबन्ध लिखा। उसके अन्तमें उन्होंने महावीर और बुद्धके निर्वाण समयकी भी विद्वत्तापूर्वक विवेचनाकी तथा प्राचीन गाथाओं की गणनाको सप्रमाण सिद्ध करके जार्ज चार्लेन्टियरकी युक्तियों का निरसन किया। किन्तु उन्होंने भी १८ वर्षकी भूल बतला कर प्रचलित वीर निर्वाण सम्बन्धमें १८ वर्ष बढ़ानेका सुझाव दिया।

प्रचलित काल गणना पर प्रकाश डालनेके लिये यहाँ हम स्व० जायसवाल जीके मुद्दों^१ को भी दे देना उचित समझते हैं।

१—अगुत्तर निकायमें जो यह उल्लेख मिलता है कि जब महावीरका निर्वाण पावामें था तब बुद्ध जीवित थे, यह उल्लेख पूर्ण रूपसे मानने योग्य है। पहले किये गये ऊहापोहसे यह निष्कर्ष निकलता है कि चन्द्रगुप्त मौर्यके राज्यारोहणसे २१९ वर्ष पूर्व महावीरने निर्वाण पाया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त महावीर निर्वाणसे २१९ वर्ष पश्चात् और बुद्ध निर्वाण से २१८ वर्ष पश्चात् गद्दी पर बैठा। इस तरह जैनोंकी काल गणनाके अनुसार चन्द्रगुप्त ईस्वी सन्से ३२६ या ३२५ वर्ष पूर्व गद्दीपर बैठा। इसमें चन्द्रगुप्त

१—ये मुद्दे हम 'जै० सा० स०, खं० १, अ० ४ से साभार उद्धृत करते हैं। लेखक

के राज्यारोहणसे पहलेके २१८ वर्ष जोडनेसे (३२६+२१८) ईस्वी पूर्व ५४४ आता है। यही बुद्ध निर्वाणका समय है। सीलोन, बर्मा और स्यामकी दन्तकथाओके अनुसार भी बुद्ध निर्वाणका यही काल आता है।

२—डा० हार्नले सरस्वती गच्छ की पट्टावली की १८वीं गाथा के आधार पर विक्रम सम्बत्के प्रारम्भ काल ४७० वर्ष पश्चात् में १६ वर्ष बढ़ाते हैं। गाथाका अर्थ यह है कि विक्रम १६ वर्षकी उम्र तक गद्दी पर नहीं बैठा अर्थात् १७वें वर्षमे उसका राज्याभिषेक हुआ। इसका यह तात्पर्य हुआ कि महावीर निर्वाणके ४८७ वर्ष पश्चात् विक्रम गद्दी पर बैठा। इसका परिणाम यह निकला कि जैनोंने विक्रम सवत्के प्रथम वर्ष (ई० स० पूर्व ५८-५७) के अन्तमें और महावीर निर्वाणके पश्चात् ४७० वर्ष पूरा होनेके बीचमे १८ वर्षका अन्तर छोड़ दिया।

३—प्रद्योत के समयसे लेकर शक राज्य और विक्रम सम्बत् तककी जैन काल गणना नीचे अनुसार है—

(जिस रात्रिमें महावीरका निर्वाण हुआ उसी रात्रिमें पालक अवन्तीकी गद्दी पर बैठा। पालकके राज्यके ६० वर्षके पश्चात्

१—ज रयणि काल गओ अरिहा तित्थं करो महावीरो ।
त रयणि अवतिवई अहिसित्तो पालगो राया ॥ १ ॥
सद्धी पालगररणो पणवणण सय तु होइ नन्दाण ।
अट्टसय मुरियाण तास चिय पुस्तमित्तस्स ॥ २ ॥
बलमित्त-भाणुमित्ता सद्धी वरिसाणि चत्त नहवहने ।
तह गद्दभिह्लरज्ज तेरस वरिसा सगस्स चउ ॥ ३ ॥

—विचार श्रे० में उद्धृत ।

नन्दोके राज्यका काल १५५ वर्ष बतलाया है । पुराणोंके अनुसार नन्दवर्धनसे लेकर अन्तिम नन्द पर्यन्त १२३ वर्ष होते हैं । इतने वर्ष तक नन्दोंने राज्य किया । ३२ वर्ष जो अधिक हैं (१२३-३२-१५५) वे हमें उदायीके राज्यसे पहले अथवा दूसरे वर्षके आगे लाकर छोड़ देते हैं, अर्थात् पालक वंशकी तरह ध्यान खींचने लायक एक दूसरा काल उदायीके राज्यारोहण से प्रारम्भ होता है । किन्तु पुराणोंके अनुसार अज्ञात शत्रु के छठे वर्ष (पालकका राज्यारोहण काल) और उदायीके राज्याभिषेकके बीचमें अपनेको ६४ वर्षका अन्तराल छोड़ना चाहिए । जब कि जैन काल गणनाके अनुसार पालकका राज्य काल ६० वर्ष ही है । इस तरह चन्द्रगुप्तके समयमें पुनः ४ वर्ष अन्तर आता है । और इससे चन्द्रगुप्त महावीरके निर्वाणके २१५ अथवा २१६ वर्ष पश्चात् गद्दीपर बैठा । इस प्रकार जुदी जुदी तारीखें आती हैं । मौर्योंके राज्य कालको दो वर्षसमूहोंमें विभाजित कर दिया है — १०८ और ३० । उसमें १०८ वर्ष मौर्य वंशके हैं और ३० वर्ष पुष्यमित्रके हैं । उसके पश्चात् बलभित्र भानुमित्रके ६० वर्ष सम्मिलित किये हैं । इस गणनाके अनुसार हम महावीर निर्वाणके पश्चात् ४१३ वर्ष तक पहुँच जाते हैं । इसके पश्चात् ४० वर्ष नहपानका राज्य काल बतलाया है । उसके पश्चात् १३ वर्ष गर्दभिल्लके राज्यके हैं और ४ शक राजा के हैं इन सबका जोड़ ४७० होता है । यहाँ गाथाओंकी गणना समाप्त हो जाती है । विक्रम संवत् और इस गणनाका परस्पर सम्बन्ध मिलाने से ऊपर लिखे अनुसार १८ वर्ष का अन्तर आता है ।

हेमचन्द्राचार्यके द्वारा दत्त जिस काल गणनाको आधार मानकर जेकोवी तथा चार्पेन्टियरने प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत्में

६० वर्ष घटानेका मुक्ताव दिया था, उसे भूल भरा बतलाते हुए जायसवालने लिखा था कि हेमचन्द्रने अपनी कालगणनामें जो पालकके ६० वर्ष छोड़ दिये हैं यह उनकी एक मांटी भूल है; क्योंकि यदि हम प्रारम्भके ६० वर्षोंको छोड़ देते हैं तो चन्द्रगुप्त, स्थूलभद्र, सुबाहु और भद्रबाहुकी समकालीनतामें विरोध आता है और प्रो० जेकोबीने हेमचन्द्रकी इस भूल को अपनी गणनाका आधार बनाया है और ऐसा करनेमें पाली लेखोंमें आये हुए अशोकके भूलभरे समयका और उसके ऊपर बाँधी गई निर्वाण काल गणना का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है ।

(पाली लेखोंमें दिये हुए समयके ऊपर बाँधी गई गणनासे उन लेखोंमें लिखी हुई अशोकके अभिषेककी तारीख तथा पूर्व परम्परासे चली आती हुई तारीखके मध्यमें लगभग ६० वर्षका अन्तर है । हेमचन्द्राचार्यकी भूलसे जैन काल गणनामें भी ६० वर्ष छूट जानेसे इन दोनों गणनाओंकी एकता ने उक्त विद्वानोंके मतको बल दिया है । (परन्तु प्रद्योतका पुत्र पालक, जो अजातशत्रुका समकालीन था, महावीर निर्वाणके दिन गद्दी पर बैठा यह मानना स्वाभाविक और सप्रमाण है । हेमचन्द्राचार्यके कथनके अनुसार महावीर निर्वाणके पश्चात् तुरन्त ही नन्दवंशका राज्य शुरू हुआ, यह मान्यता एकदम भूलभरी और अप्रामाणिक है ।)

इस प्रकार प्रचलित निर्वाण सम्बन्धमें डा० याकोबी और जार्ज चार्पेन्टियरके द्वारा बतलाई गई ६० वर्षकी भूलको भ्रम पूर्ण बतलाते हुए स्व० जायसवालने १२ वर्ष बढ़ानेकी जो सम्मति दी उसका खुलासा इस प्रकार है—

(महावीरके निर्वाणसे गर्दभिल्ल तक ४७० वर्षका अन्तर जैन गाथाओंमें कहा है, जिसे दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो मानते हैं। किन्तु जैनोंके सरस्वती गच्छकी पट्टावलीमें विक्रम सम्वत् और विक्रम जन्ममें १८ वर्षका अन्तर माना है। यथा— 'वीरात् ४९२ विक्रम जन्मान्तर वर्ष २२ राज्यान्त वर्ष ४'। विक्रम विषयक गाथाकी भी यही ध्वनि है कि वह १७वें या १८वें वर्षमें सिंहासन पर बैठे। इससे सिद्ध है कि ४७० वर्ष जो वीर निर्वाणसे गर्दभिल्ल राजाके राज्यान्त तक माने जाते हैं वे विक्रमके जन्म तक हुए (४९२-२२ = ४७०)। अतः विक्रम जन्म (म० नि० ४७०) में १८ वर्ष और जोड़नेसे निर्वाणका वर्ष विक्रम सम्वत्से ४८८ वर्ष पूर्ण निकलता है। १८ वर्षका फर्क गर्दभिल्ल और विक्रम सम्वत्के बीच गणना छोड़ देनेसे उत्पन्न हुआ मालूम होता है'।

('यह याद रखनेकी बात है कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे। बौद्धोंके सूत्रोंमें लिखा है कि जब बुद्ध शाक्य भूमिकी ओर जाते थे तब उन्हे सूचना मिली कि पावामें महावीरका निर्वाण हो गया। बौद्ध लोग लंका, श्याम, वर्मा आदि स्थानोंमें बुद्ध निर्वाणके आज (वि० स० १९७१) ४५८ वर्ष बीते मानते हैं। सो प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्में १८ वर्ष जोड़ देनेसे यह मिलान खा जाता है कि महावीर बुद्धके पहले निर्वाणको प्राप्त हुए। नहीं तो, बुद्ध निर्वाणसे महावीरका निर्वाण १६-१७ वर्ष पहले सिद्ध होगा, जो प्राचीन सूत्रोंके कथनके विरुद्ध पड़ेगा'।)

स्व० जायसवालके उक्त मतका निरसन प० जुगलकिशोर जी मुख्तारने (अनेकान्त, वर्ष १, कि० १ में) विस्तारसे किया।

१—गुरुवार साहचर्यने अनेक ग्रन्थोंसे प्रमाण देकर यह प्रमाणित किया कि प्रचलित विक्रम सम्वत् विक्रमकी मृत्युका सम्वत् है जो वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद प्रारम्भ होता है और इसलिये वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमके राजा होनेकी जो बात कही जाती है और उसके आधार पर प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत् पर जो आपत्ति की जाती है, वह ठीक नहीं है ।

२—उसके सिवाय, नन्दिमंथकी एक पट्टावलीमें तथा विक्रम प्रबन्धमें भी जो यह लिखा है कि 'जिन कालसे (महावीरके निर्वाणसे) विक्रम जन्म ४७० वर्षके अन्तरको लिये हुए है' और दूसरी पट्टावलीमें जो आचार्योंके समयकी गणना विक्रमके राज्यारोहण कालसे उक्त जन्ममें १८ वर्षकी वृद्धि करके दी गई है वह सब उक्त शक कालको और उसके आधार पर बने हुए विक्रमकालको ठीक न समझनेका परिणाम है । ऐसी हालतमें कुछ जैन, अजैन तथा पश्चिमीय और पूर्विय विद्वानोंने पट्टावलियोंको लेकर जो प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत् पर यह आपत्ति की है कि उसकी वर्ष संख्यामें १८ वर्षकी कमी है जिसे पूरा किया जाना चाहिए वह समीचीन मालूम नहीं होती और इसलिये मान्य किये जानेके योग्य नहीं है ।)

३—साथ ही श्वेताम्बर भाइयोंने जो वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना है और जिसकी वजहसे

१—'सत्तरि चट्टमदजुत्तो निणकाला विक्रमो हवइ जम्मो ।'

२—'विक्रमरज्जारभा प (पु) रथो मिरिवीरनिञ्चुई भणिया ।

सुन्न मुणि^०-वेय^०जुत्तो विक्रमकालाउ निणकाले ।'

प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत्मे १८ वर्ष बढ़ानेकी भी कोई जरूरत नहीं रहती उसे क्यों न ठीक मान लिया जाये, इसका कोई समाधान नहीं होता ।

४—'इसके सिवाय जार्ल चार्पेन्टियरकी यह आपत्ति बराबर बनी ही रहती है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्षके बाद जिस विक्रम राजाका होना बतलाया जाता है उसका इतिहासमें कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है । परन्तु विक्रम सम्बत्को विक्रमकी मृत्युका सम्बत् मान लेने पर यह आपत्ति कायम नहीं रहती क्योंकि जार्ल चार्पेन्टियरने वीर निर्वाणसे ४१० वर्षके बाद विक्रम राजाका राज्यारम्भ होना इतिहाससे सिद्ध माना है और उसका राज्यकाल ६० वर्ष तक रहा है । इससे प्रचलित विक्रम सम्बत्को उसका मृत्यु सम्बत् माननेसे यही समय उसके राज्यारम्भका आता है । मालूम होता है जार्ल चार्पेन्टियरके सामने विक्रम सम्बत्के विषयमें विक्रमकी मृत्युका सम्बत् होनेकी कल्पना ही उपस्थित नहीं हुई और इसीलिये आपने वीर निर्वाणसे ४१० वर्षके बाद ही विक्रम सम्बत्का प्रचलित होना मान लिया और इस भूल तथा गल्तीके आधार पर ही प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत् पर यह आपत्ति कर डाली कि उसमें ६० वर्ष बढ़े हुए हैं इसलिए उसे ६० वर्ष पीछे हटाना चाहिये ।

(इस प्रकार मुख्तार साहबने अपने लेखमें एक ओर स्व० जायसवालके १८ वर्ष बढ़ानेके सुझावको और दूसरी ओर जार्ल चार्पेन्टियरके ६० वर्ष घटानेके सुझावको सदोष बतलाकर प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत्को ही ठीक ठहराया ।)

हम पहले लिख आए हैं कि श्री जायसवालने जार्ल चार्पेन्टियरके इस सुझावका कि प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत्मे ६० वर्ष अधिक

हैं, निरसन करते हुए हेमचन्द्राचार्यके भूलभरे उल्लेखको उमका आधार बतलाया था। मुन्नार साहबने भी जार्ज साहबके उक्त मतको अमान्य ठहराया किन्तु उन्होंने हेमचन्द्राचार्यके कथनको भूल भग न बतलाकर यह स्पष्ट किया कि जायसवाल साहबको ही उसे समझनेमें भूल हुई है। उमका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है—

मेरुतुंगकी विचार श्रेणीमें जो काल गणना दी है वह हम पीछे दे आये हैं उसमें महावीर निर्वाणसे ६० वर्ष तक पालक, १५५ वर्ष नन्द, १०८ वर्ष मौर्य, ३० वर्ष पुष्यमित्र, ६० वर्ष बलमित्र, भानुमित्र, ४० वर्ष नभोवाहन, १३ वर्ष गर्दभिल्ल तथा ४ वर्ष तक शकाका राज्य क्रमशः बतलाया है जिसका जोड़ ४७० वर्ष होता है। श्वेताम्बरोंमें यही काल गणना मानी जाती है।

परन्तु श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके 'परिशिष्ट पर्व' से ज्ञात होता है कि उज्जयिनीके राजा पालक का जो ६० वर्ष समय ऊपर बतलाया है उसी समय मगधके सिंहासन पर श्रेणिकका पुत्र कुणिक (अजातशत्रु) और कुणिकके पुत्र उदायीका राज्य क्रमशः रहा है। उदायीके निस्सन्तान मर जाने पर उसका राज्य नन्दको मिला। इसीसे परिशिष्ट पर्वमें श्री महावीर स्वामीके निर्वाणसे ६० वर्ष बाद नन्द राजाका होना लिखा है। इसके पश्चात् मौर्यवंशके प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्तका राज्यारम्भ बतलाते हुए वह श्लोक दिया है जिसे जार्ज चार्पेन्टियरने अपने निर्वाणका

✓ १—अदन्तर वर्धमान स्वामि निर्वाण वासरात् ।

गताया पष्ठिवत्सर्गामेप नन्दोऽभवन्वृषः ॥ ६-१४३ ॥

२—एव श्री महावीर मुक्तेर्वर्षशते गते ।

पचपचाशदधिके चन्द्रगुप्ताऽभवन्वृषः ॥ ८-३३६ ॥

मुख्य आधार माना गया है। उसमें बताया है कि महावीर निर्वाण से १५५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त राजा हुआ।

विचार श्रेणिकी गाथामें १५५ वर्षका समय केवल नन्दोंका बतलाया है और उसमें ६० वर्ष पहले पालकका समय दिया है। अतः उसके अनुसार चन्द्रगुप्तका राज्यारोहणकाल वीर निर्वाण से २१५ वर्ष बाद होता है। परन्तु हेमचन्द्रने १५५ वर्ष बाद बतलाया है। अतः ६० वर्षका अन्तर पडता है।

इस अन्तरको स्पष्ट करते हुए मुख्तार सा० ने लिखा है कि हेमचन्द्रने ६० वर्षकी यह कमी नन्दोंके राज्यकालमें की है, उनका राज्यकाल १५५ वर्ष बतलाया है, क्योंकि नन्दोंसे पहले उनके और वीर निर्वाणके बीचमें ६० वर्षका समय उन्होंने कुणिक आदि राजाओंका माना ही है। ऐसा मालूम होता है कि पहले से वीरनिर्वाणके बाद १५५ वर्षके भीतर नन्दोंका होना माना जाता था, परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि वीरनिर्वाणके ठीक बाद नन्दोंका राज्य प्रारम्भ हुआ। बल्कि उससे पहले उदायी तथा कुणिकका राज्य भी उसमें शामिल था। परन्तु पीछेसे १५५ वर्षकी गणना अकेले नन्दोंके लिए रूढ़ हो गई और उधर पालक राजाके अभिषिक्त होनेकी घटना उसके साथ जुड़ जानेसे काल गणनामें ६० वर्षकी वृद्धि हुई और उसके फलस्वरूप वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना जाने लगा। हेमचन्द्राचार्यने दो श्लोकोसे उक्त भूलका सुधार कर दिया। चन्द्रगुप्तके राज्यारोहण समयकी वर्ष संख्या १५५ में आगेके ५५ वर्ष ($१०८ + ३० + ६० + १३ + ४ = २५५$) जोड़ देनेसे ४१० होते हैं। यही वीर निर्वाणसे विक्रमका राज्यारोहण काल है। परन्तु महावीर निर्वाण और राज्यारोहण काल ४१० में राज्यकालके ६०

वर्ष भी सम्मिलित कर लिये जावें । ऐसा किए जाने पर विक्रम सम्वत् विक्रम मृत्युका संवत् हो जाता है और फिर सारा भगंडा मिट जाता है । अनेका०, वर्ष १, कि० १. पृ० २१-२२) ।

(इस तरह सुख्तार साहवने जैन काल गणनाके आधार पर प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्को ही ठीक प्रमाणित किया । तत्पश्चात् मुनि कल्याण विजय जीने भी वीर निर्वाण सम्वत् और जैनकाल गणना शीर्षक एक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखकर प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्को ही ठीक प्रमाणित किया था ।

सन् १९४१ मे मैसूर राज्यके आस्थान विद्वान् पं० ए० शान्ति राज' जी शास्त्रीने प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत् पर आपत्ति की । आपकी आपत्तिका मुख्य आधार था त्रिलोकसारकी गाथा ८५०, जिसमे वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास बाद शकराजाकी उत्पत्ति बतलाई है । पं० जीका कहना था कि उक्त गाथामे प्रयुक्त हुए 'सगराजो'—शकराजः शब्दका अर्थ पुरातन विद्वानो द्वारा विक्रम ग्रहण किया गया है अतएव वही अर्थ ग्राह्य है । अपने इस कथनके प्रमाणमे आपने त्रिलोकसारकी माधवचन्द्र कृत संस्कृत टीकाको उपस्थित किया था । उसमें टीकाकारने शक राजका अर्थ विक्रमांक (—मार्क) शकराज किया है । अतः शास्त्री जीने विक्रम सम्वत् ६०५ वर्ष पूर्वा वीरका निवाण माननेका सलाह दी थी । किन्तु टीकाकारने यदि 'भ्रमवश' शकका अर्थ विक्रम शक कर दिया हो तो उसे किसी निर्णयका आधार नहीं बनाया जा सकता । अन्य किसी भी ग्रन्थकारने उक्त शक कालको विक्रमका काल नहीं माना । त्रिलोकसारके पूर्ववर्ती धवला टीकामे वीरसेन स्वामी

ने स्पष्ट लिखा है कि ६८३ वर्षों से १७ वर्ष ७ मास कम करने पर पाँच मास अधिक ६०५ वर्ष होते हैं। वह वीर जिनेन्द्रके निर्वाण प्राप्त होनेके दिनसे लेकर शककालके प्रारम्भ होने तकका काल है। इस कालमें शक नरेन्द्रका काल जोड़ देने पर वर्धमान जिनके मुक्त होनेका काल आता है। अपने इस कथनके समर्थन में वीरसेन स्वामीने एक प्राचीन गाथा भी उद्धृत की है। उसका भी यही अभिप्राय है कि शककालमें ६०५ वर्ष ५ मास जोड़ देनेसे वीरजिनेन्द्रका निर्वाणकाल आ जाता है।

(तिलोय प० और हरिवंश पुराणमें भी महावीर निर्वाण और शकराजाका अन्तरकाल ६०५ वर्ष ५ मास बतलाते हुए शकको 'विक्रमार्क' नहीं कहा। अतः उक्त गाथामें आगत शकगज शब्दसे विक्रम सवतका निर्देश नहीं लिया जा सकता इण्डि० ए० जि० १२में स्व० के० वी० पाठकने भी वीरनिर्वाण सम्बत् सम्बन्धी अपने लेखमें त्रिलोकसारकी टीकाकी भूलकी चर्चा की थी और टीकाकारोंके द्वारा भूल किये जानेके एक दो उदाहरण भी दिये थे। आपने लिखा था—'त्रिलोकसारमें—'पण छस्सयवस्स पणमास जुद गमिय वीरणिन्वुइदो। सगराजो।' के टीकाकार माघवचन्द्रने शकराजाका अर्थ 'विक्रमाङ्क शकराज' किया है। मूल ग्रन्थमें इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। देशी टीकाकारोंसे इस तरहकी भूलें हुई हैं। उदाहरणके लिए—माघनन्द श्रावकाचारकी प्रशस्तिको रखा जा सकता है। इसकी प्रशस्तिकमें बतलाया है कि वीर नि० स० १७८० में प्रधावी संवत्सरमें ज्येष्ठ

✓१—'पंच य मासा पंच य वासा छुच्चेव होति वाससया ।

सगकालेण य सहिया यावेयवो तदो रासी ॥ ४१ ॥

—षट ख०, पु० ६ पृ० १३२ ।

शुक्लापंचमीके दिन यह ग्रन्थ पूजा के लिये स्थापित किया गया। उसमें यह भी लिखा है कि वीरनिर्वाण के ६०५ वर्ष बीतने पर शक राजा हुआ। अतः १७८० में से ६०५ वर्ष घटाने पर ११७५ शेष बचते हैं। प्रधावी संवत्सर शकसं० ११७५ में ही पड़ता है। अतः प्रधावी संवत्सर में—शक सं० ११७५ में वीरनिर्वाणको हुए १७८० वर्ष बीते थे। अतः शक सम्वत्से ६०५ वर्ष पूर्ण वीरनिर्वाण हुआ यह सिद्ध है। किन्तु प्रशस्तिकी कनड़ी टोकामे वीरनिर्वाणसे ६८३ वर्ष तककी आचार्य परम्परा बतलाकर लिखा है—‘आचारांग पाठी आचार्योंसे लेकर प्रधावी संवत्सरकी जेष्ठ शुक्ला पंचमी तक—जब ग्रन्थ पूजा के लिए स्थापित किया गया—१०६७ वर्ष हुए। अतः १०६७+६८३ जोड़नेसे १७५० होते हैं। आगे लिखा है कि वीर स्वामी का निर्वाण सम्वत् १६२२० प्रवर्तित है। और यह भी लिखा है कि वीर जिनके मोक्षसे ६०५ वर्ष ५ मास बाद शक राजा हुआ’।

यहाँ गलती हुई है और वह यह हुई है कि वीर प्रभुके तीर्थ काल २१००० मेंसे १७५० को घटाकर शेष १६२२० को निर्वाण काल मान लिया है। अतः ऐसी भूलोंके आधार पर ऐतिहासिक निर्णय नहीं किए जा सकते।

माघनन्दि श्रावकाचारकी प्रशस्तिके उक्त उल्लेखसे यह भी प्रमाणित होता है कि लगभग सात सौ वर्षों पूर्ण शक सम्वत्से ६०५ वर्ष पूर्ण ही वीर निर्वाण सम्वत् माना जाता था। अतः प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्की मान्यताके पीछे सात सौ वर्षोंकी परम्पराका उल्लेख भी उसकी प्रामाणिकताकी ही पुष्टि करता है।

अब भगवान् महावीरके समकालीन व्यक्तियों तथा कतिपय अन्य संकलनाओंकी दृष्टिसे प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत् पर विचार किया जाता है।

समकालीन व्यक्ति

(जैन तथा बौद्ध उल्लेखोंके अनुसार महात्मा बुद्ध, आजीविक सम्प्रदायके संस्थापक मन्खलि गोशाल, वैशाली नरेश चेटक । मगधराजा श्रेणिक या त्रिम्बसार और श्रेणिक पुत्र अभय और कुणिक या अजातशत्रु, ये इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति भगवान् महावीरके समकालीन थे । उनके सम्बन्धमें जैन उल्लेखों से नीचे लिखे तथ्य प्रकाशमें आते हैं—

लिच्छवि गण तंत्रके प्रमुख चेटकराजकी सबसे बड़ी पुत्री की कुत्तिसे महावीर का जन्म हुआ था और सबसे छोटी पुत्री चेलना राजा श्रेणिककी पटरानी और कुणिककी जननी थी ।

(जैन ग्रन्थकारोंके द्वारा निबद्ध श्रेणिक चरितके अनुसार श्रेणिकके पिताने श्रेणिकको अपने राज्यसे निकाल दिया था । मार्गमें एक ब्राह्मणका साथ होगया । उसकी बुद्धिमती पुत्रीसे श्रेणिकने विवाह किया । उससे अभयकुमार नामक पुत्र हुआ । पिताकी मृत्यु हो जानेके पश्चात् श्रेणिकको मगधका राज्य मिला, और बड़ा होने पर अभयकुमार राजमंत्री हुआ ।

अभय कुमारके मन्त्रित्वकालमें राजा श्रेणिक चेटककी सबसे छोटी पुत्री चेलना पर आसक्त हो गये और चेटकसे उसकी याचना की । चेटकके द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर अभयकुमार ने छलसे चेलना का हरण करके श्रेणिकके साथ उसका विवाह करा दिया । उस समय राजा श्रेणिक जैनेतर धर्मावलम्बी थे और

५१—वृ० क० को०, कथा ५५ ।

हरिश् चन्द्र ठेलिया

15. नवजीवन उपवन,

चेलना जैन थी । चेलनाके प्रयत्नसे ही राजा श्रेणिकने जैन धर्म धारण किया और भगवान महावीर की उपदेश सभा का प्रधान श्रोता बना ।

जब लगभग ४२ वर्षकी अवस्थामे महावीर भगवानको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और राजगृहीके बाहर स्थित विपुलाचल पर उनका पदार्पण हुआ उस समय राजगृहीमे राजा श्रेणिक चेलनाके साथ निवास करते थे ।

हरिषेणने अपने कथा कोशमे श्रेणिककी कथाके अन्तमे लिखा है कि जब चतुर्थ कालमें तीन वर्ष, आठ मास और सोलह दिन शेष रहे तब महावीर भगवानका निर्वाण हुआ तथा पचम कालके इतने ही दिन बीतने पर राजा श्रेणिक की मृत्यु हुई । अर्थात् भगवान महावीरके निर्वाणसे सात वर्ष पाँच मास पश्चात् श्रेणिककी मृत्यु हुई । किन्तु जैन और बौद्ध उल्लेखोंसे इसका समर्थन नहीं होता । यह सर्वविदित है कि कुणिकने बड़ा होने पर अपने पिता श्रेणिकको कारागारमे डाल दिया था और

१—“कथं कहिय ? सेणियराए सचेलणे महामडलिए सयलवसुहामडल भुंजते” । ज० घ०, भा० १, पृ० ७३

२—किन्तु अब सभी ऐतिहासिक अज्ञात शत्रु (कुणिक) पर लगाये गये इस इलजाम को झूठा मानते हैं । वह कई अशोमें बुद्धके प्रतिद्वन्दी देवदत्तको सहारा देता था इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया होगा ऐसा उनका कहना है । भा० इ० रू० पृ० ४६३ । वृ० क० को० में हरिषेणने भी इस घटना की चर्चा नहीं की है ।

वही उसकी मृत्यु हुई। श्रेणिककी मृत्युके पश्चात् कुणिकको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह चित्तकी शान्तिके लिये महावीर और बुद्धके पास गया।

ज्वेता० जैन सूत्रोमे महावीर भगवानके साथ श्रेणिक-विषयक जितने प्रसंग आये हैं, उनसे अधिक प्रसंग कुणिक सम्बन्धी मिलते हैं। उनमें यह भी लिखा है कि श्रेणिककी मृत्युके पश्चात् कुणिक और उसके भाई हल्ल विहल्लका आपसमें झगडा हुआ। हल्ल विहल्ल अपने नाना चेटकके पास चले गये। कुणिकने चेटकपर आक्रमण कर दिया और वैशालीको बरबाद कर दिया।

अथ गोशालकको लीजिये। भगवती सूत्रके १५ वें शतकमें उसका वर्णन विस्तारसे दिया है। उसके अनुसार जब गोशालकने क्रुद्ध होकर महावीर भगवान पर अपनी तेजो लेश्याका प्रयोग किया और कहा कि तू छ मासमें मर जायेगा, तब महावीरने उससे कहा— गोशाल, मैं अभी १६ वर्ष तक इस पृथ्वीपर विहार करूंगा। और तू अपनी तेजो लेश्यासे स्वयं ही जलकर सातवें दिन मर जायेगा। अर्थात् गोशालककी मृत्युसे १६ वर्ष बाद तक भगवान महावीर जीवित रहे।

मरनेसे पूर्व गोशालकने अपने शिष्योंको कुछ बातें बतलाई जिनमें मुख्य 'आठ चरिम' हैं। उन आठ चरिमोंमें एक 'महाशिला कटक' युद्ध भी है। अजातशत्रुका चेटकके साथ जो युद्ध हुआ था उसे ही 'महाशिला कटक' युद्ध कहा है। अतः गोशालककी मृत्युसे पहले यह युद्ध हो चुका था।

यह तो हुआ जैनग्रन्थोंसे प्राप्त भगवान महावीरके समकालीन इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तियोंका विवरण। अब बौद्ध साहित्यको लीजिये।

जैन ग्रन्थोंमें महावीरके समकालीन व्यक्तिके रूपमें बुद्धका संकेत तक भी नहीं मिलता। किन्तु बौद्ध त्रिपिटकोमें निगंठ नाटपुत्त—निग्रन्थ ज्ञातृ पुत्रका निर्देश तथा एक प्रबल प्रतिद्वन्दी के रूपमें विवरण बहुतायतसे मिलता है। जैसा कि हम पहले भी लिख आये हैं। अतः उससे यह स्पष्ट है, कि दोनों व्यक्ति समकालीन थे।

इसी तरह मगध राज बिम्बसार (श्रेणिक) और उसका पुत्र अजातशत्रु (कुणिक) भी बुद्धके समकालीन थे। बुद्धचर्या (पृ० ४१३) में लिखा है कि बुद्ध प्रवृजित होनेके पश्चात् राजगृहीमें आये। बिम्बसारने उनसे वहाँ ठहरनेकी प्रार्थना की किन्तु बुद्धने कहा मैं सत्यकी खोजमें हूँ। तथा बिम्बसारने उनसे प्रार्थना का कि बोधिलाभ होने पर राजगृही पधारना। तदनुसार जब बुद्धको बोधिलाभ हो गया तो वे राजगृही आये और बिम्बसार उनका उपासक बन गया। अर्थात् जब बुद्धने घर छोड़ा तब राजगृहीके सिंहासन पर श्रेणिक आसीन था। बुद्धके जीवन कालमें ही श्रेणिककी मृत्यु हुई और अजात शत्रुके राज्यके आठवें वर्षमें बुद्धका निर्वाण हुआ।

अब हम प्रचलित वीर निर्वाण सम्बन्धको सामने रखकर उक्त समकालीन व्यक्तियोंके उक्त घटना क्रमपर विचार करेंगे।

(पाठक जानते हैं कि सन् १६५६ की बैसाखी पूर्णिमाको विश्व भरमें महात्मा बुद्धकी २५०० वीं निर्वाण जयन्ती मनाई गई थी। तदनुसार (२५००-१६५६=५४४) बुद्धका निर्वाण ईस्वी पूर्व ५४४ में हुआ था। सिंहल आदि बौद्ध देशोंमें बुद्धके निर्वाण का यही काल माना जाता है। जैसे जैन परम्परामें महावीरका

निर्वाण ईस्वी पूर्व ५२७ में माना जाता है वैसे ही उक्त बौद्ध देशोंमें बुद्धका निर्वाण ईस्वी पूर्व ५४४ में माना जाता है। और जैसे महावीर निर्वाणके प्रचलित कालको लेकर विद्वानोंमें मतभेद चला आता है, वैसे ही प्रचलित उक्त बुद्ध निर्वाणके कालको लेकर विद्वानोंमें उससे भी अधिक मतभेद चला आता है। किन्तु जायसवालने बौद्ध अनुश्रुतिके प्रत्येक गोलमालको सुलझा कर ५४४ ई० पूर्वमें बुद्ध निर्वाणकी स्थापना की थी (ज० रा० ऐ० सो०, जि० १, पृ० ६७ आदि)। अतः हम परम्परासे प्रचलित उक्त दोनों निर्वाणकालोंको ही सामने रखकर उक्त समकालीन व्यक्तियोंके घटना क्रमपर विचार करेंगे।

बुद्ध की आयु ८० वर्ष थी और महावीरकी आयु ७२ वर्ष के करीब थी। चूंकि बुद्धका निर्वाण ईस्वी पूर्व ५४४ में हुआ अतः उनका जन्म ईस्वी पूर्व ६२४ में होना चाहिए। तथा चूंकि महावीरका निर्वाण ईस्वी पूर्व ५२७ में हुआ अतः उनका जन्म ईस्वी पूर्व ५९६ में होना चाहिए। इस तरह बुद्धसे महावीर करीब २५ वर्ष छोटे ठहरते हैं। बुद्धने करीब २६ वर्षकी अवस्थामें घर छोड़ा और लगभग ३६ वर्षकी अवस्थामें उन्हें बोधि लाभ हुआ। महावीरने ३० वर्षकी अवस्थामें घर छोड़ा और लगभग बयालीस वर्षकी अवस्थामें उन्हें केवल ज्ञान हुआ। अर्थात् प्रचलित निर्वाणकालके अनुसार बुद्धको ५८८ ईस्वी पूर्वमें बोधिलाभ हुआ और महावीरको ५५७ ईस्वी पूर्वमें बोधिलाभ हुआ। इस तरह बोधिलाभके पश्चात् वे दोनों महापुरुष लगभग १२-१३ वर्ष तक अपने अपने धर्मके शास्ताके रूपमें—प्रतिस्पर्धी के रूपमें साथ साथ विचरण करते रहे। बौद्ध पालि साहित्यमें निर्ग्रन्थ ज्ञात पुत्रके सम्बन्धमें जो उल्लेख मिलते हैं, १२ वर्षके

सुदीर्घकालमें उनका घटित होना जरा भी असंभव नहीं कहा जा सकता ।

हाँ, जब महावीर अपने धर्म प्रचारके क्षेत्रमें अवतरित हुए तब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे जब कि महावीर प्रौढवयमें पद्मार्पण कर चुके थे और इसलिए स्वभावतः उनमें कार्यक्षमता अधिक थी । बौद्ध पालि साहित्यमें महावीरका ही प्रबल प्रतिद्वन्दीके रूप में अधिक निर्देश मिलनेका यह भी एक कारण हो सकता है । अब इन महापुरुषोंके उक्त कालकी संगतिको अन्य समकालीन व्यक्तियोंके साथ भी मिलाकर देख लेना चाहिये ।

बौद्ध पाली साहित्यमें बुद्धके विरोधी छै शास्ताओमें मक्खलि गोशालका नाम भी आता है, जो महावीरका भी समकालीन था । (भगवती सूत्रके अनुसार गोशालकने महावीरके जिन होनेसे दो वर्ष पूर्व ही अपनेको 'जिन' घोषित कर दिया था और महावीरके निर्वाणसे १६ वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हुई । चूँकि महावीरको जिनत्वकी प्राप्ति ईस्वी पूर्व ५५७ में हुई, अतः गोशालक ईस्वी पूर्व ५५६ में 'जिन' हुआ और ईस्वी पूर्व ५४३ में उसकी मृत्यु हुई । अर्थात् बुद्धसे एक वर्ष पश्चात् उसका मरण हुआ । इस तरह 'जिन' होनेके पश्चात् गोशालक भी १५ वर्ष तक प्रतिद्वन्दीके रूपमें बुद्धके समकालमें विचरण करता रहा । अतः उसके कालकी संगति भी ठीक बैठ जाती है ।)

अब राजा श्रेणिक और तत्पुत्र अजातशत्रुको लीजिये । चूँकि बुद्धका निर्वाण ई० पूर्वं ५४४ में हुआ और उससे ८ वर्ष पूर्व अजातशत्रु मगधके राज्यासन पर बैठा । अतः ५५२ ई० पूर्णमें

अज्ञातशत्रु गद्दी पर बैठा और लगभग इसी समय श्रेणिककी मृत्यु हुई। चूँकि भगवान महावीरको केवलज्ञान ई० पूर्वा ५५७ में हुआ अतः श्रेणिक केवल ४-५ वर्ष तक ही भगवान महावीरके उपदेशोंसे लाभान्वित हो सका।

(ई० पूर्वा ५५२ में राज्यासन पर बैठते समय अज्ञातशत्रुकी आयु २३ वर्ष अवश्य होनी चाहिये, क्योंकि इतनी अवस्था हुए बिना पिताको कारागारमें डाल कर राज्यासनपर बैठनको हिम्मत नहीं हो सकती। अतः अज्ञातशत्रुका जन्म ई० पूर्वा ५७५ में होना चाहिए। और उससे कमसे कम एक वर्ष पूर्ण चलनाके साथ राजा श्रेणिकका विवाह होना चाहिए।)

राजा श्रेणिकके साथ चलनाका विवाह करानेमें श्रेणिक-पुत्र अभयकुमारका हाथ था और वह उस समय मगधका प्रधान मंत्री था। अतः उस समय उसकी आयु कमसे कम लगभग २४ वर्ष तो अवश्य होनी चाहिए। अतः कहना होगा कि भगवान महावीर और श्रेणिकपुत्र अभयकुमार लगभग समवसक थे।

अत यदि ईस्वी पूर्व ६०० के लगभग अभयकुमारने जन्म लिया हो तो उस समय श्रेणिककी आयु १८-१९ वर्षकी अवश्य

१-दीघनिकाय (सामञ्जसफलसुत्त) में अज्ञातशत्रुकी भगवान महावीरसे भेंट होनेके समय महावीरको 'अद्धगतो वयो'-अर्धगतवयु लिखा है। अज्ञातशत्रु पिताकी मृत्युके पश्चात् ही भेंटके लिये गया था। अत यदि वह ५५२ ई० पूर्वमें राज्यासनपर बैठा और उसके पश्चात् महावीर स्वामीके पास गया तो उस समय महावीर स्वामीकी अवस्था ५१-५२ के लगभग होना चाहिये। अतः दीघनिकायके इस उल्लेखकी सगति भी उक्त काल निर्णयके प्रकाशमें ठीक बैठती है।

होनी चाहिए । और इस तरह श्रेणिकका जन्म ईस्वी सन्से ६१६ वर्ष पूर्ण होना चाहिये ।

(महावंशमें लिखा है— विम्बसार और युवराज सिद्धार्थ (बुद्ध) परस्परमे मित्र थे । उन दोनोंकी तरह उनके पिता भी परस्परमे मित्र थे । बुद्ध विम्बसारसे ५ वर्ष बड़े थे । जब बुद्ध २६ वर्षके थे, उन्होंने ग्रह त्याग किया । ६ वर्षके पश्चात् बोधिलाभ करने पर ३५ वर्षकी अवस्थामे बुद्ध विम्बसारसे मिले । विम्बसार १५ वर्षकी अवस्थामे राज्यासन पर बैठे । जब विम्बसारको राज्य करते हुए १५ वर्ष बीत गये तो बुद्धने अपना धर्म प्रवर्तन प्रारम्भ किया । विम्बसारने ५२ वर्ष राज्य किया— १५ वर्ष बुद्धको बोधिलाभ होनेसे पूर्ण और ३७ वर्ष पश्चात्" ।)

जैन घटनाओंके आधार पर अनुमानित हमारे उक्त काल निर्णयके साथ महावंशका उक्त कथन भी बहुत अंशोमे मिल जाता है । (बुद्धका निर्वाण ५४४ ई० पूर्वमे माननेपर बुद्धका जन्म उससे ८० वर्ष पूर्व ६२४ ई० पूर्वमें होना चाहिए और चूँकि श्रेणिक उनसे ५ वर्ष छोटे थे, अतः श्रेणिकका जन्म ६१६ ई० पूर्वमे होना चाहिए, जैसाकि हमने ऊपर बतलाया है । चूँकि बुद्धका निर्वाण ५४४ ई० पूर्वमे हुआ और अजातशत्रु उससे ८४ वर्ष पूर्व मगधके राज सिंहासन पर बैठा । अतः श्रेणिकने ई० पूर्व ५५२ तक राज्य किया । महावंशके अनुसार श्रेणिक १५ वर्षकी अवस्थामें राजा हुआ और ५२ वर्ष उसने राज्य किया । इस कथनमें और श्रेणिक सम्बन्धी हमारी उक्त काल गणनामे केवल ४ वर्षका अन्तर पड़ता है । यदि श्रेणिकका जन्म ई० पूर्व ६१६ के स्थानमें ईस्वी पूर्व ६१५ मान लिया जाये तो १५ वर्षकी अवस्थामें उसका राज्यासन पर बैठना और ५२

वर्ष तक राज्य करना अक्षरशः प्रमाणित हो जाता है और उससे जैन शास्त्रोंमें वर्णित घटनाओंकी संगतिमें भी कोई अन्तर नहीं आता । किन्तु ऐसा करनेसे एक तो बुद्ध और श्रेणिकके बीचमें महावंशमे जो ५ वर्षका अन्तर बतलाया है उसमें ४ वर्षकी वृद्धि हो जाती है । दूसरे जैन ग्रन्थोंमें अभयकृमारकी उत्पत्ति के पश्चात् ही श्रेणिकको मगधके राज्यासनका स्वामी होना बतलाया है । अतः १५ वर्षकी उम्रसे पहले देश निकाला, विवाह, पुत्रोत्पत्ति आदि घटनाओंका घटना सुसंगत प्रतीत नहीं होता । उसमें चार वर्षकी वृद्धि करनेसे एक ओर महावंशका यह कथन कि बुद्धसे विम्बसार पाँच वर्ष छोटे थे, और दूसरी ओर जैन ग्रन्थोंमें वर्णित श्रेणिकके बाल-जीवनकी घटनाएँ सुसंगत बैठ जाती हैं ।)

अतः जैनोंमें परम्परासे प्रचलित वीर निर्वाण कालको और बौद्धोंमें परम्परासे प्रचलित बुद्ध निर्वाण कालको ही ठीक मान कर चलनेसे बुद्ध, महावीर, गोशालक, श्रेणिक, अभयकुमार और अजातशत्रु आदिकी समकालीनता तथा जैन और बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित घटनाओंकी संगति ठीक बैठ जाती है ।

उक्त घटनाओंके प्रकाशमें निर्धारित उक्त काल क्रमकी तालिका नीचे दी जाती है । साथमें तुलनाके लिये भी का० प्र० जायस-वाल और मुनि कल्याण विजय जीके मत भी दिये जाते ।

नाम	जन्म	बोधिताम	निर्वाण	जायसवाल	मुनि- कल्याणविजय
महावीर	५८६	५५७	५२७	महा० नि०	महा० नि०
	ई० पू०	ई० पू०	ई० पू०	५४५ ई०पू०	५२८ ई० पू०
बुद्ध	६०४	५८८	५४४	बु० नि०	बु० नि०
	ई० पू०	ई० पू०	ई० पू०	५४४ ई०पू०	५४४ ई०पू०

नाम	जन्म	बोधिलाभ	निर्वाण	जायसवाल	मुनि- कल्याणनिजय
गोशालक	x	५६६	५४३		
		ई० पू०	ई० पू०		
श्रेणिक	६१६	राजगद्दी	५५२	६०१-५५२	६०१-५५२
	ई० पू०	६००	ई० पू०	ई० पू०	ई० पू०
		ई० पू०		राज्यकाल	
अभयकुमार	६००	ई० पू०			
अजातशत्रु	५७५	५५०	५२०	५५२-५१८	५५२-५१८
	ई० पू०	ई० पू०	ई० पू०	राज्यकाल	

उक्त संगतिके साथ जो एक बड़ी विसंगति सामने आती है वह है बौद्ध पालि साहित्यमें बुद्धके जीवनकालमें महावीरका पावामें निर्वाण होनेका उल्लेख ।

मज्झिमनिकायके सामगामसुत्त (पृ० ४४१) में लिखा है—

‘एक समय भगवान् शाक्य देशमें सामगाममें विहार करते थे । उस समय निगंठ नाटपुत्त अभी अभी पावामें मरे थे । उनके मरने पर निगंठ लोग दो भाग हो भडन कलह विवाद करते एक दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहरते थे आदि ।’

म० नि० के उपालिसुत्तमें (पृष्ठ २२२ में) लिखा है कि उपालि नाटपुत्तका अनुयायी था । वह बुद्धके साथ वाद करनेके लिये गया । किन्तु उसका परिणाम उल्टा ही हुआ, बुद्धने उसे अपना शिष्य बना लिया । उसके पश्चात् उपालिने अपने घर जाकर द्वारपालको यह आदेश दे दिया कि निग्रन्थोको अन्दर नहीं आने देना । पीछे जब महावीर भगवान् अपनी शिष्य मण्डलीके साथ उपालिके घर गये तो उपालिके मुखसे बुद्धकी प्रशंसा सुनकर वह

उसे सह न सके और उनके मुखसे गर्म लोह निकल पड़ा अर्थात् मुँहसे रक्तका वमन हुआ ।

बौद्ध पालि साहित्यमें वर्णित इस घटनाके ऊपर कतिपय विद्वानोंने बहुत जोर दिया है । और उन्होंने इस घटनाको मरण सम्बन्धी उक्त घटनाके साथ जोड़कर यह कल्पना की है कि उपाली वाली घटनाके कुछ ही समय पश्चात् पावामे महावीरका मरण हो गया ।

किन्तु जाले चार्पेन्टियर आदिने इस बातको स्वीकार नहीं किया । उसके कारण निम्न प्रकार हैं—जैन उल्लेखोंके अनुसार जिस पावामें महावीर भगवानका निर्वाण हुआ था वह पावा पटना जिलेमें नालन्दाके पास है । किन्तु बौद्ध साहित्यमें जिस पावाका निर्देश है वह शाक्य भूमिमें है क्योंकि उस समय बुद्ध शाक्य देशके सामगाममे स्थित थे और चुन्द पावासे चलकर सामगाम आया था । अतः उक्त निर्देश प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । डा० जेकावीने भी (से० वु० ई० जि० ४५, पृ० १६) यही बात लिखी है और उसे प्रामाणिक नहीं माना है । इसके सिवाय महावीरके निर्वाणके पश्चात् ही जो उनके अनुयायी निर्ग्रन्थोंमें लड़ाई भगड़ा होनेका उल्लेख किया है उसका भी समर्थन किसी जैन स्रोतसे नहीं होता । सम० त दि० श्वे० जैन

१—जाले चार्पेन्टियरने महावीरके समयनिर्णय सम्बन्धी अपने लेखमें (इ० ए० जि० ४३) उक्त चर्चा करते हुए लिखा है कि स्पेंस हार्डीने 'मैन्युअल आफ बुद्धिज्म' में तथा वीगन्डेटने (से० वु० ई० जि० १३, पृ० २५६) लिखा है कि उपालिके विरोधक कारण महावीरका मरण हुआ । राहुल जीने म० नि० के अपने अनुवादके इंट्रपणमें भी (४४१ पृ०, टि० २) यही बात लिखी है ।

साहित्यमें महावीर निर्वाणसे भद्रबाहु स्वामी पर्यंत १६० वर्षके अन्तरालमें इस प्रकारके किसी विवादका संकेत तक नहीं है।

बुद्धके निर्वाणसे ५०० वर्ष पश्चात् ईसाकी प्रथम शताब्दीमें तत्कालीन बौद्ध भिक्षुओंकी स्मृतिके आधारपर उपलब्ध त्रिपिटक ग्रन्थोंको लंकामें लिपिबद्ध किया गया था। उस समयतक जैन धर्ममें दिग्मन्वर श्वेताम्वर भेद उत्पन्न हो चुका था। तथा पावामें भगवान महावीरका निर्वाण होनेकी बात तो सर्व-विश्रुत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपिटकोंके संकलयिताओंने इन घटनाओंको समकालीन समझकर एकत्र निबद्ध कर दिया, तथा उन्होने पावाको वही पावा समझ लिया जिससे वे विशेष रूपसे परिचित थे। अतः बौद्ध ग्रन्थोंके इस उल्लेखके आधार पर प्रचलित निर्वाण सम्वत्को गलत प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

यदि त्रिपिटकोंके उल्लेखोंका तुलनात्मक रूपसे परिशीलन किया जाये तो उनमें परस्पर विरुद्धता मिल सकती है। यहाँ हम केवल दो उल्लेखोंको उदाहरणके रूपमें उपस्थित करते हैं।

सयुक्त निकायके जटिल^१ सुत्तमें लिखा है कि एक वार कौसलाधिपति प्रसेनाजित्ने बुद्धसे भेट की और उनके प्रश्नके उत्तरमें बुद्धने कहा। कि 'अनुत्तर सम्यक सत्रोधिको जान लिया' ऐसा मेरे विषयमें ही कहना उचित है। तब प्रसेन जित्ने कहा—

'हे गौतम ! वह जो श्रमण ब्राह्मण सघ के अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात यशस्वी, तीर्थङ्कर, बहुत जनों द्वारा साधु सम्मत हैं—जैसे पूर्णकाश्यप, मक्खली गोशालक, निग्गठ नाटपुत्त, संजय वेलट्टिपुत्त, प्रक्रुद्ध कात्यायन, अजितकेश कम्बली।

वह भी पूछने पर यह दावा नहीं करते। फिर जन्मसे अल्प-वयस्क और प्रव्रज्यामें नये आप गौतमके लिये तो कहना ही क्या है' ?

इस कथनसे तो यही प्रकट होता है कि बुद्ध अन्य सब विपक्षी शास्ताओंसे लघु-वयस्क थे। किन्तु दीघ निःकायके 'सामञ्ज-फल सुत्त' में अजातशत्रुसे भेंटके समय महावीरको 'अद्ध-गतो वयो' लिखा है। अर्थात् अजातशत्रुके राज्यारम्भके समय महावीर लगभग पचास वर्षके थे। यह कथन प्रचलित निर्वाण सम्वत्के आधार पर ऊपर निर्धारित कालक्रमके तो अनुकूल है क्योंकि उसके अनुसार ई० पू० ५५२ के लगभग अजातशत्रु राजा हुआ, और उस समय महावीर भगवानकी आयु ४७ वर्षकी थी। उसके पश्चात् ही अजातशत्रु पिताकी मृत्युके सन्तापका शमन करनेके लिये विभिन्न शास्ताओंके पास गया था। किन्तु जटिलसुत्तके उक्त कथनके साथ उसकी संगति नहीं बैठती, क्योंकि बुद्धका निर्वाण अजातशत्रुके राज्यके आठवें वर्षमें हुआ माना जाता है। और बुद्धकी आयु ८० वर्षकी था। अतः उक्त भेंटके समय बुद्धकी आयु ७५ वर्ष होनी चाहिये, और अद्ध-गतोवयो महावीरकी ५० वर्ष, जैसा कि हमने बतलाया है। अतः त्रिपिटकोंमें दत्त घटनाओंके कालक्रमको सर्वथा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। और इसलिये उसमें दत्त महावीर भगवान्की मृत्युकी घटनाको प्रमाण कोटिमें नहीं रखा जा सकता।

(इस प्रकार प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्के अनुसार महावीर भगवान्का निर्वाण वि० स० से ४७० वर्ष पूर्व, शक सम्वत्से ६०५ वर्ष पूर्व और ई० सन्से ५२७ वर्ष पूर्व माननेसे बुद्ध, गोशालक, श्रेणिक, अजातशत्रु आदि समकालीन व्यक्तियोंके साथ उसका

सामञ्जस्य बैठ जाता है। अब हम वीर निर्वाणसे उत्तरकालमें होनेवाले विशिष्ट व्यक्तियोंके कालक्रमके साथ उसके सामञ्जस्य पर विचार करेंगे।

महावीरके पश्चात्की राज्यकाल गणना

भगवान् महावीरके निर्वाण और चन्द्रगुप्तमौर्यके राज्याभिषेक का अन्तरकाल हेमचन्द्रने १५५ वर्ष और जिनसेन (७८३ ई०) तथा मेरुतुगने (१३०० ई०) २१५ वर्ष दिया है। (जिनसेन और मेरुतुग महावीरके निर्वाण और अवंतीकी गद्दीपर पालकके राज्याभिषेकको समकालीन बतलाते हैं। जिनसेनके पूर्वज यतिवृषभने तथा मेरुतुगके पूर्वज तित्थोगाली पइन्नय के कर्ताने भी ऐसा ही लिखा है। जिनसेन और मेरुतुगने उन्हींका अनुसरण किया है।)

पालकके पिताका नाम प्रद्योत अथवा चण्डप्रद्योत था। मज्झिम निकाय (पृ० ४५५) में लिखा है कि मगधराज अजातशत्रु राजा प्रद्योतके भयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था। यह घटना बुद्धके निर्वाणसे पश्चात् की है। उक्त सभी जैन ग्रन्थोंमें पालकका राज्यकाल ६० वर्ष लिखा है। मेरुतुगने विचारश्रेणीमें

१—एव च श्री महावीरमुक्तेर्वर्षशते गते । पञ्चपञ्चाशदधिके चन्द्र-
गुप्तोऽभवन्तृपः । ३३६॥—परि० प०, ८ ।

२—हरिवंश पु० ६० स०, ४८८-८९ श्लोक । ३—वि० श्रे० ।

४—जककाले वीर जिणो गिस्सेवससपय समावणो ।

तककाले अभिसित्तो पालयणामो अत्रतिसुदो ॥१५०५॥

—ति० प०, अ० ४ ।

५—‘ज रयणि सिद्धिगओ अरहा तित्थंकरो महावीरो ।

त रयणिमवंतीए अभिसित्तो पालओ राया ॥’

६—‘पालकस्य राज्ञः षष्ठि (६०) वर्षाणि राज्यमभूत । तावता

पालकका राज्यकाल ६० वर्ष बतलाकर लिखा है कि पाटलीपुत्रमें कुणिकपुत्र उदायीको किसीने मार दिया और इस तरह महावीर निर्वाणसे ६० वर्षके पश्चात् नन्द राजा हुआ। (तिलोयपण्णति और जिनसेनके हरिवंशके अनुसार पालकके पश्चात् १५५ वर्ष तक विजय वंशका राज्य रहा। तत्पश्चात् मुरुएडों (मौर्यों) का राज्य हुआ। और तित्योगाली पइन्नय, तीर्थोद्धार प्रकरण तथा विचार श्रेणीके अनुसार पालकके पश्चात् १५१ वर्ष तक नन्दोंका राज्य हुआ, तत्पश्चात् मौर्योंका राज्य हुआ। इससे स्पष्ट है कि हेमचन्द्र तथा अन्य जैन ग्रन्थकारोंमें महावीर निर्वाण और चन्द्रगुप्त मौर्यके अन्तर कालको लेकर ६० वर्षका मत भेद है।

किन्तु उक्त सभी जैन ग्रन्थकार, जिनमें हेमचन्द्र भी हैं महावीरके निर्वाणसे ६० वर्षके पश्चात् नन्दवंशका राज्यारम्भ मानते हैं। अतः नन्दवंशके राज्यारम्भ कालको लेकर उनमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है नन्दवंशके राज्यकालको लेकर। अन्य जैन ग्रन्थकार नन्दवंशका राज्य काल १५५ वर्ष बतलाते हैं। तब हेमचन्द्र महावीर निर्वाणसे लेकर चन्द्रगुप्तमौर्य के राजाभिषेक तकका काल १५५ वर्ष बतलाते हैं। अतः १५५ में से ६० वर्ष कम कर देने पर हेमचन्द्रके मतानुसार नन्दवंशका राज्यकाल ९५ वर्ष होता है।

बौद्ध कालगणना

बौद्धग्रन्थ दीपवंश और महावशमें अजातशत्रुसे लेकर शैशुनाग, नन्द और मौर्य राजाओंके राज्यकालकी अवधि दी है। पाटलीपुत्रेऽपुत्रे कुणिकपुत्रे उदायिनृपे उदायि नृपमारकेण हते " नन्दो राज्येऽभिषिक्तः" उक्त च परिशिष्टपर्वणि—'अनन्तर वर्धमानस्वामि-निर्वाणवासरात् । गताया षष्ठिवत्सर्गामेष नन्दोऽभवन्तर' ॥—वि० श्रे० ।

महावंशमें लिखा है—(अजात शत्रुके पुत्र उदयभट्टने अपने पिता अजातशत्रुको मारकर १६ वर्ष राज्य किया। उदयभट्टके पुत्र अनुरुद्धने अपने पिताको मारकर राज्य किया और अनुरुद्धके पुत्र मुण्डने अपने पिताको मारकर राज्य किया। दौनोंने आठ वर्ष राज्य किया। मुण्डके पुत्र नागदासकने मुण्डको मारकर २४ वर्ष तक राज्य किया। इस तरह इस वंशको पितृघाती वंश जानकर क्रुद्ध नागरिकोंने नागदासकके अमात्य सुसुनागको राजा बनाया। उसने १८ वर्ष राज्य किया।

- १— अजात सत्तुपुत्तो त घातेत्वादायभट्टको ।
 रज्ज सोलसवस्सानि कारेसि मित्त दुब्भिको ॥ १ ॥
 उदयभट्टपुत्तो तं घातेत्वा अनुरुद्धको ।
 अनुरुद्धस्स पुत्तो त घातेत्वा मुण्डनामको ॥ २ ॥
 मित्तद्दुनो दुम्मतिनो ते पि रज्ज अकारयि ।
 तेसं उभिन्न रज्जेसु अट्टवस्सानतिक्कमुं ॥ ३ ॥
 मुण्डस्स पुत्तो पितर घातेत्वा नागदासको ।
 चतुवीसति वस्सानि रज्ज कारेसि पापको ॥ ४ ॥
 पितुघातकवसोय इति कुद्धा य नागरा ।
 नागदासकराजान अपनेत्वा समागता ॥ ५ ॥
 सुसुनागोति पज्जात अमच्च साधुसमत ।
 रज्जे समभिसिञ्चिसु सव्वेस हितमानसा ॥ ६ ॥
 सो अट्टारस वस्सानि राजा रज्ज अकारयि ।
 कालासोको तस्स पुत्तो अट्टवीसतिकारयि ॥ ७ ॥
 अतीते दसमे वस्से कालासोकस्स राजिनो ।
 सद्युद्ध परिनिव्वाणा एव वस्ससत अहु ॥ ८ ॥

उसके पुत्र कालासोकने २८ वर्ष राज्य किया । कालासोकको राज्य करते हुए १० वर्ष वीतने पर बुद्धके परिनिर्वाणको १०० वर्ष हुए ।

कालासोकके पुत्र दस भाई थे । उन्होंने २२ वर्ष राज्य किया । फिर क्रमसे ६ नन्द हुए । उन्होंने भी २२ वर्ष राज्य किया । मौर्य क्षत्रियोंके वंशमें श्री चन्द्रगुप्त हुए । ब्राह्मण चाणक्यने नौवें धननन्दको मारकर चन्द्रगुप्तको सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया । उसने २४ वर्ष राज्य किया । उसके पुत्र

१—'कालासोकस्स पुत्ता तु अहेसु दस भातुका ।
 द्वावीसति ते वस्सानि, रज्ज समनुसासिसु ॥ १४ ॥
 नव नन्दा ततो आसु कमेनेव नराधिपा ।
 ते पि द्वावीस वस्सानि रज्ज समनुसासिसुं ॥ १५ ॥
 मोरियान खत्तियान वसे जातं सिरोधर ।
 चदगुत्तोति पज्जात चाणकको ब्राह्मणो ततो ॥ १६ ॥
 नवम धननन्द त घाटेत्वा चडकोधवा ।
 सकले जवुदोपस्मि, रज्जे समभिसिञ्चि सो ॥ १७ ॥
 सो चतुवीस वस्सानि, राजा रज्ज अकारयि ।
 तस्स पुत्तो विंदुसारो अट्ठवीसति कारयि ॥ १८ ॥
 विंदुसार सुता आसुं सत एको च विस्सुत्ता ।
 असोको आसि तेसं तु पुञ्जतेजो बलिद्धिको ॥ १९ ॥
 वेमातिके भातरो सो हन्त्वा एकूनक सत ।
 सकले जवुदीपस्मि एकरज्ज अपापुण्णि ॥ २० ॥
 जिननिव्वाण तो पच्छा, पुरे तस्साभिसेकतो ।
 साट्टारस वस्ससतद्वय एव विजानियं ॥ २१ ॥''

—महावश, ५ परि०

विन्दुसारके १०० पुत्र थे। उनमें अशोक बड़ा तेजस्वी और बलवान था। उसने अपने ६६ भाइयोंको मारकर सकल जम्बूद्वीप में राज्य किया। बुद्ध निर्वाण और अशोकके अभिषेक काल के बीच में २१८ वर्षका अन्तर है।)

अत महावशके अनुसार बुद्ध निर्वाणसे २४ + १६ + ८ + २४ + १८ + २८ + २२ + २२ = १२ वर्षके पश्चात् चन्द्रगुप्त हुआ। चूंकि बुद्धका निर्वाण ई० पूर्व ५४४ में हुआ और महावीरका निर्वाण ई० पूर्व ५२७ में हुआ। अतः १७ वर्षका अन्तर होनेसे बौद्धकाल गणनाके अनुसार महावीरके निर्वाणसे १६२ - ११७ = ४५ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त राजा हुआ।

बौद्ध ग्रन्थोंमें अजातशत्रुका राज्यकाल ३२ वर्ष लिखा है और चूंकि अजातशत्रुके राज्यके आठवें वर्षमें बुद्धका परिनिर्वाण हुआ अतः उक्त कालगणनामें अजातशत्रुके राज्यकालके २४ वर्ष ही गिनाये गये हैं। अन्यथा अजातशत्रुके राज्यारम्भसे लेकर चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक तक १७० वर्ष होते हैं। इन १७० वर्षोंमें नवतन्दोंका राज्यकाल केवल २२ वर्ष बतलाया है।

✓ २—श्री जायसवालने इस बौद्धकाल गणनाको गलत ठहराकर बुद्ध निर्वाण और चन्द्रगुप्तके राज्याभिषेकके बीचमें २१८ वर्षका अन्तर बतलाया है। बुद्धका निर्वाण अजात शत्रुके राज्यके आठवें वर्षमें हुआ अतः अजातशत्रुसे चन्द्रगुप्तके राज्याभिषेक तक का काल ३५ + ३५ + ३३ + ४० + ४३ + २८ + १२ = २२६ वर्ष होता है इसमें एक वर्ष अधिक है अतः २२६ - १ = २२५ हुए। इसमें अजातशत्रुके राज्यके ७ वर्ष कम कर देनेसे २१८ वर्ष शेष रहते हैं। (ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १, पृ० ६५)

हरिश् चन्द्र ठोलिय

15. नवजीवन उपवन,

मोती इंगरी रोड, जयपुर-५

पौराणिक कालगणना

हिन्दु पुराणकारोंने भी शैशुनाग, नन्द और मौर्य राजाओंके राज्यकालका वर्णन किया है। विष्णु, मत्स्य, भागवत, ब्रह्माण्ड और वायुपुराणमें उनकी कालगणना मिलती है। किन्तु विष्णु पुराण, और भागवतमें प्रत्येक राजाका राज्यकाल नहीं दिया, केवल उनके नाम तथा उनके वंशका राज्यकाल दिया है। शेष तीनों पुराणोंमें प्रत्येक राजाके साथ उनके राज्यकालके वर्ष भी दिये हैं। परन्तु उनमें भी एकरूपता नहीं है। अनेक नामोंमें और राज्यकालके वर्षोंमें एक दूसरेसे भिन्नता है।

श्रीमद्भागवतमें (स्क० १२, अ०१) जो राजवंशावली दी है, उसका स्थान नहीं बतलाया कि ये राजवंश किस देशमें राज्य करते थे। किन्तु विष्णुपुराणमें (अ०२३) उन्हें मगध देशका शासक बतलाया है, और लिखा है कि बृहद्रथ वंशके अन्तिम राजा रिपुञ्जयको उसका मंत्री सुनिक मार देगा और अपने पुत्र प्रद्योतका राज्याभिषेक करेगा। विष्णु, भागवत और मत्स्यपुराण में दत्त वंशावली इस प्रकार है—

विष्णु पुराण	भागवत	मत्स्य पुराण
प्रद्योत	प्रद्योत	बालक २३ वर्ष
बलाक	पालक	पालक २८ "
विशाखयूप	विशाखयूप	विशाखयूप ५३ ,

१—भागवतमें पुरञ्जय नाम है और मंत्रीका नाम सुनिक है। मत्स्यमें मंत्रीका नाम पुलक है।

 जनक	 राजक	 सूर्यक	२१ ,
 नन्दिवर्धन	 नन्दि वर्धन		१२५ ”
 नन्दि			

इस प्रकार विष्णु पु० में प्रद्योतवंशके ६ राजा गिनाये हैं। और मत्स्यमें ४ ही गिनाये हैं—प्रद्योतका नाम ही नहीं हैं। विष्णु और भागवत दोनों पुराणोंमें लिखा है कि य पाँच प्रद्योत एक सौ अड़तीस वर्ष तक पृथ्वीका पालन करेंगे। इसके पश्चात् दोनों पुराणोंमें शिशुनागवंशी राजाओंका निर्देश है। मत्स्यमें लिखा है कि राजा सूर्यक वाराणसीमें अपने पुत्रको बैठाकर गिरिवज्र (मगध) में चला जायेगा।

तीनों पुराणोंमें तत्पश्चात् शिशुनागवंशी राजाओंकी नामावली इस प्रकार दी है—

विष्णु पु०	भागवत पु०	मत्स्य पुराण
शिशुनाभ	शिशुनाग	शिशुनाक ४० वर्ष
 काकवर्ण	 काकवर्ण	 काकवर्ण २६ ”
 क्षेत्रधमा	 क्षेत्रधर्मा	 क्षेत्रधोमा ३६ ”
 क्षतौजा	 क्षेत्रज्ञ	 क्षेमजित २४ ,
 विधिसार (बिम्बसार)	 विधिसार	 विन्ध्यसेन २८ ,

अजातशत्रु	अजातशत्रु	अण्वायपन	९ ,
		भूमिमित्र	१४ ,
अर्भक	दर्भक	अजातशत्रु	२७ ,
		वंशक	२४ ,
	—		
उदयन	अजय	उदासी	३३ ,
नन्दिवर्धन	नन्दिवर्धन	नन्दिवर्धन	४० ,
महानन्दि	महानन्दि	महानन्दि	४३ ,
महापद्मनन्द	महापद्मपतिनन्द	महापद्म	८८ ,
आठ पुत्र	आठ पुत्र	आठ पुत्र	१२ ,

इस प्रकार इन तीनों पुराणोंमें प्रद्योतोंका राज्यकाल १३८ वर्ष (मत्स्यमें १२५ वर्ष), शिशुनागोंका ३६२ वर्ष और नन्दोंका १०० वर्ष बतलाया है। मत्स्यमें विन्ध्यसेन (विम्बसार) और अजात शत्रुके मध्यमें दो नाम ऐसे हैं जो अन्यत्र नहीं पाये जाते। इसीसे उसमें शिशुनागवंशी राजाओंकी संख्या १२ हो गई है। किन्तु उनका राज्यकाल ३६२ वर्ष ही बतलाया है जब कि प्रत्येक राजाके राज्यकालका संकलन करनेसे उसमें १८ वर्षकी कमी रह जाती है।

उक्त वंशावलिग्रामे दत्त राजाओंके नामोंके अवलोकनसे पता चलता है कि मगधके प्रसिद्ध शिशुनागवंशी राजा विम्बसारक ठीक नामका पता पुराणकारोंका नहीं था, जब कि बौद्ध और जैन ग्रन्थकार उससे सुपरिचित थे।

मगध और अवंतीके राजवंश

उक्त पुराणोंमें प्रद्योतको अन्तिम बृहद्रथ राजाका उत्तराधिकारी कहा है और पाँच प्रद्योतोंके पश्चात् शिशुनागवंशी राजाओंका निर्देश किया है। इससे ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि प्रद्योतवंश मगधमें राज्य करता था और उसके पश्चात् शिशुनागवंशी राजाओंका राज्य मगधमें हुआ। किन्तु यह प्रायः माना जाता है कि प्रद्योतवंशने मगधमें राज्य नहीं किया और न मगधसे उसका कोई सम्बन्ध था। प्रद्योतवंशके संस्थापक राजा प्रद्योतको अवंतीका ही राजा माना जाता है, जो भगवान महावीर बुद्ध और मगधराज श्रेणिकका समकालीन था। इतिहासमें भी अवंतिराज प्रद्योतका ही वर्णन मिलता है।

कुमारपाल प्रतिबोध (पृ० ७६-८३) में उज्जैनीके प्रद्योतकी कथा है। उसके अनुसार मगधके राजकुमार अभयने प्रद्योतकी बन्दी बनाया और प्रद्योतने अभयकुमारके पिता श्रेणिक (विम्बसार) के चरणोंमें सीस नवाया। जैन ग्रन्थोंके अनुसार इसी प्रद्योतके पुत्रका राज्याभिषेक भगवान महावीरके निर्वाणके दिन अवंतीकी गद्दी पर हुआ और उसने ६० वर्ष राज्य किया।

जैन काल गणनामें मगधके नन्दवंशके पूर्व अवंतीके पालककी काल गणना क्यों दी गई इस विषयको लेकर प्रायः ऊहापोह चलता है। पुराणोंके अवलोकनसे पता चलता है कि मगध और

अवन्ती के राजवंशोमे इस प्रकारका व्यतिक्रम नया नहीं है और उसको लेकर इतिहासज्ञोमें ऊहापोह होता आया है ।

श्री जायसवाल जी का कहना है कि 'मगधने जब अवन्तिको जीता तो अवन्तिका वृत्तान्त प्रसंगवश मगधके इतिहासमे आया । यह वृत्तान्त मूल पाठमें एक कोष्ठक मे या पाद टिप्पणीके रूपमें पढा जाता था । उसके अन्तमें यह पाठ था—

स (त) त्सुतो नन्दिवर्धनः ।

हत्वा तेषा यशः कृत्स्न शिशुनाको भविष्यति ॥

यहाँ शिशुनाकका अर्थ था शैशुनाक—शिशुनाक वंशज और वह नन्दिवर्धनका विशेषण था । किन्तु बादमें पिछले लेखको और प्रतिलिपिकारोने यह न समझकर कि इसे कोष्ठकमें पढना चाहिये, नन्दिवर्धनको प्रद्योतवशका अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक राजा समझकर प्रद्योतवशको मगधमें शिशुनाकोंका पूर्ववर्ती मान लिया, और उनके वृत्तान्तको बाहर्द्रथों और शैशुनाकोंके बीच रख दिया ।' पार्जीटरने भी इस स्पष्ट गलतीको सुधार कर प्रद्योतोंके वृत्तान्तको पुराण पाठमें मगध के वृत्तान्तसे अलग रख दिया है । और इस तरह से अब यह विषय प्रायः निर्विवाद माना जाता है । (भा० इ० रू०, जि०, १ पृ० ४६६) ।

अवन्तिराज प्रद्योत

'प्रायः' इस लिये कि कोई कोई विद्वान् अवन्तिके प्रद्योतोसे मगधके प्रद्योतोंको भिन्न मानते है । दोनोंको एक माननेमें उनकी एक आपत्ति इस प्रकार है—

'पुराणोंमें मगधके राजाके रूपमें जिस प्रद्योतका वर्णन है उसका राज्यकाल पुराणोंके अनुसार २३ वर्ष है । किन्तु अवन्ति-

राज प्रद्योतका काल इससे बहुत अधिक होना चाहिये। जैन और बौद्ध परम्पराके अनुसार चण्ड प्रद्योत विम्बसारका समकालीन था। तथा वह अजातशत्रुका भी समकालीन था। पुराणोंके अनुसार विम्बसारका राज्यकाल २८ वर्ष और अजातशत्रुका २७ वर्ष था। पुराणोंके अनुसार अजातशत्रुका उत्तराधिकारी दर्शक था। भासकी स्वप्नवासवदत्तासे इसका समर्थन होता है। उससे प्रकट होता है कि मगधपर दर्शकके राज्यके आरंभिक वर्षोंमें अवन्तिमें चण्ड प्रद्योत महासेन राज्य करता था। इन सब बातों को दृष्टिमें रखते हुए चण्डप्रद्योतका सुदीर्घ काल तक अवन्तिमें राज्य करना सिद्ध होता है। जब कि पौरणिक प्रद्योतका राज्यकाल २३ वर्ष था। ' ' ज० वि० उ० रि० सो०, जि० ७ पृ० ११०)

(जैनाचार्य हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वसे पता चलता है कि उज्जयिनीके राजा पालकके समयमें मगधके सिंहासनपर श्रेणिक पुत्र कुणिक (अजातशत्रु) और कुणिकके पुत्र उदायीका क्रमशः राज्य रहा है। उदायीके निस्सन्तान मर जाने पर उसका राज्य नन्दको मिला। दक्खिनी बौद्ध अनुश्रुतिमें भी अजातशत्रु के ठीक बाद उदायीका राज्य बताया है। दीपवंशमें उदपीके बाद अनुरुद्ध मुण्ड और तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुतिके ग्रन्थ दिव्यावदानमें मुण्डके बाद काकवर्णिका नाम है। परन्तु पुराणोंमें अजातशत्रु और उदपीके बीच दर्शक है। श्री जायसवालका कहना था कि नागदासक = दर्शक शिशुनाग (शैशुनाक) में शिशुनाग खाली विशेषण है। (यह विशेषण लगाने की आवश्यकता उस समय इसलिये थी कि उसके समकालीन विनय पामोक्ख (बौद्ध संघके चुने हुए मुखिया) का नाम भी दर्शक था।) काकवर्णि भी दर्शकका ही विशेषण है, क्योंकि

शिशुनाकका वेटा काकवर्ण था। इस लिए उसका कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है, इस तरह नागदासक दर्शक और काकवर्णि एक ही व्यक्ति हैं। प्रो० दे० रा० भण्डारकर भी नागदासक और दर्शकको एक ही मानते थे। किन्तु भासकी प्रामाणिकता उन्हें स्वीकृत नहीं थी।

उन्होंने सिद्ध किया है कि दर्शकको यदि अजातशत्रुका वेटा माना जाये तो उसके गद्दी पर बैठनेके समय उदयन कमसे कम ५६ वर्षका रहा होगा। इस दशामें ५७ वर्षकी उम्रमें उसका दर्शककी बहिन पद्मावतीसे विवाह करना सर्वथा असंगत है। और भासने अपने समयकी गलत अनुश्रुतिका अनुसरण किया है (भा० इ०, रू०, पृ० ४६७)। भासने स्वप्नवासवदत्तामें मगध नरेश दर्शककी बहिन पद्मावतीसे वत्सराज उदयनका विवाह कराया है। इससे पहले अवनतिपति प्रद्योतकी पुत्री वासवदत्ताके साथ उसका विवाह हो चुका है। मगध नरेशकी बहिन पद्मावतीके साथ विवाह करानेके लिए उदयनका मंत्री यांगन्धरायण वासवदत्ताको रूप बदलकर राजगृहीमें पद्मावतीके पास रख देता है और ऐसा रूपक रचता है जिससे वासवदत्ताके मरनेका संवाद फैल जाता है। बातचीतमें वासवदत्ता पद्मावतीसे कहती है तू महासेनकी होने वाली बहू हैं। पद्मावती पूछती है—महासेन कौन है? वासवदत्ता उत्तर देती है उज्जैनीका राजा प्रद्योत है। इतनेमें धाय आकर कहती है कि महाराज उदयनका कुल रूप वय आदि देखकर महाराजने उसे पद्मावती देना स्वयं ही स्वीकार किया है।

सोमदेव रचित कथासरित्सागरमें भी यह कथा आई है। उसमें लिखा है 'वत्सराज उदयन वासवदत्ताको पाकर विषय

सुखमे मग्न हो गया और राज्यका कुल भार अपने मंत्री योगन्ध-
रायणको सौंप दिया। तब मंत्रीने उदयनका राज्य बढ़ानेका विचार
करते हुए सोचा कि हमारा एक शत्रु मगधराज प्रद्योत है, उसकी
कन्या पद्मावतीकी याचना करने से वह हमारा मित्र हो जायेगा।
आगे उसने वासवदत्ताको छिपाकर उक्त प्रकारसे पद्मावतीके साथ
उदयनका विवाह करा दिया।

नाटक तथा कथाके उक्त आख्यानसे तो यही प्रकट होता है कि
पद्मावतीके साथ विवाहके समय उदयन तरुण होना चाहिये और
वासवदत्ताके द्वारा पद्मावतीको अपने पिता प्रद्योतकी बहू बनानेकी
बात कहनेसे तो प्रद्योत उस समय वृद्ध प्रमाणित नहीं होता है।
चूँकि प्रद्योतकी पुत्री वासवदत्ता उदयनसे विवाही थी इसलिये
प्रद्योत और उदयनकी अवस्थामें बीस बरसका अन्तर तो होना
ही चाहिये, क्योंकि वासवदत्ताके विवाहके समय उसके दोनों भाई
पालक और गोपाल भी तरुण थे। अतः पद्मावतीके विवाहके
समय प्रद्योतकी अवस्था ५० वर्ष और उदयनकी अवस्था तैंतीस
वर्ष होना चाहिये।

किन्तु अच्युतपति प्रद्योत मगधराज श्रेणिक और उसके पुत्र
अजातशत्रुका समकालीन था। यदि यह मान लिया जाय कि
प्रद्योत श्रेणिककी तरह १५ वर्षकी अवस्थामें गद्दी पर बैठा और
वह श्रेणिकपुत्र अभयकुमारका समवयस्क था, क्योंकि कुमारपाल
प्रतिबोधके अनुसार अभयकुमारने प्रद्योतको बन्दी बनाया था,
तो अजातशत्रुकी मृत्युके समय (ई० पू० ५२० अनुमानित)
उसकी अवस्था ८० वर्षकी और वत्सराज उदयनकी अवस्था ६०
वर्षकी होना चाहिये। ऐसी वृद्धावस्थामे पद्मावतीके साथ
उदयनके विवाहको रचानेमे वासवदत्ताका सहयोग, पद्मावती
का उदयनके प्रति आकर्षण और महाराज दर्शकका पद्मावतीके

पलिये स्वयं उदयनको पसन्द करना आदि बातें, जो नाटकमें वर्णित हैं, घटित नहीं हो सकती और न वासवदत्ता ही पद्मावती को अपने ८० वर्षके वृद्ध पिता प्रद्योतकी भावी पत्नी कहनेकी धृष्टता कर सकती है। अतः डा० भण्डारकरका भासके विषय में जो मन्तव्य है कि उसने किसी गलत अनुश्रुतिके आधारपर महाराज दर्शककी वहिन पद्मावतीके साथ उदयनका विवाह रचाया है, उचित प्रतीत होता है।

दूसरे, कथा सरित्सागर'में पद्मावतीको मगधराज प्रद्योतकी पुत्री बतलाया है। यह मगधराज प्रद्योत वही पौराणिक प्रद्योत जान पड़ता है, जिसके अस्तित्वमें विवाद है। तीसरे, जैन ग्रन्थोंमें अजातशत्रु (कुणिक) के पद्मावती नामकी कोई कन्या नहीं बतलाई, प्रत्युत उसकी रानीका नाम पद्मावती था। अतः भासके नाटकके आधारपर प्रद्योतको मगधराज दर्शकका समकालीन नहीं माना जा सकता। फिर भी पुराणोंमें जो उसका राज्यकाल २३ वर्ष बतलाया है, ऐतिहासिक घटनाओंको देखते हुए बहुत कम है।

हाँ यदि प्रद्योतको अजातशत्रुका समवयस्क माना जाये और जैन मान्यताके अनुसार महावीरके निर्वाणके समय (ई० पूर्वं ५२७) उसकी मृत्यु मानी जाय तो उसका राज्यकाल २३ वर्ष होना संभव है। किन्तु उस अवस्थामें कुमारपाल प्रतिबोधमें दत्त चण्डप्रद्योतकी कथामें जो राजा श्रेणिक और तत्पुत्र अभय-

१ — परिपन्थी च तत्रैकः प्रद्योतो मगधेश्वरः ।

पार्ष्णिग्राह स हि सदा पश्चात्कोप करोति नः ॥१६॥

तत्तस्य कन्यकारनमस्ति पद्मावतीति यत् ।

तदस्य वत्सराजस्य कृते याचामहे वयम् ॥२०॥ (३-१)

कुमारके साथ चण्डप्रद्योतकी जीवन घटनाये टी हैं वे घटित होना संभव नहीं है। उन घटनाओंको देखनेसे तो चण्ड प्रद्योत श्रेणिकका लघु समकालीन अवश्य होना चाहिये और ऐसी अवस्थामें उसका राज्यकाल २३ वर्ष संभव प्रतीत नहीं होता तथा उसकी अवस्थाको देखते हुए जैन ग्रन्थोंका यह कथन कि जिस दिन भगवान महावीरका निर्वाण हुआ उसी दिन अवन्तिके सिंहासन पर पालकका अभिषेक हुआ, सत्य प्रतीत होता है।

अन जं विद्वान् पौराणिक प्रद्योतका राज्यकाल २३ वर्ष घतलाया जानेके कारण उसे अवन्तिपति चण्ड प्रद्योतसे पृथक् मानते हैं, उनकी आपत्ति अनुचित नहीं कही जा सकती। किन्तु मगधके सिंहासन पर प्रद्योत नामके किसी राजाका होना, जिसके पुत्रका नाम भी पालक था, इतिहाससे प्रमाणित नहीं होता। अतः पुराणोंका उक्त कथन किसी भ्रान्तिका फल जान पड़ता है। और उस भ्रान्तिके वाज कुमारपाल प्रतिबोधमें दत्त चण्ड प्रद्योत को कथामें निहित हैं। अवश्य ही कुमा० प्र० १३ वीं शताब्दीकी रचना है किन्तु उसका आधार स्वतंत्र प्रतीत होता है।

कथामें वर्णित घटना इस प्रकार है—चण्डप्रद्योतने एक वेश्याकी सहायतासे अभयकुमारको अपना बन्दी बना लिया। जब अभयकुमार उज्जैनीसे राजगृह लौटकर आया तो उसने भी चण्ड प्रद्योतको अपना बन्दी बनानेके लिए छलपूर्ण कौशलका सहारा लिया। वणिकका वेप धारण करके अभय दो गणिकाओंके साथ उज्जैनी पहुंचा और राजमार्गके एक आवासमें रहने लगा। एक दिन प्रद्योतकी दृष्टि उन गणिकाओं पर पड़ी। वह उनके रूपपर मुग्ध हो गया।

इधर अभयने प्रद्योतके समान एक व्यक्तिका नाम प्रद्योत रखकर उसे पागल बना दिया और उसे अपना भाई बतलाया।

वह उसे बाँधकर प्रति दिन राजमार्गसे वैद्यके घर ले जाता और वह आदमी यह चिल्लाता हुआ जाता—मैं प्रद्योत हूँ। ये मुझे बाँधकर लिये जाते हैं। सब लोग यह जान गये कि इसके भाई-का नाम प्रद्योत है और यह पागल है। एक दिन रात्रिमें वेश्या सक्त प्रद्योत अभयके निवास स्थान पर पहुँचा और पकड़ लिया गया। दिन निकलनेपर उसे खाटमें बाँधकर राजमार्गसे लेकर सब लोग चल दिये। वह बहुत चिल्लाया—‘मैं प्रद्योत हूँ ये मुझे बाँधे लिये जाते हैं। मगर पुरवासी तो प्रति दिनकी इस चिल्लाहटसे सुपरिचित थे। अत वे चुप रहे और प्रद्योत बन्दी बनाकर राजगृह पहुँचा दिया गया।

इस घटनासे (अभयकुमारके भाई) मगधराज प्रद्योतकी भ्रान्ति चल पडी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कथा सरित्सागरमें जो पद्मावतीको मगधराज प्रद्योतकी पुत्री बतलाया वह भी उसी भ्रान्तिका फल हो सकता है। भासने पद्मावतीको मगधराज दर्शककी बहन बतलाया है। पुराणोंके अनुसार दर्शक अजातशत्रुका पुत्र था। और अजातशत्रु अभयकुमारका भाई तथा मगधका राजा था।

अस्तु, जो कुछ हो, किन्तु मगधके सिंहासन पर प्रद्योतवश राज्य होना इतिहास सिद्ध नहीं है। अत. इस प्रासंगिक चर्चाको यहीं समाप्त करके हम आगे बढ़ते हैं।

पुराणोंके प्रद्योतवश विषयक सन्दर्भको मगधके वृत्तान्तसे अलग करके, कोष्टक या टिप्पणीके रूपमें पढनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों राजवश नन्दिवर्धन पर आकर समाप्त होते हैं। और दोनों वंशोंकी कालगणना करने पर अवन्तिका नन्दिवर्धन और मगधका नन्दिवर्धन समकालीन प्रतीत होते हैं। अन्तमें

स्पष्ट रूपसे अवन्तिके नन्दिवर्धनको शैशुनाक कहा ही है । फलतः दोनों न केवल समकालीन हैं किन्तु एक हैं । मगध द्वारा अवन्तिकी विजय तो निश्चित है ही । इसीसे श्रीजायसवालजीने (ज० वि०-७० रि० सो० जि० १) यह परिणाम निकाला था कि मगधके राजाओमें से नन्दिवर्धनने ही अवन्तिको जीता था । जैनग्रन्थोंके अनुसार अवन्तिमें पालकके वंशके बाद नन्दवंशने राज्य किया । नन्दिवर्धन नन्द कहलाता था । पुराणके एक पाठमें उसका नाम वर्तिवर्धन भी है । (भा० इ० रु०, जि० १, पृ० ५००) ।

(किन्तु बादको पटनासे प्राप्त मूर्तियोंसे यह जाना गया कि पटनामें भी कोई राजा अज था । और तब यह स्पष्ट हुआ कि अज और उदपी एक ही हैं । तथा अवन्तिका अजक भी वही है, और उसीने अवन्तिको जीता था ।)

चात यह है कि पुराणोंके अनुसार प्रद्योतका उत्तराधिकारी पालक और उसका उत्तराधिकारी विशाखयूप है, विशाखयूपके बाद एक राजाका नाम अजक है । किसी-किसी प्रतिमें उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है । कथा सरित्सागरके अनुसार पालकका भाई गोपालबालक था और मृच्छकटिकके अनुसार पालकको गद्दीसे उतारकर प्रजाने गोपालकको आर्यक नामसे राजा बनाया था । उधर श्रीमद्भागवतमें मगधवंशमें उदयके स्थान पर 'अजय' आता है । और नन्दिवर्धनको आज्ञेय लिखा है जिससे उदयीका नाम अज सिद्ध होता था । बादको उक्त मूर्तियोंसे यह ज्ञात होनेपर कि पटना में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं तथा वही अवन्तिका अजक भी है । (ज० वि० ७० रि० सो० १६१६) । संभवतः अवन्तिको जीतकर भी वह अपने राज्यमें नहीं मिला सका । यह काम उसके उत्तराधिकारी नन्दवर्धनने किया ।

नन्दोंके १५५ वर्ष

अब हम नन्दोंकी ओर आते हैं ।

(जैन अनुश्रुतिके अनुसार अवन्तिमे पालकके राज्यके बाद (नन्दोंने १५५ वर्ष राज्य किया । और जैनाचार्य हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वके अनुसार उज्जैनीके राजा पालकके समयमें मगधके सिंहासनपर श्रेणिकपुत्र कुणिक (अजातशत्रु) और कुणिकके पुत्र उदायीका क्रमशः राज्य रहा । उदायीके निस्सन्तान मारेजाने पर उसका राज्य नन्दको मिला ।)

भागवत्, विष्णु, मत्स्य आदि पुराणोंमें अज अथवा उदायीके उत्तराधिकारीका नाम नन्दिवर्धन बतलाया है । और मगध तथा अवन्तिके राज्यवंशोंमें उसका नाम आता है । अतः नन्दीवर्धन मगध और अवन्ती दोनोंका राजा था ।

पुराणोंमें पाच प्रद्योतोंका राज्यकाल १३८ वष बतलाया है, जिसमें २३ वर्ष प्रथम प्रद्योतके हैं । अवन्तिपति प्रद्योतके राज्यकालकी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि उसका राज्यकाल २३ वर्ष से बहुत अधिक वर्षों तक रहा है अतः २३ वर्षकी गणना ठीक नहीं है । इसलिए १३८ में से २३ वर्ष कमकर देनेपर पालकके राज्यभिषेकसे लेकर नन्दिवर्धनकी मृत्युतकका काल ११५ वर्ष होता है ।

यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्तमौर्यसे पहले नन्दोंका राज्य था । नन्दोंकी दो पीढ़ियोंने राज्य किया । पहली पीढ़ीमें महापद्मनन्द था और दूसरी पीढ़ीमें उसके आठ बेटे । ये सब मिलकर नौ नन्द थे । वायु पु० में महापद्मनन्दका राज्यकाल ८८ वर्ष दिया है, किन्तु बाकी पुराणोंमें महापद्मके ८८ वर्ष और दूसरी पीढ़ीके १२ वर्ष

मिलाकर १०० वर्ष पुरे किये हैं। इस प्रकार नन्दोंके १०० वर्ष राज्य करनेकी अनुश्रुति है। जैनाचार्य हेमचन्द्रने महावीर निर्वाण से १२५ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्तका राजा होना लिखा है। तथा महावीर निर्वाणसे ६० वर्ष पश्चात् नन्दका राजा होना लिखा है। अतः उन्होंने $१२५ - ६० = ६५$ वर्ष तक नन्दोंका राज्य बतलाया है जो १०० वर्षकी पौराणिक अनुश्रुतिसे मेल खाता है।

किन्तु अन्य जैन ग्रन्थकारोंने १५५ वर्ष तक नन्दोंका राज्य बतलाया है और इस तरह हेमचन्द्र तथा उनकी काल गणनामे ६० वर्षका अन्तर पड़ता है। वही अन्तर हम वायु पुराण तथा अन्य पुराणोंकी कालगणनामे पाते हैं। वायु पुराण महापद्मनन्दका राज्यकाल २८ वर्ष बतलाता है, किन्तु अन्य पुराणोंमें ८८ वर्ष बतलाया है। अतः $८८ - २८ = ६०$ वर्षका अन्तर स्पष्ट है।

इस परसे ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है कि महापद्मनन्दके राज्य कालको लेकर दो अनुश्रुतियाँ प्रचलित थीं। एक अनुश्रुतिके अनुसार उसने ८८ वर्ष राज्य किया और दूसरी अनुश्रुतिके अनुसार उसने २८ वर्ष राज्य किया। अन्य जैन ग्रन्थकारोंने प्रथम अनुश्रुतिको अपनाकर नन्दोंका राज्यकाल १५५ वर्ष बतलाया। किन्तु हेमचन्द्रने दूसरी अनुश्रुतिको अपनाकर नन्दोंका राज्यकाल ६५ वर्ष बतलाया है।

अतः हेमचन्द्रके अनुसार महावीर निर्वाणसे $१२५ + २८ + १२ = १६५$ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त राजा हुआ। और अन्य ग्रन्थकारोंके अनुसार $१२५ + ८८ + १२ = २२५$ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त राजा हुआ।

इसपर एक आशङ्का यह की जा सकती है कि इस तरहसे तो नन्दोंका राज्यकाल हेमचन्द्रके अनुसार $२८ + १२ = ४०$ वर्ष

और अन्य जैनग्रन्थकारोंके अनुसार $८८ + १२ = १००$ वर्ष होता है ६५ या १५५ वर्ष नहीं होता। इस आशङ्काका उत्तर यह है जैसा कि जायसवाल जीने (ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १) स्पष्ट किया है कि जैनग्रन्थकारोंने अज उदायीके वंशजोको भी नन्दराजा मान लिया है। नन्दिने मगधके राज्यमें अवन्तिको मिलाया इससे उसे नन्दिवर्धन कहा है। उसका मूल नाम नन्द था, नन्दि नहीं था। भविष्य पुराणमें नन्दिवर्धन नाम है। इसी तरह नन्दिवर्धनके उत्तराधिकारी महानन्दि का नाम भी महानन्द था। भविष्य पु०में उसे नन्द कहा है। तथा नवनन्दका अर्थ नये नन्द था। जो बादको नौ नन्दके रूपमें माना जाने लगा। तथा उन नौ नन्दोंने क्रमशः राज्य किया, यह मान लेना स्वाभाविक ही था। इस तरहसे नन्दोके वास्तविक राज्यकालमें बहुत वर्षोंकी वृद्धि होगई।

पुराणोंके अनुसार नन्दिवर्धनसे लेकर अन्तिम नन्द तकका कुल राज्यकाल-१२३ वर्ष है। इनमेंसे जायसवाल जी $२८ + १२ = ४०$ वर्ष नवनन्दोंके और $४० + ४३ = ८३$ वर्ष पूर्व नन्दोके मानते हैं। पूर्व नन्दोंमें एक नन्दिवर्धन था और दूसरा था महानन्दी, नन्दिवर्धनका राज्यकाल ४० वर्ष था और महानन्दि का ४३ वर्ष।

श्री जायसवालने लिखा है कि पालकके ६० वर्षके पश्चात् जैनकाल गणनामें नन्दोंके १५५ वर्ष बतलाये हैं। पुराणोंमें नन्दों का राज्य $(४० + ४३ + २८ + १२)$ १२३ वर्ष बतलाया है। अतः $(१५५ - १२३)$ शेष ३२ वर्ष उदायीके लेनेसे १५५ वर्ष पूरे हो जाते हैं। (ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १, पृ० १०२)

श्री जायसवाल जीने नन्दोके १२३ वर्षोंमें उदायीके राज्यके ३० वर्ष जोड़कर जैनकाल गणनामें बतलाये नन्दोंके १५५ वर्षों

की पूर्ति की है। और पालकके ६० वर्षके पश्चात् उदायीका राज्याभिषेक माना है। किन्तु तिलोयपराणति, तित्था० पडन्नय आदि दिगम्बर तथा श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें महावीर निर्वाणके दिन अवन्तीकी गद्दीपर अभिषिक्त पालकका राज्यकाल ६० वर्ष बतलाया है और हेमचन्द्राचार्यने अपने परिशिष्ट पर्वमे मगधकी गद्दीपर महावीरके निर्वाणसे उदायीके राज्यान्त तकका काल ६० वर्ष बतलाया है। अर्थात् पालक और उदायीका राज्यकाल एक साथ समाप्त हुआ।

हेमचन्द्रने लिखा (परि० पर्व, सर्ग६, श्लो० १-६-२४३) है कि उदायीसे सभी राजा त्रस्त थे और उन्होंने यह समझ लिया था कि जब तक उदायी जीवित है हम सुखसे नहीं रह सकते। अवन्ती नरेश भी उनमेंसे एक था, अतः एक राज्यभृष्ट राजपुत्र अवन्ती नरेशसे सलाह करनेके बाद साधु बन गया और उसने छलसे उदायीका बध करदिया। उदायीके कोई सन्तान नहीं थी, अतः नाईपुत्र नन्द मगधके सिंहासन पर बैठा।

(अवन्तीपतिसे अभिसन्धि करके उदायीका अपघात किया जाना यह सूचित करता है कि उदायीने पालकवशकी भी वही दशाकी थी जो अन्य राजाओंकी की थी। और सम्भवतया यह घटना उदायीके जीवनके अन्तसे कुछ ही पूर्वकी होगी। इसीसे जहाँ महावीर निर्वाणके ६० वर्ष बीतने पर पालकवंशका अन्त हुआ वहीं मगधके राज्यासन पर उदायीका भी अन्त हो गया। उदायीके पश्चात् मगधके सिंहासनपर जिस नापित नन्दके बैठने का निर्देश हेमचन्द्रने किया है, वह अवश्य ही महापद्मनन्द है, उसीको पुराणोंमें शूद्राका पुत्र तथा यूनानी लेखकोंने नाईका पुत्र बतलाया है। उसीके कालको लेकर ६० वर्षका मतभेद पुराणोंमें है।)

अतः १५५ वर्षकी संख्या पूरी करनेके लिये पुराणोंके नन्द-कालके १२३ में उदायीके ३२ वर्ष नहीं जोड़े जा सकते । श्री जायसवालने ईस्वी पूर्व ४६७ में उदायीका अन्त माना है सो वीर-निर्वाण ५२७ ई० पू० में ६० वर्ष घटानेसे वही समय आता है । उदायीके पश्चात् मगधके राज्यासन पर बैठनेवालोंकी तालिका तथा कालगणना जायसवाल जीने इस प्रकार दी है ।

✓ १—जायसवालजीको उदायीके उत्तराधिकारियोंमें परिवर्तन करना पड़ा है उसका विवरण नीचे दिया जाता है—

खारवेलके प्रसिद्ध हाथी गुफा वाले शिलालेखकी छठी पक्तिमें एक वाक्य इस प्रकार आया है—‘नन्दराज तिवस सतोघाटितम्’ । इसका अर्थ डा० स्टेनकौनोने किया—‘नन्दराजके समय स० १०३ में खोदी गई नहर’ । कोनौके मतमें यह वीर सम्वत् है । और वे वीर निर्वाण सम्वत्का आरम्भ ईस्वी पूर्व ५२७ में मानते थे । अतः उनके मतसे ५२७-१०३ = ४२४ ई० पूर्वमें नन्दराजा था ।

श्रीजायसवालने ‘नन्दराज तिवस सतो घाटितम्’ का अर्थ किया—‘नन्दराजके स० १०३ में खोदी’ उनका कहना है कि यदि ‘नन्दराजने स० १०३ में खोदी’ यह अर्थ इष्ट होता तो, ‘तिवससत नन्दराज ओघाटित’ पाठ होता । (ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १३, पृ० २३३)

अतः श्रीजायसवालके अनुसार खारवेलके शिलालेखमें नन्दसवत्का निर्देश है । उन्होंने कुछ प्रमाणोंके आधार पर यह प्रमाणित किया कि ‘नन्द सम्वत् किसी समय प्रचलित था । अलवेरुनीने लिखा है कि ईस्वी पूर्व ४५८ में एक सम्वत्का आरम्भ हुआ था । उसे वह हर्षवर्धन सम्वत् बतलाता है, और बतलाता है कि उसके समय तक (११वीं शताब्दी ई०) मथुरा और कनौजमें वह सम्वत् प्रचलित था । किन्तु ४५८ ई० पूर्वमें हर्षवर्धन नामके किसी राजाका अस्तित्व प्रसिद्ध नहीं है । अतः

अनुरुद्ध	४६७-४५८ ई० पू०
नन्दिवर्धन	४५८-४१८ ,,
मुण्ड	४१८-४१० ,,
महानन्दी	४०९-३७४ ,,
महानन्दीके दो बेटे	३७४-३६६ ,,
महापद्मनन्द	३६६-३३८ ,,
धननन्द	३३८-३२६ ,,
चन्द्रगुप्त मौर्य	३२६-२५-३०२ ई० पू०

यह हर्षवर्धन नन्दवर्धन होना चाहिये क्योंकि हर्ष और नन्द समानार्थक हैं। और प्राचीन भारतमें ऐसा प्रयोग करनेकी प्रथा थी। (वही, पृ० २३८)।

अलवेरुनीने इस सम्बन्धको मथुरा और कन्नौजमें प्रचलित पाया था। उसने लोगोंसे सुना कि इस सम्बन्ध के प्रवर्तक राजाने टैक्स घटा दिये थे क्योंकि उसे पृथ्वीमें से बहुत धन मिला था। यह बात नन्दोके गटे हुए कोशोंका स्मरण कराती है। यह प्रसिद्ध है कि नन्दवर्धनने प्रयातोंके अन्तिराज्यको जीत लिया था और मथुरा अन्तिराज्यका एक अंग था। अतः मथुरा और अन्तर्वर्ती कन्नौज नन्दवर्धनके मगध साम्राज्यके अन्तर्गत थे। अतः उन प्रदेशोंमें नन्द सम्बन्धका प्रचलित होना स्वाभाविक था।

उक्त प्रमाणोंके आधार पर श्रीजायसवालजीने खारवेलके शिलालेखमें निर्दिष्ट सम्बन्धको नन्दसम्बन्ध माना जो ई० पूर्व ४५८ में प्रचलित किया गया था और जिसका प्रचलनकर्ता नन्दवर्धन था।

जायसवाल जीको नन्दिवर्धनका राज्याभिषेक काल ४५८ ई० पू० निर्धारित करनेके लिये मगध राजवशकी नामावलीमें भी थोड़ा सा उलट कर करना पड़ा। (ज० वि० उ० रि० सो० जि० १३, पृ० २३६) उन्होंने मगधराज उदायीका अन्तकाल ४६७ ई० पू० माना है। जैन

अर्थात् उदायीके अन्त और चन्द्रगुप्त मौर्यके राज्याभिषेकके बीचमें जायसवाल जीके अनुसार ४ ७—३२५ = १४२ वर्षका

काल गणनाके अनुमार भी महावीरके निर्वाणसे उदायीके राज्यान्त तक का काल ६० वर्ष बतलाया है। अतः ५२७ ई० पू०में ६० वर्ष घटानेसे ४६७ ई० पू० काल आता है। पाली ग्रन्थोंमें नन्दवर्धनके अव्यवहित पूर्वमें दो राजाओंके नाम और दिये हैं, जो पुराणोंमें नहीं हैं। वे नाम हैं अनुरुद्ध और मुण्ड। अनुरुद्धका राज्यकाल नौ वर्ष और मुण्डका राज्यकाल ८ वर्ष बतलाया है। अतः उदायीके पश्चात् कालक्रम इस प्रकार बैठता है।

अनुरुद्ध ९ वर्ष	४६७—४५८ ई० पू०
मुण्ड ८ ,,	४५८—४४९ ,,
नन्दवर्धन ४० वर्ष,	४४९—४०९ ,,

पुराणोंमें नन्दोंके सौ वर्ष बतलाये हैं। जिनमें नन्दवर्धनके ४० वर्ष और महानन्दके ४३ वर्ष है। १७ वर्ष शेष रहते हैं। जायसवाल जीने अनुरुद्ध और मुण्डको भी नन्दोंमें सम्मिलित करके ९ - ८ = १७ वर्ष पूरे किये हैं। क्योंकि जैन अनुश्रुतिके अनुसार मगधमें उदायीके पश्चात् नन्दोंका राज्य हुआ था। अनुरुद्ध और मुण्डमें से किसी एकको नन्दवर्धनके नीचे रख देनेसे नन्दवर्धनका राज्याभिषेक काल ४५८ ई० पू० आ जाता है। यदि अनुरुद्ध और मुण्ड दोनोंको नन्दवर्धनके पश्चात् रख देते हैं तो जैन और पौराणिक अनुश्रुतियाँ आपसमें मिल जाती हैं, जो उदायीके पश्चात् नन्दोंका राज्य बतलाती हैं। किन्तु ऐसा करनेसे ४५८ ई० पू० में नन्दवर्धनके राज्यका नौवा वर्ष होता है। अतः अनुरुद्ध और मुण्ड दोनोंको नन्दवर्धनके पश्चात् न रखकर एक को ही रखना पर्याप्त है। इस तरहसे श्री जायसवालजीने उदायीके पश्चात् अनुरुद्ध और मुण्डमेंसे एकको रखकर तथा उसके पश्चात् नन्दवर्धनको रखकर ई० पू०

अन्तर है। इसमें पालकवंश अथवा उदयी तकके ६० वर्ष जोड़ देनेमें वीर निर्वाण और चन्द्रगुप्तमौर्यके राज्याभिषेकका अन्तर २०२ वर्ष आता है। अर्थात् वीर निर्वाणमें २०२वें वर्षमें चन्द्रगुप्त मौर्यका राज्याभिषेक हुआ। किन्तु जैन ग्रन्थोंमें वीर निर्वाण से (६० + १५५ = २१५) वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्तके राजा होनेका निर्देश है। अतः १२ वर्षका अन्तर स्पष्ट है और इसके अनुसार ५२०—२१५ = ३१२ ई० पू० में चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक होना चाहिये।

इतिहासके प्रेमियोंसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि चन्द्रगुप्त मौर्यके राज्याभिषेकके कालको लेकर भी इतिहासज्ञोंमें मतभेद है। और वह मतभेद भी १३-१४ वर्षका ही है। अर्थात् ३२६-२५ ई० पूर्वसे लेकर ३१२ ई० पूर्व तकके बीचमें चन्द्रगुप्त सिंहासन पर बैठा, यह सुनिश्चित रीतिसे माना जाता है। अतः महावीर निर्वाणसे २१५ वर्ष पश्चात् मौर्योंका राज्य होनेका जैन निर्देश सर्वथा गलत नहीं कहा जा सकता। और इसलिये इस दृष्टिमें भी प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत् ही ठीक प्रतीत होता है।

असलमें जैनग्रन्थोंमें महावीर निर्वाणके पश्चात् होनेवाले राजवंशोंकी कालगणना तो दी है किन्तु उन राजवंशोंमें होनेवाले राजाओंका न तो नाम दिया है और न प्रत्येकका राज्यकाल ही दिया है। अतः पुराणों और बौद्धग्रन्थोंमें दी गई राजकाल गणनाके साथ उनका समीकरण कर सकना शक्य नहीं है। फिर भी इतना सुनिश्चित है कि वीर निर्वाणके पश्चात्की जो राज्यकाल गणना दी है, प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत् उसके अविरुद्ध

४५८ नन्दवर्धनका राज्याभिषेक माना और उसे ही नन्द सम्वत्का प्रवर्तक बतलाया।

है। (सभी जैन महावीर निर्वाण और विक्रमके मध्यमें ४७६ वर्षका अन्तर माननेमें एकमत हैं। तथा शक राजासे ६०५ वर्ष पूर्व वीर निर्वाण होनेमें भी सबका ऐकमत्य है। अत विक्रम सम्वत्से ४७० वर्ष, शकसम्वत् से ६०५ वर्ष और ईस्वीसन् से ५२७ वर्ष पूर्व वीरका निर्वाण मानना ही समुचित है।)

आचार्य काल गणना

जैन ग्रन्थोंमें जैसे वीर निर्वाणके पश्चात् होनेवाले प्रमुख राजवशोंकी काल गणना दी है वैसे ही तत्पश्चात् होनेवाले महा-वीरके प्रमुख शिष्य-प्रशिष्योंकी भी परंपराका उल्लेख कालक्रमसे किया है।

दिगम्बर जैनोंके त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवला, जय धवला आदि ग्रन्थों और पट्टावलियोंमें तथा श्वे० जैनोंकी स्थविरावली और पट्टावलियोंमें उसका वर्णन पाया जाता है।

दि० जैनोंके अनुसार भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात् ६२ वर्षमें तीन केवली हुए और तत्पश्चात् १०० वर्षमें ५ श्रुत-केवली हुए।

ति० प० में लिखा है— जिस दिन वीर प्रभुका निर्वाण हुआ

- १—'जादो (सद्धो वीरो तद्धिवसे गोदमो परमणाणी ।
 जादो तस्मि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥१४७६॥
 तम्मि कदकम्मणासे जबूसामित्ति केवली जादो ।
 तत्थवि सिद्धिपवरणे केवलियो णत्थि अणुत्रद्धा ॥१४७७॥
 वासट्ठी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवताणं ।
 धम्मपयट्टणकाले परिमाणं पिंडरूवेण ॥१४७८॥

उसी दिन उनके प्रधान शिष्य गौतम केवलज्ञानी हुए। उनके मुक्त होने पर सुधर्मा स्वामी केवलज्ञानी हुए। उनके मुक्त होने पर जम्बू स्वामी केवलज्ञानी हुए। जम्बू स्वामीके मुक्त होने पर कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुआ। इन तीनोंके धर्मप्रवर्तनका सामूहिक काल ६२ वर्ष है।

आगे लिखा है—नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, चौथे गोवर्द्धन और पाँचवें भद्रबाहु, ये पाँच पुरुषश्रेष्ठ जगतमे विख्यात श्रुतकेवली श्री वर्द्धमान स्वामीके तीर्थमें हुए। इन पाँचोंके कालका सम्मिलित प्रमाण सौ वर्ष होता है। इनके पश्चात् पंचम कालमें भरत क्षेत्रमें कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ।

इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें तीनों केवलियोंका पृथक् पृथक् काल भी दिया है। तथा नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें (जै० सि० भा०, भाग १, कि० ४) भी प्रत्येक केवली और श्रुतकेवलीका पृथक् पृथक् काल दिया है, जो इस प्रकार है—

१—“ण्दीय ण्दिमित्तो ण्दिश्रो अवरजिदो तइजो य ।

गोवद्धणो चउत्थो पचमओ भद्वाहुत्ति ॥१४८२॥

पच इमे पुरिसवरा चउदसपूर्वी जगम्मि विक्खादा ।

ते वारस अंगघरा तित्थे सिरिवहुमाणस्स ॥१४८३॥

पचाण मेलिदाण कालपमाण हवेदि वाससद ।

वीदम्मि पचमए भरहे सुटकेवली णत्थि ॥१४८४॥

—तिलोयप०, अ० ४ ।

ज० घ१ भा० १, पृ० ८५ । धवला, पु० १, पृ० ६६ ।

हरि० पु०, सर्ग ६६, श्लो० २२ । इन्द्र० श्रुता०, श्लो०

३ केवली		पाँच श्रुतकेवली	
१ गौतम गणधर	१२ वर्ष	१ विष्णुकुमार	१४ वर्ष
२ सुधर्मास्वामी	११ ,,	२ नन्दिमित्र	१६ ,,
३ जम्बू स्वामी	३८ ,,	३ अपराजित	२२ ,,
	—	४ गोवर्धन	१९ ,,
	६२ वर्ष	५ भद्रबाहु	२६ ,,
			<hr/>
			१०० वर्ष

इस तरह भगवान महावीरके निर्वाणसे भद्रबाहु श्रुतकेवली पर्यन्त १६२ वर्ष होते हैं।

श्वेताम्बरीय स्थविरावलीके अनुसार महावीर निर्वाणके

१—धवला (पृ० ६६, भा० १) में तथा श्रवणवेलगोलाके शिलालेख न० १ में दूसरे केवलीका नाम लोहार्य ही पाया जाता है। किन्तु जयधवला, हरिवश पु०, श्रुतावतार तथा शिलालेख न० १०५ (२५४) में उसके स्थानपर सुधर्माका नाम है। जम्बूद्वीप पण्यतिमें स्पष्ट लिखा है कि लोहार्यका नाम सुधर्मा भी था। यथा—

तेणवि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण ।

गणहर सुधम्मणा खलु जजुयामस्स णिहिंइ ॥१०॥

२—तिलोयपण्यति जम्बूद्वीपपण्यति, आदिपुराण व श्रुतस्कन्धमें नन्दि या नन्दि मुनि नाम आता है विष्णु और नन्दि भी एक ही आचार्यके दो नाम प्रतीत होते हैं। यह सभव है कि आचार्यका पूरा नाम विष्णु नन्दि हो, सन्नेपमें उन्हें कहीं विष्णु और कहीं नन्दि कहा गया हो।

पश्चात् होनेवाले युगप्रधान आचार्योंका कालक्रम इस प्रकार दिया है—

१ सुधर्मा	२० वर्ष	५ यशोभद्र	५० वर्ष
२ जम्बू	४४ ,,	६ संभूतिविजय	८ ,,
३ प्रभव	११ ,,	७ भद्रबाहु	१४ ,,
४ शयंभव	२३ ,,	८ स्थूलभद्र	४५ ,,

—
२१५ ,,

(इस काल गणनाकी विशेषता यह है कि जिस प्रकार महावीर निर्वाणके पश्चात् होने वाले राजवंशोंकी काल गणनाके २१५ वर्ष (पालकसे लेकर नन्दवंशके अन्त तक) गिनाये हैं उसी प्रकार महावीर निर्वाणके पश्चात् होनेवाले युगप्रधान आचार्योंका काल भी २१५ वर्षके हिसाबसे गिनाया है। अर्थात् उधर नन्दवंशके अन्तके साथ और इधर स्थूलभद्रके स्वर्गवासके साथ महावीर निर्वाणके २१५ वर्ष पूरे होते हैं।)

इसके अनुसार वीर निर्वाणके १७० वर्ष बीतने पर भद्रबाहु स्वामीका स्वर्गवास हुआ। जैसा कि आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने परिशिष्ट-पर्वमें लिखा है। श्वे० स्थविरावलीमें गौतमः

१—'सिरि वीराउ सुहम्मो वीसं चउचत्तवासजबुस्स ।

पभवेगारस सिज्जभवस्स तेवीस वासाणि ॥

पन्नास जसोभद्दे, सभूहस्सट्ठ भद्दबाहुस्स ।

चउदस य थूलभद्दे, पणयालेव दुपन्नरस ॥'

—वि० श्रे० ।

२—श्री वीर मोक्षात् वर्षशते सप्तत्यग्रे गते सति ।

भद्रबाहुरपि स्वामी ययौ स्वर्गं समाधिना ॥—प० प० ॥

गणधरको, जो महावीरके प्रधान शिष्य थे, महावीरके निर्वाणके पश्चात् युगप्रधान पदपर आसीन न कराकर सुधर्माको आसीन कराया है। किन्तु कल्पसूत्रके अनुसार महावीर स्वामीका निर्वाण होनेके पश्चात् गौतमको केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वे १२ वर्ष तक प्रधान पद पर प्रतिष्ठित रहे। तत्पश्चात् उन्होंने अपना पद सुधर्मा स्वामीको दिया और वे आठ वर्ष तक उस पद पर आसीन रहे। इस तरह स्थविरावलीमें जो सुधर्माके २० वर्ष गिनाये हैं, उनमें १२ वर्ष गौतमके और ८ वर्ष सुधर्माके हैं। किन्तु दोनोंका अलग अलग उल्लेख न करके सुधर्माके ही २० वर्ष बतलानेमें क्या हेतु है यह हम नहीं कह सकते।

जम्बू स्वामी केवलीके पश्चात् होने वाले युगप्रधान आचार्यों में भद्रबाहु ही एक ऐसे हैं, जिन्हें दोनों सम्प्रदायोंने माना है। (जम्बू स्वामीके पश्चात् और भद्रबाहु स्वामीसे पहले होनेवाले ४ आचार्योंके नाम दोनों सम्प्रदायोंमें भिन्न भिन्न हैं और उनका काल भी समान नहीं है। इसलिये यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। किन्तु भद्रबाहुका युगप्रधानत्व दोनों सम्प्रदायोंको स्वीकार्य है। इन्हींके समयमें संघभेद हुआ। इसलिये भी भद्रबाहुका स्थान अखण्ड जैन परम्पराकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। दि० जैन ग्रन्थ तथा शिलालेख इन्हे मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तका समकालीन सिद्ध करते हैं। और विदेशी तथा एतदेशीय इतिहासज्ञोंने भी उनकी सत्यताको स्वीकार किया है।

(किन्तु उक्त काल गणनाको देखते हुए चन्द्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहुकी समकालीनता सिद्ध नहीं होती और उन दोनोंके बीच में वही प्रसिद्ध ६० वर्षका अन्तर पड़ता है। अर्थात् यदि भद्रबाहुके समय वीर नि० १६२ में ६० वर्ष बढ़ा दिये जायें तो चन्द्र-

गुप्त मौर्य और भद्रबाहुकी समकालीनता ठीक बन जाती है। अथवा चन्द्रगुप्त मौर्यके कालमेंसे ६० वर्ष पीछे हटा दिये जायें जैसा कि हेमचंद्राचार्यने महावीर निर्वाणसे २१५ वर्षकी परम्पराके स्थानमें १५५ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्तका राजा होना लिखा है तो दोनोंकी समकालीनता बन सकती है। आचार्य हेमचंद्रने ऐसा विचारपूर्वक ही किया है और इसलिये उनके समयमें दोनोंकी समकालीनताका एक वास्तविक तथ्यके रूपमें माना जाता था, यह स्पष्ट है, क्योंकि यदि उसमें उन्हें थोड़ा सा भी संदेह होता तो हेमचंद्र २१५ वर्षकी चली आई हुई प्राचीन जैन गणनामें संशोधन करनेका साहस न करते।

भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त

आगे हम श्रुत केवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तको समकालीन बतलाने वाले उल्लेखोका साधार निर्देश करते हैं—

दिगम्बर साहित्यमें इस विषयका सबसे प्राचीन उल्लेख हरिषेणकृत बृहत्कथा कोशमें (कथा १३१) पाया जाता है। यह ग्रन्थ शक सम्वत् ८५३ का रचा हुआ है। इसमें बतलाया है कि भद्रबाहु पुरण्डर्धन देशके निवासी एक ब्राह्मणके पुत्र थे। उन्होंने एक दिन खेलते हुए एकके ऊपर एक, इस तरह चौदह गट्ट रख दिये। चतुर्थ श्रुत केवली गोवर्धन उधरसे कहीं जाते थे। उन्होंने भद्रबाहुको उसके पितासे माँग लिया और उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान् बना दिया। पीछे भद्रबाहुने अपने गुरुसे मुनि दीक्षा ले ली, और वह गोवर्धनके स्वर्गगमनके पश्चात् पञ्चम श्रुत केवली हुए।

एक दिन वे उज्जैनी नगरीमें भिक्षाके लिये गये। उस समय वहाँका राजा श्रीमान् चन्द्रगुप्त था और वह महान् श्रावक था।

भद्रबाहुने जैसे ही एक शून्यगृहमें प्रवेश किया। एक शिशुने कहा—‘यहाँसे जल्दी चले जाओ।’ दिव्यज्ञानी भद्रबाहुने शिशुके यह वचन सुनकर जाना कि यहाँ बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। ऐसा जानकर वे भोजन किये बिना ही लौट गये। उन्होंने संघसे यह समाचार कहा कि मेरी आयु थोड़ी है अतः मैं तो यहीं ठहरूँगा आप लोग समुद्रके समीप चले जायें। यह सुनकर नरेश्वर चन्द्रगुप्तने भी उनके पास जिन दीक्षा ले ली। मुनि होनेके पश्चात् चन्द्रगुप्तका नाम विशाखाचार्य हो गया और वे दस पूर्वियोंमें प्रथम हुए तथा संघके अधिपति बना दिये गये। उनके साथ सब संघ भद्रबाहुकी आज्ञानुसार दक्षिणापथ देशमें स्थित पुन्नार नगरको चला गया। भद्रबाहु मुनिने भाद्रपद देशमें जाकर समाधि मरण पूर्वक शरीर त्याग दिया।

इस कथामें भद्रबाहुको श्रुतकेवली तथा उनके गुरुका नाम गोवर्धन दिया है और चन्द्रगुप्त नरेश्वरको दीक्षा देनेके पश्चात् उनका उत्तराधिकारी विशाखाचार्य बतलाया है।

समस्त दिगम्बर जैन साहित्यमें तथा शिलालेखोंमें गोवर्धनको चतुर्थ श्रुतकेवली बतलाया है और उन्हें भद्रबाहु श्रुत केवलीका पूर्वज बतलाया है। तथा भद्रबाहुको पुडूवर्धन देशके कोटिमत नगरका वासी बतलाया है। अतः यह निर्विवाद है कि वृ० क० कोशमें जिस भद्रबाहुका आख्यान दिया है वे श्रुतकेवली भद्रबाहु ही हैं, और उनके समयमें चन्द्रगुप्त नामका यदि कोई राजा हुआ है तो वह मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ही है। चन्द्रगुप्त नामक अन्य राजा तो बहुत समय पश्चात् हुए हैं। अतः उनके श्रुतकेवली भद्रबाहुके समकालीन होनेका प्रश्न ही नहीं है।

श्री सत्यकेतु विद्यालकारने अपने मौर्य साम्राज्यके इतिहासमें

(पृ० ४२४) लिखा है—‘हम इस अनुश्रुतिमें कोई संदेह नहीं करते कि चन्द्रगुप्त नामका उज्जयिनीका एक राजा आचार्य भद्रवाहुके साथ श्रवणवेल गोलामे आया था और वहाँ पहुँचकर अनशन व्रत करके स्वर्गलोक सिधारा था । परन्तु प्रश्न यही है कि चन्द्रगुप्त हैं कौन सा ? जैन साहित्यके अनुसार यह अशोकका पौत्र है ।’)

किन्तु भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त द्वितीयकी, जो इतिहासमें सम्प्रति के नामसे ही प्रसिद्ध है, समकालीनता संभव नहीं है । अशोक के पौत्र सम्प्रतिका राज्याभिषेक २०० ई० पू० में हुआ । अर्थात् चन्द्रगुप्त प्रथमके राज्याभिषेकसे सौ वर्षसे भी अधिक कालके पश्चात् । उस समय भद्रवाहुका अस्तित्व किसी भी तरह संभव नहीं है । यद्यपि श्वेताम्बर साहित्यमें सम्प्रतिको जैन धर्मका महान् उद्धारक लिखा है । आर्य सुहस्तीने उसे जैन धर्ममें दीक्षित किया था । किन्तु एक तो श्वेताम्बर पट्टावलियोंके अनुसार भद्रवाहु श्रुतकेवलीके ७५ वर्ष पश्चात् आर्य सुहस्ती पट्टासीन हुए थे । दूसरे, सम्प्रतिके राजपाट त्याग कर जिन दीक्षा लेनेका कोई निर्देश नहीं है । तीसरे, सम्प्रतिका चन्द्रगुप्त नाम भी कहीं नहीं मिलता, श्वेताम्बर साहित्यमें सम्प्रति नामसे ही उसका उल्लेख मिलता है । अतः भद्रवाहु श्रुतकेवलीका समकालीन चन्द्रगुप्त नामक राजा मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त ही हो सकता है । इतिहासमें उसकी राज्य समाप्तिका उल्लेख नहीं मिलता और न उसकी मृत्यु होनेका ही निर्देश है । इससे यह बहुत संभव माना जाता है कि उसने राज्य त्यागकर श्रुतकेवली भद्रवाहुसे मुनि दीक्षा ली ।

डा० स्मिथने (आक्स० हि० इं०, पृ० ७५-७६) लिखा था—
 (‘चन्द्रगुप्त मौर्यका राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हुआ इसपर

ठीक प्रकाश एकमात्र जैन कथाओंसे ही पड़ता है। जैनियोने सदैव उक्त मौर्य सम्राटको बिम्बसारके सदृश जैन धर्मावलम्बी माना है और उनके इस विश्वासको झूठ कहनेके लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि शैशुनाग नन्द और मौर्य राजवंशोके समयमें जैनधर्म मगध प्रान्तमें बहुत जोर पर था। × × एक बार जहाँ चन्द्रगुप्तके धर्मावलम्बी होनेकी बात मान ली तहाँ फिर उनके राज्यको त्यागकर जैन विधिके अनुसार सल्लेखना विधिके द्वारा मरण करनेकी बात सहज ही विश्वसनीय हो जाती है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि जब भद्रबाहुकी द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षवाली भविष्यवाणी उत्तर भारतमें सच होने लगी तब आचार्य बारह हजार जैनियों (मुनियों) को साथ लेकर अन्य सुदेशकी खोजमें दक्षिणको चल पडे। महाराज चन्द्रगुप्त राज्य त्याग कर संघके साथ हो लिये। यह संघ श्रवण-वेलगोल पहुँचा। यहाँ भद्रबाहुने शरीर त्याग किया। राजर्षि चन्द्रगुप्तने उनसे बारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया। इस कथाका समर्थन श्रवणवेल गोला आदिके नामों, ईसाकी सातवीं शताब्दीके उपरान्तके लेखों तथा दसवीं शताब्दीके ग्रन्थोंसे होता है। इसकी प्रामाणिकता सर्वत पूर्ण नहीं कही जा सकती। किन्तु बहुत कुछ सोच विचार करनेपर मेरा झुकाव इस कथनकी मुख्य बातोंको स्वीकार करनेकी ओर है। यह तो निश्चित ही है कि जब ईस्वी पूर्व ३२२ में या उसके लगभग चन्द्रगुप्त सिंहासनारूढ़ हुए थे तब वे तरुण थे। अतएव जब २४ वर्षके पश्चात् उनके राज्यकालकी समाप्ति हुई तब वे पचास वर्षकी अवस्थासे नीचे ही होंगे। अतः इतनी कम अवस्थामें उनका राज्य त्याग देने और लुप्त हो जानेका उक्त कारण ही प्रतीत होता है। राजाओंके इस प्रकार विरक्त हो जानेके अन्य भी उदाहरण हैं। और बारह वर्ष-

का दुर्भिक्ष भी अविश्वसनीय नहीं है । संक्षेपमें अन्य कोई वृत्तान्त उपलब्ध न होनेके कारण इस क्षेत्रमें जैन कथन ही सर्वोपरि प्रमाण है ।' (जै० शि० सं०, भाग १, भूमिका पृ० ६८-७० से)

(डा० स्मिथने सातवीं शतीके जिन शिलालेखोंका निर्देश किया है उनमें श्रवण वेलगोलाके चन्द्रगिरिपर स्थित पार्श्वनाथ वस्तीके पासका शिलालेख (नं० १) इस सम्बन्धमें सबसे प्राचीन प्रमाण है । यह लेख श्रवण वेलगोलाके शिलालेखोंमें सबसे प्राचीन माना जाता है । इसमें लिखा है—'महावीर स्वामीके पश्चात् गौतम, लोहार्य, जम्बू, विष्णुदेव, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु विशाख प्रोष्ठिल, कृतिकार्य, जय, सिद्धार्थ, धृतिषेण, बुद्धिलादि गुरु परम्परामें होनेवाले भद्रबाहुके त्रैकाल्यदर्शी निमित्त ज्ञानके द्वारा उज्जैनीमें यह कथन किये जानेपर कि वहाँ बारह वर्षका दुर्भिक्ष पड़नेवाला है, सारे संघने उत्तरायणसे दक्षिण पथको प्रस्थान किया और क्रमसे वह बहुत समृद्धियुक्त जनपदमें पहुंचा । भद्रबाहु स्वामी संघको आगे बढ़नेकी आज्ञा देकर आप प्रभाचन्द्र नामक एक शिष्य सहित कटवप्रपर ठहर गये और उन्होंने वहाँ समाधिमरण किया ।)

द्वितीय भद्रबाहुकी स्थिति

इस शिलालेखमें भद्रबाहुको श्रुतकेवली न बतलाकर निमित्त-ज्ञानी बतलाया है तथा चन्द्रगुप्तके स्थानमें प्रभाचन्द्र नामका प्रयोग किया है । किन्तु श्रवण वेलगोलाके शिलालेख नं० १७^१,

१८, ४०, ५४ और १०८ में भद्रबाहुको श्रुतकेवली तथा चन्द्रगुप्त-
को उनका शिष्य बतलाया है। यहाँ यह स्पष्टीकरण कर देना उचित
होगा कि दि० पट्टावलीमें भद्रबाहु^३ नामके दो आचार्योंका उल्लेख

१—‘श्री भद्र. सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुतः ।

श्रुतकेवलि नाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥ ४ ॥

‘चन्द्रप्रकाशोज्ज्वल सान्द्र कीर्ति श्री चन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः ।’

२—यो भद्रबाहुः श्रुतकेवलीना मुनीश्वराणाभिह पश्चिमोऽपि ।

अपश्चिमोऽभूद् विदुषा विनेता सर्वश्रुतार्थप्रतिपादनेन ॥ ८ ॥

तदीय शिष्यो जनि चन्द्रगुप्तः समग्रशीलानतदेववृद्धः ।

—जै० शि० स०, भाग १ ।

३—ति० प० अ० ४, गा० १४९०, श्रुतस्कन्ध गा० ७६, श्रुताव०
श्लोक ८३, ज० घ०, भाग १, पृष्ठ ८६, घवला पु० १, पृष्ठ ६६ में
द्वितीय भद्रबाहुका नाम नहीं आया। ‘जहवाहु’, जयवाहु, जसवाहु नाम
पाया जाता है। भद्रबाहु नाम केवल पट्टावलीमें पाया जाता है। ति०
प० आदिके अनुसार यह जयवाहु (भद्रबाहु) आचारागधारियोंकी
परम्परामें तीसरे थे। और महावीर निर्वाणसे $६२ + १०० + १८३ +$
 $२२० = ५६५$ वर्षोंके पश्चात् आचारागधारियोंकी परम्परा प्रारम्भ हुई।
तथा चार आचारागधारियोंका काल ११८ वर्ष बतलाया है। अतः
यदि अन्तिम आचारागधारी लोहाचार्यका काल ५० वर्ष माना जाये तो
 $११८ - ५० = ६८$ वर्षको ५६५ में जोड़नेसे ($५६५ + ६८ = ६३३$)
महावीर निर्वाणसे ६३३ वर्ष पश्चात् दूसरे भद्रबाहुका अन्तकाल आता
है। अर्थात् $६३३ - ५२७ = १०६$ ई० या $६३३ - ४७० = १६३$
विक्रम समस्तमें द्वितीय भद्रबाहुका मरण हुआ। किन्तु नन्दी सघकी
पट्टावलीमें सामूहिक कालके साथ ही साथ प्रत्येक आचार्यका पृथक् २
काल भी दिया है। किन्तु उसमें प्रथम तीन केवलियों, पाँच श्रुतकेव-

मिलता है, एक तो अन्तिम श्रुत केवली भद्रबाहु, और दूसरे वे भद्रबाहु हैं, जिनसे सरस्वती गच्छकी नन्दि आम्नायकी पट्टावली

लियों और ग्यारह दशपूर्वियोंका समय तो क्रमशः वही ६२ + १०० + १८३ वर्ष बतलाया गया है और उसका जोड़ ३४५ वर्ष कहा है। इसके आगे जिन पाँच एकादश अगधारियोंका समय अन्यत्र २२० वर्ष बतलाया है, यहाँ उनका समय १२३ वर्ष बतलाया है। इनके पश्चात् आगेके जिन चार आचार्योंको अन्यत्र आचारागधारी कहा है उन्हें यहाँ (न० पट्टा०) दस, नौ और आठ अगके धारी कहा है। तथा इनका समय भी ११८ वर्षके स्थानमें ६६ वर्ष कहा है। इस पट्टावलीकी काल गणनाके अनुसार वीर निर्वाणसे ६२ + १८० + १८३ + १२३ + २४ = ४६२ वर्षके पश्चात् द्वितीय भद्रबाहु हुए और उनका काल २३ वर्ष बतलाया है। अर्थात् ५२७—४६२ ईस्वी सन्से ३५ वर्ष पूर्व या विक्रम सम्वत् ४६२—४७० = २२ में द्वितीय भद्रबाहु हुए। किन्तु पट्टावलीमें लिखा है 'बहुरि महावीर स्वामी पीछे ४९२ च्यारि सै वाणवै वर्ष गये, सुभद्राचार्यका वर्तमान वर्ष २४ सो विक्रम जन्म तै वावीस वर्ष। बहुरि ता का राज्य तै ४ वर्ष दूसरा भद्रबाहु हुआ जानना। (इ० एं०, जि० २१, पृ० ५७ आदि) आशय यह है कि इस पट्टावलीमें 'तदुक्त विक्रम प्रबन्धे' लिखकर दो गाथाएँ उद्धृत की हैं, जिनमें बतलाया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ, ८ वर्ष तक बालक्रीडा की, १६ वर्ष तक भ्रमण किया और ५६ वर्ष तक राज्य किया। इस प्रमाणके अनुसार विक्रमका जन्म वीर निर्वाण स० ४७० में हुआ। अतः (४६२—४७० = २२) विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष पीछे सुभद्राचार्यका अन्त हुआ। तत्पश्चात् भद्रबाहु द्वितीय पट्टपर बैठे। तथा १८ वर्षकी उम्रमें विक्रमका राज्यारोहण हुआ। अतः (२२—१८ = ४) विक्रमके राज्यके ४ वर्ष बीतनेपर द्वितीय भद्रबाहु पट्टासीन हुए। विक्रम

प्रारम्भ होती है। दूसरे भद्रबाहुका समय ईस्वी सन्से ५३ वर्ष पूर्व पाया जाता है। अतः दोनों भद्रबाहुओंके मध्यमें तीन शता-

के राज्यारोहणसे विक्रम सम्बत्का चलन मानकर डा० प्लीट वगैरहने वि० सं० ४ या ईस्वी पूर्व ५३ में द्वितीय भद्रबाहुका होना माना है। किन्तु वीर निर्वाण सम्बत् और विक्रम सम्बत्के मध्य ४७० वर्षके अन्तर में १८ वर्षकी वृद्धि कर देनेसे अथवा वीर निर्वाणसे ४८८ वर्ष पश्चात् विक्रम सम्बत्का प्रचलित होना माननेसे जो नई आपत्तियाँ उठ खड़ी होती हैं उनका निर्देश श्री जुगलकिशोर मुख्तारने (अनेकान्त, वर्ष १, वि० १, पृष्ठ १९ में) स्पष्ट रूपसे किया है। अतः वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम सम्बत्की प्रवृत्ति मानना ही उचित है और तदनुसार विक्रम सम्बत् २२ से वि० सं० ४५ तक भद्रबाहु द्वितीयका काल आता है। सरस्वती गच्छकी पट्टावलीमें इन्हें ब्राह्मण बतलाया है तथा आयु ७७ वर्ष बतलाई है। क० को० की कथाके श्रुतकेवली भद्रबाहु भी ब्राह्मण थे। और श्वेताम्बर परम्पराके तथोक्त श्रुतकेवली और वराह मिहिरके भाई भद्रबाहु भी ब्राह्मण थे। उनकी आयु भी ७६ वर्ष बतलाई है। सरस्वतीगच्छकी पट्टावलीमें भद्रबाहुके शिष्यके तीन नाम बतलाये हैं—गुप्तिगुप्त, अर्हद्वलि और विशाखाचार्य। श्रुतकेवली भद्रबाहुके शिष्यका नाम भी विशाखाचार्य था तथा दिगम्बर जैन ग्रन्थोंके जसबाहु आदि और न० स० पट्टावलीके भद्रबाहु (द्वितीय) के शिष्यका नाम लोहाचार्य था। नन्दि पट्टावलीके अनुसार लोहाचार्यके शिष्य अर्हद्वलि और अर्हद्वलिके शिष्य माघनन्दि थे। किन्तु सरस्वती ग० पट्टावलीमें लोहाचार्यको उमास्वामीके पश्चात् रखा है जो किसी भी तरह ठीक नहीं है। अतः द्वितीय भद्रबाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्तकी स्थिति सर्वथा असन्देह नहीं है। यदि दूसरे भद्रबाहु वराहमिहिरके भाई थे, तो कहना होगा कि दिगम्बर परम्पराके द्वितीय भद्रबाहु श्वेताम्बर परम्पराके

द्विद्वयोका अन्तराल है। इनके शिष्यका नाम गुप्तिगुप्त पाया जाता है। डा० प्लीटके मतानुसार ये द्वितीय भद्रबाहु ही दक्षिण गये थे और उनके शिष्य गुप्तिगुप्तका ही नामांतर चन्द्रगुप्त था। मुनि कल्याण विजय जीने भी इसी मतका समर्थन किया है।

किन्तु उन्होंने द्वितीय भद्रबाहुके ईस्वी पूर्व ५३ मे अथवा विक्रमकी प्रथम शतीमे होनेको गलत बतलाया है क्योंकि श्वेताम्बरीय साहित्यमे भद्रबाहुको ज्योतिषी वराहमिहिरका भाई लिखा है और वराहमिहिरका काल शक सम्वत् ४२७ (ई० ५०५) निश्चित है।

जैसे दिगम्बर जैन परम्परामें द्वितीय भद्रबाहुको चरमनिमित्त धर लिखा है वैसे ही श्वेताम्बर परम्परामे भी भद्रबाहुको निमित्त-वेत्ता और भद्रबाहु संहिताका कर्ता लिखा है। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि श्वेताम्बर ग्रन्थकारोंने वराहमिहिरके भाई निमित्त-वेत्ता भद्रबाहुको ही श्रुतकेवली भी लिखा है। और यह भूल नई नहीं है बहुत पुरानी है। इसी भूलके कारण निर्युक्तियोंका कर्ता भी श्रुतकेवली भद्रबाहुको ही समझा जाता रहा है, जिसका परिमार्जन बृहत् कल्पसूत्रके दो भागकी प्रस्तावनामें मुनि पुण्यविजय जीने युक्ति पुरःसर किया है।

भद्रबाहु सम्बन्धी इस चिरकालीन भूलके फलस्वरूप भद्रबाहु का जीवनवृत्त तक अस्त व्यस्त हो गया प्रतीत होता है। उदाहरणके लिये श्वेताम्बर परम्परामें भद्रबाहुके गुरुका नाम यशोभद्र है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें द्वितीय भद्रबाहुके गुरुका नाम यशोभद्र है और श्रुतकेवली भद्रबाहुके गुरुका नाम गोवर्धनाचार्य है।

द्वितीय भद्रबाहुसे भिन्न ये क्योंकि दोनोंके मध्यमें भी कई शताब्दियोंका अन्तराल है।

श्रवण वेलगोलाके जिस शिलालेख नं० १ का ऊपर जिक्र किया उससे भी ऐसा अर्थ निकल सकता है कि शायद दूसरे भद्रबाहु दक्षिणको गये थे । जैसा कि डा० फ्लीट और मुनि कल्याण विजय जीका भी मत है । परन्तु यह मत भी आपत्तिपूर्ण है क्योंकि प्रथम तो द्वितीय भद्रबाहुके समयमें चंद्रगुप्त नामके किसी राजाका कोई संकेत नहीं मिलता, दूसरे चंद्रगुप्त और गुप्तिगुप्तको एक माननेके लिये भी कोई प्रमाण नहीं है, तीसरे जिस दुर्भिक्षके कारण भद्रबाहुको उत्तरापथसे दक्षिणापथको जाना पड़ा, द्वितीय भद्रबाहुके समयमें उस दुर्भिक्षका कोई निर्देश नहीं मिलता । इन कारणोंसे ही डा० फ्लीटके मतको विद्वानोंका समर्थन नहीं मिल सका ।

(अतः हरिषेण कथा कोशमें जो भद्रबाहुकी कथा दी है उसमें प्रामाणिकता है । यद्यपि उसमें चन्द्रगुप्तको उज्जैनीका राजा बतलाया है, किन्तु यह कथन भी आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि हम पहले बतला आये हैं कि शिशुनागवंश और नन्दवंशके राज्यमें उज्जैनीका राज्य भी सम्मिलित था । तथा यद्यपि चन्द्रगुप्त मौर्यकी प्रधान राजधानी तो पाटलीपुत्र ही थी, किन्तु कुछ अन्य राजधानियाँ भी थीं, जिनमें उज्जैनका नाम भी है और जो पश्चिम खण्डकी राजधानी थी (भा० ३० रू०, भा० २, पृ० ५५८) ।

फिर कथामें चन्द्रगुप्तको उज्जैनीका राजा नहीं बतलाया । बल्कि यह बतलाया है कि जब भद्रबाहु उज्जैनीमें पधारे तो उस समय उस नगरमें महान श्रावक राजा चन्द्रगुप्त था । अतः उससे यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि उस समय चन्द्रगुप्त उज्जैन आया हुआ था ।)

मौर्य चन्द्रगुप्तका जैन श्रमणोंके प्रति विशेष आकर्षण था यह इतिहास सिद्ध है । मेगस्थनीजने, जो चन्द्रगुप्तके दरबारमें सेल्यु-

कसका राजदूत था, लिखा है कि ये श्रमण ब्राह्मणों और बौद्धोंसे भिन्न थे इनका महाराज चन्द्रगुप्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे स्वयं अथवा अपने अनुचरोके द्वारा बड़ी विनय तथा भक्तिके साथ श्रमणोंकी पूजा किया करते थे।

मि० जार्ज सी० एम० वर्डवुकने लिखा है—('चन्द्रगुप्त और विन्दुसार दोनों जैन थे। किन्तु चन्द्रगुप्तके पौत्र अशोकने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था।')

डा० जायसवालने लिखा है—'ये मौर्य महाराज वेदोंके कर्मकाण्डको नहीं मानते थे और न ब्राह्मणोंकी जातिको अपनेसे ऊँचा मानते थे। भारतके ये ब्राह्मण अवेदिक क्षत्रिय सार्वकालिक साम्राज्य अक्षय 'धर्मविजय' स्थापित करनेकी कामनावाले हुए। (मौ० सा० इ० की भूमिका)

चन्द्रगुप्त मौर्यको जब जैन और बौद्ध क्षत्रिय बतलाते हैं तब ब्राह्मण पुराण उसे मुरा नामकी दासीका पुत्र बतलाते हैं। मुद्राराक्षस नाटकसे प्रकट है कि चाणक्य चन्द्रगुप्तको वृषल कहता था। जिन क्षत्रिय जातियोंपर ब्राह्मणोंका कोप हुआ वे वृषल कहलाई। इन सब बातोंसे यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्मावलम्बी नहीं था। शेष रहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सो मौर्यवंशमें बौद्ध धर्मका प्रवेश अशोकके द्वारा हुआ। चन्द्रगुप्तका पूर्वाधिकारी नन्द जैन था, यह बात खारवेलके शिलालेखसे स्पष्ट है, क्योंकि उस शिलालेखकी १२वीं पंक्तिमें बतलाया है कि नन्द कलिंगपर चढ़ाई करके कलिंग जिनकी मूर्ति ले गया था। बृहस्पति मित्रको हराकर खारवेल उस मूर्तिको पुनः कलिंग ले आया। इस घटनासे श्री जायसवालने यह सिद्ध किया है कि नन्द राजा जैन थे। (ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १३, पृ० २४५)

अतः पाटलीपुत्रके राज घरानेमें चन्द्रगुप्तसे पहलेसे ही जैन

धर्म प्रचलित था। शायद इसीसे पुराणोंमें, महापद्म नन्दके विषयमें लिखा है कि 'अबसे शूद्र राजा होंगे। अस्तु,

(इसके सिवाय प्राचीन दि० जैन ग्रन्थ तिलोयपरणतिमें लिखा है कि 'मुकुटधारी राजाओंमें अन्तिम राजा चन्द्रगुप्तने जिन दीक्षा धारण की। इसके पश्चात् मुकुटधारियोंने दीक्षा ग्रहण नहीं की।)

यह प्राचीन उल्लेख भी इस बातको प्रमाणित करता है कि चन्द्रगुप्त नामक राजाने जिन दीक्षा धारण की थी। उसके पश्चात् किसी राजाने जिन दीक्षा धारण नहीं की। यह उल्लेख भी हरिषेण कथाकोश और श्रवणवेलगोलाके शिलालेखोंमें उल्लिखित चन्द्रगुप्तका ही निर्देशक है, क्योंकि उस एक चन्द्रगुप्तके सिवाय किसी अन्य चन्द्रगुप्तके जिन दीक्षा धारण करनेका कोई सकेत नहीं है, और वह चन्द्रगुप्त भद्रबाहु श्रुतकेवलीका लघु समकालीन मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ही है।

तथा ति० प० में उक्त गाथा ऐसे प्रकरणसे सम्बद्ध है जिसका सम्बन्ध भगवान् महावीरके निर्वाण पश्चात् होनेवाली आचार्यके परम्परासे है। उस प्रकरणमें सबसे प्रथम भगवान् महावीरके

१—महानन्दिसुतश्चापि शूद्राया कलिकाशजः ।

उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वज्ञान्तको नृपः ॥

ततः प्रभृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनय ।

एकराट् स महापद्मो एकच्छत्रो भविष्यति ॥

—मत्स्य पु०, २७१ अ० ।

२—'मउडधरेसुं' चरिमो जिणदिक्ख धरदि चदगुत्तो य ।

तत्तो मउडधराट्ठु पव्वज्ज शेव गेरहंति ॥१४८१॥

—ति० प०, अ० ४ ।

निर्वाणके पश्चात् क्रमसे होनेवाले तीन केवलज्ञानियोंका निर्देश है। उसके पश्चात् वतलाया है कि अन्तिम केवलज्ञानी श्रीधर हुए, अन्तिम चारण ऋषि सुपार्श्वचन्द्र हुए, अन्तिम प्रजाश्रमण वज्रयश हुए और अन्तिम अवधिज्ञानी श्री नामक ऋषि हुए। तत्पश्चात् अन्तिम चन्द्रगुप्त राजाके दीक्षा लेनेवाली गाथा है। उसके पश्चात् क्रमसे होनेवाले पाँच श्रुतकेवलियोंका निर्देश है, जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे।

(भगवान महावीरके निर्वाणगमनके ३ वर्ष ८॥ मास पश्चात् पंचमकाल प्रारम्भ हुआ। पंचमकालमें ऋद्धि सिद्धिका योग क्वचित् ही होता है। चतुर्थकालमें उत्पन्न हुए मनुष्य पंचमकालमें मुक्त हो सकते हैं, जैसे जम्बूस्वामी। किन्तु पंचम कालके जन्मे हुए जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह ऋद्धियोंका लाभ भी उत्तरोत्तर हीन होता होता बन्द हो जाता है। अतः केवली और श्रुत केवलियोंके मध्यमें जिन अन्तिम विशिष्ट व्यक्तियोंका निर्देश किया है, महावीर निर्वाणसे कई शताब्दी पश्चात् उनका होना संभव प्रतीत नहीं होता। बहुत संभव तो यही प्रतीत होता है कि श्रुत केवलियोंके थोड़े बहुत आगे या पीछे ही वे महापुरुष हुए हों और शायद इसीलिए उनका निर्देश अन्तिम केवलीके पश्चात् तथा श्रुत केवलियोंके पहले किया है। और इस दृष्टिसे भी जिन दीक्षा लेनेवाले अन्तिम राजा चन्द्रगुप्त श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें होनेवाले मौर्य चन्द्रगुप्त ही हो सकते हैं।)

अतः भद्रबाहु श्रुतकेवली और मौर्य चन्द्रगुप्तकी समकालीनतामें कोई सन्देह करना उचित प्रतीत नहीं होता।

खारवेलके शिलालेखसे समर्थन

इसके सिवाय दिगम्बर तथा श्वेताम्बर अनुश्रुतियाँ यह वत-

लाती हैं कि भद्रबाहुके समयमे वारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा और उसके कारण बहुत सा श्रुत विच्छिन्न हो गया ।

(खारवेलके हाथीगुफावाले शिलालेखकी १६ वीं पंक्तिमें आगत एक वाक्यको पहले इस प्रकार पढ़ा गया था—‘मुरियकालं वोछिनं (नें ?) चोयठि अगस निकतरियं उपादायाति ।’ और इसका अर्थ किया गया था—‘मुरियकालके १६४वें वर्षको वह पूर्ण करता है (शि० ले० स० भा० २) किन्तु पीछे श्रीजायसवालने बड़े श्रमके साथ अध्ययन करके इसका संशोधन इस प्रकार किया ‘मुरियकाल वो छिन च चोयठि अंग सतिक तुरियं उपादयति ।’ और उसका अर्थ बतलाया—‘मौर्यकालमें विच्छिन्न हुए चौसठ भागवाले चौगुने अगसप्तिकका उसने उद्धार किया ।’ अथवा तुरियका अर्थ चतुर्थ (पूर्व) भी किया जा सकता है जिसके ६४ भागोंमें सात अथवा सौ या १६४ अंग थे ।’ इन अर्थोंको करके श्री जायसवालने लिखा है—‘जैन आगमोंके इतिहासके और अधिक गहरे अध्ययनसे हम यह निर्णय करनेमें समर्थ होंगे कि इन तीनों अर्थोंमें से कौन सा अर्थ ग्राह्य है । किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमें जैन मूल ग्रन्थोंके विनाशको लेकर जैन परम्परामें जो विवाद चलता है, उसका लेखके उक्त पाठसे आश्चर्यजनक समर्थन होता है । इससे यह स्पष्ट है कि उड़ीसा जैन धर्मके उस सम्प्रदायका अनुयायी था, जिसने चन्द्रगुप्तके राज्यमे पाटलीपुत्रमें होनेवाली वाचनामें संकलित आगमोंको स्वीकार नहीं किया था ।’ (ज० वि० उ० रि० सो० जि० १३, पृ० २३६) ।)

उक्त शिलालेखके उक्त पाठसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिग-
म्बर तथा श्वेताम्बर परम्परामें भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयसे
श्रुतका विच्छेद होनेकी जो अनुश्रुतियाँ हैं, वे मौर्यकालसे सम्बद्ध

हैं और इसलिये भद्रबाहु श्रुतकेवलीका चन्द्रगुप्त मौर्यके कालमें होना सिद्ध है ।

ऊपरके समस्त विवेचनके आधारपर यह मानना पड़ता है कि आचार्योंकी काल गणनामें अवश्य ही कुछ भूल है । (यद्यपि दि० जैन ग्रन्थों और पट्टावलियोंमें जो वीर निर्वाणके पश्चात् होनेवाले जैनाचार्योंकी काल गणना दी है, जिसके अनुसार वीर निर्वाणके पश्चात् ६८३ वर्ष तक अंगजानकी परम्परा चालू रही, वह सर्वत्र एकरूप पाई जाती है, उसमें ऐसी गुजाईश नहीं दिखाई पड़ती, जिसके आधार पर कुछ वर्षोंकी भूल प्रमाणित की जा सके ।)

(किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावली अन्य सब पट्टावलियोंसे विलक्षण है और आचार्योंके काल निर्णयमें यदि उसका उपयोग किया जाये तो भद्रबाहु श्रुतकेवली और चन्द्रगुप्त मौर्यकी समकालीनता बन सकती है, किन्तु है वह क्लिष्ट कल्पना ही । अन्य दि० जैन ग्रन्थोंके अनुसार महावीर निर्वाणके पश्चात् लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष पूरे होते हैं । किन्तु नन्दि पट्टा० के अनुसार वीर निर्वाणसे लोहाचार्य तक ५६५ वर्ष ही होते हैं । इस तरह दोनों काल गणनाओंमें ११८ वर्षका अन्तर है । किन्तु यह अन्तर केवल एकादश अंगधारी तथा अन्य जैन ग्रन्थोंके अनुसार आचार्यांगधारी किन्तु नन्दि पट्टा० के अनुसार दस नौ आठ अंगधारी आचार्योंके ही कालमें है । ३ केवली, ५ श्रुतकेवली और ११ दस पूर्वधारी आचार्योंकी काल गणनामें कोई अन्तर नहीं है । किन्तु यदि इस ११८ वर्षमें से जो नन्दि पट्टा० के अनुसार अर्हद्वलिसे लेकर भूतवलि पर्यंत पाँच आचार्योंको दिये गये हैं—१० वर्ष पाँच श्रुतकेवलियोंमें सम्मिलित कर दिये जायें तो आचार्य कालगणनाके अनुसार भी श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तमौर्यकी समकालीनता

वन जाती है। और पाँच श्रुतकेवलियोंके वतलाये गये १०० वर्ष कालमें ५० वर्षकी वृद्धि कोई अधिक नहीं है क्योंकि आगे पाँच एकादश अगधारियोंका काल दो सौ बीस वर्ष वतलाया गया है, जो पाँच श्रुतकेवलियोंके कालसे दूनेसे भी अधिक है। यदि इन दोनों कालोका समीकरण कर दिया जाये तो दोनोंका काल १६०-१६० वर्ष हो जाता है। इस तरह यदि पाँच श्रुतकेवलियोंका काल एक सौ साठ वर्ष हो जाता है तो समस्या सुलभ जाती है और ६० वर्षकी कमी स्पष्ट हो जाती है। किन्तु श्वेताम्बर परंपरा में भी भद्रबाहु श्रुतकेवलीका लगभग वही काल माना जाता है जो दिगम्बर परंपरामें माना जाता है। इसीसे आचार्य हेमचंद्रको भगवान महावीरके निर्वाणसे चंद्रगुप्त मौर्यके राज्य तककी राज-काल गणनामें ६० वर्ष कम करना पड़े।)

[हेमचंद्रने वीर निर्वाणसे एक सौ पचपन वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त राजाको होना लिखा है तथा वीर निर्वाणसे एक सौ सत्तर वर्ष चीतनेपर भद्रबाहुका स्वर्गगत होना लिखा है। अतः हमें श्वेताम्बरीय काल गणनाको भी देखना होगा।]

श्वेताम्बर पट्टावलियोंके अनुसार वीर निर्वाणसे २१५ वर्ष पर्यन्तकी राज्यकाल गणना और आचार्य काल गणना इस प्रकार हैं—

१—(पालक ६० + नवनन्द १५५ = २१५ वर्ष।)

२—(गौतम १२ + सुधर्मा ८ + जम्बू ४४ + प्रभव ११ + शक्य-भव २३ + यशोभद्र ५० + संभूति विजय ८ + भद्रबाहु १४ + स्थूल-भद्र ४५ = २१५ वर्ष।)

तत्पश्चात् मौर्य राज्यकाल १०८ वर्षमें—महागिरि ३०, सुहस्ति ४६, गुणसुन्दर ३२।

आर्यसुहस्ती और सम्प्रति

कल्पमूत्र स्थविरावलीके अनुसार आर्य यशोभद्रके दोशिष्य थे—सभूति विजय और भद्रबाहु । सभूति विलयके शिष्यका नाम स्थूलभद्र था । और स्थूलभद्रके दो शिष्य थे—आर्य महागिरि और सुहस्ती ।

आर्य भद्रबाहुका स्वर्गवास वीर निर्वाणसे १७० वर्ष पश्चात् हुआ । स्थूलभद्र वीर निर्वाण १७० से २१५ तक आचार्य पदपर रहे । उनके पश्चात् आर्य महागिरि ३० वर्ष तक और तत्पश्चात् सुहस्ती ४६ वर्ष तक पट्टासीन रहे ।

श्वेताम्बरीय उल्लेखोंके अनुसार स्थूलभद्र अन्तिम नन्दके मंत्री शकटालके पुत्र थे । और उनके शिष्य सुहस्तीने अशोकके पौत्र सम्प्रतिको जैन धर्ममें दीक्षित करके जैन धर्मका महान् उद्धार कराया था । स्थूलभद्रका स्वर्गवास चन्द्रगुप्तके राज्यकालमें हुआ और चन्द्रगुप्तके राज्यकालमें ही आर्य सुहस्तीने उनसे दीक्षा ली । तत्पश्चात् आर्य सुहस्ती सम्प्रतिके राज्यकाल तक जीवित रहे । अर्थात् आर्य सुहस्तीने चन्द्रगुप्त मौर्य, तत्पुत्र विन्दुसार, तत्पुत्र अशोक और अशोकके पौत्र सम्प्रतिका राज्यकाल देखा । (श्री जायसवाल जीने चन्द्रगुप्तका राज्यकाल ई० पू० ३२६ से ३०२ तक तथा सम्प्रतिका राज्यकाल ई० पू० २२० से २११ तक ठहराया है । अर्थात् चन्द्रगुप्त और सम्प्रतिके मध्यमें एक शताब्दी-

१—पट्टा० समु०, पृ० १७ ।

२—श्वेताम्बर चन्द्रगुप्तके राज्याभिषेक और सुहस्तीकी मृत्युके बीचमें ११० या १०६ वर्षका अन्तर गिनते हैं । (परि० पर्व०, जेकोवी की प्रस्तावना)

का अन्तर है)। इस सुदीर्घ कालकी पूर्तिके लिये मुनि श्री कल्याण विजय जीने आर्य सुहस्तीके साथ स्थूलभद्रकी संगति बैठानेके लिये आचार्य पदारोहण कालकी समाप्तिके पश्चात् भी स्थूलभद्रको जीवित माना है। फिर भी सम्प्रतिके इतिहास सम्मत कालके साथ आर्य सुहस्तीकी संगति नहीं बैठ सकी है, क्योंकि मुनि जीने वीर निर्वाणके २६१वे वर्षमें सुहस्तीका स्वर्गवास माना है। और इतिहासके अनुसार (५२७—२०१ = २३६ ई० पू०) उसी वर्ष अशोकका अन्त हुआ था। जायसवाल जीने लिखा है कि जैन रिकार्डोंमें इसके स्पष्ट चिन्ह हैं कि सम्प्रति चन्द्रगुप्तके १०५ वर्ष पश्चात् अर्थात् अशोककी मृत्युके १६ वर्ष बाद राज्यासन पर बैठा (ज० वि० ७० रि० सो०, जि० १, पृ० ६४-६५)

(वायु पुराण और तारानाथ आदिके अनुसार अशोकका उत्तराधिकारी उसका वेटा कुनाल था। उसका राज्यकाल आठ बरस लिखा है। विष्णु पुराणके अनुसार अशोकका पोता दशरथ था। मत्स्य पुराणमें भी उसका नाम है। बारवर (गया जिला) के पास नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथकी बनवाई हुई तीन गुफाएँ हैं जिनमें उसके दान सूचक अभिलेख हैं। दिव्यावदान और श्वे० जैन अनुश्रुतिके अनुसार अशोकका पोता सम्प्रति था। मत्स्य और विष्णु पुराणमें दशरथके बाद सम्प्रति या संगतका नाम है। जायसवाल जीने इसका यह परिणाम निकाला है कि सम्प्रति दशरथका छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। अतः उन्होंने अशोकके पश्चात् ८ वर्ष तक कुनालका, उसके बाद ८ वर्ष तक दशरथका और उसके बाद सम्प्रतिके राज्यकाल ठहराया है।)

श्वेताम्बरीय साहित्यमें सम्प्रतिकी कथा इस प्रकार दी है—
आर्य सुहस्तीने कौशाम्बी नगरीमें आहारके अभिलाषी एक दरिद्र

व्यक्तिको दीक्षा दी। वह मरकर कुणालका पुत्र हुआ। अर्धे कुणालने अपने पिता अशोकसे राज्य माँगा। अशोकने कहा—अर्धेको राज्यसे क्या प्रयोजन? कुणाल बोला—मैं अपने पुत्रके लिये राज्य माँगता हूँ। मेरे सम्प्रति (अभी) पुत्र हुआ है। इस परसे अशोकने उसका नाम 'सम्प्रति' रखा। बड़ा होने पर सम्प्रति उज्जैनीका राजा हुआ। एक बार आर्य सुहस्ती उज्जैनीमे पधारे। सम्प्रतिने उन्हे देखा और उसे पूर्व जन्मका स्मरण हो आया। सम्प्रतिने आर्य सुहस्तिसे श्रावकके व्रत धारण किये और उनका परम भक्त बन गया। अपने पूर्व जन्मके दारिद्र्यका स्मरण करके सम्प्रतिने नगरके चारों द्वारोपर भोजन शालाएँ स्थापित कीं, जिनमें दीन अनाथ भोजन कर सकते थे। जो भोजन शेष बचता था वह भोजनशालाके प्रबन्धकोंका होता था। यह जानकर राजाने यह आज्ञा दी कि जो अन्न शेष बचे वह साधुओंको दिया जाये, क्योंकि साधु लोग 'राजपिण्ड' होनेसे मेरे घर भोजन नहीं करते। इसी तरह सम्प्रतिने सब व्यापारियोंमें यह घोषणा करा दी कि साधुओंको अन्न-पान, तेल वस्त्र वगैरह बिना मूल्य दिया जाये और उसका मूल्य राजकोषसे लिया जाये।

अब साधुओंको प्रचुर मात्रामें सब आवश्यक वस्तुएँ मिलने लगीं तो आर्य महागिरिने अर्थ सुहस्तिसे इसका कारण पूछा—सुहस्तीने यह जानते हुए भी कि इस प्रकारका अन्न वस्त्र साधुके लिये अग्राह्य है, अपने शिष्य सम्प्रतिके मोहसे उसका समर्थन किया। तब आर्य महागिरिने सुहस्तीसे कहा—आप ऐसे बहुश्रुत होकर भी यदि शिष्यके मोहसे ऐसा कहते हैं तो आजसे मेरा तुम्हारा विसंभोग है—हम तुम एक मण्डलीमें नहीं रह सकते।

सुहस्तीने अपने दोषोंकी आलोचना करके तथा अपने अपराधकी क्षमा मांगकर आर्य महागिरिसे मिलाप कर लिया । (अभि० रा० में 'संग्रह शब्दसे)

इस कथाके अनुसार तो आर्य महागिरि भी सम्प्रतिके राज्य कालमें वर्तमान थे । किन्तु पट्टावलीके अनुसार सुहस्तीसे महागिरि तीस वर्ष बढ़े थे अतः उनका स्वर्गवास भी सुहस्तीसे तीस वर्ष पूर्व हो चुका था क्योंकि दोनोंका आयुमान सौ सौ वर्ष माना गया है और अधिक वृद्धि करनेकी गुंजाइश नहीं है । मुनि कल्याण विजय जीने आर्य महागिरिका स्वर्गवास वीर निर्वाणाब्द २६१ में और सुहस्तीका स्वर्गवास वीर निर्वाण २६१ में माना है और अशोकका राज्यकाल वीर निर्वाण २६५ तक माना है । इसका तो यह मतलब हुआ कि सम्प्रतिने अशोकके राज्यकालके अन्दर ही राज्यपद प्राप्त कर लिया था और अशोकने जो कुछ बौद्ध धर्मके लिये किया, सम्प्रतिने अपने दादा अशोकके राज्यकालमें ही वही सब जैन धर्मके लिये किया । किन्तु यह संभव प्रतीत नहीं होता ।

इसीसे श्री जायसवालने^१ लिखा था—सम्प्रति और सुहस्तीका समय एकदम गलत है ।

असलमें राज्यकाल गणना और आचार्य काल गणनाकी संगति बैठानेके लिये ही मुनि कल्याण विजय जीको कालकी खींचातानी करनी पड़ी है, फिर भी वह संगति नहीं बैठ सकती है । इससे हमारा इतना ही आशय है कि आचार्य काल गणनामें अवश्य ही कुछ वर्षोंकी भूल है और उसमें सुधार हुए बिना सम्प्रति और सुहस्ती तथा महागिरिकी कालावधि सगत नहीं बैठ

१—ज० वि० उ० रि० सो, जि० १, पृ० १०४ का फुटनोट न० १३७ में ।

सकती । यदि भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी कालावधिको चन्द्रगुप्त मौर्यके कालके साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है तो आर्य महागिरि, सुहस्ती तथा सम्प्रतिके जीवनसम्बन्धी अनुश्रुतियोंकी संगति भी बैठ जाती है ।

नंदमंत्री शकटाल

(अब हम पुनः नन्दके मंत्री शकटालकी ओर आते हैं क्योंकि श्वेताम्बर साहित्यमे स्थूलभद्रको उसका पुत्र कहा है ।)

चन्द्रगुप्तके भारतीय आख्यानोंके लिये गुणाढ्यकी वृहत्कथा को सबसे प्राचीन माना जाता है । यद्यपि यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है किन्तु उसके दो सस्कृत रूपांतर उपलब्ध है—एक क्षेमेन्द्रकी वृहत्कथामंजरी और दूसरा सोमदेवका कथा सरित्सागर । यद्यपि ये दोनों रचनाएँ ईसाकी ११वीं शती तथा उसके भी बादकी हैं किन्तु इतिहासज्ञोंका मत है कि उनमें वृहत्कथाकी मूलवस्तु सुरक्षित है । (भा० इ० पत्रिका, जि० १२, पृ० ३१०)

गुणाढ्यने चन्द्रगुप्तके विषयमे जो कथा दी है वह इस प्रकार है—इंद्रदत्त वर्षका शिष्य था और पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, और व्याडिका सहाध्यायी था । गुरुने उससे दक्षिणामें बहुतसा धन माँगा । इंद्रदत्त अयोध्याके राजा नन्दके पास गया जो निन्यानवे करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका स्वामी था । किन्तु वहाँ जानेपर उसे मालूम हुआ कि नन्द अभी अभी मर गया है । इंद्रदत्त नन्दके मृत शरीरमे प्रविष्ट हो गया और व्याडि उसके शरीरकी रक्षा करने लगा । नन्दके मृत शरीरमें प्रविष्ट होनेके बाद इंद्रदत्तने वररुचिको आवश्यक धन दे दिया । नन्दके मंत्री शकटालने जब देखा कि कृपण नंद बड़ा उदार हो गया है ती उसे संदेह हुआ ।

उस समय नंदका पुत्र चंद्रगुप्त बालक था। अतः उसने यह उचित समझा कि इंद्रदत्त नदके शरीरमें ही बना रहे और इसलिये शकटालने छलसे इंद्रदत्तका शरीर जला दिया। इंद्रदत्तने शकटालको उसके पुत्रोंके साथ एक कूपमें डाल दिया, और उन्हें थोड़ा सा भोजन देने लगा। शकटालके सब पुत्रोंने स्वयं भोजन न करके अपने पिताको भोजन ग्रहण करनेके लिये विवश किया, जिससे वह बदला ले सके। वररुचि इंद्रदत्तका मंत्री था वह स्वयं शासनका भार उठानेमें असमर्थ था, अतः उसने इंद्रदत्तपर दबाव डाला कि वह शकटालको पुनः मंत्री बनावे। इंद्रदत्त इन दोनों मंत्रियोंको राज्यभार सौंपकर योगानंदके रूपमें विषयासक्त हो गया'।

एक बार वररुचि इंद्रदत्तका कोपभाजन बना। इंद्रदत्तने उसके वधकी आज्ञा दे दी। किंतु शकटालने वररुचिको छिपाकर उसकी रक्षा की। वररुचिकी मृत्युकी भूठी खबर पाकर उसके सम्बन्धियोंने भी प्राण त्याग दिये। इससे इंद्रदत्तकी बड़ी बदनामी हुई। तब शकटालने चाणक्यकी सहायतासे योगानन्द और उसके पुत्र हिरण्यगुप्तको मार कर चंद्रगुप्तको उसके पिताके राज्यासनपर बैठाया।

वृहत्कथामें शकटालसे चाणक्यके भेंटकी कथा इस प्रकार पाई जाती है—'शकटालने चाणक्यको एक कटीली घासकी जड़े खोदते देखा, जो उसके पैरमें चुभ गई थी। उसे अपने मतलबका व्यक्ति समझकर शकटालने योगानंदके महलमें होनेवाले श्राद्धके लिए निमंत्रित कर दिया। तथा गुप्तरूपसे उसके स्थानपर दूसरे व्यक्तिको बैठा दिया। जब चाणक्य आया और उसने स्थानको घिरा हुआ पाया तो क्रुद्ध हो, शिखा खोल नदको नष्ट करनेकी

प्रतिज्ञा की। शकटालने अपनी सफाई देकर चाणक्यके द्वारा योगानंद और उसके पुत्रको मरवा डाला।

हरिषेण कृत जैन वृद्धकथाकोशमें भी शकटालकी कथा है। जो उस प्रकार है—

‘पाटलीपुत्रमें नन्द नामका राजा था। उसके मंत्रीका नाम शकटाल था। उधर वररुचि, नमुचि, वृद्धस्पति और इंद्रदत्त पढ़नेके लिये गये, और वेदपारंगत होनेके पश्चात् गुरु दक्षिणाके लिये नन्दके पास गये। इसी समय नन्दका मरण हो गया। नमुचि नन्दके शरीरमें प्रवेश करके पाटलीपुत्रमें राज्य करने लगा और उसने वररुचि आदिके लिये एक हजार गौ प्रदान की। उन्होंने वे गाये किसीके द्वारा अपने उपाध्यायके लिये भिजवा दी। और वररुचि वगैरह योगानंदकी सेवामें रहने लगे।

एक दिन शकटालने योगानंदको परीक्षाके लिये उसे मदिरा पिता दो। योगानंदने शकटालको उसके सौ पुत्रोंके साथ भयानक कारागारमें डाल दिया। पश्चात् घटनावश नन्दने शकटालको कारागारसे निकालकर पुनः मंत्री बना दिया। शकटाल मन ही मन रुष्ट होकर अवसरकी ताकमें रहने लगा।

एक दिन वररुचिने नन्दके कहनेपर कविता पाठ किया। शकटालने अवसरसे लाभ उठाकर नन्दसे कहा कि राजन्! वररुचि दुष्ट बुद्धि है और आपके अन्त पुरको नष्ट करना चाहता है। नन्दने वररुचिको मार डालनेकी आज्ञा दे दी। राजाके किङ्करोंने वररुचिको तो छोड़ दिया और उसके बदलेमें किसी दूसरेके प्राण ले लिये। राजाका भ्रम दूर होनेपर वररुचि पुनः नन्दका सेवक हो गया। उधर शकटाल महापद्म नामक जैनाचार्यके निकट साधु हो गया। एक दिन शकटाल मुनि भिक्षाके लिये राजमहलकी

ओर गये । द्वेषी वररुचिने उन्हें राजाके अन्तःपुरमें पहुँचा दिया । जब वह भोजन करके चले गये तो वररुचिने नन्दसे कहा कि यह शकटाल भिक्षाके बहानेसे आपके अन्तःपुरमें रमण करनेके लिये गया था । नन्दने रुष्ट होकर शकटालको मारनेके लिये अपने आदमी भेज दिये । सब वृत्तांत जानकर शकटालने छुरीसे अपना पेट फार डाला और शातभावसे मृत्युका आर्लिगन किया ।

इस कथामें यद्यपि चद्रगुप्त और चाणक्यका कोई वृत्तांत नहीं आया, किंतु कथावस्तु गुणाढ्यकी कथासे कुछ मेल अवश्य खाती है ।

बृहत्कथा कोशकी रचना भगवती आराधना नामक एक प्राचीन जैन ग्रंथमें आये हुए दृष्टांतोंके आधार पर हुई है । उसमें शकटाल मुनिके सम्बन्धमें जो गाथा आई है वह इस प्रकार है—

सगडालएण वि तहा सत्तग्गइणेषा साधिदो अत्थो ।

वररुह पओगहेदु रुठे णदे महापउमे ॥२०७६॥

इस गाथाका अर्थ स्पष्ट है कि—‘वररुचिके प्रयोगके द्वारा महापद्म नन्दके रुष्ट हो जाने पर शकटालने भी शस्त्र ग्रहणके द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध किया’ । किंतु आराधनाके टीकाकार श्री अपराजित सूरिको सम्भवतया शकटाल और महापद्मनन्दके जीवन वृत्तांतका परिचय नहीं था । शायद इसीसे उन्होंने ‘महापउमे’ महापद्म धर्माचार्यस्य समीपे प्रतिपन्नदीक्षेण’ किया है— अर्थात् शकटालने महापद्म धर्माचार्यके निकट दीक्षा ली थी । इसीसे ‘रुठे णदे’ शब्दोंका अर्थ उन्होंने छोड़ दिया है । और हरिषेणको शकटाल और नन्दकी कथा ज्ञात होने पर भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अपराजित सूरिके व्याख्यानका ही अनुसरण अपनी कथामें किया प्रतीत होता है ।

प्रतिज्ञा की। शकटालने अपनी सफाई देकर चाणक्यके द्वारा योगानंद और उसके पुत्रको मरवा डाला।'

हरिषेण कृत जैन वृहत्कथाकोशमें भी शकटालकी कथा है। जो इस प्रकार है—

'पाटलीपुत्रमें नन्द नामका राजा था। उसके मंत्रीका नाम शकटाल था। उधर वररुचि, नमुचि, वृहस्पति और इंद्रदत्त पढ़नेके लिये गये, और वेदपारंगत होनेके पश्चात् गुरु दक्षिणाके लिये नन्दके पास गये। इसी समय नन्दका मरण हो गया। नमुचि नन्दके शरीरमें प्रवेश करके पाटलीपुत्रमें राज्य करने लगा और उसने वररुचि आदिके लिये एक हजार गौ प्रदान कीं। उन्होंने वे गाये किसीके द्वारा अपने उपाध्यायके लिये भिजवा दी। और वररुचि वगैरह योगानंदकी सेवामें रहने लगे।

एक दिन शकटालने योगानंदको परीक्षाके लिये उसे मदिरा पिजा दी। योगानंदने शकटालको उसके सौ पुत्रोंके साथ भयानक कारागारमें डाल दिया। पश्चात् घटनावश नन्दने शकटालको कारागारसे निकालकर पुनः मंत्री बना दिया। शकटाल मन ही मन रुष्ट होकर अवसरकी ताकमें रहने लगा।

एक दिन वररुचिने नन्दके कहनेपर कविता पाठ किया। शकटालने अवसरसे लाभ उठाकर नन्दसे कहा कि राजन्! वररुचि दुष्ट बुद्धि है और आपके अन्त पुरको नष्ट करना चाहता है। नन्दने वररुचिको मार डालनेकी आज्ञा दे दी। राजाके किङ्करोंने वररुचिको तो छोड़ दिया और उसके बदलेमें किसी दूसरेके प्राण ले लिये। राजाका भ्रम दूर होनेपर वररुचि पुनः नन्दका सेवक हो गया। उधर शकटाल महापद्म नामक जैनाचार्यके निकट साधु हो गया। एक दिन शकटाल मुनि भिक्षाके लिये राजमहलकी

ओर गये । द्वेषी वररुचिने उन्हें राजाके अन्तःपुरमें पहुँचा दिया । जब वह भोजन करके चले गये तो वररुचिने नन्दसे कहा कि यह शकटाल भिक्षाके बहानेसे आपके अन्तःपुरमें रमण करनेके लिये गया था । नन्दने रुष्ट होकर शकटालको मारनेके लिये अपने आदमी भेज दिये । सब वृत्तांत जानकर शकटालने छुरीसे अपना पेट फार डाला और शातभावसे मृत्युका आर्लिगन किया ।

इस कथामें यद्यपि चद्रगुप्त और चाणक्यका कोई वृत्तांत नहीं आया, किंतु कथावस्तु गुणाढ्यकी कथासे कुछ मेल अवश्य खाती है ।

बृहत्कथा कोशकी रचना भगवती आराधना नामक एक प्राचीन जैन ग्रंथमें आये हुए दृष्टांतोंके आधार पर हुई है । उसमें शकटाल मुनिके सम्बन्धमें जो गाथा आई है वह इस प्रकार है—

सगडालएण वि तहा सत्तग्गहणेण साधियो अत्थो ।

वररुह पओगहेदु रुहे णदे महापउमे ॥२०७६॥

इस गाथाका अर्थ स्पष्ट है कि—‘वररुचिके प्रयोगके द्वारा महापद्म नन्दके रुष्ट हो जाने पर शकटालने भी शस्त्र ग्रहणके द्वारा अपना प्रयोजन, सिद्ध किया’ । किंतु आराधनाके टीकाकार श्री अपराजित सूरिको सम्भवतया शकटाल और महापद्मनन्दके जीवन वृत्तांतका परिचय नहीं था । शायद इसीसे उन्होंने ‘महापउमे’ महापद्म धर्माचार्यस्य समीपे प्रतिपन्नदीक्षेण’ किया है— अर्थात् शकटालने महापद्म धर्माचार्यके निकट दीक्षा ली थी । इसीसे ‘रुहे णदे’ शब्दोंका अर्थ उन्होंने छोड़ दिया है । और हरिषेणको शकटाल और नन्दकी कथा ज्ञात होने पर भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अपराजित सूरिके व्याख्यानका ही अनुसरण अपनी कथामें किया प्रतीत होता है ।

हरिपेण कून जैन वृहत्कथा कोशमें चाणक्यकी भी कथा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिपेणने शकटालकी कथासे चाणक्य वाला अंश अलग करके चाणक्यकी कथाका निर्माण किया है। गुणाढ्यकी कथामें चाणक्यका जो वृत्तांत दिया है वृहत्कथाकोशमें भी चाणक्यकी कथामें वही वृत्तांत दिया है किंतु कथाकोशमें यद्यपि शकटालको नन्दका मंत्री बतलाया है किंतु शकटालको नन्द वंशके विनाशका प्रेरक न बनाकर 'कवि' नामक एक अन्य मंत्रीके द्वारा यह कार्य कराया गया है। अर्थात् नन्द कविको क्रूपमें डालता है उसका परिवार मर जाता है और वह बदला लेनेके लिये जीवित रहता है। नन्द द्वारा मुक्त होने पर वह पुनः मंत्री बनता है और जगलमें चाणक्यको घालकी जडे उखाडता देखकर उसे अपने इष्टकी सिद्धिमें सहायक बनाता है और नन्दके द्वारा चाणक्यका अपमान कराकर नन्दवशका नाश कराता है।

श्वेताम्बरीय साहित्यमें भी चाणक्यकी कथा लगभग उक्त प्रकारसे ही पाई जाती है। तथा शकटालका वृत्तांत स्थूलभद्रके पिताके रूपमें पाया जाता है। उसमें भी शकटालको नौवें नन्दका मंत्री तथा वररुचिको उसका प्रशंसक बतलाया है। वररुचिकी करामातका भण्डाफोड कर देनेके कारण वररुचि शकटालसे रुष्ट हो जाता है और यह मिथ्या प्रवाद फैलाता है कि 'शकटाल नन्दको मारकर राजा होना चाहता है। राजा भी इस मिथ्या प्रवादके कारण शकटालसे रुष्ट हो जाता है। तब शकटाल अपने वशको बचानेके लिये अपने छोटे पुत्रसे कहता है कि जब मैं राजाको नमस्कार करूँ तब मेरा सिर काट डालना। पिताके अनुरोधसे पुत्र वैसा ही करता है। शकटालके दो पुत्र बतलाये हैं, छोटा पुत्र नन्दका मंत्री बन जाता है और बड़ा पुत्र स्थूलभद्र ३० वर्षकी वयमें साधु हो जाता है।

ऊपरकी कथाओंसे यह स्पष्ट है कि शकटाल महापद्मनन्द अथवा अन्तिम नन्दका मंत्री था। अन्तिम शैशुनाक राजाका उत्तराधिकारी महापद्मनन्द था। पुराणोंके अनुसार वह महानन्दीका शूद्रासे पैदा हुआ बेटा था। हेमचन्द्राचार्यने उसे (परि० पर्व०, सर्ग ६ श्लो० २०२) नापितकुमार कहा है। एक यूनानी लेखकने लिखा है कि वह एक नाई था, किंतु रानी उसपर आसक्त हो गई थी और धीरे धीरे वह राजकुमारोंका अभिभावक बनकर अन्तमे उन्हें मारकर स्वयं राजा बन बैठा। उसका दूसरा नाम उग्रसेन था। महापद्मको पुराणोमे 'सर्वज्ञानान्तकृत्'—सब ज्ञानियोका उत्पाटक कहा है। महापद्मनन्दके बेटेने केवल १२ वर्ष राज्य किये। उसके ही समयमे सिकंदरने भारतवर्षपर चढ़ाई की और चन्द्रगुप्त मौर्यने नन्दवशका राज्य हस्तगत किया। (भा० इ० रू०, पृ० ५२८)।

गुणाढ्यकी बृहत्कथा तथा जैन बृहत्कथाकोशकी कथामे बतलाया है कि जब वररुचि बगौरह नन्दके पास पहुँचे तो उसकी मृत्यु हो गई। इससे ऐसा अनुमान करना संभव है कि शकटालके सामने ही महापद्मनन्दकी मृत्यु हो गई थी और उसके उत्तराधिकारी अन्तिम नन्दका मंत्री भी शकटाल था क्योंकि उसे नौवें अर्थात् अन्तिम नन्दका मंत्री भी कहा है। महापद्मनन्दके समय ही चाणक्यके अपमानवाली घटना घटी, जिसमे शकटालका या उसके अन्य सहयोगीका हाथ था। महापद्मके मर जानेपर उसके पुत्रका बारह वर्ष तक ही राज्य कर सकना उसी षडयंत्रका परिणाम था जिसका सूत्रपात महापद्मनन्दके जीवनकालमे हुआ था।

(शकटालके पुत्र स्थूलभद्रका नाम तो क्या, संकेत तक भी दिगम्बर जैन ग्रन्थोंमें तथा जैनेतर साहित्यमें नहीं है। फिर भी

यदि यह मान लिया जाये कि स्थूलभद्र नन्द मंत्री शकटालके पुत्र थे तो उक्त कथाओको देखते हुए यह मानना होगा कि महापद्म नन्दके समयमें शकटाल युवा थे। महापद्मनन्दका राज्यकाल ईस्वी पूर्व ३६६ से आरम्भ होता है क्योंकि ईस्वी पूर्व ४०६ तक तो नन्दिवर्धन वगैरहका राज्यकाल समाप्त होता है। उनके पश्चात् ४३ वर्ष महानन्दीने राज्य किया और महानन्दीका पुत्र महापद्मनन्द था। तथा महापद्म और उसके पुत्रोंने ४० वर्ष राज्य किया तत्पश्चात् ईस्वी पूर्व ३२६-३२५ के लगभग चन्द्रगुप्त मौर्य मगधके सिंहासन पर बैठा।

अतः अन्तिम नन्दके मंत्री शकटालका जन्म ईस्वी पूर्व ४०० से पहले नहीं होना चाहिये। किंतु मुनि कल्याण विजय जीने पट्टावलियोंके अनुसार स्थूलभद्रका जन्म ईस्वी पूर्व ४०० से पहले अर्थात् वीर निर्वाणके २६वें वर्षमें वतलाया है। तथा तीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने दीक्षा ली थी। अर्थात् शकटालके महापद्मनन्दका मंत्री होनेसे पूर्व ही स्थूलभद्रने दीक्षा ले ली थी। किंतु श्वेताम्बर अनुश्रुतिके ही अनुसार महापद्मनन्दका रोपभाजन होनेके पश्चात् शकटालकी मृत्यु होनेपर स्थूलभद्रने दीक्षा ली थी। अतः ईस्वी पूर्व ४०० के लगभग शकटाल पुत्र स्थूलभद्रका जन्म होना संभव नहीं है। हाँ शकटालका जन्म होना संभव है। अतः स्थूलभद्रका जन्म ईस्वी पूर्व ३७० के लगभग होना चाहिये। और तीस वर्षकी वयमें ईस्वी पूर्व ३४० के लगभग उन्हें प्रव्रजित होना चाहिये। वह समय महापद्म नन्दके राज्यका अन्तिम समय था और शकटालने वृद्धावस्थामें पदनिक्षेप किया था। बालब्रह्मचारी भद्रबाहु श्रुतकेवली भी शकटालके समवयस्क हो सकते हैं। उन्होंने भी सौ वर्षके लगभग आयु पाई हो यह संभव है। यद्यपि

श्वेताम्बर पट्टावलीमें उनकी आयु ७६ वर्षके लगभग बतलाई है, किन्तु सरस्वती गच्छकी दिगम्बर पट्टावलीमें द्वितीय भद्रबाहुकी उतनी ही अवस्था बतलाई है और श्वेताम्बर अनुश्रुतियोंमें दोनों भद्रबाहुओंमें ऐसा गड़बड़ घोटाला कर दिया गया है कि दोनोंका अस्तित्व एकमें ही गर्भित हो गया है। अतः यह संभव है कि द्वितीय भद्रबाहुकी आयु प्रथम भद्रबाहुको भी दे दी गई हो ॥ अतः भद्रबाहु श्रुतकेवलीका समय ई० पूर्वं ४०० से ईस्वी पूर्वं ३०० के लगभग ही मानना चाहिये। अर्थात् वीर निर्वाण १२७ से २०७ तक। तथा स्थूलभद्रका समय वीर निर्वाण स० १५७ से २५७ तक, और आर्य सुहस्तीका वीर नि० सं० २०० से ३०० के लगभग मानना चाहिये। ऐसा माननेसे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त, स्थूलभद्रके पिता शकटाल और अन्तिम नन्द तथा आर्य महागिरि आर्य सुहस्ती और सम्प्रतिका लोक विश्रुत साहचर्य बन जाता है।)

आचार्य हेमचन्द्रने अपने परिशिष्ट पर्वमें चन्द्रगुप्त मौर्यके राज्यकालमें ही बारह वर्षके दुर्भिक्ष, अङ्गोंका सङ्कलन और भद्रबाहुका स्वर्गगमन आदि बतलाया है। किन्तु राज्य त्याग कर चन्द्रगुप्तके भद्रबाहुके साथ जानेकी चर्चा नहीं की है, यद्यपि चन्द्रगुप्तका समाधिपूर्वक मरण बतलाया है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि चूँकि इस अनुश्रुतिका दिगम्बर जैन मान्यताके साथ गहरा सम्बन्ध है, अतः उन्होंने इसे स्थान देना उचित नहीं समझा होगा। दिगम्बर परम्परामें भी अनेक श्वेतांबरीय अनुश्रुतियोंको स्थान नहीं दिया गया है। किंतु इससे ऐतिहासिक तथ्यको ओम्हल नहीं किया जा सकता।

अतः चन्द्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी समकालीनता अवश्य ही एक ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होती है और इसलिये

दोनों ही परम्पराओंमें भगवान महावीरके पश्चात्की आचार्य परम्पराका जो काल दिया है वह निर्दोष नहीं है। और इसलिये उसके आधार पर किसी निर्दोष तथ्यका उद्घावना करना संभव नहीं है।

यहाँ हमने वीर निर्वाणके समयका निर्धारण करनेकी दृष्टिसे प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्को ही ठीक मानकर उसके आधारपर महावीर भगवानके समकालीन व्यक्तियोंके कालक्रम तथा घटनाओंका सम्बन्ध वैठाया। पश्चात् महावीर निर्वाणके पश्चात् होनेवाले राजाओं तथा राजवंशोंके कालक्रमके साथ उसका संगति वैठाई और फिर आचार्योंकी काल गणनाके प्रसंगमें भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त मौर्यके इतिहास प्रसिद्ध साहचर्यको लेकर १०० वर्षमें होनेवाले पाँच श्रुतकेवलियोंके कालक्रममें कतिपय वर्षोंकी भूल होनेकी आशंका प्रकट की है।

इस परसे यह कहा जा सकता है कि जार्ज चार्लेन्टियरने जो प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्में ६० वर्ष अधिक बतलाकर ६० वर्ष करनेकी सम्मति दी थी उसे ही मान्य क्यों न कर लेना चाहिये। क्योंकि उससे भद्रवाहु और चन्द्रगुप्तकी समकालीनता बन जाती है।

किन्तु ऐसा करनेसे यद्यपि भद्रवाहुका समय चन्द्रगुप्तके पास आ जाता है जैसा कि हेमचन्द्राचार्यने किया है। किन्तु विक्रम सम्वत् और वीर निर्वाण सम्वत्के बीचका प्रसिद्ध ४७० वर्षका अन्तर तथा शक राजा और वीर निर्वाण सम्वत्के बीचका ६०५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर गड़बड़ा जाता है, और इनके पीछे प्राचीन जैन अभिलेखोंका इतना जबरदस्त बल है कि उसको रौंद करके आगे बढ़ना शक्य नहीं है। अतः वीर निर्वाणका जो काल माना जाता है वही उचित है।

संघ-भेद

भगवान महावीरके निर्वाणकालकी चर्चाके प्रसंगसे श्रुतकेवली भद्रवाहु और मौर्य चन्द्रगुप्तका विवरण आ जानेके पश्चात् भगवान महावीरके संघमें विभेद होनेकी चर्चा करना उचित होगा, क्योंकि इन दोनों महापुरुषोंके कालमें ही उसका सूत्रपात हुआ माना जाता है।

जैन धर्मसे परिचित जनोंसे यह बात अज्ञात नहीं है कि जैन धर्मके अनुयायी मुख्य रूपसे दो सम्प्रदायोंमें विभाजित हैं। एक सम्प्रदाय दिगम्बर जैन कहलाता है और दूसरा सम्प्रदाय श्वेताम्बर जैन। दोनों सम्प्रदाय भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीरको अपना धर्मगुरु मानते हैं और दोनोंकी उपासना एकसी श्रद्धा भक्तिके साथ करते हैं। किन्तु दोनोंमें जिस मुख्य बातको लेकर मतभेद है वह दोनोंके नामोंसे ही स्पष्ट है। दिगम्बर-दिशायें ही जिनका वस्त्र है अर्थात् जो नग्न गुरुओंका उपासक सम्प्रदाय है वह दिगम्बर कहलाता है। और श्वेताम्बर अर्थात् सफेद वस्त्र धारण करनेवाले गुरुओंका उपासक सम्प्रदाय श्वेताम्बर कहलाता है। अतः दोनों नामोंसे यह स्पष्ट है कि साधुओंके वस्त्र पहिनने और न पहिननेको लेकर ही दोनों सम्प्रदायोंकी सृष्टि हुई है। यह संघ भेद कैसे हुआ इस सम्बन्धमें दोनों सम्प्रदायोंमें विभिन्न कथाएँ पाई जाती हैं किन्तु उनसे भी यही प्रकट होता है कि वस्त्रके कारण ही संघभेद हुआ। सबसे प्रथम हम दिगम्बर साहित्यमें श्वेताम्बर संघकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें जो कथा पाई जाती है उसीको देते हैं—

हरिषेणके वृहत्कथा कोश (वि० सं० १८६) में देवसेनके दर्शनसारमें (वि० सं० १६९) और भाव सग्रहमें तथा रत्नदिके भद्रवाहु चरित्रमें श्वेताम्बर संघकी उत्पत्तिकी कथा दी है।

देवसेनने अपने दर्शनसार^१ में लिखा है—'विक्रम राजाकी मृत्युके १३६ वर्ष बाद सौराष्ट्र देशके वलभीपुरमें श्वेतपट (श्वेताम्बर) सघ उत्पन्न हुआ ॥११॥ श्री भद्रबाहु गणिके शिष्य शाति नामके आचार्य थे । उनका जिनचंद्र नामका एक शिथिलाचारी दुष्ट शिष्य था ॥१२॥ उसने मत चलाया कि स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है । केवल ज्ञानी भोजन करते हैं और उन्हें रोग होता है ॥१३॥ वस्त्र धारण करने वाला भी मुनि मोक्ष प्राप्त कर सकता है । महावीरका गर्भ परिवर्तन हुआ था । जैनके सिवाय अन्य लिगसे भी मुक्ति हो सकती है तथा प्रासुक भोजन सर्वत्र किया जा सकता है ॥१४॥

《कहना न होगा कि स्त्रीकी मुक्ति, केवलि मुक्ति, सवस्त्र साधुकी मुक्ति, महावीर भगवानका गर्भ परिवर्तन आदि जो बातें श्वेताम्बर मतके सम्बन्धमें ऊपर बतलाई हैं, उन्हें दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं मानता और मुख्य रूपसे इन्हीं बातोंको लेकर दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मतभेद है ।》

- १—एककसए छत्तीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्य ।
 सोरट्टे वलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥११॥
 सिरिभद्रबाहुगणिको सीसो णामेण सति आइरिओ ।
 तस्स य सीसो दुट्टो जिणचदो मंदचारित्तो ॥ १२ ॥
 तेण किय मयमेय इत्थीण अत्थि तब्भवे मोक्खो ।
 केवलणाणीण पुण अणक्खाण तहा रोगो ॥१३॥
 अबरसहिओ वि जई सिज्झई वीरस्स गब्भचारत्त ।
 परलिगे विय मुत्ती फासुयभोज्ज च सब्वत्थ ॥१४॥

किंतु भद्रबाहु गणिके शिष्य आचार्य शांति और उनके शिष्य जिनचन्द्रका पता श्वेताम्बर या दिगम्बर परम्परामें नहीं लगता । यद्यपि श्वेताम्बर परम्परामें शांतिसूरि' और शांतिचन्द्र' गणि नामके आचार्य हुए , किंतु वे देवसेनके पश्चात् हुए हैं । इसी तरह जिनचन्द्र' नामके भी आचार्य श्वेताम्बर परम्परामें हुए हैं । किन्तु वे भी विक्रमकी ११वीं और १२वीं शताब्दीमें हुए हैं ।

हाँ, विक्रमकी सातवीं शतीमें जिनभद्र गणि क्षमा श्रमण नामके एक प्रसिद्ध जैनाचार्य श्वेताम्बर परम्परामें हो गये हैं, जिन्होंने अपने विशेषावश्यक^१ भाष्यमें वस्त्रपात्रवादका खूब समर्थन

१—'वि० परणवत्यधिक सहस्र १०६६ वर्षे श्रीउत्तराध्ययन टीका-कृत थिरापद्र गच्छीय वादिवेताल श्री शान्तिसूरिः स्वर्गभाक्' ।

—तपा० पट्टा० (पट्टा० समु० पृ० ५४)

मुनि कल्याण विजय जीने 'वीर निर्वाण सम्बत् और जैन काल गणना' (पृ० ११७) में एक गाथा उद्धृत की है जिसका भाव यह है कि युग प्रधान तुल्य वादिवेताल शान्तिसूरिने वालभ्य सघके कार्यके लिये बलभी नगरीमें उद्यम किया है ।' मुनि जीका अनुमान है कि बलभीमें जो देवद्विगणिने सम्मेलन बुलाया उसमें एक परम्पराके उप-प्रमुख वादि वेताल शान्तिसूरि थे । शायद इन्हीं शान्तिसूरिसे उक्त कथामें तात्पर्य हो ।

२—पट्टा० समु०, पृ० ७५-७६ ।

३—देखो—जिणचद सूरि' शब्द अभि० राजे० ।

४—मण-परमोहि-पुलाए^० आहार-खवग-उवसमे कप्पे ।

सजमतिय-केवलि सिग्गणा य जब्बुम्मि बुच्छिणणा ॥२६३॥

—विशे० भा० ।

किया और जम्बू स्वामीके पश्चात् जिनकल्पके विच्छिन्न होनेकी घोषणा करके एक तरहसे उसपर रोक ही लगा दी थी। इन्हींके समयमें इनसे कुछ वर्ष पूर्व निर्युक्तियोंके रचयिता द्वितीय भद्रबाहु भी हो गये हैं। इन द्वितीय भद्रबाहु और जिनभद्र गणिके गुरु-शिष्य भावके सम्बन्धमें कुछ कह सकना हमारे लिए शक्य नहीं है। क्योंकि जिनभद्रने अपने विशेषावश्यक भाष्यमें भद्रबाहुकृत आवश्यक निर्युक्तिका व्याख्यान करने जाकर भी न रचयिता भद्रबाहुका ही नाम लिया और न उनकी कृति आवश्यक निर्युक्तिका ही नाम लिया। प्रवचनको^१ प्रणाम करके गुरुके उपदेशानुसार आवश्यक अनुयोगका व्याख्यान करनेकी प्रतिज्ञा की है। यह एक विचित्र सी बात है कि जिस कृतिका व्याख्यान किया जाये उसका नाम तक भी न लिया जाये। इसीसे टीकाकार हेमचन्द्रने यह शङ्का की है कि इस भाष्यमें भद्रबाहु प्रणीत सामायिक निर्युक्तिका व्याख्यान किया जायेगा। तब इसे आवश्यकानुयोग क्यों कहा ? टीकाकारने तर्कपद्धतिका आश्रय लेकर शङ्काका समाधान तो कर दिया, किंतु एक सरल जिज्ञासुके लिये तो उक्त शङ्का अन्य अनेक आशङ्काएँ उत्पन्न करनेवाली है, जिनके विस्तारमें जाना यहाँ अप्रासंगिक होगा।

इन जिनभद्रको श्वेताम्बर मतका संस्थापक या प्रवर्तक तो नहीं माना जा सकता, किन्तु प्रबलपोषक और समर्थक होनेमें तो रंचमात्र भी सदेह नहीं है। अतः जिनभद्र नामसे यदि इन्हींका

१—कथपवयणप्पणामो वोच्छ चरणगुणसंगहसयल ।

आवस्सायाणुश्रोणं गुरुवए साणु सारेण ॥ १ ॥

निर्देश देवसेनने किया हो तो यह असंभव नहीं है। एक दूसरे देवसेनने अपने भावसग्रहमे श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी पूरी कथा दी है, जो इस प्रकार है—

‘उज्जैनी नगरीमे भद्रबाहु नामके आचार्य थे। वे निमित्तज्ञानी थे। उन्होने सघको बुलाकर कहा कि एक बड़ा भारी दुर्भिक्ष होगा जो बारह वर्षोंमें समाप्त होगा। इसलिये सबको अपने अपने संघोंके साथ अन्य देशोंको चले जाना चाहिये। यह सुनकर सब गणधर अपने अपने संघोंको लेकर उन उन देशोंको विहार कर गये, जहाँ सुभिक्ष था। उनमेसे एक शांति नामके आचार्य अपने शिष्योंके साथ सौराष्ट्र देशकी वलभी नगरीमे पहुँचे। परन्तु उनके पहुँचनेके बाद वहाँ पर भी बड़ा भारी अकाल पड़ गया। भूखे लोग दूसरोंका पेट फाड़कर और उनका खाया हुआ भात निकाल कर खा जाने लगे। इस निमित्तको पाकर सबने कम्बल, दण्ड तूम्बा, पात्र, आवरण और सफेद वस्त्र धारण कर लिये, ऋषियोंका आचारण छोड़ दिया और दीनवृत्तिसे भिक्षा ग्रहण करना और बैठकर याचना करके वस-तिकासे जाकर स्वेच्छापूर्वक भोजन करना शुरु कर दिया। उन्हें इस प्रकार आचरण करते हुए कितना ही समय बीतने पर जब सुभिक्ष हो गया तो शांति आचार्यने उनसे कहा कि अब इस कुत्सित आचरणको छोड़ दो और अपनी निंदा गर्हा करके फिरसे मुनियोंका श्रेष्ठ आचारण ग्रहण कर लो। इन वचनोंको सुन कर उनके एक प्रधान शिष्यने कहा कि अब उस दुर्घर आचरणको कौन धारण कर सकता है? उपवास, भोजनका न मिलना, तरह तरहके दुस्सह अन्तराय, एक स्थान, अचेलता मौन, ब्रह्मचर्य, भूमि पर सोना, हर दो महीनेमें केशोंका लोच करना, वाइस

परीपहोको सहना आदि बडे ही कठिन आचरण हैं । इस समय हम लोगोने जो आचरण ग्रहण कर रक्खा है वह इस लोकमे भी सुखदायक है । इस पचम कालमें हम उसे नहीं छोड़ सकते । तब शान्त्याचार्यने कहा कि चारित्रसे भ्रष्ट जीवन अच्छा नहीं, यह जैन मार्गको दूषित करता है । जिनवर भगवानने निग्रन्थ प्रवचनको ही श्रेष्ठ कहा है, उसको छोडकर अन्य मार्गका अवलम्बन लेना मिथ्यात्व है । इस पर रुष्ट होकर उस शिष्यने अपने दीर्घ दण्डसे गुरुके सिर पर प्रहार किया जिससे मरकर वह व्यन्तर हो गया । तब वह शिष्य संघका स्वामी बन गया और प्रकट रूपसे श्वेताम्बर हो गया । वह लोगोको उपदेश देने लगा और कहने लगा—सग्रन्थ लिगसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । अपने अपने ग्रहण किये हुए पापण्डोके सदृश उन लोगोंने शास्त्रोंकी रचना की और उनका व्याख्यान करके लोगोमे उसी प्रकारके आचरणकी प्रवृत्ति चला दी । (भाव सं०, गा० ५३-७०) ।

हरिषेणकृत वृहत्कथाकोशसे भद्रबाहुकी कथाका कुछ अंश श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्यके प्रकरणमें दे आए हैं । जिसमे दुर्भिक्षके कारण श्रुतकेवली भद्रबाहुसे चन्द्रगुप्तके दीक्षा लेने और उसका विशाखाचार्य नाम होने तथा उसके साथ सघके दक्षिणा पथको चले जानेका निर्देश है । आगेकी कथा इस प्रकार है—‘सुभिक्ष हो जाने पर भद्रबाहु गुरुका शिष्य विशाखाचार्य समस्त संघके साथ दक्षिणापथके देशसे मध्य देशमे लौट आया । रामिल्ल, स्थविर स्थूल और भद्राचार्य तीनों दुर्भिक्ष कालमे सिन्धु देशमें चले गये थे । इन्होंने वहाँसे लौटकर कहा कि वहाँके लोग दुर्भिक्ष पीड़ितोके हल्लेके कारण दिनमे नहीं खा पाते थे, इससे रातको खाते थे । उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग भी रातके समय हमारे घरसे पात्र लेकर आहार ले जाया करें । उन लोगो-

के ऐसा कहने पर हम लोग वैसा करने लगे। एक दिन एक कृशकाय निर्ग्रन्थ साधु हाथमें भिन्ना पात्र लेकर श्रावक के घर गया। अंधेरेमें उस नग्न मुनिको देखकर एक गर्भिणी श्राविकाका, जो नई आई थी भयसे गर्भपात हो गया। तब श्रावकोंने आकर साधुओंसे कहा—‘समय बड़ा खराब है। जब तक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक आप लोग बायें हाथसे अर्ध फालक (आधे वस्त्र खण्ड) को आगे करके और दाहिने हाथमें भिन्ना पात्र लेकर रात्रिमें आहार लेनेके लिये आया करें। जब सुभिन्न हो जायेगा तो प्रायश्चित्त लेकर पुनः अपने तपमें सलग्न हो जाना’। श्रावकोंका वचन सुनकर यतिगण वैसा करने लगे।

जब सुभिन्न हो गया तो रामिल्ल, स्थविर स्थूल और भद्राचार्यने सकल सघको बुलाकर कहा—अब आप लोग अर्धफालकको छोड़कर निर्ग्रन्थरूपताको धारण करे। उनके वचनोंको सुनकर कुछ साधुओंने निर्ग्रन्थ रूप धारण कर लिया। रामिल्ल, स्थविर स्थूल और भद्राचार्य भी विशाखाचार्यके पास गये और उन्होंने अर्ध वस्त्रको छोड़कर मुनिका रूप निर्ग्रन्थ्य धारण कर लिया। जिन्हे गुरुका वचन रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, उन शक्तिहीनोंने जिनकल्प और स्थविर कल्पका भेद करके अर्धफालक सम्प्रदायका चलन किया।

सौराष्ट्र देशमें वलभी नामकी नगरी है। उसमें वप्रवाद नाम का मिथ्यादृष्टि राजा राज्य करता था। उसकी पटरानीका नाम स्वामिनी था। वह अर्धफालक वाले साधुओंकी भक्त थी। एक दिन राजा अपनी रानीके साथ महलमें बैठा हुआ गवाक्षोंके द्वारा अपने नगरकी शोभा देखता था। उसी समय अर्धफालक सघ भिन्नाके निमित्तसे राजाके महलमें आया। अर्धफालक संघको

देखकर राजाको बडा कौतुक हुआ और वह अपनी रानीसे बोला देवि ! तुम्हारा यह अर्धफालक संघ तो ठीक नहीं प्रतीत होता, न तो यह वस्त्रसे वेष्टित ही है और न नग्न ही है । एक दिन राजाने उस संघसे कहा कि तुम लोग अर्धवस्त्रको छोड़कर निर्ग्रन्थताको अपना लो । यदि निर्ग्रन्थ रूपको धारण करनेमें तुम लोग असमर्थ हो तो इस अर्धफालककी विडम्बनाको छोड़कर मेरे आदेशसे अपने शरीरको ऋजु वस्त्रसे ढाककर विहार करो । उस दिनसे (वप्रवाद राजाकी आज्ञासे प्रेमीहृदय लाट देश वासियोका) काम्बल तीर्थ प्रवर्तित हुआ । इसके पश्चात् दक्षिणापथमें स्थित सावलिपत्तनमें उस काम्बल सम्प्रदायसे यापनीय संघ उत्पन्न हुआ ।

भट्टारक रत्ननन्दिने सम्भवत देवसेन और हरिषेणकी कथाओंको सम्बद्ध करके अपने भद्रवाहु चरित्रको लिखा है । इसीसे उनकी कथामें परिवर्तन भी देखा जाता है । उनके परिवर्तित कथा भागका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—‘भद्रवाहु स्वामीकी भविष्य वाणी होनेपर बारह हजार साधु उनके साथ दक्षिण की ओर विहार कर गये । परन्तु रामल्य, स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र आदि मुनि उज्जैनीमें ही रह गये । दुर्मिच्छ पड़ने पर उनके शिष्य विशाखाचार्य आदि लौटकर उज्जैनी आये । उस समय स्थूलाचार्यने अपने साथियोसे कहा कि शिथिलाचार छोड़ दो । पर उन्होंने क्रोधित होकर स्थूलाचार्यको मार डाला । इन शिथिलाचारियोसे अर्धफालक सम्प्रदायका जन्म हुआ । इसके बहुत समय बाद उज्जयिनीमें चन्द्रकीर्ति नामका राजा हुआ । उसकी कन्या वलभीपुरके राजाको व्याही गई । उस कन्याने अर्धफालक साधुओंके पास विद्याध्ययन किया था, इसलिये वह उनकी भक्त थी । एक बार उसने अपने पतिसे उन साधुओंको अपने यहाँ

बुलानेके लिये कहा । राजाने बुलानेकी आज्ञा दे दी । वे आये और उनका खूब स्वागत मत्कार हुआ । परन्तु राजाको उनका वेष अच्छा न लगा । वे रहते तो थे नग्न, पर ऊपर वस्त्र रखते थे । रानीने अपने पतिके मनका भाव जानकर साधुओंके पास पहिननेके लिये श्वेतवस्त्र भेज दिये । साधुओंने भी उन्हे स्वीकार कर लिया । उस दिनसे वे सब साधु श्वेताम्बर कहलाने लगे । उनमें जो प्रधान था उसका नाम जिनचन्द्र था ।^{१)}

ऐतिहासिक दृष्टिसे इन कथाओंका मूल्यांकन करनेके लिये उनमें वर्णित बातोंके सम्बन्धमें थोड़ा प्रकाश डाल देना उचित होगा ।

उक्त कथाओंमें जहाँ तक भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयमें बारह वर्षके दुर्भिक्ष पड़ने तथा संघके साथ उनके दक्षिणापथको जानेका प्रश्न है, उसके सम्बन्धमें हम पिछले प्रकरणमें लिख आये हैं । अतः उसके सम्बन्धमें यहाँ कुछ न लिखकर शेष बातोंपर प्रकाश डालते हैं । (उत्तर प्रातमें ही रह जाने वाले साधुओंमें तीन को प्रमुख बतलाया है—रामिल्ल, स्थविर स्थूल और भद्राचार्य (इनमेंसे एक रामिल्ल नामके किसी साधुका पता श्वेताम्बर परम्परामें नहीं चलता ।) हाँ, स्थविर स्थूलभद्र भद्रबाहुके समकालीन और उत्तराधिकारी माने गये हैं । तथा दिगम्बर परम्परामें श्रुतकेवली भद्रबाहुको जो स्थान प्राप्त है वही स्थान श्वेताम्बर परम्परामें स्थूलभद्रको प्राप्त है । श्वेताम्बर सम्प्रदायकी आचार्य परम्पराका आधारम्भ श्रुतकेवली भद्रबाहुसे न होकर स्थूलभद्रसे होता है । उनके यहाँ श्रुतकेवली भद्रबाहुकी शिष्य परम्पराका

१—'त जहा-धेरस्स ण अज्जजसभद्दस्स अतेवासो दुवे येरा-
येरे अज्ज सभूअविजए...येरे अज्ज भद्दबाहु' । धेरस्स ण अज्ज-

अभाव है। और स्थूलभद्र^१को अन्तिम श्रुतकेवली लिखा है। अतः भद्रबाहुके समय उत्तर भारतमें रह जानेवाले मुनियोंके प्रधानके रूपमें स्थूलभद्रका नाम तो इतिहास सिद्ध है। किन्तु सुभिन्न हो जाने पर जो स्थूलभद्रका पुनः विशाखाचार्यका अनुयायी निर्ग्रन्थ होना बतलाया गया है, वह ठीक नहीं है। स्थूलभद्र तथोक्त स्थविर परम्पराके ही अनुयायी बने रहे और इसीसे उन्हें श्वेताम्बर परम्परामें अग्रस्थान प्राप्त हुआ।)

हरिषेणने 'गमित्तल. स्थविरो योगी भद्राचार्योऽप्यमी त्रयः' लिख कर उनकी संख्या तीन बतलाई है और आगे 'गमित्तलस्थविर स्थूल भद्राचार्या' लिखा है। (वैसे स्थविर स्थूल भद्राचार्य एक ही व्यक्तिका नाम हो सकता है क्योंकि उक्त स्थूलभद्र आचार्य स्थविर थे और योगी भी थे)। उ होने योगकी प्रक्रियाके द्वारा सिंहका रूप धारण करके अपनी बहनको डरा दिया था। (किंतु हरिषेण तीनकी गणना करते हैं, इसलिये भद्राचार्यको पृथक् नाम माननाके उससे जिनभद्र गणि क्षमा श्रमणका ग्रहण होना सम्भव है क्योंकि देवसेनने श्वेताम्बर पक्षके प्रमुखका नाम 'जिनचन्द्र' लिखा है। इसमें 'जिन' नाम है और भद्र या चन्द्र उसका पूरक है। जिनभद्रके सम्बन्धमें हम लिख आए हैं कि वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रबल पोषक प्राचीन आचार्योंमेंसे अन्यतम थे। किन्तु उनका समय स्थूलभद्रसे लगभग नौ शताब्दी पश्चात् है) किन्तु

समूत्र विजयस्स अंतेवासी थेरे अज्ज थूलभद्दे "। थेरस्स ए प्रज थूलभद्दस्स " अंतेवासी दुवे थेरा " ॥' —क० सू० स्थवि० ।

१—'योगीन्द्र स्थूलभद्रोऽभूदथान्त्य श्रुतकेवली ।'

—पट्टा० समु०, पृ० २५ ।

जिनभद्र और हरिषेणके बीचमे लगभग तीन शताब्दियोंका अन्तर है। अतः सम्भव है उनका नाम सुनकर हरिषेणने उन्हें भी स्थूल-भद्रका सहयोगी समझ लिया हो। अस्तु,

देवसेन सूरिकी कथामे दुर्भिक्षके समय बलभी नगरीमें गये हुए साधुओंका दुर्भिक्षके कारण वस्त्र पात्र कुम्बल आदि ग्रहण करना बतलाया गया है। किन्तु हरिषेणकृत कथामें पहले अर्ध-फालक सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है अर्थात् शिथिलाचारी साधु बायें हाथ पर वस्त्र खण्ड लटकाकर आगे कर लेते थे—जिससे नग्नताका आवरण हो जाता था—पीछे बलभी नगरीमे उन्होंने पूरा शरीर ढाकना शुरु कर दिया और कुम्बल वगैरह रखने लगे। देवसेनकी कथाके उक्त अंशसे हरिषेणकी कथाका अर्ध-फालक वाला उक्त अंश बुद्धिग्राह्य तो है ही, मथुरासे प्राप्त पुरा-तत्त्वसे भी उसका समर्थन होता है।

अर्धफालक सम्प्रदाय

जै० हि० भाग १३, अङ्क १-१० में श्री नाथूराम जी प्रेमीने दर्शनसारकी विवेचनाके परिशिष्टमें रत्ननन्दिके भद्रबाहु चरित्रमें आगत उक्त कथाका विश्लेषण करते हुए लिखा था—दिगम्बर ग्रन्थोंके अनुसार भद्रबाहु श्रुतकेवलीका शरीरान्त वीर निर्वाण सम्बत् १६२ में हुआ है और श्वेताम्बरोंकी उत्पत्ति वीर नि० स० ६०३ (विक्रम सवत् १३६) मे हुई है। दोनोंके बीचमे कोई साढ़े चार सौ वर्षका अन्तर है। रत्ननन्दि जीको इसे पूरा करनेकी चिन्ता हुई पर और कोई उपाय न था इस कारण उन्होंने भद्रबाहुके समयमे दुर्भिक्षके कारण जो मत चला था, उसको श्वेताम्बर न कहकर अर्धफालक कह दिया और उसके बहुत वर्षों बाद (साढ़े चार सौ वर्षके बाद) इसी अर्धफालक सम्प्रदाय

के साधु जिनचन्द्रके सम्बन्धकी एक कथा और गढ़ दी और उसके द्वारा श्वेताम्बर मतको चला हुआ बतला दिया ।) वाम्त्वमे अर्धफालक नामका कोई भी सम्प्रदाय नहीं हुआ । भद्रबाहु चरित्र से पहलेके किसी भी ग्रन्थमें इसका उल्लेख नहीं मिलता । यह भट्टारक रत्ननन्दिकी खुदकी 'ईजाद' है ।

उस समय तक हरिषेण कृत कथाकोश प्रकाशमें नहीं आया था । संभवतः इसीसे प्रेमी जिन अर्धफालक सम्प्रदायको रत्ननन्दि-की खुदकी ईजाद लिख डाला । किंतु हरिषेण कृत कथाकोशसे यह स्पष्ट है कि रत्ननन्दिने अपनी कथामें 'खुदकी ईजाद' नहीं घुसेडी, जो कुछ लिखा है वह उन्हे परम्परासे ही प्राप्त हुआ था । अतः रत्ननन्दिसे कई शताब्दि पूर्व दसवीं शतीमें अर्धफालक सम्प्रदायका अस्तित्व माना जाता था, हरिषेणके 'कथाकोशसे यह स्पष्ट है । (अब यदि उसे किसीकी 'ईजाद' कहा जा सकता है तो वह व्यक्ति आचार्य हरिषेण हैं । किंतु जैसे अर्धफालक सम्प्रदायको रत्ननन्दि-की 'ईजाद' करार देनेमें जल्दबाजी की गई, यदि वैसी ही जल्दबाजी उसे हरिषेणकी ईजाद करार देनेमें की गई तो यह दूसरी बड़ी भूल होगी, क्योंकि यद्यपि हरिषेणसे पहलेके किसी ग्रन्थमें इस सम्प्रदायका कोई निर्देश अभी तक नहीं मिला है, किन्तु मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त जैन अवशेषोंमेंसे एक शिलापट्टमें

१-कथाकोशमें कहा है कि जब तक सुभिन्न न हो साधु अपने बाएँ हाथसे वस्त्रको आगे करके तथा दाहिने हाथमें भिक्षापात्र लेकर आहारके लिये निकलें । यथा—

यावन्न शोभनः काल जायते साधवः स्फुटम् ।

तावन्न वामहस्तेन पुर कृत्वाऽर्धफालकम् ॥५८॥

✓ २—आजकल यह शिलापट्ट लखनऊके संग्रहालयमें सुरक्षित है ।

एक जैन साधु विल्कुल उसी रूपमें अद्विगत है जिस रूपका निर्देश कथाकोशमें किया गया है। और उसे जैनयति कृष्णकी मूर्ति बतलाया है। (जैन साहित्यनो इतिहास में उसके सम्बन्धमें इस प्रकार परिचय दिया गया है—

‘आ एक जैन स्तूप नो भाग छे के जे उक्त मथुरानी कंकाली तीला टेकरीमाथी निकलेल छे। ते स्तूपना वे भाग पाडेला छे। उपलो भाग साकड़ो छे अने तेना मध्यमां स्तूपनी आकृति छे अने स्तूपनी बने बाजुए जिननी बच्चे आकृतिओ छे। कुल ते चार आकृतिओ (मूर्तिओ) छेल्ला चार तीर्थङ्कर नमि, नेमि, पार्श्व अने वर्धमाननी छे। नीचे ना भागमां कएहनी मूर्ति छे के जेना मानमां आ स्तूप बनाववामां आव्यो हतो। कएहनी मूर्तिने वस्त्र पहरेवेलां होता थी ते श्वेताम्बर मूर्ति मानी शकाय। आमा आवेल मूल लेख कोई अनिर्णीत लिपिमां छे। आरभमां ६५ नी साल होवानुं जणाय छे के जे बखते वासुदेवनुं राज्य हतु।’

इसमें बतलाया है कि नीचेके भागमें कएहकी मूर्ति है जिसके सन्मानमें यह स्तूप बनाया गया। कएहकी मूर्ति वस्त्र पहिने होनेसे उसे श्वेताम्बर मूर्ति कहा जा सकता है। इसमेंका मूल लेख किसी ऐसी लिपिमें है जिसका निर्णय नही हो सका, सम्बत् ६५ के सालमें जब वासुदेवका राज्य था तबकी यह होनी चाहिये।

इसमें श्री देसाई जीने कएहकी मूर्तिको वस्त्र पहिने होनेसे श्वेताम्बर हाना तो स्वीकार्य कर लिया किंतु उसके वस्त्र धारणके ढगके विषयमें कुछ नहीं लिखा। श्री चिम्मनलाल शाहने भी

✓ १—भिक्षापात्रसमादाय दक्षिणेन करेण च ।

गृहीत्वा नक्तमाहारं कुरुष्व भोजन दिने ॥५६॥

—हरि० क० को०, पृ० ३१८

✓ १—जै० ना० इ०

इस विषयमें मौन धारण कर लिया है। किन्तु श्री बृहत्तरने (इं० एरिट०, जि० २, पृ० ३१६) लिखा था—नेभिष देवताके बाएँ घुटनेके पास एक छोटी सी आकृति नगे मनुष्यकी है जो बाएँ हाथमें वस्त्र होनेसे तथा दाहिना हाथ ऊपरको उठा होनेसे एक साधु मालूम होता है।

(लखनऊ संग्रहालयके तत्कालीन अध्यक्ष डा० वासुदेव शरण अग्रवालने उक्त शिलापट्टके सम्वन्धमें लिखा था—'पट्टके ऊपरी भागमें स्तूपके दो ओर चार तीर्थङ्कर हैं, जिनमेंसे तीसरे पार्श्वनाथ (सर्पफणालकृत) और चौथे संभवतः भगवान महावीर हैं। पहले दो ऋषभनाथ और नेमिनाथ हो सकते हैं। पर तीर्थङ्कर मूर्तियोंपर न कोई चिन्ह है और न वस्त्र। पट्टमें नीचे एक स्त्री और उसके सामने एक नग्न श्रमण खुदा हुआ है। वह एक हाथ में सम्मार्जनी और बाएँ हाथमें एक कपड़ा (लगाोट) लिए हुए है, शेष शरीर नग्न है। (जे० सि० भा०, भाग १०, कि० २, पृ० ८० का फुटनोट)।'

चित्रके देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कएहने बाएँ हाथसे वस्त्र खण्डको मध्यसे पकड़ा हुआ है और सामने करके उससे उन्होंने अपनी नग्नता मात्रको छिपाया हुआ है। संभवतः श्वेताम्बर सम्प्रदायके पूर्वज अर्धफालक सम्प्रदायका यही रूप था। यह सम्भव है कि उसे अर्धफालक सम्प्रदाय नामसे न कहा जाता हो और दिगम्बरोने ही वस्त्र खण्ड रखनेके कारण उन्हें यह नाम दे दिया हो। मगर श्वेताम्बर साधुओंका प्रारम्भिक रूप यही प्रतीत होता है। क्योंकि श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रके संबोध प्रकरणसे प्रकट होता है कि विक्रमकी ७वीं द्वाी शताब्दी तक श्वेतांबर साधु भी मात्र एक कटिवस्त्र ही रखते थे। तथा जो साधु उस कटिवस्त्रका उपयोग

निष्कारण करता था वह कुसाधु माना जाता था। तथा प्रारम्भमें शरीरका गुह्य अंग ही टांकनेका विशेष खयाल रहता था। गुह्य अङ्गके टांकने वाले वस्त्र खण्डको 'चोलपट्ट' कहते थे। 'चोलपट्टका' प्रमाण स्थविरके लिये दो हाथ और युवाके लिये चार हाथ था। तथा वह चौकोर होता था। हमारे विचारसे चुल्लपटसे चोलपट्ट शब्द बना प्रतीत होता है। 'चुल्ल' का अर्थ है लुट्। अतः चुल्लपट्टका अर्थात् लुट् वस्त्र होता है। प्रारम्भमें वस्त्रको दाहिने हाथसे पकडकर नग्नताको ढाका जाता होगा जैसा कि मथुरासे प्राप्त कण्हके शिलापट्ट पर अङ्कित चित्रसे स्पष्ट है। पीछे उसे धागेके द्वारा कमरमें बांधा जाने लगा होगा। आर्य रक्षितके पिता सोमदेवका श्वेताम्बर साहित्यमें जो वर्णन पाया जाता है उससे भी यही प्रकट होता है। सोमदेव अन्य सब उपकरणको छोड़नेके लिये तैयार हो जाता है परन्तु अधोवस्त्र छोड़ने के लिये तैयार नहीं होता। तब आर्य रक्षित बड़े कौशलसे उससे धोती छुडवाते हैं और धोतीकी जगह कटिमें धागेसे चोलपट्ट बंधवा देते हैं। यह घटना विक्रमकी दूसरी शताब्दीके आरम्भकी बतलाई जाती है। उधर मथुरासे प्राप्त आयागपट्ट भी लगभग उसी समयका है। उसपर सं० ६५ अङ्कित है। उस समय कौशाण वंशके अन्तिम सम्राट वासुदेवका राज्य था।

अतः अर्धस्फालक सम्प्रदायका अस्तित्व किसीकी कल्पनाका विषय न होकर वास्तविक ही है और वही वर्तमान श्वेताम्बर

१ 'चोलस्य पुरुषचिन्हस्य पट्ट प्रावरणवस्त्र चोलपट्टः'।

—अभि० रा० ।

२ दुगुणो चउगुणो वा हत्थो चउरस चोलपट्टोय ।

येर जुवाण्डा वा सण्हे थूलम्मि य विभासा ॥२०॥

—प्रव० सारो० ६१ द्वार ।

सम्प्रदायका पूर्वज भी है। अतः हरिषेणका कथन वास्तविक ही प्रतीत होता है।

किन्तु कथामे जिस ढंगसे अर्धफालकसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है उसमे वास्तविकताकी प्रतीति नहीं होती। किसी नगरीके राजाके आदेश मात्रसे अर्धफालकसे श्वेताम्बर बन जाना संभव प्रतीत नहीं होता। असलमे शिथिलाचारिता एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रवेश होनेपर यदि उसे न रोका गया तो उसका बढ़ना ही स्वाभाविक है। विनयपिटकका महावग्ग इसपर अच्छा प्रकाश डालता है। बौद्ध संघमें साधु पहले फटे चिथड़े ही धारण करते थे, गृहस्थोंके द्वारा दिये गये चीवर धारण करनेका नियम नहीं था। बुद्धने जब गृहपति चीवर धारण करनेकी आज्ञा दे दी तो उसके पश्चात् वस्त्रोंका ढेर लग गया।

यही स्थिति हम श्वेताम्बर सम्प्रदायमे भी पाते हैं। प० वेत्तरदास जीने 'जैन साहित्यमें विकार' नामक पुस्तकके 'श्वेताम्बर दिगम्बरवाद' नामक अध्यायमें इस पर साधार प्रकाश डाला है। अतः कथाका वह अंश 'कविकी ईजाद' हो तो आश्चर्य नहीं है। (किन्तु वलभी नगरीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलानेमें अवश्य ही ऐतिहासिक तथ्य निहित है क्योंकि वर्तमानमें उपलब्ध श्वेताम्बरीय आगमोंका संकलन वलभी नगरीमें ही किया गया था। और उनकी संकलना तथा लेखनके पश्चात् श्वेताम्बर-दिगम्बर भेदकी एक ऐसी अटूट दीवार खड़ी हो गई जिसने दोनोंको सर्वदाके लिये पृथक् कर दिया। इसीसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति वलभी नगरीमें बतलाई गई प्रतीत होती है।)

उक्त कथामें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि उसमें जिन-

कल्प और स्थविर कल्पके भेदको पीछेसे कल्पित बतलाया है और श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यके अवलोकनसे भी उसका समर्थन होता है। आचारांग सूत्रमे तो ये दोनों भेद हैं ही नहीं, अन्य भी प्राचीन अंगोमे नहीं हैं। हाँ, कल्पसूत्र निर्युक्तिमे हैं। और इसलिये उसे उसी समयकी उपज कहा जा सकता है।

उक्त कथा पर एक आपत्ति यह की जाती है कि उसमें संघ उज्जैनीसे दक्षिणकी ओर गया ऐसा लिखा है। डा० फ्लीटका कहना है कि संघकी दक्षिण यात्रा ऐतिहासिक सत्य है, चाहे वह उज्जैनीसे गया हो या और कहींसे। (इण्डि०, एण्टि०, जिल्द २१, पृ० १५६)

अब हम श्वेताम्बर^१ साहित्यसे उस कथाको देते हैं जिसमें बौद्धिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है।

१—'इष्टं न यैर्गुरोर्वाक्यं ससारार्णवतारकम् ।

जिन-स्थविरकल्प च विधाय द्विविध भुवि ॥६७॥ -

अर्धफालकसयुक्तमज्ञातपरमार्थकै ।

तैरिदं कल्पित तीर्थं कातरैः शक्तिवर्जितै ॥६८॥

—हरि० क० को० ।

२—'छ्वांससयाइ ननुत्तराई तइआ सिद्धि गयस्स वीरस्स ।

तो वोडियाण दिट्ठी रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ २५५० ॥

रहवीरपुरं नगर दीवगमुजाण मज्जकण्हे य ।

सिवभूर्इस्सुवहिम्मि पुञ्छा थेराण कहरा य ॥२५५१ ॥

बोडियशिवभूर्इओ बोडियलिंगस्स होई उप्पत्ती ।

कोंडिन्न कोट्टवीरा परपराफासमुप्पन्ना ॥२५५२॥

—विशे० भा० ।

रथवीरपुरमें शिवभूति नामका एक क्षत्रिय रहता था। उसने अपने राजाके लिये अनेक युद्ध जीने थे। इसलिये राजा उसका विशेष सम्मान करता था, और उसमें वह बड़ा घमण्टी हो गया था और रात्रिको बहुत विलम्बमें घर आता था। एक दिन वह बहुत रात गये घर लौटा। उसकी मान द्वार नहीं खोला और उसे खूब घुग भला कहा। तब वह साधुओंके उपाश्रयमें चला गया और उनसे व्रत देनेकी प्रार्थना की। साधुओंने उसे व्रत नहीं दिये। तब वह स्वयं केशलोचन करके साधु बन गया। राजाने शिवभूतिको एक बहुमूल्य रत्नकम्वल दिया। आचार्यने उसे लेनेसे मना किया। किन्तु शिवभूति नहीं माना। एक दिन आचार्यने शिवभूतिकी अनुपस्थितिमें उस रत्नकम्वलको फाड़कर उसके पैर पोछनेके आसन बना डाले। इससे शिवभूति रुष्ट हो गया। एक दिन आचार्य जिन कल्पका वर्णन कर रहे थे। उसे सुनकर शिवभूति बोला—आजकल इतनी परिग्रह क्यों रखते हैं? जिनकल्पको क्यों नहीं धारण करते? आचार्यने उत्तर दिया—जम्बू स्वामी के पश्चात् जिन कल्पका विच्छेद हो गया। संहनन आदिके अभावमें आजकल उसका धारण करना शक्य नहीं है। इसपर शिवभूति बोला—‘मेरे रहते हुए जिनकल्पका विच्छेद कैसे हो सकता है, मैं ही उसे धारण करूँगा। आचार्य तथा स्थविरोने उसे बहुत समझाया किन्तु वह नहीं माना और वस्त्र त्याग कर चला गया। उसकी बहन उसे नमस्कार करनेके लिये गई। वह भी उसे देखकर नगी हो गई। जब वह भिक्षाके लिये नगरमें गई तो एक गणिकाने उसे वस्त्र पहिना दिया। नगी स्त्री बड़ी वीभत्स लगती है, यह सोचकर शिवभूतिने भी उसे सवस्त्र रहनेकी आज्ञा दे दी। पश्चात् शिवभूतिने कौडिन्य और कोट्टवीर नामके दो व्यक्तियोंको अपना शिष्य बनाया। इस तरह वीर निर्वाणके ६०८

वर्ष बीतनेपर रथवीरपुरमें बोटिक शिवभूतिसे बोटिकोंका मत उत्पन्न हुआ ।'

[श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार भगवान महावीरके तीर्थकालमें सात निन्हव उत्पन्न हुए । आगमकी यथार्थ बातको छिपाकर अन्यथा कथन करनेको निन्हव कहते हैं । इस तरहकी घटनाएँ सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिमें कारण हुआ करती हैं । किन्तु इन सात निन्हवोंके कारण कोई नया सम्प्रदाय उत्पन्न नहीं हुआ और एकको छोड़कर शेष सभी निन्हवोंके कर्ता आचार्य समझानेसे मान गये ।]

[स्थानांग सूत्रमें सातो निन्हवोंके नाम, स्थान और कर्ता आचार्योंका निर्देश पाया जाता है । आवश्यक^१ निर्युक्तिमें उनका काल भी दिया है । किन्तु स्थान और काल आठ निन्हवोंका दिया है । तथा उपसहार^२ करते हुए भी सात ही निन्हवोंका निर्देश किया

१—'समणस्स ण भगवओ महावीरस्स तित्थसि सत्त पवयण-
णिएहगा पणत्ता । त जहा—त्रहुरया, जीवपएसिया, अव्वसिया, सामु-
च्छेइया, दोकिरिया, तेरासिया, अब्दिया । एएसिं णं सत्तएह पवयण-
णिएहगाण सत्त घम्मायरिया होत्था—जमाली, तिस्सगुत्ते, आसाढे, आस-
मित्ते, गगे, छल्लुए, गोट्टा माहिल्ले । एएसिं ण सत्तएह पवयणणिएहगाणं
सत्त उप्पत्तिनगरे होत्था । त जहा—सावत्थी, उसभपुर, सेयविया, मिहिल,
उल्लुगातीर पुरिमतरजि, दसपुर, णिएहग उ पत्ति नगराईं ॥

—स्था०, सूत्र ५८७ ।

२—आव नि०, गा० ७७६-७८३ ।

३—एवं एए कहिआ ओसप्पिणिए उ निहया सत्त ।
वीरवरस्स पवयणे सेसाणं पवयणे नत्थि ॥७८४ ॥

है। आव० नि० पर विशेषावश्यक भाष्यकार जिनभद्र गणि क्षमा-
श्रमणने अपने भाष्यमें बतलाया है कि यह आठवाँ निन्हव वोटिक
मत है, और उन्होंने ही वोटिक मतकी उत्पत्ति कथा भी दी है।
इस तरहसे इस आठवें निन्हवके जन्मदाता वे ही जान पड़ते हैं।
और इसलिये दिगम्बर कथाओंके जिनभद्र ये जिनभद्र ही हो
सकते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम जम्बू स्वामीके पश्चात् जिनकल्पका
विच्छेद होनेकी घोषणा की थी। कथामें भी यही बतलाया गया
है कि जिनकल्पका विच्छेद होनेके पश्चात् शिवभूतिने नग्न होकर
जिनकल्पका प्रवर्तन किया और इस तरह वोटिक मत चल पड़ा।
किन्तु इससे दिगम्बर मत अर्वाचीन प्रमाणित नहीं होता क्योंकि
जब जिनकल्पको दिगम्बरत्वका प्रतिरूप माना गया है और जम्बू-
स्वामी तक उसका प्रचलन रहा है तथा उसे ही शिवभूतिने धारण
किया तो उसने नवीन मत कैसे चलाया। जो पुराना था तथा एक
पक्षने जिसके विच्छेद होनेकी घोषणा कर दी थी। उसीका पुनः
प्रवर्तन करना नवीन मतका चलाना तो नहीं है। यदि जिनकल्प
पहले कभी प्रचलित न हुआ होता तथा जैन परम्परामें उसे आदर
प्राप्त न हुआ होता तो उसे नवीन मत कहा जा सकता था। किन्तु
उत्तरकालीन श्वेताम्बर साहित्यमें जिनकल्पका समादर पाया जाता
है। श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यके टीकाकारोंने प्रायः प्रत्येक
कठिन आचारको जिनकल्पका आचार बतलाया है। उसके सम्बन्ध
में केवल इतना ही विरोध था कि पञ्चम कालमें उसका विच्छेद
हो गया है, क्योंकि उसका धारण कर सकता शक्य नहीं है।

सत्तेया दिट्ठोओ जाइजरा मरणगन्धवसहीणं ।

मूलं ससारस्स उ हवति निग्गयरूवेण ॥७८६॥'

शिवभूतिको भी यही कहकर समझाया गया था। किन्तु उसने यही उत्तर दिया कि असमर्थके लिये जिनकल्पका विच्छेद भले हो हुआ हो समर्थके लिये उसका विच्छेद कैसे हो सकता है ?

एक बात और भी है, दिगम्बर कथाओंमें श्वेताम्बरोकी बाबत प्रायः यही लिखा है कि जिनकल्पका धारण करना बड़ा कठिन है इसलिये हमने स्थविर कल्पको धारण किया है। यही बात श्वेताम्बरीय कथामें भी प्रकारान्तरसे कही गई है। उससे सघभेदकी उत्पत्तिके आशयमें अन्तर नहीं पड़ता। दिगम्बर लेखक दिगम्बर वेशको जैन मुनिका साधारण आचार मानकर दुर्भिक्षजनित परिस्थितियोंके कारण उत्पन्न हुई शिथिलाचारिताको श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका जनक बतलाते हैं। और श्वेताम्बर लेखक जम्बू स्वामी के पश्चात् विच्छिन्न हुए जिनकल्पका पुनः संस्थापन करनेको दिगम्बर मतकी उत्पत्तिका जनक बतलाते हैं। तथा जिनकल्पके विच्छेदका कारण काल आदिकी कठिनताको बतलाते हैं, जो कि अशक्तताका ही सूचक है। किन्तु दोनोंके आशयोंमें इस ऐक्यके होते हुए भी एक मौलिक अन्तर भी है। दिगम्बरोंके अनुसार श्वेताम्बर सम्प्रदाय (साधुओंका वस्त्र परिधान) कभी था ही नहीं, श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयसे ही उसका प्रारम्भ हुआ। किन्तु श्वेताम्बरोंके अनुसार जिनकल्प (दिगम्बरत्व) की प्रवृत्ति जम्बू स्वामी तक अविच्छिन्न रूपसे चली आती थी। उसके

१—'उवहिविभाग सोऊ सिवभूई अजकण्डगुरुमूले ।

निणकपियाइयाण गुरुकीस नेयाणि ॥२५५३॥

निणकप्योऽणुचरिजइ नोच्छिन्नोत्ति भणिए पुणो भणइ ।

तदसत्तसोच्छिजउ बुच्छिजइ किं समत्थस्स ॥२५५४॥

—विशे० भा० ।

पश्चात् ही उसका विच्छेद हुआ, और शिवभूतिने उसे पुनः प्रचलित करके दिगम्बर सम्प्रदाय की सृष्टि की। अतः जब दिगम्बरोंके अनुसार श्वेताम्बर सम्प्रदाय नया है। तब श्वेताम्बरोंके अनुसार दिगम्बर पन्थ नया नहीं है किन्तु अति प्राचीन है। केवल बीचमें ही उसका विच्छेद हो गया था।]

[अतः श्वेताम्बर कथाके अनुसार भी दिगम्बर पन्थ नया प्रमाणित नहीं होता। किन्तु उसमें जो जम्बू स्वामीके पश्चात् ही जिनकल्पका विच्छेद तथा शिवभूतिके द्वारा उसकी पुनः प्रवृत्ति आदि बातलाई है उसका समर्थन अन्य स्रोतोंसे नहीं होता और न यह बात ही गले उतरती है कि आदर्श मार्गका एकदम लोप हो जाये तथा अपवाद मार्गका सार्वत्रिक चलन हो जाये। और फिर एक शिवभूतिके द्वारा, जो न तो ऐतिहासिक व्यक्ति ही है और न कोई प्रभावशाली पुरुष ही प्रतीत होता है, पुनः दिगम्बर मार्गका प्रचलन इतने जोरोसे हो जाये। इन्हीं कारणोंसे किसी ऐतिहासज्ञ विद्वानने संघ भेदकी उत्पत्तिमें श्वेताम्बर कथाको प्रश्रय नहीं दिया जब कि दिगम्बर कथाकी घटनाको अनेक इतिहासज्ञोंने स्थान दिया है।

१—नीचे कुछ इतिहासज्ञोंके मत दिये जाते हैं—

कैम्ब्रिज हिस्ट्रीमें भद्रबाहुके दक्षिणगमनका निर्देश करके आगे लिखा है—'यह समय जैन सघके लिये दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ईस्वी पूर्व ३०० के लगभग महान सघभेद का उद्गम हुआ जिसने जैन सघको श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायोंमें विभाजित कर दिया। दक्षिणसे लौटे हुए साधुओंने, जिन्होंने दुर्भिक्ष कालमें बड़ी कड़ाईके साथ अपने नियमोंका पालन किया था, मगधमें

उक्त आपत्तियोंके अतिरिक्त उक्त कथामें एक बड़ी आपत्ति यह है कि वह कथा बोटिक सम्प्रदायकी उत्पत्तिसे सम्बद्ध है। उसमें बतलाया है कि बोटिक शिवभूतिसे बोटिक सम्प्रदाय उत्पन्न

रह गये अन्य अपने साथी साधुओंके आचारसे अमन्तोप प्रकट किया, तथा उन्हें मिथ्या दिशामी और अनुशासनहीन घोषित किया।

—कै० हि०, (सस्क० १६५५) पृ० १४७ ।

आर० सी० मज्जिमकरने लिखा है—‘जैन भद्रबाहुके अनुयायी मगधसे लौटे तो एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। नियमानुसार जैन साधु नग्न रहते थे किन्तु मगधके जैन साधुओंने सफेद वस्त्र धारण करना प्रारम्भ कर दिया। दक्षिण भारतसे लौटे हुए जैन साधुओंने इसका विरोध किया; क्योंकि वे पूर्ण नग्नताको महावीरकी शिक्षाओंका आवश्यक भाग मानते थे। विरोधका शान्त होना असम्भव पाया गया और इस तरह श्वेताम्बर (जिसके साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं) और दिगम्बर (जिसके साधु एकदम नग्न रहते हैं) सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। जैन समाज आज भी दोनों सम्प्रदायोंमें विभाजित है।’—एशि० इ० पृ० १७६।

श्री प० विश्वेश्वरनाथ रेऊने लिखा है—‘कुछ समय बाद जब अकाल निवृत्त हो गया और कर्नाटकसे जैन लोग वापिस लौटे तब उन्होंने देखा कि मगधके जैन साधु पीछेसे निश्चित किये गये धर्म ग्रन्थोंके अनुसार श्वेतवस्त्र पहनने लगे हैं। परन्तु कर्नाटकसे लौटनेवालोंने इस बातको नहीं माना। इससे वस्त्र पहनने वाले जैन साधु श्वेताम्बर और नग्न रहनेवाले दिगम्बर कहलाये।’

—भा० प्रा० रा०, भाग २, पृ० ४१ ।

हा० जै०—पृ० ११, हि० इ० लि०, (विन्टर) जि० २, पृ० ४३१-३२ ।

१—बोडिय सिधमईओ बोडियलिंगस्स होइ उप्पत्ती’ ।

—विमे० भा०, गा० २५५२ ।

हुआ। वोटिकका अर्थ दिगम्बर जैन सम्प्रदाय कैसे किया गया और कैसे 'वोटिक' शब्द निष्पन्न हुआ, यह हम नहीं जानते, क्योंकि श्वेताम्बर साहित्यमें इस विषयका कोई स्पष्टीकरण हमारे देखनेमें नहीं आया। शिवभूतिका भी वोटिक कहा गया है। शायद इसीमें उसके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायका भी वोटिक सजा दी गई है। किंतु ऐसी स्थितिमें शिवभूतिके द्वारा प्रवर्तित वोटिक सम्प्रदाय ही दिगम्बर जैन सम्प्रदाय है, यह कैसे कहा जा सकता है। इसके सम्बन्धमें जर्मन प्रोरियन्टल सोसायटीके जर्नलमें डा० याकोबीने एक विरचित लेख प्रकाशित कराया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि वोटिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके बहुत काल पश्चात् हुई है। तथा श्वेताम्बरोंसे दिगम्बरोंका पार्थक्य भद्रबाहुके समयसे क्रमशः हुआ है। खेद है कि जर्मन भाषामें होनेके कारण हम उस लेखके विषयसे पूर्ण रूपसे परिचित नहीं हो सके। फिर भी उसके उक्त सारांशसे यह स्पष्ट है कि जेकोबी वोटिक सम्प्रदाय को एक भिन्न सम्प्रदाय मानते थे। [अतः श्वेताम्बर साहित्यकी उक्त कथासे दि० जैन सम्प्रदायकी उत्पत्ति प्रमाणित करना संभव नहीं है। और इसलिये उक्त आपत्तियोंके प्रकाशमें प्रकृत विषय पर उक्त कथा असंगत ठहरती है। जब कि दिगम्बर साहित्यमें पाई जाने वाली कथा अनेक दृष्टियोंसे सुसंगत प्रतीत होती है।]

संघभेदके मूल कारण वस्त्रपर विचार

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी कथाओंसे तथा दोनोंके नामसे यह तो स्पष्ट है कि दोनों साधुओंके वस्त्र परिधान या नग्नताके विवादको ही संघ भेदका मूल कारण मानते हैं। अतः यहाँ साधुओंके वस्त्र परिधान के सम्बन्धमें विचार करना आवश्यक है। इस समस्याको दो कालोंमें विभाजित कर देना उचित होगा—एक भगवान महावीर

तथा उनके पूर्वका समय और एक भगवान महावीरके पश्चात्का समय ।

भ० महावीर तथा उनके पूर्व वस्त्रकी स्थिति

[कतिपय विद्वानोका ऐसा मत है कि भगवान् महावीर सुधारक थे—उन्होंने भगवान् पार्श्वनाथकी परम्परामे अनेक सुधार किये—चतुर्यामके स्थानमे पञ्चमहाव्रतकी परिपाटी प्रवर्तित की । इसी तरह पार्श्वनाथकी सचेल परम्पराके स्थानमें अचेल परम्पराको स्थापित किया । यह मत उत्तराध्ययनके केशी गौतम संवादके आधार पर ही स्थापित हुआ है ।]

पार्श्वनाथके चतुर्यामकी चर्चामें केशी गौतम संवादका एक अंश ही हमने उद्धृत किया था और दूसरा अंश जो सचेलता और अचेलतासे सम्बद्ध है, आगेके लिये छोड़ दिया था । वह अंश इस प्रकार है—केशी गौतमसे पूछता है—‘महावीरने अचे-

१—हा० जै०, पृ० ४६ । से० बु० ई०, जि० ४५, प्रस्तावना पृष्ठ २२ ।

२—अचेलओ अ जो धम्मो जो इमो सतरत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ २६ ॥

एककज्जपवन्नाण विसेसे किनु कारण ।

लिंगे दुविहे मेहावी ! कह विप्पच्चओ न ते ॥ ३० ॥

केसि एव बुवाणं तु गोयमो हणमव्ववी ।

विन्नाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छिय ॥ ३१ ॥

पच्चयत्थ तु लोगस्स नाणाविहविगप्पण ।

जत्तत्थ गहणत्थ च लोणे लिंगपओयण ॥ ३२ ॥

अह भवे पइन्ना उ मोक्खसम्भूयसाहणा ।

णाण च दसण चेव चरित्त चेव निच्छए ॥ ३३ ॥

—उत्तरा०, २३ अ० ६

लक धर्मका उपदेश दिया और पार्श्वनाथने 'संतरुत्तर' धर्मका उपदेश दिया। एक ही मोक्षकार्यके लिये दो प्रकारका लिंग बतलानेकी क्या आवश्यकता थी ?

गौतम उत्तर देते है—पार्श्वनाथ और महावीरने अपने अपने ज्ञानसे जानकर धर्मके साधन बतलाये हैं। तथा लोगोंके विश्वासके लिये, लोकयात्राके लिये और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये लिंगकी आवश्यकता होती है। निश्चयसे तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही मोक्षके साधन हैं।

गौतमके द्वारा केशीके प्रश्नका जो समाधान कराया गया है वह बहुत चलता हुआ सा है। अतः उसके सम्बन्धमें कुछ कहनेसे पहले केशीके प्रश्न पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। केशीने भगवान महावीरके धर्मको अचेल बतलाया, सो ठीक ही है, इसके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। केशीने पार्श्वनाथके धर्मको 'सतरुत्तर' कहा है जिसका संस्कृत रूप 'सान्तरोत्तर' होता है। इस 'सान्तरोत्तर' शब्दकी व्याख्यामें भी टीकाकारोंने वही गड़बड़ी की है जो 'अचेल' शब्दकी व्याख्या में की गई है।

हमारे सामने उत्तराध्ययनकी दो टीकाएँ वर्तमान हैं और दोनों में 'सान्तरोत्तर' का अर्थ किया गया है—'सान्तर'^३ अर्थात् वर्धमान स्वामीके साधुओंकी अपेक्षा प्रमाण और वर्णमें विशिष्ट तथा

३—'सान्तराणि-वर्द्धमानस्वामियत्यपेक्षया मानवर्णविशेषतः सविशेषाणि, उत्तराणि-महामूल्यतया प्रधानानि प्रक्रमात् वस्त्राणि यस्मिन्नसौ सान्तरोत्तरो धर्मः देशितः'। —उत्तरा०, टी० नेमिचन्द्र, पृ० २६६।

‘उत्तर’ अर्थात् महामूल्य होनेके कारण प्रधान, ऐसे वस्त्र जिसमें धारण किये जायें वह धर्म सान्तरोत्तर है। इसका आशय यह हुआ कि पार्श्वनाथके धर्ममें साधुओंको महामूल्यवान् और अपरिमित वस्त्र पहननेकी अनुज्ञा थी। इस व्याख्याके अनुसार केशी अवश्य ही राजसी वस्त्रोंमें होंगे। फिर भी अचेल गौतमको पार्श्वनाथके निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके उस आचार्यको देखकर रचमात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ, यह आश्चर्य है।

असलमें टीकाकारोंने ‘सतरुत्तर’ का यह अर्थ ‘अचेल’ शब्दके अर्थको दृष्टिमें रखकर किया है। जब अचेलका अर्थ वस्त्राभावके स्थानमें क्रमशः कुत्सित चेल, अल्पचेल और अमूल्य चेल किया गया तो सतरुत्तर (सान्तरोत्तर) का अर्थ अपरिमित और महामूल्य वाले वस्त्र होना ही चाहिये था। किन्तु यह अर्थ करते समय टीकाकार यह शायद भूल ही गये कि आचाराग सूत्र २०८ में भी ‘संतरुत्तर’ पद आया है और वहाँ उसका अर्थ क्या लिया गया है ?

[तीन वस्त्रधारी साधुके लिये आचारांगमें बतलाया है कि जब शीत ऋतु बीत जाये और ग्रीष्म ऋतु आ जाये तो वस्त्र यदि जीर्ण न हों तो कहीं रख दे, अथवा ‘सान्तरुत्तर’ हो जाये। टीकाकार आचार्य शीलान्कने यहाँ सान्तरुत्तरका अर्थ किया है—

१—‘सान्तरुत्तर—प्रावरणीय यस्य स तथा क्वचित् प्रावृणोति क्वचित् पार्श्वकृतिं विभर्ति ।’—आचा० सू० २०६, टीका ।

डा० याकोधीने अपने उत्तराध्ययनके अनुवादमें ‘अचेल और सन्तुरुत्तर’ का अर्थ इस प्रकार किया है—‘महावीरके धर्ममें वस्त्रका निषेध था किन्तु पार्श्वने एक अन्तर और एक उत्तर (एक अधोवस्त्र और एक ऊपरी वस्त्र) इस तरह दो वस्त्रोंकी आज्ञा दी थी ।’ (से० बु० ई०, १

‘सान्तर है उत्तर—ओढना जिसको’ अर्थात् जो आवश्यकता होने पर वस्त्रका उपयोग कर लेता है, नहीं तो पासमे रखे रहता है। आचार्यने उसका खुलासा करते हुए लिखा है—‘शीत चले जाने पर वस्त्रको छोड़ देना चाहिये। अथवा यदि क्षेत्र ऐसा हो जहाँ अभी भी ठढी हवा बहती हो तो शीतसे बचनेके लिये और अपनी शक्तिको तोलनेके लिये ‘सान्तरोत्तर’ हो जाये। अर्थात् वस्त्रका परित्याग न करके उसे पासमे रखे रहे, आवश्यकता हो तो उसका उपयोग कर ले ।’

केशीने जो पार्श्वनाथके धर्मको ‘सान्तरोत्तर’ बतलाया है वहाँ पर भी सान्तरोत्तरका यही अर्थ सुसंगत जान पड़ता है। उससे प्रकट होता है कि पार्श्वनाथके साधु सर्वथा अचेल विहार नहीं करते थे किन्तु पासमे वस्त्र रखते थे। आवश्यकता देखते थे तो उसका उपयोग कर लेते थे। और यह छूट उनके लिये इसलिये दी गई थी क्योंकि वे सरल हृदय और ज्ञानी थे। सुविधाके रहस्यको समझते थे—उसका दुरुपयोग करनेकी दुर्बुद्धि उनमें नहीं थी। इसीलिये पार्श्वनाथके धर्मको श्वेताम्बर साहित्यमें सचेल और अचेल दोनों बतलाया है। सान्तरोत्तरके उक्त अर्थके साथ उसकी संगति ठीक बैठ जाती है। जब पार्श्वनाथके साधु वस्त्रका उपयोग करते थे तो वे सचेल कहे जाते थे और जब वस्त्रका उपयोग नहीं करते थे तो वे अचेल कहे जाते थे। किन्तु उनका आदर्श अचेलता थी सचेलता नहीं। भगवान महावीरने अपने शिष्योंकी स्थितिको देखकर उसमें इतना सुधार कर दिया कि हमारे साधु

(जि० ४५, पृ० १२३) । श्वेताम्बर टीकाकारोंके ‘बहुमूल्य और अपरिमित वस्त्र’ जैसे अर्थसे या० याकोबीका अर्थ अधिक सुसंगत प्रतीत होता है अन्तर और उत्तर वस्त्रसे सहित जो हो वह सान्तरोत्तर है ।’

अचेल ही रहेंगे। 'सान्तरोत्तर' वाली बात उन्होंने समाप्त कर दी। फिर भी पार्श्वनाथके साधुओंकी सरलता और समझदारीके कारण वल्लकी जो छूट सर्वसाधारणके लिये थी, भगवान महावीरने वह छूट केवल असमर्थ साधुओंके लिये ही रखी, और उसके साथ अनेक शर्तें लगा दी, जिससे साधु वल्लको अपवाद मार्ग ही समझें उत्सर्ग मार्ग न समझ बैठें। किन्तु उनके शिष्योंकी 'वक्रजड़ता' ने काल पाकर अपना रंग दिखाया और उन्होने ऐसी रचनाएँ रचीं कि उत्सर्ग मार्गको धता बताया और अपवाद मार्ग को उत्सर्ग मार्ग बना दिया। श्वेताम्बर साहित्यके परिशीलनसे उक्त तथ्य सामने आता है। इस विषयको और भी स्पष्ट करने वाले भगवान पार्श्वनाथके अनुयायी जो साधु भगवान महावीरके समयमें वर्तमान थे उनके विषयमें भी विचार करनेकी आवश्यकता है ?]

पार्श्वस्थ—शिथिलाचारी साधु

श्वेताम्बरीय आगमोंमें पार्श्वनाथके अनुयायियोंके लिये 'पासावच्चिज्ज' शब्द आया है। जिसका संस्कृत रूप 'पार्श्वपत्तीय' होता है और अर्थ होता है—पार्श्वस्वामीके परम्परा शिष्य।

[एक दूसरा शब्द भी पाया जाता है जो पार्श्वनाथके अनुयायियोंके लिये व्यवहृत होता था। वह शब्द है—पासत्थ। इसके दो संस्कृत रूप होते हैं—एक पार्श्वस्थ और एक पाशस्थ। पाशस्थ का अर्थ होता है 'पाशमें फँसा हुआ'। और पार्श्वस्थका अर्थ होता है—पार्श्वमें स्थित। यह 'पासत्थ' शब्द उत्तर कालमें शिथिलाचारी साधुके लिये व्यवहृत हुआ है। इस परसे ऐसा लगता है कि महावीर भगवानके समयमें पार्श्वके अनुयायी साधु शिथि-

लाचारी हो गये थे । अथवा पार्श्वके अनुयायी साधुओंको महावीरके अनुयायी शिथिलाचारी मानते थे]

[और ऐसा होना कोई असभव नहीं है । इस सम्बन्धमें डा० जेकोवीने ठीक ही लिखा है—‘उत्तराध्ययन सूत्रके केशी-गौतम संवादसे अनुमान किया जाता है कि पार्श्व और महावीरके बीचमें मुनिधर्मकी नैतिक अवस्थामें पतन हुआ था और यह तभी संभव है जब अन्तके दोनों तीर्थङ्करोंके बीचमें काफी लंबा अन्तराल रहा हो । और इसका इस साधारण परंपरासे कि पार्श्वके २५० वर्ष बाद महावीरका अवतरण हुआ , पूर्ण रूपसे समर्थन होता है ।’ (से० बु० ई० जि० ४५, पृ० १२२-१२३)]

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें पार्श्वस्थ शिथिलाचारी साधुका एक भेद है । भगवती आराधनामें कहा है कि पार्श्वस्थ मुनि इन्द्रिय, कषाय और विषयोंसे पराजित होकर चरित्रको तृणके समान समझता है अतः उससे भ्रष्ट हो जाता है । जो मुनि पार्श्वस्थ मुनिकी सेवा करते हैं वे भी पार्श्वस्थ बन जाते हैं ।

(व्यवहारसूत्र^१में लिखा है—पार्श्वस्थ मुनि वसतिकारकका निषिद्ध भोजन करता है, वर्जित कुलोमें जाकर भोजन करता है ।) आदि—

१ इन्द्रिय कषायगुरुपत्तरोण चरण तथा व पस्ततो ।

णिद्धम्मो हु सवित्ता सेवदि पासत्थसेवाओ ॥१३००॥

२ सेजायर कुल निस्सिय, ठवणकुल पलोयणा अभिहडे व ।

पुन्वि पच्छा सथव, निड अग्ग पिंड भोह पासत्थो ॥२३०॥

[सूत्रकृतांग^१में पार्श्वस्थोंको अनार्य, बाल और जिनशासनसे विमुख बतलाते हुए स्त्री आसक्त भी बतलाया है, और लिखा है कि वे ऐसा कहते हैं कि जैसे फुन्सी फोड़ेको मुहूर्त भर दबा देने से उसका मवाद निकलकर शान्ति मिल जाती है वैसे ही समागमकी प्रार्थना करने वाली स्त्रीके साथ समागम करनेसे शान्ति मिलती है इसमें दोष क्या ? पहले हम लिख आये हैं कि पार्श्वनाथके धर्ममें चार यम थे—अहिंसा, सत्य, दत्तादान और अपरिग्रह । ब्रह्मचर्य अपरिग्रहमें ही गर्भित था, क्योंकि स्त्रीका ग्रहण किये बिना अब्रह्मसेवन नहीं किया जा सकता । किन्तु भगवान् महावीरने चतुर्यामके स्थानमें पञ्चमहाव्रत स्थापन किये और अपरिग्रहोंमें गर्भित ब्रह्मचर्यको स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट करनेके लिये एक पृथक् व्रतका स्थान दिया ।]

[इस परिवर्तनके प्रकाशमें पार्श्वस्थोंके विषयमें सूत्रकृतागके उक्त कथनका निरीक्षण करनेसे यह प्रकट होता है कि चार यमोंमें ब्रह्मचर्यका निर्देश न होनेसे पार्श्वस्थ मुनियोंमें दुराचारकी प्रवृत्ति भी चल पड़ी थी, और सम्भवतः इसीसे भगवान् महावीरको ब्रह्मचर्यका पृथक् निर्देश करना पड़ा था ।]

१ 'एवमेगे उ पासत्था पन्नवति अणारिया ।

इत्थीवसा गया वाला जिणसासणपरम्मुहा ॥६॥'

टी०—'सदनुष्ठानात् पार्श्वे तिष्ठन्तीति पार्श्वस्थाः,

स्वयूथया वा पार्श्वे स्थावसन्नकुशीलादयः स्त्रीपरीपहजिताः ।'

—सूत्रकृता० ३ अ०, ४ उ० ।

'जहा गड पिलाग वा परिपीलेज मुहुत्तग ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कम्मो सिआ ॥१०॥'

—सूत्र०, ३अ० ४ उ० ।

भगवती सूत्र आदि श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यसे ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथके अनुयायी साधुओंने भगवान महावीर तथा उनके अनुयायी स्थविरोंके पास जाकर पुनः प्रब्रज्या ग्रहण की। यहाँ उदाहरणके लिये कालास नामक पार्श्वपत्यकी प्रब्रज्याका वर्णन दिया जाता है।

पार्श्वपत्यीय कालास वेसियपुत्त (कालाश्य वैशिक पुत्र) नामक अनगार (साधु) जहाँ स्थविर थे वहाँ गया और बोला— श्री महावीर जिन के शिष्य सामायिक नहीं जानते, सामायिकका अर्थ नहीं जानते, संयम नहीं जानते, संयमका अर्थ नहीं जानते, संवरको नहीं जानते, संवरका अर्थ नहीं जानते, विवेक नहीं जानते, विवेकका अर्थ नहीं जानते, उत्सर्ग नहीं जानते, उत्सर्गका अर्थ नहीं जानते।

तब स्थविर कालास वेसियपुत्तसे इस प्रकार बोले—आर्य ! हम सामायिक जानते हैं। सामायिकका अर्थ जानते हैं, और सामायिकसे लेकर व्युत्सर्ग पर्यन्त सब जानते हैं। कालास वेसिकपुत्त पुनः बोला—यदि आर्य ! आप सामायिकको जानते हैं, और सामायिकसे व्युत्सर्ग तक सबका अर्थ जानते हैं तो बतलाइये इनका क्या अर्थ है ?

स्थविर बोले—आर्य ! आत्मा ही सामायिक है - आत्मा ही व्युत्सर्ग है।

यह सुनकर कालासवेसिय पुत्तने पूछा—तो क्रोध मान माया लोभको त्याग कर उनकी गद्दी क्यों करते हैं ?

संयमके लिये।

गद्दी संयम है या अगद्दी ?

गर्हा संयम है । किन्तु केवल गर्हासे ही सब दोषोंका क्षय नहीं होता । सब मिथ्यात्व अत्रिरति आदिको जानकर (उनका परित्याग करनेसे) आत्मा सयममें लगता है, संयममें जुटता है, सयममें स्थिर होता है ।

यह सुनकर कालासवेशिय पुत्तने स्थविरकी वन्दना की उन्हे नमस्कार किया और बोला—भगवान् ! न जानने न सुनने, न प्राप्त होने, विस्तारसे न समझाये जाने आदिके कारण अदृष्ट, अश्रुत, अविज्ञात, अव्याकृत, अव्युच्छिन्न और अनवधारित पदोंका न मैंने श्रद्धान किया, न प्रेम किया, न मैंने उनमें रुचि की । आप जैसा कहते हैं वैसा ही हो । तब भगवान् बोले—आर्य जो कुछ मैंने कहा है उसपर श्रद्धा करो विश्वास करो, रुचि करो । तब कालासवेशिय पुत्तने भगवान्की वन्दना करके नमस्कार किया और बोला—मैं आपके पास चातुर्याम धर्मसे सप्रतिक्रमण पञ्चमहाव्रत धारण करना चाहता हू । देव ! इसमें रोके नहीं ।

तब कालासवेशिय पुत्तने भगवान्की वन्दना की, उन्हे नमस्कार किया और चातुर्याम धर्मसे सप्रतिक्रमण पञ्चमहाव्रत धारण किया । और जिसके लिये नग्नपना, मुण्डितपना, अस्नान, दन्त-धावन न करना, छाता न रखना, जूता न पहिरना, भूमि पर सोना, काष्ठपर काष्ठके तख्ते पर सोना, केश लोच, ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास, परघर गमन, लाभालाभ, अनुकूल-प्रतिकूल, वाईस परी-षह और उपसर्गको सहा जाता है उस अर्थ पर आरोहण करके कालासवेशिय पुत्त सिद्ध बुद्ध मुक्त और परिनिर्वृत्त हो गया ।

—भ० सू० ७७, १ श०, ६ उ० ।

इसी तरह एक और गांगेय^१ नामक पार्श्वीपत्यीय अनगार

१—'तप्पभिई च ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर पच्च-

भगवान महावीरके पास जाकर उनसे नरक-स्वर्गमें उत्पत्तिको लेकर अनेक प्रश्न करता है और उनके उत्तरोंसे सन्तुष्ट होकर यह मान लेता है कि महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। तथा उनसे फिरसे प्रब्रज्या लेता है।

कालासवेसिय पुत्त तथा गागेयके इस विवरणसे कई तथ्य प्रकट होते हैं। प्रथम, पार्श्वनाथके अनुयायी अनगारोंको यदि वे महावीरके अनुयायी बनना चाहते थे, तो पुनः दीक्षा लेनी पडती थी। पार्श्वनाथके धर्ममें दीक्षित होनेसे ही उन्हें भगवान महावीर नहीं अपना लेते थे। दूसरे, पार्श्वनाथके अनुयायी अनगारोंको धर्मकी परम्पराका ज्ञान नहीं रहा था, सामायिक आदिका स्वरूप और यथार्थ प्रयोजन अज्ञात और अश्रुत हो चले थे, उन्हें जानने और सुननेके साधन क्षीण हो गये थे। (सम्भवतः इसीसे 'पासत्थ' शब्द जो यथार्थमें पार्श्व स्वामीमें स्थित अर्थात् पार्श्वस्वामीके अनुयायीका वाचक था, शिथिलाचारी और अज्ञानी साधुके लिये व्यवहृत होने लगा था।)

किन्तु उस समय ऐसे भी पार्श्वपत्थीय संघ थे जो स्वतन्त्र विहार करते थे और भगवान महावीरके संघमें सम्मिलित नहीं हुए थे। इसके उदाहरणके रूपमें एक तो केशीको ही उपस्थित किया जा सकता है, जो श्रावस्तीके उद्यानमें सघ सहित ठहरा

मिजाणइ सव्वन्नु सव्वदरिसी, तए शसे गगेये अणगारे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाणिए पयाहिण करेइ, करेत्ता वदेइ, नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-इच्छामि ण भते ! तुज्झ अतिय चाउज्जा-माओ धम्माओ पच महव्वइय । एव जहा कालासवेसिय पुत्तो तहेव भाणि-यव्व जाव सव्वदुक्खप्पहोणे । सेव भते ! सेव भते ! (सूत्र ३७६) ।

हुआ था और गौतम स्वयं जिससे मिलनेके लिये गये थे। दूसरे एक ऐसे ही बड़े मघका निर्देश भगवती^१ मे है, जिसमें ५०० अनगार थे। इन्हें बहुश्रुत बतलाया है। इससे यह कहा जा सकता है कि सभी पार्श्वपत्य अज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी भी थे। और सम्भवतया इसीसे वे महावीरके पास नहीं गये।

[इनके न जानेका एक कारण यह भी हो सकता है कि महावीर इन पार्श्वपत्यीय अनगारोंको पुनः दीक्षित करके ही अपने धर्ममें सम्मिलित करते थे। और इससे भगवान महावीरकी आचारके प्रति दृढ़ताका पता चलता है।]

पार्श्वपत्यीयोकी शिथिलाचारिता उनसे अज्ञात नहीं थी। 'सान्तरोत्तर' वस्त्रका दुरुपयोग देखकर ही उन्होंने 'अचेल' धर्म प्रतिष्ठित किया था और इसीसे पार्श्वपत्यीयोको भी नग्नताकी दीक्षा लेना पड़ती थी। ये बात सब पार्श्वपत्यीयोको रुचिकर नहीं हो सकती थी। इससे अनेक पार्श्वपत्यीय साधु भगवान महावीरके पास प्रव्रजित नहीं हुए। किन्तु आगे जाकर उन्होंने भी भगवान महावीरका धर्म अंगीकार किया, या वे ऐसे ही बने रहे इसके जाननेका कोई साधन नहीं है। सम्भव है महावीरके पश्चात् उक्त पार्श्वपत्यीय अनगार भी महावीरके अनगारोंमें सम्मिलित हो गये हों और श्रावस्तीके उद्यानमे हुए केशो-गौतम संवादने उसकी भूमिका तैयार कर दी हो।

आश्चर्य अभी पर है कि केशीने गौतमसे जो पार्श्वनाथ और और महावीरके धर्ममें अन्तरको लेकर प्रश्न किये, ये प्रश्न किसीने

१ 'तेण कालेश पासावच्चिजा थेरा भगवतो... बहुस्सुया बहु परिवारा पंचहि अणगारसएहि सद्धि'।—म० सू० १०७, २ श०, ५ उ०।

भी भगवान महावीर स्वामीसे क्यों नहीं किये ? अनेक पार्श्व-पत्नीयोके भी भगवानसे प्रश्न करनेका वर्णन भगवती आदिमें पाया जाता है । किन्तु ऐसे महत्वके प्रश्न भगवानसे किसीने नहीं किये, और न भगवानके श्रीमुखसे उनपर कुछ प्रकाश डाला गया । गौतमने भी भगवानसे बहुत से प्रश्न किये किन्तु उन्होंने भी दोनों धर्मोंके अन्तरके सम्बन्धम भगवानसे कोई प्रश्न नहीं किया । यह बात उत्तराध्ययनमें निर्दिष्ट केशी गौतम संवादके सम्बन्धमें सन्देह को उत्पन्न करती है ।

फिर भी श्वेताम्बर साहित्यसे प्राप्त विवरणके आधार वर इतना ही कहा जा सकता है कि भगवान पार्श्वनाथके धर्ममें साधुओंके लिये सान्तरोत्तर वस्त्रकी व्यवस्था थी—अर्थात् साधु वस्त्र पासमें रखते थे और आवश्यकताके समय उसे ओढ़ लेते थे । किन्तु यह स्थिति उस समयकी थी जब पार्श्वनाथके शिष्योंमें शिथिलाचार आ चुका था । अतः पार्श्वनाथ भगवानने साधुओंके वस्त्रके विषयमें वास्तवमें क्या यही नीति निर्धारित की थी यह निस्सन्देह रूपसे नहीं कहा जा सकता । फिर भी इतना मानकर चला जा सकता है कि वस्त्रके विषयमें जितनी कड़ी नीति भगवान महावीरने अपनायी, उतनी पार्श्वनाथने नहीं अपनाई । उन्हें अपने साधुओंकी सरलता और समझदारी पर विश्वास था । उनसे यह आशा की जाती थी कि वे प्राप्त सुविधाके तथ्यको समझकर उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे । किन्तु महावीर भगवानके समयमें स्थिति बदल चुकी थी । अतः उन्होंने 'अचेल' को आवश्यक कल्प निर्धारित करना उचित समझा ।

द्विगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें साधुओंके दस कल्प वतलाये हैं । कल्प व्यवस्था या सम्यक् आचारको कहते

हैं। ये कल्प स्थित और अस्थितके भेदसे दो प्रकारके हैं। श्वेताम्बर साहित्यके अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके अनुयायी साधुओंके लिये दसों कल्प स्थित कल्प हैं क्योंकि उन साधुओंको दसों कल्पोंका सतत सेवन करना होता है। वे दस कल्प' इस प्रकार हैं - १ आचेलक्य-अचेलपना, २ उद्दिष्ट त्याग, ३ वसतिकर्ताके पिण्डादिका त्याग, ४ राजपिण्डका त्याग, ५ कृति कर्म, ६ महाव्रत, ७ पुरुषकी ज्येष्ठता, ८ प्रतिक्रमण, ९ एक मास तक एक स्थान पर रहना और १० वर्षाकालमे चार मास तक एक स्थान पर रहना।

इन दस कल्पोंमें से आचेलक्य, उद्दिष्ट त्याग, प्रतिक्रमण, राजपिण्डका त्याग, मास और पर्युषणा ये छे कल्प मध्यके बाईस तीर्थङ्करोंके कालमें अस्थितकल्प हैं क्योंकि उनके अनुयायियोंके लिये इनका सतत सेवन करना आवश्यक नहीं है। उनके लिये केवल चार कल्प स्थित हैं—वसति कर्ताके पिण्डका त्याग, चतुर्थोम, पुरुषकी ज्येष्ठता और कृति कर्म।

[उक्त कथनका सारांश यह है कि आचेलक्य धर्म प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके साधुओंके लिये तो अवश्य आचरणाय है]

१—आचेलककुद्देसिय सिजायर-रायपिंड किइकम्मे ।

वय जेदु-पडिकक्यणे मास पजोसवण कप्पो ॥

—वृ० क०, ४ उ० । भ० आ० गा० ४२१ ।

२—आचेलककुद्देसिय-पडिककमण रायपिंड-मासेसु ।

पज्जुसणकप्पम्मि य अट्टियकप्पो मुणोयवो ॥८॥

सिजायर पिंडम्मिय चाउजामे य पुरिसजेद्वे य ।

कितिकम्मस्स य करणे ठियकप्पो मज्झिमाण पि ॥१०॥

—पञ्चा०, विव० १७ ।

किन्तु मध्यके वाईस तीर्थङ्करोंके साधुओंके लिये अवश्य आचरणीय नहीं है। इसीसे प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म अचेल बतलाया है और शेष वाईस तीर्थङ्करोंका धर्म सचेल अचेल दोनों बतलाये हैं। यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि जैसे प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म अचेल ही बतलाया है वैसे मध्यके शेष वाईस तीर्थङ्करोंका धर्म सचेल ही नहीं बतलाया। किन्तु अचेलके साथ साथ सचेल भी बतलाया है। अर्थात् जब कि प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके साधुओंके लिये अचेल रहना अनिवार्य था तब मध्यके वाईस तीर्थङ्करोंके साधुओंके लिये अचेल रहना अनिवार्य नहीं था, परिस्थितिवश वे सचेत भी रह सकते थे। इस भेदका कारण था उस समयके साधुजनोंकी मनोवृत्ति, जिसका निर्देश पार्श्वनाथके चतुर्यामका वर्णन करते समय किया गया है। फिर भी स्पष्टीकरणके लिये पञ्चाशत्से नटका दृष्टान्त उद्धृत किया जाता है।]

प्रथम तीर्थङ्करका कोई साधु भिक्षाके लिये गया। मार्गमें नटका खेल देखकर देरसे लौटा। किन्तु चूँकि वह ऋजु—सरलहृदय था इसलिये उसने गुरुसे निवेदन कर दिया कि मैंने नटका खेल देखा है। आचार्यने उसे मना करते हुए कहा कि साधुको नटका खेल नहीं देखना चाहिये। उसने गुरुकी आज्ञा स्वीकार कर ली। दूसरे दिन वह पुनः भिक्षाके लिये गया और मार्गमें किसी बहुरुपियाका स्वांग देखकर लौटा और गुरुसे पूर्ववत् निवेदन कर दिया। गुरु बोले—हमने तो कल तुमसे मना किया था। वह बोला—आपने तो नटका खेल देखनेके लिये मना किया था, मैंने तो बहुरुपियेका स्वाग देखा है। उसे देखनेके लिये तो आपने मना नहीं किया था। तब आचार्यने इस प्रकारके सर्व विनोदोंको देखना त्याज्य बतलाया और साधुने स्वीकार करके फिर नहीं।

देखा । इस तरह प्रथम जिनके साधु हृदयके सरल किन्तु बुद्धिके मन्द होते थे । जितना कहा जाता उतना ही सरलतासे मान लेते थे । आगे विचार नहीं करते थे । यही बात उस समयके गृहस्थोंकी भी थी । अतः उन सबको ऋजु किन्तु जड कहा है ।

मिध्यके बाईस तीर्थङ्करोंके अनुयायी शिष्य सरल होनेके साथ साथ बुद्धिमान भी थे । अतः नटके खेल देखनेका निषेध करने पर अषनी बुद्धिसे ही वे समझ जाते थे कि इस प्रकारके सभी विनोद त्याज्य हैं । किन्तु अन्तिम जिन महावीरके शिष्य बुद्धिहीन होनेके साथ साथ कुटिलमति भी थे इसलिये उन्हें वक्रजड़ कहा है । वे यदि नटका खेल देखकर लौटते तो प्रथम तो कहते ही नहीं थे और देरसे लौटनेका कारण पूछने पर तरह तरहके वहाने बना देते थे । इसलिये प्रथम और अन्तिम जिनके साधुओंके लिये 'अचेल' अवश्य करणीय कहा गया था । किन्तु इतना स्पष्ट निर्देश करने पर भी उनकी तथोक्त वक्रजड़ताने 'अचेल' और नाग्न्य जैसे स्पष्ट शब्दोंके अर्थमें भी परिवर्तन करके वस्त्र परिधानकी गुजाइश ही नयीं निकाली किन्तु आचेलक्य नामक स्थितिकल्पका एक तरहसे सफाया ही कर दिया ।

भ० महावीरके पश्चात् वस्त्रकी स्थितिपर प्रकाश

प्रकृत विषय पर प्रकाश डालनेके लिये सबसे प्रथम हम

२—वंका उ ण साहती पुट्ठा उ भणति उण्ह कटादी ।

पाहुण्णग सद्ध ऊसव गिहिणो वि य वाउलतेव ॥५३५८॥

'पश्चिमतीर्थंकरसाधवो वक्रत्वेन किमप्पकृत्य प्रतिमेव्यापि न कथयन्ति नालोचयन्ति, जडतया च जानन्तोऽजानन्तो वा भूयस्तथैवापराधपदे प्रवर्तन्ते । एव गृहिणोऽपि वक्रजडतया साधून् व्यामोहयन्ति ।'

आचारांग सूत्रको ही लेना उचित समझते हैं क्योंकि उसमें मुनियों-के आचारका वर्णन है—

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि मुनियोंके दस कल्पोंमें एक कल्प आचेलक्य है और एक कल्प पञ्च महाव्रत है। हिंसाका त्याग, असत्यका त्याग, अदत्तका त्याग, ब्रह्मचर्य और परिग्रहका त्याग ये पाँच महाव्रत हैं। आचेलक्यको परिग्रह त्यागसे अलग गिनाया है।

आचारांगके लोकसार नामक पाँचवें अध्ययनमें परिग्रहके त्यागका उपदेश देते हुए लिखा है—“लोकमें जितने परिग्रह वाले हैं उनकी परिग्रह अल्प हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल, सचेतन हो या अचेतन, वे सब इन परिग्रह वाले गृहस्थोंमें ही अन्तर्भूत होते हैं। इन परिग्रह वालोंके लिये यह परिग्रह महाभय का कारण है। ससारकी दशा जानकर इसे छोड़ो। जो इस परिग्रहको जानता भी नहीं है उसे परिग्रहसे होनेवाला भय नहीं होता।”

(आगे भी सूत्र १५२ में इसी बातका समर्थन किया है कि लोकमें जितने भी अपरिग्रही साधु हैं वे सब अल्प परिग्रहका भी त्याग कर देने पर ही अपरिग्रही होते हैं।)

आचारांगके उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि अपरिग्रही साधुके लिये थोड़ा सा भी परिग्रह रखना उचित नहीं माना गया। ऐसी

—‘आवती केयावती लोगसि परिगहा वंती से अप्प वा बहु वा अणु वा थूल वा चित्तमत वा अचित्तमत वा एएसु चैव परिगहावती, एतदेव एगेसि महब्भय भवइ, लोगवित च णं उवेहाए, एए संगे प्रवियाणआ ॥१५० ॥’

स्थितिमें श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो साधुके लिये अनेक प्रकारकी उपधियाँ बतलाई हैं उनकी संगति नहीं बैठ सकती। यह बात आचाराग चूर्णिके रचयिताको तथा टीकाकारको भी खटकी। अतः उन्होने उक्त सूत्रकी अपनी अपनी व्याख्याओंमें इस आपत्ति को पूर्व पक्षके रूपमें रखकर उसका जो समाधान किया वह भी दृष्टव्य है।

आव० चू० में लिखा है—‘यदि अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल चेतन या अचेतन वस्तुको ग्रहण करना परिग्रह है तो जो ये शरीर मात्र परिग्रह वाले और हस्तपुटमें आहार करने वाले हैं, वे ही अपरिग्रही हुए। जैसे वोटिंग (दिगम्बर साधु) वगैरह क्योंकि उनके पास अल्प भी परिग्रह नहीं होती। और जब वे ही अपरिग्रही हैं तो शेष व्रत भी उन्हींके होंगे, व्रत होने पर संयम और समय से मोक्ष भी उन्हींको होगा। किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि वोटिकोंके पास जो जलपात्र और उनका शरीर है वही परिग्रह है। वही उनके भयका कारण है।

(आचार्य शीलाकने उक्त सूत्रकी अपनी टीकामें भी आव० चू० की तरह ही शङ्का समाधान लिखा है—वोटिक भी पीछी रखते हैं शरीर रखते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। शायद कहा जाये कि ये सब चीजें धर्ममें सहायक हैं तो वस्त्र पात्र वगैरह भी धर्मके साधन हैं, अतः दिगम्बरका आग्रह रखना व्यर्थ है।)

उक्त समाधानसे टीकाकारोंकी मनोवृत्तिका पता चलता है, सभीने प्रायः इसी प्रकारके कुतर्कका आश्रय लिया है। अस्तु,

आगे आव०चा० सू० (१८२) में अचेतताकी प्रशंसा करते हुए लिखा है—

“इस प्रकार सु-आख्यात धर्मवाला और आचारका परिपालक जो मुनि कर्मबन्धके कारण कर्मोंको छोड़कर अचेल-वस्त्ररहित रहता है उस भिक्षुको यह चिन्ता नहीं सताती, मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है वस्त्र भागूँगा या जीर्ण वस्त्रको सीनेके लिये धागा मागूँगा, सूई मागूँगा, फटे वस्त्रको सीऊँगा, यदि वस्त्र छोटा हुआ तो उसमें अन्य वस्त्रको जोड़कर बड़ा करूँगा, बड़ा हुआ तो फाड़कर छोटा करूँगा तब उसे पहनूँगा या ओढ़ूँगा । अथवा भ्रमण करते हुए उस अचेल भिक्षुको तृणस्पर्श होता है, ठड लगती है गर्भी लगती है, डांस मच्छर काटते हैं । अचेलपनेमें लाघव मानता हुआ वह भिक्षु परस्परमें अविरुद्ध अनेक प्रकारकी परीपहोंको सहता है । ऐसा करनेसे वह तपको भले प्रकार धारण करता है । जैसा भगवानने कहा है उसे ही सम्यक् जानो । इस प्रकार चिरकाल तक संयमका पालन करनेवाले महावीर भगवानने भव्यजीवोंको जो तृणस्पर्श आदिका सहन करना बतलाया है उसे सहन करो ॥ सू० १८२ ।”

(१) “एय खु मुणी आयाण सया सुयक्खायधम्मे विहूयकप्पे निब्भोसइत्ता जे अचेले परिवुसिए तस्स ण भिक्खुस्स नो एव भवइ-परिजुण्णे मे वत्थे वत्थ जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामि, सधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि, बुक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि, पाउण्णिस्सामि । अट्ठुवा तत्थ परिककमत भुज्जां अचेल तणफासा फुसति, सीयफासा फुसति, तेउफासा फुसति, दंसमसकफासा फुसति, एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेइ अचेले लाघव आगममाणे । तेवे से अभिसमन्नागए भवइ, जहेय भगवया पवेइय तमेव अभिसमिच्चा, सव्वओ, सव्वत्ताए समतमेव समभिजाणिजा । एव तेसिं महावीराण चिरराय पुव्वाइ वासाणि रोयमाण पास अहियासिय ॥ सूत्र १८२ ॥”

इस प्रकार अचेलकतामें लाघव बतलाकर आगे विमोक्षाध्य-
यनमे वस्त्रका विधान करते हुए कहा है—

“जो भिन्दु तीन वस्त्र और चौथा पात्र रखता है उसे ऐसा नहीं होता है कि चौथा वस्त्र मागूँगा । (यदि उसके पास वस्त्र न हो और शीतकाल आ जाये तो उसे) एपणाके अनुसार ही वस्त्र माँगने चाहिये और जैसे भिल्लें वैसे ही रखने चाहिये । उन्हे धोना नहीं चाहिये, धोकर रंगे हुए वस्त्र नहीं रखने चाहिये । ग्रामान्तरको जाते हुए वस्त्रोको छिपाना नहीं चाहिये । इस प्रकार वह अवमचेलक-अर्थात् अल्पवस्त्रवाला साधु होता है । यह वस्त्र-
धारी साधुकी सामग्री है ॥ जब शीतकाल बीत जाय और ग्रीष्म ऋतु आजाय तथा वस्त्र यदि जीर्ण न हुए हों तो उन्हें कहीं रख दे
(और नग्न विचरण करे, यदि शीतकाल चले जाने पर भी ठंड पड़ती हो तो) वस्त्रोको अपने पास रखे, जब आवश्यक हो तब ओढ़ले, आवश्यकता न हो तब उतार दे । अथवा तीनमें से दो वस्त्र रख ले, अथवा एक शाटक रख ले अथवा अचेल हो जाये १।
सू० २०८, २०९ ॥’

इससे आगे दो वस्त्र रखने वाले भिन्दुके सम्बन्धमें भी यही विधान किया है और लिखा है कि जिस भिन्दुको यह मालूम हो कि मैं अशक्त हूँ और गृहस्थोंके घर जाकर भिक्षाचार नहीं कर

✓ “जे भिक्खु तिहिं वत्थेहिं परिवुसिए, पायचउत्थेहिं तस्स ए नो एव भवइ चउत्थ वत्थ जाइस्सामि, से अहेसणिजाइ वत्थाइ जाइजा अशपरिगहियाइ वत्थाइ धारिजा, नो धोयरत्ताइ वत्थाइ धारिजा, अपलिओवमारो गामतरेसु ओमचेलिए, एव खु वत्थधारिस्स सामगिय ।’
‘अह पुण एव जाणिजा — उवाइक्क ते खल्लु हेमते गिम्हे पडिबन्ने अहा-परिजुत्ताइ वत्थाइ परिड्ढविजा, अदुवा सतरुत्तरे अदुवा ओमचेले अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले ॥सू० २०८, २०९॥’

सकता उसको यदि कोई भोजन लाकर दे तो उसे लौटा देना चाहिये । आगेके सूत्रमें ऐसे रोगी साधुके लिये भक्तपरिज्ञाके द्वारा जीवन त्याग देना आवश्यक बतलाया है किन्तु आचार खण्डन करनेका निषेध किया है । आगे लिखा है—

‘जो भिक्षु अचेल संयमको धारण करता है उसे यदि यह विचार आये कि मैं तृण स्पर्शकी बाधा सह सकता हूँ, शीत स्पर्शकी बाधा सह सकता हूँ, उष्ण स्पर्शकी बाधा सह सकता हूँ, डांस मच्छरकी बाधा सह सकता हूँ किन्तु लज्जाके प्रच्छादनको छोड़नेमें असमर्थ हूँ तो वह कटिवन्ध-लगोटी धारण करता है।’

इस तरह आचारांगमें वस्त्रधारी साधुके लिये, भी मात्र शीत ऋतुमें तीन वस्त्रोका विधान किया है और शीष्मऋतुमें संतरुत्तर अथवा ओमचेल अथवा एकशाटक अथवा अचेल ही रहनेका निर्देश किया है ।

स्थानांगमें पाँच बातोंको लेकर अचेलको प्रशस्त बतलाया है— १ प्रति लेखना अल्प होती है, २ प्रशस्त लाघव रहता है, विश्वास करने योग्य रूप है, तपकी अनुज्ञा है और त्रिपुल इन्द्रिय नियंत्रक कारण है ।

तथा स्थानांगमें भी वस्त्र धारण करनेके तीन कारण बतलाये हैं— १ लज्जा निवारण, २ रत्नानि निवारण और ३ परीषह निवारण—

१—सूत्र २२० ।

२—पचहिं ठारोहिं अचेलए पसत्ये भवइ । त जहा-अरुणा पडि-लेहा, लाघविए पसत्ये, रुवे वेसासिए, तवे अणुणए, विउले इदिय-निग्गहे । (सू० ४५५)—स्था० ५ ठा०, ३ उ० ।

३—तिहिं ठारोहिं वत्थं धरेजा । त०—हिरिपत्तियं, दुगु छापत्तिय परीसहपत्तिय ॥ १७१ सू० ॥—स्था० ।

शीत उष्ण डास मच्छरकी परीषहसे बचना । इस सूत्रकी टीकामे एक गाथा^१ उद्धृत है, जिसमें बतलाया है कि लिंगके विकारोको ढाकनेके लिये वस्त्र बतलाया है । साराश यह है कि उक्त पाँच कारणोंसे प्रशस्त तो अचेल ही है (किन्तु जो साधु शीत आदिके कष्टको सहन करनेमे असमर्थ हो, या लज्जाको जीतनेमें अशक्त हो, स्त्रीको देखकर जिसके अगमें विकार उत्पन्न हो जाता हो या जिसका पुरुष चिन्ह ऐसा हो जिसे देखकर ग्लानि पैदा हो, तो उसके लिये ऋतु अनुसार तीन वस्त्रोंकी अनुज्ञा थी) यह आचारांग आदिके अवलोकनसे स्पष्ट होता है ।

किन्तु तथोक्त प्राचीन उपलब्ध आगमोंमें पाई जानेवाली उक्त स्थितिको भी उत्तर कालके ग्रन्थकारों और टीकाकारोंने भरसक भ्रष्ट करके वस्त्र पात्रवादके प्रचारको ही अपना लक्ष्य बनाया, और उसीके पोषणमे अपनी शक्ति और श्रद्धाका उपयोग किया । इसके लिये सबसे प्रथम जिनकल्प और स्थविर कल्पका आश्रय लिया गया । (किसी प्राचीन अंगमें इनका निर्देश मेरे देखनेमें नहीं आया । वृहत्कल्पसूत्र^२ में ही मुझे उनका प्रथम निर्देश मिला है ।) और आचारांगके अचेलकता प्रतिपादक उल्लेखोंको जिनकल्प का प्रतिपादक करार दिया गया । आगमोंमें जो कठोर आचरण वर्णित था वह सब जिनकल्पका आचार बतलाया गया । और फिर जिन कल्पके विच्छिन्न होनेकी घोषणा कर दी गई कि जम्बू

✓१—‘आह च-वेउन्नि वाउडे वाइए य हिरि खद्ध पनणणे चेव ।
एसि अणुग्गहट्ठा लिगुदयट्ठा य पट्टो उ ॥’

२—‘छ्विहा कप्पठिई पन्नत्ता, त जहा—जिण कप्प ठिई, थेर कप्प-
ट्टिह त्ति वेमि ॥

स्वामीके मोक्ष जानेके पश्चात् कोई जिनकल्प धारण नहीं कर सकता ।

इस घोषणाका श्रेय जिन भद्रगणि क्षमाश्रमण महाराजको है उनके विशेषावश्यक भाष्यमे ही जिनकल्पका विच्छेद करनेवाली गाथा पाई जाती है । वस्त्रका जोरदार समर्थन भी उसीमे मिलता है । तथा अचेलके वास्तविक अर्थमें परिवर्तन भा उनकी कृतिमें देखा जाता है ।

अचेलक और नाग्न्यके अर्थमें परिवर्तन

(आचारांगके अचेलकता प्रतिपादक वाक्योंको जिनकल्पका करार देकर और जिनकल्पके विच्छिन्न होनेकी घोषणाके पश्चात् दूसरा कार्य यह किया गया कि अचेल और नाग्न्य जैसे स्पष्ट शब्दोंके भी अर्थमे परिवर्तन कर डाला गया ।)

वृहत्कल्पसूत्र और विशेषावश्यकभाष्यमे अचेलके दो भेद किये हैं—एक संताचेल (वस्त्र रहते हुए भी अचेल) और एक असंत चेल (वस्त्राभाव होनेसे अचेल) । तीर्थङ्करोंको असंतचेल बतलाया है क्योंकि देवदूष्यके गिर जानेके पश्चात् उनके पास सर्वदा ही वस्त्रका अभाव रहता है । शेष सभी साधुओंको जिनमे जिनकल्पी भी आ जाते हैं, सताचेल कहा है क्योंकि उनके पास रजो-

३—‘मण परमोहि-पुलाए आहारग-खवग उवसमे कप्पे ।

सजमतिय केवलिसिञ्झणा य जंनुम्मि बुच्छिएणा ॥२५६३॥’

—वि० भा०

२—दुविहो होंति अचेलो, सताचेलो असतचेलो य ।

तित्थगरा असत चेला सताचेला भवे सेसा ॥—वृ० क०

हरण और मुँहपट्टी अवश्य रहती है अतः वे वस्त्र रहते हुए भी अचेल कहे जाते हैं। (इस पर यह शङ्का की गई कि वस्त्र रहते हुए अचेल कैसे कहा जा सकता है) तो उत्तर दिया गया कि शास्त्रमें, लोकमें, वस्त्रके रहते हुए भी अचेल कहनेकी रूढ़ि है।

साराश यह है कि अचेलके दो भेद किये गये एक मुख्य और एक गौण। मुख्य अचेल केवल तीर्थङ्कर थे। (आजकलके लोगोंके लिये मुख्य अचेलपना उपकारी नहीं हो सकता)।

(अतः जो मुनि एषणा समितिके द्वारा प्राप्त निर्दोष, जीर्ण, निस्सार और अल्प वस्त्र धारण करते हैं या कदाचित् वस्त्र धारण करते हैं वे सचेल होते हुए भी उपचारसे अचेल कहे जाते हैं)। जैसे कोई मनुष्य नदीको पार करते समय अपने सब वस्त्र उतार कर सिर पर रख लेता है तो लोग वस्त्र होते हुए भी उसे नगा ही कहते हैं वैसे ही वस्त्र रहते हुए भी मुनि अचेल कहे जाते हैं। तथा जैसे कोई स्त्री फटी हुई जीर्ण साड़ी पहिने हुए है। वह जुलाहेके पास जाकर कहती है—हे जुलाहे! मेरे लिये जल्दी

१—'सदसत चेलगोऽचेलगो य जं लोगसमयधसिद्धो ।

तेषांचेला मुणश्चा सतेहि जिणा असतेहि ॥२५६८ ॥

परिसुद्धजुण्णकुञ्छिय थोवाऽनिययन्नभोगभोगेहिं ।

मुणश्चो मुञ्छारहिया सतेहिं अचेलया होति ॥२५६० ॥

जह जलमवगाहतो बहुचेलो वि सिरवेट्ठियकटिल्लो ।

भण्णह नरो अचेलो तह मुणश्चो सतचेला वि ॥२६०० ॥

तह थोवजुन्नकञ्छियचेलेहि वि भन्नए अचेलोत्ति ।

जह तुर सौलिय लहुँदो वोत्ति नग्गिया मोत्ति ॥२६०१ ॥'

—विशे० भा०

साड़ी बुनकर दो, मैं नगी फिरती हू। वैसे ही साधु भी अल्प, जीर्ण और निस्सार वस्त्र धारण करनेके कारण अचेल कहा जाता है।

(इसी तरह दशवैकालिकमें एक गाथा आई है जिसमें बतलाया है कि नग्न साधुको आभूषणोंसे क्या प्रयोजन ? इस गाथा के 'नगिणस्स' शब्दका अर्थ चूर्णिकारने तो नग्न ही किया है। यथा—'नगिणो णगो भण्णइ'। किन्तु टोकाकार हरिभद्र^१ सूरिने नग्नके उपचरितनग्न और निरुपचरित नग्न दो भेद करके कुचेलवान साधुको उपचरितनग्न और जिनकल्पीको निरुपचरित नग्न कहा है।

इस तरह अचेलका उपचरित अर्थ जीर्ण फटा हुआ और निस्सार कुचेल अर्थ करके इस प्रकारके वस्त्रधारी साधुको उपचार से अचेल कहा गया। किन्तु जब इस प्रकारका कुत्सित वस्त्र अरुचिकर प्रतीत हुआ तो अचेलका अर्थ अल्पमूल्यचेल (कम कीमती वस्त्र) कर दिया गया। अर्थात् जो न फटा हो, न जीर्ण हो, न कुत्सित हो, किन्तु कम कीमतका हो, ऐसे वस्त्रधारी साधु भी अचेल ही हैं।

(इस तरह आचारांगसूत्र वृत्ति, स्थानांगसूत्रवृत्ति, उत्तराध्ययन-सूत्रवृत्ति, विशेषावश्यक भाष्य सवृत्ति, बृहत्कल्प भाष्य, पञ्चाशक, जीतकल्प, प्रवचन सारोद्धार आदि सभी श्वेताम्बरोय ग्रन्थोंमें अचेलताके आश्रयसे सचेलताका ही पोषण मिलता है, जो कि आचारांगके प्रतिकूल है। हम पहले लिख आये हैं कि आचारांग

१—नगिणस्स वा वि मुण्डस्स दीहरोमनहसिणो ।

मेहुण-उवसतस्स किं विभूसाई कारिअ ॥६४॥

२—'नग्नस्य वापि' कुचेलवतोऽप्युपचरितनग्नस्य । निरुपचरित-नग्नस्य वा जिनकल्पिकस्येति सामान्यमेव सूत्रम् ।'

कं अनुसार अचेलका अर्थ वस्त्रका अभाव ही है, (क्योंकि सूत्र २०६ में बतलाया है कि वस्त्रधारी साधु भी ग्रीष्म ऋतुमें या तो सान्तरोत्तर हो जाये, या ओमचेल हो जाये, या एक साटक हो जाये या अचेल हो जाये ।)

(शीलाकने इन शब्दोंकी व्याख्या करते हुए लिखा है—‘शीत ऋतु बीत जाने पर वस्त्रोको छोड़ देना चाहिये । अथवा क्षेत्र विशेषके कारण यदि ठंडी हवा चलती हो तो शीतकी परीक्षा और अपनी शक्तिको देखकर सान्तरोत्तर हो जाये—अर्थात् शीतकी आशङ्कासे वस्त्रका परित्याग न करके पासमें रखे । आवश्यकता होने पर ओढ़ ले । अथवा ‘अवमचेल’ हो जाये—एक वस्त्रको त्यागकर दो वस्त्र पास रखे, और धीरे धीरे शीतके चले जाने पर दूसरे वस्त्रको भी छोड़कर ‘एकशाटक’ हो जाये । अथवा शीतका अत्यन्त अभाव हो जाने पर उस एक वस्त्रको भी छोड़कर अचेल हो जाये । अचेलके मुखवस्त्र और रजोहरण मात्र उपधि होती है ।)

(उक्त सूत्रके अनुसार निर्वस्त्र साधु अचेल, एक वस्त्रधारी एक शाटक, दो वस्त्रधारी अवमचेल और वस्त्रको पास रखकर

१ ‘अपगते शीते वस्त्राणि त्याज्यानि, अथवा क्षेत्रादिगुणाद् हिम-कणिनि वाते वाति सत्यात्मपरितुलनार्थं शीतपराक्षार्थं च सान्तरोत्तरो भवेत्—सान्तरमुत्तर प्रावरणीय यस्य स तथा, क्वचित्प्रावृणोति क्वचित्-त्वाश्वर्ति विभर्ति शीताशङ्कया नाद्यापि परित्यजति, अथवाऽवमचेल एककल्पपरित्यागात् द्विकल्पधारीत्यर्थः; अथवा शनैः शनैः शीतेऽप-गच्छति सति द्वितीयकल्पमपि परित्यजेत् तत एकशाटकः सवृत्तः, अथवाऽऽत्यन्तिके शीताभावे तदपि परित्यजेदतोऽचेलो भवति असौ मुखवस्त्रिकारजोहरणमात्रोपधि. ।’—आचा० सू० वृत्ति, पृ० २५२ ।

भी आवश्यकताके समय ही उसका उपयोग करनेवाला सान्तरांतर कहलाता है ।

अतः अचेलताके अर्थमें जो परिवर्तन किया गया वह आचारागके प्रतिकूल है । तथा उत्तगध्ययनके भी प्रतिकूल है । उत्तगध्ययनमें अचेल परीपहका वर्णन करते हुए लिखा है—'मेरे वस्त्र जीर्ण हो गये हैं अतः उनके नष्ट हो जाने पर मैं अचेल रहूँगा अथवा सचेल रहूँगा (कोई मुझे वस्त्र दे दे तो) भिक्षुका यह चिन्ता नहीं करना चाहिये । एक समय साधु अचेल तो एक समय सचेल रहता है अचेलताको धर्मका उपकारक जानकर ज्ञानीको विकल नहीं होना चाहिये ।'

यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि श्वेताम्बर तथा द्विगम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें साधुके लिये २२ परीपहोंको जीतना आवश्यक बतलाया है । परीपहका मतलब अचानक उपरिथत होने वाली वाधा या कष्ट है । उन वाड्स परीपहोंमें शीतपरीपह, टुंस-मशक परीपह और अचेल या नाग्न्य परीपह भी हैं । वस्त्र रहते हुए भी वस्त्रके पर्याप्त न होनेपर शीत परीपह हो सकती है । उसी तरह पूरे शरीरको ढांकने लायक वस्त्र न होने पर डांस मच्छरका भी कष्ट हो सकता है । किन्तु नाग्न्य परीपह नग्न रहनेकी वाधा

१ 'परिपुत्रेहि वत्थेदिं होक्खामित्ति अचेलए ।

अट्टुवा सचेलए होक्ख इति भिक्खू न चितए ॥१२॥

एगया अचेलए होइ, सचेले यावि एगया ।

एय धम्महिय नच्चा नाप्पी णो परिदेवए ॥१३॥'

—उत्तरा०, २ अ० ।

टीकाकार नेमिचन्दने भी यहाँ अचेलका अर्थ चेलविकल किया है—
अल्प चेल आदि नहीं । ले०

तो तभी सता सकती है जब पुरुषेन्द्रिय भी निरावरण हो। किन्तु नाग्न्य परीषह जैसे स्पष्ट शब्दके अर्थमें भी जो खींचातानी की गई है उसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है।

तत्त्वार्थ^१ सूत्रके व्याख्याकार श्री सिद्धसेन गणिने लिखा है—
 [नाग्न्य परीषहका यह आशय नहीं है कि कोई उपकरण ही न रखा जाये, जैसे कि दिगम्बर साधु होते हैं। किन्तु प्रवचनमें कहे हुए विधानके अनुसार नाग्न्य होना चाहिये।] बीचमें शिष्य पश्न करता है कि साधुके दस कल्पोंमें 'आचेलक्य' कल्प भी तो आवश्यक है? उसका उत्तर देते हुए गणि जी कहते हैं—'तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु वह आचेलक्य जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार करना चाहिये। तीर्थङ्करकल्प-जिनकल्प एक भिन्न ही है, तीर्थङ्कर जन्मसे तीन ज्ञानके धारी होते हैं और चारित्र धारण करने पर चार ज्ञानके धारी होते हैं। इसलिये उनका पाणिपात्र भोजीहोना और एक देवदूष्य धारण करना उचित है। किन्तु साधु तो उसके द्वारा उपदिष्ट आचारका पालन करते हैं, जीर्ण, खण्डित, और समस्त शरीरको ढाकनेमें असमर्थ वस्त्र ओढ़ते हैं, इस प्रकार वस्त्र रखते हुए भी वे अचेलक ही हैं। जैसे नदी उतरते समय सिर पर कपडा लपेटे हुए मनुष्य सवस्त्र होने पर भी नग्न कहाता है वैसे ही गुह्य प्रदेशको ढाकनेके लिये चोलपट्ट धारण करने वाला साधु भी नग्न ही है।'

मालूम होता है गणि जीके समयमें चोलपट्ट धारण करनेकी परम्परा थी। इसीसे उन्होंने वस्त्रधारीके नग्न परीषहका समर्थन नहीं किया। किन्तु चोलपट्ट रहते हुए अन्य परीषह तो हो सकती हैं किन्तु नाग्न्य परीषह नहीं हो सकती। इसका समर्थन नाग्न्य

१—सूत्र ६-६ की व्याख्या।

परीषद्के समर्थनमें दिये हुए आर्यरक्षितके उदाहरणसे भी होता है। (कथा इस प्रकार है—आचार्य आर्यरक्षितने अपनी माता, भार्या भगिनी आदि सभी स्वजनोको साध्वी बना दिया किन्तु उसके पिताने समझाने पर भी लज्जावश साधु पद स्वीकार नहीं किया। वह कहता—कैसे श्रमण बनूँ ? यहाँ मेरी पुत्रियाँ हैं, बहनें हैं, नातनी हैं। इनके आगे मैं नंगा नहीं हो सकता। जब आचार्यने बहुत कहा तो वह बोला—‘यदि मुझे दो वस्त्र, कमंडलु छाता, जूता और यज्ञोपवीतके साथ प्रव्रजित कर सकते हो तो मैं साधु बननेके लिये तैयार हूँ।’ आचार्यने उसकी बात मानकर उसे दीक्षा दे दी।

एक दिन आचार्य साधु संघके साथ चैत्य वन्दनाके लिये गये। वहाँ पहलेसे सिखाकर तैयार किये गये बालकोंने कहा—‘इस छाते वाले साधुके सिवा हम सब साधुओंकी वन्दना करते हैं। वह वृद्ध बोला—इन्होंने मेरे पुत्र पौत्र सबकी वन्दना की। मेरी वन्दना नहीं की। क्या मैंने दीक्षा नहीं ली ? तब बालक बोले—दीक्षा ली होती तो छाता कमण्डलु वगैरह तुम्हारे पास कैसे होता ? वृद्धने आचार्यसे कहा—पुत्र ! बालक भी मेरी हँसी करते हैं। अत मैं छाता नहीं रखूँगा। इसी तरह प्रयत्न करके धोतीके सिवाय सब चीजोंका त्याग वृद्धसे करा दिया गया। किन्तु किसी भी तरह वह धोती त्यागनेके लिये तैयार नहीं हुआ।

एक दिन एक साधुका स्वर्गवास हो गया। तब आचार्यने वृद्धसे धोतीका त्याग करानेके लिये अन्य साधुओंसे कहा—जो साधु इस मृत साधुको कन्धो पर उठायेगा, उसे बड़ा पुण्य होगा। वृद्धने पूछा—पुत्र ! क्या इससे बहुत निर्जरा होगी।

आचार्य बोले—इसमें बहुत उपसर्ग हो सकते हैं यदि सह सको तो ठीक है। उसने स्वीकार किया। सब साधु उसके पीछे हो गये। जब उस वृद्धने उस मृत साधुको अपने हाथोंमें उठा लिया तो सिखाये हुए बालकोंने साधुकी धोती खोल दी। लज्जासे पीडित होकर ज्योंही वह उस शवको नीचे रखने लगा तो दूसरे साधुओं ने कहा—नीचे मत रखो। इतनेमें किसीने तन्तु द्वारा एक चाल-पट्टक उसकी कटिमें बाँध दिया। वह लज्जावश उस शवको द्वार तक ही पहुँचाकर लौट आया और आचार्यसे बोला—पुत्र! आज बड़ा उपसर्ग हुआ। तब आचार्य बोले—इन्हें धोती लाकर पहना दो। वृद्ध बोला—जो हुआ सो हुआ, धोती रहने दो, चालपट्टक ही ठीक है।

अतः चालपट्टक मात्रके रहते हुए उपचरित नाग्न्य परीषह हो सकती है किन्तु दो तीन वस्त्रोंके रहते हुए तो उपचरित नाग्न्य परीषह भी संभव नहीं है, अस्तु॥

इन्हीं आर्य रक्षितके स्वर्गवासके पश्चात् श्वेताम्बर सम्प्रदाय-में धीरे धीरे उपधियोंकी संख्यामें वृद्धि हुई, यह बात श्वेताम्बर विद्वान् भी स्वीकार करते हैं। मुनि कल्याण विजय जीने लिखा^१ है—आर्य रक्षितके स्वर्गवासके पश्चात् धीरे धीरे साधुओंका निवास बस्तियोंमें होने लगा। और इसके साथ ही नग्नताका भी अन्त होता गया। पहले बस्तीमें जाते समय बहुधा जिस कटि-बन्धका उपयोग होता था वह बस्तीमें बसनेके बाद निरन्तर होने लगा। धीरे धीरे कटिबन्धका भी आकार प्रकार बदलता गया। पहले मात्र शरीरका गुह्य अंग ही ढकनेका विशेष ख्याल रहता

१—श्र० भ० म०, पृ० २६२।

था पर बादमें सम्पूर्ण नग्नता ढांक लेनेकी जरूरत समझी गई और उसके लिये वस्त्रका आकार प्रकार भी बदलना पडा। फलतः उसका नाम कटिवन्ध मिटकर चुलपट्ट-छोटा वस्त्र पडा।'

यह तो हुआ वस्त्रके विषयमे। अन्य उपाधियोंके विषयमे वे लिखते हैं—'पहले प्रति व्यक्ति एक ही पात्र रखा जाता था। पर आर्य रक्षित सूरिने वर्षाकालमें एक मात्रक नामक अन्य पात्र रखनेकी जो आज्ञा दे दी थी उसके फल स्वरूप आगे जाकर मात्रक भी एक अवश्य धारणीय उपकरण हो गया। इसी तरह भोजीमें भिक्षा लानेका रिवाज भी लगभग इसी समय चालू हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणोंकी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप स्थविरोंके कुल १४ उपकरणोंकी वृद्धि हुई, जो इस प्रकार हैं—१ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३ पात्र स्थापन ४ पात्र प्रमार्जनिका ५ पटल, ६ रजध्वान, ७ गुच्छक, ८-९ दो चादरें, १० ऊनी वस्त्र (कम्बल) ११ रजोहरण, १२ मुख वस्त्रिका, १३ मात्रक और १४ चोलपट्टक। यह उपधि औधिक अर्थात् सामान्य मानी गई और आगे जाकर इसमें जो उपकरण बढ़ाये गये वे 'औपग्रहिक' कहलाये। औपग्रहिक उपधिमे संस्कारक, उत्तर पट्टक दंडासन और दंड, ये खास उल्लेखनीय हैं। ये सब उपकरण आजके श्वेताम्बर जैन मुनि रखते हैं।'

आचार्य हरिभद्रने (ई० ७२०-७८०) अपने संबोध^१ प्रकरणमें अपने समयके चैत्यवासी कुगुरुओंका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केशलोच नहीं करते, प्रतिमा धारण करते शरमाते हैं। शरीर परका मैल उतारते हैं, पादुकाएँ पहिनकर फिरते हैं और बिना कारण कटि-

२—'कीवो न कुण्ह लोयं लजह पडिंमाइ जल्लमुवणेई ।

सोवाहणो य हिंडह वधह कटिपट्टयमकज्जे' ॥३४॥

वस्त्र बांधते हैं। उन्होने उन्हें 'क्लीब' कहा है। इससे प्रकट होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दी तक श्वेताम्बर साधु भी कारण पडने पर ही वस्त्र धारण करते थे। सो भी कटिवस्त्र। यदि कटिवस्त्र भी निष्कारण धारण किया जाता था तो धारण करनेवाले साधुको कुसाधु माना जाता था।

ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अशक्ति या लाचारी में ही वस्त्रका उपयोग करनेकी आज्ञा थी। उसीका दुरुपयोग करके वस्त्रका समर्थन किया गया और आपवादिक मार्गको औत्सर्गिक मार्गका रूप दे दिया।

मंखलिपुत्त गोशालकका जीवनवृत्त

किन्हीं विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि महावीरने जो अचेल कताको अपनाया, यह उनपर उनके शिष्य और बादको आजीविक सम्प्रदायके गुरु मखलिपुत्त गोशालकका प्रभाव है। अतः नीचे उसी पर प्रकाश डाला जाता है।

आजीविकोंका कोई साहित्य प्राप्त नहीं है जिसके आधार पर उनके विषयमें कोई जानकारी प्राप्त की जा सके। हाँ, श्वेताम्बर जैन और बौद्ध साहित्यमें आजीविक सम्प्रदायके संस्थापक मखलिपुत्त गोशालकका वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र (१५ श० १ उ०) में गोशालक की जीवनी विस्तारसे दी है। प्रथम यहाँ हम उसे दे देना उचित समझते हैं।

'वह मंखलि नामक एक मख (चित्रपट दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाला भिक्षुक) का पुत्र था। एक ब्राह्मणकी गोशाला

१—इन्साइ० इ० रि०, पृ० १५८ से २६८। से० बु० ई०, जि० ४५, प्रस्ता० पृ० २६।

में उसका जन्म हुआ था इसलिये उसे गोशालक कहते थे। जब गोशालक युवा हुआ तो वह भी अपने पिताकी तरह हाथमें चित्रपट लेकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा।

उम समय भगवान् महावीर तीस वर्ष तक घरमें रहकर प्रव्रजित हो चुके थे। और प्रथम वर्षावास विताकर द्वितीय वर्षावास नालन्दाके बाहर तन्तुवाय शालामें विताते थे। उस समय संसालि-पुत्र गोशालक हाथमें चित्रपट लिये, गाँव गाँवमें भिक्षा मागता हुआ वहाँ आया, और अन्यत्र स्थान न मिलनेसे उसी तन्तुवाय शालामें 'भाण्ड' रखकर ठहर गया।

एक मासके उपवासके पश्चात् भगवान् महावीर पारणाके लिये राजगृही गये। वहाँ आहार होनेके उपलक्ष्यमें पञ्चाश्वर्य हुए। सब लोगोंने इसीकी चर्चा थी। गोशालकने भी यह बात सुनी, और उसकी सत्यताका निर्णय करनेके लिये वह राजगृही गया। वहाँसे लौटकर वह महावीर भगवानके पास आया और विधिपूर्वक नमस्कार करके बोला—आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान् चुप रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया।

एक दिन भगवान् वहाँसे विहार कर गये। गोशालकने उन्हें सर्वत्र खोजा। न मिलने पर पुनः उसी तन्तुवाय शालामें आया और अपने वस्त्र, भाण्ड, जूते, चित्रपट वगैरह एक ब्राह्मणको दान कर दिये और दाढी मँछ तथा सिरके वाल मुँडा लिये।

वहाँसे निकलकर घूमता फिरता वह कोल्लाग सन्निवेशमें आया। उस समय महावीर यहीं ठहरे थे और सर्वत्र उनकी ही चर्चा थी। उसे सुनकर गोशालकने सोचा—धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावीरकी जैसी ऋद्धि, युक्ति, यश, बल, वीर्य,

सत्कार, पुरस्कार, पराक्रम है वैसा किसी अन्य श्रमण अथवा ब्राह्मणका नहीं है। अतः यह चर्चा अत्रश्य उन्हींकी है। यह सोच कर वह खोजता खोजता उनके पास पहुँचा और विधिपूर्वक नमस्कार करके बोला—आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ।

इसके पश्चात् गोशालक छै वर्ष तक महावीर भगवानके साथ रहा।

एक दिन शरदऋतुके प्रारम्भमें भगवान महावीर गोशालकके साथ सिद्धार्थ ग्रामसे कुर्मग्राम गये। मार्गमें एक हरे भरे तिलके पेडको देखकर गोशालकने भगवानसे पूछा—भगवान! यह तिल वृक्ष निष्पन्न होगा या नहीं? तथा ये सात तिलपुष्प जीव यहाँसे निकलकर कहाँ उत्पन्न होंगे?

भगवान बोले—यह तिल वृक्ष निष्पन्न होगा। और ये सात तिलपुष्प जीव यहाँसे निकलकर इसी तिलवृक्षकी एक फलीमें सात तिलरूपसे उत्पन्न होंगे। गोशालकको भगवानके इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने वह तिलका पेड़ उखाड़ कर डाल दिया। अचानक उसी समय जोरकी वर्षा हुई। उससे वह तिल वृक्ष पुनः जम गया और वे सात तिलपुष्प जीव उसीकी फलिका में सात तिल रूपसे उत्पन्न हुए।

जब दोनो कुर्मग्रामसे सिद्धार्थ ग्रामको लौटे तो उस तिल वृक्षको दोनोंने देखा। किन्तु गोशालकको तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने तिलकी फलीको फोड़कर देखा तो उसमें सात तिल थे। इस परसे गोशालकको यह हुआ कि इसी तरहसे सभी जीव मरकर पुनः लौटकर उसी शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। वह भगवान महावीरसे अलग हो गया। और श्रावस्तीमें एक कुम्हारी के आवासमें रहने लगा। तथा अपनेको 'जिन' कहने लगा।

एक बार भगवान महावीर विहार करते हुए श्रावस्ती पधारे । गौतम गणधरने उनसे यह बात कही । तब भगवानने गौतमसे गोशालकका उक्त चरित वर्णन किया । गोशालकके कानमें भी यह बात पहुँची । वह आजीविक संघके साथ महावीर स्वामीके पास आया और बोला—'आप ठीक कहते हैं कि मंखलिपुत्त गोशालक मेरा शिष्य है । किन्तु तुम्हारा वह शिष्य मरकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ है और मैं गौतमपुत्र अर्जुनके शरीरको त्यागकर मंखलिपुत्त गोशालकके शरीरमें आ गया हूँ । यह मेरा सातवाँ शरीर प्रवेश है' ।

भगवान महावीरने इसका प्रतिवाद किया और उसपरसे गोशालक रुष्ट हो उठा । बोला—मेरी तेजोलेश्याके प्रभावसे पित्तज्वरसे आक्रान्त होकर तुम छै मासमे ही मर जाओगे ।

तब महावीर बोले—अभी मैं १६ वर्ष तक और विहार करूँगा । किन्तु गोशालक ! तुम अपनी ही तेजोलेश्याके प्रभावसे ७ दिनके पश्चात् ही मर जाओगे ।

गोशालकने भगवान पर तेजोलेश्याका प्रयोग किया । किन्तु वह तेजोलेश्या उनका कुछ भी बिगाड़ न कर सकनेके कारण गोशालकके लिये ही काल साबित हुई ।

संक्षेपमे यह गोशालकका जीवन वृत्तान्त है । इसके अनुसार गोशालक भिक्षावृत्तिसे आजीविका करनेवाले एक मंखलि नामके भिक्षुका पुत्र था । युवावस्थामे अकेला ही भिक्षावृत्ति करता हुआ महावीरके पास आया । उस समय महावीर दूसरा वर्षावास कर रहे थे । और इसलिए उन्हें प्रव्रजित हुए पौने दो वर्ष हुए थे ।

चूँकि श्वेताम्बर आगसोंके अनुसार भी महावीर केवल एक वर्ष तक चीवरधारी रहे थे । तः जब गोशालकने इन्हें देखा तब वे अवश्य ही नग्न होना चाहिये । इसके विपरोत गोशालक के पास उस समय वस्त्र कमण्डलु जूता आदि उपकरण थे । जिन्हे उसने महावीरका शिष्य बननेसे पूर्व किसी ब्राह्मणको दे दिया । महावीरको अनायास प्राप्त आहार तथा पूजा सत्कारने उसे उनकी ओर आकृष्ट किया । तत्पश्चात् महावीरने ही उसे प्रव्रजित किया, मुण्डित किया, शिक्षित किया और बहुश्रुत बनाया । किन्तु कुछ ब्राह्मणोंको लेकर महावीरसे उनका मतभेद हो गया । और वह श्रावस्तीमें एक कुम्हारीके घरमें रहने लगा । महावीरसे अलग होनेके कारण ही उसने आजीविकोका सद्य बनाया । और अपनेको 'जिन कहने लगा । उसके अन्दर महावीरकी तरह ही चौबीसवां तीर्थङ्कर बननेकी भावना थी । इसलिये अपने आजीविक संघका निर्माण भी उसने मोटे तौर पर उसी बाह्य भूमि पर किया होगा, जिसपर महावीरका निर्ग्रन्थ संघ स्थापित था । अतः गोशालककी नग्नता का प्रभाव महावीर पर प्रतीत नहीं होता किन्तु महावीरकी नग्नता से प्रभावित गोशालकने अपने आजीविक सम्प्रदायके साधुओंको नग्न रहनेका नियम बनाया यही अधिक सम्भव है ।

१—'साडिआओ य पाडिआओ य कुंडियाओ य चित्तफलग च माहणे आयामेइ ।' —भ० १५ श०, १ उ० ।

२—'भगवया चेव पन्वाविए, भगवया चेव मुण्डाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्खाविए, भगवया चेव बहुसुई कए ।' —भ०, १५ श० ।

३—'तए णं गोसाले मखलिपुत्ते ...सावत्थि णयरिं' हाला-हलाए कुंभकारीए कु भकारीवणंसि आजीविय सद्य सपरिखुडे " विहरइ ।' —भ० १५ श० ।

बौद्ध उल्लेखोंमें भी प्रकट होता है कि अन्द्रो आर्जीविकाके लोभसे ही गोशालकने नंगा रहना पसन्द किया ।

दीपनिकायकी टीकामें बुद्ध बोधने लिया है कि—'गोशालका नाम मन्वन्ति था, गोशालामें पैश होनेसे वह गोशाल कहलाया । एक दिन तेलपात्र टूट गया । मालिकने उसे पकानके लिये उसका वस्त्र पकाने लिया । वह वस्त्र होड़कर भाग आया और नंगा रहने लगा, क्योंकि नंगे रहनेसे अन्द्रो आर्जीविका मिलनेकी आशा थी ।'

बुद्धबोधके उक्त कथनमें भी हमारी ही बातका समर्थन होता है । आर्जीविकाके लोभसे ही उसने नंगा रहना स्वीकार किया । उसने महावीरको नग्न अवस्थामें अन्द्रो आहार और आदर सत्कार पाते देखा । अतः वह उसे जैच गई । और उसने भी नग्नताको ही आदर्श बनाया ।

प्रकृत विषय पर और भी प्रकाश डालनेके लिये आर्जीविक सम्प्रदायके सम्बन्धमें प्रकाश डालना जरूरी है ।

गोशाल और परिव्राजक

डा० याकोवीका कहना^१ है कि बौद्ध उल्लेख गोशालकको नन्द वक्ख और किस्स सकिक्के अचेलक परिव्राजक सम्प्रदायका, जो प्राचीन साधु सम्प्रदाय था उत्तराधिकारी बतलाते हैं ।

1—'The Buddhist records, however, speak of him as the successor of Nanda vkhā, and kiṣṣa samkikka, and of his sect, the Aśhelaka paribb. gakas, as a longestablished order of monks' (से० बु० ई०, जि० ४५, प्रस्ता० पृ० २९)

डा० वरुआ^१ ने भी 'आजीविक' शीर्षक अपने विद्वत्तापूर्ण निबन्धमें इसी बातका समर्थन विस्तारसे किया है। और इसीके आधार पर गोशालक तथा उनके आजीविक सम्प्रदायके सम्बन्धमें बहुत सा ताना बाना बुना गया है। अतः प्रथम उसपर प्रकाश डालना आवश्यक है।

केवल मज्झिमनिकायके महासच्चक सुत्तन्त (पृ० १४४) और और सन्दक सुत्तन्त (पृ० २६९) में उक्त तीनों नाम इस प्रकार आये हैं—

सच्चक निगंठपुत्त गौतम बुद्धके पास जाता है और वार्तालाप करता है। बुद्ध पूछते हैं—अग्निवेश तूने काय भावना सुनी है ? तो सच्चक उत्तरमें कहता है—

'जैसे कि यह नन्दवात्स्य, कृश सांक्रत्य, मक्खली गोशाल (मानते हैं)। भो गौतम ! यह अचेलक (= नग्न), मुक्त आचार साप्ताहिक भी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार बीचमें अन्तर देकर अर्धमासिक आहारको ग्रहण करते हैं।'

सन्दक सुत्तन्तमें सन्दक परिव्राजक और भिक्षु आनन्दमे हुए वार्तालापका वर्णन है। आनन्दके उत्तरोंसे प्रसन्न होकर अन्तमें सन्दक कहता है—'यह आजीविक पूत तो अपनी बड़ाई करते हैं, तीनको ही मार्गदर्शक बतलाते हैं। जैसे कि, नन्दवात्स्य, कृश सांक्रत्य और मक्खलि गोशाल।

इन दोनों ही बौद्ध उल्लेखोंमें सच्चक निग्रन्थपुत्र और सन्दक परिव्राजक दोनोंने ही नन्दवात्स्य आदि तीनोंको आजीविकोंका मुखिया बतलाया है। सन्दकतो परिव्राजक था यदि

नन्दवात्स्य और कृश सांस्कृत्य अचेल परिव्राजक सम्प्रदायके होते तो वह तो कमसे कम उन्हें 'प्राजीविकोका मार्ग दर्शक' न बतलाता। दृग्गरे, ऊपर तीनोंका जिस रूपमें निर्देश किया गया है उसमें यह भी स्पष्ट नहीं होता कि नन्दवात्स्य और कृश सांस्कृत्य दोनों पूर्वमें हो चुके थे प्रत्युत 'यह' शब्दसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों भी उस समय वर्तमान थे। हाँ, मखलि गोशालका नाम अन्तमें होनेसे यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि वह उन तीनोंमें सम्भवतया लघु था। किन्तु बौद्ध पिटक साहित्यमें जहाँ कहीं भी बुद्धके विरोधी छे शास्ताश्रोकाने निर्देश किया गया है वहाँ मखलिगोशालका ही नाम आया है।

शायद कहा जाये कि नन्दवात्स्य और कृश सांस्कृत्यने प्राजीविक सम्प्रदायकी स्थापना की होगी और उसका उत्तराधिकारी मखलि गोशालक होगा। किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे प्राजीविक सम्प्रदाय मखलि गोशालकसे प्राचीन नहीं है। उसीने उसकी स्थापना की थी। अतः नन्दवात्स्य और कृश सांस्कृत्यका अचेल परिव्राजक सम्प्रदायसे सम्बन्ध तथा मखलि गोशालका उनका उत्तराधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता। प्रत्युत बौद्ध उल्लेखोंसे ये तीनों साथी प्रतीत होते हैं। जैसा डा० हार्नलेने लिखा है। उन्होंने लिखा है— 'बौद्ध साहित्यमें गोशालकके दो साथी बतलाये हैं—किस्स सकिच्च और नन्दवक्ख। महावीरसे अलग होनेके पश्चात् इन तीनोंने श्रावस्तीमें एक सम्प्रदायके नाते नेताके रूपमें एकाकी जीवन बिताना आरम्भ किया। (इ० इ० रि०, जि० १, पृ० २६७)

इसके सिवा गोशालकके सम्बन्धमें बुद्ध घोषने दीघनिकायकी टीकामें जो कुछ लिखा है वह ऊपर लिख आए हैं।

इस तरह जैन और बौद्ध उल्लेख गोशालकका जन्म गोशाला मे बतलाते हैं। जैन उल्लेख उसे मंखलिका पुत्र बतलाते हैं किन्तु बौद्ध उल्लेख उसका नाम मक्खलि बतलाते हैं। दोनों यह बतलाते हैं कि उसने नंगे होकर आजीविका की। दोनोंके अनुसार उसका यह कार्य आजीविकाके लिये था। इसीसे उसका सम्प्रदाय आजीविक कहलाया।

‘आजीविक’ शब्द संस्कृत भाषाके ‘आजीव’ शब्दसे बना है। आजीवका अर्थ है—आजीविका, रोजी। यह आजीविक शब्द आजीव, आजीविय आजीविक आदि विभिन्न रूपोंमे कतिपय जैन आगमों और बौद्ध पिटक, साहित्यमे मिलता है। किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्रके सिवाय ई० सन् तकके समस्त प्राचीन ब्राह्मण साहित्यमें नहीं मिलता।

डा० हार्नलेने लिखा है कि ‘गोशालक साधुके आजीवके विषयमें अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखता था। सम्भवतया इसीसे वह और उसके शिष्य ‘आजीविक’ कहलाये। किन्तु जैन और बौद्ध उल्लेख गोशालक पर अनैतिक आचरणका दोषारोपण करते हैं, जैसा कि हम आगे बतलायेंगे। इससे ऐसा लगता है कि उसकी धार्मिक तपस्या मोक्षके लिये नहीं थी किन्तु आजीविकाके लिये थी। अतः प्रारम्भमे ‘आजीविक’ नाम जीविकापरक था,

✓ डा० वरुआने (भा० इ० पत्रिका, जि० ८, पृ० १८७) लिखा है कि यदि आजीविक शब्दका वही अर्थ है जो विरोधी सम्प्रदाय लेते हैं तो एक धार्मिक सम्प्रदायने, जो भले ही निरुद्देश्य स्वार्थी और दुराचारी रहो, उसे अपने सम्प्रदायके नामके रूपमें कैसे अपना लिया ? किन्तु इतिहासमें निश्चय ही ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं है, जहाँ कल्पित घृणासूचक नामोंने धीरे धीरे असली नामोंका स्थान ले लिया।

पीछेसे वह एक सम्प्रदायके रूपमें व्यवहृत होने लगा ।'—इ० इ० रि०, जि० १, पृ० २५६ ।

इस तरह जैन और बौद्ध उल्लेखोंसे तो गोशालकका अचेल परिव्राजक होना सिद्ध नहीं होता ।

हम लिख आये हैं कि आजीविक सम्प्रदायका संस्थापक गोशालक जैनोंके कथनके अनुसार मखलिका पुत्र था और बौद्धोंके अनुसार उसका ही नाम मखलि था । किन्तु गोशालकको मस्करी भी कहा जाता है । और पाणिनिके अनुसार मस्करीका अर्थ परिव्राजक होता है । इसी परसे डा० हार्नलेका कहना है कि यत गोशालक मखलिपुत्र या मखलि (मस्करी) कहलाता था अतः वह प्रथम एकदण्डी था पीछे उसने महावीरके साथ रहना शुरू किया, जैसा कि डा० याकोर्वाका भी कथन है ।

किन्तु डा० हार्नले यह भी स्वीकार करते हैं कि मखलि या मखलिका संस्कृत रूप मस्करी नहीं है । जैन आगमिक साहित्य में 'मख' शब्दका प्रयोग भिक्षुक जातिके लिये हुआ है किन्तु 'मस्करी' के 'मस्क' शब्दका तो कोई अर्थ ही नहीं, वह तो मस्कर से बना है । अतः यहाँ इस सम्बन्धमें भी विचार किया जाता है ।

मस्करी और गोशालक

पाणिनि ने अपने व्याकरणमें मस्करी शब्द परिव्राजकके अर्थमें सिद्ध किया है । इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार पतञ्जलिने लिखा है कि मस्करी वह साधु नहीं है जो हाथमें मस्कर

१ 'मस्कर-मस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः' (६-१-१५४) ।

२ 'न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । किं तर्हि ? मा कृत कर्माणि शान्तिर्व श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजकः ।'—भाष्य (६-१ १५४) ।

या बासकी लाठी लेकर चलता हो । फिर क्या है ? मस्करी वह है जो यह उपदेश देता है कि कर्म मत करो, शान्तिका मार्ग ही श्रेयस्कर है ।

डा० वासुदेवशरण अग्रवालका कहना है कि 'यहाँ मस्करीका का अर्थ मक्खलि गोशालसे है, जिन्होंने आजीवक सम्प्रदायकी स्थापना की थी । पतञ्जलिने स्पष्ट यही अर्थ लिया है ।' किन्तु डा० बरुआका कहना है कि पाणिनिकी व्याख्या-बासका दण्ड लेने वाले परिव्राजकको मस्करी कहते हैं—केवल उन्हें ही लागू नहीं होती जिन्हें जैन और बौद्ध ग्रन्थोंमें आजीविक कहा है । यही बात पतञ्जलिके सम्बन्धमें भी है । अर्थात् डा० बरुआके अभिप्रायानुसार मक्खलि गोशालकके सिवाय अन्य परिव्राजक भी जो दण्डधारी थे मस्करी कहलाते थे । पतञ्जलिकी व्याख्यासे भी यही ध्वनित होता है ।

(पाणिनिने गोशालक शब्दकी भी व्युत्पत्ति की है । जो गोशालामें जन्म ले वह गोशालक है । जैन और बौद्ध उल्लेखोंके अनुसार मक्खलि या मंखलिपुत्तका जन्म गोशालामें हुआ था । पाणिनि मस्करी और गोशालकसे परिचित थे यह स्पष्ट है । किन्तु उन्होंने दोनोंका सामानाधिकरण्य नहीं किया । अतः गोशालक ही मस्करी था या मस्करी शब्द गोशालक और उसके अनुयायियोंके लिये ही व्यवहृत होता था यह नहीं कहा जा सकता ।

एक बात और भी ध्यान देनेकी है । जैन आगमोंमें गोशालक को मंखलिपुत्त कहा है और बौद्ध त्रिपिटकोंमें मक्खलि कहा

१ पा० भा०, पृ० ३७६ ।

२ भा० इं० पत्रिका, जि० ८, पृ० १८४ ।

३ गोशालाया जातः गोशालकः (४-३-३५) ।

है। दोनोमे गोशालकको मस्करी नहीं कहा। और मंखलि या मक्खलि और मस्करी ये दोनो शब्द स्वतन्त्र हैं। किन्तु दोनोमे कुछ इस प्रकारका साम्य है, जिससे मंखलि या मक्खलि मस्करीका भ्रष्ट रूप लगता है और शायद इसीसे दोनोको एक समझ कर गोशालकके लिये मस्करी शब्दका व्यवहार प्रचलित हो गया।

वराहमिहिर (ई० ५५०) ने अपने वृहज्जातक^१ (१५-१) और लघुजातक^२ (१२-१२) में ७ प्रकारके साधुओंका निर्देश किया है, जिनमे आजीविक भी हैं। वराहमिहिरके टीकाकार भट्टोत्पलने (ई० ६५०) कालिकाचार्यके एक पद्यके आधार पर आजीविकोको एकदण्डी बतलाया है। उसने लिखा है कि एकदण्डी अथवा आजीविक नारायणके भक्त थे।

हर्षचरितमे वाणभट्टने मस्करिका निर्देश किया है। डा० वरुष्माका कहना^३ है कि इसमे कोई सन्देह नहीं है कि हर्षचरितका 'मस्करी' वराहमिहिरके आजीविकका ही स्थानापन्न है। जब कि टीकाकारके अनुसार मस्करी परिव्राजकका तुल्यार्थक है। किन्तु डा० अग्रवालका लिखना है कि 'वस्तुतः मस्करी भिक्षु ही उस समय पाशुपत थे। पाशुपत भैरवाचार्य और उनके शिष्यको बाणने मस्करी कहा है (ह० च०, पृ० १६१)। शीलांकने भी एकदण्डियोंको शिवभक्त बतलाया है। किन्तु पाँचवें उद्ध्वासमें

१ 'एकस्थैश्चतुरादिभिर्बलयुतैर्जाता पृथग्वीर्यगै ।

शाक्याजीविकभिक्षुवृद्धचरका निर्ग्रन्थवन्याशना. ॥'

२ 'तापस वृद्ध श्रावक रक्तपटाजीविभिक्षुचरकाणाम्

निर्ग्रन्थाना चार्कात् पराजितै प्रच्युतिर्वलिभिः ॥१२॥'

३ भा० इ पत्रिका, जि० ८, पृ० १८४ ।

चाणने 'यथावदभिगतात्मतत्त्वाश्च संस्तुता मस्करिण' लिखकर मस्करी साधुओंको आत्मतत्त्वको ठीक प्रकारसे जानने वाले और सम्यक् प्रकारसे स्तुत कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वाण के द्वारा उल्लिखित मस्करी साधु आत्मतत्त्वके यथावत् ज्ञाता और विशेष आदरणीय माने जाते थे। जहाँ तक हम जानते हैं मस्करी साधुओंके लिये इस प्रकारके सम्मानास्पद विशेषण अन्यत्र नहीं पाये जाते।

उक्त स्थलके अध्ययनमें डा० अग्रवालने लिखा है—'यहाँ चाणने स्वयं ही सम्प्रदायका नाम दे दिया है। पाणिनिने मस्करी परिव्राजकोंका उल्लेख किया है। कुछ इन्हें मंखलि गोशालकका अनुयायी आजीविक मानते हैं। वाणके समयमें इनके दार्शनिक मतोंमें कुछ परिवर्तन हो गया होगा। अपने मूल-रूपमें मस्करी भाग्य या नियतिवादी थे। जो भाग्यमें लिखा है वही होगा, कर्म करना बेकार है, यही उनका मत था। किन्तु वाणने उनके मतका ऐसा कोई संकेत नहीं किया।'—ह० च०, पृ० ११२। वाणने एक 'पांडरिभिन्नु' नामक सम्प्रदायका निर्देश किया है। डा० अग्रवाल पांडरिभिन्नुको आजीविक बतलाते हैं। वे लिखते हैं कि निशीथचूर्णि (ग्रन्थ ४, पृ० ८६५) के अनुसार आजीविकोंकी संज्ञा पाण्डरिभिन्नु थी। ये लोग गोरसका बिल्कुल व्यवहार न करते थे। इससे वाणका यह कथन मिल जाता है कि उनके शरीर जलसे सींचे गये थे।—ह० च०, पृ० १०७।

किन्तु हर्षचरितके आठवें उल्लासमें वाणने जो अनेक सम्प्रदायोंके नाम दिये हैं उनमें भी मस्करीका निर्देश है तथा पांडुरिभिन्नुका भी निर्देश है। यदि वाणभट्टके द्वारा उल्लिखित पांडुरिभिन्नु

आजीविक हैं तो निश्चय ही बाणभट्टके द्वारा निर्दिष्ट मस्करी आजीविक नहीं है।

उक्त बातोंको लक्ष्यमें रखते हुए डा० वरुआका यह कथन कि हर्षचरितमें निर्दिष्ट मस्करी वराहमिहिरके आजीविकका स्थान पन्न है, निस्सन्देह तो नहीं माना जा सकता।

इस तरह विभिन्न उल्लेखोंके प्रकाशमें मस्करी और मक्खलि गोशालककी तथा मस्करी और आजीविकोकी एकरूपता भी सन्देह रहित नहीं है। इस विषयमें हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर आजीविकोके विशिष्ट अभ्यासी डा० वरुआका मत ही लिख देने उचित समझते हैं। वह कहते हैं—‘उक्त विषयमें जितने उदाहरण दिये गये हैं उनमें एकरूपता नहीं है। क्योंकि कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रन्थोंमें, यथा जानकी हरण और भट्टिकाव्यमें आजीविकको मस्करी और एकदण्डीका तुल्यार्थक कहा है। किन्तु ये प्रयोग निराबाध नहीं हैं क्योंकि कतिपय जैन और बौद्ध ग्रन्थोंमें आजीविकोंके स्पष्ट रूपसे परिव्राजकों या परमहंसोंसे भिन्न बतलाया है। और परिव्राजको या परमहंसोंके एकदण्डी और त्रिदण्डी दो मुख्य विभाग थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आजीविकों और परिव्राजकोंका पार्थक्य उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन मक्खलि गोशालकका समय है। और एक बौद्ध ग्रन्थके अंशसे कोई भी इसका अनुमान लगा सकता है। कुछ अन्य बौद्ध निकायोंमें भी इस प्रकारके अंश पाये जाते हैं जिनमें बौद्धोंने स्वयं आजीविकोंको परिव्राजको और त्रिदण्डियोंसे भिन्न बतलाया है।’—भा० इ० पत्रि०, जि० ८, पृ० १२५। आगे डा० वरुआने लिखा है—‘एक दृष्टिसे प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रन्थोंमें अत्यन्त समानता है

जहाँ कहीं उनमें 'आजीविय' या 'आजीवक' नाम आता है, स्पष्ट रूपसे या निर्विकल्प रूपसे वह गोशालक और उसके शिष्यों अथवा अनुयायियोंसे सम्बन्ध रखता है ।'

अतः प्रारम्भमें गोशालकके परिव्राजक सम्प्रदायके मुखिया होनेकी डा० याकोबीकी धारणा साधार प्रतीत नहीं होती ।

क्या गोशालक पार्श्वपत्नीय था ?

देवसेनके दर्शनसार (वि० सं० ६६०) में जैसे प्रारम्भमें बुद्धको पार्श्वनाथकी परम्पराके निर्ग्रन्थका शिष्य बतलाया है वैसे ही मस्करीपूरण साधुको भी पार्श्वनाथकी परम्परामें दीक्षित हुआ बतलाया है । लिखा है—'महावीर भगवानके तीर्थमें पार्श्वनाथ तीर्थङ्करके सघके किसी गणीका शिष्य मस्करीपूरण नामका साधु था । उ . ने लोकमें अज्ञान मिथ्यात्वका उपदेश दिया । अज्ञानसे मोक्ष होता है । मुक्त जीवोंको ज्ञान नहीं होता । जीवोंका पुनरागमन नहीं होता वे मरकर भव भवमें भ्रमण नहीं करते ।'

पं० आशाधरने अनगारधर्माभूतकी टीका (वि० सं० १३०० । पृ० ६) में लिखा है—'मस्करीपूरण नामक एक ऋषि पार्श्वनाथके तीर्थमें उत्पन्न हुआ था । जब भगवान महावीरको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह उनके समवसरणमें इस इच्छासे गया कि मेरे जानेसे इनकी बाणी खिरेगी । किन्तु बाणी नहीं खिरी । तब उसे यह ईर्ष्या हुई कि अपने शिष्य गौतमकी उपस्थितिमें तो

१—'सिरिवीरणाहतिहत्ये बहुस्सुदो पाससघगणिसीसो ।

मक्कडिपूरण साहू अणणाण भासए लोए ॥२०॥

अणणाणादो मोक्खो णाण एत्थीति मुत्तजोवाण ।

पुणारागमनं भमण भवे भवे एत्थि जीवस्स ॥२१॥'—द०सा० ।

महावीरकी वाणी स्मरती है, मैं ग्यारह अङ्गोका पाठी हूँ, फिर भी मेरे रहते हुए वाणी क्यों नहीं होती। यह सर्वज्ञ नहीं है। यह जानकर वह वहाँसे चल दिया और उसने अज्ञानसे मोन हांता है यह मत चलाया।

दोनों उल्लेखोंमें साधुका नाम मस्करिपूरण लिखा है। बौद्ध ग्रन्थोंसे यह प्रकट है कि बुद्ध कालीन छै शताब्दीमें से एक पूरण काश्यप था, और एक मक्खलि गोशालक था। गोशालकको तो मस्करि लिखा मिलता है किन्तु पूरण काश्यपको मस्करि लिखा कहीं नहीं देखा गया। संभव है मक्खलिको ही मस्करिपूरण समझ लिया हो। अनगार धर्माभूतसे जो महावीरके समयमरणमें मस्करिपूरणके जानेका निर्देश किया है उससे उक्त सभावनाकी ही पुष्टि होती है। क्योंकि पूरण काश्यप और महावीरके परिचयका निर्देश तो कहीं नहीं मिलता किन्तु महावीर और मक्खलि गोशालकका मिलता है। किन्तु उनके जिस अज्ञान मतका दर्शनसारमें उल्लेख है उससे उनके मतका ठीक स्पष्टीकरण नहीं होता।

बौद्ध ग्रन्थ दीघनिकायके सामञ्ज फलसुत्तमें पूरण काश्यपका मत दिया है। उसका सारांश इतना ही है कि न बुरे कर्म करनेसे पाप होता है और न अच्छे कर्म करनेसे पुण्य होता है। इसी सूक्तमें मक्खलि गोशालकका मत देते हुए उसे नियतिवादी कहा है।

किन्तु बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्द पश्नमें लिखा है कि सम्राट मिलिन्द ने गोशालकसे पूछा 'अच्छे बुरे कर्म हैं या नहीं? और अच्छे बुरे कर्मोंका फल है या नहीं?' गोशालकने उत्तर दिया—अच्छे बुरे कर्म भी नहीं हैं और उनके फल भी नहीं हैं। यह उत्तर पूरण-काश्यपके मतके ही अनुरूप है।

दीघनिकायकी टीकामें बुद्ध घोषने गोशालकका मत दिया है कि वह मनुष्योंको छै विभागोंमें विभाजित करता था। किन्तु ३ गुंतरनिकायमें उस मतको पूरण काश्यपका मत माना है। (इ० इ० रि, जि० १, पृ० २६२)

बौद्ध ग्रन्थोंके उक्त उल्लेखोंसे यह प्रकट होता है कि मक्खलि गोशालक और पूरण काश्यपके मतोंमें कुछ समानता थी। शायद इसीसे भ्रमवश दोनोंको एक समझ लिया गया।

मक्खलि गोशालकके जीवनके विषयमें बौद्ध साहित्यमें जो कथा मिलती है वह हम लिख आये हैं उससे मिलती जुलती हुई कथा पूरण काश्यपके जीवनके विषयमें भी मिलती है। लिखा है— 'यह एक स्तेच्छ स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम काश्यप था। इस जन्मसे पहले वह ६६ जन्म धारण कर चुका था। वर्तमान जन्ममें उसने सौ जन्म पूर्ण किये थे, इस कारण लोग उसको पूरण काश्यप कहने लगे थे। उसके स्वामीने उसे द्वारपालका काम सौंपा था। परन्तु वह उसे पसन्द नहीं आया और वह नगरसे भागकर वनमें रहने लगा। एक बार चोरोने उसके वस्त्र वगैरह छीन लिये। परन्तु उसने कपड़ोंकी परवाह नहीं की और वह नंगा ही रहने लगा। उसके बाद वह अपनेको पूरणकाश्यप बुद्धके नामसे प्रकट करने लगा और कहने लगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ। एक बार जब वह नगरमें गया तो लोग उसे वस्त्र देने लगे, परन्तु उसने लेनेसे इन्कार कर दिया और कहा—'वस्त्र लज्जा निवारणके लिये पहने जाते हैं और लज्जा पापका फल है। मैं अर्हत् हूँ और सब पापोंसे मुक्त हूँ इसलिये मैं लज्जासे अतीत हूँ।' लोगोंने काश्यपके कथनको ठीक माना और उसकी पूजा की। उनमेंसे पाँच सौ मनुष्य उसके शिष्य हो गये। सारे जम्बू

द्वीपमें यह घोषित हो गया कि वह बुद्ध है और उसके बहुतसे शिष्य हैं ।

उक्त बातोंके प्रकाशन गोशालक मस्करी और पूरणकाश्यपके जीवनवृत्तमें तथा कतिपय भिद्धान्तोंमें समानता प्रतीत होती है । इनमें दोनोंके ऐक्यका भ्रम होना सम्भव है । नौवीं-दसवीं शताब्दीके कतिपय जैन ग्रन्थोंमें केवल मस्करीका निर्देश मिलता है । आचार्य नेमिचन्द्रने अपने गान्गाटमार जीवकारणकी गा० १६ में मस्करीको अज्ञानवादी बतलाया है तथा यह भी बतलाया है कि मस्करी मुक्तिमें पुनरागमन मानता था । यद्यपि मस्खलि गोशालकके मुक्ति सम्बन्धी विचार पूर्णतया ज्ञात नहीं हैं । तथापि तथोक्त अज्ञानवादी मस्करी मस्खलि गोशालक ही ज्ञात होता है । और दर्शनसारके अनुसार वह तथा सम्भवतया पूरण काश्यप भी प्रारम्भमें पार्श्वनाथके निग्रन्थ सम्प्रदायके साधु थे । श्वेताम्बरीय आगमोंमें लिखा है कि गोशालकका पार्श्वपत्नीयोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध था । अतः गोशालक प्रारम्भमें पार्श्वनाथका अनुयायी रहा हो, यह संभव है ।

महावीर और गोशालकके सम्मिलनका उद्देश्य

तथा पारस्परिक आदानप्रदान

डा० याकोबीका अनुमान है कि महावीर और गोशालक अपने अपने सम्प्रदायोंको मिलाकर एक कर देनेके इरादेसे मिले थे और चूँकि वे दोनों बहुत समय तक एक साथ रहे इसलिये उन दोनोंमें कुछ ऐकमत्य होनेका अनुमान करना स्वाभाविक है ।

वे लिखते हैं—'भैं पृ० २६ के टिप्पणमें बतला आया हूँ कि 'सब्बे सत्ता, सब्बे पाना, सब्बे भूता, सब्बे जीवा' यह कथन गोशालक और जैनोंमें समान है । तथा टीकासे हम जानते हैं कि तिर्यञ्चो-

का एकेंद्रिय द्वीन्द्रिय आदिमे विभाजन, जो जैन ग्रन्थोके लिये साधारण बात है, गोशालक भी मानता था। छै लेश्यावादका विचित्र जैन सिद्धान्त भी गोशालकके मनुष्योंको छै भागोंमें विभाजित करनेके सिद्धान्तसे बिलकुल मिलता जुलता है। इसके सम्बन्धमें मैं यह विश्वास करनेके लिये तैयार हू कि जैनोंने इस सिद्धान्तको आजीविकोंसे लिया और अपना बना लिया।

आदरणीय विद्वानके उक्त उद्गारोंको अस्वीकार करते हुए हमें बहुत ही सकोच होता है। दोनोंके कतिपय सिद्धान्तोंमें समानताका होना तो अवश्यभावी था, क्योंकि दोनों एक साथ वर्षों तक रहे थे। किन्तु ऐसी स्थितिमें एकतरफा यह विश्वास कैसे किया जा सकता है कि इस सिद्धान्तको जैनोंने आजीविकोंसे लिया। प्राप्त प्रमाणोंके आधार पर हमें तो इससे विपरीत स्थिति ही दृष्टिगोचर होती है। जैन सिद्धान्तके अभ्यासियोंसे यह बात छिपी नहीं है कि समस्त जीवोंकी दशाओंका ज्ञान करानेके लिये १४ मार्गणाओं और १४ गुण स्थानोंका गम्भीर सांगोपाग वर्णन उच्च कोटिके जैन ग्रन्थोंमें पाया जाता है। लेश्या मार्गणाओंका ही एक भेद है और जिन योग और कषायके मेलसे लेश्याकी निष्पत्ति होती है उन योग और कषायोंकी चर्चासे जैन सिद्धान्त भरा हुआ है।

यदि यही मान लिया जाये कि इस सिद्धान्तको जैनोंने आजीविकोंसे लिया है तो आजीविकोंने उसे किससे लिया। जिस अचेलक परिव्राजक सम्प्रदायका उत्तराधिकारी गोशालकको कहा जाता है, उसमे तो इस सिद्धान्तके होनेका कोई संकेत नहीं मिलता। तब गोशालकने इस सिद्धान्तको किससे लिया। उसका स्वयंका आविष्कृत तो हो नहीं सकता। इसके सम्बन्धमें डा० हार्नलेने जो विचार प्रकट किये हैं, वह भी मननीय हैं। उन्होने

लिखा है—'इस सम्बन्धमें यह उल्लेख करना मनोरंजक है कि बुद्धघोषने अपनी टीकामें जो गोशालकके मनुष्य जातिको छै भागोंमें विभाजित करनेगले सिद्धान्तका कथन किया है वह अंगुत्तर निकायके आधार पर किया है और अंगुत्तर निकायमें इस सिद्धांतको पूरणकाश्यपका बतलाया है। यदि यह केवल मूल ग्रन्थसे सम्बन्धित भूल नहीं है तो यह प्रमाणित करती है कि मनुष्य विभाग वाला सिद्धान्त बुद्धके विरोधी छैओ शास्ताओंके लिये समान रूपसे मान्य था।'—इ० इ० रि०, जि० १, पृ० २६२ ।

उक्त स्थितिमें इकतरफा निर्णय नहीं किया जा सकता। इसी तरहकी कतिपय समानताओंको देखकर कुछ विद्वानोंने जैन धर्मको बौद्ध धर्मकी एक शाखा समझ लिया था। उसका निराकरण करके डा याकोवीने जैन धर्मको एक स्वतंत्र और बौद्ध धर्मसे प्राचीन सिद्ध किया। तब जैनों और आजीविकोंकी कतिपय बातोंमें समानता देखकर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि जैनोंने आजीविकोंसे अमुक बात ली है या महावीरके धर्म पर गोशालकका बड़ा प्रभाव पडा।

आचार सम्बन्धी नियम

महावीरके आचार सम्बन्धी नियमों पर गोशालकका प्रभाव बतलाते हुए डा० याकोवीने लिखा है—'आचार सम्बन्धी नियमोंके सम्बन्धमें सगृहीत प्रमाण करीब करीब यह प्रमाणित करनेकी स्थितिमें हैं कि महावीरने अधिक कठोर आचार गोशालकसे लिये हैं क्योंकि (उत्तराध्ययनमें (२३ अ० गा० १३) कहा है कि पार्श्वका धर्म 'सान्तरौत्तर' था—साधुको एक अन्तर वस्त्र और एक उत्तर वस्त्र धारण करनेकी अनुमति देता था। किन्तु महावीरके धर्ममें साधुके लिये वस्त्रका निषेध था। जैन सूत्रोंमें नंगे साधुके

लिये अचेलक शब्द बहुतायतसे आता है)। किन्तु बौद्ध अचेलको और निग्रन्थोंमें भेद करते हैं। धम्मपदकी बुद्धघोषकृत टीकामें कुछ भिन्नियोंके सम्बन्धमें यह कहा है कि वे अचेलकोसे निग्रन्थों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अचेलक बिल्कुल नग्न होते हैं। (सव्वसो अपतिक्खन्ना)। जब कि निग्रन्थ मर्यादाकी रक्षाके लिये एक प्रकारके आवरणका उपयोग करते हैं) किन्तु उन भिन्नियोंने गलत^१ समझ लिया बौद्ध अचेलकके द्वारा मक्खलि गोशाल आर उसके पूर्वज किस संकिक्क और नन्दवक्खके अनुयायियोंका निर्देश करते हैं और मज्झिम निकायमें उनके नियमोंका विवरण देते हैं।

उत्तराध्ययनके जिस उल्लेखकी चर्चा डा० याकोवीने ऊपरकी है उसके सम्बन्धमें हम पहले लिख आये हैं। इसमें पार्श्वनाथकी परम्पराके केशी श्रमण पार्श्वनाथके धर्मको सान्तरोत्तर और महावीरके धर्मको अचेलक बतलाते हैं। 'सान्तरोत्तर' का एक अधोवस्त्र और एक उत्तरवस्त्र अर्थ जो डा० याकोवीने किया है वह श्वेताम्बरीय टीकाकारोंके अर्थोंको देखते हुए तो बहुत ही उचित है। किन्तु आचाराग सूत्रमें उसके प्रयोगको देखते हुए यह^२ भी

१—टिप्पणीमें डा० याकोवीने लिखा है—'सेसक पुरिमसमप्पिता व पतिक्खादेति' यह शब्द बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। किन्तु भेदसे उसका आशय स्पष्ट हो जाता है। मेरा विश्वास है कि पालि 'सेसक' शब्द शिश्रकके लिये आया है। यदि यह ठीक है तो उक्त पदका अर्थ इस प्रकार होगा। 'वे (अपने शरीरके) अग्र भागके लगभग (एक वस्त्र) धारण करके अपने गुप्त अंगको ढाक लेते हैं।

२—आचार्य शीलाङ्गने अपनी टीकामें यही अर्थ किया है—सान्तर मुत्तर-प्रावरणीय यस्य स तथा क्वचित् प्रावृणोति, क्वचित् पार्श्ववर्ति विमर्ति'।—आचा० सू० टी० (सू० २०९)।

अर्थ होता है कि वस्त्रको पास रखे और आवश्यकता हो तो उसका उपयोग कर ले । ऐसा अर्थ करनेसे श्वेताम्बरीय-^१ग्रन्थोमे ही जो पार्श्वनाथके धर्मको सचेत और अचेल दोनों बतलाया है उसकी संगति भी बैठ जाती है । तथा क्यो पार्श्वनाथने 'सान्तरोत्तर और महावीरने अचेलक धर्म रखा, इसका जो समाधान गौतमने किया, उसकी संगति बैठ जाती है'।

आचाराग सूत्रके अनुसार वस्त्रधारणके तीन कारण बतलाये हैं—परीपह सहनेमे असमर्थता, इन्द्रियविकार और लज्जाशीलता । ऐसे असमर्थ साधुओको गुह्य प्रच्छादनकी या वस्त्रधारणकी आज्ञा पार्श्वनाथके धर्ममे रही हो यह संभव माना जा सकता है । क्योंकि बौद्ध उल्लेखोसे भी निग्रन्थोके सवस्त्र होनेका समर्थन मिलता है । किन्तु हमे यह न भुला देना चाहिये कि महावीरके समयमे पार्श्वपत्यीयोमे शिथिलाचारने ही नहीं, किन्तु दुराचार तकने प्रवेश कर लिया था । डा० याकोवीने भी इसे मान्य किया था । इसका वर्णन पीछे किया भी जा चुका है । अतः महावीरके समयमे वर्तमान पार्श्वपत्यीयोके आचरणके आधार परसे यह नहीं कहा जा सकता कि पार्श्वनाथने उसी आचार धर्मका नियम अपने साधुओके लिये रखा था । और बौद्ध पिटक साहित्यमे जिन निग्रन्थोकी चर्चा है, डा० याकोवीके अनुसार भी वे प्रायः पार्श्वनाथीय परम्पराके निग्रन्थ थे ।

किन्तु बौद्ध ग्रन्थोमे ही ऐसे भी निग्रन्थोका उल्लेख है जो नगे रहते थे । यहाँ हम कतिपय बौद्ध उल्लेखोको देते हैं—

१— 'आचेलका धम्मो पुरिमस्स य पल्लिमस्स य जिणस्स ।

मत्तिम्मगाण जिणाण होइ सचेतो अचेलो य ॥१२॥' पञ्जा० ।

(अंगुत्तर निकायमें तो 'निगंठा एकशाटका' लिखकर निग्रन्थों को एकशाटक बतलाया है। किन्तु बुद्धघोषने दीघनिकायकी टीकामें तथा धम्मपदकी टीकामें, जिसका उल्लेख डा० याकोवीने अपने लेखमें किया है, निग्रन्थोंको गुह्याग मात्र ढाकने वाला बतलाया है।)

(डा० याकोवीने ही अपने 'महावीर और उसके पूर्ववर्ती' शीर्षक लेखमें बतलाया है कि बुद्धघोषने धम्मपदकी टीकामें लिखा है कि जो निग्रन्थ नग्न रहते हैं वे उत्तम निग्रन्थ माने जाते हैं।)

(स्पेंस हार्डीने अपनी पुस्तक 'ए मैन्युअल आफ बुद्धिज्म' (पृ० २३१) में लिखा है कि श्रावस्तोका मृगार सेठ निग्रन्थोंका भक्त था। उसने अपनी पुत्रवधू विशाखाको जो बुद्धकी भक्त थी, अपने निग्रन्थोंके दर्शनार्थ बुलाया। जब उसने नगे निगठोंको देखा तो वह अचकचा कर लौट गई।)

(बुद्धचर्या (पृ० ३२९) में राहुल जीने इस घटनाका वर्णन करते हुए नगे निगठोंका निर्देश किया है।)

इस तरह प्राचीन बौद्ध साहित्यमें निग्रन्थोंके दो रूप मिलते हैं, नगे और कौपीनधारी या एकशाटक। उनमें पार्श्वपत्तीय निग्रन्थ भी सम्मिलित हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्त्र को लेकर पार्श्वनाथ और महावीरके धर्ममें कितना अन्तर था ? तथा पार्श्वनाथके अनुयायियों द्वारा ग्राह्य और महावीरके द्वारा त्याज्य वस्त्रकी क्या स्थिति थी।

पीछे, भगवान बुद्धसे पहले निग्रन्थ सम्प्रदायका अस्तित्व सिद्ध करते हुए, मज्झिम निकायके महासीहनादसुत्तसे बुद्धकी पूर्वचर्याका वर्णन दे आये हैं और यह बतला आये हैं कि बुद्धनं निग्रन्थोंकी चर्याका भी पालन किया था क्योंकि उसमें उन्होंने

अपने नंगे रहने, केश लोच करने और हाथमें भोजन करनेका निर्देश किया है और ये सब आचार दिगम्बर निग्रन्थ साधुके हैं। अतः बुद्धके समयमें तथा उससे पहले भी नंगे निग्रन्थ थे, यह प्रमाणित होता है।

मज्झिम निकायके महासच्चक सुत्त (पृ० १४४) में सच्चक निगठपुत्तने ठीक वही आचार, जो बुद्धने पाला था—आजीविकोंका बतलाया है। जिसके सम्बन्धमें डा० याकोबी यह संभावना करते हैं कि महावीरने उन नियमोंको अचेलकों अथवा आजीविकोंसे लिया। आजीविकोंके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए यह बतलाया है कि बौद्ध साहित्यमें जहाँ कहीं आजीविकोंका वर्णन है वहाँ आजीविकोंसे गोशालकके अनुयायी अभिप्रेत है। गोशालक ही आजीविक सम्प्रदायका संस्थापक था और वह बुद्धका समकालीन था। (अतः बुद्धने अपने जीवनके पूर्व भागमें यदि उक्त कठोर तपश्चरण किया था तो निश्चय ही उन्होंने आजीविकोंकी प्रव्रज्या नहीं ली थी, क्योंकि उस समय आजीविक नहीं थे। किन्तु निग्रन्थ सम्प्रदाय बुद्धसे पहले भी वर्तमान था। और एक जैन उल्लेखके अनुसार बुद्धने उस निग्रन्थ सम्प्रदायके एक आचार्यसे प्रव्रज्या धारण की थी।)

यदि जरा देरके लिये यह मान लिया जाये कि उक्त कठोर आचरण आजीविकोंका था तो प्रश्न होता है कि उन्होंने यह कठोर आचार किससे लिया, क्योंकि डा० याकोबीने जैन सूत्रोंकी प्रस्तावनामें (सं० बु० ई०, जि० २२, पृ० ३४ आदि) यह लिखा है कि जैनो और बौद्धोंने अपने साधु धर्मके आचार गौतम धर्म सूत्र और बौद्धायन धर्म सूत्रसे लिये हैं।

उक्त धर्मसूत्रोंके नियमोंमें न तो नग्न रहनेका विधान है, न

हस्तभोजन है और न केशलुंच हैं । उसके कतिपय नियम निम्न प्रकार हैं—

१ एक साधुको कुछ भी संचय नहीं रखना चाहिये । अर्थात् अपरिग्रही होना चाहिये ।

२ ब्रह्मचारी होना चाहिये ।

३ वर्षाऋतुमें उसे अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

४ उसे केवल भिक्षाके लिये ही ग्राममें जाना चाहिये ।

५ मनुष्योंके भोजन कर चुकनेके पश्चात् ही उसे भिक्षा माँगनी चाहिये । (जैन मुनि पहले जाते हैं) ।

६ सब प्रकारकी इच्छाओंको रोकना चाहिये ।

७ उसे अपनी नग्नता छिपानेके लिये एक वस्त्र धारण करना चाहिये ।

८ बौद्धायनके अनुसार उसे एक पीतपट पहिनना चाहिये ।

९ उसे पौदों और वृक्षोंका कोई भाग नहीं लेना चाहिये, सिवाय उसके जो स्वतः अलग हो गया हो ।

१० एक गाँवमें एक ही रात रहना चाहिये ।

११ उसे या तो बाल कटाना चाहिये या जटाजूट रखना चाहिये ।

१२ उसे बीजोंको नष्ट नहीं करना चाहिये ।

१३ जल छाननेका वस्त्र रखना चाहिए ।

१४ एक लकड़ी रखना चाहिये ।

१५ जो भोजन, बिना कहे, बिना पूर्व तैयारीके, अचानक प्राप्त हो जाये वही साधुको ग्रहण करना चाहिये और उतना ही ग्रहण करना चाहिये जितना जीवन धारणके लिये आवश्यक हो ।

गौतम धर्मसूत्र और बौद्धायन धर्मसूत्र बुद्धसे प्राचीन हैं ऐसा कतिपय विद्वानोंका मत है । इसलिये बौद्धधर्मने उनका अनुकरण

किया हो, यह संभव है। किन्तु जब पार्श्वनाथको ऐतिहासिक व्यक्ति तथा जैन धर्मका, जो कि प्राचीनतम साधु धर्मोंमें से माना जाता है, संस्थापक माना जाता हो, जो निश्चय ही उक्त सूत्रोंसे पूर्व हुए थे, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि जैनोंने अपने नियमोंमें उक्त नियमोंका ही अनुकरण किया है।

हम पहले लिख आये हैं कि वैदिक धर्ममें चार आश्रमकी व्यवस्था बहुत बादमें आई है और चौथे संन्यास आश्रमके प्रति उसकी उतनी आस्था नहीं रही है। तथा श्रमणोंकी परम्परा बहुत प्राचीन है और आश्रम शब्द भी उसी धातुसे निष्पन्न हुआ है, जिससे श्रमण। अतः आश्रमोंका सम्बन्ध श्रमणोंके साथ ही जान पड़ता है। और इस तरह उक्त नियम श्रमण परम्पराके साधारण नियम हो सकते हैं।

किन्तु हमें तो यहाँ यह बतलाना है कि केशलोच, नग्नता और हस्त भोजन तथा भोजन सम्बन्धी अन्य कड़े आचार उक्त नियमोंमें नहीं हैं, जिन्हें बुद्धने एक समय पालन किया था। ऐसी स्थितिमें यह सम्भावना नहीं की जा सकती कि महावीरने कठोर नियम गोशालकसे लिये। प्रत्युत गोशालक और महावीरका जिस प्रकारका सम्बन्ध बतलाया गया है उससे यही प्रमाणित होता है कि गोशालकने अपने आजीविक सम्प्रदायकी स्थापना महावीरके निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके आधार पर की।

डा० याकोवीने एक उपपत्ति यह दी है कि सच्चकने निर्ग्रन्थ पुत्र होते हुए भी अचेलक आजीविकोंकी काम भावनाका तो निर्देश किया किन्तु निर्ग्रन्थोंकी काम भावनाका निर्देश नहीं किया जब कि जैन साधुओंकी कतिपय क्रियाएँ अचेलक आजीविकोंके तुल्य हैं। इस परसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि सच्चक

पार्श्वनाथका अनुयायी निर्ग्रन्थ था और पार्श्वनाथके अनुयायी निर्ग्रन्थोंमें कठोर आचार नहीं पाला जाता था ।

यह हम पहले बतला आये हैं कि पार्श्वनाथके अनुयायी शिष्योंमें भगवान महावीरके समय तक धीरे धीरे शिथिलाचार आ गया था और वे सुखशील भी बन गये थे । सच्चक निर्ग्रन्थ भी उनसेसे हो सकता है । दूसरी बात यह है कि सच्चक गौतम बुद्धके सामने ऐसे श्रमण ब्राह्मणोंकी चर्चा करता है जो या तो केवल कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं या केवल चित्तकी भावनामें हो विहरते हैं । वह कहता है—

‘भो गौतम ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी भावनामें नहीं । वह शारीरिक दुःखमय वेदनाको पाते हैं । “ भो गौतम ! यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं कायाकी भावनामें नहीं । भो गौतम वह चैतसिक दुःखवेदनामें पडते हैं ।’ (बु० च०, पृ० १४४)

जो केवल काय भावनामें तत्पर हो विहरते हैं उनमें उसने मक्खलि गोशाल और उसके अनुयायियोंको रखते हुए उनकी बुराई की है कि वे खूब खाते पीते और मौज भी करते हैं । चित्त भावनाके विषयमें पूछने पर सच्चक मौन रह जाता है । जब बुद्ध उसे भावितकाय और भावित चित्त कैसे हुआ जाता है यह बतलाते हैं तो सच्चक कहता है—‘भो गौतम ! मेरा विश्वास है कि आप गौतम भावितकाय और भावितचित्त हैं ?’

तब गौतम कहते हैं—‘जरूर, अग्निवेश ! तूने तानेसे यह बात कही है ।’

उक्त वार्तालापसे प्रकट होता है कि सच्चक केवल काय भावना वालों और केवल चित्त भावना वालोंका मखोल करनेके लिये बुद्ध

के पास आया था और कायभावनामे आजीविकोको और केवल चित्तभावना वालोमे गौतम बुद्धको मानता था । आनन्दके कथन से यह भी स्पष्ट है कि वह वकवादी और पडितमानी था । अतः प्रथम तो निर्ग्रन्थोंकी बुराई करना उसे इष्ट नहीं हो सकता । दूसरे यह भी सम्भव है कि वह निर्ग्रन्थोको भावितकाय और भावितचित्त मानता हो । इसलिये उसने निर्ग्रन्थोकी कायभावनाकी चर्चा न करके उनके विरोधी आजीविकोकी चर्चा की हो । अतः उसके वार्तालाप परसे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पार्श्वनाथके धर्ममे कठोर आचार नहीं था और महावीरने ही उसे स्थान दिया । (हाँ, पार्श्वनाथके अनुयायी निर्ग्रन्थोमे जो शिथिलाचार आ गया था, उसे दूर करनेके लिये महावीरने अपने निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके लिये कठोर आचारकी व्यवस्था की हो यही सम्भव प्रतीत होता है, किन्तु वे नियम गोशालकसे लिये हों, यह तो किसी भी तरह सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

डा० याकोवीने अपने विद्वत्तापूर्ण निबन्ध 'महावीर और उसके पूर्ववर्तियों पर' के अन्तमें स्वयं यह बात स्वीकार की है कि दिगम्बर प्राचीन है और उस समयके सर्व शास्ताओ पर जैनधर्मका प्रभाव था । वह लिखते हैं—'छै तीर्थङ्कर शीर्षक 'जेम्स डी

1—In James d'alwis paper on the 'six Tirthakas' the 'Digambaras' appear to have been regarded as an old order of ascetics, and all of those heretical teachers betray the influence of jainism in their doctrines or religious practices, as we shall now point out.

—Ind Ant. जि० ६१

अलविस के लेखसे प्रकट है कि 'दिगम्बर' साधुओंके एक प्राचीन सम्प्रदायके रूपमें माने जाते रहे हैं। तथा सभी विरोधी धर्मगुरु अपने सिद्धान्तों और धार्मिक आचरणों पर जैन धर्मके प्रभावको अपनाये हुए हैं जैसा कि अब हम बतलायेंगे। गोशाल मक्खलि पुत्र एक रईसका दास था। उसके मालिकने उसे उसके वस्त्रोंसे बांध दिया। वस्त्र ढीले थे, इससे गोशालक उनसे छूटकर नंगा भाग खडा हुआ। इस स्थितिमें वह दिगम्बर जैनांके या बौद्धोंके पास गया। अपना एक सम्प्रदाय कायम किया। जैनांके अनुसार वह महावीरका शिष्य था फिर उससे स्वतन्त्र हो गया। "पूरुणकश्यपने यह सोचकर कि दिगम्बर रहनेसे मेरी विशेष प्रतिष्ठा होगी, कपडे पहनना स्वीकार नहीं किया। अजित केश कम्बली वृक्षोंमें जीव मानता था"। पूकुद्ध कात्यायन पानीमें जीव मानता था। "इस तरह उस समयके चार तीर्थङ्कर जैनधर्मके सिद्धान्तोंसे प्रभावित थे। इससे प्रकट होता है कि जैन विचार और आचार महावीरके समयमें अवश्य ही प्रचलित रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि निर्ग्रन्थ महावीरसे बहुत पहलेसे चले आते थे।"

डा० याकोंवीके ही उक्त शब्दोंके प्रकाशमें हमें उनके अभिमत के विरुद्ध कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती।

डा० बुद्धलरने भी महावीरके निर्ग्रन्थ सम्प्रदायका महत्व बतलाते हुए लिखा है— बुद्धके प्रतिद्वन्दी अन्य सम्प्रदायोंका वर्णन करते हुए बौद्ध ग्रन्थोंमें लिखा है कि उन्होंने निर्ग्रन्थोंकी नकल की है और वे नंगे रहते हैं। अथवा लोग उन्हें निर्ग्रन्थ समझते हैं क्योंकि उन्हें घटनावश वस्त्र त्यागना पडा है। यदि वर्धमानका सम्प्रदाय महत्वशाली न होता तो इस प्रकारके उद्-गारोंका प्रकटीकरण शक्य न होता। (इ० से० जै० पृ० ३६)

अतः डा० याकोवीका यह कथन कि महावीरने गोशालकका अनुसरण किया ठीक नहीं प्रतीत होता ।

‘महावीर और गोशालकके मिलनका उद्देश्य’

डा० याकोवीने लिखा है—‘महावीरने जो आजीविकोके कतिपय धार्मिक विचारों और क्रियाओंको अपनाया, इसे हम एक प्रकारका उपहार मानते हैं जो गोशालक और उनके शिष्योंको अपने वशमें करनेके लिये दिया गया था । ऐसा लगता है कि यह कुछ समय तक तो सफल हुआ, किन्तु अन्तमें दोनों परस्परमें भगड गये । और यह अनुमान करना शक्य है कि भगडा इस बात पर हुआ कि सम्मिलित सम्प्रदायका प्रमुख कौन बने ? गोशालकके साथ अस्थायी सन्धि कर लेनेसे महावीरकी स्थिति दृढ़ हो गई । यदि हम जैनोके विवरण पर विश्वास करें तो गोशालकका दुःखद अन्त उसके सम्प्रदायके लिये अवश्य ही भयानक आघात हुआ ।’ (से० वु० ई०, जि० ४१, पृ० ३०)

उक्त कथनसे यही प्रकट होता है कि महावीरने गोशालकको प्रसन्न करनेके लिये उसके कुछ आचार अपनाये और गोशालकके साथ अस्थायी सन्धि करनेसे महावीरकी स्थिति दृढ़ हो गई ।

प्रथम बातके सम्बन्धमें हम प्रकाश डाल चुके हैं । अतः यहाँ दूसरीके सम्बन्धमें डालते हैं । डा० याकोवीने जैन सूत्रोंकी अपनी उसी प्रस्तावनामें, जिसमें उक्त बात कही है, लिखा है कि ‘जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ उस समय निर्गन्थ एक प्रमुख सम्प्रदायके रूपमें वर्तमान थे । तथा अन्यत्र बौद्ध ग्रन्थोंमें निर्गन्थोंका बहुतायतसे उल्लेख तथा इसके विपरीत जैन आगमोंमें बौद्धोंका किञ्चित भी निर्देश न देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि

बौद्ध निर्गन्थोको एक प्रमुख सम्प्रदाय मानते थे जब कि जैन अपने विरोधियोंकी परवाह नहीं करते थे ।

यह तो हुई बुद्धके समय निर्गन्थ सम्प्रदायकी स्थिति जिसके प्रमुख निर्गन्थ ज्ञातृपुत्र महावीर थे । महावीरके सम्बन्धमें डा० याकोवीने जैन सूत्रोंके प्रथम भागकी अपनी प्रस्तावनामें उनके मातृकुल और पितृकुलका परिचय देते हुए लिखा है कि यह हम इसलिये दे रहे हैं कि हम इसके ज्ञानसे यह जान सकनेमें समर्थ हो सकें कि महावीर अपने मिशनमें सफलता कैसे प्राप्त कर सके ।

जहाँ तक ज्ञात होता है पितृकुल और मातृकुलके सम्बन्धोंकी दृष्टिसे महावीरकी लौकिक स्थिति बुद्धसे यदि इक्कीस नहीं थी तो उन्नीस भी नहीं थी । तथा वह प्राचीन निर्गन्थ सम्प्रदायके तीर्थङ्कर थे । बौद्ध निकाय ग्रन्थोंमें यत्र तत्र उनकी चर्चा करते हुए लिखा है कि बड़ी भारी निर्गन्थोंकी परिषदके साथ निगंठ नाटपुत्त अमुक जगह वास करते थे । इसके विपरीत गोशालक कुलकी दृष्टिसे हीन था, मागता खाता फिरता था । जब वह महावीरके पास आया तब उसकी कोई स्थिति नहीं थी । बौद्ध निकाय ग्रन्थोंमें यद्यपि छै शताब्दियोंमें उसका नाम भी सर्वत्र आता है, किन्तु मुझे तो एक भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला, जहाँ उसे भी आजीविकोंकी बड़ी परिषदके साथ वास करता बतलाया हो, उत्तरा० सूत्र० के आर्द्रक और गोशालक सवादमें गोशालक महावीर भगवानपर यह आरोप लगाता है कि पहले महावीर एकाकी रहते थे और अब बहुतसे निर्गन्थोंके साथ रहते हैं । इस पर डा० हार्नलेने लिखा है कि—गोशालकके साथ भी बहुतसे आजीविक रहते थे । अतः सबके प्रमुखका बहुतसे साधुओंसे घिरे रहना कोई दोष नहीं है । किन्तु इस

आरोपसे यह प्रकट होता है कि महावीरने बुद्धकी तरह निर्ग्रन्थों का एक संघ स्थापित कर लिया था। महावीरके अनुयायी छोटे या बड़े समुदायोंमें विभिन्न स्थानोंमें फैले हुए थे, जो एक संघ एक नियम और एक नेताके अधीन थे। इसके विपरीत गोशालक के अनुयायी संख्यामें थोड़े थे और उसीके साथ रहते थे। अन्य भी आजीविक संघ थे किन्तु वे नन्दवत्स्य और कृश साकृत्यके अधीन थे। निर्ग्रन्थों और बौद्धोंकी तरह आजीविकोंका एक संघ नहीं था। "अपने अत्यधिक सफल प्रतिद्वन्दीके विरुद्ध गोशालक का उक्त दोषारोपण उसकी अपनी अयोग्यताको ही बतलाता है।"

—(३० इ० रि०)

ऐसी स्थितिमें मैं नहीं समझता कि महावीरको गोशालकको प्रसन्न करनेकी क्या आवश्यकता थी? गोशालककी स्थिति तो ऐसी जान पड़ती है कि जिसके साथ स्नेह होजानेसे आदर मिलनेकी संभावना नहीं, और विद्वेष होजानेसे भयकी सम्भावना नहीं।

डा० याकोवीकी अपेक्षा डा० हार्नलेका मत ही इस विषयमें अधिक साधार प्रतीत होता है। वे लिखते हैं—'महावीरसे मिलनेमें गोशालकका क्या उद्देश्य था यह निश्चय कर सकना कठिन है। यह हो सकता है कि उस धार्मिक उत्साही महावीरकी सगतिसे गोशालकके स्वभावमें अपेक्षाकृत उत्तम सहज ज्ञान अस्थायी रूपसे जाग्रत हुआ हो। अथवा यह हो सकता है कि, जैसाकि जैन विवरण बतलाता है, गोशालकने महावीरसे अपने व्यवसायके लिये उपयोगी शक्तिशाली उपायोंको सीखनेकी आशा की हो।

(डा० बरुआने' 'आजीविक' सम्बन्धी अपने निबन्धमें बतलाया

है कि आजीविक शब्दका प्रयोग भारतीय साहित्यमें इन तीनोंके लिये किया गया है—

(१) विस्तृत अर्थमें परिव्राजकोंके लिए (२) संकुचित अर्थमें पूरणकस्सप, मक्खलि गोशाल आदि पांच तीर्थकोके धार्मिक सम्प्रदायोंके लिए। और (३) अत्यन्त संकुचित अर्थमें मक्खलि या मक्खलि पुत्र गोशालके शिष्यों और अनुयायियोंके लिये। तथा भ रतीय साहित्यमें जिन विभिन्नरूपोंमें आजीवकोका उल्लेख पाया जाता है उन्हें चार श्रेणियोंमें रखा जा सकता है— (१) अचेलक साधु, जो अचेल, अचेलक खपणइ, क्षपणक, नग्न, नग्नपव्वज्जित नग्नक, नग्नक्षपणक कहे जाते थे। (२) एक परिव्राजकोंका समुदाय जो अपने साथ एक वासकी लकड़ी या एक लकड़ी रखता था। और मस्करी एदएडी, एकदएडी, लट्टीहत्थ, और वेणु परिव्राजक कहा जाता था। (३) सिरमुंडे वैरागी, जो घर २ भित्ता मागते हैं और जिन्हें मुण्डियमुण्ड या 'घर मुडनिय समण' कहा है। (४) सन्यासियोंकी एक श्रेणी, जिनके जीवनका व्यवसाय भिक्षावृत्ति था जो नग्नताको अपनी स्वच्छता और त्यागका एक बाह्य चिन्ह बनाये हुए थे, किन्तु अन्तरंगमें एक गृहस्थसे अच्छे नहीं थे। उन्हें आजीव, आजीवक, आजीविय, आजीविक और जीवसिद्धो क्षपणक कहा है।

कहना न होगा कि ऊपर का नम्बर तीन और नीचेका चार परस्परमें सम्बद्ध हैं। अर्थात् गोशालकके अनुयायी या शिष्य, जो आजीविक कहे जाते थे, यद्यपि सन्यासी थे, किन्तु जीविकाके खोजी मात्र थे। और संन्यासके आवरणमें एक गृहस्थसे अच्छे नहीं थे जैसा कि आगे स्पष्ट किया जायेगा। ऐसे गोशालककी संगतिसे महावीर

और उसके सम्प्रदायको लाभ पहुँचनेकी कोई संभावना नहीं की जा सकती। और इसलिये गोशालक महावीरको आदर पूर्वक भिन्ना मिलते देखकर उनके साथ रहनेके लिये उत्सुक हुआ हो, यही सभव प्रतीत होता है।

अब प्रश्न रहा, महावीरसे गोशालक पृथक् क्यों हुआ ? डा० याकोवीका कहना है कि सम्मिलित संघका प्रमुख कौन बने इसको लेकर इन दोनोंमें झगड़ा हुआ जान पड़ता है। भगवती सूत्र तो उनके भेदका कारण सैद्धान्तिक मतभेदका होना बतलाता है। तिलके पौदेवाली घटनाके बादसे उनमें वैमनस्य पैदा हुआ किन्तु पृथक् होनेके पश्चात् गोशालकने श्रावस्तीमें एक कुम्हारीके घरमें रहकर अपना पृथक् संघ बनाया और अपनेको चौबीसवा तीर्थङ्कर कहना शुरू किया। इससे यह भी स्पष्ट है कि उसके मन में तीर्थङ्कर बननेकी अभिलाषा थी। और महावीरसे पृथक् होकर वह उनसे पहले तीर्थङ्कर बन गया, (क्योंकि भ० सू० के अनुसार जब महावीरको जिन दीक्षा लिये पूरे दो वर्ष भी नहीं हुए थे, तभी गोशालक उनके पीछे लग गया और छै वर्ष तक साथ रहा। महावीर स्वामीने लगभग तीस वर्षकी अवस्थामें जिन दीक्षा ली, और बारह वर्षके तपश्चरणके पश्चात् उन्हें केवल ज्ञानकी प्राप्तिके साथ ही साथ तीर्थङ्कर पद प्राप्त हुआ। इस तरह उन्हें ४२ वर्षकी अवस्थामें तीर्थङ्कर पद प्राप्त हुआ। और जब वह ३८ के थे, तभी गोशालकने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और अपना संघ कायम कर दिया। इस घटनाके पश्चात् श्रावस्तीमें ही उनकी भेंट हुई। उस समय महावीरको तीर्थङ्कर हुए चौदह वर्ष बीते थे। और गोशालकके आजीविक संघको स्थापित हुए १६ वर्ष हो चुके थे)।

किन्तु तीर्थङ्कर पदको लेकर कलह सम्बन्धविच्छेदका मूल

कारण नहीं जान पडता । उसके मूलमे कुछ अन्य कारण भी हैं, जैन और बौद्ध उल्लेखोंसे जिनका समर्थन होता है ।

(डा० हार्नलेने लिखा है कि इस जैन वक्तव्यकी, कि गोशालक एक कुम्हारीके घरमे रहा था, सत्यतामे सन्देह करनेका कोई कारण प्रतीत नहीं होता । यह कायं गोशालकके वास्तविक चरित्र पर प्रकाश डालता है और गोशालकके प्रति बुद्धके घृणा भावसे भी उसका समर्थन होता है'—इ० इ० रि०, जि० १, पृ० २६० । वे और भी कहते हैं—'गोशालकका एक स्त्रीके स्थानको अपना मुख्य आवास बनाना बतलाता है कि गोशालकका मतभेद सैद्धान्तिक नहीं था, किन्तु चरित्र विषयक था । पार्श्वके चार यामोंमें परिवर्तन करके महावीरने ब्रह्मचर्यको पृथक् स्थान दिया था । इससे मालूम होता है कि पार्श्वके कमजोर साधुओंमें अनैतिकता प्रवेश कर गई थी । इसी बात परसे गोशालक महावीरसे पृथक् हो गया ।')

पार्श्वपत्तीय और गोशालक

डा० हार्नलेके उक्त कथनका स्पष्टीकरण करनेके लिये पार्श्वपत्तियों और गोशालकके पारस्परिक सम्बन्धमें प्रकाश डालना आवश्यक है ।

भगवती सूत्रमें (१५-१) लिखा है कि एक समय गोशालकके समीप छै दिशाचर आये । टीकाकारने दिशाचरोको पार्श्वस्थ और चूर्णिकारने पार्श्वपत्तीय बतलाया है । अर्थात् वे पार्श्वनाथकी परम्पराके थे । वि छहो अपनी बुद्धिसे पूर्वगत आठ महा निमित्तोंका विचार करते थे । वे आठ महानिमित्त हैं—दिव्य, उत्पात, आन्तरिक्त, भौम, स्वर, अंग, लक्षण और व्यंजन । इनसे प्राणियों

के जीवन मरण, सुख दुःख और लाभ अलाभकी जानकारी होती है। ये ज्योतिपसे सम्बद्ध हैं। इन्हींके आधार पर गोशालकने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि सब प्राणियोंके लिये ये छै बातें अनतिक्रमणीय हैं—जीवन मरण, सुख दुःख, लाभ अलाभ। इनको टाला नहीं जा सकता, जिसके भाग्यमें जो वदा है वह होता है। यही गोशालकका प्रसिद्ध दैववादका सिद्धान्त है। सम्भवतः अपने इस सिद्धान्तको अपने जीवन व्यवहारमें उतारनेके कारण ही उस पर अत्रह्यचर्यावासका दूषण जैन और बौद्ध दोनोंने लगाया है जो साधार प्रतीत होता है। क्योंकि शुद्ध दैववादके सिद्धान्तका परिणाम 'अनैतिक आचरण' है। जब पाप पुण्य केवल दैवाधीन हैं, पुरुषका उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, तब नैतिक होनेका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही क्या है)?

किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिये कि चूंकि गोशालकके दैववादका सिद्धान्त पूर्वसे लिया गया था इसलिये महावीर और गोशालकमें सैद्धान्तिक भेद नहीं था, जैसा कि (डा० हार्नलेका कथन है। जैन धर्ममें इस प्रकारके दैववादको कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जैन धर्ममें यद्यपि 'कर्म' का महत्त्व है किन्तु पुरुषार्थके द्वारा पूर्वकृत कर्मोंको परिवर्तित ही नहीं, किन्तु नष्ट भी किया जा सकता है। अस्तु, ऊपरके उल्लेखसे स्पष्ट है कि गोशालक पार्श्वपत्नीयोंके भी ससर्गमें था)।

अब हम सूत्र कृतांगसे कुछ उदाहरण और देते हैं जिनसे भी उक्त बातका समर्थन होता है—

सूत्रकृतांगसे पता चलता है कि तिलके पौदेको लेकर गोशालकने जिस प्रकारकी आपत्ति की थी, उसी प्रकारका कुतर्क पार्श्वपत्न्य भी करते थे।

सूत्र० (२ श्रु० ७ अ०) में बतलाया है कि उदक पेढालपुत्र नामक पार्श्वपत्नीय निर्ग्रन्थ गौतम स्वामीसे आकर बोला—हे गौतम ! कुमारपुत्र नामके आपके एक निर्ग्रन्थ नियम ग्रहण करनेके लिये आये हुए श्रावकोंसे इस प्रकार त्याग कराते हैं—

‘राजा आदिके अभियोगोको छोड़कर त्रस प्राणियोंको दण्ड देनेका त्याग है। यह त्याग कराना ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकारसे त्याग करानेवाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञाका उल्लंघन करते हैं। और इसका कारण यह है कि प्राणी परिवर्तनशील है इसलिये स्थावर प्राणी भी कभी त्रसप्राणी हो जाता है और त्रसप्राणी स्थावर रूपमें उत्पन्न होता है। अतः जब वे त्रसप्राणी स्थावर रूपमें उत्पन्न होते हैं तो वे त्रसकायको दण्ड न देनेकी प्रतिज्ञा करने वालोंके द्वारा घात करनेके योग्य हो जाते हैं। अतः उनका त्याग ठीक नहीं कहलाया, क्योंकि जिसको घात न करनेका उन्होंने नियम लिया था, वे ही त्रसजीव स्थावर पर्यायमें उनके द्वारा घाते जाते हैं।’

उक्त शंकाका समाधान करने पर उदक पुनः उसी प्रश्नको प्रकारान्तरसे पूछता है—हे गौतम ! ऐसी एक भी पर्याय नहीं है जिसके घातका त्याग श्रावक कर सके, क्योंकि प्राणी परिवर्तनशील है, कभी स्थावर त्रस हो जाते हैं और कभी त्रस स्थावर हो जाते हैं। वे सबके सब जब स्थावर कायमें उत्पन्न हो जाते हैं तो श्रावकोंके घातके योग्य होते हैं।

(इस प्रकारके प्रश्न पार्श्वपत्नीयोंकी उस प्रकृति और स्थिति पर प्रकाश डालते हैं जो गोशालककी मन स्थितिसे मिलती हुई है। अब प्रकृत स्त्री भोगके विषयमें पार्श्वस्थोंकी वाचालताका

नमूना देखिये—सूत्र^० (१ श्रु०, ३ अ०, ४ उ०) में प्रारम्भमें शीतल जल, बीज और हरी वनस्पतिका भक्षण करनेवालोंकी चर्चा करके लिखा है कि स्त्रीके वशमे रहने वाले और जैन शास्त्रसे विमुख मूर्ख अनार्य पार्श्वस्थ ऐसा कहते हैं—जैसे फोड़ेको दवा देना चाहिये वैसे ही समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करना चाहिये । इसमें दोष क्या है ? जैसे भेड़, पत्नी बिना हिलाये जल पीते हैं वैसे ही समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करनेमें क्या दोष है ? उस प्रकार मैथुन सेवनको निरवद्य बतलाने वाले मिथ्यादृष्टि अनार्य पार्श्वस्थ हैं । प्रारम्भमें जो शीत उदक, हरे बीजका सेवन करनेवालोंकी चर्चा की है, वह स्पष्ट ही गोशालकका मत है और अन्तमें जो पार्श्वस्थों का स्त्री विषयक मन्तव्य दिया है, वह भी गोशालकके अनुकूल है । अतः गोशालक प्रारम्भमें पार्श्वनाथकी परम्परामें दीक्षित हुआ हो यह सम्भव है । तथा वह पार्श्वपत्नियोंके प्रभावमें हो यह बहुत कुछ सम्भव जान पडता है ।

आजीविक सम्प्रदाय नग्न रहताथा, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है । किन्तु उत्तरकालके कतिपय लेखकोने तो नग्नताको

१ आहसु महापुरिसा पुन्वि तत्ततवोधणा ।

उदएण सिद्धिमावन्ना तत्थ मंदो विसीयति ॥१॥

+ + + +

एवमेगे तु पासत्था, पन्नवति अणारिया ।

इत्थीवस गया वाला जिणसासणपरम्मुहा ॥६॥

जहा गड पिलागं वा परिपीलेज मुहुत्तगं ।

एव विन्नवणित्थीसु दोसो तत्थ कओ सिआ ॥१०॥

आजीविकोंके साथ ही बांध दिया है और जो नग्न सो आजीविक' ऐसी व्याप्ति सी बनाकर दिगम्बर जैनोंको ही गोशालकका अथवा आजीविकोंका उत्तराधिकारी सिद्ध कर डाला है ।

आजीविक और दिगम्बर

आजीविकों और दिगम्बरोंमें तीन बातोंको लेकर समानता पाई जाती है—दोनों नग्न रहते थे, दोनों हस्तभोजी थे और दिगम्बरोंकी तरह शायद आजीविक भी केशलुंच करते थे । इस नग्नताके कारण किन्हीं किन्हीं ग्रन्थकारोंको भी दोनोंकी एकतामें भ्रम हो गया, ऐसा प्रतीत होता है । और उसी भ्रमके आधार पर कल्पनाओं और अनुमानोंका ताना बाना बुनकर (बीसवी शतीके कतिपय अन्वेषक विद्वानोंने आजीविकोंको दिगम्बर जैनोंका पूर्वज मान लिया, जिनमे डा० हार्नलेका नाम उल्लेखनीय है । उन्होंने लिखा है कि सूत्र कृतांगकी टीकामे शीलाकने आजीविकों त्रैराशिकों और दिगम्बरोंको एक बतलाया है । किन्तु उनका यह कथन भ्रमपूर्ण है । शीलाकके दो वाक्य इस प्रकार हैं—

१ आजीविकादीना परतीर्थिकाना दिगम्बराणा चासदाचारनिरूपण-याह—

२ ते गोशालकमतानुसारिणो दिगम्बरा वा " " "—अ० ३,—
उ० ३, गा० १७ की टीका ।

पहले वाक्यका अर्थ है—'आजीविक' आदि परतीर्थिकों और दिगम्बरोंके असदाचारका निरूपण करनेके लिये कहते हैं ।'

इस वाक्यमें स्पष्ट ही आजीविकों और दिगम्बरोंको एक नहीं बतलाया । यदि 'परतीर्थिकानां' पदको 'दिगम्बराणां'के साथ भी लगाया जाये तो अर्थ होगा—'आजीविक आदि और दिगम्बर परतीर्थिकोंके' । सूत्र कृतांगके हिन्दी टीकाकारने यही अर्थ किया

है। यद्यपि मुझे अपना उक्त अर्थ ही अधिक सुसंगत प्रतीत होता है। शीलांक आजीविकोंको परतीर्थिक बतलाता है, दिगम्बरोको नहीं, तथापि यदि दूसरा अर्थ हो ठीक मान जाये तो भी आजीविक और दिगम्बर एक नहीं ठहरते। 'च' शब्दके होनेसे आजीविकादि और दिगम्बरमें विशेषणविशेष्य भाव उष्ट्र नहीं है। इतीतिगृह दृग्गरे वाक्यमें जो 'वा' शब्द बीचमें पड़ा है वह 'च' का स्थानापन्न है। अतः उसका अर्थ होता है— 'वे गोशालक मतावलम्बी तथा दिगम्बर सम्प्रदायवाले'। इस वाक्यमें 'गोशालकमतानुसारी' पद पूर्व वाक्यके 'आजीविकादि' पदका स्थानापन्न है। अतः दोनों वाक्योंके द्वारा शीलाङ्कने आजीविक आदि गोशालक मतानुसारिया और दिगम्बरोको एक नहीं माना है। और यदि माना है तो शीलाङ्कका उक्त लेख भी भ्रान्त है और उससे कोई भी 'वुद्विमान' सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आजीविकों और दिगम्बरोंमें मौलिक सैद्धान्तिक भेद है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

शीलाङ्कने जिस गाथा^१ १० की टीकाके प्रारम्भमें 'आजीविकादीना परतीर्थिकाना' आदि लिखा है, उस गाथामें जैनमुनि आजीविक आदि परतीर्थिकोंसे कहता है कि तुम लोग कासा आदिके पात्रोंमें भोजन करते हो, रोगी साधुके लिये गृहस्थोंके द्वारा आहार मगाते हो। इस प्रकार तुम लोग वाज और कच्चे जलका उपभोग करते हो और उद्दिष्ट भोजन करते हो'।

१—'भारतीय विद्या' जि० ३ पृ० ३६ में गोपाणिका 'आजीविक सेक्ट' शीर्षक लेख।

२ 'तुम्हे भुजह पाएसु, गिलाणो अभिहडमि वा। त च वीओदगं मोच्चा, तमुहिसादि ज षड ॥१२॥

‘ यहाँ चार आरोप आजीविकों पर लगाये हैं— शीत जलका व्यवहार, बीज भक्षण, उद्दिष्ट भोजन और बीमार रोगीके लिये गृहस्थके पात्रमें आहार लाकर उसे खिलाना ।

गोशालक आर्द्रक सवादमें, जिसका पीछे उल्लेख किया है, गोशालक कहता है कि शीतोदक बीज काय, उद्दिष्ट भोजन तथा स्त्री सेवन करनेसे हमारे साधुका पाप नहीं लगता । यहाँ गोशालकने उक्त चार बातोंमें से तीन कहीं है, पात्र भोजन नहीं लिया है, उसके स्थान पर स्त्री सेवन रखा है ।

इसका मतलब यह है कि आजीविक साधु उक्त ४ चीजोंका सेवन करनेमें दोष नहीं मानते थे । और चुकि इसकी उत्थानिकामें शीलांकने दिगम्बरोंको भी सम्मिलित कर लिया है, अतः शीलाङ्क के अनुसार दिगम्बरोंमें भी शीतल जल वगैरहके व्यवहारमें दोष नहीं माना जाता था । संभवत इसी से डा० हार्नलेने दोनोको एक मान लिया जान पडता है ।

(डा० हार्नले साहब का कहना है कि ‘वास्तवमें दिगम्बर और श्वेताम्बरोंमें भी उक्त चार बातोंको लेकर ही मत भेद है । शीतल जल और बीजके भक्षण पर रोक किसी भी प्रकारके जीवकी सुरक्षाके लिए है । किन्तु कहा जाता है कि दिगम्बर केवल पशु-पक्षी वगैरहकी सुरक्षाकी ओर ही ध्यान देते हैं जब कि श्वेताम्बर जीव मात्रकी सुरक्षाके पक्षपाती हैं । ब्रह्मचर्यके दोनो पक्षपाती हैं किन्तु श्वेताम्बर भिक्षा पात्र रखते हैं, दिगम्बर नहीं रखते । नग्नताको लेकर विरोध तो दोनोंके नामोंसे ही स्पष्ट है’ ।) (इ० इ० रि०, जि० १, पृ० २६७)

दिगम्बर मुनि आजीविकोंकी तरह शीतल जल और बीज कायका सेवन करते हैं तथा वे केवल पक्षी पशु आदि स्थूल जीवों

की सुरक्षा पर ही विशेष ध्यान देते हैं, ये बातें बतलाती है कि डा० हार्नलेने दिगम्बर ग्रन्थोंका अवलोकन नहीं किया था तथा सभवतया शीलांककी टीकाके आधार पर उक्त बातें लिख दी है। अपने मतके उत्तराधके समर्थनमें उन्होंने Jas, Burgess के एक लेख 'दिगम्बर जैन एकोनो ग्राफी' (इं० ए०, जि० ३२, पृ० ४६०) का उल्लेख किया है। वर्गेसने अपने लेखमें लिखा है कि 'श्वेताम्बर लोग सब प्रकारके प्राणियोंके जीवनके प्रति अत्यन्त सावधान होते हैं, जबकि दिगम्बर केवल परिमित रूपसे ही वैसे होते हैं'।

इस लेखकने ऐसा किस आधार पर लिखा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसने अपने उक्त लेखमें अपने कथनके समर्थनमें कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया। (दिगम्बर परम्परामें श्रावकके ग्यारह भेद हैं। थोडासा हेरफेरके साथ श्वेताम्बर परम्परामें भी उक्त भेद गिनाये हैं। उन्हें श्रावक प्रतिमा कहते हैं। श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार तो प्रतिमारूप श्रावक धर्म विच्छिन्न हो गया, किन्तु दिगम्बर परम्परामें उसकी प्रवृत्ति आज भी है। श्रावकके उन ग्यारह भेदोंमें पाँचवा भेद सच्चित्त' त्याग है। श्वेताम्बरोंमें इसका स्थान सातवां है। इसका पालक श्रावक सच्चित्त जल, पत्र पुष्प, बीज वगैरह का सेवन नहीं करता। ऐसी स्थितिमें, जब पञ्चम

१ 'मूल फल शाक शाखा करीर कन्द प्रसून वीजानि ।

नामानि योत्ति सोऽयं सच्चित्तविरतो दयामूर्तिः ॥१४१॥

—रत्न० श्रा० ॥

"हरिताङ्करवीजाम्बुलवणाद्यप्रासुकं त्यजन् ।

जाग्रतकृपश्चतुर्निष्ठः सच्चित्तविरतः स्मृतः ॥

—सागर० ७ अ० ८ श्लो०

श्रावकके लिए भी शीतल जल और बीजका सेवन वर्जित है, तब मुनिका तो कहना ही क्या है)?

(दिगम्बर जैन साधु ४६ दोषोको बचाकर आहार करता है। उन दोषोंमें एक दोषका नाम उन्मिश्र है। पृथिवी, अप्रासुक जल, हरित काय, बीज और त्रसोसे मिश्रित आहारका उन्मिश्र कहते हैं। अर्थात् यदि भोजनमें शीतल जल और बीजका मिश्रण हो जाये तो वह आहार उन्मिश्र दोषसे युक्त होनेके कारण दिगम्बर जैन साधुके लिये अग्राह्य है। ऐसी स्थितिमें यह कहना कि दिगम्बर जैन साधु शीतल जल और बीजोको ग्रहण करते हैं, विल्कुल निराधार और असत्य है। इससे भी भयानक एक दूसरी भूल है।

(डा० हार्नलेने लिखा है कि दिगम्बर साधु ५ फीट ऊँचा एक दण्ड हाथमें लिये रहते हैं, यह उनके आजीविक होनेका दूसरा प्रमाण है, क्योंकि आजीविक एकदण्डी थे। (इ० इ० रि०, पृ०-२६७)

(दिगम्बर साधु एक मयूरके पखोके पीछी और कमण्डलुके सिवाय और कोई उपकरण अपने पास नहीं रखते। जिस ५ फिट ऊँचे दण्डको हाथमें लिए रहनेका निर्देश डा० हार्नलेने किया है, वह श्वेताम्बर साधुओंका उपकरण है, दिगम्बर जैन साधुओंका नहीं। यदि यह दण्ड आजीविकोंकी देन है तो श्वेताम्बर साधुओंको भी आजीविक मानना होगा क्योंकि जैनोमें वे ही एकदण्डी

१ "पुढवी आऊ य तहा हरिदा वीया तसा य सजोवा ।

पचेहि तेहिं मिस्स आहार होदि उग्मिस्स ॥४७२॥ मूनाचा०'

"पृथ्व्या ऽ प्रासुकया ऽ ङ्घ्रिश्च बीजेन हरितेन यत् ।

मिश्र जीवत्त्रसैश्चान्न महादोषः स मिश्रक ॥३६॥"

—अनगार०, अ०५ ।

हैं। अतः यदि आजीविकोके नग्न रहनेसे दिगम्बरोको आजीविकोका उत्तराधिकारी माना जाता है तो आजीविकोके एक दण्डी होने से दण्डधारी श्वेताम्बरोको भी आजीविकोका उत्तराधिकारी बतलाना होगा। किन्तु यह सब भ्रान्त कल्पनाएँ हैं। और उनके आधार पर आजीविको और दिगम्बरोका ऐक्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

खेद है कि आजके कोई कोई लेखक स्वयं अध्ययन न करके उक्त प्रकारकी भ्रान्त धारणाओंके आधार पर ही कागज काले करते हुए पाये जाते हैं। इसका एक उदाहरण श्री रामघोषका वह लेख है जो उन्होने ओरियन्टल काफ्रेसके द्वितीय अधिवेशनमें पढ़ा था। उस लेखका शीर्षक है— 'अशोकका धर्म'। यह लेख डा० हार्नलेके उक्त लेखको सामने रखकर ही लिखा गया है। श्री घोषने भी लिखा है कि दिगम्बर साधु ५ फीट ऊँचा दण्ड रखते हैं, शीतल जल और बीज ग्रहण करते हैं'। यदि दिगम्बर जैनोके साहित्यका अध्ययन करके श्री घोषने अपना लेख लिखा होता तो डा० हार्नलेकी भ्रान्तियोंका ही पिष्टपेषण करनेका कष्ट उन्हे न उठाना पडता। डा० हार्नले विदेशी थे और उन्होने अपना लेख १९वीं शती के अन्तमें उस समय लिखा था जब दिगम्बर जैन साहित्य प्रकाशमें नहीं आया था। किन्तु श्रीघोषने तो अपना लेख उससे चौथाई शताब्दी पश्चात् १९२२ में लिखा है, जब दिगम्बर जैन साहित्यकाफी प्रकाशित हो चुका था।

उपलब्ध दिगम्बर जैन साहित्यका आरम्भ ईसाकी प्रथम शताब्दीसे होता है। उसमें आजीविकोकी छाया तकका संकेत नहीं मिलता और ऋषभ देवसे लेकर वर्धमान महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थङ्करोका ही एकमात्र गुणगान आदि किया गया है। हा भोजनके

४६ दोषोमे से एक दोषका नाम 'आजीव' भी है। अपनी जाति कुल, शिल्पकर्म, तपस्या, प्रभुत्व आदिको बतलाकर भोजन प्राप्त करना 'आजीव' नामका दोष है। यह पहले लिखा ही है कि 'आजीव' से ही आजीविक शब्द निष्पन्न हुआ है। और आजीविक साधु आजीव या आजीविकाके विषयमें अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखते थे। सम्भव है कि वे अपनी जाति आदिका बखान करके भोजन प्राप्त करते हों। और उनकी उस वृत्तिके आधार पर आजीव नामक दोषकी रचना हुई हो। किन्तु यह दोष यदि आजीविकोंकी वृत्तिसे सबन्ध रखता है तो उससे दिगम्बर जैनों और आजीविकोंका वैमत्य ही प्रकट होता है, ऐक्य या एकमत्य नहीं प्रकट होता।

यहाँ यह बतला देना भी उचित होगा कि श्वेताम्बर साहित्यमें भी 'आजीव' नामक भोजन दोष गिनाया है। असलमें दिगम्बर और श्वताम्बरोंमें मुख्य भेद वस्त्र परिधानका है, उनके अन्य आचारों और विचारोंमें यत्किंचित् अन्तर होते हुए भी प्रायः ऐक्य ही है। मूल सिद्धान्तोंमें, तत्त्व व्यवस्थामें कोई अन्तर नहीं हैं, और इसका कारण यह है कि दोनों महावीरके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वपरम्पराको मानते हैं। यदि दिगम्बर सम्प्रदाय आजीविकोंसे निकला होता या आजीविक ही आगे चल कर दिगम्बर जैन सम्प्रदायके रूपमें परिवर्तित हो गये होते तो आजीविक सम्प्रदायके सस्थापक गोशालककी विचारधाराका कुछ अंश तो उसमें अवश्य ही परिलजित होता।

१-जादी कुलं च सिष्य तवकम्म ईसरत्त आजीव ।

तेहिं पुण उपादो आजीव दोसो हवदि एसो ॥३१॥

—मूलाचा०, पिएड० ।

ऐतिहासिक अभिलेखांसे यह स्पष्ट है कि गोशालकके पश्चात् भी उसका आजीविक सम्प्रदाय जीवित रहा। आजीविकोका सबसे प्राचीन उल्लेख गयाके निकट वारवर पहाडियों पर निर्मित गुफाओंकी दीवारों पर अङ्कित है। उसमें लिखा है कि प्रियदर्शी अशोकने अपने राज्यके १३ वे वर्षमें यह गुफा आजीविकोंको प्रदान की। अशोकके रतम्भो पर अङ्कित लेखामें भी आजीविकोंका निर्देश पाया जाता है। अशोकके उत्तराधिकारी दशरथने भी नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकोंके लिये गुफाएँ निर्मित कराई थीं। इस तरह वारवर पहाड़ीकी दो गुफाओं और नागार्जुन पहाड़ीकी तीन गुफाओंमें उन्हें आजीविकोंके लिये प्रदान किये जानेका लेख अङ्कित है। इससे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व दूसरी शती तक गोशालकका आजीविक सम्प्रदाय प्रवर्तित था, क्योंकि उसके लिए गुफाएँ प्रदानकी गई थीं। इसके पश्चात् इस प्रकारका कोई उल्लेख न मिलनेसे यह अनुमान किया जाता है कि ईस्वी पूर्व दूसरी शतीके अन्तमें भारतवर्षसे एक सम्प्रदायके रूपमें आजीविकोका लोप हो गया। किन्तु मुझे इससे सन्देह है क्योंकि १३ वीं शती तकके साहित्यमें आजीविकोंका निर्देश पाया जाता है।)

(डा० हार्नलेका कहना है कि शीलाकने अपनी टीकामें और हलायुधने अपनी अभिधानरत्न मालामें दिगम्बरों और आजीविकोंको एक बतलाया है। तथा प्राचीन तमिल साहित्यमें जैनके लिये आजीविकका प्रयोग पाया जाता है इस लिए ६ठी ईस्वी शताब्दीसे जबकि बराह मिहिरने आजीविक शब्दका प्रयोग किया, यह शब्द दिगम्बर जैनोंका सूचक था।)(इ० इ० रि०, जि० १, पृ० ६६)।

डा० हार्नलेका उक्त कथन भी सुसगत प्रतीत नहीं होता। यह हम पहले लिख आये है कि शीलाकने अपनी टीकामें आजीविकों

और दिगम्बरोको स्पष्ट रूपसे एक नहीं बतलाया । (हां, हलायुधने अपनी अभि० र० (२-१६०) में नगनाट, दिगम्बर, चपणक, श्रमण जैन, आजीव, और निर्ग्रन्थको एकार्थवाची अवश्य बतलाया है । तथा 'रजोहरणधारी और श्वेतवासको सिताम्बर कहा है)।

हलायुधके द्वारा प्रयुक्त शब्दोको देख कर हमे ऐसा लगता है कि नंगे साधुओके लिये प्रयुक्त होने वाले शब्दोको उन्होंने एकार्थवाची मान लिया है । इससे उनके द्वारा प्रयुक्त 'आजीव' शब्दको दिगम्बरोके वाचकके रूपमे गम्भीरताके साथ नहीं लिया जा सकता ।

दूसरे, हलायुधके समकालीन भट्टोत्पलने, जो कि वराह मिहिर का टीकाकार है, कालिकाचार्यके एक प्राकृत पद्यके आधार पर आजीविकोको एक दण्डी बतलाया है । भट्टोत्पल (ई० ६५० के लगभग) ने लिखा है एक दण्डी अथवा आजीविक नारायणके भक्त थे । शीलांकने एक दण्डियोंको शिवका भक्त बतलाया है । अतः हलायुधका आजीविको और दिगम्बर जैनोंको एकार्थवाची बतलाना प्रमाण कोटिमे लिये जानेके उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । तथा वराहमिहिरने प्रव्रज्या योग बतलाते हुए जिन सात प्रकारके साधुओका निर्देश किया है उनके नाम बृहज्जातकमें इसप्रकार हैं—शाक्य, आजीविक, भिक्षु, वृद्ध, चरक, निर्ग्रन्थ और वन्याशन ।

१- 'नगनाटो दिग्वासाः चपणः श्रमणश्च जीवको जैनः ।

आर्ज वो मलधारी निर्ग्रन्थः कथ्यते सद्धि' ॥१६०॥'

२- 'रजोहरणधारी च श्वेतवासा. सिताम्बरः ॥१८६॥'

३- 'शाक्याजीविकभिक्षुवृद्धचरका निर्ग्रन्थवन्याशना — वृ० जा०

(१५-१)

और लघुजातकमे हैं तापस'-वृद्धश्रावक, रक्तपट आजीविक भिक्षु, चरक और निर्ग्रन्थ । यहाँ शाक्य और रक्तपट एक हैं तथा वन्याशन और तापस एक हैं । इसलिये वृहज्जातक और लघुजातकके नाम निर्देशमें कोई अन्तर नहीं है ।

लघुजातक (१२-१२) की टीकामे उद्धृत एक श्लोकमे भी प्रब्रज्यायोगके लिये सात प्रकारके साधुओका निर्देश किया है जो इस प्रकार है— वानप्रस्थ, कापाली, वौद्ध, एकदण्डी त्रिदण्डी योगी और नग्न । यहां तापससे वानप्रस्थ, वृद्धश्रावकसे कापालिक, रक्तपटसे वौद्ध, आजीविकसे एकदण्डी, भिक्षुसे त्रिदण्डी, चरकसे योगी और निर्ग्रन्थसे नग्नका ग्रहण किया गया है । और यही अर्थ वराहमिहिरको भी मान्य था । अतः उन्होंने निर्ग्रन्थसे दिग्म्वर जैनोंका ग्रहण किया है न कि आजीविकोसे, उनके वृहत्सहिता नामक ग्रन्थके अवलोकनसे ही यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

वृ० सं० के प्रतिमा प्रतिष्ठापनाध्यायमे वराहमिहिरने बतलाया है कि कौन किस देवताका भक्त है । लिखा है—भागवत विष्णुके

१—'तापस-वृद्ध-श्रावक-रक्तपटाजीवि-भिक्षु-चरकाणा ।

निर्ग्रन्थाना चार्कात् पराजितैः प्रच्युतिर्वलिभिः ॥

—ल०जा० १२-१२ ।

२—'वानप्रस्थोऽथ कापाली, वौद्धः स्वादेकदण्डिनः ।

त्रिदण्डी योगिनो नग्नः प्रब्रज्यार्कादितः क्रमात् ॥

३—'विष्णो भर्गवतान् मगाश्च सवितु शम्भो सभस्मद्विजान्

मातृशामपि मण्डलक्रमविदो विप्रान् विदुर्ब्रह्मणः ।

शाक्यान् सर्वहितस्य शान्तमनसो नग्नान् जिनाना विदुः

ये य देवमुपाश्रिता स्वविधिना तैस्तस्य कार्याः क्रियाः ॥१६॥'

—वृ० सं०, ६०

मग, सूर्यके, भस्माञ्चित द्विज शम्भुके, मातृमण्डलवेत्ता माताश्रोके, शाक्य बुद्धके, और नग्न जिनके उपासक या प्रतिष्ठापक होते हैं। यहाँ नग्न शब्द निर्ग्रन्थोंके लिये ही आया है, आजीविकोंके लिये नहीं आया। क्योंकि यद्यपि गोशालकने अपनेको जिन, कहलाना चाहा था इसलिये यह कहा जा सकता है कि आजीविक भी जिनके उपासक थे, किन्तु प्रथम तो आजीविकोंके विषयमें यह कहीं नहीं लिखा कि वे जिनके उपासक थे। दूसरे आजीविकोंके जिनोकी प्रतिमा बनाकर पूजनेका कोई निर्देश नहीं मिलता, न उनके मन्दिर और मूर्तियाँ ही मिलती हैं।

इसके सिवाय वराहमिहिरने वृ० सं० के प्रतिमालक्षणध्यायमें विष्णु, बलदेव, शाम्ब, प्रद्युम्न, ब्रह्मा, स्कन्द, शम्भु, बुद्ध और जिनकी प्रतिमाका लक्षण बतलाया है। यहाँ उन्होंने जिनका निर्देश 'अर्हतां देव' 'आर्हतोंका देव' रूपसे किया है। लिखा है—अर्हन्त देवकी प्रतिमाके दोनों बाहू जानुपर्यन्त होने चाहिये, उनके वक्षस्थल श्रीवत्ससे अंकित होना चाहिये, मूर्ति प्रशान्त हो, तथा नग्न, तरुण और रूपवान होना चाहिये।

ये सब लक्षण दिगम्बर जैन मूर्तियोमें आज भी पाये जाते हैं। यही सच्चा निर्ग्रन्थ रूप है। अतः निर्ग्रन्थ, नग्न और अर्हन्त शब्दोंका प्रयोग वराहमिहिरने एक ही अर्थमें किया है। वह अर्थ है दिगम्बर जैन। उस समय तक श्वेताम्बरोंमें भी सबस्र मूर्तियोंका

१—आजानु लम्बवाहुः श्रीवत्साङ्क प्रशान्तमूर्तिश्च ।

दिग्वासास्तरुणो रूपवाश्च कार्योऽर्हता देव ॥४५॥

२—मट्टोत्पलने बृहज्जातक (१५-१) की टीकामें जहाँ आजीविकका अर्थ एकदंडो भिक्षु किया है, वहाँ निर्ग्रन्थका अर्थ नग्न क्षणिक किया है। यथा—'निर्ग्रन्थ' नग्नः क्षणिक. प्रावरणरहितः'।

चलन नहीं हुआ था- यह भी वराहमिहिरके उक्त उल्लेख से प्रकट होता है ।

प्रश्न होता है कि जैन सम्प्रदायके लिये प्रसिद्ध प्राचीन निर्ग्रन्थ शब्दके होते हुए भी डा० हार्नलेने वराहमिहिरके द्वारा प्रयुक्त आजीवक शब्दसे ही क्यों दिगम्बर जैनोंका ग्रहण किये जानेकी कल्पना की ? जहाँ तक हम जान सके हैं इसके दो कारण हो सकते हैं प्रथम, डा० हार्नले निर्ग्रन्थोंको सवस्त्र मानते हैं इसलिये उनके अभिप्रायानुसार निर्ग्रन्थोंसे दिगम्बर जैनोंका ग्रहण नहीं हो सकता । दूसरे उनकी मान्यताके अनुसार वराहमिहिरके समयमें आजीविक सम्प्रदाय लुप्त हो गया था, फिर भी उन्होंने आजीविकोंका ग्रहण किया, इससे भी शायद डा० हार्नलेको यह हुआ कि उस समय पाये जाने वाले दिगम्बर जैन साधुओंके लिये ही आजीविक शब्दका प्रयोग किया गया है । प्रथम कारणके सम्बन्ध में हम पहले भी लिख चुके हैं कि महावीर, जो निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के प्रधान थे, नग्न रहते थे और अपने समयमें पाये जाने वाले पार्श्वापत्योको पुनर्दीक्षा देकर ही अपने संघमें सम्मिलित करते थे । उनका वस्त्रपरित्यागका नियम दुलमुल नहीं था । अतः महावीरके निर्ग्रन्थ साधु अवश्य ही नग्न होने चाहियें । फिर वराहमिहिरके समयमें तो दिगम्बर जैन साधुके लिये ही निर्ग्रन्थ शब्दका व्यवहार होता था ।

डा० बुल्लहरने लिखा है कि चीनी यात्री ह्युएन्त्सागके वर्णनसे जो निर्ग्रन्थोंको 'लि-ही' लिखता है प्रकट है कि ईसाकी सातवीं शतीके आरम्भमें भी वे अपने नियमोंके प्रति जागरूक थे । ह्युएन्त्सागने लिखा है—कि लि-ही (निर्ग्रन्थ) अपने शरीरको नग्न रखते

1 The LI-HI (Nirgranthas) distinguish themselves by leaving their bodies naked and pull-

हैं, केशोका लोच करते हैं । उनके शरीरका समस्त चर्म फटा हुआ था उनके पैर कठोर और चपटे हैं जैसाकि नदी किनारेके वृक्ष होते हैं ।

अतः छठी शताब्दीके मध्यके विद्वान् वराहमिहिरने निग्रन्थोंका निर्देश अवश्य ही दिगम्बर जैनोंके लिये किया है । इसलिये प्रथम कारणसे आजीविक शब्दका प्रयोग दिगम्बर जैनोंके अर्थमें प्रयुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

इसके सिवाय ईसाकी सातवीं शतीके आरम्भके विद्वान् कवि बाणभट्टने अपने 'हर्षचरितमें जैनोंके लिये 'आर्हत' शब्दका प्रयोग किया है, जो इस बातको पुष्ट करता है कि वराहमिहिरके समयसे जैन लोग अथवा महावीरके निग्रन्थ सम्प्रदायके अनुयायी तथा भक्त आर्हत (अर्हन्त देवके उपासक) कहे जाने लगे थे क्योंकि वराहमिहिरने 'अर्हतां देवः' के द्वारा जैनोंका निर्देश किया है । तथा बाणने मोरपिच्छ रखनेवालोंको 'क्षपणक' और 'नग्नाटक' कहा है । मोरकी पीछी केवल दिगम्बर जैन साधु ही रखते हैं, और वे नगे ही भ्रमण करते हैं । अतः बाणके द्वारा प्रयुक्त

ing out their hair. Their skin is all cracked,
their feet are hard and chapped, like rotting
trees that one sees near rivers. —ह० से० जै०,

पृ० २, का टि० न० २ ।

२ 'जैनै आर्हनैः पाशुपतै पाराशारिभि'—ह० च० पृ० १३६ ।

३ 'शिक्षित क्षपणकवृत्तय इव मयूरपिच्छचयान् उच्चिन्वन्तः'—ह० च०
पृ० १०४ ।

४ 'अभिमुख मांजगाम शिखिपिच्छलाच्छनो नग्नाटक'—ह० च०,
पृ० ३२७ ।

क्षपणक और नग्नाटक शब्द भी दिगम्बर जैन साधुके लिये ही आया है। वराहमिहिरने भी 'नग्नान् जिनाना' पद्यमें इन्हीं नगे साधुओंका निर्देश किया है। तत्कालीन तथा उत्तरकालीन साहित्य में जैन साधुओंको क्षपणक और नग्नाटक कहे जानेके अन्य भी अभिलेख मिलते हैं। वराहमिहिरसे पूर्वमे हुए दिगम्बर जैनाचार्य समन्तभद्रने एक पद्यमें अपनेको 'नग्नाटक और 'मलमलिनतनु.' कहा है। बाणने भी शिखिपिच्छलाब्धन नग्नाटकको 'उपचित वहलमलप्रटलमलिनिततनुः' बतलाया है, क्योंकि दिगम्बर जैन मुनि नग्न रहनेके साथ ही स्नान भी नहीं करते। अतः उनके शरीरका मलसे मलिन हो जाना स्वाभाविक है।

'ज्योतिर्विदाभरण' ग्रन्थके एक पद्यमे राजा विक्रमादित्यकी एक सभाके नवरत्नोंके नाम गिनाये हैं जिनमें वराहमिहिर आदिके साथ एक क्षपणकको भी गिनाया है किन्तु उस क्षपणकका नाम नहीं लिखा। श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषणने (हिस्ट्री आफ इण्डियन लॉजिक पृ० ५) लिखा है कि जिस क्षपणकको हिन्दू लोग विक्रमादित्यकी सभाको भूषित करने वाले नवरत्नोंमें से एक समझते हैं वह सिद्धसेन जैनाचार्यके सिवाय दूसरा नहीं, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थोंमें भी जैन साधुओंको 'क्षपणक' नामसे अंकित किया है। प्रमाणके लिये विद्याभूषण महाशयने अवदान कल्पलताके दो पद्य भी उद्धृत किये हैं। अतः इसमे सन्देह नहीं है कि जैन साधुको क्षपणक भी कहते थे।

उक्त उल्लेखोंके आधारसे भी यही प्रमाणित होता है कि वराहमिहिरने आजीविकोंका निर्देश दिगम्बर जैनोंके लिये न करके

१ 'धन्वन्तरिः क्षपणकोऽमरसिंह-शकुर्वेताल भद्रघट-खर्परकालिदासा । ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभाया रत्नानि वै वररुचिर्नवविक्रमस्य ॥'

आजीविकोंके लिये ही किया है। आजीविक सम्प्रदायके वर्तमान न रहते हुए भी उसकी प्रब्रज्याका योग बतलानेका कारण यह हो सकता है कि प्राचीन ग्रन्थोंमें योग चर्चित होगा। उसीको वराह-मिहिरने अपने ग्रन्थमें भी निबद्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जातक^१ ग्रन्थोंके प्रारम्भमें यह बात स्वीकार की है कि पूर्व शास्त्रोंको देखकर मैंने अपने ग्रन्थोंको रचा है। वराहमिहिरके पश्चात् भी १३ वीं शती तकके दूसरे साहित्यकारोंके द्वारा आजीविकोंका निर्देश उसी रूपमें किया हुआ देखा जाता है। उदाहरणके लिये दिगम्बर जैन ग्रन्थोंमें ही हम आजीविक सम्प्रदायका निर्देश पाते हैं। वराहमिहिरसे एक शताब्दीके पश्चात् होनेवाले दिगम्बर जैनाचार्य अकलंकने अपने तत्त्वार्थवार्तिकमें (४-२०-१०) तापसो, परिव्राजकोंके साथ आजीविकोंका भी निर्देश किया है और बतलाया है कि परिव्राजक मरकर पाँचवें स्वर्गमें और आजीविक मर कर बारहवें स्वर्ग तक जन्म लेता है उससे ऊपर निर्ग्रन्थ ही जा सकते हैं। दसवीं शतीके जैनाचार्य नेमिचन्द्रने अपने त्रि० सा० (गा० ५४७) में भी उक्त कथन करते हुए आजीविकोंका निर्देश किया है। जैनाचार्य वीरनन्दिके आचारसारमें (११-१२८) उक्त कथनको दोहराते हुए आजीविकोंका निर्देश किया है। (इस तरहसे आजीविकोंका आजीविक रूपमें ही ईसाकी बारहवीं शती तकके दिगम्बर जैन ग्रन्थोंमें उल्लेख मिलता है) अतः आजीविकों और दिगम्बर जैनोंके ऐक्यकी कल्पना भ्रमजन्य है। इस तरहका भ्रम नया नहीं है। डा० वरुआने अपने उक्त लेखमें लिखा है कि कौटिल्यार्थशास्त्रमें बौद्धोंको आजीविक बतलाया है, तथा दिव्याव-

१ 'होराशास्त्र वृत्तैर्मया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राण ।

यत्तस्याप्यार्याभिः सारमह सप्रवक्ष्यामि ॥ २ ॥—ल० जा० ।

दानमे जैनोको आजीविक वतलाया है। इस भ्रमका विश्लेषण करते हुए डा० वरुआने लिखा है कि पुण्ड्रवर्धनमे जैन और आजीविक दोनो सम्प्रदाय साथ साथ रहते थे और दोनोके विचारोमे तथा बाह्य रूपमे इतना कम अन्तर था कि एक बौद्ध दर्शकके लिये दोनोमे भेद कर सकना कठिन था। (ज० डि० ले०, जि० २, पृ० ७५)।

हम डा० वरुआके उक्त विश्लेषणसे सहमत होते हुए भी वह माननेमे असमर्थ हैं कि जैनों और आजीविकोंके विचारोमे भी बहुत कम अन्तर था और इसका स्पष्टीकरण गत विवेचनसे हो जाता है। हाँ बाह्य रूपमें विशेष अन्तर न था और इससे किसी दर्शकको दोनोंके ऐक्यका भ्रम होना स्वाभाविक था। किन्तु दानो सम्प्रदायोके बीचमें साम्प्रदायिक खिंचाव अवश्य था, भगवती और सूत्रकृतांगका गोशालक सम्बन्धी विवरण इसका सूचक है ही, उत्तरकालीन दिगम्बर जैन ग्रन्थोके आजीविक सम्बन्धी उल्लेख भी उसके पोषक हैं।

अतः आजीविको और दिगम्बर जैनोंके ऐक्यकी कल्पनामे कोई सार प्रतीत नहीं होता। नाग्न्य आदिको लेकर भ्रम वश ही किन्हीं लेखकोंने दोनोको एक मान लिया है। जैन आधारोसे तो जैनो और आजीविकोंमें पारस्परिक विरोधका ही आभास मिलता है तथा उसका समर्थन शिलालेखोंसे भी होता है। जिसकी विस्तृत चर्चा डा० बनर्जी शास्त्रीने अपने आजीविक शीपेक लेखमे (ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १२, पृ० ५३) की है। उसका सारांश यहाँ दिया जाता है।

गयाके निकट जो बारअर पहाडियाँ हैं, ईसाकी छठी-सातवीं शतीमें मौखरि अवन्तिवर्माके समयमें प्रवर पहाडियाँ कही जाती

थीं। मध्यकालमें उनका नाम गोरथगिरि भी था, यह बात श्री जैक्सनके द्वारा खोज निकाले गये दो लेखोंसे प्रमाणित हुई है। कलिंग चक्रवर्ती खारवेलके हाथी गुफावाले शिलालेखका पुनः अध्ययन करनेसे यह नाम प्रकाशमें आया है। उस शिलालेखमें लिखा है कि अपने राज्यके आठवें वर्षमें खारवेलने एक बड़ी सेनाके द्वारा गोरथगिरि पर आक्रमण किया। सात गुफाओं मेंसे बारबर पहाड़ीकी दो और नागार्जुन पहाड़ीकी तीन गुफाएँ अशोक तथा उसके उत्तराधिकारी दशरथके द्वारा आजीविकोंके लिये प्रदान की गई थीं। यह बात गुफाओंमें अंकित शिलालेखमें निबद्ध है। किन्तु तीन शिलालेखोंमेंसे 'आजीविक' शब्दको छेनीसे काटकर मिटा दिया गया है, जबकि अन्य किसी शब्दको छुआ नहीं गया है। यह किसने किया—बौद्धोंने जैनोंने या ब्राह्मणोंने।

Hultzsch का मत है कि मौखरि अवन्तिवर्माने यह कार्य किया। किन्तु बनर्जीका कहना है कि यह मत ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम तो ६-७ वीं शतीका अवन्तिवर्मा ईस्वी पूर्व तीसरी शतीकी अशोक ब्राह्मी लिपिसे परिचित था, इसके लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरे, उस समय आजीविक विष्णु और कृष्णके भक्त माने जाते थे। अतः हिन्दू आजीविकोंसे क्यों घृणा करेंगे? यदि उन्हें ऐसा करना ही था तो अशोकका नाम 'देवानाप्रिय' भी मिटाना चाहिये था। अतः हिन्दुओंका यह कार्य नहीं है। बौद्ध लोग अपने ही एक धर्मप्रेमी राजाकी कृतिको बिगाड़नेकी चेष्टा करे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये।

शेष रहते हैं जैन। जैनों और आजीविकोंका पारस्परिक विद्वेष इस निश्चयकी ओर ले जाता है कि यह काम जैनोंका है। निर्णय करनेके लिये केवल एक ही बात रहती है कि यह कार्य किसी भटकते हुए जैनका है अथवा किसी ऐतिहासिक व्यक्तिका

है ? इसका उत्तर हमे हाथी गुफाके शिलालेखसे मिलता है । जिन भगवानका अनुयायी खारवेल अशोक-दशरथके कालके पश्चात् ही अपने राज्यके आठवें वर्षमे गोरथगिरि पर गया था । और एक धार्मिक जैनके रूपमे उमने गोशालकके अनुयायी आजीविकोका नाम वहाँसे मिटानेका प्रयत्न किया था ।

(डा० राधाकुमुद मुकर्जीने उक्त घटनाके सम्बन्धमे शास्त्रीके उक्त मतका समर्थन करते हुए लिखा है—'डा० बनर्जी शास्त्राने एक अधिक निर्णयात्मक कल्पना सामने रखी है । उन्होने उक्त कृत्य जैन राजा खारवेलका बतलाया है क्योंकि उसके सम्प्रदायका आजीविकोके साथ परम्परागन विरोध था । और इस तरह उक्त घटना मंखरिके समयसे, जब कि अशोककालीन ब्राह्मी लिपि प्राय भुला दी गई थी, बहुत पहले घटित प्रमाणित होती है।' (अशोक, पृ० २०६)

पुरातत्त्वके क्षेत्रमे घटित उक्त घटनासे भी आजीविकोके प्रति जैनोके विरोधी दृष्टिकोणका ही समर्थन होता है । अत आजीविको और दिगम्बर जैनोके ऐक्यकी कल्पना या आजीविक सम्प्रदायसे दिगम्बर जैनोकी उत्पत्तिकी कल्पनामे कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता ।

अत. महावीरकी नग्नता विषयक मान्यतामें गोशालकका प्रभाव परिलक्षित नहीं होता ।

नग्नता प्राचीन परम्परासे सम्बद्ध है

प्रकृत विषय 'नग्नता' पर यदि इतिहास और पुरातत्त्वकी दृष्टिसे विचार किया जाये तो भी निर्विच्छताका ही समर्थन होता है ।

आज हिन्दू देवी देवताओकी नग्न मूर्तियाँ नहीं बनाई जातीं और नंगे देवताओको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है, यद्यपि शिव-

लिंगकी पूजा प्रचलित है। किन्तु एक समय हिन्दुओंमें भी नग्न^१ मूर्तियोंका एकदम अभाव नहीं था।

(डा० डी०आर० भण्डारकरके 'Some aspects of ancient Indian culture' से पता चलता है कि वगाल, विहार और उड़ीसामें शिवको नग्न ही अंकित करनेकी परिपाटी रही है चाहे शिवका रूप नटराजका हो, या पार्वती परिणयका हो या अर्धनारीश्वरका हो। वगालके पहाडपुरमें जो शिवकी प्रतिमा है, और उड़ीसाके चौदुर (Chaudwar) में जो उमामहेश्वरकी प्रतिमा है उनमें उर्ध्वलिंग अंकित है। दक्षिणमें तथा भारतके अन्य भागोंमें पाई गई लकुलीशकी मूर्तियाँ भी इसी रूपमें मिलती हैं।

इसी तरह बालकृष्णकी भी नग्न मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इस तरहकी एक पीतलकी मूर्ति बम्बईके संग्रहालयमें है, एक मद्रासके संग्रहालयमें है। वेलूरके एक मन्दिरमें रति-कामकी नग्न मूर्ति पाई जाती है। यक्षियोंकी भी नग्न मूर्तियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न होता है कि नग्न मूर्तियोंकी परम्पराका उद्भव कवसे है और क्यों इस परम्पराका लोप हिन्दुओंमें होगया।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगाकि 'शिव' द्राविण अथवा अनार्य देवता था। उसे आर्योंने पीछेसे अपने देवताओंमें सम्मिलित कर लिया। इस विषयमें हम पहले लिख आये हैं।

अपनी उक्त पुस्तकमें डा० भण्डारकरने कृष्णको भी अनार्य प्रमाणित किया है उसके विस्तारमें हम जाना नहीं चाहते। सिन्धु घाटी सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी। मोहेजोदड़ो और हड़प्पासे प्राप्त सीलों और पाषाणों पर अंकित मूर्तियाँ प्रायः नग्न हैं। वहाँसे प्राप्त

१—भा० इ० पत्रिका, जि० २३, पृ० २१४ आदि।

जिन मूर्तियोंको योगीकी अथवा शिवकी कहा जाता है वे सब नग्न हैं । अतः यह स्पष्ट है कि द्रविड़ सभ्यतामें नग्न मूर्तियोंका प्रचलन था । और नग्न मूर्तियोंकी परम्परा द्रविड़ सभ्यताकी देन है । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि सिन्धुघाटीसे जितनी नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उतनी नग्न मूर्तियाँ सिन्धुघाटी सभ्यताके पश्चात्से लेकर अब तकके कालमें भी प्राप्त नहीं हुई । इससे प्रकट होता है कि आर्योंके आगमनके पश्चात्से नग्न मूर्तियोंमें कमी आनी शुरु हो गई । सम्भवत आर्योंने द्रविड़ देवताओंको अपने देवताओंमें सम्मिलित करनेके साथ ही उन्हें अपने ढंगसे वस्त्र वेष्टित भी करना शुरु कर दिया ।

देवमूर्तियोंकी तरह द्रविड़ यति भी नग्न ही रहते थे । सन्यास आश्रमको स्वीकार करलेनेके पश्चात् आर्योंने उनमें भी वस्त्रका प्रवेश करा दिया । किन्तु नग्न मुनियोंकी, जिन्हें परमहंस कहा गया है, मान्यतामें कमी नहीं आई ।

बुद्धके समकालीन छै विरोधी शास्त्राओंमें से महावीर, गोशालक और पूरणकाश्यप नग्न रहते थे, यह सिद्ध है । बुद्धने भी अचेलक तपस्वीका मार्ग अंगीकार किया था । पीछे उसे छोड़ दिया । प्रारम्भमें बुद्धने भी अपने भिक्षुओंको वस्त्रके विषयमें उतनी सहूलियते नहीं दी थी । अट्टकथामें लिखा है कि भगवानके बुद्धत्व प्राप्तिसे बीस वर्ष तक किसी भिक्षुने गृहपति चीवर (गृहस्थके द्वारा दिया गया वस्त्र) धारण नहीं किया । सब पासुकूलिक ही रहे (विनय पि०, पृ० २७३) । जीवक कौमार भृत्यकी प्रार्थना पर ही उन्होंने गृहपति चीवर तथा कम्बलकी अनुज्ञा दी थी । इस अनुज्ञाके पश्चात्से ही भिक्षु संघमें चीवरोंकी वाढ़ आ गई और चीवरोंके

संग्रह, भण्डार, वटवारा, रंगाई, धुलाई आदिके लिये व्यवस्थापक नियुक्त करने पड़े । बौद्ध भिक्षुओंकी इस प्रकारकी प्रवृत्तियोंका भी प्रभाव मगधवासी सुखशील जैन साधुओं पर अवश्य पडा ।

जैन मूर्तिकलासे भी नग्नताका ही समर्थन होता है । एक भी प्राचीन जैन मूर्ति ऐसी नहीं मिली है जो सबस्र हो अथवा जिसके गुह्य प्रदेशमें वस्त्रका चिन्ह अंकित हो । मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त सभी मूर्तियाँ नग्न हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री वीसेण्ट स्मिथने 'दी जैन स्तूप एण्ड अदर एन्टीक्यूटीस आफ मथुरा' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी । (उसमें बहुत सी जिन प्रतिमाओंके चित्र भी दिये हैं, जिनमें कुछ प्रतिमाएँ बैठी हुई हैं और कुछ खड़ी हुई हैं । बैठी हुई मूर्तियों पर वस्त्रका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता । परन्तु खड़ी मूर्तियाँ स्पष्ट रूपसे नग्न हैं, और उनपर अंकित लेखोंमें जो गण गच्छ आदि दिये हुए हैं वे श्वेताम्बर ग्रन्थ कल्प-सूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार दिये हुए हैं । उनसे भी पूर्वकी मौर्य-कालीन जो जैन मूर्ति पटनाके संग्रहालयमें सुरक्षित है, वह भी नग्न है । यह मूर्ति हडप्पासे प्राप्त एक मूर्तिकी हवह प्रतिकृति है । हडप्पासे प्राप्त मूर्ति अकृत्रिम यथा ज्ञात नग्न मुद्रा वाले एक सुदृढ़ युवा की मूर्ति है । भारत सरकारके पुरातत्त्व विभागके संयुक्त निदेशक श्री टी० एन्० रामचन्द्रनका इसके विषयमें कहना है कि 'हडप्पाकी मूर्तिकाके उपरोक्त गुण विशिष्ट मुद्रामें होनेके कारण यदि हम उसे जैन तीर्थङ्कर अथवा ख्यातिप्राप्त तपोयुक्त जैन सन्त की प्रतिमा कहें तो इसमें कुछ भी असत्य न होगा' ।

अतः जैन मूर्तिकलाकी दृष्टिसे भी जैन परम्परामें नग्नताका ही प्रचलन प्रकट होता है । यदि जैन धर्म वैदिक धर्मसे प्राचीन

सिन्धुघाटी सभ्यतासे सम्बद्ध है तो वह अवश्य ही नग्नताका उपासक होना चाहिये ।

संघ भेदका काल

संघ भेदके कारण वस्त्रकी समस्या पर विस्तारसे प्रकाश डालने के पश्चात् हम पुनः संघ भेदके कालकी ओर आते हैं ।

(श्रीमती स्टिवेन्सनने (हा० जै०, पृ० ७६) लिखा है—‘संभावना यह है कि जैन समाजमें सदासे दो पक्ष रहे हैं— एक वृद्धों और कमजोरोंका, जो पार्श्वनाथके समयसे वस्त्र धारण करते आते हैं और जिसे स्थविरकल्प कहते हैं । यह स्थविरकल्पी पक्ष श्वेताम्बर सम्प्रदायका पूर्वज है और दूसरा पक्ष जिनकल्प है, जो नियमोंका अक्षरशः पालन करता था, जैसाकि महावीरने किया था, यह पक्ष दिगम्बरोंका अग्रज है।’)

श्रीमतीजीकी इस संभावनामें हमें भी सत्यांश प्रतीत होता है क्योंकि उत्सर्ग अपवाद सापेक्ष्य होता है । अतः उत्सर्ग मार्गमें वृद्ध और कमजोरोंके लिये कुछ अपवादोंकी छूट होना संभव है । किन्तु जैसा उत्सर्ग अपवाद सापेक्ष्य होता है वैसे ही अपवाद भी उत्सर्ग सापेक्ष्य होता है । परन्तु यदि अपवादको ही उत्सर्ग मान लिया जाये और उत्सर्गकी सर्वथा उपेक्षा कर दी जाये तो उत्सर्ग और अपवाद मार्गियोंमें अलगाव होजाना ही अधिक संभव है । और यही संभावना जैनसंघके भेदके मूलमें जान पड़ती है ।

श्वेताम्बर साहित्यके आधारसे यह बतला आये हैं कि भगवान् महावीरके समयमें जो पार्श्वनाथकी परम्पराके साधु थे वे प्रायः शिथिलाचारी हो गये थे और उनमेंसे अनेकोने महावीरके सन्मुख चतुर्याम धर्मसे पञ्च महाव्रत रूप धर्मको अंगीकार किया

संशय होना स्वाभाविक है कि क्या जम्बू स्वामीके पश्चात् ही कोई ऐसा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके कारणसे दोनों परम्पराके आचार्योंकी नामावलीमें अन्तर पड गया ? दिगम्बर साहित्य तथा पट्टावलियोंके अनुसार जम्बू स्वामीके पश्चात् क्रमशः विष्णु, नन्दि-मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रवाहु ये पाच श्रुतकेवली हुए और श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार प्रभव, शय्यभव, यशोभद्र संभूति विजय और भद्रवाहु ये पाच चतुर्दशपूर्वी हुए । संभूति विजय और भद्रवाहु ये दोनों यशोभद्रके शिष्य थे । इनमेंसे संभूति-विजयके शिष्य स्थूल भद्र हुए और उनसे श्वेताम्बरोंकी गुर्वावलि चली ।

यह हम पहले लिख आये हैं कि श्वेताम्बर साहित्यमें जम्बू स्वामीके पश्चात् जिन दस वातोंका विच्छेद बतलाया गया है उनमें एक जिनकल्प भी है । विशेषावश्यकमें उस उल्लेखको भाष्यकार जिनभद्रने जिनवचन बतलाया है ।

वि० भा० में यह चर्चा शिवभृतिकी कथाके प्रकरणमें आई है । जब शिवभूति जिनवर द्वारा निर्दिष्ट होनेसे जिन कल्प धारण करनेके लिये उद्यत ही हो गया और किसी भी तरह नहीं माना

१—‘उत्तम धिइसंघयणा पुन्न विदोऽतिसइणो सया कालं ।

जिणकप्पिया वि कप्प कयपरिकम्मा पवज्जति ॥२५६१॥

तं जइ जियवयणाओ पवज्जसि, पवज्ज तो स छिन्नोत्ति ।

अत्थित्ति कह पमाणं कह बुच्छिन्नोत्ति न पमाण ॥२५६२॥

मणपरमोहि पुलाए ओहारग खवग-उवसमे कप्पे ।

सजमतिय-केवलि सिज्झणाय जवुम्मि बुच्छिणा ॥२५६३॥

तब उससे कहा गया कि यदि जिनवरका वचन होनेसे तुम जिनकल्पको अंगीकार करते हो तो यह भी अंगीकार करो कि जम्बू स्वामीके पश्चात् जिनकल्पका विच्छेद हो गया क्योंकि जिनवरने ऐसा कहा है ?

श्वेताम्बरीय आगमोके विद्वान पं० वेचरदास जीने जिनकल्पके विच्छेदकी उक्त घोषणाके विषयमे लिखा था—यह बात मैं विचारक पाठकोंसे पूछता हूँ कि जम्बू स्वामीके बाद कौन सा २५वां तीर्थङ्कर हुआ कि जिसका वचन रूप यह उल्लेख माना जाये ? इस उल्लेखका एक ही उद्देश्य हो सकता है—जम्बू स्वामीके बाद जिनकल्पका लोप बतलाकर जिनकल्पके आचरणको बन्द कराना और जो उस ओर प्रवर्तित हों, उन्हें उस प्रकारका आचरण करनेसे रोकना । पं० वेचरदास जीके मतानुसार इसीमें श्वेताम्बरत्व और दिगम्बरत्वके विषवृत्तकी जड़ समाई हुई है, तथा इसके बीजारोपणका समय भी वही है जो जम्बू स्वामीके निर्वाणका समय है (जै० सा० वि०, पृ० १०२-१०५) ।

जिनकल्पका विच्छेदवाला उल्लेख कबका है और किसने इसे रचा है इसका निर्णय करना तो शक्य नहीं है फिर भी इसे देवद्विगणिके समयका माना जा सकता है । (यह भी संभव है कि इस प्रकारका आशय पहलेसे चला आता हो और इसीसे सूत्र ग्रन्थोंमें भी इसे देवर्णिगणिने समाविष्ट कर दिया हो ऐसा पं० वेचरदास जीका कथन है) जो कुछ हो, पर उक्त बातोंसे यह स्पष्ट है कि जम्बू स्वामीके बादसे ही सुखशील शिथिलाचारी पत्तने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया था और भद्रबाहुके समयमें बारह वर्षके भयंकर दुर्भिक्षके थपेड़ोंने तथा श्रुतकेवली भद्रबाहुकी दक्षिण यात्राने उसे उठकर बैठनेका अवसर दिया । तथा बौद्ध साधुओंके

मगधमें बढ़ते हुए प्रभावने' और उनके आचार विचारने उसे खडा कर दिया । और इस तरह भद्रबाहुके कालमें ही संघभेदका बीज बोया गया ।

भद्रबाहुके समयमें जैनसंघमें विवाद होनेकी चर्चा श्वेताम्बर परम्परामें भी मिलती है । और जैनसंघका वह विवाद श्रुतकेवलि भद्रबाहुके कारण उन्हींसे हुआ था । परि० प०, सर्ग ९ श्लोक ५५-७६ में लिखा है कि—'भयकर दुभिक्ष पडने पर साधु सघ निर्वाहके लिये समुद्रके तटकी ओर चला गया । इस कालमें अनभ्यासवश साधुओंके हृदयमें स्थित श्रुत विस्मृत हो गया । दुष्कालका अन्त होने पर पाटलीपुत्रमें संघ सम्मिलित हुआ और जिसको जिस अंगका जो अध्ययन या उद्देश स्मृत था वह सकलित किया गया । इस तरहसे श्री संघने ग्यारह अंगोंका सकलन किया और दृष्टिवादके लिये विचार करने लगा । उसे ज्ञात हुआ

१ 'महावीर निर्वाणके बाद जम्बू स्वामी तकके समयमें बुद्धदेवके मध्यम मार्गने काफी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी और सम्राट अशोकके समयमें तो वह प्रायः सर्वव्यापी हो चुका था । उस समय चारों ओर बौद्धमठ स्थापित किये गये । बौद्ध श्रमण लंका आदि देशोंमें प्रचारार्थ गये । इस मध्यममार्गकी प्रवृत्ति जितनी लोकोपयोगी थी, उतनी ही भिक्षुओंके लिये सरल और सुखद थी । श्री वर्धमान स्वामीके कठिन त्यागमार्गसे खिन्न हुए जैन साधुओं पर बौद्धोंके इस सरल और लोकोपयोगी मध्यममार्गका असर होना सहज बात है । जम्बू स्वामीके पश्चात् जिनकल्प विच्छिन्न होनेके कथनका अभिप्राय यह हो सकता है कि पूर्वके कठोर मार्गमें नरमाई आई और धीरे धीरे वनवासीसे चैत्यवासी बन गये । देखो—जै० सा० वि०, पृ० १८२-१८६ । जै० सा० इ० (गु०) पृ० ६४ ।

जैन साहित्य के विकास (पं वेचोपदायक जोश)

कि चतुर्दशपूर्वीं भद्रबाहु नेपालदेशके मार्गमें विराजमान हैं । सघने उन्हे लिवा लानेके लिये दो मुनियोंको भेजा । मुनियोंने जाकर निवेदन किया कि संघने आपको पाटलीपुत्र आनेका आदेश दिया है । भद्रबाहुने कहा—मैंने महाप्राण नामक ध्यानको आरम्भ किया है वह बारह वर्षोंमें समाप्त होगा । उसके पश्चात् ही मैं आऊँगा । मुनियोंने जाकर संघसे सब वृत्तांत कहा । तब संघने दूसरे दो मुनियोंको बुलाकर आदेश दिया—तुम जाकर आचार्य भद्रबाहुसे कहना कि जो श्री संघका शासन नहीं मानता उसे क्या दण्ड देना चाहिये । जब वे कहें कि उसे संघसे बहिष्कृत कर देना चाहिये तो आचार्यसे जोर देकर कहना कि तुम इसी दण्डके योग्य हो' । मुनियोंने जाकर भद्रबाहुसे उक्त बात कही और उन्होंने वही उत्तर दिया । पीछे भद्रबाहुने कुछ मुनियोंको अपने पास भेजने पर उन्हें वाचना देना स्वीकार किया । सघने पाँच सौ साधुओंको उनके पास भेजा, जिनमेंसे केवल एक स्थूलभद्र ही वहाँ रुके, शेष सब उद्विग्न होकर चले आये । महाप्राण ध्यान पूरा होने तक स्थूलभद्रने कुछ कम दस पूर्वोका अध्ययन समाप्त किया । इसके पश्चात् भद्रबाहु पाटलीपुत्र लौट आये । स्थूलभद्रसे कुछ गल्ती हो गई जिसके कारण फिर उन्होंने शेष पूर्वोका ज्ञान स्थूलभद्रको नहीं दिया और पूर्वज्ञान किसी अन्यको देनेसे भी मना कर दिया ।

((तित्थोगाली पइन्नय (गा० ७३०-७३३) में लिखा है कि भद्रबाहुके उत्तरसे नाराज होकर स्थविरोंने कहा—संघकी प्रार्थना का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा, इसका विचार करो । भद्रबाहुने उत्तर दिया—मैं जानता हूँ कि संघ इस प्रकारके वचन बोलनेवालेका बहिष्कार कर सकता है । तब स्थविर बोले—तुम

संघकी प्रार्थनाका अनादर करते हो ' ' इसलिये श्रमण संघ तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार बन्द करता है" ।

उक्त उल्लेखोंसे जहाँ एक ओर संघके साथ भद्रबाहुकी खींचतान होने पर प्रकाश पड़ता है वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पाटलीपुत्रकी वाचनामें भद्रबाहु उपस्थित नहीं थे । इसपरसे डा० जेकोवीने लिखा था कि पाटलीपुत्र नगरमें जैनसंघने जो अंग सकलित किये थे वे केवल श्वेताम्बर सम्प्रदायके ही थे, समस्त जैन संघके नहीं थे, क्योंकि उस जैन संघमें भद्रबाहु सम्मिलित नहीं थे) (से० बु० ई०, जि० २२, की प्रस्ता० पृ० ४३) ।

हमारा विचार है कि भद्रबाहुकी अनुपस्थितिमें की गई प्रथम वाचनाने संघभेदकी नींवमें रोडा डालनेका काम किया और वल्भीमें किये गये अंगोंके लेखन कार्यने संघभेदकी दीवारको स्थायी कर दिया । (संभवतया इसीसे दिगम्बर कथामें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति वल्भी नगरीमें हुई बतलाई है । अतः विवादको बढ़ाने में अंगसकलनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान होना संभव है, क्योंकि जब तक किसी नई प्रवृत्तिके पीछे शास्त्रबल नहीं रहता, तब तक उस नवीन प्रवृत्तिको एक तो बल नहीं मिलता, दूसरे अपर पक्ष भी उसे परम्परा विरुद्ध मानकर उधरसे 'किनाराकशी' करके बैठ जाता है । किन्तु जब उस नवीन प्रवृत्तिको शास्त्रोंके द्वारा भी पोषा जाता है तो विवादका उग्ररूप धारण कर लेना स्वाभाविक है । और ऐसे शास्त्रोंके मूर्तरूप धारण कर लेने पर तो विवादका स्थायी न होना ही आश्चर्य कारक है) ।

अतः दिगम्बर कथाओंमें जो भद्रबाहुके समयमें संघभेदकी उत्पत्ति और वल्भीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है, उसके मूलमें अन्य बातोंके साथ अंगोंकी संकलना भी अवश्य

प्रतीत होती है। (यद्यपि दिगम्बर साहित्यमें पाटलीपुत्र या वलभीमें होने वाली किसी भी परिषद् का संकेत तक भी नहीं है, तथापि वलभीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलानेसे यह स्पष्ट है कि वलभीमे हुई वाचनामें जो सकलित आगम ग्रन्थोंको पुस्तकारूढ़ किया गया उससे श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद स्थायी होगया। वलभी वाचनाका समय वीर निर्वाण सं० ६८० और वाचनान्तरसे ६६३ है जो वि० सं० ५१० और ५२३ होता है)

किन्तु दोनों सम्प्रदायोमे दिगम्बर श्वेताम्बर भेदका काल वि० सं० १३६-१३४ बतलाया है। और उक्त वलभी वाचना उससे लगभग पौने चार सौ वर्ष बाद हुई। तथा श्वेताम्बर कथाका कोई भी ऐतिहासिक आधार न होनेसे तदनुसार विक्रमकी द्वितीय शताब्दीमें दिगम्बरोकी उत्पत्ति होनेके भी किन्हीं चिन्होंका पता लगना शक्य नहीं है।

मथुराके ककाली टीलेसे प्राप्त जैन अवशेष कनिष्क, और ह्विष्क और वासुदेवके समयके हैं जिनका समय ईसाकी प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी माना जाता है। (वहाँसे प्राप्त शिलालेखोंके सम्बन्धमें डा० बुलहरने लिखा है कि—'शिलालेखोंमे जो आचार्यों और उनके गण-गच्छोंका उल्लेख मिला है वह जैनोके इतिहासके लिये कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। शिलालेखोंका कल्पसूत्रके साथ मेल खाजाना एक तो यह प्रमाणित करता है कि मथुराके जैन

१—'वायणतरे पुण अयं तेणउए सवच्छरे काले गच्छइ इइ दीसईः—
कल्पसूत्र ।

२—छत्तीसे वरिस सए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरङ्के वलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥११॥ —दर्शनसार

श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे और दूसरे जिस संघभेदने जैन सम्प्रदाय को परस्पर विरोधी दो सम्प्रदायोंमें विभाजित कर दिया वह ईस्वी सन्के प्रारम्भ होनेसे बहुत पहले हो चुका था ।' (इ० से० जै०, पृ० ४४)

इसका मतलब तो यही होता है कि श्रुतकेवली भद्रवाहुके समयमे ही संघभेद हुआ, जैसाकि दिगम्बर कथाओंमे बतलाया गया है । क्योंकि ईस्वी सन्के प्रारम्भसे बहुत पहले तो वही समय ऐसा आता है । ऐसी स्थितिमें देवसेनने अपने दर्शनसारमे जो वि० सं० १३६मे वलभी नगरीमे श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति होनेका निर्देश किया है उसका क्या आधार है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समयमें वलभीमें कोई ऐसी घटना होनेका संकेत तक भी नहीं मिलता । (वलभी वाचनासे लगभग डेढ़सौ वर्ष पूर्व वि० सं० ३५७-३७०के मध्यमें तो मथुरामें वाचना होनेका निर्देश श्वेताम्बर साहित्यमें पाया जाता है । मथुराके पश्चात् ही श्वेताम्बर सम्प्रदायका जोर सौराष्ट्रमें हुआ था । जैसाकि हमने पहले भी लिखा है 'वृहत्कथाकोश और दर्शनसारकी रचनाके समय वलभीके सम्मेलनको हुए केवल चार पाच शताकियाँ ही बीती थीं, तथा उसीमें अन्तिम रूपसे निर्णीत होकर श्वेताम्बरीय जैन आगम पुस्तक रूप धारण करके सर्वत्र प्रसारित हुए थे । शायद इसीसे वलभीमें श्वेताम्बर संघके उत्पत्ति होनेका निर्देश दिगम्बर कथाओंमे किया है) । किन्तु वि० सं० १३६ या १३६में जो संघभेदका उल्लेख मिलता है, उसके लिये और भी अन्वेषणकी आवश्यकता है ।

संघभेदका प्रभाव और विकास

दिगम्बर और श्वेताम्बरके रूपमें प्रकट हुए संघभेदका प्रभाव यदि किसी पर विशेष रूपसे पड़ा अथवा संघभेदके कारण यदि

किसीकी गम्भीर-क्षति पहुँची तो वह प्राचीन जैन साहित्य है, जिसे जैन परम्परामें अङ्ग या आगम कहते हैं। दोनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें अङ्गोंके विस्तारका जो महत् परिमाण दिया है, उसे पढ़कर सखेद आश्चर्य होता है। यदि उसका शताश भाग भी शेष रहता तो आज जैन साहित्य सर्वोपरि होता और उसके द्वारा न जाने कितने ऐतिहास्य और तथ्य प्रकाशमें आते। उसके साथ ही जैन परम्पराका बहुत सा इतिहास, यहाँ तक कि भगवान महावीर का बहुत सा जीवन वृत्तान्त भी लुप्त हो गया और उसमें भी सम्प्रदायगत मतभेद उत्पन्न हो गये।

अतः अखण्ड जैन परम्पराके अन्तिम गुरु और भगवान महावीरके द्वारा उपदिष्ट सम्पूर्ण द्वादशाङ्गके अन्तिम उत्तराधिकारी श्रुतकेवली भद्रबाहुके अवसानके साथ ही साथ एक तरहसे जैन श्रुत परम्पराका ही अवसान हो गया। और दिगम्बर परम्पराका तो एकमात्र धनी-धरोहरी ही जाता रहा। (इसीसे उनके अभावमें पाटलीपुत्रमें जो प्रथम आगमवाचना हुई कही जाती है, उसे सम्पूर्ण जैन परम्पराका समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। और भद्रबाहुके पश्चात् दिगम्बर तथा श्वेताम्बर परम्पराकी गुर्वावलियाँ सर्वथा भिन्न हो गईं। और इस तरह दोनोंका साहित्य भी जुदा जुदा हो गया।)

किसी भी धर्मके मूल आधार तीन होते हैं—देव, शास्त्र और गुरु। इन तीनोंके भेदसे सम्प्रदायगत अथवा धर्मगत भेदकी निष्पत्ति होती है। अर्थात् जिस धर्म या सम्प्रदायके ये तीनों आधार भिन्न होते हैं वह एक पृथक् धर्म अथवा सम्प्रदाय होता है। जैन परम्परामें प्रारम्भिक मतभेद वस्त्रको लेकर उत्पन्न हुआ। नग्न गुरुओंका उपासक सम्प्रदाय दिगम्बर कहलाया और सबस्त्र गुरुओंका उपासक सम्प्रदाय श्वेताम्बर कहलाया। अतः दोनों

सम्प्रदायोंके गुरु भिन्न भिन्न हो गये । दिगम्बर सम्प्रदायने सवख गुरुओंको मान्य नहीं किया तो श्वेताम्बर सम्प्रदायने नग्न गुरुओंको मानना छोड़ दिया । दिगम्बर आचार्योंने यह घ.पणा^१ की कि सवस्त्र साधुको मुक्ति लाभ नहीं हो सकता तो श्वेताम्बर^२ आचार्योंने कहा कि वस्त्र धारण किये बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । इस तरह दोनोंके गुरु भिन्न भिन्न हो गये ।

शास्त्रभेद तो श्वेताम्बरीय वाचनाओंके एकपत्नीय होनेसे ही स्पष्ट है । किन्तु गुरुभेद पूर्वक ही शास्त्र भेद हुआ प्रतीत होता है । क्योंकि जब गुरु भिन्न हो गये तो जिस गुरुको नहीं मानते उसके वचनोंको मान्य कैसे किया जा सकता है ।

किन्तु गुरु और शास्त्रभेद होने पर भी दोनों बहुत समय तक एक ही प्रकारकी मूर्तिकी उपासना करते रहे । और इस तरह दोनोंके आराध्य चौबीस तीर्थङ्करोंकी मूर्तियाँ अभिन्न रही । किन्तु वस्त्रवादके बढ़ते हुए पोषणने अन्तमें मूर्तियोंको भी अपना शिकार बनाकर ही छोड़ा । और इस तरह गुरु और शास्त्रके साथ देवमूर्तियाँ भी भिन्न हो गईं ।

इस प्रकार सघभेदकी तीनों सीढ़ियाँ क्रमशः स्थापित हुईं । भद्रबाहु श्रुतकेवलीके पञ्चात्से गुरु भेद स्थायी रूपसे स्थापित हो गया । एकपत्नीय आगमवाचनासे प्रारम्भ हुआ शास्त्रभेद वलभी-से आगमोंकी संकलना और पुस्तकारूढ़ताके साथ स्थायी हो

१—‘एण वि सिज्झई वत्थघरो जिणसासणे जइवि होइ तित्थयरो ।

एणगो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥२३॥—सूत्र प्रा० ।

२—जै० सा० वि०, पृ० ५६ ।

गया । तथा देवमूर्तियोंमें पहले वस्त्रका और फिर अँग रचनाका समावेश करके देवको भी पृथक् कर दिया गया और इस तरह संघभेदका चिरस्थायी कर दिया गया ।

फिर भी यह सन्तोषकी बात है कि बौद्ध धर्मके अन्तर्गत सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक भेदोंकी तरह जैन धर्मके अन्तर्गत तात्विक भेदोंके आधार पर दार्शनिक सम्प्रदायोंकी सृष्टि नहीं हुई । और समन्तभद्र सिद्धसेन और अकलंक जैसे दार्शनिकोंने समान भावसे अपनाया । यह कम प्रसन्नताकी बात नहीं है ।

श्रुतकेवली भद्रबाहु पर्यन्त अखण्ड जिन शासनकी वैजयन्ती फहराती रही । उसके पश्चात् जिन शासन विभक्त हुआ और जैन साहित्यकी सुरक्षा तथा निर्माणकी चिन्ताने श्रुतधरों श्रुत प्रेमियोंको आन्दोलित किया ।

उसके फलस्वरूप जो कुछ किया गया उसीका वर्णन आगे किया जाता है ।



४ श्रुतावतार

भगवान महावीरके उपदेशोंको सुनकर उनके गणधरोने जो ग्रन्थ रचे हैं उन्हें 'श्रुत' कहते हैं। 'श्रुत' का अर्थ है—'सुना हुआ'। अर्थात् जो गुरु मुखसे सुना गया हो वह श्रुत है। भगवान महावीरके उपदेशोंको उनके मुखसे उनके गणधरोने श्रवण किया और उनके गणधरोसे उनके शिष्योंने और उन शिष्योंसे उनके प्रशिष्योंने श्रवण किया। इस तरह श्रवण द्वारा प्रवर्तित होनेके कारण ही उसे श्रुत कहा जाता है। श्रुतकी यह परम्परा बहुत समय तक इसी तरह श्रुति द्वारा प्रवर्तित होती रही। सम्पूर्ण श्रुतके अन्तिम उत्तराधिकारी श्रुतकेवली भद्रवाहु थे। उनके समयमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पडा और संघभेदका सूत्रपात हा गया।

आगम संकलना

श्वेताम्बरीय मान्यताके अनुसार दुर्भिक्षका अवसान होने पर पाटलीपुत्रमें एक साधु सम्मेलन हुआ और उसमें जिन जिन श्रुतधरोंको जो जो श्रुत स्मृत था उसका संकलन किया गया। इसे पाटलीपुत्री^२ वाचना कहते हैं।

१—'निरावरणज्ञाना केवालिन'। तदुपदिष्टं 'बुद्धयतिशयद्वियुक्त-गणधरानुस्मृत ग्रन्थरचन श्रुत भवति।'—सर्वार्थ०, अ० ६, सूत्र १३।

'गुरुसमीपे श्रूयते इति श्रुतम्'—अनु०।

२—पाटलीपुत्री वाचनाका वर्णन तित्थोगाली पहचानमें, हेमचन्द्रकृत परिशिष्ट पर्वके नौवें सर्गमें तथा स्थूलभद्रकी कथाओंमें मिलता है।

मगधमें मौर्य साम्राज्यके पतन और शुंगवंशी पुष्यमित्रके उदयके पश्चात् जैन धर्मका वहां से स्थानान्तर होना स्वाभाविक था। मगधसे हटनेके पश्चात् जैनधर्मका केन्द्र मथुरा बना। कुशानवशी राजाओंके समयमें वहां जैनधर्मका अच्छा स्थान था। वीर निर्वाण सम्वत् ८२७ और ८४० के मध्यमें मथुरामें एक वाचना होनेका उल्लेख मिलता है। इसके प्रमुख स्कन्दिल सूरि थे। ज्ञात होता है कि स्कन्दिल सूरिके पश्चात् मथुरासे भाजैन संस्कृतिका प्राधान्य उठ गया। इसीसे तीसरी वाचना सुदूर बलभी नगरीमें की गई।

यह वाचना पाटलीपुत्री वाचनासे आठ सौ वर्षोंके पश्चात् देवद्वि गणिकी प्रमुखतामें हुई थी। उस समय भी बारह वर्षका भयकर दुर्भिक्ष पड़ा था, जिससे बहुत सा श्रुत नष्ट तथा विच्छिन्न हो गया था। इस वाचनाकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहलेकी वाचनाओंकी तरह इसमें केवल वाचना नहीं हुई, किन्तु उसके द्वारा सकलित और व्यवस्थित सिद्धांतोंको पुस्तकारूढ़ करके उन्हें स्थायित्व प्रदान किया गया और इस तरह एक हजार

देखो—धर्मघोष कृत ऋषिमण्डल प्रकरण पर पद्म मुन्दिर रचित वृत्तमें, शुभशील कृत भरतेश्वर बाहुबलिकी वृत्तिमें, हरिमद्र कृत उपदेशपदकी मुनिचन्द्र सूरि रचित वृत्तिमें स्थूलभद्र कथा तथा जयानन्द सूरिकृत स्थूल भद्र चरित्र तथा आवश्यक कथा।

१—'वारस सबच्छरिए महते दुर्भिक्षके काले भक्तडा अरण्यगतो हिंडियाण गहण-गुणणगुण्पेहाभावाओं विप्पण्ठे सुत्ते, पुणो सुभिक्षके काले जाए महुराए महते साधुसमुदए खदिलायरियप्पमुःसवेण जो अ समरइत्ति इव सघडियं कालियसुय। जम्हा एव महुराए कय तम्हा माहुरी वायणा भण्णइ।' —जिनदासमहत्तर कृत नन्दि चूणि।

वर्षसे जो सिद्धान्त स्मृतिके आधारपर प्रवाहित होते आते थे, उन्हें मूर्त रूप मिल गया। जायद डर्मीसे बलभीका नाम द्विगम्बर सम्प्रदायमें भी स्मृत रहा क्योंकि हरिपेण कथाकोश वगैरहमें बलभीमें ही श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है। सिद्धान्तोंके पुस्तकारूढ़ हो जानेके पश्चात् फिर कोई वाचना नहीं हुई क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। वर्तमान श्रे० जैन आगम उसी वाचना की उपज हैं।

समय सुन्दर गणिते अपने समाचारी शतकमें देवद्वि गणिके उक्त सत्प्रयत्नका वर्णन इस प्रकार किया है—‘श्री देवद्वि गणि क्षमा श्रमणेन, द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षके कारण बहुतसे साधुओंका मरण तथा अनेक बहुश्रुतोंका विच्छेद हो जानेपर श्रुतभक्तिसे प्रेरित होकर भावि जनताके उपकारके लिए वीर निर्वाण सम्बन्ध ६८० में श्री संघके आप्रहसे बचे हुए सब साधुओंको बलभी नगरी में बुलाया। और उनके मुखसे विच्छिन्न होनेसे अवशिष्ट रहे कसती बढ़ती, त्रुटित, अत्रुटित आगम पाठोंको अपनी बुद्धिसे क्रमानुसार संकलित करके पुस्तकारूढ़ किया। इस तरह यद्यपि मूलमें सूत्र गणधरोंके द्वारा गूँथे गये थे, तथापि देवद्वि के द्वारा पुनः सकलित

१—“श्रीदेवद्विगणिक्षमाश्रमणेन श्रीवीराद् अशीत्यधिकनव-
शतकवर्षे जातेन द्वादशवर्षीयदुर्भिक्षवशात् बहुतरमाधुव्यापत्तौ च
जाताया भविष्यद् भव्यलोकोपकाराय श्रुतभक्तये च श्रीसधा-
ग्रहात् मृतावशिष्टतदाकालीनसर्वसाधून् बलन्नामाकार्यं तन्मुखाद्
विच्छिन्नावशिष्टान् न्यूनाधिकान् त्रुटिताऽत्रुटितान् आगमालापकान्
अनुक्रमेण स्वमत्या सकलय्य पुस्तकारूढा कृताः । ततो मूलतो गणधर-
भावितानामपि तत्सकलनानन्तर सर्वेषामपि आगमाना कर्ता श्रीदेवद्वि
गणिक्षमाश्रमण एव जातः ।”

किये जानेसे देवद्वि गणि क्षमाश्रमण ही सब आगमोंके कर्ता हुए ।'

(गणिजीका उक्त कथन वर्तमान जैन आगमोंके विषयमे वास्तविक स्थित हमारे सामने रखता है। यथार्थमे एक हजार वर्ष तक जो सिद्धान्त स्मृतिके आधारपर प्रवाहित होते आए हों, उनकी संकलना और सुव्यवस्थामे इस प्रकारकी कठिनाइयोंका होना स्वाभाविक है। आज भी जीर्ण शीर्ण प्राचीन प्रतिके आधारपर किसी ग्रन्थका उद्धार करनेवालोंके सामने इसी प्रकार की कठिनाइया आती हैं। प्राचीन शिलालेखोंका सम्पादन करने वाले अस्पष्ट और मिट गये शब्दोंकी सकलना पूर्वापर सन्दर्भके अनुसार करते देखे जाते हैं। अतः देवद्विने भी त्रुटित आदि पाठोंको अपनी बुद्धिके अनुसार सकलित करके पुस्तकारूढ़ किया होगा। इसपरसे यदि उन्हें समस्त आगमोंका कर्ता न भी कहा जाये तो भी आज जो आगम उपलब्ध हैं, उनको यह रूप देनेका श्रेय तो उन्हें ही प्राप्य है।

किन्तु मुनि श्री कल्याण विजयजी देवद्विगणिको यह श्रेय देनेके लिये तैयार नहीं हैं, वह उन्हें केवल लेखकके रूपमें देखते हैं। अपने 'वीर निर्वाण मन्वत् और जैन काल गणना' शीर्षक विद्वत्तापूर्ण निबन्धमें मुनिजीने इस विषयपर विस्तारसे लिखा है।)

देवद्विंके कार्यके सम्बन्ध में नया मत

मलयगिरि ने ज्योतिष्करण्डकी टीका (पृ० ४१) में और

१—'दुर्मित्तातिक्रमे सुभिन्नप्रवृत्तौ द्वयोः सघयोर्मेलापकोऽभवत् । तद्यथा एको वलभ्या, एको मथुराया, तत्र च सूत्रार्थसघटनेन परस्पर-वाचनाभेदो जातः ।'

—ज्योति० टी०, पृ० ४१

विनय विजयने लोकप्रकाशमें' उक्त वाचनाश्रोका निर्देश किया है। उससे व्यक्त होता है कि दुर्भिक्षके पश्चात् एक साथ दो सम्मेलन हुए एक मथुरामे और एक वलभीमें। लोकप्रकाशमें इतना विशेष लिखा है कि वलभी सम्मेलनके प्रमुख देवर्द्धि थे और मथुरा सम्मेलनके प्रमुख स्कन्दिलाचार्य थे। किन्तु श्वेताम्बर स्थविरावलीके अनुसार देवर्द्धिसे स्कन्दिलाचार्य बहुत पहले हुए थे। अतः दोनोंकी समकालीनता संभव नहीं है।

भद्रेश्वर की कथावलीमें इनसे कुछ भिन्न ही उल्लेख मिलता है उसमें लिखा है—'मथुरामे श्रुतसमृद्ध स्कन्दिल नामक आचार्य थे और वलभी नगरी में नागार्जुन नामक आचार्य थे। दुष्काल पडने पर उन्होंने अपने साधुश्रोको भिन्न भिन्न दिशाश्रोमें भेज दिया। सुकाल होने पर वे पुनः मिले। और जब अभ्यस्त शास्त्रोका परावर्तन करने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पढ़े हुए शास्त्रोंको प्रायः भूल चुके हैं। श्रुतका विच्छेद न हो, इसलिये आचार्योंने सिद्धान्तका उद्धार करना शुरू किया। जो विस्मृत नहीं हुआ था, उसे वैसे ही स्थापन किया और जो भूला जा चुका था वह स्थल पूर्वापर सम्बन्ध देखकर व्यवस्थित किया गया।'

१—'सतः सुभिक्षे संजाते सघस्य मेलकोऽभवत् ।
 वलभ्या मथुराया च सूत्रार्थघटनाकृते ॥
 वलभ्या सगते सघे देवर्द्धिगणिरग्रणीः ।
 मथुराया सगते स्कन्दिलाचार्योऽग्रणीरभूत् ॥'
 'ततश्च वाचनाभेदस्तत्र जातः क्वचित् क्वचित् ।
 विस्मृतस्मरणे भेदो जातु स्यादुभयोरपि ॥'

(आगे कथावलीमें कहा है कि 'सिद्धान्तोंका उद्धार करनेके वाद स्कन्दिल और नागार्जुन सूरि परस्परमें मिल नहीं सके, इस कारणसे इनके उद्धार किए हुए सिद्धान्त तुल्य होने पर भी उनमें कहीं कहीं वाचना भेद रह गया, जिसको पिछले आचार्यों ने नहीं बदला और टीकाकारोंने अपनी टीकाओंमें नागार्जुनीय ऐसा पढ़ते हैं इत्यादि उल्लेख करके उन वाचना भेदोंको सूचित किया है।) ('वी० नि० सं० जै० का०, पृ० ११०—१११ से उद्धृत) ।

'इस परसे मुनिजी वलभी वाचनाको देवद्विगणिकी नहीं, किन्तु नागार्जुन की वाचना मानते हैं। उन्होंने लिखा है—'जिस कालमें मथुरामें आर्य स्कन्दिलने आगमोद्धार करके उनकी वाचना शुरू की उसी कालमें वलभी नगरीमें नागार्जुन सूरिने भी श्रमणसंघ इकट्ठा किया और दुर्भिक्षवश नष्टावशेष आगम सिद्धान्तोंका उद्धार किया। ' 'इस सिद्धान्तोद्धार और वाचनामें आचार्य नागार्जुन प्रमुख स्थविर थे, इस कारणसे इसे नागार्जुनी वाचना भी कहते हैं।' (पृ० ११०—१११)

ऐसी स्थितिमें यदि वलभी वाचना नागार्जुन की थी तो देवद्विगणिने वलभीमें क्या किया, यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। मुनि जीका कहना है कि—'उपर्युक्त वाचनाओंको सम्पन्न हुए करीब डेढ़ सौ वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो चुका था, उस समय फिर वलभी नगरीमें देवद्विगणि क्षमा श्रमणकी अध्यक्षतामें श्रमण संघ इकट्ठा हुआ और पूर्वोक्त दोनों वाचनाओंके समय लिखे गये सिद्धान्तोंके उपरान्त जो जो ग्रन्थ प्रकरण मौजूद थे, उन सबको लिखाकर सुरक्षित करनेका निश्चय किया। इस श्रमण समवशरणमें दोनों वाचनाओंके सिद्धान्तोंका

परस्पर समन्वय किया गया और जहाँ तक हो सका भेद भाव मिटाकर उन्हें एक रूप कर दिया और जो जो महत्वपूर्ण भेद थे उन्हें पाठान्तरके रूपमें टीका-चूर्णियोंमें संग्रहीत किया। कितनेक प्रकीर्णक ग्रन्थ जो केवल एक ही वाचनामें थे वैसे के वैसे प्रमाण माने गये। उपर्युक्त व्यवस्थाके बाद स्कन्दिलकी माथुरी वाचनाके अनुसार सब सिद्धान्त लिखे गये, जहाँ जहाँ नागार्जुनी वाचनाका मतभेद और पाठभेद था वह टीकामें लिख दिया गया, जिन पर पाठान्तरोको नागार्जुनानुयायी किसी तरह छोड़नेको तैयार न थे, उनका मूलसूत्रमें भी वायणतरे पुणं इन शब्दोके साथ उल्लेख कर दिया।” (पृ० ११३-११७)

सन्नेपमें मुनिजीका मत यह है कि—‘स्कन्दिलाचार्यके समयमें बलभीमें मिले हुए सघके प्रमुख आचार्य नागार्जुन थे और उनकी दी हुई वाचना ही बालभी वाचना कहलाती है। देवर्द्धिगणिकी प्रमुखतामें भी जैन श्रमण संघ इकट्ठा हुआ था यह बात सही है। पर उस समय वाचना नहीं हुई, पर पूर्वोक्त दोनो वाचनागत सिद्धान्तोका समन्वय करनेके उपरान्त वे लिखे गये थे, इसीलिये हम इस कार्यको देवर्द्धिगणिकी वाचना न कहकर ‘पुस्तक लेखन’ कहते हैं।’

मुनिजीने इस अवसर पर संघर्ष भी होनेकी संभावना व्यक्त करते हुए लिखा है—‘यद्यपि देवर्द्धिके पुस्तक लेखनके कार्यका विशेष प्रकाश करनेवाला कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कार्य की गुरुता देखते हुए यह कहना कुछ भी असंभावित नहीं होगा कि इस कार्यसंघटनके समयमें दोनों वाचनानुयायी संघोमें अवश्य ही संघर्षण हुआ होगा। अपनी-अपनी परम्परागत वाचनाको ठीक मनवानेके लिये अनेक कोशिशें

हुई होगी और अनेक काट छाट होनेके उपरान्त ही दोनों सघोंमें समझौता हुआ होगा। हमारे इस अनुमानकी पुष्टिमें निम्न-लिखित^१ गाथा उपस्थितकी जा सकती है—जिसका भाव यह है कि—युग प्रवानतुल्य गंधर्व वादिवेताल शान्तिसूरिने वालभ्यसंघके कार्यके लिये बलभी नगरीमें उद्यम किया।’ (पृ० ११७।)

यह ठीक है कि कतिपय आगमोमें वाचनान्तरका निर्देश पाया जाता है और टीकाकारोंने उन्हे नागाजु^२नीयोंकी वाचना कहा है। तथा भद्रेश्वरने भी उन टीका ग्रन्थोंको देखकर ही अपनी कथावलीमें वैसा लिख दिया है। किन्तु बलभीमें होने वाली उक्त नागाजु^३नीय वाचनाका निर्देश किसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं मिलता। जबकि जिनदास महत्तर कृत नन्दि चूर्णमें तथा हरिभद्र कृत नन्दि टीकामें माथुरी वाचनाका कथन मिलता है। नागाजु^४नकी बालभी वाचना सम्बन्धी उक्त सभी उल्लेख विक्रमकी १२ वीं शतीसे पश्चात् के हैं।

दूसरे, वादि वेताल शान्ति सूरिको बलभीमें नागाजु^५नीयोका पक्ष उपस्थित करनेवाला बतलाया है। प्रभावक चरित (पृ० १३३-१३७) में लिखा है कि शान्त्याचार्य को राजा भोजने वादिवेतालका विरुद्द दिया था। अतः वे राजा भोजके समकालीन थे। उनकी मृत्यु वि० स० १०६६ में हुई। ऐसी स्थितिमें देवद्विके

१—‘वालभ सघञ्जे उज्जमिअ जुगपहाणतुल्लेहिं ।

गधव्ववाइवेयालसत्तिसूरीहिं बलहीए ॥ २ ॥

यह गाथा एक दुपमा सघ स्तोत्रयंत्र की प्रति के हाशिये पर लिखी हुई है।—पृ० ११७।

समय बलभीमे उनका होना असंभव ही है। और इसलिये उस परसे बलभीमे भी जिस संघर्षकी सम्भावना मुनिजीने की है, वह निराधार ही प्रतीत होती है।

तीसरे, यदि इस तरहका संघर्ष हुआ होता तो मूल सूत्रोमे 'वायणंतरे पुण'के स्थानमे 'णागज्जुणीया उण एवं पढति' लिखा हुआ मिलता। 'वाचनान्तर' जैसा साधारण निर्देश तो बिना किसी संघर्षके कोई भी ईमानदार संकलयिता कर सकता है क्यों कि इससे उसकी प्रामाणिकताका पोषण होता है। दूसरे माथुरी वाचनानुगत आगमोमे और उनमे निर्दिष्ट वाचनान्तरके मतोमे कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता जिसको लेकर पारस्परिक संघर्षकी परिस्थिति पैदा होनेकी सम्भावना की जा सके। फिर भी हमारा उससे विशेषप्रयोजन न होनेसे हम इस संघर्षके संघर्षसे विरत होते है और मुख्य मुद्देकी ओर आते है।

मुनिजीके मतानुसार उस समय पहले तो उक्त दोनों वाचनाओ (माथुरी और नागार्जुनकी बलभी वाचना) के समय लिखे गये सिद्धान्तोंके उपरान्त जो जो ग्रन्थ प्रकरण मौजूद थे उन सबको लिखाकर सुरक्षित करनेका निश्चय किया गया। तत्पश्चात् दोनों वाचनाओके सिद्धान्तोंका परस्पर समन्वय किया गया और जहां तक हो सका भेद भाव मिटाकर उन्हें एक रूप कर दिया और जो महत्त्वपूर्ण भेद थे उन्हें पाठान्तरके रूपमें चूर्णियोंमें संगृहीत किया। कितनेक प्रकीर्णक ग्रन्थ जो केवल एक वाचना में थे वैसे के वैसे प्रमाण माने गये।'

आगे मुनिजी लिखते हैं।—'उपर्युक्त व्यवस्थाके बाद स्कन्दिल

की माथुरी वाचनाके अनुसार सब सिद्धान्त लिखे गये । जहाँ जहा नागाजुनी वाचनाका मतभेद और पाठ भेद था वह टीकामे लिख दिया गया पर जिन पाठान्तरोको नागाजुनानुयार्या किसी तरह छोड़नेको तैयार न थे उनका मूलसूत्रमे भी 'वायणंतरे पुण' इन शब्दोके साथ उल्लेखकर दिया ।' (वी० नि० जै० का० पृ० ११५ - ११७)

मुनिजीके उक्त कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं । यदि सब सिद्धान्त माथुरी वाचनाके अनुसार लिखे गये और जहाँ जहाँ नागाजुनी वाचनाका पाठ भेद या मतभेद था वह टीकामे लिख दिया गया तो फिर दोनों वाचनाओके सिद्धान्तोका परस्पर समन्वय करने और भेदभाव मिटाकर एक रूप करनेकी बात नहीं रहती । और यदि उक्त प्रकारसे समन्वय किया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि सब सिद्धान्त माथुरी वाचनाके अनुसार लिखे गये । दोनो वाचनाओका समन्वय करके और भेद भाव मिटाकर जो वस्तु तैयार की गई उसे उभयवाचनानुगत कहना होगा न कि किसी एक वाचनानुगत ।

उदाहरणके लिये आजकल अनेक प्रतियोको सामने रखकर किसी एक ग्रन्थका सम्पादन कार्य किया जाता है । उसमें आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिके अनुसार एक प्रतिको आदर्श मानकर उसे मूल ग्रन्थका रूप देते हैं और अन्य प्रतियोके पाठान्तरोका निर्देश टिप्पणमे कर देते हैं । कुछ सम्पादक ऐसा भी करते हैं कि उन्हें जहाँ जिस प्रतिका जो पाठ शुद्ध प्रतीत होता है वहाँ वह पाठ मूल में दे देते हैं और इस तरह सब प्रतिओके आधार से अपने मूल ग्रन्थका रूप देते हैं । इस रूपको किसी एक प्रतिका अनुसारी नहीं कहा जा सकता । उसे तो सबका समन्वित रूप

ही कहा जा सकता है। देवद्वि गणिका तथोक्त सम्पादन प्रकार इन्हीं दोमेंसे एक प्रकारका हो सकता है। एक साथ दोनों प्रकार तो संभव नहीं हो सकते।

मुनिजीके लेखानुसार मथुरा और वलभीमें जो वाचनाएँ हुईं उनमें सब प्रकारणोंको लिपिवद्ध कर लिया गया था और वे ग्रन्थ प्रकरण देवद्विगणिके सामने उपस्थित थे। उन्हें ही उन्होंने लिखाकर सुरक्षित किया।

जहा तक हम जान सकें हैं मुनिजीके इस लेखका समर्थन हेमचन्द्राचार्य विरचित योग शास्त्र वृत्तिके सिवाय अन्यत्रसे नहीं होता। हेमचन्द्रने अपनी उक्त वृत्तिमें यह अवश्य लिखा है कि 'दुपमा कालवशा जिन वचनको नष्ट प्राय समझकर भगवान नागाजुने स्कन्दिलाचार्य प्रमुखने उसे पुस्तकोंमें लिखा। किन्तु जिनदासकी नन्दि चूर्णिके प्राचीन उल्लेखमें' इस बातका कतई निर्देश नहीं है। उसमें उन्होंने केवल इतना ही लिखा है कि स्मृतिके आधारपर कालिक श्रुत सकलित किया गया। हरि-

१—'जिनवचन च दुपमाकालवशादुच्छिन्नप्रायमिति मत्वा भगवाद्भर्तागाजुनस्कन्दिलाचार्यप्रभृतिभि पुस्तकेषु न्यस्तम्,'—योग०, ३, पृ० १०७।

२—'वारस' संवच्छरिए महते दुर्भिक्षे काले भक्त्या अरण्यगतो हिंडियाण गहणगुणरणुपेहाभावाओ विष्णुद्वे सुत्ते, पुणो सुभिक्षे काले जाए मथुराए महते साधुसमुदए खदिलायरियप्यमुहसवेण जा अ समरइत्ति इव सघडिय कालियसुय। जम्हा एव महुराए कयं तम्हा माहुरी वायणा भण्णइ।

भद्रकृत और मलयगिरिकृत' नन्दि टीकामे भी यही लिखा हुआ है ।

मलयगिरिकी ज्योतिष्करण्डकटीकामे भी, जिसमे मथुरा और वलभीमे वाचना होनेका निर्देश है, दोनों वाचनाओमे सूत्रार्थ सघटन होनेका ही उल्लेख है. लिपिवद्ध किये जानेका नहीं । भद्रेश्वरकी कथावलीमे भी इसका निर्देश नहीं है । किन्तु मुनिजीने उसका अर्थ इस प्रकारसे किया है जिससे यह प्रतीत हो सकता है कि माथुरी वाचनाके पहले भी आगम पुस्तके थीं । कथावलीमे केवल इतना वाक्य है—'जाव सज्जायती ताव खड्डु खुरुडीहूय पुव्वाहियं' । अर्थात् सुभिक्तके पश्चात् जब वे साधु पुन. मिले और स्वाव्याय करने लगे तो उन्हे प्रतीत हुआ कि पढले का सब अभ्यस्त अस्तव्यस्त हो गया है—भूल गया है । मुनिजी ने अर्थ किया है—'सुभिक्तके समयमे फिर वे इकट्ठे हुए और अभ्यस्त शास्त्रोंका परावर्तन करने लगे तो उन्हे मालूम हुआ कि प्रायः वे पढ़े हुए शास्त्रोंको भूल चुके हैं ।' अतः भद्रेश्वरके उल्लेखमे सकलित शास्त्रोंको लिख लेनेकी बात नहीं है । भद्रेश्वरने आगे लिखा है कि 'टीकाकारोंने 'नागज्जुणीया उण एवं पठन्ति' इस प्रकारसे वाचना भेदोंका उल्लेख आचाराग आदि मे कर दिया ।' यह लिखते समय भद्रेश्वरके सामने आचाराग आदि की टीकाएँ थीं, यह स्पष्ट है, क्योंकि भद्रेश्वर नवागवृत्तिकार शीलाकसूरिके पश्चात् हुए है और उनकी टीकाओमे 'नागार्जुनीयास्तु एवं पठन्ति' आदि उल्लेख मिलते हैं । मुनि जीने भी अपनी पुस्तककी (पृ० ११६)

१—'यो यत्स्मरति स तत्कथयतीत्येव कालिकश्रुत पूर्वगत च किञ्चिदनुसन्धाय व्रटितम्'—नन्दि० गा० ३३ ।

टिप्पणीमें भद्रेश्वरके उक्त कथनके समर्थनमें शीलाङ्ककी टीकासे कुछ उद्धरण दिये हैं। किन्तु मुनिजीने भद्रेश्वरके इस कथनको भी देवद्विगणिके समयमें हुए कार्यके साथ जोड़ दिया है। यथा—'जहा जहां नागार्जुनी वाचनाका मतभेद और पाठ-भेद था वह टीकामें लिख दिया गया' ॥'' ये टीकार्यें देवद्विगणिके पहले बन करके तैयार हो चुकी थीं, या उसी समय बलभीमें ही तैयार हुईं, यह मुनि जी और स्पष्ट कर देते तो पढ़नेवालोको भ्रम पैदा न होता। अस्तु

अतः देवद्विगणिकालीन बलभी सम्मेलनमें वाचना नहीं हुई, केवल पुस्तक लेखन हुआ, यह कथन निराधार है, क्योंकि इससे पूर्व हुई माथुरी वाचना और बालभी वाचनाके समय संकलित किये गये आगमसूत्रोंको लिपिवद्ध कर लेनेका कोई उल्लेख नहीं मिलता है और न यही उल्लेख मिलता है कि देवद्विगणिके सम्मेलनमें सब आगमग्रन्थ लिखित रूपमें उपस्थित थे। प्रत्युत इसके विरुद्ध यही कथन मिलता है कि जिस प्रकार पहलेकी वाचनाओंमें दुर्भिक्षके कारण नष्टावशिष्ट श्रुतको साधुओंकी स्मृतिके आधार पर संकलित किया गया उसी तरह देवद्वि कालीन बलभी वाचनामें भी दुर्भिक्षके कारण विनष्ट हुए श्रुतकी रक्षाका प्रयत्न पूर्ववत् किया गया। किन्तु पहलेकी वाचनाओंसे इसमें एक विशेषता यह थी कि उस संकलित श्रुतको पुस्तकारूढ़ भी कर दिया गया। (इससे पहले कोई आगम सूत्र लिखा ही नहीं गया, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूपसे साधु लोग अपनी सुविधाके लिये किसी सूत्रग्रन्थको लिपिवद्ध कर लेते हों। किन्तु देवद्विसे पहले सामूहिक रूपसे आगम ग्रन्थोंको लिपिवद्ध

करने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ, यह निश्चित है और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इससे पहले आगम ग्रन्थों का कोई एक रूप निर्धारित नहीं हो सका था जो पूरे सम्प्रदाय को मान्य हो और ऐसी स्थितिमें उन्हें लिपिवद्ध करना सम्प्रदाय-भेदका जनक हो सकता था ।

मुनि जीने अनुयोगद्वारसूत्र और निशीथ चूर्णिसे दो उद्धरण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि देवर्द्धिगणिके पहले भी लिखे हुए आगम होते थे । निशीथ चूर्णिमें कालिक श्रुत और कालिक श्रुत निर्युक्तिके लिये पाँच प्रकारकी पुस्तकें रखने का अधिकार साधुको दिया है । निशीथ चूर्णिसे पहले ही वलभी में आगम ग्रन्थोंका लिखना जारी हो चुका था । अतः उसके इस उल्लेखसे देवर्द्धिगणिके पूर्वमें आगम ग्रन्थोंका लिपिवद्ध होना प्रमाणित नहीं होता । (हाँ अनुयोग द्वारको आर्यरक्षित की कृति माना जाता है और आर्यरक्षितका समय विक्रमकी प्रथम द्वितीय शताब्दी कहा जाता है । अनुयोगद्वारमें पुस्तकमें लिखितको द्रव्य श्रुत कहा है । इस परसे मुनि जीने यह सभावना की है कि— 'कोई आश्चर्य नहीं है, यदि उन्होंने (आर्यरक्षितजीने) उसी समय मन्द बुद्धि साधुओंके अनुगृहार्थ अपवाद मार्गसे आगम लिखने की भी आज्ञा दे दी हो (पृ० १०६) । मुनिजीकी इस संभावनासे हम सहमत हैं) । हमारी आपत्ति माथुरी वाचना और प्रथम वलभी वाचनमें सब आगमोंके लिपिवद्ध किये जाने पर है, क्योंकि उसका समर्थन एक हेमचन्द्रके सिवाय अन्य किसी स्रोतसे नहीं होता । यदि नागार्जुन और स्कन्दिलाचार्यने अपनी अपनी प्रमुखतामें संकलित जैनसूत्रोंको तत्काल लिपिवद्ध करा लिया होता और वह सब श्रुत पुस्तक रूपमें उपलब्ध

होता तो देवद्वि गणिको बलभीमे मथुराकी तरह सम्मेलन बुलानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शायद कहा जाये कि वाचना भेदोंको व्यवस्थित करनेके लिये श्रमण सम्मेलन बुलाया गया। किन्तु जब माथुरी वाचनाके अनुसार ही सब सिद्धान्त लिखे गये तो समन्वयवाली बात नहीं रहती।

इसके सिवाय यदि उक्त दोनों वाचनाओंके पुस्तकारूढ सूत्र देवद्वि गणिके सम्मेलनमें उपस्थित होते और यदि दोनों वाचना-नुयायी संघोंमें सघर्ष हुआ होता तो श्वेताम्बरोंमें ही दो प्रकारके सूत्र ग्रन्थ उपलब्ध होते, फिर बालभ्य आचार्य अपने पाठ भेदोंको केवल टीकाओंमें निर्दिष्ट कराकर शान्त न होते। अतः श्वेताम्बरोंमें जो देवद्विगणिके समयमें हीनेवाली बलभी वाचनाकी ही परम्परा प्रचलित है, वह निस्मार नहीं है और समय सुन्दर गणिके अपनी सामाचारीमें जो देवद्वि गणिके मइत्कार्यका स्पष्टीकरण किया है, वह उसी परम्पराका साक्षी है।

नन्दि स्थविरावलीकी स्कन्दिलाचार्यसम्बन्धी गाथाके व्याख्यानमें मलयगिरिने माथुरी वाचना क्यों स्कन्दिलाचार्यकी कही जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हुये लिखा^१ है कि वह

१—'सा च तत्कालयुगप्रधानाना स्कन्दिलाचार्याणामभिमतता तैरेव चार्थतः शिष्यबुद्धिं प्रापितेति तदनुयोगः तेषामाचार्याणां सम्बन्धोति व्यपदिश्यते। अपरे पुनरेवमाहुः—न किमपि श्रुतं दुर्भिक्षवशात् अनेशत् किन्तु तावदेव तत्काले श्रुतमनुवततेस्म। केवलमन्ये प्रधाना येऽनुयोगधरा ते सर्वेऽपि दुर्भिक्षकालकवलीकृताः, एक एव स्कन्दिलसूरयो विद्यन्ते स्म। ततस्तै दुर्भिक्षापगमे मथुरापुरि पुनरनुयोगः प्रवर्तितः इति वाचना माथुरीति व्यपदिश्यते, अनुयोगश्च तेषां माचार्याणां मिति।'—नन्दि०, गा० ३३ टीका।

वाचना उस समयके युग प्रधान स्कन्दिलाचार्यको अभिमत थी और उन्हींके द्वारा अर्थरूपसे शिष्य बुद्धिको प्राप्त हुई थी इसलिये वह अनुयोग उनका कहा जाना है।' आगे उन्होंने 'अपरे' करके एक मत और दिया है जो इस प्रकार है—दूसरोका कहना है कि दुर्भिक्षके वश कुछ भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ था, सब श्रुत वर्तमान था। किन्तु अन्य सब प्रधान अनुयोगघर कालके गालमें चले गये केवल एक स्कन्दिलसूरि शेष बचे। उन्होने दुर्भिक्ष चले जानेपर मथुरामे पुनः अनुयोगका प्रवर्तन किया इसलिये उसे माथुरी वाचना कहते हैं और वह अनुयोग स्कन्दिलाचार्यका कहा जाता है।

इस तरह जब स्कन्दिलाचार्यके द्वारा पुनः प्रवर्तित होने मात्रसे भी माथुरी वाचनाके अनुयोगको स्कन्दिलाचार्यका कहा गया है। तब देवद्विगणने तो वलभीमें आगमको अन्तिम रूप देकर और उन्हें पुस्तकारूढ़ करके सर्वदाके लिये अनुयोग प्रवर्तित कर दिया। अत यदि उन्हे मात्र पुस्तक लेखक न कहकर वर्तमान आगमोंका रचयिता भी कहा जाये—जैसा कि समय सुन्दर गणने कहा है—तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

स्व० डा० याकोवीने जैन सूत्रोंकी अपनी प्रस्तावनामे देवद्विगणिके कार्यके सम्बन्धमे विस्तारसे प्रकाश डाला है। डा० याकोवीका मत भी हीनाधिक रूपमें मुनिजीके ही अनुकूल है अत उसे भी यहां दे देना उचित होगा। डा० याकोवीने लिखा है—

'सर्व सम्मत परम्पराके अनुसार जैन आगम अथवा सिद्धातोंका संग्रह देवद्विगणकी अध्यक्षतामें वलभी सम्मेलनमें हुआ। कल्पसूत्रमें उसका समय वीर निर्वाण ६८० या ६६३

(४५४ या ४६७ ई०) दिया है । परम्परा कथन है कि सिद्धान्तके नष्ट हो जानेके स्वतरेको जानकर देवद्विने उसे पुस्तकोंमें लिखाया । इससे पूर्व गुरुजन अपने छात्रोंको सिद्धान्त पढ़ाते समय पुस्तकोंका उपयोग नहीं करते थे । किन्तु इसके पश्चात् उन्होंने पुस्तकोंका उपयोग किया । इस कथनका उत्तरभाग स्पष्ट रूपसे सत्य है, क्योंकि प्राचीन कालमें पुस्तकोंका उपयोग नहीं किया जाता था । पुस्तकोंकी अपेक्षा स्मृतिपर अधिक विश्वास करनेका ब्राह्मणोंमें रिवाज था । और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस विषयमें जैनो और बौद्धोंने उनका अनुसरण किया । किन्तु आजकल यतिगण अपने शिष्योंको जब पाँचत्र सूत्र पढ़ाते हैं ता पुस्तकोंका उपयोग करते हैं । मैं इसमें कोई कारण नहीं पाता कि हमें इस परम्परा पर क्यों नहीं विश्वास करना चाहिये कि शिक्षणके ढगमें इस परिवर्तनको लानेका श्रेय देवद्विगणिको है क्योंकि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी । प्रत्येक गण अथवा उपाश्रयको आगमोंकी प्रतियाँ प्रदान करनेके लिये देवद्विगणने सिद्धान्तोंका एक वृहत सस्करण अवश्य कराया होगा । देवद्विके द्वारा सिद्धान्तोंको पुस्तकारूढ़ करानेके परम्परागत कथनका सम्भवत यही अभिप्राय है, क्योंकि यह बात कठिनतासे विश्वसनीय है कि इसके पहले जैन साधु जो कुछ कण्ठस्थ करते थे उसे लिख लेनेका प्रयत्न नहीं करते थे । (ब्राह्मण भी अपने धर्मशास्त्रोंकी पुस्तकें रखते थे यद्यपि वे वेद पढ़ाते समय उसका उपयोग नहीं करते थे । ये पुस्तकें गुरुओंके व्यक्तिगत उपयोगके लिये होती थीं । मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि जैन साधु भी इस प्रथाका विशेष रूपसे पालन करते थे क्योंकि ब्राह्मणोंकी तरह प्रतियों पर विश्वास न करनेकी प्रथासे वे प्रभावित नहीं थे ।)

किन्तु अपने धर्म ग्रन्थोंका उत्तराधिकार मौखिक रूपसे सौंभनेकी प्रचलित प्रथाके प्रभावसे प्रभावित थे। किन्तु मैं यह नहीं मानता हूँ कि जैनोंके आगम मूलतः पुस्तकोंमें लिखे गये थे क्योंकि बौद्धोंके पुस्तक न रखनेके सम्बन्धमें जो युक्ति दी जाती है कि उनके पवित्र पिटकोंमें, जिनमें प्रत्येक छोटी से छोटी और महत्त्वहीन गार्हस्थिक चीजों तकका उल्लेख मिलता है, पुस्तकोंका उल्लेख नहीं है, वही युक्ति जैनोंके सम्बन्धमें भी दी जा सकती है। कम से कम जब तक जैन साधु भ्रमणशील थे तब तक उनमें पुस्तकोंकी प्रवृत्ति नहीं थी। किन्तु जबसे जैन साधु अपने अपने उपाश्रयोंमें रहने लगे, वे अपनी पुस्तकें रख सकते थे जैसा कि वे आजकल रखते हैं। इस तरह जैन आगमोंको लेकर देवद्विगणिके सम्बन्धमें साधारणतया जो विश्वास किया जाता है उससे हमें एक भिन्न ही बात प्रतीत होती है। (सम्भवतया उन्होंने मौजूदा प्रतियोंको एक आगमके रूपमें सुव्यवस्थित किया और जिनकी प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हुई उन्हें विद्वान् आगमज्ञोंके मुखसे गृहण किया। उस आगमकी बहुत सी प्रतियाँ प्रत्येक शिचालयमें देनेके लिये तैयार कराई गईं क्योंकि धार्मिक शिक्षणके ढगमें नवीन परिवर्तनके कारण उनकी आवश्यकता थी। अतः देवद्विके द्वारा सिद्धान्तोंका सम्पादन पवित्र पुस्तकोंका, जो पहलेसे ही लगभग उसी रूपमें मौजूद थीं, केवल नवीन संस्करण करना मात्र है।) —से० बु० ई०, जि० २२, प्रस्तावना पृ० ३७-३९।

मान्य विद्वानके उक्त विचारोंके सम्बन्धमें दो शब्द कहनेसे पूर्व उसकी पृष्ठ भूमि बतला देना आवश्यक होगा। उस समय यूरोपियन स्कालरोंमें दो ग्रूप थे। एक ग्रूप जैन धर्मको स्वतन्त्र धर्म न मानकर उसे बौद्ध धर्मकी शाखा मानता था और दूसरा

ग्रूप जैन धर्मको बौद्ध धर्मसे स्वतन्त्र धर्म मानता था। स्व० याकोवी दूसरे ग्रूप के थे और उन्हींकी शोधोंके फलस्वरूप दूसरे ग्रूपकी मान्यताको बल मिला। प्रथम ग्रूपमें एक मि० वार्थ थे उन्होने अपनी पुस्तक 'धर्मोका इतिहास' में जैन धर्मके सम्बन्धमें यह तो स्वीकार किया था कि 'नाटपुत्त' के रूप में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व छिपा हुआ है। किन्तु उनकी आपत्ति यह थी कि उसके सम्बन्धमें जिन जैन आगमोंसे सबल तर्क उपस्थित किये जाते हैं वे ईसा की पाँचवीं शतीके हैं अथवा यह कहना चाहिये कि सम्प्रदायकी स्थापना होनेके लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् के हैं। उनका यह भी कहना था कि जैन परम्पराका निर्माण बौद्ध परम्पराकी नकल है। उन्हींको उत्तर देते हुए स्व० याकोवीने जैन आगमोंके संबन्धमें उक्त विचार प्रकट किये थे।

मुनिजीकी तरह उन्होंने भी प्रारंभमें ही यह स्पष्ट कर दिया है कि परम्परा कथन तो यही है कि जैन आगमोंका संकलन बलभीमें देवर्षिकी प्रधानतामें हुआ। किन्तु वह अपनी कल्पना और तर्कके आधार पर उक्त परम्पराका उक्त अर्थ निकालते हैं। उक्त परम्पराकी आधारभूत प्राचीन गाथा^१ तो इतना ही

१—वलहिपुरमि नयरे देवडिपमुहेण समणसघेण ।

पुत्थई आगमु लिहिओ नवसय असीआओ वीराओ ॥

—वी० नि० सं० जैनका०, पृष्ठ १०८ पर उद्धृत।

दूसरा पाठ इस प्रकार है—

वलहिपुरमि नयरे देवडिटपमुहसयलसघेहि ।

पुव्वे आगमु लिहिउ नव सय असीआणु वीराउ ॥

—जै० सा० इ० (गु०) पृ० १४२ में उद्धृत।

बतलाती है कि वीर निर्वाणके १८० वें वर्ष मे वलभी पुरी नगरीमें देवद्वि प्रमुख सकल संघने या श्रमण संघने पुस्तकों पर आगमको लिखा ? प्रश्न होता है कि क्यों लिखा तो प्राप्त उल्लेखों से प्रकट होता है कि दुर्भिक्षवश श्रुतकी रक्षा करनेके लिये लिखा । कैसे लिखा । तो पता चलता है कि उपस्थित श्रमण संघकी स्मृतिके आधार पर लिखा । और श्रमण संघकी स्मृति का आधार परम्परागत माथुरी वाचना थी । फिर भी जैसे यह कहना कि वलभीमे वाचना नहीं हुई और जो कुछ लिखा गया वह केवल प्राप्त पुस्तकोंके आधार पर ही लिखा गया, एकान्त पक्ष है वैसे ही यह कहना भी कि वलभी सम्मेलनसे पहले व्यक्तिगतरूपसे भी पुस्तकों पर आगम लिखा ही नहीं गया था और वलभी सम्मेलनमे ही पहले पहले आगमोंको लिखनेकी प्रथा प्रवर्तित हुई, एकन्तपक्ष है । सब बातोंको दृष्टिमे रखते हुए हम तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वलभीमें देवद्वि गणिकी प्रमुखतामें उपलब्ध साधनोंके आधार पर आगमोंको व्यवस्थित करके उन्हे पुस्तकारूढ़ कर दिया गया और तबसे सार्वजनिक रूपसे उनका लेखन कार्य होने लगा । डा० जेकावीका यह अर्थ कि पठन पाठनमें पुस्तकोंके उपयोगकी प्रवृत्तिको प्रसारित करनेके लिये देवद्वि ने आगमोंकी बहुत सी प्रतियाँ तैयार कराईं, एक सुधारवादी दृष्टिसे भले ही उचित लगे किन्तु शोधक दृष्टिसे तो उचित नहीं ही जँचता, अतः हम भारतीय साहित्यके इतिहासके लेखक डा० विन्टरनीट्सका इस सम्बन्धमें मत देते हैं—वह लिखते हैं—

“आगमोंकी प्राचीनता और प्रामाणिकताके सम्बन्धमें स्वयं श्वेताम्बर जैनोंमें नीचे लिखी परम्परा पाई जाती है—

‘मूल सिद्धान्त चौदह पूर्वोंमें सुरक्षित थे । महावीरने स्वयं

अपने शिष्य गणधरोंको उनकी शिक्षा दी थी । किन्तु उन पूर्वोक्त ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गया । महावीरके शिष्योंमेसे केवल एकने उस ज्ञानकी परम्पराको आगे चलाया । किन्तु वह केवल छै पीढ़ी तक ही चल सकी । महावीर निर्वाणकी द्वितीय शताब्दीमें मगध देशमें भयङ्कर दुर्भिक्ष पडा, जो बारह वर्षमे जाकर समाप्त हुआ । उस समय मौर्य चन्द्रगुप्त मगधका राजा था और स्थविर भद्रबाहु जैन संघके प्रधान थे । दुर्भिक्षके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायिओंके समुदायके साथ दक्षिण भारतके कर्नाटक प्रदेशमें चले गये और स्थूलभद्र, जो चौदह पूर्वोक्तो जानने वाले अन्तिम व्यक्ति थे, मगधमें रह जाने वाले संघके प्रधान हो गये । भद्रबाहुकी अनुपस्थितिके कारण यह प्रत्यक्ष था कि पवित्र सूत्रोंका ज्ञान विस्मृति के गर्त में चला जाता । इसलिए पाटलीपुत्रमे एक सम्मेलनका आयोजन किया गया । उसमे ग्यारह अंगोंका संकलन हुआ और चौदह पूर्वोक्तो अवशेषोको बारहवें अंग दृष्टिवादके रूपमें निबद्ध कर दिया गया । जब भद्रबाहुके अनुयायी मगधमें लौटकर आये तो उन्होंने देखा कि दक्षिणको चले जाने वाले और मगधमे रह जाने वालोंके बीचमें एक बड़ी खाई पैदा होगई है । मगध में रह जाने वाले जैन साधु सफेद वस्त्र पहिननेके अभ्यस्त हो गये थे जब कि दक्षिण प्रवासी साधु महावीरके कठोर नियमोंके अनुसार नग्न रहते थे । और इस तरह दिग्म्बरों और श्वेताम्बरोंका महान सघ भेद हुआ । फलत दिग्म्बरोंने पाटलीपुत्रमें सकलित आगमोंको मानने से इकार कर दिया और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अग और पूर्व नष्ट हो गये । सुदीर्घ काल-वश श्वेताम्बरोंके आगम अस्त व्यस्त हो गये और उनके एक दम नष्ट हो जानेका खतरा पैदा हो गया । अतः महावीर निर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात् (ईसाकी ५ वीं शताब्दीके मध्य

में या छठी शताब्दीके आरम्भ में) गुजरातकी वलभी नगरी में पवित्र आगमोंके संकलन तथा लेखनके लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसके प्रधान देवद्वि क्षमाश्रमण थे । बारहवा अंग, जिसमें पूर्वोक्त अवशिष्टाश संकलित थे, उस समय तक नष्ट हो चुका था । इसीसे हम केवल ग्यारह अंगों को पाते हैं । अनुमान किया जाता है कि वर्तमानमें उपलब्ध ग्यारह अंग वही हैं जिन्हें देवद्विने संकलित किया था । इस तरह हम देखते हैं कि स्वयं श्वेताम्बर जैनोकी परम्पराके अनुसार उनके पवित्र आगमोंकी अधिकारिता ईसाकी पाचवीं शतीसे पूर्व नहीं जाती । यह ठीक है कि वे मानते हैं कि वलभी सम्मेलनमें जो आगम लिखे गये उनका आधार पाटलीपुत्रमें संकलित आगम थे और वे आगम महावीर और उनके शिष्योंसे सम्बद्ध थे । कहा जाता है कि गणधरों ने, जो महावीर के शिष्य थे, उनमें भी मुख्य रूपसे आर्य सुधर्माने महावीर स्वामीके वचनोंको अंगों और उपागोंमें निबद्ध किया । परम्परासे कुछ खास ग्रंथोंको बादके ग्रन्थकारोंका भी कहा जाता है ॥ (उदाहरणके लिये, चौथा उपाङ्ग आर्य श्यामाचार्यका वतलाया जाता है जिनका समय महावीर निर्वाणसे ३७६ या ३८६ वर्ष पश्चात् माना जाता है । चौथे छेद सूत्र पिण्ड निर्युक्ति और ओघ निर्युक्तिको भद्रबाहुकी (वीर निर्वाणकी २ री शताब्दी) और तीसरे मूलसूत्रको सय्यभवका, जिन्हे महावीर निर्वाणके पश्चात् चौथा युग प्रधान गिना जाता है, कहा जाता है । तथा नन्दिसूत्रको महावीर निर्वाणकी दशवीं शताब्दीमें होने वाले, वलभी सम्मेलनके प्रधान देवद्विका कहा जाता है) (दिगम्बर भी यह बात स्वीकार करते हैं कि महावीरके प्रथम गणधर चौदह पूर्वा और ग्यारह अंगों को जानते थे । किन्तु वे कहते हैं कि प्राचीन समय में केवल चौदह पूर्वोक्त ही ज्ञान लुप्त नहीं हुआ,

बल्कि महावीर निर्वाण के ४३६ वर्ष पश्चात् ग्यारह षण्ठों का ज्ञाता अन्तिम व्यक्ति मर गया, उसके जो उत्तराधिकारी आचार्य-क्रमसे हुए, जैसे समय बीतता गया वैसे ही उनमें भी उत्तरांतर अगोंका ज्ञान क्रमसे कम होना गया और अन्तमें महावीर निर्वाण से ६८३ वर्ष पश्चात् अगोंका ज्ञान पूर्णतया नाश हो गया।

अथपि स्वयं जैनोकी परम्परा उनके आगमोंके बहुत प्राचीन होनेके पक्षमें नहीं है तथापि क्रम से कम उनके कुछ भागोंका अपेक्षाकृत प्राचीन कालका माननेमें और यह मान लेनेमें कि देवर्द्धिने अज्ञात प्राचीन प्रतियोंकी सहायताने और प्रशस्त मौखिक परम्पराके आधार पर आगमोंका नकलित किया, पर्याप्त कारण हैं—हि० ३० लि०, जि००, पृ ४३१-४३४।

डा० विन्टरनिट्मका उक्त मत बहुत मन्तुलित है और वह हमारे उक्त मतका पोषक है।

उपलब्ध अगनाहित्यके विषयमें प्राप्त उल्लेखोंसे यह स्पष्ट रूपसे विदित होता है कि वीर निर्वाणको दूसरी शताब्दीसे अग श्रुतको छिन्न भिन्नता प्रारम्भ हो गयी थी और आगे भी वह जारी रही। दो और भयानक दुर्मित्तोंके कारण श्रुतको गहरी हानि पहुँची। सुदीर्घ कालके अतिक्रमणके साथ ही साथ सुदूर देशों का भी उसे अतिक्रमण करना पडा। फिर एक पक्ष ने उसे मान्य ही नहीं किया। जिस पक्षके द्वारा अग साहित्य सकलित किया गया, उसपर बौद्धोंके मध्यममार्गका भी प्रभाव पडा। इन सब स्थितियों का अंग साहित्य पर प्रभाव न पडा हो, यह समभव प्रतीत नहीं होता। अतः यह कहना कि पाटलीपुत्रमें जो अंग साहित्य सकलित किया गया था उसमें और उसके आठसौ

वर्ष पश्चात् वल्भीमें जो पुस्तकारूढ़ किया गया उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ा, या मामूलीसा अन्तर पडा, पूर्ण सत्य नहीं है। आगमोंके विशिष्ट अभ्यासी प० वेचर दास जीका तो यह कहना है कि वल्भीमें संगृहीत अंग साहित्यकी स्थितिके साथ श्री वीरसमयके अंग साहित्यकी तुलना करने वालेको दो सौतेले भाईयोके बीच जिनता अन्तर होता है उतना भेद मालूम होना सर्वथा संभव है" — जै० सा० वि० पृ० २३।

इसके विषयमे वास्तविक स्थितिका पता तो तभी लग सकता था जब वीर भगवानके समयमे गणधरके द्वारा ग्रथित हुआ अंग साहित्य उपलब्ध होता और उसके साथ वर्तमान अंग साहित्यकी तुलनाकी जाती, किन्तु यदि वैसा होता तो दूसरा रूप सामने ही क्यों आता। फिर भी सब घटनाओंको दृष्टिमें रखकर वस्तु स्थितिका विचार करने पर प० वेचर दासजीकी उक्ति ही सत्यके अधिक निकट प्रतीत होती है।

भारतके धार्मिक साहित्यकी रूपरेखाका चित्रण करते हुये श्री जे एन फरक्यूहर (J. N. FARQUHAR) ने जैन आगमोंके सम्बन्धमे लिखा है — "अङ्गोंके द्वारा स्थापित समस्या बहुत ही जटिल स्थितिमें है। उनकी भाषा मूल मागधी नहीं है जिसमें वह ईस्वी पूर्व तीसरी शतीमे पटनामे संकलित किए गये थे। किन्तु उसपर पश्चिम का, जहा वह ईस्वी सन् की पाचवीं शतीमें लिखे गये, प्रभाव है। इस बातके स्पष्ट प्रमाण हैं कि सकलन कालसे ही उनमें विस्तृत रूपमे परिवर्तन होते आये हैं। इस सबसे जटिल समस्याको सुलभानेके लिये आगमोंका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया। यह संभव है कि पटनामे कुछ अंग संकलित किये गये। किन्तु

यह कोई नहीं कह सकता कि वर्तमान आगमोंका उन मूल आगमोंके साथ क्या सम्बन्ध है? वेबरका मत है कि मौजूदा आगम दूसरी और पाचवीं शताब्दीके बीचमें रचे गये। किन्तु जेकोवीका भुकाव है कि उनका कुछ भाग पटना से ही अपेक्षाकृत थोड़ेसे परिवर्तनके साथ आया है।—आउट रि० लि० ३०, पृ० ७६।

आगे वह लिखते हैं—“किन्तु यह अधिक सम्भव है कि प्राचीन साहित्य अंशतः सुरक्षित रहा हो। यद्यपि यह निस्सन्देह है कि सबभेदके समयसे अर्थात् ई० ८० से श्वेताम्बर साधुओंके द्वारा अपने सम्प्रदायके अनुकूल उसमें सशोधनकी प्रवृत्ति चालू रही ...। आगमोंमें श्वेताम्बरोंकी इस प्रवृत्तिके स्पष्ट चिन्ह पाये जाते हैं।” (पृ० १२०-१२१)

देवद्विगणिके पश्चात्कालीन स्थिति

वर्तमान जैन आगमोंके सम्बन्धमें विचार करते समय देवद्विगणिके पश्चात्कालीन स्थितिको भी दृष्टिमें रखना आवश्यक है। प्रायः विद्वानोंका मत है कि देवद्विगणिके पश्चात् भी आगमोंमें परिवर्तन हुआ और उसके प्रमाण पाये जाते हैं। डा० जेकोवीका मत पहले दे आये हैं। उससे पहले कल्पसूत्रकी प्रस्तावनामें उन्होंने इस सम्बन्धमें जो मत व्यक्त किया था उसे यहाँ दिया जाता है—

(‘प्राचीन मान्यताके अनुसार जैनसूत्रोंका पुस्तकाधिरोहण वीर नि० सं० ६८० में देवद्विगणि क्षमा श्रमण ने किया। × × जिन प्रभु मुनि और पद्म सुन्दर गणि लिखते हैं कि जब देवद्विगणि ने ४५ आगमों को विनाशोन्मुख देखा तब उन्होंने

वलभी पुरके सघके सहयोगसे उन्हे पुस्तकारूढ़ किया । यह कहा जाता है कि प्राचीन कालमे आचार्य पुस्तककी सहायताके बिना अपने शिष्योंको सूत्र पढ़ाते थे । किन्तु पीछे पुस्तकोकी सहायता से शिक्षण देना आरम्भ हुआ । जैन उपाश्रयोंमें यह प्रथा आज भी चली आती है । इस वृद्ध सम्प्रदायका यह अभिप्राय नहीं है कि देवर्द्धि गणिने प्रथम बार जैन आगमोंको पुस्तकारूढ़ कराया । किन्तु उसका इतना ही मतलब है कि प्राचीन कालमे आचार्य लिखित पुस्तकोंकी अपेक्षा अपनी स्मृतिके ऊपर ज्यादा निर्भर रहते थे । जैनधर्मके बुद्धघोष देवर्द्धि गणिने खास करके समग्र साम्प्रदायिक जैन साहित्यको जो उन्हे उस समय पुस्तकोंमें से तथा विद्यमान आचार्योंके मुखसे प्राप्त हो सका आगमोंके रूपमें निबद्ध किया । यह कार्य बहुत अधिक कठिन था क्योंकि उस समय बहुतसे आगम तो त्रुटित हो गये थे और उनका अमुक अमुक त्रुटित भाग शेष बचा था । इन त्रुटित भागोंको देवर्द्धि गणिने, जो उन्हे उचित लगा, तदनुसार अनुसन्धान करके एकत्र किया । बहुतसे आगमोंमे जो असम्बद्ध और अपूर्ण वर्णन मिलते हैं, उनका कारण हम उक्त स्थितिकी कल्पनाके द्वारा समझ सकते हैं । विद्यमान जैन आगमोंकी रचना मुख्य रूपसे

१. सन् ४१० और ४३२के बीचमें बुद्धघोषने बौद्ध पिटकों और अर्थकथाओंको पुस्तकोंमें लिखाया था । सिलोनमें बौद्ध ग्रन्थ और गुजरातमें जैनग्रन्थ लगभग समान कालमें पुस्तकारूढ़ हुए । उसके ऊपरसे ऐसा अनुमान हो सकता है कि जैनोंने बौद्धोंकी इस प्रवृत्तिका अनुकरण किया । हिन्दुस्थानमें ईस्वी पाँचवी शताब्दीसे साहित्यके लिये लेखन कलाका बहुत उपयोग होने लगा ।

उसके सम्पादक देवद्वि गणिकी आभारी है। उन्होंने ही उन्हे अध्यायो और अध्ययनामे विभक्त किया। और ग्रन्थ गणना (३२ अक्षरका एक श्लोक इस प्रकार श्लोक प्रमाण) की पद्धति चालूकी। इस ग्रन्थ गणनाके अनुसार सौ सौ और हजार हजार श्लोकोंकी सरया सूचक अंक हस्त लिखित प्रतियोमे सर्वत्र एक ही रूपमे लिखे हुए हैं। मार्गको नापनेके लिये खड़े किये गये मीलके पत्थरोके समान इन संख्या सूचक अकोको देनेका उद्देश्य यह था कि मूलसूत्रोमे पुनः घटा बढ़ी न हो सके। परन्तु वास्तवमे यह उद्देश्य सफल हुआ हो, ऐसा नहीं लगता ॥ देवद्वि गणिके पश्चात् जैन आगमोमे बहुत फेरफार हुआ प्रतीत होता है। आधुनिक हस्तलिखित प्रतियोमे अनेक पाठान्तर तो मिलते ही है, किन्तु जुदी २ लेखन पद्धतिके कारण उन पाठान्तरोंकी उत्पत्ति हुई है। इसके सिवाय वे पाठान्तर बहुत उपयोगी अथवा बहुत प्रामाणिक भी नहीं हैं। किन्तु पुराने समयमे कुछ जुदी हो स्थिति हानी चाहिये। क्योंकि टीकाकारोने अपनी टीकाओमे अनेक पाठान्तरों का निर्देश किया है, जो हालकी हस्तलिखित प्रतियोमें नहीं पाये जाते। इससे हमारा मत है कि वर्तमानमे जो सूत्रपाठ मूल प्रतियोमे पाया जाता है तथा अर्वाचीन टीकाकारोने जिसे अपनी टीकाओमें लिखा है वह टीकाकारोके द्वारा निर्णीत किया गया पाठ है। कल्पसूत्रके सम्बन्धमे तो यह बात निश्चित है। यह मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। सूत्रोंकी जो जो टीकाये आज विद्यमान हैं वे सब सीधे या परम्परा रूपसे प्राकृत भाषामें रचीं प्राचीन चूर्णियो अथवा वृत्तियोंके आधार पर लिखी गई है। ये चूर्णियाँ तथा वृत्तियाँ या तो नष्ट हो गई हैं अथवा कहीं मौजूद हैं। प्राचीन टीकाकारोने मूलसूत्रोंको बहुत अधिक अव्यवस्थित रूपमे पाया था, क्योंकि उन्हे उनके बहुतसे पाठान्तरोंको नोट

करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी। उनमेंसे बहुतसे पाठान्तरों को पीछेके टीकाकारोंने अपनी टीकाओंमें उल्लिखित किया है। कुछ टीकाकारोंने केवल एक ही पाठको स्वीकार करके उसीको अपनी टीकाका आधार बनाया है। उदाहरणके रूपमें उत्तराध्ययन सूत्रके टीकाकार देवेन्द्र गणीको लिया जा सकता है। दूसरे कुछ टीकाकार पाठान्तरोंको देखनेकी इच्छावालोंको उसकी चूर्णोंको देखनेकी सूचना देते हैं। प्रमाणके रूपमें कल्पसूत्रके सबसे प्राचीन टीकाकार, जिनकी टीकाको प्राप्त करनेमें मैं सफल हुआ हूँ, जिन-प्रभमुनिको लिया जा सकता है। इस लिये वर्तमान विवेचकोंका उद्देश्य तो प्राचीन टीकाकारोंने जो सूत्र पाठ स्वीकार किया था, केवल उसीका पुनरुद्धार करनेका होना चाहिये। साक्षात् देवद्वि^१ गणिके द्वारा पुस्तकारूढ़ किया गया पाठ तो आज मिलना ही अशक्य है।

देवद्वि^१ गणिके पश्चात् भी जैनसूत्रोंमें जो फेरफार बगैरह हुआ, वह ऊपरके उद्धरणसे स्पष्ट है।

श्री बेबरने अंगसाहित्यके विषयमें एक अध्ययनपूर्ण विस्तृत निबन्ध लिखा था, उसका अंग्रेजी अनुवाद इण्डियन एरिट-क्वेरीमें प्रकाशित हुआ था। डा० बेबर उस ग्रूपके विद्वान थे जो जैनधर्मको बौद्धधर्मकी शाखा मानता था। अतः उनका मत भी यहाँ दे देना उचित है। उन्होंने लिखा है—

(‘डा० वुहलर की सूचीमें अंकित ४५ आगमोंको देवद्वि-गणिके संकलित किया था ऐसा डा० जेकोवीका विश्वास है (कल्प, पृ० ६) यदि हम इस पर अब अधिक विचार न

^१ यह अश जैन साहित्य सशोधन भाग १ में प्रकाशित गुजराती अनुवाद के आधारसे दिया गया है ले० ।

करना चाहे तौ भी हमें एक सत्यके रूपमे यह स्वीकार करना होगा कि सम्भवतया देवद्विगणिने उन्हें जिस रूपमें संकलित किया था, वर्तमानरूप वह नहीं हो सकता। मूल सिद्धान्त ग्रन्थोसे वर्तमान सिद्धान्त ग्रन्थोमें अन्य भी भेद मौजूद है। सिद्धान्त ग्रन्थोमे से न केवल वाक्यों और विभागोको ही नष्ट किया गया जो कि प्राचीन टीकाओंके समयमें वर्तमान थे, बल्कि बडी संख्यामे क्षेपकोंको भी सम्मिलित किया गया, जो स्पष्ट प्रतीत होते हैं। क्या, समस्त सम्भावनाओंके अनुसार मूल सिद्धान्त ग्रन्थोंमें पूरी तरहसे परिवर्तन किया गया है। मेरा अनुमान है कि इस परिवर्तनके कारणोको श्वेताम्बर सम्प्रदायकी कठोरताके प्रभावमें देखा जा सकता है, जो विभिन्न अवान्तर सम्प्रदायोके अनुयायिओंके प्रति दिन पर दिन अधिक कठोर होती गई। मौजूदा आगम केवल श्वेताम्बरोंके हैं। दृष्टिवादका एकदम नष्ट हो जाना, निस्सन्देह मुख्य रूपसे इस तथ्यसे सम्बद्ध है कि इसमें सघभेदमूलक सिद्धान्तों का सीधा उल्लेख था। यह घटना अन्य अंगोंमें किये गये परिवर्तन, परिवर्द्धन और लोपके लिए ब्याख्या रूप हो सकती है। अन्य तार्थिको और निन्हवोंके विरुद्ध वादियोंकी कठोरता इतनी तीक्ष्ण और काट करने वाली है कि उसपरसे हम ऐसे निष्कर्ष निकालनेमें समर्थ हैं जो जैन साहित्यके इतिहासके लिए महत्वपूर्ण है। (इण्डि० एण्टि०, जि०१७, पृ० २८६)

(डा० वेबरके मतानुसार सूक्ष्म निरीक्षणसे यह प्रकट होता है कि आगमोंकी रचना व्यक्तिके कल्याणकी भावनाकी अपेक्षा साम्प्रदायिक कल्याणकी भावनाको लिए हुए हैं। इसके उदाहरणके रूपमे उन्होने 'नग्नता'को लिया है। उन्होंने लिखा है—'ब्राह्मणोने

(बराहमिहिरने भी) नग्नताको जैनोंकी मुख्य विशेषता बतलाया है। और बौद्ध उल्लेखोंके अनुसार बुद्धने नग्नताका दृढ़तासे विरोध किया था। किन्तु आगमोंमें नग्नताकी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। तथा कम से कम नग्नताको आवश्यक तो नहीं बतलाया है, जबकि दिगम्बर सम्प्रदाय उसे सिद्धान्तके रूपमें मानता है। श्वेताम्बरोंने (विशेषतया कल्पसूत्रमें) दिगम्बरोंके विरुद्ध जो घृणाभाव प्रदर्शित किया है, यदि उसे विचार कोटिमें लिया जाये तो यह निर्णय करना अदूरदर्शितापूर्ण न होगा कि इस विषयमें सम्बद्ध अनेक प्राचीन परम्पराओं को श्वेताम्बरीय आगमोंसे हटा दिया गया। तथापि श्वेताम्बर भी इससे इन्कार नहीं करते कि जिन स्वयं नग्न रहते थे। किन्तु वे दृढ़ता पूर्वक यह भी कहते हैं कि जो चीज उस समयके लिये उचित थी, वह वर्तमान समयके लिए उचित नहीं है।'

जैन परम्परामें दिगम्बर और श्वेताम्बरकी तरह एक यापनीय संघ भी था। यह संघ यद्यपि नग्नताका पक्षपाती था तथापि श्वेताम्बरीय आगमोंको मानता था। इस संघके एक आचार्य अपराजित सूरिकी मस्कृतटीका भगवती आराधना नामक प्राचीन ग्रन्थपर है, जो मुद्रित हो चुकी है। उसमें नग्नताके समर्थनमें श्री अपराजित सूरिने आगम ग्रन्थोंसे अनेक उद्धरण दिये हैं जिनमें से अनेक उद्धरण वर्तमान आगमोंमें नहीं मिलते। यहाँ दो एक उद्धरण दिये जाते हैं—

१—'देशविसवादिनो द्रव्यलिङ्गेनामेदिनो निन्द्वाः।

बोटिकास्तु सर्वविसवादिनो द्रव्यलिङ्गितोऽपि भिन्नाः ॥''

—आ० टी०, मलय० ।'

‘तथा चोक्तमाचाराङ्गे-‘सुद मे आउस्मत्तो भगवदा एवमक्खादं-इह खलु सयमाभिमुखा दुविहा इत्थीपुरिसा जादा हवति । त जहा-सव्वसमण्णागदे शोतव्वसमण्णागदे चेव । तत्थ जे सव्वसमण्णागदे थिया हत्थपाणीपादे सव्विदियममण्णागदे तस्स ए णो कप्पदि एगमवि वत्थ धारिउ एव परिहिउं एव अण्णत्थ एगेण पडिले-हेगेण इति ।’

(इसमें बतलाया है कि पूर्ण श्रामण्यके धारीको, जिसके हाथ पैर सक्षम होते हैं और सब इन्द्रियां समग्र होती हैं-उसे प्रतिलेखन के सिवाय एक भी वस्त्र धारण नहीं करना चाहिये । यह उद्धरण वर्तमान आचारांगमें नहीं मिलता । जबकि अ-च उद्धरण हममें मिलते हैं ।

इसी तरह उत्तराध्ययनसे भी कुछ पद्य उद्धृत किये गये हैं जिनमेंसे कुछ वर्तमान उत्तराध्ययनमें नहीं मिलते । दो पद्य नीचे लिखे हैं—

परिचत्तेसु वत्थेसु ए पुणो चेनमादिए !

अचेलपवरे भिक्खू जिणरूपधरे सदा ॥

सचेलगो सुखी भवदि असुखी वावि अचेलगो ।

अहं तो सचेलो होक्खामि इदि भिक्खु न चितए ॥

इनमें बतलाया है कि वस्त्रको त्यागकर पुनः वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । और जिन रूपधारी भिक्षुको सदा अचेल रहना चाहिए । वस्त्रधारी सुखी होता है और वस्त्रत्यागी दुःखी होता है, अतः मैं सचेल रहूंगा, ऐसा भिक्षुको नहीं सोचना चाहिए ।

अपराजित सूरिने कल्प सूत्रसे भी अनेक पद्य उद्धृत किये हैं, जो मुद्रित कल्पसूत्रमें नहीं मिलते । श्री आत्मानन्द जैन सभा

भावनगरसे प्रकाशित कल्पसूत्र भाग छेकी प्रस्तावनामें मुनिवर पुण्यविजयजीने लिखा है "कि स्थविर अगस्त्यसिंह विरचित प्रस्तुत दश वैकालिक चूर्णिग्रन्थ ऐसा अलभ्य या दुर्लभ्य ग्रन्थ है कि जो बलभीमें श्रीदेवद्वि गणी क्षमाश्रमणने संघ एकत्र करके पाठ निर्णय किया उससे पहलेके प्राचीन कालमें जैन आगमोंके पाठोंमें कितनी विपमता हो गई थी, उसका थोडा बहुत विचार हमें देता है। आज भी वृहत्कल्पसूत्र, निशीथ सूत्र, भगवतीसूत्र वगैरहकी जो प्राचीन आदर्श प्रतिया अपने सामने वर्तमान हैं, उनको देखनेसे पाठभेदोंकी विविधता और विपमताका तथा भाषा-स्वरूपकी विचित्रताका ध्यान आ सकता है। अपनी वर्तमान निर्युक्तियोंमें पीछेसे कितना प्रक्षेप हुआ है यह जाननेके लिए अगस्त्यसिंहकी चूर्णि अति महत्त्वका साधन है। स्थविर अगस्त्यसिंहकी चूर्णिमें दशवैकालिकके प्रथम अध्ययनकी निर्युक्ति गाथाएं केवल चौवन हैं, जबकि आचार्य श्री हरिभद्रकी टीकामें प्रथम अध्ययनकी निर्युक्तिगाथाएं एकसौ छप्पन हैं। समस्त दशवैकालिक सूत्रकी निर्युक्तिगाथाओंकी संख्याका यदि विचार किया जाये तो आचार्यहरिभद्रकी टीका में गाथा संख्या अधिक हैं"।

अतः यह निश्चित है कि बलभी वाचनाके पश्चात् भी आगम साहित्यमें बहुत रद्दोबदल की गई है।

वर्तमान जैन आगम और दिगम्बर परम्परा

आज जो जैन आगम या अंग साहित्य उपलब्ध है उसे दिगम्बर जैन सम्प्रदाय मान्य नहीं करता, यह सबको विदित

है। साधारणतया विद्वानोंकी ऐसी धारणा रही है कि जब भद्रवाहुके अनुयायी साधु दक्षिणसे लौटकर मगधमे आये तो उन्होने पाटलीपुत्र परिपदमे कोई भाग नहीं लिया और यह वापणा कर दी कि मूल आगम एकदम नष्ट हो गये। किन्तु यह धारणा भ्रान्त है। किसी भी प्राचीन दिगम्बर जैन साहित्य, पट्टावली या अभिलेख वगैरहमे श्वेताम्बरीय अंग साहित्यके सम्बन्धमें या उनकी वाचनाओंके सम्बन्धमे कोई संकेत तक मेरे देखनेमें नहीं आया। जिन कथाओमे सघभेदकी चर्चा है, उनमे भी अंग साहित्यकी संकलनाके विषयमे कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः यदि यह कहा जाये कि दिगम्बर जैन परम्परा इस विषयमें एकदम मूक है, तो अत्युक्ति न होगी। यद्यपि अपवाद रूपसे उन पर छींटाकसी करनेका संकेत मिलता है किन्तु वह संकेत भी इतना गम्भीर है, कि हर किसीकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुच सकती। अतः उक्त धारणा ठीक नहीं है।

(भगवान महावीरके पश्चात् अंगज्ञानकी परम्परा किस प्रकार गुरु शिष्य परम्पराके रूपमे प्रवर्तित होते-होते लुप्त हुई, इसका स्वतंत्र वर्णन तिलोयपरणत्ति, धवला, जयधवला टीका तथा श्रुतावतार आदिमे है। तदनुसार दिगम्बर परम्परामें वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्यन्त अंगज्ञानकी परम्परा प्रवर्तित रही है किन्तु उसे संकलित करने या लिपिवद्धकरनेका कभी कोई सामूहिक प्रयत्न किया गया हो, ऐसा आभास नहीं मिलता)।

१ कै० हि० इ०, जि० १, पृ० १४८, जै० नाँ० इ० पृ० २२१ ।

२ 'माँसभक्षणाद्यभिधान श्रुतावर्णवादः ।'

यह प्रश्न हो सकता है कि जब दिगम्बर सम्प्रदायमें श्रुत-केवली भद्रबाहुके पश्चात् भी अंगज्ञानकी परम्परा ५०० वर्ष तक चालू रही तो श्वेताम्बरोंकी तरह दिगम्बरोंने उनके सकलनादिका प्रयत्न क्यों नहीं किया। इस प्रश्नके समाधानके लिये दिगम्बर परम्परा और श्वेताम्बर परम्पराके दृष्टिकोणमें जो मौलिक मत-भेद हमें प्रतीत हुआ उसे हम नीचे देते हैं।

द्वादशांग के ग्रथक में मतभेद

दोनों परम्परायें भगवान महावीरके द्वारा उपदिष्ट द्वादशांग वाणीको आद्य जैन साहित्य मानती हैं। द्वादशाङ्गके नाम भी दोनों परम्पराओंमें एक ही हैं। किन्तु अन्तर यह है कि दिगम्बर परम्पराके अनुसार भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट वाणीको उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरने बारह अंगोंमें गूँथा और अपने उत्तराधिकारी सुधर्मा गणधरको सौंप दिया। सुधर्माने जम्बू स्वामीको सौंप दिया। इस तरहसे दिगम्बर परम्पराकी गुर्वावलियोंमें आद्य स्थान गौतम गणधरको प्राप्त है। किन्तु श्वेताम्बर परम्पराकी गुर्वावलि गौतम गणधरसे शुरू न होकर सुधर्मासे शुरू होती है।

कल्पसूत्रकी 'स्थविरावली'में लिखा है कि 'भगवान महा-

१ ज० घ०, भा० १, पृ० ८४।

२ 'सव्वे वि णं एते समणस्स भगवओ महावीरस्स एककारस वि गणहरा दुवालसगिणी चउदसपुव्विणो समत्तगणिपिडगधारगा रायगिहे नगरे मासिएण भत्तेण अपाणएण काल गया जाव सव्व-दुक्खप्पहीणा, थेरे इदभूर्इ थेरे अज्ज सुहम्मो य सिद्धिगए महावीरे

वीरके ये सभी ग्यारह गणधर द्वादशांगी, चतुर्दशपूर्वी और समस्त गणपटकके धारक थे। राजगृहीमें मासिक निर्जल भक्तके द्वारा कालगत होकर ये सभी सब दुःखोंसे मुक्त हो गये। स्थविर इन्द्रभूति और स्थविर सुधर्मा ये दोनो महावीरके निर्वाणके पश्चात् मुक्त हुए। आज पर्यन्त जो ये श्रमण निर्ग्रन्थ विहार करते हैं ये सब आर्य सुधर्माकी सन्तान हैं शेष सब गणधर नि सन्नानी हुए।

इस स्पष्टीकरण के पश्चात् स्थविरावली भगवान महावीर के शिष्य सुधर्मासे प्रारम्भ होती है। यही बात नन्दीसूत्रके आरम्भमें दी गई स्थाविरावली में भी पाई जाती है वह भी सुधर्मासे ही शुरू होती है। इस तरह श्वेताम्बर परम्परामें आज जो अङ्ग साहित्य पाया जाता है वह सुधर्मा के द्वारा उस परम्पराको प्राप्त हुआ था, गौतम गणधरके द्वारा नहीं।

हमने इस बातको खोजना चाहा कि जैसे दिगम्बर परम्पराके अनुसार प्रधान गणधर गौतमने महावीरकी देशनाको अङ्गमें गूँथा वैसे श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार महावीरकी वागीका सुनकर उसे अङ्गमें किसने निबद्ध किया ? किन्तु खोजने पर भी हमें किसी खास गणधरका निर्देश इस सम्बन्धमें नहीं मिला। प्राप्त उल्लेखोंसे साधारणतया यही प्रतीत हुआ कि सभी

पच्छा दुग्णि वि थेरा परिनिव्वुया । जे इमे अज्जत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति एए ण सव्वे अज्ज सुहम्मस्स अणगारस्स आवच्चिज्जा, अससेसा निरवच्चा बुच्छिन्ना ॥४॥—पट्टा० स० पृ० २।

१ 'तव नियमनाणरुक्खं आरुटो वेवली अमियनाणी ।
तो मुयइ नाणवुट्ठिं भवियजणविबोहणइए ॥

गणधर, वाणीको सुनकर उसे अङ्गोंमें निबद्ध करते हैं। शायद इसीसे गणधरोकी वाचनार्थोंमें भी भेद होनेका उल्लेख श्वेताम्बर परम्परामें पाया जाता है। (सेन प्रश्नमें यह प्रश्न किया है कि तीर्थङ्करके गणधरोमें वाचना भेद होने पर भी सामोहिकपना (एक साथ भोजन व्यवहार) होता है या नहीं, तथा उनमें सामाचारी (साधुओंका आचार) कृत भेद रहता है या नहीं ? इसका उत्तर दिया है कि तीर्थङ्करके गणधरोमें परस्पर वाचना भेद होनेसे सामाचारीमें भी किन्ना ही भेद रहता है और सामाचारीमें भेद रहनेसे कुछ असामोहिकत्व भी रहता है। इसका आशय यह है कि तीर्थङ्करके गणधरोकी वाचनाएँ भिन्न होती हैं और वाचना भिन्न होनेसे उनके आचारमें भी भेद रहता है और आचारमें भेद रहनेसे परस्परमें एक साथ खान पान करनेमें भी रुकावट होना संभव है)।

त बुद्धिमण्येण पडेण गणधरा गिण्हिउ निरवसेस ।

तित्थयरभासिय गथति तत्रो पवयणट्ठा ॥१०६५॥

‘ता च शानकुसुमवृष्टिं बुद्धया निर्वृतो बुद्धिमयस्तेन विमलबुद्धिमयेन पटेन गणधरा गौतमादयो ग्रहीतुं गृहीत्वाऽऽदाय निरवशेषा सम्पूर्णां, तत तीर्थकरभाषितानि कुसुमकल्पानि भगवदुक्तानि विचित्रप्रधानकुसुममालावद् ग्रथन्ति ।’—विशेषा० भा० ।

१ ‘तीर्थकरगणभृता मिथो भिन्नवाचनत्वेऽपि सामोहिकत्व भवति न वा ? तथा सामाचार्यादिकृतो भेदो भवति न वेति प्रश्ने, उत्तरम्—गणभृता परस्पर वाचनाभेदेन सामाचार्या अपि कियान् भेदः सभाव्यते तद्भेदे च कथंचिदसामोहिकत्वमपि सभाव्यते ।’ —सेन०, उल्लास २,

प्रश्न ८१ ।

कल्प^१ सूत्रमे लिखा है कि भगवानके गणधर नो ग्यारह थे, किन्तु गण नौ ही थे। इसका स्पष्टीकरण करते हुए उसमें लिखा है कि वाचना भेदसे गणभेद होता है। और एकही प्रकारकी वाचना लेनेवाले साधु समुदायको गण कहते हैं। अतः गणधरोंकी संख्या ग्यारह होते हुए भी गण नौ ही थे। अन्तिम चार गणधरों मेंसे दो दो गणधरोंकी एक ही वाचना थी। ज्येष्ठ गणधर इन्द्रभूति पाचसौ शिष्योंको वाचना देते थे, इसी तरह अग्निभूति, वायुभूति आर्य व्यक्त, आर्य सुधर्मा, पांचसौ पांचसौ शिष्योंको वाचना देते थे। मण्डित पुत्र और मौर्य पुत्र साढ़े तीन सौ श्रमणोंको वाचना देते थे। इन सातोंकी वाचना पृथक् पृथक् थी। शेष चारमें से अकम्पित और अचलभ्राताकी एकही वाचना थी। ये दोनों छ सौ शिष्योंको वाचना देते थे। इसी तरह मेतार्य और प्रभासकी भी एक ही वाचना थी। ये दोनों भी छसौ शिष्योंको वाचना देते थे।

इस मान्यता और संभावनाके प्रकाशमें जब हम श्वेताम्बर परम्परामें गौतम गणधरकी शिष्य परम्पराका अभाव और सुधर्माकी शिष्य परम्पराका सद्भाव पाते हैं तो मनमें यह आशङ्का होना स्वाभाविक है कि शायद वाचना भेद और सामाचारी भेदके कारण ही तो गौतम गणधरको दिगम्बर परंपरामें और सुधर्माको श्वेताम्बर परम्परामें अग्रस्थान नहीं मिला है ?

किन्तु श्वेताम्बर^२ परम्परामें कोई आगमवाक्य ऐसा नहीं

१ 'तेषु कालेषु तेषु समणेषु समणस्स भगवञ्चो महावीरस्स नवगणा इक्कारस गणहरा हुत्था ।' —कल्प०, ८ व्या० ।

२ 'श्वेताम्बर परम्परामें गौतम गणधरके द्वारा अगोंके रचे जानेका कोई निर्देश नहीं है। सुधर्माके द्वारा ही रचे जानेका निर्देश है—गु० जै० सा० इ०, पृ० २२ ।

है जिसे गौतम गणधरकी कृति कहा गया हो। किन्तु 'दिगम्बर परम्परामे ऐसे आगम वाक्य हैं जो गौतम गणधरकी कृति कहे गये हैं। (इस परसे यह संभावनाकी जा सकती है कि गौतम गणधर का वारमा दिगम्बर परम्पराको प्राप्त हुआ था। यद्यपि दिगम्बर परम्पराके अनुसार अगज्ञानका प्रवाह गौतम गणधरसे ही सुधर्मा को और सुधर्मासे जम्बूको प्राप्त हुआ था और इस तरह गौतम गणधर और सुधर्मासे न कोई वाचना भेद होना संभव है और न सामाचारी भेद ही होना संभव है। किन्तु दोनों सम्प्रदायोंमे एक एक गणधरको ही प्रमुखता दिये जानेसे और श्वेताम्बर साहित्य के उक्त उल्लेखोंसे एक अन्वेषकके मनमे उक्त संभावना हो सकती है। और आगे हुए संव भेदमे इसका भी कुछ प्रभाव रहा हो, ऐसी भी संभावनाकी जा सकती है) अस्तु,

किन्तु इसके साथही यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि (वर्तमान आगमोंको देखनेसे पता चलता है कि उनमेसे कुछ आगमोंका निर्माण इन्द्रभूति गौतमके प्रश्नोंका आभारी है। भगवतीसूत्रमें तो इन्द्रभूतिके द्वारा भगवानसे पूछे गये प्रश्नोंका

१ षट् खण्डागमके कृति, अनुयोग द्वारके प्रारम्भमें सूत्रकार भूतबलिने 'शमो जिगाण' आदि ४४ सूत्रोंसे मंगल किया है। ठीक यही मंगल योनि प्राभृत ग्रन्थमें गणधर वलय मन्त्रके रूपमें पाया जाता है। इन मंगल सूत्रोंकी टीकामें वीरसेन स्वामीने यह लिखा है कि ये मंगल सूत्र गौतम गणधरने महाकर्म प्रकृति प्राभृतके आदिमें कहे हैं। यथा—'महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदियादिचउत्रीसअणियोगावयवस्स आदीए गोदमसामिणा परुविदस्स भूदत्रलिभडारएण वेयणखडस्स आदीए मंगलह तदो आणेदूण ठविदस्स'—षट् खं०—पु० ९, पृ० १०३।

ही बाहुल्य है। बड़े आश्चर्यकी बात यह है कि सुधर्माकी परम्पराका सघ विद्यमान होते हुए भी, और प्रस्तुत आगमोंकी वाचना सुधर्माकी परम्परासे प्राप्त होनेकी मान्यता होते हुए भी समस्त आगमोंमें सुधर्माके द्वारा भगवानसे पूछे हुए एकभी प्रश्नका निर्देश नहीं है। यद्यपि आगमोंमें इन्द्रभूति गौतमके पश्चात् दूसरे नम्बर पर किसी गणधरका वर्णन मिलता है तो वह आर्य सुधर्मा हैं। आर्य सुधर्माका गुण वर्णन भी इन्द्रभूति गौतम जैसा ही है।

गुर्वावली की पद्धतिमें भिन्नता

दिगम्बर^१ परम्परा में भगवान गौतम गणधरसे लेकर वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्यन्त हुए अंग ज्ञानियोंके क्रमसे गुरुनामावली दी गई है। क्योंकि महावीर निर्माणके पश्चात् ६८३ वर्ष पर्यन्त ही दिगम्बरोमें अंगज्ञानियोंकी परम्परा चालू रही। उसके पश्चात् उस परम्पराका विच्छेद हो गया। यद्यपि परम्परासे होने वाले आचार्योंमें अंगज्ञान उत्तरोत्तर घटता गया तथापि आशिक ज्ञानकी परम्परा ६८३ वर्ष पर्यन्त अविच्छिन्न चलती रही।

श्वेताम्बरीय स्थविरावलियोंमें, जो नामावली दी गई है वह युग प्रधान आचार्योंके क्रमके अनुसार दी गई है। उसमें भद्रबाहु श्रुतकेवलीके पश्चात् स्थूल भद्रको अन्तिम श्रुतधर बतलाया है और लिखा है कि उन्हें ग्यारह अंगों और चौदह पूर्वोंका ज्ञान था। स्थूलभद्रके पश्चात् कोई चतुर्दश-पूर्वी नहीं हुआ। अन्तिम दसपूर्वी वज्र स्वामी थे। वज्रस्वामीके शिष्य आर्य रक्षितको साढे नौ पूर्वोंका ज्ञान था। इस तरह क्रमशः श्वेताम्बर परम्परामें भी पूर्वोंका लोप हो गया। किन्तु

ग्यारह अंगोंका ज्ञान बना रहा । (किन्तु दिगम्बरोंकी तरह काल क्रमसे होनेवाले अग ज्ञानियोंकी परम्पराका कोई निर्देश श्वेताम्बर परम्परामें नहीं मिलता । हां, भिन्न २ समयोंमें अंगोंका सकलन करनेकेलिये जो तीन वाचनाएँ हुई उनका निर्देश अवश्य मिलता है और उस परसे यही व्यक्त होता है कि श्वेताम्बर परम्परामे अग ज्ञानका वारसा गुरुशिष्य परम्पराके क्रमसे एक ही व्यक्ति में समाविष्ट नहीं माना जाता था । किन्तु विभिन्न व्यक्तियोंमें विप्रकीर्ण रहता था—फुटकर फुटकर प्रसंग विभिन्न व्यक्तियोंको ज्ञात रहते थे । इसीसे उन सबको एकत्र करनेके लिये विभिन्न कालोंमें तीन वाचनाएँ की गईं । बौद्धों में भी बुद्ध के उपदेशोंको संगृहीत करनेके लिए इसी प्रकार तीन संगीतियाँ हुई थीं ।)

(पहले लिखा गया है कि बौद्धोंके मध्यम मार्गका प्रभाव जैन साधुओं सुखशील पक्ष पर पड़ा । अतः दोनोंकी वाचनाओंकी समसख्या देखकर यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि जैन वाचनाएँ बौद्ध संगीतियोंकी ही प्रतिकृति तो नहीं हैं । अतः दोनोंको तुलनाके लिए बौद्ध संगीतिका विवेचना किया जाता है ।)

बौद्ध संगीति और जैन वाचना

बौद्ध परम्पराकी तीनों संगी-तियों किसी दुर्भिक्षके कारण पिटकधरोंके स्वर्गवास हो जानेके कारण नहीं हुई, जैसा कि श्वेताम्बरीय जैन वाचनाएँ हुईं । प्रथम संगीतिका कारण बतलाते हुए लिखा है—“उस समय आवुसो ! सुभद्र वृद्ध प्रव्रजितने कहा—अच्छा आवुसो ! हम धर्म और नियमका संगान (साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट होरहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट होरहा है, विनय हटाया

जा रहा है, अधर्मवादी बलवान हो रहे हैं, धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, विनयवादी हीन हो रहे हैं।"—बुद्ध च, पृ. ५४८।

इस तरह धर्म और विनयका ह्रास होनेके कारण प्रथम^१ संगीतिकी गई।^२ दूसरी संगीति भी इसी कारणसे हुई। उस समय वैशालीके वज्जिपुत्तक भिन्नु उपोसथके दिन कासेकी थालीको पानीसे भरकर और भिन्नुसंघके बीचमे रखकर आने जानेवाले वैशालीके उपासकोसे उसमे सोना, चाँदी, सिक्का डालनेके लिये कहते थे और फिर संचित द्रव्यको आपसमें बाँट लेते थे। आयुष्मान् यशने इस अकार्यका विरोध किया। इसपर से देश-देशान्तरोंके स्थविरोको एकत्र करके संगीति की गई।—बु. च. पृ. ५५६।

तीसरी संगीति अशोकके राज्यकालमे पाटलीपुत्रमे हुई। उस समय अशोकाराममे भिन्नुओंने उपोसथ करना छोड़ दिया था

१ भगवान बुद्धके प्रियशिष्य आनन्दको भगवानके सब सूत्रान्त कण्ठस्थ थे। उनकी स्मृति प्रबल थी इसी कारणसे प्रथम संगीतिमें आनन्दने धर्म (सूत्रान्त) का पाठ किया। इसी कारणसे सूत्रान्त इस वाक्यसे आरम्भ होते हैं—'एव मे सुत' (ऐसा मैंने सुना)।

२—इस दूसरी संगीतिके समय बौद्ध संघमें भेद हो गया और स्थविर तथा महासाधिक इस प्रकार दो भेद हो गये। वसुमित्र के अनुसार स्थविर और महासाधिकका भेद अशोकके राज्यकालमें पाटलीपुत्रमें हुआ था। चुल्लवग्ग के अनुसार निर्वाणके १०० वर्षके पश्चात् सब में भेद हुआ। इस संगीतिके पूर्व पश्चिमके भिन्नुओंने अपनी एक सभा मथुराके पास अहोगगमें की थी,—त्रै० ध० द०, पृ० ३५।

और सात वर्षतक उपोसथ नहीं हुआ था । तब अशोकने स्थविरो-
को आमंत्रित करके यह मामला उनके सामने रखा और तब
तीसरी संगीति हुई, जिसमें नौ मास लगे । इस संगीतिके पश्चात्
अशोकका पुत्र महेन्द्र लंका गया और 'त्रिपिटककी पाली (पंक्ति)
और उसकी अट्ठकथा, जिन्हे पूर्वमें महामति भिन्नु कण्ठस्थ
करके लंका लेगये थे, प्राणियोंकी (स्मृति-) हानि देखकर भिन्नु-
ओंने एकत्र हो, धर्मकी चिरस्थिति के लिये, पुस्तकोंमें लिखाया'
(बु० च०, पृ० ५८०) । और इस तरह तीन संगीतियों के पश्चात्
लंकामें त्रिपिटकोंको पुस्तकारूढ़ किया गया ।

बौद्ध संगीतिका परिचय करानेके पश्चात् अब हम जैन
परम्पराकी ओर आते हैं—

(विज्ञोंसे यह बात अज्ञात नहीं है कि जैसे महावीरके ग्यारह
गणधर थे, जो महावीरके उपदेशोंको संकलित करके अंगोंमें
निबद्ध करते थे, वैसे बुद्धके कोई गणधर नहीं थे । बुद्ध समय-
समयपर उपदेश देते थे, किन्तु उनके उपदेशोंको तत्काल ग्रथित
करनेका भार किसीके सपुर्द नहीं था, हाँ सतत साथ रहनेवाले
उनके शिष्य साथ रहते-रहते उनके उपदेशोंको जानें और याद
रखें यह बात भिन्न है ।

प्रथम संगीतिके समय बुद्धके अन्यतम अनुयायी आनन्द
स्थविर भी उपस्थित थे । जब संगीतिके लिये स्थविर भिन्नुओंका
चुनाव होने लगा तो भिन्नुओंने महाकश्यपको कहा—'भन्ते ! यह
आनन्द यद्यपि शैक्ष्य (अन्-अर्हत्) है तौ भी छन्द (राग) द्वेष,
मोह, भय अगति (बुरे मार्ग) पर जानेके अयोग्य हैं । इन्होंने
भगवान् बुद्धके पास बहुत धर्म (सूत्र) और विनय प्राप्त किया
है इसलिये भन्ते ! स्थविर आयुष्मान्को भी चुन लें ।'—बु० च०,

पृ३ ५४८ । अतः बुद्धके पश्चात् इस प्रकारके स्थविर भिक्षुओंको एकत्र करके धर्म और विनयके रूपमें बुद्धके उपदेशोंका सङ्कलन करना उचित था।

किन्तु महावीर भगवानके तो एक दो नहीं, ग्यारह गणधर थे—जिनका मुख्य काम भगवानके उपदेशोंको स्मरण रखकर तत्काल अंगोंमें ग्रथित करना था। और ग्रथित करनेके पश्चात् किसी योग्य शिष्यको सौंपकर उसकी परिपाटीको कायम रखना भी एक मुख्य कार्य था। इसी परिपाटीके अनुसार द्वादशांग श्रुत अविकल रूपमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुको प्राप्त हुआ। दिगम्बर मान्यताके अनुसार श्रुतकेवली भद्रबाहुका स्वर्गवास दक्षिणमें हुआ और उनका उत्तराधिकार उनके शिष्य गोविर्धनाचार्यको प्राप्त हुआ। यद्यपि सकल श्रुतज्ञानका विच्छेद तो श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथही होगया, तथापि गौतम गणधरसे जो परम्परा चालू हुई थी कि अगश्रुतको प्रवाहित करनेके लिये उम उसके योग्य उत्तराधिकारीको सौंप दिया जाये, वह ६८३ वर्ष पर्यन्त तक चालू रही।

(श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार श्रुतकेवली भद्रबाहुके जीवित रहते हुए भी उनकी अनुपस्थितिमें ही ग्यारह अंगोंका सङ्कलन पाटलीपुत्रमें किया गया। और चूँकि चौदह पूर्वोंका ज्ञान भद्रबाहुके सिवाय अन्य किसीको नहीं था इसीसे पूर्वोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उनके पास कुछ साधुओंको भेजा गया।)

इसपरसे यह शंका होती है कि (यदि भद्रबाहु श्रुतकेवली जीवित थे और उन्हें द्वादशांग श्रुत अविकल रूपसे प्राप्त था तो साधुसंघको एकत्र करके उसकी स्मृतिके आधारपर ग्यारह अङ्गोंको संकलित करनेकी जल्दी क्यों की गई और दुर्भिक्षके कारण)

बहुतसे साधुओंके स्वर्गत होजाने पर भी श्रुतकेवली भद्रबाहुके रहते हुए श्रुतविच्छेदका भय कैसे संभव था ? यह भय तो उनके स्वर्गवास होनेपर ही सम्भव है । इसके सिवाय श्रुतकेवलीके जीते हुए भी उसकी उपेक्षा करके अन्य आशिक श्रुतधरोंकी स्मृतिके आधार पर अङ्गोंका संकलन करना स्पष्ट ही श्रुतकेवलीकी अवहेलना है । और इस प्रकारसे सकलित किये गये अङ्गोंको प्रमाण ही कैसे माना जा सकता है ?

दिगम्बर तथा त्रिशेवतया श्वेताम्बर साहित्यसे यह प्रकट होता है जैसाकि आगे बताया जायगा—कि अङ्गोंकी अपेक्षा पूर्वोंका विशेष महत्त्व था । श्वेताम्बर साहित्यके अनुसार तो पूर्वोंसे ही अङ्गोंका विकास हुआ है । और उस समय पूर्वधर केवल एक श्रुतकेवली भद्रबाहु थे । पूर्वोंकी वाचनाको लेकर ही उनका पाटलीपुत्रके सघ से मनमुटाव हुआ था ।

कल्पसूत्र-स्थविरावलीके अनुसार यशोभद्रके दो शिष्य थे सम्भूत विजय और भद्रबाहु । तथा सम्भूतविजयके शिष्य स्थूलभद्र थे । पाटलीपुत्री वाचना से पूर्व सम्भूति विजयका स्वर्गवास हो चुका था और इसलिये भद्रबाहु ही युग प्रधान थे । स्थूल भद्र तो एक तरहसे शैक्ष्य थे । क्योंकि पाटलीपुत्री वाचनाक पश्चात् पूर्वोंका अध्ययन करनेके लिए जो साधु समुदाय श्रमण संघने भद्रबाहुके पास भेजा था उसमें स्थूलभद्र भी थे, और उन्होंने ही उनसे दस पूर्वोंका अविकल ज्ञान प्राप्त किया था । किन्तु स्थूलभद्रने ग्यारह अङ्गोंका ज्ञान किससे प्राप्त किया यह स्पष्ट नहीं होता । यदि उस समय स्थूलभद्र ग्यारह अङ्गोंके वेत्ता थे तौभी अगोंका संकलन करनेके लिये पाटलीपुत्री वाचनाकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्थूलभद्रको उनका

अविकल ज्ञान था । और यदि स्थूलभद्रने अपने गुरु सम्भूति विजयसे ग्यारह अङ्गोंका भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था तो स्पष्ट ही वह पाटलीपुत्रमें संगृहीत किये गये ग्यारह अङ्गोंके ही पाठी थे—परम्परासे प्रवाहित एकादशांग वेत्ता नहीं थे ।

(स्थूलभद्रको लेकर इतना लिखनेकी आवश्यकता इसलिये हुई कि जैसे श्वेताम्बर परम्परामें गौतम गणधरकी शिष्य परम्पराका अभाव है वैसे ही श्रुतकेवली भद्रबाहुकी शिष्य परम्पराका भी अभाव है । सम्भूतिविजयके पश्चात् उनकी स्थविरावली स्थूलभद्रसे ही प्रचलित होती है । ऋषिमण्डलसूत्रमें भद्रबाहुकी स्तुति एक ही गाथाके द्वारा की गई है किन्तु उनके उत्तराधिकारी स्थूलभद्रकी स्तुति बीस गाथाओंके द्वारा की गई है।)

भद्रबाहुकी स्तुतिमें उन्हें 'अपच्छिम सयलसुयनाणि' कहा है । जिसका सीधा अनुवाद 'अन्तिम श्रुतकेवली' होता है । किन्तु 'अपच्छिम'का अनुवाद 'पश्चिम-अन्तिम-नहीं' ऐसा भी किया जा सकता है क्योंकि श्वेताम्बर परम्परामें स्थूलभद्रको भी श्रुतकेवली माना है । अतः भद्रबाहुको उपान्त्य (अन्तिमसे पहला) श्रुतकेवली गिना जाता है । स्थूलभद्रने पूर्वोंका ज्ञान श्रुतकेवली भद्रबाहुसे किस प्रकार प्राप्त किया था, इसका वर्णन हेमचन्द्रने परिशिष्ट पर्वके नवम सर्गमें किया है । (उसका सार यह है कि

१. दसकप्पववहारा निज्जूढा जेण नवम पुव्वाओ । वंदामि भद्रबाहु तमपच्छिमसयलसुयनाणि ॥”

२. 'शय्यंभवो यशोभद्रः सम्भूतविजयस्ततः ॥ भद्रबाहुः स्थूल, भद्रःश्रुतकेवलिनो हि षट् ।'—अभि० चि०, का० १, श्लोक० ३३-३४ ।

'पाटलीपुत्रमे संघने ग्यारह अङ्गोंका संकलन करनेके पश्चात् बारहवें दृष्टिवाद अङ्गको प्राप्त करनेके लिए ५०० साधुओंको भद्रवाहुके पास भेजा, जो उस समय नैपालमें थे। उन साधुओंमें स्थूलभद्र भी थे। भद्रवाहुने उस समय 'महाप्राण' नामक व्रत धारण किया था इसलिये वह अपने शिष्योंको पूर्वोकी बहुत थोड़ी वाचना दे पाते थे। तथा पूर्व कठिन भी थे और विस्तृत भी थे। इन कारणोंसे एक स्थूल भद्रके सिवाय शेष सब साधु वहाँसे चले गये। केवल स्थूलभद्र ने दस पूर्वोका अध्ययन किया। किन्तु उसके एक सदाष व्यवहारसे असन्तुष्ट होकर भद्रवाहुने उन्हें चार पूर्वोकी वाचना देनेसे इन्कार कर दिया। जब स्थूलभद्र ने बहुत प्रार्थना की और अपने दोषोंकी क्षमा मागी तब भद्रवाहु ने उन्हें चार पूर्वोकी केवल सूत्ररूपसे वाचना दी, उनका अर्थ नहीं बतलाया। अतः स्थूलभद्र सम्पूर्ण श्रुत ज्ञानी नहीं थे। खरतर गच्छकी पट्टावलीमें भी लिखा है कि स्थूलभद्रने दो वस्तु हीन दस पूर्वोका तो सूत्र और अर्थ रूपसे पढ़ा था किन्तु अन्तके चार पूर्वोको अर्थ रूपसे नहीं पढ़ा था। प्राचीन परम्पराके अनुसार भद्रवाहु ही अन्तिम श्रुत केवली थे। पीछेसे स्थूलभद्रको भी श्रुत केवलियोमें गिना जाने लगा।)

इस तरह स्थूलभद्रने भद्रवाहुसे जो पूर्वोका ज्ञान प्राप्त किया, वह तो आगे चलकर लुप्त हो गया और शेष ग्यारह अङ्गोंका

१. 'समस्तगणि पिटकधारका', गणोऽस्यातीति गणी-भावाचार्यः तस्य पिटकमिव-रत्नकरण्डकमिव गणिपिटक-द्वादशागी, तदपि न देशतः स्थूलभद्रस्येव, किन्तु ? समस्त-सर्वाक्षरसन्निपातित्वात् तद्धारयन्ति सूत्रतोऽर्थतश्च ये ते तथा ।'—कल्प० सुबो०, पृ० १८५।

उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह पाटलीपुत्री वाचनामे संकलित किये गये ग्यारह अंग थे। उनमे अन्तिम सकल श्रुतज्ञानी भद्रबाहुका कोई योगदान नहीं था। अतः वे अनधिकारी श्रुतधरोके द्वारा संकलित होनेसे मान्य कैसे किये जा सकते थे। उन्हींके आधारसे श्वेताम्बर परम्परामें आगे चलकर वर्तमान आगम संकलित किये गये।

हमे तो उक्त आशंकाओंके प्रकाशमे पाटलीपुत्रमें हुई वाचनाकी बात केवल बौद्ध संगीतिका अनुकरण मात्र प्रतीत होती है, क्योंकि जैन संघ और बौद्ध संघकी व्यवस्थामें प्रारम्भसे ही मौलिक अन्तर रहा है। प्रथम बौद्ध संगीतिका वर्णन करते हुए आचार्य नरेन्द्रदेवने लिखा है—

“जहाँ पहले संघका अधिकार था, वहाँ अब प्रमुखका अधिकार हो गया। संघ त्रिरत्नोंमें से एक था। भिक्षु और उपासक संघमे शरण लेते थे, न कि किसी आचार्य या प्रमुख में। प्रमुखको संघके निर्णयोंको कार्यान्वित करना पड़ता था, वह अपने मन्तव्योंको संघ पर लाद नहीं सकता। अतः दीपवशमें संघ स्वयं संगीतिके सदस्योंको चुनता है। किन्तु दीपवश और चुल्लवग्गके अनुसार महाकाश्यपने ५०० अर्हत्तोंको प्रवचनका संग्रह करनेके लिये चुना। अशोकावदानमें भी प्रमुख आचार्योंका चुनाव संघ नहीं करता है...किन्तु एक आचार्यसे दूसरे आचार्यको अधिकार हस्तान्तरित होते हैं। पुराने समयमे संघका जो आधिपत्य था वह जाता रहा और प्रमुखोंका अधिकार कायम हो गया।”—बौ० ध० द० पृ० १० १३।

किन्तु जैन परम्परामें प्रारम्भसे ही प्रमुख आचार्यका चुनाव संघके द्वारा न होकर आचार्यसे ही दूसरे आचार्यको अधिकार

हस्तान्तरित किया जाता था। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी यही परम्परा रही है। सुधर्मा स्वामीने अपने शिष्य जम्बूको, जम्बूने प्रभवको, प्रभवने शायभव को, और शायंभवने यशोभद्रको स्वयं ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। किन्तु पाटलीपुत्र-वाचनामें हम संघका ही प्राधान्य पाते हैं। उस वाचनाका कोई प्रमुख नहीं था—जब पूर्वोकी वाचना देनेके ऊपर भद्रवाहुसे कुछ संघर्ष हो गया तो संघकी ओरसे ही उनके पास ढण्ड-विधानकी आज्ञा प्रेषित की गई थी। (इसके निर्णयके लिये आवश्यक चूर्ण, नित्यागाली पइत्रा और परिशिष्ट पर्व आदिको देखा जा सकता है)। किन्तु दिगम्बर परम्परामें अंगज्ञानका उत्तराधिकार गुरु शिष्य परम्पराके रूपमें ही प्रवाहित होता हुआ माना गया है। उसके अनुसार अंगज्ञानने कभी भी सार्वजनिक रूप नहीं लिया। आवलिक्रमसे गुरुके द्वारा जिसे उसका उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, वही उसका प्रामाणिक अधिकारी समझा गया। उसने इस विषयमें जन-जनकी स्मृतिको प्रमाण नहीं माना। इसीसे दिगम्बर परम्परामें अंगज्ञानको सामूहिक रूपसे संकलित करनेका न कभी प्रयत्न किया गया और न ऐसे प्रयत्नको सराहा गया।

उक्त विश्लेषणसे पाठक समझ सकेंगे कि दिगम्बर परम्परामें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी तरह अंगोंके संकलनका सामूहिक प्रयत्न क्यों नहीं किया गया और क्यों दिगम्बरोंने उक्त रीतिसे संकलित आगमोंको मान्य नहीं किया। इससे यद्यपि उनकी अपार क्षति हुई।

श्रुतपरिचय

अब हम श्व ताम्बरीय तथा दिगम्बरीय साहित्यके आधार पर द्वादशांग श्रुतका अर्थात् श्रुतके चारह अंगोंका परिचय देते हैं ।

नाम

इनका मूल नाम तो अंग है, उनकी संख्या चारह होनेसे उन्हें द्वादशाङ्ग^१ कहते हैं। जैसे शरीरके अवयवों को अंग कहते हैं। साधारणतया शरीरमें आठ अंग माने गये हैं—दो हाथ, दो पैर, नितम्ब, पृष्ठ, छाती, सिर। किन्तु चारह अङ्गों का भी उल्लेख मिलता है अतः श्रुतरूप^२ परम पुरुष के अङ्गोंके तुल्य होनेसे द्वादशाङ्ग कहते हैं। दिगम्बर^३ साहित्यमें इन्हे श्रुत देवताका अङ्ग कहा है।

१—“नलया बाहू य तथा नियत्र पुट्टी उरो य सीसो य ।

अट्टेव दु अगाइं देहे सेसा उवंगाइ ॥”

—कर्मकाण्ड गो० ।

२—“श्रुतरूपस्य परमपुरुषस्याङ्गानिवाङ्गानिआचाराङ्गदीनि यस्मिन् तत् द्वादशाङ्गम् ।”—नन्दी० टी० पृ-१६३ पूर्वा० ।

३—‘चारह अङ्गगिग्भ्ना वियलियमलमूढदंसणुत्तिलया ।
विविहवरचरणभूसा पसियउ सुयदेवया सुहर ॥

—धव०, पु० १ पृ० ६

अंगगगवज्भणिमी अणाइमज्भतणिम्मलंगाए ।

सुयदेवयअवाएँ णमो सया चक्खुमहयाए ॥ ४ ॥

—ज० ध० भा० १, पृ० ३ ।

अङ्गोको आगम^१ भी कहते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदायके वर्तमान ग्यारह अङ्ग आजकल आगमके नामसे ही प्रसिद्ध हैं। जो परम्परासे^२ चला आया हो उसे आगम कहते हैं। (अनुयोग द्वार सूत्रमें आगमके तीन भेद किये हैं—आत्मागम अनन्तरागम और परम्परागम। तीर्थङ्कर केवलज्ञानके द्वारा स्वयमेव सब पदार्थोंको जानते हैं इस लिए उनके अर्थको आत्मागम कहते हैं। गणधरोंके द्वारा रचे गये सूत्रोंको सूत्रागम कहते हैं। उन सूत्रोंका ज्ञान गणधरोंके लिये आत्मागम है क्योंकि उन्होंने स्वयं उनकी रचना की है। किन्तु उन सूत्रोंमें निबद्ध अर्थ का ज्ञान अनन्तरागम है क्योंकि उस अर्थका ज्ञान उन्हें तीर्थङ्करके उपदेशसे प्राप्त हाता है। इसी तरह गणधरोंके शिष्योंका सूत्रज्ञान अनन्तरागम है, क्योंकि वह उन्हें गणधरोंसे प्राप्त होता है। तथा उनके अर्थ का ज्ञान परम्परागम है क्योंकि तीर्थङ्करोंसे अर्थका ज्ञान गणधरों को प्राप्त होता है, और गणधरोंसे उनके शिष्योंको प्राप्त होता है। इस लिये परम्परासे प्राप्त होनेके कारण उसे परम्परागम कहते हैं। गणधरोंके शिष्योंसे जो अर्थ ज्ञानकी परम्परा चलती है वह न तो आत्मागम है और न अनन्तरागम है। वह सब परम्परासे प्राप्त होनेके कारण परम्परागम है)।

व्यवहार सूत्रमे प्रथम आचारांगसूत्रसे लेकर अष्टम पूर्व पर्यन्त अङ्गों और पूर्वोंको तो श्रुत कहा है और नवम आदि शेष छै पूर्वोंको आगम कहा है। इस भेदका कारण यह बतलाया

१—से किं त आगमे ? दुविहे पणणे, तं जहा—लोईए अलो-उत्तरिए अ। ' ' से किं त लोउत्तरिए ?दुवालसंग गणि-पिडग।'—अनु०, पृ० १९२।

२—'गुरुपरम्पर्येणागच्छतीति आगमः'।—अनु० टी०, सू० १४७।

है कि जिससे अतीन्द्रिय पदार्थोंका ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। यद्यपि नवम आदि पूर्व भी श्रुत हैं किन्तु केवल ज्ञानकी तरह अतीन्द्रिय पदार्थोंका विशिष्ट ज्ञान करानेमें कारण होनेसे उन्हें आगम ही कहते हैं। प्रथम आचारांगसे लेकर अष्टम पूर्व पर्यन्त शेष श्रुतके द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोंका वैसा ज्ञान नहीं होता। इसलिये उसे केवल श्रुत कहते हैं। इस तरह श्रुतसे आगमका विशेष महत्व बतलाया है।

यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि समस्त आगमिक साहित्यको श्रुत भी कहते हैं। 'श्रुत'^२ का अर्थ होता है 'सुना हुआ'। (अर्थात् तीर्थङ्करोंसे सुनकर गणधर आगमोंकी रचना करते हैं। अतः मूलतः 'श्रुत' होनेके कारण वह 'श्रुत'^३ कहलाया। इसके विषयमें पहले विशेष प्रकाश डाला गया है।)

ऊपर कहा गया है परम्परासे आनेके कारण आगम कहते हैं। तो प्रश्न होता है परम्परासे आगत वस्तु शब्दरूप है अथवा

१ 'आगम्यन्ते अतीन्द्रियाः पदार्था येन स आगम इति व्युत्पत्तेः, नवम पूर्वादीना श्रुतत्वाविशेषे केवलशानादिवदतीन्द्रियार्थेषु विशिष्ट-ज्ञानहेतुत्वेन सातिशयत्वादागमत्वेनैव व्यपदेशः । शेषश्रुतस्य तु नातीन्द्रियार्थेषु तथाविधोऽब्रवोघस्ततोऽस्मिन् श्रुतव्यवहारः ।'

—अभि० रा०, 'आगम' शब्द ।

२ 'तदावरणक्षयोपशमे सति निरूप्यमाण श्रूयतेऽनेनेति तत् श्रूयति, श्रवणमात्रं वा श्रुतम् ।'—सर्वार्थ०, अ० १-६ सू० । 'श्रुतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोऽपि कस्मिंश्चिद् ज्ञानविशेषे वर्तते ।'—सर्वा०, १-२० ।

३ 'केवलिश्रुतसंघर्षमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । १३।—तत्त्वार्थ०, अ० ६।

अर्थरूप । (अर्थात् तीर्थङ्कर जो उपदेश देते हैं क्या गणधरोंके द्वारा ग्रथित अर्गोंमें वही उपदेश अक्षरश रहता है अथवा उस उपदेशमें प्रतिपादित अर्थको लेकर गणधर उसे भाषाका रूप देकर निबद्ध करते हैं)?

धवला^१ में कर्ताके दो भेद बतलाये हैं—अर्थकर्ता और ग्रन्थकर्ता । भगवान महावीरने जो अर्थका कथन किया उसे इन्द्रभूति गौतम गणधरने तत्काल बारह अर्गो और चौदह पूर्व-रूप ग्रन्थोंमें रचा । अत भावश्रुतके और अर्थ पदोंके कर्ता तो महावीर भगवान हुए और ग्रन्थरूप श्रुतके कर्ता गौतम गणधर हुए । इस तरह ग्रन्थ रचनाकी परम्परा प्रवर्तित हुई ।

विशेषावश्यक^२ में लिखा है कि तीर्थङ्कररूपी कल्पवृक्षसे जो ज्ञानरूपी पुष्पोंकी वृष्टि होती है उन्हें लेकर गणधर मालामें गुंथ देते हैं । इस पर यह प्रश्न^३ किया गया कि ऐसी स्थिति में तो तीर्थङ्करके कथनको ही श्रुत कहना चाहिए । गणधरके द्वारा रचित सूत्रोंमें उससे कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती ?

१ 'एवविधो महावीरो अर्थकर्ता । तदो भावसुदस्स अत्थपदाया च तित्थयरो कत्ता । तित्थयरादो सुदपज्जाएण गौतमो परिण्णदोत्ति दव्वसुदस्स गोदमो कत्ता । तत्तो गथरयणा जादा ।'—धव०, पु० १, पृ० ६४-६५ ।

२ 'त नाण कुसुम बुद्धिं घेतु वीयाइबुद्धओ सव्वं । गथति पवय-ण्णहा माला इव चित्तकुसुमाणं ॥११११॥ विशेष भा० ।

३ 'जिणभण्हिइ च्चिय सुत्त गणाहरकरणाम्मि को विसेसो त्थ ? ते तदविव्ख भांसइ, न उ वित्थरओ सुय किंतु ॥१११८॥ विशेष भा० ।

उत्तर दिया गया कि तीर्थङ्करका कथन संचिप्त होता है। वह द्वादशांगरूप नहीं होता। उसको लेकर गणधर सूक्ष्म पदार्थोंका विवेचन करने वाले और महार्थ द्वादशांगकी रचना करते हैं।

इसीसे द्वादशांगको सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो गणधरके द्वारा कहा गया हो वह सूत्र है। उसी प्रकार जो प्रत्येकबुद्धोंके द्वारा, श्रुतकेवालियोंके द्वारा या अभिन्न दसपूर्वियोंके द्वारा कहा गया हो उसे भी सूत्र कहते हैं। चूँकि द्वादशांगकी रचना गणधर करते हैं इस लिए उन्हें सूत्र कहते हैं।

‘जयधवलामे’ इस पर यह शंका की गई है कि—‘जिसमें अल्प अक्षर हों, सन्देहोत्पादक न हो, जिसमें सार भर दिया हो, जिसका निर्णय गूढ़ हो, जो निर्दोष हो, सयुक्तिक हो और तथ्य-

१ ‘तो सुत्तमेव भासइ अत्थप्पञ्चायग, न नामत्थ । गणहारिणो त चिय करेति को पडि विसेसोऽत्थ ॥११२१॥ सो पुरिसाविक्खाए थोव भणइ न वारसगाइ । अत्थो तदविक्खाए सुत्त चिय गणहराण त ॥११२२॥ अ गाइ सुत्तरयणा निरवेक्खो जेण तेण सो अत्थो । अहवा न सेसपवयणहियउत्ति जह वारसंगमिण ॥११२३॥ पवयणहिय पुण तथ ज सुहगहणाइ गणधरेहिंतो । वारसविह पवत्तइ निउण सुहुम महत्थ च ॥११२४॥’ —विशे० भा०

२ ‘सुत्ता गणधरगथिद तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च । सुदकेवलिणा कहियं अभिण्णदसपुव्विगधिद च ॥३४॥ —भ० आरा० ।

३ ‘अल्पाक्षरमसदिग्ध सारवद् गूढनिर्णयम् । निर्दोष हेतुमत्तथ्यं सूत्रमित्युच्यते बुधैः ।’ एद सव्व वि सुत्तलक्खण जिणवयणकमल विणिग्गय अत्थपदाण चैव सभइत्त ण गणहरमुहविणिग्गयगंधरयणाए तत्थ महापरिमाणुत्तवलभादो, ण सक्क (सुत्ता) सारिच्छमस्सिदूण तत्थ वि सुत्ता पडि विरोहाभावादो ।’ —ज० घ०, भा० १, पृ० १५४ ।

भूत हो, उसे विद्वान सूत्र कहते हैं।' यह सम्पूर्ण सूत्र लक्षण तो तीर्थङ्करके मुखसे निकले हुए अर्थपदोंमें ही संभव है, गणधरके मुखसे निकली हुई ग्रन्थ रचनामें नहीं, वह तो बड़ी विस्तृत और विशाल होती है।)

इसका यह समाधान किया गया है कि गणधरके वचन भी सूत्रके समान ही होते हैं इसीलिए उन्हें भी सूत्र कहनेमें कोई विरोध नहीं आता।

षट् खण्डागमके कृति अनुयोग द्वारकी धवला टीकामें वीरसेन स्वामीने तीर्थङ्करके मुखसे निकले हुए बीज पदोंको तो सूत्र कहा है क्योंकि उनमें सूत्रका उक्त लक्षण घटित होता है और गणधर देवके श्रुतज्ञानको सूत्रसम कहा है क्योंकि वह उन बीज पदरूपी सूत्रोंसे उत्पन्न होता है।

(अज्ञों और पूर्वोंको सिद्धान्त भी कहते हैं। जेकोबी, वेबर आदि विदेशी लेखकोंने अपने लेखोंमें श्वेताम्बरीय आगमोंका निर्देश 'सिद्धान्त' शब्दसे ही किया है।

इस प्रकार अज्ञों और पूर्वोंको आगम, परमागम, सूत्र, सिद्धान्त आदि नामोंसे पुकारा गया है।)

(श्वेताम्बर आगमोंमें एक नाम नया मिलता है और वह नाम

१-इदि वयणादो तित्थयरवयणविणिग्गय वीजपद सुत्तं । तेण सुत्तेण सम वट्टटि उप्पज्जदित्ति गणहरदेवम्मि द्विद सुदणाय सुत्तसम ।

—धवला, पु० ६, पृ० २५६ ।

२--'तथा सिद्धान्तस्य परमागमस्य सूत्ररूपस्य' ।

गार० टी० अ० ७, श्लो० ५० ।

है 'गणपिडग'। 'दुवालसंगं' गणपिडगं' निर्देश उपांगोंमें प्रायः मिलता है। गणी गणधरको कहते हैं और 'पिडग' कहते हैं पिटारेको। अतः 'गणि पिडग'का अर्थ है—गणधरका पिटारा या पेटी।

बौद्ध पालिनिकायको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक शब्द प्राचीन है। प्रथम शताब्दीके शिलालेखोंमें 'तेपिटक' शब्दका प्रयोग है। पिटकका अर्थ है 'पिटारा'। तीन पिटक होनेसे त्रिपिटक कहे जाते हैं। जैन अङ्गोंके लिए 'गणपिटक' शब्दका प्रयोग उसीकी अनुकृति प्रतीत होता है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय पर बौद्धोंका प्रभाव पडा, यह हम पहले बतला आये हैं। बौद्धोंकी तरह ही श्वेताम्बरोंमें भी तीन वाचनाए हुई। और बौद्ध त्रिपिटकोंके पुस्तकारूढ होनेके १०० वर्ष पश्चात् बलभीमें श्वेताम्बर आगम पुस्तकारूढ किये गये। इन सबको यदि अनुकृति न भी माना जाये तौ भी पिटक शब्द तो अवश्यही उनकी अनुकृति प्रतीत होता है। द्विगम्बरपरम्परामें इस नामका संकेत तक भी नहीं मिलता।

इन सब नामोंमें सबसे प्राचीन नाम अङ्ग ही प्रतीत होता है क्योंकि खारवेलके शिलालेख^३की १६वीं पंक्तिमें 'मुरियकालवोचिन च चोयट्टी अंग सतिकं तुरीयं' का उल्लेख है जो मौर्यकालमें विच्छिन्न हुए अङ्गका सूचक है।

१—'इच्चेइयमि दुवालसगे गणपिडगे'—नन्दि०, पृ० २४६। 'कइ विहे ए भते गणपिडए ए पणत्ते ? गोयमा ! दुवालसगे गणपिडए पणत्ते ।' —भग० २५ श० ३ उ० ।

२ बौ०घ०द०, पृ० २७। ३—ज०वि०उ०रि०सो०, जि० पृ० २३६।

बारह अंगोंके नाम

(आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृद्दश, अनुत्तरोपपादिकदश, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद, ये बारह अंगोंके नाम दोनों सम्प्रदायोमे समान हैं। इन बारह अंगोंमेंसे जो अन्तिम बारहवाँ अंग था, वह उक्त ग्यारहों अंगोंसे बहुत विशाल तो था ही, महत्त्वपूर्ण भी था। उसीके पाँच भेदोंमेंसे एक भेद पूर्व था और पूर्वके चौदह भेद थे। इन पूर्वोका महत्त्व शेष ग्यारह अंगों से बहुत अधिक था और इन्हींके कारण बारहवाँ अंग दृष्टिवाद सबसे महत्त्वशाली माना जाता था।

दृष्टिवादका महत्त्व

भगवान महावीरके समयमे भी संस्कृत भाषाका प्रचार था। वेद और वैदिक साहित्यकी भाषा संस्कृत ही है। इसीसे धर्मकी भाषा संस्कृत ही मानी जाती थी। किन्तु महावीर और बुद्धने लोक भाषाको ही अपने उपदेशोंका माध्यम बनाया, जिसे सब कोई सुगम रीतिसे समझ सकता था। फलतः जैन अंगों और पूर्वोकी भाषा प्राकृत थी।

श्वेताम्बर साहित्यमें यह प्रश्न उठाया गया है कि जैन सिद्धान्त प्राकृत भाषामें ही क्यों रचे गये ? उत्तरमें कहा गया है कि बाल, स्त्री, और मन्द बुद्धियोंके अनुग्रहके लिये जैन सिद्धान्तों की रचना प्राकृतमें की गई है। विज्ञोसे यह बात अज्ञात नहीं है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायमे जिन तीन मुख्य बातों को लेकर मतभेद है, उनमेंसे एक स्त्री मुक्ति है। दिगम्बर सम्प्रदाय स्त्रियोंकी मुक्ति नहीं मानता अर्थात् स्त्री मुक्तिलाभ नहीं कर

सकती । किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रियोको भी मुक्तिका अधिकारी मानता है । परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें स्त्रियोको दृष्टिवाद नामक वारहवें अंगके अध्ययनका अधिकार नहीं था । दृष्टिवादको छोड़कर शेष ग्यारह अंगोंको स्त्री, बालक आदि सब पढ़ सकते हैं । बल्कि दृष्टिवादका पठन निषिद्ध होनेसे स्त्रियोको भी कुछ श्रुत प्रदान करनेकी भावनासे ही ग्यारह अंग रचे गये ।

इससे दृष्टिवादका महत्त्व और शेष ग्यारह अंगोंकी स्थिति पर अपूर्व प्रकाश पड़ता है । दिगम्बर परम्परामें ग्यारह अंगोंसे वारहवें अंग दृष्टिवादका महत्त्वका नहीं प्रकट किया गया है किन्तु ग्यारह अंगोंकी अपेक्षा चौदह पूर्वोका अपना एक विशिष्ट स्थान अवश्य बतलाया गया है । और चौदह पूर्वोके कारण ही दृष्टिवादका वास्तवमें महत्त्व था ।

पूर्वोका महत्त्व

दिगम्बर परम्परामें आचार्य श्री कुन्दकुन्दने^२ श्रुतकेवती भद्रबाहुका जयघोष करते हुए उन्हे वारह अंगों और चौदह पूर्वोका

१. 'मुत्तूण दिट्ठिवायं कालिय-उक्कालियग सिद्धत । थी-वालवायणत्थं पाइयमुइय जिणवरेहिं ।' —आचार दिनकरमें उद्धृत ।

'ननु स्त्रीणां दृष्टिवाद-किमिति न दीयते ? इत्याह—

'तुच्छा गारव बहुला चलिदिया दुव्वला धिईए । इय अइसेसज्झरयणा भूयावाओ य नो थीण ॥ ५५२ ॥

टीका— 'अनुग्रहार्थं तासामापि किञ्चित् श्रुत देयमित्येकादशाङ्गादिविरचनं सफलमिति गाथार्थः ।—विशे० भा० ।

२. 'वारस अङ्गवियाणं चौदस पुव्वंग विउलवित्थरणं । सुयणाणि भद्रबाहु गमयगुरू भयवओ जयऊ ॥६२॥—बोध पा० (पट् प्राभृतादि०) ।

ज्ञाता कहा है। इसी तरह आचार्य यति^१ वृषभने भी भगवान् महावीरके पश्चात् होनेवाले पाँच श्रुतकेवलियोंको चउदसपुष्वी और बारस अंगधर कहा है। इन दोनों प्राचीन महान् दिगम्बराचार्योंके द्वारा बारस अंगधरके साथ 'चउदस पुष्वी' का पृथक् उल्लेख न केवल ग्यारह अंगसे, अपितु बारहवें अङ्ग दृष्टिवादमें भी पूर्वोका महत्त्व ख्यापन करता है। (ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वोके ग्रहणसे भी द्वादशांगका ग्रहण हो सकता है और उससे भी पूर्वोका महत्त्व व्यक्त होता है। किन्तु द्वादशांगका ग्रहण करके भी पूर्वोका पृथक् ग्रहण करना पूर्वोके स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वतन्त्र महत्त्व और स्वतन्त्र वैशिष्ट्यको व्यक्त करता है।)

आचार्य यति वृषभने श्रुतकेवलियोंके पश्चात् होनेवाले ग्यारह आचार्योंको 'दसपुष्वी' कहा है। इसका मतलब यह है कि वे आचार्य ग्यारह अङ्गों और दसपूर्वोके वेत्ता थे। इससे यह प्रकट होता है कि जो पूर्ववेत्ता होता था वह ग्यारह अङ्गोंका वेत्ता होता ही था। संभवतया ग्यारह अङ्गोंके ज्ञानदानके पश्चात् ही पूर्वोका ज्ञान दिया जाता था। और इसीलिये महत्त्वशाली होते हुए भी पूर्वोकी गणना अन्तमें की गई है।

[पट्खण्डागमके वेदना खण्ड के कृति अनुयोगद्वार के प्रारम्भ में सूत्रकार भूतबलिने 'णमो जिणाण' आदि ४४ सूत्रोंसे मंगल किया है। ठीक यही मंगल योनिप्राभृत ग्रन्थमें गणधर वलयमन्त्र के रूपमें पाया जाता है। यह ग्रन्थ धरसेनाचार्यने अपने शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलिके लिये रचा था ऐसा कहा जाता है। उक्त ४४ मंगल सूत्रोंमेंसे दूसरे मंगल सूत्र 'णमो ओहिजिणाण'

१—'पच इमे पुरिसवरा चउदसपुष्वी जगम्मि विक्खादा । ते बारस अङ्गधरा तित्थे सिरि वड्डमाणस्स ॥१४८३॥' —ति० ५० अ० ४ ।

की उत्थानिकामे टीकाकार श्री वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि महाकर्म प्रकृति प्राभृतके आरम्भमे गौतम गणधरने ये मंगल सूत्र रचे थे । इन मंगल सूत्रोंमेंसे दो सूत्र इस प्रकार हैं— णमो दस पुत्रियाणं ॥१२॥ और “णमो चोदस पुत्रियाणं ॥१३॥” इनमें दसपूर्वियों और चतुर्दशपूर्वियोंको नमस्कार किया है । इन दोनों सूत्रोंकी धवलाटीकामे यह प्रश्न उठाया गया है कि सभी अङ्ग और पूर्व जिनवचन होनेमे समान हैं । तत्र सबका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, दस पूर्वियों और चतुर्दश पूर्वियोंको ही नमस्कार क्यों किया ? इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि यद्यपि जिनवचन रूपसे सभी अङ्ग और पूर्व समान हैं, तथापि दशवे विद्यानुप्रवाद और चौदवें लोकविन्दुसार पूर्वोंका विशेष महत्व है, क्योंकि इनका धारी देवपूजित होता है तथा चौदह पूर्वोंका धारक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता और न उस भवमें असंयमको ही प्राप्त होता है ।^२

णमो दस पुत्रियाणं’ ॥ १२ ॥ सूत्रकी धवला टीकामे दस पूर्वोंके दो भेद किये हैं—एक भिन्न दसपूर्वी और एक अभिन्न दस पूर्वो । आगे लिखा है कि ‘ग्यारह अंगोंको पढ़कर पश्चात् परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, इन पाव अधिकारोंमे निबद्ध दृष्टिवादको पढ़ते समय उत्पाद पूर्व आदिके क्रमसे पढ़ने वालोंके दशम पूर्व विद्यानुप्रवादके समाप्त होने पर सात सौ छुद्र विद्याओंसे अनुगत रोहिणी आदि पाच सौ महा-

१—‘जिणवयणत्तणंण सव्वागपुव्वेहि सरिसते सतेत्रि विज्जाणुण्णवाद-
ल'गर्विडुसाराण महल्लमत्थि एत्थेव देवपूजोवलभादो । चादस पुव्वहरो
मिच्छत्त ण गच्छदि, तमिह भवे असंजमं च ण पडिवज्जदि, एसा
एदस्स विसेसो’ । —पट्ख पु० ९ पृ० ७१ ।

२—पट्खण्डा०, पु० ६ पृ० ६६ ।

विद्याएँ 'भगवन्' क्या आज्ञा है, ऐसा कहकर उपस्थित होती हैं। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओंके प्रलोभनमें जो आ जाता है वह भिन्न दसपूर्वी है। किन्तु जो कर्मचयका अभिलाषी होकर प्रलोभनमें नहीं आता वह अभिन्न दसपूर्वी कहलाता है। यहाँ अभिन्न दसपूर्वियोंको नमस्कार किया गया है क्योंकि भिन्न दस पूर्वियोंके महाव्रत खण्डित हो जाते हैं।

इस तरह दिगम्बर परम्परामे भी ग्यारह अंगोंसे पूर्वोंका विशेष महत्व माना जाता था।

श्वेताम्बर परम्परामे ग्यारह अंगोंसे दृष्टिवाद का वैशिष्ट्य पहले बतला आये हैं। अतः पूर्वोंका महत्त्व तो स्पष्ट ही है। नन्दि सूत्रमें भी लिखा है कि चतुर्दश पूर्वी और अभिन्न दस पूर्वी का जो द्वादशांग ज्ञान है वह सम्यक् श्रुत है, अन्यो का द्वादशांग ज्ञान सम्यक् भी होना संभव है और मिथ्या भी होना संभव है। बारह वर्षके भवानक दुर्भिक्षके पश्चात् जब पाटली पुत्रमें अर्गों का संकलन किया गया तो ग्यारह अर्गों का तो संकलन हो गया किन्तु पूर्वोंका किञ्चित् अंश भी संकलित नहीं हो सका, क्योंकि उस समय श्रुतकेदली भद्रबाहुके सिवाय कोई अन्य पूर्वज्ञाता नहीं था। जब सद्य की प्रार्थना पर भद्रबाहुने पूर्वोंकी वाचना देना स्वीकार किया तब पाच सौ साधु उनके पास पूर्व पढ़नेके लिये भेजे गये। एक स्थूल भद्रके सिवाय शेष सब साधु घबराकर भाग खड़े हुए। अकेले एक स्थूलभद्र डटे रहे। यह पहले लिखा है।

✓—'इच्छेश्र' दुवालसग गणीपिडग चोदस पृविस्स सम्मसुअ
अभिरणदसपुविस्स सम्मसुअ, तेण पर भिरणेषु भयणा, मे त
सम्मसुअ ॥ ४१ ॥—नन्दि०, पृ० १६२।

दस पूर्वोका अध्ययन करनेके पश्चात् ध्यान समाप्त होनेसे भद्र-
वाहु स्वामी पाटली पुत्र आ गये । उनके साथ स्थूलभद्र भी आ
गये । स्थूलभद्र की भगिनी अन्य आर्यिकाओंके साथ अपने
भाईसे मिलने गई । किन्तु स्थूलभद्रके स्थान पर एक सिंहको बैठे
देखकर डरकर भागी । इस तरह दस पूर्वी होनेके पश्चात् स्थूल-
भद्र विद्याओंके प्रलोभनमें आ गये । जैसा कि ऊपर भिन्नदस
पूर्वीके लिये कहा है । इसीसे भद्रवाहुने उन्हें शेष चार पूर्वोकी
वाचना देना बन्द कर दिया । पीछे स्थूलभद्रके जमा मागने पर
वाचना दी ।

पूर्व नाम क्यों ?

श्वेताम्बर साहित्यमें पूर्वोको पूर्व नाम देनेका कारण
वतलाते हुए लिखा है कि सबसे प्रथम गणधर पूर्वोकी रचना
करते हैं इसलिये उन्हें पूर्व कहते हैं । ऐसा भी उल्लेख मिलता
है कि तीर्थङ्कर जब तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं तो सबसे प्रथम पूर्व-

१—‘पूर्व पूर्वाण्येवोपनिबन्धाति गणधरः इत्यागमे श्रूयते, पूर्व-
करणादेव चैतानि पूर्वाण्यभिधीयते ।’

—विशेष भा गा ५५१ की उत्थानिका (टीका हेम.)

‘समस्तश्रुतात् पूर्वं करणात् पूर्वाणि ।’ स्था टीका, सूत्र २६३ ।

२—अथ किं तत् पूर्वगतम् ? उच्यते-यस्मात् तीर्थङ्कराः तीर्थप्रव-
र्तनाकाले गणधराणां सर्वश्रुतधारित्वेन पूर्वगतसूत्रार्थं मापते, तस्मात्
‘पूर्वाणि’ इति भणितानि । गणधराः पुनः श्रुतरचना विदधानाः
आचार्यादिक्रमेण रचयन्ति स्थापयन्ति च—

‘सर्वाङ्गेभ्यः पूर्वं तीर्थककरैरभिहितत्वात् पूर्वाणि’—अभि चि.टी., २-१६० ।

गत सूत्रों का अर्थ करते हैं। इस लिये उन्हें पूर्व कहते हैं। कल्प सूत्र में लिखा है कि 'पूर्व (प्रथम) रचे जानेके कारण, महा प्रमाण वाले होनेके कारण तथा अनेक विद्या और मंत्रोंका भण्डार होनेके कारण पूर्वोका प्राधान्य है। इस तरह अखण्ड जैन परम्परा में दृष्टिवाद तथा पूर्वोका विशेष महत्त्व था।

दृष्टिवादका लोप

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर परम्परामें श्रुतकेवली भद्रबाहु पर्यन्त द्वादशाङ्ग अविकल रूपसे सुरक्षित थे। भद्रबाहुके अवसानके साथ ही पूर्वोका लोप होना प्रारम्भ हुआ। दिगम्बर परम्पराके अनुसार श्रुत केवली भद्रबाहुके पश्चात् कोई चतुर्दश-पूर्व ज्ञाता नहीं हुआ। भद्रबाहुके उत्तराधिकारी विशाखाचार्य केवल दसपूर्वी थे। अन्तके चार पूर्व श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथ ही लुप्त हो गये। (यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा में भद्रबाहु श्रुतकेवलीके पश्चात् स्थूलभद्रको भी छठा श्रुतकेवली माना है। इसके विषय में पहले लिख आये हैं। तथापि उनके साथ चार पूर्व विच्छिन्न हो गये।)

दिगम्बर साहित्यके अनुसार श्रुतकेवली भद्रबाहुके पश्चात् गुरुशिष्यपरम्पराके क्रमसे १८३ वर्षमें ग्यारह आचार्य दस पूर्वी हुए। अर्थात् वे ग्यारह अर्गों और दस पूर्वोके ज्ञाता थे तथा शेष चार पूर्वोके एक देश ज्ञाता थे। इनके बाद दो सौ

१—'द्वादशाङ्गित्व' इत्येतेनैव चतुर्दशपूर्वित्वे लब्धे यत्पुनरेतदुपादान तदङ्गेषु चतुर्दश पूर्वाणां प्राधान्यख्यापनार्थं, प्राधान्यं च पूर्वाणां पूर्वं प्रणयनात् अनेकविद्यामंत्राद्यर्थमयत्वात् महाप्रमाणत्वाच्च ।'

—कल्प सुत्रो, पृ १८३।

बीस वर्ष में पाँच आचार्य सम्पूर्ण ग्यारह अंगों के तथा चौदह पूर्वोंके एक देश के ज्ञाता हुए। उनके पश्चात् एक सौ अठारह वर्ष में चार आचार्य सम्पूर्ण आचाराग के साथ ही साथ शेष अंगों और पूर्वोंके एक देशके ज्ञाता हुए। इस तरह छ सौ तिरासी वर्ष पर्यन्त अर्थात् विक्रमकी द्वितीय शताब्दीके पूर्वार्ध तक दिगम्बर परम्परामें अंगोंके साथही साथ पूर्वोंका भी एक देशज्ञान प्रवर्तित रहा। और अन्तमें धरसेन स्वामीने पूर्वोंका विशकलित ज्ञान भूतबलि और पुष्पदन्तको दिया, जिन्होंने पटखण्डागम सूत्रोंको निबद्ध किया। श्वेताम्बर परम्परामें स्थूल भद्रके पश्चात् महागिरी सुहस्तीसे लेकर वज्रस्वामी पर्यन्त दसपूर्वी हुए। वज्रस्वामीके पश्चात् कोई दसपूर्वी नहीं हुआ। स्थाविरावलीके अनुसार वि० सं११४ में वज्रस्वामी स्वर्गवासी हुए। तत्पश्चात् दुर्व लिया (वि० सं० १४६) के समय ६॥ पूर्व शेष थे। दुर्वलिका पुण्यमित्र और उनके गुरु आर्य रक्षितको नौ पूर्वी कहा है। जिस समय (वि० नि० ६८०) बल्मीनगरीमें देवद्वि गणि ने अंगोंको पुस्तकारूढ़ किया उस समय केवल एक पूर्व शेष था। पश्चात् वह भी लुप्त हो गया। इस तरह श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वीर निर्वाणके एक हजार वर्ष बीतने पर पूर्वोंका लोप हो गया। और पूर्वोंके साथ ही बारहवा अंग दृष्टिवाद भी लुप्त हो गया।

क्या दृष्टिवादका लोप जान बूझकर किया गया ?

डा० वेवर ने श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यके विषयमें एक विस्तृत आलोचनात्मक निबन्ध लिखा था जिसका अनुवाद

१—महागिरि सुहस्त्याद्या वज्रान्ता दशपूर्विण ॥१३४॥—अभि०
वि०, १ का० ।

इण्डियन एण्टीकरीमें प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने यह लिखा है कि दृष्टिवादका लोप जान बूझ कर किया गया। यहाँ उसके सम्बन्ध में विवेचन किया जाता है।

(यद्यपि श्वेताम्बरोके छठे, आठवें और दसवें अंगोमे चौदह पूर्वोका उल्लेख मिलता है, तथापि दृष्टिवादका उल्लेख चौथे समवायांगके सिवाय अन्य अंगोंमें नहीं मिलता। हा, उपांगोंसे बारह अंगोका अस्तित्व अवश्य प्रकट होता है। यद्यपि ८ से १२ तक उपांगों में, जो अन्य उपांगोंसे प्राचीन माने जाते हैं, ११ अंगों का ही उल्लेख है। किन्तु प्रथम उपांग औपपातिक में चउदसपुन्नी, और 'दुवालसगिनो पद आता है, तथा चतुर्थ उपांग के आरम्भमें दिट्टीवाअ' और 'पुव्वसुय' पद आया है। इनके सिवाय उपांग ५ और ७, पूर्वोका पाहुडों में विभाजन बतलाते हैं तथा उपांग ६ के अनुसार पूर्वोका वस्तुओंमें विभाजन था। अतः अंगोंकी अपेक्षा उपांगोंसे पूर्वोके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है)

(श्वेताम्बर परम्परा बारह अङ्गोकी तरह बारह उपांग

१—'नवरं सामाहयमाहआहं चोहसपुनाहं अहिज्जहं'—अन्त-गड०, पृ० ७।

२—'दुवाल सगे गणि पिडगे'—'दिट्टीवाए।'—समवा०, पृ० १३६।

३—'सामाहयमाहयाह एक्कारस अङ्गाह—निरया०, पृ० ३१,

४—'दुवालसगिणो समत्तगणिपिडगधरा,—ओप०, सू० १६।

५—औपपातिक, रायपसेणी, जीवाभिगमं, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पावतसिका, पुष्पिका पुष्पचूलिका और वृष्णिदशा ये बारह उपांग हैं। न ८ से १२ तकको निरयावली कहते हैं।

भी मानती है और अङ्गोका उपागोके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्वीकार करती है। इस परसे डा० वेवर ने यह अनुमान किया था कि जिस समय वर्तमान वारह उपांगों की स्थापना की गई, अर्थात् ग्यारह अङ्गोको पुस्तकारूढ़ करते समय वी० नि० रू० ६८० में वारहों अङ्गोका अस्तित्व था। फलतः दृष्टिवाद भी उस समय वर्तमान था अथवा वर्तमान माना जाता था।

डा० वेवरने लिखा है कि 'पूर्वोक्त लोपकी उक्त सूचनाके वावजूद भी समवायाग तथा नन्दिसूत्रमें हम दृष्टिवादकी विस्तृत विषयसूची पाते हैं। सम्भवतया समवायांगमें यह अश पीछेसे जोड़ा गया है और नन्दिसूत्रसे ही लिया गया जान पड़ता है।'

'समवायांग और नन्दिसूत्रके सिवाय महानिशीथ, अनुयोग द्वार और आवश्यक निर्युक्तिमें भी 'दुवालसंगं गणिपिडगं'का उल्लेख प्रायः आया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थोंके समयमें दृष्टिवाद वर्तमान था, तथा अखण्ड था, क्योंकि उसके खण्डित होनेका कोई निर्देश उनमें नहीं है। परम्पराके अनुसार वीर निर्वाणके १७० वे वर्षमें भद्रबाहु स्वर्गवासी हुए। किन्तु दो ग्रन्थोंमें, जिनमें 'दुवाल संगं गणि पिडगं' निर्देश मिलता है, ऐसे कालका उल्लेख है जो ४०० वर्ष पश्चात्का है, अतः डाक्टर वेवरका कहना है कि पाटलीपुत्रमें अंगोके संकलन आदि की समस्त परम्परा मुझे बौद्धोंके अशोक द्वारा बुलाई गई सगीति आदिकी अनुकृति मात्र ही लगती है, और इसलिए उसकी विश्वसनीयताका दावा कोई मूल्य नहीं रखता।' इस विषयमें हम

1—'Where as in two of the texts, which mention the 'DUVALSNGAMGANIPIDAGAM'

अपने विचार पहले लिख आये हैं। उपांग छै जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की टीकामें टीकाकार शान्तिचन्द्रने कुछ प्राचीन' गाथाएँ दी हैं जो डा० वेबरने अपने लेखमें उद्धृत की हैं। उन गाथाओंमें केवल छै अंगों और तीन छेद सूत्रोंका निर्देश करके यह

there are contained dates which refer to a period later by 400 years. The whole legend appears to me after all to be nothing more than an imitation of the Buddhist legend of the council of Ashok etc. And thus to have little claim to credence. इ० ए० जि० १७ पृ० २७६. ।

१—'तिवरिसपरियागस्स उ आयारपकम्पनाममज्झयणं ।
 चऊवरिसस्स य सम्म सूयगडं नाम अग ति ॥ १ ॥
 दसकप्पववहारा संवच्छरपणगदिविखयस्से वा ।
 थाण समवाओ चिय अंग एते अट्ठवासस्स ॥ २ ॥
 दसवासस्स विवाहो एगारसवासगस्स इमे उ ।
 खुदियविमाणमाए अज्झयणा पच णायव्वा ॥ ३ ॥
 वारसवासस्स तहा अरुणोवायाइ पंच अज्झयणा ।
 तेरसवासस्स तहा उट्ठाण सुयाइया चउरो ॥ ४ ॥
 चोदस वासस्स तहा आसीविसभावरण जिणा वेत्ति ।
 पन्नरसवासगस्स य दिट्ठाविसभावनं तहा य ॥ ५ ॥
 सोलसवासार्इसु य एगुत्तरखुट्टिऐसु जह सख ।
 चारण भावरणमह सुविण भावरण ते अगनिसग्गा ॥६॥
 एगूण वासगस्स दिट्ठिवाओ दुवाल सग ।
 संपुनवीसवरिसो अणुवाई सव्वसुत्तस्स ति ॥ ७ ॥'

चतलाया है कि दीक्षा लेनेके कितने वर्षोंके पश्चात् किस ग्रन्थको पढ़ना चाहिये ।

हमें व्यवहार सूत्रमें उनी प्रकारका कथन भिला है । जिसका आशय इस प्रकार है—तीन वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको आचार प्रकल्प नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है । चार वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको सूत्रकृतांग पढ़ाना उचित है ।

१—‘तिवास परियायस्म समणस्म निग्गंथस्स कप्पइ आयारकप्प नाम अज्झयण्णे उद्दिसित्तए ॥ २१ ॥ चउवास० कप्पइ सुयगडे नाम अंणे उद्दिसित्तए ॥ २२ ॥ पचवास परियायस्स० कप्पति द्माकप्पववहारा ओद्दिसित्तए वि ॥ २३ ॥ अट्ठवास परियायस्म० टाणसवमत्ताए उद्दिसित्तए ॥ २४ ॥ दसवाम परियागस्स० विवाहे नामं अंगं उद्दि० ॥ २५ ॥ एककारम वास परियागस्स० सुद्धिथा विमाणविभत्ति महत्तिया विमाणपवित्ती अज्जचूलिय वगचूलिया विवाहचूलिया नाम अज्झयणमुद्दिसित्तए ॥ २६ ॥ वारमवाम परियागस्स० अरुणोत्रवाए गरुलोववाए वरुणोववाए वेसमणोत्रवाए वेलधरोववाए नाम अज्झयण उद्दिसित्तं ॥ २७ ॥ तेग्मवास परियागस्स० उट्ठाणसुए समुट्ठाणसुए देविंदोववाए णाग परियावणियाए ॥ २८ ॥ चउदसपरियागस्स० सुमिणभावण नाम अज्झयणमुद्दिसित्तए ॥ २९ ॥ पण्णरसवासपरियायस्स० चारणभावना नामज्झयणमुद्दिसित्तए ॥ ३० ॥ सोलसवासपरियायस्स० तेश्रानिसग्गा नाम अज्झयणमु० ॥ ३१ ॥ सत्तरसवासपरियायस्स० आसीविसभावणा० ॥ ३२ ॥ अट्ठारसवास० दिट्ठिविसभावण नामज्झयणमुद्दिसित्तए ॥ ३३ ॥ एगुणवीसवास० दिट्ठिवाय नामग उद्दिसित्तए ॥ ३४ ॥ विसतिवास परियाए समणे निग्गंथे सब्वसुयाणुवाती भवति ॥ ३४ ॥’—व्यवहार० सू०, १०३. ।

पांच वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको दसा-कल्प-व्यवहार पढ़ाना उचित है। आठ वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको स्थानांग, समवायांग पढ़ाना उचित है। दस वर्षके दीक्षित श्रमणको व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक अंग पढ़ाना उचित है। ग्यारह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको क्षुद्र विमान विभक्ति, महाविमान विभक्ति, अंग-चूलिका, वंग (वर्ग) चूलिका, और विवाह चूलिका नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। बारह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, वेलधरोपपात, और वैश्रमणोपपात नामक पांच अध्ययनोंको पढ़ाना उचित है। तेरह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको उत्थान श्रुत, समुत्थान श्रुत, देवेन्द्रोपपात और नागपरियापनिका पढ़ाना उचित है। चौदह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको स्वप्न भावना नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। पन्द्रह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको चारण भावना नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। सोलह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको तेजोनिर्गम नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। सतरह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको अशीविष भावना नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। अठारह वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको दृष्टि विषभावना पढ़ाना उचित है। उन्नीस वर्षके दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमणको दृष्टि वाद नामक अङ्ग पढ़ाना उचित है। इस प्रकार बीसवर्षका दीक्षित निर्ग्रन्थ श्रमण समस्त श्रुतका पाठी होता है।

शान्तिचन्द्रके द्वारा उद्धृत गाथाओंमें तथा उक्त सूत्रोंमें आचार सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद नामक केवल छै अङ्गोंका ही निर्देश किया गया है—शेष का नहीं किया गया। उनके सिवाय जिनका निर्देश किया गया है, दोनोंके निर्देशों में उनको लेकर कुछ अन्तर है। गाथाओंके अनुसार चौदह वर्षके

दीक्षितको आशीविषभावना, पन्द्रह वर्षके दीक्षितको दृष्टिविष-
भावना और सोलह वर्षके दीक्षितको चारण भावना, सत्रह वर्षके
दीक्षितको महास्वप्न भावना और अट्टारह वर्षके दीक्षितको तेजो
निसर्ग भावना, पढ़ाना उचित है। किन्तु व्यवहार सूत्रके अनुसार
चौदह वर्षके दीक्षितको स्वप्न भावना, पन्द्रह वर्षके दीक्षितको
चारण भावना, सोलह वर्षके दीक्षितको तेजोनिसर्ग भावना, सत्रह
वर्षके दीक्षितको आशीविष भावना और अट्टारह वर्षके दीक्षित
को दृष्टिविष भावना पढ़ाना उचित है। इस अन्तरका कारण
क्या है हम नहीं वह सकते।

डा० वेबरका कहना है कि उक्त गाथाओंमें अङ्गोंके सिवाय
जो आठ नाम पाये जाते हैं वे नन्दिसूत्रमें नहीं हैं। अतः इन
गाथाओंका निर्माण उस समय हुआ था, जब वर्तमान आगमोंके
अवशिष्ट भाग उनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे और उनका
स्थान लुप्त हुए उन आठ अध्ययनोने ले रखा था, जिनका निर्देश
उक्त गाथाओंमें पाया जाता है।

हम नहीं समझते कि डा० वेबर जैसे बहुदर्शी विद्वानने यह
कैसे लिखदिया कि उक्त गाथाओंमें छै अङ्गोंके सिवाय जो अन्य
आठ नाम दिये हैं, वे नन्दिसूत्रमें नहीं है। आगे हम नन्दिसूत्रके
अनुसार श्रुतके भेदोंका विवेचन करेंगे। उनमें कालिक श्रुतके
भेदोंमें प्रायः उक्त सभी नाम दिये हुए हैं। ये सब अङ्ग साहित्य
न होकर अङ्गवाह्य साहित्य था।

इसी तरह डा० वेबरने उक्त गाथाओंको प्राचीन बतलाया हे
क्योंकि उनमें दृष्टिवाद नाम आया है और इस लिए गाथाओंके
रचना कालके समय दृष्टिवादका अस्तित्व स्वीकार किया है।
किन्तु उक्त गाथाएँ हरिभद्रसूरिके पञ्चवस्तुक नामक ग्रन्थसे

उद्धृत्की गई है। शान्तिचन्दने जम्बद्वीप प्रज्ञप्तिकी टीकामें इति पञ्चवस्तुक सूत्रे' लिखकर स्वयं इस बातको स्वीकार किया है। हरिभद्र सूरिका समय ईसाकी आठवीं शताब्दी सुनिश्चित है उस समय दृष्टिवाद नहीं था। फिर भी हरिभद्र सूरिने जो पञ्चवस्तुक की उक्त गायत्र्यांमे उक्तग्रन्थोंके पठन पाठनका काल बनलाया है वह अवश्य ही उन्हे परम्परा प्राप्त होनेसे प्राचीन होना चाहिए। उन्होंने स्वयं उसे स्वीकार किया है।

श्वेताम्बर साहित्यमें अङ्गोका निर्देश करने वाले वाक्योंके कई रूप मिलते हैं। किन्तु डा० वेवर ने दो का ही निर्देश करते हुए लिखा है—जहाँ कहीं बारह अङ्गों के नाम गिनाये हैं तो पहला अङ्ग का नाम 'आचार' दिया गया है। किन्तु जब अङ्गों का निर्देश सख्यापरक न होकर साधारण रीति से किया गया है तब उनका निर्देश 'सामायिक, आदि करके किया गया है। यथा— 'सामाह्यमाह्य सुयनारणं जाव विदुसाराओ (आव० नि० ९३)। अनुयोगद्वार सूत्र, आवश्यक सूत्र और नन्दिसूत्र में 'दुवाल सग गणि पिडगं' का वर्णन करते हुए आचार को प्रथम स्थान दिया है। कहीं पर भी प्रथम अङ्ग का नाम सामायिक नहीं बतलाया, आचार ही सर्वत्र बतलाया है'। इस तरह से दो प्रकार का निर्देश देखकर डा० वेवर को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने लिखा है कि 'सामायिकको आदि लेकर ग्यारह अङ्गोका निर्देश करनेवाले वाक्य यदि आचारको लेकर बारह अङ्गोंका कथन करने वाले वाक्यों से प्राचीन हैं तो यह स्वतः सिद्ध है कि ग्यारह अङ्गों

१—काल क्रमेण पत्त, सबच्छुर माहृणाओ ज जम्मि । त तम्मि चेव धीरो वा पञ्जासोय कालो य ॥ ५८१ ॥—पञ्चव०

२— इ० ए०, नि०, १७, पृ० २६२ आदि ।

मे वाद को चारहवों अंग मिलाया गया है। वास्तव में तो चारहवों अंग बहुत पहले नष्ट हो चुका था। केवल इस स्थिति से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि दृष्टिवाद तथा शेष ग्यारह अंगों के मध्य में एक प्रकार का विरोध तथा एक सुनिश्चित असम्बद्धता थी। उसी के कारण दृष्टिवाद को लुप्त होना पड़ा। अपने इस कथन के समर्थन में हमारे सन्मुख आज भी प्रमाण हैं।'

दृष्टिवाद और शेष ग्यारह अंगों के मध्य में स्थित विरोध और असम्बद्धता का प्रदर्शन करने से पहले हम उक्त दो प्रकार के वाक्यों के सम्बन्ध में थोड़ा सा प्रकाश डाल देना उचित समझते हैं।

आव० नि० में (गा० ६३ में) उक्त वाक्यमें श्रुतज्ञान को सामायिक से लेकर विन्दुसार पर्यन्त बतलाया है। श्रुतज्ञानमें सम्पूर्ण श्रुत का समावेश होता है। श्रुत के दो भेद हैं— एक अंग पविट्ट और दूसरा अणंग पविट्ट या अंग बाह्य। इन दोनों में अंग पविट्ट को ही द्वादशांग श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह गणधरो के द्वारा ग्रथित होता है उसके अविकल ज्ञाता श्रुत केवली कहलाते हैं। दूसरा भेद अणंग पविट्ट या अंग बाह्य—अपने

२—'त जहा-अंगपविट्ट अगबाहिर च । से किं तं अगबाहिर ? अंग बाहिर दुविहं पण्णात्त, त जहा-आवस्सयं च आवस्सय-वइरित्तं च । से किं त आवस्सय ? आवस्सय छुव्विह पण्णात्त । त जहा-सामाहय चउवीसत्थओ, वदणयं, पडिक्कमण काउस्सगो पच्चक्खाण, सेत्त आवस्सयं ।'-नन्दी, स-४४ । 'श्रुत मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् ॥ २० ॥ तत्त्वा० सू० अ० १ । 'सुत्तावाप्त गमादी चोद्दस पुञ्जीण तह जिणायं च ॥१८५ ॥'-व्य० सू०, ६ उ० ।

नामके अनुसार द्वादशांगसे बाह्य होता है और उसकी रचना आरातीय पुरुष करते हैं। इस तरह श्रुत के भेदों में मुख्य अंग-पविट्ट ही है। किन्तु वर्णन करते समय पहले अणग पविट्ट या अंग बाह्यको स्थान दिया गया है, तत्पश्चात् क्रमशः अंग पविट्टको स्थान दिया गया है। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें प्रायः यही क्रम देखनेमें आता है।

[श्वेताम्बर परम्परामे अंगबाह्यके दो मूल भेद हैं आवश्यक और आवश्यक अतिरिक्त। तथा आवश्यक के छै भेद हैं जिनमें प्रथम भेद का नाम सामायिक है। अब यदि अंगबाह्य का कथन किया जाये तो वह सामायिक आवश्यकसे प्रारम्भ होगा। उधर अंग पविट्टके बारह भेदों में अन्तिम बारहवाँ भेद दृष्टिवाद है। और दृष्टिवादके पाँच भेदोंमें प्रमुख चौदह पूर्व हैं। और अन्तिम चौदहवे पूर्व का नाम लोक बिन्दुसार है जिसका सक्षिप्त नाम बिन्दुसार भी है। अतः श्रुत^१ सामायिक से लेकर बिन्दुसार पर्यन्त जानना चाहिये। उसमें अंग बाह्य और अंगपविट्ट दोनोंका समावेश हो जाता है।]

१—'तत् श्रुत ज्ञानं सामायिकमादिर्यस्य तत् सामायिकादि यावत् बिन्दुसारात्—बिन्दुसारं यावत्, बिन्दुसाराख्य चतुर्दशपूर्व-पर्यन्तमित्यर्थः।' आव० म० टी०, पृ० ११६। 'तच्च श्रुत ज्ञान सामायिकादि वर्तते, चरयाप्रतिपत्तिकाले सामायिक-स्यैवादौ प्रदानात्। यावद् बिन्दुसारादिति बिन्दुसाराभिधान चतुर्दश पूर्वपर्यन्त मित्यर्थः।—विशेषा० भा०, हे० टी०, गा० ११२६।

दिग्म्बर परम्परा के सिद्धान्त ग्रन्थों की टीका^१ धवला और जयधवला^२ में श्रुतका वर्णन सामायिकसे लेकर विन्दुसार पर्यन्त ही क्रमसे किया गया है। अतः डा० वेबर ने आव० नि० की जिस गाथांश की उद्धृत किया है उसमें श्रुत ज्ञान को लेकर निर्देश किया गया है। तथा जहाँ द्वादश गणि पिडगका निर्देश है वहाँ आचारांगको आदि लेकर निर्देश है, क्योंकि वारह अंगों में प्रथम अंग आचार और अन्तिम अंग दृष्टिवाद ही सर्वत्र बतलाया है। (आवश्यकनि०में जो सामायिकको आदि लेकर कथन किया है, सो वहाँ सामायिक आचारका स्थानापन्न नहीं है, जैसा कि डा० वेबर ने समझा है। किन्तु जैसे द्वादशांग में आचारकी मुख्यता होने से उसे प्रथम स्थान दिया गया है वैसे ही अङ्ग वाह्यमें सामायिक आदि षडावश्यकों की मुख्यता है और षडावश्यकों में भी सामायिक की मुख्यता है क्योंकि आचार धारण करते समय सर्व प्रथम सामायिक संयम ही धारण किया जाता है।)

(हां, निरयावलीमें सामायिक आदिसे लेकर भी एकादशांग पर्यन्त ही ग्रहण किया है, दृष्टिवादको छोड़ दिया है, किन्तु उसका कारण वह नहीं है जो डा० वेबरने समझा है। वहाँ दृष्टिवादको ग्रहण न करनेका कारण शास्त्रीय परम्परा है। उस वाक्यमें बतलाया है कि—'पद्म नामका अनगार (मुनि) भगवान

१—'अत्याहियारो दुविहो, अंगवाहिरो अंगपइट्टो चेदि । तत्थ अगवाहिस्य चोदस अत्याहियारा तं जहा सामाहय ।
—षट्खं०, पु०, १, पृ० ६६ । अगमरांग मिदि वे अत्याहियारा, सामाहयं...चोदसविहमरांगसुदं"—षट्खं०, पु० ६, पृ० १८८— । २—क० पा०, भा० १, पृ० ६७ ।

महावीरके अनुयायी स्थविर अनगारोंके पास सामायिकको आदि लेकर ग्यारह अङ्गोंको पढ़ता था । यह घटना महावीरके समयकी है। यह हम पहले लिख आये हैं कि श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार एकादशांगको सब कोई पढ़ सकते थे अतः उनका ज्ञान सबको रहता था, किन्तु दृष्टिवादका अध्ययन और ज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं था। शायद इसीसे निरयावलीमे विन्दुसार पर्यन्त का ग्रहण न करके एकादशांगका ही ग्रहण किया है। अतः दृष्टिवादको पीछेसे सम्मिलित किये जानेका जो अनुमान डा० वेवरने किया था, वह ठीक प्रतीत नहीं होता। जैन सिद्धान्तमें भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकारसे कथन करनेकी परम्परा है। उन दृष्टियोंको समझे बिना उनकी सङ्गति नहीं बैठाई जा सकती। अस्तु।

इस प्रकार डा० वेवरने श्वेताम्बरीय साहित्यसे प्राप्त उल्लेखों के आधार पर दृष्टिवादका अस्तित्व प्रमाणित करनेकी चेष्टाकी थी। तब यह प्रश्न पड़ा होता है कि दृष्टिवाद यदि वर्तमान था तो उनका लोप क्यों किया गया ? इसके उत्तरमें डा० वेवरने लिखा है, 'निश्चयपूर्वक हम कमसेकम यह निर्णय करनेमें समर्थ हैं कि बारहवें अङ्ग और शेष ग्यारह अङ्गोंके मध्यमें गम्भीर अन्तर था। हेम चन्द्रके परिशिष्ट पर्व तथा अन्य स्रोतोसे यह स्पष्ट है कि दृष्टिवादके यथार्थ प्रतिनिधि भद्रबाहु थे और पाटली-पुत्रमें एकत्र जैनसंघसे उनका विरोध हो गया था। बारहवें अङ्गके उद्धरणोंमें सुरक्षित वर्णनोंसे इस विरोधके कारणोंकी जांच की जा सकती है। उनके अनुसार दृष्टिवादके पांच भेदोंमें से प्रथम दो भेदोंमें अन्य विषयोंके सिवाय आजीविक और त्रैराशिक नामक

दो विरोधी दृष्टियोंका भी वर्णन था। सम्भवतया इसके द्वारा 'दृष्टिवाद' नामकी व्याख्याकी जा सकती है। दृष्टिवादका तीसरा भेद चौदह पूर्व थे। सम्भवतया पूर्वोका विषय श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सर्वथा अनुकूल नहीं था और धीरे-धीरे श्वेताम्बर सम्प्रदाय कट्टर पन्थका रूप लेता जाता था। दृष्टिवादके लोप हो जानेका सम्भवतया यही कारण था।

श्वेताम्बर पट्टावलियोंके अनुसार यशोभद्रके स्वर्गारोहणके पश्चात् उनके ज्येष्ठ शिष्य संभूतिविजय पट्टासीन हुए और संभूत विजय के पश्चात् उनके शिष्य स्थूलभद्र पट्टासीन हुए। संभूति-विजयके गुरुभाई श्रुत केवलि भद्रवाहु थे और यद्यपि वे बहुत बड़े विद्वान तथा प्रभावशाली महापुरुष थे और स्थूलभद्रने उनके चरणोंकी सेवा करके ही पूर्वोका ज्ञान प्राप्त किया था, तथापि उन्हें वह पद नहीं दिया गया जो उत्तरकालमें स्थूलभद्रको दिया गया। इससे डा० वेबरकी उक्त धारणा उचित ही प्रतीत होती है और यह भी ठीक है कि दृष्टिवादमें विभिन्न दृष्टियोंका विवेचन था, इसीसे उसे दृष्टिवाद कहते थे। अतः उसमें आजीविक सम्प्रदायका वर्णन हो सकता है क्योंकि आजीविक सम्प्रदायका संस्थापक गोशालक न केवल भगवान महावीरका समकालीन था, किन्तु श्वेताम्बरीय आगमोंके अनुसार भगवानका शिष्य भी रह चुका था। किन्तु त्रैराशिक दृष्टिकी उत्पत्ति तो वीर निर्वाणसे ५४४वें वर्षमें बतलाई है। अतः दृष्टिवादमें उसका वर्णन होना सम्भव नहीं है। इससे दृष्टिवादकी जो विषयसूची नन्दी वगैरहमें दी गई है वह अभ्रान्त प्रतीत नहीं होती। और इसलिए उसपरसे किसी निर्दोष परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता।

२—“पच सया चौयाला तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । पुरिमत्-
रजियाए तेरासियदिट्ठी उप्पन्ना ॥२४५१॥”—वि० भा० ॥

किन्तु परम्परासे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि (दृष्टिवादका पठन-पाठन बहुत ही सीमित था और इसका कारण यह भी था कि वह बहुत कठिन था, उसमें दार्शनिक विषयोंकी भरपूर चर्चा थी तथा अन्य अंगोंसे उसका विषय भी अति गूढ़ था। सम्भवतया इसीसे वह विस्मृत हो गया।)

श्वेतांवरीय उल्लेखोंके अनुसार तो पूर्वोंसे ही अंगोंकी रचना की गई है अतः पूर्वोंके स्थानपर अंगोंका अधिक प्रचार होना संभव है। श्री मोदीने पूर्वोंके लोप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि अंगोंके अध्ययन ने प्रमुखता लेली क्योंकि उनमें न केवल पूर्वों का सार था, किन्तु वे उनसे सरल भी थे। अस्तु,

आगे हम दृष्टिवाद तथा शेष ग्यारह अंगोंके मध्यमे वर्तमान भेदको स्पष्ट करनेके लिए श्रुत ज्ञानके भेदोंका विवरण देते हैं।

श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतके भेद

श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतज्ञान^२ के चौदह भेद किये हैं—अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संज्ञि श्रुत, असंज्ञि श्रुत, सम्यक् श्रुत, मिथ्या

१—अन्तगडा०, प्रस्ता० पृ० १८-१९

२—“से किं त सुयनाण परोक्ख ? सुयनाणपरोक्ख चोदसविहं पन्नत, त जहा—“अक्खर सुय १ अणक्खर सुय २ सण्ण सुय ३ असण्णसुय ४ सम्मसुय ५ मिच्छसुय ६ साइय ७ अणाइय ८ सपजवसिय ९ अपजवसिय १०, गमिय ११ अगमिय १२ अगपविट्ठं अणाग पविट्ठ १४ ॥ ३८ ॥” नन्दी० । “अक्खर सण्णी सम्म साईअं खलु सपजवसिय च । गमिय अगपविट्ठ सत्त वि एए सपडिवक्खा” ॥ ४५४ ॥—विशे० भा० ।

श्रुत, साष्टि श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित, अपर्यवसित, गमिक, अगमिक, अंग प्रविष्ट और अनांग प्रविष्ट ।

अक्षर श्रुतके तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यञ्जनाक्षर और लब्ध्याक्षर । अक्षरके आकारता अथवा आकाररूप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं । अक्षरके उच्चारणको अथवा उच्चारणरूप अक्षरको व्यञ्जनाक्षर कहते हैं और लब्धिरूप अक्षरको अर्थात् अक्षरके क्षयोपशमको लब्ध्याक्षर कहते हैं ।

लब्ध्याक्षरके छे भेद हैं—श्रोत्रेन्द्रिय लब्ध्याक्षर, चक्षु उन्द्रिय लब्ध्याक्षर, घ्राणोन्द्रिय लब्ध्याक्षर, रमनेन्द्रिय लब्ध्याक्षर, स्पर्शनेन्द्रिय लब्ध्याक्षर, और नौ उन्द्रिय लब्ध्याक्षर । इस लब्ध्याक्षर को ही अक्षर श्रुत कहते हैं । अनक्षरात्मक श्रुतको अनक्षर श्रुत कहते हैं । अनक्षर श्रुत के अनेक भेद हैं । जैसे—दीर्घ श्वास लेना, श्रुतना, सासना, छीकना, आदि । सजीश्रुत^२ के तीन भेद हैं—कालिकी उपदेश, हेतूपदेश और दृष्टिवादोपदेश की अपेक्षासे । दीर्घ कालीन अतीत वस्तुका स्मरण करनेको और अनागतका विचार करनेको कालिकी संज्ञा कहते हैं । जिस प्राणीके उस प्रकारकी संज्ञा पाई जाती है वह कालिकी उपदेशसे संज्ञी कहा जाता है । और जिसके इस प्रकारकी संज्ञा नहीं होती उसे असंज्ञी कहते हैं । जैसे सम्मूर्च्छन पञ्चेन्द्रिय विकलेन्द्रिय आदि) जो बुद्धिपूर्वक इष्ट आहारादिमे प्रवृत्ति करता है और अनिष्टसे वचता है उसे हेतूपदेशसे संज्ञी कहते हैं । चूंकि द्वीन्द्रियादिमे भी इस प्रकारकी प्रवृत्ति पाई जाती है इसलिये वे हेतूपदेशसे संज्ञी हैं । किन्तु वे अतीत अनागतका

१—नन्दी०, सू०, ३६ । विशेष० भा०, गा० ४६८ आदि ।

२—नन्दी सू० ४० । विशेष० भा०—गा० ५०४ आदि ।

चिन्तन करनेमें असमर्थ हैं। अतः कालिकी उपदेशकी अपेक्षा वे संज्ञी नहीं हैं। जो ज्ञायोपशमिक ज्ञानसे युक्त सम्यग्दृष्टि दृष्टिवादके उपदेशसे संज्ञी होता है उसे दृष्टिवादोपदेशसे संज्ञी कहते हैं। इस तरह संज्ञीके तीन भेद होने से श्रुतके भी तीन भेद कहें हैं।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरहत भगवानके द्वारा प्रणीत द्वादशांग रूप गणपिटकको^१ सम्यक् श्रुत कहते हैं। वह इस प्रकार है— (आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, विवाह पण्यत्ती, ज्ञातृ धर्मकथा, उपासक दशा, अन्तः कृद्दश, अनुत्तरोपपादिक दश, प्रश्नव्याकरण विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। यह द्वादशांगरूप गणि पिटक चतुर्दश पूर्विका सम्यक् श्रुत है, अन्यका सम्यक् श्रुत भी हो सकता है, मिथ्या श्रुत भी हो सकता है)।

यही द्वादशांग गणि पिटक पर्यायार्थिक नय से^२ सादि और सपर्यवसित (सान्त) है और द्रव्यार्थिक नयसे अनादि और अपर्यवसित है। अथवा भव्य का श्रुत सादि और सपर्यवसित है और अभव्यका श्रुत अनादि और अपर्यवसित है।

दृष्टिवाद गमिक श्रुत है और कालिक श्रुत अगमिक है। गणधर^३के द्वारा रचित द्वादशांग रूप श्रुतको अग प्रविष्ट कहते हैं और स्थविरोंके द्वारा रचित श्रुतको अंग बाह्य कहते हैं।

इस प्रकार श्वेताम्बरीय साहित्य में श्रुत के चौदह भेद गिनाये हैं। यहाँ इन भेदों में से हमारा प्रयोजन केवल गमिक और

१—नन्दी०, सू०४१। वि० भा०, गा० ५२७।

२—नन्दी० सू० ४३।

३—“गणहर धेरकय वा आएसामुक्कवागरण ओ वा। धुव चल विसेसओ वा अगाणगेसु नाणत्त” ॥ ५५० ॥—वि० भा०।

अगमिक भेदों से हैं। दृष्टिवाद को गमिक श्रुत कहा है और कालिक श्रुत को अगमिक कहा है।

वि० भा० में कहा है कि जिसमें 'गम' अर्थात् भंग और गणित आदि बहुत हो अथवा जिसमें 'गम' अर्थात् महेशपाठ बहुत हो उसे गमिक कहते हैं और दृष्टिवाद में प्रायः ऐसा पाया जाता है। और जो प्रायः गाथा श्लोक आदि असदृश पाठ-बहुल होता है उसे अगमिक कहते हैं। कालिक श्रुत प्रायः ऐसा होता है।

कालिक श्रुत

अब हमें देखना है कि कालिक श्रुत किसे कहते हैं।

(नन्दि^२ सूत्रमें श्रुत के अंग प्रविष्ट और अंगवाह्य दो भेद करके अंगवाह्यके भेदोंको विस्तारसे इस प्रकार बतलाया है—

अंगवाह्यके दो भेद हैं—आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। आवश्यक के छे भेद हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तय, वन्दना, प्रतिक्रमण, कार्योत्सर्ग और प्रत्याख्यान। आवश्यक व्यतिरिक्तके दो भेद हैं—कालिक, उत्कालिक। उत्कालिक के अनेक भेद हैं—दश-वैकालिक, कल्पा कल्प, चुल्लकल्प श्रुत, महाकल्पश्रुत, श्रौपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महा प्रज्ञापना प्रमादाप्रमाद, नन्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तय, तन्दुलवैकालिक, चन्द्रा विष्मण, सूर्य प्रज्ञप्ति, पौरुपीमण्डल, मण्डल प्रवेश, विद्या चरण विनिश्चय, गणिविद्या, ध्यान विभक्ति, मरण विभक्ति, आत्म विशुद्धि, वीतराग

✓१—'भगवणियाइ गमिय ज सरिसगमं च कारणवसेण । गाहाइ अगमियं खलु कालियसुय दिट्ठीवाए वा" ॥५४६॥ —विशे० भा० ।

२—नन्दी० सू० ४४ ।

श्रुत, सल्लेखनाश्रुत, विहारकल्प, चरण विधि, आतुर प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान आदि। यह सब उत्कालिक श्रुत है।

कालिक के भी अनेक भेद हैं—उत्तराध्ययन, दसाश्रो, कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, ऋषिभाषित, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जुल्लिका, विमान प्रविभक्ति, महा विमान प्रविभक्ति, अंग चूलिका, वर्ग चूलिका, विवाह चूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, धरणोपपात वैश्रवणोपपात, वेलधरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थान श्रुत, समुत्थान श्रुत, नाग परिज्ञा, निरयावली, कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिता, पुष्पचूलिका, वृष्णिदशा, इत्यादि। चौरासी हजार प्रकीर्णक भगवान ऋषभदेव के समय में थे। मध्यके बाईस तीर्थङ्करोंके समयमें संख्यात हजार प्रकीर्णक थे और भगवान वर्द्धमान स्वामी के चौदह हजार प्रकीर्णक थे। अथवा जिस तीर्थङ्कर के जितने श्रमण शिष्य थे उसके उतने ही प्रकीर्णक थे और उतने ही प्रत्येक बुद्ध थे। ये सब कालिक श्रुत है।

‘स्थानांग’ सूत्र में भी श्रुत ज्ञान के दो भेद—अंग प्रविष्ट और अङ्गबाह्य बतलाकर अङ्ग बाह्य के दो भेद किये हैं—आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। तथा आवश्यक व्यतिरिक्त के दो भेद किये हैं—कालिक और उत्कालिक। इस तरह अङ्गबाह्य के ही कालिक और उत्कालिक भेद किये गये हैं। अनुयोग २-द्वार में भी ऐसा ही कथन है॥

जिसकी स्वाध्यायका काल नियत होता है अर्थात् नियत

१—स्थाना०, २ स्था०, सू० ७१। २—‘जइ अणुगपविट्ठस्स अणुओगो, किं कालिअस्स, अणुओगो ? उक्कालिक्खस्स अणुओगो ? अनु०, सू० ४,

कालमें ही जिसको स्वाध्यायकी जाती है उसे कालिक श्रुत कहते हैं। सूर्योदयसे एक घड़ी पूर्व तथा एक घड़ी पश्चात्, एवं सूर्यास्तसे एक घड़ी पूर्व तथा एक घड़ी पश्चात्, मध्याह्नके समय तथा अर्ध रात्रिके समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिये। किन्तु दिनके प्रथम प्रहर और अन्तिम प्रहर तथा रात्रिके प्रथम प्रहर और अन्तिम प्रहरमें अस्वाध्याय कालको बचाकर अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। अतः दिन और रात्रिके प्रथम तथा अन्तिम प्रहरमें ही जिसकी स्वाध्याय करनेका विधान हो वह कालिक श्रुत है। और जो काल वेलाको छोड़कर शेषकालमें पढ़ा जाता है उसे उत्कालिक कहते हैं।

ऊपर दृष्टिवादको गमिक श्रुत और कालिकको अगमिक श्रुत कहा है। अतः इससे दृष्टिवाद और कालिक श्रुतमें प्रतिपत्ती भाव प्रतीत हो सकता है। किन्तु कालिक श्रुत अंग वाह्यका भेद बतलाया है अंग प्रविष्टका नहीं। अतः दृष्टिवादमें और शेष ग्यारह अङ्गोंमें कोई प्रतिपत्ती भाव प्रतीत नहीं होता।

किन्तु मलय गिरिने^२ आवश्यक टीकामें और मलधारी

१—‘यदिह दिवसनिशाप्रथमचरिमपौरुपीद्वय एव पठ्यते तत्कालेन निर्वृत्त कालिकम्—उत्तराध्ययनादि, यत्पुनः कालवेलावर्जे पठ्यते तदूर्ध्वं कालिकादित्युत्कालिक—दशवैकालिकादीति’ ॥—स्था०, सू० ७१, अभयवृत्तिः। ‘तत्रदिवसनिशाप्रथमचरिमपौरुपीलक्षणो काले अधीयते नान्यत्रेति कालिकम्—उत्तराध्ययनादि, यत्तु कालवेलावर्जे शेषकालानियमेन पठ्यते तदुत्कालिकम्—आवश्यकदि।—अनु०, सू० ४, मल० टी०।

२—‘कालिकश्रुत—एकादशागरूप चरणकरणानुयोगरूपमिति गम्यते’।—आव० टी० भा० २ पृ० ३६६।

हेमचन्द्रने विशे० भा०की टीकामे स्पष्ट रूपसे एकादशांगको भी कालिक श्रुत कहा है। हेमचन्द्रने लिखा है कि—'एकादशांगरूप समस्त श्रुत कालग्रहण विधि के द्वारा पढ़ा जाता है इसलिए उसे कालिक कहते हैं।

ऊपरके उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कालिक उत्कालिकका भेद अग बाह्यमें ही था, अग प्रविष्टमें नहीं था। दिग्मन्त्र परम्पराके आचार्य अकलंक देवने भी अपने तत्त्वार्थ वार्तिकमें अङ्ग बाह्यके ही कालिक उत्कालिक भेद किये हैं ? इस परसे ऐसा अनुमान होता है कि पीछेसे एकादशांगको भी कालिकमे सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि दो उल्लेखोंमे एकादशांगकी गणना कालिक श्रुतमें की गई है। भगवतीसूत्रमे गौतम भगवानसे प्रश्न करते हैं कि तीर्थङ्करोंके तेईस अन्तरालोंमे कालिक श्रुतका कव-कव विच्छेद हुआ ? भगवान् उत्तर देते हैं कि पूर्वके आठ तथा अन्तके आठ जिनान्तरोंमें कालिक श्रुतका विच्छेद नहीं हुआ। किन्तु मध्यके सात जिनान्तरोंमें कालिक श्रुतका विच्छेद हुआ। किन्तु दृष्टिवाद का विच्छेद सभी जिनान्तरोंमे हुआ। यहाँ पर कालिक श्रुतसे अवश्य ही एकादशांग रूप श्रुतका ग्रहण अभीष्ट है। क्योंकि

१—'इहैकादशाङ्गरूप सर्वमपि श्रुत कालग्रहणादिविधिनाऽधीयत इति कालिकमुच्यते। तत्र प्रायश्चरणाकरणे एव प्रतिपाद्यते।'

—वि० भा० टी०, गा० २२६४।

२—'तदगबाह्यमनेकविधं कालिकमुत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात्। स्वाध्यायकाले नियतकाल कालिकम्, अनियतकालमुत्कालिकम्। तद्भेदा उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधाः।'

—त० वा०, सू०

अङ्ग प्रविष्ट और अङ्गवाद्यमे भेद चतलाते हुए कहा है कि अङ्ग प्रविष्ट अर्थात् द्वादशांग समस्त तीर्थङ्करोंके तीर्थमें अवश्य रहता है किन्तु तन्दुलर्धकालिक आदि अङ्ग वाद्य अनियत है-उसका रहना अवश्यभावि नहीं है, क्योंकि वह तो अपने अपने युगके आचार्योंकी रचना है। अतः जगवती^३में कालिक श्रुतसे एकादशांग ही लिया गया है यह स्पष्ट है।

इसी तरह आवश्यक^३में चार अनुयोगोंका विभाग करते हुए कहा है कि कालिक श्रुत चरण करणानुयोग रूप है, ऋषिभाषित धर्मकथानुयोग रूप है, सूर्यप्रज्ञप्ति गणितानुयोग रूप है और दृष्टिवाद द्रव्यानुयोग रूप है। यहाँ पर भी कालिक श्रुतसे एकादशांगका ग्रहण इष्ट है। यत एकादशांगरूप श्रुत कालादि त्रिधिके द्वारा पढ़ा जाता था अतः उसे भी कालिक श्रुत मान लिया गया ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु दृष्टिवाद जैसे महत्त्वपूर्ण अङ्गके पठनके लिए कालादित्रिधि आवश्यक नहीं समझी गई, यह थोडा आश्चर्यजनक जैसा लगता है। अस्तु,

१—विशे० भा०, टी०, गा०, ५५०।

२—‘एएसु ण भते ! तेवीसाए जिणंतरे कस्स कहि कालियसुयस्स वोच्छेदे परणत्ते ? गोयमा ! एएसु णं तेवीसाए जिणतरेसु पुरिभे पच्छिमएसु अट्ठसु अट्ठसु जिणंतरेसु एत्थ ण कालियसुयस्स अबोच्छेदे परणत्ते । मज्झिमएसु सत्तसु जिणतरेसु एत्थ ण कालियसुअस्स वोच्छेदे परणत्ते । सव्वत्थवि णं वोच्छेदे दिट्ठीवाए।’—भ०, २०श०, ८३०।

३—‘कालियसुअ च हसि भासिआइ तइओ अ सूर पन्नति । सव्वो अ दिट्ठीवाओ चउत्थओ होइ अणुओगो ॥२२६४॥’ —वि० भा०।

कालिक श्रुत और दृष्टिवाद में अन्तर

‘आवश्यक’^१ निर्युक्तिमें नयोंका विवेचन करते हुए कहा है कि दृष्टिवादमें नयोंके द्वारा वस्तुओंका कथन किया जाता है किन्तु कालिक श्रुतमें नयोंके द्वारा वस्तुका व्याख्यान करनेका नियम नहीं है। यदि श्रोताओंकी अपेक्षासे कालिक श्रुतमें नय द्वारा विचार करना ही हो तो नैगम संग्रह और व्यवहार इन तीन नयोंके द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहारके लिए ये तीन नय ही उपयोगी हैं।

निर्युक्तिकी टीकामें टीकाकार मलय गिरिने यह शङ्का की है कि यदि कालिक श्रुतमें नयोंका अधिकार ही नहीं है तो श्रोताकी अपेक्षासे तीन नयोंका अधिकार किस लिए बताया। इसके उत्तरमें कहा गया है कि तीन नयोंके द्वारा कालिक श्रुतमें अभ्यस्त होने पर ही दृष्टिवादके योग्य होता है इस लिए कालिक श्रुतमें श्रोताकी अपेक्षा तीन नयोंका ही अधिकार है। आगे आ० नि०में लिखा^२ है कि ‘कालिक श्रुत मूढनय वाला है, उसमें नयोंका अवतार नहीं होता। जब तक उसमें अनुयोगोंका भेद नहीं हुआ था तब तक उसमें नयोंका अवतार होता था और जबसे कालिक श्रुतमें अनुयोगोंका भेद हो गया तबसे नयोंका समवतार भी बन्द हो गया। आगे उसमें इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा^३ है,—

१—‘एएहि दिद्विवाए परुवणा सुत्त अत्थ कहणा य । इद पुण अणव्भुवगमो अहिगारो तीहिं ओसन्नं ॥७६०॥—आ० नि०, भा० २ ।

२—‘मूढनइअ सुअ कालिअ तु न नया समोअरति इह । अपुहुत्ति समाअरो नत्थि पुहत्ते समोअरो ॥७६२॥

३—जावं ति अज्वइरा अपुहत्त कालियाणुओगस्स । तेणारेण पुहत्त कालियसुय दिद्विवाए य ॥७६३॥—आ० नि० ।

‘जब तक महासति वज्र स्वामी थे तब तक कालिकानुयोग
‘अप्रथक था । उनके पश्चात् आर्यरक्षितके समयमें कालिक श्रुत
और दृष्टिवादमें अनुयोगोंका ‘प्रथक्त्व’ हो गया ॥’

इसका खुलासा इस प्रकार है—

जब तक वज्र स्वामी थे तब तक प्रत्येक सूत्रका व्याख्यान
करते हुए उसमें चारों अनुयोगोंका कथन किया जाता था ।
आर्यरक्षितके समयमें एक सूत्रका व्याख्यान एक ही
अनुयोगपरक किया जाने लगा और इस तरह समस्त श्रुत चार
अनुयोगोंमें विभाजित कर दिया गया । इस विभागके कर्ता वज्र-
स्वामीके शिष्य आर्यरक्षित थे । वे अपने शिष्य दुर्बलिका-
पुष्य मित्रको पढ़ाते थे तो विद्वान् होने पर भी शिष्य सूत्रार्थको
स्मरण नहीं रख पाता था । अतः आर्यरक्षितने वर्तमानकालकी
स्थितिको पहचान कर कालिकादि श्रुतको चार अनुयोगोंमें विभक्त
कर दिया । कालिक सूत्रमें प्रायः चरण-करणका ही प्रतिपादन किया
गया है, इस लिये उसे चरणकरणानुयोगमें रखा गया । ऋषिभा-
पित उत्तराध्ययनमें महर्षियोंकी धर्मकथाओंका ही कथन है इस
लिए ऋषिभापितोको धर्मकथानुयोगमें रखा गया । सूर्य प्रज्ञप्ति-
में गणितका विधान होनेसे उसे गणितानुयोगमें रखा गया ।
और सम्पूर्ण दृष्टिवादको द्रव्यानुयोगमें रखा गया । इस तरहसे
प्रत्येक सूत्रमें चारों अनुयोगोंका विधान निषिद्ध करके समस्त

१‘देविन्दवदि एहि महाशुभावेहि रक्खिअ अज्जेहि । जुगमासज्ज
विहत्तो अशुओगो ता कओ चउहा ॥७७४॥ कालियसुअ च इसिभासि
आइ तइओ अ सूरपनति । सब्बो अ दिट्ठिवाओ चउत्यओ होइ अशु-
ओगो ॥ ज च महाकप्यसुअं जाणि अ सेसाणि छेअ सुत्ताणि । चरण-
करणशुओगत्ति कालिअत्थे उवगयाणि ॥७७४॥’—आ० नि० ।

श्रुतको चार अनुयोगमे विभाजितकर दिया गया । चूंकि महाकल्प श्रुत तथा अन्य छेदसूत्र भी कालिक श्रुतमे अन्तर्भूत थे, इस लिये उन्हें भी चरण करणानुयोगमें ही रखा गया ।

आ० नि० के अनुसार ऊपर जो कथन किया गया है उसमे कालिक श्रुत और दृष्टिवादकी दृष्टिसे उल्लेखनीय भेद यह है कि कालिक श्रुतका अनुयोगोंमें विभाजन होनेके पश्चात् उसमे नयोंका समवतार निषिद्ध कर दिया गया और श्रोता विशेषकी अपेक्षासे आवश्यक होने पर भी केवल आदिके तीन नयोंके ही अवतारकी अनुज्ञा दी गई । किन्तु समस्त दृष्टिवादका अनुयोगोंमें विभाजन हो जाने पर भी उसमे नयोका समवतार निषिद्ध नहीं किया गया ।

यह हम पहले लिख आये हैं कि वज्रस्वामी अन्तिम दसपूर्वों थे और उनके शिष्य आर्यरक्षित साढ़े नौ पूर्वोंके पाठी थे । अतः उस समय साढ़े नौ पूर्व वर्तमान थे । फिर भी दृष्टिवादमें नयोका अवतार निषिद्ध न करनेके दो ही कारण हो सकते हैं प्रथम समस्त नयोंसे सूत्रार्थका कथन किये बिना दृष्टिवादका हृदयगम करना शायद सम्भव न हो, दूसरे जो दृष्टिवादको समझ सकने की सामर्थ्य रखता हो उसके लिये उसमे नयोका समवतार दुरुह प्रतीत न होता हो ।

अस्तु, जो कुछ कारण हो, किन्तु उक्त बातोंसे इतना स्पष्ट है, कि कालिक श्रुत और दृष्टिवाद एक ही श्रेणीके नहीं थे ।

नन्दीसूत्र तथा अनुयोग द्वारमे कालिक श्रुत और दृष्टिवादके अवान्तर अधिकारोंका विवरण दिया है उससे भी यही प्रकट होता है कि इन दोनोंमें मौलिक भेद था ।

अनुयोग^१ द्वारमे परिमाण सख्याका कथन करते हुए लिखा है—परिमाणसंख्या दो प्रकारकी है—कालिक श्रुत परिमाणसंख्या और दृष्टिवाद श्रुत परिमाण सख्या । कालिक श्रुत परिमाण सख्या अनेक प्रकारकी है—जो इस प्रकार है—पर्याय संख्या, अक्षर संख्या, संघात संख्या, पद संख्या, पादसंख्या, गाथासंख्या श्लोकसंख्या, वेष्टकसंख्या, निर्युक्तिसंख्या, अनुयोग द्वारसंख्या, उद्देशकसंख्या, अध्ययनसंख्या, श्रुतस्कन्धसंख्या और अंगसंख्या । ये कालिकश्रुत परिमाणसंख्या है ।

दृष्टिवाद श्रुत परिमाणसंख्या इस प्रकार है—पर्याय संख्यासे लेकर अनुयोग द्वार संख्या तक तो कालिक श्रुत के अनुसार ही है । आगे—पाहुड़ संख्या, पाहुडियासंख्या, पाहुडपाहुडियासंख्या और वस्तु संख्या । अथोत् कालिक श्रुतमे उद्देश, अध्ययन, श्रुतस्कन्ध और अंगाधिकार होते हैं तब दृष्टिवादमें पाहुड, पाहुडिया पाहुड़ पाहुडिया और वस्तु नामक अधिकार होते हैं । नन्दीसूत्रमें जो बारह अंगोका विवरण दिया है उससे भी यहो प्रकट होता है कि दोनोंके अधिकारोंमे मौलिक अन्तर था ।

१—‘से किं त परिमाणसखा ? दुविहा पणत्ता, त०—कालिअ सुयपरिमाणसखा दिट्ठिवायसुअ परिमाणसखा य । से किं त कालिअसुअ परिणामसंखा ? अणोगविहा पणत्ता, त जहा—पज्वसंखा, अक्खरसखा अणुअणोगदारसखा उद्देशगसखा अज्झयणसखा सुअखंधसखा अगसखा, से त कालिअसुय परिमाणसंखा । से किं तं दिट्ठिवायसुअ परिमाणसंखा ? अणोगविहा पणत्ता, त जहा—पज्वसखा जाव अणुअणोगदारसखा पाहुडसखा पाहुण्णिसासंखा पाहुडपाहुडिसासखा वत्थुसखा, से त दिट्ठिवायसुअ परिमाणसखा से त परिमाणसखा, । अनु० पृ० २३३ ।

दृष्टिवाद का विवरण

दृष्टिवाद' में सर्व भावोकी प्ररूपणा होती है। सन्तेपसे दृष्टिवादके पांच भेद हैं—परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुश्रोग, चूलिका। परिकर्मके सात भेद हैं—सिद्धश्रेणिका, मनुष्यश्रेणिका, स्पृष्टश्रेणिका, अवगाढश्रेणिका, उवसंपज्जणश्रेणिका, विप्पजहणश्रेणिका, चुआचुअश्रेणिका। (सिद्धश्रेणिका परिकर्मके चौदह भेद हैं—माउगापयाइं (मातृकापदानी), एगट्टिअपयाइं, अट्टपयाइं, पाढोआमासपयाइ केउभूअ (केतुभूत), रासिबद्ध एगगुण, दुगुण, तिगुण, केउभूअ, पडिग्गह, ससारपडिग्गह, नदावत्त, सिद्धावत्त)। मणुस्सश्रेणिका परिकर्मके भी चौदह भेद हैं—जो उक्त प्रकार हैं, केवल अन्तिम सिद्धावत्तके स्थानमें 'मणुस्सावत्त' नाम है। पुट्टसेणिया परिकर्मके ११ भेद हैं—(पाठोआमासपयाइ केतुभूत, रासिबद्ध, एगगुण, दुगुण, तिगुण, केउभूअ, पडिग्गह, संसारपडिग्गह, नन्दावत्त पुट्टावत्त)। आगाढसेणिया परिकर्मके ग्यारह भेद हैं, जो उक्तप्रकार हैं (केवल अन्तिम पुट्टावत्तके स्थानमें आगाढवत्त नाम है)। उपसपज्जणसेणिया परिकर्मके भी पूर्ववत्-ग्यारह भेद हैं—(केवल अन्तिम नाम आगाढावत्तके स्थानमें उवसंपज्जणावत्त नाम है) इसी तरह विप्पजहसेणिया परिकर्मके भी उक्त प्रकार ग्यारह भेद हैं (केवल अन्तिम नाम उवसपज्जणावत्तके स्थानमें विप्पजहणावत्त नाम है) इसी तरह चुआचुअसेणिया परिकर्मके भी ग्यारह भेद हैं। (अन्तिम नाम विप्पजहणावत्तके स्थानमें चुआचुआवत्त नाम है) इस प्रकार मूलभेदोंकी अपेक्षा परिकर्मके सात भेद हैं और उत्तर भेदोंकी अपेक्षासे ८३ भेद हैं।

इनमेसे आदिके छै परिकर्म चतुर्नयिक हैं—उनमें चार नयोकी प्रवृत्ति होती है तथा सातो परिकर्म त्रैराशिक मतानुयायी हैं ।

इसकी टीकामे मलयगिरिने लिखा^१ है कि गोशालकके द्वारा प्रवर्तित आजीविक सम्प्रदायके अनुयायिओंको ही त्रैराशिक कहते थे क्योंकि वे सब वस्तुको तीनरूप मानते थे । तथा नय भी तीन ही मानते थे—द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिक और उभयास्तिक । सूत्रकारने 'सत्त तेरासिया' लिखकर सातो परिकर्मोंको त्रैराशिक-मतानुयायी बतलाया है । इसका अभिप्राय यह है कि पहले आचार्य नयविचारके अवसर पर त्रैराशिक मतका अबलम्बन लेकर सातो परिकर्मों का विचार तीन नयोंके द्वारा करते थे ।

दृष्टिवादके दूसरे भेद सूत्रके बाईस भेद हैं—उज्जुसुय (ऋजुसूत्र), परिणतापरिणत, बहुभंगिअ, विजयचरिय, अणंतरं, परंपरं, मासाणं, सजूह, सभिएण, आहव्वाय सोवत्थि-अवत्त, नंदावत्त, बहुल, पुट्टापुट्टं, विआवत्त, एवंभूत, दुयावत्त, वत्तमाणप्पय, समभिरूढ, सव्वाओभद परसास, दुप्पडिग्गह । स्वसमयवक्तव्यता सूत्रकी पटिपाटीके अनुसार ये बाईस सूत्र छिन्न छेदनय वाले हैं, आजीविक सूत्रकी पारिपाटीके अनुसार अच्छिन छेद नय वाले हैं, त्रैराशिक सूत्रकी परिपाटीके अनुसार तीन नयरूप हैं और स्वसमयसूत्र पारिपाटीके अनुसार चार नयरूप हैं । इसप्रकार ये सब सूत्र ८८ हैं ॥

दृष्टिवादके तीसरे भेद पूर्वके चौदह भेद हैं—उप्पायपुव्व

१—'तथा चाह सूत्र कृत 'सत्त तेरासिया' इति सप्त परिकर्माणि त्रैराशिकमतानुयायीनि, एतदुक्त भवतिपूर्वं सूत्रयो नयचिन्ताया त्रैराशिकमतभवलम्बमानाः सप्तापि परिकर्मणि त्रिविधयापि नयचिन्तया चिन्तयन्ति स्मेति ।'—नन्दि०, टी०, पृ० २३६ उ० ।

(उत्पादपूर्व), अग्गाणीय, वीरिअ, अत्थिनत्थिप्पवाय, नाणप्पवाय (ज्ञानप्रवाद), सच्चप्पवाय (सत्यप्रवाद), आयप्पवाय (आत्मप्रवाद), पच्चखाणप्पवाय (प्रत्याख्यानप्रवाद), विज्जाणुप्पवाय (विद्यानुप्रवाद), अवक्क (अवन्ध्य) पाणाऊ, किरियाविसाल, लोकविन्दुसार। उत्पाद पूर्वमे दसवस्तु और चार चूलिकावस्तु कहे हैं, अग्रायणी पूर्वमें चौदह वस्तु और बारह चूलिकावस्तु अधिकार कहे हैं। वीर्यपूर्वमें आठवस्तु और आठ चूलिका वस्तु कहे हैं, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वमें अठारह वस्तु और दस चूलिका वस्तु कहे हैं। चूलिका वस्तु अधिकार इन चार ही पूर्वोंमें कहे हैं आगे केवल वस्तु अधिकार ही वतलाये है जो इस प्रकार है—ज्ञानप्रवादमें बारह वस्तु अधिकार कहे हैं। सत्यप्रवाद पूर्वमें दो वस्तु-अधिकार हैं आत्म प्रवादमें १६, कर्मप्रवादमें तीस, प्रत्याख्यान पूर्वमें बीस, विद्यानुप्रवादमें पन्द्रह, अवन्ध्य पूर्वमें तेरह क्रियाविशाल पूर्वमें तीस और लोकविन्दुसारमें २५ वस्तु अधिकार हैं।

अनुयोगके दो भेद हैं—मूल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग। (अरहतोंके पूर्व भव, देवलोकमें गमन, आयु, देवलोक से च्यवन, तीर्थङ्कररूपमें जन्म, अभिषेक, राज्यश्री, दीक्षा, उग्रतप, केवल ज्ञानकी उत्पत्ति, तीर्थप्रवर्तन. उनके शिष्य, गण, गणधर, आर्यिका, चतुर्विधसघका परिमाण, मन पर्ययज्ञानी, अधिज्ञानी, श्रुतज्ञानी वादी, अनुत्तरोंमें जानेवाले उत्तर विक्रिया करनेवाले, मुनियोंका परिमाण, मुक्तिमें जाने वालोंका परिमाण, आदि का जिसमें कथन हो उसे मूलप्रथमानुयोग कहते हैं)। (और जिसमें कुलकर गण्डिका, तीर्थङ्कर गण्डिका, चक्रवर्तीगण्डिका दस गण्डिका, बलदेव गण्डिका, वासुदेव गण्डिका, गणधर गण्डिका, भद्रबाहु गण्डिका, तपकर्म गण्डिका, हरिवंश गण्डिका, उत्सर्पिणी

गण्डिका, अवसर्पिणी गण्डिका, चित्रान्तर गण्डिका, इत्यादि गण्डिकाओंका जिनमें कथन हो उसे गण्डिकानुयोग कहते हैं।

आदिके चार पूर्वोंकी चूलिका होनी है शेषपूर्व विना चूलिकाके हैं। यह चूलिका भेद है। (दृष्टिवादमें संख्यात वाचना, सख्यात अनुयोगद्वार, सख्यात वेष्टक, संख्यात श्लोक, सख्यात प्रतिपत्ति, सख्यात निर्युक्ति, सख्यात सग्रहणी, होती हैं। इस तरह बाग्रहर्वे अगमें एक ध्रुतस्कन्ध, चौदह पूर्व, संख्यात वस्तु, सख्यात चूलवस्तु, संख्यात पाहुड, संख्यात पाहुड पाहुड़, सख्यात पाहुडिआ, असख्यात पाहुड पाहुडिआ, सख्यात हजार पद, सख्यात अक्षर, अनन्त गम, अनन्त पर्याय संख्यात त्रस, अनन्त स्थावर, आदि भाव होने हैं)।

टीकाकार मलय गिरिने इस सूत्रका व्याख्यान करते हुए लिखा है कि 'ये सब प्रायः नष्ट हांगया तथापि आगत सम्प्रदायके अनुसार किञ्चित् व्याख्यान किया जाता है'। अतः इस सूत्रका व्याख्यान करते हुए उन्होंने साधारण सा शब्दार्थमात्र किया है, और क्वचित् क्वचित् थोडा सा विशेष व्याख्यान भी कर दिया है।

उक्त सूत्रसे दृष्टिवादके भेदोंका, अवान्तर अधिकारोंका और स्थूल विषयसूचीका आभास मिल जाता है। और उस परसे इतना ही प्रतीत होता है कि नन्दी सूत्रकी रचनाके समय दृष्टिवादका परम्परागत विषय परिचय आदि प्राप्त था, किन्तु दृष्टिवादके अस्तित्वका समर्थन तो उस परसे नहीं होता।

किन्तु यह स्पष्ट है कि ग्यारह अंगोंकी अपेक्षा दृष्टिवाद बहुत विशाल था। श्वेताम्बरोंके अनुसार तो एकादशांगका सब विषय उसमें आगया था, इतना ही नहीं, बल्कि कोई कोई अङ्ग दृष्टिवाद

के अन्तर्गत पूर्वोक्त लिये गये हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। इसपर विशेष प्रकाश आगे डाला जायेगा। अतः उस विशाल दृष्टिवाद का सर्वथा लोप नहीं हुआ और पूर्वोक्त विशकलित अशोका ज्ञान परिपाटी क्रमसे बहुत बर्षों तक प्रवर्तित रहा, इतना स्पष्ट प्रतीत होता है।

अब हम दिगम्बर साहित्यसे दृष्टिवाद अग का जो परिचय मिलता है उसे यहां देते हैं।

दिगम्बर साहित्यमे दृष्टिवादका परिचय अकलक देवने अपने तत्त्वार्थवार्तिकमें कराया है। लिखा है—दृष्टिवादमे तीन सौ त्रैसठ दृष्टियोंका प्ररूपण तथा खण्डन किया गया है। (इन तीन सौ त्रैसठ दृष्टियो अथवा मतोंमेंसे एक सौ अस्सी दृष्टियाँ क्रियावादी हैं। चौरासी दृष्टियाँ अक्रियावादी है, सडसठ दृष्टियाँ अज्ञानपरक हैं और बत्तीस दृष्टिया वैनयिक हैं।)

‘द्वादशमङ्ग दृष्टिवाद इति। कौत्कल-काणे विद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु-माछापिक-रोमश-हारीत-मुण्डा-श्लायनादीना क्रियावाद-दृष्टिनामशीतिशतम्, मरीचिकुमार-कपिलोलूक-नागर्ग्य-व्याघ्रभूति-वाद्दालि-माठर-मौद्गल्यायनादीनामक्रियावाददृष्टिना चतुरशीतिः, साकल्य-त्रलकल-कुथिमि-सात्यमुग्री-नारायण-कठ-माध्यन्दिन-मौद-पैपलाद-त्रादरयणा-म्बष्ठिकृदौविकायन-वसु-जौमिन्यादीनामज्ञानकुदृष्टिना-सप्त षष्ठिः, वशिष्ठ-पाराशर-जतुकर्ण-वाल्मीकि-रौमहर्षिणि-सत्यदत्त-व्यासैला-पुत्रौपमन्यवैन्द्रदत्तायस्थशाटीना वैनयिकदृष्टिना द्वात्रिंशत्, एषा दृष्टिशताना त्रयाणा त्रिषष्ठ्युत्तराणा प्ररूपण निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते।’—त० वा० अ० १—२० सू०। “दिद्विवादो णाम अग चारसम। तस्य दृष्टिवादस्य स्वरूपं निरूप्यते। . एषा दृष्टिशताना त्रयाणा त्रिषष्ठ्युत्तराणा प्ररूपण निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते।”—षट्ख-;—पु० १, पृ० १०७-१०८।

कुन्दकुन्दके भाव प्राभृतमे एक गाथाके द्वारा उक्त तीन सौ त्रेसठ मतोंका निर्देश किया गया है। तथा गोमट्टसार^२ कर्मकाण्डमें और श्रे०^३ प्रवचन सारोद्धारमें इन दृष्टियोंकी प्रक्रिया भी बतलाई है। किन्तु अकलक देवने उक्त मूल चार दृष्टियोंके कतिपय अनुयायिओंके नाम भी दिये हैं। और वे ही नाम सिद्धसेन गणीकी तत्त्वार्थ टीका तथा धवलाटीकामें भी हैं।

तीन सौ त्रेसठ मत

जैन साहित्यमें तीन सौ त्रेसठ मतोंका उपपादन जिस रीतिसे किया गया है, वह रीति यहाँ दी जाती है—

क्रिया कर्ताके विना नहीं होती और वह आत्माके साथ समवेत है ऐसा कहने वाले क्रियावादी हैं। अथवा जो कहते हैं कि क्रिया प्रधान है, ज्ञान नहीं, वे क्रियावादी हैं। अथवा 'जीवादि पदार्थ है, इत्यादि कहने वाले क्रियावादी हैं। इन क्रियावादियोंके १८० भेद इस प्रकार होते हैं। जीव, अजीव आसन्न, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ हैं।

१ 'असियसय किरियवाई अक्किरियाण च होई चुलसीदी। सत्तही अण्णणी वेणोयो होति वत्तीसा ॥१३५॥'—भा प्रा.। गो क. गा ८७६।—सूत्र नि, गा ११६। 'अज्ञानिकादीना त्रयाणा त्रिषष्टिना कुवादिशताना'।—त भा० टी० ८-१ सू।

२ गो क गा। ३—प्र सारो० गा० ११८८ आदि।

'क्रिया कर्ता विना न सम्भवति, साक्षात्मसमवायिनीति वदन्ति तच्छीलाश्च ये ते क्रियावादिनः। अन्ये त्वाहुः—क्रियावादिनो ये ब्रुवते क्रिया प्रधान किं ज्ञानेन? अन्ये तु व्याख्यान्ति—क्रिया जीवादिपदार्थोऽस्तीत्यादिका वदितु शील येषां ते क्रियावादिनः।'—म० सू टी ३०—१।

ये नौ पदार्थ स्वतः परत, नित्य और अनित्य इन चार विकल्पों के द्वारा तथा काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, और स्वभाव इन पाँच विकल्पोंके द्वारा हैं। अतः इनको परस्पर में गुणा करने से $६ \times ४ \times ५ = १८०$ विकल्प होते हैं। इतने ही क्रियावादियोंके प्रकार हैं। दिगम्बर तथा श्वेताम्बर साहित्यमें वर्णित इनकी प्राक्रियामें थोड़ा अन्तर है।

दिगम्बर प्रक्रियाके अनुसार इन विकल्पोंका कथन इस प्रकार होगा—स्वतः जीव कालकी अपेक्षा है, परत जीव कालकी अपेक्षा है। और श्वेताम्बर प्रक्रियाके अनुसार इनका कथन इस प्रकार होता है—जीव स्वतः कालकी अपेक्षा नित्य है, अजीव स्वतः कालकी अपेक्षा अनित्य ही है।^२

जीवादि पदार्थ नहीं हैं, इस प्रकारका कथन करने वाले अक्रियावादी कहे जाते हैं। जो पदार्थ नहीं उसकी क्रिया भी नहीं है। यदि क्रिया हो तो वह पदार्थ 'नहीं' नहीं हो सकता, ऐसे कहने वाले अक्रियावादी कहे जाते हैं।

'नास्ति' एक, स्वतः और परत. ये दो, जीवादि सात पदार्थ

✓१—'अत्थि सदो परदो विय णिच्चाणिच्चत्तरोण य णवत्या । कालीसरप्यणियदिसहावेहि य ते हि भगा द्दु ॥७८७॥—गो क ।

✓२—'नास्त्येव जीवादिक. पदार्थ इत्येव वादिन. अक्रियावादिनः ।'
—सूत्र. शी टी, १-१२ । 'अक्रिया क्रियाया अभावम्, न हि कस्य-
चिदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तद्भावे च अनवस्थितेर-
मावादित्येव ये वदन्ति ते अक्रियावादिनः ।—भ सू, अम टी ३०-१ ।
स्था अम. टी, ४-४-३४५ ।

और कालादि पांचको परस्परमे गुणा करनेसे—स्वतः जीव कालकी अपेक्षा नहीं है परतः जीव कालकी अपेक्षा नहीं है, इत्यादिरूपसे अक्रियावादियोंके $१ \times २ \times ५ \times १ = १०$ सत्तर भेद होते हैं।^१ तथा सात पदार्थोंको नियति और कालको अपेक्षा 'नास्ति' कहनेसे चौदह भेद और होते हैं। इस प्रकार अक्रियावादियोंके कुल ८४ चौरासी भेद होते हैं। श्वेताम्बर^२ टीका ग्रन्थोंके अनुसार जीवादि सात पदार्थ, स्व और पर तथा काल, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा, इन सबको परस्परमें गुणा करनेसे $७ \times २ \times ६ = ८४$ चौरासी भेद अक्रियावादियोंके होते हैं।

जो अज्ञानको ही श्रेयस्कर मानते हैं वे अज्ञानवादी^३ कहे जाते हैं। इनके मतसे विना जाने किये हुए कर्मोंका बन्ध विफल

१—'णत्थी सदो परदो विय सत्त पयत्था य पुरणपाऊणा ।
कालादियादिभगा सत्तरि चदुपति सजादा ॥ ८८४ ॥
णत्थि य च सत्त पयत्था णियदीदो कालदो तिपति भवा ।
चोद्दस इदि णत्थित्ते अक्किरियाण च चुलसीदी ॥ ८८५ ॥'

—गो क ।

२—जीवाजीवास्त्वबन्धसवरनिर्जरामोक्षारब्धा, सप्त पदार्थाः स्वपर भेदद्वये तथा काल-यदृच्छा-नियतिस्वभावेश्वरात्मभिः पङ्क्तिश्चिन्त्यमाना श्रतुरशीति विकल्पा भवन्ति"—आचा शी टी १-१-१-४ । नन्दी, मलय, सू. ४६ ।

३—'कुत्सित जानमज्ञान तद्येपामस्ति ते अज्ञानिकाः । ते च वादिनश्चेत्यज्ञानिकवादिनः । ते च अज्ञानमेव श्रेयः असश्चिन्त्यकृत कर्म-बन्धवैफल्यात् ।'—भग अभ टी ३०-१ । स्था अभ टी, ४-४-४३ । सूत्र. शी. टी. १-१२ ।

होता है इस लिये अज्ञान ही श्रेयश्कर है ।^४ जीवादि नौ पदार्थों के साथ अस्ति आदि सात भंगोंकी योजना करनेसे त्रेसठ भेद होते हैं । तथा एक शुद्ध पदार्थको अस्ति नास्ति, अस्तिनास्ति, अवक्तव्य इन चार भंगोंके साथ मिलानेसे चार भेद और होते हैं । इस तरह अज्ञान वादियोंके सडसठ भेद होते हैं । श्वेताम्बर टीका ग्रन्थोंमें जीवादी नौ पदार्थोंको अस्ति आदि सात भंगोंके साथ लगानेसे त्रेमठ, और उत्पत्तिको प्रारम्भके अस्ति आदि चार भंगोंके साथ लगानेसे चार इस प्रकार सडसठ भेद कहे हैं ।

जो सब देवताओंको और सब धर्मोंको समान रूपसे^१ देखते हैं वे वैनयिक कहे जाते हैं । अथवा जो विनयको ही स्वर्गादि का कारण मानते हैं वे वैनयिक हैं । देव, राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, बाल, माता और पिता इन आठोंकी मन, वचन, काय और दानके साथ विनय करनेसे वैनयिकोंके^२ बत्तीस भेद होते हैं । इस प्रकार कुल तीन सौ त्रेसठ मत बतलाये हैं ।

✓४—‘को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि । अवयणजुद सत्ततय इति भगा होंति तेसट्ठी ॥८८६॥ को जाणइ सत्तचउ भावं सुद्धं खु दोणिण पतिभवा । चत्तारि होंति एव, अण्णाणीणं तु सत्तट्ठी ॥८८७॥
—गो क.

✓१—‘सर्वदेवताना सर्वसमयाना च समदर्शन वैनयिकम्’—सर्वार्थ०
८-१। ‘विनयेन चरति स वा प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः । ते च वादिनश्चेति वैनयिकवादिनः । विनय एव वा वैनयिकं, तदेव ये स्वर्गादि-हेतुतया वदन्त्येवंशीलाश्च ते वैनयिकवादिनः ।’—भग० अम० टी, ३०-१। स्था० अ०टी०, ४-४४-३४५। ‘विनयादेव मोक्ष इत्येवं गोशालक मतानुसारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः’—सूत्र० शी०, टी० १-६-२७।

२—‘मणवयणकायदाणगविभवो सुर-शिवइ-णाणि-जदि-बुड्ढे । चाले माडुपिडुम्मि य कायव्वो चेदि अट्टचऊ’ ॥ ८८८ ॥—गो० क० ।

बौद्ध निकायमें वासठ मत

दीर्घ निकायके ब्रह्म जाल सुत्तमें वासठ मतका निर्देश किया है। उन्हे भी यहा देदेना उचित होगा।

१—नित्यवाद—'भिक्षुओ ! कितनेही श्रमण और ब्राह्मण नित्यवादी हैं वे चार कारणोंसे आत्मा और लोक दोनोंको नित्य मानते हैं।

२—नित्यता-अनित्यतावाद—भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण हैं वे चार कारणों से आत्मा और लोकको अशतः नित्य और अशतः अनित्य मानते हैं।

३—सान्त अनन्तवाद—भिक्षुओ ! कितने श्रमण ब्राह्मण हैं जो चार कारणोंसे लोकको सान्त और अनन्त मानते हैं।

४—अमराविक्षेपवाद—भिक्षुओं ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीकसे नहीं जानता कि यह अच्छा या बुरा। अतः वह असत्य भाषणके भय और घृणासे न यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कहता है कि बुरा है। ऐसा वह चार कारणोंसे करता है।

५—अकारणवाद—भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण अकारणवादी हैं। दो कारणों से आत्मा और लोकको अकारण उत्पन्न मानते हैं।

६—मरणान्तर होशवाला आत्मा—भिक्षुओं ! कितने श्रमण और ब्राह्मण मरनेके बाद आत्मा असंज्ञी रहता है ऐसा मानते हैं। ऐसा वे सोलह कारणोंसे मानते हैं।

७—मरणान्तर बेहोश आत्मा—भिक्षुओं ! कितने श्रमण और ब्राह्मण आठ कारणोंसे मरनेके बाद आत्मा असंज्ञी रहता है, ऐसा मानते हैं।

८—मरणान्तर न होश वाला न बेहोश आत्मा—भिक्षुओं । कितने श्रमण ब्राह्मण आठ कारणोंसे मरनेके बाद आत्मा न संज्ञी रहता है न असंज्ञी रहता है, ऐसा मानते हैं ।

९—आत्माका उच्छेद—भिक्षुओं । कितने श्रमण ब्राह्मण सात कारणोंसे आत्माका उच्छेद-विनाश मानते हैं ।

१०—इसी जन्ममें निर्वाण—भिक्षुओं । कितने श्रमण ब्राह्मण पांच कारणोंसे ऐसा मानते हैं कि प्राणीका इसी संसार में देखते-देखते निर्वाण हो जाता है ।

इन दस मूल बातोंके क्रमसे ४ + ४ + ४ + ४ + २ + १६ + ८ + ८ + ७ + ५ = ६२ कारणोंसे ६२ मत होते हैं । आत्माकी नित्यता, अनित्यता, नित्यानित्यता, आदिको लेकर ही उक्त मत प्रवर्तित हुए हैं । उक्त तीन सौ त्रेसठ मतोंमें ही इन्हें भी गर्भित किया जा सकता है । यहां इनके प्रदर्शनका केवल इतना ही प्रयोजन है कि एक ही विचारको लेकर अनेक मतोंकी सृष्टि होना संभव है और इस तरहके मत महावीर और बुद्धके समय में प्रवर्तित थे । उन्हीं सबका निरूपण और निराकरण दृष्टिवादमें किया गया था ।

अब तत्त्वार्थवार्तिकमें जो प्रत्येक बातोंके कतिपय अनुयायियों के नाम दिये हैं, उनका यथा संभव परिचय कराया जाता है ।

अकलंक देवने कौत्कल, काणेविद्धि, कौशिक, हरिश्मश्रु, मांझपिक, रोमश, हारीत, मुण्ड, और आश्वलायनको क्रियावादी कहा है । और सिद्धसेन गण्डिने इन्हें अक्रियावादी कहा है । इनमेंसे कुछ नामोंके सम्बन्धमें हमें जो जानकारी प्राप्त हो सकी, वह इस प्रकार है—

काणेविद्धि (काण्ठेविद्धि)—पाणिनिकृत व्याकरण (४-१-८१)

मे काण्ठेविद्धि आचार्यका नाम आता है । सामवेदके वंश ब्राह्मणमे यह नाम आया है जिससे सूचित होता है कि यह सामवेदके आचार्य थे । (पा० भा०, पृ० ३२१) ।

कौशिक—पाणिनि व्याकरण ४-१-१०४ सूत्रके महाभाष्यमें लिखा है—विश्वामित्रने तप तपा मै अनृपि न रहँ । वह ऋपि हो गया । पुन. उसने तप तपा—मै अन्टपिका पुत्र न रहँ । तव गाधि भी ऋपि हो गया । उसने पुन तप तपा—मै अनृपिका पौत्र न रहू । तत्र कुशिक भी ऋपि हो गया । अतः कुशिकका पौत्र होनेसे विश्वामित्र कौशिक थे । ऋग्वेदमे जिन सात ऋपियोंके नाम आये हैं उनमें एक विश्वामित्र भी है । अथर्ववेदमे भी विश्वामित्र नाम आता है । कौशिक नामक एक ऋपि अथर्वसूत्रोंके व्याख्याकार भी हुए हैं । कौशिक गृह्यसूत्र और कौशिक स्मृति नामक दो ग्रन्थ भी हैं महाभारतमे धर्मव्याध ने एक कौशिक नामके ब्राह्मणको उपदेश दिया है । हमे यहा कौशिकसे वैदिक ऋपि विश्वामित्र हो अभि-प्रेत प्रतीत होते हैं ।

माञ्छपिक—धवला टीका (पु० १, पृ० १०७) मे माधपिक नाम है और सिद्धसेन गणिकी टीकामे (त० भा० टी० भा०, पृ० ६१) मांधनिक नाम छपा है । उसके सम्पादक ने अपनी प्रस्तावना (पृ० ५६) मे लिखा है कि डा० SCHRADER 'मान्थनिक' नाम बतलाते हैं । किन्तु वह पता नहीं बतलाते कि वह कौन थे । सम्पादक श्री कापड़ियाका कहना है कि 'यदि यह नाम ठीक है तो वह मन्थ सिद्धान्तका संस्थापक हो सकता है । वृहदारण्यक (३-७-१, ६-३-१) मे इस मन्थ सिद्धान्तका निर्देश है । कहा जाता है कि श्वेतकेतुका पिता उद्दालक उसका मूल रचायिता था । श्री भगवद्गतेने अपने वैदिक वाङ्मयके इतिहासमें (भा० २, पृ० ५५) उद्दालक आरुणिकी परम्परा दी

है। उसमें तीसरे नम्बरका नाम 'मधुक पैङ्गाय' है यह नाम 'भांध पिक' से बहुत मिलता जुलता है।

हारीत - श्री भगवद्दत्तजी ने लिखा है (पृ० २८) कि हेमाद्रि श्राद्धकल्प में पृ० ७५ पर हारीत स्मृतिपर टीका लिखनेवालेमें जयसेनका स्मरण किया गया है। एक हरीत धर्मसूत्रके रचयिता हुए हैं (हि० ध० पृ० ७१-७५)। वे कृष्ण यजुर्वेद शाखाके थे। ये दोनों एक ही हैं या भिन्न हम नहीं कह सकते। फिर भी अकलंक देवने इन्हींमें से एकका निर्देश किया जान पड़ता है।

मुण्ड—एक उपनिषद्का नाम मुण्डक है। शायद यह उसीसे सम्बद्ध हो ?

आश्वलायन—षड्गुरुशिष्यने ऋक् सर्वानुक्रमणी वृत्तिकी भूमिकामे लिखा है कि शौनकने ऋग्वेद सम्बन्धी दस ग्रन्थ लिखे और उनके शिष्य आश्वलायनने तीन ग्रन्थ लिखे—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और आरण्यक चौथा। (वै० वा० इ०, भा०२, पृ० २२६)। इन्हीं प्रसिद्ध आश्वलायनका उल्लेख अकलंक देवने किया जान पड़ता है।

शेष क्रियावादियोंके विषयमें हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

मरीचिकुमार, कपिल, उलूक, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाद्वलि, माठर, नौद्गलायनको अकलङ्कदेवने अक्रियावादी कहा है। और सिद्धसेनगणने इन्हे क्रियावादी कहा है।

मरीचिकुमार—डा० Schrader भगवान ऋषभदेवके पौत्र मरीचिकुमारको ही उल्लिखित मरीचिकुमार मानते हैं। और यह उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि मरीचिकुमारके पश्चात् ही कपिल का नाम है जो साख्य दर्शनका सस्थापक था। जिन सेनने अपने

महापुराण पर्व १८ श्लो ६१, ६२ में लिखा है कि ऋषभदेवका पौत्र मरीचि भी भगवानके साथ प्रव्रजित हुआ और उसने भ्रष्ट होकर सांख्य मतका प्रतिपादन किया ।

कपिल—कपिल ऋषि सांख्य दर्शनके संस्थापकोंमें से हुए हैं । सांख्यकारिकाकी अन्तिम कारिकासे भी यह प्रकट होता है । श्वेताश्वतर उपनिषद्में कपिलको ब्राह्मणका बौद्धिक पुत्र कहा है म० भा० के शान्ति पर्वमें भी कपिलको ब्राह्मणका मानस पुत्र कहा है । भागवतमें कपिलको विष्णुका अवतार बतलाया है ।

उलूक—वैशेषिक दर्शनके पुरस्कर्ता कणाद ऋषिका नाम उलूक भी था । इसीसे वैशेषिक दर्शनको औलुक्य दर्शन भी कहते हैं । सांख्य कारिका न० ७१ की माठर वृत्तिमें भी उलूक नाम आया है । उससे प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शनमें भी कोई उलूक नामक ऋषि हुए हैं । डा० कीथने लिखा है कि सांख्य कारिकाके चीनी अनुवादमें सांख्य दर्शनके आचार्योंकी एक तालिका दी हुई है जिसमें पचशिखके पश्चात् और वर्ष तथा ईश्वर कृष्णके पहले गार्ग्य और उलूक नाम दिया है । अतः सांख्य दर्शनके उलूक ही उल्लिखित उलूक होने चाहिए, क्योंकि मरीचि और कपिल भी सांख्य दर्शनके ही पुरस्कर्ताओंमें से थे ।

गार्ग्य—यास्कने धातुओंसे नामकी उत्पत्तिके विषयमें गार्ग्यके मतका उल्लेख किया है । ऋक् और यजुः प्राति सांख्यमें भी गार्ग्य का नाम आया है (पा० भा०, पृ० ३३४) । बृहदारण्यक उपनिषद्

में ऋषियोंकी जो तालिका दी है उसमें भी दो गार्ग्योका निर्देश मिलता है। उनमेंसे एक गार्ग्य याज्ञवल्क्यके समकालीन थे। ऊपर उल्लिखित सां० कारिकाके चीनी अनुवादमें सांख्य दर्शनके जिन आचार्योंका नाम दिया है उनमें एक गार्ग्य नाम भी है। चकि अकलङ्क देवने अक्रियावादियोंमें सांख्य दर्शनके पुरस्कर्ता आचार्यों को ही गिनाया है अतः यह गार्ग्य उन्हींमें से होना चाहिए।

व्याघ्रभूति—सि० कौ० में दो कारिकाएँ आई हैं जिनमें व्याघ्रभूतिके मतका निर्देश है। कोलब्रुकने भी लिखा है कि व्याघ्रभूति और व्याघ्रादकी वार्तिकोंका उल्लेख अनेक ग्रन्थकारों ने किया है। अतः यह व्याघ्रभूति वैयाकरण ज्ञात होते हैं। (त० भा० टी०, प्रस्ता० पृ० ५८)।

माठर—सांख्य कारिका पर माठर वृत्तिके रचयिता माठर प्रसिद्ध हैं। अतः कपिल आदि सांख्योंके साथ उनका ही नाम निर्देश होना सम्भव है। किन्तु दृष्टिवादमें उनके मतका निराकरण होना सम्भव नहीं है क्यों कि उनका काल प्रायः ईस्वी सन्की प्रथम शतीसे पूर्व नहीं है। प्राचीन कालमें माठर^२ नामके एक वैदिक ऋषि भी हुए हैं।

मौद्गल्यायन—तैत्तिरीय उपनिषद्में एक मौद्गल्यायनका उल्लेख है। गोपथ ब्राह्मणमें मौद्गल नामक ऋषिका नाम आया

१—‘विन्दतिश्चान्द्रदौर्गादेरिष्टो भाष्येऽपि दृश्यते। व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेन नेह पेठुरिति स्थितम्।’ १०॥ रजी मस्जी अदि पदी तुद् चुध् शुषि पुपी शिषिः। भाष्यानुक्ता नवेहोक्ता व्याघ्रभूत्यादिसम्मतैः ॥११॥’
—सि० कौ०

२—‘सध्यास्ति माठरश्चैव याज्ञवल्क्यः पराशरः।’

—वै० वा० इ०, भा० २, पृ० ६३।

है। एक भोगलायन बुद्धदेवके शिष्य भी थे। नहीं कह सकते कि अकलङ्कदेवके द्वारा निर्दिष्ट अक्रियावादी मौद्गल्यायन इनमेंसे कौन है ?

उल्लिखित व्यक्तियों के उक्त आनुमानिक परिचय से प्रतीत होता है कि अकलंक देव ने कतिपय वैदिक ऋषियों को क्रियावादी और सांख्य दर्शनके प्रवर्तकोंको अक्रियावादी कहा है। वैदिक ऋषि क्रियाकाण्डी थे अतः उन्हें क्रियावादी मानना उचित है और सांख्य दर्शन में आत्मा को अकर्ता माना गया है अतः उसके पुरस्कर्ताओं को अक्रियावादी कहना भी उचित ही है। किन्तु सिद्धसेनने सांख्यवादियोंको क्रियावादी और क्रियाकाण्डी वैदिकोंको अक्रियावादी किस दृष्टिसे बतलाया है यह हम नहीं कह सकते। अस्तु,

(शाकल्य, वाल्कल, कुथुमि, सत्यमुग्रि, कठ, माध्यदिन, मौद, पैपलाद, वादरायण, अम्बष्ठि, वसु, जैभिनिको अकलंकने अज्ञानवादी कहा है)।

शाकल्य—पाणिनिने अष्टाध्यायीमें शाकल्यका उल्लेख किया है। शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ स्थिर किया। पद पाठ में जो इति का प्रयोग है उसे पाणिनीने शाकल्य कृत अर्नार्थ इति कहा है (१-१-१६)। (पा० भा० पृ०. ३३३)। महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो महान् संवाद हुआ था उसका वर्णन शतपथ काण्ड ११-१४ में है। ऋषियों में एक विदग्ध शाकल्य था। याज्ञवल्क्य का उत्तर न देने से उसका मस्तक गिर गया। यह शाकल्य ऋग्वेद का प्रसिद्ध आचार्य हुआ है। यही पदकारो में सर्व श्रेष्ठ था। इसका पूरा नाम देव मित्र शाकल्य था। (वै० वा० इ०, भा० २, पृ० ७६)।

वाल्कल—वाल्कल या वल्कल नाम अशुद्ध प्रतीत होता है। सिद्धसेनगणिकी तत्त्वार्थ टीका (भा० २, पृ० १२३) में वाष्कल नाम दिया है। यही शुद्ध पाठ जान पड़ता है। वाष्कल ऋग्वेद का महत्त्वपूर्ण चरण था। शाकलों और वाष्कलों का साथ-साथ उल्लेख भी देखा जाता है। चरण एक प्रकार की शिक्षा सस्था थी जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन शिष्य समुदाय करता था और जिनका नाम मूल संस्थापक के नाम से पड़ता था। वाष्कल चरण के प्रमुख शिष्य पराशर थे जिन्होंने पाराशर्य शाखाका प्रारम्भ किया। पाराशर्य लोगों की कोई स्वतंत्र शाखा या छन्द ग्रन्थ न था, उसके लिये वे वाष्कल शाखा पर निर्भर थे। (पा० भा०, पृ० ३१५)। सम्भवतया अकलक देवने वाष्कल चरण के संस्थापक ऋषि का ही नाम अज्ञान-वादियों में लिया प्रतीत होता है।

कुथुमि—साम वेद की एक शाखा का नाम कुथुम है। वायु-पुराण अध्याय २३ में द्वैपायन से पूर्व के प्रत्येक द्वापर के अन्त में होनेवाले २७ व्यासों के नाम लिखे हैं। उनमें १६ वा व्यास भरद्वाज था। उसके समकालीन हिरण्य नाम कौसल्य लौगाक्षि और कुथुमि थे। ये सामवेदाचार्य द्वैपायन व्यास से कुछ ही पहले हुए थे (वै० वा० इ०, भा० १, पृ० ७०)। सम्भवतया अकलक देव ने सामवेदाचार्य कुथुमि का ही निर्देश अज्ञान-वादियों में किया है।^१

सात्यमुग्रि—पाणिनि ने साम वेद के अन्य चरणों में शौचि-वृत्ति और सात्यमुग्रि चरणों का नाम लिया है। (४-१-८१)।

१—आश्व लायन गृह्य सूत्रकी नारायण वृत्ति में लिखा है—‘शाकल-सामान्नायस्य वाष्कलसामान्नायस्य चेदमेव सूत्र गृह्य चेत्यध्येत्प्रसिद्धम्।’

साम वेद के राणायनीय चरण की एक शाखा का नाम सात्यमुग्नि था। इनके विषय में अपिशली शिक्षा के पद्य प्रकाश में लिखा है कि सात्यमुग्नि शाखावाले सन्ध्यक्षरो को ह्रस्व पढ़ते हैं। अर्ध एकार और अर्ध ओकार के उच्चारण को सात्यमुग्नि और राणायनीय चरणों की परिपत् ने अपने प्रातिशाख्यों में स्वीकार किया था। (पा० भा०, पृ० ३२०। वै० वा० इ०, भा० १, २१३)। इन्हीं सात्यमुग्नि का उल्लेख अकलक देव ने अज्ञानवादियों में किया प्रतीत होता है।

नारायण—नारायण' पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। इसके स्थान में 'राणायन' होना चाहिये। लेखकों के प्रमाद या बुद्धि दोष के कारण राणायन का नारायण हो गया जान पड़ता है। सिद्धसेनगणिकी टीका में 'राणायन' पाठ ही मुद्रित है। यह ऊपर लिखा है कि सामवेद की राणायनीय चरण की एक शाखा का नाम सात्यमुग्नि है। अतः सात्यमुग्नि के निकट में राणायनीय शाखा के संस्थापक राणायन का ही निर्देश उचित प्रतीत होता है। किन्तु एक शाखा चारायणीय भी थी। चर ऋषि का गोत्रापत्य चारायण है। पाणिनीय गण (४-१-६६) में चर का स्मरण किया गया है। चारायणयो का एक मंत्रार्पाध्याय भी मिलता है। (वै० वा० इ०, भा० १ पृ० १९०)। अतः यह कहना शक्य नहीं है कि नारायण के स्थान में राणायन होना चाहिये या चारायण।

कठ—महा भारत' (शान्तिप्रबर्ष अ० ३४४) में राजा उपरिचर वसु के यज्ञ का वर्णन है, वहाँ १६ ऋत्वजो में से एक आद्य कठ भी थे। इससे प्रतीत होता है कि कठों में जो प्रधान कठ

था, अथवा जो उन सब का मूल गुरु था, उसे ही आद्य कठ कहा है। पाणिनि ने कठों का स्वतंत्र उल्लेख किया है। यह चरणों का अति प्रसिद्ध चरण^१ था, जिसके अनुयायी गाँव-गाँव में फैल गए^२ थे। कठों की शाखा के विषय में कहा जाता^३ था कि वह अत्यन्त विशाल और सुविरचित ग्रन्थ था। (पा० भा०, पृ० ३१८)। इन्हीं कठों के आद्य गुरु का उल्लेख अकलक देव ने अज्ञानवादियों में किया प्रतीत होता है।

माध्यन्दिन—शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा का नाम माध्यन्दिन शाखा है। इस समय यही शाखा सब से अधिक पढ़ी जाती है। संहिता के हस्तलिखित ग्रन्थों में इसे बहुधा यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता ही कहा गया है। इसके संस्थापक माध्यन्दिन ऋषि का ही निर्देश अकलंक देव ने अज्ञानवादियों में किया जान पड़ता है।

मौद और पैप्पलाद—मौद और पैप्पलाद दोनों^४ अथर्ववेदके चरण थे। इन दोनों चरणोंमें ज्ञानसाहचर्य था। पाणिनिने 'कार्तिकौजपादि गणमें (६-२-३७) 'कठकलापाः' कठकौथुमाः

१—'चरण शब्दाः कठ कलापादयः ।'—का० वृ० ४-२-४६ ।

२—'ग्रामे ग्रामे च काठक कालापकं च प्रेचते ॥ पा० महा०

४-३-१०१ ।

३—'कठ महत् सुविहितम्'—पा० महा० ४-२-६६, वा० २ ।

४—पात० महा० के पस्पशाह्निकमे अथर्ववेदको नवशाखा युक्त कहा है। यथा—'नवधायर्वणो वेदः ।' इन नौ शाखाओंके विषयमें आथर्वण परिशिष्ट चरणव्यूहमें लिखा है—'तत्र ब्रह्मवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्यथा पैपलादाः स्तौदाः मौदाः शौनकीयाः जाजलाः जलदाः ब्रह्मवदा देवदर्शाः चारणवैद्याः चेति । - वै. वा. इ, भा १, पृ. २२० ।

मौडपैपलादाः' उदाहरणोंके द्वारा इस बातका उल्लेख किया है (पा० भा०, पृ० २६५) । पात० महा० (४-२-६६) में 'मौडा' पैपलादा प्रयोग भी मिलते हैं । अतः महाभाष्य कालमें ये शाग्राणं बहुत प्रसिद्ध र्था होगी । अथर्व परिशिष्ट (२-३) में मौडका मत दिया है ।

स्कन्द पुराण (नगर खण्ड) के अनुसार पिप्पलाद सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्यका ही एक सम्बन्धी था । प्रश्न उपनिषद्के आरम्भमें लिखा है कि भगवान पिप्पलादके पास सुकेशा भारद्वाज आदि छ. ऋषि गये थे । वह पिप्पलाद महाविद्वान और समर्थ पुरुष था ।

वादरायण—परम्परासे ब्रह्म सूत्रोंका रचयिता वादरायणको माना जाता है । मत्स्यपुराण (१४-१६) में कहा है कि वेदव्यासका एक नाम वादरायण भी था । कृष्ण द्वैपायन व्यास पराशर ऋषिके पुत्र थे तथा महाभारतके रचयिता थे । जैमिनि सूत्रों (१-१-५, ५-२-१६) में भी वादरायणका निर्देश है । एक वादरायण स्मृतिकार भी हुए हैं । सूत्रकार वादरायणका निर्देश अकलङ्कदेवने किया हां, यह सम्भव प्रतीत होता है ।

वादरायणके पश्चात् 'तत्त्वार्थवार्तिकमे प्रदत्त दो नामोंको लेकर अनेक पाठान्तर मिलते हैं । यथा, 'अम्बष्ठिकृदौ विकायन, अम्बष्ठिकृदौलिकायन, अम्बरीशस्त्रिष्ठिकृदौलिकायन' ।

सिद्धसेन गणिकी त० भा० टीका (भा० २, पृ० १२३) में 'स्त्रिष्ठिद् अनिकात्यायन, मुद्रित है । तथा धवला टीका (पु० १, पृ० १०८) में 'स्त्रेष्ठिकृदौलिकायन' नाम दिये है । इनसे मिलते

जुलते जिन नामोके सम्बन्धमे हमें जानकारी प्राप्त हो सकी, उन्हे दिया जाता है ।

अम्बरीश—अंगिरा कुलके मंत्रदृष्टाओमे अम्बरीश एक क्षत्रीय कुलोत्पन्न मंत्रदृष्टा हुआ है । राजा अम्बरीश बहुत पुराना व्यक्ति माना जाता है । महाभारतमेंभी इसका नाम आया है । कौटिल्यके अर्थशास्त्र मे (१-६) भी उसका नाम आया है ।

स्वैदायन—शतपथमे शौनक स्वैदायन^१ नामक आचार्यका नाम आता है ।

चैकितायन—बृहदारण्यकमें लिखा है कि शिल्क शालावत्य, चैकितायन दाल्भ्य, और प्रवाहण जावालि ये तीनों उद्गीथमे कुशल थे । प्रवाहण जावालिका चैकितायनदाल्भ्य^२ से सवाद हुआ था ।

वसु—व्यास मुनिसे ऋग्वेद पढ़नेवाले शिष्यका नाम पैल था । महाभारत^३ मे लिखा है कि युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय व्यास ऋत्विक् कर्मके लिये एक पैल को साथ लाये थे । यह पैल वसु का पुत्र था । पुराणोंमें लिखा है कि व्याससे ऋग्वेद पढ़कर पैलने उसकी दो शाखाए करदीं । एकको उसने वाष्कल को पढ़ाया और दूसरीको इन्दुप्रमति को । इस प्रमतिको वेदवेदागपारग कहा है । ब्रह्माण्डपुराणके तीसरे पादमे लिखा है

१—‘स्वैदायनेनेति । शौनको ह स्वैदायन आस ।’—शतपथ०
११-४-१-१ ।

२—‘त्रयो होद्गीथे कुशला बभुवुः । शिल्क. शालावत्य. । चैकि-
तायनो दाल्भ्यः । प्रवाहणो जैवलिः ।’ बृह० ६-२-३ ।

३—‘पैलो होता वसोः पुत्रो धौम्येन सहितोऽभवत् ॥’ ३५ ॥—म०
भा०, समापर्व, अ० ३६ ।

वशिष्ठ—वशिष्ठ नामके भी अनेक व्यक्ति पाये जाते हैं। एक तो वह वशिष्ठ है, जिनकी गणना^१ दस महर्षियों में की गई है। एक वशिष्ठ योगवशिष्ठ रामायण के रचयिता हुए हैं। एक वशिष्ठ धर्म सूत्र के रचयिता हुए हैं। इनमें से किन वशिष्ठ का ग्रहण निर्देश अकलंक देवको अभिप्रेत है यह निर्णय कर सकना दुःशक्य है। तथापि आगे के नामों को देखते हुए वैदिक ऋषि वशिष्ठ का ही ग्रहण इष्ट प्रतीत होता है। इन्होंने अथर्व वेद के मंत्रोंका^२ उद्धार किया था।

पाराशर—वासिष्ठ कुल में सात ब्रह्मवादी हुए हैं। इनमें प्रथम वशिष्ठ थे और दूसरे थे पराशर। इसी पराशर का पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास था। इसीसे उसे पाराशर्य भी कहते थे। चूँकि व्यास का नाम आगे लिखा है अतः वशिष्ठ के पश्चात् 'पराशर' नाम ही उचित प्रतीत होता है। सिद्ध सेन गणि की टीका में 'पाराशर' नाम पाया जाता है।

जनुकर्ण (जातुकर्ण)—पुराणों में लिखा है कि वाष्कलने चार संहिताएं बनाकर अपने चार शिष्योंको पढ़ाई। उनके नाम^३ थे—बौद्धय, अग्निमाठर, पराशर और जातुकर्ण। श्री मद्भागवतके

१—'भृगुर्मरीचिरत्रिश्च ह्यङ्गिराः पुलह. क्रतु. । मनुर्दक्षो वशिष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ ६६ ॥ ब्रह्मणो मनसा ह्येते उद्भूताः स्वयमीश्वराः । परत्वेनर्षयो यस्मात् स्मृता स्तस्मान्महर्षयः ॥ ६७ ॥ —ब्रह्माण्डपु., -२-३२-६२ ।

२—किरात १०-१० की टीका में मलिनाथ लिखते हैं—'अथर्वणस्त मंत्रोद्धारो वशिष्ठकृत इत्यागमः ।'

३—'त्रैथ्यं तु प्रथमा शाखा द्वितीयमग्नि माठरम् । पराशर तृतीया तु जातुकर्णमथापरम् ।' —वै० वा० इ०, भा० १, पृ० ६३ ।

वारुह्ये स्कन्धके वेदशास्त्रा प्रकरणमें जातुकर्ण्यको ऋग्वेदीय
 आचार्य माना जाता है। वायु पुराण अ० २ में और ब्रह्माण्ड
 पुराण, पाठ २, अ० ३५ में है पावन से पहले जातुकर्ण्य, पराशर,
 शक्ति आदि व्यास माने गये हैं। वायु पुराण के प्रथम अध्यायमें
 लिखा है कि वशिष्ठ का पौत्र जातुकर्ण्य था। उसी से व्यासने
 वेदाध्ययन किया। ब्रह्माण्ड पुराण (१-१-११) में भी यही बात
 लिखी है। बृहदारण्यक उपनिषद् २-१-३ और ४-६-३ में भी
 लिखा है कि पाराशर्य-व्यास ने जातुकर्ण्य से विद्या सीखी। वायु
 पुराणके अनुसार जातुकर्ण्य वशिष्ठका पौत्र था। अतः वह पराशर
 का भाई हो सकता है। (वै० वा० ३० भा० १, पृ० ६५)। अतः
 जनुकर्ण के गन्धान में जातुकर्ण्य पाठ ठीक प्रतीत होता।

वाल्मीकि— रामायणके रचयिता वाल्मीकि ऋषि प्रसिद्ध हैं।

रोम हर्षणी (रोम हर्षण)—पुराण संहिताओं के रचयिता
 के रूपमें एक मृत रोमहर्षण का नाम मिलता है। वायु पुराण में
 लोमहर्षण या रोमहर्षण नामकी व्याख्या इस प्रकार की है—जो
 अपने कथनों के द्वारा सुनने वालेके शरीरके रोमोंको पुलकित कर
 देता है वह वक्ता रोमहर्षण कहा जाता है।

सत्यदत्त—सत्य काम जावाल, सत्ययज्ञ आदि नामके
 व्यक्तियों का तो निर्देश मिलता है। किन्तु सत्यदत्त नामकी जान-
 कारी नहीं मिल सकी।

व्यास—पराशर ऋषि के पुत्र महाभारत के रचयिता महर्षि
व्यास प्रसिद्ध है।

एलापुत्र या इलापुत्र—श्री कापडियाने लिखा है कि पुराणों से
 पता चलता है कि प्रजापति कदम्बका पुत्र इल या एल था।
 वह वाल्मीकि देशका राजा था। वह स्त्री रूपमें परिवर्तित हो गया

और उसका नाम इला या एला हो गया। इस अवस्था में उसके पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। हम नहीं कह सकते कि निर्दिष्ट एला-पुत्र वही है या दूसरा (त० भा० टी०, भा० २ की प्रस्ता०, पृ० ६१)। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक ऐल नामक राजा का निर्देश मिलता है।

औपमन्यव—छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार औपमन्यव प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ पौलुषि, इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय, जन शार्कराक्ष्य और बुडिल आश्वतराश्वि ये पाँच महाश्रोत्रिय आत्माका स्वरूप जानने के लिए गए थे। उल्लिखित औपमन्यव और प्राचीन शाल औपमन्यव एक ही प्रतीत होते हैं।

ऐन्द्रदत्त—यह नाम नहीं मिलता। इन्द्रदत्त भी हो सकता है, किन्तु इन्द्रदत्त नामके भी किसी व्यक्तिका पता नहीं चलता। हाँ, इससे मिलता जुलता इन्द्रोत शौनक नाम मिलता है। इन्द्रोत शौनक ने जनमेजयको अश्वमेध यज्ञ कराया था।

अय स्थूण—शतपथ ब्राह्मण (१४-६३-१५, २०) में एक गुरु शिष्य परम्परा दी है। उसमें 'जानकि आयस्थूण' नाम मिलता है।

अकलंक देवके अनुसार इन सब वादियों के मतोंका वर्णन और निराकरण दृष्टिवादमें था। अकलंक देवने जो तत्तत्

१- 'प्राचीनशालऔपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिरिन्द्रद्युम्नो भाल्लवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्वि ते ह सवादयान्चक्रु रुहालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः सप्रतीममात्मान वैश्वानरभमभ्येति-छा० उ० ५-११-१४ ।

२- 'एवमुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम् । याजयामास विधिवद्वाजिमेधेन शौनकः ॥३८॥-म० भा०, शान्ति०, अ० १५१ । शतपथ० १३-५-३-५ में भी इन्द्रोत शौनक नाम मिलता है।

वादियों के कतिपय नामों का निर्देश किया है, उसका क्या आधार था, यह हम बतलानेमें असमर्थ हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि अकलंक देव के द्वारा निर्दिष्ट उक्त सभी वादी प्रायः वैदिक ऋषि हैं। और अक्रियावादियोंमें साम्य दर्शन के पुरस्कर्ताओं का तथा अज्ञानवादियों में ब्रह्म सूत्रकार शंकराचार्य और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनि का नाम निर्देश किया है। ये सभी दर्शनकार प्राचीन हैं। किन्तु बौद्धमत के प्रवर्तक का या किसी आचार्य का नाम निर्देश अकलंक देव ने नहीं किया है। यद्यपि उनके समय में बौद्ध दर्शन की ही तूती बोल रही थी और अपने ग्रन्थों में उन्होंने धर्मकीर्ति वगैरहका काफी खण्डन भी किया है। इसमें ऐसा लगता है कि उनके द्वारा निर्दिष्ट नाम अवश्य ही किसी परम्परागत स्रोत से उन्हें प्राप्त हुए होंगे। सिद्धसेन गणि ने भी अपनी तत्त्वार्थ भाष्य टीका के आठवें अध्याय के आरम्भ में वे ही नाम दिये हैं, जो अकलंकदेवके तत्त्वार्थ वार्तिकसे लिये गये प्रतीत होते हैं। किन्तु सिद्धसेन गणि ने यह नहीं लिखा कि दृष्टिवादमें इन मतों का निरूपण और निराकरण था। यह तो केवल अकलंकदेवने ही लिखा है।

(अकलंक देव ने दृष्टिवाद के पाँच भेद बतलाये हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका। और पूर्वगत के चौदह भेद गिनाये हैं, तथा यह भी बतलाया है कि किस पूर्व में किन २ विषयों का वर्णन था। अकलंक देव के पूर्ववर्ती पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि (अ० १, सू० २०) नामक अपनी तत्त्वार्थवृत्ति में भी दृष्टिवाद के उक्त पाँच भेद तथा पूर्व के चौदह भेदों के नाम दिये हैं। किन्तु उन पूर्वों में वर्णित विषय का निर्देश नहीं किया।)

अकलंक देव के पश्चात् हुए श्री वीरसेन स्वामी ने अपनी धवला^१ और जयधवला^२ टीकाओं के प्रारम्भ में दृष्टिवाद के उक्त भेदों का तथा उनमें वर्णित विषयों का प्रतिपादन करने के साथ ही साथ उन सब के परिमाण का भी कथन किया है। अकलंक देव ने तो केवल चौदह पूर्वों के ही विषय का निर्देश किया है। किन्तु वीरसेन स्वामीने दृष्टिवादके अन्य चार भेदोंमें भी वर्णित विषयका निर्देश किया है।

दृष्टिवाद के सम्बन्ध में यह जानकारी तो उत्तर कालीन टीकाकारों से प्राप्त होती है। प्राचीन मूल ग्रन्थकारों से जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है—

दिगम्बर परम्परा के दो महान सिद्धान्त ग्रन्थ कुछ वर्षों से ही प्रकाश में आये हैं। उनमें से एक का नाम है कसाय पाहुड और दूसरे का नाम है 'छक्खण्डागम'। दोनों सिद्धान्त ग्रन्थों का निकास पूर्वों से हुआ था। ये उनके देखने से स्पष्ट होता है। कसाय पाहुड की प्रथम^३ गाथा में बताया है कि 'ज्ञान प्रवाद नामक पाँचवे पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में पेज्ज प्राभूत है। उससे प्रकृत कसाय पाहुड की उत्पत्ति हुई है। टीकाकार वीरसेन स्वामी ने^४ लिखा है कि 'अग और पूर्वों का एकदेश^५ आचार्य^६ की परम्परा से आकर गुणधर आचार्य को प्राप्त हुआ, और ज्ञान

१—षट्ख, पु १, पृ १०६-१२२ तथा पु. ६, पृ २०३-२२४।

२—क पा., भा १, पृ १३२-१४८।

३—'पुल्लमि पच्चममि दु दसमे वत्थुमिह पाहुडे तदिए। पेज्ज ति पाहुडमि दु हवदि कसायाण पाहुड णाम ॥१॥' —क पा., भा १, पृ १०।

४—क पा., भा १, पृ ८७।

प्रवाद नामक पाँचवे पूर्व की दसवीं वस्तु सम्बन्धी तीसरे कपाय प्राभृत रूपी महा समुद्र के पार को प्राप्त श्री गुणधर भट्टारक ने प्रवचन वात्सल्य से प्रेरित होकर सोलह हजार पद प्रमाण पेज्ज दोस पाहुड़ ग्रन्थ का विच्छेद होने के भय से केवल एक सौ अस्सी गाथाओं में उपसंहार किया ।

इसी तरह पटखण्डागम का उद्गम अग्रायणी^१ नामक दूसरे पूर्व के पंचम वस्तु अधिकार के चतुर्थ कर्मप्रकृतिप्राभृत से हुआ है । टीकाकार वीरसेन स्वामी ने^२ बतलाया है कि अग्रायणी पूर्व में चौदह वस्तु अधिकार होते हैं—(पूर्वान्त, अपरान्त, ध्रुव अर्धुव, चयनलब्धि, अर्धोपम, प्रणधिकल्प, अर्थभौम, वतादि (?) सर्वार्थ, कल्प निर्याण, अतीत कालमे सिद्ध और बद्ध तथा अनागत काल में सिद्ध और बद्ध ।) इनमे से चयन लब्धि नामक पाँचवे वस्तु अधिकार में प्राभृत नामक बीस अधिकार होते हैं । उनमें चौथे प्राभृत का नाम कर्मप्रकृतिप्राभृत है । इस कर्म-प्रकृति प्राभृत के चौबीस अधिकार होते हैं ।

उक्त सिद्धान्त सूत्रों से यह प्रकट है कि पूर्वों में वस्तु और प्राभृत नाम के अधिकार होते थे । वीरसेन स्वामी ने प्रत्येक पूर्व में वस्तु नामक अधिकारों की संख्या बतला कर लिखा है^३ कि एक एक वस्तु अधिकार में प्राभृत नामक बीस-बीस अर्थाधिकार होते हैं और इन प्राभृताधिकारों में से भी एक एक अर्थाधिकार में चौबीस-चौबीस अनुयोग द्वार नामक अर्थाधिकार होते हैं ।

१—‘अग्रेणीयस्स पुव्वस्य वत्थुस्स चउत्थो पाहुडो कम्मपयडी गाम ॥४५॥’ —पट्ख, पु ६, पृ १३४ । २—पट्ख, पु. १, पृ १२३-१२४ । ३—क. पा, भा १, पृ. १५१ ।

श्रुतज्ञान के बीस भेद

पाटखण्डागम^१ के वर्गाणा नामक खण्ड में श्रुतज्ञानके बीस भेद बतलाये हैं—पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, सघात, सघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभृत प्राभृत, प्राभृत-प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास और पूर्व, पूर्व समास ।

सूक्ष्म निर्गोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के जो जघन्य ज्ञान होता है उसका नाम लब्ध्यक्षर है । यह ज्ञान नष्ट नहीं होता इसलिये इसे अक्षर कहते हैं । अथवा केवल ज्ञान अक्षर है क्योंकि उसमें हानि वृद्धि नहीं होती । द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा चूंकि सूक्ष्म निर्गोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव का ज्ञान भी वही है, इसलिये भी उस ज्ञान को अक्षर कहते हैं । यह ज्ञान केवल ज्ञान का अनन्तवां भाग है । तथा केवलज्ञान की तरह ही निरावरण है, क्योंकि आगमका कथन है कि अक्षरका अनन्तवा भाग ज्ञान नित्य उद्घाटित रहता है । इसके आवृत होने पर जीवके अभाव का प्रसंग आता है ।

इस लब्ध्यक्षर ज्ञान में सब जीव-शक्ति का भाग देनेपर जो

१—‘पञ्जय-अक्षर-पद-सघादय-पडिवत्ति-जोगदाराइ । पाहुड-पाहुड-वत्थू-पुव्व समासा य बोद्धव्वा ॥१॥—प्रट्खं० पु० १३, पृ० २६०। श्वेताम्बरीय प्रथम नवीन कर्म ग्रन्थ में भी श्रुतज्ञान के ये २० भेद दिये हैं यथा—पञ्जय अक्षर पय-सघाया पडिवत्ति तह य अणुओगो । पाहुड पाहुड पाहुड वत्थू पुव्वा य ससमासा ॥ ७ ॥ किन्तु अन्यत्र सर्वत्र ज्ञान की चर्चा में श्वेताम्बर परम्परा में पूर्वोक्त चौदह भेद ही पाये जाते हैं ।

लब्ध आता है उसे लब्ध्यक्षर में मिला देने से पर्यायज्ञानका प्रमाण होता है। पुनः पर्याय ज्ञान में सब जीवराशि का भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे उसी पर्याय ज्ञान में मिला देने पर पर्याय समास ज्ञान होता है। अन्तिम पर्याय समास ज्ञान में सत्र जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे उसी में मिलाने पर अक्षर ज्ञान होता है। यह अक्षर ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक के अनन्तानन्त लब्ध्यक्षरों के द्वारा होता है।

अक्षर के तीन भेद हैं—लब्ध्यक्षर, निर्वृत्यक्षर और संस्थानाक्षर। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक से लेकर श्रुतकेवली पर्यन्त जीवा के जितने क्षयोपशम होते हैं उन सबकी लब्ध्यक्षर सजा है। जघन्य लब्ध्यक्षर, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक के होता है और उत्कृष्ट चौदह पूर्ववत् के होता है। एक अक्षर से जो जघन्य श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह अक्षर श्रुत ज्ञान है। इस अक्षर के ऊपर दूसरे अक्षर की वृद्धि होने पर अक्षर समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए संख्यात अक्षरों की वृद्धि होने तक अक्षर समास श्रुत ज्ञान होता है।

संख्यात अक्षरों को लेकर एक पदनामक श्रुत ज्ञान होता है। पद के तीन भेद हैं—अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यमपद। जितने से अर्थ का ज्ञान हो, वह अर्थपद है। अर्थ पद के अक्षरों

१—‘तिविहिं पदमुद्दिष्ट प्रमाणपद मत्थ मञ्जिमपदे च । मञ्जिमपदेण धुत्ता पुव्वगाण पद विभागा ॥१६॥ तारस सद कोडीओ तेसीदि हवति तह ह लक्खाइ । अट्टावरण सहस्सं पचेव पदाणि सुदशाणे ॥२०॥

का कोई नियम नहीं है क्योंकि अनियत अक्षरों से अर्थ का ज्ञान होता हुआ देखा जाता है) आठ अक्षरों का प्रमाण पद होता है और सोलह सौ चौतीस करोड तिरासी लाख, सात हजार आठ सौ अट्ठासी अक्षरों का मध्यमपद होता है। मध्यम पद के द्वारा पूर्व और अगो का पद विभाग होता है।

द्वादशाग के पदों की संख्या एक सौ बारह करोड तिरासी लाख, अठ्ठावन हजार, पाँच बतलाई है। इन पदों में संयोगी अक्षर ही समान हैं, संयोगी अक्षरों के अवयव अक्षर नहीं, क्योंकि उनकी संख्या का कोई नियम नहीं है।

(इस मध्यम पद श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर के बढ़ने पर पद समास श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते एक अक्षर से न्यून संघात श्रुत ज्ञान के प्राप्त होने तक पद समास श्रुतज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर की वृद्धि होने पर संघात नाम का श्रुतज्ञान होता है। यह संघात श्रुतज्ञान मार्गणा ज्ञान का अवयवभूत है। जैसे गति मार्गणा में नरक गति त्रिषयक ज्ञान संघात श्रुत ज्ञान है।

संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर संघात समास श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर वृद्धि के क्रम से बढ़ते हुए एक अक्षर से न्यून प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान पर्यन्त संघात समास श्रुतज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर की वृद्धि होने पर प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान होता है। प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर प्रतिपत्ति समास श्रुत ज्ञान होता है, इस प्रकार एक एक अक्षर वृद्धि होते होते एक अक्षर से न्यून अनुयोग द्वार श्रुत ज्ञान पर्यन्त प्रतिपत्तिसमास श्रुत-ज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर की वृद्धि होने पर अनुयोग द्वार

श्रुत ज्ञान होता है। आशय यह है कि अनुयोग द्वार के जितने अधिकार होते हैं उनमें से एक अधिकार की प्रतिपत्ति सज्ञा है। और एक अक्षर से न्यून सब अधिकारों की प्रतिपत्ति समास सज्ञा है। इसी तरह प्रतिपत्ति के जितने अधिकार होते हैं उनमें से एक एक अधिकार की सघात सज्ञा है और एक अक्षरसे न्यून सब अधिकारों की सघात समास सज्ञा है।

(अनुयोग द्वार श्रुतज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर अनुयोग द्वार समास नामक श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते एक अक्षर से न्यून प्राभृत प्राभृत श्रुत ज्ञान के प्राप्त होने तक अनुयोग द्वार समास श्रुत ज्ञान होता है। उसके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर प्राभृत प्राभृत श्रुत ज्ञान होता है।

प्राभृत प्राभृत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर प्राभृत-प्राभृत समास श्रुतज्ञान होता। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते एक अक्षरसे न्यून प्राभृत श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक प्राभृत प्राभृत समास श्रुतज्ञान होता है। उसके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होनेपर प्राभृत श्रुतज्ञान होता है। सारांश यह कि एक प्राभृतमें संख्यात अधिकार होते हैं। उनमेंसे एक एक अधिकार की प्राभृत प्राभृत संज्ञा है और प्राभृत प्राभृतके अधिकारोंमेंसे प्रत्येक अधिकारकी अनुयोग-द्वार सज्ञा है।

प्राभृत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होनेपर प्राभृत समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते एक अक्षरसे न्यून वस्तु श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक प्राभृत समास श्रुतज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर की

वृद्धि होनेपर वस्तु श्रुतज्ञान होता है। वस्तु श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होनेपर वस्तु समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून पूर्व श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक वस्तु समास श्रुतज्ञान होता है। उसके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर पूर्व श्रुत ज्ञान होता है। पूर्व श्रुतज्ञानके जितने अधिकार है उनमेसे प्रत्येक की वस्तु संज्ञा है। और पूर्वगतके जो चौदह भेद हैं उनमेंसे प्रत्येककी पूर्वसंज्ञा है।

प्रथम पूर्व श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होने पर पूर्व समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धि होते हुए अंग प्रविष्ट और अंग बाह्यरूप सकल श्रुतज्ञानके सब अक्षरोंकी वृद्धि होने तक पूर्व समास श्रुतज्ञान होता है।)

(श्रुतज्ञानके बीस भेदोंका उक्त विवेचन वीरसेन स्वामीने षट्खण्डागमके वर्गणा खण्डकी धवला टीकामें (पृ० २६१-२७०) किया है। उसीके आधार पर सकलित गोमट्टसार जीवकाण्डके ज्ञान मार्गणा अधिकारमें भी उनका विवेचन मिलता है। किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके आगमिक साहित्यमें पूर्वमें दर्शित चौदह भेदोंका ही निरूपण पाया जाता है। इन बीस भेदोंका वहाँ सकेत तक भी नहीं मिलता। हाँ, कर्मविपाक नामक प्रथम कर्म ग्रन्थमें एक गाथाके द्वारा उक्त बीस भेद अवश्य गिनाये हैं और उसके रचयिता देवेन्द्र सूरिने श्वोपज्ञ टीकामें उनका सक्षिप्त स्वरूप भी दिया है और लिखा है कि विस्तृत स्वरूप जाननेके

१—‘एवमेतं संचेपतः श्रुतज्ञानस्य विंशति भेदाः दर्शिताः, विस्तारार्थिना तु बृहत्कर्मप्रकृतिरन्वेषणीया’।—स च क पृ १६।

लिए बृहत्कर्म प्रकृतिका अन्वेषण करना चाहिये । देवेन्द्र सूरिकी टीकामे एक बात और भी उल्लेखनीय है । उन्होंने पदका स्वरूप बतलाते हुए लिखा^१ है—‘जिससे अर्थका बोध हो उसको पद कहते हैं । पदके सम्बन्धमे इस प्रकारके कथन मिलते हैं तथापि जिस किसी पदसे आचार आदि ग्रन्थोंका प्रमाण अद्वारह हजार आदि कहे जाते हैं, वही यहां लेना चाहिये । द्वादशांग श्रुतके परिमाणमे उसीका अधिकार है । और यहां श्रुतके भेद प्रस्तुत हैं । उस प्रकारकी आम्नायका अभाव होनेसे उस पदका प्रमाण ज्ञात नहीं है।’

इससे प्रकट है कि पदका जो प्रमाण दिगम्बर परम्परामें मिलता है, और जो ऊपर बतलाया है उसकी आम्नाय श्वेताम्बर परम्परामें लुप्त हो गई थी । उक्त बीस भेदोंके सम्बन्धमें भी शायद ऐसी ही बात हो । दिगम्बर परम्परामें भी श्रुतज्ञानके उक्त बीस भेद केवल पट्खण्डागमके सूत्रमे ही मिलते हैं । और वह भी श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके भेदोंके विवेचनके प्रसंग से ।

(यह हम लिख आये हैं कि अग्रायणी पूर्वके चयनलब्धि नामक पञ्चम वस्तु अधिकारके महाकर्मप्रकृति नामक चतुर्थ प्राभृतसे षट्खण्डागमका उद्गम हुआ है । उधर श्वेताम्बर पर-

१ - ‘पद तु ‘अर्थपरिसमाप्तिःपदम्’इत्याद्युक्तिसद्भावेऽपि येन केन चित्पदेनाऽष्टादशपदसहस्रादिप्रमाणा आचारादिग्रन्था गीयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यैव द्वादशाङ्गश्रुतपरिमाणेऽधिकृतत्वात्, श्रुतभेदानामेव चेह प्रस्तुतत्वात् । तस्य च पदस्य तथाविधाम्नायाभावात् प्रमाण न जायते ।’—स च. क पृ १६ । ‘इह यत्रार्थोपलब्धिस्तत्पदमित्यादि पदलक्षणसद्भावेऽपि तथाविधसम्प्रदायाभावात्तस्य प्रामाण्य न सम-वगम्यते ।’ प्र सारो.द्वा० ६२ ।

म्परामें भी ये बीस भेद कर्म ग्रन्थमें ही मिलते हैं। इससे कार्मिकों की परम्परासे इन भेदोंका सम्बन्ध ज्ञात होता है। दिगम्बर साहित्यसे तो कार्मिकों और सैद्धान्तिकोंकी परम्पराका भेद परिलक्षित नहीं होता। किन्तु श्वेताम्बर साहित्यसे तो दोनों परम्पराओंके अस्तित्व तथा मतभेदोंपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों परम्परायें अनेक अंशोंमें स्वतंत्र थीं, तथा सैद्धान्तिकोंसे कार्मिकोंकी परम्परा। प्राचीन होनेके साथ ही साथ प्रामाणिक मानी जाती थी। संभव है कि कार्मिक परम्परा पूर्वविदोंके उत्तराधिकारियोंकी परम्परा हो। इस विषयमें अन्वेषणकी आवश्यकता है। अस्तु,

श्रुतज्ञानके इन बीस भेदोंको देखकर एक शका होना स्वाभाविक है। वीरसेन^१ स्वामीने स्वयं उस शकाको उठाकर उसका जो समाधान किया है उसे यहा देते हैं—

(शका—चौदह प्रकीर्णक अध्याय रूप अगबाह्य, आचार आदि ग्यारह अंग, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका, इनका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानके उक्त भेदोंमेंसे किसमें होता है ? अनुयोगद्वार या अनुयोगद्वार समास ज्ञानमें तो इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों प्राभृत श्रुतज्ञानसे बधे हुए हैं। प्राभृत प्राभृत या प्राभृत प्राभृत समासमें भी इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पूर्वगतके अवयव हैं। परन्तु परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और एकादश अंग पूर्वगतके अवयव नहीं हैं ? इस लिये इनका

अन्तर्भाव श्रुतज्ञानके उक्त बीस भेदोंमेंसे किसी भी भेदमें नहीं हो सकता) ?

समाधान—अनुयोग द्वार और अनुयोगद्वार समासमें इन सबका अन्तर्भाव होता है। और अनुयोग द्वार तथा अनुयोग द्वार समास प्राभृत प्राभृतके ही अवयव हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अथवा प्रतिपत्ति समास श्रुतज्ञानमें इनका अन्तर्भाव कहना चाहिये। किन्तु पश्चादानुपूर्वीकी विवक्षा करने पर पूर्व समास श्रुतज्ञानमें इनका अन्तर्भाव होता है।

उक्त समाधान से प्रकट होता है कि वस्तु, प्राभृत और प्राभृत प्राभृत नामक अधिकारों का सम्बन्ध केवल पूर्वों से है, किन्तु अनुयोग द्वार, प्रतिपत्ति वगैरह ग्यारह अंगों आदि में भी होते हैं। पूर्व निर्दिष्ट श्वेताम्बर साहित्य से भी यही तथ्य प्रकट होगा है, जैसा पूर्व में लिख आये है।

इस तरह से ग्यारह अंगों और पूर्वोंमें अध्यायगत भेद था, इस बात का समर्थन दिग्म्बर साहित्य से भी होता है। तथा पूर्वों को लेकर जो श्रुत ज्ञान के भेद बतलाये गये हैं वे विकास क्रम या वृद्धि क्रम को दृष्टि में रखकर बतलाये हैं। अतः पूर्वों का अध्ययन अथवा ज्ञान क्रम से होता था, उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है।

पदों का प्रमाण

अंगों और पूर्वों के पदों का प्रमाण दिग्म्बर साहित्यमें^१ विस्तार से बतलाया है। श्वेताम्बर साहित्य^२ में भी बतलाया है।

१—षट्ख, पु० १, पृ०६६ -१०७। २—'अद्वारस पय सहस्ता
आयारे दुगुण दुगुण सेसेसु ।-स च. क, पृ १७।

पूर्वों के पदों के प्रमाण में तो दोनों परम्पराओं में विशेष अन्तर नहीं है किन्तु अंगों के पदों के प्रमाण को लेकर दोनों परम्पराओं में बहुत अन्तर है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार पहले आचाराग में अठारह हजार पद थे, और आगे प्रत्येक अग में क्रम से दूने दूने पद थे। किन्तु दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्वादशांग के पदों का प्रमाण नीचे लिखे अनुसार था। उसके सामने वाली संख्या श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार है,

१—आचाराङ्ग	१८०००	१८०००
२—सूत्रकृताङ्ग	३६०००	३६०००
३—स्थानाङ्ग	४२०००	४२०००
४—समवाय	१६४०००	१४४०००
५—वियाहपणति	२२८०००	२८८०००
६—णाह धम्मकहा	५५६०००	५७६०००
७—उपासकाध्ययन	११७००००	११५२०००
८—अन्तकृद्दशा	२३२८०००	२३०४०००
९—अनुत्तरोपपादिक	६२४४०००	४६०८०००
१०—प्रश्न व्याकरण	६३१६०००	६२१६०००
११—विपाकसूत्र	१८४०००००	१८४३२०००

ग्यारह अंगों के पदों का जोड़ ४१५०२००० ३६८०६०००

बारह करोड़ तेरासी लाख अट्ठावन हजार पाँच बतलाया है। और अग बाह्य के अक्षरों^१ का प्रमाण आठ करोड़, एक लाख, आठ हजार एक सौ पचहत्तर बतलाया है और इसका कारण बतलाते हुए उपपत्ति भी दी है।

श्रुतके अक्षर

षट्खण्डागम के वर्गणा^२ खण्ड में प्रथम यह प्रश्न किया है कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियाँ (उत्तर भेद) हैं? आगे उसका समाधान^३ किया गया है कि श्रुतज्ञानावरण कर्म की संख्यात प्रकृतियाँ हैं क्योंकि जितने अक्षर हैं उतने ही श्रुतज्ञान हैं—एक एक अक्षर से एक एक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है।

अक्षरों का प्रमाण इस प्रकार है—तेतीस व्यंजन हैं। अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ ये नौ स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से सत्ताईस होते हैं। (प्राकृत में ए ऐ ओ औ का भा ह्रस्व भेद चलता है। अ, अः, क प ये चार अयोगवाह होते हैं। इस तरह सब अक्षर चौसठ होते हैं। इन चौसठ अक्षरों के सयांग से जितने अक्षर निष्पन्न होते हैं वे भी उन चौसठ अक्षरों के ही प्रकार हैं, उनसे बाहर नहीं हैं। उनका प्रमाण^४ लाने के

१—अड कोडि ए लक्खा अट्ट सहस्सा य एयसदिग च । पण्ण-
त्तरि वरणाओ पइराणायाणं पमाण तु ॥ ११—गो० जी । २—‘सुदणाणा-
वरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ’ ॥४३॥—षट्ख०, पु० १३,
पृ० २४७ । ३—‘सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स सखेज्जाओ पयडीओ
॥४४’ ॥ ‘जावदियाणि अक्खराणि अक्खर सजोगा वा । ४५॥’ षट्ख०
पु० १३, पृ० २४७ । ४—‘सजोगावरणह चउसट्ठिं थावए दुवे
रासिं । अण्णोण्णसमब्भासो रूवूण णिदिस्स गण्णिद ॥४६॥’—
षट्ख०, पु० १३, पृ० २४८ ।

लिये चौंसठ जगह 'दा' का अंक रखकर उन मंत्र को परम्पर में गुणा करने से १८४४६७४४०:३७०६५५१६२३ इतनी राशि होती है। इनमें एक कम करने से समस्त अक्षरों की संख्या आती है।

इस अक्षर संख्या में एक पद के अक्षरों की संख्या १६३४८-३०७८८८ का भाग देने से लब्ध ११२८३४८००५ आता है। उतने ही द्वादशांग के पदों का प्रमाण है और गेप बचता है- ८ १०८१७१। यह अंग वाच्य के अक्षरों का प्रमाण है।

चौंसठ मूल अक्षरों से जितने अक्षर निष्पन्न होते हैं उतने ही श्रुत ज्ञानके भेद हैं, यह बात तो स्पष्ट है और वह भी स्पष्ट है कि किसी भी भाषा या कोई भी अक्षर उन अक्षरों से बाहर नहीं रहता मन्त्रका समावेश उन्हीं में ही जाता है। किन्तु उन समस्त अक्षरों की संख्या में जो एक पद के अक्षरों की संख्या से भाग देकर लब्ध प्रमाण द्वादशांग के पद बतलाये हैं इसका ठीक आशय व्यक्त नहीं होता। चौंसठ अक्षरों के संग्रह से जो अक्षर राशि उत्पन्न होती है वह अपुनरुक्त अक्षर राशि है। और उसी को पद प्रमाण से माप कर द्वादशांग के पद बतलाये हैं। तो क्या द्वादशांग में पुनरुक्त शब्द नहीं होते? इत्यादि अनेक शंकाएँ उत्पन्न होती हैं जिनके समाधानका साधन प्राप्य नहीं है।

पहले लिख आये है कि श्वेताम्बर परम्परा में दृष्टिवादको

१- 'एयट्ट च च य छ सत्तथ च च य सुरण सत्त तिप तत्ता ।
सुरण राव पण पच य एग छक्केक्कगो य पणग च ॥१३॥'—पट्ट०,
पु० १३, पृ० २५४। गो० जी०, गा० = ५५।

गमिक और कालिक श्रुत एकादशाग को अगमिक कहा है। जिसमें सदृश पाठ हों उसे गामिक और जिसमें असदृश पाठ हों उसे अगमिक कहा है। किन्तु भाष्यकार भी उसे स्पष्ट नहीं कर सके तो बेचारे टीकाकार कहाँ से करते।

(श्वेताम्बर परम्परा की आवश्यक^१ निर्युक्ति में भी श्रुतज्ञान की प्रकृतियाँ विस्तार से कहने की प्रतिज्ञा करके कहा है कि लोक में जितने प्रत्येक अक्षर और अक्षर सयोग हैं उतनी ही श्रुतज्ञान के प्रकृतियाँ जाननी चाहियें। फिर आगे लिखा है कि श्रुतज्ञान की सर्व प्रकृतियोंका कथन करने की शक्ति मुझमें नहीं है इस लिये श्रुतज्ञान के चौदह भेदों का कथन करले हैं। इन चौदह भेदों का स्वरूप पहले लिख आये हैं।)

इस तरह जब आवश्यक निर्युक्तिकार ने ही अक्षर और अक्षर सयोग प्रमाण श्रुतज्ञान के भेद बतला कर भी उनका प्रतिपादन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तब विशेषावश्यक भाष्यकार भी उनका वर्णन कहाँ से करते। अतः जैसे श्वेताम्बर परम्परा में 'पद' का प्रमाण अज्ञात था वैसे ही अक्षर सख्या का प्रमाण भी अज्ञात था। इसी से उसमें उक्त बातों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। किन्तु दिगम्बर परम्परा में द्वितीय अग्रयणी पूर्ण से निस्तृत षट्खण्डागम के सूत्रों से उक्त विषयों की जानकारी मिलती है तथा वीरसेन स्वामी की धवला टीका से उसपर अच्छा प्रकाश भी पडता है। तथापि इस सम्बन्ध में

१—'सुयनाणे पयडीओ वित्थरतो आवि वोच्छामि ॥१६॥ पत्तेय-मक्खराइ अक्खर सजोग जत्तिया लोए । एवइया सुयनाणे पयडीओ होति नायन्वा ॥१७॥ कत्तो में वरणोउ सत्ती सुयनाणे सच्चपयडीओ । चोदस विहनिक्खेव सुयनाणे आवि वोच्छामि ॥१८॥'—आ' नि ।

लिये चौसठ जगह 'दो' का अंक रखकर उन सब को परस्पर में गुणा करने से १८४४६७४४०७३७०६५५१६१३ इतनी ^१ राशि होती है। इसमें एक कम करने से समस्त अक्षरों की संख्या आती है।

(इस अक्षर संख्या में एक पद के अक्षरों की संख्या १६३४८-३०७८८८ का भाग देने से लब्ध ११२८३५८००५ आता है। इतने ही द्वादशांग के पदों का प्रमाण है और शेष वचता है- ८०१०८१७१। यह अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण है।)

(चौसठ मूल अक्षरों से जितने अक्षर निष्पन्न होते हैं उतने ही श्रुत ज्ञानके भेद हैं, यह बात तो स्पष्ट है और वह भी स्पष्ट है कि किसी भी भाषा का कोई भी अक्षर उन अक्षरों से बाहर नहीं रहता सबका समावेश उन्हीं में हो जाता है। किन्तु उन समस्त अक्षरों की संख्या में जो एक पद के अक्षरों की संख्या से भाग देकर लब्ध प्रमाण द्वादशांग के पद बतलाये हैं इसका ठीक आशय व्यक्त नहीं होता। चौसठ अक्षरों के संयोग से जाँ अक्षर राशि उत्पन्न होती है वह अपुनरुक्त अक्षर राशि है। और उसी को पद प्रमाण से माप कर द्वादशांग के पद बतलाये हैं। तो क्या द्वादशांग में पुनरुक्त शब्द नहीं होते ? इत्यादि अनेक शंकाएँ उत्पन्न होती हैं जिनके समाधानका साधन प्राप्य नहीं है।)

पहले लिख आये हैं कि श्वेताम्बर परम्परा में दृष्टिवादको

१- 'एयद् च च य छ सत्तय च च य सुरण सत्त तिय सत्ता ।
सुरण शव पण पच य एग छक्केक्कगो य पणग च ॥१३॥'—पट्ख०,
पु० १३, पृ० २५४। गो० जी०, गा० : ५२।

गमिक और कालिक श्रुत एकादशाग को अगमिक कहा है। जिसमें सदृश पाठ हों उसे गामिक और जिसमें असदृश पाठ हो उसे अगमिक कहा है। किन्तु भाष्यकार भी उसे स्पष्ट नहीं कर सके तो वेचारे टीकाकार कहाँ से करते।

(श्वेताम्बर परम्परा की आवश्यक^१ निर्युक्ति में भी श्रुतज्ञान की प्रकृतियाँ विस्तार से कहने की प्रतिज्ञा करके कहा है कि लोक में जितने प्रत्येक अक्षर और अक्षर संयोग हैं उतनी ही श्रुतज्ञान की प्रकृतियाँ जाननी चाहियें। फिर आगे लिखा है कि श्रुतज्ञान का सर्व प्रकृतियोंका कथन करने की शक्ति मुझमें नहीं है इस लिये श्रुतज्ञान के चौदह भेदों का कथन करते हैं। इन चौदह भेदों का स्वरूप पहले लिख आये हैं।)

इस तरह जब आवश्यक निर्युक्तिकार ने ही अक्षर और अक्षर संयोग प्रमाण श्रुतज्ञान के भेद बतला कर भी उनका प्रतिपादन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तब विशेषावश्यक भाष्यकार भी उनका वर्णन कहाँ से करते। अतः जैसे श्वेताम्बर परम्परा में 'पद' का प्रमाण अज्ञात था वैसे ही अक्षर संख्या का प्रमाण भी अज्ञात था। इसी से उसमें उक्त बातों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। किन्तु दिगम्बर परम्परा में द्वितीय अग्रायणी पूर्ण से निस्तृत पटखण्डागम के सूत्रों से उक्त विषयों की जानकारी मिलती है तथा वीरसेन स्वामी की धवला टीका से उसपर अच्छा प्रकाश भी पड़ता है। तथापि इस सम्बन्ध में

१—'सुयणाणे पयडीओ वित्थरतो आवि वोच्छामि ॥१६॥ पत्तेय-
मक्खराइ अक्खर सजोग जत्तिया लोए । एवइया सुयणाणे पयडीओ
होति नायव्वा ॥१७॥ कत्तो मे वणणेउ सत्ती सुयणाण सव्वपयडीओ ।
चोदस विहनिक्खेव सुयणाणे आवि वोच्छामि ॥१८॥'—आ नि ।

विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है, क्योंकि तीर्थङ्करकी वाणी को सर्व भाषात्मक कहा है और ऊपर जो श्रुत के अक्षर बतलाये हैं उनमें सब भाषाओं के अक्षरों का समावेश हो जाता है।

दृष्टिवाद में वर्णित विषय का परिचय

अकलंक देव ने तत्त्वार्थ चार्तिक की वृत्ति में बारह अंगों में वर्णित विषय का संक्षिप्त निर्देश किया है। उनके पश्चात् हुए वीरसेन स्वामी ने भी अपनी धवला तथा जयधवला टीका में बारह अंगों का विषय परिचय दिया है। प्रथम यहाँ दृष्टिवाद के विषय का परिचय दिया जाता है। टिप्पण में श्वेताम्बर साहित्यसे प्राप्त जानकारी का भी निर्देश किया जाता है।

दृष्टिवाद के पाँच भेद हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत चूलिका। इनमें से केवल पूर्वगत के १४ भेदों का विषय परिचय अकलंक देव ने कराया है। शेष चार भेदों का नहीं कराया। किन्तु वीरसेन स्वामी ने उनका भी विषय परिचय दिया है। पहले उन्हीं चार भेदों का विषय परिचय दिया जाता है।

१ परिकर्म

परिकर्म के पाँच भेद हैं—चन्द्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। चन्द्र प्रज्ञप्ति छत्तीस लाख पाँच हजार पदों के द्वारा चन्द्रमा के विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि-वृद्धि तथा सकल ग्रासी, अर्ध भाग ग्रासी या चतुर्थ भागग्रासी ग्रहण आदि का वर्णन करती है। सूर्य प्रज्ञप्ति पाँच लाख तीन हजार पदों के द्वारा सूर्य सम्बन्धी आयु, मण्डल, परिवार, ऋद्धि, प्रमाण, गमन, बिम्ब की ऊँचाई,

दिन की हानि वृद्धि, किरणों का प्रमाण और प्रकाश आदि का वर्णन करती है)। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तीन लाख पच्चीस हजार पदों के द्वारा जम्बूद्वीप में स्थित भोगभूमि और कर्मभूमि में उत्पन्न हुए मनुष्यों और तिर्यञ्चो का तथा पर्वत, नदी, द्रव वेदिका, मेरु, वन, आदि का वर्णन करती है। द्वीपसागरप्रज्ञप्ति बावन लाख छत्तीस हजार पदों के द्वारा द्वीपों और समुद्रों के प्रमाण का तथा उनके अन्तर्गत नाना प्रकार के अन्य पदार्थों का वर्णन करती है। व्याख्याप्रज्ञप्ति चौरासी लाख छत्तीस हजार पदों के द्वारा रूपी और अरूपी द्रव्यों का, भव्य और अभव्य जीवों का तथा सिद्धोंका वर्णन करती है।

२ सूत्र

दृष्टिवाद का दूसरा भेद सूत्र^२ अट्ठासी लाख पदों के द्वारा जीव अबन्धक है, कर्म से अलिप्त ही है, अकर्ता ही है, निर्गुण ही है, अभोक्ता ही है, सर्वगत ही है, अणुमात्र ही है, निश्चेतन ही है, स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक ही है, नास्ति स्वरूप ही है इत्यादि रूप से नास्तिवाद, क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद,

१—षट्ख० पु० १, पृ० १०६-११० । १-क० पा०, भा० १, पृ० १३२-१३३ । नन्दि० सू० ५७ की मलय० टीका में लिखा है—परिकर्म का अर्थ है योग्यतापादन । जिसके अभ्याससे शेष सूत्रादि रूप दृष्टिवाद को ग्रहण करने में समर्थ होता है उस शास्त्र को परिकर्म कहते हैं । परिकर्म के उक्त भेद श्वेताम्बर परम्परा में नहीं हैं ।

२—नन्दि टीका में लिखा है—पूर्व गत सूत्रों के अर्थ का सूचन करने से सूत्र कहते हैं । वे सूत्र सब द्रव्यों सब पर्यायों, सब नयों और सब भगों के प्रदर्शक होते हैं ।

ज्ञानवाद और धैर्यशक्ति वादियों के तीन सौ श्रेष्ठ गतों का पूर्व पक्ष रूप से वर्णन करता है। तथा उसमें त्रैगुणिकवाद, निरति-वाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद और पुण्यवाद का वर्णन भी है।

३ प्रथमानुयोग

प्रथमानुयोग पांच हजार परमेश्वर त्रयोविंशती तीर्थङ्कर, चारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण, और नौ प्रति नागयणोंके पुराणों का तथा जिन, विगाधर, चतुर्वर्ती, चाणक्य मुनि और राजा आदिके वंशों का वर्णन करता है।

४ चूलिका

दृष्टिवादके पांचवे भेद चूलिकाके पांचभेद हैं—जलगता, भलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। जलगता चूलिका दो कराड,

१ क. पा. भा. १, पृ. १३८। पट्टम, पु० १, पृ. ११२। नन्दी० टी.—तीर्थङ्करोंके पूर्व भागों का तथा कल्पयज्ञोंका वर्णन करता है।

२ पट्टम०, पु० १, पृ. ११३। क. पा०, भा० १, पृ. १३६। श्वेताम्बरीय साहित्यमें लिखा है कि चूलिका चोटीको कहते हैं। जैसे मेरु की चूलिका है वैसे ही दृष्टिवादकी चूलिका है। परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत और अनुयोगमें जो उक्त प्रनुक्त अर्थ होते हैं उन सब का समग्र चूलिकाओं में होता है। चूलिका आदिके चार पूर्वों की हैं शेष पूर्वोंकी चूलिका नहीं हैं। प्रथम पूर्वकी चूलिकाओंका प्रमाण चार, दूसरे पूर्वकी चूलिकाओंका प्रमाण नारह, तीसरे पूर्वकी चूलिकाओंका प्रमाण आठ और चौथे पूर्वकी चूलिकाओंका प्रमाण दस है। इस तरह सब चौतीस चूलिकाएं हैं।—नन्दी० टी०, सू० ५७। पृ. २४६।

नौ लाख, नवासी हजार दो सौ पदोंके द्वारा जलमे गमन और जलस्तम्भनके कारणभूत मंत्र तंत्र तपश्चरण का तथा अग्नि का स्तम्भन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्निपर आसन लगाना, अग्निपर तैरना आदि क्रियाओंके कारणभूत प्रयोगोंका वर्णन करती है। (थलगता चूलिका उतने ही पदोंसे कुलाचल, मेरु महीधर, गिरि और पृथ्वीके भीतर गमनके कारणभूत मंत्र तंत्र तपश्चरण का तथा वास्तुविद्या और भूमि सम्बन्धी अन्य शुभाशुभ कारणों का वर्णन करती है)। (मायागत चूलिका उतने ही पदोंके द्वारा महेन्द्र जालका वर्णन करती है)। (रूपगता चूलिका उतने ही पदोंके द्वारा सिंह, घोडा, हाथी, हरिण, खरगोश, वृक्ष आदिके आकारसे रूप को बदलने की विधिका तथा नरेन्द्रवादका और चित्रकर्म, काष्ठकर्म, लेप्यकर्म, लेनकर्म आदिका वर्णन करती है)। (आकाशगत चूलिका उतने ही पदोंके द्वारा आकाशमें गमन करनेके कारणभूत मंत्र तंत्र तपश्चरण आदि का वर्णन करती है)। इन पांचों ही चूलिकाओंके पदोंका जोड़ दस करोड़ उनचास लाख छयालीस हजार है।

४ पूर्वोक्ता परिचय

१ उत्पादपूर्व—जीव, काल और पुद्गलद्रव्यके उत्पाद व्यय और ध्रौव्य का वर्णन करता है। इसमें दस वस्तु, दोसौ प्राभृत और एक करोड़ पद होते हैं।

२ अग्रायणीपूर्व— क्रियावाद आदि की प्रक्रिया को अग्रायणी कहते हैं उसका जिसमें वर्णन हो उसे अग्रायणी पूर्व कहते हैं (त वा०, पृ. ७४)। अग्रायणी पूर्व अंगोंके अग्र का कथन करता है (षट्खं, पु. १ पृ. ११५)। अग्रायणी पूर्व सातसौ

सुनय और दुर्नयो का तथा छै द्रव्य, नौ पदार्थ और पाच अस्तिकायोका वर्णन करता है (क. पा., भा. १, पृ १४०)। अम्र अर्थात् द्वादशागमे प्रधानभूत वस्तुके 'अयन' अर्थात् ज्ञान को अग्रायण कहते हैं। वही जिसका प्रयोजन हो उसे अग्रायणीय कहते हैं। वह सातसौ सुनय दुर्नयो का तथा पाच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नौ पदार्थों का वर्णन करता है। अम्र अर्थात् परिमाण, उसका 'अयन' अर्थात् जानना, उसके लिये जो हिनकर हो वह अग्रायणीय पूर्व है (नन्दी० मलय० सू० ५६)। (इसपूर्वमें १४ वस्तु २८० प्राभूत और छियानवें लाख पद होते हैं)।

३ वीर्यानुप्रवाद—छद्मस्थ केवलियोंके वीर्यका, सुरेन्द्र और दैत्यपतियों की ऋद्धियों का, नरेन्द्र, चक्रवर्ती और बलदेवोंके वीर्यलाभ करने का तथा द्रव्योंके सम्यक लक्षणका कथन करता है (त. वा०, पृ. ७४)। (वीर्यानुप्रवाद पूर्व आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, क्षेत्रवीर्य, कालवीर्य, भववीर्य और तपवीर्य आदि का वर्णन करता है (क. पा., भा० १, पृ. १४०, षट्ख, पु. १, पृ. ११५) जिसमें अजीवों का तथा सकर्मा और निष्कर्मा जीवोंका वीर्य कहा गया हो वह वीर्यप्रवाद है (नन्दी० मलयटीका, सू १४७ इसमें आठ वस्तु, १६० पाहुड और सत्तर लाख पद हैं)।

४ अस्तिनास्तिप्रवाद—(पाच अस्तिकायोंका और नयों अनेक पर्यायोंके द्वारा यह है और यह नहीं है इत्यादि रूप कथन करता है) अथवा (द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक नय गौणता और मुख्यताके द्वारा छहों द्रव्योंके स्वरूपकी अस्तित्वका और पररूपकी अपेक्षा नास्तित्वका है (त. वा०, पृ ७५)। स्वरूप आदि चतुष्टय की

समस्त द्रव्योंके अस्तित्वका और पररूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षा उनके नास्तित्व का कथन करता है। (क. पा. भा. १, पृ- १०-पटखं. पु. १, पृ ११५)। लोकमें जो वस्तु जिस प्रकार अस्ति अथवा नास्ति हं स्याद्वाद की दृष्टिसे वही अस्ति नास्ति रूप है इत्यादि कथन अस्तिनास्तिप्रवाद करता है (नन्दि०-चू०, मलय०, सू० ५६ तथा सम० अभ० टी०सू० १४७)। इसमें १८ वस्तु, ३६० पाहुड और साठ लाख पद होते हैं।

५ ज्ञानप्रवाद—पाचो ज्ञानोंकी उत्पत्तिके कारणोंका विषयो का, ज्ञानियों और अज्ञानियों का तथा इन्द्रियोंका प्रधानरूपसे कथन करता है (त. वा., पृ. ७५)। पाच ज्ञानों और तीन अज्ञानों का कथन करता है। (पटख०, पृ. ११६)। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवल ज्ञान का कथन करता है (क. पा. - १४१)। (नन्दि मलय. सू. ५६ । सम० अभ० टी०, सू. १४७)। इसमें १२ वस्तु, २४० पाहुड और एक कम एक करोड पद हैं।

६ सत्यप्रवाद—वचन गुप्ति का, वचन संस्कार के कारण शिर कण्ठ आदि आठ स्थानों का, बारह प्रकार की भाषा का, वक्ताओं का, अनेक प्रकार के असत्य वचन और दस प्रकार के सत्य वचनों का कथन करता है (त० वा०, पृ० ७५, पटखं०, पृ० ११६)। व्यवहार सत्य आदि दस प्रकार के सत्यों का और सप्तभंगी के द्वारा समस्त पदार्थों के निरूपण करने की विधि का कथन करता है (क० पा०, पृ० १४१)। (नन्दि० मलय० सू० ४६ । सम० अभ० टी० सू० १४७)। (इसमें बारह वस्तु, दो सौ चालीस पाहुड और एक करोड छै पद होते हैं)।

७ आत्म प्रवाद—आत्मा के अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व अनित्यत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों का और छ काय के जीवों

के भेदों का युक्ति पूर्वक कथन करता है (त. वा., पृ. ७६) । जीव वेत्ता है, विष्णु है, भोक्ता है, बुद्ध है इत्यादि रूप से आत्मा का वर्णन करता है (पटख० पृ. ११८) । जीव विषयक नाना दुर्नयों का निराकरण करके जीव द्रव्य की मिद्धि करता है (क० पा., पृ. १४१) (नन्दी० चू०, हरि०, मलय०, टी०सू० २६ । सम० अभ० टी०सू० १४७) । इसमें सोलह वस्तु, तीन सौ बीस पाहुड और छब्बीस करोड पद होते हैं ।

८ कर्म प्रवाद— कर्मों के बन्ध उदय उपशम निर्जरा अवस्थाओं का, अनुभवबन्ध और प्रदेश बन्ध के आधारों का तथा कर्मों की लघन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थिति का कथन करता है (त. वा. पृ. ७६) । आठों कर्मों का कथन करता है (पटख०, पृ. १२१) समवदान क्रिया ईर्ष्या पथ क्रिया, तप और अधःकर्म का कथन करता है (क० पा., पृ. १४२) । प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश आदि भेदों के द्वारा तथा अन्यान्य उत्तरोत्तर भेदों के द्वारा ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों का कथन करता है । (नन्दी० चू०, मलय०, सू० २६ । सम., अभ., सू. १४७) । इसमें बीस वस्तु, चारसौ पाहुड और एक करोड अस्सी लाख पद होते हैं ।

९ प्रत्याख्यान— व्रत नियम प्रतिक्रमण प्रतिलेखन तप कल्प उपसर्ग आचार प्रतिमा विराधना, आराधना, और विशुद्धि के उपक्रमों का, मुनि पद के कारणों का तथा परिमित या अपरिमित द्रव्य और भावों के त्याग का कथन करता है (त० वा०, पृ० ७६) । (द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित कालरूप और अपरिमित कालरूप प्रत्याख्यान, उपवासविधि, पाँच समिति और तीन गुप्तियों का कथन करता है (पटख०, पृ० १२१)) । (नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से अनेक प्रकार के

परिमित और अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान का कथन करता है (क. पा, पृ. १४३)। समस्त प्रत्याख्यान का कथन करता है (नन्दि० चू०, मलय० सू० ५६ । सम. अभ० सू० १४७)। (इसमें तीस वस्तु, छ सौ पाहुड़ और चौरासी लाख पद होते हैं)।

१० विद्यानुप्रवाद—(समस्त विद्याओं का, आठ महा निमित्तों का, तद्विषयक रज्जुराशिविधि, क्षेत्र श्रेणी लोकप्रतिष्ठा, लोक का आकार और समुद्रातका कथन करना है। (त० वा०, पृ० ७६)। अंगुष्ठ प्रसेना आदि सात सौ अल्प विद्याओं का, रोहिणी आदि पाँच सौ महाविद्याओं का, और अन्तरीक्ष भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानिमित्तों का कथन करता है (षट्ख० पृ० १२१)। उक्त विद्याओं का तथा उन विद्याओं को साधने की विधि का और सिद्ध हुई विद्याओं के फल का कथन करता है (क० पा०, पृ० १४४)। अनेक विद्यातिशयों का कथन करता है (नन्दि० चू०, मलय० सू० ५६ । सम० अभ० सू० १४७)। (इसमें १५ वस्तु, तीन सौ पाहुड़ और एक करोड़ दस लाख पद होते हैं)।

११ कल्याण प्रवाद—(सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारा गणों के गमन, उत्पत्ति, गतिका विपरीत फल, शकुन शास्त्र, तथा अर्हन्त बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती आदि क गर्भावतरण आदि महा कल्याणकों का कथन करता है (त० वा०, पृ० ७७ । षट्ख० पृ० १२१ । क० पा०, पृ० १४५)। (इसमें सब ज्ञान तप और सयम के योगों को शुभ फलदायी होने से सफल तथा प्रमाद आदि को अशुभ फलदायी कहा है (नन्दि० चू०, मलय० सू० ५६ । सम० अभ० सू० १४७)। (इसमें दस वस्तु, दो सौ पाहुड़ और छब्बोस करोड़ पद होते हैं)।

१२ प्राणावाय—आयुर्वेद के काय चिकित्सा आदि आठ अंगों का, भूतिकर्म का, जाँगुलि प्रक्रम का और प्राणायाम का विस्तार से कथन करता है (त० वा० पृ० ७७ । पटखं० पृ० १२२ । क० पा० पृ० १४६)। भेद सहित आयु प्राण का तथा अन्य प्राणों का कथन करता है (नन्दी० चू०, मलय० सू० ५६ । सम० अभ०, सू० १४७)। इसमें दस वस्तु, दो सौ पाहुड और तेरह करोड़ पद हैं । श्वेताम्बर उल्लेख के अनुसार इसमें एक करोड़ ५६ लाख पद हैं ।

१३ क्रिया विशाल—(लेख आदि वहत्तर कलाओं का, स्त्री सम्बन्धी चौसठ गुणों का, शिल्प का, काव्य के गुण दोषों का, छन्द रचनाओं का तथा क्रिया के फल के भोक्ताओं का कथन करता है । (त० वा०, पृ० ७७ । पटखं० पु० १ पृ० १२२)। (नृत्य शास्त्र गीतशास्त्र लक्षणशास्त्र छन्दशास्त्र अलङ्कारशास्त्र तथा नपु सक स्त्री और पुरुष के लक्षण आदि का कथन करता है (क० पा० पृ० १४८)। कायिकी आदि क्रियाओं का, सभेद सयम क्रिया का, तथा छन्द क्रिया का वर्णन करता है) (नन्दी० मलय० सू० ५६ । सम० अभ० १४७ सू०)। इसमें दस वस्तु, दो सौ पाहुड और नौ करोड़ पद हैं)

१४ लोक विन्दुसार—आठ व्यवहार, चार वीज, परिकर्म और राशि विभाग का कथन करता है । (त० वा०, पृ० ७८ । पटखं० पु० १, पृ० १२३)। (परिकर्म, व्यवहार, रज्जुराशि, कलासवण (गणित का एक प्रकार), गुणकार, वर्ग घन, बीजगणित और मोक्ष के स्वरूप का कथन करता है (क० पा० भा० १, पृ० १४८)। (लोक विन्दुसारको इस लोकमें अथवा शास्त्र रूपी लोक में विन्दुसार कहा है (नन्दी चू०, मलय० सू० ५६ ।

सम० अभ० सू० १४७) । (इसमें दस वस्तु, दो सौ पाहुड़ और साढ़े बारह करोड़ पद हैं)।

इस तरह चौदह पूर्वों में १६५ वस्तु और तीन हजार नौ सौ पाहुड़ होते हैं ।

उक्त विषय परिचयसे ज्ञात होता है कि पूर्वोंमें आत्मा, कर्म, ज्ञान, त्याग आदिके साथही साथ मन्त्र तंत्र ज्योतिष गणित आयुर्वेद, कला आदिका भी वर्णन था । तथा दार्शनिक मतों की प्रक्रिया भी उसमें बतलाई गई थी । इसीसे पूर्वोंका प्रतिपाद्य विषय स्वसमय और पर समय दोनों कहा है । अर्थात् उसमें स्वमतके साथ परमतोंके सिद्धान्तोंका भी प्रतिपादन था । इसीसे बारहवें अंग का नाम दृष्टिवाद था ।

(चौदह पूर्वोंका यह विषय परिचय उपलब्ध दिगम्बर साहित्य में सर्वप्रथम अकलंक देवके तत्त्वार्थ वार्तिकमें ही उपलब्ध होता है । उन्होंने किस आधारसे यह लिया यह कह सकना शक्य नहीं है । श्वेताम्बरोंमें नन्दि चूर्णिका में मिलता है, वहींसे हरिभद्र, अभय-देव, मलयगिरि आदि टीकाकारोंने लिया है । उसके अवलोकनसे पूर्वों की विषयसम्बन्धी विविधता तथा गहनताका आभास मिलता है । तथा यह भी प्रकट होता है कि उनका परिमाण बहुत विशाल होना चाहिये । यद्यपि प्रत्येक पूर्वके वस्तु और पाहुड़ नामक अधिकारोंकी जो संख्या दी है वह उचित ही प्रतीत होती है किन्तु पदोंका जो प्रमाण दिया है वह अवश्यही विस्मय कारक है । किन्तु दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परम्पराओंके साहित्यमें पदों का प्रमाण प्राय एकसा ही मिलता है) ।

एकादशांग

चारहवें दृष्टिवादके सम्बन्धमें यथा संभव प्रकाश डालनेके पश्चात् अब हम शेष ग्यारह अंगोंकी ओर आते हैं ।

पूर्वों से अंगों की उत्पत्ति

यह पहले लिख आये हैं कि श्वेताम्बर साहित्यमें कहा है कि पूर्वोंसे अंगोंकी उत्पत्ति हुई । (व्यवहार^१ सूत्रमें लिखा है कि पहले आचार प्रकल्प नौवें प्रत्याख्यान पूर्वमें गर्भित था । वहीसे आचारागमें उसे लाकर रखा गया । दिगम्बराचार्य पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्तिमें (अ० ६, सू० ४०) पुलाक मुनिका जघन्य श्रुत 'आचार वस्तु' कहा है और उत्कृष्ट श्रुत अभिज्ञानर दस पूर्व कहा है । यह हम देख आये हैं कि वस्तु नामक अधिकार पूर्वोंमें ही होते थे । अतः 'आचार वस्तु' अवश्य ही किसी पूर्वगत होना चाहिये । संभव है नौवें पूर्वगत ही हो, क्योंकि उसका प्रतिपाद्य विषय आचार ही था । यद्यपि इससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि अंगोंकी रचना पूर्वोंसे हुई थी और न दिगम्बर परम्परामें ऐसा कोई संकेत ही मिलता है तथापि पूर्वविद्का महत्त्व ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, केवल । 'अगविद्' का कोई महत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होता । यही इससे प्रकट होता है)।

तथा अंगोंमें प्रतिपादित कोई विषय ऐसा प्रतीत नहीं होता, जो पूर्वोंमें वर्णित न हो । इससे भी श्वेताम्बरीय साहित्यके उक्त

१—आचारपरूपो ज नवमे पुञ्चमि आसि सोधी य । ततो धिय निद्रता र्हादि तो किं न मुद्धिभवे ॥१७१॥ —व्य० सू०, ३३० ।

कथनका समर्थन किया जा सकता है। अस्तु, अब हम प्रत्येक अंगका विषय परिचय देकर उसके साथ श्वेताम्बरीय ग्यारह अंगोका भी क्रमशः यथा संभव समीक्षापूर्वक परिचय करायेंगे।

१ आचारांग—आठशुद्धि, तीनगुप्ति, पाँच समिति रूप चर्या का कथन करता है (त० वा०, पृ० ७२)। मुनिको कैसे चलना चाहिये, कैसे खड़ा होना चाहिये, कैसे बैठना चाहिये कैसे सोना चाहिये, कैसे भोजन करना चाहिये और कैसे बोलना चाहिये, इत्यादिका कथन करता है (षट्खं० पु० १, पृ० ९९। क० पा०, भा० १ पृ० १२२)। इसमें अष्टारह हजार पद थे।

वर्तमान श्वे० आचाराग सूत्रमें भिक्षुओंकी चर्या बतलाई है। इसमें दो श्रुत स्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध 'वम्भचेरिय'मे आठ अध्ययन हैं— १ सत्य परिणना, २ लोग विजत्रो, ३ सीओसणिज्ज, (शीतोष्णीय), ४ सम्मत्त, ५ आवंती अथवा लागसार, ६ धूय, ७ विमोह, ८ उवहाण सुय। नौवा महापरिणना नष्ट हो गया। (इससे वज्र स्वामी ने आकाश गाभिनी विद्याका उद्धार किया था) शीलाकाचार्यके मतसे महापरिणना आठवा अध्ययन था, विमोक्षाध्ययन सातवां और 'उवहाण सुय' नौवां। ऐसा वि० प्र० (पृ० ५१) में लिखा है। किन्तु यह ठीक नहीं है। आचाराग^१ नियुक्तिमें महापरिणनाका नम्बर ७वा है।

१—सत्य परिणना लोगविजत्रो य सीओसणिज्ज सम्मत्त। तह लोगत्तारनाम धुय तह महापरिणना य ॥३१॥ अट्टमए य विमोक्खो उवहाणसुयं च नवमग भणिय। इच्चेसो आयारो आयारग्गाणि सेमाणि ॥३२॥—आचा० नि०।

तदनुसार शीलांकाचार्यने भी महापरिणामको सातवां ही बतलाया है ।

(प्रथम^२ अध्ययन सत्यपरिणाम या शस्त्रपरिणाममें जीवका अस्तित्व बतलाकर उनकी हिंसा आदि न करनेका अर्थात् जीव संयमका विधान है । दूसरे लोक विजय अध्ययनमें बतलाया है कि लोक आठ कर्मोंसे कैसे बँधता है और कैसे बन्धनसे छूटना चाहिये । तीसरे शीतोष्ण अध्ययनमें बतलाया है कि अनुकूल प्रतिकूल शीतोष्ण परीषहको सहना चाहिये । चौथे सम्यक्त्वमें बतलाया है कि सन्मार्गमें दृढ़तापूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिये । पाँचवे लोकसारमें बतलाया है कि असारको छोड़कर सारभूत रत्नत्रयको ग्रहण करना चाहिये । छठे धूर्तमें बतलाया है कि मुनिको निःसङ्ग रहना चाहिये । सातवेंमें बतलाया है कि मोहसे उत्पन्न परीषह और उपसर्गोंको भलेप्रकारसे सहना चाहिये । आठवे विमोक्षमें अन्तक्रियाका कथन है । नौवें उपधानमें बतलाया है कि ऊपरके आठ अध्ययनोंमें जिन बातोंका कथन किया गया है उसका पालन महावीर प्रभुने किया था ।)

डा० जेकोवी, विटरनीट्स आदि का मत है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध दूसरेसे प्राचीन है । तथापि पहलेमें विरुद्ध जातीय तात्त्वोंको एकत्र बैठानेका प्रयत्न किया गया है । सूत्र गद्य रूप भी

१—‘अधुना सप्तमाध्ययनस्य महापरिजाख्यस्यावसरः तच्च व्यवच्छिन्नम्’—आचा० नि०, पृ० २३५ पू० ।

२—जिअसजमो अ लोगो जह बज्जइ जह य त पजहियव्व । सुह दुक्खतितिक्खावि य सम्मत्त लोगसारो य ॥३०॥ निस्सगया य छुट्ठे मोहसमुत्था परीसट्टवसग्गा । निजाण अट्टमए नवमे य जिणेण एव ति ॥३४॥

हैं और पद्य रूप भी हैं जैसाकि बौद्ध साहित्यमें प्रायः देखा जाता है। कभी दूरतक गद्यात्मक सूत्र चले गये हैं, तो कभी गद्य पद्यात्मक और कभी केवल पद्यात्मक। (हि० इ० लि०, भा० २, पृ० ४१५-४३६)।

इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कन्धमें नौ अध्ययन हैं। दूसरे श्रुत-स्कन्धमें १६ अध्ययन हैं—पिंडेसणा १, सेज्जा (शय्या) २, इरिया (ईर्या) ३, भासाजायं ४, वत्थेसणा (वस्त्रैषणा) ५, पाण्डसणा (पात्रैषणा) ६, उग्गह पडिमा ७, सात सत्तिक्कया १४, भावणा १५, और विमुत्ती १६। इस तरह सब पच्चीस अध्ययन हैं। अब चौबीस हैं। प्रथम श्रुत स्कन्धमें ४४ और दूसरेमें ३४ उद्देश हैं। किन्तु पहले ७८ नहीं किन्तु ८५ उद्देशग थे।

दूसरे श्रुत स्कन्धमें मुनि सम्बन्धी आचारोका ही विशेष रूप से कथन है। (डा० विट्‌रनीट्सका कथन है कि दूसरा श्रुत स्कन्ध प्रथम श्रुत स्कन्धसे बहुत अर्वाचीन है। यह बात उसमें जो चूला हैं, उनसे प्रकट होती है। प्रथम दो चूलाओंमें साधु और साध्वियों के दैनिक आचारका कथन है। उनमें बतलाया है कि साधुको कैसे आहार लेना चाहिये, कैसे चलना चाहिये और कैसे जीवन-यापन करना चाहिये। तीसरी चूलामें भगवान महावीरकी जीवनी है। (स्कन्धके अन्तमें बारह पद्य हैं जिनमें वर्णित विषय बौद्ध थेर गाथाओंका स्मरण कराता है) (हि० इ० लि०, जि० २, पृ० ४३८)

आचारांग सूत्रपर निर्युक्ति है जिसे भद्रबाहु कृत कहा जाता है। एक चूर्णि है और शीलाक (८७६ ई०) की टीका है।

२ सूत्रकृतांग—ज्ञानविनय, प्रज्ञापन, कल्प्याकल्प्य, छेदोप-स्थापना तथा व्यवहार धर्मका कथन करता है (त० वा०, पृ०

७३। पदख० पु० १, पृ० ६६) । रव समय परसमयका तथा स्त्री सम्बन्धी परिणाम क्लीवत्व, अस्फुटत्व, कामावेश, विलास, रति सुख, और पुरुषकी उच्छ्वा करना आदि स्त्रीके लक्षणोंका कथन करता है (क० पा०, भा० १, पृ० १२२) । एक सौ अस्सी क्रियावादी, चौरासी प्रक्रियावादी, सडसठ अज्ञानवादी, और वत्तीस वैनयिकवादी, इस तरह तीन सौ त्रेसठ मतोंका खण्डन करके स्व-समयकी स्थापना करता है (नन्दी० सू० ४७; सम० सू० १४७) । उसमें छत्तीस हजार पद होते हैं ।

वर्तमान सूत्रकृतागमे दो श्रुत स्कन्ध हैं । प्रथम श्रुतस्कन्ध श्लोक तथा अन्य छन्दोंमें निबद्ध है । दूसरा श्रुत स्कन्ध अध्ययन ५-६ को छोड़कर गद्यमें रचा गया है । दोनों श्रुत स्कन्धोंमें २३ अध्ययन हैं—प्रथममें १६ और दूसरेमें सात । इनके नाम वि० प्र० (पृ० ५२) में दिये हैं ।

१ समय—इसमें चार उद्देश हैं । तथा चार्वाक, बौद्ध, नियतिवाद आदि दर्शनोकी समीक्षा है । प्रथम उद्देशकी समाप्ति इस श्लोकार्धके द्वारा होती है—‘नायपुत्ते महावीरं एव आह जिणोत्तमे’

२ वेतालीय—वेतालिय—वैदारिक—इसमें तीन उद्देश हैं । प्रथम का आरम्भ इस प्रकारसे होता है—

‘सवुज्झह कि न वुज्झह सवोही खलु पेच्च दुल्लहा’

जिस छन्दमें यह पद्य रचा गया है उसे पिगल तथा वराह-मिहिर ने वेतालीया कहा है । शायद इसीसे इस अध्ययनका नाम वेतालीय रखा गया है । (किन्तु डा० वेवरका कहना है सूत्रकृतागके वेतालीय नामक अध्ययनके कारण ही उक्त

—१—‘सूयगडे सुयखधा दोन्निउ पढमम्मि सोलसज्झयणा । चउ, तिय, चउ, दो दो एक्कारस पढम सुयखधस्स ॥ १ ॥ —वि० प्र०, पृ० ५२ ।

छन्दको वेतालीय नाम मिला है। और इसलिये वे^१ इस ग्रन्थको बहुत प्राचीन बतलाते हैं। (एक उल्लेखनीय बात और भी इसमें है। माहण (ब्राह्मण) शब्द का प्रयोग मुनिके अर्थमें किया गया है। मा-हन-हिंसा न करनेवाला। डा० वेबर इसे भी प्राचीनता का सूचक बतलाते हैं। इस अध्ययनमें हित-अहितका उपदेश दिया गया है। उदाहरणके लिये-एक^२ पद्यमे कहा है—‘जो पुरुष कषायोंसे युक्त है वह चाहे नगा और कृश होकर विचरे, चाहे एक मासके पश्चात् भोजन करे, परन्तु अनन्तकाल तक उसे जन्मधारण करना पड़ता है।’

अध्ययनका अंतिम वाक्य इस प्रकार है—

‘एवसे उदाहु अगुत्तरनाणी अगुत्तरदसी अगुत्तरणाण दसणधरे अरहा नाययुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए ॥२२॥ त्ति वेमि।’

सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामीसे कहते हैं—‘उत्तम ज्ञानी, उत्तम दर्शनी, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दर्शनके धारक अर्हन्त नात-पुत्त भगवान ने विशाला नगरीमें कहा था, सो मैं आपसे कहता हूँ।’

टीकाकार शीलाक ने आरम्भमें इस अध्ययनका सम्बन्ध भगवान आदिनाथसे जोड़ा है। अर्थात् भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्रोंको लक्ष्य करके ऐसा कहा और इसी लिये अन्तिम उक्त वाक्यका अर्थ करते हुए उसकी सगति भी भगवान ऋषभदेव

१-इन्डि० एरिट०, जि० १७, पृ० ३४४-३४५।

२-‘जइवि य णिगणे किसे चरे, जयविय भुंजिय मास यंतसो। जे इह मायाइ मिजई आगता गन्माय गतसो ॥६॥’

के साथ बैठनेकी कोशिश की है। किन्तु उक्त वाक्यसे स्पष्ट है कि भगवान् महवीरको लक्ष्य करके ही उक्त वाक्य दिया गया है।

३—उवसग्ग परिन्ना (उपसर्ग परिज्ञा)—इसमें चार उद्देश हैं। उपसर्गोंसे बचनेका उपदेश है।

४—इत्थी परिन्ना (स्त्री परिज्ञा)—इसमें दो उद्देश हैं। इसमें बतलाया है कि स्त्रियोंके उपसर्गसे भ्रष्ट हुए साधु दुःख भोगते हैं। अतः स्त्रियोंकी ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए।

५—नरय विभत्तो (नरक विभक्ति)—दो उद्देश हैं। इसमें नरकके दुःखोंका वर्णन है। प्रारम्भिक^१ पद्यमें सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीसे कहते हैं—‘मैंने केवल ज्ञानी महर्षि महावीरसे पूछा था नरकमें कैसा दुःख है? आप जानते हैं। मुझको कहिये कि जीव किस तरह नरकको प्राप्त होते हैं।’

६—वीरत्थवो (वीरस्तव)—इसमें वीर प्रभुकी स्तुति है। प्रारम्भिक^२ पद्यों में कहा गया है—‘श्रमण, ब्राह्मण गृहस्थ और अन्य तीर्थियोंने पूछा—‘एकान्त रूपसे कल्याणकारी धर्मका उपदेश देनेवाला वह कौन है? उस ज्ञानपुत्रके ज्ञान दर्शन शील कैसे थे। आप यह सब जानते हैं सो हमें कहिये।’

८—कुसील परिभासिय (कुशील परिभाषा)—इसमें बतलाया है कि अग्नि आदिका आरम्भ करने वाला हिंसक है। नमक खाना छोड़ देनेसे, प्रभात कालमें स्नान करनेसे और अग्नि होमसे मोक्ष नहीं मिलता। अतः साधु अनुद्दिष्ट भोजनसे अपना

१—‘पुच्छिस्स ऽह केवलिय महेसिं कं भित्त वा णरगा पुरत्था ।
अजाणओ में मुणि बूहि जाण कहिं नु बाला नरय उर्विति ॥१॥’

२—‘पुच्छिस्सु ण समणा माहणा य अगारिणो या पर तित्थिआ य ।
से केड गेगतहिय धम्ममाहु अणोलिअ साहु समिक्खयाए ॥१॥’

निर्वाह करे और सब दुःखोंको सहन करे । ऐसा करनेसे वह संसार समुद्रसे पार हो जाता है ।

८-विरिय (वीर्य)—प्रमाद करना बाल वीर्य है और प्रमाद न करना पंडित वीर्य है । बाल वीर्य जीवोंको अनन्तकाल तक कष्ट देता है । अतः साधु कषायोंको जीते, पापोंका त्याग करे, पापका अनुमोदन न करे और परीषह उपसर्गोंको सहे ।

९-धम्मो (धर्म)—इसमें परिग्रहकी बुराई बतलाई है और लिखा है कि धन पुत्र ज्ञाति आदिका मोह छोड़कर धर्मका पालन करना चाहिये ।

१०-समाहि (समाधि)—इसमें बतलाया है कि साधु घरसे निकलकर प्रब्रज्या धारण करके निरार्काक्ष हो जाय, निदानका छेदन करके शरीरसे ममत्व त्याग दे और न जीवनकी इच्छा करे और न मरण की ।

११-मग्गो (मार्ग)—छै कायके प्राणियोंकी हिंसा न करना मोक्षका मार्ग है । साधु सावध कर्मकी अनुमात न दे । एक पद्यमें कहा है—‘जो बुद्ध भूतकालमें हो चुके और जो भविष्यकालमें होंगे उनका आधार शान्ति है ।’ टीकाकार ने बुद्धका अर्थ तीर्थङ्कर किया है ।

१२-समोसरण—इसमें क्रियावादी अज्ञानवादी और वैनयिकवादियोंके मतोंके दोष दिखलाकर स्वमतका दर्शन कराया गया है । अन्तमें कहा है—‘साधु मनोहर शब्द और रूपमें आसक्त न हो, अमनोज्ञ गंध और रससे द्वेष न करे तथा जीने और मरनेकी

✓१-जे य बुद्धा अतिक्कता जे य बुद्धा अणागया । सति तेसि पइहाण भूयाण जगती जहा ॥३६॥

इच्छा न करता हुआ संयमसे गुप्त और मायासे रहित होकर रहे ।'

१३-अहतहं (यथातथ)—इसमें सम्यक् चारित्रिका वर्णन करते हुए पार्श्व स्थ आदि मुनियोंका स्वरूप बतलाया है ।

१४-गन्थ (ग्रन्थ)—आचार्यकी आज्ञा पालन करता हुआ साधु विनय सीखे, सदा गुरुकुलमें निवास करे, मंत्र विद्याका प्रयोग न करे, आदि कथन है ।

१५-जमईयं (यमतीतं)—तीर्थङ्करका उपदेश ही सत्य है, वैर न करना साधुका धर्म है, स्त्री सेवन न करनेवाला पुरुष सबसे पहले मोक्षगामी होता है, आदि कथन है ।

१६-गाहा (गाथा)—इसमें माहन, श्रमण, भिक्षु और निग्रन्थ शब्दोंकी व्याख्या है ।

दूसरे श्रुतस्कन्धमें सात अध्ययन हैं । शुरुके चार अध्ययन गद्यमें हैं ।

१ पुण्डरिए (पुण्डरिका)—इसमें सरोवरके बीचमें स्थित कमलसे मोक्षकी तुलना की है तथा बतलाया है कि क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी उस कमल यानी मोक्षको लेनेका संकल्प करते हैं किन्तु कामभोग रूपी कीचड़में फसे रह जाते हैं ।

इस अध्ययनका आरम्भ 'सुयं मे आउसं तेणं भगवया एव-मक्खाय'—'आयुष्मन् । मैंने सुना उन भगवान ने ऐसा कहा था' वाक्यसे होता है । इसके द्वितीय भागको छठे अगके अध्ययन २-४ में भी दोहराया है ।

२ किरिया ठाणं (क्रिया स्थान)—इसमें वारह सापराय क्रियाओंको त्यागकर 'ईर्या पथ'को अगीकार करनेका उपदेश है ।

३ आहार परिज्ञा (आहार परिज्ञा)—शुद्ध एषणीय आहार सम्बन्धी वर्णन है ।

४ पञ्चक्खान किरिय (प्रत्याख्यान क्रिया)—जिसने प्राणियों के घातका प्रत्याख्यान नहीं किया है वह उनका घात न करनेपर भी उनका हिंसक कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका समाधान दृष्टान्त देकर किया है ।

५ अणगारं-अनयार सुत (अनाचारश्रुत)—इसमें आचार को स्वीकार करने और अनाचारको त्यागनेका विधान है । यह^१ अध्ययन ३४ पद्योंमें है ।

६ अद्दइज्जं (आद्रकीयं)—इसमें आद्रक कुमारका गोशाल आदि अन्य तीर्थियोंके साथ शास्त्रार्थका विवेचन है । इसमें ५५ पद्य हैं । अन्तिम पद्य 'बुद्धस्स आणाए' आदिमें वीर का निर्देश 'बुद्ध' शब्दसे किया गया है ।

७ नालंद इज्ज (नालन्दीय)—यह गद्यमें है । इसमें बतलाया है कि नालन्दामे लेप गाथापतिके वगीचेमें ठहरे हुए भगवान गौतमके पास उदक पेढालपुत्र आता है और उनसे वाद पूर्वक प्रश्न करता है । गौतम स्वामी उसको अनेक रीतिसे उत्तर देते हैं । यह उदक पार्श्वनाथकी परम्पराका था । गौतमके उत्तरोसे सन्तुष्ट होकर वह चतुर्याम धर्मको छोड़कर सप्रतिक्रमण पञ्च महात्रत रूप धर्मको स्वीकार कर लेता है ।

इस तरह सूत्र कृतागमें साधुओंकी धार्मिक चर्याका वर्णन है तथा अन्य तीर्थियोंके मतोंका खण्डन है । अकलक देव ने जो

१-प्रथम पद्य इस प्रकार है—'आदाय वंभचेर च आसुपन्नो इम वं । अस्सि धम्मे अणायार नायरेज्ज कयाइवि ॥१॥

इस अंगका प्रतिपाद्य विषय बतलाया है उसमें स्वसमय पर-समय निरूपणका निर्देश नहीं है, किन्तु वीरसेन स्वामी ने उसका भी निर्देश किया है। अकलक देवके अनुसार तो दृष्टिवादका प्रतिपाद्य विषय स्वसमय और परसमय है। दृष्टिवादके एक भेदका नाम भी 'सूत्र' है। वीरसेन स्वामीके अनुसार उसमें ३६२ मतोंका निराकरण किया गया है। नन्दिसूत्रके अनुसार भी 'सूत्र'में तेरासिय आदि मतोंका खण्डन मण्डन था। संभव है कि इस दूसरे अंगका विकास दृष्टिवादके सूत्र नामक भेदसे हुआ हो। इसीसे दोनोंमें नाम साम्यके साथ विषयमें भी आशिक समानता है।

प्र० विटरनीट्स का कहना है कि 'दो श्रुतस्कन्धोंमेंसे प्रथम श्रुतस्कन्ध प्रार्चीन है और दूसरा श्रुतस्कन्ध कबल एक परिशिष्ट है जो बादको जोड़ दिया गया है। यह सम्भव है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध एक ही व्यक्तिके द्वारा रचा गया हो। उससे भी अधिक (सम्भव यह है कि किसी संग्राहकने एक पुस्तक का रूप देनेके लिये विभिन्न पद्यों और उपदेशों को एक प्रकरण रूपमें सयुक्त कर दिया हो। इसके विपरीत दूसरा श्रुतस्कन्ध, जो गद्यमें लिखा गया है, भेदे ढगसे एकत्र किये गये परिशिष्टों का केवल एक पिण्ड है। फिर भी भारतके धार्मिक सम्प्रदायोंके जीवन का ज्ञान कराने की दृष्टिसे दूसरा भाग भी महत्त्वपूर्ण है।' (हि० इ. लि. - जि २, पृ ४४१)।

इस अंग पर भी एक निर्युक्ति, चूर्णि तथा शीलाक की संस्कृत टीका है। इस अंग का जर्मन भाषामें अनुवाद डा० जेकावीने किया था। उसका अंग्रेजी अनुवाद (से. यु. ई. जि. ४५ में) प्रकाशित हो चुका है।

३ स्थानांग—इसमें अनेक जगह पाये जाने वाले अर्थों का निर्णय किया जाता है (त. वा. पृ. ७३) । एक को आदि लेकर एकांतर क्रमसे स्थानों का वर्णन करता है (षट्ख, पु १, पृ.-१०० । क पा. भा. १, पृ १२३) । इसमें जीव, अजीव, स्वसमय, पर समय लोक, अलोक लोकालोक आदि को व्यवस्थित किया जाता है (नन्दी. सू ४८, समय सू. १३८) । इसमें दिगम्बरोके अनुसार ब्यालीस हजार और श्वेताम्बरोके अनुसार बहात्तर हजार पद हैं ।

वर्तमान स्थानांग सूत्र में दस अध्ययन हैं । उनमें एकसे लेकर दस सख्या तकके अर्थों का कथन है । तदनुसार ही पहले अध्ययन का नाम एक स्थानिक, दूसरेका द्विस्थानिक, तीसरेका त्रिस्थानिक इत्यादि क्रमसे है । शुरूके पाच अध्ययनोंमें उद्देशविभाग है, शेषमें नहीं है ।

इस अगमे कुछ उल्लेखनीय बातें हैं उनका यहां निर्देश करना अनुचित न होगा ।

१ वस्त्रधारण करनेके तीन कारण बतलाये हैं—तज्जा, जुगुप्सा और परीषह । इन तीन कारणोंसे साधु को वस्त्रधारण करना चाहिये ।

२ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर को छोड़कर शेष बाईस तीर्थङ्कर चतुर्याम धर्म का उपदेश करते

१ 'तिहिं ठाणेहिं वत्थ धरेज्जा, त—हिरिपत्तिय दुगल्लापत्तियं परीसहपत्तिय ॥ १७१ ॥'

२— भरहेरवणसु ण वासेसु पुरिम-पब्बिभवज्जा मज्झिमगा वावीसं अरहता भगवता चाउज्जाम धम्म पण्णवेति, त सव्वातो पाणातिवा-याओ वेरमण, एव मुसावायाओ वेरमण, सव्वातो अदिन्नादाणाओ

हैं—समस्त प्राणातिपातका त्याग, असत्यका त्याग, अदत्तादान का त्याग और समस्त परिग्रह का त्याग । सब महाविदेहोंमें भगवान्-अहन्त चतुर्यामधर्मका उपदेश करते हैं ।

३ पाच^१ कारणोंसे अचेलपना (वस्त्रत्याग) प्रशस्त है—
देखभाल कम करनी पडती है १, प्रशस्त लाघव रहता है २,
विश्वसनीय रूप है, जिनानुमत तप है ४, और महान् इन्द्रिय
निग्रह होता है ।'

इसकी टीकामें टीकाकार अभयदेव सूरिने लिखा^२ है—
जिसके वस्त्र नहीं होते उसे अचेल कहते हैं । वह जिनकल्पी
विशेष होता है । और स्थविरकल्पी अल्प मूल्य वाले वस्त्रधारण
करनेसे अथवा अल्प वस्त्रधारण करनेसे अथवा परिमित जीर्ण
मालेन वस्त्रधारण करनेसे अचेल कहलाता है । (आगमिक
साहित्यके सभी टीकाकारों ने वस्त्र पात्र का खूब पोषण किया
है, अस्तु ।)

वेरमण, सन्वात्रो वहिद्धादाणा (परिग्गहा) त्रो वेरमण । सन्वेसु
महाविदेहेसु अरहता भगवंतो चाउज्जाम धम्म पण्णवयति
(सू २६६) ।

१—पचहि ठाणोहि, अचेलए पसत्ये भवति, त—अप्पा पटिसेहा,
लाघविए पसत्ये, रूवे वेसासिते, तवे अणुञ्जातें, विउले इदियनिग्गहे,
(सू ४५५) ।

२—'न विद्यते चेलानि-वासासि यस्यासावचेलकः, स च जिन-
कल्पिक विशेष.—स्थविर कल्पिकश्चाल्पमूल्यसप्रमाणजीर्णमलिनव-
सनत्वादिति ।'—स्था०, सू० ४५७ ।

४—इसमें^१ भगवान महावीर के तीर्थ में हुए सात निन्हवो के नाम, उनके कर्ता व्यक्ति और उनके स्थानोंका निर्देश है ।

५—श्रेणिक^३ के तीर्थङ्कर होने का कथन करते हुए लिखा है—कि जैसे महावीर भगवान ने निर्ग्रन्थ श्रमणों के लिये नंगा रहना, दीक्षित होना, स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना, छाता नहीं लगाना, जूता नहीं पहनना, भूमि शय्या, फलक शय्या काष्ठ शय्या, केश लोच, ब्रह्मचर्य, आदि का उपदेश दिया, वैसे श्रेणिक भी प्रथम तीर्थङ्कर महापद्म होकर निर्ग्रन्थ श्रमणों के लिये यही सब मार्ग बतलायेगा ।

६—श्वेताम्बर^३ मंत्र में दस आश्चर्य माने गये हैं, जिनमें एक महावीर का गर्भपरिवर्तन भी है उन दस अच्छेरों का भी इसमें निर्देश है ।

इस अग में निर्दिष्ट कतिपय विषयों से इसकी प्राचीनता

१—‘समणास्स ण भगवओ महावीरस्स तित्थसि सच्च पवतण निराहगा प०, तं०—बहुरता जीवपतेसिता अवतिता सामुच्छेइच्चा दोकिरिता तेगसिता अवद्धिता । (सू० ५८७) ।

२—“ से जहानाम ते अज्जो ! मते समणाण निग्गथाण नग्गभावे मुडभावे अराहाणते अदतवणे “ एवमेव महापउमे वि अरहा समणाण निग्गथाण नग्गभाव जाव लद्धावलद्ध वित्ति पण्णावेहिती (सू० ६६३) ।

३—‘दस अच्छेरगा प०, तं०—उवसग्ग गब्भहरणं इत्थीतित्थे अभाविआ परिआ । कणाहस्स अवरकका उत्तरण चंद सूराण ॥ १ ॥ हरिवस कुलुप्पत्ती चमरुप्पातो त अट्ठसय सिद्धा । असजतेसु पूया दसवि अणतेण कालेण ॥२॥’

संदिग्ध है। स्थान^१ ४-१ में अंगवाह्य रूप से चार पन्नत्तिओं का निर्देश है—वे चार पन्नत्ति हैं—चंद्र पन्नत्ति, सूर पन्नत्ति, जम्बू द्वीप पन्नत्ति और द्वीप सागर पन्नत्ति। इसी तरह स्था०^२ ३-१ में भी तीन पन्नत्तिओं के पढ़ने का निर्देश है।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें चंद्र पन्नतीको सातवाँ सूरपन्नति को पाँचवाँ और जम्बूद्वीप पन्नत्ति को छठा उपांग माना है। इन उपांगों में एक द्वीपसागर पन्नती को और मिला दिया है। इसे कोई स्वतंत्र ग्रन्थ श्वेताम्बर आगमोंमें नहीं माना है। (अगमोंमें उपांगोंका निर्देश एक विचित्र ही बात है। तथा यहाँ उनको जो अंगवाह्य कहा गया है यह भी विचित्र है क्योंकि इन पन्नतियोंकी गणना अंग वाह्यमें नहीं की गई है। साथ ही द्वीपसागर पन्नति नामक कोई स्वतंत्र ग्रन्थ श्वेताम्बर सम्प्रदाय में नहीं है।) दिग्म्बर साहित्य में उक्त चारों पन्नतियोंको हृष्टिवादके एक भेद परिकर्म के अन्तर्गत माना है।

(स्थान १० में एक और उल्लेखनीय कथन है। वह है^१ दशा नामक दश ग्रन्थोंका निर्देश। प्रत्येकमें दस दस अध्ययन वतलाये

१—‘चत्वारि पन्नतीओ अंगवाहिरियातो प०, त०—चंद्र पन्नत्ती, सूर पन्नत्ती, जंबूदीव पन्नत्ती दीवसागर पन्नत्ती’ (सू. २७७)।

२—‘तत्रो पन्नत्तीओ कालेण अहिज्जति त०—चंद्रपन्नती सूर पन्नती दीवसागर पन्नती’। (सू. १५२)

३—‘दस दसाओ प० त०— कम्मविवाग दसाओ, उवासग दसाओ, अतगडदसाओ, अणुतरोववाय दसाओ, आयार दसाओ, पण्हा वागरण दसाओ, बधदसाओ, दोगिद्धी दसाओ, दीह दसाओ, सखेवित दसाओ। स्था०, पृ. ४७६।

हैं और उन अध्ययनोंके नाम भी दिये हैं दस दशाओंमेंसे चार नाम इस प्रकार है—उवासगदसा, अंतगडदसा, अणुत्तरोववाय दसा और पण्हावागरण दस । ये चारो क्रम से सातवा आठवा नौवा और दसवा अंग हैं । प्रथम दशा का नाम 'कम्मविवाग दसा' है जो ग्यारहवें अंग विपाक सूत्र का स्मरण कराता है । टीकाकार अभय देव का कहना है कि ग्यारहवें विपाक सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम कर्मविपाक दशा है । एक 'आचार दशा' है । इसे टीकाकार दशा श्रुतस्कन्ध बतलाते हैं जो छै छेद सूत्रों में से है । शेष चार दशाओं से टीकाकार भी अपने को अपरिचित बतलाते हैं।

यहाँ प्रत्येक दशा के दस दस अध्ययन बतलाये हैं । उवासग दशा नामक सातवें अंग मे दस अध्ययन पाये जाते हैं । किन्तु आठवे अंग अन्तगड दशा और नौवे अंग अनुत्तरोववास दशा में क्रम से नौवे और तेतीस अध्ययन (वि० प्र० पृ० ५६) बतलाये हैं । अतः डा० वेवर का कहना था कि आठवें और नौवें अंग की जो प्रतिया हमारे सामने हैं, स्थानांग सूत्र के रचयिता के सामने उनसे भिन्न प्रतियां थीं । तथा स्थानांग में अन्तगड० और अनुत्तरोपातमें जो दस दस अध्ययन गिनाये हैं वे

१—'कर्म विपाकदशा—विपाकश्रुताख्यैकादशाङ्गस्य प्रथम श्रुत-स्कन्धः, .. आचार दशाः दशाश्रुतास्कन्ध इति या रूढा प्रश्न व्याकरण, दशाः दशममङ्गमिति, तथा बन्धदशा-द्विगृद्धि दशा दीर्घ-दशा सक्षेपिक-दशाश्चास्माकमप्रतीता इति ।'— स्या० टी०, पृ० ४८० ।

२—इरिड० ए०, जि० १८, पृ० ३६६ आदि ।

उपलब्ध प्रतियों में नहीं पाये जाते । अतः टीकाकार अभयदेव^१ ने लिखा है कि यह अध्ययन विभाग वाचनान्तर की अपेक्षा से है उपलब्ध वाचना की अपेक्षा से नहीं हैं । समवायांग में भी आठवें और नौवें अंग में दस दस अध्ययन बतलाये हैं । अतः समवायांग के रचयिता के सामने भी उपलब्ध प्रतियों से भिन्न प्रतिया थी । छठे दशा का नाम 'पण्ड वागरण दसाओ' है । यह निश्चय है कि यह दसवें अंग का नाम है । किन्तु दसवें अंग में दस अध्ययन नहीं हैं, दस द्वार हैं । दस अध्ययनों के जो नाम स्थानाग में दिये हैं उनसे प्रकट होता है कि स्थानाग के रचयिता के सामने दसवें अंग की प्रति उपलब्ध अंग से बिल्कुल भिन्न थी । स्थानाग में पण्ड^२ वागरण दसाओ के दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार दिये हैं—उवमा, सखा, इतिभासियाइं, आयरिय भासियाइं, महावीर भासियाइ, खोमग पसिणाइ, कोमलपसिणाइ अद्दागपसिणाइ, अंगुठपसिणाइ, बाहु पसिणाइ । किन्तु उपलब्ध प्रश्न व्याकरण अंग के दस द्वारों के नाम इस प्रकार हैं—हिंसा, मुसावाय, तेणिय, मेहुण, परिग्गह, अहिंसा, सच्च, अतेणिय, वभचेर और अपरिग्गह । दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है । समवायांग (सू १४५) और नन्दी (सू ५५) में भी प्रश्न व्याकरणमें खोमग, अद्दाग, अंगुठ, और बाहु, नामके अध्ययन बतलाये हैं । अतः नन्दी और समवायांग सूत्रके रचयिताके सामने भी प्रश्न व्याकरण सूत्रकी वही प्रति होनी चाहिये जो तीसरे अंगके रचयिताके सामने थी ।

१—'तदेवमिहापि वाचनान्तरापेक्षयाऽध्ययनविभागो उक्तो न पुनरूपलभ्यमानवाचनापक्षेयति', स्था०, टी०, पू० ४८३ पृ० ।

२—'प्रश्न व्याकरणदशा इहोक्तरूपा न दृश्यन्ते दृश्यमानास्तु पञ्चान्नव पञ्च सवरात्मिका इति'—स्था० टी०, पृ० ४८५ पू० ।

दस दशाओंमेंसे अन्तिम सखेविय दसाके दस अध्ययनोंके नाम इस प्रकार बतलाये हैं— खुहिया विमाण पावभत्ती, महस्त्रिया विमाण विमाण पविभत्ती, अंगचूलिया, बग्ग चूलिया, विचाह चूलिया, अरुणोववाए, वरुणोववाए, गरुलोववाते, वेलधरोववाते, वेसमणोववाते (स्था. सू० ७५५) । किन्तु नन्दि० में इन सबको अरण्य पविट्ट की सूचीमें गिनाया है ।

स्थानांगके सातवें अध्ययनमें सात निन्हवोके नामोका पाया जाना भी उल्लेखनीय है । सत्यका अपलाप करने का और करने वालोको निन्हव के नाम से पुकारा जाता है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसे सात निन्हव माने गये हैं । पीछे से इनमें आठवाँ निन्हव चोटिक और सम्भिलित कर लिया गया । स्थानांग में सात का ही निर्देश होने से कहना होगा कि इसकी रचना के समय तक दिगम्बरो को निन्हव में नहीं गिनाया गया था । इन सात निन्हवोंमें से दो का प्रादुर्भाव तो भगवान महावीर की मौजूदगीमें ही हो गया था और शेष पाँच उनके बाद उद्भूत हुए । इनमें से अन्त का सातवाँ निन्हव वीर निर्वाणसे ५-४ वर्ष बाद हुआ । अतः प्रकृत स्थानांग सूत्र भी उसके बाद का ही होना चाहिये ।

स्थानांग सूत्र की टीका सम्बत् ११२० में नवाङ्ग वृत्तिकार अभयदेवने अणदिल पाटनमें अजित सिंह के शिष्य यशोदेव गणिकी सहायतासे बनाई थी । धर्मसागर गुर्वावलीके अनुसार अभय देवका स्वर्गवास सं० ११३५ में हुआ ।

४ समवायाङ्ग—समवाय में सब पदार्थोंके समवाय का विचार किया जाता है (त० वा०, पृ० ७३) । षट्खं०, पु० १, पृ० १०१) । द्रव्य क्षेत्र काल और भावों के समवायका

वर्णन करता है (क० पा०, भा० १, पृ० १२४) । एक से लेकर एक एक बढ़ाते हुए सौ तक के पदार्थों का कथन करता है अर्थात् एक से लेकर सौ तक की संख्या पर्यन्त पदार्थ का अन्तर्भाव जिस संख्याके अन्तर्गत होता है उसका कथन उस उस संख्या स्थान के अन्तर्गत किया जाता है (नन्दी०, सू० ४६ । समवा०, सू० १३६) । दिगम्बरो के अनुसार इसमें एक लाख चौंसठ हजार पद थे और श्वेताम्बरो के अनुसार एक लाख चालीस हजार पद थे ।

समवायाग की विषय तालिका स्थानाग के ही अनुरूप है अन्तर यह है कि स्थानाग में एक से लेकर दस स्थानों तक ही विवेचन है तब समवाय में एक से लेकर सौ तक का समवाय प्रतिपादित किया गया है । इसे तीसरे अंग का पूरक कहा जा सकता है । इस अङ्ग का प्रारम्भ इस प्रकार होता है—‘सुय मे आउसं । तेणं भगवतेण एवमं अक्खायं’ । इह खलु समणेण भगवया महावीरेण . इमे दुवाल संगे गणिपिडगे पणत्ते’ त जहा० आयुष्मन् मैने सुना उन भगवानने ऐसा कहा ‘श्रमण भगवान महावीरने द्वादशाग गणिपिडग का उपदेश दिया’ । यहाँ भगवान महावीरके चालीस विशेषण दिये गये हैं । आगे बारह अङ्गोंके नाम देकर लिखा है—‘तत्थंण जे से चउत्थे अंगे समवाएत्ति आहिते तस्स णं अयमत्थे पणत्ते, तं जहा ।—’ ‘इनमेंसे जो चौथा समवाय नाम का अङ्ग है उसका यह अर्थ कहा है, प्रथम तीन अङ्गों के आरम्भ में इस प्रकार की उत्थानिका नहीं पाई जाती ।

यह अंग विविध सूचनाओं और ज्ञातव्य विषयोंसे भरपूर है । इसमें बारहो अंगों की विस्तृत विषय सूची दी हुई है ।

ब्राह्मी लिपी आदि के १८ प्रकार^१ के भेदोंका निर्देश है दृष्टिवाद^२ के ४६ मात्रकापद और ब्राह्मी लिपीके ४६ मात्रकाक्षर बतलाये हैं ।

इसमें शुरुके तीन अर्गोंको एक इकाईके रूपमें रखकर तीनोंके अध्ययनकी संख्या ५७ बतलाई है—आचारमें २४ सूत्रकृतमें २३ और स्थानमें १० ।

इस अर्गकी एक सबसे उल्लेखनीय वस्तु है—इसमें नन्दी-सूत्रका निर्देश पाया जाना । दृष्टिवाद^३ के अठ्ठासी सूत्रोंका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि नन्दीकी तरह कथन कर लेना चाहिये । समवायाग में द्वादशागका वर्णन नन्दीसे प्रायः अक्षरशः मेल खाता है । अतः डा० वेबर का कहना था कि हमें यह विश्वास करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है, कि नन्दी और समवायमें पाये जाने वाले समान वर्णोंका मूल आधार

✓१—‘वमीए ण लिवीए अट्टारसविहे लेख विहारो प० त०—वमी. जवणी, लियादोसा, जरिया, खरोट्टिआ, खरसाविआ, पहाराइआ, उच्चरिआ, अक्खर पुट्टिया, मोगवयता, वेणतिया, णिणहइया, अकलिवि, गणिय लिवी, गधव्वलिवी, भूयालिवी, आदसलिवी, माहेसरीलिवी, दामिलिवी, बोलिंदीलिवी ।—सम०, पृ० ३३३० ।

✓२—‘दिट्ठिवायस्स ण छायालीस माउयापया प० । वमीए ण लिवीए छायालीस माउयक्खरा प० .. ॥४६॥ —सम०

✓३—‘तिरहं गणिपिडगाणं आचार चूलियावजाणसत्तावन्नं अज्झयणा प० ॥ ५७ स० ।—सम० ।

✓४—‘दिट्ठिवायस्य ण अट्ठासीइ सुत्ताइ प०, त०—उज्जुसुय परिणयापरिणय एव अट्ठासीइ सुत्ताणि भाणियव्वाणि जहा नन्दीए . — ॥ सू० ८८ ॥—सम० ।

नन्दी है। और यह कार्य समवायके सम्राहकका या लेखकका होना चाहिये। आगे ला० वेनरने लिखा है कि (किन्तु हमारे इस अनुमानमें एक कठिनाई है और यह यह है कि नन्दी और समवायके ढगमें अन्तर है। किन्तु समवायमें नन्दी की विषयसूची बहुत सक्षिप्त है। इससे यह प्रमाणित होता है कि नन्दीमें उक्त विषयसूची प्राचीन है। इसके सिवाय नन्दीमें उक्त द्वादशांगकी विषयसूचीको लेकर जो पाठभेद पाये जाते हैं, निश्चय ही समवायके पाठोंसे उत्तम तथा प्राचीन हैं)।

नन्दी और समवायमें प्रत्येक अंगके पदोंका प्रमाण दिया है। किन्तु पदके अक्षरोंका प्राचीन प्रमाण श्वेताम्बर परम्परामें लुप्त हो चुका था। जो श्वेताम्बरीय आगम ग्रन्थ उपलब्ध हैं उन सबमें उनका ग्रन्थ परिमाण ३२ अक्षरका ग्रन्थ (श्लोक) के हिसाबसे दिया है। नीचे प्रत्येक अंगके ग्रन्थांगका परिमाण तथा उल्लिखित पदोंका प्रमाण दिया जाता है।

अंग	ग्रन्थ प्रमाण (श्लोक ३२ अक्षर)	पद संख्या (जो नन्दि में बतलाई है)	द्विगम्बर (पद संख्या)
१	२५५४	१८००० पद	१८०००
२	२३००	३६००० "	३६०००
३	३७५०	७०००० "	४२०००
४	१६०७	१४४००० "	१६४०००
५	१५७४०	२८८००० न० ८४००० स० १८४००० भग०	२२८०००

६	५०७५	५७६०००	५५६०००
७	८१२	११५२०००	११७०००
८	८६०	२३०४०००	२५२८०००
९	१८२	४६०८०००	९२४४०००
१०	१३००	६२१६०००	९३१६०००
११	१३१०	१८४३२०००	१८४०००००

इस तालिकासे प्रकट होता है कि जब आगम ग्रन्थोंके अनुसार द्वादशागका प्रमाण उत्तरोत्तर लगभग दूना बतलाया है तब वर्तमान श्वे० आगमोंका प्रमाण ६ संख्याके बाद एक दस अल्प हो गया है।

(समवायांगके सम्बन्धमें प्रो० विन्टरनीट्सने लिखा है— 'इस बातके प्रमाण हैं कि या तो वर्तमान समवायागकी रचना बादमे की गई है या उसमें कुछ भाग बादके रचे हुए हैं। उदाहरण के लिये, नम्बर अठारहमें अठारह प्रकारकी ब्राह्मी लिपि बतलाई है, नम्बर छत्तीसमें उत्तराध्ययनके छत्तीस अध्ययनोंका निर्देश है, तथा नन्दी जैसे अर्वाचीन ग्रन्थका उल्लेख है। इसके सिवाय अगोका जो विस्तृत परिमाण उसमें बतलाया गया है, वर्तमान परिमाणके साथ उसका कोई मेल नहीं है।' (हि० इ० लि०, जि० २, पृ० ४४२)।

५—व्याख्या प्रज्ञप्ति—'जीव है या नहीं इत्यादि साठ हजार प्रश्नों का समाधान करता है (त० वा०, पृ० ७३ । षट्ख०, पु० १, पृ० १०१) । साठ हजार प्रश्नोंके उत्तरोंका तथा छियानवे हजार छिन्न छेदों से ज्ञापनीय शुभ और अशुभ का वर्णन करता है (क० पा०, भा० १, पृ० १२५) । अनेक सुरेन्द्र नरेन्द्र राजर्षियों के द्वारा पूछे गये सशर्षों का तथा भगवान के द्वारा दिये

गये उनके विस्तृत उत्तरोका, जिनका प्रमाण ३६००० है, कथन करता है। (सम०, सू० १४०)

उपलब्ध पाँचवें अंग को भगवती भी कहते हैं। इसमें ४१ शतक है। इनमें से कुछ शतकों में अचान्तर शतक और उद्देशक भी हैं। ग्रन्थ के अन्त. अवलोकन से प्रकट होता है कि इसमें १३८ शतक हैं, जिनमें अन्त.शतक भी सम्मिलित हैं। तथा १६५२ उद्देशक हैं। तथा एक लाख चौरासी हजार पद हैं। यह बात सम्भवत उस समय लिखी गई होगी जब पाँचवें अंग ने वर्तमान परिमाण का आधा रूप भी प्राप्त नहीं किया था। वर्तमान भगवती का परिमाण १५७५० श्लोक प्रमाण है। उसके प्रत्येक शतक में उद्देशकों की संख्या को देखने से प्रमाणित होता है कि उसने इतना परिमाण क्रमशः लिया है। प्रत्येक के उद्देशगो का परिमाण इस प्रकार है—शतक एक से आठ तक में, बारह से चौदह तक में और १८ से २० तक में प्रत्येक में दस-दस उद्देश हैं। नौवें और दसवें शतक में चौतीस चौतीस उद्देश हैं। ग्यारहवेंमें बारह है, पन्द्रहवेंमें उद्देश ही नहीं हैं, सोलहवेंमें चौदह, सतरहवेंमें सतरह उद्देश है। किन्तु इक्कीसवें शतकमें अस्सी, बाइसवें में साठ, तेईसवें में पचास, चौबीसवें में चौबीस छत्तीस से तीस तक प्रत्येक में केवल ग्यारह-ग्यारह उद्देश हैं। पच्चीसवें में बारह, किन्तु इकतीसवें और बत्तीसवेंमें अट्ठाईस अट्ठाईस उद्देश हैं। तेतीसवें और चौतीसवें में एक सौ चौबीस, पैतीस और छत्तीसमें एक सौ बत्तीस, चालीसवेंमें दो सौ इकतीस और इकतालीसवें शतकमें एक सौ छियानवें उद्देश हैं। उनकी विषय सूचीसे भी यही प्रमाणित होता है कि पाँचवें अङ्ग का विस्तार क्रमशः हुआ है।

प्रारम्भ के बीस शतकों को पौराणिक बाना पहनाया गया है। वे सब बिना किसी क्रम के गूँथे गये हैं और उनमें कोई एक ऐसा तन्तु नहीं प्रतीत होता जो सब को जोड़ता हो। उनमें भगवान महावीर के कार्यों और उपदेशों के विविध उल्लेख हैं। राजगृही के राजा श्रेणिक के समय में भगवान महावीर अपने प्रथम शिष्य गौतम इन्द्रभूति से वार्तालाप करते हैं। किन्तु शतक २१ से विषय बदल जाता है। २१-२३ श. पौदोके विषयमें है। २४-३० श० में जीव की विभिन्न दशाएँ बतलाई हैं अर्थात् २४ में जीवका उद्गम, २५ में लेश्यादि भाव, २६ में कर्मबन्ध, २७ में कर्ता कर्म करण, २८ में पाप कर्मादि दण्डक, २९ में कर्म प्रस्थापनादि और ३० में समवसरण का कथन है। ३१ से ४१ तक कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग का वर्णन है। अन्तिम शतकों के सम्बन्ध में वेबर का कथन था कि वे एक जन गणना की सूचियों के तुल्य हैं। (इं० ए० जि० १६, पृ० ६३)।

अतः श्री वेबर का यह निश्चित मत था कि शुरु के बीस शतकों के साथ २१ आदि शतक बिना किसी परिवर्तन के साथ पीछे से जोड़ दिये गये हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस योग को करने में कोई मार्ग दर्शक अवश्य था, क्योंकि प्रत्येक शतक के प्रारम्भ में एक आर्या दी गई है जो प्रत्येक शतक के प्रत्येक उद्देश का विषय सूचन करती है। इससे पूर्व के किसी अङ्गमें यह बात नहीं पाई जाती। दूसरे अन्य आगमोंके उद्धरण बहुतायत से पाये जाते हैं। उनके कारण विषय प्रसंग प्रायः न केवल छिन्न हुआ है किन्तु नष्ट भ्रष्ट हो गया है। रायपसेणीय, पन्नवणा, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नामक उपाङ्गों से भी उद्धरण लिये गये हैं। तथापि यह प्रश्न अवश्य रह जाता है कि यह कार्य सकल्यिता का है या प्रतिलेखकों का। यह सन्देह तो करना ही

नहीं चाहिये कि जिस ग्रन्थ से जो उद्धरण लिये गये हैं वे उन्ममे हैं या नहीं ? रायपसेणीसे जो उद्धरण लिये गये हैं वह उसमे पाये जाते हैं । (इ० ए० जि० १६, पृ० ६३) । अस्तु,

ग्रन्थ का आरम्भ पञ्च नमस्कार मंत्र से होता है । उसमे 'नमो वम्हीए लिवीए' पद और जुडा हुआ है । उसके पश्चात् आरम्भिक पद्य है फिर 'तेणं कालेणं तेण समएण' आदि आना है । ग्रन्थ का प्रारम्भिक कुछ भाग प्रश्नोत्तर के रूपमे है जिसमे भगवान महावीर अपने प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कुछ भाग ऐतिहासिक संवाद के रूप मे है । इस भागमे भगवान महावीर के पूर्वकालीन तथा समकालीन व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध होता है । भगवान महावीर के शिष्योंमे इन्द्रभूति, अग्निभूति, और वायुभूतिका नाम तो है किन्तु सुधर्मा का नाम इसमे नहीं आया । नौवें शतकमे जमालिका वर्णन है जो महावीर का शिष्य था । किन्तु निन्हवका जनक था । १५ वें शतक में अजीविक सम्प्रदाय के संस्थापक मकखलिपुत्र गोशालक का वृत्तान्त बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इस शतक के विषय मे डा० विन्टर नीटस का कहना है कि यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ रहा होगा जो भगवतीमे जोड़ दिया गया ।

इस अङ्ग में यद्यपि भगवान पार्श्वनाथका वर्णन नहीं है किन्तु उनकी परम्परा के अनुयायी अनेक पार्श्वपत्नीयोंका वर्णन हैं उनमें कालासवेसियपुत्त आदि नाम उल्लेखनीय हैं । पार्श्व के अनेक अनुयायी महावीरके अनुयायी बने ऐसे भी अनेक उल्लेख इस अङ्गमे मिलते हैं ।

इनके सिवाय भी यत्र तत्र कुछ ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं । यथा चम्पाके राजा कुणिक के समय में काशी कोसल के नौ

लिच्छवि राजाओं और वेज्जी विदेह पुत्र की विजय, सहस्रानीक के प्रपौत्र और शतानीक के पुत्र कौशाम्बी नरेश उदयन की चाची जयन्तीका, जो वैशाली श्रावक की संरक्षिका थी, महावीर के उपदेश से भिक्षुणी बनना आदि ।

(शतक नौ और बारह में कुछ विदेशी दासियों के नाम आये हैं, जो एक ब्राह्मण परिवार में काम करती थीं । उनमें पल्हवीया आरवी, वहली, मुरंडी और पारसी नाम उल्लेखनीय हैं । ये नाम ईसा की दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक के समय का स्मरण कराते हैं) । और इस तरह इनका मूल उद्गम हमें गुप्त काल में ले जाता है । (इ० ए०, जि० १६ पृ० ६५) ।

६ - ज्ञातृ धर्मकथा - (वहुतसे आख्यान और उपाख्यानोंका कथन है, (त० वा०, पृ० ७३) । तीर्थङ्करोंकी धर्मकथाओंके स्वरूप का वर्णन करता है (क० पा०, भा० १, पृ० १२५) । तीर्थङ्करोंकी धर्म देशनाका, सन्देहको प्राप्त गणधर देवके सन्देहको दूर करनेकी विधिका तथा अनेक प्रकार की कथा और उपकथाओंका वर्णन करता है (षट्ख०, पृ० १०२) । ज्ञातों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, समवसरण, राजा, माता पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इहलौकिक पारलौकिक ऋद्धि विशेष, भोग परित्याग, प्रब्रज्या, पर्याय, श्रुत परिग्रह, तप, उपधान, सलेखना, प्रायोपगमन, देव लोक गमन, सुकुल में जन्म लेना, ओधिलाभ, अन्त क्रिया आदि का कथन करता है (नन्दी० सू० ५१, सम० सू० १४१) ।

इसका प्राकृत नाम श्वेताम्बर साहित्यमें पायाधम्मकहा और दिगम्बरा साहित्यमें णाहधम्मकथा है । 'णाय' का संस्कृत रूप ज्ञात और 'णाह' का संस्कृत रूप नाथ होता है ।

भगवान महावीर स्वामीको श्वेताम्बर साहित्यमे ज्ञातृवंशी और दिगम्बर साहित्य मे नाथवंशी लिखा है। इस अन्तर का कारण प्राकृत रूपोमे अन्तर होजाना प्रतीत होता है। णाय धम्म कहा और णाहधम्मकथा के आदि मे भी जो णाय या णाह शब्द है वह महावीर भगवान से ही सम्बद्ध जान पड़ता है। अतः भगवान महावीरके द्वारा उपदिष्ट कथा जिसमे हो वह णायधम्मकथा है। टीकाकार 'अभय देव और मलयगिरिने णाया का अर्थ ज्ञाता किया है। और ज्ञाता का अर्थ उदाहरण किया है। ज्ञाता धर्मकथा अर्थात् उदाहरण प्रधान धर्मकथा। यह अर्थ विशेष सगत प्रतीत नहीं होता।

(वेवरने 'णायाधम्म कहा' का अर्थ किया है—'नाय' अर्थात् ज्ञातृवंशी महावीरक धर्म के लिये कथाएँ जिसमे हो,)

उपलब्ध 'णाया धम्म कथा' नामक अंग मे दो श्रुतस्कन्ध हैं। पहलेमे १६ अध्ययन हैं जिन्हें 'ज्ञात कहा है, दूसरे मे १० वर्ग-धम्मकथा हैं। ग्रन्थ का प्रारम्भ—'तेणं कालेणं तेण समएण' आदि प्रचलित परिपाटीके अनुसार होता है। ग्रन्थके प्रारम्भमे यह भी लिखा है—पाँचवाँ अंग समाप्त हुआ, छठे अंग का क्या विषय है ?

(इस अंग की आरम्भिक उत्थानिका आदिका जो रूप है वही रूप अंग ७ से ११ तक के अंगों में भी है। इसपरसे डा० वेवर का कहना था कि ये छहो अङ्ग एक ग्रूप में सम्बद्ध हैं तथा

१—'ज्ञातानि उदाहरणानि तत्प्रधानधर्मकथा ज्ञाताधर्मकथा'। सम० टी०, सू० १४१। न० टी०, सू० ५१।

२—Stories for the Dharma of NAYA इ० ए०, जि० १६, पृ० ६६।

इन सबका संकलन एक ही व्यक्तिके द्वारा हुआ होगा। ये सब आपसमें एक शृंखला की तरह बद्ध हैं। अर्थात् आरम्भिक शैली आदि की दृष्टि से शुरू के चार अङ्ग एक समूहमें आते हैं और अन्त के छै अङ्ग एक समूहमें आते हैं। किन्तु पाँचवाँ अङ्ग इन सबसे भिन्न प्रतीत होता है। प्रथम श्रुत स्कन्ध के १९ अध्ययनोंके नामादि इस प्रकार हैं—

१ उक्खित० (उत्त्थित)—श्रेणिक पुत्र मेघकुमार की कथा है। वह पूर्व भवमें हाथी था। एक खरगोश को बचानेके लिये उसने अपना पैर उत्त्थित किया। इससे इस अध्ययन का नाम उत्त्थित है।

२ संघाडग० (संघाटक)—एक दूसरेसे संबद्ध सेठ और चोर की कथा है।

३ अडग० (अडक)—मोरके अ डे की कथा

४ कुम्म० (कूर्म)—कछवे की कथा

५ सेलय० (शैलक)—शैलक की कथा

६ तुम्ब० (तुम्ब)

७ रोहिणि० सेठ की बधू रोहिणी की कथा

८ मल्ली० —१९ वे स्त्रीतीर्थङ्कर मल्लिकी कथा

९ मायन्दी —माकन्दी नामक वणिक पुत्र की कथा

१० चदिमा० (चन्द्रमा) -

११ दाषह्व० —इस नाम के समुद्र तट पर स्थित वृत्त की कथा

१२ उद्दग० (उदक)—

१३ मडुक्क० (मडूक)—नन्द का जीव मेण्डक की कथा

१४ तेतली० —तेतली पुत्र नामक अमात्यकी कथा

- १५ नंदिफल० —नन्दि नामक वृक्ष का फल
 १६ अवरकंका० —धातकी खण्ड के भारत क्षेत्र की राज-
 धानी । इसमें द्रौपदी की कथा है
 १७ आइरण० (आकीर्ण)—समुद्रमें रहनेवाले अश्व की कथा
 १८ सुसुमा० —सुसुमा नामक सेठ पुत्री की कथा
 १९ पुंडरीय० (पुण्डरीक)

इस तरह प्रत्येक अध्याय में एक एक स्वतंत्र कथा है । अधिकांश कथाओं में कथापर बल न देकर कथा से सम्बद्ध उदाहरण पर ही विशेष जोर दिया गया है । कुछ कथाएँ तो केवल उदाहरण रूप ही हैं । शायद इसी से टीकाकारों ने ज्ञात का अर्थ उदाहरण किया है ।

दूसरा श्रुतस्कन्ध विषय और शैलीकी दृष्टि से प्रथमसे सर्वथा भिन्न है, तथा सातवें और नौवें अंग से विशेष रूप से सम्बद्ध है । नन्दि तथा समवयागमें कहा है कि एक एक धर्मकथा में पाँच सौ पाँच सौ आख्यायिकाएँ और एक-एक आख्यायिका में पाँच सौ पाँच सौ उपाख्यायिकाएँ, इसी तरह एक एक उपाख्यायिका में पाँच सौ आख्यायिका और पाँच सौ उपाख्यायिकाएँ होती हैं, इस तरह ज्ञाता धर्मकथा में साढ़े तीन करोड़ कथाएँ होती हैं । इस कथन के प्रकाश में उपलब्ध शता धर्मकथा का देखने से निराशा ही होती है ।

इस अंग पर अभय देव कृत टीका है ।

७ उपासकाध्ययन—श्रावक धर्म का लक्षण कहता है (त० वा०, पृ० ७३) । ग्यारह प्रकार के श्रावकों के लक्षण, उनके व्रत धारण करनेकी विधि तथा उनके आचरणका वर्णन करता है। (षट्खं०, पृ० १०२। क० पा०, भा १, पृ० १२६) । उपासकों की

ऋद्धिविशेष, परिषद्, विस्तार पूर्वक धर्म श्रवण, बोधिलाभ सम्यक्त्व विशुद्धि, मूल गुण, उत्तर गुण, अनेक अतिचार, प्रतिमा, उपसर्ग, प्रत्याख्यान, प्रोषधोपवास, सल्लेखना, स्वर्ग-गमन, चयन, मनुष्य जन्म धारण, संयम धारण, मोक्ष प्राप्ति आदि का कथन करता है (सम०, सू० १४२)

(श्वेताम्बर साहित्य में सातवें अंगका नाम उवासग दसा (उपासक दशा) है। उपलब्ध अंगमे दस अध्ययन हैं। इन अध्ययनोंमे दस उपासकोंकी कथाएँ हैं—जिन्होंने प्रथम स्वर्ग प्राप्त किया और फिर मोक्ष प्राप्त किया। दस कथा इस प्रकार हैं—१ वाणिय ग्राम में आनन्द। २ चम्पामें कामदेव, ३ वाराणसीमें चुलणी पिता, ४ वाराणसीमें सुरादेव, ५ आलभियामें चुल्ल शतक, ६ कम्पिल-पुर मे कुण्ड कोलिक, ७ पोलासपुरमें सहाल पुत्र, ८ राजगृह मे महाशतक, ९ श्रावस्तीमें नन्दिनी पिता और १० श्रावस्तीमे लेतिया पिता। सारी कथाएँ बिल्कुल एक साँचे में ढली हुई हैं। अन्त की कथाओंमें तो पूर्वकी कथाओंसे केवल नाम मात्रका अन्तर है।

८ अन्तःकृदश—जिन्होंने संसार का अन्त किया उन्हें अन्तःकृत कहते हैं। (नमि, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्कम्बल, पालम्बु, अष्ट पुत्र ये दस वर्धमान तीर्थङ्कर के तीर्थ मे अन्तकृत केवली हुए। इसी प्रकार ऋषभ देव आदि तीर्थङ्करों के तीर्थ मे अन्य दस दस अनगार दारुण उपसर्गों को जीतकर सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से अन्तकृत केवली हुए। दस अन्तकृत केवलियों का वर्णन अन्तःकृदश अंग करता है)। अथवा, अन्त कृतकी दशा का जिसमें कथन हो उसको अन्तःकृदशा कहते हैं। उसमें अर्हन्त आचार्य और सिद्धों की विधि का

कथन होता है। (त० वा०, पृ० ७३। पट्ख०, पु० १, पृ० १०३)।
 (प्रत्येक तीर्थङ्कर के तीर्थ में चार प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन कर और प्रातिहार्योंको प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त हुए सुदर्शन आदि दस दस साधुओंका वर्णन करता है (क० पा० भा० १, पृ० १३०)। अन्त कृतोके नगर, उद्यान, चैत्य, वन खण्ड, समवसरण, राजा, माता पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इह लौकिक, पार लौकिक ऋद्धिविशेष, भोग त्याग, प्रव्रज्या, परित्याग श्रुतपरिग्रहण, तप, उपधान, संल्लेखना, भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोप-गमन, अन्त-क्रिया आदि का कथन करता है (न०, सू० ५३। सम० सू० १४३)।

(टीकाकार^१ अभयदेवके अनुसार अन्तकृत अर्थात् तीर्थङ्कर, जिन्होंने कर्म और कर्मोके फल रूप संसार का अन्त कर दिया उनकी दशा। प्रथम वर्गमें दस अध्ययन होनेसे उसे अन्तकृत दशा कहते हैं। इस तरह दिगम्बर साहित्यमें अन्त कृतदशा का जो अर्थ मिलता है वह श्वेताम्बर साहित्य में नहीं मिलता।)

उपलब्ध 'अन्त गड दसाओ' नामक आठवे अङ्गमें आठ वर्ग और आठ वर्गोंमें क्रमसे १० + ८ + १३ + १० + १० + १६ + १३ १० = ६० अध्ययन हैं। किन्तु स्थानांग और समवायांगमें प्रस्तुत अङ्ग में दस अध्ययन बतलाये हैं। इसके सिवाय समवायांगमें सात वर्ग और १० उद्देशनकाल भी बतलाये हैं। नन्दिमें आठ वर्ग ही बतलाये हैं, अध्ययनो का निर्देश नहीं किया है। स्थानांगमें

१—'अन्तो विनाशः, स च कर्मणस्तत्फलस्य वा संसारस्य कृतो यैस्ते अन्तकृतास्ते च तीर्थङ्करादयस्तेषा दशाः—प्रथम वर्गे दशाध्यय-नानीति तत्सख्यया अन्तकृतदशाः।'—सम० टी०. सू० १४३।

दस अध्ययनोंके जो नाम दिये हैं, प्रस्तुत अङ्गोंके नामोंसे उनका मेल नहीं खाता। किन्तु दिगम्बर ग्रन्थोंमें निर्दिष्ट नामोंसे मेल खाता है। स्थानागमें ८ वें अङ्गके दस अध्ययनोंके नाम इस प्रकार बतलाये हैं—णमि, मातंग, सोमिल, रामगुप्त, सुदर्शन, जमाली, भगाली, किकम, पल्लतेतिय, अंबडपुत्त। तत्वार्थ वार्तिकमें निर्दिष्ट नामोंसे ये नाम मिलते हैं। जो कहीं अन्तर है वह लेखकोंकी कलाका परिणाम जान पड़ता है। टीकाकार^१ अभयदेव इसे वाचनान्तर की अपेक्षा स्वीकार करते हैं।

अतः परम्परामे और प्रस्तुत आठवे अङ्गके नामसे उपलब्ध ग्रन्थमें एक दम विरोध है। टीकाकार^२ अभयदेव इस विरोध पर प्रकाश डालनेमें अपने को असमर्थ पाते हैं। अस्तु

विषयके अनुसार आठ वर्गोंको तीन स्तरोंमें विभाजित किया जा सकता है। १ एक से ५ तकके वर्ग—इनमें कृष्ण वासुदेवसे सम्बन्धित व्यक्तियों की कथाएँ हैं। ६ ठा और सातवाँ वर्ग—इसमें भगवान महावीरके शिष्योंकी कथाएँ हैं। ८ वाँ

✓१—‘एतानिच ‘णमि’ इत्यादिकानि अन्तकृत्साधुनामानि अन्त-कृद्दशाग प्रथमवर्गोऽध्ययनसप्रहे नोपलभ्यन्ते। ततो वाचनान्तरापेक्षाणि इमानीति संभावयामः।’—स्था० टी, सू. ७०५४।

✓२—‘नवर दस अज्भयण त्ति प्रथमवर्गापेक्षयैव घटन्ते, नन्द्या तयैव व्याख्यातत्वात्।—यच्चेह पठ्यते ‘सत्त वगा’ त्ति तत्प्रथमवर्गादन्य-वर्गापेक्षया, यतोऽत्र सर्वेऽप्यष्टवर्गाः। नन्द्यामपि तथा पठितत्वात्, तद्वृत्तिश्चेयं ‘अट्टवग्ग’ त्ति। अत्र वर्गः समूहः स चान्तकृतानामध्यय-नाना वा, सर्वाणि चैकवर्गागतानि युगपदुद्दिश्यन्ते, ततो भणितं ‘अट्ट उद्देसण काला’ इत्यादि। इह च दश उद्देशनकाना अधीयन्ते इति नास्याभिप्रायमवगच्छामः।’—सम० टी०, सू. १४३।

वर्ग—इसमे रत्नावली, मुक्तावली आदि दस तपोंका वर्णन है। इन तपों को राजा श्रेणिक की दस भार्याओंने किया था।

६ अनुत्तरोपपाददश—उपपाद जन्मही जिनका प्रयोजन है उसे औपपादिक कहते हैं। विजय, वैजयन्त, जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्धि ये पाच अनुत्तर विमान हैं। जो उपपाद जन्मसे अनुत्तरोंमें उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुत्तरोपपादिक कहते हैं। (ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिपेण और चिलातपुत्र ये दस अनुत्तरोपपादिक वर्धमान तीर्थङ्करके तीर्थमें हुए। इसी तरह ऋषभ आदि तेईस तीर्थङ्करके तीर्थमें अन्य दस दस अनगर दारुण उपसर्गों को जीतकर विजयादि अनुत्तरोंमें उत्पन्न हुए। इस तरह अनुत्तरोंमें उत्पन्न होने वाले दस साधुओंका जिसमें वर्णन हो उसे अनुत्तरोपपादिकदश नामक अंग कहते हैं) (त० वा०, पृ० ७३। पटखं, पृ. १०३। क पा०, पृ० १३०)। अनुत्तरोपपातिक साधुओंके नगर उद्यान चैत्य, वनखण्ड माता पिता समवसरण धर्माचार्य आदि पूर्वोक्त बीस बातों का कथन करता है (नन्दी० सू० ५४। समवा० सू० १४४)।

१ अभयदेवके अनुसार 'अनुत्तर अर्थात् प्रधान और उपपात अर्थात् जन्म' प्रधान जन्म वाले व्यक्तियोंसे सम्बद्ध दस अध्ययन जिसमें हों उसे अनुत्तरोपपादिक दशा कहते

१—'नास्मदुत्तरो विद्यते इत्यनुत्तर उपपत्तनमुपपातो जन्म इत्यर्थः । अनुत्तरः प्रधानः ससारे अन्यस्य तथाविधस्याभावात् उपपातो येषां ते तथा त एवानुत्तरोपपातिकाः, तद्वक्तव्यता प्रतिबद्धा दश-दशाध्ययनोपलक्षिता अनुत्तरोपपातिकदशा ।'—सम० टी०, सू० १४४ ।

हैं। किन्तु स्थानांग^१ की टीकामें अभयदेवने अनुत्तरोपपादका वही अर्थ किया है जो दिगम्बर ग्रन्थोंमें किया गया है।

उपलब्ध आठवें अंगमें तीन वर्ग हैं और उनमें क्रमसे १० + १३ + १० = ३३ अध्ययन हैं। किन्तु स्थानागमें अनुत्तरोपपातिकदशामें दस अध्ययन बतलाये हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं—ईसिदास, धरण, सुणक्खत्त, कातिन (तिय), सट्टाण, सालिभद्द, आणंद, तेतली, दसन्नभद्द और अतिमुत्त। इनमेंसे शुरूके छै नाम तत्त्वार्थवार्तिकसे मिलते हैं। अभयदेवने लिखा है कि इनमेंसे कुछ नाम तीसरे वर्गके अध्ययनोंके साथ मेल खाते हैं, सब नहीं। इसके सिवाय समवायाग और नन्दिमें आठवे और नौवें अंग की जो विषय सूचियाँ दी हैं वे प्रस्तुत आठवें नौवें अंगसे मेल नहीं खातीं। (अतः डा० वेबर का कहना था कि 'समवाय और नन्दिके रचयिताओंके सामने मौजूदा दोनों आगमोंकी प्रतियोंसे सर्वथा भिन्न ही प्रतिया होनी चाहियें। अतः हमें उक्त दोनो अंगोंकी जो प्रतिया प्राप्त हैं वे परिवर्तित तथा अत्यन्त खण्डित दशामें हैं) इ० ए०, जि० २०, पृ० २१-२२)।

(प्रो० विटरनिट्स ने आठवें और नौवें अंगके विषयमें लिखा है कि—'इन दोनों अङ्गोंकी रचना एक ही आधार पर की गई है,

१—'उत्तरः प्रधानो नास्योत्तरो विद्यत इत्यनुत्तरः, उपपतनमुपपातो जन्म इत्यर्थः। अनुत्तरश्चासावुपपातश्चेत्यनुत्तरोपपातः सोऽस्ति येषा तेऽनुत्तरोपपातिकाः सर्वार्थसिद्ध्यादिविमानपञ्चकोपपातिन इत्यर्थः।'

—स्था० टी०, सू० ७५४।

२—'इह च त्रयो वर्गास्तत्र तृतीयवर्गो दृश्यमानाव्ययनैः कैश्चित् सह साम्यमस्ति न सर्वैः।' स्था० टी० सू० ७५४।

साहित्यिक दृष्टिसे इनका मूल्य स्वल्प ही है। आठवें अङ्ग अन्त-गडदसाओंमें मूलतः दस अध्ययन थे किन्तु अब वह आठ वर्गोंमें विभाजित है। नौवें अङ्ग अणुत्तरोववाइयदसाओंमें भी मूलमें दस अध्ययन थे। अब उनके स्थानमें तीन वर्ग और तेतीस अध्ययन हैं। जैसा कि स्थानांगसे ज्ञात होता है, दोनो अङ्गोंकी मूल विषय सूचीसे वर्तमान दोनो अंगोंकी विषय सूची एकदम भिन्न है। (यदि अन्य कारणों पर दृष्टि न दी जाये तौ भी अपनी स्थितिके आधार पर दोनो अंग साहित्यिक श्रेष्ठताका दावा नहीं कर सकते) इनमें वर्णित कथाएँ न केवल एक ठप्पेके रूपमें चित्रित की गई हैं किन्तु वहधा उनका केवल ढाँचा ही उपस्थित किया गया है और उनमें वँधे बधोँये शब्दों और वाक्यों को भरनेका काम पाठकके लिए छोड़ दिया गया है। उदाहरणके लिए—उस समय एक चन्पा नाम नगरी थी, उसमें एक पुरण भद्र नामक चैत्य था, एक वन था (वरणओ)। 'वरणओ का यह अभिप्राय है कि नगरी और वनका पूरा वर्णन यहाँ उपाग प्रथमकी तरह भर लेना चाहिए। दूसरा उदाहरण भगवान महावीरके शिष्य स्थविर सुधर्माका है। कथामें यहाँ केवल उनका नाम मात्र दिया है और उनका पूरा वर्णन छठे अंगमें है सो यहाँ जानना, ऐसा लिख दिया है (हि० इ० लि०, जि० २, पृ० ४५०)।

१० प्रश्न व्याकरण—आक्षेप और विक्षेपके द्वारा हेतु और नयके आश्रित प्रश्नोंके व्याकरणको प्रश्न व्याकरण कहते हैं। उनमें लौकिक और वैदिक अर्थोंका निर्णय किया जाता है (उ० वा० पृ० ७२) आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, इन चार कथाओंका निरूपण करता है यह अंग प्रश्नके अनुसार नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख दुःख, जीवित, मरण, जय,

पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और संख्याका भी प्ररूपण करता है (पट्टखं० पृ० १०५ । क० पा, भा० १. पृ० १३१) । प्रश्न-व्याकरण में एक सौ आठ प्रश्न, एक सौ आठ अप्रश्न और एक सौ आठ प्रश्नाप्रश्नोका कथन रहता है । अन्य भी अनेक द्विधातिशयोंका तथा नागकुमार और सुपर्णकुमार तथा अन्य भवनवासी देवोंके साथ साधुओंके दिव्य सम्वादोंका वर्णन रहता है । (नन्दी, सूत्र० ५५ । समवा० सू० १४५) ।

उपलब्ध 'पण्ड्यावागरणाइ' नामक दसवें अंगमें दस द्वार हैं । जिनमें पाँच व्रतोंका तथा पाँच पापोंका वर्णन है । जम्बूको लक्ष्य करके सिद्धान्त का वर्णन किया गया है । प्रश्नोंके व्याकरण के रूपमें कुछ भी नहीं है । अतः ग्रन्थ में वर्णित विषयकी न तो उसके नामके साथ ही कोई संगति है और न ग्यानाग समवा-याग और नन्दिमें दत्त विषय सूचीके साथ ही उसका कोई मेल है । (समवाय और नन्दिके अनुसार प्रश्न व्याकरणमें ४५ अध्ययन और ४५ उद्देश आदि हैं । किन्तु प्रस्तुत अंगमें यह सब कुछ भी नहीं है ।)

स्थानांगमें प्रश्न व्याकरणमें दस अध्ययन बतलाये हैं—
उवमा, संखा, इसिभासियाइं, आयरिय भासिआइं, महावीर भासिआइं, खोमग पसिणाइं, कोमल पसिणाइं, अद्दाग पसिणाइं, अंगुद पसिणाइं और बाहु पसिणाइं । अध्ययनोंकी दस संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि स्थानांगका वर्णन उपलब्ध प्रश्न व्याकरण नामक अंग से मेल खाता है क्योंकि उसके द्वारोंकी संख्या भी दस है । किन्तु दस द्वारोंके नामोंका स्थानांगमें दिये दस अध्ययनोंके नामोंसे रंचमात्र भी साम्य नहीं है । अतः

स्थानागकारके सामने प्रस्तुत अंगकी वर्तमान प्रति तो नहीं ही थी ।

प्रश्न व्याकरणकी टीकामे टीकाकार अभयदेवने लिखा है—
प्रश्न व्याकरण शब्दका प्रश्नोका व्याकरण रूप व्युत्पत्यर्थ पूर्व-
कालमें था । इस समय तो इस ग्रन्थमें आसवपचक और संवर
पंचकका ही व्याख्यान पाया जाता है । ये सत्र वातें इस
वातको प्रमाणित करती हैं कि दसवाँ अंग अपने मूल रूपमें
अथवा प्राचीन रूपमें वर्तमान नहीं रहा । अतः उसका स्थान
इस नये अंगने ले लिया (इ० ए०, जि० २०, पृ० १३ । हि० इ०
जि० २, पृ० ४५२) ।

११ विपाक सूत्र—(सुकृत अर्थात् पुण्य और दुष्कृत अर्थात्
पापके विपाकका विचार करता है (त० वा० पृ० ७४ । पट्ख०, पु०
१, पृ० १०७) । द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा शुभ अशुभ
कर्मोंके विपाकका वर्णन करता है (क०, पा० भा० १, पृ० १२)
(नन्दी० सू० ५६ । समवा० सू० १४२) ।

वर्तमान ग्यारहवें अंगमें दो श्रुत स्कन्ध हैं । प्रत्येकमे दस-
दस अध्ययन हैं, जिनमें दस-दस कथाओंके द्वारा पुण्य और
पापका फल बतलाया गया है । गौतम इन्द्र भूति अनेक दुखी
प्राणियोंको देखते हैं । उनकी प्रार्थना पर महावीर बतलाते हैं
कि पूर्वजन्ममें कौन कर्म करनेसे आदमी इस प्रकारका कष्ट
भोगता है, किन-किन पर्यायोंमें उसे जन्म लेना पड़ता है और
किन उपायोंसे वह पुनः शुभ गतिमें जन्म ले सकता है । उदा-
हरणके लिए—एक अम्बरदत्त नामक व्यक्ति भयानक रोगोंसे
पीड़ित है क्योंकि पूर्वजन्ममें वह एक वैद्य था और उसने एक

रोगीको मांस खाना बतलाया था। इस तरह वह अनेक जीवित प्राणियोंके वधमें कारण हुआ था।

(इस तरह वर्तमान आगम ग्रन्थों में से ६ से ग्यारह तक के आगम कथा प्रधान हैं और वे अपने मूलरूप में नहीं हैं किन्तु एकदम परिवर्तित रूप में हैं। रह जाते हैं शेष पाँच आगम। उनमें से भगवतीका रूप सब से निराला है। उसमें पन्नवणा, जीवाभिगम, उववाइय, राजप्रश्नीय, नन्दी, आयादसाओ आदि का निर्देश होने से यह स्पष्ट है कि उसका सकलन भी उत्तर कालमें हुआ है। किन्तु उसमें प्राचीन इतिहास की सामग्री अवश्य है। शेष चार अङ्ग अवश्य ही अपना वैशिष्ट्य रखते हैं। किन्तु वे भी अपने मूल रूप में नहीं हैं यह स्पष्ट है।)

दिगम्बर ग्रन्थों में प्राप्त विषय सूची

अङ्गो और पूर्वोकी विषय सूची वर्तमान में उपलब्ध दिगम्बर जैन साहित्य में सर्व प्रथम अकलंक देव के तत्त्वार्थ वार्तिक में उपलब्ध होती है। प्रश्न होता है कि जब दिगम्बर परम्परा में अङ्ग साहित्यका लोप पहले ही हो चुका था तो यह विषय सूची किस आधार से दी गई ?

(दि० जैन सिद्धान्त ग्रन्थों की धवला और जय धवला टीका में श्री वीरसेन स्वामी ने भी विस्तार पूर्वक अङ्गों और पूर्वोकी विषय सूची दी है, वह विषय सूची प्रायः तत्त्वार्थ वार्तिक के अनुरूप है, उसमें कहीं कहीं वीरसेन स्वामी ने तत्त्वार्थ वार्तिक का नाम लेकर प्रमाण रूप से उसे उद्धृत भी किया है। और दृष्टिवाद के जिन भेदों का विषय परिच्छेद अकलंक ने नहीं दिया, उनका भी विषय परिचय वीरसेन स्वामी ने कराया है। और

उनका विषय परिचय श्वेताम्बर साहित्य में भी नहीं है। अतः वीरसेन स्वामी के सामने तत्त्वार्थ वार्तिक के सिवाय अन्य भी कुछ साहित्य होना चाहिए और सभवतः अकलक देव के सामने भी वही साहित्य रहा हो।

दिगम्बर जैन सिद्धान्त ग्रन्थ षट्खण्डागम तथा कसाय पाहुड़ पर अनेक टीकाएँ पूर्वमे रची गई हैं। उनमें से कई टीकाएँ वीरसेन स्वामी के सामने भी उपस्थित थीं। उन टीकाओं में से कोई टीका अकलंक देव के सामने अवश्य होनी चाहियें, क्यों कि अकलंक देव ने षट्खण्डागम का उपयोग अपनी तत्त्वार्थ^१ वार्तिक में किया है यह उससे स्पष्ट है। इसके सिवाय अकलक-देव ने अपने तत्त्वार्थ^२ वार्तिक में 'व्याख्या प्रज्ञप्ति दण्डकेपु^३ का दो बार निर्देश करके उसका प्रमाण दिया है। ('व्याख्याप्रज्ञप्ति दण्डकेपु' के बहुवचनान्त प्रयोग से ऐसा अनुमान होता है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति में दण्डक नामक अधिकार होने चाहिये। दण्डक नामके अधिकार श्वेताम्बर अगामिक साहित्य में तो उपलब्ध नहीं होते किन्तु षट् खण्डागम^३ के जीवद्वारणमें चूलिकाके अन्तगत महा दण्डक नामक अधिकार भी पाये जाते हैं। परन्तु व्याख्या-प्रज्ञप्ति पाँचवें अङ्ग का नाम है और वर्तमान भगवतीमें वह उद्धरण नहीं मिलते जो व्याख्या प्रज्ञप्ति दण्डकों से अकलक देव ने दिये हैं। अतः व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डक नाम से कोई ग्रन्थ जो संभवतया पाँचवे अङ्ग का ही अंगभूत होगा अकलक देव के सामने उपस्थित था। इत्यादि बातों से यही ज्ञात होता है कि अकलक देव ने जो द्वादशांगका परिचय दिया है वह किसी

१—पृ० १५३-२४४। २—पृ० १५३, २४५।

३—पु० ६, पृ० १३३ आदि।

उपलब्ध आधार से दिया है और वह आधार नन्दी, समवायाग वगैरह से भिन्न ज्ञात होता है, क्योंकि उससे उनका मेल नहीं खाता ।

हाँ, स्थानाग में नौवे और दसवे अङ्ग के दस अध्ययनों के जो नाम दिये हैं वे नाम अकलंक देव के द्वारा दिये गये उक्त दोनों अंगों के परिचयमें पाये जाते हैं । वे नाम न समवायाग में हैं और न नन्दी में हैं । किन्तु हम यह कह सकने में असमर्थ हैं कि अकलंक देव ने उन्हें स्थानाग से ही लिया है या अन्यत्र से, क्योंकि कुछ नामों में अन्तर भी है ।

अंग बाह्य श्रुत

श्रुतके दूसरे मुख्य भेदका नाम अंगबाह्य अथवा अनंग प्रविष्ट है । अंग प्राविष्टके रचयिता गणधर थे इस बातमें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें कोई मतभेद नहीं पाया जाता । किन्तु अंगबाह्यके रचयिताके विषयमें दोनों ही सम्प्रदायोंमें दो मत पाये जाते हैं ।

दिगम्बर परम्परामें आचार्य पूज्यपाद तथा तदनुयायी अकलङ्क देव अंगबाह्यको आरातीय आचार्योंके द्वारा रचित बतलाते हैं । पूज्यपादने लिखा है कि 'वक्ता तीन होते हैं—सर्वज्ञ तीर्थङ्कर, श्रुतकेवली और आरातीय । सर्वज्ञने अर्थरूपसे आगमका उपदेश दिया । उनके साक्षात् शिष्य गणधरोंने उसे स्मरण रख कर अंग और पूर्वरूप ग्रन्थोंकी रचना की । और आरातीय'

१—'आरातीयैः पुनराचार्यैः कालदोषसक्षिप्तायुर्मतिबलशिष्या-
नुप्रहार्ये दसवैकालिकाद्युपनिबद्धम् । —सर्वार्थ०, १-२० ।

प्राचार्योंने फाल दोपमें अल्पपायु और अल्प बुद्धियाले विद्यार्थियोंके अनुग्रहके लिए दसत्रैकानिक आदि रचे। 'अपलङ्ग' देखने भी इसी कथनका अनुसरण किया है। किन्तु भी धीरमेन स्वामीने कृति 'अनुयोग' द्वारा ही भद्रका टीकामें स्पष्ट रूपमें इन्द्रभूति गौतमको 'अंग प्रविष्ट' और 'अंग व्याहृत' कता घनताया है। एक बात और भी उल्लेखनीय है कि 'भद्रका' और 'जय-वपला' टीकाके आरम्भमें उन्होंने इन्द्रभूति गौतमको केवल 'अंगो' और 'प्रायका' कता घनताया है, जैसाकि तिलोय परमाणु ('प्र. १, गा ७६) में बतलाया है। यहाँ 'अंग व्याहृत' कर्तृत्वका निर्देश नहीं किया है।

धीरसेन स्वामीके लघु समकालीन श्री जिनसेन ने तो अपने हरिवंश पुराण में स्पष्ट रूपमें यह लिखा है कि भगवान महा-धीरने पहले 'अंग प्रविष्टका' व्याख्यान किया और फिर 'अंग व्याहृतका' व्याख्यान किया। और गौतम गणधरने उसे सुनकर उपाग सहित द्वादशांग ध्रुत स्कन्धकी रचना की। इस तरह जो 'अंग व्याहृत' पहले गणधरोंके शिष्य प्रशिष्य रचित माने जाते थे

—१ 'आरातीयान्नायं तत्तात्तार्थप्रत्यासत्तमं ज्ञवाप्तम् ।

—त० वा०, १-२०-१३ ।

२—'भोदमगोत्तेशु ब्रह्मणोश्च इन्द्रभूटिणा प्रायार .. विट्टिवादाना मगवज्भ्राणं च ख्यणा कदा' । —पट् स०, पु० ६, पृ. १२६ ।

३—पट् स०, पु० १, पृ० ६५ । ४ क० पा०, भा० १, पृ० ८३ ।

५—'अंगप्रविष्टतत्त्वार्थे प्रतिपाद्य जिनेश्वरः ।

अंगव्याख्यमवोचत्तत्प्रतिपाद्यार्थरूपतः ॥ १०१ ॥

अथ सप्तद्विसम्पन्न श्रुत्वार्थे जिन भाषितम् ।

द्वादशाङ्गश्रुतस्कन्ध सोपाङ्ग गौतमो व्यधात् ॥ १११ ॥

—हरि० पु०, २५० ।

उत्तर कालमें उन्हें गणधर कृत माना जाने लगा । यही बात हम श्वेताम्बर परम्परा में भी पाते हैं ।

अनुयोग^१ द्वार और नन्दिसूत्र^२में द्वादशांगको सर्वाङ्ग प्रणीत कहा है । तथा अनुयोग^३ द्वारमें गणधरके लिए सूत्रको आत्मागम तथा अर्थको अनन्तरागम कहा है । इससे स्पष्ट है कि ये दोनों ग्रन्थ गणधरको द्वादशांगका रचयिता मानते हैं । अंग बाह्यके रचयिताके विषयमें दोनों ग्रन्थ मूक है । उमास्वातिके तत्त्वार्थ-भाष्यमें, विशेषावश्यक^४ भाष्यमें, और बृहकल्प भाष्यमें स्पष्ट रूप से अंग प्रविष्टको गणधर कृत और अंग बाह्यको आचार्य कृत बतलाया है ।

(किन्तु जब तत्त्वार्थ भाष्यमें अङ्ग बाह्य और अंग प्रविष्टमें केवल यही भेद बतलाया है कि एक आचार्य रचित होता है और दूसरा गणधर रचित तब विशेषा^५ भा० में उक्त भेदके सिवाय दो भेद और बतलाये हैं—गणधरके पृच्छने पर तीर्थङ्कर जो वचन कहते हैं उससे जो निष्पन्न होता है वह अंग प्रविष्ट है और विना प्रश्नके जो अर्थ प्रतिपादन तीर्थङ्कर करते हैं, उससे जो निष्पन्न होता है वह अंगबाह्य है । तथा अंग प्रविष्ट सब तीर्थङ्करोंके तीर्थमें नियत है । किन्तु अंगबाह्य नियत नहीं है ।

१—अनु० सू० पृ० २१८ । २—न. सू. ४० । ३—‘गणहराणां सुत्तस्स अत्तागमे अत्थस्स अणंतरागमे’ । अनु, २१६ ।

४—सू. १—२० । ५—गा० १४४ ।

६—‘गणहर धेर म्य वा आपसा मुक्कवागरणश्रो वा ।

धुवचलविसेसश्रो वा अंगाणां गेसु नाणत्तं ॥ ५५० ॥’

नन्दिचूर्णि^१ मे तथा नन्दिकी हरिभद्रीय^२ वृत्तिमे भी दोनोंमें दो भेद वतलाये हैं—एक कर्तृनिमित्तक और एक नियत-अनियत । इन दोनोके सिवाय जो तीसरा अन्तर विशे० भा० मे वतलाया है उस परसे अंगवाह्यके भी गणधर रचित होनेकी बात प्रस्फुटित होती है, क्योंकि अप्रश्नपूर्वक जो अर्थ प्रतिपादन तीर्थङ्करने किया उसको भी गणधरोने ही ग्रन्थरूपमें निबद्ध किया होगा । वि० भा०के टीकाकार हेमचन्द्रने तीनों अन्तरोके तीन उदाहरण दिये हैं । स्थविरकृत अंगवाह्य जैसे भद्रबाहुकृत आवश्यक निर्युक्ति आदि । अप्रश्न पूर्वक अर्थ प्रतिपादनके आधार पर रचित अंगवाह्य जैसे आवश्यक आदि । अनियत अंगवाह्य जैसे तन्दुल वैकालिक आदि । तीनों अन्तर एक ही अंगवाह्यमें नहीं घटाये हैं ।

अब आवश्यक अंगवाह्यको लीजिये । आवश्यक निर्युक्ति, विशे० भा० और उनकी टीकाओंसे बराबर यह परिलक्षित होता है कि आवश्यकके अन्तर्गत सामायिक आदि अध्ययनोकी रचना तीर्थङ्करके उपदेशके अनुसार गणधरोने की थी । आवश्यक^३ नि०मे कहा गया है कि मैं गुरुजनके द्वारा उपदिष्ट और आचार्य परम्परासे आगत सामायिक निर्युक्तिको कहता हू । टीकाकार मलयगिरिने गुरुजनका अर्थ तीर्थङ्कर और गणधर किया है । इसी तरह विशेषावश्यक भाष्यमें सामायिकका निरूपण करते हुए कहा है कि सामायिकका कथन तीर्थङ्कर करते हैं

१—पृ० ४७ । २—पृ० ६० ।

३—‘सामाह्रनिजुतिं वोच्छ उवएसिय गुरुजणेणं ।

आयरियपरपरएण आगयं आणुपुव्वीए ॥ ८७ ॥’

और गणधर^१ उसे सुनते हैं। इस सब कथनका तात्पर्य यही निकलता है सामायिक आदि आवश्यक गणधर कृत हैं।

(अतः श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी अंगबाह्यके गणधर कृत होनेकी मान्यता रही है। हरिवंशकार जिनसेनके समयमें दोनों सूत्रप्रदायोंमें इस मान्यताका प्राबल्य था ऐसा प्रतीत होता है।)

अंगबाह्यको उत्तरकालमें क्यों गणधर प्रणीत माना जाने लगा, इस सम्बन्धमें कुछ कहना शक्य नहीं है। फिर भी अंग प्रविष्टकी तरह उसका भी प्रामाण्य और महत्ता स्थापित करने की भावना उसके मूलमें अवश्य रही है। अस्तु,

अंगबाह्यके भेद

(दिगम्बर परम्परामें पूज्यपाद^२ने तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार अंगबाह्यके अनेक भेद बतलाते हुए उनकी संख्या या नामोंका कोई निर्देश नहीं किया। केवल उदाहरण रूपसे दश वैकालिकका नाम निर्देश मात्र कर दिया। अकलक^३ देवने नन्दिसूत्रकी तरह अंगबाह्यके कालिक और उत्कालिक भेद करके उदाहरण रूपमें उत्तराध्ययनका नाम निर्देश कर दिया।)

किन्तु वीरसेन स्वामीने अपनी धवला^४ जयधवला^५ टीकामें अंगबाह्यके चौदह भेदोंके नाम गिनाकर उनका विषय परिचय भी सन्क्षेपमें दिया है। सम्भवतः उन्हींका अनुसरण करते हुए जिनसेनने भी अपने हरिवंश^६ पुराणमें अंगबाह्यके १४ भेद

^१—गा० २१२२। गा० २१२५।

^२—सर्वार्थ० १-२०। ^३—‘तदनेकविधं कालिकोत्कालिकादिविक-

त्पात।’ त० वा०, १-२०-१४। ^४—षट्ख०, पु०, १, पृ० ६६।

^५—क० पा०, भा० १, पृ० ६७। ^६—स० २, श्लो० १०२-१०५।

गिनाये हैं। उन भेदोंमें दशवैकालिक और उत्तराध्ययनका भी नाम है। चौदह भेद इस प्रकार हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दश वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकलय, महाकल्प्य पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निपिटिका। वीरसेन स्वामीके पश्चात् उन्हींका अनुकरण करते हुए नमिचन्द्र^१ सिद्धान्त चक्रवर्ती, श्रुत^२सागर सूरि आदिने भी अगवाहके भेद गिनाये हैं।

यह हम लिख आये हैं कि नन्दि० (सू० ४४) में अंगवाह्य के आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त भेद करके आवश्यक व्यतिरिक्तके कालिक और उत्कालिक भेद किये हैं। तथा दश वैकालिकको उत्कालिकके भेदोंमें और उत्तराध्ययनको कालिकके भेदोंमें गिनाया है।

अंगवाह्यके भेदों का समीकरण

नन्दी सूत्रमें अंगवाह्यके जाँ भेद गिनाये है उनके साथ में इनमेंसे कुछ भेदोंका समीकरण हो जाता है—

नन्दीमें अंगवाह्यके दो मूल भेद हैं—आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। तथा आवश्यकके छै भेद हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। उक्त भेदोंमेंसे शुरूके चार दोनोंमें एक ही हैं, केवल अन्तके दो में अन्तर है। नन्दिमें कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान हैं और ऊपर वैनयिक और कृतिकर्म हैं। यद्यपि दिगम्बर परम्परामें षडावश्यक वे ही हैं जो श्वेताम्बर परम्परामें हैं, और

१—गो० जी०, गा० ३६६-३६७।

२—त० वृ०, पृ० ६७।

कृतिकर्मका विधान श्वेताम्बर परम्परामें भी है। किन्तु सभवतया वीरसेन स्वामीने ग्रन्थ रूपका निर्देश करनेके कारण प्रतिक्रमण और कायोत्सर्गके स्थानमें वैयक्तिक और कृतिकर्मका निर्देश किया है। ये दोनों भी आवश्यकोके अंगभूत ही हैं।

नन्दीमें कालिक श्रुत तथा उत्कालिकके बहुतसे भेद गिनाये हैं। उनमेंसे जो भेद वीरसेनोक्त अंगवाह्यके भेदोंसे मिलते हैं वे इस प्रकार हैं—दश वैकालिक, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, तथा उत्तराध्ययन, कल्प्य, व्यवहार। दिगम्बर साहित्यमें कल्प्य व्यवहारको एक गिनाया है। इस तरह चौदह भेदोंमें से नौ भेदोंके नाम श्वेताम्बर सम्मत अंगवाह्यके भेदोंके नामोंसे मेल खाते हैं। शेषमें से एक भेद पुण्डरीक है। सूत्रकृताग के दूसरे श्रुतस्कन्धके प्रथम अध्ययनका नाम भी पुण्डरीक है। इसी तरह एक भेदका नाम 'णिसिहिय है, इसका सस्कृत रूपान्तर निपिद्धिका किया जाता है। उधर नन्दीमें कालिकके भेदोंमें एक भेदका नाम 'निसिह' है जिसका सस्कृतरूप निशीथ है। श्वेताम्बरोंमें निशीथ नामक सूत्र प्रसिद्ध है। हम नहीं कह सकते कि इन भेदोंका परस्परमें कोई सम्बन्ध है या नहीं।

(प्रो० विंटरनीटसका कहना है कि यह अनुमान करना सम्भव है कि जो मूल ग्रन्थ दोनों सम्प्रदायोंमें समान रूपसे मान्य है, वे जैनोंके पवित्र साहित्य के प्राचीनतम अंश हैं) तथापि जिन ग्रन्थोंके नाममें साम्य है उनमें प्रतिपादित विषयकी दृष्टिसे कहाँ तक एकरूपता है यह प्रश्न अनुसन्धान करनेके लिये रह जाता है (हि. इं लि., जि २ पृ ४७४)। इसके सम्बन्धमें पूर्वमें प्रकाश डाला जा चुका है।

दि० अंगवाह्यका विषय परिचय

(आगे धवला' जयधवलाके आधार पर दिग्ग्वर सम्मत अंग वाह्यके भेदोंका विषय परिचय दिया जाता है।

१(सामायिक नामक अंगवाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा समता भाव रूप सामायिकका वर्णन करता है। तीनों सन्ध्याओंमें या पक्ष और मासके सन्धिदिनोंमें अथवा अपने इच्छित समयमें वाह्य और अंतरंग पदार्थोंमें कषायका निरोध करनेको सामायिक कहते हैं। उसके चार भेद हैं—द्रव्य-सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। सचित्त और अचित्त द्रव्योंमें राग द्वेषके निरोध करनेको द्रव्य सामायिक कहते हैं। (ग्राम, नगर, देश आदिमें राग द्वेषका निरोध करना क्षेत्र सामायिक है।) छ ऋतुओंमें साम्य भाव रखनेको या राग द्वेष न करनेको काल सामायिक कहते हैं। (समस्त कषायोंका निरोध करके तथा मिथ्यात्वको दूर करके छ द्रव्य विषयक निर्बाध अस्खलित ज्ञानको भाव सामायिक कहते हैं।) सामायिक नामक अंग वाह्यमें इन सबका वर्णन रहता है।)

२(चतुर्विंशतिस्तव नामक अंग वाह्य उस उस काल सम्बन्धी चौबीस तीर्थङ्करोंकी वन्दना करनेकी विधि, उनके नाम, आकार, ऊँचाई, पाँच महा कल्याणक, चौतीस अतिशयोका स्वरूप और तीर्थङ्करोंकी कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाओं तथा चैत्यालयोंका वर्णन करता है।)

१—षट्खं०, पु० १, पृ० ६६-६८ तथा पु० ६, पृ० १८७-१९१।

क० पा०, भा० १, पृ० ६७-१२१।

३ वन्दना नामक अंगबाह्य एक जिनेन्द्र सम्बन्धी और उन एक जिनेन्द्र देवके अवलम्बनसे जिनालय सम्बन्धी वन्दना का सागोपाग वर्णन करता है।

४ प्रमादसे लगे हुए दोषोंका निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। उसके सात भेद हैं—दिन सम्बन्धी, रात्रि सम्बन्धी, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, ऐर्यापथिक, और औत्तमार्थिक। प्रतिक्रमण नामक अंगबाह्य इन सात प्रकारके प्रतिक्रमणोंका कथन करता है।

५ वैनयिक नामक अंग बाह्य ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, तप विनय और उपचार विनयका वर्णन करता है।

६ कृतिकर्म नामक अंगबाह्य अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और साधुकी पूजा विधिका वर्णन करता है।

७ दशवैकालिक नामक अंगबाह्य—मुनियोंकी आचार विधि और गौचर विधिका वर्णन करता है।

८ उत्तराध्ययन चार प्रकारके उपसर्ग और बाईस परीषहोंके सहनेके विधानका और उनके सहन करनेके फलका तथा अनेक प्रकारके उत्तरोंका वर्णन करता है।

९ कल्प्यव्यवहार—साधुओंके योग्य आचरणका और अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्चित्त विधिका वर्णन करता है।

१० कल्प्याकल्प्य—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रय लेकर मुनियोंके यह योग्य और यह अयोग्य है, इत्यादिका वर्णन करता है।

११ महाकल्प्य—दीक्षाग्रहण, शिक्षा, आत्म संस्कार, सल्लेखना और उत्तमस्थान रूप आराधनाको प्राप्त हुए साधुओंके करने योग्य आचारका वर्णन करता है।

१२ (पुण्डरीक अंगवाह्य—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, कल्पवासी और वैमानिक सम्बन्धी इन्द्र सामानिक देव आदिमें उत्पत्तिके कारणभूत दान पूजा शील तप उपवास, सम्यक्त्व और अकाम निर्जराका तथा उनके उपपाद स्थान और भवनोंके स्वरूपका वर्णन करता है)।

१३ (महापुण्डरीक अंगवाह्य—उन्ही इन्द्रों आदिमें उत्पत्तिके कारण भूत तपो विशेष आदिका वर्णन करता है)।

१४ (निषिद्धिका अंगवाह्य—अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तका वर्णन करता है)।

अंगभिन्न श्वेताम्बरीय आगम

वर्तमानमें श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उक्त ग्यारह अंगोंके सिवाय ३४ आगम और भी माने जाते हैं। वे हैं—१२ उपांग, ६ छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र, १० पङ्खा (प्रकीर्णक), एक नन्दि और एक अनुयोग द्वार। इस तरह श्वेताम्बर सम्प्रदाय ४५ आगमोंको वर्तमानमें मानता है। किन्तु स्थानक वासी सम्प्रदाय उसमें से केवल बत्तीस आगमोंको ही मानता है जो इस प्रकार हैं—११ अंग और १२ उपांग ये २३, एक निशीथ २४, एक बृहत्कल्प २५, एक व्यवहार सूत्र २६, एक दशाश्रुत २७, एक अनुयोग द्वार २८, एक नन्दि सूत्र २६, एक दश वैकालिक ३०, एक उत्तराध्ययन ३१, और एक आवश्यक ३२)।

औपपातिक, राजप्रश्रीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्प चूलिका और वृष्णिदशा ये बारह उपांग हैं जिन्हे श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय मानते हैं। प्रत्येक अंग

का एक एक उपांग माना जाता है इस लिये अंगोंकी तरह उपांगोंकी संख्या भी बारह ही मानी गई है ।

निशीथ, बृहत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुत स्कन्ध, पंचकल्प और महानिशीथ ये छे छेःसूत्र हैं । इनमेंसे स्थानक वासी केवल शुरूके चारको मानते हैं । आवश्यक, दशकालिक, उत्तराध्ययन पिरुद्धनिर्युक्ति या ओघनिर्युक्ति ये चार मूल सूत्र हैं । इनमेंसे अन्तिम निर्युक्तिको स्थानकवासी सम्प्रदाय नहीं मानता ।

(चतुः शरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, संस्तारक, तन्दुलवैचारिक, चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याख्यान, वीरस्तव, ये दस पइन्ना हैं) जिन्हें स्थानकवासी मान्य नहीं करते । और दिगम्बर सम्प्रदायमें तो बारह अंगोंके सिवाय शेष आगमोंका कोई स्थान ही नहीं है ।

नन्दि और अनुयोगद्वार

(श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यका परिचय प्राप्त करने के लिये नन्दिसूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र कोशके तुल्य है । उनको देखने से प्रतीत होता है कि उनके रचयिताओंने मूल आगमिक साहित्य का ज्ञान कराने के लिये जो जो वस्तुएँ तथा उपाय आवश्यक समझे उनका सकलन अपनी इन कृतियों में करनेका प्रयत्न किया था । चूँकि नन्दि में अनुयोग द्वारका नाम आया है इसलिये अनुयोग द्वार नन्दिसे प्राचीन है । किन्तु आगमके विषय में नन्दिको अधिकारी माना जाता है । दोनोंमें ज्ञानकी चर्चा है । अनुयोगद्वारमे श्रुतके भेद अंग प्रविष्ट और अङ्ग बाह्य करके अङ्ग बाह्यके कालिक और उत्कालिक भेद किये हैं और उत्कालिक के आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त ये दो भेद किये हैं ।)

किन्तु नन्दि में अज्ञवागके आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त भेद करके आवश्यक व्यतिरिक्तके कालिक और उत्कालिक भेद किये हैं। उसकी विस्तारमें चर्चा पहले आ चुकी है। अनुयोग द्वार में केवल आवश्यक की चर्चा है किन्तु नन्दी में अग्रंग पविष्ट या अज्ञ वाग में उन मन्त्र ग्रन्थों के नाम दिये हैं जो आगमकी श्रेणी में आते हैं किन्तु जिन्हे अज्ञो में सम्मिलित नहीं किया गया है।

इस ग्रन्थसूची में बहुतसे नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में आगम के अज्ञभूत रूपसे माने जाते हैं। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि वर्तमान में श्वेताम्बर सम्प्रदाय में उन ग्रन्थोंको जिन विशेष विभागों में विभाजित माना जाता है, नन्दी में उन विभागोंका कोई संकेत तक नहीं है। वे विभाग हैं उपाग, पद्मत्रा, छेदसूत्र और मूलसूत्र। नन्दिमें इनका निर्देश नहीं है। पद्मत्राका निर्देश है किन्तु भिन्न अर्थ में। तथा नन्दी में अनग प्रविष्ट के अन्तर्गत ऐसे भी बहुतसे ग्रन्थ निर्दिष्ट हैं, जो या तो प्राप्त ही नहीं हैं या ग्रन्थोंके अन्तर्गत अध्ययनोके नाम रूपसे पाये जाते हैं, किन्तु पृथक् ग्रन्थके रूप में नहीं पाये जाते।

नन्दी में प्रवृत्त ग्रन्थसूचीकी एक और भी विशेषता है। उसमें नन्दीका भी नाम है। अब यदि आगमोंको पुस्तकारूढ़ करने वाले देवर्द्धि गणि नन्दि' के रचयिता हैं तो नन्दिकी ग्रन्थ-सूची से वर्तमान आगम ग्रन्थों में पाया जाने वाला अन्तर खास

१—नन्दि सूत्र के रचयिता देववाचक देवर्द्धिसे भिन्न थे। ऐसा जै० सा० इ० गुजराती में लिखा है। किन्तु वे दोनों समकालीन थे।

तौरसे उल्लेखनीय है। इससे यह सिद्ध होता है कि देवर्द्धि गणिके पश्चात् आगमिक साहित्यका न केवल पुनः विभाजन हुआ है किन्तु उनका पुनःसंस्कार भी किया गया है।

नन्दिसूत्र और अनुयोग द्वार दोनों गद्यमें रचे गये हैं यद्यपि बीच-बीचमें गाथा भी आती हैं। (नन्दीके प्रारम्भमें पचास गाथाएँ हैं। प्रथम गाथाके द्वारा तीर्थङ्कर सामान्यका स्तवन किया है। गाथा दो और तीनमें बीर भगवानका स्तवन है। तत्पश्चात् १४ गाथाओंसे सधका स्तवन है। जैन साहित्यमें संघका स्तवन इतना विस्तार से मेरे देखने में नहीं आया। गाथा १८-१९ में चौबीस तीर्थङ्करोंका निर्देश है। गाथा २०-२१ में बीर भगवानके ग्यारह गणधरोंका निर्देश है। गाथा २२ में बीर शासनका जयकार है। गाथा २३ से स्थविरावली प्रारम्भ होती है, जिसके स्थविरोंकी नामावली इस प्रकार है—

१ सुधर्मा, २ जम्बू, ३ प्रभव, ४ शक्यभद्र, यशोभद्र, ६ सम्भूत, ७ भद्रबाहु, ८ स्थूलभद्र, ९ महागिरि, १० सुहस्ती, ११ वलिस्सह, (बहुलका सहोदर), १२ स्वाति, १३ श्यामार्य, १४ शाण्डिल्य, १५ आर्य जीत धर, १६ समुद्र, १७ मंगु, १८ आर्य नन्दिल, १९ नागहस्ती, २० रेवती नक्षत्र, २१ सिंह, २२ स्कन्दिलाचार्य, २३ हिमवन्त, २४ नागार्जुन, २५ भूत दित्र, २६ लोहित्य और २७ दृष्यगणि)।

(नन्दिसूत्रमें प्रदत्त यह स्थविरावली सुहस्तीसे आगे, कल्पसूत्रकी स्थविरावलीसे भिन्न हो जाती है। अच्युरी में इसका कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सुहस्तीकी शिष्य परम्पराक

उल्लेख कल्पसूत्रमें कर दिया है, उसका यहाँ अधिकार नहीं है क्योंकि उसमें नन्दिसूत्रके कर्ता देववाचक गुरु नहीं आते।

इस सम्बन्धमें डा० वेबरका कहना था कि साक्षियोंसे प्रमाणित होता है कि नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें सुहस्तीके अनन्तर पूर्ववर्ती अथवा भाई महागिरिकी शिष्य परम्परा दी गई है (इ० ए०, जि० २१, पृ० २६४) । हमारे सम्मुख आग-मोदय समितिसे मलयगिरिकी टीकाके साथ प्रकाशित नन्दी-सूत्रकी प्रति है । उसके मुख पृष्ठ पर मुद्रित है 'आर्य महागिरिकी आवलीमें हुए दृष्यगणिके शिष्य देववाचक रचित नन्दिसूत्र ।' अतः नन्दिसूत्रकार महागिरिकी परम्परामें थे । हमने ऊपर जो स्थविरोंकी नामावली दी है, वह भी उसीके अनुसार दी है । किन्तु डा० वेबरने अपने नन्दिसूत्र विषयक लेखमें जो स्थविरोकी नामावली दी है उसमें इससे अन्तर है । डा० वेबरने सुहस्तिका नाम ब्रैकेट में देकर भी उसकी गणना नहीं की है । तथा मगु और नन्दिलके बीचमें १७ धम्म, १८ भद्गुत्त, १९ वडर और २० आर्य रचित के नाम दिये हैं । रेवती नक्षत्र और स्कन्दिल्लाचार्यके मध्यका 'सिह' नाम उसमें नहीं है । तथा नागाजुनके पश्चात् और भूतदित्रसे पहले गोविन्द नाम और है ।

अवचूरिके कथनानुसार स्थविरावलीके कतिपय नामोंमें बड़ी अनिश्चितता है । कुछ गाथाओंको जिनमें धम्म आदि नाम हैं प्रक्षिप्त माना जाता है । इसीसे गाथा सख्यामें भी अन्तर है ।

१—'सुहस्तिनः शिष्यावलिकायाः श्रीकल्पे उक्तत्वात् न तस्य इहाधिकारः तस्या नन्दिकृद् देववाचक गुर्वनुत्पत्तेः ।'—गा. २७ की अवचूरी ।

नन्दि सूत्र और अनुयोगद्वार सूत्र में मिथ्या श्रुतोंके नाम दिये हैं । अनुयांग' द्वार में तो भारत रामायणसे लेकर सांगोपाग चार वेद पर्यन्त मिथ्या श्रुत कहा है । किन्तु नन्दि' में भारत रामायणसे लेकर वेद पर्यन्त मिथ्याश्रुतकी लम्बी तालिका दी है जिनमेंसे कुछ नामोंका पता नहीं चलता । टीकाकार ने भी उनका कोई खुलासा नहीं किया । कुछ नाम इस प्रकार हैं—

कोडिल्लय (कौटिलीय अर्थशास्त्र), घोडगमुह (वात्स्यायनके पूर्वज घोटक मुखका कामसूत्र), वइसेसिअ (वैशेषिक दर्शन), बुद्ध वयण (बौद्ध सिद्धान्त), तेरासिय (त्रैराशिकमत) काविलिअं (कपिल दर्शन), लोगायय (लोकायत दर्शन), सट्टि तंत (षष्ठितंत्र), माठर (माठर प्रणीत वृत्ति), पुराण, व्याकरण, भागवत, पातञ्जलि, गणित, नाटक अथवा बहत्तर कलाएं और सांगोपाग चार वेद ।

नन्दी और अनुयोग द्वार दोनों में ज्ञानकी चर्चा है । उसमें जो अन्तर है उसका स्पष्टीकरण प्रारम्भ में कर दिया गया है ।

आवश्यक प्रसंग वश नन्दि और अनुयोग द्वारका परिचय

१—'भारहं रामायणं जाव चत्तारि वेअा सांगोवगा से तं लोइए आगमे ।'—अनु०, पृ. २१८ ।

२—'भारह रामायण भीमासुरुक्ख कोडिल्लय सगडभदिआओ खोड (घोडग) मुह कप्पासिअं नागसुहुम कणगसत्तरी वइसेसिअ बुद्धवयण तेरासिअं काविलिअं लोगायय सट्टितंत माठर पुराणं वागरणं भागवं पायंजली पुत्सदेवय लेहं गणिअं सउणरुअं नाडयाहं, अहवा वावत्तरी कलाओ चत्तारि अ वेअा संगोवगा..... से तं मिच्छा सुअं ॥—नदि० (सू० ४२) ।

करानेके पश्चात् आगे हम क्रमानुसार ही श्वेताम्बरीय अङ्गतर आगमों का परिचय करायेंगे ।

वारह उपांग

वारह अंगोंके वारह ही उपांग है । एक एक अङ्ग का एक एक उपांग है । कतिपय अंगोंमें उपांगोंका उल्लेख है तो उपांगों में भी अंगों और उपांगोंका निर्देश मिलता है । किन्तु अंगों और उपांगोंका सम्बन्ध केवल बाहिरी है । डा० वेवरका कहना था कि किसी एक हाथने अंगों उपांगोंको वह रूप दिया था जिसमें वह आज पाये जाते हैं । डा० विन्टर निट्सने लिखा है कि साहित्यिक दृष्टिसे वारह उपांग विशेष आकर्षक नहीं हैं ।

१ प्रथम उपांग औपपातिकके दो भाग है । दूसरा भाग प्रथमके तृतीयांशके लगभग है । प्रथम भागमें भगवान् महावीर का वर्णन है । विम्बसारका पुत्र कुणिक भगवान् महावीरके पास उपदेश सुनने के लिये जाता है । उपदेशमें अच्छे और बुरे कर्मोंके करनेसे चारों गतियोंमें जन्म लेनेका तथा साधु और गृहस्थके कर्तव्योंका निर्देश है । दूसरे भागका पहलेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरा भाग अनेक उपविभागोंमें बंटा हुआ है । इसमें बतलाया है कि गौतम इन्द्रभूति भगवान् महावीरके पास जाते हैं और उनसे अनेक प्रश्न करते हैं । भगवान् उनका उत्तर देते हैं । अधिकतर प्रश्न पुनर्जन्मसे सम्बन्ध रखते हैं । इस भागके मध्यमें कुछ उल्लेखनीय बातें भी हैं । उसमें आठ^१ ब्राह्मण परिव्राजकों

१—'करहे अ करकडे य अत्रडें य परासरे । करहे दीवायणे चैव देवगुत्ते अ गारए ॥ —औप० सू, पृ. १७२ ।

के और आठ क्षत्रिय^१ परिव्राजकोंके नाम दिये हैं तत्पश्चात् अंग ५ की तरह ब्राह्मण साहित्यके ग्रन्थोंका निर्देश है—

तीसरे स्थानांगकी तरह ७२ कलाएँ और सात निन्हवोंका भी नाम आता है। अंग ५-६ की तरह कुछ विदेशी दासियोंका भी निर्देश है यथा-सिंहली, आरवी, पुलिदी, मुरुण्डी, पारसी आदि। ग्रन्थके अन्तमें २२ गाथाएँ हैं जिनमें सिद्धोंका वर्णन है इस उपाग पर अभयदेवकी टीका और पार्श्व चन्द्रकी अवचूरी है।

२—इसका नाम रायपसेणइज्ज या राज प्रश्नीय है। ग्रन्थोंके नामका संस्कृतरूप अशुद्ध है ऐसा डा० वेवरका कहना था। ऐसा अनुमान^२ किया जाता है कि मूलतः इस ग्रन्थका सम्बन्ध प्रसेनजित्से था। उसके स्थानमें परासका निर्देश मिलता है। डा० वेवरने लिखा^३ है कि डा० ल्युमनने लिखा है कि बौद्ध त्रिपिटक दीघनिकायमें एक 'पयासी सुत्त' नामक प्रकरण है। उसके साथ इस उपांगका घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिये क्योंकि इसमें भी राजा पयासीकी चर्चा है।

अतः या तो इस दूसरे उपाग और उक्त बौद्धनिकाय दोनोंका मूल आधार एक है अथवा उपाग दो का आधार उक्त बौद्ध निकाय है।

ग्रन्थका आरम्भ इस प्रकार होता है—सूर्याभ नामक देव अपनी विभूतिके साथ भगवान महावीरकी वन्दनाके लिये आता

१—'सीलई ससिहारे (य) णग्गई भग्गई तिअ । विदेहे रायाराया रायारामे वलेति अ ॥ 'ओप० सू०, 'पृ० १७२ ।

२—हि इ. लि (विन्ट.), जि २, पृ. ४५५, । ३—इं. ए, जि. २० पृ ३६६-३७० ।

है। गौतम गणधर भगवानसे उसके विषयमें पूछते हैं। भगवान उत्तर देते हैं कि सूर्याभ देव पूर्व भवमे पण्डी नामक राजा था। एक बार उसने अपने एक दरवारीको भेंट लेकर श्रावस्ती भेजा। वहां पार्श्वनाथकी परम्पराके निग्रन्ध श्रमण केसी कुमार ये उनकी ख्याति सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अपने राजा पण्डी को उनके पास ले आया। राजा और केसी कुमारके बीचमें जो वार्तालाप हुआ वही इस उपांगमें प्रथित है। केसी कुमार ने यह प्रमाणित किया कि शरीरसे भिन्न आत्मा है। राजा पण्डी आत्माको नहीं मानता था। वह कहता है—मैंने एक चोरको मार डाला उसके टुकडे २ कर दिये। किन्तु मुझे तो उसमे आत्माका कोई चिन्ह तक नहीं मिला। केसी उत्तर देते हैं कि तुम्हारा यह कर्म उस मनुष्यकी तरह ही है जो आगके लिये लकड़ियोंको तोड़ तोड़ कर देखता है। इत्यादि, इस पर मलयगिरि की टीका है।

३-जीवाभिगम नामक तीसरे उपांगमे गौतम इन्द्रभूतिके प्रश्न और भगवान महावीरके उत्तरके रूपमे जीव, अजीव और जम्बूद्वीप सम्बन्धी क्षेत्र पर्वतों आदिका विस्तारसे वर्णन है। जिस भागमे द्वीप-सागर वगैरहका वर्णन है वह जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिसे सम्बन्ध रखता है। उद्धरणोंकी भी बहुतायत है। इस पर मलयगिरिकी टीका है।

४ चौथा उपांग पन्नवणा अथवा प्रज्ञापना है। इसमें जीव की विभिन्न दशाओं का वर्णन है। यह छत्तीस पदोंमें विभाजित है, जिनमेंसे अनेकमे दोसे लेकर छै तक उद्देशक हैं। ग्रन्थके अन्त की चार गाथओंमे छत्तीस पदोंके नाम दिये हैं। उन ३६ पदोंमेंसे पहले, तीसरे, पांचवे, दसवें और तेरहवें पदोंमे जीव

और अजीव की, सोलहवें और चाईसवें पदोंमें आस्रवकी, तेईसवें पदमें बन्धकी, तथा छत्तिसवें पदमें केवलि समुद्घात की चर्चा करते हुए सवर निर्जरा और मोक्ष की प्ररूपणा है। ग्रन्थ का आरम्भ पञ्च नमस्कार मंत्रसे होता है। उसके पश्चात् 'एसो पच णमोयारो' आदि पद्य है जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें वज्रस्वामीका माना जाता है। उसके बाद नौ कारिकाओंसे ग्रन्थ का आरम्भ होता है। डा० जेकावी इन गाथाओंको देवर्द्धि गणि की कृति बतलाते थे। इन गाथाओंमेंसे पहली गाथामें भगवान महावीर का स्तवन है, दूसरीमें 'परणवणा' का और तीसरी चौथी गाथाओंमें उसके कर्ता श्यामार्य का।

उनमें श्यामार्यको तेईसवा धीरपुरुष बतलाया है। टीकाकार मलयगिरिके अनुसार श्यामार्य सुधर्माके बाद तेईसवें थे। किन्तु तपागच्छकी पट्टावलीमें नौवें सुस्थितके समकालीन महागिरिके शिष्य बलिस्सह और बलिस्सहके शिष्य सूत्रकार स्वाति और उनके शिष्य श्यामाचार्यको श्यामार्य बतलाया है। नन्दीसूत्र और मेरुतुंगकी प्राचीन स्थविरावलियोंमें वीर भगवान्के बाद श्यामार्यका नम्बर तेरहवा है। अतः तेईसवीं सख्या घटित नहीं होती। किन्हींका ऐसा भी सुझाव रहा है कि भगवान महावीरसे गणना करते समय उनके ग्यारह गणधरोको भी सम्मिलित कर लेनेसे श्यामार्यका नम्बर तेईसवा आ जाता है। किन्तु अन्यत्र कहीं भी पट्टधरोकी गणनामें ग्यारह गणधरोको सम्मिलित नहीं किया गया। अस्तु

इस पर भी मलयगिरिकी टीका संस्कृत में हैं।

१—इ० ए०, जि० २०, पृ० ३७३। २ हि० इ० लि०, जि० २, पृ० ४५७।

५ पाचवा उपाग सूर्यप्रज्ञप्ति है । इसमें बीस प्राभृत हैं जिनमें सूर्यके मण्डल, परिभ्रमण, गति, दिनमान, हानिवृद्धि, प्रकाश संख्या, वर्षका आरम्भ और अंत, वर्षके भेद, चन्द्रमाकी हानि वृद्धि, चन्द्र सूर्य आदिकी ऊँचाई, विस्तार आदिका कथन है । इस ग्रन्थमें सूर्य और चन्द्र दोनोंका कथन है । अतः डा० विन्टरनीट्स^३का कथन है कि चूंकि इसका विभाग प्राभृतोंमें है और प्राभृत दृष्टिवादके अन्तर्गत थे, अतः दिग्म्वर साहित्यमें जो सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और चन्द्रप्रज्ञप्तिको दृष्टिवादका भेद माना है वह उचित है । स्थानाग ४-१में इन्हें अगवाह्य कहा है ।

६ छठा उपांग जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है—इसमें जम्बूद्वीपका वर्णन है इसका सम्बन्ध जैन भूगोलसे है । किन्तु भारतवर्ष का वर्णन करते हुए राजा भरतकी कथाने ग्रन्थका बहुत सा भाग ले लिया है ।

७ सातवां उपांग चन्द्र प्रज्ञप्ति है । इसमें चन्द्र सम्बन्धी बातोंका वर्णन है यह सूर्यप्रज्ञप्तिसे मिलता जुलता हुआ है ।

८ आठवा अंग कल्पिका या निरयावलियाओं है । 'निरया-वलियाओं' का अर्थ है—'नरकोंकी पक्ति' । इसमें बतलाया है कि चम्पा नगरीके राजा कुणिकके अथवा अजात शत्रुके दस भाई युद्धमें वैशाली नरेश चेटकके द्वारा मारे गये और मरकर नरकोंमें गये ।

९ नौवा उपांग कल्पावतसिका है । इसमें राजा श्रेणिकके दस पौत्रोंकी कथाएँ हैं जो दीक्षा धारण करके मरकर विभिन्न स्वर्गोंमें गये । प्रत्येकका कथन एक-एक अध्ययनमें होनेसे इसमें दस अध्ययन है ।

१० दसवां उपांग पुष्पिका है। इसमें भी दस अध्ययन हैं। इसमें बतलाया है कि दस देवी-देवता पुष्पक विमान में बैठ कर महावीर भगवानकी वन्दना करनेके लिये आते हैं। वहां भगवान गौतम गणधरसे उनके पूर्वभव कहते हैं।

११ ग्यारवा उपांग पुष्पचूलिका है। इसमें भी दस अध्ययन है। इसमें भी पुष्पिका की तरह श्री ह्रीं आदि दस देवियोंके पूर्व भवोंके वृत्तान्त हैं।

१२ बारहवां उपांग वृष्णिदशा है। इसमें बारह अध्ययन है। जिनमें अरिष्ट नेमि तीर्थङ्करसे दीक्षा लेने वाले वृष्णिवश के बारह राज कुमारों की कथाएं हैं। प्रथम अध्ययनमें बलदेव के पुत्र और कृष्णके भतीजे निषद कुमार की कथा है।

न ८ से १२ तकके उपांगो को निरयावलि सूत्र कहते हैं। (डा०^१ विन्टर नीट्ज़ का अनुमान है कि यह मूलतः एक ही ग्रन्थ था और उसके पांच विभाग थे। सम्भव तथा उपांगो की संख्या बारह करनेके लिये उसके पांच विभागों को पांच ग्रन्थों का रूप दे दिया गया)।

यहां यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि बारह अंगों के साथ इन बारह उपांगो का कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों की विषय तालिकाओंके देखनेसे ही यह बात स्पष्ट हो जाती है।

छे छेद सूत्र

छेद सूत्रोंका अन्तर्भाव कालिक श्रुत में किया गया है तथा चारअनुयोगों में से चरणकरणानुयोग में। स्पष्ट है कि छेद सूत्रों का विषय मुनियोंके आचार से सम्बद्ध है।

प्रथम छेद सूत्र निशीथ है। कहा गया है कि प्रस्तुत सूत्र प्रारम्भ में भी ऐसा ही पृथक् था जैसा आज है। किन्तु पश्चात् प्रथम आचाराग में मिल गया और पुन उससे पृथक् हो गया। इसमें बीस उद्देशक हैं। उनमें बतलाया है कि करने, कराने और अनुमोदनासे साधु प्रायश्चित्तका भागी होता है। अन्तिम उद्देशकमें मासिक, चातुर्मासिक आदि प्रायश्चित्तोंका और उनकी विधि बतलाई है। विन्टर नोट्स इसे अर्धाचीन बतलाते हैं।

दूसरा छेद महानिशीथ है। नन्दिसूत्र वगैरहमें अनग प्रविष्टमें इसका नाम आता है। इसका आरम्भ अंगोंकी तरह-‘सुयं मे आउसं तेनं भगवया एवं आक् वायं’ (आयुष्मन्. मैने सुना उन भगवानने ऐसा कहा) वाक्यसे होता है और प्रत्येक अध्ययन ‘ति वेमि’ के साथ समाप्त होता है। श्री वेबर^२ का कहना था कि इसके सिवाय अन्य कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे इसे प्राचीन कहा जा सके। इसके छोटे अध्ययनमें ‘दसपुंवी’का निर्देश है। अतः इसकी रचना अन्तिम दस पूर्वी वज्र स्वामीके पश्चात् होनी चाहिये।

कहा जाता है कि मूल महा निशीथ सूत्र तो नष्ट हो गया। हरिभद्रसूरि ने उसका फिरसे उद्धार किया। वर्तमान महानिशीथ सूत्रमें आलोचना और प्रायश्चित्तका वर्णन है। व्रतभगसे

१ ‘ज च महाकप्पसुय जाणिय सेसाणि छेदसुत्ताणि । चरणकरणाणुओगोत्ति कालियत्थे उवगयाणि ।’ ७७७ । आव० नि० । वि० भा० गा० २२६५ । २—इ ए जि २१, पृ० १८५ । हि. इ लि. (विन्ट.) जि २, पृ ४६५ ।

खासकर ब्रह्मचर्यव्रतके भंगसे कितना दुःख उठाना पडता है यह बतलाकर कर्म सिद्धान्त को सिद्ध किया है। इसमें तांत्रिक कथनों का तथा आगमेतर ग्रन्थों का निर्देश होनेसे यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ अर्वाचीन है। 'कहीं कहीं इसे छठा छेद सूत्र भी बतलाया है। इस पर केवल चूर्ण है, कोई टीका नहीं है।

तीसरा छेद सूत्र व्यवहार है। आवश्यक सूत्रके अनुसार दसा, कप्प, व्यवहार एक श्रुत स्कन्ध है और उसका नाम 'दसा कप्प व्यवहार' है। इसमें व्यवहारको कल्पके बाद रखा गया है। किन्तु रत्नसागरमें व्यवहारको छेद सूत्रोमे सर्वोपरि बतलाया है। इसमे दस उद्देशक हैं। पहले उद्देशकमें बतलाया है कि आलोचना करने वाला और आलोचना सुनने वाला साधु कैसा होना चाहिये। तथा आलोचना किस भावसे करनी चाहिये और उसका क्या प्रायश्चित्त देना चाहिये। दूसरेमे बतलाया है कि एक सवके दो साधु साथ-साथ विहार करें और दोनों को दोष लगे तो एक तपश्चर्या करे, दूसरा उसकी वैयावृत्य करे। फिर दूसरा तपश्चर्या करे और पहला वैयावृत्य करे। इसी तरह यदि अनेक साधु साथ २ विहार करते हों तो जिसको दोष लगे वह तपश्चरण करे। किन्तु बिना कारण किसी तपस्वीसे अपनी वैयावृत्य नहीं कराना चाहिये। इत्यादि अनेक बातोंका कथन है। तीसरे उद्देशकमें बतलाया है कि गणी पद किसे देना चाहिये। चौथेमें बतलाया है कि किस रीतिसे विहार करना चाहिये और कैसे चतुर्मास करना चाहिये। पांचवेमें साध्विओं के विहार तथा चतुर्मासकी रीति बतलाई है। छठेमें साधुकी भिजा, वसति आदि सम्बन्धी दोषोंके प्रायश्चित्तका विधान है।

सातवेंमें साध्वियोंके लिये नियम स्वाध्याय आदिका विधान है। आठवेंमें बतलाया है कि साधुको गृहस्थकी आज्ञा लेकर ही उसके मकानमें ठहरना तथा उसके पटा आदिका व्यवहार करना चाहिये। भिक्षाके लिये जाते समय किसी साधुको किसी साधुका कोई उपकरण पड़ा मिले तो पूछकर जिसका हो उसको दे दे। तथा भोजन कितना करना चाहिये, आदि बातोंका कथन है। नौवें उद्देशकमें शय्यातरका अधिकार है। जो गृहस्थ साधुको अपना मकान ठहरनेके लिये देता है उसे शय्यातर कहते हैं। उसका तथा उसके दास-दासियों तकका भोजन न करनेकी मर्यादा आदिका वर्णन है। दसवेंमें प्रतिमा, परिषद् व्यवहार आदि अनेक विषयोंका तथा अमुक अमुक आगमकी शिक्षा कब देना चाहिये, आदि बातोंका कथन है। मूल ग्रन्थ गद्यमें है। उसपर प्राकृत गाथाओंमें भाष्य है। उस पर मलयगिरिकी टीका है।

चौथे छेद सूत्र दसा श्रुतस्कन्धमें दस अध्ययन हैं। तीसरे स्थानागके दसवें स्थानमें आचार दसाओं'नामसे इसका उल्लेख है तथा उसमें उसके दस अध्ययनोंके जो नाम दिये हैं वे ही नाम वर्तमान अध्ययनोंके भी हैं। इससे श्री^१ वेबर इसे प्राचीन मानते थे। प्रथम सात दशा 'सुयं मे आउसं तेनं भगवया एवं आक्खायं' वाक्यसे आरम्भ होती हैं और 'त्ति वेमि'के साथ समाप्त होती हैं।

पहली दशामें असमाधिके बीस स्थानोंका कथन है। दूसरीमें अशक्ति लाने वाले इक्कीस सबल दोषोंका कथन है। तीसरीमें गुरुकी ३३ असादनाओंका चौथी दशामें आचार्यकी आठ सम्पदाओंका, पाचवे अध्ययनमें चित्त समाधिके दस स्थानोंका,

छठेमे श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका, और सातवोंमें बारह भिक्खु प्रतिमाओंका कथन है ।

इसका आठवाँ अध्ययन कल्पसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें महावीर भगवान का वर्णन है । नौवें अध्ययन में मोहनीय कर्म के तीस बन्ध स्थानोंका वर्णन है और दसवें में बतलाया है कि श्रेणिकने चलनाके साथ महावीर भगवानके एक साधुके मुखसे क्या सुना ?

यतः कल्पसूत्र एक स्वतंत्र ग्रन्थके रूपमें श्वेताम्बर सम्प्रदाय में बहुमान्य ग्रन्थ है अतः उसके सम्बन्धमें कुछ विशेष प्रकाश डालना आवश्यक है ।

इसके तीन भाग हैं । श्री वेबरके अनुसार प्रथममें भगवान महावीरका इतिवृत्त है, दूसरे भागमें उनके पूर्ववर्ती २३ तीर्थङ्करो का वर्णन है और तीसरे भागमें स्थविरावली है । और डा० त्रिटरनिट्सके अनुसार पहले भागमें जिन चरित दूसरे भागमें स्थविरावली और तीसरे भागमें सामाचारी है । इन तीन भागों को मिलाकर कल्पसूत्र नाम दिया गया है । कल्पसूत्रका मुख्य भाग भगवान् महावीरका जीवनवृत्त है जो बहुत विस्तारसे काव्य शैलीमें निबद्ध किया गया है । उसे पढ़ते समय बौद्ध-ग्रंथ ललित विस्तराका स्मरण आ जाता है । ललित विस्तरामें बुद्धके जन्मादिका जैसा वर्णन है, कल्प सूत्र में प्रतिपादित महावीरके जन्मादिका वर्णन उससे बहुत कुछ मिलता हुआ है । उदाहरणके लिए यहाँ दोनोंसे अनुदित करके एक प्रसंग दिया जाता है ।

कल्पसूत्र

१ ऐसा न कभी हुआ, न होता है, न होगा कि अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव अथवा वासुदेव अन्त कुलो मे, प्रान्त कुलो में, तुच्छ कुलो मे दरिद्र कुलो मे, कृपण कुलो में, भिक्षुक कुलो मे और ब्राह्मण कुलों मे जन्मे थे, जन्में है या जन्मेगे। अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव या वासुदेव उग्रकुल मे, भोगकुल मे, राजन्य कुल मे क्षत्रिय कुल में, हरिवंश कुल में अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कुल में जन्में थे, जन्में हैं और जन्मेगे।

ललित विस्तरा

१ बोधि सत्त्व चाण्डाल कुल, वेणु कार कुल, रथकार कुल, पुकस कुल जैसे हीन कुलो में जन्म नहीं लेते। वे या तां ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं या क्षत्रिय कुल मे। जब लोक ब्राह्मण प्रधान होता है तो ब्राह्मण कुल मे जन्म लेते हैं और जब लोक क्षत्रिय प्रधान होता है तब क्षत्रिय कुलमे जन्म लेते हैं (पृ० २१)

महावीरके गर्भ परिवर्तन तथा जन्मका वर्णन आचाराग सूत्रसे मिलता है। भ० महावीरके चरित्रके पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथ और नेमिनाथका संक्षिप्त चरित है, जिसमें उनके पञ्च कल्याणकों का निर्देश है। नेमिनाथसे लेकर अजित नाथ पर्यन्त का केवल अन्तर काल मात्र बतलाया है। किन्तु ऋषभ देवके पञ्च कल्याणकोंका निर्देश किया है।

स्थविरावलीमें देवर्द्धि गणि तक स्थविरोका निर्देश है। अतः यह स्पष्ट है कि श्रुत केवली भद्रबाहु उसके रचयिता नहीं हो

सकते । भगवान महावीरके ६८० वर्ष पश्चात् पुस्तक वाचनाका उल्लेख होनेसे भी उसका समर्थन होता है । अतः श्री वेबर^१ का विश्वास था कि कल्पसूत्रका मुख्य भाग देवर्द्धि गणिके द्वारा रचा गया है । उनका यह भी कहना था कि यथार्थ में कल्पसूत्र अथवा उसका वर्तमान आभ्यन्तर भाग 'कल्पसूत्र' कहे जानेका दावा नहीं रखता, क्योंकि उसकी विषय सूचीके साथ उसका कोई मेल नहीं खाता । 'दसात्रो' के आठवे अध्ययन पर्युषणा कल्पके साथ उसका मेल होनेके बाद उसे वह नाम दिया गया है ।

कल्पसूत्रपर सबसे प्राचीन टीका जिन प्रभ सूरिकी है जिसका नाम 'सन्देह विषौषधि' है । १३०७ई०में उसकी रचना हुई है । उसीके प्रारम्भ में उसे कल्पसूत्र नाम दिया हुआ है । कल्पसूत्रका अन्तिम भाग पर्युषणा है । डा० विन्टर नीट्स^२ ने इसे कल्पसूत्रका प्राचीनतम भाग होनेकी संभावना व्यक्त की है । अपने इस अनुमानकी पुष्टि में उनका कहना है कि कल्पसूत्रका पूरा नाम वाक्ष्त्व में पर्युषणा कल्प है । और यह नाम इस अन्तिम भागके लिये ही उपयुक्त हो सकता है । आज भी श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व में इसका पाठ होता है । उनका यह भी कहना है कि परम्पराके अनुसार जिन चरित्र, स्थविरावली और सामाचारी कल्पसूत्रके नामसे मूल आगमों में सम्मिलित नहीं थे । देवर्द्धि गणि ने उन्हें आगमों में सम्मिलित किया, यह परम्परा कथन बहुत करके ठीक प्रतीत होता है ।

१-इ० ए० जि० २१, पृ० २१२-२१३ । २-हि० इ० लि०, जि० २, पृ० ४६३-४६४ ।

पाँचवा छेदसूत्र वृहत्कल्पसूत्र है। कोई^१ इसे दूसरा छेद सूत्र मानते हैं। साधु और साध्वियों के आचार का यह एक प्रमुख और प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें छै उद्देशक है, जिनमें निषेध परक नियमों का 'न कप्पई' करके और विधिपरक नियमों का कप्पई, करके निर्देश है। प्राकृत गाथाओंमें सूत्रों पर विस्तृत भाष्य होनेसे इसे कल्पभाष्य भी कहते हैं। भाष्यमें विविध विषयों का अच्छा संग्रह है।

एक सूत्र^२में कहा है कि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को पूरव में अंग-मगध तक, दक्षिणमें कौशाम्बी तक, पश्चिममें स्थूणा नगरी तक और उत्तरमें कुणाला नगरी तक ही जाना चाहिये। इतना ही आर्य क्षेत्र है उससे बाहर नहीं जाना चाहिये, उसके बाहर ज्ञान, दर्शन और चरित्र उत्पन्न नहीं होते।

आर्य देश की यह मर्यादा और निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को उसी में विहार करनेका आदेश अन्वेषण की दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है।

डा० विन्टर नीट्स^३ व्यवहार सूत्र नामक छेद सूत्र को वृहत्कल्प सूत्र का पूरक मानते हैं। उनका कहना है कि कल्पसूत्र दण्डके उत्तर दायित्व का शिक्षण देता है और व्यवहार सूत्र अमुक दोषके लिये अमुक दण्ड का विधान करता है।

१—जै० सा० इ० (गु०), पृ० ७७ ।

२—'कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा पुरत्थिमेण जाव अंग मगहाओ एत्तए, दक्खिणेण जाव कोसवीओ, पच्चत्थिमेण जाव थूणाविसयाओ, उत्तरेण जाव कुणाला विसयाओ एत्तए । एत्ताव ताव कप्पइ एत्ताव ताव आरिए खेते । णोसे कप्पइ एत्तो वाहिं । तेण पर नत्थ नाण दसण चरित्ताः उस्पप्पति त्ति वेमि ॥ ५० ॥

३—हि० इ० लि०, जि० २, पृ० ४६४ ।

छठा छेदसूत्र पंचकल्प मूलरूपमें उपलब्ध नहीं है। विचारामृतसंग्रह के अनुसार पंचकल्प सघदास वाचक की कृति है। रत्न सागरमें जीतकल्प को छठा छेदसूत्र लिखा है। यह जिनभद्रगणि क्षमा श्रमण की कृति है। इसमें जैन श्रमणोंके आचारका तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है।

चार मूल सूत्र

श्री वेबर^१ और विन्टर नीट्सने उत्तराध्ययन को प्रथम मूलसूत्र वतलाया है। उत्तराध्ययन वगैरह को क्यों मूलसूत्र कहा गया है यह स्पष्ट नहीं होता। 'मूल' शब्द का व्यवहार टीकाके आधार भूत ग्रन्थके लिये होता है। यत इन सूत्र ग्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण प्राचीन टीकाएँ उपलब्ध हैं इस लिये उन्हें मूल सूत्र कहा जाता था ऐसा डा० विन्टर नीट्स^२ का मत है। चार्पेन्टियर ने उत्तराध्ययन सूत्र की प्रस्तावनामें मूलसूत्र का अनुवाद किया है—'स्वय महावीरके शब्द' जो किसी भी तरह उचित प्रतीत नहीं होता। शुत्रिंग की राय थी कि जो आध्यात्मिक पथके मूल अर्थात् शुरुमें स्थित हैं उनके लिये जो सूत्र थे उन्हें मूलसूत्र कहा गया था। श्री वेबर कहना था कि इन ग्रन्थों का यह नाम काफी अर्वाचीन है और मूल सूत्र का मतलब 'सूत्र से अधिक कुछ भी नहीं है। किन्तु ये सूत्रग्रन्थ गद्यसूत्र रूप नहीं हैं, किन्तु पद्योंमें हैं। उनमें उत्तराध्ययन और दशवैकालिक विशेष प्राचीन है।

१ आवश्यक—इस सूत्रमें छै अध्याय है। उनमें सामायिक,

१—इ० ए० जि० २१, पृ० ३०६।

२—हि० इ० लि०, पृ० ४६६ का टि० १।

चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान इन छै आवश्यकों का कथन है। जिन क्रियाओं का प्रति दिन करना आवश्यक है उनका प्रतिपादन करनेसे इस ग्रन्थ का नाम आवश्यक सूत्र पडा है। दिगम्बर परम्परामे भी ये छै आवश्यक मान्य हैं और अग बाह्यके भेदोंमें उनकी गणना पृथक् पृथक् की गई है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमे उन छहोंके सकलन को आवश्यक नाम दिया गया है। इसके रचयिताके विषयमे कोई उल्लेख नहीं मिलता। आवश्यक सूत्र पर आवश्यक निर्युक्ति नामक व्याख्या है जिसे भद्रबाहु रचित माना जाता है। आवश्यक निर्युक्तिके साथ ही आवश्यक सूत्र का प्रकाशन हुआ है। और उस पर मलय गिरि की टीका है। निर्युक्तिके सिवाय उस पर दो प्राचीन टीकाएँ और भी है—एक चूर्णि और एक हरिभद्रीय आवश्यक वृत्ति।

२ दशवैकालिक—विकालमें भी पढा जा सकनेके कारण इसे वैकालिक कहा जाता है और इसमें दस अध्ययन हैं इस लिये इसे दसवैकालिक कहते हैं। पहले अभ्ययन का नाम द्रुम पुष्पिका है। जैसे द्रुमके फूल को हानि पहुँचाए बिना भौरा उसका रस चूस लेता है वैसे ही जैन श्रमण प्रवृत्ति करता है। इसमें धर्म की प्रशंसा की गई है। दूसरे श्रामण्यपूर्विका अध्ययनमें नये प्रव्रजित श्रमण को धैर्य पूर्णक प्रवृत्ति करनेका सन्देश दिया गया है। तीसरे लुल्लिकाचारकथा नामक अध्ययनमें लघु आचार कथा है और आत्म सयम को उसका उपाय बतलाया है। चौथे षट्जीवनिका नामक अध्ययनमें आचार का सम्बन्ध छै कायके जीवोंसे होनेके कारण अन्य जीवों की रक्षा का कथन

है। पाचवे पिण्डैपणा नामक अध्ययनमें भिक्षा शुद्धि का कथन है। छठे महाचारकथा नामक अध्ययनमें महाजनोके योग्य महान आचार का कथन है। सातवे वचनविशुद्धि नामक अध्ययनमें निर्दोषवचन का विधान है। आठवें आचार प्रणिधि नामक अध्ययनमें आचारमें प्रणिहित-दत्तचित्त होने का विधान है। नौवें विनय समाधि नामक अध्ययनमें विनय सम्पन्न होने का विधान है। दसवें सभिन्नु अध्ययनमें कहा है कि जो भिक्षु नवों अध्ययनमें प्रतिपादित विधानों का प्रतिपालक है वही सच्चा भिक्षु है। इन दस अध्ययनोके सिवाय दो अध्ययन और हैं जिन्हें चूलिका कहा जाता है। उनमेंसे प्रथम का नाम रतिवाक्य है। यह साधु को समयमें स्थिर करनेके लिये है। और दूसरेमें अनियत चर्या का विधान है।

विधिमार्गप्रपा^१में दशवैकालिकके बारह अध्ययन बतलाये हैं। दोनो अन्तिम अध्ययनों को भी दसके साथ गिना है। किन्तु दशवैकालिक^२ निर्युक्तमें दस अध्ययनो का विधान करके अन्तिम दो अध्ययनों को चूलिका बतलाया है। इस ग्रन्थ पर भी एक निर्युक्ति है जिसे भद्रबाहुरचित माना जाता है। उसमें लिखा^३ है कि दश वैकालिक का चौथा अध्ययन आत्मप्रवाद पूर्वसे, पाचवा अध्ययन कर्मप्रवाद पूर्वसे और सातवा अध्ययन सत्यप्रवादपूर्वसे उद्धृत किया गया है तथा शेष अध्ययन नौवे प्रत्याख्यान पूर्वके तीसरे वस्तु अधिकारसे उद्धृत किये गये हैं। उसीमें दूसरा मत यह भी दिया है कि दशवैकालिक का उद्धार द्वादशांगरूप गणितकसे किया गया है।

इसी निर्युक्ति^१ में आचार्य शय्यंभव को दशवैकालिक का रचयिता बतलाया है। यह शय्यंभव जिनप्रतिमा दर्शनसे प्रतिबुद्ध हुए थे और जब इन्होंने गृहत्याग किया इनकी स्त्री गर्भवती थी। उसके मनक नामक पुत्र हुआ। आठ वर्ष का होने पर मनकने अपनी मातासे अपने पिता का समाचार पूछा। यह ज्ञात होने पर कि पिता साधु होगये हैं, मनक उनकी खाजमे निकला और उनका शिष्य बन गया। पिताने जाना कि उसके पुत्र की आयु केवल छै मास बाकी है। उसने उसके लिये दशवैकालिक का उद्धार किया।

इसमे तो सन्देह नहीं कि दशवैकालिक प्राचीन है और दिग्म्बर सम्प्रदायमे भी उसकी मान्यता रही है। किन्तु उसका प्राचीन रूप यही था या भिन्न, यह अन्वेषणीय है। यापनीय सघके अपराजित^२ सूरिने भी उसपर एक टीका रची थी।

उत्तराध्ययन—‘उत्तर’ शब्दके दो अर्थ होते हैं—‘पश्चात्’ और जवाब। उत्तराध्ययन निर्युक्तिके अनुसार इसका अध्ययन-पठन आचारांगके पश्चात् होता था इसलिये इसे उत्तराध्ययन कहते हैं। दूसरी परम्पराके अनुसार भगवान महावीरने अपने निर्वाणसे पूर्व अन्तिम वर्षावासमें छत्तीस प्रश्नों का उत्तर दिया था, उत्तराध्ययन उसीका सूचक है।

इसमें छत्तीस अध्ययन हैं। चौथे अंगमें इनके नाम आये हैं।

४—‘मण्णं पडुच्च सेज्जभवेण निज्जूहिया दसऽज्जभयणा । वेया-
लियाइ ठविया तम्हा दसकालियं नाम ॥१५॥’—दश० नि० ।

५—‘दशवैकालिकटीकाया श्री विजयोदयाया प्रपञ्चिता उद्गमादि
दोषा इति नेह प्रतन्यते ।’—भ० आ०, गा० ११६७ टी० ।

और वे वर्तमान उत्तराध्ययनके अध्ययनोंके नामोंसे प्रायः मिलते हैं। डा० विन्टरनीट्स^१ का कहना है कि 'वर्तमान उत्तराध्ययन अनेक प्रकरणों का एक संकलन है और वे प्रकरण विभिन्न समयोंमें रचे गये थे। उसका प्राचीनतम भाग वे मूल्यवान पद्य हैं जो प्राचीन भारत की श्रमणकाव्य शैलीसे सम्बद्ध हैं और जिनके सदृश पद्य अंशतः बौद्ध^२ साहित्यमें भी पाये जाते हैं। ये पद्य हमें बलात् सुत्तनिपातके पद्योंका स्मरण करादेते हैं।'

विनय नामक प्रथम अध्ययनमें 'बुद्ध' शब्द आता है। यथा 'कठोर अथवा मिष्ट वचनसे मुझे बुद्ध जो शिक्षा देते हैं, अपना लाभ मानकर उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये^३॥' इस

१—हि. इ. लि, भा २ पृ० ४६६-६७।

२—यहाँ उदाहरणके लिये उत्तराध्ययनसे तथा बौद्ध धम्मपदसे दो उद्धरण दिये जाते हैं।

मासे मासे उ जो बालो कुसग्गेणं तु भुंजए।

ण सो सुअक्खायधम्मस्स कलं अग्घइ सोलसि ॥ ४४ ॥

—उत्त० अ० ६, ।

मासे मासे कुसग्गेण वालो भुजेय भोजनं।

न सो सखतधम्मनं कल अग्घति सोलसिं ॥ ११ ॥—धम्म० बालग्य

जहा पोम्म जले जाय नोवलिप्पइ वारिणा।

एव अलिच्चं कामेहि त वय बूम माहण ॥ २७ ॥ उत्त०, अ० २५।

वारि पोक्खरपत्ते व आरग्गेरिव सासयो।

यो न लिम्पति कामेसु तमह बूमि ब्राह्मणं ॥ १६ ॥

—धम्म०, ब्राह्मणवग्ग।

३—जं में बुद्धाणुसासति सीएण फरुसेण वा। मम लाभु च्चि पेहाए पयओ तं पडिस्सुणे ॥ १७ ॥

अध्ययनमें दत्त उपदेश गृह्यमाही हैं। परीपट नामक दृमरा अध्ययन 'सुच मे आउसं' तंग भगवया एयमस्त्यायं' वास्यसे प्रारम्भ होता है। इसमें चारिस परीपटों का कथन पद्यमें है। वृण परीपट का वर्णन करते हुए लिखा है—'अचेल, रुन, नपस्व्या संयमी वृणो पर सोता इ' अतः इसके शरीर का विदारण होता है। तथा घाम का भा कष्ट होना है। किन्तु वृणपरीपटमें पीड़ित होने पर भी माधु वस्यगृहण नहीं करते ॥ तीसरे पनुरङ्गीय अध्ययनमें चार वस्तुओं को उत्तरोत्तर दुर्लभ बतलाया है। प्रथम नरजन्म, दूसरे भर्मभक्षण, तीसरे भ्रता और चौथे अपर्ना शक्ति को संयममें लगाना।

चोथे असस्कन नामक अध्ययन में कहा है कि जीवन असस्करणीय है इसे बढ़ाया नहीं जा सकता और गृदावस्था आने पर रक्षाका कोई उपाय नहीं है अतः प्रमाद मत करो। पाँचवे अकाममरण नामक अध्ययन में अकाम मरण और सकाम मरणका वर्णन है। छठे लुल्लक निग्रन्थीय नामक अध्ययन में साधुके सामान्य आचारका कथन है। अन्तिम वास्य में कहा है कि 'अनुत्तर ज्ञान दर्शनके धारी शारुपुत्र भगवान वैशालिक (विशालाके पुत्र महावीर) ने ऐसा कहा।

सातवें औरभीय नामक अध्ययन में पाँच दृष्टान्तोंके द्वारा निग्रन्थोका उद्बोधन किया गया है। वे पाँच दृष्टान्त हैं—मेढा, काकिनी, आम्र फल, व्यापार और समुद्र। आठवें कापिलीय

१—गा० ३४-३५। २—एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदसी अणुत्तरनाणदखणधरे अरहा नायपुत्ते भगव वैसालीए वियाटिए । १८ ॥ चि वेमि ।

नामक अध्ययन में कपिल मुनिने केवल ज्ञानी होकर चोरोंको समझानेके लिए जो उपदेश दिया उसका संकलन है ।

नौवें नमि प्रब्रज्या नामक अध्ययनमे नमि नामक प्रत्येक-बुद्ध राजाकी दीक्षाका वर्णन है । मिथिलाका राजा नमि काम-भोगोंसे विरक्त होकर जिन दीक्षा लेता है और इन्द्र ब्राह्मणका रूप बनाकर उससे प्रश्न करता है । अन्तमें राजाके वैराग्य पूर्ण उत्तरोसे सन्तुष्ट होकर इन्द्र नमस्कार करके चला जाता है । मिथिलाका राजा नमि ऐतिहासिक व्यक्ति है । इसके विषयमें पहले लिख आये हैं । यह भगवान् पार्श्वनाथके कालमें हुआ था । दसवें द्रुम पत्रक नामक अध्ययनमे महावीर स्वामी गौतम गणधरसे कहते हैं कि 'जैसे वृक्षका पत्ता पीला होकर झड़ जाता है वैसे ही मानव जीवन है । अतः गौतम एक क्षणके लिये भा प्रमाद मत कर' । छत्तीस पद्योंमे से प्रत्येकका अन्तिम चरण 'समयं गोयम ! मा पमायए' है । सभी पद्य सुन्दर उपदेश-प्रद हैं ।

ग्यारहवें बहुश्रुत नामक अध्ययनके प्रारम्भिक पद्यमें कहा गया है कि 'सयोगसे मुक्त अनगार भिक्षुके आचारका कथन करूँगा उसे सुनो । बारहवें हरिकेशीय नामक अध्ययनमें हरिकेशी मुनिकी कथा है । हरिकेशी मुनि जन्ममे चाण्डाल था । एक दिन भिक्षाके लिए वह एक यज्ञ मण्डपमें चला गया । वहाँ ब्राह्मणोंसे उसका वार्तालाप हुआ । ब्राह्मणोंने उसे वहाँसे चला जानेके लिए कहा । वह नहीं गया तो कुछ तरुण विद्यार्थियोंने उसे मारा । तब यज्ञोंने उन कुमारोंको पाटा । पीछे हरिकेशीसे क्षमा याचना करने पर छोड़ा । चित्रसम्भूतीय नामक तेरहवें अध्ययन चित्र और सम्भूति नामक मुनियोंका वृत्तान्त है । चौदहवें

इषुकारीय अध्ययनमें बतलाया है कि एक ही विमानसे च्युत होकर छै जीवोंने अपने २ कर्मके अनुसार इषुकार नामक नगरमें जन्म लिया और जिनेन्द्रके मार्गको अपनाया। संभिक्षु नामक पन्द्रहवें अध्ययनमें भिक्षुका स्वरूप बतलाया है। प्रत्येक पद्यके अन्तमें 'स भिक्षू' (वह भिक्षु है) पद आता है। इसीसे इस अध्ययनका नाम संभिक्षु है। सोलहवें ब्रह्मचर्य समाधि नामक अध्ययनमें ब्रह्मचर्यके दस समाधि स्थानोंका कथन है। इ. का आरम्भ भी 'सुयं में आउस' आदि वाक्यसे होता है। दस सूत्रोंके द्वारा दस समाधियोंका कथन है। तत्पश्चात् श्लोकोंके द्वारा उन्हींका प्रतिपादन है। सतरहवें पापश्रमण नामक अध्ययन में पापाचारी श्रमणोंका स्वरूप बतलाया है। अठारहवें संयतीय अध्ययनमें सजय राजाकी कथा है। उन्नीसवें मृगापुत्रीय अध्ययनमें मृगापुत्रकी कथा है। बीसवें महा निर्ग्रन्थीय अध्ययन में एक मुनिकी कथा है। इक्कीसवें समुद्रपालीय अध्ययनमें समुद्र पालकी कथा है। बाईसवें रथनेमीय अध्ययनमें रथनेमिकी कथा है। रथनेमि नेमिनाथका छोटा भाई था। वह प्रव्रजित होगया था। एक दिन माध्वी राजुल वर्षासे त्रस्त होकर एक गुफामें चली गई और वस्त्र उतार कर सुखाने लगी। उसी गुफा में रथनेमि तपस्या करता था वह राजुलको देखकर उसपर आसक्त हो गया। राजुलने उसे सम्बोधकर सुमार्गमें लगाया।

तेईसवें केशिगौतमीय नामक अध्ययनमें पार्श्वनाथ परम्परा के केशी और गौतम गणधरके संवादका वर्णन है। पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकताके प्रकरणमें इसकी चर्चा आचुकी है। प्रवचनमाता नामक चौबीसवें अध्ययनमें पाँच समिति और तीन गुप्तियोंका कथन है इनको प्रवचनकी माता कहा गया है। पच्चीसवें यज्ञीय

अध्ययनमें जयघोषकी कथा है। विजयघोष नामक ब्राह्मण यज्ञ करता था। जयघोष मुनि भिक्षाके लिए पहुँचे। उसने भिक्षा नहीं दी। दोनोंका सवाद हुआ। जयघोषने कहा कि यज्ञोपवीत धारण करनेसे ही कोई ब्राह्मण नहीं होजाता और न वल्कल पहिनेसे तपस्वी ही होजाता है। सामाचारी नामक छठ्तीसवें अध्ययनमें साधुओंकी सामाचारीका कथन है। खलुङ्कीय नामक सत्ताईसवें अध्ययनमें गर्ग नामक मुनिकी कथा है। उसमें खलुङ्क-गलिया वैलका दृष्टान्त दिया है। अट्टाईसवें मोक्षमार्ग नामक अध्ययनमें मोक्षके मार्ग ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का वर्णन है। उनतीसवें सम्यक्त्व पराक्रम नामक अध्ययनमें सवेग, निर्वेद, धर्म श्रद्धा आदि तिहत्तर द्वारोंका कथन है। इसका आरंभ 'सुय में आउस' आदि वाक्यसे होता है। यह सूत्र-रूप है। आदि और अंतमें लिखा है कि भगवान महावीरने इसका कथन किया है। तीसवें तपोमार्ग नामक अध्ययनमें तपका वर्णन है। चरण विधि नामक इकतीसवें अध्ययनमें चारित्रकी विधिका कथन है। प्रमाद स्थान नामक वत्तीसवें अध्ययन में प्रमादका कथन है तथा राग द्वेष और मोह को दूर करनेके उपाय बतलाये हैं। कर्म प्रकृति नामक तेतीसवें अध्ययनमें कर्मोंके भेद प्रभेद तथा उनकी स्थिति बतलाई है। चौतीसवे लेश्या नामक अध्ययनमें छै लेश्याओं का स्वरूप बतलाया है। पैंतीसवे अनगार मार्ग नामक अध्ययनमें मन्त्रमें मुनिका मार्ग बतलाया है। छत्तीसवे जीवाजीवविभक्ति नामक अध्ययनमें जीव और अजीव द्रव्यों का कथन है।

इस तरहसे वर्तमान उत्तराध्ययन सूत्र विविध प्रकरणों का एक संग्रह जैसा है। न तो यह प्रश्नोत्तररूप ही है और न

आचाराग आदिके बाद ही पढ़ने योग्य है। यह एक उपदेशात्मक तथा कथात्मक संग्रह है जिसमें प्राचीनता की पुट है। इस पर भी एक निर्युक्ति है जिसे भद्रबाहु की कहा जाता है। एक चूर्ण है। और शान्ति सूरि तथा नेमिचन्द्र की संस्कृत टीकाएँ हैं। डा० हर्मन जेकोवीने इसका जर्मनीमें अनुवाद किया था। उसका अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट' नामक ग्रन्थ माला की ४५ वीं जिल्दमें सूत्रकृतांगके अनुवादके साथ प्रकाशित हुआ है।

पिण्ड निर्युक्ति या ओघ निर्युक्तिको चौथा मूलसूत्र माना जाता है। परम्परासे इन्हें भी भद्रबाहुकी कृति कहा जाता है। पिण्डका अर्थ भोजन है। अतः पिण्ड निर्युक्तिमें भोजन सम्बन्धी उद्गम, उत्पादन, एषणा आदिका कथन है। कहा जाता है कि दशवैकालिक सूत्रमें पिण्डैपणा नामक पाचवा अध्ययन है। उसी की निर्युक्तिको बड़ा हो जानेके कारण अलग करके पिण्ड निर्युक्ति नाम दे दिया गया। ओघनिर्युक्तिमें मुख्यरूपमें चरित्रका कथन है। इसमें चरण सत्तरी, प्रति लेखना आदि अनेक द्वार हैं।

दस पइत्रा

पइत्रा अथवा प्रकीर्ण फुटकर ग्रन्थ हैं। श्री विन्टर नीट्स इन्हे वेदोंके परिशिष्टोंकी तरह मानते हैं और उन्हीकी तरह ये पद्यबन्ध हैं तथा जैनधर्म सम्बन्धी विविध विषयोका इनमें वर्णन हैं। इनकी संख्या दस है।

१ चतु. शरण—इसमें बतलाया है कि अर्हन्त, सिद्ध, साधु और धर्म इन चारकी शरण लेनेसे पापको निन्दा और पुण्यका अनुमोदना होती है। इन चारोंका स्वरूप भी बतलाया है। इसमें

६३ गाथाएँ हैं। पहली गाथामें षडावश्यकका कथन है। इसका रचयिता वीरभद्रको कहा जाता है।

२ आतुर प्रत्याख्यान—में बाल मरण और पंडित मरणका स्वरूप समझते हुए पंडितको रोगावस्थामें क्या २ प्रत्याख्यान करना चाहिये, कैसे सम्बंधि मरण करना चाहिये आदिका कथन है।

३ भक्त परिज्ञा—मरणके तीन प्रकार हैं—भक्त परिज्ञा, इंगिनी और पादपोषगमन। भक्त परिज्ञाके दो प्रकार हैं—विचार पूर्वक और अविचार पूर्वक। भोजनके छोड़ देनेको भक्त परिज्ञा कहते हैं। इसमें भक्त परिज्ञा मरणकी विधिका निरूपण है। इसमें १७२ गाथा हैं।

४ संस्तारक—समाधि मरणके चिये प्रासुक चरणोंकी शय्या बनाई जाती है उसे सथरा कहते हैं। इसमें १२३ गाथाओंसे संथरेका कथन है।

५ तन्दुल वैचारिक—इसमें शरीरकी रचना आदि को लेकर भगवान महावीर और गौतमके बीचमें हुए संवादका वर्णन है। गद्य और पद्य मिश्रित है। इसमें बतलाया है कि जीव गर्भमें कितने दिन रहता है कैसे आहार ग्रहण करता है कैसे उसका शरीर बनता है। उसमें कितनी हड्डियां स्नायु वगैरह होते हैं। इसके नामके विषयमें टीकाकार विजय विमल गणि ने लिखा है कि सौ वर्षकी आयुवाले पुरुषके द्वारा प्रतिदिन खाये गये चावलोंकी संख्याके विचारसे उपलक्षित होनेके कारण इसे तन्दुल वैचारिक कहते हैं। इसकी गाथा संख्या १३६ है।

१... 'तन्दुलाना वर्षशतायुष्कपुरुषप्रतिदिनभोग्याना संख्याविचारोपलक्षितं तन्दुलवैचारिक नामेति ।'

६ चन्द्रवेध्यक—चन्द्रवेधके उदाहरणके द्वारा यह बतलाया है कि आत्माका ऐसा ही एकाम्र ध्यान करना चाहिये । उसीसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसमें १७४ गाथाएँ हैं ।

७ देवेन्द्रस्तव—३०७ गाथाओंके द्वारा देवेन्द्रोंका कथन है ।

८ गणिविद्या—८२२ गाथाओंके द्वारा ज्योतिषका कथन है ।

९ महा प्रत्याख्यान—१४२ गाथाओंके द्वारा महा प्रत्याख्यान का कथन है ।

१० वीरस्तव—२३ गाथाओं में महावीर भगवानके नामोकी गणना-स्तुतिरूप है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि दस पङ्क्तियोंकी तालिका अनिश्चित है । कोई देवेन्द्रस्तव और वीरस्तवको एक साथ लेते हैं तथा संस्तरकको नहीं लेते । उनके स्थान में वे गच्छाचार पङ्क्ती और मरण समाधिको गिनते हैं । गच्छाचार में साधु साधियोंके आचारका कथन है जो महानिशीथ और व्यवहार सूत्रसे लिया गया है । मरण समाधि में ६६३ गाथाओंके द्वारा समाधि मरणकी विधि आदि वर्णित है । इस में लिखा है कि मरण विशुद्धि, मरण समाधि, भक्त परिज्ञा, आतुर प्रत्याख्यान आदि ग्रन्थोंसे मरण समाधि ग्रन्थकी रचना की गई है ।

संक्षेप में यह श्वेताम्बरीय अंगवाह्य ग्रन्थोंका परिषय है । उक्त साहित्यके आधार पर जैनाचार्योंने जो साहित्य रचा उसका इतिहास आगे दिया जायगा । यह तो उसकी केवल पूर्व पीठिका है ।

२—डा० विन्टर० ने ३०० गाथा संख्या लिखी है ।

३—डा० विन्टर ने गाथा संख्या ८६ लिखी है—पृ० ४६१ ।

नाम सूची

[इस सूची में ग्रन्थ, ग्रन्थकार, सध, स्थल, क्षेत्र, राजा आचार्य आदि के नामों का समावेश किया गया है। यदि कहीं कोई नाम लगातार आया है तो वहाँ पृष्ठांक के बाद 'आदि' लिख दिया गया है। जिस पृष्ठांक के आगे टि. लिखा है उस पृष्ठ की टिप्पणी देखना चाहिये।]



अग चूलिका ५६३	अजय ३२८
अगुत्तर निकाय ४४१, ४४४	अजात शत्रु काशिराज १८८
अंतगडदसा ६४६	अजातशत्रु (कुणिक) १६१,
अकलक ४७७, ५७७, ५८८,	२३२, २३३, २३४, २८६, २८६,
५६३, ५६५, ५६७, ५६८ आदि	२६०, २६४, २६६, ३०१, ३०२
६०८, ६२४, ६३३, ६४४, ६७१,	३०५, ३११ से ३१६ तक, ३२२
६७२, ६७३, ६७४, ६७७	से ३२६ तक, ६५८, ६६२
अगस्त्य ४६ ।	अजितकेश कम्बली २१६, ४५३
अगस्त्य सिंह ५२७	अट्ट कथा ४८२, ५३७,
अग्रायणी पूर्व ६१०, ६१६, ६२७	अगुत्तरोववायदसा ६४६, ६६६,
अग्नि पुराण १२०, १२५	अत्रि ४६
अङ्ग ३२, १८५, २३७	अथर्व वेद ६, २५, २७, २६,
अङ्गिरस ४६	३२, ३३, ३४, ४०, ४८, ६३,
अज ३२८, ३३१	६१, ११०, १११, ११३, ११६
	११७, १७१, ५६४, ६०१

अनगार धर्मामृत ४३६, ४४०,
 अनुयोग द्वार सूत्र ५०६, ५४५,
 ५६०, ५६५, ५८१, ५८२, ६७५
 ६८३ से ६८७ तक
 अनुसूद्ध ३१४, ३२२, ३३४,
 ३३५ टि०

अन्तःकृद्दश ६६३
 अन्तगडदसात्रो ६६४
 अपराजित सूत्रि २४७, ३६५,
 ५२५, ७०४

अपराजित श्रुतकेवली ३३८,
 ३३९, ३४६, ४८६
 अफगानिस्तान १०, १३, ४५
 अभय कुमार गुह २०८ ।
 अभय देव ६३३, ६४६, ६५०,
 ६५१, ६६०, ६६२, ६६४, ६६५
 ६६६, ६६७, ६७०, ६८६
 अभय राजकुमार २६६, ३०५,
 ३२०, ३२४, ३२५, ३२६

अम्बरीश ६०३
 अम्ब लट्टिका २२८
 अम्बाला १४
 अयोध्या १६, १७६
 अरिष्ट नेमि ५, १६५, १७१
 अरुणोपपात ५६३

अर्धफालक सम्प्रदाय ३७७, ३७८,
 ३८१ आदि
 अलवेरुनी ३३३ टि०, ३३४ टि०
 अवदानकल्पलता ४७६
 अवन्ती २३७, २८८, ३२० से
 ३२६ तक, ३३२

अवन्ती वर्मा ४७८, ४७९
 अवेस्ता १६
 अशोक ३१६, ३४४, ३५२, ३५८
 ३६१, ४७०, ४७६, ५३६

अशोकावदान ५४२,
 अश्वपति ३१, ६६,
 अश्वसेन १८५
 अष्टाध्यायी ५६८
 असुर १६, २०, २१,
 अस्ति नास्ति प्रवाद ६२८
 आकाशगता चूलिका ६२७,
 आचारसार ४७७
 आचाराग २२२, २२५, २२६,
 २३६, ३८७, ३६७, ४१० आदि,
 ४४५, ४४६, ५२६, ५४५, ५६८
 ६३४, ६३५, ६५३, ६६४, ६६८,
 ७१०,
 आचाराङ्ग चूर्णि २४५
 आचाराङ्ग नियुक्ति ६३५

आचाराङ्ग वृत्ति ४१८
 आजीविक सम्प्रदाय ४३२, ४३४,
 ४३५, ४६२, ४६६, ५७०, ५८४,
 ६५८,
 आत्म प्रवाद पूर्व ६२६, ७०३,
 आदिपुराण १००, ३३६ टि०,
 आन्ध्र २१, ३१, ३२,
 आपस्तम्बीय धर्मसूत्र ७१, ८५,
 आर्यरक्षित ३८५, ४२२, ५०६,
 ५३४, ५५८, ५८०,
 आवश्यक कथा ४६७ टि०,
 आवश्यक चूर्णि ४११, ५४३,
 ७०२,
 आवश्यक टीका ५०६, ७०२,
 आवश्यक निर्युक्ति २४२, २४८,
 २५७, २५८, २७५, ३७४, ३८६,
 ५६०, ५६८, ५७६, ६२३, ६७६,
 ७०२,
 आवश्यक सूत्र ५६५, ५७८,
 ६६५, ७०१,
 आशाधर ४३६
 आशीविष भावना ५६३, ५६४
 आश्वलायन ४०, ४६, १४०,
 १६१, ५६५
 इक्ष्वाकु १५, १६, १७८, १७६,
 १८६, १६४,

इण्डियन एण्डिक्केरी २८५,
 २६७, ५२३, ५५६,
 इन्द्रनन्दि श्रुतावतार ३३८, ५२८
 इन्द्रभूति २७१ से २७४ तक,
 ५३३, ६७४, ६८८, ६६०,
 ईरान १०
 ईश उप० ५४, ८५, २०७,
 ईश्वरकृष्ण २१०, ५६६,
 उज्जैनी २३६, २५०, २६४,
 ३२०, ३२२, ३२६, ३२६, ३४२,
 ३४४, ३५१, ३६०, ३७५, ३७८,
 उड़ीसा ४८१,
 उत्कालिक श्रुत ५७६
 उत्तराध्ययन सूत्र १६३, १६४,
 २१६, २७२, २७६, ३६५, ४००,
 ४४४, ४४५, ५२३, ५२६,
 ६७७, ७०१, ७०४,
 उत्तराध्ययन चूर्णि ७१०
 उत्तराध्ययननिर्युक्ति ७०४, ७१०,
 उत्तराध्ययन सूत्र वृत्ति ४१८
 उत्थान श्रुत ५६३
 उत्पादपूर्व ६२७
 उदक पेढाल पुत्र ४६१, ६४३,
 उदयन ३२३, ३२४
 उदय भट्ट ३१४
 उदपी ३२२, ३२८, ३३१, ३३६,

उत्सर्ग २८६, २९६, ३१३, ३२०,
३०६, ३३२, ३३३

उत्पत्ताफ प्रणि ६१, ६६, ५६६,
उपदे- ५५ ५६० टि०,

उपनिषत् १०, २३, ५३, ५६,
५५, ५५, ६८, ७६, ८०, १३६,

१५१, १६३ आदि, २०३

उपासनाभ्ययन ६६२ आदि

उपासनादि ६७५ ।

उलूक ५६६,

उत्तासगदमा ६५६, ६६३,

मृष्टकेट ६, १०, १३, १६, १५,

१६, १७, १८, १९, २१, २२,

आदि, ३६, ३५, ३६, ५१, ६६,

५०, ५१, ६३, ७३, ७६, ७७,

८७, ९०, ९१, ९६, १०३, १०८,

११०, ११८, ११९, १२० १३१,

१७८, २०५, ५६५, ५६८, ५६९,

६०३,

मृष्टकुला नदी २५१, २५७,

मृष्टम देव ४, ५, ७, १०१, १०५,

१०७, ११५, ११६ आदि, १२६,

१२८, १२९, १३०, १७८, १७९,

१८५,

मृष्टि भाषित ५७८, ५८०,

मृष्टि मण्डल प्रकरण ४६७ टि०,

५४०,

पुस्तक पाठ्यपत्र १५, १२

पुस्तक उप- ५६, २०५

पुस्तक उत्पत्ता १८, २१, २५,

३०, ३१, ३२, ६१, ६२, १६३

पुस्तक निर्माण ५१३, ७१०

पुस्तकानां १५०

पुस्तकानां १०, ३१

पुस्तकानां नाम ३

पुस्तकानां ५५६, ६८८

पुस्तकानां ६०३,

पुस्तकानां टीका ३८३, ३८३, ६८३,

६९१,

पुस्तक ६०१

पुस्तक उप- ५५, ५६, ५८, ६१,

२०७, २०८,

पुस्तकानां ५६६,

पुस्तकानां ५००, ५०१, ५०३,

५०७,

पुस्तकानां सखिमागर ३२३, ३२५,

३२७, ३२८, ३६२,

पुस्तकानां जनरल २८६

पुस्तकानां ५६६, ६८७

पुस्तकानां ३०

पुस्तकानां १६३

पुस्तकानां ३

पुस्तकानां प्रवाद पूर्व ६३०, ७०२

कलार जनक १६४
 कलिंग ७, २१, १६३, ३५२
 कलिंग जिन ७, ३५२,
 कल्प सूत्र ३, २३५, २३६, २४२
 २७२, ३४१, ३५८, ४६१, ५११,
 ५२०, ५२२, ५२३, ५२६, ५२६,
 ५३२, ५३६, ५५७ ६८६, ६६७,
 ६६६,
 कल्प सूत्र नियुक्ति ३८७
 कल्पावतसिका ६६२
 कल्प्य व्यवहार ६८१ ।
 कल्प्याकल्प्य ६८१
 कल्याण प्रवाद ६३१
 कल्याणविजय मुनि २६६, ३५०,
 ३५१, ३५६, ३६१, ३६८,
 ३७३ टि०, ४२३, ४६६
 कसाय पाहुड ६०६, ६७२,
 काक वर्णि ३२२, ३२३
 काणे विद्धि (काण्ठे विद्धि)
 ५६३
 काण्व ४६
 काबुल १०, १३,
 काम्बल सम्प्रदाय ३७८
 कालायसवेसिय पुत्त ४०२, ४०३,
 ६५८,
 कालासोक ३१५

कालिकश्रुत ५७४, ५७६, ५७७
 कालिकाचार्य ४३६, ४७१, ६६३
 कालीदास १००
 काशी २८, ५०, ५३, १८५, १८७,
 १८६, १६१, १६७, २३४, ६५८,
 काशीप्रसाद जायसवाल ११४,
 २८७, २६०, ३०३, ३२१, ३२२,
 ३२८, ३३१, ३३३, ३३४ टि०,
 ३५२, ३५५, ३५८, ३६१
 काश्मीर १०, १३,
 कश्यप ४६
 कीथ डा० ६५, ६६, ११२, १३४,
 १३५, १३६, १३७, १६६, ५६६,
 कुणाल ३५६, ३६०
 कुण्डपुर या कुण्ड ग्राम २२५,
 २२६, २२८ आदि,
 कुयमि ५६६
 कुन्दकुन्द ५५२, ५८८,
 कुभारपाल प्रतिबोध ३२०, ३२४,
 ३२५, ३२६,
 कुमार सभ १००
 कुम्भ कार जातक १६३
 कुरु (जाति) १५, २५, २७,
 २८, ३२
 कुरु (जनतत्र) ५०, ७६, १८६
 कुरु क्षेत्र ३०, ५३,

गोवर्धनाचार्य ३३८, ३३९, ३४२,
३४६, ३५०, ४८६, ५३८

गोशालक २१६, २९९, ३०१
आदि, ४२५ आदि, ४३२ आदि,
४४० आदि, ४५३ आदि, ४६०,
५८४, ६५८

गौडपाद २१०

गौतम गणधर २२०, ३३८, ३३९,
३४६, ३५७, ३९६, ४६१, ५२९,
५३२, ५५४, ६४३, ६७४, ६९७
६९३, ७०७, ७०८

गौतम धर्म सूत्र ८२, ४४९

ग्रियर्सन १३४, १३६, १७९,
२६६, २७०

घन नन्द ३१५

घोटक मुख ६८७

घोर आगिरस १७०, २०२

चटर्जी सुनीति कुमार ११, ८०,
२६६

चण्ड प्रद्योत २३६ ३१२, ३२२,
३२४ आदि

चतुर्विंशतिस्तव ६८०

चन्द्र गुप्त मौर्य १, १९०, २८७,
२८९, २९४, २९५, ३१२, ३१३,
३१५, ३१६, ३२९, ३३०, ३३४,

३३५, ३३६, ३४१ आदि, ३५१,
३५३, ३५५, ३५८, ३६२, ३६७,
३७०, ५१६,

चन्द्र प्रज्ञप्ति ६२४, ६४८, ६९२,
चन्द्र वेध्यक ७१२

चम्पा नगरी ६५८, ६९२

चाणक्य ३१५, ३५२, ३६३,
३६६

चारण भावना ५६३, ५६४,

चारायण ६००,

चिम्मन लाल शाह ३८३,
चेटक १९१, १९२, २३१, २३४,
२३५, आदि, २९९, ३०१, ६९२,

चेरपाद २६

चैकितायन ६०३,

छान्दोग्य उप. ३१, ५४, ५५,
५७, ५९, ६०, ६३, ७७, ८०,
८४, १३४, १५१, २०२, २०७,
६०७,

जनक २८, ६६, ७९, १८६, १८९,
१९०, ५९८

जमदग्नि ४६

जमालि ६५८,

जम्बू द्वीप पराणत्ति ३३९ टि,
" ५६१, ५६५, ६२४

६४८, ६५७, ६९०, ६९२

जम्बु स्वामी ३३८ आदि, ३४६,
३५४, ३५७, ३७४, ३९१, ४८५,
४८६, ६३९, ६४०, ६८५

जय ३४६

जयचन्द विद्यालंकार ५

जयधवला टीका २६०, ३३७,
३३९ टि., ५२८, ५४८, ५६८,
६८०, ६०९, ६२४, ६७१, ६७४,
६७७

जयानन्दसूरि ४९७ टि,

जातुकर्य ६०५

जानकी हरण ४३८

जलगता चूलिका ६२६

जाल चार पेन्टियर २८५, २८७,
२८९, २९०, २९३,
२९४, ३०९, ३७०, ७०१

जिनदास महत्तर २६८, ५०३,

जिन प्रम ५२३, ६९९,

जिनभद्र गणि २४८, ३७३,
३७४, ३८०, ३९०, ४१६, ४८६,
७०१

जिनसेन ९०, ११९

” २८४, ३१२, ६७४,
६७७

जिम्मर २९, ४५

जीत कल्प ४१८, ७०१

जीतधर ६८५,

जीवाभिगम ६९०

जुगल किशोर मुख्तार २९१

जृम्भिका ग्राम २५१, २५७

जेकोवी या याकोवी डा० ३, ४,

१८४, २०१, २०७, २१२, २१६,

२२७, २२८, २२९, २३५, २४०,

२८५, २९०, ३०९, ३९४, ४३०,

४३९, ४४२, ४४४, ४४५, ४४६,

४४८, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५,

४५८, ४९०, ५११, ५१४, ५२०,

५२३, ६३६, ६४४, ६९१

ज्योतिर्विदाभरण ४७६,

ज्योतिष्करगड ४९९

” टीका ५०७

ज्ञान प्रवाद पूर्व ६०९, ६२९,

ज्ञातृ धर्म कथा ६५९ आदि,

ड्यूसन प्रोफेसर २०६

तत्त्वार्थ वार्तिक २७, ८१, ४७७,

५७७, ५९३, ६०२, ६२४, ६३३,

६६५, ६६७, ६७२

तत्त्वार्थभाष्य ६७५,

तत्त्वार्थ सूत्र ४२१, ६७७ ।

तन्दुल वैचारिक ५७८, ६७६,
७११,

तपागच्छ पहावली ६९१,

तित्थो गाली पद्मत्रय ३१२, ३१३, ३३२, ४८६, ४६६, ५४३	३८१, ४३६, ४४०, ४६३
तिलोय परागति } २८३, २६७, त्रिलोक प्रज्ञति } ३१३, ३३२, ३३७, ३३६ टि० ३५३, ५२८, ६७४	दशरथ ३५६, ४७०, ४७६ दशवैकालिक ४१८, ६७७, ६८१, ७०२, ७०४, ७१० दशवैकालिक चूर्णि ५२७ दशवैकालिक नियुक्ति ७०३
तीर्थोद्धार प्रकरण ३१३	दसा ६६६
तेजो निसर्ग ५६३, ५६४,	दसा कम्प व्यवहार ६६५,
तैत्तिरीय आरण्यक ५३, ८६, ६०, १३३, १३७,	दास गुप्ता डा० ७०, ७१
,, उपनिषद् ५४, ८४, २०७, ५६७,	दास्य-दस्यु १८, १६ ३१
,, ब्राह्मण ११०	दिग्घ निकाय २१५, २१७, ४३० ४३२, ४४०, ४४१, ४४७, ५६२, ६८६,
,, सहिता ४७, ११८	दिवोदास १५
त्रिपिटक ३, २०१, २१६, २१८, ३१०, ४३५, ४४६, ५३७, ५५०, ६८६,	दिव्यावदान ३२२, ३५६, ४७७, दीपवंश ३१३, ३२२, ५४२ दुम्मुख १६३
त्रिलोकसार २८४, २६६, २६७, ४७७,	दुग्धे जातक १८८ दुर्बलिका पुष्यमित्र ५५८, ५८०
त्रैराशिक ५८४, ६४४, ६८७,	दूष्यगणि ६८५
थलगता चूलिका ६२७	दृष्टिवाद ५५२, ५५८, ५५६, ५६३, ५६६, ५६८ आदि, ५७६
दक्षिणापथ ३०, ३७६,	आदि, ५८६ आदि, ६५३, दयानन्द स्वामी ११, १२,
दर्शक ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२७,	दृष्टि विषमावना ५६३, ५६४, देवर्द्धि गणि ४६७ आदि, ५०७
दर्शन सार २१६, ३७१, ३७२,	आदि, ५११, ५१७, ५२१, ५२३,

- ५२७, ५५८, ६६८, ६६६
देववाचक ६८६
देवसेन २१६, ३७१, ३७२, ३७५,
३७८ आदि, ४३६, ४६३
देवेन्द्र गणि ५२३
देवेन्द्रसूरि ६१५
देवेन्द्र स्तव ७१२
देवेन्द्रोपपात ५६३
द्वीप सागर प्रज्ञप्ति ६२५, ६४८
धननन्द ३३४
धम्मपद ४४५, ४४७,
धरसेन ५५३, ५५८
धर्मघोष ४६७ टि०
धर्मसागर गुर्वावली ६५१
धर्मानन्द कौसम्ब्री १७०, २०२,
२१४, २१५
धवलाटीका २७२, २८४, २६६,
३३७, ३३६ टि०, ५२८, ५४७,
५४६, ५५४, ५६८, ५६८, ५६४,
६०२, ६०६, ६१५, ६२३, ६२४,
६७१, ६७४, ६७७, ६८०
धृत राष्ट्र काशीराज २८, १८७
धृतिप्रेण ३४६
नगगजि १६३
नचिकेता ६१, ६२,
नन्द ७, २८६, २६४, २६५,
३१३, ३१५, ३२२, ३२६, ३३०,
३३१, ३३२, ३५२,
नन्द वर्धन २८६, ३२१,
३३५ टि. ३३६ टि.
नन्द वश २६०, ३२८, ३५१,
३६६, ३६७,
नन्द वात्स्य ४३१, ४३२, ४४५,
नन्द सम्बत् ३३३, ३३६ टि
नन्दि वर्धन ३२१, ३२७, ३२८,
३२६, ३३१, ३३४,
नन्दि ३३८
नन्दिचूषिणि ५०३, ५०६, ६७६,
नन्दि टीका ५०३, ५०७,
नन्दि मित्र ३३८, ४८६,
नन्दिल ६८५
नन्दि सूत्र ५१७, ५५५, ५६०,
५६४, ५६५, ५७०, ५७४, ५८१,
६३३, ६४४, ६५०, ६५३, ६६४,
६६७, ६६६, ६७३, ६७५, ६७७,
६७८, ६७६, ६८३ से ६८७ तक
६६१,
नन्दि सघ पट्टावली २६२, ३३८,
३५६
नभोवाहन २६४,
नहपान २८६,

नाग परियापनका ५६३

नाग हस्ति ६८५

नागार्जुन ५०० आदि, ५०६,
५०९, ६८५

नातिका २२८, २२९,

नाथूराम प्रेमी ३८१

नारद ६३

नालन्दा २२८, ६४३

निगठ नाटपुत्त २१७, २२२, २३०

निरयावली सूत्र २६४, ५६८,
६९२

निरुक्त ८५

निशीथ चूर्णि २६९, ४३७, ५०९

निशीथ सूत्र ५२७, ६७९, ६९४

निषाद ३१, ३२

निषिद्धिका ६८२

नील कण्ठ शास्त्री १८१

नेमि चन्द्र ७१०

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती २८४,

४४२, ४७७, ६७८,

नैमिषारण्य ३०

नैषध (काव्य) ४१

नजाव १०, १३, २०, २७, ३२,

४४, ४५

पञ्च कल्प ७०१

पञ्च वस्तुक ५६४, ५६५

पञ्चविंश ब्राह्मण ९१

पञ्चशिख ५९६

पञ्चशिव २१०

पञ्चाल २५, २७, २८, ५०, ५३,
६७, ७९, १८६, १९३

पञ्चाशक ४०८, ४१८

पणि १५, १६, १७,

पतञ्जलि १००, ४३४, ४३५,
६८७

पदानुक्रमणी १८

पद्म पुराण १७६

पद्म सुन्दर ४९७ टि.,

पद्मवगा ६५७, ६९०,

परमथ्य जोतिका १८९, १९१,

पराशर ऋषि ५९९, ६०२, ६०५,

परिकर्म ५८३,

परिव्राजक सम्प्रदाय ४३२

परिशिष्ट पर्व २९४, ३२२, ३२९,

३३२, ३४०, ३६९, ४८८, ४९६,

५४०, ५४३, ५६९

पाइश्चर सद्द महाराणव २६८

पाटली ग्राम २२८

पाटली पुत्र नगर २२८, २२९,

२३९, ३१३, ३५१, ३५५, ४८९,

- ४६१, ४६६, ५१६, ५१८, ५४१, ५४२
 पाणिनि १३५, १३६, १४०, १६०, ४३४, ४३७, ५६३, ५६४, ५६८, ५६९, ६०१,
 पाण्डुरि भिन्नु ४३७,
 पातञ्जल महाभाष्य ८८, १०६, १४०, ५६४, ६०२,
 पार्श्व चन्द्र ६८६,
 पार्श्वनाथ ४ आदि, ५०, १८५, १६०, १६३ आदि, २०० आदि, २१३, २२० आदि, २७६ आदि, ३६५ आदि, ४००, ४३६, ४४६ ४४७, ४५०, ४५२, ४५६, ६६०, ६६८, ७०७, ७०८,
 पार्श्वपत्नीय २२१, २२२, ३६६ आदि, ४५६, ४६१ ६४८,
 पालक २२८, २६०, २६४, २६५, ३१२, ३२२, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१, ३३२, ३५७,
 पाल चार पेंटर ११२
 पावा ३, २३५, ३०८,
 पिण्ड निर्धुक्ति ५१७, ७१०
 पी सी. दीवान १७१
 पुण्डरीक अगवाह्य ६८२
 पुण्ड्र २१, २६, ३१, ३२
- पुण्ड्र वर्धन २१, ३४२, ४७८
 पुण्य विजय मुनि ३५०, ५२७,
 पुरु १५, १६, २७, १७८, १७९
 पुरुकुत्त १५, १६,
 पुलिन्द २१, ३१, ३२
 पुष्प चूलिका ६६३
 पुष्प दन्त ५५३, ५५८,
 पुष्पिका ६६३
 पुष्य मित्र २८६, २६४, ४६७,
 पूज्यपाद ६०८, ६३४, ६७३, ६७७
 पूरण काश्यप २१६, २१७, ४४० आदि, ४४४, ४५३
 पूर्व ५८४, ५८५, ६१०,
 पैप्पलाद ६०१
 प्रकृद्ध कात्यायन २१६, ४५३
 प्रति क्रमण अगवाह्य ६८१
 प्रत्याख्यान पूर्व ६३०, ६३४, ७०३
 प्रद्योत ३२२, ३२५, ३२६, ३२७,
 प्रद्योत वश ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२७
 प्रथमानुयोग ५८५, ६२७
 प्रवाहण जैवलि २७, ६७, ६८, ६०३

प्रभव ३४०, ३५७, ४८६, ६८५	३२२, ३२४, ३४५, ६४७, ६८८
प्रभाचन्द्र ३४६	६९२
प्रभावक चरित ५०३	बुद्ध ५, ६, ८८, ८९, ११४,
प्रभास पुराण १७२	१२६, १६२, १९१, २०५, २१२
प्रवचन सारोद्धार ४१८, ५८८,	आदि, २२८, २८६, २९९ आदि,
प्रश्न उप० ५४, ६३, १७१, २०७,	३०३ आदि, ३११, ४४७, ५३६
६०२,	आदि,
प्रश्न व्याकरण ६५०, ६६८ आदि	बुद्ध घोष २२९, ४३०, ४३२,
प्राकृत व्याकरण मार्कण्डेय २६९	४४१, ४४४, ४४५, ४४७,
प्रीहिस्टोरिक इण्डिया १९०	बुद्ध चर्या २२३, ३०२, ४४७,
(डा) प्लीट ३५०, ३५१, ३८७,	बुद्ध निर्वाण ३१५, ३१६,
प्रोष्ठिल ३४६	बुद्धिल ३४६
वगाल १४, २१, २६, ४८१,	बुहलर २,४, ३८४, ४५३, ४७४,
वनर्जी ९७, १९०, ४७८, ४८०,	४९१, ५२३,
वरुआ प्रो० ५०, ८७, ४३१,	बृहत्कथा ३६२, ३६७
४३५, ४३६, ४३८, ४५६, ४७७,	बृहत्कथा मञ्जरी ३६२
बलमित्र भानुमित्र २८९, २९४,	बृहत्कल्प ३५०, ४१६, ५२७,
बलिस्सह ६८५	७००
बाण मट्ट ४३६, ४३७, ४७५,	बृहत्कल्पे भाष्य ४१८, ६७५,
४७६,	बृहज्जातक ४३६, ४७१,
बादरायण ६०२,	बृहदारण्यकउ प० ५४, ५७, ५९,
बारवर ३५९	७७, ७९, ८९, १५१,
बार्थ ३, १३३, १६१, ५१४,	१८९, १९५, १९८, २००,
बिन्दुसार ३१६, ३५२, ३५८,	५९४, ५९६, ६०३, ६०६,
बिम्बसार श्रेणिक १९१, २३२,	बृहस्पति मित्र ३५२
२३५, २९९, ३०२, ३०५, ३२०	

३२१, ३२२, ३२७, ३२८, ३२९,

३३२, ३३३, ४६७, ५१६,

मगध वंश ३२८

मज्झिमनिकाय १६३, २१२,

२५५, ३०८, ३१२,

४३१, ४४५, ४४७, ४४८,

मत्स्य देश ५०, ५३,

मत्स्य पुराण ३१७, ३१८, ३२९,

३५९, ६०२,

मथुरा ४९२, ४९७, ५००, ५०७,

मध्य देश ३०, ३२, ५०,

मनु स्मृति १३, ३३, ८५, ११४,

मरीचि कुमार ५६५,

मलयगिरि आचार्य २४२, २५८,

४९६, ५०७, ५१०, ५७६, ५७९,

५८४, ५८६, ६३३, ६६०, ६७६,

६६०, ६६१, ६६६,

मस्करी पूरण ४३६, ४३०, ४४०,

महा कर्मप्रकृति प्राभृत ५५४,

६१०, ६१६,

महा कल्प्य ६८१

महागिरि ३५७, ३५८, ३६०,

३६१, ५५८, ६८५, ६९१,

महा गोविन्द सुत्त १८७

महानन्दि ३३१, ३३४,

महा नारायण उप० ५४, १३६,

२०७,

महानिशीथ ६६४

महा पद्म नन्द ३२९, ३३०, ३३२,

३३४, ३५१, ३६५, ३६७, ३६८,

महापरिनिव्वाणसुत्त ११४, २२८,

२२९, २३३,

महा पुण्डरीक ६८२

महा पुराण ६०, ११९, ५९६,

महाप्रत्याख्यान ७१२

महा भारत २०, २१, २८, ३१,

८६, ११०, १२०, १२४, १३२

आदि, १७२, १८८, १९४, १९७,

५९४, ६००, ६०२, ६०३, ६०४,

महा विमान विभक्ति ५६३

महावीर ५, ६, ५०, ८८, ८९,

९२, ११४, १९२, १९३, २०५,

२१२ आदि, २२२ आदि, २७६

आदि, २८६, २९९, ३४६, ४००

आदि, ४२६, ४३६, ४४६, ४४७

४५२, ४५८, ६७४, ६८८, ६९३,

६९८, ७०७,

महावीरनिर्वाण २८७, २९०

आदि, ३१० आदि, ३१६, ३३०,

३३२, ३३६, ३४०, ३७०, ४९७,

५१६,

महावग्ग २२८, २२९, ३८६
 महा वश ३१३, ३१४, ३१६,
 महा स्वप्नभावना ५६४
 महीधर ११,
 माघनन्दि श्रावकाचार २९७, २९८
 माञ्छपिक ५९४
 माठर ५९७, ६८७,
 माठर वृत्ति ५९६, ५९७,
 माति पोसक जातक १८८
 माधव चन्द्र २९६, २९७,
 माध्यन्दिन ६०१,
 मायागता चूलिका ६२७
 मार्करण्डेय पुराण १२०
 मिथिला ७०७,
 मुण्ड ३१४, ३२२, ३३४,
 ३३५ टि०, ५९५
 मुण्डक उपनिषद् ५४, ५६, १७१,
 २०७, ५९५
 मुद्राराक्षस ३५२,
 मुनिचन्द्र सूरि ४६७ टि०,
 मूलान्धार २७७,
 मृगार सेठ ४४७
 मेगस्थिनीज १३६, ३५१,
 मेरुतुंग २८४, २८५, २९४,
 ३१२, ६९१,
 मैत्रायणीय उप० ५४, ५८, २०७

मैत्रायणीय संहिता ४८
 मोक्ष मूलर १३४, २८६
 मोहेज्जोददो ९७ आदि, ११९ तक
 ४८१,
 मौढ ६०१,
 मौद्गल्यायन ५९७,
 मौर्य साम्राज्यका इतिहास ३४३
 यजुर्वेद ५, २५, २६, ३५, ३६,
 ४८, ६३, ६०१,
 यति वृषभ ३१२, ५५३,
 यदु १५, २७, १७८,
 यशोभद्र ३४०, ३५०, ३५७,
 ३५८, ४८६, ५३९, ५७०, ६८५,
 याज्ञवल्क्य ६६, ६७, ७९, ८७,
 १८६, १८७, १८९, १९८,
 २००, ५९७, ५९८, ६०२,
 यापनीय संघ २४६, ५२५, ७०४,
 यास्क मुनि १२, ८४, ५९६,
 योग दर्शन १००
 योग भाष्य २१०
 योग वाशिष्ठ रामायण ६०५
 योग शास्त्र वृत्ति ५०६,
 योग सूत्र २१०,
 योनि प्राभृत ५५३
 रत्ती परगना २३०
 रत्ननन्दि ३७१, ३७८, ३८१, ३८२

रत्न सागर ६६५, ७०१,
 रथनेमि ७०८,
 रमेश चन्द्र दत्त ५१, ७२, १८४,
 राजगृही २२८, २३२, ३०२,
 ३२६, ५३०,
 रागायन ६००,
 राधा कुमुद मुफर्जी १०२, १०७,
 ४८०,
 राधा कृष्णन् ५, १०८, १५८,
 रामशेष ४६८
 रामचन्द्रन् टी० एन० १०५,
 १०७, ४८३,
 रामप्रसाद चन्दा ६६, १००,
 रामायण २१, ८२, ८८, २०१,
 ६०६,
 रामिल्ल ३७६, ३७७, ३७८,
 ३७९,
 राय चौधरी १३६, १३७, १३८,
 १७०, १८७, १८८, १९०, १९१,
 १९३
 राय पसेणीय ६५७, ६८६,
 राहुल साकृत्यायन २२३, २२८,
 २२९, ४४७,
 रथ डाक्टर २४,
 रूप गता चूलिका ६२७
 रे डेविड्स् ४, ८, २२६,

रेवती नक्षत्र ६८५,
 रोम हर्षण ६०६,
 लघुजातक ४३६, ४७२,
 ललिता विस्तार ६६७
 लार्सन २
 लिङ्ग पुराण १२०
 लिच्छवि ११४, १८६, १९१ आदि
 २२८ २३०, २३४, २३६ ६५६
 लोक प्रकाश ५००,
 लोक विन्दुसार ५५४, ६३२,
 लोकमान्य तिलक १०, ३५,
 ८२, १४६, १४८
 ल्युमैन ६८६
 लोहार्य ३३६ टि०, ३४६,
 लोहा चार्य ३५६
 लोहित्य ६८५,
 वग्ग चूलिका ५६३,
 वज्जिगरण ११४, १८६, १९४, २३३
 वज्रस्वामी ५३४, ५५८, ५८०, ६३५
 वत्सदेश २३७ -
 वन्दना ५८१
 वराह मिहिर ३५०, ४३६,
 वरुणोपपात ५६३
 वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ १८०
 वर्ड्बुक ३५२, ४७३ आदि
 ४३८, ४७१,

वलभी २७१, ३७२, ३७३ टि०,	विनय पिटक ३८६,
३७५, ३७७. ३७८, ३८६, ४६१,	विनय विजय ५००
४६२. ४६७, ४६८, आदि, ५०७,	विन्टर नीट्सू ८, ९, ९२, १३६,
५१७, ५१९	१४४, ५१५, ५१८, ६३६, ६३७,
त्रिशिष्ट ऋषि १४, ४६, ४७, ६०५,	६१४, ६५५, ६५८ ६६७, ६७९,
६०६,	६८८, ६९२, ६९३, ६९४, ६९७.
वनु ६०३,	६९९. ७००, ७०१, ७०५, ७१०.
वाचस्पति मिश्र २१०,	विपाक सूत्र ६७० आदि
वायु पुराण १२०, १२४, १९०,	विलियम जोन्स १
१९५ ३२९, ३३०, ३५९, ५९९,	विल्सन २
६०६,	विवाह चूलिका ५६३
वाराह पुराण १२०, १२५,	विगारस्यूफ ३२८,
वाल्मीकि ६०६,	म्वशाखान्तार्य ३४३, ३४६, ३७६.
वाष्कल ५९९, ६०३, ६०५,	३८०,
वासुदेवशरणश्रमवाल ३८४,	विशेषावश्यक भाष्य ३७३, ३७४,
४३५ आदि,	३९०, ४१६,
विक्रम प्रबन्ध २९२	४८६, ५४७, ६२३, ६७५, ६७६,
विक्रम सम्प्रत् २९१, २९२, ३३७,	विश्वामित्र १४, २१, ३१, ४६,
विक्रमादित्य ४७६	५९४, ३१७, ३१८, ३२९,
विचार श्रेणि २८४, २८५, २९४,	विष्णुकुमार ३३९, ३४६, ४८६,
२९५,	विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति ४१८,
विचारामृतसंग्रह ७०१,	५७७
विदेह २८, ३०, ३२, ५०, १८९,	विष्णु पुराण १२०, १७७, १९५,
१९१, १९३, २२८, २३०,	३५९
विद्यानुप्रवाद ५५४, ६३१,	विष्णु सहस्रनाम १७२
विधिमाग्य प्रया ७०३,	वीरनन्दि ४७७

तिरसेन २६०, २८३, २९७, ५४९,
 ५५४, ६०९, ६१५, ६१७, ६२३,
 ६४४, ६७१, ६७२, ६७४, ६७७,
 गीरस्तव ७१२
 गीर्यानु प्रवाद ६२८,
 गीसेराट स्मिथ ४८३
 वृष्णिदशा ६९३
 वेदव्यास १३, ६०२, ६०६,
 वेदान्त सूत्र १४४
 वेवर २, ३, ३१, ११५, ५२०,
 ५२३, ५२४, ५५८, ५६०, ५६४,
 ५६५, ५६९, ६३८, ६४९, ६५३,
 ६५४, ६५७, ६६०, ६६७, ६८६,
 ६८८, ६८९, ६९४, ६९६, ६९७,
 ६९९, ७०१,
 वैदिक इण्डेक्स २९, १३४,
 वैदिक वामय का इतिहास ५९४
 वैनयिक अग्रवाह्य ५८१
 वैशाली ११४, १८६, १९१,
 २२८, २२९ आदि, ५३६, ६९२,
 वैश्रमणोपपात ५६३,
 व्यवहारसूत्र ४००, ५४५, ५६२,
 ५६४, ६३४, ६९५, ७००,
 व्याख्या प्रज्ञप्ति ५६३, ६२५,
 ६५५ आदि,
 व्याघ्रभूति ५९७,

ब्राह्म्य ६, २९, ३४, ११०, १११,
 ११३ आदि,
 शकराचार्य ५४, ८९, १४४,
 १४७, १४८, १५९, १६०, २०८,
 शकटाल ३५८, ३६२ आदि, ३६५
 शतपथ ब्राह्मण १५, १६, २०, २६
 २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२,
 ३६, ४८, ४९, ५०, ६०, ६६,
 ७७, ७८, ८४, ८७, १३३, १६१,
 १७९, १८६, १९३, १९७, १९८,
 २०४, ५९८, ६०३, ६०७,
 शतानीक भरतराज २८, १८७,
 ,, कौशाम्बी नरेश २३६, ६५९,
 शवर २१, ३१, ३२,
 शयभव ३४०, ३५७, ४८६, ५१७,
 ६८५, ७०४,
 शाकल्य ५९८
 शाशिडल्य ६०, ६८५,
 शान्तिराज ए० २९६
 शान्तिसूरि ३७३, ५०३, ७१०,
 शिव पुराण १७७
 शिवभूति ३८८
 शिशुनाग वंश ३१९, ३२०, ३२१,
 ३२२, ३५१,
 शीलाङ्क २२७, ३९७, ४११, ४१९,

४३६, ४६३, ४७०, ४७१, ५०७,
 ६३५, ६३६, ६३७. ६३९, ६४४
 शुभ्रिग ७०१
 शुभशील ४६७ टि०,
 शूरसेन ५०
 शौरिपुर १७२
 श्यामान्चार्य ५१७,
 श्यामार्य ६८५, ६९१,
 श्रवणवेल गोला ३४४, ३४५,
 ३४६, ३५१, ३५३,
 श्रावस्ती २२०, ४४७, ६९०,
 श्वेतकेतु ६७, ६८, ८७, ५९४,
 श्वेताश्वतर उप० ३४, ५४, ५८,
 १००, २०७, २०८, ५९६,
 श्रुतसागर सूरि २६७, ६७८,
 पट् खण्डागम ५४९, ५५३,
 ५५८, ६११, ६१५, ६१६, ६२१
 ६२१, ६२३, ६७२,
 पड् गुरु शिष्य ५९५
 पष्ठि तत्र ६८७,
 सघ दास वाचक ७०१
 सजय वेल द्विपुत्र २१७
 सवोध प्रकरण ४२४
 संभूति विजय ३४०, ३५७, ३५८,
 ४८६, ५३९, ५४० आदि, ५७०,
 ६८५

मंस्त्रुत निर्वाण भक्ति २२६
 संस्तारक ७११,
 सच्चक निगट पुत्र ४३१, ४८८,
 ४५१,
 सतीशचन्द्र काला १०६
 सतीशचन्द्र विद्या भणरा ४७६.
 सत्य केतु विद्यालकार ३४३
 सत्य प्रवाद पूर्व ६२९ ७०३
 सन्दक परिव्राजक ४३१
 सन्देह विषोपधि ६९९,
 सप्त मिन्धव १०, ११, १३ १४,
 समय सुन्दर गणि ४९८ ५१०
 समवायाङ्ग सूत्र २७२, ५५९,
 ५६०, ५६३, ६५०, ६५१, ६५३
 ६५४, ६६४, ६६७, ६६९, ६७३,
 समुत्थान श्रुत ५६३
 समुद्र ६८५,
 सम्प्रति ३४४, ३५८, ३५९, ३६०
 ३६१,
 सम्बुल जातक १८८
 सर जान मार्शल १०४
 सरस्वती गच्छ पट्टावली २८८,
 २९१,
 सर्वार्थ सिद्धि टीका ६०८, ६३४,
 सहस्रानीक ६५९,
 साख्यकारिका २१०, ५९५, ५९७

साख्यायन श्रौत सूत्र १७६
 सात्य मुग्नि ५६६, ६००,
 सामवेद ३५, ६३, ५६४, ५६६,
 ६००
 सामामिक ६८०
 सासा चारी शतक ४६८, ५१०
 सायण ११, १२, ५२, ६०, ६१,
 १११, ११८,
 सायण भाष्य १८
 सिद्ध सेन ४७६
 सिद्ध सेन गणि ४२१, ५८८,
 ५६३, ५६४, ५६५, ५६८, ५६६,
 ६००, ६०२, ६०५, ६०८,
 सिद्धार्थ ३४६,
 सिंह ६८५,
 सुत्तनिपात ७०५
 सुदास १४, १५, ४७
 सुधर्मा २७१, २७४, ३३८, ३३६,
 ३४०, ३४१, ३५७, ५१७, ५२६
 आदि, ५३२, ५३४, ६३६, ६४०,
 ६८५, ६६१
 सुसुनाग ३४१
 सुस्थित ६६१
 सुहस्ती ३४४, ३५७, ३५८, ३६०
 ३६१ ३६६, ५५८, ६८५,

सूत्र (दृष्टिवाद का भेद) ५८४,
 ६२५, ६४४,
 सूत्र कृताग १६४, २२७, ४०१,
 ४६०, ४६१, ४६३, ४७८, ५६२,
 ६३७, ६३८, ६४३, ६५३, ६७६,
 सूर्य प्रज्ञति ५७८, ५८०, ६२४,
 ६४८, ६६२,
 सेन प्रश्न ५३०,
 सेनापति सिंह २२८
 सौवीर २३६, २३७
 स्कन्द पुराण १२०, १७३, ६०२,
 स्कन्दिल सूरि ४६७, ५००, ५०१,
 ५०२, ५०६, ५०६, ५१०, ५११,
 ६८५,
 स्थविर स्थूल ३७६, ३७७ आदि
 स्थानाङ्ग सूत्र २८०, ३८६, ४१४,
 ५६३, ५७५, ६४५, ६५०, ६५३,
 ६६४, ६६७, ६६६, ६७३,
 स्थानाग वृत्ति ४१८, ६५१
 स्थूल भद्र ३४०, ३५७ आदि,
 ३७६ आदि, ४८६, ५१६, ५३४,
 ५३६ आदि, ५५७, ५७०, ६८५,
 स्थूल भद्र चरित्र ४६७ टि ,
 स्पैस हार्डी ४४७,
 स्मिथ ३४४, ३४६

शान्त नामा ५१३, ५१६,
 शान्त नामा ३२२, ३२३
 शांति १८१, १८२
 शांति ६०२,
 शि. मन १८०
 शिवोक्ति-शाला २६८, २६९, २७०
 शिव शर्मा ८६
 शिव ६९, १००, १०५, १०९,
 १०७, १८१, ४८३
 शिव नट मुनि ३८६, ४१८, ४२३,
 ४६३ टि. ५०३, ५०६, ५२७,
 ५६६, ५९५, ६३३, ६६५,
 शनिश पुत्राय १६५, २८६,
 २६६, ३१३, ३३६ टि ६७६,
 ६७७,
 शरिण्ण कथा कोश ३००, ३५१,
 ३५३, ३६६, ३६६, ३७१, ३७६,
 ३८२, ४६८
 शर्प चरित ४३६, ४३७, ४३८,
 ४७५,
 शर्प वर्धन ३३४ टि.,

श्व शान्त मन्त्रा ३३३ टि.,
 श्व १५
 श्व १०१, १०२,
 शर्मा ५९५,
 शर्मा ३, ३८६, ४३६-४३६,
 ४१५, ४१६, ४१६, ४६०, ४६३,
 ४१५, ४१७, ४६८, ४७०, ४७१,
 शारदा ३१३, ३१३, ३१९
 शिव मन्त्रा १०२
 शिवमन्त्र १८१,
 शिवमन्त्र ३३, ३३३, ३३८,
 ३३६, ३८०, ३७६,
 शिव चन्द्र मलभार्गी ५७७, ६७६,
 शिवनन्दनार्थ २८५, २८६,
 २६०, २६५, २६५, ३१२, ३१३,
 ३२२, ३२६, ३३०, ३३२, ३४०,
 ३६०, ३५७, ३६६, ३७०, ४६६,
 ५०६, ५०६, ५४०, ५६६,
 शिव मन्त्रा ३० ५१, १३६
 शिवमन्त्र १०७, ४७५,

ग्रन्थ लेखनमें उपयुक्त ग्रन्थोंकी संकेत— विवरण पूर्वक सूची

अगुत्तर	अगुत्तर निकाय	भिक्षु जगदीश काश्यप सम्पादित
अनु० अतगड	अनुयोगद्वार सूत्र अतगडदसाओ	आगमोदय समिति सूरत गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय अहमदाबाद
अग्निपु० अथर्व०	अग्निपुराण अथर्ववेद	आनन्दाश्रम प्रेस पूना संस्कृत सस्थान वरेली
अनगार० टी०	अनगारधर्माभृत टीका	माणिकचन्द जैन ग्रन्थ- माला बम्बई (वाराणसी)
अनेकान्त	मासिक पत्र	वीरसेवा मन्दिर दरिया- गज देहली
अभि० चि० टी० अभि० र०	अभिधानचिन्तामणि टीका अभिधान रत्नमाला	मोतीलाल बनारसीदास वाराणसी
अभि० रा० अर्ली हि० वैष्ण०	अभिधान राजेन्द्र अर्ली हिस्ट्री आफ दी वैष्णव सेक्टस्	हेमचन्द्रराय चौधरी
अशोक	डा० राधाकुमुद मुकर्जी	

प्रा० गा०	सायां सा आदिभ्यः	डा० म.पु.गो.नन्द गगनभी
आउट रि० नि० ३० रि० नि० ३०	एन आउट माइन आफ टी गिलीअथ लिट् रेनर आफ ३०	J. N. FARGU- HAR
प्राप्त० हि० ३०	प्राप्तकार्य किर्त्ती आफ रिगिशा	
प्राचार रिनाफर		
प्राचा० नि०	प्राचारग नियुक्ति शीलाफटीका मदिन	प्रागमोदय समिति चम्बर
प्राचा० श्री० टी०	प्राचारग सूत्र शीलाफ टीका	प्रागमोदय समिति चम्बर
प्राचा० सू०	प्राचारग सूत्र	प्रागमोदय समिति मुम्बै
प्रा० चू०	प्रावरयक नृसिं	शुद्ध देव कशरीमन स्तलाम
प्रा० नि०	प्रावरयक नियुक्ति	प्रागमोदय समिति मुम्बै
प्राप० परि०	प्राप त्त्वम् परिभाषा	
प्राप त्त्वम् धर्म सूत्र		चम्बर सत्कृत सिरीज
प्रा० पु०	आदि पुराण	भारतीय ज्ञानपीठ काशी
प्राक्षर्यो० गुज०	प्राक्षर्योलोजी आफ गुजरात	एच० डी० सकलिया
प्राव० टी० मलय०	प्रावश्यक टीका मलय गिरि	जीवनचन्द साकरचन्द जवेरी बाजार चम्बर
प्राश्वलायन गृह्य सूत्र		जीवानन्द विद्यासागर फलकत्ता

अश्वलायन श्रौत सूत्र

इ० इ० रि० }
इन्साइ० इ० रि० }

इ० ए० }
इन्डि० एरिट० }

इ० थीज्म

इरिडियन कल्चर

इ० पा०

इ० फि०

इ० आ० रे०

इ० से० जै०

ईशावा० उ०

उत्त० }
उत्तरा० }

उ० पु० }
उत्तर पु० }

उपदेश पठ वृत्ति

ऋग्वेद

ऋग्वेद भूमिका

इन्साइक्लोपिडिया
इथिक्स एगड रिलीजन

इरिडियन एगटीक्वेरी

इरियन थीज्म

इरिडिया ऐज नोन टु
पाणिनि

इरिडियन फिलोसॉफी

इराडो आर्यन रेसेस

इरिडियन सैक्ट आफ दी
जैनास्

ईशावास्योपनिषद्

उत्तराध्ययन सूत्र
नेमिचन्द्र रचित वृत्ति
सहित

उत्तर पुराण

मुनि चन्द्र रचित

आनन्दाश्रम प्रेस पूना

प्रथम संस्करण

मैकनिकल

डा० वासुदेव शरण
अग्रवाल

डा० राधाकृष्णन्

रा० व० रामप्रसाद चन्दा

बृहलर

उपनिषदाङ्क गीताप्रेस
गोरखपुर

सेठ क्षेमचन्द्र पुष्पचन्द्र
वलाद
निर्णय सागर प्रेस बम्बई

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

मुक्ति कमल जैन मोहन
माला बड़ौदा

आनन्दाश्रम मुद्रणालय
पूना

हितचिन्तक प्रेस बनारस

ऋषिमण्डल	पद्म सुन्दर रचित वृत्ति सहित	
एतरे० आ० सा० भा०	एतरेय आरण्यक सायण भाष्य	अनन्दाश्रम मुद्रणालय पूना
एत० ब्रा०	एतरेय ब्राह्मण	अनन्दाश्रम मुद्रणालय पूना
ए शि० इ०	एशियन्ट इण्डिया	रा० व० कृष्ण स्वामी आयगर
ए शि० इ० औप० सू०	ए शियन्ट इण्डिया औपपातिक सूत्र	आर० सी० मजूमदार प० भूरामल अहमदा- वाद प्रकाशित
ओरन		लोकमान्य बालगगाधर तिलक
कठ० उ० क० पा० कर्मकाण्ड	कठ उपनिषद् कसाय पाहुड कर्मकाण्ड गोम्भटसार	गीताप्रेस गोरखपुर जैन सघ मथुरा रायचन्द शास्त्रमाला अगास
क० व० भा०	कलक्टेड वर्क्स आफ डा० आर० जी० भण्डारकर	पूना
क० सू० } कल्प सू० }	कल्प सूत्र सुबोधिनी टीका सहित	
का० वृ० किरातार्जुनीय कुमार सभव कूर्म पु०	काशिका वृत्ति मल्लिनाथीय टीका सहित कूर्म पुराण	निर्णयसागर प्रेस बम्बई निर्णयसागर प्रेस बम्बई मनसुखलाल मोर कलकत्ता

कै० हि०	कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया	कैम्ब्रिज १९३५
कौषीतकी ब्राह्मण		उपनिषदाक गीता प्रेस गोरखपुर
गरुड पु० गी० गी० २०	गरुड पुराण भगवद्गीता गीता रहस्य	लोकमान्य बाल गंगा- धर तिलककृत छठा संस्करण
गो० क०	गोम्मटसार कर्मकाण्ड	रायचन्द शास्त्र माला अगास
गो० जी०	गोम्मटसार जीवकाण्ड	” ”
गोपथ ब्राह्मण गौतम धर्मसूत्र ग्लि० पो० हि०	ग्लिम्प्सेस आफ पोलि- टिकल हिस्ट्री	आनन्दाश्रम प्रेस पूना रतिलाल मेहता
छा० उ०	छान्दोग्योपनिषद्	उपनिषदाक गीता प्रेस गोरखपुर
ज० डि० ले०	जर्नल ऑफ डिपार्ट मेण्ट आफ लेटर्स	
ज० ध०	जयधवला -कसाय पाहुड टीका	भा० जैन सत्र मथुरा
ज० प०	जम्बुद्वीप परागति	जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुर

ज० रा० ए० सो०	जर्नल ग्राफ रायल एशियाटिक सोसायटी	
ज० वि० उ० रि० सो०	जर्नल ग्राफ विहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी	पटना
जै० ना० २०	जैनिज्म इन नार्टन इण्डिया	चिम्मन लाल शाह
जै० शि० स०	जैन शिला लेख सग्रह	माणिकचन्द ग्रन्थमाला
जै० सा० ३०	जैन साहित्य श्रार इतिहास	श्रीनाथूराम प्रेमी बम्बई
जै० सा० ३० गु०	जैन साहित्यनो इतिहास गुजराती	जैन खे० कान्फ्रेस बम्बई
जै० सि० भा०	जैन सिद्धान्त भास्कर	जैन सिद्धान्त भवनश्रारा
जै० सा० वि०	जैन साहित्य में विकार	प० वेचरदास दोशी
जै० सा० स०	जैन साहित्य सशोधक	पूना से प्रकाशित
जै० हि०	जैन हितैपी	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई
ज्योति० टी०	ज्योतिष्करण्ड टीका	रतलाम सस्कारण
ज्योतिर्विदाभरण तत्त्वार्थ०	तत्त्वार्थ वार्तिक	भारतीय ज्ञानपीठ काशी
त० भा० टि	तत्त्वार्थ भाष्यटीका	देवचन्दलाल भाई ग्रन्थमाला
ति० प० } त्रि० प० }	तिलोयपरणत्ति	जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुर
ति० प० तै० श्रा०	तित्था गाली पइन्ना तैत्तिरीय श्रारणयक	श्रानन्दाश्रम मुद्रणा- लय पूना

<p>ते० उ० लेखि० उ० लेखि० सा०</p>	<p>नैर्निर्णय उपनिषद् नैर्निर्णय अज्ञान</p>	<p>उपनिषदाय सांसायिक सांसायिक शानन्दाश्रम • उद्यानाय पना</p>
<p>ते० न त्रि० सा०</p>	<p>नैर्निर्णय अज्ञान विद्यालय</p>	<p>सांसायिक अज्ञान सांसायिक अज्ञानपीठ (सांसायिक)</p>
<p>उ० सा०</p>	<p>उद्योग सां</p>	<p>नैर्निर्णय अज्ञान पायालय अज्ञान</p>
<p>उद्योग दिग्गनियार</p>	<p>उद्योगिक</p>	<p>सोलापुर अज्ञान अज्ञानादि सभा सांसायिक पार्थी</p>
<p>धरला</p>	<p>उद् अज्ञान के अज्ञानके</p>	<p>गेट शितायय लक्ष्मी- नन्द मेलमा (विद्या) सांसायिक समिति</p>
<p>नन्दि० नन्दि नृणि नन्दि टी० न० पट्टा०</p>	<p>नन्दिटीका नन्दिमय पट्टायली</p>	<p>सांसायिक समिति जैन सिद्धान्त भास्कर में प्रकाशित</p>
<p>नागरी प्रचारिणी पत्रिका</p>		<p>नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी</p>
<p>निर्या०</p>	<p>निर्यात्रलियाश्री</p>	<p>गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय अहमदाबाद</p>
<p>निरुक्त नैपथ काव्य</p>		<p>निरुक्त सागर प्रेस बम्बई निरुक्त सागर प्रेस बम्बई</p>

पउम्०	पउमचरिउ	विमल गणि रचित
पञ्चद०	पञ्चवस्तुक	जीवनचन्द शाकर चन्द जवेरी बम्बई
पञ्च ब्रा०	पञ्चविंशति ब्राह्मण	
पञ्चा० विव०	पञ्चाशक विवरण	निर्णय सागर प्रेस बम्बई से मुद्रित
पट्टा० समु०	पट्टावली समुच्चय	वीरमगाव (गुजरात)
परि० प० } प० प० }	परिगिष्ट पर्व	हेमचन्द्राचार्य प्रणीत
पा० चा०	पार्श्वनाथका चातुर्याम	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर बम्बई
पा० भा०	पाणिनिकालीन भारत	मोतीलाल बनारसी दास काशी
पा० महा०	पातञ्जल महाभाष्य	निर्णयसागर प्रेस बम्बई
पा० स० स०	पाइअसद्महरणव	प० हरगोविन्द दास कलकत्ता
पाली टीका परमत्थ जोतिका		
पीप इन द्दु अर्ली हिस्ट्री		भाण्डारकर लेख संग्रह पूना, जि० ?
पो० हि० ए० इ०	पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एशियन्ट इंडिया	राय चौधरी
प्रज्ञा०	प्रज्ञापना (मलयगिरि- टीका सहित)	
प्रव० सागे०	प्रवचन सारोद्धार	श्रीनेमिचन्द्राचार्य रचित

प्रश्नोपनिषद्		उपनिषदाक गीता प्रेस गोरखपुर
प्रा० भा० स० इ०	प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास	स्व० रमेशचन्द्रदत्त
प्री० बु० इ० फि०	हिस्ट्री आफ प्री बुद्धि-स्टिक इडियन फिलॉसोफी	डा० वरुआ
प्रीहि० इ०	प्री हिस्टोरिक एशियन्ट एण्ड हिन्दू इण्डिया	डा० राखलदास वनर्जी
प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ प्रो० रा० ए सो वं०	प्रोसीडिंग्स् रायल एशि- याटिक सोसायटी आफ बंगाल	
बु० इ०	बुद्धिस्ट इण्डिया	रे डेविड्स
बु० च०	बुद्धचर्या	राहुल साकृत्यायन
बोधपा०	बोधपाहुड	षट् प्राभृतादि सग्रहान्त- र्गत मा० ग्रन्थ मा०
बोधायन धर्म सूत्र		चौखम्बा सस्कृत सिरीज वाराणसी
बौ० ध० द०	बौद्धधर्म और दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव
ब्रह्माण्डपु०	ब्रह्माण्ड पुराण	मनसुखलाल मोर
भ० आ०	भगवती आराधना	शोलापुर सस्करण
भ० सू० अभयटी०	भगवती सूत्र अभयदेव टीका सहित	श्री जैन भास्करोदय प्रेस जामनगर

भद्रबाहु चरित्र	प० उदयलाल कृत अनुवाद	जैन भारती भवन बनारस
भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति भा० अनु०	भारतीय अनुशीलन	हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
भा० आ हि०	भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी	डा० सुनीतिकुमार चटर्जी
भा० इ० पत्रिका	अन्नल्स, आफ दी भण्डा- रकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना	
भा० इ० रू०	भारतीय इतिहास की रूपरेखा (प्र० स०)	जयचन्द विद्यालङ्कार
भा० पु०	श्री मन्दागवत पुराण	निर्णयसागर प्रेस बम्बई
भा० प्रा०	भाव प्राभृत (षट्प्राभृ- तादि सग्रह)	भा० जैन ग्रन्थमाला
भा० प्रा० रा० भारतीय विद्या	भारत के प्राचीन राजवश	हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर बम्बई भारतीय विद्याभवन बम्बई
मात्र स०	भाव सग्रह	माणिकचन्द ग्रन्थमाला
भा० स० अ०	भारतीय संस्कृति और अहिंसा	हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर बम्बई
म० नि० मनु०	मज्जिमनिकाय मनुस्मृति	महाबोधि सभा सारनाथ चौखम्भा संस्कृत सिरीज वाराणसी
महानारायण उपनिषद्		

महापरिनिव्वाण सुत्त

महावश

मार्कण्डेय पुराण

माडर्न रिव्यु

मुण्ड० उ०

मूला०

मै० स०

मैत्रायणी उपनिषद्

मो० सा०

मौ० सा० इ०

यजुर्वेद

योग०

योग दर्शन

रत्न० श्रा०

राज० इति०

रि० इ०

रि० इ०

रि० फि० वे०

ल० जा०

मुण्डकोपनिषद्

मूलाचार

मैत्रायणी सहिता

मोहेंजोदड़ो तथा सिन्धु
सभ्यता

मौर्य साम्राज्य का
इतिहास

योग शास्त्र वृत्ति

रत्नकरण्ड श्रावकाचार

राजस्थान का इतिहास

रिलीजन आफ इण्डिया

रिलीजन आफ इण्डिया

रिलीजन एण्ड फिलॉ-
सोफी आफ दी वेद

लघुजातक

भिन्नु धर्म रक्षित सपाटित

”

मनसुखलाल मोर कल०

प्रवासी प्रेस कलकत्ता

गीता प्रेस गोरखपुर

माणिकचन्द ग्रन्थमाला

स्वाध्याय मण्डल खेतान

उपनिषदाक गीता प्रेस

गोरखपुर

नागरी प्रचारणी सभा

काशी

डा० सत्यकेतु विद्यालकार

हेमचन्द्राचार्य

माणिकचन्द ग्रन्थमाला

हीराचन्द गौरीशकर

श्रोभा

प्रो० हापकिन्स

ए० वार्थ

ए० वी० कीथ

मास्टर खिलाड़ी लाल

वनारस

लिङ्ग पुराण लो० प्र०	लोकप्रकाश	मनसुखलाल मोर जीवनचन्द साकरचन्द जवेरी बम्बई
वायु पुराण		मनसुखलाल मोर कलकत्ता
वाराह पुराण विनय पि०	विनय पिटक	महाबोधि सभा सारनाथ काशी
वियना ओरियन्टल जर्नल वि० प्र०	विधि मार्ग प्रथा	मुनि जिन विजय सम्पादित
वि० श्रे० विचार श्रे०	विचार श्रेणि	
विशे० भा० वि० भा०	विशेषावश्यक भाष्य	यशो विजय ग्रन्थ माला काशी
विष्णु पु० वी० नि० स० जै० का०	विष्णु पुराण वीर निर्वाण सम्वत् और जैन काल गणना	गीताप्रेस गोरखपुर मुनि कल्याण विजय
वृ० क० को० हरि० क० को०	हरिपेण कृत बृहत्कथाकोश	सिन्धि सिरिज भारतीय विद्या भवन बम्बई
वृ० जा० वृ० सं०	बृहजातक बृहत्सहिता	वेकटेश्वर प्रेस बम्बई सुब्रम्हण्य शास्त्री बेंगलोर
बृह० उप०	बृहदारण्यक उपनिषद्	उपनिषदाक गीता प्रेस गोरखपुर

वेदान्त सूत्र वै० इ०	वैदिक इन्डेक्स	मोतीलाल बनारसीदास काशी
वै० ए०	वैदिक एज	भारतीय इतिहास समिति
वै० वा० इ० वै० मा० व्य० सू० शत० ब्रा० शै० वै०	वैदिक वाङ्मय का इतिहास वैदिक साहित्य व्यवहार सूत्र शतपथ ब्राह्मण शैविज्म वैष्णविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम	भगवद्दत्त लाहौर भरतीय ज्ञानपीठ काशी अहमदाबाद संस्करण डा० भण्डारकर
श्र० भ० म०	श्रमण भगवान महावीर	मुनि कल्याण विजय लिखित
श्वे० उ० षट् ख०	श्वेताश्वतर उपनिषद् षट् खण्डागम	गीता प्रेस गोरखपुर सेठ सिताचाराय लखमी चन्द मेलसा
षट् प्रा० टी०	षट् प्राभृत टीका	माणिक चन्द जैन ग्रथ माला काशी
स० च० क०	सटीका चत्वारि कर्मग्रन्था	आत्मानन्द जैन ग्रथ माला भावनगर
सम० सू० } सम वा० }	समवायाग सूत्र	आगमोदय समिति बम्बई
सागार०	सागार धर्माभृत	माणिक चन्द ग्रथमाला काशी
सम्मानचारी शतक		

हि० इ० लि० (विन्टर०)	हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर	डा० विन्टर नीट्स लिखित
हि० ध०	हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्राज्	पी० वी० कारो
हि० ध० स०	हिन्दू धर्म समीक्षा	हिन्दी ग्रथ रत्नाकर वम्बई वालिस
हि० प्री० इ०		डा० वरुआ
हि० प्री० इ० फि०	हिस्ट्री आफ प्री बुद्धि- स्टिक इंडियन फिला- सोफी	
हि० फि० ई० वे०	हिस्ट्री आफ फिलासोफी ईस्टर्न एण्ड वैस्टर्न	डा० राधाकृष्णन्
हि० ब्रा० एसे०	हिस्ट्री आफ ब्राह्मणिकल एसेस्टिकसिज्म	पूना ओरियन्टल सिरीज न० ६४, १६३६
हि० स०	हिन्दू सभ्यता	डा० राधा कुमुद मुकर्जी लिखित
हिस्ट्री आफ इन्डियन लॉजिक		डा० सतीशचन्द विद्या- भूषण
हे० टी०	हेतुविन्दु टीका	गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज बड़ौदा

~~कटक~~
जिन्होंने
श्रे०
श्रूरि
उद्योद्धात
समवसक
ननी
पर्पो
सम्सत्
आपत्तिजदक
उपचरित
त्तिच
प्रमुख
पद्म मुन्दिर
स्थापित
कल्पसूत्र
श्रुतकवली
तन्दुल वैकालिक

४०)
टक
जिन्होंने
श्रे०
सूरि
उपोद्धात
समवयस्क
नर्हा
वर्पो
सम्सत्
आपत्ति जनक
उपचरित
त्तिच
प्रमुख
पद्म सुन्दर
स्थापित
वृहत्कल्प
श्रुतकेवली
तन्दुल वैचारिक

